मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में

वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012

विषय सूची

प्राक्कथन

अध्याय–1

प्रस्तावना

क्रम0	विवरण	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	06
2	लेखा परिक्षेत्र इकाइयों की रूपरेखा	1.2	07
3	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	07
4	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0 प्र0 के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	08
5	लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	09
6	लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति विभाग का रूझान	1.6	09
7	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही	1.7	10

अध्याय–2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्य,आय/प्राप्ति के स्रोत, क्रियाकलापों के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण

1	सामान्य विवरण	2.1	11
2	जिला पंचायत	2.2	12
3	क्षेत्र पंचायत	2.3	15
4	ग्राम पंचायत	2.4	18

अध्याय–3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

1	जिला पंचायत	3.1	27
2	क्षेत्र पंचायत	3.2	27
3	ग्राम पंचायत	3.3	27

अध्याय–4

विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं उसमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियां–

1	जिला पंचायत	4.1	29
2	क्षेत्र पंचायत	4.2	172
3	ग्राम पंचायत	4.3	203

अध्याय–5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नास्ति संग्रह का विवरण

1	जिला पंचायत	5.1	626
2	क्षेत्र पंचायत	5.2	626
3	ग्राम पंचायत	5.3	626

अध्याय–6

निष्कर्ष व सुझाव

1	निष्कर्ष	6.1	627
2	सुझाव	6.2	633

प्राक्कथन

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा– जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य सरकार के अधीन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न कराते हुए इन संस्थाओं की लेखा परीक्षा के आधार पर अनिस्तारित प्रस्तरों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक लेखा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की व्यवस्था है।

सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वर्तमान प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2012–13 की अवधि में वित्तीय वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में आये प्रकरणों के, जिनकी लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 में सम्पादित की गयी है, को भी सम्मिलित किया गया है।

यह वार्षिक प्रतिवेदन अध्याय 01 से प्रारम्भ होता है जिसमें प्रतिवेदन सम्बन्धी रूपरेखा, लेखा परिक्षेत्र इकाईयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्रधिकार, लेखा परीक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा व लेखा परीक्षा की योजना एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की गई कार्यवाही सम्मिलित है। अध्याय 2 में लेखा परिक्षेत्र संस्थाओं के कार्यों, आय स्रोत एवं किया–कलापों के विषय में सामान्य विवरण हैं। अध्याय 3 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की प्रगति की स्थिति, अध्याय–4 में लेखा परीक्षा के उपरान्त प्रकाश में आयी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण, अध्याय 5 में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा एवं नस्ति संग्रहीत की स्थिति तथा अध्याय–6 में निष्कर्षों एवं सुझावों को आच्छादित किया गया है।

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1– इस प्रतिवेदन के संबंध में रूपरेखा

1. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश का यह प्रतिवेदन राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए गये अनुदान, योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में हुए व्यय, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आय की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

2. इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा परीक्षा परिणाम, कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं हेतु नीति निर्धारण व भविष्य की नीति निर्माण में सहायक होगा तथा एक जन उपयोगी भाषण व्यवस्था के निर्माण में सहयोगी होगा।

3. लेखा परीक्षा के अंतर्गत संस्था की प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और दायित्वों की जॉच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि संस्था केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों व योजनाओं में अनुदानित धन का उपयोग किस प्रकार कर रही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिशा निर्देशों का पालन किस प्रकार किया गया है। व्ययों, योजना के उद्देश्यों की पूर्ति कहॉ तक हुयी है। किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता के साथ संस्था द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन तथा संचालन किया गया है।

4. इस अध्याय में लेखा परिक्षेत्र इकाइयों की रूपरेखा, लेखा परीक्षा का प्राधिकार, लेखा परीक्षा संगठन की संरचना, लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन का उल्लेख किया गया है,

5. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान लेखा परिक्षेत्र इन संस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखों की लेखा परीक्षा में, संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ–साथ संस्थाओं के विगत वर्षों के प्रकरणों, जिनके लेखो की लेखा परीक्षा वर्ष 2012–13 की अवधि में संपादित की गयी, को भी लिया गया है।

1.2– लेखा परिक्षेत्र इकाईयों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर कुल 71 जिला पंचायते हैं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

विकास खंड स्तर पर राज्य में कुल 811 क्षेत्र पंचायते हैं। जो ब्लाक प्रमुख के नियंत्रणाधीन है। खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य में कुल 51755 ग्राम पंचायतें हैं। जो ग्राम प्रधान के नियंत्रणाधीन है। ग्राम्य विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकारी अधिकारी होता है।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश की लेखा परीक्षा की परिधि में उपरोक्त तीनों स्तर के कुल 52834 पंचायती संस्थाये हैं।

1.3– लेखा परीक्षा का प्राधिकार

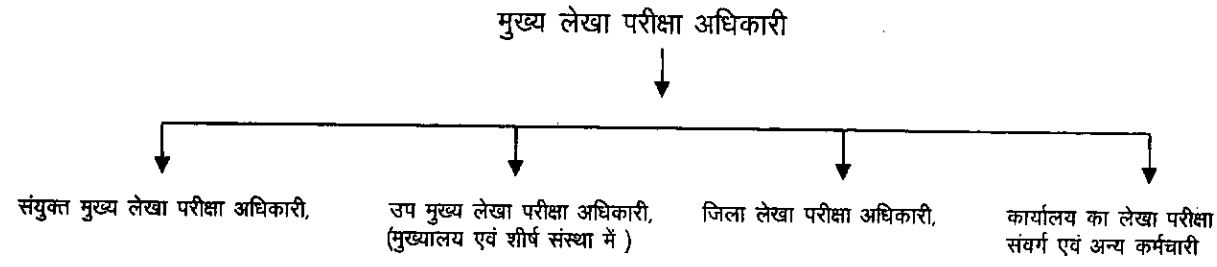
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा नियमावली) 1965 के नियम– 2 व नियम– 174 से 180 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम 186 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें उ0प्र0 में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार निहित है।

1.4– मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 के कार्यालय के संगठन की संरचना

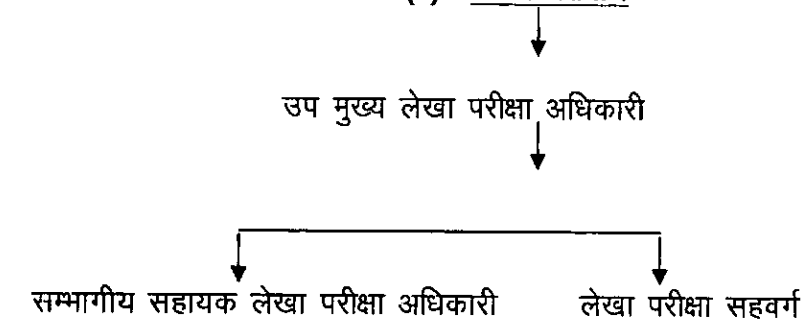
उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा संपादित कराया जाता है।

जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षा कार्मिकों (यथा–लेखा परीक्षक, जयेष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) की नियुक्ति रहती है। जिनके द्वारा जनपद स्तर पर समस्त पंचायती राज संस्थाओं यथा– जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा सम्पादित/निष्पादित की जाती है। मंडल स्तर पर उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति रहती है। जिसके द्वारा जनपद स्तर पर होने वाले लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता नियंत्रण, लेखा परीक्षा कार्य का नियोजन एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। विभाग का ढाँचा निम्न प्रकार है–

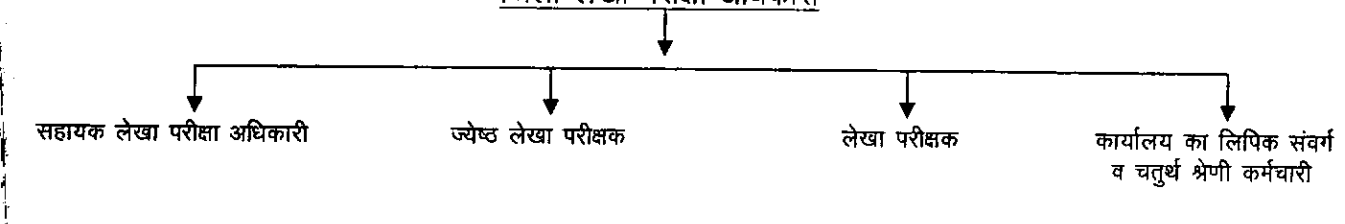
(अ) मुख्यालय स्तरीय



(ब) मंडल स्तरीय



(स) जनपद स्तरीय



1.5– लेखा परीक्षा की योजना एवं संचालन–

लेखा परीक्षा की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा कार्मिकों को पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षा कार्य के आवंटन से होती है। तत्पश्चात सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित विभागीय नीति के तहत तद्नुसार वर्ष पर्यन्त लेखा परीक्षा कार्य का संचालन किया जाता है।

अधिनियम व नियमावली में निर्धारित सीमा, प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित परिक्षेत्र के तहत संस्था के क्रिया कलाप, उनके द्वारा किये गये व्यय, वित्तीय अधिकारों की सीमा आदि का परीक्षण कर लेखा परीक्षा परिणाम निर्धारित किये जाते है।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संस्था के प्रमुख व अन्य संबंधित पक्षों को इस आग्रह के साथ प्रेषित किया जाता है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों को अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निहित मुख्य बिंदु जो अपहरण, दुर्विनियोग एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रहते हैं। उन्हें विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा अधिभार की कार्यवाही निर्धारित की जाती है।

1.6– निष्पादित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति विभाग का रूझान

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा आपत्तियॉ संबंधित संस्थाओं के प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को इस आशय से अग्रसारित किया जाता है कि उस पर निर्धारित अवधि (एक माह) के अंदर अनुपालन प्रशासनिक विभाग के माध्यम से लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाए।

प्रशासनिक विभागों के माध्यम से अनुपालन मॉगे जाने का औचित्य यह है कि लेखा परीक्षा आपत्तियों का समुचित अनुपालन नियमानुसार हुआ अथवा नहीं ?

इसका सम्पूर्ण संज्ञान प्रशासनिक विभाग को रहे तथा संस्था की लेखा परीक्षा में इंगित कमियों का निराकरण प्रभावी रूप से करा कर योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। इसके साथ ही संगत अधिनियम एवं नियमावली में निहित अधिकारों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित पक्षों पर प्रशासनिक कार्यवाही वसूली आदि करायी जा सके एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों में निहित सुधारात्मक पक्ष के साथ–साथ दण्डात्मक पक्ष का भी प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिससे संस्था में वित्तीय अनुशासन बनाये रखा जा सके। जिससे लोक धन पर प्रभावी नियंत्रण द्वारा विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

1.7– लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही

वर्ष 2010–11 (पूर्ववर्ती वर्षों को सम्मिलित करते हुए) के वार्षिक प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सदन के पटल पर रखा जा चुका है। जिस पर विधान मण्डल की उच्च स्तरीय लेखा समिति के समक्ष लेखा परीक्षा आपत्तियों, विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं अधिभार की कार्यवाही चर्चा के अन्तर्गत हैं।

.....

अध्याय–2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों,आय/प्राप्ति के स्त्रोत, व क्रियाकलापों के संदर्भ में

2.1– सामान्य विवरण– वैदिक काल से ही भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं विद्यमान रही है। मगर अंग्रेजों के शासनकाल में ये संस्थाएं लुप्त हो गयीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहित किया गया तथा आजादी के बाद संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 के प्राविधान से इनकी गतिविधियों को अधिक बल मिला। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं स्वतंत्रता के पूर्व से ही कार्यरत रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला तिहत्तरवॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिनांक 24.04.1993 से लागू हो जाने पर राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि राज्यों के पंचायती राज कानूनों को भी एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 23 अप्रैल 1994 तक संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित कर दिया जाये। तत्समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र परिषद समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 अस्तित्व में थे, अतः इन दोनों अधिनियमों में संविधान (तिहत्तरवॉ संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुरूप संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया, जो संपूर्ण प्रदेश में दिनांक– 22 अप्रैल 1994 से लागू हो गया।

उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में मुख्यतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के उन्ही प्राविधानों को संशोधित किया गया, जो संविधान (तिहत्तरवॉ संशोधन) अधिनियम 1992 से प्रभावित थे, किन्तु कुछ ऐसे प्राविधानों को भी संशोधित किया गया, जिसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयॉ उत्पन्न हो रही थी। संशोधन के पूर्व ग्राम स्तर की संस्थाओं को गॉव सभा तथा गॉव पंचायत कहा

जाता था। जो कि अब ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत कहलायेगा। इसी प्रकार पूर्व में क्षेत्र समिति के नाम से पहचानी जाने वाली मध्य स्तर की संस्था संशोधन के पश्चात् क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर की संस्था जिला परिषद संशोधन के बाद जिला पंचायत कहलाती है तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 हो गया।

भारतीय संविधान के तिहत्तरवे संशोधन में ग्राम पंचायत को न सिर्फ संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, अपितु विकास का केन्द्र भी बना दिया है। मनरेगा, बारहवॉ/तेरहवॉ वित्त आयोग, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके द्वारा गॉव स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित कराने, छात्रवृत्ति एवं पौष्टिक भोजन द्वारा बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता विकसित करने, उनमें अच्छी समझ एवं भाईचारे के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 51755 ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों में अरबो रूपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपलब्ध करायी गई। जिसमें से कुल 26834 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष 2012–13 में सम्पन्न करायी गयी।

2.2– जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अर्न्तगत जिला पंचायत शीर्षस्थ संस्था है। प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत स्थापित है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियॉ, कार्य प्रणाली लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अर्न्तगत परिभाषित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 71 जिला पंचायतों का गठन हुआ हैं। जिला पंचायत के कार्यों का सुचारू रूप से संपादन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, तथा जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पॉच वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। जिला पंचायत के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती की जाती है। जिसकी सहायता के लिए वित्तीय परामर्शदाता, कार्याधिकारी, स्टोर इंचार्ज, लेखाकार, अवर अभियन्ता/अभियंता टैक्स आफीसर, लिपिक आदि की नियुक्ति की जाती है।

(क) जिला पंचायत के अधिकार एवं कृत्य– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत जनपद की शीर्ष संस्था है। जिला पंचायत के गठन, इनके अधिकार, कार्य, दायित्व, निधियाँ, कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षा आदि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961के अर्न्तगत परिभाषित है। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार जिला पंचायत के सामान्य अधिकार और कृत्य निम्नवत् होंगे।

1. जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करें, उससे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए वर्गीकरण करना।
2. ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तरग्रामित सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण।
3. जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार सामान्य रूप से पर्यवेक्षण।
4. तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच पत्र व्यवहार के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास।
6. ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जाये।

जिला पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्त्रोत–

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानानुसार जिला पंचायत की अनेकों मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा वसूली का अधिकार है। जिला पंचायतों को अपनी सम्पत्ति से भी किराये आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी जिला पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यो के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्त्रोत से आय–

1–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 119–145 में जिला पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1. लाइसेंस शुल्क
2. दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3. नौका हाउस पर कर
4. कॉजी हाउस पर कर
5. सिनेमा प्रदर्शनियों आदि पर कर

जिला पंचायतों में सामान्तयाः निम्न मदों से आय प्राप्त होती है।

1. सम्पत्ति व विभव कर
2. लाइसेंस शुल्क
3. मृत पशु शव निस्तारण
4. सम्पत्तियों आदि (दुकान,भवन किराया)
5. नौका घाट
6. मेला प्रदर्शनी
7. हाट बाजार एवं तहबाजारी
8. कॉजी हाउस
9. कृषि एवं पशुपालन
10. जिला निधि में उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज
11. अन्य मदों से प्राप्तियॉ

(2) <u>वाह्य स्त्रोत से आय–</u> जिला पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1. भू–राजस्व अनुदान
2. राज्य वित्त आयोग

3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. एस0जी0आर0वाई0
10. अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका–

1. जिला योजना एवं श्रमिक बजट (Labour Budget) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग (Monitoring) करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
2. जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अर्न्तगत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी।

———

2.3– क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में 811 क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा–99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नही होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारू रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रवी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों को कुल संख्या का कम से कम 1/5 की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

1– ग्राम पंचायत के खातो का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।

2– पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।

3– ग्राम में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।

4– ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।

5– ऐसे अन्य कार्य जो नियम किये जाये।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:–

क– सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।

ख– ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हिताकारी की पहचान।

ग– ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

3. केन्द्रीय वित्त आयोग
4. डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5. मनरेगा
6. सांसद निधि
7. विधायक निधि
8. आंचलिक निधि
9. एस0जी0आर0वाई0
10. अन्य विभिन्न मदों से

मनरेगा के संदर्भ में जिला पंचायत की भूमिका–

1. जिला योजना एवं श्रमिक बजट (Labour Budget) को अन्तिम रूप देना तथा जनपद के अंदर मनरेगा के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग (Monitoring) करना जिला पंचायत की जिम्मेदारी है।
2. जिला पंचायत खण्ड विकास वार मनरेगा के अर्न्तगत आगामी वर्षों में कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन 31 दिसम्बर तक करेगी।

2.3– क्षेत्र पंचायत

विकास कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा जनपद को खण्डों में विभक्त किया गया है। उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की विभिन्न धाराओं के तहत एक निगमित निकाय के रूप में 811 क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पॉच वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगा। क्षेत्र पंचायत हेतु निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना हुआ व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होगा। कार्य सम्पादन के लिए प्रति दो मास में कम से कम एक बैठक किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अधिनियम की धारा–99 से 101 के तहत प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिए एक निधि की स्थापना की जायेगी। जिसे क्षेत्र पंचायत निधि कहा जायेगा। क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक एवं कृत्य– अधिनियम की धारा–84 के अनुसार प्रत्येक दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बैठक होगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जब कभी भी उचित समझे क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला सकता है तथा प्रमुख निर्वाचित सदस्यों के 1/5 के लिखित अधियाचन पर अधियाचन की तारीख या प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर बैठक अवश्य बुलायेगा। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित धारा–86 मामलों पर विचार करेगी तथा योजना तैयार करेगी।

1. क्षेत्र पंचायत विकास खंड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
2. यह योजना खण्ड विकास अधिकारी, कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत तिथि से तैयार की जाएगी।
3. खण्ड के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रम।
4. ऐसे अन्य कार्य जो नियमों में उल्लिखित है।

क्षेत्र पंचायत के आय/प्राप्तियों के स्रोत–

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के प्राविधानानुसार क्षेत्र पंचायत की कुछ मदों में कर लगाने, कर का निर्धारण करने तथा वसूली का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि आदि मदों में भी क्षेत्र पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है। जिसका उपयोग जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

(1) निजी स्त्रोत से आय–

1–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 131–क में क्षेत्र पंचायतों को निम्न कर लगाने का अधिकार दिया गया है। जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है।

1.लाइसेंस शुल्क
2.दुकानों एवं हाट बाजारों में कर लगाना
3.सम्पत्ति व विभव कर
4.कॉजी हाउस पर कर
5.अन्य मदों से प्राप्तियॉ

(2) वाह्य स्त्रोतों से आय– क्षेत्र पंचायतों को निजी स्रोतों से आय के अतिरिक्त अन्य वाह्य स्रोतों से भी धनराशि अनुदान के रूप मे प्राप्त होती है। जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाता है। क्षेत्र पंचायतों को सामान्यतया निम्न मदों में धनराशि प्राप्त होती है।

1.भू–राजस्व अनुदान
2.राज्य वित्त आयोग
3.केन्द्रीय वित्त आयोग
4.डी0आर0डी0ए0 से प्राप्त अनुदान
5.मनरेगा
6.सांसद निधि
7.विधायक निधि
8.आंचलिक निधि
9.एस0जी0आर0वाई0
10.अन्य विभिन्न मदों से

क्षेत्र पंचायत के अधिकार एवं कृत्य– अधिनियम की धारा–35 एवं 79 तथा संलग्न अनुसूची–3 व 6 में क्षेत्र पंचायत के अधिकार तथा कृत्य निर्धारित किये गये हैं।

अधिनियम की धारा–32 के अनुसार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय –समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

2.4 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है। एक या अधिक राजस्व गांव को मिलाकर ग्राम का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत के गठन को व्यवस्था यथासंम्भव एक हजार या उससे अधिक की जनसंख्या पर की गयी है। उ0प्र0 में वर्तमान में कुल 51944 ग्राम पंचायते कार्यरत है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन के लिये प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रधान व सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर किया जाता है। उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए किन्तु दो लगातार

बैठकों के मध्य दो मास से अधिक का अन्तराल नही होना चाहिए। ग्राम प्रधान की प्रति दिन के कार्यों के सुचारू रूप से चलाने हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी की तैनाती शासन द्वारा की गयी है। ग्राम पंचायत के समस्त खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक तथा कृत्य

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रतिवर्ष ग्राम सभा की दो सामान्य बैठक होगी, (खरीफ की बैठक तथा रवी की बैठक), इसके अतिरिक्त विहित अधिकारी की लिखित मांग अथवा सदस्यों को कुल संख्या का कम से कम 1/5 की मांग पर मांग की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रधान ग्राम सभा की असाधारण सामान्य बैठक अवश्य बुलाएगा। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है, किन्तु ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तथा ग्राम पंचायत की सिफारिश व सुझाव दे सकती है।

1– ग्राम पंचायत के खातो का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन को रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उन पर दिये गये उत्तर यदि कोई हो।

2– पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट।

3– ग्राम में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि।

4– ग्राम के भीतर प्रौढ शिक्षा का कार्यक्रम।

5– ऐसे अन्य कार्य जो नियम किये जाये।

ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:–

क– सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक जन और अंशदान जुटाना।

ख– ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये हिताकारी की पहचान।

ग– ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

ग्राम पंचायतों के अधिकार व कर्तव्य कृत्य

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें। प्रत्येक ग्राम पचायत उसमें उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत की ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या सभी कृत्यों की ग्राम पंचायत को समानुदेशित कर सकती है।

1– पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था तथा अनुरक्षण।

2– पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पडी भूमि की व्यवस्था।

3–किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

कर तथा शुल्क का आरोपणः–

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 37 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत निम्नांकित कर लगायेगी

क– उन क्षेत्रों में जहां उ0प्र0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जौनसार वाबर जमीदारी– विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम 1956 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हो, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझे जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) का कर लगा सकती है।

ख– उक्त खण्ड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया (कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक) कर लगा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत निम्नवत् सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।

ग– प्रेक्षागृह, चलचित्र अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ है।

ध– ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुए और किराये पर चलाने जाने वाले यन्त्र चलित वाहनो से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है।

ड– उन व्यक्तियों से जिन पर खण्ड–ग के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर लगा सकती है। जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें। जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो।

च– उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क सभा लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रण में हो।

छ– वधशालाओ और पडाव की भूमि के लिये शुल्क लगा सकती है।

ज– जल शुल्क– जहां ग्राम सभा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल सम्मारित किया जाता है।

झ– यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती हो, तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है, जो उन मकानों के जिनमें वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो, स्वामियों अथवा अध्यासियों द्वारा देय होगा।

ञ– सडकों की सफाई और उन पर रोशनी की व्यवस्था के लिये कर।

ट– जहां ग्राम पंचायत द्वारा सिचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजनाओं जल सम्मरण हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिचाई दर।

ठ– कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उनके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुये, हो और जिनका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा अनेक योजनाओं/ परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन के लिये उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार कर लगाने व वसूलने का अधिकार है तथा राज्य सरकार /

भारत सरकार द्वारा विकास के कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा मूलतः चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

1 –<u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम–2005 (मनरेगा)</u>

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की गयी, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते है। इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अन्यून के लिये ऐसा कार्य उपलब्ध करायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसने ऐसा कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिये निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसी मजदूरी का भुगतान कार्य करने के पन्द्रह दिन के अन्दर किया जायेगा, अधिनियम के धारा 7(1) के अनुसार यदि स्कीम के अन्तर्गत नियोजन चाहने वाले आवेदक को निर्धारित समय (आवेदन के पन्द्रह दिन) के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

1– <u>मनरेगा का उद्देश्य</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिये उत्सुक है, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवन सुरक्षा (livelihood security) को बढाना है।

2– <u>मनरेगा का लक्ष्यः–</u>

1– जहां अन्य रोजगार की सुविधा कम है। ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर लोगो को रोजगार मुहैया कराकर मजबूत सामाजिक सुरक्षातन्त्र का निर्माण करना है।

2– ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराकर, (जो गरीबी के मूल कारण है) जैसे बाढ, सूखा, जंगलों का कटान, भूमि (soid Erosion) कृषि प्रधान आर्थिक संरचना के विकास के लिये सुविधा प्रदान करना।

3– अधिनियम, ग्रामीण, जीविकोपार्जन, हेतु राष्ट्रीय रिसोर्स आधार को मजबूत करता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत व टिकाऊ सम्पत्ति का निर्माण करता है, मनरेगा में गरीबी के कारणों को पूर्णरूप से बदलने की क्षमता है।

4– ग्रामीण गरीबों को कानूनी अधिकार के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

5– सबसे निचले स्तर पर अपने क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये स्वयं कार्य का निर्धारण करना तथा पारदर्शिता के साथ इसे पूर्ण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

1– जल संचयन व जल प्रबन्धन।

2– वानिकी व वृक्षारोपण।

3–सिंचाई हेतु नहरें, जिसमें छोटे व अति छोटे सिंचाई की व्यवस्था सम्मिलित हो।

4– सिंचाई के साधन की व्यवस्था, वृक्षारोपण, हार्टीकल्चर।

5– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, भूमि सुधार के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार, इन्दिरा आवास योजना/गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के भूमि का भूमि विकास।

6– परम्परागत जल सुविधाओं का जीर्णोद्धार, जिसमें टैकों की सफाई भी सम्मिलित है।

7– भूमि सुधार/विकास।

8– बाढ़ नियन्त्रण जिसमें जल भराव क्षेत्रों को संरक्षित करना भी सम्मिलित है।

9– ग्रामीण क्षेत्रों को जोडना, सडक का निर्माण, आवश्यकतानुसार ग्राम क्षेत्र में नाली का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत आने वाले सडकों पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य नहीं कराया जाना चाहिये, मनरेगा के अन्तर्गत सीमेन्ट सड़क का निर्माण प्रतिबन्धित है तथा ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास से जोड़ती है।

10– कोई अन्य कार्य जो भारत सरकार, राज्य सरकार से विचार विमर्श कर अधिसूचित करे।

11–अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अर्न्तगत अनुमन्य है।

12– मरनेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नही है।

2–छात्रवृत्ति योजनाः–

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग– अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3– राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानः–

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायते कर आरोपित कर सकती है उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सडक निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयें/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यो का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4– मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा दो दिन गेहूँ से बने भोज्य

सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

.....

अध्याय–3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1–जिला पंचायतें

वर्ष 2012–13 में राज्य की कुल 71 जिला पंचायतों में से 49 जिला पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

3.2–क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2012–13 में राज्य की कुल 811 क्षेत्र पंचायतों में से 128 क्षेत्र पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3–ग्राम पंचायतें

वर्ष 2011–12 में राज्य की कुल 51755 ग्राम पंचायतों में से 26834 ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

11–अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सम्पत्ति का रख रखाव का कार्य मनरेगा के अर्न्तगत अनुमन्य है।

12– मरनेगा के अन्तर्गत भूमि क्रय अनुमन्य नही है।

2–छात्रवृत्ति योजनाः–

समाज के सभी वर्गों के बच्चों की पढाई के लिये प्रेरित करने तथा उन्हे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिये अलग– अलग विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जैसे विकलांग बच्चों के लिये विकलांग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिये अल्पसंख्यक विकास विभाग आदि से धनराशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा संबन्धित वर्ग के छात्रों को प्राप्त कराया जाता है।

3– राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानः–

ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्धित विकास के लिये राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के अनुसार ग्राम पंचायते कर आरोपित कर सकती है उक्त समस्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास के कार्यों, वृक्षारोपण, सडक निर्माण, नाली निर्माण, जलाशयें/नलकूपों का निर्माण, पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूमि संरक्षण आदि कार्यों का निर्धारण ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है। समिति द्वारा कार्य एवं क्रय की आन्तरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था भी की गयी है।

4– मध्यान्ह भोजन योजना

प्रदेश के राजकीय परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा दो दिन गेहूँ से बने भोज्य

पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न में भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गयी है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर पर 2.69 प्रति छात्र प्रति दिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.30 प्रति छात्र प्रति दिवस परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों की देख–रेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जो अपने देख–रेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। इस हेतु उन्हें परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किचन शेड हेतु रू0 8500/प्रति विद्यालय तथा किचन उपकरण हेतु रू0 5000/प्रति विद्यालय चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

विद्यालयों में पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक शिक्षा) को दायित्व सौपा गया है तथा विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गयी है। जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निम्नवत् व्यवंस्था की गयी है।

1. मेनू को विद्यालयों की दीवारों पर 6'/ 8' साइज में चस्पा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुरूप है कि नहीं, यह सर्वविदित रह सकै।

2. भोजन वितरण के माह से पूर्व माह में खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुॅचाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धनराशि को ग्राम निधि खाता संख्या–5 (मिड डे मील) में पृथक बैक खाते में रखे जाने की व्यवस्था था। जिसका संचालन सम्प्रति ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत के सयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता था। शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग –4–1233/7976–10 दिनांक– 12 नवम्बर, 2010 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना हेतु पृथक खोले जाने की व्यवस्था की गयी है। "यह खाता मध्यान्ह भोजन निधि" कहलायेगा। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत, रसोईये का मानदेय, किचन उपकरण, किचन शेड निर्माण एम.एम.आई. आदि की धनराशि रखी जायेगी तथा ग्राम निधि में अवशेष परिवर्तन लागत की धनराशि एवं ग्राम शिक्षा समितियों के खाते में उपलब्ध मध्यान्ह भोजन योजना संबंधी धनराशि मध्यान्ह भोजन निधि में तत्काल स्थानान्तरित कर दी जायेगी। मध्यान्ह भोजन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना की धनराशि इस खाते में नहीं रखी जायेगी। इस खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यह सभी खाते समीपस्थ सी.वी.एस. ब्रान्च में रखे जायेगे। इस खाते में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु रखी जाने वाली विभिन्न मदों की धनराशि का लेखा जोखा पृथक रखा जाएगा।

4. योजना के अनुश्रवण हेतु प्रभावी व्यवस्था के नियंत्रण के लिए परिवर्तन लागत का दैनिक आय–व्यय लेखा विवरण, दैनिक खाद्यान्न स्टाक रजिस्टर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मासिक सूचना प्रपत्र पर सूचना संकलन की व्यवस्था की गयी है।

मध्यान्ह भोजन योजना की लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के साथ संपन्न की जाएगी।

ख– <u>संगठनात्मक ढॉचा</u>– विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव/ग्राम्य विकास अधिकारी उत्तरदायी थे। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड स्तर पर एवं खण्ड विकास अधिकारी, जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी , राज्य स्तर पर निदेशक, ग्राम्य विकास व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास , बारहवे वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज व शासन स्तर पर प्रमुख सचिव पंचायती राज, मध्यान्ह भोजन योजना के लिए ब्लाक स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप विद्यालय निरीक्षक, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक, बेसिक शिक्षा व शासन स्तर पर प्रमुख

सचिव, बेसिक शिक्षा को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी उत्तरदायी हैं।

.....

अध्याय–3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रगति

3.1–जिला पंचायतें

वर्ष 2012–13 में राज्य की कुल 71 जिला पंचायतों में से 49 जिला पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित जिला पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

3.2–क्षेत्र पंचायतें

वर्ष 2012–13 में राज्य की कुल 811 क्षेत्र पंचायतों में से 128 क्षेत्र पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। क्षेत्र पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

3.3–ग्राम पंचायतें

वर्ष 2011–12 में राज्य की कुल 51755 ग्राम पंचायतों में से 26834 ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों की जनपदवार सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी (जिला पंचायती राज अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी) एवं कार्यकारी अधिकारी (ग्राम्य विकास अधिकारी) द्वारा लेखा परीक्षा में सहयोग न करने एवं लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा परीक्षा हेतु समस्त निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखा परीक्षा में अपेक्षित प्रगति न हो सकी।

अध्याय–4

लेखा परीक्षा में उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का विवरण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य– निष्पादित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या–

1. संस्था द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं है।
2. किये गये व्यय में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
3. न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का क्रय किया गया है तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया है।
4. संस्था द्वारा प्रभावी ढ़ंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूरा कर लिया गया है।
5. बैंक खातों का मिलान कर लिया गया है।
6. सृजित परिसम्पत्तियों का लेखांकन किया गया है।
7. निर्धारित समस्त अभिलेखों का लेखांकन, रख रखाव एवं प्रस्तुतिकरण समुचित रूप से किया गया है।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2011–12 तक के अवधि की लेखा परीक्षा अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के मध्य की गयी। जिसमें राज्य के सभी जनपदों के 27011 पंचायती राज संस्थाओं के उपलब्ध अभिलेखों की जॉच की गयी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक विभागों द्वारा निर्धारित किये गए उद्देश्यों, लेखा नियमों, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जनपद के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद में तैनात लेखा परीक्षा कर्मियों के माध्यम से लेखा परीक्षा कार्य संपादित कराया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में उपलबध अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त लेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्गत की गयी।

4.1–जिला पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

मण्डल – गोरखपुर
जिला पंचायत – गोरखपुर वर्ष 2009–10

प्रस्तर सं0 01–निम्न विवरण के अनुसार कपितय अनुदान की धनराशियों विगत वर्षो से यथावत चली आ रही है। जो राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिये।विवरण इस प्रकार है :–

क्रम	अनुदान का विवरण	31.03.2009 को अवशेष	31.03.2010 को अवशेष
1	राजकीय अनुदान (93–94)	78,038.00	78,038.00
2	राज्य वित्त आयोग (2003–04)	124,700.00	124,700.00
3	राज्य वित्त आयोग (2005–06)	7,659,945.00	7,659,945.00
4	पूर्वांचल विकास निधि (02–03 से 05–06)	16,577.00	16,577.00
5	पूर्वांचल विकास निधि (06–07)	36,722.00	36,722.00
6	डी0 आर0 डी0 ए0 (04–05 से 05–06)	6,124.00	6,124.00
7	हथकरधा (06–07 से 07–08)	171.00	171.00
	योग	7,922,277.00	7,922,277.00

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि को राज्य सरकार को वापस किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।संस्था द्वारा उक्त धन का उपभोग न कर शासनादेशों के विपरित कार्य किया गया है।जो अंनियमित हैं।इसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	7922277.00	7922277.00

प्रस्तर सं0 02–नियमानुसार जिला पंचायत से अपेक्षित था कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न करो की निर्धारित दर से मांग का निर्धारण करते हुये उनकी वसूली सुनिश्चित करे जिससे कि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके और क्षेत्रवासियों को मुलभूत अवस्थापना सुविधाये प्राप्त हो सके जिला पंचायत की मांग समाहरण पंजिका एंव अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये करो की मांग के सापेक्ष विभव सम्पत्ति कर की अपेक्षित वसूली न किये जाने के कारण वसूली अत्यन्त कम रही।विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	विकास खण्ड	चालू मांग	31.03.09 को बकाया	योग	वसूली	अवशेष बकाया
1	कैम्पियरगंज	478,407.00	308,155.00	786,562.00	273,421.00	513,141.00
2	जंगल कौडिया	163,766.00	70,670.00	234,436.00	70,030.00	164,406.00
3	खजनी	592,208.00	153,435.00	745,643.00	153,845.00	591,798.00
4	खोराबार	261,606.00	152,180.00	413,786.00	164,170.00	249,616.00
5	पिपरौली	279,123.00	149,530.00	428,653.00	149,730.00	278,923.00

6	चरगांवा	410,115.00	131,768.00	541,883.00	187,838.00	354,045.00
7	गोला	346,528.00	101,240.00	447,768.00	99,490.00	348,278.00
8	बेलधाट	165,778.00	152,410.00	318,188.00	153,670.00	164,518.00
9	उरूवा	275,318.00	177,210.00	452,528.00	182,130.00	270,398.00
10	सरदारनगर	425,894.00	196,913.00	622,807.00	201,216.00	421,591.00
11	कौडीराम	610,981.00	294,723.00	905,704.00	297,025.00	608,679.00
12	पिपराईच	268,191.00	174,460.00	442,651.00	162,390.00	280,261.00
13	बांसगांव	404,160.00	218,586.00	622,746.00	229,137.00	393,609.00
14	ब्रहमपुर	137,138.00	90,990.00	228,128.00	90,990.00	137,138.00
15	बडहलगंज	489,684.00	173,530.00	663,214.00	156,160.00	507,054.00
16	भटहट	290,554.00	92,590.00	383,144.00	81,990.00	301,154.00
17	पाली	230,010.00	125,470.00	355,480.00	115,260.00	240,220.00
18	सहजनवां	400,840.00	65,020.00	465,860.00	65,020.00	400,840.00
19	गगहा	526,675.00	243,645.00	770,320.00	211,677.00	558,643.00
	योग	6,756,976.00	3,072,525.00	9,829,501.00	3,045,189.00	6,784,312.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल मांग रू0 9829501.00 के सापेक्ष वसूली मात्र 3045189.00 रहा तथा वसूली हेतु अवशेष रू0 6784312.00 रहा।इस प्रकार कुल मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत मात्र 30.98 प्रति शत रहा जो संस्था हित में नही रहा।इस सम्बन्ध में विकासखण्डवार डिमाण्ड रजिस्टर (सम्पत्ति व विभव कर) देखने से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश दुकानों एंव सम्पत्तियो पर प्रत्येक वर्ष डिमाण्ड नही लगायी गयी है एंव जो वसूली हुयी है प्रायः उसे ही मांग दर्शित किया गया है। इस ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्था के प्रबन्ध तंत्र सहित विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।इस हेतु कर अधिकारी ,कर निरीक्षक व कर समाहर्ता उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	6784312.00	6784312.00

प्रस्तर सं0 03–आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि वर्षारम्भ 01.04.2009 को अवशेष अनुदानों में से वर्ष 2009–10 में व्यय की गयी धनराशि की शासन से पूर्व स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नही की गयी जबकि कपितय धनराशियां आलोच्य वर्ष में व्यय की गयी है।विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	मद का नाम	01.04.09 को अवशेष	वर्ष में प्रयुक्त	वर्षान्त में अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग (2007–08)	8,353,391.00	8,353,312.00	79.00
2	राज्य वित्त आयोग (2008–09)	21,478,397.00	21,466,913.00	11,484.00
3	ग्यारहवां वित्त आयोग (2000–01)	11,508.00	11,508.00	-

4	ग्यारहवां वित्त आयोग (2003–04)	165,783.00	165,783.00	-
5	बारहवां वित्त आयोग (2005–06)	1,929,534.00	1,929,534.00	-
6	बारहवां वित्त आयोग (2006–07)	8,909,033.00	8,909,033.00	-
7	पूवांचल विकास निधि (2008–09)	1,187.00	1,187.00	-
8	सांसद क्षेत्र विकास निधि (03–04)	25,717.20	25,717.20	-
	योग	40,874,550.20	40,862,987.20	11,563.00

इस प्रकार वर्ष के प्रारम्भ में रू0 40874550.20 अनुदान अवशेष (जो पिछले कई वर्षो से सम्बन्धित था) में रू0 40862987.20 आलोच्य वर्ष में उपयोग किया गया है।किन्तु उसके उपभोग हेतु शासन की पूर्व स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त धनराशियो को व्यय किया जाना अपेक्षित रहा।बिना स्वीकृत के उक्त धनराशियों का व्यय किया जाना अनियमित है।इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	40862987.20	40862987.20

प्रस्तर सं0 4–आलोच्य वर्ष की अन्त्योदय/स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनार्तन्गत वितरित ऋणों की धनराशि के विवरण के अनुसार 2009–10 के अन्त में दिनांक 31.03.2010 को रू0 93.78 लाख की वसूली बकाया थी।उक्त वसूली विगत वर्षो से नही हो पा रही है।और ना ही इसकी मांग लगायी जा रही है।उक्त धनराशि पर ब्याज भी नही लगाया जा रहा है।उक्त धनराशियो की वसूली की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियो सहित इकाई के प्रबन्ध तंत्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	मद का नाम	01.04.09 को बकाया	2009–10 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली	31.03.2010 को अवशेष
1	अन्त्योदय योजना	3812397.00	0.00	3812397.00	00.00	3812397.00
2	स्थानीय विकास	5275636.00	0.00	5275636.00	00.00	5275636.00
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट	289347.00	0.00	289347.00	00.00	289347.00
	योग	9377380.00	0.00	9377380.00	00.00	9377380.00

यहां उल्लेखनीय है कि उक्त ऋण वितरण की पत्रावलियां भी जिला पंचायत स्तर पर रखी गयी है या नही स्पष्ट किया जा सका।ऋणो का कार्य विवरण पत्र भी बनाकर नही रखा गया है।आवश्यक एंव प्रभावी वसूली की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।प्रभावी वसूली की कार्यवाही न हाने पर अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता एंव वसूली अधिकारी की जिम्मेदारी है।उक्त वसूली न किये जाने से संस्था को क्षति हुयी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	9377380.00	9377380.00

प्रस्तर सं0 5–आलोच्य वर्ष में कपितय जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत ठेको के सापेक्ष अनुबन्ध शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली स्टैम्प डयूटी की धनराशि को ठेकेदारों द्वारा राजकीय खजाने में जमा नही कराया गया।जिस कारण राजस्व की क्षति ठेकेदारो द्वारा पहुचाई गयी है।जिसका दायित्व निर्धारण कर वसूली करायी जानी अपेक्षित है :–

क्रमांक	तहबाजारी का स्थान	ठेके का जमा मूल्य	निर्धारित स्टैम्प
1	हाटा बाजार पटरी रोड	119,100.00	11,910.00
2	भटौली बाजार पटरी रोड	106,000.00	10,600.00
3	तहबाजारी बोर्डिंग हाउस गोरखपुर	28,800.00	2,880.00
4	बरईपार बाजार	27,500.00	2,750.00
5	माल्हनपार बाजार	94,200.00	9,420.00
6	इमलीडीह रोड पटरी	32,000.00	1,000.00
	योग	407,600.00	38,560.00

उक्त की वसूली तत्कालीन लिपिक श्री प्रदीप श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

	अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
	0.00	38560.00	0.00	38560.00

प्रस्तर सं0 6–दिनांक 05.08.2010 को टेण्डर विवरण पत्र के अनुसार ग्राम सभा डुमरी खास में 165 मीटर लम्बा इन्टरलाकिंग का कार्य 449775.00 में स्वीकृत किया गया था।उक्त कार्य के अन्तिम बिल में कार्य की भौतिक प्रगति 149 मीटर ही दर्शायी गयी है तथा जिला पंचायत द्वारा रू0 444820.00 का भुगतान किया गया है।जब कि लेखा परीक्षा के अनुसार 149 मीटर बनाये जाने की दशा में रू0 406363.00 ही भुगतान किया जाना चाहिये थां।इस प्रकार रू0 38457.00 अधिक भुगतान कर संस्था को क्षति एंव राजकीय धन का अपहरण किया गया है।जिसकी वसूली ठेकेदार /अभियन्ता व अपर मुख्य अधिकारी से किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
38457.00	0.00	0.00	38457.00

प्रस्तर सं0 7–सम्पत्ति व विभव कर की वसूली की जांच में पाया गया कि कपितय विकास खण्डों में वसूली वर्ष 2008–09 की अपेक्षा कम रही है।जो उक्त विकास खण्डो के कर संगाहको की लापरवाही का प्रमाण है विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2008–09 में वसूली	वर्ष 2009–10 में वसूली	अन्तर
1	जंगल कौडिया	79780.00	70030.00	9750.00
2	खोराबार	178393.00	164170.00	14223.00
3	पिपरौली	191878.00	149730.00	42148.00
4	गोला	110218.00	99490.00	10728.00
5	सरदारनगर	257176.00	201126.00	56050.00
	योग	817445.00	684546.00	132899.00

उक्त के लिये सम्बन्धित विकास खण्डों में तैनात कर संग्राहक/कर समाहर्ता उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	132899.00	132899.00

जिला पंचायत– गोरखपुर, वर्ष–2010–11

प्रस्तर सं0 08–निम्न विवरण के अनुसार कपितय अनुदान की धनराशियों विगत वर्षो से यथावत चली आ जो राज्य सरकार को वापस किया जाना चाहिये।विवरण इस प्रकार है :–

क्रम	अनुदान का विवरण	31.03.2010 को अवशेष	31.03.2011 को अवशेष
1	राजकीय अनुदान (93–94)	78,038.00	78,038.00
2	राज्य वित्त आयोग (2003–04)	124,700.00	124,700.00
3	पूर्वांचल विकास निधि (02–03 से 05–06)	16,577.00	16,577.00
4	पूर्वांचल विकास निधि (06–07)	36,722.00	36,722.00
5	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना	1,189,000.00	1,189,000.00
6	डी0 आर0 डी0 ए0 (04–05 से 05–06)	6,124.00	6,124.00
7	हथकरधा (06–07 से 07–08)	171.00	171.00
	योग	1,451,332.00	1,451,332.00

इस प्रकार विभिन्न वर्षो में प्राप्त अनुदान की धनराशि का वर्ष के दौरान ना ही उपयोग किया गया और ना ही उपरोक्त धनराशि को राज्य सरकार को वापस किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी है।संस्था द्वारा उक्त धन का उपभोग न कर शासनादेशों के विपरित कार्य किया गया है।जो अनियमित रहा।जिस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	1451332.00	1451332.00

प्रस्तर सं0 09–लेखा परीक्षा में जिला पंचायत से अपेक्षित था कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न करो की निर्धारित दर से मांग का निर्धारण करते हुये उनकी वसूली सुनिश्चित करे जिससे कि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके और क्षेत्रवासियों को मुलभूत अवस्थापना सुविधाये प्राप्त हो सके जिला पंचायत की मांग समाहरण पंजिका एंव अन्य सम्बन्धित अभिलेखों सी0पी0 टैक्स रजिस्टरों की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये करो की मांग के सापेक्ष विभव सम्पत्ति कर की अपेक्षित वसूली न किये जाने के कारण वसूली अत्यन्त कम रही।विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	विकास खण्ड	चालू मांग	31.03.10 को बकाया	योग	वसूली	अवशेष बकाया
1	कैम्पियरगंज	260,960.00	513,141.00	774,101.00	281,420.00	492,681.00
2	जंगल कौडिया	53,720.00	164,406.00	218,126.00	53,720.00	164,406.00

3	खजनी	166,390.00	591,798.00	758,188.00	190,053.00	568,135.00
4	खोराबार	226,182.00	249,616.00	475,798.00	217,542.00	258,256.00
5	पिपरौली	162,100.00	278,923.00	441,023.00	157,620.00	283,403.00
6	चरगांवा	114,020.00	417,045.00	531,065.00	87,180.00	443,885.00
7	गोला	112,560.00	348,278.00	460,838.00	112,862.00	347,976.00
8	बेलधाट	130,370.00	164,518.00	294,888.00	131,170.00	163,718.00
9	उरूवा	116,640.00	270,398.00	387,038.00	115,150.00	271,888.00
10	सरदारनगर	205,014.00	421,591.00	626,605.00	199,230.00	427,375.00
11	कौडीराम	210,937.00	608,679.00	819,616.00	226,130.00	593,486.00
12	पिपराईच	194,700.00	280,261.00	474,961.00	212,870.00	262,091.00
13	बांसगांव	323,866.00	393,609.00	717,475.00	320,858.00	396,617.00
14	ब्रहमपुर	70,004.00	137,138.00	207,142.00	70,406.00	136,736.00
15	बडहलगंज	134,410.00	663,336.00	797,746.00	133,560.00	664,186.00
16	भटहट	191,030.00	301,154.00	492,184.00	182,140.00	310,044.00
17	पाली	196,556.00	240,220.00	436,776.00	214,178.00	222,598.00
18	सहजनवां	52,160.00	400,840.00	453,000.00	52,160.00	400,840.00
19	गगहा	176,350.00	558,643.00	734,993.00	167,730.00	567,263.00
	योग	3,097,969.00	7,003,594.00	10,101,563.00	3,125,979.00	6,975,584.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल मांग रू0 10101563.00 के सापेक्ष वसूली मात्र 3125979.00 रहा तथा वसूली हेतु अवशेष रू0 6975584.00 रहा।इस प्रकार कुल मांग के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत मात्र 30.94 प्रतिशत रहा जो संस्था हित में नही रहा।इस सम्बन्ध में विकासखण्डवार डिमाण्ड रजिस्टर (सम्पत्ति व विभव कर) देखने से स्पष्ट हुआ कि अधिकांश दुकानों एंव सम्पत्तियो पर प्रत्येक वर्ष डिमाण्ड नही लगायी गयी है एंव जो वसूली हुयी है प्रायः उसे ही मांग दर्शित किया गया है।जिससे संस्था की आय प्रभावित रही।जिस हेतु कर अधिकारी व कर समाहर्ता /कर निरीक्षक तथा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।इस ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्था के प्रबन्ध तंत्र सहित विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	6975584.00	6975584.00

प्रस्तर सं0 10—संस्था की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2010 को अवशेष अनुदानों में से वर्ष 2010–11 में व्यय किया गया है।जिस हेतु नियमानुसार शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।वर्ष में व्यय की गयी धनराशि की शासन से पूर्व स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नही की गयी।आलोच्य वर्ष में विगत वर्षो के अनुदानों के व्यय का विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	मद का नाम	01.04.10 को अवशेष	वर्ष में प्रयुक्त	वर्षान्त में अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग (2005–06)	7659945.00	4203288.00	3456657.00
2	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (2008–09)	31400000.00	28612844.00	2787156.00
3	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (2009–10)	31110000.00	29789000.00	1321000.00
3	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (क्षे0प0)	11989311.00	11333715.00	655596.00
4	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (07–08)	3971596.12	2657618.00	1313978.12
5	राज्य वित्त आयोग (2006–07)	5063922.00	4088205.00	975717.00
5	राज्य वित्त आयोग (2009–10)	15979750.00	15773281.00	206469.00
5	बारहवां वित्त आयोग (2008–09)	2522438.00	2522438.00	0.00
6	बारहवां वित्त आयोग (2009–10)	16156389.00	15825199.00	331190.00
7	राष्ट्रीय सम विकास योजना (2009–10)	3357341.00	3089152.00	268189.00
8	राष्ट्रीय सम विकास योजना (2008–09)	3349853.00	3349853.00	0.00
	योग	132560545.12	121244593.00	11315952.12

इस प्रकार वर्ष के प्रारम्भ में रू0 132560545.12 अनुदान अवशेष (जो पिछले कई वर्षो से सम्बन्धित था) में रू0 121244593.00 आलोच्य वर्ष में उपयोग किया गया है।किन्तु उसके उपभोग हेतु शासन की पूर्व स्वीकृति लेखा परीक्षा में बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किया गया।शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त धनराशियो को व्यय किया जाना चाहिये था।बिना स्वीकृत के उक्त धनराशियों का व्यय किया जाना अनियमित रहा।उक्त प्रकरण में अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता उत्तरदायी है।

यहां उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष के अनुदान का समायार्न्तगत व्यय न करके वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय किये जाने से सामग्री की किमत बढ जाने से अत्याधिक व्यय हुआ है।जिससे अनुदान की धनराशि की क्षति तो हुयी है साथ ही साथ समय से राजकीय उददेश्यों की भी पूर्ति नही हुयी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	121244593.00	121244593.00

प्रस्तर सं0 11–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आलोच्य वर्ष की अन्त्योदय योजना ,स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनार्तन्गत वितरित ऋणों की धनराशि के विवरण पत्र के अनुसार 2010–11 के अन्त में दिनांक 31.03.2011 को उक्त योजनाओं के अर्न्तगत रू0 93.78 लाख की वसूली बकाया थी।उक्त वसूली विगत वर्षो से नही हो पा रही है और ना ही संस्था द्वारा इसकी मांग लगायी जा रही है।साथ ही उक्त धनराशि पर ब्याज भी नही लगाया जा रहा है।उक्त धनराशियो की वसूली की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियो सहित इकाई के प्रबन्ध तंत्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	मद का नाम	01.04.09 को बकाया	2009–10 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली	31.03.2010 को अवशेष
1	अन्त्योदय	38-12	0-00	38-12	00-00	38-12

	योजना					
2	स्थानीय विकास	52-76	0-00	52-76	00-00	52-76
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट	002-90	0-00	002-90	00-00	2.9
	योग	93-78	0-00	93-78	00-00	93-78

यहां उल्लेखनीय है कि उक्त ऋण वितरण की पत्रावलियां भी जिला पंचायत स्तर पर रखी गयी है या नही लेखा परीक्षा में इसे स्पष्ट नही किया जा सका।ऋणो का कार्यविवरण पत्र भी बनाकर नही रखा गया है।आवश्यक एंव प्रभावी वसूली की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट है।प्रभावी वसूली की कार्यवाही न होने पर अपर मुख्य अधिकारी ,वित्तीय परामर्शदाता एंव वसूली अधिकारी की उत्तरदायी है।उक्त वसूली न किये जाने से संस्था को क्षति हुयी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	9378000.00	9378000.00

प्रस्तर सं0 12–सम्पत्ति व विभव कर की वसूली की जांच में पाया गया कि कपितय विकास खण्डों में वसूली वर्ष 2009–10 की अपेक्षा कम रही है।जो उक्त विकास खण्डो के कर संगाहको की लापरवाही का प्रमाण है विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2009–10 में वसूली	वर्ष 2010–11 में वसूली	अन्तर
1	जंगल कौडिया	70030.00	53720.00	16310.00
2	चरगांवा	187838.00	87180.00	100658.00
3	उरूवा	182130.00	115150.00	66980.00
4	सरदारनगर	201216.00	199230.00	1986.00
5	कौडीराम	297025.00	226130.00	70895.00
6	ब्रहमपुर	90990.00	70406.00	20584.00
7	सहजनवां	65020.00	52160.00	12860.00
8	गगहा	211677.00	167730.00	43947.00
	योग	1305926.00	971706.00	334220.00

उक्त विकास खण्डो में कम वसूली के हेतु कर निरीक्षक व कर समाहर्ता तथा अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	334220.00	334220.00

प्रस्तर सं0 13– आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड खोराबार विभिन्न ग्राम पंचायतों में लाइसेन्स शुल्क वर्ष 2010–11 में वसूल न करके संस्था को क्षति पहुचायी गयी है।जबकि वर्ष 2009–10 में एंव वर्ष 2011–12 में उक्त संस्थाओं से लाइसेन्स शुल्क की वसूली की गयी है।इस प्रकार आलोच्य वर्ष में लाइसेन्स शुल्क की वसूली न करके विकास खण्ड खोराबार में रू0 16268.00 निम्न विवरण के अनुसार क्षति पहुचायी गयी है।

क्रमांक	सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्बद्ध लाईसेन्स शुल्क की धनराशि
1	सूबा बाजार	4047.00
2	मोतीराम अडडा	4567.00

3	गहिरा	515.00
4	झंगहा बाजार /गौरी नं0 1	3149.00
5	अमहिया	412.00
6	मिर्जापुर /धोबही /सनहा	466.00
7	नौवा डुमरी	270.00
8	पक्का कुआ डांगीपार	35.00
9	कुई / प्यासी	754.00
10	सिक्टौर बाई पास	1405.00
11	रायगंज	180.00
12	जं0 गौरी नं0 1	468.00
	योग	16268.00

उक्त से स्पष्ट है कि विकास खण्ड खोराबार में कार्यरत श्री संजय सहाय श्रीवास्तव ,कर समाहर्ता द्वारा लाइसेन्स शुल्क रू0 16268.00 की वर्ष के दौरान वसूली न करके संस्था को क्षति पहुचायी गयी है।जिसके लिये श्री श्रीवास्तव ,कर समाहर्ता ,कर अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।विभागीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	16268.00	16268.00

प्रस्तर सं0 14– आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में विकास खण्ड पिपरौली विभिन्न ग्राम पंचायतों में लाइसेन्स शुल्क वर्ष 2010–11 में वसूल न करके संस्था का निम्न विवरण के अनुसार क्षति पहुचायी गयी है।

क्रमांक	सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्बद्व लाईसेन्स शुल्क की धनराशि
1	महाबीर छपरा	2476.00
2	भावापार /सेवई	2911.00
3	भीटी	530.00
4	बरहुआं	160.00
5	नगवा	280.00
6	बरवार / छपिया	805.00
7	खानिमपुर	175.00
8	पिपरौली	690.00
9	जैतपुर	555.00
10	हरैया	215.00
11	छपिया	197.00
	योग	8994.00

उक्त से स्पष्ट है कि विकास खण्ड पिपरौली में कार्यरत श्री अनिरूद्व प्रसाद ,कर समाहर्ता द्वारा लाइसेन्स शुल्क रू0 8994.00 की वर्ष के दौरान वसूली न करके संस्था को क्षति पहुचायी गयी है।जिसके लिये श्री प्रसाद ,कर समाहर्ता ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।श्री प्रसाद के खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	8994.00	8994.00

प्रस्तर सं0 15– आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विकास खण्ड पाली के ग्राम पंचायत घघसरा में निर्मित प्राथमिक पाठशाला में स्थित दुकानों का किराया (188 प्रति माह) विगत वर्षो से वसूल न करके संस्था को क्षति पहुंचायी जा रही हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	कुल दुकानों की सं0	गत वर्ष की मांग	वर्ष की मांग	योग	वसूली	बकाया
1	23	102573.00	51888.00	154461.00	52458.00	102003.00

यहां उल्लेखनीय है कि दुकानों का किराया मात्र रू0 188.00 प्रतिमाह है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किराया रजि0 में दुकानों का कार्पेट एरिया व अन्य विवरण अंकित न होने के कारण प्रतिमाह निर्धारित किराये की समीक्षा नही की जा सकी।उक्त के बाद भी रू0 102003.00 दुकान किराया मद में बकाया रहना कर समाहर्ता के धोर निष्क्रियता का परिचायक रहा जिस हेतु श्री अनिरूद्व प्रसाद ,कर अधिकार व अपर मुख्य अधिकारी पुर्णतया जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	102003.00	102003.00

प्रस्तर सं0 16– आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पादरी बाजार / चरगांवा में स्थित दुकानों का किराया वर्ष के दौरान व विगत वर्षो से वसूल न करके संस्था को क्षति पहुंचायी जा रही हैं जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	किरायेदार का नाम व दुकान नं0 एंव किराया प्रतिमाह	गत वर्ष की बकाया	वर्ष की मांग	योग	वर्ष में वसूली	कुल बकाया
1	उषा देवी दुकान नं0 1,2 रू0 375 प्रति माह	4950.00	4500.00	9450.00	3900.00	5550.00
2	सन्तोष कुमार वर्मा दुकान नं0 3 व 4 रू0 375 प्रति माह	2925.00	4500.00	7425.00	4125.00	3300.00
3	माता प्रसाद दु0 नं0 5 रू0 188 प्रति माह	2076.00	2256.00	4332.00	2600.00	1732.00
4	शरीफ खां दुकान नं0 6 रू0 188 प्रति माह	4103.00	2256.00	6359.00	2800.00	3559.00

5	शंकर प्रसाद दुकान नं0 7 व 8 रू0 375 प्रति माह	1575.00	4500.00	6075.00	5625.00	450.00
6	आलोक कुमार वर्मा दुकान नं0 9 रू0 188 प्रति माह	1309.00	2256.00	3565.00	2250.00	1315.00
7	सुखराम यादव दुकान नं0 10 रू0 188 प्रति माह	206.00	2556.00	2762.00	2075.00	687.00
8	सी0 के0 सिंह दुकान नं0 11 रू0 188 प्रति माह	10.00	2256.00	2266.00	2250.00	16.00
9	राजकुमार दुकान नं0 12 रू0 188 प्रति माह	3565.00	2256.00	5821.00	2620.00	3201.00
10	गणेश प्रसाद श्री0 दुकान नं0 13 रू0 188 प्रति माह	10.00	2256.00	2266.00	2250.00	16.00
11	राम सिंगारी दुकान नं0 14 रू0 188 प्रति माह	1905.00	2256.00	4161.00	2200.00	1961.00
12	शकल प्रसाद दुकान नं0 15 रू0 188 प्रति माह	18.00	2256.00	2274.00	2250.00	24.00
13	रामाकान्त चौहान दुकान नं0 16 रू0 200 प्रति माह	2400.00	2400.00	4800.00	2400.00	2400.00
14	विजय कुमार दुकान नं0 17 रू0 100 प्रति माह	900.00	1200.00	2100.00	2100.00	0.00
	योग	25952.00	37704.00	63656.00	39445.00	24211.00

यहां उल्लेखनीय है कि दुकानों का किराया मात्र रू0 188.00 प्रतिमाह व रू0 300.00 प्रतिमाह है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किराया रजि0 में दुकानों का कार्पेट एरिया व अन्य विवरण अंकित न होने के कारण प्रतिमाह निर्धारित किराये की समीक्षा नही की जा सकी।उक्त के बाद भी रू0 24211.00 दुकान किराया मद में बकाया रहना कर निरीक्षक के धोर निष्क्रियता का परिचायक रहा जिस हेतु श्री घरीक्षण कर समाहर्ता ,तत्कालीन कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पुर्णतया जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	24211.00	24211.00

प्रस्तर सं0 17– आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नगर क्षेत्र में असुरन चौक पर स्थित दुकान जो किराया रजिस्टर के अनुसार अखिल भारतीय बीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान को मात्र 1500.00 रू0 प्रतिमाह दर पर आंवंटित है ,से सम्बन्धित किराया विवरण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण आवंटित दुकान के कारपेट एरिया की जानकारी लेखा परीक्षा में नही हो सकी जिसके कारण किराया प्रतिमाह की समीक्षा नहीं की जा सकी।उक्त आवंटित दुकान के सापेक्ष वर्ष के दौरान कुल मांग 22500.00 के सापेक्ष मात्र 18000.00 की वसूली हुयी इस प्रकार रू0 4500.00 की वसूली नही हो पा रही है।जबकि प्रतिमाह किराया वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।मांग के सापेक्ष रू0 4500.00 कम वसूली हेतु श्री पंचदेव चतुर्वेदी कर निरीक्षक नगर क्षेत्र ,तत्कालीन कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	4500.00	4500.00

प्रस्तर सं0 18– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड चरगांवा के सम्पत्ति व व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय दुकानो /प्रतिष्ठानों पर सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानो व प्रतिष्ठानों पर वर्ष के दौरान सम्पत्ति व विभव कर की डिमाण्ड न लगाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्नवत हैं।

क्रमसं0	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की देय धनराशि	वर्ष के दौरान मांग न लगाकर क्षति
1	पादरी बाजार	50610.00	50610.00
2	सराय गुलरिहा	5100.00	5100.00
3	रजही	13560.00	13560.00
4	जं0 घूसड	14790.00	14790.00
5	तुर्रा बाजार	9060.00	9060.00
6	महराजगंज	43080.00	43080.00
7	बैजनाथपुर	10500.00	10500.00
8	मिर्जापुर	3750.00	3750.00
9	जं0 छत्रधारी	4800.00	4800.00
10	झुंगिया बाजार	55680.00	55680.00
11	बेलवा रामपुर	3900.00	3900.00
12	पकड़ी	1500.00	1500.00
13	जं0 एकला नं0 1	11100.00	11100.00
14	परमेश्वरपुर	5700.00	5700.00
15	नवापार	20130.00	15930.00
16	नौका टोला जं0 धूसड	6930.00	6930.00
17	देवीपुर	2400.00	2400.00
18	जं0 सिक्टौर	52830.00	52830.00
	योग	**315420.00**	**311220.00**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चरगांवा में स्थित दुकानो /प्रतिष्ठानों पर रू0 315420.00 सी0पी0 टैक्स की वर्ष के दौरान मांग न लगाकर संस्था की आय को प्रभावित किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता श्री धरीक्षण ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है।उक्त क्षति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	311220.00	311220.00

प्रस्तर सं0 19– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड चरगांवा के सम्पत्ति व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजि0 की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय दुकानो /प्रतिष्ठानों पर सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानो व प्रतिष्ठानों पर वर्ष के दौरान कर की देय धनराशि से कम मांग लगाकर मांग के सापेक्ष कम वसूली कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की धनराशि / कर निर्धारण	वर्ष के दौरान मांग	वर्ष के दौरान वसूली
1	पादरी बाजार	43140.00	29620.00	29620.00
2	एकला नं0 2	1800.00	1100.00	1100.00
3	बैजनाथपुर	1800.00	1100.00	1100.00
4	मिर्जापुर	2550.00	1720.00	1720.00
5	जं0 छत्रधारी	7500.00	4000.00	4000.00
6	तुर्रा बाजार	1200.00	750.00	750.00
7	महराजगंज	2450.00	1570.00	1570.00
8	सराय गुलरिहा	7200.00	4950.00	750.00
9	जं0 धूसड	1860.00	1240.00	1240.00
10	नौका टोला जं0 धूसड	6000.00	600.00	600.00
11	सिकटौर /मानीराम	6300.00	3900.00	3900.00
12	नाहरपुर	2400.00	1560.00	1500.00
	योग	84200.00	52110.00	47850.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चरगांवा में कर की देय धनराशि रू0 84200.00 के सापेक्ष वर्ष के दौरान 52110.00 की मांग लगायी गयी जिसके सापेक्ष रू0 47850.00 की वसूली वर्ष के दौरान की गयी है।इस प्रकार कर की देय धनराशि के सापेक्ष रू0 32090.00 कम मांग लगाकर व कुल मांग रू0 52110.00 के सापेक्ष रू0 47850.00 की वसूली कर रू0 4260.00 की कम वसूली कर संस्था को कुल रू0 36350.00 की क्षति पहुचायी गयी है।जिस हेतु श्री धरीक्षण कर समाहर्ता ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।उक्त क्षति किये जाने हेतु कर समाहर्ता पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	47850.00	47850.00

प्रस्तर सं0 20– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड चरगांवा के सम्पत्ति व व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय चिमनी ईट भठठो से प्राप्त होने वाले सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।विकास खण्ड के निम्नलिखित चिमनी ईट भठठों पर वर्ष के दौरान कर की देय धनराशि से कम मांग लगाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	भठठा मालिक का नाम	कर की धनराशि /कर निर्धारण	वर्ष के दौरान मांग	वर्ष के दौरान मांग में कमी
1	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	6000.00	4200.00	1800.00
2	मैं0 अभिषेक इन्टरप्राइजेज	6000.00	4200.00	1800.00
3	मे0 के के ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	0.00	6000.00
4	मे0 एस0 ए0 ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	4200.00	1800.00
5	साकेत ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	4200.00	1800.00
6	मे0 विशाल ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	4200.00	1800.00
7	मे0 चांद ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	0.00	6000.00
	योग	42000.00	21000.00	21000.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चरगांवा में चिमनी ईट भठठो पर कर की देय धनराशि रू0 42000.00 के सापेक्ष वर्ष के दौरान 21000.00 की मांग लगायी गयी है।इस प्रकार कर की देय धनराशि के सापेक्ष रू0 21000.00 कम मांग लगाकर संस्था को रू0 21000.00 की क्षति पहुंचायी गयी है।जिस हेतु श्री धरीक्षण कर समाहर्ता ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।उक्त क्षति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक विभागीय कार्यवाही कर समाहर्ता पर की जानी अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	21000.00	21000.00

प्रस्तर सं0 21– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड चरगांवा के सम्पत्ति व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय चिमनी ईट भठठो से प्राप्त होने वाले सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।विकास खण्ड के निम्नलिखित चिमनी ईट भठठों पर वर्ष के दौरान कोई मांग लगाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्नवत हैं।

क्रमसं0	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की देय धनराशि	वर्ष के दौरान मांग न लगाकर क्षति
1	श्री प्रेम आनन्द सिंह	6000.00	6000.00
2	में ममता टेडर्स	6000.00	6000.00
3	मे0 राज ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	6000.00
4	मे0 आशा ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	6000.00
5	मे0 ओम प्रकाश ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	6000.00
6	मे0 फिलिंग ब्रिक्स फिल्ड	6000.00	6000.00
	योग	**36000.00**	**36000.00**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड चरगांवा में चिमनी ईट भठठो पर कर की देय धनराशि रू0 36000.00 के सापेक्ष वर्ष के दौरान मांग नही लगायी गयी है।इस प्रकार कर की देय धनराशि के सापेक्ष मांग न लगाकर संस्था को रू0 36000.00 की क्षति पहुंचायी गयी है।जिस हेतु श्री धरीक्षण कर समाहर्ता ,कर अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।उक्त क्षति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	36000.00	36000.00

प्रस्तर सं0 22– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर से सम्बन्धित विकास खण्ड बडहलगंज के मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में पाया गया कि कपितय वाहन मालिको पर सम्पत्ति व विभव कर का निर्धारण व वर्ष की मांग नही अंकित किया गया है।संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार वाहन मालिको पर वर्ष 2008–09 से ही कर का निर्धारण व वसूली नही की जा रही है।इस प्रकार वर्ष 2010–11 में विकास खण्ड के 165 वाहन स्वामियों पर रू0 281130.00 की कर की मांग न लगाकर व वर्ष दौरान वसूली न करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।जो अनियमित रहा।जिस हेतु सम्बनिधत विकास खण्ड के कर समाहर्ता /कर निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार गौतम पूर्णतया उत्तरदायी है।उदाहरण निम्नवत है :–

क्रमांक	वाहन स्वामी का नाम	वाहन का रजि0 नम्बर	कर की राशि	मांग न लगाकर क्षति
1	श्री अजय कुमार जायसवाल पुत्र श्री राधेश्याम	UP53 T 2689	1800	1800
2	श्री गोरखनाथ त्रिपाठी पुत्र श्री शिवाश्रम त्रिपाठी	UP53 T 3103	1800	1800
3	श्री कृष्णानन्द पाण्डेय पुत्र श्री रामप्रधुमन पाण्डेय	UP53 T 3501	1800	1800
4	श्री संजय तिवारी पत्र श्री प्रेमचन्द्र तिवारी	UP53 T 2162	1800	1800
5	श्री संदीप सिंह पु0 श्री लाल साहब सिंह	UP53 T 1031	1800	1800
6	श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री मुन्ना यादव	UP53 T 0273	1200	1200

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	281130.00	281130.00

प्रस्तर सं0 23– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर से सम्बन्धित विकास खण्ड बडहलगंज के मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायतवार राशन की दुकानों /पेट्रोल पम्प /हास्पिटलो तथा निजी प्रतिष्ठानो पर सम्पत्ति व विभव कर के निर्धारण में पारदर्शिता नही बरती गयी है।निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में सम्पत्ति व विभव कर का वर्ष के दौरान मांग न लगाकर अंकित धनराशि से संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्न है:–

क्रमसं0	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की देय धनराशि /अवधारण	वर्ष के दौरान मांग न लगाकर क्षति
1	बडहलगंज सदर	210600.00	210600.00
2	चिल्लूपार	17220.00	17220.00

3	डेरवा	11790.00	11790.00
4	सेमरा	1200.00	1200.00
5	कुरांव	10710.00	10710.00
6	औझौली	930.00	930.00
7	विशुनपुरा	1800.00	1800.00
8	पोहिला	3000.00	3000.00
9	सिधुआपार	20880.00	20880.00
10	कृतपुरा	6000.00	6000.00
11	सीधेगौर	6430.00	6430.00
12	पिडहनी	6690.00	6690.00
13	झुमिला	21840.00	21840.00
14	रामपुर गढवा	6600.00	6600.00
15	बाक्षेपार	20930.00	20930.00
	योग	346620.00	346620.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड बडहलगंज में स्थित दुकानो/प्रतिष्ठानों पर रू0 346620.00 सी0पी0 टैक्स की वर्ष के दौरान मांग न लगाकर संस्था की आय को प्रभावित किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता/कर निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार गौतम ,तत्कालीन कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	346620.00	346620.00

प्रस्तर सं0 24– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड बडहलगंज के सम्पत्ति व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय चिमनी ईट भठठो से प्राप्त होने वाले सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।चिमनी ईट भठठा मालिकों द्वारा विगत कई वर्षो से कर का भुगतान नही किया जा रहा है।वर्ष के दौरान विकास खण्ड के कुल 13 चिमनी ईट भठठों कर का निर्धारण किया गया है किन्तु वर्ष के दौरान कर की वसूली न करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	प्रतिष्ठान /प्रोपाइटर का नाम	कर की देय धनराशि	मांग न लगाकर क्षति
1	मे0 जनशक्ति ट्रेंडर्स प्रो0 श्री होती चौहान ग्राम – कल्यानपुर	6000.00	6000.00
2	मे0 यादव ईट भठठा ,प्रो0 श्री धर्मसेवक यादव , ग्राम भैसवली	6000.00	6000.00
3	मे0 आदि शक्ति ब्रिक्स फिल्ड ,प्रा0 श्री राम दुलारे , ग्रा0–बरडीहा	6000.00	6000.00
4	मे0 बजरंग ब्रिक्स फिल्ड प्रो0 श्रीमती माया दूबे	6000.00	6000.00
5	मे0 एस0 के ट्रेडिंग कम्पनी प्रो0 श्री श्रीमती सुमित्रा देवी	6000.00	6000.00
6	मे0 जगदम्बा ट्रेडर्स ,प्रो0 श्री रामदुलारे दूबे	6000.00	6000.00
7	श्री मधु यादव	6000.00	6000.00
8	मे0 श्याम ब्रदर्स प्रो0 श्री श्याम लाल यादव	6000.00	6000.00
9	मे0 महाजन ब्रिक्स फिल्ड प्रो0 श्री विजय कुमार	6000.00	6000.00

10	मे0 अम्बे ब्रिक्स फिल्ड प्रो0 श्री राजवंश शाही	6000.00	6000.00
11	मे0 बृजेश ब्रिक्स फिल्ड प्रो0 श्री मती इन्द्रावती देवी	6000.00	6000.00
12	मे0 जनशक्ति ईंट भठठा , प्रो0 श्रीमती उषा देवी	6000.00	6000.00
13	मे0 जय अम्बे ईंट उधोग, प्रो0 श्री पवन सिंह	6000.00	6000.00
14	मे0 जनशक्ति टेंडर्स प्रो0 श्री होती चौहान	6000.00	6000.00
	योग	84000.00	84000.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड बडहलगंज में स्थित चिमनी ईंट भठठा प्रतिष्ठानों पर रू0 84000.00 सी0पी0 टैक्स की वर्ष के दौरान मांग न लगाकर संस्था की आय को प्रभावित किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता/कर निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार गौतम ,तत्कालीन कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	84000.00	84000.00

प्रस्तर सं0 25– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर से सम्बन्धित मांग व उगाही रजि0 की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय दुकानो /प्रतिष्ठानों पर सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।विकास खण्ड बडहलगंज के निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानो व प्रतिष्ठानों पर वर्ष के दौरान कर की देय धनराशि /कर निर्धारण से कम मांग लगाकर तथा मांग के सापेक्ष कम वसूली कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की धनराशि / कर निर्धारण	वर्ष के दौरान मांग	वर्ष के दौरान वसूली
1	चिल्लूपार	1200.00	900.00	900.00
2	डेरवा	1500.00	1050.00	1050.00
3	झुमिला	6390.00	3190.00	3190.00
	योग	9090.00	5140.00	5140.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड बडहलगंज में कर निर्धारण की राशि रू0 9090.00 के सापेक्ष वर्ष के दौरान 5140.00 की मांग लगायी गयी जिसके सापेक्ष रू0 5140.00 की वसूली वर्ष के दौरान की गयी है।इस प्रकार कर की देय धनराशि के सापेक्ष रू0 3950.00 कम मांग लगाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।जिस हेतु श्री सन्तोष कुमार गौतम कर निरीक्षक ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।उक्त क्षति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर समाहर्ता से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	3950.00	3950.00

प्रस्तर सं0 26– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर से सम्बन्धित विकास खण्ड पिपराईच के मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में पाया गया कि कपितय वाहन मालिको पर सम्पत्ति व विभव कर का निर्धारण व वर्ष की मांग नही अंकित किया गया है।संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार वाहन मालिको पर वर्ष 2008–09 से ही कर का निर्धारण व वसूली नही की जा रही है।इस प्रकार वर्ष 2010–11 में विकास खण्ड के 41 वाहन स्वामियों पर रू0 66900.00 की कर की मांग न लगाकर व वर्ष दौरान वसूली न करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।जो अनियमित रहा।जिस हेतु सम्बनिधत विकास खण्ड के कर समाहर्ता /कर निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह पूर्णतया उत्तरदायी है।उदाहरण निम्नवत है :–

क्रमांक	वाहन स्वामी का नाम	वाहन का रजि0 नम्बर	कर की राशि	मांग न लगाकर क्षति
1	श्री दीनानाथ जायसवाल पुत्र श्री पारसनाथ	UP53 AT 1027	1800	1800

2	श्री धर्म नारायन सिंह पुत्र श्री रामपति सिंह	UP53 T 4909	1800	1800
3	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरीजेश सिंह	UP53 T 1975	1800	1800
4	श्री जाहिद अली पुत्र श्री तहसीलदार	UP53 T 5196	1800	1800
5	श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता पु0 श्री भगौती प्रसाद गुप्ता	UP53 AT 1924	1200	1200
6	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री शिवमंगल	UP53 AT 4368	1200	1200

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	66900.00	66900.00

प्रस्तर सं0 27– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड पिपराईच के सम्पत्ति व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय चिमनी ईट भठठो से प्राप्त होने वाले सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।वर्ष के दौरान विकास खण्ड के कुल 08 चिमनी ईट भठठों कर का निर्धारण किया गया है किन्तु वर्ष के दौरान कर की वसूली न करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	प्रतिष्ठान /प्रोपराइटर का नाम	कर निर्धारण की धनराशि	मांग न लगाकर क्षति
1	मे0 जे0 पी0 ब्रिक्स फिल्ड प्रो0 श्री प्रकाश जायसवाल ग्राम – सिधावल	6000.00	6000.00
2	श्री बृजेश कुमार पाठक व श्री सत्य प्रकाश सिंह , ग्राम बरसैनी	6000.00	6000.00
3	मे0 चाचा ब्रिक्स फिल्ड ,प्रो0 श्री चन्दर सिंह , विजयनगर	6000.00	6000.00
4	श्री रामनरेश पुत्र श्री रामकवल यादव भैसहा गोरखपुर	6000.00	6000.00
5	श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री अमरनाथ सिह ,नथुआ	6000.00	6000.00
6	मे0 खान ईट भठठा ,प्रो0 तुफेल अहमद	6000.00	6000.00
7	मे0 महान ब्रिक्स फिल्ड ,प्रा0 विजय सिंह यादव	6000.00	6000.00
8	मे0 के के ईट उधोग ,प्रो0 श्री कौशल किशोर यादव	6000.00	6000.00
	योग	48000.00	48000.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड पिपराईच में स्थित चिमनी ईट भठठा प्रतिष्ठानों पर रू0 48000.00 सी0पी0 टैक्स की वर्ष के दौरान मांग न लगाकर संस्था की आय को प्रभावित किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता/कर निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है।स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	48000.00	48000.00

प्रस्तर सं0 28– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड पिपराईच के सम्पत्ति व व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय चिमनी ईट भठठो से प्राप्त होने वाले सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।वर्ष के दौरान विकास खण्ड के कुल 08 चिमनी ईट भठठों कर का निर्धारण किया गया है किन्तु वर्ष के दौरान कर की वसूली कम करके संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	प्रतिष्ठान /प्रोपराइटर का नाम	कर निर्धारण की धनराशि	निर्धारण के सापेक्ष वसूली में कमी
1	मे0 अवधेश ईट भठठा उधोग	6000.00	4200.00
2	श्री विधासागर सिंह व श्री गोरख सिंह	6000.00	4200.00
3	श्री शेषनाथ तिवारी पुत्र श्री विश्वनाथ	6000.00	4200.00
4	श्री शंकर पुत्र श्री सुखारी	6000.00	4200.00
5	मेंo डी0 ईट उधोग ,प्रो0 श्रीमती अमरावती देवी	6000.00	4200.00
6	श्री बृज बिहारी पुत्र श्री बुद्वि सागर	6000.00	4200.00
7	श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह	6000.00	4200.00
8	मे0 पशुपति ब्रिक्स फिल्ड ,प्रो0 श्री शत्रुध्न	6000.00	4200.00
9	मे0 आर0 बी0 ईट उधोग ,प्रो0 श्री रामदयाल	6000.00	4200.00
	योग	54000.00	37800.00

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड पिपराईच में स्थित चिमनी ईट भठठा प्रतिष्ठानों पर कुल अवधारित सी0पी0 टैक्स रू0 54000.00 के स्थान रू0 37800.00 की वसूली दर्शित की गयी है।इस प्रकार रू0 16200.00 की कम वसूली कर संस्था की आय को प्रभावित किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता/कर निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है। जांच कर आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	16200.00	16200.00

प्रस्तर सं0 29 – जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर रजिस्टरों की विकास खण्डवार जांच में विकास खण्ड पिपराईच के सम्पत्ति व विभाव कर से सम्बन्धित विवरण पत्रों तथा मांग व उगाही रजि0 की जांच में यह यह तथ्य प्रकाश में आया कि कपितय दुकानो /व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सम्पत्ति व विभव कर के मांग व वसूली में गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।विकास खण्ड के निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानो व प्रतिष्ठानों पर वर्ष के दौरान कर की देय धनराशि से कम मांग लगाकर मांग के सापेक्ष कम वसूली कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की धनराशि/ कर निर्धारण	वर्ष के दौरान मांग	वर्ष के दौरान वसूली
1	कुसुम्ही बाजार	41050.00	27110.00	26910.00
2	जगदीशपुर	54900.00	27980.00	27980.00

3	सोनबरसा	18600.00	12140.00	12140.00
4	रामनगर करन्जहां	9000.00	5760.00	5760.00
5	बेलवा खुर्द	1200.00	750.00	750.00
6	रमवापुर	6300.00	1370.00	1370.00
	योग	**131050.00**	**75110.00**	**74910.00**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड पिपराईच में कर की देय धनराशि रू0 131050.00 के सापेक्ष वर्ष के दौरान 75110.00 की मांग लगायी गयी जिसके सापेक्ष रू0 74910.00 की वसूली वर्ष के दौरान की गयी है।इस प्रकार कर की देय धनराशि के सापेक्ष रू0 55940.00 कम मांग लगाकर व कुल मांग रू0 75110.00 के सापेक्ष रू0 74910.00 की वसूली कर रू0 200.00 की कम वसूली कर संस्था को कुल रू0 56140.00 की क्षति पहुंचायी गयी है।जिस हेतु श्री राजेश कुमार सिंह कर निरीक्षक/ कर समाहर्ता ,कर अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार है।उक्त क्षति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर कर समाहर्ता /कर निरीक्षक पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	74910.00	74910.00

प्रस्तर सं0 30– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 के सम्पत्ति व विभव कर से सम्बन्धित विकास खण्ड पिपराईच के मांग व उगाही रजिस्टर की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायतवार राशन की दुकानों /पेट्रोल पम्प /हास्पिटलो तथा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर सम्पत्ति व विभव कर के निर्धारण में पारदर्शिता नही बरती गयी है।निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में सम्पत्ति व विभव कर का वर्ष के दौरान मांग न लगाकर अंकित धनराशि से संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है।विवरण निम्न है:–

क्रमसं0	ग्राम पंचायत का नाम /स्थान	कर की देय धनराशि /अवधारण	वर्ष के दौरान मांग न लगाकर क्षति
1	कुसुम्ही बाजार	54303.00	54303.00
2	सोनबरसा	43863.00	43863.00
3	जगदीशपुर	27333.00	27333.00
4	मुडिला खुर्द	3300.00	3300.00
5	भैसहा	4233.00	4233.00
6	रामूडिहा	8400.00	8400.00
7	रामनगर करन्जहां	33705.00	33705.00
8	बेलवा खुर्द	4800.00	4800.00
9	कैथवलिया	3900.00	3900.00
10	रमवापुर	10200.00	10200.00
11	बेलाकांटा	19800.00	19800.00
12	महराजी	4800.00	4800.00
13	सोनवे ,सिधौली, कोनी, पिपरही	10200.00	10200.00

14	जं0 सुभान अली	17700.00	17700.00
15	करमैनी ,माडापार,शिवपुर ,मुण्डेरी	22500.00	22500.00
15	यदवापुर, अगया, बसन्तपुर, अराजी चौरी	15000.00	15000.00
	योग	**284037.00**	**284037.00**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास खण्ड पिपराईच में स्थित दुकानो /प्रतिष्ठानों पर रू0 284037.00 सी0पी0 टैक्स की वर्ष के दौरान मांग न लगाकर संस्था की आय को प्रभावित किया गया है जिस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता/कर निरीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह व अपर मुख्य अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी है।आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	284037.00	284037.00

प्रस्तर सं0 31– जिला पंचायत गोरखपुर के वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत वर्षो से कर्मचारियो को दिये गये अग्रिम के सापेक्ष अग्रिम की वसूली नही कर संस्था को हानि पहुंचायी जा रही है।विवरण निम्न है:–

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	धनराशि	मद	भुगतान तिथि
1	स्व0 राजबली गुप्ता	लिपिक शिक्षा	4176.00	भवन अग्रिम	3/29/1972
2	श्री अमीर अली	लिपिक शिक्षा	436.00	भवन अग्रिम	2/25/1972
3	घनश्याम नारायण सिंह	कार्य अधिकारी	22265.00	भवन अग्रिम	5/4/1997
	योग		26877.00		

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	26877.00	26877.00

मण्डल – बस्ती

जिला पंचायत– बस्ती

प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण
प्रस्तर–01	जिला पंचायत, बस्ती के वर्ष 2004–05 में तहबाजारी की नीलामी दो बाजारों की न कर के कुल रू0 16502.00 की हानि श्री वी0 सी0 पन्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पहुचायी गयी है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री पन्त से अपेक्षित है।
प्रस्तर–02	जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2004–05 में दो बाजारों की नीलामी गत वर्ष की अपेक्षा कम धनराशि की कर के कुल रू0 40200.00 की हानि श्री वी0 सी0 पन्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पहुचायी गयी है जिसकी वसूली ब्याज सहित श्री पन्त से अपेक्षित है।
प्रस्तर–03	जिला पंचायत बस्ती के वर्ष 2004–05 में कुल रू0 3082451.00 के दुकान किराये की वसूली न करके संस्था को हानि पहुचायी गयी है। उक्त की वसूली संबन्धित से की जानी अपेक्षित है।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर

आपत्तियो का विवरण वर्ष 11–12

प्रस्तर संख्या 1–

1– राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम सभा गायघाट में फत्तेपुर अजगरा बांध से रामनरेश गुप्ता के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य कराने का ठीका श्री धर्मराज यादव ठेकेदार को दिया गया था। पत्रावली में संलंग्न स्टीमेट के अनुसार उक्त कार्य की ल0 275मी0 तथा चौ0 3मी0 थी। परन्तु पत्रावली में संलग्न नोट शीट के अनुसार विवाद होने के कारण चौ0 को कम करके तथा ल0 को बढाकर संशोधित प्राकलन (2.5मी0 चौडा तथा 329मी0ल0)तैयार कर जे0ई0श्री संतोष कुमार पाण्डेय द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व के स्टीमेट के अनुसार अजगरा बांध से रामनरेश गुप्ता के घर की दूरी 275मी0 थी जो बाद में संशोधित स्टीमेट में उक्त दूरी 329मी0 दिखाई गई है जो काल्पनिक है। इसप्रकार ठेकेदार को (329–275मी0)54मी0 अधिक लम्बाई के इन्टर लाकिंग कार्य का अधिक भुगतान रू0155677.00 किया गया हैं। अस्तु अनियमित तरीके से माप दर्शाते हुए रूपये 155677.00 के अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार श्री धर्मराज यादव, जे0ई0 श्री संतोष कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0कन्नौजिया एवं अभि0श्री अनिल कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या–03)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
155677रु	–	–

प्रस्तर संख्या 2–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम सभा अजगरा में तालबगहिया छोटकी के घर से प्रा0 वि0 तक इन्टर लाकिंग कार्य कराने का ठेका श्री धर्मराज यादव ठेकेदार को दिया गया था। पत्रावली में संलग्न स्टीमेट के अनुसार उक्त कार्य की ल0320मी0 तथा चौ02.5मी0 बनाया गया है परन्तु बाद में संशोधित स्टीमेट के द्वारा उक्त कार्य की ल0615मी0तथा चौ0 1.5मी0 से 2.00मी0 तक करके ठेकेदार श्री धर्मराज यादव को 295मी0 अधिक ल0 का भुगतान कर जिला पंचायत को रू0478366.00 से आर्थिक क्षति पहुचाई गई है। पूर्व के स्टीमेट में छोटकी के घर से प्रा0 वि0 की दूरी 320मी0 थी जिसे बाद में संशोधित स्टीमेट में 615मी0 कर दी गई जो काल्पनिक है इस प्रकार 295मी0 अधिक लम्बाई दर्शाकर रू0478366.00 के अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार श्री धर्मराज यादव जे0ई0 श्री संतोष कुमार पाण्डेय अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0कन्नौजिया एवं अभि0श्री अनिल कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या–04)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
478366रु	– –	– –

प्रस्तर संख्या 3–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उसका सोहास मार्ग से अमवां गांव में सी0सी0 रोड निर्माण का ठेका रू09.00 लाख में ठेकेदार श्रीमती विमला सिंह को दिया गया थां। पत्रावली मे संलग्न समाचार पत्र में उक्त सडक के छः माह के भीतर ही टूटने का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर अवर अभि0 द्वारा अपने पत्र दि0 19.05.12 द्वारा ठेकेदार को उक्त सी0सी0 रोड के मरम्मत का निर्देश दिया गया है। स्पष्ट है कि अवर अभि0 व अभि0 द्वारा पूर्व मे उक्त सडक की गुणवत्ता की बिना जांच किये ही ठेकेदार को दि022.07.11 तक पूर्ण भुगतान रू0895000.00 कर दिया गया। पत्रावली मे उक्त सडक के मरम्मत कराये जाने का कोई प्रमाण संलग्न नहीं है। अस्तु मानक के प्रतिकूल कराये गये कार्य के भुगतान की धनराशि रू0895000.00 दुरूपयोगित रहा जिसकी वसूली ठेकेदार श्रीमती विमला सिंह, अवर अभि0 श्री संतोष कुमार पाण्डेय,

अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0कन्नौजिया एवं अभि0श्री अनिल कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित हैं।(आपत्ति संख्या–05)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
	– 895000रु	– –

प्रस्तर संख्या 4–

4– राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कलेनिया पी0डब्लू0डी0 मार्ग से मुकीम के घर तक सी0सी0रोड निर्माण का ठेका श्री रामविलास को दिया गया था। पत्रावली में संलग्न स्टीमेट के अनुसार उक्त कार्य की ल0 160मी0 तथा चौ0 3मी0 दर्शित थी। परन्तु पत्रावली में संलग्न नोट शीट के अनुसार विवाद के कारण उक्त कार्य की लम्बाई 200मी0 तथा चौ02.5मी0दर्शाकर संशोधित स्टीमेट प्रस्तुत कर ठेकेदार को 20मी0 अधिक लम्बाई के कार्य का भुगतान किया गया। जिससे जिला पंचा0 को रू098970.00की क्षति हुई। पूर्व स्टीमेट में पी0डब्लू0डी0 मार्ग से मुकीम के घर की दूरी 160मी0थी जो बाद में काल्पनिक रूप से 40मी0 बढाकर 200मी0कर दी गई। अस्तु अनियमित रूप से माप बढाकर ठेकेदार को 40मी0 अधिक लम्बाई का भुगतान रू098970.00अधिक किया गया। जिसकी वसूली ठेकेदार श्री रामविलास, अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव ,अभि0 श्री अनिल कुमार सिंह तथा अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0 कन्नौजिया से किया जाना अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–06)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–	– –	– 98970रु

प्रस्तर संख्या 5–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यो से सम्बंधित प्रस्तुत किये गये कुछ पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि रू010.00 लाख से ऊपर के कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त होनी थी। शासन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उन कार्यो का टेन्डर आमंत्रित कर कार्यादेश निर्गत किया जाना चाहिए था। परन्तु शासन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ही टेन्डर आमंत्रित कर कार्यादेश जारी कर दिया गया जो नियम विरूद्ध व अनियमित था। इस अनियमितता हेतु अपर मुख्य अधि0श्री संतोष कुमार सिंह उत्तरदायी है। विवरण निम्न है––

क्र0सं0	कार्य का नाम	टेन्डर की तिथि	स्वी0 धन0	कार्यादेश की तिथि	शासन से प्राप्त तक0 स्वी0की ति0
1	बलराम सिह के खेत से बसहवा घाट तक मिट्टी सोलिंग कार्य	28.5.11	12.00 लाख	2.6.11	14.6.11
2	उसका मठिया मार्ग पर शिव मंदिर के आगे 2X6 मी0 स्पान की पुलिया	30.5.11	24.00 लाख	2.6.11	14.6.11
3	प्रधान मंत्री सडक से मदुआपार जाने वाले मार्ग पर लेपन कार्य	28.5.11	38.00 लाख	8.6.11	14.6.11
4	शाहपुर सिंगारजोत मार्ग पर मठिया से मुबारकपुर का अवशेष लेपन	23.4.11	14.00 लाख	28.5.11	14.6.11
5	सोहना बिजौरा मार्ग पर मुहम्मदपुर से इजरहवा का अवशेष लेपन	23.4.11	15.00 लाख	28.6.11	14.6.11

अस्तु उपरोक्तानुसार रू0 103.00लाख के कार्य बिना शासन से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अनियमित रूप से टेन्डर निकाल कर कार्यादेश जारी किया गया है जिसके लिए विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।उपरोक्त कार्यो में से क्रम सं0 1,2,3 के कार्यो के प्रथम रनिंग बिलों का भुगतान दि014.06.11 को श्री हरेन्द्र राव अवर अभि0 के संस्तुति के आधार पर की गयी है।(आपत्ति संख्या–07)

प्रस्तर संख्या 6–

– राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पहाडापुर बाईपास के बगल में 2.5मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु श्री इम्तियाज अहमद ठेकेदार को रू05.00लाख में दि04.5.11 को टेन्डर स्वीकृत हुआ था। जिसके क्रम में ठेकेदार को दि019.7.11 को कार्यादेश जारी कर उक्त निर्माण को दि013.7.11 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यादेश तिथि के पूर्व कार्य समाप्त करने का आदेश दिया जाना व्यावहारिक व न्याय संगत नही था। उक्त कार्य के प्रथम रनिंग बिल में एम0 बी0 सं0119 के पृष्ठ सं0 45 पर दि0 22.6.11 को मापन किये जाने का उल्लेख अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव द्वारा करके रू0320000.00 के भुगतान की संस्तुति की गयी है। स्पष्ट है कि अवर अभि0 द्वारा कार्यादेश जारी होने से पूर्व अनियमित रूप से मापन दर्शाकर ठेकेदार को भुगतान कराया गया है। जिसके लिए ठेकेदार श्री इम्तियाज अहमद व अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव, अभि0 श्री अनिल कुमार सिह तथा अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0 कन्नौजिया उत्तरदायी है।(आपत्ति संख्या–08)

प्रस्तर संख्या 7–

– राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तुत कुछ पत्रावलियो के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ कार्यो का ठेका टेन्डर के बाद अवर अभि0 की आख्या के आधार पर अध्यक्ष द्वारा निरस्त कर उसके स्थान पर नये कार्य को कराने हेतु उसी ठेकेदार को जिला पंचा0 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। टेन्डर निरस्त करने के बाद नये कार्य का टेन्डर आमत्रित किया जाना चाहिए था। इसप्रकार अनियमित रूप से नये कार्य का ठेका दिया जाना नियम विरूद्ध था जिसके लिए अपर मुख्य अधि0 श्री संतोष कुमार सिंह व श्री के0एन0 कन्नौजिया उत्तरदायी है। विवरण निम्न है––

क्र0सं0	पूर्व में स्वी0कार्य का नाम	नये कार्य का नाम	स्वीकृति धन0	कार्यादेश की तिथि	अपर मुख्य अधि0
1	जोगिया अस्पताल के बगल में नहर पर 5मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	हाटा से कदमहवा के बीच 5 मी0स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया	10.00 लाख	26.7.11	श्री के0एन0 कन्नौजिया
2	पेडारी बुर्जुग में रामचन्द्र मिश्र के खेत के बगल में चकरोड पर 2.5मी0 पुल	पेडारी बुर्जुग में परशुराम पांडे व जोखन कहार के खेत के बीच 2.5मी0 पुलिया	5.00 लाख	19.7.11	श्री के0एन0 कन्नौजिया
3	ग्राम मलपारे में 2.5मी0 स्पान पुलिया	सिरवत में मेन सडक से जोलाहवन डीह वाले रास्ते में 2.5मी0 पुलिया	5.00 लाख	3.8.11	श्री के0एन0 कन्नौजिया
4	जोगिया में लखनापार रोड पर 3मी0 पुलिया	सुरही ताल के पास 3मी0 स्पान की पुलिया	6.00 लाख	14.6.11	श्री संतोष कुमार सिंह

उपरोक्त के अतिरिक्त 14 अन्य स्वीकृत कार्यो को निरस्त कर नये कार्य कराने की स्वीकृति दी गयी है जिनसे संबंधित पत्रावलियॉ लेखा परीक्षा में मागोंपरान्त प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उनकी समीक्षा न की जा सकी।(आपत्ति संख्या–09)

प्रस्तर संख्या 8–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उस्का मठिया मार्ग पर शिव मंदिर के आगे 2ग6 मी0 की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु श्री बजरंग बहादुर सिंह ठेकेदार को दि030.5.11 को टेन्डर स्वीकृत करते हुए दि08.6.11 को कार्यादेश जारी किया गया तथा शासन स्तर से इसकी स्वीकृति दि014.6.11 को ली गई है। पत्रावली में संलग्न अवर अभि0 के पत्र दि0शून्य के अनुसार पुलिया के डाउन स्ट्रीम में गड्ढा होने के कारण फर्श की लम्बाई अधिक करना पडा तथा उक्त कार्य के विचलन की स्वीकृति की मांग की गई है जिसपर दि01.9.11 को स्वीकृति प्रदान की गयी है जबकि विचलन की स्वीकृति पूर्व में स्वीकृतिकर्ता (शासन स्तर से)से लेनी चाहिए थी। पत्रावली में संलग्न अन्तिम बिल में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त कार्य की एम0बी0 दि029.7.11 को की गयी है जिसका भुगतान दि014.6.11 दि024.6.11 तथा दि014.9.11 को क्रमशः रू09. 90लाख, 9.00लाख तथा 5.04 लाख कुल रूपये 23.94 लाख किया गया है। स्पष्ट है कि विचलन की स्वीकृति दि01.9.11 के पूर्व ही कार्य का मापन अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव द्वारा करके ठेकेदार को भुगतान करने की संस्तुति प्रदान की गई है। अस्तु इस अनियमित भुगतान हेतु अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव, अपर मुख्य अधि0 श्री संतोष कुमार सिंह व श्री के0एन0कन्नौजिया उत्तरदायी है। (आपत्ति संख्या–10)

प्रस्तर संख्या 09–

राज्य वित्त आयोग की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हुआ कि शा0सं0 बी–2–2427/दस–2011–12 दि030.11.11 द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो के आधार पर जिला पंचा0 सिद्धार्थनगर को रू0303.83 लाख प्रदान की गई है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्ध के पैरा 1 के अनुसार जिला पंचा0 को स्वीकृत की गई धन0 का आहरण कोषागार से दो बराबर किस्तो में प्रथम 31 जनवरी12 के पूर्व तथा द्वितीय 31 जनवरी12 के बाद करने का आदेश निर्गत था। परन्तु जिला पंचा0 द्वारा दोनो किस्तों की सम्पूर्ण धनराशि का आहरण कोषागार से दि031.3.12 को किया गया जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। दोनो किस्तो का एक साथ आहरण किये जाने के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति निर्गत की गई थी जिसका अनुपालन नहीं किया गया। अस्तु शासनादेश के उल्लंघन की दशा में दोषी अधिकारी/कर्मचारियो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–13)

प्रस्तर संख्या 10–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के उपभोग से संबंधित शासनादेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिला पंचा0 को प्राप्त धनराशि में सें 10:अंश सम्पत्तियों के अनुरक्षण पर व्यय किये जाने हेतु निर्देश है तथा जिला पंचा0 द्वारा संक्रमित धनराशि का 10:अंश अनुरक्षण हेतु आरक्षित किया जायेगा। किन्तु जिला पंचा0 द्वारा उक्त निर्देशो का पालन नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है। इस ओर विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–14)

प्रस्तर संख्या 11–

क–वर्ष 11–12 में कार्य कराये गये राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्यो की कुछ पत्रावलियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारो से अर्थदण्ड की वसूली में एकरूपता नहीं है। किसी ठेकेदार से 1%से कम अर्थदण्ड वसूला गया है जबकि कुछ से 1%से अधिक अर्थदण्ड वसूला गया है विवरण निम्न है–

क्र0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	ठेके की धनराशि	वसूल अर्थ दण्ड की धनराशि	अधिक	कम
1	ग्रा0प्रतापपुर में 2.5मी0 पुल	श्री विपिन कुमार	5लाख	5500.00	500.00	
2	पकडीडिहवा मार्ग पर 2मी0 पुलिया	श्री कल्लू राम	4लाख	2020.00		1980.00
3	ग्रा0बजरहा बुर्जुग में सी0सी0रोड	श्री बृजकिशोर	4.5लाख	1000.00		3500.00
4	सप्तीबेलहरी मार्ग पर शिवसागर के घर से विश्वनाथ के घर तकबबरोड	श्री मलिक जफर	6लाख	500.00		5500.00
5	ग्रा0कुटिया में समयमाई के स्थान के पास 3मी0पुलिया	श्री कल्लू राम	6लाख	500.00		5500.00
6	बभनीअवस्थी से महादेवा मार्ग पर सी0सी0रोड	श्री राघेश्याम	5लाख	1000.00		4000.00
7	उचडिहवा सिकरी नाले पर RCC पुल	श्री मेहताब आलम	5लाख	500.00		4500.00
8	कारेखूट से भोलापुर मार्ग पर 2.5मी0 RCC पुलिया	श्री सुधीर कुमार यादव	5लाख	500.00		4500.00
9	विगौवा से बभनी घाट पर 2.5मी0 RCCपुलिया	श्री बृजकिशोर	5लाख	500.00		4500.00
10	जोगमाया डीह के पोखरे के 5मी0 RCC पुलिया	श्री सुधीर कुमार यादव	10लाख	500.00		9500.00
11	डी0डी0 इटवा मार्ग से फरसाहे बाबा के कुटी से मुडिला तक 2मी0पुलिया	श्री राघेश्याम	4लाख	500.00		3500.00
12	अजगरा ग्रा0पंचा0में तालबगहिया छोटकी के घरसे इन्टरलाकिंग कार्य	श्रीधर्मराज यादव	10लाख	9719.00		281.00
13	कोटिया शिवमंदिर से महन्थ पाण्डे के घर तक सी0सी0 रोड	श्रीमती शान्ती देवी	9लाख	14990.00	5990.00	
14	चन्द्रदीपघाट मार्ग से चौधरी चरण सिहउ0मा0वि0वैयाताल कादिराबाद तक सी0सी0रोड	श्री अवधेश कुमार	9लाख	2021.00		6979.00
15	राजकुमार चौधरी के घर से गिरधर पुर जानें वाली सडक सी0सी0रोड	श्री हरपाल सिंह भटिया	9लाख	500.00		8500.00
16	उसका सोहास मार्ग से अमवा गांव सी0सी0रोड	श्रीमती विमला सिंह	9लाख	500.00		8500.00
17	रामनगर में अवशेष भाग सी0सी0रोड	श्रीपरशुराम यादव	9लाख	1000.00		8000.00

18	बांसी इटवा सम्पक्रमार्ग ग्रा0बरगदवा पूर्वी में डि0कालेज तक सी0सी0रोड	श्री हरपाल सिंह भटिया	8लाख	888.00	——	7112.00
19	साडीखुर्द एकडेंगवा होते हुएछितौनी अम्बेडकर गांव तक लेपन कार्य	श्रीमती संगीता सिह	10लाख	1500.00	——	8500.00
20	शाहपुर सिगांरजोत मार्ग पर मडिया से मुबारकपुर तक अवशेष लेपन	श्री मलिक जफर	14लाख	500.00	——	13500.0
	योग				6490.00	108352.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दो ठेकेदारो से रू06490.00 अधिक वसूल किया गया जबकि शेष ठेकेदारो से रू0108352.00 कम वसूल किया गया है जबकि अधिकांश पत्रावलियो में अपर मुख्य अधि0 द्वारा 1% अर्थदण्ड काटने का निर्देश दिया गया है।अस्तु रू0108352.00की कम वसूली करके जिला पंचा0 को आर्थिक क्षति पहुॅचाई गई है जिसकी वसूली सम्बंधित ठेकेदारो से किया जाय।(आपत्ति संख्या–15)

ख– वित्तीय वर्ष 08–09एवं09–10 मे बी0आर0जी0एफ0 योजना के स्वीकृत कार्यो के पूर्ण करने में विलम्ब की दशा में अर्थदण्ड की वसूली की गई हैं जिसमे कुछ ठेकेदारो से 1%से कम अर्थदण्ड काटा गया है। विवरण निम्न है––

क्र0	नाम कार्य	ठेकेदार का नाम	ठेके की धन0	काटा गया अर्थदण्ड	अधिक	कम
1	बडहोल गाव के पी0डब्लू0डी0 सडक पिच रोड	श्री विपिन कुमार	5.00 लाख	——	——	5000.00
2	विकास खंड शोहरतगढ बांधगंगा चौराहे से ग्राम सभा नीबी तक पिच रोड	श्रीमती संगीता सिंह	5.00 लाख	2890.00	——	2110.00
3	श्री गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल से जिला पंचा0 सदस्य अमवा तक पिच	श्री मलिक जफर	5.00 लाख	500.00	——	4500.00
4	धरनिहवा से पूर्व कोल्हुआ पुलिया	श्रीमती सावित्री देवी	3.00 लाख	500.00	——	2500.00
5	रेवडिया गांव में प्रधानमंत्री सडक से लाल प्रधान तक सी0सी0 रोड	श्री हरिनाथ प्रसाद दुबे	5.00 लाख	500.00	——	4500.00
6	संग्राम वाले रास्ते पर बंधे वाली पुलिया	श्री अवधेश कुमार	6.00 लाख	2000.00	——	4000.00
7	मोगलहा गांव से पूरब बंधे के बीचपुलिया	श्री राधेश्याम	3.00लाख	1943.00	——	1057.00
8	प्रसव केन्द्र रीवानानकार	श्री हीरा प्रसाद	6.50लाख	1300.00	——	5200.00
9	प्रसव केन्द्र रमवापुर खास	श्री हीरा प्रसाद	6.50लाख	2500.00	——	3500.00
10	ग्राम पंचा0 नेबुआ उर्फ रमवापुर में 3मी0 पुलिया	श्री विपिन कुमार	5.00 लाख	1800.00	——	3200.00
11	सिरसिया गांव से पी0ड़ब्लू0डी0 रोड तक शेष इन्टरलाकिंग	श्री हरिनाथ प्रसाद दुबे	5.00 लाख	1500.00	——	3500.00

12	ग्राम एकडंगवा से मैनहवा गांव तक सी0सी0रोड	श्री बृजकिशोर	6.00 लाख	1359.00	——	4641.00.
13	पी0डब्लू0डी0 सेमरी बिस्कोहर से कठौतिया पुलिया निर्माण	श्री विपिन कुमार	5.00 लाख	3970.00	——	1030.00
	योग					44738

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ठेकेदारो से 1:से कम दर से अर्थदण्ड की कटौती की गई है जिससे जिला पंचायत को रू044738.00 की आर्थिक क्षति उठानी पडी। अस्तु रू044738.00की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जाय।(आपत्ति संख्या–24)

प्रस्तर संख्या 12–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यो से संबंधित प्रस्तुत किये गये कुछ पत्रावलियों की जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार कुछ परियोजनाओं पर भुगतान किया गया है। परन्तु वे परियोजनायें लेखा परीक्षा अवधि तक पूर्ण नहीं कराई गई है जिससे वांछित उद्देश्यो की पूर्ति न हो सकीं। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर किया गया व्यय अलाभकारी तथा राजकीय धन का दुरूपयोग रहा। जिसके लिये सम्बंधित ठेकेदार, अवर अभि0, अभियन्ता तथा अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0कन्नौजिया उत्तरदायी है। विवरण निम्न है–

क्र0	कार्य का नाम	ठेकेदार कानाम	अवर अभि0 का नाम	स्वी0 धन0	निर्धारित कार्य समा0 की तिथि	कुल भुग0 की धन0
1	ग्राम महुई में ध्रुव पंडित के घर के सामने RCC पुलिया 2.5मी0	श्रीमती शान्ती देवी	श्री हरेन्द्र राव	5.00 लाख	26.7.11	396000.00
2	ग्रा0पं0नियांव में श्री राम के खेत के पास 2.5मी0 RCC पुलिया	श्रीमती शान्ती देवी	श्री संतोष पांडेय	5.00 लाख	2.8.11	355000.00
3	विशुनपुरा से सुसनहवा के बीच नाले में RCC पुलिया 2.5मी0	श्रीमती शान्ती देवी	श्री संतोष पांडेय	5.00 लाख	29.10.11	360000.00
4	बदलापुर सिसहनिया मार्ग पर 2. 5मी0 RCC पुलिया	श्री हरिनाथ दुबे	श्री संतोष पांडेय	5.00 लाख	31.7.11	361000.00
	योग					1472000. 00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहा। अस्तु रू01472000.00 के अलाभकारीव्यय हेतु सम्बंधित ठेकेदार, अवर अभि0, अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधि0 उत्तरदायी है।वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–16)

प्रस्तर संख्या 13–

राज्य वित्त आयोग की पत्रावलियों में यह पाया गया कि निम्न दो परियोजनाओं के प्रथम रनिंग बिल का भुगतान ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने के पूर्व या उसी दिन किया गया है जो घोर आपत्तिजनक है। विवरण निम्न है–

क्र0	कार्य कानाम	ठेकेदार कानाम	अवर अभि0 का नाम	कार्यादेश की तिथि	प्रथम रनिंग बिल का भुग0तिथि	धनराशि
1	सोहना बिजौरा मार्ग पर मुहम्मदपुर से इजरहवा का अवशेष लेपन	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव	28.6.11	23.6.11	660000.00
2	तुरकौलिया तिवारी से भलवाही तक लेपन व 2मी0 पुलिया निर्माण	श्री हरपाल सिंह भटिया	श्री हरेन्द्र राव	26.4.11	26.4.11	500000.00
	योग					1160000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यादेश जारी होने के पूर्व ही अवर अभि0श्री हरेन्द्र राव द्वारा ठेकेदारो को रू0 11.60 लाख के भुगतान की संस्तुति कर भुगतान कराया गया है जो अनियमित रहा। अस्तु रू0 11. 60 लाख की वसूली सम्बंधित ठेकेदार एवं अवर अभि0श्री हरेन्द्र राव, अभियन्ता श्री अनिल कुमार सिंह तथा अपर मुख्य अधि0 श्री संतोष कुमार सिह से की जानी अपेक्षित है तथा इस प्रकार की अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–18)

प्रस्तर संख्या 14–

बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत जिला पंचा0 द्वारा श्री हीरा प्रसाद ठेकेदार को कुल 7 प्रसव केन्द्रो के निर्माण का ठेका दिया गया था। जिसमे प्रसव केन्द्र रीवानानकार के निर्माण के संदर्भ में श्री विजय बहादुर श्रीवास्तव पत्रकार द्वारा अपने पत्र दि0 31.3.10 में उल्लेख किया गया था कि उक्त केन्द्र के निर्माण में घटिया सामग्री तथा मानक के विरूद्ध कार्य का उल्लेख किया गया है। जिसको संज्ञान में लेकर अपर मुख्य अधि0 द्वारा सम्बंधित अवर अभि0 को जांच हेतु निर्देशित किया गया। अवर अभि0 की जांच आख्या दि020.4. 10 के अनुसार उपरोक्त कार्य में निम्न कमियां प्रकाश में लाया गया––

1. भवन का निर्माण जेल में निरूद्ध ठेकेदार श्री हीरा प्रसाद के प्रतिनिधि द्वारा नक्शे व डिजाइन के विपरित किया जा रहाहै।
2. नींव में गिट्टी नहीं डाली गई है।
3. नींव में जोडाई का कार्य सीधे 9"मोटाई में किया गया है।
4. सभी दिवारें असमान माप की है।
5. इस कार्य में कोई समय वृद्धि नहीं ली गई है।

उपरोक्त जांच आख्या से स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा प्रसव केन्द्र का निर्माण मानक के विरूद्ध कराया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय जनता द्वारा आपत्ति करने पर प्रसव केन्द्र रीवानानकार की जांच कराई गयी जब कि शेष प्रसव केन्द्र भी उसी ठेकेदार द्वारा बनाया गया हैं।जिसकी जांच नहीं कराई गई। शेष प्रसव केन्द्रों में भी निर्माण कार्य में अनियमितता व गुणवत्ता में कमी से इंकार नहीं किया जा सकता है।इस संदर्भ में शासन के अधिकारियों का ध्यान तकनीकी जांच हेतु आकृष्ट किया जाता है। पत्रावली में संलग्न पत्र व नोट शीट के अनुसार कराये गये कार्य के घटिया स्तर व मानक के विपरित होने के कारण उसे तोडकर नये सिरे से कार्य कराने का आदेश दिया गया है परन्तु न तो ठेका निरस्त किया गया और न ही तोडकर पुनः कार्य कराया गया। अस्तु उक्त परियोजना पर किया गया व्यय रू0 412000.00दुरूपयोगित रहा। जिसकी वसूली ठेकेदार श्री हीरा प्रसाद, अवर अभि0श्री संतोष पांडेय, अभियन्ता श्री अनिल कुमार सिह तथा अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0कन्नौजिया व श्री संतोष कुमार सिह से किया जाना अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–21)

प्रस्तर संख्या 15–

बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो से संबंधित कुछ पत्रावलियो के जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा अवधि तक अधिकांश कार्य अपूर्ण रहे। विवरण निम्न है—

क्र0	कार्य कानाम	ठेकेदार कानाम	अवर अभि0 का नाम	कार्य समाप्त करनेकी ति0	अन्तिम भुग0 ति0	कुल भुगतान
1	प्रसव केन्द्र बर्डपुर नं06	श्री रत्नेश्वर सिह	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	3.10.09	455000.00
2	प्रसव केन्द्र गायघाट	श्री रत्नेश्वर सिह	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	3.10.09	450000.00
3	प्रसव केन्द्र पडरिया	श्रीअवनीश कुमार	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	15.06.09	360000.00
4	प्रसव केन्द्र कठैलाजुनैबी	श्री संतोष कुमार	श्री अनिल सिह	31.5.09	25.11.09	400000.00
5	प्रसव केन्द्र सकतपुर	श्री हीरा प्रसाद	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	17.1.11	335000.00
6	प्रसव केन्द्र दुमरा	श्री हीरा प्रसाद	श्री संतोष पांडे	31.5.09	10.9.09	477000.00
7	प्रसव केन्द्र सुबौली	श्रीअवनीश कुमार	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	25.8.09	275000.00
8	प्रसव केन्द्र रीवानानकार	श्री हीरा प्रसाद	श्री संतोष पांडे	31.5.09	17.8.11	412000.00
9	प्रसव केन्द्र डबरा	श्री रत्नेश्वर सिह	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	18.6.10	450000.00
10	प्रसव केन्द्र धेन्सानानकार	श्री संतोष कुमार	श्री संतोष पांडे	31.5.09	17.6.09	215000.00
11	प्रसव केन्द्र एकडेंगवा	श्री रत्नेश्वर सिह	श्री हरेन्द्र राव	31.5.09	3.10.09	450000.00
					योग	4279000.00

सभी प्रसव केन्द्रो की अनुमानित लागत 6.50 लाख थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैकि उपरोक्त 11 प्रसव केन्द्रो जिनके निर्माण हेतु दि0 31.5.09 तक का समय निर्धारित था। किन्तु 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी उक्त प्रसव केन्द्र के निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराया गया जिससे बी0आर0जी0एफ0 योजना के धन का दुरूपयोग परिलक्षित होता है।निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण रू0 42.79 लाख अलाभकारी व्यय रहा जिसकी वसूली संबंधित ठेकेदार अवर अभि0 अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधि0 श्री संतोष कुमार सिह से की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–22)

प्रस्तर संख्या 16–

बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत प्रसव केन्द्र पडरिया की पत्रावली में संलग्न नोटशीट 11 पर दि0 31.3.10 को अपर मुख्य अधि0/अध्यक्ष को संबोधित पत्र में अभियन्ता श्री दुबे द्वारा अवगत कराया गया है कि "इस कार्य का निरीक्षण मेरे द्वारा स्वयं किया गया है। अभी इस कार्य पर कुर्सी लेवल तक कार्य हुआ है जबकि बिल स्लैब स्तर का अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो फर्जी बिल है। कई बार मेरे

द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि कोई भी अग्रिम बिल प्रस्तुत न किया जाय।इनके द्वारा प्रस्तुत लगभग सभी बिलो की यही स्थिति रहती है।यह कार्य श्री पाण्डे अवर अभि0 के क्षेत्र में है फिर बिल बिना कार्य हुए उनके द्वारा कैसे प्रस्तुत किया गया इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहे।"

उपरोक्त टिप्पणी से यह विदित होता है कि श्री राव द्वारा अनियमित रूप सेअग्रिम बिल बनाकर ठेकेदारो को अनुचित लाभ पहुचाया जाता रहा है। अभियन्ता द्वारा प्रकरण प्रकाश में लाये जाने के बाद भी अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा न तो कोई जांच कराई गई और न ही श्री राव के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई बल्कि श्री राव द्वारा पूर्व में किये गये मापन के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया गयां। इस प्रकरण की जांच विभागीय उच्च अधिकारियो द्वारा कराया जाना अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–23)

प्रस्तर संख्या 17–

–लेखा परीक्षा में बी0आर0जी0एफ0योजना आपदा राहत क्रिटिकल गैप्स बारहवॉ वित्त तेरहवॉ वित्त राज्य वित्त आयोग मनरेगा आदि योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये कार्यो से संबंधित मापन पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। तथा कराये गये कार्यो के स्थलीय जॉच से संबंधित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कराये गये कार्यो के वास्तविक स्थिति की जानकारी लेखा परीक्षा को न हो सकी। इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–25)

प्रस्तर संख्या 18–

–माह अप्रैल के बा0सं04 द्वारा श्री हिमेन्द्र नाथ शुक्ला को 6वें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जुलाई 08 में ग्रेड पे 1900.00 से बढकर 2251.00 तथा अगस्त 08 में ग्रेड पे 2000.00 दर्शाया गया है। जुलाई 08 में ग्रेड पे 2251.00 भुगतान का आधार ले0प0 में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किया गया। जांचकर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–29)

प्रस्तर संख्या 19–

–वर्ष 11–12 में जिला पंचायत द्वारा कुल 69 रोडपटरी/बाजारो का ठेका रू0 1004650.00में दिया गया था तथा सूपाराजा बाजार का ठेका न देकर विभागीय वसूली कराई गई थी। रोड पटरी/बाजारो का ठेका देने से सम्बंधित पत्रावलियो की जांच में निम्न कमिया पाई गई–––

(क) तहबाजारी से सम्बंधित पत्रावलियो की जांच में पाया गया कि मात्र दो बाजारों (कन्दवा/चिल्हिया तथा दहला चौराहा) की पत्रावली में निर्धारित 2%(ठेके की धनराशि का)मूल्य की सादा स्टाम्प पेपर लगाया गया है जिसे निरस्त नही किया गया है और न ही उसपर अनुबन्ध भरा गया है। शेष 67 पत्रावलियो में निर्धारित 2% की दर से स्टाम्प पेपर नही संलग्न है। इसप्रकार शेष ठीका की धनराशि रू0 957350.00 पर 2% कुल रू0 19147.00 का स्टाम्प पेपर संलग्न कर अनुबन्ध नही किया गया है। जिससे रू0 19147.00 राजस्व की क्षति हुई। जिसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए।(आपत्ति संख्या–30)

प्रस्तर संख्या 20–

–तहबाजारी के ठेके से संबंधित पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित हुआ कि कुछ रोड पटरी/बाजारो की निलामी न करके मात्र प्राप्त आवेदन के आधार पर ठेका दे दिया गया। जो नियम विरूद्व था। ठेका देने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी चाहिए थी। विवरण निम्न है–

क्रम0	नाम रोड पटरी/हाट बाजार	ठेका की धनराशि
1–	कूडी डिहवा	600.00

2–	सेनुरी	2000.00
3–	जीवपुर नया बाजार	600.00
4–	नरायनपुर चौराहा	500.00

प्रस्तर संख्या 21–

– तहबाजारी ठेके से संबंधित पत्रावलियो के अवलोकन से विदित हुआ कि तीन बाजारो/रोड पटरी का ठेका गत वर्ष के ठेके से कम धनराशि में दिया गया है। विवरण निम्न है–

क्रम0	नाम रोड पटरी/हाट बाजार	गत वर्ष के ठेका की धनराशि	वर्ष 11–12 के ठेका की धनराशि	अन्तर
1–	धोसीयारी	78500.00	37000.00	41500.00
2–	भेवरूआ	1300.00	700.00	600.00
3–	बेबा चौराहा	115500.00	105500.00	10000.00
			योग–	**52100.00**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनो बाजारो का ठेका गत वर्ष से रू0 52100.00 कम में दिया गया। यदि नीलामी में निर्धारित बोली नही प्राप्त हुई तो उक्त बाजारो के तहबाजारी की वसूली जिला पंचायत को अपने संसाधनो/कर्मचारियो से कराना चाहिए था जिससे जिला पंचायत को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता था। उक्त कृत्य से जिला पंचायत को क्षति हुई है। दायित्व अपर मुख्य अधिकारी की है।(आपत्ति संख्या–32)

प्रस्तर संख्या 22–

–तहबाजारी से संबंधित पत्रावली व रजिस्टर की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 11–12में निम्न बाजारो/रोड पटरी की नीलामी से प्राप्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि ठेका अवधि (31.3.12) तक वसूल नही की जा सकी विवरण निम्न है––

क्रम0	नाम रोड पटरी/बाजार	ठेका की कुल धन0	वर्षान्त में अवशेष धन0
1	महादेवा बाजार	15100.00	12100.00
2	पकडी चौराहा	2000.00	1000.00
3	गड़ाकूल	2000.00	1000.00
4	लोटन	32000.00	12000.00
5	अलीगढवा	24500.00	14500.00
6	घोसीयारी	37000.00	22000.00
7	बिस्कोहर	64000.00	5000.00
8	महादेव घूरहू	55000.00	25000.00
			योग–– 92600.00

उपरोक्त बकाया धनराशि के संदर्भ में लेखा परीक्षा की निम्न आपतियां है––

(क) बकाया वसूली हेतु जिला पंचायत द्वारा किये गये पत्राचार/कार्यवाही लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किया गया।

(ख) ठेका की अवशेष धनराशि समयान्तर्गत जमा न करने वाले ठेकेदार के ठेका को निरस्त कर पुनः नीलामी की प्रक्रिया संपन्न कराया जाना चाहिए था जो नही की गई।

(ग) अवशेष धनराशि की वसूली कब की गई इस संदर्भ में लेखा परीक्षा को मांगोपरान्त सूचना उपलब्ध नही कराया गया। जिससे यह ज्ञात न हो सका कि बकाया धनराशि वसूल हुई या नही।

(घ) बकायेदार ठेकेदार को नियमानुसार आगामी नीलामी प्रक्रिया में भाग न लेने दिया जाय इस ओर विभागीय अधि0 का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–36)

प्रस्तर संख्या 23–

–जिला पंचायत सिद्वार्थनगर के वर्ष 11–12 की कर की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाले कुल 85 रोड पटरी/बाजारो की नीलामी हेतु समाचार पत्र मे विज्ञापन कराया गया था। जिसके सापेक्ष मात्र 69 बाजारो की नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई गई तथा मात्र एक बाजार की विभागीय वसूली का निर्देश है। शेष 15 बाजारो/रोडपटरी की वर्ष 11–12 में न तो पुनः नीलामी कराई गई और न ही शेष 15 बाजारो की तहबाजारी की विभागीय वसूली करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार 15 जिला पंचायत को आर्थिक क्षति उठानी पडी। इस प्रकरण की ओरविभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–37)बाजारो/रोड पटरी की नीलामी/विभागीय वसूली न कराये जाने से

प्रस्तर संख्या 24–

–वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कराये गये मिट्टी कार्य पर रू0 9/घनमी0 के स्थान पर रू0 6/घनमी0 की दर से रायल्टी काटा गया है जिससे ठेकेदार को अधिक भुगतान कर राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है विवरण निम्न है–––

क्र0	बा0सं0/दि0	ठीकेदार का नाम	अवर अभि0 का नाम	रायल्टी जो कम काटी गई
1	103/25.7.11	श्री व्यास जी पाण्डेय	श्री हरेन्द्र राव	675.00
2	102/25.7.11	श्री व्यास जी पाण्डेय	श्री हरेन्द्र राव	675.00
3	101/25.7.11	श्री विपिन कुमार	श्री हरेन्द्र राव	1315.00
4	64/23.11.11	श्री हीरा प्रसाद	श्री हरेन्द्र राव	2362.00
5	141/22.10.11	श्री बृजकिशोर	श्री हरेन्द्र राव	4141.00
6	179/29.8.11	श्री अवधेश	श्री हरेन्द्र राव	2178.00
			योग–	**11347.00**

अस्तु कम रायल्टी रू0 11347.00 काट कर राजस्व की क्षति पहुॅचाने हेतु अवर अभि0श्री हरेन्द्र राव अभियन्ता श्री अनिल कुमार सिह अपर मुख्य अधि0 श्री के0एन0कन्नौजिया तथा वित्तीय परामर्श दाता श्री राजीव कुमार तिवारी उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या–38)

प्रस्तर संख्या 25–

–वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में निर्माण पत्रावलियो/प्रमाणको की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2 मी0 या उससे कम के स्पान/आर0सी0सी0 पुलियो के निर्माण में रोड डायवर्जन का स्टीमेट व बिल तैयार कर कार्यप्रभारी संबंधित अवर अभि0द्वारा भुगतान की संस्तुति की गई है। लेखा परीक्षा द्वारा अन्तरिम आपत्ति निर्गत करके 2 मी0 या उससे कम के स्पान/पुलिया हेतु किये जाने वाले रोड डायवर्जन से संबंधित शासनादेश/निर्माण नियमावली प्रस्तुत करने को कहा गया था।जिसका अनुपालन नही किया गया । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि 2 मी0या उससे कम के पुलिया हेतु रोड डायवर्जन अनुमन्य नही है। इस प्रकार निम्न विवरण के अनुसार रोड डायवर्जन पर किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसकी वसूली संबंधित ठेकेदार अवर अभि0 अभियन्ता अपर मुख्य अधि0 तथा वित्तीय परामर्श दाता से की जानी अपेक्षित है।

क्र0	वा0सं0 / तिथि	ठेकेदार का नाम	अवर अभि0 का नाम	रोड डायवर्जन पर भुगतान की गयी धनराशि
1	77 / 16.8.11	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
2	115 / 19.1.12	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
3	99 / 20.8.11	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
4	94 / 12.1.12	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
5	104 / 20.8.11	श्री हरपाल सिंह	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
6	87 / 12.1.12	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव	13475.00
7	125 / 23.8.11	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
8	48 / 3.1.12	श्री अवधेश कुमार	श्री हरेन्द्र राव	13715.00
9	195 / 29.8.11	श्री ओमप्रकाश चौबे	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
10	45 / 15.11.11	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
11	35 / 15.11.11	श्री अवधेश कुमार	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
12	46 / 15.11.11	श्री संतोष नारायण	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
13	47 / 15.11.11	श्री संतोष नारायण	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
14	66 / 22.11.11	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
15	2 / 2.7.11	श्रीमती सावित्री देवी	श्री संतोष पाण्डेय	7272.00
16	84 / 12.1.12	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव	11887.00
17	82 / 20.7.11	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
18	102 / 25.7.11	श्री व्यास जी पाण्डेय	श्री हरेन्द्र राव	12199.00
19	86 / 12.1.12	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव	12496.00
20	103 / 25.7.11	श्री व्यास जी पाण्डेय	श्री हरेन्द्र राव	11887.00
			योग	245379.00

उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि14क्रमांको पर अंकित सभी भुगतान रू0 12496.00ही है जो स्टीमेट के अनुरूप हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री हरेन्द्र राव द्वारा मौके पर जाकर मापन कार्य नही किया गया केवल स्टीमेट के आधार पर ही बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।इस ओर विभागीय उच्च अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–39)

प्रस्तर संख्या 26–

–आलोच्य वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बारहवां एवं तेरहवां वित्त के खुले खाता सं0 पी0एन0बी0 770 में दि0 31.3.11 को अवशेष धनराशि ग्रान्ट रजिस्टर एक में दर्शित अवशेष धनराशि से रू0 952477.00 कम है जब कि बैंक खाते में दि0 31.3.11 को शेष धनराशि ग्रान्ट रजिस्टर के अवशेष धनराशि तथा उक्त खाते पर मिले व्याज के योग के बराबर होनी चाहिए थी। विवरण निम्न है––

क–ग्रान्ट रजिस्टर के अनुसार 31.3.11का शेष–

1–बारहवां वित्त–– 1512308.00

2–तेरहवां वित्त–– 23465034.00

योग–––24977342.00

ख–पास बुक पी0एन0बी0 770 के अनुसार 31.3.11 का शेष––

1–31.3.11 को पास बुक में अंकित धनराशि ––32775502.00

2–बारहवां वित्त के 6 चेक की धनराशि
जिनका भुगतान 31.3.11 तक नही हुआ–– (–)2313210.00

3–तेरहवां वित्त के 14 चेक जिनका
भुगतान 31.3.11 तक नही हुआ–– (–)6437427.00

इसप्रकार उक्त खाते में दि0 31.3.11 को ग्रान्ट रजिस्टर के तुलना में रू0 952477.00 कम दर्शित है। स्पष्ट है कि अन्तर धनराशि रू0 952477.00 के साथ–2 जिला पंचायत द्वारा उक्त खाते पर प्राप्त पूर्व के व्याज को भी दि0 31.3.11 तक व्यय कर दिया गया है। इस प्रकरण की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। इस अनियमितता हेतु श्री एस0के0सिंह अ0मु0अ0 लेखाकार श्री अनिल सिंह तथा वित्तीय परामर्शदाता श्री राजीव कुमार तिवारी उत्तरदायी है।(आपत्ति संख्या–

प्रस्तर संख्या 27–

–जिला पंचायत द्वारा खोले गये कुछ खातों में दि0 31.3.12 के अवशेष धनराशि तथा लेखा परीक्षा द्वारा आगणित अवशेष धन0 (दि0 31.3.12)में अन्तर है। कुछ खातों में कम धन0 है तो किसी खाते में अधिक धन0 । कुल मिलाकर रू0 11668.00 का अन्तर है। जिसे सुधार कर ठीक किया जाना चाहिए। विवरण निम्न है–––

क्र0	खाता सं0 व मद	31.3.12 को बैंक खाते के अनुसार	31.3.12 को जो अवशेष होनाचाहिए	अन्तर	
				कम	अधिक
1	राज्यवित्त/SBI 9510	49886370.43	49818043.43	68327.00	
2	बारहवां+तेरहवां/PNB770	11247686.00	11247436.00	250.00	
3	मनरेगा/453	12294829.00	12272229.00	22600.00	
4	BRGF अनुदान/966	8325939.50	7806025.50	519914.00	
5	आपदा+क्रिटिकल गैप्स/976	443887.00	442870.00	1017.00	
6	जिलानिधी+जमानत/771व772	19131560.83	19755336.83	–––	623776.00
				612108.00	623776.00

कुल अन्तर––– 11668.00 (आपत्ति संख्या–42)

प्रस्तर संख्या 28–

–वर्ष 11–12 राज्य वित्त आयोग की पत्रावली में रक्षित जिलाधिकारी महोदय सिद्वार्थनगर के कार्यालय पत्रांक 468/आ0लि0/जि0पं0/2011–12 दि0 26–3–12 में उल्लेख किया गया है कि–

मुख्य विकास अधिकारी सिद्वार्थनगर के आख्या दि0 22.3.12के अनुसार वित्तीय वर्ष2011–12 में जिला पंचायत की कोई बैठक आहूत नहीं हुई है और न ही जिला पंचायत की कार्ययोजना का अनुमोदन हुआ है। जांच आख्या में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम मुडिलिया विकास खंड इटवा में जिला पंचायत द्वारा गांव के बाहर शिवमंदिर से कन्या डिग्री कालेज तक मिट्टी/खडंजा कार्य पर रूपये 3.60लाख व्यय किया गया है जबकि यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। फर्जी भुगतान के प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध 13.3.12 को आपराधिक बाद भी दर्ज किया जा चुका है।

उपरोक्त आख्या/टिप्पणी से विदित होता है कि जिला पंचायत द्वारा अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्य का फर्जी भुगतान भी कर दिया जाता है। किसी भी योजनान्तर्गत कराये गये कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,कार्य किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा अथवा अन्य योजना द्वारा नही किया गया है का प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में न तो प्रस्तुत किया गया और न ही कार्यो की पत्रावली में ही रक्षित किया गया हैं। ऐसी दशा में अन्य कार्यो के भुगतान में हुई अनियमितता/फर्जीबाडा से इंकार नही किया जा सकता है। अस्तु जिला पंचायत द्वारा कराये गये प्रत्येक कार्यो के भौतिक सत्यापन

तथा तकनीकी जांच कराने हेतु शासन के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–43)

प्रस्तर संख्या 29–

–दि0 22.9.11 को बा0 सं0 73 द्वारा एक्सिस मार्केटिंग 204,गुलमर्ग एपार्टमेन्ट,जापलिंग रोड, लखनऊ के इन्वाइस सं0 ।गै/स्ज्ञ८/11–12/068दि02.08.11के आधार पर 14कम्प्यूटर,प्रिन्टर व यू0पी0एस0 का कुल भुगतान रू0 1256584.00 किया गया है। जिसमें एक नग की कीमत निम्न है––

विवरण	दर	ब्रान्ड का नाम जो आपूर्ति की गई
डेस्क टाप	31695.24	एच0सी0एल0
लेजर प्रिन्टर	10577.14	सैमसंग
यू0पी0एस01के0बी0ए0	43209.52	ल्यूमिनियस

कम्प्यूटर क्रय से सम्बंधित पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आपूर्तिकर्ता फर्म एक्सिस मार्केटिंग द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट प्रस्तुत किया गया है जो बमत इंडिया प्रा0 लि0 के पक्ष में है जिसमें निर्माता का नाम बमत इंडिया प्रा0 लि0 तथा ब्रान्ड का नाम बमत अंकित है तथा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा यह प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया है कि वह बमत इंडिया प्रा0 लि0 का अधिकृत डीलर भी है। रेट कान्ट्रैक्ट में बमत इंडिया प्रा0 लि0 का रेट अंकित होने के बाद किन परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भ्ब्स्,सैमसंग, तथा ल्यूमिनियस ब्रान्ड के उपकरणों की आपूर्ति की गई तथा जिला पंचायत द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट में दर्शित ब्रान्ड के स्थान पर अन्य कम्पनियो के उपकरण प्राप्त कर बमत ब्रान्ड के उपकरणों की कीमत का भुगतान किया गया।

जिला पंचायत राज अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र 2398/7–पं/बी0आर0जी0एफ0/2011–12 दि02.1.12 जो अपर मुख्य अधि0 सिद्धार्थनगर को सम्बोधित है। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्र पंचायत रिसोर्स सेन्टर हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर व उनके उपकरण आदि में सहा0वि0अधि0 पंचा0 द्वारा ख़राबियों का उल्लेख किया गया है। जिसमे से 5 क्षेत्र पंचायतो के यू0पी0एस0 खराब होने की बात कही गई है तथा 2क्षेत्र पंचायतो के कम्प्यूटर की खराबी का जिक्र है।

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि जिला पंचायत द्वारा क्रय किये गये कम्प्यूटर व उसके उपकरण निम्न कोटि के है।अस्तु स्पष्ट है कि रेट कान्ट्रैक्ट में दर्शित ब्रान्ड के स्थान पर अन्य ब्रान्ड की सामग्री क्रय कर अनियमितता की गई है। खरीदे गये ब्रान्ड की कीमत का पता बाजार से कर अधिक भुगतान की वसूली अपर मुख्य अधि0 से किया जाना अपेक्षित है तथा इस प्रकार के अनियमित क्रय हेतु क्रय कमेटी के सदस्यों पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–44)

प्रस्तर संख्या 30–

–आलोच्य वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 11–12 में समाचार पत्रों को विज्ञापन/निविदा प्रकाशन का भुगतान विगत वर्षो में प्रकाशित विज्ञापनों का किया गया है। लेखा परीक्षा में पूर्व के विज्ञापनों के भुगतान न होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया। किन परिस्थितियों में विगत 2 से 3 वर्षो का भुगतान नही किया गया था इस संदर्भ में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 11–12 के पूर्व के बिलों का विवरण निम्न है––

बा0 सं0/तिथि	कुल भुगतान की गई धनराशि	बिल सं0/तिथि	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशित सामग्री का विवरण
129/29.8.11	2544.00	1812/31.10.08	आज	निविदा
	1500.00	1148/ 29.8.08	आज	विज्ञापन
	2000.00	2234/7.12.08	आज	विज्ञापन
	2000.00	2400/31.12.08	आज	विज्ञापन
	1500.00	4427/18.8.09	आज	विज्ञापन
	3379.00	6539/7.03.10	आज	निविदा

	2500.00	5651 / 30.12.09	आज	विज्ञापन
	4013.00	6879 / 25.04.10	आज	विज्ञापन
130 / 29.8..11	2536.00	7030005 / 2.3.07	दैनिक जागरण	निलामी
	6531.00	1008000072 / 7.8.10	दैनिक जागरण	निविदा
131 / 29.8.11	5088.00	1910 / 10.9.10	राष्ट्रीय स्वरूप	निविदा
	15271.00	6847 / 31.3.10	राष्ट्रीय स्वरूप	निविदा
132 / 29.8.11	6195.00	10090361 / 13.9.10	अमर उजाला	निविदा
133 / 29.8.11	12211.00	G / 3010 / 12.3.10	स्वतंत्र चेतना	निविदा
	5088.00	G / 2112 25.4.10	स्वतंत्र चेतना	निविदा
	34280.00	G / 3 / 1.4.10	स्वतंत्र चेतना	निविदा
134 / 29.8.11	24486.00	50391 / 2.8.09	स्वतंत्र भारत	निविदा
	5088.00	56173 / 26.2.10	स्वतंत्र भारत	निविदा
	2137.00	51286 / 19.8.09	स्वतंत्र भारत	विज्ञापन
135 / 29.8.11	5350.00	1844 / 7.8.10	राष्ट्रीय सहारा	निविदा
136 / 29.8.11	10000.00	2619 / 18.8.10	डेली न्यूज	निविदा
	500.00	229 / 23.8.09	डेली न्यूज	विज्ञापन
योग	**154197.00**			

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 11–12 में वर्ष 08–09,09–10,10–11के विज्ञापन का भुगतान रू.154197.00 किया गया है।भुगतान करते समय प्रमाणक के साथ पूर्व में भुगतान न किये जाने का प्रमाण संलग्न नहीं है। अस्तु किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री के0एन0कन्नौजियां उत्तरदायी है।(आपत्ति संख्या–45)

प्रस्तर संख्या 31–

– गाडी सं0 यू0पी053 ए0एफ0 7077 के लाग बुक की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दि0 1.04. 11 को श्री अनिल सिंह अभियन्ता द्वारा निरीक्षण कार्य हेतु उक्त गाडी का प्रयोग किया गया तथा कुल 300 किमी0 की दूरी तय की गई। स्पष्ट है कि एक दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए कुल 300 किमी0चलना सम्भव नहीं है। लेखा परीक्षा में उक्त तिथि का निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही किया गया। अतः स्पष्ट है कि श्री अनिल सिंह द्वारा एक दिन में निरीक्षण कार्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 300किमी0दूरी तय करना संदेहास्पद है। विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किया जाना अपेक्षित है।इसी प्रकार दि.04. 04.11 को श्री अनिल सिंह अभियन्ता व श्री एस0के0सिंह अ0मु0अ0 द्वारा एक दिन में निरीक्षण कार्य दर्शाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की कुल 306 किमी0 दूरी तय की गई है जो संदेहास्पद है। गाडी के दुरूपयोग हेतु श्री अनिल सिंह अभियन्ता व श्री एस0के0सिंह अ0मु0अ0 उत्तरदायी है।(आपत्ति संख्या–46)

प्रस्तर संख्या 32–

–आलोच्य वर्ष 11–12 की लेखापरीक्षा मे नौगढ बांसी मार्ग से विकास भवन के अन्दर मरम्मत व लेपन कार्य की पत्रावली की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त कार्य का ठेका श्री माधव प्रसाद को रूपये 1549000.00 में दिया गया है जिसकी तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त करने हेतु दि0 3.07.10 व 19.2.11 को पत्र प्रेषित किया गया है तथा शासन से तकनीकी स्वीकृति दि0 8.3.11 को प्राप्त हुई है। पत्रावली में संलग्न टेन्डर फार्म सं0 2917 पर ठेकेदार का हस्ताक्षर अंकित नहीं है ठेकेदार के बिना हस्ताक्षर के ही टेन्डर स्वीकृत कर दिया गया है जो गम्भीर अनियमितता का सूचक है। अस्तु रू0 15.49 लाख का टेन्डर अनियमित रूप से स्वीकृत करने हेतु अपर मुख्य अधि0 श्री एस0के0सिंह, वित्तीय परामर्श दाता श्री राजीव कुमार तिवारी तथा अभि0श्री अनिल सिंह उत्तरदायी है।(आपत्ति संख्या–47)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–		1549000

प्रस्तर संख्या 33–

–आलोच्य वर्ष 11–12 में जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के पत्रांक 1183/2010–11 दि014.3.11 द्वारा वेस्टर्न इंडिया कारपोरेशन गोलघर, गोरखपुर को 15झट।19ठभ्च का साउन्डलेस किर्लोस्कर जनरेटर आपूर्ति करने हेतु आदेशित है। जिसके क्रम में उक्त फर्म से रू0 360000.00 के मूल्य का जनरेटर क्रय किया गया हैं। इस संदर्भ में निम्न आपत्तियां है

(क) रू0 100000.00 से उपर का क्रय आयुक्त महोदय की स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए था। किन्तु कोटेशन के आधार पर किया गया भुगतान अनियमित रहा।

(ख) वेस्टर्न इंडिया कारपोरेशन द्वारा दिया गया कोटेशन दि0 13.9.10 का है।जबकि कोटेशन का प्रकाशन 18.1.11 को किया गया है। अतः कोटेशन हेतु प्रकाशन के पूर्व तिथि के कोटेशन पर क्रय लेखा परीक्षा को अमान्य रहा। जिसके लिए अपर मुख्य अधि0 श्री एस0के0सिंह उत्तरदायी हैं।(आपत्ति संख्या–48)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–		– 360000

प्रस्तर संख्या 34–

–वर्ष 11–12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पिच कार्य व पिच मरम्मत कार्य पर अवर अभियन्ता द्वारा सीलकोट(मंस बवंज) का प्रावधान कर ठेकेदारों को उक्त कार्य(मंस बवंज)का भुगतान कराया गया है। पिच कार्य पर सीलकोट कराने से संबंधित दिशा निर्देश/शासनादेश लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी दशा में सीलकोट कार्य पर भुगतान दर्शाकर योजना के धन का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिये सम्बंधित अवर अभि0,अभियन्ता,तथा अपर मुख्य अधिकारी श्री एस0के0सिंह व श्री के0एन0 कन्नौजियां उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों से सीलकोट पर किया गया भुगतान रू0 756203.00 वसूली योग्य है। विवरण निम्न है——

क्र0	कार्य का नाम	सीलकोट पर भुगतान धन0	ठेकेदार का नाम	अवर अभियन्ता
1	प्रधानमंत्री सडक से महुआपुर लेपन	152700.00	श्री बजरंगबहादुर	श्री हरेन्द्र राव
2	शाहपुर सिंगारजोत मार्ग लेपन	67815.00	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
3	उज्जैनियां भरवलिया लेपन	24425.85	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
4	तुक्रंवलिया तिवारीपुर भलुआही लेपन	29205.00	श्री हरपाल सिह	श्री हरेन्द्र राव
5	बॉसी डुमरियांगंज प्रधानमंत्री सडक से सुहेलवा	22500.00	श्री हरपाल सिह	श्री हरेन्द्र राव
6	बानगंगा चौराहे से नीबी तक पिच रोड	6637.50	श्री इम्तियाज	श्री संतोषपाण्डे
7	साडीखुर्द एकडेगवा छितौनी लेपन	102690.00	श्रीमती संगीता	श्री हरेन्द्र राव
8	सोहना बिजौरा मुहम्मदपुर मार्ग पर	72765.00	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
9	मुहम्मदपुर से इजरहा मार्ग पर लेपन	27000.00	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
10	भानपुर रानीलटिया चौराहे पर पुरैना तक	30000.00	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
11	भरवटिया से बाजार तक लेपन	22500.00	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
12	साडीकला से धौरहरा तक पिच मरम्मत	27000.00	श्री दिनेश	श्री हरेन्द्र राव
13	बस्ती डुमरियागंज मार्ग हडवा पोखरा तक	11250.00	श्री अवधेशकुमार	श्री हरेन्द्र राव
14	मन्नीजोत भटवलिया मार्ग से खुरपहवा मार्ग	6750.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
15	शाहपुर खुनियांव सम्पक्र मार्ग पर नयेनगर तक	22500.00	श्री हरपाल सिह	श्री हरेन्द्र राव

16	प्रधानमंत्री सडक से भटवलिया दलित बस्ती	22500.00	श्री मलिकजफर	श्री हरेन्द्र राव
17	प्रधानमंत्री सडक मुन्नु भगत पेन्टिग मरम्मत	40465.50	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
18	डुमरिया उतरौला पी0डब्लू0डी0 लेपन	22500.00	श्री चन्द्रबली	श्री हरेन्द्र राव
19	चौखडा पी0डब्लू0डी0 गिरधरपुर लेपन	22500.00	श्री हरपाल सिह	श्री हरेन्द्र राव
20	बस्ती डुमरियागंज गरदहिया सम्पक्र मार्ग	22500.00	श्री अवधेशकुमार	श्री हरेन्द्र राव
	योग	**756203.35**		

(आपत्ति संख्या–53)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–	– 756203रु	– –

प्रस्तर संख्या 35–

–वर्ष 11–12 में बी0आर0जी00एफ0 क्षमता विकास मद में वाल पेन्टिग कम्प्यूटराइज मैटर चस्पा व प्रचार–प्रसार हेतु पम्पलेट छपाई पर निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है ––

क्र0	वा0सं0व दि0	धनराशि	विवरण	भुगतान जिसे किया गया
1	31/16.5.11	199995.00	वाल पेन्टिग	फ्रेन्डस एडवटाइजिंग
2	32/16.5.11	417300.00	कम्प्यूटराइज मैटर चस्पा	प्रकाश स्टेशनर्स
3	33/16.5.11	148590.00	पम्पलेट छपाई	कायस्थ प्रिन्टर्स एवं स्टेशनर्स
	योग	765885.00		

उपरोक्त भुगतान के संदर्भ में लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियां है––

1–भुगतान से संबंधित पत्रावली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही की गई ।

2– भुगतान से संबंधित कार्य पूरा किये जाने का प्रमाण/साक्ष्य प्रमाणक के साथ संलग्न नही कियागया है तथा कराये गये वाल पेन्टिग का भौतिक सत्यापन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा नही किया गया है। जिससे किया गया भुगतान अनियमित रहा। अस्तु रू0 765885.00 की वसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–54)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
765885	– –	– –

प्रस्तर संख्या 36–

– आलोच्य वर्ष 11–12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पंचायत के अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव द्वारा दि0 28.5.11 को राज्य वित्त की 7 परियोजनाओ का मापन एक ही दिन में करके ठेकेदारो को रू0 2523000.00 काभुगतान कराया गया है। इसी प्रकार दि018.6.11 को राज्य वित्त की 8 परियोजनाओ का मापन एक ही दिन में करके ठेकेदारो को रू0 3160000.00 के भुगतान की संस्तुति की गई है। इस प्रकार यह विदित होता है कि अवर अभि0 द्वारा मौके पर जाकर मापन कार्य नही किया गया तथा एक ही जगह बैठकर स्टीमेट के अनुसार मापन दर्शाकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।क्योकिं एक दिन में भिन्न–2 स्थानों पर जाकर 7 से 8 एम0बी0 करना सम्भव नही है। अतः स्पष्ट है कि श्री हरेन्द्र राव द्वारा अनियमित रूप से मापन दर्शाकर फर्जी बिल प्रस्तुत किया जाता रहा है जो जिला पंचायत के अभियन्ता के पत्र दि0 31.3.10की पुष्टि करता है। अभि0 के पत्र का उल्लेख आपत्ति सं0 23 में है। लेखा परीक्ष के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि वर्ष 11–12 में स्वीकृत कार्यो में से 85प्रतिशत कार्यो के कार्यप्रभारी श्री हरेन्द्र राव को बनाया गया है। जबकि 15 प्रति0 कार्यो के कार्य प्रभारी शेष 2 अवर अभि0 रहे है। इससे स्पष्ट होता है कि अपर मुख्य अधि0 श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा श्री हरेन्द्र राव के अनियमित कार्यो का बढावा दिया जाता रहा तथा अभि0 के पत्र के संदर्भ में श्री हरेन्द्र राव के कार्यो की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही नही की गई। अस्तु श्री हरेन्द्र द्वारा कराये गये समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन

तकनीकी विशेषज्ञों की टीम से कराये जाने हेतु शासन के उच्च अधि0 का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तथा श्री संतोष कुमार सिंह अपर मुख्य अधि0 के उपर जॉचोपरान्त विभागीय/वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

अवास्तविक रूप से एक दिन में 7 से 8 मापन दिखाये जाने से कराया गया कार्य संदेहास्पद है जिसकी जॉचोपरान्त भुगतान की गई धनराशि रू0 5683000.00 श्री हरेन्द्र राव अपर अभि0 तथा श्री एस0के0 सिंह अ0मु0अ0 से वसूली योग्य है।(आपत्ति संख्या–55)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–	– –	– 5683000 रु

प्रस्तर संख्या 37–

–आलोच्य वष 11–12 की लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखो के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पतरकी नाले पर क्रमश:2.5मी0,4मी0,तथा 2X5 मी0स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का भुगतान विभिन्न तिथियो में किया गया है।भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही स्थान पर तीन–2 बार अलग–2 कार्य दिखा कर भुगतान किया गया है। इस सम्भावना का आधार आपत्ति सं043 में मु0वि0अधि0सिद्धार्थनगर की आख्या से भी पुष्टित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला पंचायत द्वारा एक ही कार्य को अलग–2 तरह से प्रस्तुत कर राजकीय धन का दुरूपयोग/अपहरण किया गया है। शासन के उच्च अधिकारियो का ध्यान जिला पंचायत द्वारा वर्ष 11–12 में कराये गये प्रत्येक कार्य के भौतिक सत्यापन तकनीकी विशेषज्ञों की टीम से कराया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे वास्तविक वस्तुस्थिति का पता चल सकें । तथा दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जा सके।

क्र0	कार्य का नाम	वा0सं0/तिथि	भुगतान धन0	ठेकेदार का नाम	अ0अभि0 का नाम
1	झकहियापतरकी नाला पुल 4 मी0स्पान पुलिया	30/14.9.11 70/27.05.11 192/29.8.11	312000.00 300000.00 247000.00	श्री इम्तियाज अहमद	श्री हरेन्द्र राव
2	पतरकी नाले पर पुल 2.5मी0	182/29.8.11 64/16.8.11	64771.00 425000.00	श्री इम्तियाज अहमद	श्री हरेन्द्र राव
3	पतरकी नाले पर पुल2X5मी0	44/3.1.12 07/1.11.11	297000.00 995000.00	श्री इम्तियाज अहमद	श्री हरेन्द्र राव
		योग	2640771.00		

उपरोक्त के आधार पर जॉचोंपरान्त रू0 2640771.00 की वसूली श्री इम्तियाज अहमद ठेकेदार, श्री हरेन्द्र राव अवर अभि0 ,श्री के0एन0 कन्नौजिया अपर मुख्य अधि0 तथा अभि0 श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–57)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2640771	– –	– –

प्रस्तर संख्या 38–

–आलोच्य वर्ष 11–12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मनरेगा योजनान्तर्गत ठेकेदारो से सामग्री आपूर्ति कराया गया है। लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त सामग्री का स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया जिससे गत वर्ष के शेष,वर्ष में प्राप्त, वर्ष में उपभोग तथा वर्षान्त में अवशेष स्टाक की स्थिति अज्ञात रही। स्टाक पंजिका में आपूर्ति स्टाक का लेखांकन न किये जाने से उक्त मद में किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री एस0के0सिंह, श्री के0एन0कन्नौजिया, अभियन्ता श्री अनिल सिंह तथा अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव व श्री संतोष पाण्डेय उत्तरदायी है। विवरण निम्न है–

माह	सामग्री आपूर्ति पर किया गया भुगतान
मई 11	1794246.00
जून 11	1368820.00
जुलाई 11	418175.00
अगस्त11	838909.00
सित0 11	7361300.00
अक्टू0 11	3498308.00
नव0 11	2371543.00
दिस0 11	1179759.00
जन0 12	2433478.00
योग–	**18115538.00** (आपत्ति संख्या–58)

प्रस्तर संख्या 39–

–आलोच्य वर्ष 11–12 में मनरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय धनराशि रूपये 32209578.00 किया गया है। जिसमे से सामग्री अंश पर रू0 18115538.00 भुगतान किया गया है जो कुल व्यय का 56.2 प्रतिशत है। अस्तु स्पष्ट है कि मनरेगा के गाइडलाइन (सामग्री तथा श्रमांश का अनुपात 40:60) के विपरित सामग्री अंश पर वित्तीय वर्ष में 56.2 प्रतिशत व्यय है। इस ओर विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।(आपत्ति संख्या–59)

इस अनियमितता हेतु अपर मुख्य अधि0 श्री एस0के0सिंह तथा श्री के0एन0कन्नौजिया उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–	– –	–

प्रस्तर संख्या 40–

–आलोच्य वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न योजनान्तर्गत कराये गये पुलिया निर्माण कार्य में लोरिंग व बोरिंग पर रू0 830068.50 तथा डिवाटरिंग पर रू0 1381160.00 व्यय किया गया है विवरण निम्न है–

क्र0	वा0सं0 / तिथि	लोरिंग बोरिंग पर व्यय	डिवाटरिंग पर व्यय	ठेकेदार का नाम	अवर अभियन्ता का नाम
1	42 / 20.5.11	9360.00	8000.00	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
2	29 / 11.5.11	4680.00	2400.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
3	28 / 11.5.11	9360.00	6400.00	श्री जनार्दन	श्री हरेन्द्र राव
4	27 / 11.5.11	9360.00	7680.00	श्री जनार्दन	श्री हरेन्द्र राव
5	26 / 11.5.11	9360.00	8000.00	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
6	26 / 2.6.11	4680.00	2400.00	श्री अवधेश	श्री हरेन्द्र राव
7	30 / 2.6.11	9360.00	8000.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
8	31 / 2.6.11	9360.00	8000.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
9	33 / 2.6.11	9360.00	19840.00	श्री चन्द्रबली	श्री हरेन्द्र राव
10	69 / 14.6.11	52200.00	66500.00	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
11	71 / 14.6.11	-----	10780.00	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
12	81 / 14.6.11	9360.00	8000.00	श्री हरपाल भाटिया	श्री हरेन्द्र राव
13	84 / 14.6.11	15660.00	21000.00	श्रीमती शान्ती देवी	श्री हरेन्द्र राव
14	83 / 14.6.11		11520.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
15	41 / 14.6.11	4680.00	2400.00	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
16	44 / 14.6.11	4680.00	2400.00	श्री चन्द्रबली	श्री हरेन्द्र राव

17	46 / 14.6.11	4680.00	2400.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
18	27 / 14.7.11	31200.00	120000.00	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
19	25 / 14.7.11	9360.00	8000.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
20	28 / 14.7.11	9360.00	8000.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
21	1 / 2.7.11	——	11520.00	श्री कल्लू राम	श्री संतोष पाण्डेय
22	2 / 2.7.11	——	2320.00	श्रीमती सावित्री	श्री संतोष पाण्डेय
23	82 / 20.7.11	4056.00	2400.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
24	101 / 25.7.11	——	10000.00	श्री विपिन कुमार	श्री हरेन्द्र राव
25	102 / 25.7.11	——	4000.00	श्री व्यास जी पा0	श्री हरेन्द्र राव
26	103 / 25.7.11	——	4000.00	श्री व्यास जी पा0	श्री हरेन्द्र राव
27	116 / 27.7.11	——	19840.00	श्री चन्द्रबली	श्री संतोष पाण्डेय
28	117 / 27.7.11	——	19840.00	श्रीमती विजयलक्ष्मी	श्री संतोष पाण्डेय
29	57 / 9.8.11	——	19840.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
30	65 / 16.8.11	17400.00	14000.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
31	66 / 16.8.11	——	11520.00	श्रीमती शान्ती देवी	श्री हरेन्द्र राव
32	67 / 16.8.11	——	11520.00	श्री हरिहर दुबे	श्री हरेन्द्र राव
33	68 / 16.8.11	17400.00	21000.00	श्रीमती संगीता सिह	श्री हरेन्द्र राव
34	71 / 16.8.11	17400.00	21000.00	श्री मेहताब आलम	श्री हरेन्द्र राव
35	72 / 16.8.11	——	12000.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
36	77 / 16.8.11	4680.00	2400.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
37	94 / 20.8.11	——	11520.00	श्री गंगाप्रसाद दुबे	श्री हरेन्द्र राव
38	99 / 20.8.11	4680.00	2400.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
39	102 / 20.8.11	——	12000.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
40	106 / 20.8.11	43500.00	84000.00	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
41	124 / 23.8.11	9360.00	8000.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
42	125 / 23.8.11	4680.00	2400.00	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
43	126 / 24.8.11	——	11520.00	श्रीमती शान्ती देवी	श्री हरेन्द्र राव
44	179 / 29.8.11	9360.00	16000.00	श्री अवधेश	श्री हरेन्द्र राव
45	180 / 29.8.11	9360.00	8000.00	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
46	181 / 29.8.11	17400.00	21000.00	श्री सुधीर यादव	श्री हरेन्द्र राव
47	182 / 29.8.11	17400.00	21000.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
48	183 / 29.8.11	——	7840.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
49	184 / 29.8.11	9360.00	8000.00	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
50	188 / 29.8.11	15660.00	21000.00	श्रीमती शान्ती देवी	श्री हरेन्द्र राव
51	189 / 29.8.11	17400.00	21000.00	श्री सुधीर यादव	श्री हरेन्द्र राव
52	193 / 29.8.11	9360.00	7680.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
53	197 / 29.8.11	9360.00	7680.00	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
54	11 / 14.9.11	——	24000	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
55	21 / 14.9.11	17400	24000	श्री अजमल	श्री हरेन्द्र राव
56	23 / 14.9.11	4680	2400	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
57	27 / 14.9.11	4680	2400	श्री ओमप्रकाश	श्री हरेन्द्र राव
58	12 / 7.10.11	——	7680	श्री हीरा प्रसाद	श्री संतोष पाण्डेय
59	56 / 17.10.11	17400	21000	श्री बृजकिशोर	श्री हरेन्द्र राव
60	57 / 17.10.11	4680	2400	श्री ओमप्रकाश	श्री हरेन्द्र राव
61	58 / 17.10.11	9360	8000	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव

62	59/17.10.11	9360	8000	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
63	60/17.10.11	——	24000	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
64	61/17.10.11	9360	7680	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
65	127/22.10.11	9360	7680	श्री चन्द्रबली	श्री हरेन्द्र राव
66	141/22.10.11	9360	24000	श्री बृजकिशोर	श्री हरेन्द्र राव
67	29/15.11.11	——	19840	श्री पवन कुमार	श्री संतोष पाण्डेय
68	35/15.11.11	4680	2400	श्री अवधेश	श्री हरेन्द्र राव
69	61/18.11.11	9360	15360	श्री बजरंग बहादुर	श्री हरेन्द्र राव
70	66/22.11.11	4680	2400	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
71	67/23.11.11	9360	7680	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
72	52/15.12.11	17400	21000	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
73	14/2.1.12	——	19840	श्री चन्द्रबली	श्री संतोष पाण्डेय
74	16/2.1.12	——	19840	श्री दुर्गाप्रसाद	श्री अनिल सिंह
75	18/2.1.12	——	11520	श्रीमती शान्ती देवी	श्री हरेन्द्र राव
76	41/3.01.12	17400	21000	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
77	42/3.01.12	29362.50	43200	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
78	43/3.01.12	4680	2400	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
79	44/3.01.12	39150	43200	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
80	45/3.01.12	4680	2400	श्री हरपाल भाटिया	श्री हरेन्द्र राव
81	46/3.01.12	17400	21000	श्री हरपाल भाटिया	श्री हरेन्द्र राव
82	48/3.01.12	13050	16000	श्री अवधेश	श्री हरेन्द्र राव
83	50/3.01.12	9360	16000	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
84	51/3.01.12	9360	16000	श्री इम्तियाज	श्री हरेन्द्र राव
85	52/3.01.12	4680	2400	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
86	53/3.01.12	9360	4000	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
87	83/12.1.12	9360	4000	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
88	84/12.1.12	4680	2400	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
89	85/12.1.12	4680	2400	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
90	86/12.1.12	4680	2400	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
91	87/12.1.12	13050	16000	श्री मलिक जफर	श्री हरेन्द्र राव
92	88/12.1.12	13050	16000	श्री हरपाल भाटिया	श्री हरेन्द्र राव
93	89/12.1.12	4680	2400	श्री संतोष नरायन	श्री हरेन्द्र राव
94	90/12.1.12	4680	2400	श्री संतोष नरायन	श्री हरेन्द्र राव
95	94/12.1.12	4680	2400	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
96	102/12.1.12	——	4800	श्री आलोक कुमार	श्री हरेन्द्र राव
97	105/12.1.12	——	9600	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
98	112/19.1.12	13050	16000	श्री कल्लू राम	श्री हरेन्द्र राव
99	115/19.1.12	——	2400	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
100	116/19.1.12	——	9600	श्री विपिन कुमार	श्री हरेन्द्र राव
101	127/19.1.12	——	4480	श्री सुधीर यादव	श्री संतोष पाण्डेय
102	131/19.1.12	——	4800	श्री राधेश्याम	श्री हरेन्द्र राव
103	134/19.1.12	——	4800	श्री मेहताब आलम	श्री हरेन्द्र राव
104	135/19.1.12	——	4800	श्री रामविलास	श्री हरेन्द्र राव
105	137/19.1.12	——	4480	श्री गंगाप्रसाद दुबे	श्री संतोष पाण्डेय

106	138/19.1.12	——	4480	श्री परशुराम यादव	श्री संतोष पाण्डेय
	योग	830068.00	1381160.00		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा पुलिया निर्माण में लोरिंग व बोरिंग तथा डिवाटरिंग का प्राकलन कर अनियमित रूप से योजनाओं के धन का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली संबंधित ठेकेदार संबंधित अवर अभि0 श्री हरेन्द्र राव व श्री संतोष पाण्डेय अभियन्ता श्री अनिल सिंह तथा अपर मुख्य अधि0 श्री संतोष कुमार सिंह वश्री के0एन0कन्नौजियां से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–60)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2211228	— —	— —

प्रस्तर संख्या 41–

–आपत्ति सं0 60 में अंकित लोरिंग व बोरिंग तथा डिवाटरिंग पर 4: बिक्री कर काटा गया है जब कि उपरोक्त कार्य सेवाकर में आना चाहिए जिसपर 10: सेवाकर + 3:शिक्षाउपकर कुल 13:काटा जाना चाहिए। इसप्रकार धनराशि 830068.00 तथा 1381160.00 कुल 2211228.00 पर 9:कम की कर कटौती की गई जिससे 2211228.00 का 9: रू0 199010.00 के राजस्व की क्षति हुई। इस क्षति हेतु लेखाकार श्री अनिल कुमार सिंह अपर मुख्य अधि0 श्री एस0के0सिंह व श्री के0एन0कन्नौजियां तथा वि0प0दा0 श्री राजीव कुमार तिवारी उत्तरदायी है।(आपत्ति संख्या–61)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2211228	— —	— —

मण्डल का नाम–आजमगढ़।

जिला पंचायत–आजमगढ़।

आपत्तियो का विवरण

प्रस्तर सं0–1

वर्ष 2011–12 में तहबाजारी से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कतिपय ठेकेदारों द्वारा निर्धारित दर से स्टाम्प पेपर अनुबन्ध के साथ संलग्न न कर राजकीय राजस्व रू0 72364/– की क्षति पहुंचायी गयी है, जिसके लिये तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–2)

प्रस्तर सं0–2

वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त आयोग सम्बन्धी पत्रावलियों के जांच में पाया गया कि कार्यादेश में जितनी धनराशि का स्टाम्प पेपर लगाकर अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेशित किया गया है, उससे काफी कम रू0 110/– प्रति कार्यादेश का ही स्टाम्प पेपर लगाकर कुल रू0 174425/– से राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है, जिसके लिये अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–3

वर्ष 2011–12 में तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यादेश में जितनी धनराशि का स्टाम्प पेपर लगाकर, अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेशित किया गया है, उससे काफी कम रू0 110/– प्रति कार्यादेश का ही भुगतान पेपर लगाकर रू0 46330/– से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–4)

प्रस्तर सं0–4

वर्ष 2011–12 में बी0आर0जी0एफ0 निर्माण सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यादेश में जितनी धनराशि का स्टाम्प पेपर लगाकर, अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेशित किया गया है, उससे काफी कम रू0 110/– प्रति कार्यादेश का ही स्टाम्प पेपर लगाकर रू0 141390/– से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–5)

प्रस्तर सं0–5

वर्ष 2011–12 में बी0आर0जी0एफ0 (भवन निर्माण) सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कार्यादेश में जितनी धनराशि का स्टाम्प पेपर लगाकर, अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेशित किया गया है, उससे काफी कम रू0 100/– प्रति कार्यादेश का ही स्टाम्प पेपर लगाकर रू0 374000/– से राजकीय राजस्व को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–6)

प्रस्तर सं0–6

वर्ष 2011–12 में शासनादेश सं0 1615/177–5–200–77 लखनऊ 28 मार्च 2001 एवं शासनादेश सं0 3891/775–2002–1(216)/1293 दिनांक 05.08.2002 व शासनादेश सं0 6714/775–2004–200–77 लखनऊ दिनांक 15.12.2004 द्वारा उप खनिजों यथा–मिट्टी, पटिया, बोल्डर, बालू, मोरंग व गिट्टी आदि पर संस्था द्वारा निर्धारित दर पर रायल्टी की कटौती रू0 9 प्रति घनमीटर मिट्टी की खुदाई पर न करके राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त सम्बन्धी व्यय से राजकीय राजस्व रू0 809309/– की क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–7)

प्रस्तर सं0–7

वर्ष 2011–12 के बी0आर0जी0एफ0 बाउचरों की जांच में पाया गया कि नियमानुसार मिट्टी खुदाई पर प्रति घनमीटर रू0 9/– की दर से रायल्टी की धनराशि ठेकेदारों के बिलों से न काटकर राजकीय राजस्व रू0 285892/– की क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–8)

प्रस्तर सं0–8

वर्ष 2011–12 के बी0आर0जी0एफ0 बाउचरों की जांच में पाया गया कि कतिपय बाउचरों में वैट 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से बिलों से काटकर कुल रू0 271142/– की क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह तथा लेखाकार श्री दीपचन्द राम उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–9)

प्रस्तर सं0–9

वर्ष 2011–12 में बूढ़नपुर बाजार का तहबाजारी का ठेका श्री अभिषेक कुमार सिंह को रू0 120000/– में दिया गया है। जबकि गत वर्ष 2010–11 में इन्हें ही रू0 162500/– में ठेका दिया गया था। नियमानुसार ठेका गत वर्ष से कम पर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार गत वर्ष से कम पर ठेका देकर रू0 42500/– की संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–10)

प्रस्तर सं0–10

वर्ष 2011–12 से सम्बन्धित चार नौका घाटों का ठेका चार व्यक्तियों/संस्थाओं को रू0 112206/– में दिया गया है। उक्त किसी भी ठेके की धनराशि/पार्टी की स्वीकृति नियमानुसार आयुक्त महोदय आजमगढ़ से नहीं ली गयी है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–11)

प्रस्तर सं0–11

वर्ष 2011–12 में नौका घाट रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। विगत वर्षों से रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2012 को कुल रू0 89422/– नौका घाट का बकाया विगत वर्षों से चला आ रहा है। जिसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वसूली न होने के कारण संस्था की धनराशि रू0 89422/– का दुर्पयोग किया गया है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–12)

प्रस्तर सं0–12

वर्ष 2011–12 में साइकिल स्टैण्ड ठेका रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विगत वर्षों से रू0 42900/– बकाया चला आ रहा है। परन्तु इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस हेतु श्री दीपचन्द, लेखाकार, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–13)

प्रस्तर सं0–13

वर्ष 2011–12 में वित्तीय विवरणी में मेला मद में कोई भी धनराशि बकाया दर्शित नहीं है। जबकि मेला रजिस्टर की जांच में पाया गया कि दुर्वासा मेला मद में दिनांक 31.03.2012 को रू0 41052/– बकाया विगत वर्षों से चला आ रहा है। उक्त की वसूली न होने के कारण संस्था की धनराशि रू0 41052/– का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–14)

प्रस्तर सं0–14

वित्तीय विवरणी वर्ष 2010–11 के विवरण पत्र के प्रपत्र–3 में रू0 491995/– पड़ाव अड्डा की धनराशि पावना दर्शित थी, जो विगत वर्षों से चली आ रही थी। वर्ष 2011–12 के वित्तीय विवरणी के प्रपत्र–3 में पड़ाव अड्डा की धनराशि को शून्य कर दिया गया। इस प्रकार बिना वसूली किये ही पड़ाव अड्डा की धनराशि रू0 491995/– अपने अभिलेखों से गायब कर एवं वसूली न कर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी है। इस हेतु तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह तथा श्री दीपचन्द, लेखाकार, व कर अधिकारी उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–15)

प्रस्तर सं0–15

वर्ष 2011–12 में भवन किराया रजिस्टर के अनुसार कुल रू0 5775368/– किराया विभिन्न पक्षों पर दिनांक 31.03.2012 को अवशेष दर्शित है। जिसकी वसूली हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह तथा श्री दीपचन्द, लेखाकार उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–16)

प्रस्तर सं0–16

वर्ष 2011–12 में सम्पति व विभव कर रजिस्टर की जांच में पाया गया कि विकासखण्डवार कुल धनराशि रू0 5827486/– वर्षान्त में वसूली हेतु शेष है। वसूली न होने के कारण संस्था की धनराशि अनावश्यक रूप से फंसी हुयी है। इस हेतु सम्बन्धित कर समाहर्ता , कर निरीक्षक, कर अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–17)

प्रस्तर सं0–17

वर्ष 2011–12 में कैशबुक के अनुसार रायल्टी रू0 247208/– व्यापार कर रू0 12171677/– व आयकर रू0 7074391/– कुल रू0 19493276/– की कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा किया जाना दर्शित है। परन्तु जिला पंचायत द्वारा वर्षान्त में सम्बन्धित धनराशि के जमा की पुष्टि में दाखिल रिटर्न व बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध नहीं कराये गये। जमा की पुष्टि अपेक्षित है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–57)

जिला पंचायत– मऊ

आपत्तियो का विवरण

1	जनपद–मऊ जिला पंचायत–		(आंकड़े लाख मे) प्रस्तर–1 जिलापंचायत मऊ मे सम्पत्ति व विभव कर का अवशेष रु0 16.89 लाख की वसूली के प्रति ठोस/परिणाम मूलक कार्यवाही न कर संस्था को क्षति पहुंचाई गई।क्षति की जिम्मेदारी अपरमुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक की रही। (सा0आ0सं0–17) प्रस्तर–2 जिलापंचायत मऊ मे नौका घाट निलामी के मद मे अवशेष रु0 1.76 लाख की वसूली के प्रति ठोस/परिणाम मूलक कार्यवाही न कर संस्था को क्षति पहुंचाई गई।क्षति की जिम्मेदारी अपरमुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक की रही। (सा0आ0सं0–19) प्रस्तर–3 जिलापंचायत मऊ मे हाट बाजार तहबाजारी के मद मे अवशेष रु0 13.06 लाख की वसूली के प्रति ठोस/परिणाम मूलक कार्यवाही न कर संस्था को क्षति पहुंचाई गई।क्षति की जिम्मेदारी अपरमुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक की रही। (सा0आ0सं0–18) प्रस्तर–4 जिलापंचायत मऊ मे पड़ाव अड्डा शीर्ष के अन्तर्गत अवशेष रु0 15.80 लाख की वसूली के प्रति ठोस/परिणाम मूलक कार्यवाही न कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।क्षति की जिम्मेदारी अपरमुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक की रही। (सा0आ0सं0–20) प्रस्तर–5 जिलापंचायत मऊ मे दुकान,भवन किराया के मद मे अवशेष रु0 18.14 लाख की धनराशि विगत कई वर्षो से बकाया है। वसूली के प्रति ठोस/परिणाम मूलक कार्यवाही न कर संस्था को क्षति पहुंचाई गई।क्षति की जिम्मेदारी अपरमुख्य अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक की रही। (सा0आ0सं0–21)	कुल धनराशि 16.89 1.76 13.06 15.80 18.14 0.82

जिला पंचायत – बलिया

आपत्तियो का विवरण

प्रस्तर सं0	जिला पंचा0 का नाम	आडिट नोट में आप0 सं0	आपत्ति का विवरण	धनराशि(हजार में)	
				कुल	अपहरण
				कुल	अपहरण
1	2	3	4	5	6
1	बलिया	12/1	जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन तहबाजारी का आलोच्य वर्ष के लिये पथकर वसूली हेतु स्वीकृति टेण्डर की धनराशि के 8प्रतिशत की दर से स्टांम्प डुयूटी लिया जाना था किन्तु प्रति टेण्डर मात्र 100रू0 ही स्टाम्प शुल्क जमा कराया गया। अन्तर की धनाशि रू0146.26हजार राजस्व की क्षति हुई।	146.26	0.00
2		19/8	ठेकेदारों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों पर भुगतान की गयी धनराशि पर व्यापार कर निर्धारित दर 4प्रतिशत से कम काट कर रू0 199.41 हजार के राजस्व की क्षति अुई।	199.41	0.00
3		20/9	ठेकेदारों को किये गये भुगतान परा आय कंर कटौती निर्धारित दर 2.24 प्रतिशत से कम किये जाने से रू0 37.07 हजार के राजस्व की क्षति हुई।	37.07	0.00
4		21/10	ठेकेदारों द्वारा कराये गये मिट्टी कार्य पर शासनादेश के अनुसार रायल्टी जमा नहीं करके रू0 83.69 हजार के राजस्व की क्षति हुई।	83.69	0.00
			योग–	466.43	00.00

प्रस्तर– 4– बैंक स्टेटमेंट एवं कोषबही के अनुसार रोकड़ शेष में अंतर का समाधान उपलब्ध नहीं रहा रू0 1633892.00

प्रस्तर– 5– बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को न अवशेष अनुदान में सम्मिलित किया गया न ही इसे राज्य सरकार को वापस किया गया।रू0 5545484.00

प्रस्तर– 6– संस्था द्वारा कार्य के सापेक्ष भुगतानों से राजकीय राजस्व यथा आयकर, व्यापार कर, रायल्टी मद की काटी गयी एवं बैंक/शीर्ष में जमा दर्शित धनराशि रू0 5227353.00 की जमा पुष्टि हेतु CTR/जमा चालान/जमा की विभागीय पुष्टि पत्र प्रस्तुत कर जमा की पुष्टि नहीं कराया जाना।

प्रस्तर– 7– संस्था द्वारा विभिन्न पक्षों की जमा अमान्त की धनराशि में दुकानदारों/ किरायेदारों की जमा अग्रिम प्रीमियम की धनराशि रू0 6194011.00 को सम्मिलित कर स्थिति भ्रामक रखकर गम्भीर अनियमितता की गयी है।

जिला पंचायत–गाजीपुर

आपत्तियो का विवरण

प्रस्तर संख्या–1. जिला पंचायत गाजीपुर के वर्श 2011–12 की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा करेत्तर प्राप्ति के अन्तर्गत लेखा शीर्श 0071–पेशन व अन्य सेवानिवृतिक लाभ हेतु अंशदान एवं वसूली के उपशीर्षक 101–पेंशन अंश के अन्तर्गत माह मार्च 12 की मासिक लेखा के व्यय पक्ष में पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि निम्नविवरण के अनुसार रु 9,52,083.00 दर्शित है–

विवरणः–	**धनराशि**
सामान्य प्रशासन विभाग	4,08,138.00
उगाही विभाग	1,65,240.00
चिकित्सा विभाग	2,02,380.00
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग	8,905.00
सार्वजनिक निदेश विभाग	1,67,420.00
योग–	**9,52,083.00**

वर्ष 2011–12 में पेंशन अंशदान खाता सं0 392702011062637 में रु 6,75,442.00 ही जमा किया गया है। शेष रु.2,76,641.00 जमा न किये जाने से उक्त धनराशि के दुरुपयोग की पूरी सम्भावना है जिसके लिए ए0 एम0 ए0 तथा कैशियर पूर्ण रूप से जिम्मेवार है।इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 जिला पंचायत गाजीपुर के वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2010–11 में आयोजित चोचकपुर मेले पर आयोजन व प्रबन्ध व्यय प्रमाणक सं0–66 दिनांक 10/05/2011 द्वारा रु.1,32,850.00 भुगतान दिखाकर खारिज है।अतः वर्श 2010–11 के चोचकपुर मेले से प्राप्त आय जिसमें व्यक्तिवार/संस्थावार न दर्शाकर प्रपत्र सं0–5 के आधार पर संकलित आय रु.28,274.00 दर्शित है जिसके सापेक्ष कुल व्यय रु 1,32,850.00 का किया गया है। इस प्रकार विगतवर्षों की भॉति लेखा परीक्षा वर्ष में रु.1,04,576.00 से संस्था की हानि हुई है, जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्जवल अम्बेश व अवर अभियंता श्री अखिलेश यादव संयुक्त रूप में जिम्मेवार है, धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0–2)

प्रस्तर संख्या–3. बारहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्श 2005–06 से प्रारम्भ करके वर्ष 2009–10 तक विभिन्न वर्षों में ज़िला पंचायत गाज़ीपुर द्वारा प्राप्त, प्रयुक्त एवं अन्तिम अवशेष का प्रपत्र सं0–44 के स्तम्भों में अंकन करके अनुदान पंजिका के आधार पर लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 के लिए तैयार किया गया विवरण निम्नवत है –

बारहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अवमुक्त अनुदान की धनराशियों का उपयोग पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए इस आधार पर किया जाना चाहिए कि आवर्ती रूप में व्यय की गयी धनराशि (मूल्य) की न्यूनतम 50 प्रतिशत धनराशि की पुनर्वापसी उपभोग शुल्क (यूजर्स चार्जेज) के रूप में सुनिश्चित हो सके किन्तु जिला पंचायत द्वारा इसका अनुपालन नही किया गया है एवं आयेाग की संस्तुतियों में निर्दिष्ट उद्देश्यों में उपभोग न कर अन्य परियोजनाओं में व्यय किया गया हैं। इस योजना से प्राप्त धनराशि को पृथक पी.एल.ए./बैंक खाता खोल कर रखे जाने का शासकीय निर्देश प्राप्त हाने के पश्चात् भी ऐसा नही किया गया है। इस प्रकार बारहवें वित्त की संस्तुतियों के आधार पर अवमुक्त धनराशि रु.11,32,15,235.00 का उपभोग जिलापूर्ति व स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति में व्यय न करके तथा आवर्ती व्यय का न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्थात् रु 5,66,07,618.00 को उपभोग शुल्क के रूपमें न प्राप्त करके संस्था को उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति नही करायी गयी । इसके लिए संस्था के पदाधिकारी अपर मुख्य अधिकारी श्री उज्जवल अम्बेश जिम्मेवार है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। (आ0 सं0–3)

प्रस्तर संख्या–4 बैंक खातो एवं संस्था के बीच बिद्यमान अन्तर

कैशबुक/पंजिका के अनुसार			बैंक पासबुक के अनुसार	
क्र	शीर्ष	धनराशि	बैंक का नाम	धनराशि
1	.जमानत	1,32,52,296.00	1.इलाहाबाद बैंक गाजीपुर (A/C2026793623) (19819)	49,633.00
2	मनरेगा	6,12,436.00	2.का0 गो0 सं0 ग्रा0 बैंक गाजीपुर ¼ A/c 3959)	14,28,565.60
3	शासकीय अनुदान	10,09,24,394.00	3. पं. ने. बैंक गाजीपुर (A/c06620001002600017)	34,561.00
4	जुबली स्कालरशीप	2,269.00	4.1 – बैंक आफ इण्डिया (A/c691710110000017) 2 &(A/c691710100007034)	1,91,60,034.00 27,26,147.00
5	रोकड़ शेष	24,49,856.00	5.1 – यू. बी. आई. विकासभवन (A/c392702011001799) 2 &(A/c392702010315556) 3 &(A/c392702010322309)	10,30,52,805.95 6,73,717.00 5,188.00
			6 कोशागार	5,54,797.36
		11,72,41,251.00	योग	12,76,80,448.91

जिला पंचायत गाजीपुर की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में दिनांक 31/3/2012 को कैशबुक/पंजिका एवं बैंक पासबुक की स्थिति निम्नवत पाई गयी है–उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कैशबुक एवं विभिन्न बैकों मे खुले खाते में जमा धनराशियों के मध्य रु.1,04,39,197.91 का अन्तर विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु बैंक समाधान विवरण पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजी पर तैयार नहीं किया गया है। बैंक समाधान विवरण पत्र न बनाये जाने की स्थिति में अन्तर का समाधान नही किया जा सका, भविष्य में किसी गड़बड़ी की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त कृत्य हेतु कैशियर एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेवार होगें । वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(आ0 सं0–4)

प्रस्तर संख्या–5 जिला पंचायत गाजीपुर की तहबजारी पंजी की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था के अन्तर्गत 65 बाजारों कें सापेक्ष मात्र 49 बाजारों से वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2010–11 में रु. 13,26,900.00 की वसूली ठेका के माध्यम से दर्षित है एवं वर्ष 2011–12 में क्रमशःरु.16,100.00 ठेका के माध्यम से वसूलीके साथ ही 2 बाजारो से रु.13,258.00 की बिना ठेका के संस्था के कर्मचारियो द्वारा वसूली दर्शायी गयी है। अतएव वर्ष 2011–12 के सापेक्ष कुल रु.13,56,258.00 की वसूली दर्शायी गई है।

(1) संस्था द्वारा विगत वर्षो की अधिकतम बोली के तीन वर्षो के औसत बोली/विगत वर्श के बोली के 15: अधिक बढ़ाकर दर्शाने पर ठेके की राशि रु. 23,12,042.00 लेखा परीक्षा द्वारा आकलित की गई है। फलतः रु.9,69,042.00 (23,12,042–13,43,000) से कम का ठेका देकर संस्था को क्षति एवं ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया है।(देखें परिशिष्ट)

(2) संस्था द्वारा रु. 13,43,000.00 पर 8 प्रतिशत की दर से मात्र रु. 1,07,758.00 स्टैम्प शुल्क ठेकेदारो से जमा कराया जाना चाहिए था किन्तु मात्र रु. 54,130.00 ही स्टैम्प शुल्क जमा कराया गया है। इस प्रकार रु.53,628.00 स्टैम्प शुल्क कम जमा कराकर राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(आ0 सं0–6)

प्रस्तर संख्या–6 वर्ष 2011–12 में जिला पंचायत गाजीपुर को तेरहवे वित्त आयोग की संस्तुतियो के आधार पर अवमुक्त किये गये धनराशि का उपभोग आयोग द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों (जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) की पूर्त्ति में नही किया गया है तथा आवर्ती रूप में व्यय की गयी धनराशियों का 50 प्रतिशत अंश उपभोग शुल्क के रूप में प्राप्ति न दर्शाकर पुनर्वापसी से प्राप्त होने वाली आय को नष्ट किया गया है। इस प्रकार वर्श में निम्नविवरणके अनुसार केवल मार्ग निर्माण पर व्यय दर्शाकर अनुदान का दुरुपयोग कियागया है–

विवरण	धनराशि
ठेकेदार को भुगतान	1,00,31,075.00
आयकर	2,78,575.00
व्यापार कर	4,61,737.00
श्रम विभाग	1,07,514.00
जमानत	12,26,400.00
विज्ञापन	21,952.00
रायल्टी	6629.00
योग	**1,21,33,882.00**

इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग की व्यय धनराशि रु.1,21,33,882.00का 50% अर्थात रु.60,66,941.00 उपभोग शुल्क के रूप में प्राप्ति न दशाये जाने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति हुई है जिसके लिए अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः प्रभावी वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। (आ0सं0–7)

प्रस्तर संख्या–7 13वें वित्तआयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि से जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा ग्राम सभा सौरी बिन्द गांव तक सी.सी.रोड वर्श 2010–11 में निर्माण दर्शाकर अन्तिम भुगतान वर्श 2011–12 में दर्शित है, उक्त रोड का स्थलीय निरीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत, द्वारा किया गया, तथा पत्रांक:556/13वां वित्त आयोग, 2011, दिनांक 14/03/2011, श्री विजय यादव ठेकेदार को सम्बोधित एवं अवर अभियन्ता, श्री मिठाईलाल को पृष्ठांकित करते हुए निर्गत किया गयाहै, जिसमें निरीक्षण में निम्नवत कमियाँ अभियन्ता द्वारा उद्धृत की गयी है–

(क) उक्त सी.सी.रोड में प्राक्कलन के अनुसार नया हयूम पाइप नही लगाया गया, मौके पर पुराने को ही नया पाइप बताया गया।माप पुस्तिका के अनुसार 10 हयूम पाइप पर कुल व्यय रु.6,629.00 दर्शाकर भुगतान किया गया है।

(ख) उक्त मार्ग की मोटाई (क्रस्ट) $1^{1/2''}$ से $2^{1/2''}$ पाई गयी। स्टीमेट मे दर्शित मानक के अनुसार कार्य न कराकर रु.3,59,908.50 का अधिक भुगतान कर दिया गया।

(ग)उक्त मार्ग के किनारे स्टीमेट के अनुसार पटरी का कार्य न कराकर उक्त मद में रु.52,067.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया।उपरोक्त स्थलीय निरीक्षण का विन्दुवार अनुपालन किये बिना ही अन्तिम भुगतान कर दिया गया। निरीक्षण पत्र में उठायी गयी आपत्तियां गम्भीर प्रकृति की थी जिसका विन्दुवार परिपालन आवश्यक था। अभियन्ता द्वारा भी इस संबंध में पुनः अनुस्मारक मात्र सम्बन्धित ठेकेदार को ही दिया गया तथा अवर अभियन्ता को नही दिया गया। कार्य के प्रारम्भ,मध्य एवं अन्त की फाटोग्राफी एवं निर्माण कार्य समिति की भुगतान के पूर्व स्वीकृति नही पायी गयी। अतः उक्त निरीक्षण पत्र के आलोक में 13वें वित्त आयोग की धनराशि रु.4,18,604.50 का पूर्णतः दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता, एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार है। इससम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। (आ0 सं0–9)

प्रस्तर संख्या–8 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जखनिया मजुई मार्ग में तालगांव मोनू राजभर के घर तक सी.सी. रोड़ के निर्माण पर व्यय श्री रधुनाथ यादव अवर अभियंता की देख रेख में रु.3,99,539.00 व्यय दर्शित है, इस कार्य के संबंध में निम्न आपतियां है –

(क) पत्रावली में संलग्न फोटो से स्पश्ट है कि पटरी 4'' में बिछाई गयी है अतः सी.सी.की मोटाई भी 4'' की हुई जबकि स्टीमेट एवं मापन में 8'' की बताई गयी है । अतः

PCC (1:6:12)	_	1 x 165 x 3 x 0.5 = 24.75 m^3
C.C.(1:2:4)	_	1 x 165 x 3 x 0.5 = 24.75m^3
Abstract of Cost		
PCC		24.75 x 1,990 = 49,252.50
CC		24.75 x 4,865.40 = 1,20,418.65
Total	-	**Rs. 1,69,671.15 or Rs.1,69,671.00**

उपरोक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मापन कार्य की पूर्णता के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया और न ही निमार्ण कार्य समिति की स्वीकृति ही प्राप्त की गयी। मात्र अवर अभियन्ता के मापन के आधार पर ही कुल भुगतान कर दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रु.1,69,671.00 का दुरूपयोग किया गया जिसके लिए अवरअभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। (आ0 सं0–10)

<u>प्रस्तर संख्या–9</u>.राज्य वित आयेाग के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला विधरिया, उमाशंकर गिरि के घर तक सी.सी.रोड के निर्माण पर जिला पंचायत द्वारा व्यय रु.3,99,329.00, स्टीमेंट रु.4 लाख के सापेक्ष किया जाना दर्शित है जिससे संबधित निम्न आपतियां है–

(अ) कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ, अतः नियमानुसार 1 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क न काटकर रु 4000.00 से संस्था को नुकसान पहुॅचाया गया ।

(ब) संलग्न फोटो से पूर्णतः स्पष्ट है कि सी. सी रोड की मोटाई $2\frac{1}{2}$"से 4" तक ही है, जबकि स्टीमेट व मापन में 8"की दिखायी गयी है । अतः

PCC (1:6:12)	=	1 x 165 x 3 x 0.5 = 24.75 m^3
C.C. (1:2:4)	=	1 x 165 x 3 x 0.5 = 24.75m^3
Abstract of Cost		
PCC		24.75 x 1,990 = 79,252.00
CC		24.75 x 4,865.40 = 1,20,418.65
Total		**1,69,671.15 or 1,69,671.00**

इस प्रकार उपरोक्त कार्य की गुणवत्ता व मापन के अनुसार कार्य की पूर्णता के संबंध में किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण नही किया गया एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुतिनही प्राप्त की गयी,मात्र अवर अभियन्ता के मापन के आधार पर रु.1,69,671.00 का भुगतान कर दुरूपयेाग किया गया है जिसके लिए अवर अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्शदाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है। (आ0 सं0–11)

<u>प्रस्तर संख्या–10.</u>गाजीपुर आजमगढ पिच मार्ग से मीडिल स्कूल तक राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन रु.4.00 लाख के सापेक्ष रु.4.00 लाख व्यय किया जाना दर्शित है, इसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है –

संग्लन फोटो से स्पष्ट है कि सी. सी. रोड की मुटाई $2\frac{1}{2}$" से 4" है जबकि मापन में 8" दर्शायी गयी है।

अतः

PCC (1:6:12) 1 x 1 x 170 x 3 x 0.05 x 1,900 = 50,745.00

C.C.(1:2:4) 1 x 1 x 170 x 3 x 0.05 x 4,865.40=1,24,068.00

Total 1,74,813.00

उपरोक्त कार्य की गुणवत्ता और मापन के अनुसार कार्य की पूर्णता के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण नही किया गयाहै एवं निर्माण कार्य समिति की संस्तुति नही प्राप्त की गयी है, मात्र अवर अभियन्ताके मापन के आधार पर भुगतान कर रु 1,74,813.00 का दुरूपयोग किया गया है। इसके लिए अवर अभियन्ता, अपर मुख्य अधिकारी व वित्त परामर्शदाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0–12)

<u>प्रस्तर संख्या–11.</u> राज्य वित्त के अन्तर्गत जमानिया–ताजपुरमाझा–ढढनी मार्ग पर अनिरूद्ध राय के दरवाजे से हरिजन बस्ती होते हुए एन.एच.–97 पर छोटे राम के घर तक सी. सी. रोड के निर्माण में स्वीकृत प्राक्कलन राशि रु.4.00 लाख के सापेक्ष रु.3,97,614.00 व्यय दर्शित है, जिस पर निम्नवत आपत्तियां है –

(अ) संलग्न फोटो से यह स्पष्ट है कि B/W दोनो तरफ नही है मात्र एक तरफ है।

अतः 1 x 100 x 1.15 x 0.20 =23x2695=61985.00 रू दुरूपयोगित रहा।

(ब)संलग्न फोटो से स्पष्ट है कि सी. सी. रोड की मुटाई अधिकतम $2\frac{1}{2}$" से 4" तक है जबकि मापन में 8" तक दर्शाया गया है । अतः

P.C.C. = 1 x 1 x 100 x 3 x 0.05 x 1990 = 29,850.00

C.C. & 1 x 1 x 100 x 3 x 0.05 x 4865.40 = 72,981.00

Total = Rs.1,02,831.00

दुरूपयोगित रहा।

उपरोक्त कार्य का निरीक्षण किसी भी जिम्मेवार अधिकारी द्वारा नही किया गया है और न गुणवत्ता व भुगतान के सम्बन्ध में निर्माण कार्य समिति की संस्तुति ही प्राप्त की गयी है जो आपत्तिजनक रहा। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में रु. 61,985.00 एवं रु. 1,02,831.00 कुल रु. 1,64,816.00 का दुरूपयोग प्रतीत होता है जिसके लिए अवर अभियन्ता श्री मिठाईलाल यादव एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार है। वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0–13)

<u>प्रस्तर संख्या–12.</u>निजी स्रोत से आय के मदों से सम्बन्धित समग्र अभिलेख, रजिस्टर, कर समाहर्ताओं को निर्गत कैशरसीदों, प्रयुक्त एवं अवशेश कैश रसीदों का विवरण/पंजिका, बैंक पासबुकें जिसमें निजी स्रोतों सें होने वाली आय जमा की गयी हो, आदि, तमाम प्रयासों के बाद भी उपलब्ध नहीं हो सका, जो अनिवार्य था। संस्था के आय–व्यय विवरणी एवंमांग, वसूली तथा बकाया विवरणी में जो विवरण दर्शित किए गए है उनकी जांच/मिलान में निम्नांकित गम्भीर तथ्य उद्घाटित हुए –

<u>(क) लाइसेन्स शुल्क</u>

वर्ष 2007–08 में 24.60 लाख वसूली दर्षित है यदि वर्ष 2007–08 की वसूली को शत–प्रतिशत मानते हुए प्रतिवर्ष न्यूनतम 10: की वृद्धि आकलित कर वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक गणना की जाये तो संस्था द्वारा अंकन रु.24.50 लाख का योजनाबद्ध तरीके से गोलमाल किया गया है, विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष 2007–08 में वसूली		24.60 लाख
वर्ष 2008–09 हेतु 10: वृद्धि वसूली योग्य धनराशि लगभग		27.06 लाख
वसूली दर्शित		28.68 लाख
अन्तर	(–)	1.62 लाख
वर्ष 2009–10 हेतु 10: वृद्धि वसूली योग्य धनराशि लगभग		29.76 लाख
वसूली दर्शित		26.75 लाख
अन्तर		3.01 लाख
वर्ष 2010–11 हेतु 10: वृद्धि वसूली योग्य धनराशि लगभग		32.73 लाख
वसूली दर्शित		22.85 लाख
अन्तर		9.88लाख
वर्ष 2011–12 हेतु 10: वृद्धि वसूली योग्य धनराशि लगभग		36.00 लाख
वास्तविक		22.77 लाख
अन्तर		13.23 लाख
कुल अंतर	(–)	1.62 + 3.01 + 9.88 + 13.23 = 24.50 लाख

संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गये आय–व्यय विवरण पत्रों के आधार पर तैयार की गयी तालिका में निजी स्रोत से सम्बन्धित शीर्षों की क्षति की स्थिति निम्नवत है:–

क्र.सं.	मद का नाम	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	आकलित क्षति
1.	विभव सम्पत्ति कर	आकडे उपलब्ध नही		16.83	18.51	20.36	10.00
2.	हड्डी चमडा	2.47	2.71	2.98	3.27	3.60	11.75
3.	लाइसेन्स	24.60	27.06	29.76	32.73	36.00	24.60
4.	कांजी हाउस	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06
5.	नौकाधार	8.57	9.42	10.36	11.40	12.54	4.76
6.	लेवी शुल्क	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.29
7.	तहबजारी	11.44	12.58	13.84	15.23	16.74	21.04
8.	दुकान	0.99	1.08	1.19	1.32	1.45	–
9.	मेला	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	–
10.	सम्पत्ति	0.36	0.39	0.44	0.48	0.52	0.13

उपरोक्तानुसार दर्शित तालिका में आकलित क्षति रु. 72.53 लाख पायी गयी। संस्था स्तर पर अनिवार्य रुप से निजी स्रोत से होने वाली आय का यद्यपि मदवार पंजी एंव मांग वसूली पंजी भी तैयार की गयी है, किन्तु ये पंजिकाए वर्ष लेखा परीक्षा के साथ विगत कुछ ही बर्षो की प्रस्तुत की गई जिनमें पिछली बकाया धनराशि को अग्रेनीत नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप पिछली बकाया धनराशि को विलुप्त कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुचाई जा रही है।यह भी सम्भव है कि बसूली कर्मी द्वारा बकाया/चालू करों की धनराशि वसूल कर संस्था में जमा न की जाती हो और इसे छिपाने की दृश्टि से अवशेश धनराशि को प्रदर्शित न करने की योजना की प्रवृत्ति अपनायी जाती हो। नीलामी की प्रकिया अपनाई जाती है अथवा नहीं यह भी ज्ञात नहो सका।

(ख) बड़े वाहनो के सापेक्ष कोई वसूली किसी भी वर्ष में नही दर्शित है जबकि नियमानुसार बड़े वाहनों पर भी कर वसूली से आय दर्शित की जानी चाहिए थी। ऐसा न कर इस मद से भी संस्था को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है। इसका दायित्व लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी पर है ।

(ग) विभव एवं सम्पत्ति कर मद में वर्ष 2008–09 में रु.5.21 लाख की नाम मात्रिक वसूली के साथ वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक की वसूलियॉ दर्शित की गयी है। विभव एवं सम्पत्ति कर संस्था की आय का एक प्रमुख स्रोत है,जिससे स्पश्ट है कि जिला में स्थित समस्त कर अवधारण योग्य इकाइयों पर कर का अवधारण नहीं किया गया है, या, वसूली करके धनराशि सीधे हड़प ली जा रही है।

(घ) बालू, मोरंग सम्बन्धी घाट नीलामी मद में संस्था पर कोई आय नही दर्शित की गयी है।विगत वर्षो में भी इनकी नीलामी से कोई आय नही दर्शित की गयी है जबकि जिला में नदी कें घाटो से खनन का कार्य होता रहा है।

उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के विन्दुओं को दृश्टिगत रखते हुए अपेक्षित है कि निजी स्रोत से आय सम्बन्धी पंजिका इकाईवार, मदवार, वर्षवार अवधारण, वसूली व बकाया के क्रम में तैयार कराकर वार्षिक लेखाबन्दी के साथ प्रस्तुत किये जाय तथाक्षति के वास्तविक आकलन हेतु प्रत्येक वर्ष समिति गठित कर उतरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। उतरदायित्व निर्धारित न किये जानें से निजी स्रोत की कर निर्धारण व वसूली प्रमावित रही। लेखा परीक्षाके अनुसार निजीस्रोत से आय मद में कुल क्षति रु. 72.53 लाख आंकलित की गयी है, जिसके लिए कर समाहर्ता, लेखाकार व अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही कियाजाना चाहिए। (आ0 सं0–14)

<u>प्रस्तर संख्या–13.</u> संस्था द्वारा राजकीय राजस्व यथा आयकर,व्यापारकर व रायल्टी की कटौती एवं जमा तथा शेष संम्बन्धी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। कैशबुक के अनुसार लेखा परीक्षा में तैयार किये गये विवरण के अनुसार राजकीय राजस्व मद में निम्नविवरण के अनुसार भुगतानों केसापेक्ष राजकीय राजस्व की कटौतिया की गयी है–

आयकर	व्यापारकर	रायल्टी	योग
7,65,096.00	12,72,920.00	64,144.00	21,02,160.00

वर्ष 2011–12 में राजकीय राजस्व मद में कुल कितनी कटेतीयां की गयी है तथा उनके सापेक्ष कितनी राशि धनराशि जमा व वर्षान्त में शेष रह गयी इस आशय का विवरण तैयार कराकर लेखा परीक्षा में इसकी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। राजकीय राजस्व की धनराशि के नियत शीर्षो की जमा की पुष्टि में लेखा परीक्षा में मात्र चालानों की कुछ प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनसे यह स्पश्ट है कि अधिकांश धनराशि अनियमित रूप से कैश जमा की गयी है जो आपत्रिजनक के साथ–2 असुरक्षित भी है।राजस्व की जमा धनराशि की पुश्टि में दाखिल रिटर्न/जमा सत्यापन प्रमाण पत्र/जिन बैंक खातो से धनराशि जमा की गयी, उनसे सम्बन्धित बैंक पास बुक/स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट उपलब्ध कराते हुए जमा धन राशि की पुष्टी हेतु सम्बनधित मदो के कोशागार स्टेटमेंट प्रस्तुत किये जाए इसकी पूर्ति हेतु लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उतरदायी हैं। वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। (आ0 सं0–15)

<u>प्रस्तर संख्या–14</u> संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार विभिन्न योजना में प्राप्त प्रयुक्त एवं अवशेष अनुदान की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार पाया गया –

क्र सं	योजना का नाम	प्रा0 शेष	वर्ष में प्राप्त	योग	वर्ष के प्रयुक्त	वर्षान्त में शेष
1	भू–राजस्व	–	–	–	–	–
2	बारहवाँ वित्त	6.18	–	6.18	1.63	4.55
3	तेरहवाँ वित्त	252.92	240.63	493.55	121.33	372.22
4	राज्य वित्त	435.82	466.59	902.41	269.93	632.48
5	सांसद निधि	–	–	–	–	–
6	विधायक निधि	–	–	–	–	–
7	मनरेगा	8.07	21.21	29.28	23.16	6.12
	योग	702.99	728.43	1,431.42	416.05	1,015.37

अनुदान पंजी के अनुसार 31.03.12 को रु 1015.37 लाख शासकीय अनुदान का धन अवशेष था और संस्था द्वारा संचालित 8 बैक खातों एवं ट्रेजरी में रु 1276.80 लाख अवशेष दर्शित है । संस्था यह स्पष्ट नही कर सकी कि शासकीय अनुदान 1015.37 लाख के अतिरिक्त लगभग रु 261.43 लाख रु किस मद का पड़ा हुआ है स्पष्ट किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा जो बैंक खाते संचालित किये जा रहे है उन खातो का इस तरह से चिन्हांकन नही किया गया है कि किस खाते में किस योजना का धन जमा है । इस कारण आडिट में यह पुष्ट नही किया जा सका कि वास्तव में आलोच्य वर्ष में योजनावार कितना धन खर्च किय गया, कितना धन शेष रह गया। नियमानुसार अनिवार्य रूप से प्रत्येक खातें का चिन्हांकन होना चाहिए जो जानबूझकर अनियमियतता की गयी है। इस कार्य प्रणाली के चलतें यह प्रमाणित नही किया जा सकता कि संस्था को निजी स्रोत से होनेवाली आय को बैंक खाते में जमा किया भी गया है अथवा नही। यदि किया भी गया है तो किस खाते में। यह भी संभव है कि प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा भी न किया गया हो और हड़प लिया गया हो। बैंक खातो मे 31–03–2012 को पडा धन 1276.80 लाख में योजनावार कितना शासकीय धन है स्पष्ट करते हुए नियमानुसार संवंधित विभागों को वापस न किये जाने का कारण अज्ञात रहा नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के क्रम में आडिट का मत है कि संस्था द्वारा जानबूझकर प्रत्येक येाजना के अलग–2 खातें नही खेाले गये है वर्षान्त में शेष शासकीय धन को वापस नही किया गया है। निजी और अन्य स्रोतों से होने वाली आय को छिपाने के उद्देश्य से संभवतः जानबूझकर इस तरह से खातों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेवार है ।

(आ0 सं0–16)

<u>प्रस्तर संख्या–15.</u>संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 मे मनरेगा मद में कुल रु.23.16 लाख व्यय दर्शित किया गया है, जिसमें सामग्री अंश में रु. 3,76,439.00 और श्रमांश के रूप में रु.19,39,560.00 व्यय दर्शित है।इस धनराशि को विगत वर्शों से हस्तगत 4 परियोजनाओं पर मिट्टी 3316.36 घन मी0 एवं वर्ष 2011–12 की 21 परियोजनाओं पर मिट्टी 35,702.48 धन मी0 कुल 39,018.89 घन मीटर मिट्टी कटाई पर व्यय

दर्शित की गयी है, जिसपर आय कर के रूप में रु.1,170.00+रु.8,279.00 कुल राशि रु.9,449.00 कटौती दर्शित है किन्तु शासनादेश के अनुसार / 9.00 प्रतिघन भी की दर से रु 3,51,169.56 रायल्टी के रूप में राजस्व कटौती शासनादेश के अनुसार किये जाने के संबंध में स्थिति व कारण स्पष्ट नही किया गया जो चिंताजनक है ।

दूसरी तरफ दर्शित कार्यो में निम्नांकित गभीरताएँ प्रकाश में आयी –

(क) कार्य प्रभारियों द्वारा किस विकास खंड से और किस माध्यम से एम. आर. प्राप्त किया गया और सामग्री आपूर्ति हेतु क्रम आदेश उपलबध नही रहे।

(ख)कार्य प्रभारियो द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया ।

(ग)मनरेगा मजदूर किन ग्राम पंचायतो के रहे और किन–2 कार्यो पर उन्हें कार्य आवंटित किया गया और सम्बन्धित ग्राम पंचायत से मजदूर मांग पत्र उपलब्ध नही रहे ।

(घ)पत्रावलियों में मात्र सामग्री कम बाउचर और मस्टर रोल ही संलग्न पाये गये जिनको लेकर

उपरोक्त विन्दु 'क' से 'ग' के दृष्टिगत इन्हे वास्तविक मानना संभव नही हो पा रहा है क्योकि मस्टर रोल में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज है वे मनरेगा मजदूर है भी अथवा नही। उपरोक्त के अभाव में यह पुष्ट किया जाना सम्भव नही हो सका ।

उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में अपेक्षित है कि यदि संस्था द्वारा मनरेगा मद में दर्शित व्यय रु.23.16 लाख और दर्शित कार्य की पुष्टि में सबंधित ग्राम पंचायतों की मनरेगा मजदूरों की प्रमाणित सूची और मांग पत्र (मजदूर एवं मस्टर रोल) लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये अन्यथा दर्शित व्यय एवं दर्शित कार्य संदिग्धहै। संदिग्ध होने कि स्थिति में दर्शित राशि का दुरूपयोग संभावित है जिसके लिए कार्यप्रभारी और अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। वैधानिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। (आ0 सं0–17)

जिला पंचायत – जौनपुर

आपत्तियो का विवरण

जिला पंचायत :–	जिला पंचायत जौनपुर	
प्रस्तर संख्या 1	निजी स्रोत से आय के मदों से सम्बन्धित मूल भूत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण पुष्टि नही हुई ।	रू0 72.99 लाख
प्रस्तर संख्या 2	आयकर तथा रायल्टी मद की कटौती धनराशि की जमा की यथोचित पुष्टि नही करायी गयी।	रू0189.18 लाख
प्रस्तर संख्या 3	अनुदान पंजिका में वर्षान्त दर्शित अवशेष धन व बैंक खातों में दर्शित वर्षान्त अवशेष धनराशियों की स्थिति स्पष्ट नही रही न ही वापस की गई।	रू0 2130.38 लाख
प्रस्तर संख्या 4		
प्रस्तर संख्या 30	बालू खनन की नीलामी प्रक्रिया के अभिलेख जांच में अप्रस्तुत रहें।	शून्य

प्रस्तर संख्या 5	प्रति वर्ष बैंकों से प्रादभूत व्याज की धनराशियों का स्पष्ट विवरण न रख कर धन का दुरूपयोग	रू0146.35 लाख
प्रस्तर संख्या 6	निर्माण कार्यो पर व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशियों की पुष्टि वर्णित 6 तथ्यात्मक कारणों से नही हो पाई अतः कार्य न कराकर धन का दुरूपयोग किया गया।	रू0 3035.64 लाख

मण्डल का नाम :– विन्ध्याचल

जिला पंचायत– मीरजापुर, सोनभद्र

आपत्तियो का विवरण –शून्य

प्रस्तर संख्या – 1

मोढ़ बाजार सी0सी0 रोड सब बेस निर्माण कार्य एवं बारी बिन्द बस्ती से मकोली के दुकान तक सी0सी0 रोड सब बेस के निर्माण कार्य में परिहार्य व्यय करके संस्था के अनुदान की धनराशि रू 369779.00 का दुरूपयोग किया गया।

प्रस्तर संख्या – 2

संस्था की निजी स्रोत की पूंजी सम्पत्ति एवं विभव कर के विगत वर्षो की वसूली न करने के कारण बकाया पड़ने से संस्था को रू 21840719.00 की आर्थिक क्षति।

प्रस्तर संख्या – 3

जिला पंचायत के कतिपय विकास खण्डो में चल रहे एवं पंजीकृत बड़े वाहनों ट्रक, मिनी बस, जीप आदि जिन पर पिछले वर्षो में सी0पी0 टैक्स अवधारित किया गया आलोच्य वर्ष 2011–2012 में बिना शासन से अथवा उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त करे ही मनमाने ढ़ंग से अपर मुख्य अधिकारी श्री जी.एन.सिंह द्वारा सम्पत्ति एवं विभव कर निर्धारण से मुक्त करके संस्था को रू 512000.00 की क्षति पहुॅचायी गयी।

प्रस्तर संख्या – 4

वर्ष 2011–2012 में तहबाजारी की वसूली में शिथिलता करके अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संस्था को रू 28125.00 की क्षति पहुॅचायी गयी।

प्रस्तर संख्या – 5

वर्ष 2011–2012 में घाट नीलामी की वसूली में शिथिलता करके अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संस्था को रू 28100.00 की क्षति पहुॅचायी गयी।

प्रस्तर संख्या – 6

संस्था की बालू मोरंग एकत्रित घाट की वसूली में शिथिलता के कारण वर्ष 2011–2012 मे इस मद में बकाया पड़ने के कारण संस्था को रू 57850.00 की आर्थिक क्षति हुयी।

प्रस्तर संख्या – 7

हड्डी, चमड़ा एवं सींग की नीलामी की धनराशि समयान्तर्गत वसूली नही की गयी, अतः वर्ष 2011–2012 में वसूली की शिथिलता के कारण संस्था को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा रू 29930.00 की आर्थिक क्षति पहुॅचायी गयी।

प्रस्तर संख्या – 8

वर्ष 2011–2012 में वसूली में शिथिलता के कारण **गोपीगंज** एवं **ज्ञानपुर** जिला पंचायत परिसर में स्थित दुकानों पर क्रमशः रू 29795.00 व रू 13718.00 की धनराशि बकाया पड़ने के कारण संस्था को रू 45513.00 की आर्थिक क्षति हुई।

प्रस्तर संख्या – 9

मृतस्कन्ध पंजिका मे प्रविष्टि न करके भौतिक सत्यापन न कराकर वर्ष 2011–2012 में मृत स्कन्ध क्रय मरम्मत एवं पालिस में व्यय दर्शाकर संस्था के रू 219240.00 का दुरूपयोग हुआ।

प्रस्तर संख्या – 10

संस्था में गाड़ी उपलब्ध परन्तु उसकी मरम्मत न कराकर वर्ष भर किराये की गाड़ी का प्रयोग कर संस्था को रू 174000.00 की आर्थिक क्षति हुई।

प्रस्तर संख्या – 11

ईट भठ्ठो के लाइसेन्स से वर्ष 2011–2012 की वसूली में शिथिलता के कारण बकाया पड़ने से संस्था को रू 24000.00 की आर्थिक क्षति हुई।

प्रस्तर संख्या – 12

शासनादेश की अनदेखी करके 13वे वित्त आयोग की प्रथम किस्त से जलापूर्ति एवं स्वच्छता, मरम्मत एवं अनुश्रवण व मरम्मत पर व्यय न करके नवीन प्रकृति की योजना में स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करना एवं तद्नुसार स्थायी प्रकृति के कार्य कराये गये है, अतः राजाज्ञा एवं निर्देशों के विपरीत रू 5603312.00 का कार्य कराया गया।

प्रस्तर संख्या – 13

वर्ष के अन्त में अनुदान की अवशेष धनराशि रू 306.00 लाख की धनराशि का समय से उपयोग नही किया गया है।

प्रस्तर संख्या – 14

वर्ष आलोच्य में अनुदान की धनराशि से रू 30.13 लाख वेतन एवं पेन्शन मद में स्थानान्तरित किया गया है।

मण्डल का नाम : फैजाबाद

जिला पंचायत बाराबंकी

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1 **निजी श्रोत के मदों में अवधारित करों की वसूली न कर संस्था को क्षति पहुँचाना** :– विभव एवं सम्पत्ति, तहबाजारी एवं नौकाघाट, पशु शव निस्तारण ठेका एवं भवन किराया के मदों में जिला पंचायत बाराबंकी द्वारा कर किराया आदि का अवधारण किया गया है तथा इसकी वसूली का दायित्व भी जिला पंचायत बाराबंकी का है। अवधारित कर किराये की वसूली में प्रभावी कार्यवाही का अभाव पाया गया । जिससे जिला पंचायत बाराबंकी को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। दिनॉक 31.3.12 को जिला पंचायत बाराबंकी में निम्न विवरणानुसार रू0 689.056 लाख की धनराशि वसूली हेतु बकाया थी। जिसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

धनराशि लाख रूपये में

कंमाक	जिला पंचायत का नाम	विभव व सम्पत्ति कर	तह बाजारी	पषु शव निस्ताारण ठेका	दुकान /बगला /भवन किराया	नौका/घाट	योग
1	2	3	4	4	5	5	6
	बाराबंकी	258.821	.818	9.971	416.837	2.609	689.056

प्रस्तर–2 जिला पंचायतों द्वारा वित्त पोषित अन्त्योदय, स्थानीय विकास तथा स्पेषल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत वितरित ऋण एवं व्याज की वसूली नही की जा रही है। जिस कारण राज्य सरकार की ही धनराशि अवरूद्ध है। 31–3–2012 की निम्नवत् जिला पंचायत पर रू0 93.77380 की धनराशि वसूली हेतु लम्बित है। जिसकी वसूली सम्बन्धित पक्षकारों से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न है–

क्र0 स0	नाम जिला पंचायत	धनराशि (लाख रूपयों में)	योग
1	2	3	4
1	बाराबंकी	93.77380	93.77380

प्रस्तर–3 वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला पचायतों के प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नही किया गया जिस कारण 31–03–12 को रू0 857.61879 की धनराशि अवषेष/अप्रयुक्त रही। दर्शित धनराशि में विगत वर्ष से प्राप्त अनुदानों की शेष धन भी सम्मिलित है। प्राप्त अनुदानों का समय से अनुदान का उपयोग किये जाने हेतु प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न है :–

क्र0 स0	नाम जिला पंचायत	बी0आर0जी0एफ0 निधि	सांसद निधि	योग
1	2		3	4
1	बाराबंकी	856.76762	0.85117	857.61879

मण्डल का नाम : देवीपाटन

जिला पंचायत – श्रावस्ती

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

कम सं0	जिला पंचायत का नाम	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
			कुल	हरण
			6	
	श्रावस्ती	(1) हड्डी चमडा नीलामी की बकाया जो विगत वर्शो से चली आ रही है।	231735.00	
		(2) तहबाजारी नीलामी हेतु अपने ही बनाये गये नियम की बोली दाता से सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने के पष्चात ही अधिकार पत्र दिया जायेगा बिना सम्पूर्ण धनराशि जमा हुए ही अधिकार पत्र दे दिया गया एवं बकाया धनराशि की आडिट वसूली न हो सकी । (आ0 सं0 12)	103000.00	
		(3) मत्स्य ठेका नीलामी की बकाया धनराशि (आ0 सं0 13)	99000.00	
		(4)घाट नीलामी की बकाया धनराशि जो आडिट जो वसूल न हो सकी। (आ0 सं0 13)	317055.00	317055.00
		(5) पौण्ड ठेका नीलामी बकाया धनराशि जो आतिथि वसूली न हो सकी। (आ0 सं0 15)	12250.00	
		(6) स्टाम्प षुल्क द्वारा राजस्व की क्षति राज्य सरकार को पहुंचायी गयी (आ0 सं0 016)	55606.00	
	श्रावस्ती	(7) अनियमित व्यय दर्शाकर	8433583.00	

		धनराशियों का अनियमित भुगतान।(आ0 सं0 18)	88391.00	
	शासनादेश	(8) शासन के मितव्ययिता सम्बन्धित आदेश का उल्लंघन करके धन का दुरूपयोग कर क्षति पहुंचायी गयी। (आ0 सं0 19)	368721.00	
		(9) शासनादेश के प्राविधानों के विरूद्ध व्यय दर्शाकरके धन का दुरूपयोग कर क्षति पहुंचायी गयी। (आ0 सं0 20)	1392432.00	
		(10) संस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कराकर अनियमित व्यय (आ0 सं0 21)	752658.00	752658.00
		(11) बी0 आर0 जी0 एफ0 अनुदान का फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। (आ0 सं0 22)		
		योग	11854431	752658.00

मंडल आगरा

जिला पंचायत– आगरा

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1–बकाया अग्रिम वूसली/समायोजन न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों/ ठेकेदारों से बकाया की वसूली न किया जाना

वसूली की धनराशि रू0 8.73 लाख

प्रस्तर–2–बकाया किराया/अवधारित करों की वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा वर्ष में अवधारित करों व पूर्व वर्षो के बकाया करों की वसूली न किया जाना

वसूली की धनराशि रू0 24.42 लाख

प्रस्तर–3–विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि व पासबुक में अंकित धनराशि में अंतर के संदर्भ में –अंतरिम आपत्तियों के बाबजूद बैंकों से अंतर का समाधान नहीं कराया गया जिससें संस्था को रू0 19.09 लाख की हानि हुई है।

वसूली की धनराशि रू0 19.09 लाख

प्रस्तर–4–सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना व्यय किया जाना– मंडलायुक्त/ सक्षम अधिकारी स्वीकृति के बिना रू0 1.34 लाख अनियमित व्यय किया गया है।

वसूली की धनराशि रू0 1.34 लाख

प्रस्तर–5–विभिन्न प्रमाणकों के बिना व्यय किया जाना– डीजल क्रय व अन्य क्रय का भुगतान समुचित प्रमाणकों के बिना किया गया है। 0.10 लाख अनियमित व्यय किया गया है।

वसूली की धनराशि रू0 0.10 लाख

प्रस्तर–6–प्राप्त अनुदानों का उपयोग न किया जाना– वर्षान्त में प्राप्त अनुदानों में से रू0 730.04 लाख शेष रहा है। साथ ही समय से कार्य योजना पूर्ण न होने के फलस्वरूप लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण संस्था को हानि का सामना करना पडा है।

वसूली की धनराशि रू0 0.00 लाख

संस्था का नाम – जिला पंचायत अलीगढ़, हाथरस

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12 –शून्य।

जिला पंचायत मथुरा

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1–बकाया अग्रिम वूसली/समायोजन न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों/ ठेकेदारों से बकाया की वसूली न किया जाना–तहबजारी, पशुशव निस्तारण, ठेका, आदि मदों का धन वसूल किया जाना है।

वसूली की धनराशि रू0 37.37 लाख

प्रस्तर–2–जिला पंचायत के विभिन्न खातों व बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में अंतर – जिला पंचायत को प्राप्त अनुदान जो बैंक खातों में जमा है, में जिला पंचायत के खातों व बैंक विवरण पत्र अंतर का समाधान न करने के कारण रू0 2.20 लाख की हानि हुई है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी व कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 2.20 लाख

प्रस्तर–3–प्राप्त अनुदानों का उपयोग न किया जाना– वर्षान्त में प्राप्त अनुदानों में से रू0 278.14 लाख शेष रहा है। साथ ही समय से कार्य योजना पूर्ण न होने के फलस्वरूप लागत मूल्य में वृद्धि होने के कारण संस्था को हानि का सामना करना पडा है।

वसूली की धनराशि रू0 0.00 लाख

जिला पंचायत एटा

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर 1 –वर्ष 2010–11 में जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य पाया गया कि आयकर व व्यापार कर की कटौती न कर या कम कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा न कराकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी। जिसके लिए सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। वर्ष 2011–12 में निम्न विवरणानुसार रू0 0.04 लाख की आपत्ति पायी गयी। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	0.04	13

प्रस्तर–2 –वर्ष 2011–12 में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिला पंचायतों में कार्यरत कार्मिको के पेन्शन, वेतन आदि पर जो व्यय किया जा रहा है। उसके सापेक्ष संस्था निजी आय कम है जिस कारण संस्था के द्वारा अपने घाटे की प्रतिपूर्ती हेतु अपने श्रोतो की आय में वृद्धि करना चाहिए था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं करते इस घाटे की प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त विभिन्न निर्माण अनुदानों से किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	17.990	01

प्रस्तर 3–वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला पंचायत के प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किया गया। जिस कारण 31.03.12 को दर्शित अनुदानों में विगत वर्षो से प्राप्त अनुदानों की शेध धन भी सम्मिलित है। प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप जनता को मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ता है साथ–साथ सम्बन्धित कार्यो की लागत भी बढ़ जाती है, जिस कारण बढ़ी लागत की राशि से संस्था को क्षति उठानी पड़ती है। अतः समय से अनुदान का उपयोग किये जाने हेतु प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न है:–

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	798.551	7

जिला पंचायत मैनपुरी

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1–बकाया अग्रिम वूसली/समायोजन न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों/ ठेकेदारों से बकाया की वसूली न किया जाना–तहबजारी, पशुशव निस्तारण, ठेका, आदि मदों का धन वसूल किया जाना है।

वसूली की धनराशि रू0 26.33 लाख

प्रस्तर–2–जिला पंचायत के विभिन्न खातों व बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में अंतर – जिला पंचायत को प्राप्त अनुदान जो बैंक खातों में जमा है, में जिला पंचायत के खातों व बैंक विवरण पत्र अंतर का समाधान न

12. दिनांक 31.03.12 को नक्शा पूंजी एवं जिम्मेदारी में रु0 21675.00 विगत वर्षों की भांति ही जिला पंचायत कर्मचारियों पर आवासीय/ वाहन ऋण अवशेष दर्शाया गया है। इस राशि के वसूली के प्रयास शून्य रहे है। प्रभावी कार्यवाही पर, प्राप्त राशि की वसूली हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

13. आलोच्य वर्ष 2011–12 में मेला प्रदर्शनी से आय मात्र रु0 2.96 लाख शुक्रताल में लगने वाले प्रतिवर्ष दो मेलों से छोड़े गये ठेकों से हुई है जो गत वर्ष की अपेक्षा आंशिक रूप से अधिक है जबकि नियमानुसार गत वर्ष की आय से लगभग 10 प्रतिशत अधिक होना चाहिए था। आलोच्य वर्ष में रु0 17.96 लाख मेला व्यय दर्शाया गया है जबकि गत वर्ष उक्त व्यय रु0 16.55 लाख था। मेला व्यय के नाम पर मनमाने ढंग से खर्चा किया जा रहा है। मेले के नाम पर किये गये व्यय पर कोई भी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। व्यय के विरुद्ध मेला आय में कमी आयी है। यह विचारणीय प्रकरण है। इस ओर संस्था प्रबन्ध का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

14. तेहरवें वित आयोग से प्राप्त अनुदान से ग्राम अम्बरपुर विकास खण्ड खतौली में कराये गये सी0सी0 कार्य की पत्रावली की जांच पर निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आईः–

(क) प्रथम रूप में उत कार्य श्री छतरपाल शर्मा ठेकेदार को रु0 635025.00 के लिये स्वीकृत था। इसी सन्दर्भ में दिनांक 11.12.11 में श्री जयवीर सिंह लिपिक द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि स्वीकृत कार्य में से 60 मीटर पर विवाद होने के कारण शेष कार्य करा दिया गया हैं जबकि इस बाबत कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। टिप्पणी के अन्त में पुनः टैण्डर लिये जाने का उल्लेख किया गया है, यह टिप्पणी अपने आप में भ्रमात्मक है।

(ख) दिनांक 14.12.11 में वित्तीय परामर्शदाता द्वारा टिप्पणी की है कि स्थान परिवर्तन की दशा में नियमानुसार शासन को अवगत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बगैर अवगत कराये व बिना अनुमति लिये दूसरे स्थल पर कार्य कराने के बाबत टैण्डर आमन्त्रित किया जाना अनियमित रहा।

(ग) दिनांक 07.05.12 में पुनः वित्तीय परामर्शदाता द्वारा टिप्पणी की है कि तेहरवें वित अनुदान से कराये जाने वाले कार्य स्थल की परिवर्तन की सूचना शासन को दी जाये तथा अवलिम्ब के कारण से भी अवगत कराया जाये। ऐसा न कर नियमानुसार लगायी गयी टिप्पणियों का परिपालन भी नहीं किया गया। इस प्रकार कराया गया कार्य अनियिमत रहा है। विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

जिला पंचायत एटा

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर 1 –वर्ष 2010–11 में जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य पाया गया कि आयकर व व्यापार कर की कटौती न कर या कम कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा न कराकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी। जिसके लिए सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। वर्ष 2011–12 में निम्न विवरणानुसार रू0 0.04 लाख की आपत्ति पायी गयी। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	0.04	13

प्रस्तर–2 –वर्ष 2011–12 में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिला पंचायतों में कार्यरत कार्मिको के पेन्शन, वेतन आदि पर जो व्यय किया जा रहा है। उसके सापेक्ष संस्था निजी आय कम है जिस कारण संस्था के द्वारा अपने घाटे की प्रतिपूर्ती हेतु अपने श्रोतो की आय में वृद्धि करना चाहिए था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं करते इस घाटे की प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त विभिन्न निर्माण अनुदानों से किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	17.990	01

प्रस्तर 3–वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला पंचायत के प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किया गया। जिस कारण 31.03.12 को दर्शित अनुदानों में विगत वर्षो से प्राप्त अनुदानों की शेष धन भी सम्मिलित है। प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप जनता को मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ता है साथ–साथ सम्बन्धित कार्यो की लागत भी बढ़ जाती है, जिस कारण बढ़ी लागत की राशि से संस्था को क्षति उठानी पड़ती है। अतः समय से अनुदान का उपयोग किये जाने हेतु प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न है:–

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	798.551	7

जिला पंचायत मैनपुरी

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1–बकाया अग्रिम वूसली/समायोजन न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों/ ठेकेदारों से बकाया की वसूली न किया जाना–तहबजारी, पशुशव निस्तारण, ठेका, आदि मदों का धन वसूल किया जाना है।

वसूली की धनराशि रू0 26.33 लाख

प्रस्तर–2–जिला पंचायत के विभिन्न खातों व बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में अंतर – जिला पंचायत को प्राप्त अनुदान जो बैंक खातों में जमा है, में जिला पंचायत के खातों व बैंक विवरण पत्र अंतर का समाधान न

समस्त बकायादारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अपनाकर वसूली हेतु संस्था प्रबंध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

4. संस्था के कर एवं लाईसेंस अनुभाग द्वारा वैभव कर खातों की दिनांक 31.03.12 को लेखाबन्दी कच्ची पेंसिल से की गई है। प्रत्येक खाते में उनका गोश्वारा पक्की पेन्सिल से तैयार नहीं किया गया है। कर अनुभाग द्वारा उपलबध कराये गये आंकडों के आधार पर रु0 647.77 लाख वैभव कर का अवशेष दर्शित है। इतनी भारी मात्रा में बकाया राशि होने से स्पष्ट होता है कि संस्था कर्मचारियों द्वारा वसूली कार्य में शिथिलता अपनायी जा रही है। साथ ही बार बार आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी संस्था प्रबन्ध इस प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन है। बकाया राशि की वसूली हेतु जिला पंचायत की गोष्ठी में ठोस निर्णय कर तथा कर अनुभाग के कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित कर संस्था प्रबंध का ध्यान एवं विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

5. दिनांक 31.03.12 को अस्थायी पंजिका (प्रपत्र सं0 35) की जांच पर पाया गया कि रु0 14381.31 पावना शेष दर्शित है। यह वर्ष 1992–93 से भारतीय तेल निगम से बाबत तारकोल का पावना चला आ रहा है। इस पावने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेखा परीक्षा अनुसार यह पावना अशोध्य प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा तैयार किये गये पूंजी एवं जिम्मेदारी के नक्शे में रु0 14381.31 की राशि को पावना में नहीं दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

6. दिनांक 31.03.12 को तैयार किये गये नक्शे पूंजी एंव जिम्मेदारी में रु0 187.14 लाख रु0 मृतक पशु शव निस्तारण ठेकों की कुल वसूल धनराशि का 1/2 भाग ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना दर्शाया गया है। उपरोक्त राशि में प्रत्येक वृद्धि हो रही है किन्तु इसका कोई भी विवरण तैयार नहीं रखा गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस–किस ग्राम पंचायत को किस–किस वर्ष का कितना–कितना धन देय है। संस्था द्वारा समस्त धन को अपने कारोबार में प्रयुक्त कर रखा है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। समस्त विवरण तैयार करते हुए धन का वितरण सुनिश्चित करने हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यन विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

7. दिनांक 31.03.12 को रु0 6019.68 लाख अचल सम्पत्तियों का मूल्य दर्शाया गया है किन्तु इसे संस्था द्वारा तैयार कियेगये नक्शा पूंजी एवं जिम्मेदारी में नहीं दर्शाया है जिसके अभाव में संस्था की वास्तविक पूंजी का आंकलन अस्पष्ट एवं अशुद्ध है। इसके अतिरिक्त इस सम्पत्ति का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा शासनादेश सं0–478–33–2–2009–11$^{जी0}$/04 दि0 16.02.2009 के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

जिला पंचायत एटा

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर 1 –वर्ष 2010–11 में जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा में यह तथ्य पाया गया कि आयकर व व्यापार कर की कटौती न कर या कम कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा न कराकर राजकीय राजस्व की क्षति पहुचायी गयी। जिसके लिए सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता उत्तरदायी है। वर्ष 2011–12 में निम्न विवरणानुसार रू0 0.04 लाख की आपत्ति पायी गयी। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	0.04	13

प्रस्तर–2 –वर्ष 2011–12 में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिला पंचायतों में कार्यरत कार्मिको के पेन्शन, वेतन आदि पर जो व्यय किया जा रहा है। उसके सापेक्ष संस्था निजी आय कम है जिस कारण संस्था के द्वारा अपने घाटे की प्रतिपूर्ती हेतु अपने श्रोतो की आय में वृद्धि करना चाहिए था परन्तु संस्था द्वारा ऐसा नहीं करते इस घाटे की प्रतिपूर्ति शासन से प्राप्त विभिन्न निर्माण अनुदानों से किया गया जो एक गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी तथा लेखाकार उत्तरदायी है। विवरण निम्न है।

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	17.990	01

प्रस्तर 3–वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला पंचायत के प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किया गया। जिस कारण 31.03.12 को दर्शित अनुदानों में विगत वर्षो से प्राप्त अनुदानों की शेध धन भी सम्मिलित है। प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किए जाने के फलस्वरूप जनता को मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ता है साथ–साथ सम्बन्धित कार्यो की लागत भी बढ़ जाती है, जिस कारण बढ़ी लागत की राशि से संस्था को क्षति उठानी पड़ती है। अतः समय से अनुदान का उपयोग किये जाने हेतु प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरण निम्न है:–

क्र	नाम जिला पंचायत	धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति संख्या
1	एटा	798.551	7

जिला पंचायत मैनपुरी

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1–बकाया अग्रिम वूसली/समायोजन न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों/ ठेकेदारों से बकाया की वसूली न किया जाना–तहबजारी, पशुशव निस्तारण, ठेका, आदि मदों का धन वसूल किया जाना है।

वसूली की धनराशि रू0 26.33 लाख

प्रस्तर–2–जिला पंचायत के विभिन्न खातों व बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में अंतर – जिला पंचायत को प्राप्त अनुदान जो बैंक खातों में जमा है, में जिला पंचायत के खातों व बैंक विवरण पत्र अंतर का समाधान न

करने के कारण रू0 17.55 लाख की हानि हुई है। जिसकी वसूली अपर मुख्य अधिकारी व कैशियर से की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि रू0 17.55 लाख

प्रस्तर–3–सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना व्यय किया जाना– मंडलायुक्त/ सक्षम अधिकारी स्वीकृति के बिना रू0 2.97 लाख अनियमित व्यय (मृत स्कंध क्रय) किया गया है।

वसूली की धनराशि रू0 2.97 लाख

प्रस्तर–4–अनुबंध शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि राजकीय कौषागार में जमा न कराकर राजस्व को क्षति पहुचाई गई है।

प्रस्तर–5–अनियमित व्यय किया जाना– डीजल व स्टेशनरी मद में व्यय की पुष्टि में स्टाक पंजिका/ उपभोग पंजिका में लेखांकन नही किया गया है।

वसूली की धनराशि रू0 1.66 लाख

प्रस्तर–6–राजकीय अनुदान को अनियमित ढ़ग से रोक रखना– राजकीय अनुदान शासन को प्रत्यावर्तित न कर रोके रखा गया है। जो अनियमित है। इस धनराशि की सावधि जमा बनवाकर सूद प्राप्त किया गया है।

वसूली की धनराशि रू0 1.20 लाख

प्रस्तर–7–पेंशन व वेतन मद में व्यय किया जाना– पेंशन व वेतन मद में अनुदान से प्राप्त धन का व्यय किया गया है।

वसूली की धनराशि रू0 94.62 लाख

प्रस्तर–8–कैश रसीदों का धन समय से बैंक में जमा न किया जाना– वसूली का धन समय से बैंक में जमा न कर संस्था को व्याज की हानि हुई है। जिसकी वसूली है।

वसूली की धनराशि रू0 00.04 लाख

जिला पंचायत फिरोजाबाद

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1– ईट भटट्ों से राजस्व की वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के ईट भटट्ो से राजस्व की वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 1.80 लाख की हानि हुई।

वसूली की धनराशि रू0 1.80 लाख

प्रस्तर–2– शीत गृहो सें लाइसेंस शुल्क की वसूली न किया जाना – संस्था के कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा शीतगृहों से राजस्व की ससमय वसूली नहीं की गई। जिससे जिला पंचायत को रू0 1.26 लाख की हानि हुई।

वसूली की धनराशि रू0 1.26 लाख

प्रस्तर–3– तहबजारी ठेकों को निर्धारित से कम दर पर देना – संस्था को रू0 337500.00 कर हानि निर्धारित से कम दर पर ठेके उठाये जाने के कारण हुई है। जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि	रू0 3.375 लाख

प्रस्तर–4– नौकाघाट एवं मृतशव पशु विच्छेदन ठेकों के कारण हानि – संस्था को नौकाघाट ठेकों से रू0 5.72 लाख की तथा मृतशव पशु विच्छेदन ठेकों से रू0 9.32 लाख की हानि हुई है। जिसकी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली की जानी अपेक्षित है।

वसूली की धनराशि	रू0 5.72 लाख
वसूली की धनराशि	रू0 9.32 लाख

प्रस्तर–5– अनियमित निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के कराया जाना– तेरहवां वित्त से रू0 27135877.00 तथा राज वित्त से रू0 25819236.00 व्यय निर्माण एवं अन्य मदों में किया गया है। जिस प्रति आवश्यक विवरण/अभिलेख जॉच हेतु उपलब्ध न कराये गये। किया गया व्यय अपुष्ट रहा।

मंडल सहारनपुर

जिला पंचायत मुजफ्फरनगर

वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में पाई गई गंभीर आपत्तियाँ:–

1. दिनांक 31.03.12 को संस्था की रोकड बही अनुसार रु0 527940.00 नकद रोकड़ दर्शाया गया है। संस्था में नकद रोकड़ शेष रखने की काई व्यवस्था एवं प्राविधान नहीं है। सम्पूर्ण लेन–देन बैंक एवं कोषागार खातों से होता है। जिला पंचायत की तिजोरी का बीमा न होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय में नकद धन रखा जाना अनियिमत रहा है।

   उक्त के अतिरिक्त रु0 34800.00 श्री सुभाष चन्द कोषाध्यक्ष के पास दिनांक 31.03.12 को रोकड़ अवशेष दर्शित था जिसे नकद के साथ अर्थात रु0 562740.00 रोकड़ शेष दर्शाया जाना चाहिए था। अतः रु0 34800.00 से कम रोकड़ शेष अशुद्ध स्थिति में रहा है जो गंभीर प्रकरण है इस प्रति संस्था प्रबंध का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है।

2. दिनांक 31.03.12 को रु0 1434.57 लाख अप्रयुक्त अनुदान शेष दर्शाया गया है। इस राशि में रु0 602.21 लाख तेरहवां वित अयोग का तथा रु0 832.36 लाख राज्य वित आयोग का सम्मिलित है। उक्त से स्पष्ट है कि जिन राजाज्ञाओं के अधीन उपरोक्त अनुदान प्राप्त हुए है। उनमें अउल्लेखित अनुदान उपयोग की निर्धारित सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। इस प्रति संस्था प्रबन्ध का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3. दिनांक 31.03.12 को रु0 17.31 लाख मृत पशु शव निस्तारण के ठेकेदारों से विगत वर्षो से पुराना पावना दर्शाया जा रहा है जिनकी वसूली हेतु विविध अथवा ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लायी जा रही है जिस कारण से उक्त पावना लेखा परीक्षा अनुसार अशोध्य स्थिति में प्रतीत होता है। अतः

समस्त बकायादारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अपनाकर वसूली हेतु संस्था प्रबंध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

4. संस्था के कर एवं लाईसेंस अनुभाग द्वारा वैभव कर खातों की दिनांक 31.03.12 को लेखाबन्दी कच्ची पेंसिल से की गई है। प्रत्येक खाते में उनका गोश्वारा पक्की पेन्सिल से तैयार नहीं किया गया है। कर अनुभाग द्वारा उपलबध कराये गये आंकडों के आधार पर रु0 647.77 लाख वैभव कर का अवशेष दर्शित है। इतनी भारी मात्रा में बकाया राशि होने से स्पष्ट होता है कि संस्था कर्मचारियों द्वारा वसूली कार्य में शिथिलता अपनायी जा रही है। साथ ही बार बार आपत्ति किये जाने के उपरान्त भी संस्था प्रबन्ध इस प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन है। बकाया राशि की वसूली हेतु जिला पंचायत की गोष्ठी में ठोस निर्णय कर तथा कर अनुभाग के कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित कर संस्था प्रबंध का ध्यान एवं विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

5. दिनांक 31.03.12 को अस्थायी पंजिका (प्रपत्र सं0 35) की जांच पर पाया गया कि रु0 14381.31 पावना शेष दर्शित है। यह वर्ष 1992–93 से भारतीय तेल निगम से बाबत तारकोल का पावना चला आ रहा है। इस पावने के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेखा परीक्षा अनुसार यह पावना अशोध्य प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा तैयार किये गये पूंजी एवं जिम्मेदारी के नक्शे में रु0 14381.31 की राशि को पावना में नहीं दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

6. दिनांक 31.03.12 को तैयार किये गये नक्शे पूंजी एंव जिम्मेदारी में रु0 187.14 लाख रु0 मृतक पशु शव निस्तारण ठेकों की कुल वसूल धनराशि का 1/2 भाग ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना दर्शाया गया है। उपरोक्त राशि में प्रत्येक वृद्धि हो रही है किन्तु इसका कोई भी विवरण तैयार नहीं रखा गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किस–किस ग्राम पंचायत को किस–किस वर्ष का कितना–कितना धन देय है। संस्था द्वारा समस्त धन को अपने कारोबार में प्रयुक्त कर रखा है जो गम्भीर आपत्ति का विषय है। समस्त विवरण तैयार करते हुए धन का वितरण सुनिश्चित करने हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यन विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

7. दिनांक 31.03.12 को रु0 6019.68 लाख अचल सम्पत्तियों का मूल्य दर्शाया गया है किन्तु इसे संस्था द्वारा तैयार कियेगये नक्शा पूंजी एवं जिम्मेदारी में नहीं दर्शाया है जिसके अभाव में संस्था की वास्तविक पूंजी का आंकलन अस्पष्ट एवं अशुद्ध है। इसके अतिरिक्त इस सम्पत्ति का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा शासनादेश सं0–478–33–2–2009–11$^{जी}$0/04 दि0 16.02.2009 के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

8. आलोच्य वर्ष 2011–12 में उ0प्र0 सरकार पंचायती राज अनुभाग–दो के पत्रांक 612बी0/33–2–10आर0/63 यू0पी0ए0–33–1961 नियम 1984 लखनऊ 1 मार्च 1985 की अधिसूचना के अध्याय 1 के नियम सं0 18 के परिपालन में अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र संख्या निर्माण कार्य 01 पर नहीं रखा गया है। जो अनियिमत एवं गम्भीर प्रकरण है जिसके अभाव में वर्षान्त पर कुल कितने अनुमोदित ठेकेदार रहे तथा उनकी कुल कितनी जमानत राशि जमा रही, स्थिति अज्ञात है। इस प्रकार की, सही पंजिका तैयार कर अभियन्ता एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये। इस ओर त्वरित कार्यवाही हेतु संस्था प्रबंध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

9. दिनांक 31.03.12 को रु0 21.42 लाख सम्पत्ति से आय दुकान भवन किराया का पावना शेष दर्शाया गया है। यह राशि जिला पंचायत की सम्पत्ति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित है। आलोच्य वर्ष में इस शीर्ष अन्तर्गत रु0 74.15 लाख किराया पंजिकाओं के अनुसार धन प्राप्त होना दर्शाया गया है जबकि लेखाकार द्वारा तैयार किये गये आय पक्ष के वर्गीकृत सार के अनुसार रु0 73.89 लाख वसूल दर्शाये गये है। इस प्रकार अन्तर रु0 00.26 लाख के समाधान हेतु श्री अशोक कुमार शर्मा सम्पत्ति पटल प्रभारी एवं श्री अवधेश कुमार लेखाकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

10. सम्पत्ति एवं वैभव कर का वर्ष के प्रारम्भ में रु0 659.80 लाख प्राप्त कर अवशेष था, आलोच्य वर्ष में इस शीर्ष अन्तर्गत रु0 34.78 लाख की मांग लगायी गयी है जो विगत वर्षो की अपेक्षा रु0 55.57 लाख से कम है जिसका मुख्य कारण दिनांक 31.03.12 में बोर्ड द्वारा कर सूचियों का विलम्ब से स्वीकृत किया जाना रहा है। कर पंजिकाओं में मात्र रु0 34.78 लाख का कर निर्धारित होना रहा है जिसके लिये संचालक मण्डल एवं अपर मुख्य अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। आलोच्य वर्ष में मात्र रु0 46.81 की वसूली उपरान्त रु0 647.77 लाख दिनांक 31.03.12 को प्राप्य शेष दर्शाया गया है। यदि समय से बोर्ड द्वारा कर सूचियों को स्वीकृत कर दिया जाता तो वर्षान्त पर प्राप्य राशि में ओर वृद्धि होती। पुराना कर वसूलने में सम्बद्ध कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कोई सक्रिय रूचि नहीं ली गई है। इसी कारण से इस राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

11. उ0प्र0 पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम की धारा–84 (1) के अनुसार प्रति दो माह में एक बैठक संचालक मण्डल की होनी अनिवार्य है जिसके सापेक्ष वर्ष 2011–12 में मात्र एक बैठक सम्पन्न हुई है जो कि गम्भीर आपत्ति का विषय है और संचालक मण्डल जिला पंचायत के हितों की अनदेखी के लिये उत्तरदायी है। इस ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

12. दिनांक 31.03.12 को नक्शा पूंजी एवं जिम्मेदारी में रु0 21675.00 विगत वर्षों की भांति ही जिला पंचायत कर्मचारियों पर आवासीय/ वाहन ऋण अवशेष दर्शाया गया है। इस राशि के वसूली के प्रयास शून्य रहे है। प्रभावी कार्यवाही पर, प्राप्त राशि की वसूली हेतु संस्था प्रबन्ध का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

13. आलोच्य वर्ष 2011–12 में मेला प्रदर्शनी से आय मात्र रु0 2.96 लाख शुक्रताल में लगने वाले प्रतिवर्ष दो मेलों से छोड़े गये ठेकों से हुई है जो गत वर्ष की अपेक्षा आंशिक रूप से अधिक है जबकि नियमानुसार गत वर्ष की आय से लगभग 10 प्रतिशत अधिक होना चाहिए था। आलोच्य वर्ष में रु0 17.96 लाख मेला व्यय दर्शाया गया है जबकि गत वर्ष उक्त व्यय रु0 16.55 लाख था। मेला व्यय के नाम पर मनमाने ढंग से खर्चा किया जा रहा है। मेले के नाम पर किये गये व्यय पर कोई भी किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। व्यय के विरुद्ध मेला आय में कमी आयी है। यह विचारणीय प्रकरण है। इस ओर संस्था प्रबन्ध का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

14. तेहरवें वित आयोग से प्राप्त अनुदान से ग्राम अम्बरपुर विकास खण्ड खतौली में कराये गये सी0सी0 कार्य की पत्रावली की जांच पर निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आईः–

(क) प्रथम रूप में उत कार्य श्री छतरपाल शर्मा ठेकेदार को रु0 635025.00 के लिये स्वीकृत था। इसी सन्दर्भ में दिनांक 11.12.11 में श्री जयवीर सिंह लिपिक द्वारा रिपोर्ट अंकित की है कि स्वीकृत कार्य में से 60 मीटर पर विवाद होने के कारण शेष कार्य करा दिया गया हैं जबकि इस बाबत कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। टिप्पणी के अन्त में पुनः टैण्डर लिये जाने का उल्लेख किया गया है, यह टिप्पणी अपने आप में भ्रमात्मक है।

(ख) दिनांक 14.12.11 में वित्तीय परामर्शदाता द्वारा टिप्पणी की है कि स्थान परिवर्तन की दशा में नियमानुसार शासन को अवगत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बगैर अवगत कराये व बिना अनुमति लिये दूसरे स्थल पर कार्य कराने के बाबत टैण्डर आमन्त्रित किया जाना अनियमित रहा।

(ग) दिनांक 07.05.12 में पुनः वित्तीय परामर्शदाता द्वारा टिप्पणी की है कि तेहरवें वित अनुदान से कराये जाने वाले कार्य स्थल की परिवर्तन की सूचना शासन को दी जाये तथा अवलिम्ब के कारण से भी अवगत कराया जाये। ऐसा न कर नियमानुसार लगायी गयी टिप्पणियों का परिपालन भी नहीं किया गया। इस प्रकार कराया गया कार्य अनियिमत रहा है। विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

15. जिला पंचायत मुजफ्फरनगर की सड़क कैराना से खुरगान तथा कैराना से झिंझाना पर रोपित कराये गये वृक्षों (पौधों) की कार्य स्वीकृति, टैण्डर तथा उनकी देख–रेख एवं भुगतान में अनियमिततायें अपनाकर रु0 517350.00 का भुगतान कर जिला पंचायत को स्पष्ट रूप से हानि पहुंचायी गयी है जिसके लिये श्री प्रमोद कुमार अपर मुख्य अधिकारी श्री राजकिशोर अभियन्ता अवधेश कुमार लेखाकार एवं श्री सुरेन्द्र सिंह निर्माण लिपिक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारी वर्ग का ध्यान उचित कार्यवाही करने हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। जिन स्थानों पर वृक्षारोपण पर व्यय किया गया है था, वहां वर्तमान में कोई पेड़ अस्तित्व में नहीं है।

16. इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के क्रमांक ज हस्तगत कार्यो के विवरण के क्रमांक 37, 51, 52, 54, 56, 63, 93, 94, 96 तथा 102 की पुष्टि हेतु सम्बन्धित पत्रावलियां बार–बार मांग किये जाने के फलस्वरूप भी ऑडिट जांच में उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिसके अभाव में तत्सम्बन्धी जांच सम्भव न हो सकी। उक्त के अतिरिक्त जिन पत्रावलियों में रॉयल्टी की रसीदें लगीहै, उनकी जांच लेखाकार एवं वित्तीय परामर्शदाता द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की गई है अर्थात् पत्थर–रोडी, डस्ट, रेत तथा कोरसैन्ट की रसीदों में जहां कार्य हो रहा है, उस स्थान का उल्लेख न होकर अन्य स्थानों का उल्लेख किया गया है। ऐसा होने पर भी रॉयल्टी की सुविधा प्रदान की गयी है। इससे स्पष्ट है कि भुगतान करते समय अनियमित रॉयल्टी की छूट की रसीदों को स्वीकार कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है। इस ओर संस्था प्रबन्ध का ध्यान उचित कार्यवाही आकृष्ट किया जाता है।

17. आलोच्य वर्ष 2011–12 में जनपद के समस्त विकास खण्डों में विकास योजनायें तैयार कर जो स्वीकृत की गई है, जनपद के विकास खण्ड सदर के ग्राम सुजडू में सर्वाधिक योजनायें पारित की गई है। दिनांक 31.03.12 को उक्त ग्राम में 11 योजनाओं पर हस्तगत रहे है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त विकास खण्डों में विकास योजनाओं को पारित एवं स्वीकृति में समानता का व्यवहार नहीं अपनाया गया है। इस ओर विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

18. लाईसेंस निर्गमन पंजिका व लाईसेंस शुल्क वसूली हेतु फार्म–6 रसीद के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त व्यवसायियों को लाईसेंस प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये है। आलोच्य वर्ष 2011–12 में जनपद में कार्यरत शराब की दुकानों से कर तो वसूल किया गया है जबकि इनके लाईसेंस की राशि वसूल न कर रु0 294000.00 की क्षति पहुंचायी गयी है जिसके लिये सम्बन्धित कर निरीक्षक एवं अपर मुख्य अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इस ओर संस्था प्रबन्ध का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

मंडल मेरठ
जिला पंचायत मेरठ
आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

कुल धनराशि 81870739.00

क्रम सं0	आपत्तियों का सारांश	अपहरण	दुरूपयोग / गम्भीर अनियमितता
1	2	3	4
1	वर्ष 2010–11 में निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यो पर रूपये 880000.00 व्यय किये गये, परन्तु संबंधित कार्य को माप पुस्तिका में प्राक्कलन टेण्डर आदि से संबंधित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। (आ0 सं0–2)	48009000.00	–
2	नौचन्दी मेला में व्यय किया गया परन्तु पुष्टि से संबंधित आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।(आ0 सं0–3–13)	195283.00	–
3	मरम्मत निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया परन्तु पुष्टि से संबंधित आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।(आ0 सं0–4)	143689.00	–
4	वाद फीस के भुगतान से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।(आ0 सं0–11 व 12)	48000.00	–
5	एम्बेस्डर कार की क्रय की गई संबंधित पत्रावली / अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।(आ0 सं0–18)	640702.00	–
6	वर्ष 2010–11 में श्री परमानन्द चौकीदार को अनियमित मकान किराया भत्ता भुगतान किया गया है, जबकि जिला पंचायत कार्यालय में आवास उपलब्ध है।(आ0 सं0–19)	11160.00	–
7	वर्ष 2010–11 में स्टॉक क्रय किया गया परन्तु क्रय स्टॉक की प्रविष्टि स्टॉक बुक में नहीं की गई। साथ ही संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।(आ0 सं0–20)	487150.00	–
8	संस्था के संबंधित कर, विभव व अन्य करों की वसूली न करके फिल्ड स्टॉफ द्वारा अपने कर्त्तव्यों में शिथिलता बरतना।(आ0 सं0–26)	31798979.00	–
9	नीलामी ठेको हेतु निर्धारित नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण स्टॉम्प ड्यूटी के रूप में सरकारी राजस्व की क्षति।(आ0 सं0–28)	536776.00	–

जिला पंचायत बागपत

आपत्तियो का विवरण (वर्ष 2005–06)

क्रम सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अपहरण की धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	संस्था में अपर मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पूर्व की अवधि का अनाधिकृत वेतन आहरित कर संस्था को क्षति पहुँचायी।	105572.00
2	संस्था द्वारा निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने पर भी संस्था से अनाधिकृत मकान किराया भत्ता प्राप्त कर संस्था को क्षति पहुँचायी गयी।	6750.00
3	वर्ष 2005–06 की नौकाघाट नीलामी कौदाना खेड़ी की अवशेष राशि रजिस्टर में नहीं दर्शायी गयी और न ही अब तक वसूल की गयी।	70000.00
4	वर्ष 2005–06 की ठेका तहबाजारी की शेष राशि रजिस्टर में न तो अवशेष दर्शायी गयी और न ही अब तक वसूल की गयी।	36000.00
5	वर्ष में दवाईयों की अनाधिकृत खरीद दर्शाकर जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी।	98320.00
6	नीलामी मुर्दा मवेशी ब्लाक बागपत की चार न्याय पंचायतों की 71100.00 तथा दो न्याय पंचायतों की 25500.00 की शेष राशि वसूली न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी।	96600.00
7	उ0 प्र0 शासनादेश के विरूद्ध कार उपयोग की 500.00 रू0 प्रतिमाह की राशि जमा न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी ।	6000.00
8	वर्ष 2004–05 का अवशेष टैक्स वर्ष 2005–06 में कम अग्रसारित करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी।	12960.00
9 (अ)	वर्ष 2004–05 का अवशेष टैक्स वर्ष 2005–06 में अग्रसारित न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी। (पिलाना ब्लाक)	26992.00
9 (ब)	वर्ष 2004–05 का अवशेष टैक्स वर्ष 2005–06 में अग्रसारित न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी। (बागपत ब्लाक)	481226.00
10	अदेयता प्रमाण–पत्र निर्गत शुल्क राशि वसूल करके जिला पंचायत में जमा न करके कर्मचारियों द्वारा अपहरण किया गया।	25400.00
11	वर्ष में आवारा पशु पकड़वाने का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को फर्जी भुगतान करके क्षति पहुँचायी गयी।	34560.00
12	टी.डी.एस. एवं ब्रिकी कर कटौती की धनराशियाँ समय से राजकीय कोषागार में जमा न करके क्षति पहुँचायी गयी।	275632.00
13	मुर्दा मवेशी की अवशेष राशि अब तक वसूल न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी।	1044883.00
14	शासनादेश का उल्लंघन कर नौकाघाट का कम राशि का ठेका छोड़कर क्षति पहुँचायी गयी।	94000.00
15	आकस्मिक व्ययों का बजट प्रावधान से अधिक व्यय करके क्षति पहुँचायी गयी।	366000.00
	योग	2780895.00

जिला पंचायत बागपत

आपत्तियो का विवरण (वर्ष 2006–07)

क्रम सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	जिला पंचायत की खेखड़ा में निर्मित सात दुकानों का स्वामित्व हस्तान्तरण अनियमित रूप से किया गया है तथा अवशेष किराया वसूल न करके क्षति पहुँचायी गयी।	99610.00
2	वर्ष 2006–07 में मार्च, 2007 में विभिन्न मदों की वसूली की गई धनराशियाँ बैंक में जमा न करके अपहरण करके क्षति पहुँचायी गई।	432764.00 (अपहरण)
3	लाईसेन्स शुल्क वसूली की कैशबुक में प्राप्ति की प्रविष्टि नहीं करायी गयी, जो कि जिला पंचायत की क्षति है।	2000.00
4	नीलामी कृषि फार्म की विगत वर्षो की अवशेष राशियाँ वसूल न करके क्षति पहुँचायी गयी।	22270.00
5	अनेक कृषि फार्मो की बीच–बीच की अवधियाँ छोड़कर आगामी अवधियों की नीलामी करके क्षति पहुँचायी गयी।	496250.00
6	नीलामी मुर्दा मवेशी वर्ष 2006–07 की एवं विगत वर्षो की अवशेष राशियों की वसूली न करके क्षति पहुँचायी गयी।	1065883.00
7	नीलामी नौका घाट वर्ष 2066–07 एवं विगत वर्षो की अवशेष राशि की वसूली न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी।	172000.00
8	वर्ष 2006–07 की तहबाजारी नीलामी की अवशेष राशि की वसूली न करके जिला पंचायत को क्षति पहुँचायी गयी।	36000.00
	योग	2326777.00

जिला पंचायत–गाजियाबाद

क्र0	नाम जिला–पंचायत	जनपद	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
01	जिला पंचायत, गाजियाबाद	गाजियाबाद	रु0405.85(आंकड़े लाखों में) उक्त धनराशि की अनियमितता

मण्डल का नाम–बरेली

मण्डल का नाम–कानपुर

जिला पंचायत– कानपुर नगर
आपत्तियो का विवरण

<u>प्रस्तर संख्या –1</u> : वर्ष 2011–12 में तहबाजारी के उठाये गये विभिन्न ठेकों से अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 31316.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई जिस हेतु सम्बन्धित पटल प्रभारी/टैक्स अधिकारी के विरूद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –2</u> : 2011–12 का तहबाजारी चौबेपुर का ठेका रू0 155000.00 में प्रमोद तिवारी को दिया गया उनके द्वारा अनुबन्ध हेतु रू0 12400.00 स्टैम्प के स्थान पर रू0 3100.00 के स्टैम्प उपलब्ध कराये गये एवं उन्हीं पर अनुबन्ध कर दिया गया तथा 26.07.11 के रू0 9300.00 के स्टैम्प हेतु भी डी.डी. गौतम ए.एम.ए. द्वारा लिया गया। परन्तु अधावधि पार्टी द्वारा स्टैम्प पेपर उपलब्ध न कराने जाने एवं समयातगर्त कार्यवाही न होने से रू0 9300.00 राजस्व क्षति हेतु श्री राजीव कुमार ढाका आर.आई. के विरूद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –3</u> : वर्ष 2011–12 में कृषि भूमि का ठेका सम्बन्धित पक्षों को दिया गया परन्तु उनसे अद्यावधि अनुबन्ध की कार्यवाही नहीं पूर्ण कराई गई। अनुबन्ध न होने से रू0 9184.00 राजस्व की क्षति हुई जिस हेतु पटल प्रभारी शिवलाल धूरिया व श्री डी0डी0 गौतम ए.एम.ए. से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है। यह ठेका 01.06.11 से 03.05.14 तक अवधि हेतु दिये।

<u>प्रस्तर संख्या –4</u> : विकासखण्ड भितरगाँव में हाजीपुर कदीम से बाबू के दरवाजे से गुलाब के दरवाजे तक 240 मी0 सी0सी0 कार्य हेतु रू0 485000.00 का स्टीमेट तैयार कर टेण्डर करवाया गया। परन्तु निविदा में सड़क की लम्बाई 240 के स्थान पर 200 मी0 का ठेका रू0 404167.00 में न देकर 4.85 में ही में दिया गया। इस प्रकार कुल भुगतान रू0 487716.00 करके संस्था को रू0 83549.00 से संस्था की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई। जिस हेतु उत्तरदायी अवर अभियन्ता सुरेन्द बाबू त्रिपाठी एवं अभि0 आर0के0 जायसवाल से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –5</u> : वर्ष 2011–12 में निम्न स्थानों पर कॉजी हाउस के ठेके उठाये गये। परन्तु सम्बन्धित पार्टी से अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 688.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। जिस हेतु पटल प्रभारी राधा मोहन से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –6अ</u> : पशु शव निस्तारण ककवन का ठेका श्री शादाब के रू0 11000.00 में दिया गया। परन्तु उनसे अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 880.00 राजस्व क्षति पहुँचाई गई जिस हेतु पटल प्रभारी हरीशंकर कनौजिया व श्री डी0डी0 गौतम ए0एम0ए0 से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –6ब</u> : उपरोक्त बिल्हौर का ठेका श्री शादाब के रू0 11000.00 में दिया गया परन्तु उनसे अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 3200..00 राजस्व क्षत्रि पटल प्रभारी हरीशंकर कनौजिया श्री डी0डी0 गौतम ए0एम0ए0 से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

अवमुक्त हुआ था। वर्ष 1982–83 में योजना समाप्त कर दी गई थी। फलस्वरूप 113.49 लाख के सापेक्ष वितरित ऋण 113.49 के सम्बन्ध में यह अस्पष्ट रहा कि राशि किस किस को दी गयी। विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा एवं वसूल की गई राशि रू0– 19.41 लाख को शासकीय मद में जमा कराई जानी आपेक्षित है। (आपत्ति सं0–19)

जिला पंचायत–कन्नौज

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2005–06, 06–07, 07–08

प्रस्तर–1:

क्र0 सं0	संस्था	वर्ष	विभव एवं सपत्ति कर	तहबाजारी	नौकाघाट	मत्स्य आ0 ठेका	पशु शव निस्तारण	दुकान भवन किराया	शेष धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति सं.
1	जिला पंचायत कन्नौज	2005–06	47.60	–	4.00	0.30	2.28	1.68	55.86	34 एवं 26
		2006–07	54.14	–	4.00	0.62	2.49	2.11	63.36	"
		2007–08	65.18	0.33	4.00	0.83	2.49	2.11	74.94	"

इससे प्रतीत होता है, कि कर्मचारियों द्वारा करों की वसूली में विशेष रूचि नहीं ली गई है। जिससे कि बकाया करों के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

प्रस्तर–2: आलोच्य वर्ष 2005–06 से 07–08 तक गाड़ी ईधन एवं अनुरक्षण पर क्रमशः 24410.00, 102198.00 एवं 142338.00 रू0 व्यय किया गया। गाड़ियों से संबन्धित लागबुक उपलब्ध नहीं कराई गई। फलतः प्रतिमाह कितने किमी0 गाड़ी चली पर टिप्पणी न की जा सकी। लागबुक उपलब्ध कराकर पुष्टि कराई जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–23)

प्रस्तर–3 निम्नांकित विवरण के अनुसार वर्ष 2005–06 से 07–08 के वर्षान्त में अनुदान की धनराशियां जिला पंचायत में अवशेष रही जिससे स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग नही किया गया। फलस्वरूप विकास कार्य बाधित रहे। विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	शीर्ष	2005–06	2006–07	2007–08
1	राज्य/11वां वित्त	19576374.00	24605703.00	25373718.00
2	एस0जी0आर0वाई0	10227113.00	9411018.00	18661.00
3	एस0जी0आर0वाई0 कंटिनजेंसी	534816.00	553698.00	573197.00
	योग	**30338303.00**	**34570419.00**	**25965576.00**

(आ0सं0–31)

मण्डल का नाम–बरेली

मण्डल का नाम–कानपुर

जिला पंचायत– कानपुर नगर
आपत्तियो का विवरण

<u>प्रस्तर संख्या –1</u> : वर्ष 2011–12 में तहबाजारी के उठाये गये विभिन्न ठेकों से अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 31316.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई जिस हेतु सम्बन्धित पटल प्रभारी/टैक्स अधिकारी के विरूद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –2</u> : 2011–12 का तहबाजारी चौबेपुर का ठेका रू0 155000.00 में प्रमोद तिवारी को दिया गया उनके द्वारा अनुबन्ध हेतु रू0 12400.00 स्टैम्प के स्थान पर रू0 3100.00 के स्टैम्प उपलब्ध कराये गये एवं उन्हीं पर अनुबन्ध कर दिया गया तथा 26.07.11 के रू0 9300.00 के स्टैम्प हेतु भी डी.डी. गौतम ए.एम.ए. द्वारा लिया गया। परन्तु अधावधि पार्टी द्वारा स्टैम्प पेपर उपलब्ध न कराने जाने एवं समयातगर्त कार्यवाही न होने से रू0 9300.00 राजस्व क्षति हेतु श्री राजीव कुमार ढाका आर.आई. के विरूद्ध दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –3</u> : वर्ष 2011–12 में कृषि भूमि का ठेका सम्बन्धित पक्षों को दिया गया परन्तु उनसे अद्यावधि अनुबन्ध की कार्यवाही नहीं पूर्ण कराई गई। अनुबन्ध न होने से रू0 9184.00 राजस्व की क्षति हुई जिस हेतु पटल प्रभारी शिवलाल धूरिया व श्री डी0डी0 गौतम ए.एम.ए. से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है। यह ठेका 01.06.11 से 03.05.14 तक अवधि हेतु दिये।

<u>प्रस्तर संख्या –4</u> : विकासखण्ड भितरगाँव में हाजीपुर कदीम से बाबू के दरवाजे से गुलाब के दरवाजे तक 240 मी0 सी0सी0 कार्य हेतु रू0 485000.00 का स्टीमेट तैयार कर टेण्डर करवाया गया। परन्तु निविदा में सड़क की लम्बाई 240 के स्थान पर 200 मी0 का ठेका रू0 404167.00 में न देकर 4.85 में ही में दिया गया। इस प्रकार कुल भुगतान रू0 487716.00 करके संस्था को रू0 83549.00 से संस्था की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई। जिस हेतु उत्तरदायी अवर अभियन्ता सुरेन्द बाबू त्रिपाठी एवं अभि0 आर0के0 जायसवाल से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –5</u> : वर्ष 2011–12 में निम्न स्थानों पर कॉजी हाउस के ठेके उठाये गये। परन्तु सम्बन्धित पार्टी से अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 688.00 राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। जिस हेतु पटल प्रभारी राधा मोहन से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –6अ</u> : पशु शव निस्तारण ककवन का ठेका श्री शादाब के रू0 11000.00 में दिया गया। परन्तु उनसे अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 880.00 राजस्व क्षति पहुँचाई गई जिस हेतु पटल प्रभारी हरीशंकर कनौजिया व श्री डी0डी0 गौतम ए0एम0ए0 से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या –6ब</u> : उपरोक्त बिल्हौर का ठेका श्री शादाब के रू0 11000.00 में दिया गया परन्तु उनसे अनुबन्ध की कार्यवाही न कराकर रू0 3200..00 राजस्व क्षत्रि पटल प्रभारी हरीशंकर कनौजिया श्री डी0डी0 गौतम ए0एम0ए0 से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –7 : निर्माण कार्य में विभिन्न मदों का भुगतान अधिक दर से किया गया। जबकि उन्हीं मदों का अन्य स्थानों पर कराये गये कार्य में बा.नं. 26 दि0 26.04.11 बा.नं. 22 दिनांक 26.04.11 आदि कम दर पर अंकित है। अस्तु संस्था को हुई आर्थिक क्षति रू0 4345.15 हेतु अभियन्ता आर0 के0 जायसवाल से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –8 : संस्था में अपर मुख्य अधिकारी प्रयोगार्थ किराये पर ली गई। जीप/बुलेरो यू.पी.-82/एच04100 की पत्रावली अवलोकन में निम्न त्रुटि रही।

(i) अनुबन्ध के साथ गाड़ी के व्यावसायिक लाइसेंस की छायाप्रति भी संलग्न नहीं की जो अनियमित रहा। साथ ही डी0डी0 गौतम ए.एम.ए. द्वारा राजनारायण से चन्द दिन पूर्व गाड़ी के हटा दिये जाने से(नाम पर विवाद होने पर) स्थिति के सन्देहजनक प्रतीत होती है। अस्तु उक्त गाड़ी के कुल किराये भुगतान रू0 133500.00 तथा डीजल भुगतान रू0 60104.00 कुल रू0 193604.00 हेतु जांचोपरान्त श्री डी0डी0 गौतम ए0एम0ए0 कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –9 : दिनांक 06.07.11 को प्र0 संख्या 14 से श्री राधाकृष्ण जायसवाल अभियन्ता को जून 2011 के वेतन का रू0 28105.00 का भुगतान किया गया जबकि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सत्र रू0 23299.00 की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार रू0 4000.00 अधिक भुगतान हेतु श्री श्याम कुमार शुक्ला लिपिक से दायित्व निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –10 : लेखा परीक्षा 2011–12 में निर्माण कार्य से सम्बन्धित तेरहवें वित्त से रू0 13252492.00 के कार्य कराये गये है। कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ठेकेदार जमानत पंजिका, माप पुस्तिका आदि उपलब्ध न कराये जाने से अनुदान की सदुपयोगिता प्रमाणित न की जा सकी एवं व्यय संदेहाजनक प्रतीत होता है। अस्तु सम्बन्धित पटल अधिकारी श्री हरीशंकर एवं तात्कालिक अपर मुख्य अधिकारी श्री डी0डी0 गौतम के विरूद्ध जाँचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है।

जिलापंचायत कानपुर देहात

आपत्तियो का विवरण

प्रस्तार–1–श्री बी0के0 सिंह कार्य अधिकारी का दिनांक 27.07.2003 से दिनांक 26.09.2003 तक आर्जित अवकाश लम्बित के फलस्वरूप वार्षिक समस्थान्तर्गत स्वीकृत जिला पंचायत को क्षति रु. 218940.00 से पहुँचायी गयी है। उक्त गम्भीर वित्तीय उनियमितता हेड पटल सहायक श्री राजेन्द्र शुक्ला व अपर मुख्य अधिकारी वित्त परामर्शदाता उत्तरदायी है।

प्रस्तर–2–जिला पंचायत प्रांगण बाहर 1,4,6 तथा कैन्टीन के किराये का धन बकाया रहने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी है। अतएव श्री बी0के0 सिंह यादव कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी रुपया 54400/– हेड पूर्व उत्तर दायी है।

प्रस्तर–3–सुन्दर इन्डस्ट्रीज/प्रगति कार्यापूर्णयल/राही रेस्टोरेन्ट/क्रोम कैमिकल पर कुल रुपया 224000/- कर वसूली हेड अवशेष है। के सम्बन्ध में पटल सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि कोर्ट में वाद लम्बित है। विभाग द्वारा उत्तर न लगाये जाने के कारण बाद के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। अतः उक्त त्रुटि हेड अपर मुख्य अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तर दायी है।

प्रस्तर–4–प्रमाणक संख्या 56,57,58,व 59 एवं 132 व 133 जनरेटर हेड डीजल भुगतान लॉग बुक में कुल कितने समय किस तिथि को जनरेटर चला का विवरण अंकित न होने के कारण उपयोग अप्रमाणित मानकर लेखापरीक्षा की दृष्टि से रु. 22587–00 की धनराशि की बसूली अपर मुख्य अधिकारी श्री गिरजा शंकर यादव प्रशासनिक अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–5–वर्ष दौरान अध्यक्ष की गाड़ी का डीजल भूगतान रु.125863.00 किया गया। अध्यक्ष को एक माह में 2400 कि.मी. गाडी चलाने हेड पेट्रोल व डीजल आमान्य है। इस प्रकार रु. 36579.00 के डीजल की धनराशि अनुमन्य नहीं है। जिसकी बसूली अपर मुख्य अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जिला पंचायत–फर्रूखाबाद

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2005–06

प्रस्तर–1: कम स्टाम्प शुल्क जमा न करके क्षति–विवरण निम्न है–

क्रम सं0	तहबाजारी स्थल	ठेकेदार का नाम	देय स्टाम्प ठेके की राशि	देय स्टाम्प	जमा	अंतर (कम जमा)
1	मसेनी चौराहा	श्री राजकुमार	180000	22500	21875	625
2	मंझना	श्री विमल कुमार	12000	1500	1200	300
3	जसमई दरवाजा	श्री दाताराम	29350	3668	2360	1308
4	जेल चौराहा	श्रीमती राजरानी	137000	17125	11000	6120
5	घटियाघाट	श्री जलधारा देवी	151000	18875	12100	6775
6	अमृतपुर	श्री मोईन खान	6910	864	560	304
7	कायमगंज	श्री अरूण कुमार	7475	934	600	334
8	कुटरा कालोनी	श्री राजरानी	5800	725	500	225
9	रजीपुर	श्री सुनील कुमार	125000	15625	10000	5625
10	नवाबगंज	श्री होते लाल	132500	16500	10600	5900
11	फैजबाग	श्री सावन कुमार	13810	1726	1110	616
12	याकूतगंज	श्री फैयाजखां	45000	5625	5125	500
13	राजेपुर	श्री योगेन्द्र सिंह	75000	9375	7870	1505
					योग–	30130.00

इस प्रकार रू0–30130.00 की धनराशि जमा न करके राजस्व की हानि पहुँचायी गयी जिसके लिए पटल प्रभारी से धनराशि वसूल करके जमा कराना अपेक्षित है। (आलेख के क्रम सं0–6(6) के अनुसार)

जिला पंचायत–फर्रूखाबाद

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2008–09

प्रस्तर–1: दिनांक 31–03–09 के चतुर्थ त्रैमास (मार्च 09) के अनुसार अन्त्योदय/स्थानीय विकास व स्पेशल कम्पोनेट योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि रू0–113.49 लाख के सापेक्ष कुल रू0–113.49 लाख ऋण वितरित किया गया जिसके सापेक्ष रू0–19.41 लाख ऋण के रूप में वसूल किया गया नक्शे में दर्शाया जा रहा है। जिससे संबन्धित विवरण व पत्रावली ले0 परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अन्त्योदय योजनान्तर्गत वर्ष 1978–79 में लाभार्थियों को स्वरोजगार प्रारम्भ करने हेतु रू0–5000 प्रति लाभार्थी (50+अनुदान+ 50 प्रतिशत ऋण) को वितरित करने हेतु शासन से 118.49 लाख स्वीकृत व

अवमुक्त हुआ था। वर्ष 1982–83 में योजना समाप्त कर दी गई थी। फलस्वरूप 113.49 लाख के सापेक्ष वितरित ऋण 113.49 के सम्बन्ध में यह अस्पष्ट रहा कि राशि किस किस को दी गयी। विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा एवं वसूल की गई राशि रू0– 19.41 लाख को शासकीय मद में जमा कराई जानी आपेक्षित है। (आपत्ति सं0–19)

जिला पंचायत–कन्नौज

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2005–06, 06–07, 07–08

प्रस्तर–1:

क्र0 सं0	संस्था	वर्ष	विभव एवं सपत्ति कर	तहबाजारी	नौकाघाट	मत्स्य आ0 ठेका	पशु शव निस्तारण	दुकान भवन किराया	शेष धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति सं.
1	जिला पंचायत कन्नौज	2005–06	47.60	–	4.00	0.30	2.28	1.68	55.86	34 एवं 26
		2006–07	54.14	–	4.00	0.62	2.49	2.11	63.36	"
		2007–08	65.18	0.33	4.00	0.83	2.49	2.11	74.94	"

इससें प्रतीत होता है, कि कर्मचारियों द्वारा करों की वसूली में विशेष रूचि नहीं ली गई है। जिससे कि बकाया करों के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

प्रस्तर–2: आलोच्य वर्ष 2005–06 से 07–08 तक गाड़ी ईधन एवं अनुरक्षण पर क्रमशः 24410.00, 102198.00 एवं 142338.00 रू0 व्यय किया गया। गाड़ियों से संबन्धित लागबुक उपलब्ध नहीं कराई गई। फलतः प्रतिमाह कितने किमी0 गाड़ी चली पर टिप्पणी न की जा सकी। लागबुक उपलब्ध कराकर पुष्टि कराई जानी आपेक्षित है। (आपत्ति संख्या–23)

प्रस्तर–3 निम्नांकित विवरण के अनुसार वर्ष 2005–06 से 07–08 के वर्षान्त में अनुदान की धनराशियां जिला पंचायत में अवशेष रही जिससे स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग नही किया गया। फलस्वरूप विकास कार्य बाधित रहे। विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	शीर्ष	2005–06	2006–07	2007–08
1	राज्य/11वां वित्त	19576374.00	24605703.00	25373718.00
2	एस0जी0आर0वाई0	10227113.00	9411018.00	18661.00
3	एस0जी0आर0वाई0 कंटिनजेंसी	534816.00	553698.00	573197.00
	योग	**30338303.00**	**34570419.00**	**25965576.00**

जिला पंचायत–कन्नौज

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2008–09

प्रस्तर–1:

क्र0 सं0	वर्ष	विभव कर	तहबाजारी	नौकाघाट	मत्स्य आ0 ठेका	पशु शव निस्तारण	दुकान भवन किराया	शेष धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति सं.
1	2008–9	65.96	0.64	4.00	1.24	2.63	2.11	76.58	20 एवं आडिट नोट में अंकित समीक्षा के अनुसार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा करो की वसूली में रूचि न लिए जाने के कारण बकाया करों के प्रतिशत में उत्तरोतर बृद्धि हो रही है।

प्रस्तर–2: आलोच्य वर्ष 2008–09 में मोटर गाड़ी के डीजल, पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर व्ययरू0–151195.00 किया गया। गाडियों से सम्बन्धित लागबुक उपलब्ध नहीं कराई गयी। फलतः प्रतिमाह कितने किमी0 गाडी चली पर टिप्पणी न की जा सकी। लागबुक उपलब्ध कराकर पुष्टि कराई जानी आपेक्षित है। (आ0सं0–19)

प्रस्तर–3 निम्नांकित विवरण के अनुसार वर्ष 2008–09 के अंत में निम्न विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशियां अवशेष रही–

क्र0 सं0	शीर्ष	धनराशि
1	राज्य/12वां वित्त	16965449.87
2	एस0जी0आर0वाई0	332669.98
3	डा0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना	2581536.00
	योग	19879655.85

शासन से प्राप्त अनुदान का निर्धारित शर्तो एवं निर्देशो के अनुरूप उपभोग कर विकास कार्य कराए जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–10)

प्रस्तर–7

मोती लाल सभागार में फाल्स सीलिंग के कार्य रू0 9.98 लाख का ठेका श्री मनोज कुमार वर्मा को न्यूनतम टेण्डर रेट के आधार पर स्वीकृत किया गया, यह कार्य दिनांक 20.08.10 तक समाप्त किया जाना था, ठेकेदार को रू0 5,07,000.00 का भुगतान मार्च 11 में किया गया है।

इस कार्य के डिटेल ऑफ मैनेजमेंट/बिल ऑफ क्वान्टिटी में बिना किसी स्पेसिफिकेशन के फाल्स सीलिंग का रेट रू0 1475.00 प्रति स्क्वायर मीटर 575.63 स्क्वायर मीटर के लिए रू0 8,22.504/– निर्धारित किया गया है, जबकि जिला पंचायत, इलाहाबाद में फाल सीलिंग हेतु फाल सीलिंग का रेट रू. 900/– प्रति स्क्वायर मीटर बिना किसी स्पेसिफिकेशन के एक अन्य टेण्डर के लिए अब निर्धारित किया गया है, इस प्रकार टेण्डर करते समय रेट में अधिक दर प्रदर्शित करके 575 $ड^2$ पर रू0 (1475–900) 575. 00 की दर से रू0 3,30,987.00 का अधिक टेण्डर में धनराशि दी गई है।

ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 28.05.12 को ठेका रद्द कर दिया गया है, जमानत रू0 1,00,000.00 जब्त करने, शेष धनराशि इनके द्वारा कराये जाने वाले अन्य कार्य से समायोजित करने के आदेश दिए। दिनांक 31.05.12 को इनके द्वारा जमा एफ.डी.आर. बैंक भेज कर, जिला पंचायत के पक्ष में चेक देने का अनुरोध किया गया, इसके उपरान्त दिनांक 13.07.12 को एक माह के समय की स्वीकृत प्रदान कर दी गई, जो कि ठेका रद्द करने के उपरान्त नहीं की जा सकती है, अनेक अनियमिताओं के बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण की गई भुगतान राशि रू0 5,07,000/– वसूल किया जाना चाहिए, इस राजस्व की क्षति के लिए उत्तरदायी अधिकारी श्री एल0एन0 खरे अ.मु.अ. एवं श्री नीरज रस्तोगी अभियंता है।

आपत्ति सं0 11

प्रस्तर–8

जिला पंचायत कार्यालय भवन में फाल्स सीलिंग के कार्य हेतु रू0 9.98 का ठेका न्यूनतम टेण्डर के आधार पर श्री मसुरिया दीन वर्मा को दिया गया, यह कार्य दिनांक 20.08.10 को समाप्त किया जाना था, प्रथम रनिंग बिल के आधार पर रू0 425000.00 का भुगतान दिनांक 31.07.10 को किया गया है। डिटेल ऑफ मेजरमेंट एवं विल ऑफ क्वान्टिटी के आधार पर इस टेण्डर में रू0 48000/– के कूलर एवं रू0 4,00,000.00 के इलेक्ट्रिक सिटी फिटिंग की धनराशि रू0 9.98 के ठेके में सम्मिलित की गई।

उल्लेखनीय है कि इसी टेण्डर के साथ री मसुरियादीन वर्मा ठेकेदार को ही एक अन्य टेण्डर के माध्यम से दिनांक 20.05.10 को ही रू0 7,00,000.00 का टेण्डर स्वीकार करके कार्यादेश जारी किया गया है, इस प्रकार इलेक्ट्रिक सिटी के कार्य हेतु (एक ही कार्य के लिए) दो टेण्डर स्वीकार करके पंचायत राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है।

ठेकेदार द्वारा रू0 4,25,000.00 का भुगतान प्राप्त करने के बाद कार्य नहीं किया गया है, दो वर्ष छः माह व्यतीत हो जाने के उपरानत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, वस्तुतः ठेका अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप ठेका रद्द करके जमानत जब्त करते हुए भुगतान की गई धनराशि ब्याज सहित वापस वसूल की जानी चाहिए। इस क्षति के लिए उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता है।

आपत्ति सं0 13 एवं 18

जिला पंचायत–कन्नौज

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2008–09

प्रस्तर–1:

क्र0 सं0	वर्ष	विभव कर	तहबाजारी	नौकाघाट	मत्स्य आ0 ठेका	पशु शव निस्तारण	दुकान भवन किराया	शेष धनराशि लाख रू0 में	आपत्ति सं.
1	2008–9	65.96	0.64	4.00	1.24	2.63	2.11	76.58	20 एवं आडिट नोट में अंकित समीक्षा के अनुसार

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा करो की वसूली में रूचि न लिए जाने के कारण बकाया करों के प्रतिशत में उत्तरोतर बृद्धि हो रही है।

प्रस्तर–2: आलोच्य वर्ष 2008–09 में मोटर गाड़ी के डीजल, पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर व्ययरू0–151195.00 किया गया। गाडियों से सम्बन्धित लागबुक उपलब्ध नहीं कराई गयी। फलतः प्रतिमाह कितने किमी0 गाडी चली पर टिप्पणी न की जा सकी। लागबुक उपलब्ध कराकर पुष्टि कराई जानी आपेक्षित है। (आ0सं0–19)

प्रस्तर–3 निम्नांकित विवरण के अनुसार वर्ष 2008–09 के अंत में निम्न विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशियां अवशेष रही–

क्र0 सं0	शीर्ष	धनराशि
1	राज्य/12वां वित्त	16965449.87
2	एस0जी0आर0वाई0	332669.98
3	डा0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना	2581536.00
	योग	19879655.85

शासन से प्राप्त अनुदान का निर्धारित शर्तो एवं निर्देशो के अनुरूप उपभोग कर विकास कार्य कराए जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0–10)

जिला पंचायत–कन्नौज

आपत्तियो का विवरण ले0प0वर्ष–2009–10

प्रस्तर–1:

क्र0स0	वर्ष	विभव कर	तहबाजारी	नौकाघाट	मत्स्य आ0 ठेका	पशु शव निस्तारण	दुकान भवन किराया	शेष धनराशि लाख रू0 में	अभ्युक्ति
1	2009–10	80.10	0.69	4.00	1.42	2.71	2.11	91.03	आपत्ति सं0–21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा करो की वसूली में रूचि न लिए जाने के कारण बकाया करों के प्रतिशत में उत्तरोतर बृद्धि हो रही है।

प्रस्तर–2: आलोच्य वर्ष 2009–10 में मोटर गाड़ी के डीजल, पेट्रोल एवं अनुरक्षण पर व्ययरू0–110650.00 किया गया। गाडियों से सम्बन्धित लागबुक उपलब्ध नहीं कराई गयी। फलतः प्रतिमाह कितने किमी0 गाडी चली पर टिप्पणी न की जा सकी। लागबुक उपलब्ध कराकर पुष्टि कराई जानी आपेक्षित है। (आ0सं0–10)

प्रस्तर–3 निम्नांकित विवरण के अनुसार वर्ष 2009–10 के अंत में निम्न विवरण के अनुसार अनुदान की धनराशियां अवशेष रही–

क्र0 सं0	शीर्ष	धनराशि
1	राज्य/12वां वित्त	10756667.87
2	मनरेगा	41902.00
3	डा0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना	465212.00
	योग	11263781.87

शासन से प्राप्त अनुदान का निर्धारित शर्तो के अनुरूप उपयोग करते हुए विकास कार्य कराए जाने अपेक्षित है।

(आ0सं0–22)

	37– सिंह ब्रिक फील्ड उगरांवका पुर होलागड 38– जनता ब्रिक फिल्ड अरूआव होलागढ 39– सर्व श्री न्यू0 ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिक फील्ड मादापुर कौडिहार 40– के0जी0एन0 ब्रिक फील्ड सिहरोर उपरहार कौडिहार 41– उमर ब्रिक फील्ड टिकरी 42– राज ईट उद्योग ग्राम पट्टी नाथ राम उचडीह उरूवा 43– ओम साई राम ईट उद्योग बाघपुर मांण्डा। 44– माण्डवी ईट उद्योग सिरसा

उपरोक्त 44 ईट भट्ठो द्वारा वाणिज्यकर में पंजीयन लेकर बैट जमा किया गया है, जिससे 2011–12 में इनका चलना प्रमाणित हुआ है. इस प्रकार ईट भट्ठो को रिकार्ड पर न लाने एवं कार्यवाही न करने के लिए श्री एल0एन0 खरे अपर मुख्य अधिकारी एवं फील्ड अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार तिवारी संयुक्त रूप से उत्तदायी है।

प्रस्तर 2

निम्न लिखित विवरण के अनुसार तहबजारी का ठेका विभिन्न ठेकेदारो को दिया गया, परन्तु निर्धारित देय स्टेम्प पेपर पर अनुबंन्ध न कराये जाने से दो प्रतिशत राजकीय राजस्व रूपये– 13416 की क्षति हुई जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति श्री एल0एन0 खरे अपर मुख्य अधिकारी है।

क्रम संख्या	दिनांक	स्थान	ठेका राशि	देय स्टेम्प राशि
1	2	3	4	5
1	23.03.2011	चायल	352800.0	7040.00
2	30.03.2011	कमला नगर	30800.00	616.00
3	16.03.2011	होलागढ	15500.00	310.00
4	16.03.2011	लहरी	15000.00	300.00
5	17.03.2011	खीरी	29000.00	580.00
6	30.03.2011	सल्हाहपुर	50000.00	1000.00
7	16.03.2011	भीरपुर	15500.0	310.00
8	25.04.2011	मलाकहरहर	3500.00	70.0
9	22.03.2011	असडिहा	13500.00	270.00
10	17.03.2011	मोहनगंज	13000.00	260.00
11	17.03.2011	फैजलपुर	31000.00	620.00
12	17.03.2011	मेजाखास	7000.00	140.00
13	16.03.2011	पूरेमियां	14500.00	290.00
14	22.08.2011	बलरामपुर बरेठी	55000.00	1100.00
15	17.03.2011	स्माइलपुर	3500.00	70.00
16	20.04.2011	फूलपुर	17000.00	340.00
17	22.08.2011	मामा भांजा का तालाब	162000.00	40.00
योग ::–				**13416.00**

प्रस्तर–3

जिला पंचायत कि संम्पत्ति में पंचायत परिषर में आवासीय भवन है, जिसे मांग पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकार द्वारा देय, महगाई भत्ता नही दिया जाता है, एवं अध्यावासियों से नियमित किराये की वसूली भी की जाती है, इसके अतिरिक्त आवासीय भवन में रहने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बिजली एवं पानी का उपयोग के अनुरूप भुगतान किया जाना चाहिए। जिला पंचायत के कर्मचारी/अधिकारी जो आवासीय भवनो में रह रहे हैं उनसे बिज़ली पानी व्यय नही वसूल किया गया है एवं इसका कोई विवरण नही रखा गया है, जबकि इसका भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा राजकीय राजस्व से किया जाता है। यह स्थिति वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है केवल विद्युत उपभोग का व्यय वसूल न किये जाने से जारी आपत्ति के अनुसार वर्ष 11–12 में रू0 1,69,200.00 राजकीय राजस्व की क्षति हुई है, जिसके लिए अपर मिख्य अधिकारी उत्तरदायी है।

आपत्ति सं. 23

प्रस्तर–4

कैन्टीन जो जिला पंचायत, इलाहाबाद के परिसर में है इसे किराये पर दिया गया है, इससे अध्यासी से वर्ष 1999 के उपरान्त एग्रीमेन्ट नही कराया गया है एवं निर्धारित किराया भी नही वसूल किया जा रहा है, वर्ष 1999 के एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार जुलाई 12 तक रू0 125,365.00 किराया बकाया है, एग्रीमेन्ट न कराये जाने से बकाये की धनराशि रू0 1,25,563.00 राजकीय राजस्व असुरक्षित है, नियमानुसार किराया न देने एवं एग्रीमेन्ट न कराये जाने पर कैन्टीन खाली कराया जाना भी आपेक्षित था, इसे वसूल किये जाने का वर्ष 11–12 से श्री एल.एन. खरे अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है।

आपत्ति सं0 28

प्रस्तर–5

विकास खण्ड करछना, चाका, कौधियारा, में वर्ष 11–12 में निम्नलिखित ईट भट्टे सुचारू रूप से चलते रहे है, वाणिज्य कर के अभिलेख में पंजीकृत है एवं कर जमा किया है पंचायत विभाग में लाइसेंस नहीं लिया गया है जिससे करारोपण भी नहीं हुआ है।

1.	सर्व श्री समीउल्ला ब्रिक फील्ड	पिपरिसा, घूपरपुर	17 पाया
2.	सर्व श्री विनायक उद्योग	पिपरिसा, घूपरपुर	18
3.	सर्वश्री गुप्ता एण्ड ब्रदर्स	नैनी	18
4.	सर्व श्री जयशंकर ईट उद्योग	घूरपुर	19
5.	सर्व श्री राज ईट उद्योग	घूरपुर	19
6.	सर्वश्री शम्भू ब्रिक फील्ड	घूरपुर	28
7.	सर्व श्री सिंह ब्रिक फील्ड	घूरपुर	20
8.	सर्व श्री संतोष ब्रिक फील्ड	इदारतगंज	21
9.	सर्व श्री दिनेश कुमार जायसवाल	घूरपुर	23
10.	सर्व श्री सुपर ब्रिक फील्ड	रीवां रोड	23
11.	सर्व श्री पहलवान ब्रिक फील्ड	उमरीकला, कौंधियारा	17

उक्त के अतिरिक्त निम्न ईट भट्टे जिला पंचायत के अभिलेख पर है परन्तु वर्ष 11–12 का लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया है।

1.	15 सर्वश्री हनुमान ब्रिक फील्ड	करछना	15 पाया
2.	क ओम ब्रिक फील्ड	करछना	16
3.	18 माँ लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	करछना	17
4.	08 पवन ब्रिक फील्ड	करछना	17
5.	31 आमना ब्रिक फील्ड	चम्पतपुर	17
6.	15 सहज ईट उद्योग	करछना	20
7.	34 कैलाश ब्रिक फील्ड	करछना	
8.	27 ओम ब्रिक फील्ड	सारंगापुर	
9.	13 कमल ब्रिक फील्ड	करछना	
10.	24 किरन ब्रिक फील्ड	मोनारी	
11.	37 गुरू ईट उद्योग	करछना	
12.	33 शिव शक्ति ब्रिक फील्ड	चाका	
13.	26 शैलेन्द्र ब्रिक उद्योग	करछना	
14.	56 स्वपनिल ईट उद्योग	करछना	
15.	09 स्टार ईट उद्योग	चाका	

उपरोक्त 26 ईट भट्टों से रू0 2,60,000.00 शुल्क व रू0 156,000 कर वसूल आरोपित न किये जाने से पंचायत राजस्व की क्षति हुई है जिसके लिए श्री एन.एन. खरे अपर मुख्य अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमारी तिवारी कर अधिकारी उत्तरदायी है।

कम्बल क्रय की प्रविष्ट स्टाक रजिस्टर में नही है एवं इसके उपभोग/वितरण का भी विवरण नहीं है, सम्परीक्षा को उपभोग/ वितरण की पुष्टि नहीं करायी गयीहै, जिससे क्रय एवं उपभोग संदिग्ध है, इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी है।

आपत्ति सं0 10

प्रस्तर–6

प्रमाणक सं0 62 से 73 दिनांक 07.06.11 द्वारा हिन्दुस्तान प्रेस से अदेयता प्रमाण पत्र छपवाने का भुगतान कैश बुक में अंकित है प्रत्येक बिल 4872.00 का है, कुल भुगतान 58464.00 का है, एक ही दिन में 12 बिल बिल काटने का कोई औचित्य नही होता है। वित्तीय नियमों का उलंघन करने के उद्देश्य से रू0 50,000.00 से अधिक के कार्य को टेण्डर के माध्यम से न कराने हेतु एक ही दिन में रू0 5000.00 से कम अपर मुख्य अधिकारी की वित्तीय सीमा के अन्तर्गत 12 बिल (प्रमाणक) प्राप्त किया गया है, इस प्रकार से किया गया भुगतान वित्तीय नियमों के विरूद्ध है, छपे हुए अदेयता प्रमाण पत्र की पुष्टि स्टाक रजिस्टर से नहीं करायी गई, इस प्रकार किया गया भुगतान नियमानुसार नहीं है, इस कृत्य के उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी है।

आपत्ति सं0 11

प्रस्तर–7

मोती लाल सभागार में फाल्स सीलिंग के कार्य रू0 9.98 लाख का ठेका श्री मनोज कुमार वर्मा को न्यूनतम टेण्डर रेट के आधार पर स्वीकृत किया गया, यह कार्य दिनांक 20.08.10 तक समाप्त किया जाना था, ठेकेदार को रू0 5,07,000.00 का भुगतान मार्च 11 में किया गया है।

इस कार्य के डिटेल ऑफ मैनेजमेंट/बिल ऑफ क्वान्टिटी में बिना किसी स्पेसिफिकेशन के फाल्स सीलिंग का रेट रू0 1475.00 प्रति स्क्वायर मीटर 575.63 स्क्वायर मीटर के लिए रू0 8,22.504/– निर्धारित किया गया है, जबकि जिला पंचायत, इलाहाबाद में फाल सीलिंग हेतु फाल सीलिंग का रेट रू. 900/– प्रति स्क्वायर मीटर बिना किसी स्पेसिफिकेशन के एक अन्य टेण्डर के लिए अब निर्धारित किया गया है, इस प्रकार टेण्डर करते समय रेट में अधिक दर प्रदर्शित करके 575 $ड^2$ पर रू0 (1475–900) 575. 00 की दर से रू0 3,30,987.00 का अधिक टेण्डर में धनराशि दी गई है।

ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 28.05.12 को ठेका रद्द कर दिया गया है, जमानत रू0 1,00,000.00 जब्त करने, शेष धनराशि इनके द्वारा कराये जाने वाले अन्य कार्य से समायोजित करने के आदेश दिए। दिनांक 31.05.12 को इनके द्वारा जमा एफ.डी.आर. बैंक भेज कर, जिला पंचायत के पक्ष में चेक देने का अनुरोध किया गया, इसके उपरान्त दिनांक 13.07.12 को एक माह के समय की स्वीकृत प्रदान कर दी गई, जो कि ठेका रद्द करने के उपरान्त नहीं की जा सकती है, अनेक अनियमिताओं के बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण की गई भुगतान राशि रू0 5,07,000/– वसूल किया जाना चाहिए, इस राजस्व की क्षति के लिए उत्तरदायी अधिकारी श्री एल0एन0 खरे अ.मु.अ. एवं श्री नीरज रस्तोगी अभियंता है।

आपत्ति सं0 11

प्रस्तर–8

जिला पंचायत कार्यालय भवन में फाल्स सीलिंग के कार्य हेतु रू0 9.98 का ठेका न्यूनतम टेण्डर के आधार पर श्री मसुरिया दीन वर्मा को दिया गया, यह कार्य दिनांक 20.08.10 को समाप्त किया जाना था, प्रथम रनिंग बिल के आधार पर रू0 425000.00 का भुगतान दिनांक 31.07.10 को किया गया है। डिटेल ऑफ मेजरमेंट एवं विल ऑफ क्वान्टिटी के आधार पर इस टेण्डर में रू0 48000/– के कूलर एवं रू0 4,00,000.00 के इलेक्ट्रिक सिटी फिटिंग की धनराशि रू0 9.98 के ठेके में सम्मिलित की गई।

उल्लेखनीय है कि इसी टेण्डर के साथ री मसुरियादीन वर्मा ठेकेदार को ही एक अन्य टेण्डर के माध्यम से दिनांक 20.05.10 को ही रू0 7,00,000.00 का टेण्डर स्वीकार करके कार्यादेश जारी किया गया है, इस प्रकार इलेक्ट्रिक सिटी के कार्य हेतु (एक ही कार्य के लिए) दो टेण्डर स्वीकार करके पंचायत राजस्व को क्षति पहुँचाई गई है।

ठेकेदार द्वारा रू0 4,25,000.00 का भुगतान प्राप्त करने के बाद कार्य नहीं किया गया है, दो वर्ष छः माह व्यतीत हो जाने के उपरानत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, वस्तुतः ठेका अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप ठेका रद्द करके जमानत जब्त करते हुए भुगतान की गई धनराशि ब्याज सहित वापस वसूल की जानी चाहिए। इस क्षति के लिए उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता है।

आपत्ति सं0 13 एवं 18

प्रस्तर–9 जिला पंचायत कार्यालय में इलेक्ट्रिफिकेशन एवं मरम्मत कार्य हेतु रू0 6,98,950.00का ठेका श्री मसुरियादीन वर्मा को न्यूनतम टेण्डर के आधार पर दिया गया, कार्यादेश सं0 128 दिनांक 20.05.10 द्वारा दिनांक 20.08.2010 तक कार्य समाप्त किया जाना था, टेण्डर देने से पूर्व मेजरमेंट एवं बिल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, जिससे कार्य में प्रयुक्त सामान का स्तर ज्ञात हो सके।

स्टेटमेंट फार इलेक्ट्रिफिकेशन में गणना की त्रुटि है। दिनांक 27.01.11 को रू0 2,98,000.00 का भुगतान किया गया है, सन्दर्भित कार्य दिनांक 31.03.13 तक पूर्ण न ही कराया गया है, अवर अभियनता की रिपोर्ट दिनांक 02.11.12 के अनुसार कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, इस प्रकार के अन्य मामलों में ठेका निरस्त कर दिया गया है, अतएव अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त करके रू0 2,98,000.00 वसूल करने की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना चाहिए, इस क्षति के जिम्मेदार अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता है।

आपत्ति सं0 27

प्रस्तर–10 जिला पंचायत कार्यालय इलाहाबाद के कार्यालय भवन का पार्टीशन एवं आन्तरिक साज सज्जा के कार्य हेतु श्री मनोज कुमार वर्मा को रू0 9.98 लाख का ठैका न्यूनतम टेण्डर के आधार पर दिया गया, ह कार्य दिनांक 20.08.10 को समाप्त किया जाना चाहिए था, दिनांक 31.01.11 को रू0 2,94,,500.00 का रनिंग भुगतान प्रदान किया गया। दिनांक 28.05.12 को अवर अभियन्ता की रिपोर्ट "कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है", के आधार पर दिनांक 28.05.12 को ठेका निरस्त कर दिया गया रू0 1,00,000.00 जमानत जब्त करते हुए दिनांक 04.08.12 को अन्य कार्यों से रू0 1,94,000.00 समायोजित करने का आदेश दिया गया। ठेकेदार की प्रार्थना पर दिनांक 13.07.12 को एक माह के अन्दर कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप ठेका रद्द करने के उपरानत पुनः समय दिया जाना नियमानुकूल नहीं है, ठेकेदार द्वारा इसके उपरान्त भी कार्य नहीं किया गया है अतएव किए गए भुगतान की वसूली ब्याज सहित की जानी चाहिए, किए गए भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता है।

आपत्ति सं0 30

प्रस्तर–11 पण्डित मोतीलाल नेहरू सभागार में आन्तरिक साज सज्जा एवं छत मरम्मत के कार्य हेतु रू0 5,02,000.00 का ठेका श्री मनोज कुमार वर्मा को न्यूनतम टेण्डर के आधार पर स्वीकृति किया गया यह कार्य दिनांक 20.08.10 तक समाप्त किया जाना था। दिनांक 31.03.11 को प्रथम रनिंग बिल के आधार पर रू0 2,69,000.00 मात्र भुगतान किया गया है। दिनांक 11.05.12 को निविदाकर्ता को नोटिस देकर सूचित किया गया कि कार्य नहीं कराया जा रहा है जो कि इकरारनामा की शर्तों के विरूद्ध है, इस नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28.05.12 को ठेका रद्द कर दिया गया, जमा जमानत रू0 52000/– जब्त करने के आदेश निर्गत किए गए।

ठेकेदार के अनुरोध पर ठेका निरस्त करने के उपरानत जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशानुसार एक माह का समय स्वीकार किया गया है, जो कि नियमों के विरूद्ध संयुक्त संगत नहीं है, इसके बाद भी कार्य नहीं कराया गया है।

निविदा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 28.05.12 के अनुरूप रू0 52000.00 जमानत जब्त करते हुए रू0 2,69,000.00 की वसूली अपेक्षित है, इसके लिए अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता उत्तरदायी हैं।

आपत्ति सं0 31

<u>प्रस्तर–12</u> राज्य वित्त आयोग/तेरहवा वित्त आयोग के अंशदान से निर्माण कार्य में मिट्टी के कार्य की दरों में भिन्नता पाई गई। संगत वर्ष में मिट्टी को कार्य हेतु रू0 51.00 प्रति घनमीटर की कर रही है, निम्नलिखित कार्यों में अधिक हर से टेण्डर में धनराशि की गणना करके भुगतान किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

क्र0 सं0	कार्य का नाम	भुगतान की दर j&M^3	रू0 51/M^3 से अधिक दर j&M^3	अधिक की गई भुगतान की राशि रू0	परिणाम M^3	वा0सं0
1	2	3	4	5	6	7
1.	सराय गोपाल में श्री राधेश्याम के घर से शिवपुर मार्ग	90.00	39.00	5289.00	135.62	03/20.04.11
2.	बड़ोखर टुड़िहार मार्ग से ग्राम दादर में (1) डॉ0 भाष्कर के घर तक	87.50	36.50	23714.00	649.69	2/2.07.11
		87.50	36.50	6483.00	177.65	
3.	ग्रा0वन वन बहरिया पटेल बस्ती से सी0सी0 रोड	87.50	36.50	22064.00	604.50	3/21.06.11
4.	कोटवा रोड से त्रिभुवन के मकान से प्रा0वि0 सुदनीपुर तक सी0सी0 रोड	124.00	73.00	38646.00	529.4	12/24.10.11
5.	बारा खास में दलित बस्ती में सी0सी0 रोड	87.50	36.50	9170.00	251.22	17/21.10.11
6.	बारा खास में दलित बस्ती में सी0सी0 रोड	87.50	36.50	9170.00	251.22	17/21.10.11
7.	बारा खास में दलित बस्ती में सी0सी0 रोड	87.50	36.50	9170.00	251.22	17/21.10.11
		87.50	36.50	9170.00	251.22	17/21.10.11
8.	जसरा/बारा में दलित बस्ती में सी0सी0 रोड	87.50	36.50	14308.00	392.00	
तेरहवां वित्त आयोग						
9.	धनुपूर में बरौत डिठौली मार्ग से यादव बस्ती में लेपन कार्य	66.00	15.00	5906.00	393.75	4/11.03.13
10.	मधवापुर में सियाडीह सदरेपुर मोतीचन्द के घर तक लेपन कार्य	66.00	15.00	7678.00	511.835 25.03.13	
11.	फूलपुर में सैदाबाद मार्ग में कल्याणी देवी मन्दिर तक इण्टर लाकिंग कार्य	66.00	15.00	3813.00	236.2518.00	6/31.03.08

उपरोक्तानुसार रू0 159803.00 का अधिक भुगतान किया गया है, जिससे पंचायत के राजस्व की क्षति हुई वसूली आपेक्षित उत्तरदायी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता है।

आपत्ति सं0 32.33

प्रस्तर–13 तहसील बारा/कोरॉव में गिट्टी बोल्डर/वाहन शुल्क की लाख जमा कराया गया, इस बोली हेतु तीन व्यक्ति व्यक्ति श्री घनश्याम कुमार–जसरा 2. श्री राजेन्द्र सिंह 3. श्री किशन लाल, हरदिहा उपस्थित हुए। इन बोली बोलने वाले से जमानत राशि जमा करने/वापस करने का विवरण (जारी रसीद) पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधिकतम बोलीकर्ता श्री धनश्याम कुमार द्वारा रू0 13,27,000/– की बोली स्वीकार की गई है। कार्यालय के निर्देशानुसार श्री घनश्याम कुमार द्वारा दिनांक 15.03.12 तक अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर/चरित्र प्रमाण पत्र/सालवेन्सी सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु इनसे वर्ष 11–12 के लिए वसूली कराई गई इस ठेका हेतु पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्न है :

2008–09		रू0 19,50,820.00
2009–10		रू0 13,10,000.00
2010–11		रू0 13,20,000.00
		रू0 39,80,820.00

इनका औसत रू0 13,26,940.00 होगा, इस पर 15: वृद्धि नियमानुसार जोड़ने पर रू0 15,25,981.00 होगा। इस प्रकार रू0 15,25,981.00 से कम पर संगत वर्ष के लिए ठेका देय नहीं था, रू0 13,27,000.00 का ठेका नियमों के विरूद्ध देकर (15,25,981–13,27,000) रू0 1,98,981.00 के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है, जिसके लिए अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है, क्षतिपूर्ति आपेक्षित है।

आपत्ति सं0 19

जिला पंचायत – फतेहपुर

आपत्तियो का विवरण

प्रस्तर–1 निम्नांकित निर्माण कार्यों में अनुमानित मात्रा से अधिक प्रयुक्त मात्रा दर्शाकर अतिरिक्त व्यक्ति धनराशि का अपहरण किया गया है।

(i) छिवलहा कोतला मार्ग से अलादातपुर तक सी0सी0 रोड–ल0 375 मी0:

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	अतिरिक्त भुगतानित धनराशि
C.C. 1:2:4 में 20mm stone grit	15.03m^3	4347/m3	65335.41
E/w Patri	44.70m^3	70/m^3	3129.00
			68464.41
			(अ0आ0सं0–1)

(ii) आलमपुर पक्की सड़क से लखन के घर होते हुए वसन्तपुर मार्ग तक सी0सी0 निर्माण।

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	वसूली योग्य धनराशि
C.C. 1:6:12 में 40mm stone Ballast	9.38m^3	1788/m3	16771.44
C.C. 1:2:4 में 20mm stone gritt	10.95m^3	4347/m^3	47599.65
Plaster	224.80m^2	65/m^2	14612.00 (अ0आ0सं0–1)
			78983.09

(iii) चौराई वसन्तपुर मार्ग से रिकौड़ा गांव होते हुए भुइयां बाबा तक सी0सी0 रोड का निर्माण

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	वसूली योग्य धनराशि
C.C. 1:6:12 में 40mm stone Ballast	9.34m^3	1788/m3	16699.92
C.C. 1:2:4 में 20mm stone gritt	19.77m^3	4347/m^3	85940.19
			102640.11 (अ0आ0सं0–1)

(iv) कोतला मुल्लन मार्ग से गाजीपुर गांव में राम भजन के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण–

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	वसूली योग्य धनराशि
C.C. 1:6:12 में 40mm stone Ballast	7.15m^3	1788/m3	12784.20
C.C. 1:2:4 में 20mm stone gritt	25.69m^3	4347/m^3	111674.00
E/W	8280.07m^3	70/m^3	57964.90 (अ0आ0सं0–1)
			182423.10

(v) ग्राम अशोधन में अनिल सिंह के मकान से अमर सिंह के बाग तक सी0सी0 रोड निर्माण

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	वसूली योग्य धनराशि
C.C. 1:6:12 में 40mm stone Ballast	8.23 m^3	432/m3	3594.25
C.C. 1:2:4 में 20mm stone gritt	17.04m^3	4347/m^3	74072.88 (अ0आ0सं0–1)
			77667.13

(vi) हनुमान के पुरवा में सड़क से गांव के अन्दर तक सी0सी0 रोड

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	वसूली योग्य धनराशि
Brick B/L	1.06m^3	432//m^3	457.92
Plaster	44m^2	65/m^2	2896.00
C.C. 1:6:12 में 40mm St/Ballast	1.70m^3	1788/m^3	3039.60
C.C. 1:2:4 में 20mm St/Ballast	2.26m^3	4347/m^3	9824.22 (अ0आ0स0–1) 16190.74

(vii) ब्लाक खजुहॉ में जोनिहॉ अमोली रोड से विलौना ग्राम में सी0सी0 रोड–

कार्य प्रकार	अधिक प्रयुक्त मात्रा	दर	वसूली योग्य धनराशि
E/W Patri	143.10 m^3	70/ m^3	10017.00
CC 1:6:12 esa 40mm St. Ball	221 m^3	1788/ m^3	3951.48
B/W	5.52 m^3	2360/ m^3	12696.00
S/g, 45-63mm t. Ballast	5.60 m^3	1477/ m^3	8271.20
Construction	"	115/ m^3	644.00
S/g 22.4-53 mm St/Ballast	5.57	1477/ m^3	8226.89
Consolidation	"	115/ m^3	640.55
Water alteration	5.60 m^3	18/ m^3	100.80
CC 1:2:4 esa 20mm St./Grit	10.20	4347/ m^3	44339.40(अ0आ0स0–1) 88887.32

प्रस्तर–2 आपूर्ति स्टाक में स्टाकिंग चार्ज जोड़कर ठेकेदारों को भुगतान किया गया है जबकि एम0बी0 में स्टाक किये जाने की पुष्टि नहीं है। अस्तु रू0 67219.58 की वसूली सम्बन्धित अभियन्ताओं से किया जाना अपेक्षित है।

क्र0	नाम कार्य	20mm S/G	40mm S/B	45-63 mm	22.4-53mm	Total
1.	कोतला मुल्लन मार्ग से भागीपुर गांव में राम भजन के घर तक सी0सी0	160.69m^3	160.90	-	[redacted]	321.59 m^3
2.	चौराई वसन्तपुर मार्ग सेरिकौहा गांव होते हुए भुइया बाबा तक सी0सी0	120.57 m^3	124.14 m^3	-	[redacted]	244.71 m^3
3.	आलमपुर पक्की सड़क से लखन के घर होते हुए वसन्तपुर मार्ग तक	124.35	135.53	-	[redacted]	262.88 m^3
4.	छिवलहा कोतला मार्ग से अलादात पुर तक सी0सी0	150.03	145.91	-	[redacted]	295.94 m^3

5.	ग्राम असोथर में अनिल सिंह के मकान से आभा सिंह के बाग तक मी0	117.84	113.62	-	-	231.46 m^3
6.	हनुमान के पुरवा में सड़क से गांव तक सी0सी0	92.26	104.20	-	-	196.46 m^3
7.	ब्लाक खजुहां में जोनिहा अमौली रोड से बिलौना तक सी0सी0	227.64	34.03	-	-	725.59 m^3
						2278.6 m^3
				(अ0आ0सं0–1)		@ 29.50
					वसूली	67219.58

प्रस्तर–3 Stone Grit एवं Stone B/L का Rate कबरई क्वेरी पर 653/m^3 है, जबकि कतिपय ब्लाकों में स्टोनग्रिट एवं स्टोन बैलिस्टिक की दर से 710ध्ध्^{3} लगाया गया है। अस्तु निम्नांकित विवरणानुसार (स्टाकिंग चार्ज घटाकर) रू0 35825.36 की वसूली सम्बन्धित अभियन्ताओं से किया जाना अपेक्षित है।

"ब्लाक खजुहॉ में जोनिहॉ अमौली मार्ग के निर्माण पर"

Kabrai Rate	Deduct Loading	Cartage Rate	10% C.P. Tax	Total Tax	4% T.T.	Total
653.00	(-) 19.00	623.40	63.40	7.00	53.11	1380.90

Paid 1476.80

As per Audit Rate 1380.90

Extra Paid 95.90

प्रयुक्त मात्रा–

45 – 66mm stone Ballast – 186.80m^3

22.4 – 53 mm Stone Grit. – 186.77m^3 (अ0आ0सं0–03)

योग 373.57m^3 x 95.90 = 35825.36

उपरोक्तानुसार कुल वसूली योग्य धनराशि रू0 718300.84 की जांचोपरान्त अपर मुख्य अधिकारी जिला सहायक अभियन्ता तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता तथा लेखाकार से क्रमशः 20ः ए 20ः ए 50ः एवं 10ः के अनुपात में वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं02 से 4 तक)

सी0सी0 रोड 1:6:12 का कार्य निर्धारित गुणवत्ता के आधार पर न कराकर (जैसे Base Concrete Work में Cement एवं Coarse Sand कका मिश्रण Stone Ballastict के साथ नहीं किया गया तथा प्राक्कलित मोटाई से कम मोटाई का कार्य कराकर ग्रान्ट का दुरूपयोग किया गया है। जैसे–

सितम्बर 11 से फरवरी 12 तक कुल Base Concrete मद में कार्य

जिसका रनिंग बिल से भुगतान किया गया $4748.22m^3$

Base concrete work esa Strimated concrete x 940.00

एवं C/Sand का मूल्य प्रतिघन मी0 दर रू0 940

उक्त मद में कुल दुरूपयोगित धनराशि रू0 4463326.80

उक्ता धनराशि पर 1 प्रतिशत जोड़ा गया Labour Tax 44633.25

Total Amount 4507960

मण्डल का नामः लखनऊ

जिला पंचायत–लखनऊ

आपत्तियो का विवरण वर्ष 2011–12

प्रस्तर–1 कतिपय ठेकेदारों को दिये गये ठेके की धनराशि में रू0 596957.00 अधिक भुगतान किया जाना, अधिक भुगतान के सम्बन्ध में संशोधित प्राकलन, जस्टिफिकेशन, विचलन चार्ट तैयार न किया जाना। (आ0सं0 4) उत्तरदायी–लेखाकार, बी0पी0डी0 अभियन्ता, ए0एम0ए0, सम्बन्धित ठेकेदार।

प्रस्तर–2 ठेकेदारों को दिये गये ठेके से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि सड़क निर्माण हेतु ठेकेदारों द्वारा मैक्स फाल्ट कहां से क्रय किया गया इससे सम्बन्धित बिल सलग्न नहीं है, स्थानीय डीलरों से मैक्स फाल्ट क्रय करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है, इनके बिलों से खाली ड्रमों की कटौती न करके रू0 31860/– का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया। (आ0सं0 5) उत्तरदायी–ए0एम0ए0, बी0पी0डी0, लेखाकार अभियन्ता।

प्रस्तर–3 48000.00 स्वीकृत ठेका धनराशि रू0 900000/– को बढ़ाकर 948000/– किया जाना, बढ़े हुये कार्य के सम्बन्ध में संशोधित प्राक्कलन, विचलन, जस्टिफिकेशन चार्ट तैयार न किया जाना ।

प्रस्तर–4 टैक्स रजिस्टर में निर्धारित कर को व्यवसायी के मांग वसूली रजिस्टर में कम दर्ज कर अथवा मांग स्थापित न करके रू0 62750/– की क्षति पहुंचाया जाना।

आ0 सं0	सन्निहित धनराशि	अभियुक्ति
18	900.00	मांग वसूली पंजी में मांग स्थापित न करना
21	6000.00	––तदैव––
24	4200.00	निर्धारित कर को कम करके मांग वसूली पंजी में दर्ज करना।
36	1050.00	निर्धारित कर को मांग वसूली पंजी में दर्ज न किया जाना।
42	37630.00	––तदैव––
45	100.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
46	100.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
47	100.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
53	6000.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
58	600.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
59	1200.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
64	260.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
67	800.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
68	2000.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
69	60.00	निर्धारित कर मांग वसूली पंजी में कम दर्शाया जाना।
70	1000.00	निर्धारित कर एवं गत वर्ष का बकाया रू0 2000/–के स्थान पर मात्र रू0 1000/– दर्शाकर क्षति पहुंचाया जाना।
73	750.00	निर्धारित कर को कम करके दर्शाया जाना।
योग–	**62750.00**	

उपरोक्त आपत्तियों से सम्बन्धित उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षण, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–5 वर्ष 2010–11 के अंत में पावना को 2011–12 में अग्रेनीत करने में त्रुटि करके रू0 424572/– की क्षति पहुंचाने के प्रकरण में निम्नवत प्रकाश में आये–

आ0 सं0	सन्निहित धनराशि	अभियुक्ति
19	750.00	
20	12090.00	पिछला बकाया को अग्रेनीत करने में त्रुटि करके बकाया कम दर्शाया जाना।
22	1000.00	
23	610.00	
26	73610.00	
27	9127.00	
29	130771.00	
30	36000.00	
31	27000.00	
32	1000.00	
33	890.00	
34	1500.00	
38	4680.00	
39	10800.00	

40	36000.00	वर्ष 2010–11 के बकाये को अग्रेनीत न करना रू0 30000/– तथा वर्ष की मांग निर्धारित कर रू0 6000/– कुल 36000/– को वर्षान्त में बकाया शून्य दर्शाकर क्षति पहुंचाना।
41	6750.00	पिछला बकाया कम अग्रेनीत कर क्षति पहुंचाना।
48	100.00	बकाया कम दर्शाया जाना।
49	400.00	बकाया कम दर्शाया जाना।
52	3660.00	गत वर्षों का निर्धारित कर की वसूली न होने पर भी बकाया शून्य दर्शाकर क्षति पहुंचाना।
54	1000.00	गत वर्ष का बकाया कम अग्रेनीत किया जाना।
55	290.00	गत वर्ष का बकाया कम अग्रेनीत किया जाना।
62	3000.00	गत वर्ष का बकाया कम अग्रेनीत किया जाना।
63	5000.00	बकाया अग्रेनीत न करना।
66	1000.00	बकाया कम अग्रेनीत करना।
74	60.00	बकाया कम अग्रेनीत करना।
76	10000.00	गत वर्ष का बकाया 2011–12 में अग्रेनीत न किया जाना।
81	3200.00	गत वर्ष का बकाया कम करके अग्रेनीत किया जाना।
91	9190.00	गत वर्ष का बकाया कम करके अग्रेनीत किया जाना।
92	13460.00	गत वर्ष का बकाया कम करके अग्रेनीत किया जाना।
93	1934.00	गत वर्ष का बकाया कम करके अग्रेनीत किया जाना।
94	7100.00	गत वर्ष का बकाया कम करके अग्रेनीत किया जाना।
95	12600.00	गत वर्ष का बकाया कम करके अग्रेनीत किया जाना।
योग –	**424572.00**	

उक्त आपत्तियों से सम्बन्धित उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एन0ए0

प्रस्तर–6 कर मांग वसूली रजिस्टर एवं टैक्स निर्धारण पंजी के अनुसार निर्धारित मांग व पिछला बकाया वसूल न करके संस्था को रू0 4622210/– की क्षति पहुंचाया जाना।

आ0 सं0	**सन्निहित धनराशि**	**अभियुक्ति**
25	787723.00	
44	42700.00	
56	1146960.00	
78	1368570.00	
82	332400.00	
87	304372.00	
88	507885.00	
96	96100.00	
97	35500.00	
योग –	**4622210.00**	

उक्त आपत्तियों से सम्बन्धित उत्तरादायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–7 कर निर्धारण रजिस्टर के अनुसारवर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में निर्धारित कर देयता में से कतिपय व्यवसायियों के करों में कमी करके तथा कतिपय व्यवसायियों की कर देयता को बिना किसी आधार/प्रमाण/अभिलेखों के देयता कम करके रू0 212132.00 की क्षति पहुंचाया जाना।

आ0 सं0	सन्निहित धनराशि	अभ्युक्ति
28 व 37	64540.00	वर्ष 2010–11 में निर्धारित कर को कम किया जाना बिना किसी आधार के कर निर्धारण सुनवाई के दौरान कम किया जाना।
77	35250.00	वर्ष 2011–12 में निर्धारित कर की धनराशि को बिना किसी आधार के कर देयता को समाप्त किया जाना।
84	14390.00	वर्ष 2011–12 में निर्धारित कर की धनराशि को बिना किसी आधार के कर देयता को समाप्त किया जाना।
90	79992.00	विभव व सम्पत्ति कर पंजी में कार्य बन्द, मृत्यु हो गयी जैसी टिप्पणी अंकित करके बकाया की वसूली न करके क्षति पहुंचाया जाना।

योग – 212132.00

उक्त आपत्तियों से सम्बन्धित उत्तरादायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–8 वर्ष 2011–12 में प्रारंभिक अवशेष रू0 5193056.00 दर्शित है जबकि दिनांक 31.03.11 को अंतिम अवशेष रू0 5258514.00 था इस प्रकार रू0 65458/– कम दर्शाकर संस्था को क्षति पहुंचायी गयी। (आ0सं0–98ब) उत्तरदायी–लिपिक हड्डी, चमड़ा, ए0एम0ए0

प्रस्तर–9 विभिन्न विकास खण्डों में हड्डी, चमड़ा, सींग आदि के भण्डारण, मृत पशुओं को ठिकाने लगाने हेतु दिये गये ठेकों की जांच करने पर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं कर संस्था को रू0 314158.00 की क्षति पहुंचाये जाने के प्रकरण में आये जिनका विस्मित उल्लेख लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यथा स्थान किया गया है। यथा–

आ0 सं0	**सन्निहित धनराशि**	**अभियुक्ति**
99 (1,2)	8766.00	शासनादेशानुसार नीलामी प्रक्रिया न अपनाकर कम दर पर ठेका देकर क्षति पहुंचायी गयी।

प्रस्तर–10 **<u>2011–12 राज्य वित्त आयोग</u>**

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये बिलों की जांच में यह भी प्रकाश में आया कि स्वीकृत ठेकों की धनराशि से अधिक धनराशि के बिल स्वीकृत एवं भुगतान किये गये, यही नहीं अत्यधिक विचलन होने की दशा में विचलन चार्ट व जस्टिफिकेशन भी नहीं बनाया गया था जिस कारण विचलन सत्यापित नहीं किया जा सका। यथा –

बिल का संदर्भ	बिल सं0 व तिथि	चेक संख्या	नाम ठेकेदार	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	भुगतान धनराशि	कुल अधिक भुगतान	विचलन का प्रतिशत
12वां वि0	16/ 18.4.11	866132	मे0के0बी0 ट्रेडर्स	फूलबाग नहर पुलिया से काकोरी नई बाजी सम्पक्र मार्ग लेप (मरम्मत कार्य)	300000	410861	110861	36.95
रा0वि0	21/ 18.4.11	866137	मे0 स्टार बिल्डर्स	जिला पंचायत कार्यालय में विद्युत कम मरम्मत एवं विद्युत वितरण, मरम्मत कार्य	664000	821474	157474	23.72
रा0वि0 अनुबंध पत्रावली	25.5. 12/ 3.53 लाख		शिवम इंटरप्राइजेज	ग्राम मसौरा के अवशेष भाग पर लेपन कार्य	200000	संशोधित प्राक्कलन 3. 53लाख	15300. 00	76.50
स0वि0 अनुबंध पत्रावली नोटशीट	21.9. 11/ 675622 स्वीकृत धनराशि		राजेन्द्र सिंह	भाई दास खेड़ामे मा0 बच्चा के घर के शिवचरन के घर तक मजरा ससपन में सी सी निर्माण कार्य 250 मी0	500000	संशोधित प्राक्कलन रू0 679611 675622 स्वीकृत	175622. 00	35.12
				योग	1664000	2260957	596957	

उपरोक्तानुसार ठेकेदारों को स्वीकृत ठेका धनराशि रू0 596957.00 अधिक भुगतान किया गया जिसमें विचलन 23.72% से 76.50% तक अधिक था विचलन सम्बन्धी जस्टिफिकेशन एवं विचलन सम्बन्धी चार्ट भी तैयार नहीं किया गया, उपभोग सामग्री का चार्ट भी नहीं बनाया गया।

उपरोक्त अनियमित/अधिक भुगतान कराके ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया जो संस्था हित में नहीं है। खदानों से प्राप्त निर्माण सामग्री पर देय रायल्टी के भुगतान की पुष्टि न होने के कारण बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति भी सम्भावित है। उत्तरदायी–लेखाकार, बी0पी0डी0, अभियन्ता, ए0एम0ए0 सम्बन्धित ठेकेदार।

प्रस्तर–11, राज्य वित्त आयोग/13वां वित्त

निर्माण सम्बन्धी पत्रावलियों में रक्षित इस्टीमेट में दर्शित मैक्स फाल्ट के उपभोग की मात्रा व दरें दर्शित हैं, ठेकेदार द्वारा मैक्स फाल्ट कहां से क्रय किया जायेगा इसका उल्लेख नहीं किया गया और न ही इसका उल्लेख किया गया है कि क्रय ड्रमों में क्रय किया जायेगा, अथवा बल्क में, मैक्स फाल्ट की दरों का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया, इसका आर0एम0आर0 तैयार नहीं है और न ही रिफाइनरी की दरें दर्शायी गयीं, इससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदारों द्वारा मैक्सफाल्ट स्थानीय डीलरों से क्रय किया गया जो निम्न स्तरीय होता है ऐसी स्थिति में कार्य की गुणवत्ता भी स्तरहीन होने की प्रबल सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन में दर्शित मैक्स फाल्ट की मात्रा के आधार पर 154 किग्रा0 प्रति ड्रम के अनुसार खाली ड्रमों की कीमत रू0 180/– प्र0 ड्रम की दर से रू0 31860.00 की कटौती नहीं की गई। पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार बाजार से मैक्स फाल्ट क्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसकी अनदेखी की गयी है।

	नाम ठेकेदार	कार्य का नाम	कुल मैक्स फाल्ट की मात्रा	154 किग्रा0 प्र0 ड्रम की दर से ड्रमों की संख्या	कटौती योग्य धनराशि
अनुबंध पत्रावली के अनुसार अनुबंध पत्रावली के अनुसार	1.मे0 ए आर कन्स्ट्रक्शन	कुर्सी रोड पर रूक्मणी कोल्ट स्टोरेज से नियमानुसार गांव तक लेपन कार्य	3.24 मी0 टन	22	3960
	2.सी0 कन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स	ग्राम मिश्रपुर में लेपन स्तर का अवशेष कार्य	2.65 मी0 टन	18	3240
	नोट – संशोधित आगणन एवं अंतिम बिल उपलब्ध न होने के कारण बिल ऑफ क्वान्टिटी के आधार पर उपभोग मात्रा के आधार पर ड्रमों की संख्या दर्शायी गयी।				
21/13.7.11/ रू0 286640.00	3. राजेन्द्र सिंह	मलिहाबाद में ग्राम बुलाकी घर से लेपड़िया तक लेपन कार्य	3.33 मी0 टन	22	3760

	नाम ठेकेदार	कार्य का नाम	कुल मैक्स फाल्ट की मात्रा	154 किग्रा0 प्र0 ड्रम की दर से ड्रमों की संख्या	कटौती योग्य धनराशि
18/6.7.11 रू0 444893.00	महाशक्ति ट्रेडर्स	ग्राम मैसोरा में बाधामऊ तक लेपन कार्य	3.807 मी0टन	32	5760
16/5.11.11 रू0 424348.00	एवरग्रीन इन्टरप्राइजेज	गोयला पंचायत का मजरा मुरलीपुरा तक लेपन कार्य	3.942 मी0 टन	26	4680
अनुबंध पत्रावली के अनुसार रू0 618263/–	प्रदीप कुमार शुक्ला पुत्र हरि किशोर शुक्ला	कानपुर डालखेड़ा से राधिकापुर की पुलिया तक लेपन कायर्य 700 मी0	6.73 मी0 टन	44	7920
अनुबंध पत्रावली 25/5/12 रू0 187139	मे0 शिवम् इंटरप्राइजेज	ग्राम मैखोरा के अवशेष कार्य में लेपन स्तर का कार्य 201 मी0।	1.93 मी0टन	13	2340
			योग	177	31860.00

ठेकेदारों के बिलों से मैक्सफाल्ट के खाली ड्रमों की कटौती न करके ठेकेदारों को रू0 31860/– अनियमित व अधिक भुगतान किया गया जिसकी क्षतिपूर्ति ब्याज सहित अपेक्षित है। खदानों से प्राप्त नियमित सामग्री पर रायल्टी की पुष्टि न होने से राजस्व की क्षति सम्भावित है। उत्तरदायी– लेखाकार, बी0पी0डी0, अभियन्ता, ए0एम0ए0 सम्बन्धित ठेकेदार।

प्रस्तर–12 राज्य वित्त आयोग/13वां वित्त आयोग–

ठेकेदारों के बिलों में लकड़ी की मात्रा का जो उपभोग दर्शाया गया, उसमें गीली लकड़ी की मात्रा भी अंकित है, जिस पर नियमानुसार 20 प्रतिशत की कटौती अनुमन्य है किन्तु कटौती नहीं की जिस कारण निम्नानुसार ठेकेदारों को रू0 22463/– का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया।

प्र0स0 व तिथि	क्र. सं.	नाम ठेकेदार	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लकड़ी की मात्रा (कुन्टल)	कटौती योग्य धनराशि (रू0)	दर प्र0 कुन्तल	धनराशि
अनुबंध बिलों से	1.	सी कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स	मिश्रपुर से लेपन स्तर का अवशेष कार्य	36.44	7.288	310/–	2259
	2	ए आर कन्स्ट्रक्शन	कुर्सी रोड पर रूक्मणी कोल्ड स्टोरेज से सामने से मिश्रपुर गांव तक, लेपन स्तर तक का कार्य	47.06	9.412	310/–	2918
34/3.7.11 रू0 36640/–	3	श्री राजेन्द्र सिंह	मलिहाबाद में ग्राम बुलाकी घर लेठड़िया तक लेपन कार्य	46.16	4.232	300/–	2770
8/6.7.11 रू. 444893	4.	मे0 महाशक्ति ट्रेडर्स	ग्राम मेसौरा में बाघामऊ तक लेपन कार्य	66.04	13.208	300/–	3962
15.11.11 रू0 424340 सं0 वित्त	5.	एवरग्रीन इंटरप्राइजेज	गोयला पंचायत का मजरा मुरलीपुरा तक लेपन कार्य	54.18	10.836	310/–	3359
अनुबंध पत्रावली रू0 618263 10.5.12	6.	मे0 प्रदीप शुक्ला पुत्र श्री किशोर शुक्ला	कानपुर डालखेड़ा से राधिकापुर की पुलिया तक लेपन कार्य 709 मी0	92.47	18.404	300/–	5548
अनुबंध पत्रावली रू0 187139 दि0 15.5.12	7	मे0 शिवम इंटरप्राइजेज	ग्राम मैखोरा के अवशेष कार्य में लेपन स्तर का कार्य 201 मी0।	26.57	5.314	310/–	1647
				योग			22463

ठेकेदारों के बिलों से लकड़ी आपूर्ति में 20 प्रतिशत नमी की कटौती न करके रू0 22463 का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया जिसकी क्षतिपूर्ति ब्याज सहित अपेक्षित है। उत्तरदायी–लेखाकार, बी0पी0डी0, अभियन्ता, ए0एम0ए0, सम्बन्धित ठेकेदार।

प्रस्तर–13 राज्य वित्त आयोग /13 वां वित्त आयोग –

संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि ठेकेदारों से अनुबंध करने पर स्टाम्प ड्यूटी कहीं कम कहीं अधिक लगायी गयी थी। यथा –

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	ठेके का कार्य	ठेके धनराशि	जमानत धनराशि	स्टाम्प डयूटी जो लगनी चाहिए /7:	लगाई गई स्टाम्प ड्यूटी	स्टाम्प ड्यूटी	
							कम	अधिक
1	मे0 महेश प्रसाद पुत्र श्री मोतीलाल	प्रा0 स्कूल में जंगीखेड़ा तक खड़ंजा	500000/–	50000 किन्तु 25000/– जमा	3500	4880	–	1380
2	ए आर कन्स्ट्रक्शन प्रो0 आगा रिजवान	वि0ख0 मलिहाबाद के अन्तर्गत नई बस्ती घनेवा में सी सी कार्य	700000/–	7000	4900	100	4800	–
3	आगा रिजवान पुत्र श्री आगा मुख्तार	कुर्सी रोड पर रूक्मणी कोल्ड स्टोरेज के सामने, मिश्रपुर तक लेपन कार्य	948000	90000	6636	100	6536	–
						योग–	11336	

क्रमांक 2 व 3 पर अंकित ठेकेदारों को दिये गये ठेकों की धनराशि पर 7 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क व लगवाकर मात्र रू0 100/–, रू0 100/– के स्टैम्प लगवाये गये जिस कारण रू0 11336/– राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी। उत्तरदायी–लेखाकार बी0पी0डी0, ए0एम0ए0 सम्बन्धित ठेकेदार।

प्रस्तर –14 राजस्व वित्त आयोग –

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृत ठेकों की अनुबंध पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि कतिपय ठेकेदारों से ठेके की जमानत धनराशि 10 से कम जमा करायी गयी है कतिपय प्रकरण उदाहरणार्थ निम्नवत् संग्रह किये गये,

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	कार्य का नाम	स्वीकृत ठेका की धनराशि	देय जमानत की धनराशि /10:	जमा करायी गयी जमानत धनराशि	कम जमा जमानत की धनराशि
1	मे0 महेश प्रसाद पुत्र मोतीलाल	प्रा0 स्कूल से जंगी खेड़ा तक खड़ंजा	500000/–	5000/–	25000	25000
2	मे0 ए0आर0 कन्स्ट्रक्शन	अमावां से राम किशोर सिंह के मकान से शिव शंकर सिंह के मकान तक सी0सी0 कार्य 165 मी0	499500/–	50000	25000	25000
3	मे0ए0आर0 कन्स्ट्रक्शन	कुर्सी रोड पर रूक्मणी कोल्डस्टोरेज के सामने से मिश्रपुर तक लेपन कार्य	948000 संशोधित	94800	90000	4800
4	मे0 महेश प्रसाद	अमानीगंज से वीटू के घर से सिया अवस्थी के घर तक सीसी कार्य 200 मी0	499250/–	50000	25000	25000
5	मे0 महेश प्रसाद	ग्राम लोनापुर में खड़ंजा कार्य	700000/–	70000	35000	35000
		योग–	3146750	314800	200000	114800

उपरोक्त ठेकेदारों को दिये गये ठेकों पर नियमानुसार 10 प्रतिशत की दर से रू0 314800/– जमानत जमा करायी जानी थी किन्तु मात्र रू0 200000/– जमानत जमा करायी गयी जो देय जमानत से रू0 114800/– कम थी।

इस प्रकार ठेकेदारों के कृत्यों से यदि संस्था को बड़ी आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई हेतु ठेकेदारों की जमानत पर्याप्त नहीं थी। नाम उत्तरदायी कर्मचारी अधिकारी–

प्रस्तर–15 मे0 ए0आर0 कन्स्ट्रक्शन को कुर्सी रोड पर रूक्मणी कोल्ड स्टोरेज के सामने से मिश्रपुर गांव तक लेपन कार्य 340 मी0 रू0 900000/– का ठेका दिया गया, ठेका स्वीकृत होने के बाद कार्य की मात्रा 360 मी0 रू0 948000/– लागत अंकित की गयी, बढे हुये कार्य के सम्बन्ध में संशोधित प्राक्कलन नहीं बनाया गया ना ही जस्टिफिकेशन तैयार किया गया, विचलन संबंधी चार्ट भी नहीं बनाया गया, उक्त कमियों के कारण इसकी जांच नहीं की जा सकी। रू0 48000/– अधिक भुगतान के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरूद्ध उचित कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी– लेखाकार बी0पी0डी0 ए0एम0ए0 सम्बन्धित ठेकेदार।

प्रस्तर–16 राज्य वित्त आयोग –

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेका पत्रावलियों की जांच में यह भी प्रकाश में आया कि ठेका अनुबंध पत्रावली में जमानत से सम्बन्धित एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न नहीं हैं जिस कारण जमानत जमा संदिग्ध है।

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	ठेका/फार्म का नाम	ठेका इत्यादि	जमा जमानत धनराशि	अभ्युक्ति
1	सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गौतम पुत्र स्व0 सुखदेव प्रसाद	बड़ागांव से बवरियाखेड़ा पुलिया से बाग तक सीसी	500000/–	50000/–	एफडीआर की छायाप्रति संलग्न नहीं एफडीआर का नंबर तक दर्ज नहीं
2	एवरग्रीन इन्टरप्राइजेज	सिंघमऊ सम्पक्र मार्ग से 88 नलकूप तक	500000/–	50000/–	संस्था के पक्ष में एनएससी नहीं है। रू0 10000/–की एनएससी है किन्तु 40000/– की एफडीआर की छायाप्रति नहीं है। एनएससी संस्था के पक्ष में बंधक नहीं है।
3	एवरग्रीन इन्टरप्राइजेज	ग्राम सभा गोयला का मजरा मुरलीपुरवा तक लेपन स्तर पायी गयी।	500000/–	50000/–	एफडीआर मात्र 40000/– की छायाप्रति संलग्न शेष 10000/– कम पायी गयी।
4	शिवम इंटरप्राइजेज	पनुआसांद डामर रोड से रानीखेड़ा ग्राम होते हुये रामपुर डामर रोड	400000/–	40000/–	एनएससी की छायाप्रति संलग्न नहीं।

		तक			
5	जावेद हुसैन सिद्दीकी	वि0खं0 चिनहट के अंतर्गत लक्ष्मी सक्सेना के घर से जेपी सिंह तेजबहादुर के घर तक	300000/–	30000/–	एफडीआर की छायाप्रति संलग्न नहीं।
6	महेश प्रसाद पुत्र मोती लाल	प्रा0 स्कूल से जंगी खेड़ा तक खड़ंजा	500000/–	50000/–	एफडीआर की प्रति संलग्न नहीं। एफडीआर मात्र 25000/– की जमा कराया जाना किन्तु वह भी संलग्न नहीं।
7	एआर कन्स्ट्रक्शन प्रो0 आगा रिजवान	वि0खं0 मलिहाबाद के अन्तर्गत नई बस्ती/धनेवा में सीसी	700000/–	70000/–	एफडीआर की छायाप्रति संलग्न नहीं
8	महेश प्रसाद	अमावां में राज किशोर सिंह के मकान से शिव शंकर सिंह के मकान तक सीसी कार्य 165 मी0	499500/–	25000/–	एफडीआर की छायाप्रति संलग्न नहीं
9	एआर कन्स्ट्रक्शन	कुर्सी रोड पर रूकमणी कोल्ड स्टोरेज के सामने से मिश्रपुर गांव तक लेपन कार्य।	948000/–	90000/–	एफडीआर की छायाप्रति संलग्न नहीं
		योग–	**4847500**	**455000**	

देय जमानत /10: रू0 485000/– के स्थान पर 455000/– जमा करायी गयी जो रू0 30000/– कम थी। जमानत धनराशि क्रमांक 8 व 9 पर अंकित ठेकेदारों से कम जमा करायी गयी थी, एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की छायाप्रतियां संलग्न न होना संस्था के पक्ष में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 बंधक होने की पुष्टि न कराया जाना। उत्तरदायी निर्माण लिपिक, लेखाकार, बी0पी0डी0, ए0एम0ए0

प्रस्तर –17

निर्माण पत्रावली संख्या 44 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम महुराकला रामपुर सम्पक्र मार्ग से गोपेश्वर मन्दिर तक सी सी कार्य सम्बन्धी ठेके हेतु 100 मी0 का विभागीय दर रू0 200000/– दर्शायी गयी इस कार्य हेतु तीन फर्मों की निविदायें निम्नवत् प्राप्त हुई –

1. मे0 प्रदीप कुमार शुक्ला विभागीय दर रू0 200000/–
2. मे0 स्टार बिल्डर्स 3% अधिक रू0 206000/–
3. मे0 शिवम् इन्टरप्राइजेज 6% अधिक रू0 212000/–

उक्त कार्य सम्बन्धी पत्रावली में रक्षित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नवत् आपत्तियां/कमियां प्रकाश में आयी–

1. निविदायें किस समाचार पत्र में किस दिनांक को प्रकाशित की गई इसकी कटिंग रक्षित नहीं है। निविदा का विवरण एवं कार्य सम्बन्धी उल्लेख की जांच उक्त के अभाव में नहीं की जा सकी।
2. विभागीय दरों का आगणन 100 मी0 हेतु रू0 2703118.64 का तैयार किया गया जो न्यूनतम दर से रू0 70318.64 अधिक था जो 35.15% अधिक था।
3. वास्तविक कार्य 120 मी0 विभागीय दर रू0 343994.60 का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया गया जो पूर्व में तैयार प्राक्कलन रू0 2.70 लाख से 27.41% अधिक था तथा निविदायें रू0 200000/– की आमंत्रित की गयी जो 72% एवं रू0 143995/– अधिक थी इससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त कार्य का आगणन जो तैयार किया गया था वह क्षेत्र में जाकर तैयार न करके कार्यालय अथवा घर में बैठकर अभियंताओं द्वारा तैयार किया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि क्रमांक 1 पर दर्शित ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु ऐसा किया गया जो संस्था व राजकीय हितों के विपरीत है। ठेकेदार को रू0 343994/– का भुगतान आयकर रू0 6880/– व्यापार कर 13760/– काटकर 323354/– रू0 323354/– को किया गया।
4. क्रमांक 1 पर दर्शित ठेकेदार की दरें जो विभागीय दर रू0 200000/– पर स्वीकृत की गयी, इसकी 10% जमानत 20,000/– की एफडीआर की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं पाई गई।
5. ठेके की धनराशि में वृद्धि होने पर रू0 34400/– की एफडीआर संस्था के पक्ष में बंधक करायी जानी थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया।
6. निर्माण पत्रावली में कार्य सम्बन्धी अत्यधिक वृद्धि होने पर भी विचलन एवं जस्टिफिकेशन तैयार नहीं किया गया, किन–किन मदों में कितना विचलन हुआ अपुष्ट रहा।
7. निविदाएं सील्ड नहीं सभी निविदाएं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई, निविदाओं में प्राप्ति पत्रांक व दिनांक दर्ज नहीं है।

8. निविदाएं किस अधिकारी द्वारा कब प्राप्त की गयीं कब व किस अधिकारी द्वारा किन–किन अधिकारियों के समक्ष खोली गईं इसका उल्लेख भी नहीं पाया गया।

9. श्री प्रदीप कुमार शुक्ला ठेकेदार को पत्रांक 1013/नि0अनु0/जि0पं0/2011–12 द्वारा जिला पंचायत के अभियंता द्वारा उकत कार्य से सम्बन्धित निविदा दिनांक 30.05.2011 जो स्टीमेट दर अर्थात् 200000/– लागत की है, अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत करने का उल्लेख है, पत्रावली में विभागीय दर रू0 200000/– से सम्बन्धित कोई आगणन रक्षित नहीं था।

10. खदानों से प्राप्त निर्माण सामग्री पर रायल्टी भुगतान अपुष्ट रहने से राजस्व की प्राप्ति भी सम्भावित है।

उक्त कमियों के कारण ठेकेदार के साथ मिलीभगत व सांठ–गांठ की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी–निर्माण लिपिक, लेखाकार, बी0पी0डी0, अभियन्ता, ए0एम0ए0

प्रस्तर–18 निगोहा बखलिया रजि0 में वर्ष 2010–11 का कर अवशेष रू0 420668/– दर्शित था, किन्तु 2011–12 में अग्रेनीत करने में त्रुटि करके मात्र रू0 408578/– दर्ज किया गया जो रू0 12090/– कम का सम्बन्धित व्यवसायियो की गत वर्ष की देयता का मिलान कर अंतर दूर किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–19 मोहनलालगंज व ब्लाक से सम्बन्धित विभव व सम्पत्ति कर रजिस्टर की जांच करने पर निम्नवत् क्षेत्रों से सम्बन्धित रजिस्टरों में प्रारम्भिक अवशेष रू0 73670.00 कम दर्शाये गये थे –

क्षेत्र का नाम	2010–11 में अंतिम अवशेष	वर्ष 2011–12 में दर्शित प्रारंभिक अवशेष	वर्ष 2011–12 में दर्शित अवशेष कम
बखलिया व अन्य	420668	408578	12090.00
मोहनलालगंज, मऊ	1434385	1372805	61580.00
		अन्तर कम दर्शित	73670.00

उक्त पंजिकाओं में प्रारम्भिक अवशेष कम दर्शित होने के कारण रू0 73760.00 से वर्षान्त में पावना भी प्रभावित रहा।

उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षका, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–20 टैक्स रजि0 की जांच में प्रकाश में आया कि विभिन्न व्यवसायियों पर जो कर देयता 2010–11 में थी उनमें से कतिपय व्यवसायियों के करों में रू0 64540/– कमी की गई तथा कतिपय व्यवसायियों के करों में सुनवाई करने के पश्चात रू0 17960/– कर निर्धारण में कमी की गई। करों में कमी करने के सम्बन्ध में कोई आधार/अभिलेख उपलब्ध नहीं हुये जिस कारण इसकी सार्थकता सत्यापित नहीं की जा सकती। उक्त के सम्बनध में जांच एवं पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–21 विभव व सम्पत्ति रजि0 (अतरौली व अन्य गांव) के अनुसार वर्ष 2010–11 में अंतिम अवशेष रू0 766626/– दर्शित है। किन्तु इस अवशेष को वर्ष 2011–12 में फारवर्ड करने पर रू0 635855/– दर्ज किया गया जो रू0 130771.00 कम है, अंतर का कारण स्पष्ट करते हुये अंतर दूर किया जाना अपेक्षित है।

उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–22 गोपाल खेड़ा गांव में फन सिटी वाटर पार्क से वर्ष 2010–11 में पाना रू0 40000/– दर्शित था जिसे 2011–12 में ट्रांसफर करने में त्रुटि करके मात्र 4000/– दर्ज किया गया जो रू0 36000/– कम था, आलोच्य वर्ष में रू0 6000/– कर आरोपित किया गया किन्तु वसूली न होने पर रू0 46000/– पाना दर्शाया जाना था किन्तु मात्र रू0 10000/– अवशेष दर्शाया गया जो रू0 36,000/– कम था, सम्बन्धित फर्म से वसूली के साथ–साथ नियमानुसार ब्याज भी वसूली किया जाना अपेक्षित है।

उत्तरदायी– कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–23 मोहनलालगंज गांव में पृ0 सं0 198 क्रमांक 272 पर अपना सेवा समिति द्वारा संचालित नर्सिंग होम पर पिछला बकाया रू0 1200/– दर्ज किया गया है जबकि इन पर रू0 12000/– बकाया था इस प्रकार फर्म पर रू0 10800/– पिछला बकाया कम दर्शाया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–24 मोहनलालगंज गांव में मे0 नरायन मोटर प्रा0 लि0 क्रमांक 321 पृ0 सं0 233–234–235 पर दर्ज है, पृ0 सं0–235 पर वर्ष 2010–11 में रू0 30,000/– बकाया दर्ज था जिसे 2011–12 में फारवर्ड नहीं किया गया, आलोच्य वर्ष में रू0 6000/– कर निर्धारण किया गया, इस प्रकार कुल बकाया बढ़कर रू0 36000/– हो गया किन्तु इस फर्म पर कोई बकाया दर्शित नहीं है जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। ब्याज सहित रू0 36000/– भी वसूली वांछित है। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–25 वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये कर निर्धारण रजि0 एवं कर मांग वसूली व बकाया रजि0 में जांच करने पर प्रकाश में आया कि टैक्स निर्धारण पंजी0 में आरोपित कर को धनराशि एवं मांग वसूली पंजी0 में दर्शित धनराशि में भिन्नता थी। यथा– कतिपय फर्मों के खातों में मांग कम स्थापित कर रू0 37630/– की क्षति पहुंचायी गयी।

ब्लॉक व गांव का नाम	नाम फर्म/ संस्था	टैक्स पंजी में दर्ज	मांग वसूली पंजी0 में दर्ज	अन्तर मांग कम	वसूली में दर्ज अधिक
चिनहट खरगापुर जगीर	सर्वश्री राम नरेश	660	360	300.00	–
"	विनय कुमार	660	480	180.00	–

"	हरीराम	—	480	—	480.00
"	परशुराम उमराव	660	360	300.00	—
"	न्यू भारत टेलर्स	660	360	300.00	—
"	रहमत खां अहमद	—	360	—	360.00
"	सहारा फेब्रीकेटर्स	660.00	400.00	260.00	—
"	स्टाइल मेन्स पार्लर	—	660.00	—	660.00
मलिहाबाद सन्यासीबाग	नन्द किशोर	—	660.00	—	660.00
"	शिवराज	750.00	—	750.00	—
मनकौटी	एजाज कोटेदार	660.00	—	660.00	—
वाजिदनगर	सियाराम	—	660.00	—	660.00
ठेठेमऊपुरवा	जमालुद्दीन कमालुद्दीन	—	1500.00	—	1500.00
रहीमाबाद	सिराज हुसैन	610.00	660.00	—	50.00
"	श्रीमती तल्लन पत्नी स्व0 जय प्रकाश	—	610.00	—	610.00
"	राधेश्याम	—	610.00	—	610.00
"	देवेन्द्र कुमार गुड्डू	660.00	360.00	300.00	—
गोसाईगंज	जय गुरूदेव लोहा भण्डार	660.00	—	660.00	—
"	शुक्ला रेडियोज	660.00	—	660.00	—
"	शुक्ल जन–स्टोर	610.00	—	610.00	—
"	संतोष ज्वैलर्स	1200.00	1800.00	—	600.00
"	न्यू फ्लेक्सी	610.00	660.00	—	50.00
"	सत्यम आभूषण	—	800.00	—	800.00
"	अजय कुमार	—	660.00	—	660.00
"	महेन्द्र सिंह	660.00	—	660.00	—
"	माता प्रसाद मैकूलाल	—	660.00	—	660.00
मोहनलालगंज बखलिया	राधेश्याम रामशंकर	660.00	—	660.00	—
भीलमपुर	राम प्रसाद हरी प्रसाद	—	610	—	610
"	रहस्य बिहारी	—	610	—	610
भदेसुआ	रमेश श्री कृष्ण	—	360	—	360
भसण्डा	नन्दन शिवदयाल	—	610	—	610
"	जेएमपी इण्ड प्रा0लि0	6000	3500	2500	—
डेहवा	राजा राम महावीर	—	610	—	610
गुमानगंज	जय मां भवानी	1200	900	300	—

"	नियाज अहमद	900	630	270	—
निगोहा	विनोद तिवारी	750	—	750	—
"	ऐश मो0 आरिफ मोहम्मद	900	—	900	—
गोविन्दपुर करौड़ी	रमेश राजेन्द्र यादव	750	610	140	—
कुशमौरा	राम शंकर	610	—	610	—
राती अहिरवार	बल्देव यादव	660	360	300	—
"	राधे	660	360	300	—
"	कालीचरन	660	360	300	—
सिसेन्डी	पंडित अवधेश	660	—	660	—
"	शानू फैशन सेन्टर	610	—	610	—
नवीनगर	कमल किशोर	610	—	610	—
समेसी	हनुमान पुत्र मुइयादीन	1200	—	1200	—
"	वर्मा किराना स्टोर	610	—	610	
बी0के0टी0 रामपुर बेहड़ा	वेलकम फिलिंग सेन्टर	3000	1000	2000	—
कुम्हरावां	राजकुमार त्रियुगी	1200	600	600	—
अमानीगंज	समीर नर्सिंग होम	610	—	610	—
"	सरोज कुमार जन0 मर्चे0	610	—	610	—
"	राम चन्दर	610	360	250	—
पैगरामऊ	इण्डियन हार्डवेयर	600	6000	—	5400
उसरना	मुन्ना पुत्र स्वामी	610	—	610	—
गढ़ा	विपत्त पुत्र गनेशी	610	—	610	—
करीमनगर	राम कुमार मिठाई	610	—	610	—
"	श्रीपाल	610	—	610	—
रसूलपुर सादात	राम शरण पासदीन परचून	450	—	450	—
मिसिरपुर	हासिम साइकिल स्टोर	1500	900	600	—
आधारखेड़ा	छोटे लाल (परचून)	660	—	660	—
पहाड़पुर	अहमद मुर्तजा	660	360	300	—
"	शुक्ला खाद भण्डार	750	—	750	—
अचरामऊ	कलाम पुत्र इस्लाम	3000	650	2350	—
मोहनलालगंज खुजौली	दिनेश नौमीलाल	610	—	610	—

मऊ	डॉ0 ओम प्रकाश मिश्र (दवाखाना)	1800	–	1800	–
मोहनलालगंज	मयंक मेडिकल स्टोर	660	610	50	–
"	चौहान नर्सिंग होम	1500	1250	250	–
"	समता मेडिकल स्टोर	610	–	610	–
"	नयन पी सी ओ	610	–	610	–
"	पाल टेन्ट हाउस	610	–	610	–
"	डायमण्ड रिसार्ट एण्ड क्लब	6000	–	6000	–
	योग–	56310	35240	37630	16560

उपरोक्तानुसार टैक्स पंजी में रू0 56310 टैक्स आरोपित है, जबकि मांग वसूली पंजी में रू0 35240/– दर्ज किया गया जिसमें कुल व्यवसायियों के खाते में 37630/– कम एवं कुछ मं रू0 16560/– अधिक दर्ज था जिन फर्मों के खातों में अधिक मांग दर्ज की गयी है उनके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

कतिपय व्यवसायियों के खातों में मांग कम दर्ज करके संस्था को रू0 37630/– की क्षति पहुंचायी गयी, इस प्रकार ऐसी फर्मों के साथ सांठगांठ करने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–26 मे0 एसोसिएटेड केमिकल्स प्रो0 शशीकान्त जायसवाल मांग वसूली पंजी के पृ0 सं0–214 क्रमांक 45 पर दर्ज है उक्त फर्म पर गत वर्ष का रू0 10000/– बकाया था जिसे वर्ष 2011–12 में शामिल नहीं किया गया वर्ष में मांग भी स्थापित नहीं पायी गई इसका कारण स्पष्ट करते हुये उचित कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–27 उपलब्ध कराये गये टैक्स रजि0 की जांच में यह तथ्य भी प्रमुख रूप से प्रकाश में आया कि फर्मों/संस्थानों/व्यक्तियों आदि पर वर्ष 2011–12 में कर निर्धारण कर दिया गया था, इसके बावजूद कर पंजिका में प्रायः यह लिख कर काट दिया गया था कि "पूर्व में ही कार्यबन्द की सूचना दी जा चुकी है" कार्य बन्द है। वर्ष में कार्य नहीं किया गया आदि।

कुल उदाहरण निम्नवत संग्रह किये गये –

ब्लॉक का नाम	गांव	नाम फर्म/संस्थान/व्यक्ति	आरोपित कर
चिनहट	धावा	सर्व श्री मान बाबू उर्फ राजू	3000/–
	धावा	फकीरे लाल हार्डवेयर सीनेट्री	1500/–
	धावा	सोहनलाल विश्वनाथ जन0 स्टोर	750/–
	धावा	शिवम् फ्लोरेट	750/– आदि

गनेशपुर	कानपुर ट्रक्टर लि0 (मारुति स्थल समेरा फैजाबाद रोड (गोदाम)	3000/–
गनेशपुर	रामनरेश संत राय (परचून)	750/–आदि
मलेसेमऊ	अकील पुत्र सामुपुदी परचून	500/–
	अबीद पुत्र इसहाक परचून	500/–आदि
तिवारीगंज	आराम प्लाईवुड प्लाईवुड	3000/–
	मो0 इमरान खां पुत्र श्री एस ए खान साइबर कैफे	
उत्तरधौना	भगवती सिंह पुत्र अनंतपाल	750/–
देवा रोड	आटो स्टील प्रा0 लि0	2000/–
	रूलर आटो मोहित मोटर बाइण्डिंग	1800/–
सराय शेख	गुप्ता ट्रेडर्स (सीमेण्ट)	1000/–
भिठौली खुर्द	मुशीर अहमद (किराये पर दुकान)	2000/–
	बक्शी रोड लाइन्स, ट्रांसपोर्ट	2000
घैला	कैरियर इन्स्टीट्यूट आफ डेन्टल प्रो0 अजय मेडिकल कालेज	2000/–
पूरबगांव	कुबेर जन0 स्टोर प्रो0 संजय कुमार	750/–
रायपुर	कुक्कू पी0सी0ओ0	750/–
रैथा	रामू सिंह पुत्र सूरत सिंह आढ़त फल सब्जी	1000/–
	रवीन्द्र बाजपेयी पुत्र परशुराम	1250/–
मुत्तकीपुर	सोमित फर्नीचर प्रोसेसिंग (हार्डवेयर)	750/–
सैदपुर/सैदपुर	रामगोपाल पुत्र गजोधर (लोहा भण्डार)	750/–
नौवा खेड़ा	शंकर स्टील प्रो0 रमाशंकर लाल (लोहा भण्डार)	750/–
जुगौर	कोटा शक्कर प्रो0 तौहीद	750/–
	पप्पू राजा राम मिठाई दुकान	750/– इत्यादि
	योग –	**35250.00**

उक्त फर्मों/संस्थानों/व्यक्तियों पर कर आरोपित करने के उपरान्त कर निर्धारण पंजी में काटपीट किया गया है जो गंभीर आपत्तिजनक है। इस कारण नियमावली बिना वसूली के कटौती करने से रू0 35250/– से संस्था को क्षति पहुंचायी गई, इस सम्बन्ध में शामिल निर्धारित दर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

उत्तरदायी – कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–28 मलिहाबाद ब्लॉक से सम्बन्धित कर निर्धारण रजि0 वर्ष 2011–12 की जांच में यह भी प्रकाश में आया है कि कुद व्यवसायी जो गत वर्षो में कार्यरत रहे, उनमें से कतिपय फर्मों, व्यवसायियों के आगे दर्ज कर की धनराशि के समक्ष यह लिख कर काट दिया गया कि "कार्य बन्द" मृत्यु हो गयी" कर योग्य नहीं" ऐसे व्यक्तियों पर रू0 14390/– गत वर्ष आरोपित किया गया था, जिसे वर्ष में समाप्त कर दिया गया, इसकी पुष्टि हेतु कारोबारियों के स्तर से कोई सूचना व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण यह कमी अपुष्टित रही।

मलिहाबाद – कर निर्धारण रजिस्टर 2011–12 में दर्शित पुराना कर रू0 234030/– नया कर रू0 2690/– कर वृद्धि रू0 4710/– कुल रू0 265700/– में से ऐसे कारोबारी जिन्होंने कार्य नहीं किया रू0 14390/– घटाने के पश्चात वर्ष में प्रस्तावित कर रू0 251310/– दर्शित है तथा पूर्व वर्षों का मात्र रू0 1329960/– कुल रू0 1581270/– की वसूली होनी थी, जिसकी वसूली हेतु ठोस एवं प्रभावी प्रयासों के अभाव में मात्र रू0 138821/– ही वसूल हो सके जो 8.78 प्रतिशत था, यह स्थिति अति गम्भीर है। अतः इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित कर तदानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी–कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

86. गोसाईगंज – गोसाईगंज ब्लॉक से सम्बन्धित कर मांग वसूली व बकाया पंजी की जांच करने पर प्रकाश में आया कि निम्नवत गाँव से सम्बन्धित व्यवसायियों के बकाया को 2011–12 में ट्रांसफर नहीं किया गया और न ही 2011–12 में कर निर्धारण सम्बन्धी प्रविष्टियाँ की गईं, जिस कारण वर्ष 2011–12 में कर निर्धारण, पिछला बकाया, कुल बकाया एवं वसूली की स्थिति दर्ज नहीं पाई गई यथा –

पहाड़नगर टिकरिया, सलौली, सिकन्दरपुर अमोलिया, सठवारा, सोनाई कजेहरा, शिवलर, शेखनापुर कोडरा, रकीकाबाद, बेगरिया, चिल्लैला, जमालपुर, कुँवर बहादुर खेड़ा, गजरिया फार्म, लक्ष्मनपुर, सामऊ, काजीखेड़ा, सल्लाही खेड़ा, बाजपुर का पुरवा, महमूदपुर भीसा, मलौली, नूरपुर बेहटा, निजामपुर, मुहारी खुर्द, पचसरा, मलौली इत्यादि।

मांग वसूली पी अपूर्ण लिखे होने के कारण वर्ष का वास्तविक कर निर्धारण वसूली एवं वर्षान्त में अवशेष कर की स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला जा सका। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर–29 सरोजनीनगर ब्लॉक – लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये विभव तथा सम्पत्ति कर रजिस्टर की जांच में प्रकाश में आया कि अधिकांश व्यक्तियों/व्यवसायियों पर वर्तमान मांग स्थापित नहीं की गयी यही नहीं बहुत बड़ी धनराशि बकाये में होने के बावजूद बकाये की वसूली भी नहीं की गई थी कतिपय उदाहरण निम्नवत संग्रह किये गये हैं –

क्र. सं.	ग्राम का नाम	नाम व्यवसायी	पेशा	विभव एवं सम्पत्ति का अभिधारण	देय कर	वर्तमान मांग	पिछला अवशेष	कुल वसूल	वर्ष में अवशेष
1	लतीफनगर	सर्व श्री रमेश कुमार	सा0 टेन्ट हाउस	20333.00	610	610	2000	–	2610
2	लतीफनगर	सोधन सह समिति	खाद/कपड़ा	20333.00	–	–	5830	–	5830
3	लतीफनगर	पवन	मेडिकल स्टोर	20333.00	610	610	3135	–	3745
4	लतीफनगर	उमेश वर्मा	किराना स्टोर	20333.00	610	610	720	–	1080
5	लतीफनगर	त्रिवेदी टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	22000.00	660	660	4560	–	5220

6	लोनह	सुशील	पालेशर	23333.00	700	700	3500	—	4200
7	लोनह	विजय सिंह	खाद	20000.00	600	600	5400	—	6000
8	मौदा	साधन सह0 समिति	खाद / कपड़ा	—	—	—	6600	—	6600
9	सदरौना परसाड़ी खेड़ा	नाजिम अली	चक्की	20000.00	600	600	5000	—	5600
10	बन्थरा	शंकर स्टील्स	सीमेन्ट मौरंग	50000.00	1500	1500	16000	—	17500
11	बन्थरा	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक	100000.00	3000	3000	32000	—	35000
12	बन्थरा	जिला सह0 बैंक	बेंक	100000.00	3000	3000	32000	—	35000
13	बन्थरा	अपना धर्म कांटा	धर्मकांटा	66666.00	2000	2000	235000	—	25500
14	बन्थरा	सेक हाट निन्स प्लांट	हॉट मिन्स प्लाट	—	—	—	6000	—	6000
15	बन्थरा	लखनऊ टेक्नॉलोजी ऑफ टेक्नोलॉजी	इंजी0 कालेज	200000.00	6000	6000	18000	—	24000
16	बन्थरा	सूरज हासमिक्स प्लांट	हॉट मिन्स प्लांट	200000.00	6000	6000	18000	—	34000
17	सराय	शहजादी मिश्रा	पेट्रोल पम्प	—	—	—	34000	—	34000
18	कल्ली पश्चिम	कोआपरेटिव बैंक	बैंक	200000.00	6000	6000	5000	—	56000
19	कल्ली पश्चिम	नन्हक्के पुत्र सुमिरन	चक्की व पालेसर	100000.00	3000	3000	23000	—	26000
20	कल्ली पश्चिम	राधेकृष्ण ट्रेक	बिल्डिंग मेटेरियल	100000.00	3000	3000	15000	—	18000
21	कल्ली पश्चिम	बैंक ऑफ इण्डिया	बैंक	200000.00	6000	6000	46000	—	52000
									393885.00
			2011—2012						
	बिजनौर	बैंक ऑफ इण्डिया	बैंक	200000.00	6000	6000	50000	56000	56000
	बिजनौर	हीरालाल	दफ्ती कारखाना	—	—	—	22000	—	56000

बिजनौर	बिजनौर नर्सिंग होम	नर्सिंग होम	–	–	–	18000	–	18000
बिजनौर	रोशन इलेक्ट्रिक	इलेक्ट्रिक	100000.00	3000	3000	15000	–	18000

योग–507885

उपरोक्त बकायेदारों पर गत वर्षों का देय एवं वर्ष की मांग की वसूली न किये जाने के कारण बकाया धनराशि में वृद्धि होती जा रही है, बकाया वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण यह धनराशि अशोद्ध हो जाने की प्रबल सम्भावनाएं विद्यमान हैं, अतः इस सम्बन्ध में आर0सी0 जारी कराके ब्याज सहित वसूली वांछनीय है। उत्तरदायी– कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–30 लेखा परीक्षा में यह भी प्रकाश में आया कि कतिपय व्यवसायियों के नाम में परिवर्तन टी0सी0 द्वारा किया जाना दर्शित है, इस सम्बन्ध में व्यवसायी का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में नाम परिवर्तन अपुष्टित रहा। कतिपय उदाहरण निम्नवत है। यथा –

ब्लांक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम व क्रमांक जिस पर नाम दर्ज है।	नाम व्यवसायी जिसका नाम प्रारम्भ में था	वर्ष 2011–12 तक का बकाया जो मूल व्यवसायी पर था	नाम व्यवसायी जिसका नाम परिवर्तन किया गया	निर्धारित वसूली कर वर्तमान में तथा पिछला बकाया	वसूली	वर्षान्त में बकाया
सरोजनी नगर	बन्थरा, 198	सर्वश्री सन्तोष क्लाथ हाउस प्रो0 सन्तोष कुमार पुत्र रामचन्दर	3660/–	सर्वश्री उत्तर गारमेन्ट्स प्रा0 उत्तम कुमार पुत्र राम चन्दर	360/–+ 3660/–= 4020	–	4020/–
सरोजनी नगर	बन्थरा, 206	सुशील किराना मर्चेन्ट प्रो0 सुशील	3960/–	रतन ट्रेडर्स प्रा0 संजीव रतन व राजीव रतन पुत्र सरजू प्रसाद	610 + 3960 = 4570	–	4570/–
सरोजनी नगर	बन्थरा, 245	गुप्ता ट्रेडर्स प्रो0 शिव मोहन	2660	शुभम ट्रेडर्स प्रो0 राम मोहन गुप्ता	610 + 2660	–	3270/–
						योग	11860

रू0 11860.00 उपरोक्त व्यवसायियों पर पिछले वर्षों से बकाया चला आ रहा है, पूर्व के बकाये की वसूली किये बिना ही किसी दूसरे व्यवसायी का नाम दर्ज कराया गया जिससे सम्बन्धित लेखा परीक्षा में कोई आवेदन पत्र व अन्य वांछित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, इस सम्बन्ध में उच्च प्रबन्ध वर्ग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर–31 सरोजनी नगर ब्लाक – 2011–12 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये विभव तथा सम्पत्ति कर रजि0 की जांच में यह भी प्रकाश में आया कि अधिकांश प्रकरणों में यह टिप्पणी अंकित की गयी "कार्य बन्द मृत्यु हो गयी" इन व्यवसायियों पर बकाया कर रू0 79992.00 की वसूली न करके संस्था को क्षति पहुँचायी गयी। इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित कर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति करायी जानी अपेक्षित है।

नाम ग्राम	नाम व्यवसायी व पेशा	दर्ज टिप्पणी	पूर्व बकाया	अभ्युक्ति
लतीफ नगर	साधन सह समिति खाद/कपड़ा	कार्य बन्द 2011–12	5830/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
लतीफ नगर	मुन्ना उर्फ राजेश कुमार, परचून	कार्य बन्द 2011–12	3235/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
लतीफ नगर	संजय कुमार, परचून	कार्य बन्द 2011–12	3000/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
लतीफ नगर	लक्ष्मण पुत्र सकठ, कपड़ा	कार्य बन्द 2011–12	2250/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
मौदा	साधन सह0 समिति, खाद/कपड़ा	कार्य बन्द 2011–12	6600/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
मौदा	अनवर पुत्र बेचालाल, गोश्त	कार्य बन्द 2011–12	3260/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
सदरौना, परसादी खेड़ा	सगीर, परचून	कार्य बन्द 2011–12	3580/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
सदरौना, परसादी खेड़ा	मुन्ना आबिद, परचून	कार्य बन्द 2011–12	2760/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
बन्थरा	सहकारी संघ बन्थरा, खाद/कपड़ा	कार्य बन्द 2011–12	5150/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
बन्थरा	सिकन्दर, अण्डा की दुकान	कार्य बन्द 2011–12	2660/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
बन्थरा	महेन्द्र ट्रैक्टर सेल्स सर्विस सेन्टर ट्रैक्टर सर्विस	कार्य बन्द 2011–12	24000/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
सराय शहजादी	राम प्रकाश सिंह, पुत्र भारत सिंह, बीड़ी/पान	मृत्यु हो गयी	2367/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
सैदुल्ला नगर	शमशुदीन, लकड़ी व्यापार	कार्य बन्द 2011–12	15300/–	बकाया वसूली अद्यतन नहीं हुई।
		योग–	79992.00	

उत्तरदायी– कर लिपिक, कर समाहर्ता, कर निरीक्षक, कर अधिकारी, ए0एम0ए0

प्रस्तर–32 (अ) विकास खण्ड मोहनलालगंज : न्याय पंचायत, मऊ, हुलास खेड़ा, भौंदरी सिसेंदी, दमातपुर का ठेका समापति पुत्र औ0उ0स0स0वि0, उदयपुर निगोहा, लखनऊ को दिया वर्ष 2011–12 में हड्डी चमड़ा के ठेका/लाइसेंस सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 20 व 21 जिसमें क्रमशः शर्त है कि बिन्दु संख्या 3 जमानत की धनराशि ब्लॉक में एक लाख एवं रू0 10000/– प्रति न्याय पंचायत निर्धारित है तथा बिन्दु संख्या 20 पर शासनादेश सं0 2127, दिनांक 22/04/2000 में प्राविधान है कि समीतियों को रायल्टी की निश्चित धनराशि की आधी धनराशि ठेका स्वीकृत होने के समय तथा शेष आधी धनराशि ठेका स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर तीन समान मासिक किस्तों में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी, बिन्दु सं0 21 में प्राविधान है कि ठेका निरस्त कर डिफाल्टर घोषित कर शेष धनराशि नीलामी से वसूल की जायेगी किन्तु उक्त व्यवस्था/प्राविधान/शर्तों का पालन नहीं किया गया था। अनुबन्ध–पत्र के बिन्दु 2 एवं 10 में भी इसकी शर्त अंकित है।

उक्त समिति को 5 न्याय पंचायतों का ठेका केवल रू0 35000/– जमा होने पर दिया गया जबकि उक्त प्रति न्याय पंचायत रू0 10,000/– जमा होना चाहिये था तथा ठेका की आधी धनराशि ठेका स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर तीन समान मासिक किश्तों में अनिवार्य रूप से जमा करने का प्राविधान है। जिनका पालन नहीं किया गया था।

उक्त समिति को रू0 71144.00 में ठेका स्वीकृत किया गया था, अभिलेखों के अनुसार दि0 14/03/11 को रू0 35144/– जमा कराया गया शेष धनराशि 36000 दि0 14/03/12 को जमा की गयी जो अति विलम्ब से जमा हुई, इस पर लम्बित अवधि का ब्याज 1 प्रतिशत प्र0माह की दर से वसूल किया जाना था, जिसे वसूल नहीं किया गया।

ब) न्याय पंचायत, निगोहा, रामेसी, भीरखनगर तथा पुरदिया की ठेका पत्रावली की जांच में भी उक्त बिन्दु संख्या 'अ' के अनुसार अनुबन्ध पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 10 एवं हड्डी चमड़ा के ठेका/लाइसेंस देने सम्बन्धी शर्तों के बिन्दु संख्या 20 व 21 का पालन नहीं किया गया था।

उक्त न्याय पंचायतों का ठेका सभापति पशु औ0उ0स0स0नि0 मऊ मोहनलालगंज को दिया गया था, इस संख्या द्वारा भी ठेका शर्तों एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन नहीं किया गया था गौरतलब है कि उक्त समिति को रू0 88928/– में ठेका दिया गया था, जिसकी आधी धनराशि रू0 44928/– दिनांक 14/03/2011 को तथा शेष धनराशि रू0 44000/– दिनांक 14/03/2012 को जमा करायी गयी थी जो अतिविलम्ब से जमा हुई, लम्बित अवधि का काम वसूल नहीं किया गया जो कि अपेक्षित है।

स) विकास खण्ड – मोहनलालगंज की न्याय पंचायतों– दहियर, करोरा, कनकहा, नगराय व गोतम खेड़ा के अन्तर्गत मृत पशुओं की हड्डी, चमड़ा व सींग आदि का भण्डारण व मृत पशुओं को ठिकाने लगाने हेतु वर्ष 2011–12 का ठेका श्री रमेश कुमार पुत्र रामबली निवासी ग्राम मऊ, मोहनलालगंज, लखनऊ के पक्ष में रू0 206786/– में स्वीकृत किया गया। उपलब्ध ठेका पत्रावली की जांच में निम्नवत कमियां प्रकाश में आयी हैं।

1. दिनांक 18/03/11 को प्रस्तुत टिप्पणी एवं 31/03/11 को स्वीकृत ठेके सम्बन्धी टिप्पणी के अंश में कहीं भी स्पष्ट नहीं हुआ कि दिनांक 08/03/11 को व्यापक प्रचार प्रसार का क्या माध्यम रहा केवल टिप्पणी अंकित है कि व्यापक प्रचार प्रसार के कारण तीन निविदाएं प्राप्त हुई। वित्तीय नियमों शासनादेशों में स्पष्ट प्रमाण है कि कम से कम दो लोकप्रिय समाचार पत्रों में निविदाएं आमंत्रित की जायं किन्तु इसका पालन नहीं किया गया था।

2. जो निविदाएं प्राप्त हुई सभी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुई लिफाफे शील्ड नहीं थे, इस पर पत्र प्राप्ति का पत्रांक व दिनांक एवं समय अंकित नहीं था तथा पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही लिफाफा खोलने वाले अधिकारी द्वारा लिफाफे पर पत्र खोलने का दिनांक व समय अंकित किया गया था।

3. तीन निविदा दाताओं में से एक निविदा दाता श्री मोहियदीन द्वारा जमानत धनराशि मात्र रू0 20000/– जमा कराने का उल्लेख है किन्तु इसकी रसीद नहीं काटी गई टेन्डर फार्म पर धन जमा करने का उल्लेख भी नहीं है। अतः टेन्डर स्वीकार योग्य नहीं था। इस प्रकार मात्र दो टेन्डर देने वाले व्यक्तियों के आधार पर उच्चतम दर श्री रमेश कुमार की होने के कारण इन्हें ठेका दिया गया।

   यदि व्यापक प्रचार प्रसार किया गया होता तो सम्भव है कि ठेका इससे भी ऊंची दर पर उठ सकता था। व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में संस्था को उच्चतम आय से वंचित रहना पड़ा।

4. ठेका अनुबन्ध पत्र दिनांक 17/04/2011 की शर्त संख्या एक के अनुसार 2011–12 का ठेका रू0 206786.00 में स्वीकार किया गया। शर्त संख्या दो के अनुसार ठेके की आधी धनराशि रू0 103393.00 जमा की जा चुकी थी शेष धनराशि दिनांक 09/04/2011 से एक सप्ताह के अन्दर अर्थात 16/04/2011 तक जमा की जानी थी शर्त संख्या 11 के अनुसार शेष धनराशि जमा न कर सकने पर ठेका निरस्त करने का प्रावधान था। ठेकेदार द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जमा करायी गई शेष धनराशि का विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि
04.07.11	20000/–
28.12.11	30000/–
27.03.12	53393/–
योग –	103393/–

उपरोक्तानुसार ठेकेदार द्वारा विलम्ब से धनराशि जमा कराये जाने पर भी नियमानुसार लम्बित अवधि का ब्याज आरोपित कर, वसूली नहीं की गई थी जो गम्भीर आपत्तिजनक है। उत्तरदायी–लिपिक हड्डी चमड़ा, ए0एम0ए0

प्रस्तर –33 विकास खण्ड माल –

1. लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गई पत्रावलियों में रक्षित अस्थिचर्म ठेके से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि शासनादेश दिनांक 30/03/96 के अनुसार निर्धारित रायल्टी की धनराशि से बहुत कम धनराशि में ठेका दिया गया जिससे संस्था को रू0 85787/– की आर्थिक क्षति वहन करना पड़ा।
2. न्याय पंचायतों में विगत तीन वर्षों की आय

2008–09	रू0 61541	
	रू0 82080	= 143621
2009–10	रू0 67695	
	रू0 90255	= 157950

2008–09	रू0 21438	
	रू0 28570	= 50008
	योग	= 351579 / 3
गत 3 वर्षों की औसत आय		= 117193.00
गत 3 वर्षों के औसत का 10 प्रतिशत		= 11719.30
कुल ठेका योग्य धनराशि रू0	योग	= 128912.00
दिया गया ठेका		= 43125.00
आर्थिक क्षति योग		= 85787.00

सात न्याय पंचायतों – सस्पन, सिसवारा, अमलौली, अटारी, शंकरपुर, मडवाना तथा बदैया के अन्तर्गत मृत पशुओं की हड्डी, चमड़ा, सींग आदि का भण्डारण व मृतक पशुओं को ठिकाने लगाने का ठेका शिवबरन पुत्र घासू निवासी ग्राम व पोस्ट गहड़ो वि0सं0 माल को मात्र 43125/– में ठेका दे दिया गया। उक्त ठेका अवशेष 9 माह की अवधि का मान लिया जाय तो भी ठेके की धनराशि कम से कम रू0 96684/– होती है तब भी रू0 53559/– की क्षति प्रमाणित है अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त न्याय पंचायतों हेतु नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में समय रहते नीलामी हेतु कार्यवाही नहीं की गई, नीलामी ठेका विलम्ब से देने के कारण तीन माह की आय रू0 128912 X 3 /12 = 32228/– प्रभावित रही, इस क्षति के सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

3. विकास खण्ड माल के 7 न्याय पंचायतों में तीन माह विलम्ब से ठेका देने तथा शासनादेशानुसार को ठेका न देकर ठेकेदार को कम दर पर ठेका दिया गया जिस कारण संस्था को रू0 32228/– की क्षति हुई, इस प्रकार वर्ष 2011–12 में उक्त क्षेत्र की आय रू0 85787/– से प्रभावित हुई।
उत्तरदायी–लिपिक हड्डी, चमड़ा, ए0एम0ए0

प्रस्तर–34 वि0सं0 मलिहाबाद 2011–12

1. मलिहाबाद की 7 न्याय पंचायतों में मृत पशुओं के शव निस्तरण हड्डी, चमड़ा, सींग आदि के भण्डारण कार्य का ठेका उठाये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई, इस क्रम में मात्र एक व्यक्ति की निविदा पत्रावली में रक्षित है, निविदा प्राप्ति की तिथि में काटपीट कर इसे दिनांक 23/06/11 बनाया गया तथा अन्तिम पैरा की आखिरी दों लाइनें हस्तलिखित है शेष मैटर टाइप किया हुआ है, इस प्रकार स्थिति संदिग्ध है। उक्त व्यक्ति को जुलाई 11 से मार्च 12 तक का ठेका रू0 30187/– में दिया गया जबकि शासन के आदेशानुसार विगत तीन वर्षों के औसत में 10प्रतिशत जोड़कर ठेका देने की व्यवस्था है। इसका पालन न करके संस्था को रू0 37664 की क्षति निम्नानुसार पहुंचायी गयी यथा -- श्री अब्दुल अतिक खां,

प्रस्तर– 35 (1) ठेकेदार –

वर्ष 2008–09 में रू0 150049/– 2009–10 में शून्य 2010–11 में रू0 35000/– कुल रू0 185049.00 गत तीन वर्षों की औसत धनराशि रू0 61686/– इसका 10 प्रतिशत जोड़ने पर रू0 67851/– होता है, एक माह रू0 5654 तथा 9 माह को रू0 50388/– होता है, ठेका रू0 30187/– में दिया गया, इस प्रकार ठेकेदार को रू0 20701/– का लाभ पहुंचाया जाना प्रमाणित है।

(2) ठेका/नीलामी हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार न करने के कारण ठेका तीन माह विलम्ब से उठाया गया जिस कारण संस्था को रू0 6785 X 3 ÷ 12 = 16963/– की क्षति पहुंचायी गयी। इस प्रकार उक्त न्याय पंचायतों के अन्तर्गत संस्था को रू0 20701 + 16963/– कुल रू0 37664/– की आर्थिक क्षति वहन करना पड़ा, इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तरदायी – लिपिक हड्डी चमड़ा, ए0एम0ए0

प्रस्तर– 36 विकास खण्ड काकोरी –

वर्ष 2011–12 में पांच न्याय पंचायतों–बहरू अमेठिया, सलेमपुर, मौरा, गोपरामऊ व थावर में मृत पशुओं के शव निस्तारण एवं सींगों के भण्डारण ठेका की जांच में निम्नवत कमियां प्रकाश में आयीं –

1. शासनादेश गत तीन वर्षों की आय के आधार पर रू0 89466/– का ठेका दिया जाना था किन्तु रू0 36225/– का ठेका दिया गया जिस कारण संस्था को रू0 53241/– की क्षति निम्नवत आंकलित की गई । यथा –

वर्ष	2008–09 की आय		161999.00
वर्ष	2009–10 की आय		40000.00
	2010–11 की आय		42000.00
	योग –		243999.00
	औसत आय		81333.00
गत 3 वर्षों के औसत का 10%		=	8133.00
	योग	=	89466.00
वर्ष 2011–12 में दिया गया ठेका		=	36225.00
	क्षति	=	53241.00

2. वर्ष 2011–12 का ठेका श्री हीरालाल पुत्र मेंडे निवासी नम्न खेड़ा ग्राम हरदोई पो0 काकोरी लखनऊ को रू0 36225/– में दिया गया ठेका पत्रावली में रक्षित अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 1 व बिन्दु संख्या 10 पर स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 2011–12 का ठेका दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.12 तक का है। इससे यह प्रमाणित है कि पूरे बारह माह के लिए ठेका दिया गया, चाहे कार्यावधि 9 माह की है ऐसी स्थिति में शासनादेशानुसार रू0 89466/– में ही ठेका देना चाहिए था ऐसा न करके ठेकेदार को रू0 36225/– में ठेका देकर लाभ पहुंचाया गया जिस कारण संस्था को रू0 53241/– की क्षति पहुंचाई गई जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। अतः ठेका स्वीकृत करने वाले अधिकारी से वसूली अपेक्षित है। उत्तरदायी–लिपिक हड्डी चमड़ा, ए0एम0ए0

प्रस्तर– 37 : स्कन्ध बही की जांच में पाया गया कि बुक संख्या 85 तथा 86 (अदेय प्रमाण पत्र) कार्याधिकारी को जारी की गयी है। जिनको श्री राम, लिपिक–।। ने अपने हस्ताक्षर से प्राप्त किया है। प्रत्येक बुक में (1) से (100) तक पन्ने है। इस प्रकार प्रत्येक बुक की रसीदों की धनराशि रू0 15000.00 (प्रति रसीद 150 रू0) होती है, जो दो बुकों पर रू0 30.000.00 (तीस हजार मात्र) होती है। दोनों बुकों की उक्त धनराशि का गबन कार्य अधिकारी श्री राजकुमार शुक्ला तथा लिपिक श्री राम द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली दोनों से किया जाना अपेक्षित है। 138 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा। अतएव गतवर्ष के अवशेष स्टाक तथा वर्ष में खरीद सम्बन्धी स्थिति अपुष्ट रही। उत्तरदायी–भण्डार लिपिक, ए0एम0ए0

जिला पंचायतः लखीमपुर

आपत्तियो का विवरण

1– अपर मुख्य अधिकारी एवं ब्लाक वाइज कार्यरत इत्कन्टर	संस्था द्वारा आडिट जॉच में यद्यपि विभिन्न जनपदीय विभिन्न ब्लाकों से सम्बन्धित ब्लाक अर्न्तगत स्थिति विभिन्न ग्रा पं0/ न्या0पं0 पर स्थापित विभिन्न प्रकृति की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स अवधारण/नवीनीकरण पंजिका एवं प्रस्तावित कर अवधारण पंजिका एवं अन्य सम्बन्धित अभिरेख मात्र कुम्भी एवं मितौली ब्लाक को छोड़कर अन्य ब्लाकों के आडिट में बार–बार भगि जाने के बावजूद भी सुलभ नही करायें गये परिणाम स्वरूप तत्सम्बन्ध में पूर्ण एवं विस्तृत समीक्षा न अंकित की जा सकी/तथापि– उक्त के सम्बन्ध में मात्र दो ब्लाकों कुम्भी एवं मितौली के आगणन के आधार पर क्योंकि अन्य ब्लाकों के अभिलेख आडिट द्वारा मांगे जाने के बावजूद भी जाम्च में न सुलभ कराये जाने के कारण स्वरूप मात्र दो ब्लाकों की आगणन के आधार पर तत्सम्बन्ध में हुई संस्था को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में ब्लाक में कार्यरत स्थिति संदर्भित प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स न बनवायें जाने के कारण स्वरूप निम्न आगणन के आधार पर अनुमानित रूपये 7849875.00 की क्षति हुई।:– लाइसेन्स न बनवाये जाने से संस्था को हुई अनुमानित क्षति :– ब्लाक कुम्भी वर्ष 2010–11 में हुई क्षति 177200.00 2011–12 में हुई क्षति 259050.00 436250.00 ब्लाक मितौली वर्ष 2010–11मे हुई क्षति 294600.00 2011–12में हुई क्षति 315800.00 610400.00 दो ब्लाको में हुई क्षति– 1046650.00 दो ब्लाकों के आधार पर औसत क्षति प्रति ब्लाक पर 1046650.00/2 =523325.00 औसत आगणित क्षति के आधार पर जनपद के 15 ब्लाकों से संस्था को हुई कुल क्षति 523325.00 ग 15 =7849875.00
2–अपर मुख्य अधि0 एवं ब्लाक वाइज कार्यरत इन्सपक्टर	आडिट जॉच में सुलभ कराई गई मात्र कुम्भी व मितौली ब्लाक के प्रस्तावित कर आगणन सूची के अवलोकन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रायः दर्शित ब्लाक में स्थापित विभिन्न दुकानो/प्रतिष्ठानों के विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों पर उनकी दौरान साल आय की गणना के आधार पर ही आयकर का निर्धारण करके तत्सम्मुख अंकित विभिन्न कारणों को उल्लिखित करके उनके करो का निश्चय नही किया गया है। उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि संदर्भित प्रतिष्ठानों में उनकी दौरान साल की आय का आगणन एवं उस पर कर का निश्चय भी तत्समय संस्था के कार्यरत कर्मी इन्सपक्टर द्वारा ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा संदर्भित प्रतिष्ठानों पर एक बार कर का निर्धारण करने के पश्चात पुनः उन्हीं के द्वारा विभिन्न कारणों के उनके सम्मुख लेखा किन्तु करके स्वयं द्वारा ही अवधारित कर को समाप्त करने की कार्यवाही करना स्वयं मं त्रुटि पूर्ण एवं संदिग्धता का प्रतीक है क्योंकि

	उन्ही कार्यरत कर्मी/इन्सपक्टर द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण के उपरान्त ही उन प्रतिष्ठानों की आय व उस पर कर का अवधारण किया जाता है ऐसी स्थिति में कर मुक्त हेतु संदर्भित इन्सपक्टर की अंकित टिप्पणी उनकी दूषित मानसिकता का प्रतीक है। इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र दो ब्लाकों में कार्यरत रहे प्रतिष्ठानों की दर्शित आय के सापेक्ष उन पर प्रस्तावित में अनुमानित कर के आधार पर ही संस्था को वर्ष 2010–'11 एवं 2011–12 अनुमानित अंकन रू0– 35476005.00 क्षति हुई जिसका विवरण निम्न है। त्रुटिपूर्ण कर अवधारण से संस्था को हुई क्षतिः– कर सूची पंजिका अनुसार वर्ष की मांग / संस्था की मांग / वसूली अनु0 दर्शित / पंजिका में कम मांग दर्शित ब्लाक कुम्भी 2010–11 1196600.00 370900.00 825700.00 2011–12 1298000.00 333300.00 964700.00 ब्लाक मितौली 2010–11 1691100.00 232250.00 1458850.00 2011–12 1816900.00 336016.00 1480884.00 दोनो ब्लाकों में चालू वर्ष में कर की कम दर्शित मांग 4730134.00 संस्था को दोनों ब्लाकों में कम दर्शित मांग के सापेक्ष हुई औसत क्षति प्रति ब्लाक 4730134.00/2=2365067.00 औसत आगणित क्षति के आधार पर जनपद के 15 ब्लाको से संस्था को हुई कुल क्षति 2365067.00 ग 15=35476005.00
3–अपर मुख्य अधिकारी एवं नाजिर	संस्था स्तर पर लेखा परीक्षा दौरान मृत स्कन्ध पंजिका बार–बार मांगे जाने के बावजूद आडिट जॉच हेतु नही सुलभ कराई गई संस्था के वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक विभिन्न वर्षो में हुई लेखा परीक्षा अन्तर्गत क्रय किये गये मृत स्कन्ध की स्थिति निम्न अनुसार रहीः– ले0प0 वर्ष में क्रय किये गये मृत स्कन्ध / दर्शित मद में मृत स्कन्ध / स्कन्धमय कन्जूमाबिन स्कन्ध की धनराशि सहित 20004–05 से 2005–06 57788.00 57788.00 2006–07 से 2007–08 574211.00 568291.00 2008–09 से 2009–10 103341.00 103341.00 117698.00 95800.00 2010–11 से 2011–12 1544959.00 1544959.00 131228.00 131228.00 योग– 2529225.00 2501407.00 इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक कुल क्रय किय गये मृत स्कन्ध कन्जुमोबिल स्कन्ध रू0–2529225.00 में से उक्त वर्षो में मात्र रू0–2501407.00 का मृत स्कन्ध क्रय किया गया है जिसकी क्रय पत्रावली एवं स्कन्ध पंजिका आडिट जॉच हेतु नही सुलभ कराई गई। उक्त सम्बन्ध मे यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि दर्शित अवधि 2004–05 के पूर्व वर्षो में जिला पंचायत तथा सम्बद्ध कार्यालयों व गेस्ट हाउसों में तत्समय मृत स्कन्ध की उपलब्धता रहते हुए भी दर्शित समयावधि में संस्था द्वारा अपने विभिन्न प्रयोजनों हेतु लिए गये मृत स्कन्ध की पत्रावली एवं मूल प्रमाणित पंजिका सहित आडिट जॉच हेतु नही सुलभ कराये गये और न ही संस्था के मृत स्कन्ध के रख–रखाव में संस्था का सूक्ष्म नाम नम्बर मूल्य एव ह्रास का का पूर्ण विवरण सहित उसकी सम्बद्धता एवं अभिरक्षा का लेखा रखा गया है और न ही संस्था के सामयिक

	स्कन्ध की क्षतिग्रस्तता स्पष्टता चोरी आदि के पक्ष में ही कोई अभिलेख बनाकर आडिट जॉच में सुलभ कराये गये जिससे वस्तु स्थिति का ज्ञान आडिट को न हो सका। इस प्रकार तत्सम्बन्ध में उक्तानुसार विभिन्न अंकित आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना संस्था की पूर्व एवं वर्तमान स्कन्ध की स्थिति किय ही तथा संस्था की बिना उचित कारणों के मांग व आवश्यकता का आंककलन किय ही वर्ष 2004–05 से 2011–12 तक कुल क्रय किये गये मृत स्कन्ध रू0–2501407.00 के धन के दुरूपयोगिता की सम्भावना को इनकार नही यिा जा सकता है जिस प्रति प्रभावी कार्यवाही अपक्षित है।(सामान्य आप0 सं0 104)
4–अपर मुख्य अधि0 एवं लेखाकर	संस्था द्वारा आडिट जॉच में सुलभ कराई गई अनुदान पंजिका अर्न्तगत वर्ष प्रारम्भ मे अवशेष तथा वर्ष में प्राप्ति एवं उपभोग उनरान्त अवशेष दर्शित अनुदान का लेखा नियमानुसार नही रखा गया है। एवं वर्ष 2010–11 से वर्ष 2009–10 मे राज्य वित्त अनुदान अर्न्तगत वास्तविक से हुई खपत रू0–1267496.00 दर्शित कर उसे दर्शित वर्ष 2010–11 में त्रुटिपूर्ण समायोजन किया गया दर्शित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 के रा0वि0 मद में जब अनुदान अवशेष था ही नही तो इसके अधिक उपयोग का प्रश्न ही नही था अतः वर्ष 2009–10 में अधिक उपयोग दर्शित अनुदान का समायोजन वर्ष 2011–11 में त्रुटिपूर्ण किया गया दर्शित है (सामा0 आप0सं089/90)
5– अपर मुख्य अधि0 एवं अभियन्ता	उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1312/33–2–11–33जी/211 दि0 04.8.11 के क्रम में जिला पंचायत स्तर के कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो में सेस का आगणन। प्रतिशत करके उसकी कटौती श्रमांश सेसे के रूप में करके उसे शासन का उपलब्ध कराया जायेगा जबकि उक्त के परिप्रेक्ष्य में भूराजस्व राज्य वित्त बारहवॉ वित्त तेरहवॉ वित्त पि0 क्षेत्र अनुदान ग्रा0पंचा0 अंश अनुदान एवं मनरेगा द्वारा राज्य सरकार को रू0–2009544.00 की क्षति पहुॅचाई गयी है जिस प्रति प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेखित है विवरण निम्न है:– विवरण आडिट जॉच के सुलभ कराये गये बिलों के आ0 पर की कटौती का आंकलन देयक अनु0 बिल की धनराशि जिन पर 1 प्रति कटौती का आगणन होना है — देयक से प्रति सेसे आग– कर जोकटौ0 की गई — संस्था द्वारा जो कटौ0 की गई — कम की गई सामा0 कटौती धन राशि कीजानी थी — आप0 सं0 पि0क्षे0 अनुदान 16915279.00 , 15293762.00 = 166008=66 ग्रा0पं0अंश, मात्र निर्माण 80997283=809973 =244180= 565793= कार्यो में भुगतानित आधारपर मनरेगा भुगतानित आधारपर 6670571=66705=आंकड़े अनु0 66705=00 635643=00 रा0वि0बारहवॉ वित्त तेरहवॉ वि0 इत्यादि 152096915=1563283=189382=1373901=85 वृहत योग – 2009544=00 (सामान्य आप0सं066–85)
6– अपरमुख्य अधि0 एवं अभियन्ता	संस्था के दिशा निर्देशों अनुसार संस्था द्वारा कराये जा रहे निमार्ण कार्यो के भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली धनराशि के निमयानुसार आयकर व बिक्री कर की कटौती न करके राज्य सरकार को आलोच्य वर्ष में आयकर की रू0–2762155=00 एवं बिक्री कर से रू0–58381=00की क्षति हुई जिसका विवरण निम्न है:– वर्ष में वर्ष मे कराये गये निर्माण –त्रुटिपूर्ण भुगता0–के परिणा0 सामान्य

	कार्यो का विवरण एवं उनमें प्रयुक्त धन स्वरूप हुई राज्यआयकर –बिक्रीकर 2010–11 भूराजस्व,रा0वि0 बारहवॉ,तेरहवॉ वित्त आदि 67897440=(–)595150=(–)200=00 30 2011–12 भूराजस्व,रा0वि0 बारहवॉ,तेरहवॉ वित्त आदि 152096915=(–)924684=(–)58041=(–) 84 =(–)8402= 2008–09से, पि0क्षे0अनु0ग्रा0पं0147823324=(–)1242321=(–)340=00 55 2011–12 अंश अनुदान आयकर =(–)185614=बिक्रीकर 595150= 58041= राज्यसरकार को क्षति 924684= 1242321=2762155=34058341=00 (सामान्य आप0 सं0 30,55,84)
7–लेखाकार	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से बाउचर संख्या 20/26–2–10 अनुदान पसिगवॉ में जि0पं0 ई0 का औरंगाबाद में दो कक्षों के निर्माण में भुगतानित बिल अंकन रू0–304100.00 के पृष्ठ भाग पर बिल के जॉ अधिकारी द्वारा अंकित टिप्पणी कि "एल0बी0पर कार्य 2.60 प्रतिशत आगणन दर से अधिक पर स्वीकृति है तद्नुसार ठी करें " । इस प्रकार दर्शित सक्षम अधिकारी की अंकित टिप्पणी के बिना अनुपालनकिय व बिना सुधार किये ही दर्शित बिल मं 2.60 प्रतिशत आगणन अनुसार रू.–8562.80 अर्थात् 8563.00 से दर्शित बिल पहुॅचाई गई है जिस प्रति प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आप0सं061)
8–लेखाकर	पि0क्षे0 अनुदान निधि के बाउचर संख्या4/4–9–10 एवं 5/4–9–10 से निम्नानुसार कटौती रायल्टी को बिना बिल से समायोजन कराये ही त्रुटिपूर्ण अंकन रू0–1024.00+1129.00=2153.00 का भुगतान कर संस्था को क्षति पहुॅचाई गई है उदाहरण :– बाउचर नं0 4/4–9–10 देय बिल की धनराशि 144154.00 आंकलित रायल्टी 170.70दर 6प्रतिशत 1024.20अथवा 1024.00 दर्शित भुगतान दर्शित धन की विवरण आयकर – 1442.00 व्यापारकर – 6343.00 कर्म0को – 136369.00 144151.00 बाउचर नं05/4–9–10 देय बिल की धनराशि –332225.00 आंकलित रायल्टी 290.78 दर 6प्रतिशत 1744.68=1745.00 पूर्व में भुगतानित रायल्टी की धनराशि 616.00 शुद्ध रायल्टी की धनराशि 1129.00 दर्शित भुगतानित धन का विवरण आयकर – 3322.00 व्यापारकर – 14618.00 कर्म0को – 214285.00 332225.00 (सामान्यआप0 वित्त सं0 63)

9–लेखाकार	निम्न ग्राम पंचायत अंश के दर्शित बाउचर से त्रुटिपूर्ण आगणन कर वास्तविक से अधिक धन का भुगतान कर संस्था को रू0–1800.00 से क्षति पहुँचाई गयी है जिसकी वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, उदाहरण :– बाउचर नं0/दिनांक व्यय विवरण एवं धन–संदर्भित पक्षों को किया गया राशि भुगतान हेतु की गई अधिक भुग संस्तुतिकर किया –तान गया भुगतान 10/11–5–11 ग्रा0पं0 वजीरनगर में ग्रा0पं0 सचिवा0 434172.21 390754.99के निर्माण10 प्रतिशत – 43417.22 पक्ष में संस्तुति किया कटौती देया धन 390754.99 गया भुगतान 391600.00 900.00 3/15–2–11 ग्रा0पं0 गनेशपुर में ग्रा0पं0 सचिवा0 694507.49 निर्माण10 प्रतिशत– 69450.74 घटाया अग्रिम भुगतान– 625056.75 329156.75 के पक्ष 295900.00 में संस्तुति अनु0किया 329156.75 गया भुगतान रू0– 330056.00 900.00 किया गया अधिक भुगतान 1800.00 (सामान्य आप0सं064–65)
10–अपर मुख्य अधि0 अभियन्ता एवं अन्य	लेखा परीक्षावर्ष 2010–11में ग्राम पंचायत अंश द्वारा विभिन्न आवंटित की गई धनराशि बावत विभिन्न ब्लाकों को के न्याय पंचायत पर ऑगनबाड़ी व ग्राम पंचायत सचिवालययों के निर्माण के विपरीत विभागी दिशा निर्देशों के विपरीत त्रुटिपूर्ण ढंग से जनपद के अन्य विभिन्न निर्माण कार्यो पर किये गये दर्शित व्यय क्रमशः रू0–958670.00+22262468.00 कुल रू0–23221438.00 से करके दर्शित अनुदान का दुरूपयोग किया गया है जो कि जिला पंचायत द्वारा विद्यालयों की बाउन्ड्रीवाल निर्माण व सहकारी संस्थाओं के भवन निर्माण एवं अन्य विविध निर्माण में उक्तानुसार व्यय दर्शित धन की औचित्य दर्शित अनुदान से सिद्ध नही होती है जो अनुदान का किया गया दुरूविनियोजन स्पष्ट परिलक्षित है जिस प्रति प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। (सामान्य आप0सं057)
11–अपर मुख्य अधि0एवं अभियन्ता	अनुदान पंजिका अनुसार परियोजना प्रबन्ध इकाई बी0आर0जी0एफ0के पक्ष में पत्र सं0 584(11)/33––परि0एम0यू0/09दि0 13 नवम्बर 2009 के द्वारा ड्राफ्ट संख्या 076471/93–11–09 के द्वारा रू0–2700000.00 प्राप्त हुआ था जिसके पक्ष में निम्न अनुसार व्यय दर्शित है :– जि0पं0प्र0इकाई कार्यालय की साजसज्जा – 377900.00 जि0पं0प्र0इकाई आफिस एवं रिर्सोज सेन्टर हेतु फर्नीचर – 1489577.00 विज्ञापन टेन्डर 3187.00 योग – 1870644.00 इस प्रकार शासन द्वारा प्राप्त धनराशि रू0–2700000.00 के पक्ष में मात्र रू00–1870644.00 व्यय उपरान्त शेष धनराशि रू0–829356.00 का समायोजन/हस्तान्त्रण /उपभोग किस मद अर्न्तगत यिका गया दर्शित है लेखांकित नही है साथ ही उपक्तानुसार विभिन्न मदों में किये गये व्ययों का पूर्ण विवरण बाउचर नं0 दिनां/चैकनं0 भुगतानित धन का विवरण आदि नही लेखाकित किया गया है और न ही दर्शित व्ययों के व्यय प्रमाणिक आडिट जॉच में सुलभ कराये गये अतः सम्बन्धित वयय दर्शित धन व उसके उपभोग आदि की स्थिति का ज्ञान आडिट को न हो सका अतः उक्त के प्रति प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सामान्य आप0सं058)

12–तत्कालीन लिपिक	आलोच्य वर्ष 2009–10 से 2011–12 मे ईट भट्ठे की पंजिका अनुसार विभिन्न ब्लाकों अर्न्तगत विभिन्न ई भट्ठों के पक्ष में वास्तविक जमा योग्य शुल्क से रू0–'9550.00 त्रुटिपूर्ण कम अवधारण कर संस्था को क्षति पहुॅचाई गई है जिसे जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सामान्य आप0सं0 39/7)
13–तत्कालीन लिपिक	ईट भट्ठा अवधारणप वसूली पंजिका बावत वर्ष 2009–10 से 2011–12 के अनुसार कतिपय विभिन्न ब्लाको में कार्यरत ईट भट्ठें जिनके पूर्व एवं पश्चात वर्षो के लाइसेन्स शुल्क जमा किये गये है परन्तु समय–समय पर विभिन्न वर्षो के लाइसेन्स शुल्क समयार्न्तगत न जमा करने पर उन्हे आगे समयों पर दण्ड सहित न जमा कराकर संस्था को अंकन रू0–522750.00 दण्ड शुल्क सहित क्षति पहुॅचाई गई है जिसकी वसूली अपेक्षित है। (सामान्य आप0सं0 39/1)

जिला पंचायत :– उन्नाव

आपत्तियो का विवरण वर्ष– 2011–12

प्रस्तर संख्या – 1 स्वीकृत बजट 2011–12 में प्राविधानित आय 1.25 लाख (ब्याज की धनराशि घटाकर) के सापेक्ष मात्र 97.457 लाख ही वास्तविक आय निजी स्त्रोतों से हुई। इस प्रकार उपलब्धि मात्र 78: रही जो कि बहुत कम है।

इसी प्रकार बजट के अनुसार स्वीकृत व्यय 220.80 लाख के विरूद्ध 141.933 लाख व्यय निजी स्त्रोतों से एवं 132.610 लाख अधिस्ठान व्यय राज्य वित्त अनुदान से अर्थात कुल रु0 274.543 लाख व्यय वेतन, भत्तों, पेंशन एवं कार्यालय व्यय पर किया गया है। जो कि अत्यधिक है स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गयी धनराशि रु0 53.743 लाख रु0 अनियमित रही। ?

प्रस्तर संख्या –2 पुनरीक्षित बजट वर्ष 2011–12 की स्वीकृति के अनुसार प्रस्तावित आय 150.70 लाख के सापेक्ष व्यय 220.90 लाख अर्थात 70.20 लाख के अधिक व्यय स्वीकृत किये गये हैं। जिनकी प्रतिपूर्ति शासकीय अनुदान से की जायेगी। जब कि राज्य वित्त अनुदान से वास्तविक प्रतिपूर्ति 132. 61 लाख की गयी। इस प्रकार अनुदान से अधिक व्यय की गयी धनराशि 62.41 लाख अनियमित रही।

प्रस्तर संख्या– 3 दिनांक 31.03.12 को क्रमशः अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रु0 72.056 लाख स्थानीय विकास योजना में, 1.289 लाख और स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में 21.592 लाख, ब्याज सहित बकाया गत वर्षों से दर्शित है। इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त पावना की पुष्टि में ऋण धारकों के खाते आदि भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –4 जिला पंचायत के कर्मचारियों/अधिकारियों पर अस्थायी अग्रिम पावना रू0 1.113 लाख विगत वर्षों से यथावत दर्शाया जा रहा है जोकि 1959–60 से 1998–99 की अवधि का है। इसका कर्मचारी वार कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पुराने बकाये की वसूली अथवा समायोजन न होने से जिला पंचायत को आर्थिक क्षति हो रही है। वसूली अथवा समायोजन की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –5 राजकीय अनुदान द्वारा प्राप्त धनराशि से विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्य को ठेके पर कराया गया है। ठेके पूर्ण करने की अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया गया। जिला पंचायत नियमावली 1984 के नियम 21 तथा ठेकेदार द्वारा किये गये अनुबन्ध खण्ड–1 के अनुसार विलम्ब से कार्य पूर्ण करने की स्थिति में 1 प्रतिशत प्रतिकर काटे जाने का प्राविधान है। परन्तु प्रतिकर के रूप में नाम मात्र कटौती की गयी। जिससे संस्था को आर्थिक क्षति हुई है। कम काटी गयी धनराशि सम्बन्धित ठेकेदारों/कर्मचारी से वसूल की जाए।

प्रस्तर संख्या –6 वर्ष 2011–12 में भवन किराया रजिस्टर के अनुसार बकाया मांग 10.440 लाख तथा वर्ष की मांग 4.43 लाख है, जिसके सापेक्ष वसूली 3.66 लाख हुई और वर्षान्त में बकाया रू0 10. 91 लाख रहा। जिसकी वसूली हेतु ठोस उपाय नहीं किये जा रहे हैं। सम्पत्तियों पर अवैध कब्जों की भी संभावना है। लेखा अनुभाग के आय–व्यय विवरण के अनुसार किराये से आय 3.56 लाख है, जबकि किराया रजिस्टर के अनुसार वसूली 3.66 लाख है। स्पष्ट है कि 0.10 लाख जिला पंचायत में कम जमा कराये गये हैं। जिसकी वसूली उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –7 आलोच्य वर्ष 2011–12 में राजकीय अनुदान से सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर रु0 1433.610 लाख व्यय किये गये। परन्तु उक्त व्यय की सम्यक जांच/पुष्टि हेतु सार्वजनिक निर्माण कार्य का रजिस्टर, पत्रावलियाँ एवं माप पुस्तिका (डठ) मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिसके अभाव में कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की संभावना बनी रही।

प्रस्तर संख्या –8 विनियोजन रजिस्टर के अनुसार विगत वर्षों में रु0 20000/– उ0प्र0 पंचायत राज निगम में अंशों के रूप में निवेश किये गये थे, जिसकी पुष्टि में अंश प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखा परीक्षा में अवगत कराया गया कि उक्त संस्था परि समाप्त हो चुकी है और निवेश अशोध्य हो गया है। निवेश हेतु उत्तरदायी कर्मचारी पर दायित्व निर्धारित कर उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रस्तर संख्या –9 राजकीय अनुदान का विभिन्न योजनाओं 12वाँ वित्त, 13वाँ वित्त, राज्य वित्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि और राष्ट्रीय श्रम विकास योजनाओं का 01.04.2011 का प्रारम्भिक अवशेष रू0 1566.92 लाख था। आलोच्य वर्ष में 1553.11 लाख और प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि 3120.03 लाख के सापेक्ष 1566.220 लाख ही व्यय किया गया है और 145.036 लाख वापस किये गये हैं। इस प्रकार वर्षान्त में 1408.77 लाख अप्रयुक्त अवशेष रहा। आलोच्य वर्ष में 50.19 प्रतिशत अनुदान का उपयोग किया गया और 49.81 प्रतिशत अनुदान अनुपयोगित रहा। राजकीय अनुदान का समय से प्रयुक्त न होने अथवा अप्रयुक्त रहने से शासन की अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है और जनमानस को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। 49.81 प्रतिशत अनुदान का अवशेष रहना अनियमित एवं निराशाजनक रहा।

मण्डलः— मुरादाबाद

जनपद का नाम :— अमरोहा **मण्डल का नाम :— मुरादाबाद**

जिला पंचायत का नाम :—ज्योतिबाफूलेनगर

वर्ष :— 2011—12

जिला पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉ —

प्रस्तर संख्या 1 :—वर्ष 2011—12 में जिला पंचायत को मृत पशु निस्तारण से रू0 921364.00 आय प्राप्त हुई जिसका 50 प्रतिशत भाग रू0 460682.00 जनपद की ग्राम पंचायतों को उ0प्र0 शासन के शासनोश सं0 2967/11/32—2002—15 दिनांक 07.10.2002 के अनुपालन में दिया जाना चाहिए था। जो नहीं दिया गया इस प्रकार शासनादेश का स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया गया है। जिस हेतु पटल कार्मि लिपिक एवं श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता अ0 मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है जिस प्रति कार्यवाही अपेक्षित है।(स0 आ0 सं0 13)

प्रस्तर संख्या 2 :—दिनांक 31.03.2012 को बालू संग्रह के उठाये गये ठेकों की मांग वसूली अवशेष पंजिका के अनुसार विगत वर्षों की भांति निम्न धनराशियों अध्यावधि भी बकाया दर्शित हे। जिनकी वसूली हेतु प्रयास नहीं किये गये है। बकाया दर्शित धनराशियों की वसूली न होने की स्थिति में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति सम्भावित है। जिसके लिए बकाया अवधि के पटल कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदारी है। वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रति जिला पंचायत प्रबंध कमेटी एवं अपरमुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (स0 आ0 सं0 23)

क्र.सं.	ठेकों का विवरण	नाम ठेकेदार	बकाया वर्ष	बकाया धन राशि
1	ठेका बालू	श्री रमेश सिंह	2001—02	70,000.00
2	ठेका बालू	श्री शिव स्वरूप सिंह	2002—03	50350.00
3	ठेका बालू	श्री तौफीक अहमद	2003—04	45000.00
4	ठेका बालू	श्री यासमीन	अज्ञात	15500.00
5	ठेका बालू	श्री सलीम खान	2006—07	5000.00
6	ठेका बालू	श्री मोबिन	2010—11	21000.00
	योग			2,06,850.00

प्रस्तर संख्या – 3 :–वर्ष अलोच्य में श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता अपर मुख्य अधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.2011 को कार्यभार ग्रहण किया गया। उनके द्वारा संस्था की कार प्रयुक्त किए जाने पर शासनादेश के अनुसार 400.00 रूपये प्रतिमाह वेतन से कटौती की जानी चाहिए थी। किन्तु उनके आहरित वेतन माह जून 11 में 9 दिन का रू0 120.00 तथा जुलाई 11 से फरवरी 2012 तक 8 माह का रू0 400.00 प्रतिमाह से 3200.00 रूपये कुल रूपये 3320.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।(स0 आ0 स0 24)

प्रस्तर संख्या 4 :–वर्ष अलोच्य में दिनांक 24.12.2011 को जिला पंचायत के निम्न कार्मिक को गंगा मेला वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 का निम्न विवरणनुसार यात्रा भत्ता देय को भुगतान किया गया है। (स0 आ0 सं0 25)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्ष 2008 धनराशि	वर्ष 2009 धनराशि	वर्ष 2010 धनराशि	कुल योग
1	श्री राजीव कुमार	सहायक लेखाकार	365.00	405	365	1135
2	श्री घनश्याम	चपरासी	365.00	405	365	1135
3	श्री हेतराम	लिपिक	365.00	405	365	1135
4	श्री जगत सिंह	लिपिक	365.00	405	365	1135
5	श्री चरन सिंह	चपरासी	365.00	405	365	1135
6	श्री सुमेर सिंह	चपरासी	365.00	405	365	1135
7	श्री लोकेन्द्र सिंह	लिपिक	365.00	405	365	1135
8	श्री सुरेन्द्र कुमार मुलतानी	अनु0मु0लिपिक	–	–	590	590
9	श्री योगेन्द्र राम	चपरासी	365.00	405	365	1135
10	श्री विकास कुमार	चपरासी	365.00	405	365	1135
11	श्री अ0 रईस	कर समाहर्ता	365.00	405	365	1135
12	श्री अवधेश कुमार शिवा	लिपिक	–	405	365	770
13	श्री जबर सिंह	कर निरीक्षक	590.00	655	365	1610
14	श्री जयदेव सिह	कर निरीक्षक	365.00	405	365	1135
15	श्री हनुमान मिश्रा	कर निरीक्षक	365.00	405	365	1135
16	श्री राजाराम	कर निरीक्षक	365.00	405	365	1135
17	श्री वीर सिंह	अनु0 मु0लिपिक	590.00	655	365	1610
18	श्री चन्द्रसेन	लिपिक	365.00	405	365	1135
19	श्री विजय पाल	चपरासी	365.00	405	365	1135
		योग	6655.00	7790.00	7385.00	21830.00

उक्त यात्रा देयकों को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण कालातीत हो चुके थे। यात्रा देयकों की यात्राएं लेखाकार द्वारा सत्यापित की गई है। जबकि नियमानुसार उक्त अवधि में कार्यरत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी थी। इस प्रकार अनियमित रूप से लेखाकार द्वारा यात्राएं सत्यापित की कई। जिसके लिये लिए वह अधिकृत नहीं थे। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लेखित नियमो के अनुसार प्री आडिट की कार्यवाही के उपरान्त ही देयकों का भुगतान किया जा सकता है। जिस प्रति श्री बाबू राम सिंह लेखाकर तथा श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता अपरमुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। अतः रू0 21830.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0 5– दिनांक 31.03.2012 को हड्डी एवं खाल मांग वसूली तथा बकाया पंजिका के अनुसार रू0 1044312.00 बकाया दर्शायी गयी है। जबकि गत वर्ष रूपये 1047039.00 बकाया थी। आलोच्य वर्ष में बकाया धनराशि में आंशिक कमी आयी है। अधिकांश धनराशियां विगत वर्षो की भांति यथावत दर्शित है। जिनकी वसूली हेतु ठोस एवं कारगार प्रयास नहीं किये गये है। बकाया धनराशियों की वसूली न होने की दशा में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति सम्भावित है। जिसके लिये बकाया अवधि के पटल कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। बकाया धनराशियों की वसूली हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए जिसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (स0 आ0 सं0 27)

जिला पंचायत :–मुरादाबाद

आपत्तियो का विवरण लेखा परीक्षा वर्ष – 2011–12

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 31.03.12 को विभव तथा सम्पत्ति कर, तहबाजारी, नौका घाट, कृषि भूमि, हड्डी–चमड़ा एवं भवन किराया आदि में अत्याधिक मात्रा में धनराशियॉ बकाया पड़ी हैं। अधिकांश धनराशियॉ विगत वर्षो की भांति यथावत् दर्शित है, जिनकी वसूली हेतु ठोस एवं कारगर प्रयास नहीं किये जा रहें हैं। बकाया धनराशियों की वसूली न होने की दशा में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति सम्भावित है। जिसके लिये बकाया अवधि के कार्मिक एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। बकाया धनराशि की वसूली हेतु ठोस एवं वैधानिक प्रयास किये जाने चाहिए। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। (आपत्ति संख्या–15)

क्रम संख्या	मद का नाम	धनराशि (लाख में)
1	विभव तथा सम्पत्ति कर	अज्ञात
2	तहबाजारी	1.22
3	नौका घाट	3.28
4	कृषि भूमि नीलामी	0.10
5	हड्डी एवं चमड़ा	20.54
6	भवन किराया	38.27

प्रस्तर संख्या–2 :–जिला पंचायत में वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ में दुकानों एवं भवनों के किराये के मद में रू0 3729163.10 की धनराशि बकाया थी। वर्षान्त में दिनांक 31.03.12 को इस मद में 3827503.60 की बकाया दर्शायी गयी है। इस प्रकार वर्ष आलोच्य में बकाया धनराशि में रू0 98340.50 की वृद्धि हुई है, जो गम्भीर स्थिति का परिचायक है। बकाया धनराशि की वसूली हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। बकाया धनराशि की वसूली न होने की दशा में जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति सम्भावित है, जिसके लिये बकाया अवधि के पटल कार्मिक लिपिक एवं अपर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार है। अतः बकाया वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। इस प्रति प्रबन्ध एवं अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। (आपत्ति संख्या–24)

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 31.03.12 को जिला पंचायत में विगत वर्षो की भांति शासन से प्राप्त अन्तोदय, स्थानीय विकास, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों की धनराशियों के तैयार किये गये विवरण पत्र के अनुसार निम्न धनराशियां लाभार्थियों से वसूल करना दर्शाया गया है।

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण के रूप में वितरित की जाने वाली धनराशि	विगत वित्तीय वर्ष तक वसूली की धनराशि	वित्तीय वर्ष में वसूली की धनराशि	वसूली हेतु शेष धनराशि ऋण व ब्याज सहित		
					ऋण	ब्याज	योग
1	अन्त्योदय	80.55	19.40	–	43.14	18.01	61.15
2	स्थानीय विकास	12.59	04.08	–	06.05	02.46	08.15
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट	04.93	0.93	–	02.12	01.78	03.90
	योग	97.97	24.41	–	51.31	22.25	73.56

उपरोक्त विवरणानुसार ऋण एवं ब्याज वसूल करना रू0 73.56 लाख दर्शित है, जिसकी वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये है जो गम्भीर स्थिति का परिचायक है। बकाया लाभार्थियों पर तातारिख ब्याज की मांग लगाकर ऋण व ब्याज की वसूली कर धनराशियां सरकार को लौटायी जानी अपेक्षित है। इस प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।(आपत्ति संख्या–25)

प्रस्तर संख्या–4 :–जिला पंचायत में कर अनुभाग/लेखा अनुभाग द्वारा विभव तथा सम्पत्ति कर की मांग, वसूली एवं वर्षान्त पर बकाया कर का संकलित विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है। कर अनुभाग में विकास क्षेत्रवार रखे गये कर मांग, वसूली एवं बकाया पंजिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि करों में भी अत्याधिक बकाया राशियॉ दर्शित है। विकास क्षेत्रवार कर की मांग, वसूली एवं दिनांक 31.03.12 को बकाया कर की स्थिति निम्नवत् है –

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र का नाम	पिछला बकाया	वर्ष की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूली	वर्षान्त पर बकाया	कुल मांग से वसूली का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	मुरादाबाद	5064206	564650	5628856	373098	5255758	6.63	
2	बिलारी	1047220	202600	1249820	118500	1131320	9.48	
3	कुन्दरकी	1917720	305300	2223020	234000	1989020	10.53	
4	भगतपुर	1635561	165100	1800661	82100	1718561	04.56	
5	डिलारी	2226335	171400	2397735	93600	2304135	03.90	
6	मूढ़ापाण्डे	3084368	192150	3276518	139000	3137518	04.24	
7	छजलैट	1675800	171800	1847600	126300	1721300	06.84	
8	ठाकुरद्वारा	मांग व वसूली पंजिका अपूर्ण						
9	सम्भल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	कि जनपद सम्भल से स्थानान्तरित बताया गया है।
10	असमौली	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	
11	बनियाखेड़ा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	
12	बहजोई	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	
13	पंवासा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	
	योग	16651210	1773000	18424210	1166598	17257612		

उपरोक्त विवरणानुसार विभव तथा सम्पत्ति कर की अत्याधिक बकाया धनराशि पड़ी हुई है। जिसकी वसूली न होने के कारण जिला पंचायत को अनावश्यक रूप से क्षति सम्भावित है, स्पष्ट होता है कि कर अधिकारी, कर निरक्षकों एवं कर समाहर्ताओं द्वारा वसूली हेतु ठोस एवं कारगर प्रयास नहीं किये जा रहें है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। विभव तथा सम्पत्ति कर की शत्–प्रतिशत् वसूली कराये जाने हेतु जिला पंचायत प्रबन्ध एवं अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (आपत्ति संख्या–27)

जिला पंचायत :– रामपुर ,

आपत्तियो का विवरण लेखा परीक्षा वर्ष – 2009–10

प्रस्तर–1 31.03.2010 को मृत शव पशु निस्तारण मद में मासिक लेखे में 402500.00 रूपये प्राप्त दर्शित है जबकि सम्बन्धित रजिस्टर में 317700.00 रूपये दर्शित है। इस प्रकार अन्तर 84800.00 रूपये का है तथा वर्षान्त में बकाया रू0 237300.00 दर्शित है जिसकी कोई सूची तैयार नहीं की गई है। अतः अभिलेखों का मिलान कर अन्तर का सुधार किया जाये तथा बकायेदारों से बकाया धनराशि की वसूली की जाये। इसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। (आपत्ति संख्या–05)

प्रस्तर–2 31.03.2010 को विगत वर्शों की भांति मेला रठोंडा का ठकेदारों पर बकाया रू0 407178.00 दर्शित है। जो कि चार ठेकेदारों पर बकाया है। विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम संख्या	नाम बकायेदार	मद	वर्श	बकाये की धनराशि
1	श्री सै0 जफर अली	तहबाजारी ठेका	1972	20037.00
2	श्री मौ0 हफीज उर्फ लाला	तहबाजारी ठेका	2000	8000.00
3	श्री रामऔतार गंगवार	तहबाजारी ठेका	2001	168030.00
4	श्री कौषल कुमार	तहबाजारी ठेका	2006	211111.00
			योग	407178.00

लेखा परीक्षा में अवगत कराया गया कि क्रमांक 01 पर दर्शित धनराशि के विरूद्ध वाद मा0 उच्च न्यायालय में चल रहा है तथा क्रमांक 02 से 04 तक की धनराशियों की वसूली हेतु सम्बन्धित के विरूद्ध आर0सी0 जारी हो चुकी है। लेकिन लेखा परीक्षा में कोई कानूनी/कृत कार्यवाही की पत्रावली जाँच में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। (आपत्ति संख्या–17)

प्रस्तर–3 दिनांक 31.03.2010 को जिला पंचायत रामपुर के विकासखण्ड मिलक, विलासपुर एवं षाहबाद की दुकानों पर क्रमषः 30145.00, 85064.00 एवं 40698.00 तथा जिला पंचायत परिसर में स्थित भवनों पर 180796.00 किराया बकाया है, जिसकी कोई सूची विकासखण्डवार नहीं बनाई गयी है तथा कई दुकानों पर विगत वर्शो का किराया अवषेश है जिसकी वसूली हेतु जिला पंचायत स्तर से कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है। सभी किरायेदारों से अविलम्ब बकाया किराये की वसूली सुनिश्चित की जाये। इसके प्रति अपर मुख्य अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। (आपत्ति संख्या–18)

जिला पंचायतः– बिजनौर

आपत्तियो का विवरण वर्षः– 2008–09

प्रस्तर संख्या–1 सामान्य रोकड बही में रसीद न0 3226/06.11.2008 से नीलाम ठेका टोल टैक्स मेला गंगा स्थान वर्ष 2008 विदुर कुटी गंज श्री सुरेश सिंह पुत्र गिरवर सिंह से रू0 2,06,000–00 की प्राप्ति है। जबकि रोकड बही मे प्राप्ती रू0 20,600–00 दर्शित है। इस प्रकार रोकड बही मे आय रू0 1,85,400–00 से कम दर्ज करके संस्था के धन का अपहरण किया गया है। जिसकी उत्तरदायी लेखाकार से अधावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 01)

प्रस्तर संख्या–2 दिनांक 17.04.2008 से दिनांक 18.04.2008 तक रसीद न0 649134 से 649141 तक रसीदो के (लाईसेन्स फीस) योग रू0 11,775–00 है। इस आय का लेखा रोकड बही मे नही किया गया है। जिसके लिये श्री हरमेन्द्र सिंह निरीक्षक उत्तरदायी हैं। इस धनराशि की उनसे ब्याज सहित प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 08)

प्रस्तर संख्या–3

1– रसीद नं0 110438/28.03.2009 द्वारा तहबाजारी हरेवली ठेके का विस्तारीकरण दिनांक 01.04.2009 से 30.06.2009 तक का शुल्क रू0 34,950–00 लिया गया है। विस्तारीकरण का ठेका गत ठेके की राशि का एक चौथाई पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर (रू0 3.325–00) रू0 36.575–00 धनराशि लेनी थी। जबकि पांच प्रतिशत धनराशि बढाकर रसीद काटी गयी। धनराशि गत ठेके की राशि रू0 33,250–00 पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर (रू0 3,325–00) रू0 36,575–00 लेने थे। जबकि रू0 34,950–00 लिये गये है। अन्तर की राशि रू0 1,625–00 की प्रतिपूर्ति ठेकेदार श्री घासीराम पुत्र इन्दर से की जानी अपेक्षित है।

2– तहबाजारी सहफददीनगर ठेकेदार श्री नईम अहमद पुत्र अब्दुल अजीज रसीद नं0 110450/28.03.2009 से रू0 23,650–00 लिये है। जबकि रू0 24,750–00 लेने थे। अन्तर रू0 1100 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदार श्री नईम से अपेक्षित है।

3– रसीद नं0 110452 दिनांक 28.03.2009 शिवाला कलां तहबाजारी ठेकेदार श्री सतवीर सिंह पुत्र समर सिंह से रू0 32,850–00 लिये जबकि रू0 34,800–00 लेने थे। अन्तर रू0 1,950–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

4– रसीद नं0 110456 दिनांक 28.03.2009 नारायणपुर तहबाजारी ठेकेदार श्री कैलाश सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह से रू0 24,700–00 लिये गये है। जबकि रू0 25,800–00 लेने थे। अन्तर रू0 1,100–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

5– रसीद नं0 110457 दिनांक 28.03.2009 दयालवाला मौहम्मदपुर देवमल तहबाजारी ठेकेदार श्री पप्पू सिंह पुत्र बब्बू सिंह से रू0 32.850–00 लिये जबकि रू0 34,400–00 लेना था। अन्तर रू0 1,500–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

6– रसीद नं0 110459 दिनांक 28.03.2009 मौज्जमपुर नारायण श्री पप्पू सिंह पुत्र बंशी सिंह ठेकेदार से रू0 27,050–00 लिये गये जबकि रू0 28,350–00 लेने थे। अन्तर रू0 1,300–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

7– रसीद नं0 110463 दिनांक 28.03.2009 चन्दक तहबाजारी श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह ठेकेदार से रू0 54,150–00 लिये गये जबकि रू0 56,700–00 लेने थे। अन्तर रू0 2,550–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

8– रसीद नं0 110464 दिनांक 28.03.2009 मण्डावली श्री बेगराज सिंह पुत्र अमर सिंह ठेकेदार से रू0 49,900–00 लिये गये जबकि रू0 52,250–00 लेने थे। अन्तर रू0 2,350–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

9– रसीद नं0 110465 दिनांक 28.03.2009 सुनारो वाली तहबाजारी श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह ठेकेदार से रू0 31,500–00 लिये गये जबकि रू0 33,000–00 लेने थे। अन्तर रू0 1,500–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

10– रसीद नं0 110466 दिनांक 28.03.2009 भागूवाला तहबाजारी श्री नरेश कुमार पुत्र कृपाल सिंह ठेकेदार से रू0 59,100–00 लिये गये जबकि रू0 61,900–00 लेने थे। अन्तर रू0 2,800–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

11– रसीद नं0 110467 दिनांक 28.03.2009 नांगल सोती श्री नरेश कुमार पुत्र कृपाल सिंह ठेकेदार से रू0 39,900–00 लिये गये जबकि रू0 41,800–00 लेने थे। अन्तर रू0 1,900–00 की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार रू0 19,725–00 ठेकेदारो से कम वसूली की गयी है। जिसकी अविलम्ब उनसे प्रतिपूर्ति की जानी चाहिये। उनसे वसूली न हो सकने की दशा मे कम वसूली करने के लिये उत्तरदायी कर्मचारी से धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी व इस प्रति उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 39)

प्रस्तर संख्या–4 ग्रामीण क्षेत्र की दुकानात की वर्ष 2008–09 की पत्रावलियो मे ठेकेदारो से निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र संलग्न नही थे। जबकि ठेके की शर्त न0 5 पर स्पष्ट अंकित है। "बोली स्वीकार करने की स्थिति मे ठेकेदार को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर कार्य संचालन का अनुबन्ध करना होगा। तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा" विवरण निम्न प्रकार है:–

नाम विकास खण्ड	नाम ठेकेदार	वर्ष 2008–09 की राशि	वांछित स्टाम्प जिस परअनुबन्ध होना था	कमी स्टाम्प की राशि
आकू (नहटौर)	श्री विजय सिंह पुत्र रामस्वरूप	1,03,600–00	8,290–00	8,290–00
नजीबाबाद	श्री पवन कुमार पुत्र ठाकुर सरन	1,62,000–00	12,960–00	12,960–00
किरतपुर	श्री पवन कुमार पुत्र राजकुमार	1,40,000–00	11,200–00	11,200–00
कोतवाली	श्री विपिन कुमार पुत्र ठाकुर सरन	3,01,000–00	24,080–00	24,080–00
अफजलगढ (स्टाम्प 10,120 के स्थान पर मात्र 6,330 का लगाया गया)	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र बाबूराम	1,26,500–00	10,120–00	3,790–00
	योगः–			60,320–00

उपरोक्तानुसार रू0 60,320–00 का स्टाम्प कम लगाया गया। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे राजकीय राजस्व की भांति वसूली कर राजकीय कोषागार मे जमा कराया जाये। साथ ही कम स्टाम्प पर ठेका दिये जाने के लिये उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी के विरूद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 40)

प्रस्तर संख्या–5 वर्ष 2008–09 मे तहबाजारी रजिस्टर (मांग वसूली रजिस्टर प्रपत्र–26) के अनुसार वर्ष 2008–09 मे तहबाजारी से रू0 32,53,782–00 की आय हुयी। रजिस्टर पर अधिकांश स्थानो पर प्रविष्टि करने वाले कर्मचारी/अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर भी नही है। सम्बन्धित पत्रावलियो मे इकरारनामा जो वांछित स्टाम्प होना चाहिये था। संलग्न नही था। बिन एग्रीमेन्ट कराये वक्र आर्डर दिये जाने का औचित्य अस्पष्ट रहा। अधिकांश ठेकेदारो से स्टाम्प पपरो पर इकरारनामा नही कराया गया हैं। यदि किन्ही ठेकेदारो से इकरारनामा कराया गया है तो ठेके की राशि से 8 प्रतिशत से कम राशि के स्टाम्प लिये गये है। ठेकेदारो से स्टाम्प कम अथवा नही लिये जाने का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	नाम विकास खण्ड	वर्ष 2008–09 का ठेके राशि	राशि जिस पर स्टाम्प लगा	राशि जिस पर स्टाम्प नही लगा	अन्तर की राशि पर प्रतिशत की दर से स्टाम्प
1	मौ0पुर देवमल	6,22,800–00	–	6,22,800–00	49,830–00
2	हल्दौर	34,100–00	2,300–00	31,800–00	2,550–00
3	नजीबाबाद	10,40,727–00	–	10,40,427–00	83,290–00
4	कोतवाली	1,61,000–00	–	1,61,000–00	12,880–00
5	जलीलपुर	66,101–00	–	66,101–00	5,310–00
6	नहटौर	2,16,000–00	90,000–00	1,26,000–00	10,100–00
7	नूरपुर	2,75,454–00	–	2,75,454–00	22,130–00
8	अफजलगढ	5,90,700–00	16,500–00	5,74,200–00	45,970–00
9	धामपुर	69,800–00	–	69,800–00	5,590–00
10	स्यौहारा	16,500–00	–	16,500–00	1,330–00
11	किरतपुर	1,60,600–00	–	1,60,600–00	12,880–00
	योग:–	32,53,782–00	1,08,800–00	31,44,982–00	2,51,860–00

क्रमांक 5 व 6 पर नहटौर विकास खण्ड का सहरूददीन नगर बाजार का ठेका रू0 90,000–00 मे नईम अहमद पुत्र अब्दुल अजीज को दिया गया था। जिस पर रू0 4,500–000 का स्टाम्प लगा था। जबकि रू0 7,200–00 का स्टाम्प लगा था। रू0 2,700–00 का स्टाम्प कम लगाया गया। इस प्रकार रू0 2,51,860–00 एवं 2,700–00 कुल रू0 2,54,560–000 का स्टाम्प कम लगाया गया है। जिससे राजकीय राजस्व क्षति हुई। जिसको सम्बन्धित ठेकेदारो से पूर्ति करयी जानी अपेक्षित है। सम्बन्धित ठेकेदार से पूर्ति न हो सकने की स्थिति मे उत्तरदायी पटल कार्मिक/अधिकारी से इस क्षति की प्रतिपूर्ति करायी जानी चाहिये।

(आ0सं0– 47)

प्रस्तर संख्या–6 (1) दिनांक 22.10.2008 को रसीद न0 3209 द्वारा रू0 1,65,000–00 जमानत धनराशि बाबत ठेका नीलमा घास फूंस, खरपतवार, ग्रामीण क्षेत्र वर्ष 2008–09 मौ0 असलम पुत्र मौ0 जमीर निवासी मकसूदनपुर हफीज से प्राप्त दर्शित है। उक्त ठेके से सम्बन्धित अभिलेख व पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही की गयी जो आगामी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(2) निम्नलिखत आय रोकड बही मे कोषांकित है–

रसीद नं0	तिथि	धनराशि	विवरण
3210	25.10.2008	200–00	नीलाम धनराशि खजूर की पत्ती गंज फतेहपुर मार्ग की श्री सुबराती पुत्र अब्दुल रसीद ग्राम जन्दरपुर वर्ष 2088–09
3211	25.10.2008	425–00	उक्त नीलामी सडक चन्दनपुर फीना व फीना मुस्तफाबाद वर्ष 2008–09 उक्त नाम।
3216	25.10.2008	600–00	उक्त नीलामी सडक झालू नहटौर वर्ष 2008–09 श्रीमति रसीदन पत्नी मुन्ने।

उक्त आय से सम्बधित ठेके एवं उक्त प्रकार की अन्य आय यदि कोई हो तो उससे सम्बन्धित ठेको के अभिलेख व पत्रावलियां अगामी लेखा परीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(3) दिनांक 28.02.2009 को रसीद नं0 3276 द्वारा रू0 3,50,000–00 श्री शरद जयवाल व भागीदार जमाल असद से एवं रसीद नं0 110424 दिनांक 28.03.2009 रू0 3,52,800–00 की वसूली कोषांकित है। उक्त राशि ठेका रेता, बजरी, पत्थर, मौरम आदि को एकत्रित करने व उसे जनपद से बाहर लाने ले जाने पर टैक्स वसूली से सम्बन्धित है। उक्त ठेके से सम्बन्धित अभिलेख व पत्रावली लेखा परीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी जो वर्ष 2009–10 के आडिट के समय प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 50, 51 व 52)

प्रस्तर संख्या–7 (क) माह अप्रैल 2008 के क्रम संख्या 1 से 19 तक रू0 7,82,207–00 एवं माह मई 2008 मे क्रम सं0 1 से 22 तक रू0 10,81,428–00 के व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराये गये। इस प्रति अनेको बार कहा गया किन्तु उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे जांच हेतु प्रस्तुत नही किये गये । अतः अधिकारियो का ध्यान अगले आडिट में प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत कराये जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(ख) वर्ष 2008–09 के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियां, कर्मचारियो की सेवा पुस्तिकायें, आदि अभिलेख आडिट मे अप्राप्त रहे जिन्हे जांच हेतु अगले अडिट मे सुलभ कराया जाना अपेक्षित है।

(ग) 1– मेला छडी 2008 (वर्ष 2008–09) मे कतिपय व्यय सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही की गयी जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

वाउचर नं0	धनराशि	विवरण
26	10,000–00	विधुत सप्लाई श्री राकेश कुमार
27	9,000–00	मुख्य गेट श्री राकेश कुमार
28	21,475–00	मल्लाह माहगीर मुस्तकीम
29	37,762–00	प्रकाश टैन्ट हाउस
31	23,280–00	सफाई व्यवस्था अभियन्ता
32	68,200–00	मेला दागवेल, जंगल सफाई अभियन्ता
34	7,970–00	सामान मेला
37	15,850–00	जल व्यवस्था कौशल कुमार

2– वर्ष 2008 मेला छडी मे रू0 7,900–00 कार्यालय रंगाई पुताई व अन्य (6,960–00 रंगाई पुताई मिस्त्री एवं0 रू0 940–00 मरम्मत कार्य) के मस्टर रोल्स पर सम्बन्धित श्रमिको (भुगतान प्राप्तकर्ता) के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा नही लगे है एवं न ही भुगतान का दिनांक अंकित है। अतः दर्शित भुगतान अपहरण की श्रेणी मे आता है। इस सम्बन्ध मे वाद जांच सम्बन्धित कर्मचारियो/अधिकारियो के विरूद्ध उचित कार्यवाही एवं रू0 7,900–00 की उनसे वसूली की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 53, 54 व 55)

जिला पंचायतः– बिजनौर
आपत्तियो का विवरण वर्षः– 2009–10

प्रस्तर संख्या–1 निम्नलिखित तिथियो मे विज्ञापन व्यय से सम्बन्धित भुगतान किया गया है। किन्तु प्रमाणक पर धन प्राप्ति अंकित नही थी एवं न ही कोई रसीद संलग्न की गयी। अतः दर्शित विज्ञापन व्यय संदेहात्मक है। इस सम्बन्ध मे समुचित कार्यवाही कि जानी अपेक्षित है।

दिनांक	वाउचर न0	विवरण
28.03.2010	29	रू0 23,267–00 के व्यय मे रू0 13,347–00 दैनिक केसरी को दिये गये भुगतान की पुष्टि मे रसीद नही पायी गयी।
10.12.2009	89	रू0 62,589–00 के व्यय मे रू0 20,424–00 दैनिक विधान केसरी को भुगतान किये गये धन की रसीद नही है।
21.11.2009	76	रू0 3,240–00 विज्ञापन व्यय मे रू0 1,210–00 शाह टाईम्स की रसीद पुष्टि हेतु नही पायी गयी।
07.12.2009	17	रू0 5,420–00 के विज्ञापन व्यय मे रू0 3,333–00 अमर उलाला मेरठ को किये भुगतान की रसीद नही है। अतः भुगतान भी अपुष्ट है।
07.12.2009	18	रू0 6,032–00 के विज्ञापन व्यय मे रू0 3,664–00 दैनिक जागरण को किये भुगतान की पुष्टि मे रसीद नही पायी गयी।
07.12.2009	19	रू0 7,145–00 जागरण प्रकाशन की रसीद नही पायी गयी। अतः भुगतान अपुष्ट रही।
07.12.2009	36	रू0 17,488–00 विज्ञापन व्यय दैनिक जागरण को किये भुगतान रू0 2,931–00 की रसीद नही पायी गयी।
31.08.2009	50	रू0 4,228–00 मे रू0 2,198–00 दैनिक जागरण को किये भुगतान की रसीद नही है।
	योगः–	

उक्त समाचार पत्रो को विज्ञापन हेतु किये भुगतान की पुष्टि मे सम्बन्धित समाचार पत्र की धन प्राप्ति रसीद न होने के कारण दर्शित भुगतान अपुष्ट है। उक्त समाचार पत्रो से सम्बन्धित दर्शाये गये व्यय की उनसे पुष्टि करायी जाये। पुष्टि न हो सकने पर उत्तरदायी अपर मुख्य अधिकारी व लेखाकार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुऐ व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 09)

प्रस्तर संख्या–2 कैश बुक मे दर्शित आय के प्रति निम्नलिखित आय के प्रतिपर्ण कैश रसीदो के साथ संलग्न नही पाये गये।

दिनांक	रसीद न0	आय का विवरण	धनराशि	टिप्पणी
22.02.2010	9801	किराया डाक बंगला नजीबाबाद	420–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
22.02.2010	9802	निर्माण हेतु ठेकेदारी ला0 फीस	1,005–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
22.02.2010	9900	निर्माण हेतु ठेकेदारी ला0 फीस	1,005–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
27.03.2010	61501	विकास खण्ड किरतपुर वर्ष 2008–09 की बकाया श्री शमीम अहमद	20,000–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
27.03.2010	61502	अमीर अहमद की 2 प्रतिशत धरोहर राशि	8,000–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
27.03.2010	61503	विभव व सम्पत्तिकर द्वारा श्री धर्मवीर	1,200–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
20.02.2010	50298	निर्माण ठेकेदारी	1,005–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
20.02.2010	50299	निर्माण ठेकेदारी	1,005–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
20.02.2010	50300	निर्माण ठेकेदारी	1,005–00	कार्यालय द्वारा निर्गत
		योगः–	34,645–00	

इस प्रकार स्पष्ट है कि रसीदो का रखरखाव सही नही रहा हैं। इस प्रति पूर्व मे भी लिखा जा चुका है। रसीद संस्था का प्रमुख अभिलेख हैं। उक्त प्रतिपर्ण तलाश कर पुष्टि करायी जाये अन्यथा इस सम्बन्ध मे विस्तृत जांच की उत्तरदायी रसीद निर्गम कर्ता के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाये।

(आ0सं0– 10)

प्रस्तर संख्या–3 वर्ष 2009–10 हेतु तहबाजारी की वसूली की धनराशि निम्न तिथियो मे वापिस की गयी। वसूली गयी तहबाजारी की राशि वापिस करने का कोई औचित्य नही है। इस सम्बन्ध मे जांचोपरान्त उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वसूली की तिथि	रसीद नं0	धनराशि	विवरण	वापसी की तिथि	वापस की गयी धनराशि
22.02.2010	9816	50,000–00	कादराबाद अफजलगढ श्री शफीक अहमद पुत्र अब्दुल रसीद	15.09.2010	50,000–00
22.02.2010	9819	50,000–00	कादराबाद अफजलगढ श्री शफीक अहमद पुत्र अब्दुल रसीद	15.09.2010	50,000–00
19.02.2010	50233	8,400–00	जलीलपुर बेरखेडा नेपाल सिंह/चरन सिंह	07.06.2010	8,400–00
19.02.2010	50234	1,700–00	नवादा चौहान श्री पुष्पेन्द्र सिंह/निहाल	19.07.2010	1,700–00
20.02.2010	50293	30,000–00	निंदलू नसीबुल्ला/अल्लादिया	07.06.2010	30,000–00
			योग		140100.00

(आ0सं0– 12)

प्रस्तर संख्या–4 ग्रामीण क्षेत्र की दुकानातो मे वर्ष 2009–10 हेतु लाईसेन्स के जो ठेके दिये गये हैं। उनमे वांछित मूल्य से कम के स्टाम्प लगाये गये है। अथवा नही लगाये है। वर्ष 2009–10 की पत्रावलियो मे दिनांक 01.08.2009 से 31.03.2010 तक की बोली के प्रपत्र लगे है। दिनांक 01.04.2009 से 31.07.2009 तक के प्रपत्र नही है। जुलाई 2008 से बताया गया की स्टाम्प 2 प्रतिशत की दर से लगाये जायेगे। किन्तु धामपुर, बुढनपुर एवं मौ0पुर देवमल विकास खण्डो के ठेको मे ही स्टाम्प पेपरो पर अनुबन्ध किया गया है। शेष विकास खण्डो मे मात्र रू0 10–00 के शपथ पत्र/ रू0 100–00 का स्टाम्प लगा है। कही कही यह भी नही लगा पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है–

विकास खण्ड	नाम ठेकेदार	वर्ष 2009–10 हेतु ठेके की राशि	स्टाम्प जो लगाना था	अन्य
1–हल्दौर	कपिल कुमार पुत्र विसम्बर सिंह	1,11,170–00	2,230–00	रू0 100–00 का कोरी स्टाम्प व रू0 10–00 का शपथ पत्र संलग्न है
2–नूरपुर	भीम सिंह	92,125–00	1,850–00	रू0 200–00 का कोरी स्टाम्प व रू0 10–00 का शपथ पत्र संलग्न है
3–नजीबाबाद	पवन कुमार	1,63,000–00	3,260–00	रू0 200–00 का कोरी स्टाम्प व रू0 10–00 का शपथ पत्र संलग्न है
4–आकू नहटौर	विजय सिंह पुत्र राम स्वरूप	1,04,375–00	2,090–00	कोई स्टाम्प एवं शपथ पत्र नही है
5–जलीलपुर	योगेन्द्र सिंह पुत्र मलखान सिंह	71,150–00	1,430–00	रू0 100–00 का कोरी स्टाम्प व रू0 10–00 का शपथ पत्र संलग्न है
6–किरतपुर	पवन कुमार/राज कुमार	1,50,170–00	3,010–00	स्टाम्प नही है। एवं रू0 10–00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की फाटो कापी है
7–अफजलगढ	कैलाश चन्द पुत्र बाबू राम	1,27,175–00	2,550–00	रू0 100–00 का कोरी स्टाम्प व रू0 10–00 का शपथ पत्र संलग्न है
8–कोतवाली	विपिन कुमार ठाकुर सरण	3,01,840–00	6,040–00	स्टाम्प नही है। एवं रू0 10–00 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की फाटो कापी है
	योग		22,460–00	

इस प्रकार रू0 22,460–00 – 700–00 रू0 21,700–00 का स्टाम्प कम लगाया गया। जो कि 8 ब्लाको से सम्बन्धित हैं शेष 3 ब्लाको मे स्टाम्प की देयता शून्य है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति मे राजकीय राजस्व की भांति वसूल कर धनराशि राजकीय कोषागार मे जमा करायी जाये। स्टाम्प की दर स्पष्ट की जाये। यदि 2 प्रतिशत से स्टाम्प शुल्क लगेगा तब 8 प्रतिशत की गणना से स्टाम्प लगेगा। (आ0सं0– 15)

प्रस्तर संख्या–5 वर्ष 2009–10 के मृत पशु शव निस्तारण के ठेके निम्नानुसार दिये गये है। समस्त विकास खण्डो की ठेका प्राईवेट कम्पनियो को दिया गया है। जबकि सहकारी समितियों को दिया जाना था। वर्ष मे रू0 14,59,500–00 के ठेके दिये गये जिस प्रति 9,53,500–00 ही वसूल हुऐ एवं शेष रू0 5,06,000–00 वर्ष 2009–10 की बकाय रही। वर्ष 2008–09 मे उक्त ठेके रू0 40,44,359–00 के दिये गये थे। वर्ष 2009–10 मे इतनी कम राशि पर ठेके दिये जाना जांच का विषय है। कम राशि पर ठेका दिये जाने से जिला पंचायत की आय मे कमी हुई है। जिस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

विकास खण्ड	नाम ठेकेदार	मांग वर्ष 2009–10	वसूली	शेष
1–हल्दौर	वसीम पुत्र अब्दुल सलाम	1,30,000–00	1,30,000–00	–
2–नजीबाबाद	नजर/महबूब, याकूब/घसीटा	80,000–00	80,000–00	–
3–कोतवाली	मौ0 युसूफ पुत्र हकीमुल्ला	2,00,000–00	50,000–00	1,50,000–00
4–नहटौर	अकबर पुत्र सददीक	69,000–00	20,000–00	49,000–00
नहटौर	शफीक अहमद पुत्र खलील	68,000–00	25,000–00	43,000–00
नहटौर	हरकेश सिंह पुत्र परमा सिंह	51,000–00	20,000–00	31,000–00
5–जलीलपुर	शकील पुत्र अब्दुल वहीद	2,00,000–00	50,000–00	1,50,000–00
6–अफजलगढ	थनजामुददीन पुत्र मुन्ने	1,10,000–00	1,10,000–00	–
7–धामपुर	अली अहमद पुत्र अब्दुल रज्जका	1,20,000–00	1,20,000–00	–
8–किरतपुर	मौ0 इस्लाम पुत्र अब्दुल सलाम	75,000–00	30,000–00	45,000–00
9–मौ0पुर देवमल	वसीम पुत्र अब्दुल सलाम	1,95,000–00	1,95,000–00	–
10–नूरपुर	अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल मजीद	43,000–00	20,000–00	23,000–00
नूरपुर	अमर सिंह पुत्र नत्थू सिंह	11,000–00	11,000–00	–
नूरपुर	नसीम अहमद पुत्र सददीक	37,500–00	22,500–00	15,000–00
नूरपुर	इब्राहीम पुत्र अब्दुल रहीम	33,000–00	33,000–00	–
नूरपुर	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह	37,000–00	37,000–00	–
11–स्योहारा	ठेका नही हुआ	–	–	–
योगः–		14,59,500–00	9,53,500–00	5,06,000–00

उक्त किसी भी ठेकेदार से स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट नही कराया गया। बिना अनुबन्ध कराये ठेका दिये जाने पर वक्र आर्डर दिये जाने का काई औचित्य नही है। स्योहारा विकास खण्ड का ठेका किन कारणो से नही दिया गया इससे सम्बन्धित कोई स्पष्टीकरण नही पाया गया। यह संस्था की हानि का प्रकरण रहा। इस सम्बन्ध मे जांच कर उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कोतवाली विकास खण्ड की पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही की गयी। पत्रावली प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। बकाया रजिस्टर विधिवत पूर्ण कर नही रखा गया है। जो रखा जाना अपेक्षित है। साथ ही 31.03.2010 को बकाया राशि रू0 5,06,000–00 की वसूली की और विशेष रूप से अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं उक्त अनियमितताओं एवं ठेके की धनराशि की वसूली मे शिथिलता के लिये उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 16)

प्रस्तर संख्या–6 वर्ष 2009–10 मे तहबाजारी रजिस्टर(मांग वसूली प्रपत्र–26) के अनुसार वर्ष 2009–10 मे तहबाजारी से रू0 32,20,320–00 की आय हुयी। रजिस्टर पर अधिकांश स्थानो पर प्रविष्टि करने वाले कर्मचारी/अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। सम्बन्धित पत्रावलियो मे इकरारनामा जो वांछित स्टाम्प पर होना चाहिये था। संलग्न नही था। बिना एग्रीमेन्ट कराये वक्र आर्डर दिया जाना गम्भीर अनियमित्ता रही। अधिकांश ठेकेदारो से स्टाम्प पेपरो पर इकरारनामा नही कराया गया था। जिन ठेकेदारो से इकरारनाम कराया गया है उनसे ठेके की राशि से 2 प्रतिशत से कम के स्टाम्प लिये गये है। ठेकेदारो से स्टाम्प कम अथवा नही लिये जाने का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम0 सं0	नाम विकास खण्ड	2009–10 का ठेके की राशि	राशि जिस पर स्टाम्प लगा	राशि जिस पर स्टाम्प नही लगा	अन्तर की राशि पर 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प
1	मौ0पुर देवमल	6,39,520–00	–	6,39,520–00	12,860–00
2	हल्दौर	25,410–00	–	25,410–00	520–00
3	नजीबाबाद	11,38,365–00	–	11,38,365–00	22,830–00
4	कोतवाली	1,81,200–00	4,800–00	1,76,400–00	3,580–00
5	जलीलपुर	90,750–00	–	90,750–00	1,830–00
6	आकू नहटौर	1,57,320–00	–	1,57,320–00	3,200–00
7	नूरपुर	2,61,460–00	–	2,61,460–00	5,300–00
8	अफजलगढ	5,60,535–00	–	5,60,535–00	11,240–00
9	धामपुर	53,970–00	–	53,970–00	1,080–00
10	बुढनपुर (स्यौहरा)	16,460–00	–	16,460–00	350–00
11	करतपुर	95,330–00	10,000–00	85,330–00	1,750–00
		32,20,320–00	14,800–00	32,05,520–00	64,540–00

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 मे रू0 64,540–00 की स्टाम्प कम लगवाकर जन राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी है। जिसके लिये तत्कालीन पटल कार्मिक लेखाकार एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी है। सम्बन्धित कर्मचारियो/अधिकारी के विरूद्ध इस प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी एवं कम स्टाम्प शुल्क रू0 64,540–00 की उनसे प्रतिपूर्ति करायी जानी व इस धनराशि को कोषागार मे जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0– 21)

प्रस्तर संख्या–7

(1) वर्ष 2009–10 मे मेला छडी 2009 से सम्बन्धित वाउचर नं0 34 जो रू0 2,992–00 से सम्बन्धित है। उस धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा मे मांग किये जाने पर भी प्रस्तुत नही की गयी। जिससे उक्त धनराशि की भली भांति प्रकार पुष्टि न की जा सकी।

(2) मेला छडी वर्ष 2009 मे रू0 8,080–00 रंगाई पुताई व बुग्गी वाले का व्यय के मस्टर रोल पर भी भुगतान का दिनांक व भुगतान प्राप्त करने वालो के निशान अंगूठा/हस्ताक्षर नही है। प्राप्तकर्ताओ के हस्ताक्षर के आभाव मे उक्त भुगतान की स्थिति संदिग्ध है। अतः वाद जांच इस सम्बन्ध मे उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(3) छडी मेला वर्ष 2009 छडी मेला के वाउचर नं0 36 द्वारा मजदूरी जंगल सफाई के चार मस्टर रोल्स क्रमशः रू0 10,100–00, रू0 10,100–00, रू0 3,200–00, व रू0 12,600–00 कुल रू0 36,000–00 के भुगतान के मस्टर रोल्स पर सम्बन्धित श्रमिको (भुगतान प्राप्तकर्ताओ) के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा व भुगतान का दिनांक अंकित नही है। अतः भुगतान की स्थिति संदिग्ध है। इस सम्बन्ध मे भी वाद जांच समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 31)

मण्डल झॉसी

जिला पंचायत –जालौन स्थान उरई

आपत्तियो का विवरण

क्र0	जिला पंचायत का नाम	ब्लाक	जिला	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
					कुल	अपहरण
1.	जालौन	–	जालौन	बकाया करों की बसूली न कर क्षति	1518627	
				बकाया किराया की बसूली न करने से क्षति	3611775	
				अनुदानों का समय से उपयोग न करना	60868000	
				एरियर का अनियमित भुगतान की वसूली श्री श्यामचरन तत्कालीन अ0मु0अ0 से किया जाना	69163	
				तत्कालीन अ0मु0अ0 श्री श्यामचरन द्वारा अन्य जिला पंचायतों से वेतन का एरियर प्राप्त न करके जिला पंचायत जालौन से अनियमित रूप से एरियर वेतन का भुगतान प्राप्त करना	431972	

मण्डल का नाम– चित्रकूटधाम मण्डल

जिला पंचायत –चित्रकूट

आपत्तियो का विवरण

1. जिला पंचायत चित्रकूट में लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि सम्पत्ति से आय मद में दिनांक–31.03.2012 को रू0 310418.00 बकाया धनराशि दर्शित रहा। बकाया किराये की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. जिला पंचायत चित्रकूट में लेखा परीक्षा के समय पाया गया कि हाट बाजार तहबाजारी मद में दिनांक–31.03.2012 को रू0 149000.00 बकाया धनराशि दर्शित है। यह धनराशि विगत वर्ष से बकाया दर्शित है। इसकी वसूली हेतु ठोंस कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जिला पंचायत – बाँदा

आपत्तियो का विवरण

1 जिला पंचायत बांदा की लेखा परीक्षा में अस्थायी अग्रिम रजिस्टर की जांच करते समय पाया गया कि श्री बसन्त कुमार अभियन्ता द्वारा चिल्ला मेला वर्ष 2008–09 की व्यवस्था हेतु दिनांक–15.12.2008 को रूपया 100000.00 अग्रिम प्राप्त किया गया। जिसका व्यय निम्न विवरण के अनुसार माह 12/08 से 10.02.2009 तक कर दिया गया परन्तु रूपया 100000.00 का समायोजन दिनांक–18.06.2011 को कराया गया। अन्तरिम आपत्ति के तहत दो वर्ष चार माह बाद समायोजन (अग्रिम) कराने का कारण पूंछा गया परन्तु अन्तरिम आपत्ति के अनुपालन में कोई भी जवाब नहीं दिया गया।

दिनांक	व्यय विवरण	व्यय की गयी धनराशि
24.12.2008	वी.के. प्रिन्टर्स पोस्टर बलखण्डीनाका बांदा	5000.00
24.12.2008	उक्त पम्पलेट	500.00
21/22.01.2009	शैली टेन्ट हाउस पलरा	20000.00
20.01.2009	नीलम लाइट हाउस छावनी चौराहा बांदा	15000.00
20.01.2009	विवेक कुमार सिंह गायत्री नगर बांदा	50000.00
19.01.2009	मेला समतलीकरण द्वारा ट्रैक्टर मेला स्थल सफाई	9500.00
योग– 100000.00		

अतः व्यय फर्जी एवं मनगढ़न्त है। रूपया 100000.00 की वसूली श्री बसन्त कुमार से तातारीख व्याज सहित आपेक्षित है।

2. जिला पंचायत बाँदा की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011–12 कैशबुक की जांच करते समय पाया गया कि अध्यक्षा श्रीमती किरन वर्मा द्वारा किराये पर ली गयी कार का रूपये 178838.00 किराया श्री सुनील पुत्र दद्दू प्रसाद पता सर्वेन्ट क्वाटर विद्युत विभाग कालोनी सिकन्दरा आगरा गाड़ी संख्या– यू.पी. 80 बी.यू.–7845 को भुगतान किया गया। लागबुक की जांच में पाया गया कि यात्रा का उददेश्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण है परन्तु लेख परीक्षा दौरान अन्तरिम आपत्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त भी एक निरीक्षण नोट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

1. निरीक्षण नोट का अभाव धन (किराये की राशि) रूपया 178838.00 की दुरूपयोगिता सिद्ध करता है। जिस सम्बन्ध में जांचोपरांत वैधानिक कार्यवाही आपेक्षित है।

2. यहां पर भी उल्लेखनीय है कि यात्रा दौरान 1944.49 लीटर डीजल का भी उपभोग किया गया।

3. जनपद आगरा की गाड़ी यू.पी. 80 बी.यू.–7845 जनपद बांदा में किराये पर लगाया जाना भी धन की दुरूपयोगिता सिद्ध करता है।

4. जिला पंचायत की लेखा परीक्षा में बैंक एवं ट्रेजरी व पोस्ट ऑफिस खातों की जांच करते समय पाया गया कि दिनांक–31.03.2012 को बैंक जमा राशि रूपया 118718135.10 पैसे थे जबकि कैशबुक वर्ष 2011–12 के दिनांक– 31.03.2012 के अनुसार जमा राशि रूपया 93018869.30 पैसे थी अन्तर राशि रूपया 25699265.90 पैसे की पुष्टि बैंक समाधान विवरण पत्र के अभाव में न की जा सकी। अस्तु पुष्टि कराया जाना आपेक्षित है।

4.2–क्षेत्र पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

मण्डल का नाम–आजमगढ़
जनपद – बलिया

आकड़े हजार रू0 में

	क्षे0पंचायत का नाम	आडिट नोट में आ0 सं0	आपत्ति का विवरण	कुल	अपहरण
1				5	6
1	दुबहर	3(III)	विधायक निधि खातं से व्यय धनराशि पर नियमानुसार बिक्री कर 4 प्रतिशत की दर से न लिये जाने से रू0 312.68 हजार के राजस्व की छति हुई	312.68	312.68
2		16	मनरेगा के तहत सामग्री खाते मे व्यय धनराशि पर नियमानुसार 4 प्रतिशत बिक्री कर न लगाने से रू0 114.95 हजार के राजस्व की क्षति हुई।	114.95	114.95
3		13	राज्य वित्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सामग्री पर नियमानुसार 4प्रतिशत बिक्री कर नहीं लगा कर रू0 71.12 हजारके राजस्व की हानि हुई।	71.12	71.12
4		9	इन्दिरा आवास योजना के तहत व्यय रू0 498.75 हजार के सापेक्ष लाभार्थियों की सूची न दिया जाने से राजस्व की क्षति हुई	498.75	0.00
5		14	महामाया आवास योजना के तहत व्यय रू0 475.00 हजार सापेक्ष लाभार्थियों की सूची न दिया जाने से राजस्व की क्षति हुई।	475.00	0.00
			योग–	1472.50	498.75

जनपद– मऊ

वर्ष 12–13 मे लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतो मे उद्घाटित अपहरण/अनियमितताओ की आपत्तियो का विवरण

क्रमांक	ग्राम प्रचायत	ब्लाक	आपत्ति का विवरण	कुल धनराशि	अपहरण	अनियमतता
	जनपद–मऊ	कोपागंज	क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां:–	मण्डल का नाम–आजमगढ़		
			प्रस्तर–1 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मेपत्रावलियो के अभाव मे रु0 3959834.00 के व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।पत्रावलियो को समुचित ढ़ंग से न रख कर गम्भीर अनियमित्ता की गई।(सा0आ0सं0–2)	3959834.00		गम्भीर अनियमतता
			प्रस्तर–2 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे समयान्तर्गत कार्य पूरा नही करने के कारण अनुदान की धनराशि रु0 591945.00 निष्क्रिय कर एवं लाभार्थियो को लाभ से वंचित कर गम्भीर अनियमित्ता की गई। (सा0आ0सं0–3)	591945.00		गम्भीर अनियमतता
			प्रस्तर–3 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे क्रय स्टाक के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया तथा स्टाक रजिस्टर मे प्रविष्टी अप्रमाणित रहा।भुगतान अपुष्ट एवं अवास्तविक पाया गया।अतः रु0 1052234.00 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया।वसूली वरिष्ठ लेखाकार तथा ख0विकास अधिकारी से समान अंशो मे किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–4)	1052234.00	1052234.00	
			प्रस्तर–4 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे व्ययप्रमाणको से बिक्री कर/वाणिज्य कर की कटौती न कर रु0 76147.00 के राजकीय धन की क्षति पहुचाई गर्द।जिम्मेदारी वरिष्ठ लेखाकार व ख0ठि अधि0 की रही।(सा0आ0सं–5)	76147.00		गम्भीर अनियमतता
			प्रस्तर–5 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे राज्यत्ति के अन्तर्गत मिट्टी कार्य पर रायल्टी न काट कर रु0 343923.00 से राजकीय धन की क्षति पहुंचाई गई। जिम्मेदारी वरिष्ठ लेखाकार व ख0वि.अधि. की रही। (सा0आ0सं0–6)	343923.00		
			प्रस्तर–6 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत वितरित अनुदान की धनराशि रु0 1719500.00 की पुष्टी मे चयनित लाभार्थियो की सूची व लाभार्थियो की प्राप्ति की रसीद लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया। अनुदान वितरण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमित्ता की गयी। जिम्मेदारी वरिष्ठ लेखाकार व ख0वि0अधि0 की रही। (सा0आ0सं0–7)	1719500.00		
			प्रस्तर–7 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे विभिन्न कार्य हेतु कार्य प्रभारियो/कर्मचारियो को अग्रिम रु0 175374.00 दिया गया। कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी अग्रिम का समायोजन न करा कर धनराशि का दुरुपयोग	175374.00		

			किया गया।सम्बन्धित कर्मचारियो से तत्काल वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–8)			
			प्रस्तर–8 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे प्राप्त ब्याज की धनराशि रु0 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे 606636.86 को शासनादेश के विपरीत राजकीय कोष मे जमा न कर मनमाने ढंग से व्यय कर गम्भीर अनियमित्ता किया गया।जिम्मेदारी वरिष्ठ लेखाकार व ख0वि0अधि0 की रही। (सा0आ0सं0–9)	606636.86		
			प्रस्तर–9 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे जीप मरम्मत पर व्यय रु0 19990.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं आर0आई0 रिपोर्ट लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया।उक्त अभिलेखो के अभाव मे व्यय अवास्तविक रहा।वसूली सम्बन्धित कनिष्ठ लिपिक श्री संजय सिंह से किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–10)	19990.00		क
			प्रस्तर–10 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे अनुदान रजिस्टर–2 एवं 3 से बिना किसी यथोचित कारण/व्यय प्रमाणक के गत अवशेष को शून्य कर रु0 188476.00 की धनराशि का अपहरण सम्बन्धित ख0वि0अधि0 एवं वरिष्ठ लेखाकार द्वारा कर लिया गया।(सा0आ0सं0–11)	188476.00		
			प्रस्तर–11 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे मानदेय वितरण रु0 50000.00 का किया गया।उक्त की पुष्टि मे लेखापरीक्षा मे वितरण रजिस्टर/ वितरण से सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया।अतः वितरण अनियमित पाया गया।जिम्मेदारी वरिष्ठ लेखाकार तथा ख0वि0अधि0 की रही। (सा0आ0सं0–12)	50000.00		
			प्रस्तर–12 क्षेत्रपंचायत कोपागंज मे विधायक निधि मे अनुदान रजि0–2 व 3 मे बिना किसी चेक/व्यय प्रमाणक के रु020665.00 के अवशेष को शून्य कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।वसूली वरिष्ठ लेखाकार श्री रामनगीना से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–13)	20665.00		
			प्रस्तर–13 क्षेत्र पंचायत कोपागंज मे वर्षान्त के अवशेष अनुदान रु0 846972.00 को मु0सचि0शा0सं0बी –1–1197/दस–99दि0 30.3.99 के अनुसार राजकीय कोष मे जमा न कर गम्भीर अनियमित्ता की गई। जिम्मेदारी वरि0लेखाकार तथा ख0वि0अधि0 की रही। (सा0आप0सं0–14)	846972.00		
			योग –	9651696.86		

मण्डल का नाम :वाराणसी

जनपद का नाम :वाराणसी

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:–

प्रस्तर सं0	क्षेत्र पंचायत का नाम	विकास खण्ड	आपत्ति का विवरण	धनराशि
प्रस्तर–1	–	–	–	–
प्रस्तर–2	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय	2036889.00
प्रस्तर–3	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	तेरहवॉ वित्त योजना के अन्तर्गत बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय	2203425.00
प्रस्तर–4	–	–	–	–
प्रस्तर–5	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	मनरेगा योजना के अन्तर्गत बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्री क्रय	34980.00
प्रस्तर–6	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	बिना प्रमाणक के ब्लाक प्रमुख का मानदेय भुगतान	15000.00
प्रस्तर–7 से 8	–	–	–	–
प्रस्तर–9	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	मनरेगा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का विकास कार्यों में उपभोग न कर प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित कर धन का दुरूपयोग	567297.00
प्रस्तर–	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	वर्षान्त 31.03.12 को अनुदान अवशेष रोककर राजकीय धन का दुरूपयोग	3270235.00
प्रस्तर–	काशी विद्यापीठ	काशी विद्यापीठ	निर्माण कार्यों पर दर्शित कुल व्यय की धनराशि रू0 5940696.00 के सापेक्ष कार्यपूर्ति/सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि न कराया जाना (5940696–4275294–15000)	1650402.00

जनपद :चन्दौली

क्षेत्र पंचायत – चन्दौली (11–12)

प्रस्तर–1– मनरेगा योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक/कार्य पूर्ति/परिसम्पत्ति प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय अपुष्टित एवं अप्रमाणित रहा रू0 3711717.00

प्रस्तर– 2– एस0जी0एस0वाई0 योजना मद में दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित कोई अभिलेख यथा बिल बाउचर्स पत्रावली/आदेश प्रस्तुत कर दर्शित व्यय की धनराशि की पुष्टि न कराया जाना रू0 2009150.00

प्रस्तर– 3– राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली/बिल बाउचर्स,माप पुस्तिका,कार्य की स्वीकृति,कार्यपूर्ति परिसम्पत्ति पंजी आदि प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गयी रू0 1938611.00

प्रस्तर– 4– 13वॉ वित्त योजना के अन्तर्गत वर्ष में दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली/बिल बाउचर्स, माप पुस्तिका, कार्य की स्वीकृति, कार्यपूर्ति परिसम्पत्ति पंजी आदि प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गयी रू0 875242.00

प्रस्तर–5– विधायक निधि योजना के अधीन वर्ष में दर्शित व्यय की धनराशि की पुष्टि में सम्बन्धित पत्रावली/बिल बाउचर्स, माप पुस्तिका, कार्य की स्वीकृति, कार्यपूर्ति परिसम्पत्ति पंजी आदि प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गयी रू0 331186.00

प्रस्तर– 6– प्रशासनिक व्यय मद में दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक स्टाक पंजी आदि प्रस्तुत कर पुष्टि न कराई गयी रू0 1727698.00

प्रस्तर–7– अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गयी रू0 160000.00

प्रस्तर–8– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अन्तर्गत दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं कराई गयी रू0 92105.00

प्रस्तर–9 वर्षान्त 31.03.12 को अनुदान की धनराशि प्रयुक्त न कर अवशेष रखते हुए विकास कार्यों को बाधित कर राजकीय धन का दुरूपयोग– रू012806935.00

क्षेत्र पंचायत –शहाबगंज (11–12)

प्रस्तर– 10– विभिन्न योजनाओं के अधीन वर्ष में दर्शित व्यय की धनराशि से सम्बन्धित पत्रावली/कार्य आवंटन/तकनीकी स्वीकृति/बजट अनुमान व्यय प्रमाणक/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि न कराया जाना रू0 42629943.00

प्रस्तर–11– वर्षान्त 31.03.12 को अनुदान अवशेष की धनराशि अनियमित रूप से रोककर सम्बन्धित पक्ष को वापस न कर विकास कार्यों को वांछित करते हुए राजकीय धन का दुरूपयोग रू0 22215631.00

जनपद का नाम – जौनपुर

क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर संख्या 1	शून्य
प्रस्तर संख्या 2	मुपतीगंज क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 12176971.00
	बरसठी क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 5676084.00
	धर्मापुर क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 2165522.00
	मछलीशहर क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 13774529.00
	केराकत क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 3879253.23
	खुटहन क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 7424231.00
	करंजाकला क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 11035024.37
	मड़ियाहूं क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 3764979.00
	डोभी क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 2188213.00
	जलालपुर क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 3405220.00
प्रस्तर संख्या–3	खुटहन ग्राम मोलनापुर में बरसाती हरजन के घर से जयपाल हरिजन के घर तक सम्पक्र मार्ग पर मनरेगा मजदूरी रू0 40200 भुगतान किया गया जिसमें रू0 28800 की पुष्टि मे मास्टर रोल से फाइल से संलग्न नही पया गया। रू0 28800.00
	शाहगंज भुगतान प्रमाणको के अभाव में व्यय का अप्रमाणित रहा रू0 1671328.00
प्रस्तर संख्या – 4	शाहगंज फर्जी ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण रू0 3668512.00

	महराजगंज क्षेत्र पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान का समय से उपयोग न कर के अवशेष रखा गया तथा सम्बन्धित संस्था को वापस नही किया गया। रू0 1066527.75
प्रस्तर संख्या – 5	महराजगंज दिनांक 2.3.2011 को ग्रांट रजिस्टर में विकास खण्ड मरम्त हेतु रू 20200 व्यय दर्शित है पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त है ।रू0 20200.00
	शाहगंज फर्जी ईट क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण 1432955.00
प्रस्तर संख्या – 6	महराजगंज दिनांक 11.03.2011 को ग्रान्ट रजिस्टर में विकास खण्ड कार्यालय कैम्पस अवास एवं बउन्डीवाल रंगाई पोताई पर व्यय रू0 36800.00 दर्शित है पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त है । रू0 36800.00
प्रस्तर संख्या – 6	शाहगंज स्वर्ण ज्यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नही करने के कारण भुगतान अप्रमाणित रहा । रू0 4671414.00
प्रस्तर संख्या – 7	महराजगंज वर्ष 2011–12 में सार्वजनिक निर्माण मार्ग पर व्यय दर्शित है पुष्टि में सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली अप्राप्त रहा । रू0 3354707.00

जनपद का नाम– गाजीपुर **मण्डल का नाम–वाराणसी**

क्षेत्र पंचायत का नाम– सैदपुर मरदह **वर्ष–2011–12**

प्रस्तर–1

क्षेत्र पंचायत– सैदपुर जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में मनरेगा अनुदान रजिस्टर 3 के अनुसार क्षेत्र पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत कुल रूपए 36748766.00 व्यय किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख/बाउचर्स/फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किए गए, जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि के दुरूपयोग/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। जिस हेतु लेखाकार एवं खण्ड विकास उत्तरदायी है।

व्यय विवरण –

1.	क्षेत्र पंचायत अंश	34266974.00
2.	रिवाल्विंग फंड	814016.00
3.	मनरेगा संविदा कर्मी मानदेय	92000.00
4.	निःशुल्क बोरिंग	328020.00
5.	प्रशासनिक मद	1246731.00
6.	ब्याज मद	1025.00

प्रस्तर–2

क्षेत्र पंचायत– सैदपुर जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में राज्य वित्त योजना तथा 12वाँ 13वाँ वित्त योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण अनुसार सामग्री एवं श्रम पर व्यय किया गया है–

	राज्य वित्त योजना	सामग्री	श्रम
1.	ग्राम लौलहा में लिंक रोड से पिच रोड तक खड़न्जा	316771.00	39760.00
2.	ग्राम कलवारी में सीताराम के घर से पुलिया तक सीमेन्ट ईट इंटर लाकिंग	929040.00	54800.00
3.	ग्राम बेलहरी में सांई के तकिया परिसर में सीमेन्टेड इंटर लाकिंग कार्य	383130.00	13480.00
4.	ग्राम रामपुर बिहारीगंज इगरा मार्ग से जवाहिर के घर से मिश्री यादव के	380300.00	8536.00
5.	ग्राम सिघरा में पिच रोड से प्रा0वि0 तक खड़न्जा	241200.00	–
6.	ग्राम हसनपुर में पिच रोड से मैनपुर बस्ती तक खडन्जा	244800.00	–
7.	ग्राम मद्रसेन में पिच रोड से मंदिर तक सीमेन्टेड इण्टर लांकिग कार्य	450000.00	–
	कुल योग	**2945241.00**	**193400.00**

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है–

1. सामग्री क्रय पर व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक बिल/कैश मेमो सम्बन्धी प्रतीत होते है। सामान्यतः सभी क्रय प्रमाणक एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये है। विभिन्न फर्मो को भुगतान से सम्बन्धित प्राप्त रसीद भी प्रस्तुत नही रहा। क्रय सामग्री से सम्बन्धित स्टाक पंजिका भी प्रस्तुत नही रहा जिसमें व्यय रूपए 4613795.00 की पुष्टि नही की जा सकी। जिस हेतु लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है।
2. मजदूरी का भुगतान मस्टररोल द्वारा किया गया है, मस्टररोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान संदिग्ध प्रतीत होते है जिससे उनको किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। मजदूरी का भुगतान समय से नही किया गया है। अतः मजदूरी पर व्यय रूपए 521205.00 के वास्तविक होने की पुष्टि नही की जा सकी, जिसके लिए लेखाकार व खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार है।
3. कार्यो के किसी अन्य योजना से न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

प्रस्तर–3

क्षेत्र पंचायत– सैदपुर जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में क्षेत्र पंचायत द्वारा सामग्री क्रय के भुगतान पर व्यापार कर एवं आयकर की कटौती न करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। विक्रेता फर्म से नियमानुसार कटौती न करके निम्नलिखित विवरण अनुसार राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी है। विक्रेता फर्म से नियमानुसार कटौती न करके निम्नलिखित विवरण अनुसार राजस्व की क्षति हुई है (उपरोक्त आपत्ति सं0)

कुल क्रय	व्यापार कर 4 प्रतिशत	आयकर 2.24 प्रतिशत
4515593.00	180623.72	101149.28

अतः व्यापार कर व आयकर की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से करते हुए राजकीय कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–4

क्षेत्र पंचायत– सैदपुर जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में रूपए 180000.00 राज्य वित्त मद से श्रीमती कुसुम चन्द्रा सिंह प्रमुख को मानदेय का भुगतान (मार्च 2006 से फरवरी 2011) चेक सं0 160481 दिनांक 06–06–2011 को किया गया है। भुगतान रजिस्टर के अभाव में भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(आ0सं0–12)

प्रस्तर–5

क्षेत्र पंचायत– सैदपुर जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में राज्य वित्त 12/13 वाँ वित्त योजना के ब्याज मद से रू0–16835. 00 व मनरेगा के ब्याज मद से रू0 1025.00 व्यय किया गया है। व्यय से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है। किस कार्य हेतु व्यय किया गया का विवरण प्रस्तुत नही रहा। अतः ब्याज मद से भुगतान अनियमित व नियम विरूद्ध है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–13)

प्रस्तर–6

क्षेत्र पंचायत– सैदपुर जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में निम्नलिखित मदों में निम्नविवरण के अनुसार व्यय किया गया है।

मानदेय मनरेगा संविदा कर्मचारी	92000.00
रिवाल्विंग केड	814016.00
निःशुल्क बोरिंग	328020.00
प्रशासनिक मद	1246731.00
योग –	2480767.00

उक्त मदों में किये गये व्ययों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। अतः व्ययों की पुष्टि नही की जा सकीं। जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(आ0सं0–14)

जनपद का नाम– गाजीपुर मण्डल का नाम–वाराणसी

क्षेत्र पंचायत का नाम– मरदह वर्ष–2011–12

प्रस्तर–1

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

वर्ष 2011–12 में अनुदान के रूप में वर्षान्त में अवशेष धन रू0– 9738935.41 अनुपयोगित पडा रहा। लेखा परीक्षा में बैंक पासबुकें अथवा बैंक विवरण पत्र नही प्रस्तुत किये गये। अवशेष धन का उल्लेख ग्रांट तृतीय रजिस्टर में बैंक खाता संख्यावार दिया है। यहाँ यह दृष्टव्य है कि अनुदान की एक बडी धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण क्षेत्र के विकास की गति प्रभावित हुई। क्षेत्र की जनता को उसका समय से लाभ पाने से वंचित रखा गया। रोजगार के अवसरों में हुए देरी के कारण क्षेत्र से मजदूर वर्ग के पलायन पर वांछित रोक नही लग सकी।

अनुदान के उपभोग हेतु नियमानुसार महालेखाकार से स्वीकृति भी जानी चाहिए अथवा सम्बन्धित विभागों को अनुदान वापस की जानी चाहिए।

(आ0सं0–3)

प्रस्तर–2

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

वि0ख0 मरदह के परिसर में इण्टर लाकिंग ब्रिक्स सोलिंग के लिए कार्य प्रभारी श्री रमेश द्वितीय से कार्य कराया गया है। इस कार्य में निम्नलिखित न्यूनताएं पायी गयी–

1. श्री मायाशंकर जे0ई0 द्वारा स्टीमेट रू0 2361852.00 का प्रस्तुत किया गया। परन्तु कार्य दिनांक 05–05–11 को प्रारंभ हुए इस कार्य में दिनांक 05–03–2012 तक कुल रू0 1354781.00 व्यय किये गये। इस कार्य को लगभग आधा व्यय/भुगतान के बाद बीच में ही रोक दिया गया जो कि प्रोजेक्ट के अपूर्ण होने का प्रतीक है। स्टीमेट व

वास्तविक व्यय का अन्तर स्पष्ट रूप से प्रोजेक्ट के असफलता का प्रश्न खडा करता है।

2. ट्रेक्टर से मिट्टी का कार्य निम्नानुसार कराया गया–
(क) 61 ट्राली @ 300: रूपए 18300/–
(ख) 16 ट्राली @ 300: रूपए 4800/–

3. सर्वेश्वरी ईट एजेन्सी द्वारा दिनांक 15–02–2011 को आपूर्ति किये सीमेन्ट, बालू, आदि हेतु कुल रू0– 253607.00 भुगतान किया गया। व्यय प्रमाणक में 20 घ0मी0 बालू सफेद क्रय @500 /– का उल्लेख होने के बावजूद 20X500=10000/– की जगह प्रमाणक के रूपए 20000.00 लिखा गया व भुगतान किया गया । इस प्रकार रूपए 10000.00 अधिक भुगतान किया गया है। (आ0सं0–15)

प्रस्तर–3

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

आलोच्य वर्ष में विधायक निधि में रूपए 439000.00 शासन में प्राप्त हुए। वर्ष में इसमें से रूपए 227447.00 उपभोग किया गया। प्रारम्भ कराये गये निम्नांकित दो कार्यो को भी वर्ष के दौरान पूर्ण नही कराया गया। सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में नहीं जिससे पुष्टि नही होता है जिसके लिए लेखाकार श्री कंगनराम व कार्य प्रभारी श्री राम प्रकाश सिंह उत्तरदायी है।

1. मरदह ब्रहमस्थान में रैनबसेरा कार्य प्रभारी– स्वीकृत लागत रूपए 1.99 लाख
श्री राम प्रकाश सिंह (T/S-5.9.11)
2. बेलसड़ी में सीताराम बाका कुटी पर गेट स्वीकृत लागत रूपए 0.20 लाख
निर्माण कार्य प्रभारी श्री राम प्रकाश सिंह (T/S-20.10.11)

(आ0सं0–17)

प्रस्तर–4

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

वित्तीय वर्ष 2011–12 में तेरहवाँ वित्त में प्रा0 अवशेष रूपए 2022814.00 था, वर्ष में रू0 1057748.00 प्राप्त हुए। वर्ष में रू0 1980420.00 उपभोगोपरान्त शेष धन रू0 1100142.00 अवशेष पड़ा रहा। वर्ष के दौरान अनुदान का उपभोक्त उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना चाहिए। क्षेत्र पंचायत द्वारा ऐसा न कर योजना के मूल उद्देशों को ही नष्ट कर दिया गया। जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी उत्तरदायी है।

(आ0सं0–18)

प्रस्तर–5

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

राज्य वित्त से कराये गये निम्नांकित कार्यो में आंकलन में स्वीकृत स्टीमेट धनराशि को पुनः पूरक स्टीमेट में बढ़ाये जाने के बावजूद धनराशि उपभोग के बाद भी वित्तीय वर्ष में कार्य नही पूरा किया गया।

1. धरिहा पांच मार्ग से नन्दलाल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य प्रभार बृजेश यादव
   जे0ई0– श्री सत्यराम यादव
   अतिरिक्त आकलन– 1.13 (10.03.2012) कार्य : अपूर्ण
   एम0बी0–रू0 411514.00
2. नरवर में NH-29 से नरवर ग्राम में सी0सी0 रोड का निर्माण
   कार्य प्रभारी– श्री बृजेश यादव
   जे0ई0– श्री मधुसूदन यादव
   आकलन–रू0 4.32 लाख कार्य:अपूर्ण
   भुगतान–रू0 3.99 लाख
   एम0बी0–अप्राप्त

(आ0सं0–19)

प्रस्तर–6

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

आलोच्य वर्ष में आयकर मद में राज्य वित्त व मनरेगा की स्थिति निम्न प्रकार रही–

मनरेगा (11–12)	प्रा0अवशेष	प्राप्त	जमा	अवशेष
39642.00	40989.00	48562.00	32069.00 (25.10.11)	
राज्य वित्त (11–12)	10550.00	10315.00	15899.00 (25.10.11)	4966.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 11–12 में मनरेगा से रूपए 48562.00 व राज्य वित्त से रू0– 15899.00 जमा की गयी। आयकर रिटर्न व कोषागार स्टेटमेन्ट लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत की गयी। जिससे कुल जमा रूपए 64461.00 की पुष्टि नही हो सकीं दिनांक 31.03. कटौती के बाद आयकर विभाग में न जमाकर नियम विरूद्ध रोक रखा गया है। इसके लिए भी कंगन राम, लेखाकार एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री जगदीश त्रिपाठी, श्री अशोक कुमार व श्री शिवमूर्ति रावत उत्तर दायी है।

(आ0सं0–20)

प्रस्तर–7

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

वर्ष 11–12 में निःशुल्क बोरिंग मद में रूपए– 1287120.00 व्यय किया गया दर्शित है। लेखा परीक्षा में पत्रावली अनुपलब्ध रहने से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

(आ0सं0–25)

प्रस्तर–8

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

वर्ष 2011–12 में बायोगैस मद में रूपए 32000.00 व्यय किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावली अनुपलब्ध रही। अनुपलब्ध पत्रावली के कारण व्ययों की पुष्टि नही हो सकी।

(आ0सं0–26)

प्रस्तर–9

क्षेत्र पंचायत– मरदह जनपद– गाजीपुर मण्डल– वाराणसी

क्षेत्र पंचायत द्वारा समाधान विवरण पत्र अलग से तैयार नही किया जा रहा हे। ग्रांट रजि0 तृतीय में ही 31 मार्च के पृष्ठ पर अनाहरित चेको का विवरण दिया जा रहा है। 31 मार्च, 2012 को ग्रांट रजिस्टर तृतीय एवं बैंक के विभिन्न खातों में जमा धनराशियों में कुल रूपए 2582651.00 का अन्तर विद्यमान हे। नियमानुसार बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर, समाधान की तिथियों का उल्लेख करते हुए समाधान विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट न प्रस्तुत किये जाने के कारण समाधान की पुष्टि न की जा सकी। समाधान की तिथियों का अंकित कर समाधान की पुष्टि करायी जानी चाहिए।

(आ0सं0–30)

मण्डल का नाम :– विन्ध्याचल
जनपद का नाम – सोनभद्र

क्षेत्र पंचायतो से संबंधित आपत्तियॉ :–

नाम क्षेत्र पंचायत – चतरा

प्रस्तर संख्या –1

प्रस्तर संख्या –2

आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी की की गई कटौती के सापेक्ष जमा धनराशि की पुष्टि मे दाखिल रिटर्न/चालान प्रस्तुत कर पुष्टि न कराया जाना धनराशि रु01833016–00

प्रस्तर संख्या –3

आयकर,,व्यापार कर एवं रायल्टी की कटौती कर धनराशि को वर्षान्त शेष दर्शाकर संस्था मे रोक कर दुरुपयोग किया जाना

धनराशि रु0246660–00

प्रस्तर संख्या –4

प्राप्त अनुदान की धनराशि को वर्ष के दौरान उपभोग न कर/शासन को वापस न कर उसे अनधिकृत रुप से रोक रखकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया जाना धनराशि रु015389821–00

सम्पूर्ण योग धनराशि – रु0 17469497–00

जनपद का नामः– भदोही
क्षेत्र पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां

<u>प्रस्तर संख्या – 1</u>

क्षेत्र पंचायत अभोली में रू 19900.00 व्यय कर स्टेशनरी क्रय किया गया। व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नही है व रू 18500.00 व्यय कर माइक्रो कम्प्यूटर सर्विस मूल्य का भुगतान किया गया व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नही है।

<u>प्रस्तर संख्या – 2</u>

क्षेत्र पंचायत ज्ञानपुर में रू 1263120.00 व्यय कर मनरेगा कन्टीजेन्सी रिवाल्विंग फन्ड से विविध व्यय किया गया है व्यय की पुष्टि में प्रमाणक नही है।

<u>प्रस्तर संख्या – 3</u>

क्षेत्र पंचायत डीघ में रू 692491.00 व्यय कर कार्यालय मरम्मत एवं इण्टरलांकिंग तार हेतु बिना टेण्डर का सामान क्रय किया गया।

प्रस्तर संख्या – 4

क्षेत्र पंचायत सुरियावॉ में प्राप्त अनुदान रू 3825331.00 का उपयोग समय से नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या – 5

क्षेत्र पंचायत ज्ञानपुर में प्राप्त अनुदान रू 6198049.50 का उपयोग समय से नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या – 6

क्षेत्र पंचायत अभोली में प्राप्त अनुदान रू 5525081.00 का उपयोग समय से नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या – 7

क्षेत्र पंचायत औराई में प्राप्त अनुदान रू 10170916.00 का उपयोग समय से नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या – 8

क्षेत्र पंचायत डीघ में प्राप्त अनुदान रू 8386785.00 का उपयोग समय से नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या – 9

क्षेत्र पंचायत भदोही में प्राप्त अनुदान रू 8449523.00 का उपयोग समय से नहीं किया गया।

मण्डल का नाम : फैजाबाद
जनपद का नाम : फैजाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष : 2011–12

क्षेत्र पंचायतों के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में विशिष्ट प्रतिवेदनों का विवरण प्रस्तरवार निम्न है :–

प्रस्तर–1 क्षेत्र पंचायत तारून में निर्माण/मरम्मत का कार्य किया गया है परन्तु उक्त कार्य की पुष्टि/भुगतान के सम्बन्ध में अभिलेख/बाउचर्स आडिट में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे भुगतानिक धनराशि के दुरूपयोग/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के लेखकार/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जांचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है। वर्ष 2011–12 में निम्न विवरणानुसार रू0 2457811.00 का व्यय/अभिलेख बाउचर्स के आधार पर पुष्टि रहा :–

आंकड़े लाख रू0 में

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	तारून	2457811.00	01 से 09 तक	अनुपालन अप्राप्त

प्रस्तर–2 क्षेत्र पंचायत मया बाजार में क्रय सम्बन्धित प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया। क्षेत्र पंचायत द्वारा टेन्डर कोटेशन आदि नहीं किये जिस कारण क्षेत्र पंचायत को न्यूनतम दर पर लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है। जिस कारण अधिक अनियमित भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अनियमित भुगतान की राशि 12714599.00 है जिस हेतु बी0डी0ओ0/लेखाकार उत्तरदायी हैं। विवरण निम्न प्रकार है :–

आंकड़े लाख रू0 में

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	मया बाजार	12714599.00	01 से 10 तक	अनुपालन अप्राप्त

प्रस्तर–3 क्षेत्र पंचायत सोहावल द्वारा वर्ष 2011–12 में अनुदान धनराशि का उपभोग न नियमों के विपरीत अन्य मदों में अनावश्यक कार्यों में व्यय करते हुए रू0 9942942.00 की अनियमितता की गयी जिसकी वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार करते हुए शासन को वापस की जानी अपेक्षित है, विवरण निम्न है :–

आंकड़े लाख रू0 में

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	सोहावल	9942942.00	01 से 13 तक	–

प्रस्तर–4 क्षेत्र पंचायत मसौधा द्वारा वर्ष 2011–12 में निर्माण सामग्री क्रय में सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक निर्धारित प्रारूप बिल/कैशमेमो नहीं होने पर भी उसका भुगतान आकलन कच्चे बिल के आधार पर किया गया जो गम्भीर अनियमितता है। क्रय सामग्री के स्टाक पंजिका में अंकित होने एवं प्रयुक्त होने की पुष्टि नहीं होगी, जिस कारण किया गया भुगतान रू0 853437.00 अनियमितता रहा जिसकी प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है, विवरण निम्न प्रकार है :–

आंकड़े लाख रू0 में

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	मसौधा	853437.00	01 से 03 तक	–

जनपद का नामः– सुलतानपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां–

क्षेत्र पंचायत – जयसिंहपुर जनपद– सुलतानपुर

प्रस्तर संख्या–1 रू0 190080 का अवर अभियन्ता की संस्तुति बिना भुगतान।
प्रस्तर संख्या–2 रू0 481200 का अवर अभियन्ता की संस्तुति बिना मजदूरी भुगतान।

जनपदः– बाराबंकी

लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12

क्षेत्र पंचायत के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में विशिष्ट प्रतिवेदन में विवरण प्रस्तरवार निम्न है।

प्रस्तर–1 वर्ष 2011–12 में विभिन्न क्षेत्रपंचायतों द्वारा :–क्रय सम्बन्धित प्रकिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरूपयोग किया गया अनेकों क्षेत्र पंचायतों द्वारा टेन्डर कोटेशन आदि नही किये गये जिस कारण क्षेत्र पंचायतों को न्यूनतम दर पा लाभ मिलने की पुष्टि नही होती जिस कारण अधिक अनियमित भुगतान की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है । अनियमित भुगतान की राशि 59,75,464 हजार है जिस हेतु बी0डी0ओ0 /लेखाकार उत्तर दायी है। विवरण निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	फैजाबाद	बाराबंकी	देवा	59,75,464	4,5	–

प्रस्तर–2 क्षेत्र पंचायत देवां द्वारा मनरेगा (प्रशासनिक व्यय) के अन्तर्गत, स्टाक रजिस्टर/लागत बुक,व्ययप्रमाण आदि जांच में प्रस्तुत नही किये जाने के फलस्वरूप क्रय से सम्बन्धित भुगतान की पुष्टि किया जाना सम्भव नही रहा जिस कारण दर्शित भुगतान अनियमित रहा। विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	नाम क्षेत्र पंचायत	विकास खण्ड	जनपद	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	9		10
1	देवां	देवां	बाराबंकी	4,62,112	15	—

प्रस्तर–3 क्षेत्र पंचायत मसौली द्वारा वर्ष 2011–12 मे निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक निर्धारित प्रारूप बिल /कैश मेमों नही होने पर भी उसका भुगतान आकलन कच्चे बिल के आधार पर किया गया जो गम्भीर अनियमितता है क्रय सामग्री के स्टाक पंजिका में अंकित होने एवं प्रयुक्त होने की पुष्टि नही होगी है जिस कारण किया गया भुगतान रू0 78481 हजार अनियमितता रहा जिस प्रति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं लेखाकार उत्तरदायी है विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0स0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	बाराबंकी	मसौली	78,481	8 (11)

प्रस्तर–4 वर्ष 2011–12 में मसौली क्षेत्र पंचायत द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत मनरेगा की रोकड वही में दर्शित भुगताननिक व्ययों के सापेक्ष अभिलेख/बाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये इस धनराशि के दुरूपयोग/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। जिस हेतु सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत में लेखाकार एवं खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। निम्न विवरणानुसार रू 112182 हजार के व्यय अभिलेख /बाउचर्स के अभाव मे अपुष्ट विवरण निम्न है :–

क्र0स0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि
1	2	3	4	5
1	फैजाबाद	बाराबंकी	मसौली	1,12,182

जनपद का नाम : अम्बेडकर नगर

लेखा परीक्षा वर्ष : 2011–12

क्षेत्र पंचायतों के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में विशिष्ट प्रतिवेदनों का विवरण प्रस्तरवार निम्न है :–

प्रस्तर–1 वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित क्षेत्र पंचायतो द्वारा विकेता फर्म से व्यापार कर एवं आय कर की नियमानुसार कटौती करके राजकीय कोषागार में जमा नही कराया गया। जिस कारण क्षेत्र पंचायत द्वारा राजकीय राजस्व की क्षति पहुचाई गयी। जिसका नियमानुसार आगणन करते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है :–

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति सं0	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	कटेहरी,	461652.00	19	—
2.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	टण्डा	1922285.00	02	—
3.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	भियांव	404428.00	9,10,11,12,14 एवं 16	—

प्रस्तर–2 वर्ष 2011–12 में क्षेत्र पंचायत टाण्डा की लेखा परीक्षा के दौरान जिला योजना से प्राप्त धनराशि को रोके रखने आंशिक उपभोग करने तथा धनराशि को समय से वापस न करने की गम्भीर अनिमितता पायी गयी।

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति सं0	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	टाण्डा	238863.00	03	—

प्रस्तर–3 वर्ष 2011–12 में क्षेत्र पंचायत भियांव में रायल्टी राशि, उत्खनन/मिटटी कार्य में प्राविधानित न करके राजस्व की क्षति करने विषयक गम्भीर आर्थिक अपहरण /अनिमितता पायी गयी।

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति सं0	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	भियांव	3618720.00	18	–

प्रस्तर–4 वर्ष 2011–12 में क्षेत्र पंचायत भियांव में अधिक/फर्जी/अपुष्ट/आधार हीन मस्टर रोल एवं अन्य प्रकार से निर्माण/सृजन कार्य दिखाकर अपहरण किया गया।

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति सं0	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	भियांव	159500.00	5,6,7,9,11,13	–

प्रस्तर–5 वर्ष 2011–12 में क्षेत्र पंचायत भियांव में मनरेगा अनुदान व्योरे के अन्तर्गत लेखा व्यय/उपभोग, भ्रामक/फर्जी दर्शाने से अन्तर राशि से सम्बन्धित अनियमितता/अपहरण पाया गया।

क्र0	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	सन्दर्भित आपत्ति सं0	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बेडकरनगर	भियांव	4471000.00	17	–

मंडल आगरा

जनपद एटा

संस्था का नाम – क्षेत्र पंचायत

प्रस्तर 1 वर्ष 2011–12 में निम्न क्षेत्र पंचायतों द्वारा वर्षो से प्राप्त अनुदानों का शर्तो के अनुसार समय से उपभोग नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुदानों के से प्राप्त होने वाला लाभ सामान्य को समय से नहीं मिल जाता है समय से अनुदान प्रमाणन होने पर अनुदान वित्तीय सहायता दावा को वापस किया जाना चाहिए जो रू0 47.19 हजार है विवरण निम्नवत् हैः–

क्र	सम्भाग	जनपद	क्षेत्र पंचायत	सन्निहित धनराशि	संदर्भित आपत्ति संख्या
1	आगरा	एटा	अलीगंज	47.19	1

मण्डल –मेरठ

जनपद– मेरठ।

नाम क्षेत्र पंचायत– माछरा –लेखा परीक्षा विशेष प्रतिवेदन वर्ष 20

अपहरण/दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित धनराशि रू

क्रम सं0	आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	अ
1	2	
1	संबंधित धनराशि का समय पर उपयोग न होना गम्भीर आपत्तिजनक है (मूल आ0 सं0– 01 का अंश)	
2	बिना आदेश प्रपत्र के मनमाने ढं परिवर्तन कर धन का व्यय कि (मूल आ0 सं0– 08)	
3	लघु सिचाई मानदेय व के निर्वाचन पर बिना गया व्यय गम्भीर अभाव में धनराशि आ0 सं0– 1	
4	बिना प्रमाण का भुगत सं0–5 सं0-	
5	नि	
	निम सं0–22)	
6(ठ)	वर्ष 2010–11 12वाँ वित्त से रूप	

जनपद– बा
नाम क्षेत्र पंचाय
कुल धनराशि 90

क्रम सं0	
1	1
1	रमाला टाण्डा मार्ग मिट्टी खड़जा निर्म पत्र आये नहीं।
2	महीपाल से भागमल के क्रिया। (क्रय प्रक्रिया का
3	ग्राम हेवा मीरपुर में शमशा चार दीवारी
4	ग्राम बासौली में मिट्टी/ ख
5	ग्राम सिलाना में सी.सी. रोड नि
6	ग्राम सिलाना में सी.सी. रोड निर्म
7	ग्राम रठोड़ा में सी.सी. रोड निर्माण
8	ग्राम सिलाना में पक्की नाली निर्माण अनुदान का उपयोग समय से नहीं किया।
9	ग्राम खाजा नगाला में इण्टरलाकिंग अनुदान का उपयोग समय से नहीं किया।
10	——तदैव——
11	——तदैव——

1740477.00 का व्यय किया गया, जबकि वर्ष 2010–11 में अंकन रूपये 218086.00 के प्रमाणक प्रस्तुत किये गये वर्ष 2011–12 का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।(मूल आ0 सं0–22)	17440447.00		
बिना कारण इस्टीमेट बढ़ाने से अंकन रूपये 1384.00गम्भीर आपत्तिजनक एवं नियमितता पूर्ण है। (मूल आ0 सं0–24)	–	–	74384.00
	1587912.00	–	8287660.00

ापत

तः– छपरौली वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक

5432.00

त्तियों का सारांश	अपहरण/दुरूपयोग	गम्भीर अनियमितता
2	3	4
से महीपाल तक ण किया किन्तु पुष्टि	58700.00	–
खेत तक के कार्य उल्लंघन किया)	2361.00	–
न घाट की	30400.00	–
ड़जा निर्माण	422000.00	–
र्माण	–	79351.00
ण	7793.00	–
	13129.00	–
	80730.00	–
	–	94040.00
	55675.00	–
	51382.00	–

जनपद गौतमबुद्ध नगर

क्षेत्र पंचायत से सम्बधित आपत्तियॉ :–

क्षेत्र पंचायत का नाम :– बिसरख वर्ष–2011–12

प्रस्तर संख्या – 1 नाली खण्डंजा निर्माण पर रू0 4472597.00 का व्यय किया गया है । व्यय से सम्बधित प्रमाणक पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

मण्डल – बरेली

जनपद का नाम– कानपुर नगर

क्षेत्र पंचायत पतारा से संबंधित आपत्तियाँ–

प्रस्तर संख्या –1 : ग्राम बारा दौलतपुर से रानारायण के खेत तक सड़क निर्माण व्यय रू0 129360.00 भुगतान किया गया। मस्टर रोल के अनुसार 16 मजदूरों द्वारा दिनांक 05.03.12 से 11. 03.12 तक कार्य किया गया मस्टर रोल क्रमांक 1,4,5, 7 पर क्रमशः अर्जुन प्रसाद, संदीप, छोटे, हरिश्चन्द्र छोड़कर शेष 12 मजदूरों को दो–दो बार (डबल) भुगतान कर दिया गया अस्तु कुल भुगतान 129360.00 में 4 मजदूरों का भुगतान रू0 3240.00 को हटाकर शेष रू0 126120.00 में रू0 63060.00 दुबारा किये गये भुगतान की वसूली श्री रमाकान्त लेखाकार से की जानी आपेक्षित है।

मण्डल – इलाहाबाद

जनपद का नाम : प्रतापगढ

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0–1 क्षेत्र पंचायत पट्टी के पार्ट III रजिस्टर का I एवं II रजिस्टर से वर्षवार मिलान करने पर वर्षवार निम्नलिखित प्रकार के व्यय किये गये हैं किन्तु मदवार व्यय प्रमाणक एवं फाइल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये–

वर्ष	व्यय धनराशि रू0 में
2002 – 03	3667411.15
2003 – 04	5460665.30
2004 – 05	5131197.00
2005 – 06	4487923.76
योग–	**18747197.21**

उपर्युक्त व्ययों से सम्बन्धित मदवार व्यय प्रमाणक एवं फाइल बार–बार माँगने पर भी प्रस्तुत न करना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जाँचोपरान्त उसकी वसूली सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाकार एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों से किया जाना अपेक्षित है। खण्ड विकास अधिकारियों का नाम वर्षवार निम्नवत है –

1. श्री आर0एन0 सिंह 17.7.98 से 07.06.2003
2. श्री अशोक कुमार दुबे 7.06.2003 से 28.02.2004
3. श्री भवनाथराम 1.03.2004 से 19.11.2004
4. श्री अतुल मिश्रा 19.11.2004 से 24.06.2005

प्रस्तर सं0 –2 क्षेत्र पंचायत शिवगढ़ में वर्ष 2003–04 में दिनांक 02.08.2003 को रू0 88200.00 शासन द्वारा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुँए की सफाई एवं गहराई के लिए अनुदान दिया गया है, जिसे मार्च 2004 में व्यय किया गया है। बार–बार माँग किये जाने के बाद भी व्यय से संबंधित बिल/ बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की गयी। तात्कालिक खण्ड विकास अधिकारी श्री सीताराम चतुर्वेदी से रू0 88200.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–3 क्षेत्र पंचायत शिवगढ़ में दिनांक 19.01.2004 में चेक सं0 143944 से श्री ओंकार नाथ सिंह, कैशियर को विभागीय जीप मरम्मत के लिए 3799.00 रू0 भुगतान किया गया तथा दिनांक 24.01.2004 में चेक सं0 143946 से विभागीय जीप के टायर–ट्यूब के लिए 5000.00रू0 तथा 25.05.04 में चेक संख्या– 162976 से शासकीय जीप टायर ट्यूब के लिए 5000/–भुगतान किया गया, उपरोक्त भुगतान से संबंधित बिल / बाउचर ऑडिट के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अतएव श्री ओंकार नाथ सिंह कैशियर से रू0 13799 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–4 क्षे0पं0 शिवगढ़ में दिनांक 24.4.2003 में चेक सं0 143931 में मेसर्स दत्ता ट्रेडिंग कम्पनी, प्रतापगढ़ को अंकन रू0 8120 स्टेशनरी क्रय के लिए भुगतान किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित विल/ बाउचर आडिट के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त धनराशि की वसूली खण्ड विकास अधिकारी श्री जयकेश त्रिपाठी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–5 क्षे0पं0 शिवगढ़ में दिनांक 11.08.2003 को चेक सं0 143933 से खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0एल0 पाण्डेय को डीजल पर्ची के लिए रू0 7096.00 भुगतान किया गया। आडिट के समय विल प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्कालीन ख0वि0अ0 श्री सी0एल0 पाण्डेय से रू0 7096.00 की वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं0–6 क्षे0पं0 शिवगढ़ में दिनांक 20.08.2004 को श्री ओंकार नाथ सिंह कैशियर को एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत कार्यशाला व्यवस्था हेतु 10000.00 अग्रिम भुगतान किया गया तथा स्वच्छता गोष्ठी के लिए रू0 3000.00 का भुगतान किया गया है, जिसमें 660.00 रू0 पेंटर, 870.00 रू0 जलपान, तथा 1470.00 रू0 नाश्ता कुल 3000.00 रू0 का विवरण कैशबुक में अंकित है लेकिन कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव कैशियर श्री ओंकार नाथ सिंह से रू0 10000.00 की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–7 क्षे0पं0 शिवगढ़ में दिनांक 03.05.2003 को चेक सं0 262114 से श्री जयकेश त्रिपाठी को जीप मरम्मत के लिए रू0 386.30 का भुगतान किया गया तथा दिनांक 7.2.2005 में चेक सं0 48970 से रू0 9012.00 डीजल खरीद के लिए भुगतान किया गया। कोई विल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 9398.30 की वसूली श्री जयकेश त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–8 क्षे0पं0 शिवगढ़ में वर्ष 2003–04 में दिनांक 10.08.2003 को 5636 रू0 10.8.2003 को रू0 1460.00, 25.09.2003 को 2398.00 रू0 25.09.2003 को 1148.00 रू0 29.1.2004 को रू0 961.00, दिनांक 29.1.2004 को रू0 1246.00 का भुगतान डीजल हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0एल0 पाण्डेय व श्री ओंकार नाथ सिंह कैशियर को किया गया। उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः श्री सी0एल0 पाण्डेय से रू0 8995.00 तथा श्री ओंकार नाथ सिंह से रू0 3854 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–9 क्षे0पं0 शिवगढ़ में श्री राममूरति मिश्र द्वारा ग्राम नजियापुर से गोपालपुर तक सम्पर्क मार्ग की विभिन्न तिथियों में रू0 58212.00 का भुगतान किया गया। भुगतान संबंधी कोई भी व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल आडिट के समय प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः रू0 58212.00 की वसूली श्री राममूरति मिश्र से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं0–10 विकास खण्ड शिवगढ़ में दिनांक 20.09.2004 को चेक सं0 57796 को श्री ओंकार नाथ सिंह, कैशियर को स्वर्ण जयंती रोजगारियों को प्रशिक्षण के लिए 26958.00 रू0 का भुगतान किया गया। भुगतान संबंधी कोई विल / वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः श्री ओंकार नाथ सिंह, कैशियर से रू0 26958.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–11 क्षे0पं0 शिवगढ़ में वर्ष 2004–05 के अनुदान रजिस्टर 2 की जाँच में पाया गया कि क्षे0पं0 द्वारा इन्दिरा आवास योजना की धनराशि चेकों द्वारा लाभार्थियों को वितरण की गयी है । चेक सं0 57796 / 2.9.2004 में 10000.00रू0 तथा चेक सं0 57793/18.8.2004 को 10000.00रू0 का भुगतान किया गया। लाभार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अतः श्री सी0एल0पाण्डेय खण्ड विकास अधिकारी से रू0 20000.00 की वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं0–12 क्षे0पं0 शिवगढ़ में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ के पत्रांक 6530 सं0ग्रा0रो0यो0 / परिवहन व्यय 2004–05 दिनांक 16.05.2003 में रू0 89703.42 भुगतान का उल्लेख है। भुगतान से संबंधित कोई विल / वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा भुगतान स0ग्रा0रो0यो0 के जिले का परिवहन व्यय के लिए किया गया। अतः रू0 89703.42 की वसूली तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0एल0 पाण्डेय व श्री ओंकार नाथ सिंह कैशियर से की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं0–13 विकास खण्ड शिवगढ़ में दिनांक 31.05.2004 में परियोजना निदेशक, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 07.02.2005 में चेक सं0 48970 से 10000.00 रू0 डीजल खरीद के लिए भुगतान किया गया है। कोई विल/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः खण्ड विकास अधिकारी श्री सी0एल0 पाण्डेय से रू0 10000.00 की वसूली अपेक्षित है।

जनपद– फतेहपुर

क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉ

प्रस्तर–1 निर्माण वर्ष 2006–07 व 2007–08 में नरेगा योजनान्तर्गत शाखा से जुकरा सरहद तक डामर रोड निर्माण।

कार्य के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार "सम्पर्क मार्ग की मिट्टी एवं पुलिया निर्माण कार्य, पूर्व में किसी कार्यदायी संस्था द्वारा करवाया गया था परन्तु वर्षात इत्यादि के कारण मिट्टी कट गयी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर E/W हेतु 1x1x1900x7x0.30 = 3990m^3 (-) 12.5% sehlement 498.75m^3 = 3491.25m^3 @ 18.50 प्रति घन मीटर की दर से रू0 64588.00 का स्टीमेट Executives Engineers Fatehpur द्वारा दिनांक 28.11.2006 को Sanction करवाया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त रिपोर्ट झूठी थी। उक्त मार्ग पर किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा खरंजा भी बिछाया गया था। फलतः खरंजा के नीचे की मिट्टी वर्षात आदि के कारण कटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार फर्जी मास्टर रोल तैयार कर मिट्टी के कार्य में दर्शित व्यय धनराशि का पूरा–पूरा अपहरण कर लिया गया है। माप पुस्तिका के अभाव में वास्तविक अपहरित धनराशि की गणना न की जा सके। अतएव श्री रमेश चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता से रू0 64588.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–2 शाखा से जुकरा सरहद तक डामर रोड निर्माण हेतु पूर्व में निर्मित

खडन्जा अगर न उखाडा गया होता तो 45-90mm stone ballast को उक्त मार्ग पर बिछाने की जरूरत न पड़ी। अवैध रूप से खरंजा उखाड़ने के कारण उक्त कार्य हेतु As per Boucher 751.40m^3 Stone Ballast (45-90mm) क्रय कर उसे बिछाना दर्शाया गया है। इस प्रकार निम्न विवरण अनुसार खरंजा उखाड़ने के कारणरू0 566665.75 की धनराशि का दुरूपयोग किया गया। अतएव खरंजा में बिछी ईटों के मूल्य के स्थान पर 45–90mm Stone ballast का मूल्य तथा उसे बिछाने पर हुए व्यय कुल रू0 566665.75 की वसूली श्री रमेश चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता एवं श्री जय सिंह कार्य प्रभारी से तारीख 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(1) 45.90mm stone ballast

क्रय मात्रा	मूल्य
$751.40m^3$	532807.75
Consolidation charge	
751.40 e 45	33858.00
योग	566665.75

प्रस्तर–3 शाखा से जुकरा सरहद तक डामररोड निर्माण (06–07, 07–08)

कार्य हेतु मे0 गौतम ट्रेडर्स, गौतम नगर फतेहपुर से रू0 1653301.00 की निर्माण सामग्री आपूर्ति की जानी दर्शायी गयी हे, किन्तु उक्त ट्रेडर्स के बिल से 4 प्रतिशत बिक्री कर/व्यापार कर के रूप में रू0 66132.00 की वसूली नहीं की गयी हे। अतएव श्री रमेश चन्द्र तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री इकबाल अहमद लेखाकार से रू0 66132.00 वसूल कर कोषागार के सम्बंधित शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–4 शासनादेश संख्या ए–1/2086/दस–96–15 (प)/86

दिनांक 14.10.1996 के अनुसार निर्माण कार्यों एवं मरम्मत कार्य से सम्बंधित सामग्री क्रय करने हेतु रू0 15000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय करने के लिए अनिवार्य रूप से टेंडर आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था। किन्तु शाखा से जुकरा सरहद तक डामर रोड निर्माण (वर्ष 2006–07 व 2007–08) कार्य हेतु रू0 1653301.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है, किन्तु उक्त सामग्री क्रय करने हेतु टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया। अतएव उक्त शासनादेश के उल्लंघन के लिए श्री रमेश चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी के प्रति प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–5 शाखा से जुकरा सरहद तक डामर रोड निर्माण (वर्ष 2006–07 व 2007–08)– कार्य के प्राक्कलन एवं क्रय सामग्री के अनुसार उक्त निर्मित डामर रोड की जेपबादमे 27 बउ होनी चाहिए थी, किन्तु भौतिक सत्यापन में सम्पूर्ण मार्ग पर कहीं भी 15बउ से अधिक जेपबादमे नहीं पायी गयी। रोड की स्थिति तथा उपलब्ध लोगों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि तीनों साइज के स्टोन बैलास्ट, मोरम एवं 19mm stone grit को साथ मिलाकर 15cm compacted thickenss में बिछाया गया। इसके ऊपर बालू + 10mm stone grit – max fault के साथ मिलाकर उसे डाला गया तथा फिर रोड रोलर चलाया गया। इस प्रकार कुल व्यय धनराशि रू0 2436181ग12ध27 त्र ल्ण् 1082747.10 का उक्त कार्य में काम कम करवा कर शासकीय धनराशि का अपहरण किया जाना प्रतीत

होता है। अतएव किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी से जांच कराकर श्री रमेश चन्द्र तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री

प्रस्तर–6 नरेगा याजनान्तर्गत पहाड़पुर से भगवानपुर तक सी0सी0 रोड निर्माण (वर्ष 06–07 व 07–08)

कार्य हेतु मे0 नेहा इंटरप्राइजेज, फतेहपुर से रू0 374043.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है किन्तु उक्त फर्म के बिल से उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्रीकर/व्यापार कर के रूप में रू0 14946.96 की कटौती न करके राजकीय राजस्व को हानि पहुचायी गयी है। अतएव रू0 14947.00 श्री रमेश चन्द्र ख0वि0अ0 तथा श्री इकबाल अहमद लेखाकार से वसूलकर सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–7 रा0ग्रा0रो0गा0 अधिनियम 2005 की धारा 4(3) के अनुसूची–1 में दिए गए प्रावधान के तहत किसी भी प्रोजेक्ट में 40 प्रतिशत से अधिक धनराशि सामग्री मद व्यय नहीं की जा सकती, किन्तु उक्त कार्य में उकत अनुसूची में दिए गए नियम के विपरीत 79.78 प्रतिशत अर्थात रू0 374043.00 (कुल व्यय रू0 468851.00) धनराशि सामग्री मद में व्यय किया जाना दर्शाया गया है। अतएव उक्त नियम के उल्लंघन के कारण श्री रमेश चन्द्र खण्ड विकास अधिकारी के प्रति कानूनी/प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–8 नरेगा योजनान्तर्गत पहाड़पुर से भगवानपुर तक सी0सी0 रोड निर्माण।

कार्य हेतु रू0 374043.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जाना दर्शायी गयी है, किन्तु शासनादेश संख्या ए–1 /2086/दस–96–15/86 दिनांक दिनांक 14.10.1996 के अनुपालन में सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतएव श्री रमेश चन्द्र तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–9 बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत गोपालपुर से जैतपुर

स0मा0 पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य पर वर्ष 2009–10 में रू0 412543.00 व्यय दर्शित है जबकि ग्राम सभा शाह के मजरा गोपालपुर से जैतपुर स0मा0 पर कोई सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि मजरा गोपालपुर में भी कोई सी0सी0 रोड का निर्माण क्षेत्र पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है। मजरा जैतपुर में सी0सी0 रोड है, किन्तु गॉव वालों के अनुसार उक्त सी0सी0 रोड का निर्माण अम्बेडकर ग्राम योजना से बनी थी। निर्माण पत्रावली में न तो नक्शा संलगन पाया गया और न ही कार्यस्थल के फोटोग्राफ। एम0बी0 भी बार बार मांगने के बावजूद

मण्डल –मेरठ

जनपद– मेरठ।

नाम क्षेत्र पंचायत– माछरा –लेखा परीक्षा विशेष प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 से 2011–12

अपहरण/दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित धनराशि रू0 29875542.00

क्रम सं0	आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	अपहरण	दुरूपयोग	गम्भीर अनियमितता
1	2	3	4	5
1	संबंधित धनराशि का समय पर उपयोग न होना गम्भीर आपत्तिजनक है (मूल आ0 सं0– 01 का अंश)	–	–	2009–10 में 1579654.00 2010–11 में 1707801.00 2011–12 में 4790053.00
2	बिना आदेश प्रपत्र के मनमाने ढंग से मद परिवर्तन कर धन का व्यय किया गया। (मूल आ0 सं0– 08)	–	–	2010–11 में 48830.00 2011–12 में 54660.00
3	लघु सिचाई मानदेय व त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन पर बिना प्रमाणक के किया गया व्यय गम्भीर आपत्तिजनक है। पुष्टि के अभाव में धनराशि वसूली योग्य है। (मूल आ0 सं0– 14)	–	–	2010–11 में 16350.00 2010–11 में 20928.00
4	बिना प्रमाणक का अंकन रूपये 53450.00 का भुगतान श्री सुनील प्रसाद को चैक सं0–591 से किया गया। (मूल आ0 सं0–15)	2010–11 में 53450.00	–	–
5	बिना प्रमाणक के पूर्व ब्लाक प्रमुख श्रीमती शारदा देवी को दिनाँक– 01.04.2010 से 04.03.2011 के बीच विभिन्न तिथियों में अंकन रूपये 36000.00 का भुगतान किया गया। जबकि अक्टूबर 2010 में क्षेत्र पंचायत के चुनाव में श्री बृजवीर सिंह, ब्लाक प्रमुख निर्वाचित किये गये।(मूल आ0 सं0–16)	36000.00	–	–
6(।)	वर्ष 2009–10 में राज्य वित्त से रूपये 525216.00 व 12वाँ वित्त से रूपये 1993726.00 का व्यय किया गया, जबकि व्यय प्रमाणक केवल माछरा में पुरानी सी0 सी0रोड से श्री सुरेन्द्र त्यागी के मकान तक सी0सी0रोड, निर्माण व एल टाईप नाली निर्माण का प्रस्तुत किया गया।(मूल आ0 सं0–22)	1832766.00	–	–
6(ठ)	वर्ष 2010–11 व 2011–12 में राज्य वित्त व 12वाँ वित्त से रूपये 2443305.00 व रूपये	2225219.00	–	–

	1740477.00 का व्यय किया गया, जबकि वर्ष 2010–11 में अंकन रूपये 218086.00 के प्रमाणक प्रस्तुत किये गये वर्ष 2011–12 का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।(मूल आ0 सं0–22)	17440447.00		
7	बिना कारण इस्टीमेट बढ़ाने से अंकन रूपये 74384.00गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमितता पूर्ण है। (मूल आ0 सं0–24)	–	–	74384.00
	योग–	1587912.00	–	8287660.00

जनपद– बागपत

नाम क्षेत्र पंचायतः– छपरौली वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक

कुल धनराशि 906432.00

क्रम सं0	आपत्तियों का सारांश	अपहरण / दुरूपयोग	गम्भीर अनियमितता
1	2	3	4
1	रमाला टाण्डा मार्ग से महीपाल तक मिट्टी खड़जा निर्माण किया किन्तु पुष्टि पत्र आये नहीं।	58700.00	–
2	महीपाल से भागमल के खेत तक के कार्य किया। (क्रय प्रकिया का उल्लंघन किया)	2361.00	–
3	ग्राम हेवा मीरपुर में शमशान घाट की चार दीवारी	30400.00	–
4	ग्राम बासौली में मिट्टी / खड़जा निर्माण	422000.00	–
5	ग्राम सिलाना में सी.सी. रोड निर्माण	–	79351.00
6	ग्राम सिलाना में सी.सी. रोड निर्माण	7793.00	–
7	ग्राम रठोड़ा में सी.सी. रोड निर्माण	13129.00	–
8	ग्राम सिलाना में पक्की नाली निर्माण अनुदान का उपयोग समय से नहीं किया।	80730.00	–
9	ग्राम ख्वाजा नंगाला में इण्टरलाकिंग अनुदान का उपयोग समय से नहीं किया।	–	94040.00
10	————तदैव————	55675.00	–
11	————तदैव————	51382.00	–

लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव जांच उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर–10 बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत गोपालपुर से जेतपुर

(वर्ष 2009–10) सी0सी0 रोड निर्माण हेतु मे0 पाल कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर से रू0 271823.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी हे, किन्तु उक्त फर्म के बिल से उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर/व्यापार कर के रूप में रू0 10872.92 की कटौती नहीं की गयी है। अतएव रू0 10873.00 श्री जगन्नाथ कुरील तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री इकबाल अहमद लेखाकार से वसूल कर सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–11 बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत गोपालपुर से जैतपुर

सी0सी0 रोड निर्माण (09–10)– कार्य हेतु रू0 275463.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है, किन्तु शासनादेश संख्या ए–1–864/10–08–16(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतएव श्री जगन्नाथ कुरील तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–12 राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में

ग्राम पंचायत शाह में भारत सिंह के घर से महेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 ब्लाक रोड निर्माण कार्य पर रू0 205773.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु जैसा कि ज्ञात हुआ कि श्री भारत सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह पता–पुत्र हैं अर्थात् उक्त दोनों का मकान भी एक ही है जो आम रास्ता न होकर गेट के अन्दर है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य श्री महेन्द्र सिंह के निजी जमीन में एवं व्यक्तिगत रूप से उन्हीं के प्रयोग के लिए कराया गया है। ज्ञात हो कि सरकारी अनुदान धनराशि से व्यक्तिगत लाभ कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अतएव श्री जगन्नाथ कुरील से उक्त धनराशि रू0 205773.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–13 ग्राम पंचायत शाह में भारत सिंह के घर से महेन्द्र

सिंह के घर तक सी0सी0 ब्लाक निर्माण। कार्य हेतु रू0 172058.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है, किन्तु सम्बंधित फर्म के बिल से उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से रू0 6882.32 [illegible] कर की कटौती नहीं की गयी है। अतएव श्री जगन्नाथ कुरील ख0वि0अ0 एवं श्री इकबाल अहमद लेखाकार से उक्त धनराशि वसूली कर सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

श्री जय सिंह	835739	09.10.2007	गाजीपुर में अखाड़े का जीर्णोधार	56875.00	"
श्री जय सिंह	835742	07.11.2007	गाजीपुर में अखाड़े का जीर्णोधार	33320.00	"
श्री विनीत कुमार	835743	7.11.2007	शाह में विजय प्रताप–बांदा सागर रोड	81480.00	"
श्री जय सिंह	835745	7.11.2007	धीरेन्द्र प्रताप के घरसे सी0सी0 रोड तक इंटरलॉकिंग	126000.00	"
श्री जय सिंह	835746	7.11.2007	शाह में राम करन प्रजापति के घर से देवी प्रसाद शुक्ल के घर तक सी0सी0 रोड	146850.00	"
श्री जय सिंह	835747	7.11.2007	गुड्डू मियां के घर से शिव सेवक दीक्षित तक खरंजा	95250.00	"
श्री जय सिंह	835750	26.11.2007	धीरेन्द्र प्रताप के घर से सी0सी0 रोड तक इंटरलाकिंग	212136.00	"
श्री जय सिंह	0915715	27.11.2007	गुड्डू मियां से शिव सेवक दीक्षित	70897.00	"
श्री जय सिंह	0915714	27.11.2007	शाह में रामदास प्रजापति के घर से सेवक प्रसाद के घर तक	81845.00	"
श्री जय सिंह	0915715	20.12.2007	गुड्डू मियां से शिव सेवक दीक्षित	40600.00	"
12वॉ वित्त आयोग					
श्री विनीत कुमार	873755	28.7.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली	101350.00	श्री रमेश चन्द्र
श्री विनीत कुमार	873759	31.08.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली	31560.00	"
श्री विनीत कुमार	873760	12.09.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली (सामग्री+श्रमांश)	67578.00	"

लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव जांच उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता व कार्य प्रभारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर–10 बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत गोपालपुर से जेतपुर

(वर्ष 2009–10) सी0सी0 रोड निर्माण हेतु मे0 पाल कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर से रू0 271823.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी हे, किन्तु उक्त फर्म के बिल से उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर/व्यापार कर के रूप में रू0 10872.92 की कटौती नहीं की गयी है। अतएव रू0 10873.00 श्री जगन्नाथ कुरील तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री इकबाल अहमद लेखाकार से वसूल कर सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–11 बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत गोपालपुर से जैतपुर

सी0सी0 रोड निर्माण (09–10)– कार्य हेतु रू0 275463.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है, किन्तु शासनादेश संख्या ए–1–864/10–08–16(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतएव श्री जगन्नाथ कुरील तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–12 राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में

ग्राम पंचायत शाह में भारत सिंह के घर से महेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 ब्लाक रोड निर्माण कार्य पर रू0 205773.00 व्यय दर्शाया गया है, किन्तु जैसा कि ज्ञात हुआ कि श्री भारत सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह पता–पुत्र हैं अर्थात् उक्त दोनों का मकान भी एक ही है जो आम रास्ता न होकर गेट के अन्दर है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य श्री महेन्द्र सिंह के निजी जमीन में एवं व्यक्तिगत रूप से उन्हीं के प्रयोग के लिए कराया गया है। ज्ञात हो कि सरकारी अनुदान धनराशि से व्यक्तिगत लाभ कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अतएव श्री जगन्नाथ कुरील से उक्त धनराशि रू0 205773.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–13 ग्राम पंचायत शाह में भारत सिंह के घर से महेन्द्र

सिंह के घर तक सी0सी0 ब्लाक निर्माण। कार्य हेतु रू0 172058.00 की निर्माण सामग्री क्रय की जानी दर्शायी गयी है, किन्तु सम्बंधित फर्म के बिल से उक्त धनराशि पर 4 प्रतिशत की दर से रू0 6882.32 बिक्री/व्यापार कर की कटौती नही की गयी है। अतएव श्री जगन्नाथ कुरील ख0वि0अ0 एवं श्री इकबाल अहमद लेखाकार से उक्त धनराशि वसूली कर सम्बंधित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–14 **ग्राम पंचायत शाह में भारत सिंह के घर से महेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 ब्लाक निर्माण।** कार्य हेतु रू0 172058.00 की निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु शासनादेश संख्या ए–1–864/10–08– 16(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में निविदा आमंत्रित न करके उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। अतएव उक्त खण्ड विकास अधिकारी के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–15 **राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में ग्राम शाह**

में विजय प्रताप के घर से बांदा सागर रोड तक 135 मीटर सी0सी0 रोड निर्माण दर्शाया गया है। निम्न विवरण के अनुसार उक्त कार्य की निर्माण सामग्री क्रय हेतु कार्यप्रभारी श्री विनीत कुमार को रू0 285940.00 एडवांस दिया गया था। जबकि सामग्री क्रय हेतु कार्य प्रभारी को एडवांस देना नियम विरूद्ध रहा।

चेक सं0 / दिनांक	धनराशि
835734/02.08.2007	91763.00
835736/03.09.2007	168932.00
835738/09.10.2007	25245.00

सामग्री क्रय हेतु कार्य प्रभारी को एडवांस देने से निर्माण सामग्री क्रय हेतु निर्धारित टेंडर प्रक्रिया का भी पालन नहीं होसका और न ही ।ध्ब च्लमम बैमुनम के माध्यम से सीधे फर्म को भुगतान किया जा सका। अतएव नियम विरूद्ध कार्य किये जाने के कारण उक्त दोनों खण्ड विकास अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर–16 **राज्य वित्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में ग्राम शाह**

में श्री धीरेन्द्र सिंह के घर से सी0सी0 रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य दर्शाया गया है जिसके लिए रू0 338136.00 (ग्रांट रजिस्टर प्ट में अंकित विवरण के अनुसार) श्री जय सिंह कार्यप्रभारी को निर्माण सामग्री क्रय हेतु एडवांस दिया गया है, जबकि नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया का पालन करते हुए सप्लायर द्वारा आपूर्ति किये गए सामग्री के विरूद्ध ही सप्लायर को सीधे ।ध्ब च्लमम बैमुनम सें भुगतान किया जाना चाहिए था तथा सप्लायर के बिल से नियमानुसार आयकर एवं व्यापार की कटौती कर सम्बंधित धनराशि को कोषागार में निर्धारित मद में जमा किया जाना अपेक्षित था। अतएव नियम विरूद्ध कार्य किये जाने के कारण उक्त खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आलोच्य वर्षों में निम्न विवरण अनुसार निर्माण सामग्री क्रय हेतु कार्य प्रभारियों को एडवांस भुगतान किया गया है, जबकि क्रय किये गए सामग्री मूल्य का भुगतान सम्बंधित फर्म को A/c Payee

Cheque के माध्यम से किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रू0 3324537.00 का अनियमित भुगतान किया गया है। ऐसा भी संभावित है कि फर्मों से बाद में क्रय किये गए सामग्री के बिलों से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती भी न की गयी हो। सम्बंधित निर्माण पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त कटौती की जांच न की जा सकी। अतएव सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों के प्रति आवश्यक प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अगर सम्बंधित बिलों से आयकर व व्यापार कर की कटौती न की गयी हो तो गणना कर सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों से आयकर एवं व्यापार कर की वसूली कर के कोषागार में सम्बंधित शीर्ष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है–

नाम कार्य प्रभारी	चेक संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि	नाम खण्ड विकास अधिकारी
श्री जय सिंह	873757	19.08.2006	बाँदा सागर रोड से छोटू का पुरवा खरंजा+पुलिया निर्माण	85580.00	श्री रमेश चन्द्र
श्री जय सिंह	873758	19.08.2006	बाँदा सागर रोड से छोटू का पुरवा खरंजा+पुलिया निर्माण	83863.00	"
श्री जय सिंह	046008	27.02.2007	विकास खण्ड में सी0सी0 सामग्री	59453.00	"
श्री जय सिंह	0460010	16.08.2007	बावन लमेहटा रोड से श्मशान घाट तक पुलिया सामग्री + MR	89539.00	श्री जगन्नाथ कुरील
श्री जय सिंह	835732	18.07.2007	बाँदा सागर रोड–छोटू का पुरवा	20250.00	"
श्री विनीत कुमार	835734	02.08.2007	शाह में विजय प्रताप के घर से बांदा सागर रोड तक सी0सी0 रोड	91763.00	"
श्री सुनीत कुमार	835736	03.09.2007	शाह में विजय प्रताप के घर से बांदा सागर रोड तक सी0सी0 रोड	168932.00	"
श्री विनीत कुमार	835738	09.10.2007	शाह में विजय प्रताप से बांदा सागर रोड तक सी0सी0 रोड	25245.00	श्री जगन्नाथ कुरील
श्री जय सिंह	835737	03.09.2007	गाजीपुर में अखाड़े का जीर्णोधार	91585.00	"

श्री जय सिंह	835739	09.10.2007	गाजीपुर में अखाड़े का जीर्णोधार	56875.00	"
श्री जय सिंह	835742	07.11.2007	गाजीपुर में अखाड़े का जीर्णोधार	33320.00	"
श्री विनीत कुमार	835743	7.11.2007	शाह में विजय प्रताप–बांदा सागर रोड	81480.00	"
श्री जय सिंह	835745	7.11.2007	धीरेन्द्र प्रताप के घरसे सी0सी0 रोड तक इंटरलॉकिंग	126000.00	"
श्री जय सिंह	835746	7.11.2007	शाह में राम करन प्रजापति के घर से देवी प्रसाद शुक्ल के घर तक सी0सी0 रोड	146850.00	"
श्री जय सिंह	835747	7.11.2007	गुड्डू मियां के घर से शिव सेवक दीक्षित तक खरंजा	95250.00	"
श्री जय सिंह	835750	26.11.2007	धीरेन्द्र प्रताप के घर से सी0सी0 रोड तक इंटरलाकिंग	212136.00	"
श्री जय सिंह	0915715	27.11.2007	गुड्डू मियां से शिव सेवक दीक्षित	70897.00	"
श्री जय सिंह	0915714	27.11.2007	शाह में रामदास प्रजापति के घर से सेवक प्रसाद के घर तक	81845.00	"
श्री जय सिंह	0915715	20.12.2007	गुड्डू मियां से शिव सेवक दीक्षित	40600.00	"
12वॉ वित्त आयोग					
श्री विनीत कुमार	873755	28.7.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली	101350.00	श्री रमेश चन्द्र
श्री विनीत कुमार	873759	31.08.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली	31560.00	"
श्री विनीत कुमार	873760	12.09.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली (सामग्री+श्रमांश)	67578.00	"

श्री विनीत कुमार	046001	27.09.2006	शाह गांव से नहर तक पक्का नाला	138500.00	"
श्री विनीत कुमार	046002	03.10.2006	शाह गांव से नहर तक पक्का नाला	105250.00	"
श्री विनीत कुमार	046005	12.10.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली (सामग्री+श्रमांश)	220407.00	"
श्री विनीत कुमार	046006	13.11.2006	शाह गांव से नहर तक पक्का नाला	146759.00	"
श्री विनीत कुमार	046007	06.12.2006	शाह भट्टा से तालाब तक नाली (सामग्री+श्रमांश)	35534.00	"
श्री जय सिंह	835735	02.08.2007	शाह में रज्जू गुप्ता के दरवाजे से नाली	106295.00	"
श्री जय सिंह	835740	09.10.2007	शाह में रज्जू गुप्ता के दरवाजे से नाली	112815.00	श्री जगन्नाथ कुरील
श्री जय सिंह	835741	07.11.2007	शाह में रज्जू गुप्ता के दरवाजे से नाली	193157.00	"
श्री जय सिंह	0915711	27.11.2007	शाह में रज्जू गुप्ता के दरवाजे से नाली	151437.00	"
श्री जय सिंह	0915718	21.01.2008	शाह में रज्जू गुप्ता के दरवाजे से नाली	200000.00	"
श्री जय सिंह	849257	30.06.2008	शाह में रज्जू गुप्ता के दरवाजे से नाली	52432.00	"
			योग	**3324537.00**	

जनपद– कौशाम्बी

क्षेत्र पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर–1	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	अपहरण	दुर्वि0	अनिय0
	वर्ष 2011–12 में ग्राम अलवारा में होली पुल से सामुदायिक भवन तक दोनों तरफ नाली निर्माण में आपूर्तिकर्ताओं के बिल से कटौती की गयी आयकर/व्यापार कर की धनराशि राजकीय खाते में जमा न किया जाना।	.	21849	.
प्रस्तर –2	वर्ष 2011–12 में ग्राम रानीपुर में राम सिंह के घर से राम सयाने के घरत क पक्की नाली निर्माण हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं के बिलों से प्राप्त कर व्यापार कर की कटौती न किया जाना।	.	.	1192
प्रस्तर –3	वर्ष 2011–12 में ग्राम रानीपुर में राम सिंह के घर से शिव प्रताप केघर के पक्की नाली निर्माण हेतु आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से आयकर / व्यापारकर की कटौती न करना।	.	.	75976
प्रस्तर –4	वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत अलवारा में दाई आजी का कुंआ व जगदीश के घर के सामने कूप मरम्मत पर फर्जी भुगतान दर्शाया जाना।	132758	.	.
प्रस्तर –5	खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय सरसवां के आवायीय परिसर की मरम्मत/पोताई में 2011–12 में अनियमित भुगतान।	.	.	89041
प्रस्तर –6	वर्ष 2011–12 में सेमरहा मजरा हूडी में अर्जुन सिंह के घर से घनावाण तक खण्डन्जा निर्माण में आपूत्रिकर्ताओं के बिलों में आयकर व्यापारकर की कटौती न करना।	.	.	4557
प्रस्तर –7	वर्ष 2011–12 में रानीपुर में मजरा हूडी में अमर सिंह के घर से नाला तक खडन्जा कार्य हेतु आपूत्रिकर्ताओं के बिलों से आयकर/व्यापारकर की कटौती न करना।	.	.	9657

प्रस्तर –8	वर्ष 2011–12 में ग्राम अड़ौली में महेवाघाट रोड पर नई बस्ती के सामने ह्यूम पाइप/पुलिया निर्माण पर आपूत्रि कर्ताओं के बिल से आयकर की कटौती कर राजकीय काम में जमा न करना।		3744	
प्रस्तर –9	वर्ष 2010–11 में जरौली ग्राम में मुख्य मार्ग के किनारे, नाली निर्माण में आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में प्राप्तकर/ व्यापार कर की कटौती न करना।			
प्रस्तर –10	वर्ष 2010–11 में महेवा मुख्य मार्ग पर साइफन व नाली निर्माण में 1. भुगतान भ्रमाणक का न होना 2. आयकर की कटौती न करना	22380		8604
प्रस्तर –11	वर्ष 2010–11 में विकास खण्ड सरसवां की बाउन्ड्रीवाल में पेन्टिंग पर फर्जी भुगतान	350763		
प्रस्तर –12	वर्ष 2010–11 में कोतहुआ ग्राम में लवलेश धोबी के घर से तालाब तक नाली मरम्मत हेतु फर्जी भुगतान	68090		
प्रस्तर –13	वर्ष 2010–11 में हैण्डपम्प मरम्मत पर फर्जी भुगतान	222600		
प्रस्तर –14	वर्ष 2009–10 में जनशक्ति व्यवस्था हेतु कक्ष निर्माण में बिना प्रमाणक भुगतान दर्शाकर धन का अवहरण।	291005		
प्रस्तर –15	वर्ष 2009–10 में क्षेत्र पंचायत संसाधन केन्द्रों के निम्रण में बिना प्रमाणक व्यय दर्शाकर।	695905		
योग :–		**1783501.00**	**25593**	**16049**

अध्याय 4

4.3 –ग्राम पंचायतो के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण–

जनपद का नाम – गोरखपुर

मण्डल का नाम– गोरखपुर

ग्राम पंचायत–बढया विकास खण्ड – जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 1– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि छात्रवृति खाते में दिनांक 01.0.2011 को रू0 322865.00 अवशेष रहा।वर्ष 2011–12 की धनराशि का विवरण प्राप्त कर वितरण नही किया गया है।जिससे 31.03.2012 को खाते में अवशेष रू0 575978.00 अवशेष रहा।उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	575978.00	575978.00

ग्राम पंचायत– उत्तरास्रोत विकास खण्ड – जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 2– ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोक कर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसे बैंक खाते में जमा करा दिया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 49727.00 बैक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अस्तु उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	49727.00	0.00	49727.00

ग्राम पंचायत– गौरखास विकास खण्ड – जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 3–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोक कर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसे बैंक खाते में जमा करा दिया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 16573.00 बैक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अस्तु उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	16573.00	0.00	16573.00

ग्राम पंचायत– बढनी विकास खण्ड – जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 4–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोक कर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसे बैंक खाते में जमा करा दिया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 22179.00 बैक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अस्तु उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	22179.00	0.00	22179.00

ग्राम पंचायत– मीरपुर विकास खण्ड – जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 5–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत में विगत वर्षो में प्राप्त अनुदान रू0 848109.00 जो ग्राम निधि खाते का दिनांक 01.04.2011 को अवशेष था का उपयोग नही किया गया जिससे 13.03.2012 को ग्राम निधि खाते में रू0 722106.00 अवशेष रहा उक्त धनराशि को वित्तीय सहायतादाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	722106.00	722106.00

प्रस्तर सं0 6–छात्रवृति खाते में दिनांक 01.04.2011 को रू0 340172.00 अवशेष था वर्ष 2011–12 में उक्त धनराशि का विवरण प्राप्त कर वितरण नही किया गया है जिससे 31.03.2012 को खाते में रू0 354847.00 अवशेष रहा।उक्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	354847.00	3554847.00

ग्राम पंचायत– केवटलिया विकास खण्ड – जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 7–ग्राम पंचायत की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में तथ्य प्रकाश में आया कि माह अगस्त 2011 में रोकड बही में रोकड अवशेष कम होने के पश्चात भी ग्राम प्रधान द्वारा रू0 20000.00 अमानत दर्शाकर भुगतान व्यय किया गया जो यह सन्देह प्रकट किया गया है कि

दर्शित भुगतान अनियमित रूप से दर्शाया गया है।यह एक गम्भीर अनियमितता है उल्लेखनीय है कि माह फर0 2012 में (18.02.2012) को उक्त धनराशि प्रधान को वापस किया जाना दर्शित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	20000.00	0.00	20000.00

ग्राम पंचायत– पुरनहां विकास खण्ड – ब्रहमपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 8–श्री जगदम्बा प्रसाद भूतपूर्व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्थानान्तरण होने पर दिनांक 30.06.2011 को रू0 3220.00 ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार रोकड अवशेष वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री बैजनाथ गुप्ता को चार्ज में नही दिया गया एंव नाही कोई व्यय विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।श्री बैजनाथ गुप्ता वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा माह 07/11 से नई कैशबुक में प्रारम्भिक अवशेष नकद रू0 00.00 दर्शाया गया है तथा उक्त अवशेष पावना के सम्बन्ध में चार्ज न पाने का कोई लिखित कार्यवाही विभाग को श्री गुप्ता द्वारा नही किया जाना पाया गया।अतः प्रधान श्रीमती संजू देवी एंव तत्कालीन सचिवश्री जगदम्बा प्रसाद व वर्तमान सचिव श्री बैजनाथ गुप्ता संयुक्त रूप से उक्त रोकड शेष को ग्राम पंचायत निधि में जमा न करने हेतु जिम्मेदार है।रोकड शेष रू0 3220.00 का चार्ज न देकर राजकीय धन को अपने पास रोककर धन का अपहरण किया गया है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
3220.00	0.00	0.00	3220.00

ग्राम पंचायत– मीठाबेल विकास खण्ड – ब्रहमपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 9–दिनांक 31.03.2012 को रू0 238649.70 छात्रवृति बैंक (जिला सहकारी बैंक लि0 गोरखपुर शाखा ब्रहमपुर) बचत खाता सं0 3449 के अनुसार अवशेष पायी गयी जिसके सम्बन्ध में पात्र छात्रों की सूची लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।सूची के अभाव में उक्त धनराशि अनुदानदाता को वापस न करेके अनियमित ढंग से रोका गया है।छात्रों की स्वीकृत सूची के अभाव में रोकी गयी धनराशि का किसी भी समय दुरूपयोग /अपहरण सम्भाव्य है।धन अनुदानदाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	238649.00	238649.00

ग्राम पंचायत– जंगल रसूलपुर नं02 विकास खण्ड – ब्रहमपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 10–दिनांक 31.03.2012 को डी0सी0बी0 बचत खाता सं0 3297 शाखा ब्रहमपुर में छात्रवृति अवशेष रू0 442160.00 दर्शित है जबकि दिनांक 01.04.2012 को उक्त खाते में रू0 492730.00 अवशेष थी वर्ष में रू0 370640.00 छात्रवृति प्राप्त व रूपये 421200.00 वितरण की गयी है।छात्रवृति प्राप्त व वितरण का वर्गवार कोई का लेखा नहीं है एंव अवशेष छात्रवृति की पुष्टि में पात्र छात्रो की सूची लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।सूची के अभाव में उक्त धनराशि अनुदानदाता को वापस न करके अनियमित ढंग से रोका गया है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	442160.00	442160.00

प्रस्तर सं0 11–दिनांक 26.05.2012 को ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार जिला सहकारी बैंक लि0 शाखा ब्रहमपुर के बचत खाता सं0 386 से कुल जमा रू0 13744.00 में से रू0 10500.00 आहरण कर कैशबुक के व्यय पक्ष में मात्र लोडिग ,अनलोडिंग शब्द लिखकर धन को खोरिंज किया जाना दर्शित है।जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति कार्ययोजना ,एम0बी0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी वांछित सूचनाओ के साथ आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत न कर धन का अपहरण किया जाना परिलक्षित है।वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है क्यों कि भुगतान अपुष्ट रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
10500.00	0.00	00.00	10500.00

ग्राम पंचायत– धुन्ही महोबचक विकास खण्ड – ब्रहमपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 12–दिनांक 25.03.2011 को ग्राम निधि प्रथम में रू0 51400.00 बैंक से आहरित कर व्यय दिनांक 02.04.2011 को दर्शाया गया जिसकी पुष्टि में बाउचर्स /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।अतः व्यय संदिग्ध रहा।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
51400.00	0.00	0.00	51400.00

ग्राम पंचायत– मेहदिया विकास खण्ड – गगहा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 13–लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 में डीसी0बी0 खाता सं0 600 से निम्न तिथियो में की गयी निकासी के सापेक्ष व्यय का विवरण निमनवत है।

क्रम	माह	तिथि	निकासी की धनराशि	व्यय
1–	जनवरी	29.01.2011	22000.00	8400.00
2–	फरवरी	04.02.2011	16000.00	
3–	फरवरी	10.02.2011	30000.00	35340.00
4–	मार्च	17.03.2011	40000.00	61000.00
		योग		**104740.00**

उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया और ना ही कार्ययोजना ,कार्यपूर्ति व परिसम्पत्ति रजि0 तथा एम0बी0 बुक से उक्त व्यय की पुष्टि होती है।उक्त से स्पष्ट है कि बैंक खाते से निकासी कर व्यय न कर धन का अपहरण तत्कालीन प्रधान व सचिव द्वारा किया गया है।जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
104740.00	0.00	0.00	104740.00

ग्राम पंचायत– कोठा विकास खण्ड – कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 14–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में छात्रवृति खाते की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 01.04.2011 को छात्रवृति खाते में रू0 285284.00 अवशेष दर्शित है।वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में रू0 155690.00 छात्रवृति खातें में प्राप्त दर्शित है।जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान किसी भी विद्यालय में छात्रवृति का वितरण नही किया गया है।दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृति खाते में रू0 440974.00 अवशेष दर्शित है।इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान छात्रवृति वितरण न करके ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजकीय कार्योके प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गयी है।जो अनियमित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	440974.00	440974.00

ग्राम पंचायत– तिधरा खुर्द विकास खण्ड – कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 15–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में छात्रवृति खाते की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 01.04.2011 को छात्रवृति खाते में रू0 67565.00 अवशेष दर्शित है।वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में रू0 58670.00 छात्रवृति खातें में प्राप्त दर्शित है। जिसके सापेक्ष वर्ष के

दौरान किसी भी विद्यालय में छात्रवृति का वितरण नही किया गया है।दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृति खाते में रू0 126235.00 अवशेष दर्शित है।इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान छात्रवृति वितरण न करके ग्राम प्रंधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजकीय कार्योके प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गयी है।जो अनियमित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	126235.00	126235.00

ग्राम पंचायत– उंचेर विकास खण्ड – कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 16–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में छात्रवृति खाते की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 01.04.2011 को छात्रवृति खाते में रू0 51294.00 अवशेष दर्शित है।वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में रू0 68460.00 छात्रवृति खातें में प्राप्त दर्शित है।जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान किसी भी विधालय में छात्रवृति का वितरण नही किया गया है।दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृति खाते में रू0 73589.00 अवशेष दर्शित है।इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान छात्रवृति वितरण न करके ग्राम प्रंधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजकीय कार्योके प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गयी है।जो अनियमित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	73589.00	73589.00

ग्राम पंचायत– समदार बुजुर्ग विकास खण्ड – भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 17–ग्राम निधि के कैशबुक के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 05.11.2011 को ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी को माह 04/11 से 09/11 तक कुल 06 माह का मानदेय रू0 4800.00 भुगतान किया गया है।जबकि मानदेय 06 माह का रू0 3600.00 दिया जाना चाहिये।अस्तु रू0 1200.00 का अधिक भुगतान किया गया है।इसकी वसूली श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री राजनाथ दूबे से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1200.00	0.00	0.00	1200.00

ग्राम पंचायत–सेमरा देवी प्रसाद विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 24–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 55250.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 105805.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अर्न्तगत बैंक खाते से निकासी के सापेक्ष रू0 50555.00 अधिक व्यय किया जाना दर्शित किया जा रहा है।निकासी से अधिक व्यय की गयी धनराशि का कोई लेखा विधालय स्तर पर नही रखा गया है और ना ही प्रधान से किसी प्रकार का अमानत आदि प्राप्त किया गया है जबकि बैकं खातें में रू0 59781.00 अवशेष दर्षित है।जिससे सम्पूर्ण व्यय ही अवास्तविक व संदिग्ध प्रतीत होता है।विभागीय जांच व कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	105805.00	105805.00

ग्राम पंचायत– बेलवार विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 25–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2011 को रू0 766489.00 छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष दर्शित है।वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत में कुल रू0 367740.00 छात्रवृति की धनराशि प्राप्त हुई है।जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान विधालय में छात्रो को छात्रवृति कुल रू0 576600.00 का वितरण नही किया गया है।इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2012 को रू0 557629.00 छात्रवृति की धनराशि अवशेष है, जिसे वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागो को वापस नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	557629.00	557629.00

ग्राम पंचायत– जंगल सिकरी विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 26–लेखा परीक्षा वर्ष अभिलेखो के परीक्षण से यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान एम0डी0एम0 खाते से कुल रू0 40733.00 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष परिवर्तन लागत व्यय रू0 23503.00 रहा (5428 / 4.33) ,रसोइया मानदेय भुगतान रू0 22000.00 (2 रसोईयों का 11 माह का / 1000.00) तथा किचन उपकरण मद में रू0 5000.00 का व्यय दर्शित किया जा रहा है।जो कुल रू0 50503.00 रहा।इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 40733.00 के सापेक्ष रू0 50503.00 का व्यय किया गया है।जो कुल निकासी से रू0 9770.00 अधिक रहा।इस प्रकार बिना निकासी व बिना अमानत प्राप्त किये आय से अधिक व्यय किया जाना लेखा की दृष्टि से अनियमित एंव अव्यवहारिक रहा।विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	50503.00	50503.00

ग्राम पंचायत– कजाकपुर विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 27–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्षके दौरान कुल निकासी रू0 139170.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत में रू0 92255.00 एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 44000.00 कुल रू0 136255.00 का व्यय किया गया है।इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अर्न्तगत निकासी से रू0 2915.00 कम व्यय किया गया है अभिलेखों में प्रधान के पास कैश इन हैण्ड दर्शित नही किया गया है ।इस प्रकार उक्त धन असुरक्षित है।उक्त धन का लेखा न हाने के कारण गबन /अपहरण प्रधान व प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
2915.00	00.00	0.00	2915.00

ग्राम पंचायत– खोराबार विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 28–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2011 को रू0 732447.00 छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष दर्शित है।वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत में कुल रू0 394250.00 छात्रवृति की धनराशि प्राप्त हुई है।जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान रू0 261600.00 छात्रवृति का वितरण किया गया है।इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृति खाते में रू0 864875.00 व प्रधान के पास नकद रू0 22.00 छात्रवृति की धनराशि अवशेष है, जिसे वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागो को वापस नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	864897.00	864897.00

ग्राम पंचायत– रामगढ उ0 चंवरी विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 29–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2011 को रू0 734299.00 छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष दर्शित है।वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत में कुल रू0 410200.00 छात्रवृति की धनराशि प्राप्त हुई है।जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान कुल रू0 497200.00 छात्रवृति का वितरण किया गया है।इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2012 को रू0 647299.00 छात्रवृति की धनराशि अवशेष है, जिसे वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागो को वापस नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	647299.00	647299.00

ग्राम पंचायत– शिवपुर विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 30–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 178200.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 170992.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत बैंक खाते से निकासी के सापेक्ष रू0 7208.00 कम व्यय किया जाना दर्शित किया जा रहा है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है और ना ही प्रधान के पास कैश इन हैण्ड दर्शित किया गया है।लेखा पुस्तको में उक्त घनराशि का लेखांकन न किये जाने के कारण धनराशि असुरक्षित है एंव गबन/अपहरण की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। प्रधान तथा प्रधानाध्यापक से उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
7208.00	00.00	0.00	7208.00

प्रस्तर सं0 31–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल नामांकित 290 छात्रों के सापेक्ष पांच रसोइयों का रू0 1000.00 की दर से कुल रू0 55000.00 का भुगतान किया गया है।जबकि शिक्षा अनुभाग (6) के शासनादेश सं0 435 (1)/79–6–10दिनांक 24.04.2010 द्वारा निर्धारित 290 छात्रो के नामांकन पर रसोइयों की सं0 04 होनी चाहिये।इस प्रकार विधालय द्वारा पूरे सत्र में एक अतिरिक्त रसोइये का मानदेय रू0 11000.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित प्रधानाध्यापक /प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	11000.00	00.00	11000.00

ग्राम पंचायत– गहिरा विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 32–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 81050.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 118102.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत बैंक खाते से निकासी के सापेक्ष रू0 37052.00 अधिक व्यय किया जाना दर्शित किया जा रहा है।निकासी से अधिक व्यय की गयी धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।निकासी से अधिक व्यय की धनराशि कहां से प्राप्त हुयी का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।जिससे सम्पूर्ण व्यय ही संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है।विभागीय जांच व कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	118102.00	118102.00

प्रस्तर सं0 33—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 205350.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 194350.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत बैंक खाते से निकासी के सापेक्ष रू0 11000.00 कम व्यय किया जाना दर्शित किया जा रहा है।अवशेष धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है ,और ना ही प्रधान के पास अभिलेखों में कैश इन हैण्ड दर्शित किया जा रहा है।इस प्रकार लेखा पुस्तको में अंकन न किये जाने से उक्त धन असुरक्षित एंव अपहरण है।जिस हेतु प्रधानाध्यापक व प्रधान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
11000.00	00.00	00.00	11000.00

ग्राम पंचायत– भौवापार विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 34—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2011 को विधालय के पास रू0 82836.00 अवशेष रहा।उक्त के बाद भी वर्ष के दौरान 268461.00 रूपये इस योजना हेतु विद्यालय के खाते में आया।जिसके सापेक्ष रू0 170691.00 की निकासी के बाद दिनांक 31.03.2012 को रू0 180806.00 अन्तिम अवशेष दर्शित रहा।उक्त से स्पष्ट है कि छात्रों की नामांकन सं0 के आधार पर धन का अंतरण विद्यालय को किया गया है।जो तर्कसंगत नही रहा।उक्त से योजना की एक बडी धनराशि बैंक खातों में अवशेष के रूप में निष्प्रयोज्य पडी हुई है।जो विद्यालय स्तर पर विभागीय अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किया जाने की उदासीनता को प्रकट करती है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	180806.00	180806.00

प्रस्तर सं0 35—लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान म0 भो0 योजना के खाते से निकासी रू0 96545.00 के सापेक्ष रू0 84994.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 11551.00 कम व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान के पास कैश इन हैण्ड आदि दर्शित किया गया है।उक्त प्रकरण के क्रम में प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया कि श्री अरविन्द सिंह सहायक अध्यापक द्वारा उक्त धनराशि की निकासी की गयी है जिससे सम्बन्धित व्यय का कोई विवरण नही है। श्री अरविन्द सिंह से उक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। किया जा सकता है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
11551.00	00.00	00.00	11551.00

ग्राम पंचायत– छपिया विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 36–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्षके दौरान कुल निकासी 101428.00 के सापेक्ष 110576.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अर्न्तगत रू0 9148.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान/प्रधानाध्यापक से अमानत आदि प्राप्त किया गया है।इस प्रकार उक्त प्रकरण से सम्पूर्ण व्यय ही संदेहास्पद /अनियमितता के घेरे में है।विभागीय कार्यवाही एंव जाचं किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	110576.00	110576.00

प्रस्तर सं0 37–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी 156205.00 के सापेक्ष 172592.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 16387.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विधालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान/प्रधानाध्यापक से अमानत आदि प्राप्त किया गया है।इस प्रकार उक्त प्रकरण से सम्पूर्ण व्यय ही संदेहास्पद/अनियमितता के घेरे में है।विभागीय कार्यवाही एंव जाचं किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	172592.00	172592.00

ग्राम पंचायत– हरदिया विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 38–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 63600.00 के सापेक्ष रू0 51712.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इस प्रकार बैक खाते में रू0 7842.00 व प्रधान के पास नकद रू0 11888.00 अवशेष रहा।प्रधान के पास नकद अवशेष का कोई लेखा विधालय स्तर पर नही रखा गया है।जिससे उक्त धन असुरक्षित है एंव गबन /अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
11888.00	00.00	0.00	11888.00

प्रस्तर सं0 39–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 48000.00 के सापेक्ष 52342.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइयामानदेय हेतु व्यय किया गया है।इस प्रकार बैक खाते से निकासी कुल रू0 48000.00 के सापेक्ष रू0 52342.00 व्यय किया गया है।प्रस्तुत अभिलेखों से प्रधान /प्रधानअध्यापक से अमानत प्राप्त किये जाने की पुष्टि नही होती जिससे सम्पूर्ण व्यय ही संदिग्ध प्रतीत होता है।उक्त के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	52342.00	52342.00

ग्राम पंचायत– कोलिया विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 40–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी 107050.00 के सापेक्ष 152381.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अर्न्तगत रू0 45333.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विधालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान/प्रधनाध्यापक से अमानत प्राप्त किया गया है।जिससे सम्पूर्ण व्यय ही संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है।।लेखा तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	152381.00	152381.00

ग्राम पंचायत– बडगहन विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 41–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी 93315.00 के सापेक्ष 78586.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अर्न्तगत रू0 14729.00 कम व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विधालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान के पास कैश इन हैण्ड रखा गया है।जो लेखा नियमो की दृष्टि से अनियमित रहा।इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
14729.00	00.00	0.00	14729.00

ग्राम पंचायत– कलानी बुजुर्ग विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 42–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी 48832.00 के सापेक्ष 71596.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 22764.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है और ना ही प्रधान/प्रधानाध्यापक अमानत प्राप्त किया गया है।इस प्रकार आय से अधिक व्यय किया जाना सम्पूर्ण व्यय को ही संदिग्ध व अनियमित बना देता है।विभागीय जांच व कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	71596.00	71596.00

ग्राम पंचायत– बलुईगाडा विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 43–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 24740.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 35394.00 व्यय किया गया है।उपयुक्त व्यय के सापेक्ष प्रधान से ना ही अमानत प्राप्त किया गया और नाही किसी अन्य खाते से निकासी का प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया।इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत लेखा पुस्तको में आय से अधिक धनराशि व्यय में दर्शित की जा रही है। जो सम्पूर्ण व्यय को ही संदिग्ध / अनियमित बना देती है। उक्त प्रकरण की जांच व विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	35394.00	35394.00

ग्राम पंचायत– नन्दापार विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 44–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान म0 भो0 योजना के खाते से निकासी रू0 29474.00 के सापेक्ष रू0 44841.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 15367.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान/प्रधानाध्यापक से अमानत आदि प्राप्त किया गया है।इस प्रकार उक्त प्रकरण से सम्पूर्ण व्यय ही संदेह के धेरे में है। विभागीय कार्यवाही एंव जाचं किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	44841.00	44841.00

ग्राम पंचायत– नेवास विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 45–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी 5000.00 के सापेक्ष 25403.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 20403.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान/प्रधानाध्यापक से अमानत आदि प्राप्त किया गया है।इस प्रकार उक्त प्रकरण से सम्पूर्ण व्यय ही संदेह के धेरे में है।विभागीय कार्यवाही एंव जाचं किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	25403.00	25403.00

ग्राम पंचायत– नगवा विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 46–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान म0 भो0 योजना के खाते से निकासी रू0 106340.00 के सापेक्ष रू0 120354.00परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 14054.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।और ना ही प्रधान आदि से किसी प्रकार का अमानत प्राप्त किया गया है।लेखा पुस्तको में आय से अधिक खर्च दर्शाये जाना सम्पूर्ण व्यय को ही संदिग्ध बना देता है।विभागीय कार्यवही व जांच किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	120354.00	120354.00

ग्राम पंचायत– बनौडा विकास खण्ड – पिपरौली जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 47–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी 28550.00 के सापेक्ष 41065.00 परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु व्यय किया गया है।इससे स्पष्ट है कि निकासी के सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रू0 12515.00 अधिक व्यय किया गया है।उक्त धनराशि का कोई लेखा विद्यालय स्तर पर नही रखा गया है।लेखा परीक्षा में अवगत कराया गया कि उन्तर की धनराशि शिक्षा निधि से व्यय की गयी है।जिसका लेखांकन नही किया गया हैं।जिससे उक्त की पुष्टि नही की जा सकी।जो अनियमित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	41065.00	41065.00

ग्राम पंचायत– सूरसविकास खण्ड – कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 48–छात्रवृति खाते में दिनांक 01.04.2011 को रू0 208843.00 अवशेष था वर्ष 2011–12 में उक्त धनराशि का विवरण प्राप्त कर वितरण नही किया गया जिससे 31.03.12 को खाते में रू0 192508.00 अवशेष रहा।उक्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	192508.00	192508.00

प्रस्तर सं0 49–वर्ष में मनरेगा खाते में प्राप्त अनुदान का समुचित उपयोग नही किये जाने के कारण 31.03.2012 को खातें में रू0 478991.00 अवशेष रहा।उपयोग नही होने की दशा में वित्तीय सहायतादाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	478991.00	478991.00

ग्राम पंचायत– कल्यानपुरविकास खण्ड – कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 50–वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत में विगत वर्षो से प्राप्त अनुदान का उपयोग नही किया गया जिससे 31.03.2012 को ग्राम निधि खाते में रू0 471572.00 अवशेष रहा।इस धनराशि का उपयोग नही किये जाने की दशा में वित्तीय सहायतादाता को वापस किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	471572.00	471572.00

प्रस्तर सं0 51–छात्रवृति खाते में दिनांक 01.04.2011 को रू0 172366.00 अवशेष था।वर्ष 2011–12 में उक्त धनराशि का विवरण प्राप्त कर वितरण नही किया गया है।जिससे 31.03.2012 को खाते में रू0 268440.50 अवशेष रहा।उक्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	268440.50	268440.50

ग्राम पंचायत– बैजनाथपुर विकास खण्ड – कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 52–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 29.11.11 को रू0 36000.00 की निकासी की गयी किन्तु रू025980.00 ही छात्रवृति वितरण किया गया।अतः रू0 10020.00 अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग मार्च 2012 तक नही किया गया और ना ही बैंक खाते में जमा कराया गया।अवशेष रू0 10020.00 छात्रवृति का वितरण न करके धन का दुरूपयोग सचिव व प्रधान द्वारा किया गया है।जिसको ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	10020.00	0.00	10020.00

ग्राम पंचायत– इन्दरपुरविकास खण्ड – कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 53–वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायतों में विगत वर्षो में प्राप्त छात्रवृति की धनराशि का वितरण नही किया गया जिससे 01.04.2011 को प्रारम्भिक अवशेष रू0 605375.00 रहा एंव 31.03.2012 को रू0 661575.00 अवशेष रहा।उक्त धनराशि को समाज कल्याण विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	661675.00	661675.00

ग्राम पंचायत– चिलबिलवाविकास खण्ड – पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 54–वर्ष 2011–12 में सामग्री खाता खोला गया है दिनांक 28.02.2011 को उक्त खाते के अवशेष रू0 38473.00 को मनरेगा खाते में स्थान्तरित कर खाता बन्द किया जाना दर्शित है किन्तु उक्त धन की प्रविष्टी लेखा परीक्षा अवधि तक मनरेगा खाते में नही हुयी है।इस प्रकार रू0 38473.00 का खाते में प्रविष्टि न कराकर दुरूपयोग किया जा रहा है जिसे ढूढकर तत्काल खाते में जमा कराया जाना चाहिये अथवा तत्कालीन सचिव श्री चौबे व प्रधान श्री बम बहादुर से वसूल किया जाना चाहिये

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	38473.00	00.00	38473.00

ग्राम पंचायत–लखेसरा विकास खण्ड – पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 55–ग्राम पंचायत द्वारा रू0 48450.00 रोकड शेष रखकर धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। जिसे तत्काल वितरण किया जाना चाहिये अथवा बैक खातें में जमा कराया जाना चाहिये

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	48450.00	00.00	48450.00

ग्राम पंचायत– राउतपार विकास खण्ड – पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 56–दिनांक 20.05.2010 को रूप पत्र सं0 31991/53 द्वारा रू0 70000.00 ,दिनांक 20.07.2010 को रूप पत्र सं0 31991/54 द्वारा रू0 70100.00 ,दिनांक 10.09.2010 को रूप पत्र सं0 31991/55 द्वारा रू0 70100.00 कुल रू0 210200.00 की आय पोखरी नीलामी से दर्शित है किन्तु उक्त आय का लेखा कोषबही में नही किया गया है तथा उक्त धन को बैंक में भी जमा नही कराया गया है।इस प्रकार रू0 210200.00 का अपहरण किया गया है।विभागीय जांचोपरान्त उक्त धन की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेष दूबे व पंचायत अधिकारी श्री रामप्रवेश पाण्डेय से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
210200.00	00.00	00.00	210200.00

प्रस्तर सं0 57–दिनांक 08.12.2010 को रूप पत्र सं0 31991/56 द्वारा रू0 9050.00 ,दिनांक 06.12.2010 को रूप पत्र सं0 31991/57 द्वारा रू0 9050.00 ,कुल रू0 18100.00 की आय पोखरी नीलामी से दर्शित है किन्तु उक्त आय का लेखा कोषबही में नही किया गया है तथा उक्त धन को बैंक में भी जमा नही कराया गया है।इस प्रकार रू0 18100.00 का अपहरण किया गया है।विभागीय जांचोपरान्त उक्त धन की वसूली ग्राम प्रधान श्री मिथिलेश यादव व पंचायत अधिकारी श्री रामप्रवेश पाण्डेय से की जानी चाहिये।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
18100.00	00.00	0.00	18100.00

ग्राम पंचायत– मुण्डेरी गढवाविकास खण्ड – पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 58–ग्राम पंचायत द्वारा रू0 26700.00 रोकड शेष रखकर धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।जिसको तत्काल वितरण किया जाना चाहिये अथवा बैंक खाता जमा किया जाना चाहिये

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	26700.00	0.00	26700.00

ग्राम पंचायत– सिसवा उ0 चनकापुरविकास खण्ड – पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 59–ग्राम पंचायत द्वारा प्रायः आवश्यकता से अधिक रोकड शेष रखा गया है।दिनांक 31.03.2012 को रू0 62654.00 रोकड शेष रोककर धन का दुरूपयोग किया जा रहा है जिसका तत्काल उपयोग किया जाना चाहिये अथवा बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिये।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	62654.00	0.00	62654.00

ग्राम पंचायत–गोपालपुर विकास खण्ड – गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 60–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 01.04.2011 को रू0 940463.00 अवशेष था वर्ष 2011–12 की धनराशि का विवरण प्राप्त कर वितरण नही किया गया। जिससे 31.03.12 को खाते में अवशेष रू0 952827.00 अवशेष रहा उक्त धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	952827.00	952827.00

ग्राम पंचायत– भडसरा विकास खण्ड – गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 61–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जनवरी 2012 में रू0 65100.00 निकासी की गयी किन्तु रू0 45100.00 ही वितरण किया गया अतः रू0 20000.00अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग मार्च 2012 तक नही किया गया और ना ही बैंक खाते में जमा कराया गया। अवशेष रू0 20000.00 छात्रवृति का वितरण न करके धन का दुरूपयोग सचिव /ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है जिसको ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	20000.00	0.00	20000.00

ग्राम पंचायत– भरसी बुजुर्ग विकास खण्ड – गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 62–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसको बैंक खाते में जमा करा देना चाहिये था।परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 137946.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	137946.00	0.00	137946.00

ग्राम पंचायत–डाडीखास विकास खण्ड – गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 63–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसको बैंक खाते में जमा करा देना चाहिये था।परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 42986.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिवद्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	42986.00	0.00	42986.00

ग्राम पंचायत–सिधारी विकास खण्ड – गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 64–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसक बैंक खाते में जमा करा देना चाहिये था।परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 47295.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिव द्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	47295.00	0.00	47295.00

ग्राम पंचायत–अहिरौली 1 विकास खण्ड – गोला जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 65–ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम निधि की धनराशि बैंक से आहरित कर उसे अनियमित ढंग से रोककर रखा गया तथा इसका उपयोग वर्षान्त तक नही किया गया जबकि धनराशि का उपयोग नही किया जाना था तो उसको बैंक खाते में जमा करा देना चाहिये था।परन्तु ऐसा नही किया गया रू0 10930.00 बैंक में जमा न कर अपने पास रोककर प्रधान /सचिवद्वारा दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है।अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	10930.00	0.00	10930.00

ग्राम पंचायत–भिटहा कुंवरविकास खण्ड – खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 66–आलोच्य वर्ष 2011–12 में छात्रवृति खाते में प्रारम्भिक शेष 147032.00 रू0 था,वर्षान्त में रू0 149959.00 अवशेष है।जिसमें गत वर्ष की अवशेष छात्रवृति धनराशि लगभग 147000.00 को वर्ष भर न तो वितरित किया गया न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया।छात्रवृति को अनियमित तरीके से खाते में रोककर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।जिसके लिये प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।उक्त धनराशि को तत्काल सम्बन्धित विभाग को वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	147000.00	147000.00

ग्राम पंचायत–आशापारविकास खण्ड – खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 67–आलोच्य वर्ष 2011–12 में वर्ष के प्रारम्भ में छात्रवृति खाते में रू0 238948.00 शेष था।वर्ष के दौरान रू0 285438.00 आय हुई वर्ष में वितरण शून्य रहा।वर्षान्त 524368.00 खाते में शेष रहा।इस प्रकार लगभग 524000.00 छात्रवृति के धन को अनियमित प्रकार से खाते में रोके रखा गया जिसे अनुमोदित सूची प्राप्त कर छात्रों में वितरित नही किया गया जिससे योजना का लाभ पात्र छात्रों को न हो सका और न ही धन का उपयोग किया जा सका। जो अनियमित रहा जिसके लिये प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अवशेष छात्रवृति धन को पात्र छात्रों में वितरित किया जाये या सम्बन्धित विभागो को वापस किया जाना सुनिश्चित करे।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	524000.00	524000.00

ग्राम पंचायत–रामपुर पाण्डेयविकास खण्ड – खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 68–आलोच्य वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि खाता सं0 3127029979 पूर्वांचल ग्रामीण बैंक खुटहना से दिनांक 29.08.2011 को रू0 10000.00 की निकासी करना बैंक पासबुक /स्टेटमेन्ट में दर्शित है परन्तु उस निकासी को कैशबुक में न पकडकर उक्त धन का अपहरण प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है।जिसकी वसूली प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
10000.00	00.00	0.00	10000.00

प्रस्तर सं0 69–वर्ष दौरान छात्रवृति वितरण के पश्चात अवशेष बचा धन सम्बन्धित विभागों को वापस न भेजकर वर्षान्त तक खाते में रोककर अनियमितता बरती गयी है।जिस पर बैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	327877.00	327877.00

ग्राम पंचायत–बस्तियाविकास खण्ड – खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 70–ग्राम पंचायत की ग्राम निधि खाता की कैशबुक में माह अप्रैल में गत माह का अवशेष /माह का प्रारम्भिक शेष रू0 21680.00 था तथा माह की कुल निकासी रू0 193468.00हुई ।इस प्रकार माह की निकासी व प्रारम्भिक शेष मिलाकर माह की कुल आय रू0 215148.00 हुई परन्तु कैशबुक में रू0 19520.00 से कम करके रू0 195628.00 ही कुल आय पकडी गई है।इस प्रकार कैशबुक में रू0 19520.00 से कम आय पकडकर धन का अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली की कार्यवाही प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
19520.00	00.00	0.00	19520.00

प्रस्तर सं0 71–आलोच्य वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत में छात्रवृति का वितरण शून्य रहा।जबकि वर्ष के दौरान 151860.00 छात्रवृति प्राप्त हुयी तथा ब्याज के रूप में रू0 2626.00 की धनराशि प्राप्त हुई तथा गत वर्ष का शेष धनराशि रू0 315591.00 था। इस प्रकार वर्षान्त में रू0 186066.00 शेष बचा था।छात्रवृति वितरण न करना प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत की स्वेच्छा चारिता व अधिकारियों की निष्क्रियता का घोतक है यदि छात्रवृति वितरण योग्य

छात्र नही थे तो प्राप्त धनराशि को समबन्धित विभागो को वापस किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके अनियमित ढंग से छात्रवृति को खाते में रोककर ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत ने गम्भीर अनियमितता का कृत्य किया है जिस पर वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	186066.00	186066.00

ग्राम पंचायत–बहुरीपारविकास खण्ड – खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 72–लेखा परीक्षा वर्ष में वर्षान्त रू0 40800.00 नगद व रू0 124604.00 खाता शेष के रूप में कुल 165404.00 वर्षान्त वितरण के पश्चात समबन्धित विभाग को वापस न करके अनियमित तरीके से रोककर गम्भीर अनियमितता बरती गयी है।जिस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	165404.00	165404.00

ग्राम पंचायत–मानीरामविकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 73–मनरेगा के नियमानुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीस वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 357547.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	357547.00	357547.00

प्रस्तर सं0 74–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रू0 166184.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा है,जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	166184.00	166184.00

प्रस्तर सं0 75–दिनांक 31.12.2012 को रु0 592428.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा है,जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	592428.00	592428.00

ग्राम पंचायत– बनगाई विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 76–ग्राम निधि–1 के अन्तर्गत मिटटी ढुलाई सीनीय मजदूर से न कराकर ट्रैक्टर ट्राली से कराया गया जो निम्न प्रकार से है–

दिनांक 07.09.2011 राजदेव के घर से उत्तर सडक तक खडन्जा मरम्त वास्ते 12 ट्राली मिटटी क्रय – रु0 6000.00

दिनांक 29.09.2011 उक्त कार्य हेतु पुनः 500/–रु0 प्रति ट्राली के दर से 24 ट्राली मिटटी क्रय रु0 12000.00

दिनांक 10.04.2010 (2) छोटेलाल के घर से पश्चिम रामसूरत के घर तक खडन्जा वास्ते 30 टाली मिटटी क्रय रु0 7500.00

दिनांक 08.06.2010 (8) शंकर प्रजापति के घर से उत्तर लालमन के घर तक खडन्जा कार्य हेतु 06 टाली मिटटी क्रय रु0 1500.00

दिनांक 08.06.2010 (17) रामप्रित व राजेन्द्र प्रधान के घर के पास खडन्जा हेतु 03 टाली मिटटी क्रय रु0 1050.00

दिनांक 08.06.2010 (24) रामअधार के घर से दक्षिण नकठल के घर तक खडन्जा मरम्त पर 10 टाली मिटटी क्रय रु0 3000.00

रु0 31050÷120=258.75 योग 31050.00

उक्त कार्य यदि स्थानीय ग्रामीण मजदूर से कराया जाता तो कुल 258.75 दिन मानव दिवसो के रुप में सृजन होता। जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता तथा रोजगार प्राप्त होता। इस प्रकार रु0 31050.00 का अनियमितता करने के उत्तरदायी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	31050.00	31050.00

ग्राम पंचायत– बालापार विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 77–मनरेगा के नियमानुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 383297.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	383297.00	383297.00

प्रस्तर सं0 78–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 119350.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा है,जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	119350.00	119350.00

प्रस्तर सं0 79–दिनांक 31.03.2012 को रु0262263 .00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा है,जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	262263.00	262263.00

ग्राम पंचायत– सराय गुलरिहा विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 80–ग्राम निधि–1 के अन्तर्गत मिटटी ढुलाई स्थानीय मजदूर से न कराकर ट्रैक्टर ट्राली से कराया गया जो निम्न प्रकार से है–

दिनांक 30.08.2011(12) पिच रोड से झगरु के घर तक मिटटी व खडन्जा कार्य हेतु 18 टाली मिटटी क्रय रु0 6000.00

दिनांक 19.04.2010 मुलायम के घर से शिवमंदिर के पास तक मिटटी पटाई वास्ते 03 टाली मिटटी क्रय रु0 900.00

दिनांक 10.03.2011 छोटेलाल के घर से ओरी के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु 15 टाली मिटटी क्रय रु0 4500.00

रु0 108000÷120=90 मानव दिवस **योग 10800.00**

उक्त कार्य यदि स्थानीय ग्रामीण मजदूर से कराया जाता तो कुल 90 दिन मानव दिवसो के रुप में सृजन होता। जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता तथा रोजगार प्राप्त होता। इस प्रकार रु0 10800.00 का अनियमितता करने के उत्तरदायी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	10800.00	10800.00

ग्राम पंचायत– जौरहर विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 81–ग्राम निधि–1 के अन्तर्गत मिटटी ढुलाई स्थानीय मजदूर से न कराकर ट्रैक्टर ट्राली से कराया गया जो निम्न प्रकार से है–

दिनांक 07.04.2011(1) पिच रोड से रामआसरे के घर होते हुये बसन्त के घर तक नाली निमार्ण में 13 ट्राली मिटटी क्रय रु0 3900.00

दिनांक 05.03.2012(36) पिच रोड जमलाल के घर होते स्वामी नाथ के घर तक खडन्जा मरम्मत वास्ते मिटटी 35 टाली क्रय रु0 10500.00

रु0 14400÷120=120 मानव दिवस योग 14400.00

उक्त कार्य यदि स्थानीय ग्रामीण मजदूर से कराया जाता तो कुल 120 दिन मानव दिवसो के रुप में सृजन होता। जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता तथा रोजगार प्राप्त होता। इस प्रकार रु0 14400.00 का अनियमितता करने के उत्तरदायी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	14400.00	14400.00

ग्राम पंचायत– जं0 पकडी विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 82–मनरेगा के नियमानुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 1298225.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज

कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	1298225.00	1298225.00

प्रस्तर सं0 83–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 161007.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा, तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है इसके लिय जिम्मेदार संयुक्त रुप ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	161007.00	161007.00

प्रस्तर सं0 84–दिनांक 31.12.2012 को रु0 143628.10 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा ,विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है। इसके लिये उत्तरदायी ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 एवं ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	143628.10	143628.10

ग्राम पंचायत– जं0 बहादुर अली विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 85–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 546228.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही अपेखित है जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	546228.00	546228.00

प्रस्तर सं0 86–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 609600.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जोआपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	609600.00	609600.00

प्रस्तर सं0 87–दिनांक 31.12.2012 को रु0 215119.10 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि0अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	215119.00	215119.00

ग्राम पंचायत– नुरूददीनचक विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 88–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 255570.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	255570.00	255570.00

प्रस्तर सं0 89–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 275028.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	275028.00	275028.00

प्रस्तर सं0 90–दिनांक 31.03.2012 को रु0 192951.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, इसके लिये ग्रापं0अ0/ग्रा0वि0अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	192951.00	192951.00

ग्राम पंचायत– नरायनपुर विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 91–ग्राम पंचायत निधि–1 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो में स्थानीय बेरोजगार मजदूरो को न लगाकर टैक्टर टाली से मिटटी ढुलाई कराई गई है, जिससे ग्रामीण मजदूरो को बेरोजगार कर मानव दिवसो का छति करते हुए अनुदान धनराशि का अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है। इसके लिये ग्राम प्रधान एवम ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है।

दिनांक 08.05.20101(1) हीरागंज से पश्चिमोत्तर जामिन घर तक खडन्जा में 08 टाली मिटटी क्रय रु0 2400.00

दिनांक 25.05.10(6) उक्त कार्य हेतु पुनः 02 टाली मिटटी क्रय रु0 600.00

दिनांक 10.02.2011 खडन्जा से पूरब रामधनी पासवान तक खडन्जा निर्माण हेतु 04 टाली मिटटी क्रय रु0 1200.00

दिनांक 27.02.11(35) सुक्खू टोला गोबरी के घर के पास खडन्जा निर्माण हेतु 04 टाली मिटटी क्रय रु0 1200.00

दिनांक 10.03.11(38) हीरागंज सुखारी के घर से नगीना के घर तक खडन्जा निर्माण में 06 टाली मिटटी क्रय रु0 1800.00

दिनांक 19.03.2011(40) उक्त कार्य हेतु पुनः 02 टाली मिटटी क्रय रु0 600.00

दिनांक 19.03.2011 सुक्खू टोला शंकर के घर से पश्चिम लालजी के घर तक 12 टाली मिटटी क्रय रु0 3600.00

इस प्रकार रु0 11400.00 का अनियमितता किया गया तथा 95 मानव दिवसो का क्षति कर बेरोजगारी बढाया गया।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	11400.00	11400.00

प्रस्तर सं0 92–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 60508.00 एवम प्रधान के पास नगद रु0 9372.00 योग रु0 69880.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अ0 है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	69880.00	69880.00

प्रस्तर सं0 93–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 9546.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	9546.00	9546.00

प्रस्तर सं0 94–दिनांक 31.03.2012 को रु0 33305.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जिसलिये संयुक्त रुप से ग्रा0वि0अ0 एवम ग्राम प्रधान जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	33305.00	33305.00

ग्राम पंचायत– सोनबरसा विकास खण्ड – चरगांवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 95–मनरेगा के नियमानुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 222286.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेजकर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	222286.00	222286.00

प्रस्तर सं0 96–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 464929.50 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	464929.50	464929.50

प्रस्तर सं0 97–दिनांक 31.03.2012 को रु0 178397.10 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	178397.10	178397.10

ग्राम पंचायत– टाडा विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 98–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि कोसंबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्धारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 189995.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	189995.00	189995.00

प्रस्तर सं0 99–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 144312.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	144312.00	144312.00

प्रस्तर सं0 100–दिनांक 31.03.2012 को रु0 134781.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	134781.00	134781.00

ग्राम पंचायत– बेदौली विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 101–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 158200.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसकोसम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	158200.00	158200.00

प्रस्तर सं0 102–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 330260.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	330260.00	330260.00

प्रस्तर सं0 103–दिनांक 31.03.2012 को रु0 10800.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	10800.00	10800.00

ग्राम पंचायत– मुजौना विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 104–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 297196.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	297196.00	297196.00

प्रस्तर सं0 105–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 82352.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	82352.00	82352.00

प्रस्तर सं0 106–दिनांक 31.03.2012 को रु0 111419.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	111419.00	111419.00

ग्राम पंचायत– कोल्हुआ विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 107–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 116336.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	116636.00	116636.00

प्रस्तर सं0 108–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 185437.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जोआपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	185437.00	185437.00

प्रस्तर सं0 109–दिनांक 31.03.2012 को रु0 31935.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	31935.00	31935.00

ग्राम पंचायत– मरवट विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 110–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 92264.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	92264.00	92264.00

प्रस्तर सं0 111–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 317932.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जोआपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	317932.00	317932.00

प्रस्तर सं0 112–दिनांक 31.03.2012 को रु0 85436.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	85436.00	85436.00

ग्राम पंचायत– मिश्रौली विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 113–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 18825.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	18825.00	18825.00

प्रस्तर सं0 114–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 195117.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	195117.00	195117.00

प्रस्तर सं0 115–दिनांक 31.03.2012 को रु0 345160.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	345160.00	345160.00

ग्राम पंचायत– बरेहता विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 116–दिनांक 03.09.2011(2) जय सिंह मल्लाह के घर से अहमकपुर मदिर तक खडन्जा मरम्त हेतु टाली टैक्टर द्वारा मिटटी गिरायी मानसिंह दुर्गापुर को भुगतान 54*300=रु0 16200.00

दिनांक 08.12.11(10) जय सिंह मल्लाह के घर से अहमकपुर मदिर तक खडन्जा मरम्त हेतु टाली टैक्टर द्वारा मिटटी गिरायी मानसिंह दुर्गापुर को भुगतान 3*300= रु0 900.00

उक्त कार्य यदि स्थानीय ग्रामीण मजदूर से कराया जाता तो कुल 143 दिन मानव दिवसो के रुप में सृजन होता। जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता तथा रोजगार प्राप्त होता। इस प्रकार रु0 17100.00 का अनियमितता करने के उत्तरदायी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	17100.00	17100.00

ग्राम पंचायत– तिहा मुहम्मदपुर विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 117–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्धारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 251142.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	251142.00	251142.00

प्रस्तर सं0 118–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 246056.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	246056.00	246056.00

प्रस्तर सं0 119–दिनांक 31.03.2012 को रु0 87700.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	87700.00	87700.00

ग्राम पंचायत– मोहनिया पोयल विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 120–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्धारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 35511.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	35511.00	355111.00

प्रस्तर सं0 121–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 56102.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	56102.00	56102.00

प्रस्तर सं0 122–दिनांक 31.03.2012 को रु0 43469.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	43469.00	43469.00

ग्राम पंचायत–विमुटी विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 123–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 348099.00 अनुदान अनुपयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	348099.00	348099.00

प्रस्तर सं0 124–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 142631.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जोआपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	142631.00	142631.00

प्रस्तर सं0 125–दिनांक 31.03.2012 को रु0 131515.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	131515.00	131515.00

ग्राम पंचायत–बुढनपुरा विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 126–मनरेगा के मंशा के विपरीत निम्नलिखित मिटटी की ढुलाई कार्य बेरोजगार ग्रामीण मजदूरो से न कराकर टैक्टर टाली द्वारा कराकर 424 मानव दिवसो की क्षति कर अनुदान राशि का अनियमितता किया गया–

दिनांक 02.09.2011 तजू के घर से संसार पार पिच रोड तक मिटटी कार्य हेतु टाली मालिक लालजी यादव पुत्र चौथी यादव को भुगतान किया गया रु0 10000.00

दिनांक 12.01.2012 जय प्रकाश मौर्य के घर से पिच रोड तक टाली द्वारा मिटटी का भुगतान लालजी यादव को किया गया रु0 12000.00

दिनांक 16.02.2012 राजेन्द्र बाबू के हाता से रामध्यान के बाग तक टाली द्वारा मिटटी का भुगतान लालजी यादव को किया गया रु0 4800.00

दिनांक 16.02.2012 राजेन्द्र बाबू के हाता से रामध्यान के बाग तक टाली द्वारा मिटटी का भुगतान लालजी यादव को किया गया रु0 4800.00

दिनांक 16.02.2012 राजेन्द्र बाबू के हाता से रामध्यान के बाग तक टाली द्वारा मिटटी का भुगतान लालजी यादव को किया गया रु0 4800.00

दिनांक 16.02.2012 जय प्रकाश के घर से पिच रोड तक टाली मिटटी का भुगतान सत्येन्द्र सिंह को भुगतान रु0 4600.00

दिनांक 16.02.2012 प्रेमशंकर मिश्रा के घर से कब्रिस्तान तक टाली द्वारा मिटटी काभुगतान सत्येन्द्र सिंह को भुगतान रु0 4950.00

दिनांक 16.02.2012 प्रेमशंकर मिश्रा के घर से कब्रिस्तान तक टाली द्वारा मिटटी का भुगतान सत्येन्द्र सिंह को भुगतान रु0 4950.00

इस प्रकार 424 मानव दिवसो का छति तथा रु0 50900.00 का अनियमितता किया गया जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये ग्रम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुकत रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	50900.00	50900.00

ग्राम पंचायत– नरहरपुर विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 127–ग्राम पंचायम निधि–1 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो में स्थानीय बेरोजगार मजदूरो को न लगाकर टैक्टर टाली से मिटटी ढुलाई कराई गई है,जिससे ग्रामीण मजदूरो को बेरोजगार कर मानव दिवसो का छति करते हुए अनुदान धनराशि का अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है। इसके लिये ग्राम प्रधान एवम ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है–

दिनांक 12.12.12(9) सदरी के घर से रामअशीश के घर तक टाली द्वारा मिटटी गिरायी गयी

50*300=15000.00

दिनांक 20.01.2012(13) शेषनाथ यादव के घर से शत्रुधन बनिया के घर तक खडन्जा हेतु टैक्टर टाली से मिटअी गिरायी गयी
35*300=10500.00

इस प्रकार रु0 212.50 मानव दिवसों का क्षति तथा रुपया 25500.00 का अनियमितता किया गया ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	25500.00	25500.00

ग्राम पंचायत– भैसवली विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 128–मनरेगा की मंशा के विपरीत निम्नलिखित मिटटी की ढुलाई कार्य बेरोजगार ग्रामीण मजदूरो से न कराकर 80 मानव दिवसो का क्षति कर अनुदान राशि का अनियमितता किया गया।

दिनांक 31.03.2012 रानिवास बढई के घर से कैलाश निषाद के घर तक टाली द्वारा मिटटी गिरायी गई
24*200=रु0
4800.00

दिनांक 31.03.2012 रानिवास बढई के घर से कैलाश निषाद के घर तक टाली द्वारा मिटटी गिरायी गई
24*200=रु0
4800.00

योग 96000.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	96000.00	96000.00

प्रस्तर सं0 129–दिनांक 10.06.2011(3) निधि–1 दयाशंकर तिवारी के घर से रामप्यारे के घर तक खडन्जा मरम्मत में टैक्टर टाली से मिटटी गिरायी 330*14=रु0 4620.00

दिनांक 09.02.2012(16) राजकिशोर के घर से रामनवल गुप्ता के घर तक खडन्जा मरम्मत में टैक्टर टाली से मिटटी गिरायी 350*18=रु0 6300.00

उक्त कार्य यदि स्थानीय ग्रामीण मजदूर से कराया जाता तो कुल 91 दिन मानव दिवसो के रुप में सृजन होता। जिससे उनको आर्थिक लाभ मिलता तथा रोजगार मिलता। जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	10920.00	10920.00

ग्राम पंचायत– लखनापार विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 130–मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार अनुदान जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है,उसी वित्तीय वर्ष में ही उपभोग कर लेना चाहिये तथा वर्षान्त में अवशेष अनुदान राशि को संबधित विभाग को वापस कर देना चाहिये,जो ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया है।दिनांक 31.03.12 को रुपया 37780.00 अनुदान अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसको सम्बन्धित विभाग को न भेज कर अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है जिसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान एव ग्रा0पं0अ0/ग्रा0वि0अ0 संयुक्त रुप से है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	37780.00	37780.00

प्रस्तर सं0 131–वर्षान्त में ग्राम निधि–1 के खाते में रु0 53488.00 की धनराशि अप्रयुक्त शेष पाया गया,जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा तथा विभागीय कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।इसके लिये जिम्मेदार संयुक्त रुप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अ0 उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	53488.00	53488.00

प्रस्तर सं0 132–दिनांक 31.03.2012 को रु0 70909.00 अवशेष छात्रवृत्ति की धनराशि अप्रयुक्त पाया गया, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस न करके अनियमितता किया गया है,विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है, जो आपत्तिजनक रहा। इसके लिये उत्तरदायी ग्रापं0अ0/ग्रा0वि.अ0 एवम ग्राम प्रधान संयुक्त रुप से जिम्मेदार है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	70909.00	70909.00

ग्राम पंचायत–खडेसरी विकास खण्ड – बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 133–निधि–1 के अन्तर्गत दिनांक 07.04.2011 को कैशबुक एवं पासबुक के अनुसार चेक संख्या 0625131 द्वारा रु0 27749.00 की निकासी दर्शित है। कैशबुक के व्यय पक्ष में बैंक की गलती से किया गया भुगतान दर्शित है, जबकि बैंक द्वारा उक्त तथा कथित गलत निकासी का पुर्नवापसी इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक दर्शित नहीं है। अतः निकासी संदेहास्पद तथा अवास्तविक प्रतीत होता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। इस प्रकार रु0 27749.00 की धनराशि का अपहरण है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
27749.00	0.00	0.00	27749.00

प्रस्तर सं0 134–दिनांक 24.11.2011 निधि–1 केअनुसार वा0सं0 13 द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर कन्हैया लाल को रु0 6370.00 भुगतान दिया जाना दर्शित है। 6 स्थानो पर मरम्मत कराया गया है, जिसका नाम कैशबुक में दर्शित है, किन्तु उक्त से पुष्टि पत्र नही लिया गया है। संलग्न वाउचर में यू0पी0एस0टी नम्बर एवं टीन नं0 दर्शित नही है। क्रमांक व दिनांक पर कट–पिट किया गया है। उक्त वाउचर में ही लेवर मजदूरी भी दर्शित है। स्पष्ट है कि उक्त वाउचर अवास्तविक फर्जी है। जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी है। अतः रु0 6370.00 की धनराशि दुरुपयोग किया गया है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	6370.00	0.00	6370.00

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
गोरखपुर

जनपद-महाराजगंज

ग्राम पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियाँ वर्ष 2011-12

प्रस्तर सं०	आपत्तियों का विवरण
1	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **धरमपुर** में निधि - I का कोई भी व्यय-प्रमाणक, नक्शा प्राक्कलन, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 583304=00 का अपहरण श्री सुग्रीव प्रसाद, प्रधान तथा श्री ऋषिराज पटेल, ग्रा० वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु रु० 291652=00 श्री सुग्रीव प्रसाद, प्रधान तथा रु० 291652=00 श्री ऋषिराज पटेल, ग्रा० वि० अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
2	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **धरमपुर** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी एवं अनुमोदित सूची प्रस्तुत न कर कोषबही में अंकित वितरण की धनराशि रु० 259920=00 का अपहरण श्री सुग्रीव प्रसाद, प्रधान तथा श्री ऋषिराज पटेल, ग्रा० वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु रु० 129960=00 श्री सुग्रीव प्रसाद, प्रधान तथा रु० 129960=00 श्री ऋषिराज पटेल, ग्रा० वि० अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
3	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **अमवा** में निधि - I कोई भी व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 354467=00 का अपहरण श्री लोरिक, प्रधान तथा श्री ऋषिराज पटेल, तत्कालीन ग्रा० वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु रु० 127233=50 श्री लोरिक, प्रधान तथा रु० 127233=50 श्री ऋषिराज पटेल, तत्कालीन ग्रा० वि० अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
4	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **अमवा** में छात्रवृत्ति के अभिलेख ले० प० में प्रस्तुत नहीं किये गये। सम्बंधित बैंक जिला सह० बैंक शाखा परतावल द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक लेजर के अनुसार दि० 1/12/11 को बैंक निकासी रु० 100140=00 के सापेक्ष रु० 87660=00 का वितरण कर शेष धनराशि रु० 12480=00 दि०5/12/11 को बैंक में प्रधान द्वारा वापस जमा किया गया है। वितरित धनराशि रु० 87660=00 का वितरण पंजी, अनुमोदित सूचि, कोषबही प्रस्तुत न कर श्री लोरिक, प्रधान तथा श्री ऋषिराज पटेल, तत्कालीन ग्रा० वि० अधि० द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु रु० 43830=00 श्री लोरिक, प्रधान तथा रु० 43830=00 श्री ऋषिराज पटेल, तत्कालीन ग्रा० वि० अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
5	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **पकड़ी दीक्षित** में ज० रो० यो० की कोषबही दि० 31/03/06 तक ही लिखी गई है, जिसके अनुसार वर्ष 05-06 में कुल रु० 75026=00 का व्यय हुआ है। कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का अपहरण दि० 01/04/05 से दि० 31/07/05 तक कार्यरत ग्रा०प०अधि० श्री घनश्याम पटेल दि० 31/07/05 से दि० 31/07/11 तक कार्यरत ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव, तथा तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु दि० 01/04/05 से दि० 31/07/05 तक व्यय धनराशि रु० 41582=00 का आधा भाग रु० 20791=00 ग्रा०प०अधि० श्री घनश्याम पटेल तथा आधा भाग रु० 20791=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। शेष धनराशि रु० 33444=00 का आधा रु० 16722=00 ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव, तथा आधा रु० 16722=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
6	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **पकड़ी दीक्षित** में ज० रो० यो० के वर्ष 06-07 से 07-08 तक के समस्त अभिलेख तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव द्वारा चार्ज में न देने के कारण ले० प० में प्रस्तुत नहीं किये गए। प्रस्तुत बैंक पास बुक के अनुसार वर्ष 06-07 में बैंक से निकासी रु० 72000=00 तथा वर्ष 07-08 में निकासी रु० 27197=00 एवं दि० 31/03/06 को नगद शेष रु० 193=00 कुल रु० 99390=00 का आधा भाग रु० 49695=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव तथा आधा भाग रु० 49695=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
7	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **पकड़ी दीक्षित** में वर्ष 05-06 से 09-10 तक छात्रवृत्ति के अभिलेख ले० प० में प्रस्तुत नहीं किये गए। परन्तु बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ऑफ़ अकाउंट के अनुसार उक्त वर्षों में कुल रु० 595847=00 की निकासी की गई है, जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु उक्त धनराशि रु० 595847=00 अपहरण की श्रेणी में आती है। वर्ष 05-06 में आहरित धनराशि रु० 29700=00 का आधा भाग रु० 14850=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री घनश्याम पटेल तथा आधा भाग रु० 14850=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है एवं शेष धनराशि रु० 566147=00 का आधा भाग रु० 283073=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव तथा आधा भाग रु० 283073=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

8	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **पकड़ी दीक्षित** में ग्रा० निधि-I वर्ष 10-11 में कोषबही एवं पासबुक के अनुसार आहरित धनराशि रु० 84090=00 वर्ष 08-09 में आहरित धनराशि रु० 178424=00 तथा वर्ष 09-10 में आहरित धनराशि रु० 205529=00 का कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले० प० में प्रस्तुत न कर कुल रु० 468043=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव तथा तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु रु० 468043=00 का आधा भाग रु० 234021=50 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव तथा आधा भाग रु० 234021=50 तत्कालीन प्रधान श्रीमती किरण देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
9	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **छपिया** में ग्रा० निधि- I में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर वर्ष 11-12 में व्यय धनराशि रु० 547474=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 273737=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा आधा भाग रु० 273737=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना से किया जाना अपेक्षित है।
10	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **छपिया** में बैंक से आहरित छात्रवृत्ति की धनराशि रु० 33300=00 के सापेक्ष रु० 19500=00 छात्रवृत्ति वितरित कर शेष धनराशि रु० 13800=00 बैंक में वापस जमा कर दिया गया है। वितरित धनराशि रु० 19500=00 की वितरण पंजी प्रस्तुत न कर अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 9750=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा आधा भाग रु० 9750=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना से किया जाना अपेक्षित है।
11	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **छपिया** में बैंक से छात्रवृत्त की धनराशि रु० 21300=00 आहरित कर कोषबही में रु० 207480=00 ही वितरित दर्शित है। अंतर की धनराशि रु० 5520=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 2760=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा आधा भाग रु० 2760=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना से किया जाना अपेक्षित है।
12	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **छपिया** में अनुसूचित छात्रों की वितरण पंजी पर कुमारी रीना पुत्री महेश के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाती की पंजी के क्रमांक 33 व 34 पर अंकित पुत्र जनार्दन दो बार लिखा है तथा क्रमांक 33 पर अदीप के हस्ताक्षर हैं। सूचि के आभाव में स्थिति स्पष्ट न हो सकी। अस्तु रु० 600=00 का आधा रु० 300=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार तथा आधा भाग रु० 300=00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती हसीना से किया जाना अपेक्षित है।
13	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **बडहरा बरईपार** में ग्रा० निधि- I के व्यय धनराशि रु० 1764010=00 का कोई भी व्यय प्रमाणक, नक्शा प्राक्कलन, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी स्वीकृति तथा तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट अदि ले० प० प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया है। दि० 01/04/11 से 31/12/11 तक व्यय की धनराशि रु० 1004407=00 का तत्कालीन आधा भाग रु० 502203=50 श्री शम्भू मिश्र तत्कालीन ग्रा०प०अधि० तथा आधा भाग रु० 502203=50 प्रधान श्री हेसामुद्दीन से वसूल किया जाना अपेक्षित है एवं दि० 01/01/12 से 31/03/12 तक व्यय धनराशि रु० 759603=00 का आधा भाग रु० 379801=50 ग्रा०प०अधि० श्री प्रद्युम्न प्रजापति तथा आधा भाग रु० 379801=50 प्रधान श्री हेसामुद्दीन से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
14	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **बडहरा बरईपार** में छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि रु० 531660=00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, अनुदान सूचि तथा वितरण पंजिका प्रस्तुत न कर प्रधान श्री हेसामुद्दीन तथा श्री शम्भू मिश्र तत्कालीन ग्रा०प०अधि० द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 265830=00 प्रधान श्री हेसामुद्दीन तथा आधा भाग रु० 265830=00 श्री शम्भू मिश्र तत्कालीन ग्रा०प०अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
15	विकास खंड परतावल के ग्रा० पंचायत **बडहरा बरईपार** में दि० 01/04/11 से 22/05/11 तक प्रा० रोकड़ शेष रु० 3060=00 तथा दि० 23/05/11 से 04/12/11 तक रोकड़ शेष के रूप में रु० 31040=00 प्रधान श्री हेसामुद्दीन द्वारा अपने पास रख कर दुरूपयोग किया गया है। अस्तु कुल धनराशि रु० 34100=00 पर 18% तवानी ब्याज रु० 3002=00 का आधा भाग रु० 1501=00 प्रधान श्री हेसामुद्दीन तथा आधा भाग रु० 1501=00 श्री शम्भू मिश्र तत्कालीन ग्रा०प०अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है। दि० 10/12/11 से 31/03/12 तक रोकड़ शेष के रूप में रु० 31540=00 प्रधान श्री हेसामुद्दीन द्वारा अपने पास रख कर दुरूपयोग किया गया है। अस्तु 18% तवानी ब्याज रु० 1726=00 का आधा भाग रु० 863=00 प्रधान श्री हेसामुद्दीन तथा आधा भाग रु० 863=00 श्री शम्भू मिश्र तत्कालीन ग्रा०प०अधि० से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

16	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **जगरनाथपुर** में ग्रा० निधि- I में दि० 30/07/11 रु० 5800=00 एवं दि० 15/09/11 को रु० 3000=00 कुल रु० 8800=00 हैण्ड पंप मरम्मत के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर प्रधान श्री दिलीप तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है । अस्तु आधा भाग रु० 4400=00 प्रधान श्री दिलीप तथा आधा भाग रु० 4400=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
17	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **जगरनाथपुर** में ग्रा० निधि- I में रु० 358750=00 सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान व्यय किया गया है। ले० प० में व्यय प्रमाणक तथा मस्टर रोल प्रस्तुत न कर प्रधान श्री दिलीप तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 179375=00 प्रधान श्री दिलीप तथा आधा भाग रु० 179375=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
18	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **जगरनाथपुर** में छात्रवृत्ति वितरण रु० 96660=00 की पुष्टि में वितरण पंजी तथा सूचि ले० प० में प्रस्तुत न कर प्रधान श्री दिलीप तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 48330=00 प्रधान श्री दिलीप तथा आधा भाग रु० 48330=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
19	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **निरनाम पूर्वी** में छात्रवृत्ति खाते में वर्ष 10-11 में रु० 15390=00 छात्रवृत्त वितरण न कर अन्य कार्यों पर व्यय कर ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्रीमती मीरा द्वारा संयुक्त रूप से दुरूपयोग किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 7695=00 ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा आधा भाग रु० 7695=00 प्रधान श्रीमती मीरा से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
20	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **निरनाम पूर्वी** में ग्रा० निधि- I में शौचालय मद में प्राप्त रु० 235000=00 में रु० 127100=00 बैंक से नगद आहरण कर वितरण दिखाया जा रहा है। ले० प० में वितरण सूचि तथा प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु० 127100=00 ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्रीमती मीरा द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 63550=00 ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा आधा भाग रु० 63550=00 प्रधान श्रीमती मीरा से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
21	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **अल्हदिया महदेवा** में मनरेगा में ले० प० में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावलियां, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, नक्शा एम०बी० आदि प्रस्तुत न कर रु० 666105=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा प्रधान श्रीमती शकुन्तला द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 333052=50 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 333052=50 प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
22	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **अल्हदिया महदेवा** में छात्रवृत्ति का दि० 01/04/11 से 31/11/11 तक का रोकड़ बही, वितरण पंजी ले० प० में प्रस्तुत न कर बैंक पासबुक के अनुसार आहरित धनराशि रु० 127580=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा प्रधान श्रीमती शकुन्तला द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 63790=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 63790=00 प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
23	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **फरेंदा बुजुर्ग** में मनरेगा में ले० प० में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावलियां, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, नक्शा एम०बी० आदि प्रस्तुत न कर रु० 966196=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्री सुकांत विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 483098=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 483098=00 प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
24	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **फरेंदा बुजुर्ग** में ग्रा० निधि- I व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, नक्शा, एम०बी० आदि प्रस्तुत न कर रु० 802273=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्री सुकांत विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 401136=50 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 401136=50 प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
25	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **फरेंदा बुजुर्ग** में छात्रवृत्ति में वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर वितरित धनराशि रु० 430890=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्री सुकांत विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 215445=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 215445=00 प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

26	विकास खंड फरैंदा के ग्रा० प० **परसा महंथ** में ग्रा० निधि- I में बैंक से आहरित धनराशि रु० 23300=00 का रोकड़ बही में अंकित न कर प्रधान श्रीमती मिथिलेश्वरी उपाध्याय तथा ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 11650=00 प्रधान श्रीमती मिथिलेश्वरी उपाध्याय तथा आधा भाग रु० 11650=00 ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
27	विकास खंड फरैंदा के ग्रा० प० **परसा महंथ** में ग्रा० निधि- I का व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 35000=00 प्रधान श्रीमती मिथिलेश्वरी उपाध्याय तथा ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 17500=00 प्रधान श्रीमती मिथिलेश्वरी उपाध्याय तथा आधा भाग रु० 17500=00 ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
28	विकास खंड फरैंदा के ग्रा० प० **परसा महंथ** में छात्रवृत्त वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 36300=00 प्रधान श्रीमती मिथिलेश्वरी उपाध्याय तथा ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 18150=00 प्रधान श्रीमती मिथिलेश्वरी उपाध्याय तथा आधा भाग रु० 18150=00 ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
29	विकास खंड फरैंदा के ग्रा० प० **उदितपुर** में मनरेगा का कोई भी व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावलियां, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, नक्शा एम०बी० आदि प्रस्तुत न कर रु० 1257188=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्रीमती संगीता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 628569=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 628569=00 प्रधान श्रीमती संगीता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
30	विकास खंड फरैंदा के ग्रा० प० **उदितपुर** में ग्रा० निधि- I व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, नक्शा, एम०बी० आदि प्रस्तुत न कर रु० 977294=00 का अपहरण तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण तथा प्रधान श्रीमती संगीता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 488647=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव तथा आधा भाग रु० 488647=00 प्रधान श्रीमती शकुन्तला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
31	विकास खंड फरैंदा के ग्रा० प० **उदितपुर** में छात्रवृत्त वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 298800=00 प्रधान श्रीमती संगीता तथा ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 149400=00 प्रधान श्रीमती संगीता तथा आधा भाग रु० 149400=00 ग्रा०प०अधि० श्री भागवत वरुण से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
32	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **धर्मौली** में मनरेगा में दोबारा मजदूरी भुगतान कर रु० 6600=00 का दुरूपयोग प्रधान श्री आत्मा सिंह तथा ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार द्वारा किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 3300=00 प्रधान श्री आत्मा सिंह तथा ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
33	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **धर्मौली** में मनरेगा में वृक्षारोपण कार्य का रु० 4500=00 का अधिक भुगतान मे० सोनू ट्रेडर्स को किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 2250=00 प्रधान श्री आत्मा सिंह तथा आधा भाग रु० 2250=00 ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
34	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **धर्मौली** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 206700=00 प्रधान तथा ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार प्रधान श्री आत्मा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु उक्त धनराशि का आधा भाग रु० 103350=00 प्रधान श्री आत्मा सिंह तथा आधा भाग रु० 103350=00 ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
35	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **धर्मौली** में समाज कल्याण विभाग को रु० 6000=00 वापसी का चालान ले० प० में प्रस्तुत नहीं किया गया। अस्तु आधा भाग रु० 3000=00 प्रधान श्री आत्मा सिंह तथा आधा भाग रु० 3000=00 ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
36	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **धर्मौली** में एम०डी०एम० में रु० 13140=00 का दोबारा भुगतान कर दुरूपयोग किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 6570=00 प्रधान श्री आत्मा सिंह तथा आधा भाग रु० 6570=00 ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

37	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **महदेवा बुजुर्ग** में ग्रा० निधि- I में दि० 06/09/11 को बैंक से आहरित धनराशि रु० 25000=00 का लेखा रोकड़ बही में न कर प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 12500=00 कर प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा आधा भाग रु० 12500=00 ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
38	विकास खंड फरेंदा के ग्रा० प० **महदेवा बुजुर्ग** में ग्रा० निधि- I का समस्त व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 202830=00 प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 101415=00 कर प्रधान श्री घनश्याम चौधरी तथा आधा भाग रु० 101415=00 ग्रा०प०अधि० श्री किशोर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
39	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **महम्मदा** में ग्रा० निधि- I का समस्त व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 589170=00 प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 294585=00 प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी तथा अस्तु आधा भाग रु० 294585=00 ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
40	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **महम्मदा** में छात्रवृत्ति का पासबुक के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। पासबुक के अनुसार वर्ष 11-12 में खाते से कुल रु० 77700=00 आहरित कर प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 38850=00 प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी तथा अस्तु आधा भाग रु० 38850=00 ग्रा०प०अधि० श्री पुनीत कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
41	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कोटवा** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी तथा सूची प्रस्तुत न कर रोकड़ बही में अंकित धनराशि रु० 108150=00 प्रधान श्रीमती वसंती देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री रामकिशोर द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 54075=00 प्रधान श्रीमती वसंती देवी तथा आधा भाग रु० 54075=00 ग्रा०प०अधि० श्री रामकिशोर से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
42	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कोटवा** में नरेगा के वर्ष 07-08 का कोई अभिलेख ले० प० में प्रस्तुत नहीं किया गया। पासबुक के अनुसार रु० 34700=00 का आहरण किया गया है, जो तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री माता दयाल दुबे तथा प्रधान श्रीमती श्रीमती वसंती देवी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 17350=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री माता दयाल दुबे तथा आधा भाग रु० 17350=00 प्रधान श्रीमती श्रीमती वसंती देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
43	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कोटवा** में वर्ष 09-10 में रोकड़ शेष रु० 70=00 से कम दर्शा कर प्रधान श्रीमती वसंती देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री रामकिशोर द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 35=00 प्रधान श्रीमती वसंती देवी तथा आधा भाग रु० 35=00 ग्रा०प०अधि० श्री रामकिशोर से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
44	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **पिपरा लाला** में ग्रा० निधि- I दि० 05/03/12 को रु० 2000=00 का stationary क्रय का प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर प्रधान श्रीमती अशर्फी देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री गिरिजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 1000=00 प्रधान श्रीमती अशर्फी देवी तथा आधा भाग रु० 1000=00 ग्रा०प०अधि० श्री गिरिजेश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
45	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **पिपरा लाला** में छात्रवृत्ति का रु० 300=00 वितरण पंजी में फर्जी वितरण दर्शा कर प्रधान श्रीमती अशर्फी देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री गिरिजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 150=00 प्रधान श्रीमती अशर्फी देवी तथा आधा भाग रु० 150=00 ग्रा०प०अधि० श्री गिरिजेश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
46	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **पिपरा लाला** में छात्रवृत्ति का रु० 480=00 वितरण पंजी में फर्जी वितरण दर्शा कर प्रधान श्रीमती अशर्फी देवी तथा ग्रा०प०अधि० श्री गिरिजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 240=00 प्रधान श्रीमती अशर्फी देवी तथा आधा भाग रु० 240=00 ग्रा०प०अधि० श्री गिरिजेश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
47	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कुडवा उर्फ़ मुडकटिया** में ग्रा० निधि- I का कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु० 531882=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किय गया है। अस्तु आधा भाग रु० 265941=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा आधा भाग रु० 265941=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

48	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कुडवा उर्फ़ मुडकटिया** में ग्रा० निधि- I में रोकड़ बही में रु० 4001=00 से रोकड़ शेष कम दर्शा कर प्रधान श्री अशोक पासवान तथा तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किय गया है I अस्तु आधा भाग रु० 2000=50 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा आधा भाग रु० 2000=50 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
49	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कुडवा उर्फ़ मुडकटिया** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर वितरित धनराशि रु० 301720=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किय गया है I अस्तु आधा भाग रु० 150860=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा आधा भाग रु० 150860=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
50	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कुडवा उर्फ़ मुडकटिया** में मनरेगा में खाद एवं पौधा ढुलाई का व्यय प्रमाणक रु० 1860=00 का प्रस्तुत कर रोकड़ बही में रु० 1880=00 दर्शित किया गया है I इस प्रकार व्यय रु० 20=00 अधिक किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 10=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा आधा भाग रु० 10=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
51	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कुडवा उर्फ़ मुडकटिया** में मनरेगा में खडंजा व नाली निर्माण की फोटोग्राफी तथा एम०आइ०एस० फीडिंग का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर क्रमशः रु० 300=00 तथा रु० 780=00 कुल रु० 1080=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किय गया है I अस्तु आधा भाग रु० 540=00 प्रधान श्री अशोक पासवान तथा आधा भाग रु० 540=00 तत्कालीन ग्रा०प०अधि० श्री शंकर यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
52	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कम्हरिया खुर्द** में मनरेगा में व्यय पत्रावली में प्रमाणक न होने के कारण व्यय धनराशि रु० 65032=00 प्रधान श्री बृजराज तथा ग्रा०वि०अधि० श्री सुनील कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 32516=00 प्रधान श्री बृजराज तथा आधा भाग रु० 32516=00 ग्रा०वि०अधि० श्री सुनील कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
53	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कम्हरिया खुर्द** में ग्रा० निधि के समस्त व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 324246=00 प्रधान श्री बृजराज तथा ग्रा०वि०अधि० श्री सुनील कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 162123=00 प्रधान श्री बृजराज तथा आधा भाग रु० 162123=00 ग्रा०वि०अधि० श्री सुनील कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
54	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **कम्हरिया खुर्द** में छात्रवृत्ति रोकड़ बही पर रु० 8100=00 की निकासी अंकित कर वितरण दर्शित है I प्रस्तुत वितरण पंजी के अनुसार रु० 7800=00 ही वितरित किया गया है I इस प्रकार रु० 300=00 फर्जी वितरण कर प्रधान श्री बृजराज तथा ग्रा०वि०अधि० श्री सुनील कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 150=00 प्रधान श्री बृजराज तथा आधा भाग रु० 150=00 ग्रा०वि०अधि० श्री सुनील कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
55	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **बसहिया खुर्द** एम०डी०एम० कास्ट रु० 27500=00 का भुगतान पूर्व प्रधानको किया गया है जिसके प्रमाण में कोई भी तथ्यपरक साक्ष्य ले० प० में प्रस्तुत न कर प्राचार्या श्रीमती वसीम बानो तथा प्रधान श्रीमती राजकुमारी देवी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 13750=00 प्राचार्या श्रीमती वसीम बानो तथा आधा भाग रु० 13750=00 प्रधान श्रीमती राजकुमारी देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
56	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **राम नगर** में ग्रा० निधि- I खाते से तथा मनरेगा खाते से सामग्रियां क्रमशः रु० 205410=00 तथा रु० 265021=00 कुल रु० 470431=00 का क्रय किया गया है I शासनादेश सं० 821-5.3 दि० 05/09/10 एवं वैट नियमावली 2008 की धारा 34(xiii) के अंतर्गत 4% रु० 18817=00 तथा आयकर अधि० 1961 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 2.24% I.T. रु० 10538=00 की कटौती कर राजकीय कोष में जमा न कर कुल रु० 29355=00 का दुरूपयोग किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 14677=50 प्रधान श्री कमलेश्वर दुबे तथा आधा भाग रु० 14677=50 ग्रा०प०अधि० श्री श्रीनिवास से किया जाना अपेक्षित है I
57	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **राम नगर** में ग्रा० विधि- I खाते से विभिन्न तिथियों में ट्राली से मिटटी ढुलाई पर रु० 114800=00 व्यय किया गया है, जो प्रथम खाते से अनुमन्य नहीं है I इस प्रकार ट्राली को माध्यम बना कर दुरूपयोग किया गया है I साथ ही साथ उक्त 287 ट्राली दर रु० 400=00 प्रति ट्रोल्ली पर रु० 10=00 प्रति घन मीटर की दर से रु० 5740=00 खनन विभाग को रोयल्टी जमा न कर राजस्व की क्षति की गई है I अस्तु आधा भाग रु० 2870=00 प्रधान श्री कमलेश्वर दुबे तथा आधा भाग रु० 2870=00 ग्रा०प०अधि० श्री श्रीनिवास से किया जाना अपेक्षित है I

58	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **हनुमानगढ़िया** में दि० 29/12/11 को रु० 110000=00 व्यक्तिगत शौचालय हेतु प्राप्त हुआ है तह दि० 31/03/12 को रु० 76682=00 खाते में वापस किया गया है। इस प्रकार रु० 33318=00 के प्रमाण में वितरण सूची प्रस्तुत न कर दुरूपयोग किय गया है। अस्तु आधा भाग रु० 16659=00 प्रधान श्रीमती गीता तथा आधा भाग रु० 16659=00 ग्रा०वि०अधि० श्री कौशलेन्द्र कुशवाहा से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
59	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **बरनहवा** में छात्रवृत्ति खाते में बैंक से निकासी दि० 08/12/11 को रु० 13800=00 तथा दि० 22/12/11 को रु० 26400=00 कुल रु० 40200=00 का अंकन रोकड़ बही में न कर प्रधान श्री राज कुमार तथा ग्रा०प०अधि० श्री राम किशोर वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 20100=00 प्रधान श्री राज कुमार तथा आधा भाग रु० 20100=00 ग्रा०प०अधि० श्री राम किशोर वर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
60	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **त्रिलोकपुर** में ग्रा० निधि-I में मजदूरी पर व्यय रु० 27400=00 का मस्टर रोल प्रस्तुत न कर प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 13700=00 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा आधा भाग रु० 13700=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
61	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **त्रिलोकपुर** में ग्रा० निधि-I में विभिन्न तिथियों में हैण्ड पंप मरम्मत का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर रु० 16710=00 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 8355=00 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा आधा भाग रु० 8355=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
62	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **त्रिलोकपुर** में ग्रा० निधि-I में व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर सामग्री क्रय में व्यय धनराशि रु० 348233=00 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 174116=50 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा आधा भाग रु० 174116=50 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
63	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **त्रिलोकपुर** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूचीं ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 25900=00 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 12950=00 प्रधान श्रीमती खुश्बुन्निशा तथा आधा भाग रु० 12950=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
64	विकास खंड सदर के ग्रा० प० **सवना** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 97380=00 प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी तथा ग्रा०वि०अधि० श्री रामचन्द्र प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 48690=00 प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी तथा आधा भाग रु० 48690=00 ग्रा०वि०अधि० श्री रामचन्द्र प्रसाद से वसूल किया जाना अपेक्षित है
65	विकास खंड बृजमनगंज के ग्रा० प० **महुआरी** ग्रा० निधि-I के खाता सं० 11622444734 में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रेषित पांचवी तथा छठी क़िस्त रु० 85121=00 एस०बी०आइ० शाखा प्रबंधक ने पोस्ट न कर दुसरे खाता सं० 11635408847 में पोस्ट कर दिया गया है जो शाखा प्रबंधक स्तर पर दुरुपयोगित रहा। जांच कर दायित्व का दायित्व का निर्धारण कर उक्त धनराशि रु० 85121=00 खाता सं० 11622444734 में जमा किया जाना अपेक्षित है।
66	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **मनिकापुर** में ग्रा० निधि-I में मजदूरी पर व्यय रु० 22200=00 का मस्टर रोल प्रस्तुत न कर प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 11100=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा आधा भाग रु० 11100=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
67	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **मनिकापुर** में ग्रा० निधि-I शौचालय वितरण की सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 77000=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रु० 38500=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा आधा भाग रु० 38500=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

68	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **मनिकापुर** में ग्रा० निधि- I में व्यय प्रमाणक ले० प० में प्रस्तुत न कर सामग्री क्रय में व्यय धनराशि रु० 405080=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 202540=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा आधा भाग रु० 202540=00 ग्रा०प०अधि० श्री संतोष कुमार गुप्ता से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
69	विकास खंड नौतनवा के ग्रा० प० **मनिकापुर** में छात्रवृत्ति वितरण पंजी तथा अनुमोदित सूची ले० प० में प्रस्तुत न कर रु० 51660=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा ग्रा०प०अधि०श्री संतोष कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 25830=00 प्रधान श्रीमती प्रतिभा तिवारी तथा आधा भाग रु० ग्रा०प०अधि०श्री संतोष कुमार गुप्ता 25830=00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
70	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **बेलवा बुजुर्ग** में मनरेगा में वर्ष 09-10 तथा 10-11 में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर क्रमशः रु० 479804=00 तथा रु० 216881=00 कुल रु० 696685=00 प्रधान श्री तकसीदुन तथा ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 348342=50 प्रधान श्री तकसीदुन तथा आधा भाग रु० 348342=50 ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है I
71	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **बेलवा बुजुर्ग** के वर्ष 09-10 के ग्रा० निधि-I का रोकड़ बही ले० प० में न प्रस्तुत कर बैंक पासबुक के अनुसार रु० 258615=00 की निकासी कर प्रधान श्री तकसीदुन तथा ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है I अस्तु आधा भाग रु० 129307=50 प्रधान श्री तकसीदुन तथा आधा भाग रु० 129307=50 ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
72	विकास खंड परतावल के ग्रा० प० **बेलवा बुजुर्ग** के वर्ष 09-10 के छात्रवृत्ति के अभिलेख ले० प० प्रस्तुत न कर बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खाते से रु० 97650=00 की निकासी की गई है I रोकड़ बही के अभाव में उक्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है I अस्तु आधा भाग रु० 48825=00 प्रधान श्री तकसीदुन तथा आधा भाग रु० 48825=00 ग्रा०प०अधि० श्री नन्दलाल यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
73	विकास खण्ड नौतनवा के ग्राम पंचायत धौरहरा में बैंक पास बुक के अनुसार रू0 41900.00 की पुष्टि में रोकड़ बही तथा वितरण पंजीका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर प्रधान श्री हरिराम तिवारी तथा प्रधानाचार्य श्री नन्द लाल साहनी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। अस्तु आधा भाग रू0 20950.00 प्रधान श्री हरिराम तिवारी तथा आधा भाग रू0 20950.00 प्रधानाचार्य श्री नन्दलाल साहनी से किया जाना अपेक्षित है।

जिले का नाम– देवरिया

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां–

नाम ग्राम पं0–करौदां विकासखण्ड– भाटपाररानी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–1 वर्ष 2010–11 मे मनरेगा के अंतर्गत कुल व्यय रू0 1201723 मे से श्रम अंश पर रू0 614200 (51.11%) एवं सामग्री पर रू0 587523 (48.89%) व्यय कर निर्धारित सीमा से सामग्री पर 8.89% अधिक व्यय किया गया। इस प्रकार सामग्री पर 106833 अधिक व्यय कर मनरेगा धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–2 वर्ष 2011–12 मे मनरेगा के अंतर्गत विध्यांचल मास्टर के खेत से पिच मार्ग तक मिट्टी कार्य पर व्यय 95040 किया गया है जिसकी एम बी रू0 80900 की है जो 14140 कम है इसी प्रकार राजकिशोंर के मशीन से ड्न तक मिट्टी कार्य पर व्यय मशीन से ड्न तक मिट्टी कार्य पर व्यय रू0 37440 किया गया जिसकी एम बी रू0 26900 की है जो 10540 कम है इस प्रकार दोनो प्रोजेक्ट पर एम बी के विरूद्व 24680 अधिक व्यय दर्शाकर मनरेगा धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–3 वर्ष 2009–10 मे निधि 1 खाते से दि0 30.12.09 को 35000 निकासी कर कैश बुक मे रू0 25000 दर्ज किया गया , दिनांक 10.1.10 को 25000 निकासी कर कैशबुक मे 24000 दर्ज किया गया एवं 11.1.10 को 25000 की निकासी को भी कैशबुक मे 24000 दर्ज कर कुल रू0 12000 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम अपहरण ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामविलास प्रसाद द्वारा किया गया।वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–4 दिनांक 6.1.10 एवं 10.1.10 को 10000 ईट क्रय क्रमश रू0 35000 एवं 35000 मे की गयी है जबकि उक्त अवधि मे क्रय दर रू0 3400 प्रति हजार है । इस प्रकार अधिक दर पर क्रय दर्शाकर रू0 2000 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामविलास प्रसाद द्वारा किय गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–5 दिनांक 18.6.10 को 55000 का व्यय पाण्डेय ट्रेडर्स आजमगढ़ से 24 हयूमपाइप क्रय पर गया इन हयूम पाइपो का उपयोग कहां हुआ से संबंधित प्रोजेक्ट का इस्टीमेट,एम बी तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा अतः व्यय अवास्तविक रहा अवास्तविक व्यय दर्शा कर रू0 55000 का अपहरणग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

दौरान किसी भी विद्यालय में छात्रवृति का वितरण नही किया गया है।दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृति खाते में रू0 126235.00 अवशेष दर्शित है।इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान छात्रवृति वितरण न करके ग्राम प्रंधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजकीय कार्योके प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गयी है।जो अनियमित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	126235.00	126235.00

ग्राम पंचायत– उंचेर विकास खण्ड – कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 16–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में छात्रवृति खाते की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 01.04.2011 को छात्रवृति खाते में रू0 51294.00 अवशेष दर्शित है।वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत में रू0 68460.00 छात्रवृति खातें में प्राप्त दर्शित है।जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान किसी भी विधालय में छात्रवृति का वितरण नही किया गया है।दिनांक 31.03.2012 को छात्रवृति खाते में रू0 73589.00 अवशेष दर्शित है।इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान छात्रवृति वितरण न करके ग्राम प्रंधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा राजकीय कार्योके प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गयी है।जो अनियमित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	0.00	73589.00	73589.00

ग्राम पंचायत– समदार बुजुर्ग विकास खण्ड – भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 17–ग्राम निधि के कैशबुक के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 05.11.2011 को ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी को माह 04/11 से 09/11 तक कुल 06 माह का मानदेय रू0 4800.00 भुगतान किया गया है।जबकि मानदेय 06 माह का रू0 3600.00 दिया जाना चाहिये।अस्तु रू0 1200.00 का अधिक भुगतान किया गया है।इसकी वसूली श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री राजनाथ दूबे से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1200.00	0.00	0.00	1200.00

प्रस्तर सं0 18–दिनांक 07.10.2011 को ग्राम निधि खाते से रू0 3000.00 की निकासी बैंक खाते से किया गया है परन्तु उक्त धनराशि कोषबही में न दर्शित कर अपहरण किया गया है। है।इसकी वसूली श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री राजनाथ दूबे से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
3000.00	0.00	0.00	3000.00

ग्राम पंचायत– नवीपुर विकास खण्ड – भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 19–लेखा परीक्षा वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार मनरेगा के बैंक खाते से धनराशि आहरित की गयी है परन्तु आहरित धनराशि से सम्बन्धित कोषबही एंव व्यय सम्बन्धी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

क्रमांक	दिनांक	चेकसं0	धनराशि
1–	30.04.2011	767756	22000.00
2–	26.05.2011	767757	10000.00

अस्तु रू0 32000.00 कोषबही के अभाव में व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।अतःइसकी वसूली श्रीमती चन्द किशोरी ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री आशिक अली से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
32000.00	0.00	0.00	32000.00

प्रस्तर सं0 20–लेखा परीक्षा दौरान ग्राम निधि खाते की कोषबही माह 04/11 ,05/11 एंव 06/11 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही रहा जबकि बैंक पासबुक के अनुसार रू0 166716.00 की निकासी गयी है।परन्तु कोषबही एंव बाउचर्स के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी।अतःइसकी वसूली श्रीमती चन्द किशोरी ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सचिव श्री आशिक अली से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
166716.00	00.00	00.00	166716.00

ग्राम पंचायत– समस्तपुर मुडिला विकास खण्ड – भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 21–वर्ष 2011–12 में छात्रवृति वितरण हेतु बैक से रू0 133700.00 की निकासी की गयी है।परन्तु निकासी के सापेक्ष रू0 88800.00 का ही छात्रवृति वितरण किया गया है एंव रू0 6900.00 दिनांक 31.03.2012 को प्रधान के पास नगद अवशेष कोषबही में दर्शित है।अस्तु रू0 38000.00 का आय व व्यय में अन्तर है।जिसका अपहरण कर लिया गया है।जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एंव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से बराबर किया जाना अपेक्षित रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
38000.00	0.00	00.00	38000.00

ग्राम पंचायत– खिरिया विकास खण्ड – भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 22–ग्राम निधि खाते की कोषबही 01.07.2011 से 31.07.2012 तक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा जबकि बैंक पास बुक के अनुसार माह मई 2011 व माह जून 2011 में रू0 124524.00 की निकासी की गयी है।उपरोक्त धन से सम्बनिधत कोषबही एंव व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा जिससे व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।अस्तु उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है।अतः इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जयहिन्द एंव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आशिक अली से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
124524.00	0.00	00.00	124524.00

ग्राम पंचायत– लक्ष्मीपुर विकास खण्ड – ब्रहमपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर **सं0 23**–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2011 को रू0 92913.00 छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष दर्शित है।वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत में कुल रू0 172829.00 छात्रवृति की धनराशि प्राप्त हुई है।जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान किसी भी विधालय में छात्रो को छात्रवृति का वितरण नही किया गया है।इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2012 को रू0 265742.00 छात्रवृति की धनराशि अवशेष है, जिसे वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागो को वापस नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	265742.00	265742.00

ग्राम पंचायत–सेमरा देवी प्रसाद विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 24–लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित अभिलेखो के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 55250.00 के सापेक्ष परिवर्तन लागत एंव रसोइया मानदेय हेतु रू0 105805.00 व्यय किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस योजना के अर्न्तगत बैंक खाते से निकासी के सापेक्ष रू0 50555.00 अधिक व्यय किया जाना दर्शित किया जा रहा है।निकासी से अधिक व्यय की गयी धनराशि का कोई लेखा विधालय स्तर पर नही रखा गया है और ना ही प्रधान से किसी प्रकार का अमानत आदि प्राप्त किया गया है जबकि बैकं खातें में रू0 59781.00 अवशेष दर्षित है।जिससे सम्पूर्ण व्यय ही अवास्तविक व संदिग्ध प्रतीत होता है।विभागीय जांच व कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	105805.00	105805.00

ग्राम पंचायत– बेलवार विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 25–लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक 01.04.2011 को रू0 766489.00 छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष दर्शित है।वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत में कुल रू0 367740.00 छात्रवृति की धनराशि प्राप्त हुई है।जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान विधालय में छात्रो को छात्रवृति कुल रू0 576600.00 का वितरण नही किया गया है।इस प्रकार वर्षान्त में दिनांक 31.03.2012 को रू0 557629.00 छात्रवृति की धनराशि अवशेष है, जिसे वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागो को वापस नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	557629.00	557629.00

ग्राम पंचायत– जंगल सिकरी विकास खण्ड – खोराबार जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं0 26–लेखा परीक्षा वर्ष अभिलेखो के परीक्षण से यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष के दौरान एम0डी0एम0 खाते से कुल रू0 40733.00 की निकासी की गयी है जिसके सापेक्ष परिवर्तन लागत व्यय रू0 23503.00 रहा (5428 / 4.33) ,रसोइया मानदेय भुगतान रू0 22000.00 (2 रसोईयों का 11 माह का / 1000.00) तथा किचन उपकरण मद में रू0 5000.00 का व्यय दर्शित किया जा रहा है।जो कुल रू0 50503.00 रहा।इस प्रकार वर्ष के दौरान कुल निकासी रू0 40733.00 के सापेक्ष रू0 50503.00 का व्यय किया गया है।जो कुल निकासी से रू0 9770.00 अधिक रहा।इस प्रकार बिना निकासी व बिना अमानत प्राप्त किये आय से अधिक व्यय किया जाना लेखा की दृष्टि से अनियमित एंव अव्यवहारिक रहा।विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	00.00	50503.00	50503.00

प्रस्तर संख्या–6 वर्ष 2009–10 एम डी एम के अन्तर्गत मार्च 2009 से फरवरी 2010 तक कनवर्जन कास्ट पर 62906 रू0 व्यय किया गया जबकि कनवर्जन कास्ट 49656.50 किया जाना चाहिए इस प्रकार रू0 13249.50 का अधिक व्यय दर्शाकर एम डी एम धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामविलास प्रसाद द्वारा किया गया।

प्रस्तर संख्या–7 दिनांक 31.3.10 को एम डी एम कैशबुक के अनुसार अवशेष रोकड़ 12314 आता है जिसे 1.4.10 को प्रारंभिक शेष रोकड़ शून्य कर दिया गया है । इस प्रकार रू0 12314 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामविलास प्रसाद द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
119243.50	106833.00	0.00	226076.50

नाम ग्राम पं0–लाखोपार विकासखण्ड– भाटपाररानी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–8 वर्ष 2011–12 मे मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 7.4.11 को 12000 ईट , दिनांक 26.5.11 को 10000 ईट एवं दिनांक 27.7.11 को 4000 ईट क्रय की गयी है कय से पूर्व कोटेशन नही मंगाया गया है उक्त क्रय ईट 26000 का उपयोग आलोच्य वर्ष मे कहां किया गया अज्ञात रहा उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय का इस्टीमेट एम बी अप्राप्त रहा । इस प्रकार 26000 ईट रू0 88400 मे क्रय दर्शाकर मनरेगा धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–9 दिनांक 7.5.11 को 11800 का भुगतान श्री आसनारायन पुत्र श्री भोला के खेत गाटा संख्या 241 के समतलीकरण मद मे दर्शाया गया है जबकि उक्त कार्य की एम बी रू0 11300 की है इस प्रकार रू0 500 अधिक व्यय दर्शाकर मनरेगा धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायतविकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–10 दिनांक 25.7.11 को रू0 18785 का भुगतान निधि 1 के ग्रामीण बैंक खाते से पूर्व वर्ष 2010–11 मे ईट क्रय मद मे किया जाना दर्शित है उल्लेखनीय है कि वर्ष 10–11 के अंत मे ग्रामीण बैंक खाते मे अवशेष रू0 149648 था बैक खाते मे अवशेष रहते, पूर्व वर्ष का अवशेष भुगतान जुलाई 11 मे किया जाना संदिग्ध है इस प्रकार अवास्तविक व्यय दर्शाकर रू0 18785 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–11 दिनांक 5.12.11 को ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान माह जून 2010 से दिसम्बर 10 तक का रू0 4900 किया जाना दर्शित है वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा नवंबर 10 मे कार्यभार ग्रहण किया गया है अतः जून 10 से अक्टूबर 10 तक का मानदेय भुगतान वर्तमान ग्राम प्रधान को किया जाना संदिग्ध है अतः अवास्तविक मानदेय भुगतान दर्शाकर रू0 3500 दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–12 वर्ष 11–12 मे मनरेगा मस्टर रोलो पर श्रमिक के हस्ताक्षर नही है तथा कुछ मजदूरों को किये गये कार्य से अधिक भुगतान तथा कुछ को बिना कार्य के मजदूरी भुगतान दर्शाकर रू0 2880 को दुरूपयोग ग्रामप्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया। साजिद अली द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–13 दिनांक 25.4.11 को मिडिल स्कूल लाखोपार मे रू0 6600 एवं जू0 हा0 स्कूल लाखोपार मे रू0 6200 का छात्रवृत्ति वितरण दर्शित है पुष्टि मे वितरण रजिस्टर अनुपलब्ध रहा । अतः अवास्तविक छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर रू0 12800 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया।

प्रस्तर सं0–14 दिनांक 25.4.11 को छात्रवृत्ति खाते से रू0 21000 की निकासी गयी है वितरण रजिस्टर से प्राथमिक पाठशाला लाखोपार के 55 छात्रो रू0 275 प्रति छात्र की दर से एवं 5 छात्रो को 300 की दर से कुल रू0 17100 के वितरण की पुष्टि होती है लेकिन वितरण 21000 दर्शाकर रू0 3900 काअपहरण ग्रामप्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री साजिद अली द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
35985.00	94780.00	0.00	130765.00

नाम ग्राम पं0–सरयां विकासखण्ड– भाटपाररानी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–15 एम डी एम के बैंक खाते से वर्ष 09–10 मे विभिन्न तिथियों मे की गयी निकासी 110925.00 के विरूद्व कैशबुक मे केवल 47125.00 अंकित किया गया तथा वर्ष 2010–11 मे रू0 25000 की निकासी को कैशबुक मे न दर्शाकर कुल 88100 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री देवधारी प्रसाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक मिश्र संयुक्त रूप से जिम्मेदार है । वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–16 एम डी एम कैशबुक के अनुसार माह जुलाई 10 के अंत मे शेष रोकड़ रू0 919 आता है जिसे 918 ही दर्शाया गया है इस प्रकार 1 रू0 कम रोकड़ दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री देवधारी प्रसाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अशोक मिश्र संयुक्त रूप से जिम्मेदार है । वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–17 दिनांक 22.9.08 को प्रा0 विद्यालय मठिया टोला के अनुसूचित जाति के 58 छात्रों को 300 रू0 प्रति छात्र की दर से रू0 17400 का वितरण कैशबुक मे दर्शित है प्रेषित छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर मे 39 छात्रों द्वारा ही प्राप्ति पर हस्ताक्षर किया गया है शेष 19 छात्रों के हस्ताक्षर वितरण रजिस्टर पर नही है अतः स्पष्ट है कि वितरण अवास्तविक दर्शाकर रू0 300 X 19= 5700 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री देवधारी प्रसाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री धर्मदेव यादव द्वारा किया गया है , वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
93801.00	0.00	0.00	93801.00

नाम ग्राम पं0–कुइयां विकासखण्ड– भलुअनी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–18 वर्ष 10–11 एवं 11–12 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि दि0 7.12.10 से 19.4.11 तक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बेनी माधव तिवारी के कार्यकाल मे 84824 ईंट क्रय की गयी जिसमे से 80235 ईंट का उपयोग किया गया उपभोग के बाद 4589 ईंट बची रही जिसके उपयोग का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया । स्पष्ट है कि 4589X3.4=15602.60 का दुरूपयोग ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बेनी माधव तिवारी एवं ग्राम प्रधान श्री महेश्वर पाण्डेय द्वारा किया गया । इसी प्रकार श्रीमती धर्मावती यादव के कार्यकाल मे क्रय ईटो की संख्या 62522 है जिसका उपयोग 31 मार्च 12 तक नही हुआ है स्पष्ट है कि ईट क्रय की धनराशि 62522X3-4=212574.8 कुल रू0 228177.40 का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री महेश्वर पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती धर्मावती यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–19 वर्ष 2011–12 मे मनरेगा के अंतर्गत देवरिया बेलडाड़ मार्ग से रामप्रीत के खेत होतें हुए रामनरेश के घर तक मिट्टी /खडंजा कार्य पर व्यय रू0 23100 किया गया है जिसकी एम बी रू0 22557 की है जो 543 कम है इसी प्रकार प्रा0 पा0 प्रांगण मे मिट्टी भराई पर व्यय रू0 50400 किया गया जिसकी एम बी रू0 49802 की किया गया जिसकी एम बी रू0 49802 की है जो 598 कम है इस प्रकार दोनो प्रोजेक्ट पर एम बी के विरूद्व रू0

1141 अधिक व्यय दर्शाकर मनरेगा धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री महेश्वर पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती धर्मावती यादव द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	229318.40	0.00	229318.40

नाम ग्राम पं0– विलासपुर विकासखण्ड– भलुअनी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–20 वर्ष 09–10 एवं 10–11 मे एम डी एम योजना के अंतर्गत प्रा0वि विलासपुर एवं प्रा0 वि0 बंजरिया झंगटौर के छात्रों को अभिलेखों के अनुसार अप्रैल 2009 से अक्टूबर 10 तक भोजन करने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार रू0 45702 का व्यय न दर्शाकर रू0 83130 व्यय दर्शाया गया है जो एम डी एम पर प्रति छात्र निर्धारित कनवर्जन दर से रू0 37428 अधिक है । निर्धारित दर से अधिक व्यय दर्शाकर एम डी एम धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–21 एम डी एम खाते की जांच मे पाया गया कि योजना के सोनाड़ी सेन्ट्ल बैंक स्थिति शाखा के खाता सं0 8422 से दिनांक 31.1.11 को रू0 25000 की निकासी कर प्रा0वि विलासपुर एवं प्रा0 वि0 बंजरिया झंगटौर के छात्रों को माह नवंबर 10 दिसंबर 10 एवं जनवरी 11 के एम डी एम कनवर्जन पर व्यय दर्शाया गया है शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग –4 –1233/7976–10 दिनांक 12 नवंबर 10 के द्वारा पूर्व की व्यवस्था बंद कर नये खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है उल्लेखनीय है कि विद्यालय के एम डी एम की आडिट मे दिसंबर 10 एवं जनवरी 11 का एम डी एम व्यय वर्ष 11–12 मे विद्यालय के प्राधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा दर्शाया गया है एवं माह नवंबर 10 मे भोजन न बनाया जाना अंकित है । ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा तैयार एम डी एम अभिलेख के साथ माह नवंबर 10 दिसंबर 10 एवं जनवरी 11 के व्यय प्रमाणक जो प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त हो संलग्न नही है । अतः स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शाकर रू0 25000 एमडीएम धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामसिंगार यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
62428.00	0.00	0.00	62428.00

नाम ग्राम पं0– महुई संग्राम विकासखण्ड– भलुअनी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–22 वर्ष 09–10 मे एम डी एम योजना के अंतर्गत प्रा0वि महुई संग्राम के छात्रों को अभिलेखों के अनुसार अप्रैल 2009 से दिसंबर 09 तक भोजन करने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार रू0 24081 का व्यय न दर्शाकर रू0 29028 व्यय दर्शाया गया है जो एम डी एम पर प्रति छात्र निर्धारित कनवर्जन दर से रू0 4947 अधिक है । निर्धारित दर से अधिक व्यय दर्शाकर एम डी एम धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री मन्नू मिश्र एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–23 दिनांक 27.11.10 को एवं 16.12.10 को रू0 10000 की निकासी एम डी एम बैंक खाते से की गयी है लेंकिन इसकी प्रविष्टि कैशबुक मे अंकित नही है बैक खाते से की गयी निकासी का उपयोग कहां किया गया अज्ञात रहा । अतः स्पष्ट है कि धन अपहरित रहा अतः रू0 20000 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिलोचना देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–24 मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2011–12 मे कुल व्यय रू0 694249.00 में रू0 339020.00 (48.83%) श्रम अंश पर एवं रू0 355229 (51.17%) सामग्री पर व्यय किया गया है जबकि मनरेगा गाइड लाइन के अनुसार श्रम एवं सामग्री पर व्यय का अनुपात 60:40 होना चाहिए अतः स्पष्ट है कि सामग्री मद मे 11.17% अधिक व्यय कर गंभीर अनियमितितता की गयी है अतः कुल व्यय रू0 694249 का 11.17% अर्थात रू0 77548 के अनियमित व्यय के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
20000.00	4947.00	77548.00	102495.00

नाम ग्राम पं0– शेरवा बभनौली विकासखण्ड– भलुअनी जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–25 वर्ष 09–10 एवं 10–11 मे एम डी एम योजना के अंतर्गत प्रा0वि शेरवा बभनौली एवं पूर्व मा0 वि0 शेरवा बभनौली के छात्रों को अभिलेखों के अनुसार अप्रैल 2009 से अगस्त 10 आंशिकद्ध तक भोजन करने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार रू0 68530 का व्यय न दर्शाकर रू0 79628 व्यय दर्शाया गया है जो एम डी एम पर प्रति छात्र निर्धारित कनवर्जन दर से रू0 11098 अधिक है । निर्धारित दर से अधिक व्यय दर्शाकर एम डी एम धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री दिनेश यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामप्रकाश

सिंह द्वारा किया गया। वसूली अपेक्षित है। इसी प्रकार अगस्त 10 ;आंशिकद्ध से अक्टूबर 10 तक रू0 12451 की जगह 13740 कनवर्जन कास्ट दर्शित है जो रू0 1289 अधिक है तथा शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग –4 –1233/7976–10 दिनांक 12 नवंबर 10 के द्वारा पूर्व की व्यवस्था बंद कर नये खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारण के बावजूद भी नव्रबर 10 से मार्च 11 तक रू0 46999का कनवर्जन व्यय दर्शाया गया है । उल्लेखनीय है कि नवंबर 10 से विद्यालय के ग्राम प्रधान एवं प्राधानाध्यापको द्वारा एम डी का भोजन कराये जाने से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किया गया अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर एम डी एमपर व्यय एवं वर्तमान मे व्यवस्था के बदलाव के बाद भी खाते से निकासी एवं एम डी एम पर व्यय दर्शाकर रू0 1289+46999त्र 48288 का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत यादव एवं ग्राम पंचायत विकासअधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह द्वारा किया गया, वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
0.00	59386.00	0.00	59386.00

नाम ग्राम पं0– बलटिकरा विकासखण्ड– बैतालपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–26 वर्ष 11–12 मे मनरेगा सामग्री खाते से दिनांक 11.4.11 को रू 28800 की निकासी स्थानांतरण द्वारा की गयी है जिसकी प्रविष्टि कैशबुक मे नही की गयी है न ही व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया स्पष्ट है कि मनरेगा धन अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती वृन्दा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामदयाल द्वारा किया गया है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–27 वर्ष 11–12 मे निधि 1 कोषबही के अनुसार 27.4.11 से 31.3.12 तक विभिन्न तिथियों मे इण्डिया मार्का हैण्डपंप मरम्मत पर रू0 31400 व्यय किया गया है उक्त व्यय से संबंधित प्रस्ताव ,स्वीकृत आदेश क्रय सामग्री की स्टाक पंजिका मे प्रविष्टि नही की गयी है तथा प्रमाणक सादे कागज पर बनाये गये हैं उक्त हैण्डपंप कहां कहां मरम्मत हुआ है इसका विवरण अंकित नही है अतः दर्शित व्यय की धनराशि दुरूपयोगित रही जिसमे रू0 16150 के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती वृन्दा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामदयाल ,रू0 1000 के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती वृन्दा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दीनानाथ प्रजापति एवं रू0 14250 के दुरूपयोग के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती वृन्दा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामनाथ जिम्मेदार है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–28 वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा मे छात्रवृत्ति खाते की जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि 29.12.11 को छात्रवृत्ति वितरण के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 7560 को बैंक जमा न कर अनियमित ढंग से वर्षान्त तक रोककर रखा गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती वृन्दा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामनाथ उत्तरदायी है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
28800.00	31400.00	7560.00	67760.00

नाम ग्राम पं0– बभनौली विकासखण्ड– लार जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–29 ग्राम पंचायत के वर्ष 11–12 के दिनांक 1.4.11 से 30.6.11 तक के निधि 1 ,मनरेगा एवं छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये । ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीनदयाल द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सी0पी0 दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त अवधि के अभिलेख चार्ज मे नही दिये जाने के कारण दिये गये इसे लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया । उक्त अवधि मे की गयी बैंक खाते से निकासी का विवरण निम्नवत है–

दशम वित्त/राज्य वित्त	– इलाहाबाद बैंक –निकासी –	120000.00
दशम वित्त/राज्य वित्त	– पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –	31000.00
मनरेगा –	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक बैंक –निकासी –	204320.00
छात्रवृत्ति	– पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –	9675.00
	योग	364995.00

इस प्रकार रू0 364995.00 रू0 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उमेश तिवारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सी0 पी0 दूबे उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
364995.00	0.00	0.00	364995.00

नाम ग्राम पं0– करमुआ विकासखण्ड– लार जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–30 ग्राम पंचायत के वर्ष 11–12 के दिनांक 1.4.11 से 30.6.11 तक के निधि 1 ,मनरेगा एवं छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये । ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीनदयाल द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सी0पी0 दूबे ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त अवधि के अभिलेख चार्ज मे नही दिये जाने के कारण दिये गये इसे लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया । उक्त अवधि मे की गयी बैंक खाते से निकासी का विवरण निम्नवत है–

दशम वित्त/राज्य वित्त – इलाहाबाद बैंक –निकासी –		17000.00
दशम वित्त/राज्य वित्त – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –		5000.00
मनरेगा –	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक बैंक –निकासी –	119000.00
छात्रवृत्ति	– पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –	22440.00
	योग	263440.00

इस प्रकार रू0 263440.00 रू0 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री गुलाब साहनी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सी0 पी0 दूबे उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
263440.00	0.00	0.00	263440.00

नाम ग्राम पं0– रावतपार रघेन विकासखण्ड– लार जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–31 ग्राम पंचायत के वर्ष 11–12 के दिनांक 1.4.11 से 30.6.11 तक के निधि 1 ,मनरेगा एवं छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये । ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीनदयाल द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सिराजुल अहमद द्वाराग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त अवधि के अभिलेख चार्ज मे नही दिये जाने के कारण दिये गये इसे लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया । उक्त अवधि मे की गयी बैंक खाते से निकासी का विवरण निम्नवत है–

दशम वित्त/राज्य वित्त – इलाहाबाद बैंक –निकासी –		202400.00
दशम वित्त/राज्य वित्त – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –		पासबुक अप्रस्तुत
मनरेगा –	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक बैंक –निकासी –	112800.00
छात्रवृत्ति	– पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –	पासबुक अप्रस्तुत
	योग	**315200.00**

इस प्रकार रू0 315200.00 रू0 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सिराजुल अहमद उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
315200.00	0.00	0.00	315200.00

नाम ग्राम पं0– बलिया उत्तर विकासखण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–32 ग्राम पंचायत के वर्ष 09–10 से 11–12 के निधि 1 एवं छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये। उक्त अवधि मे की गयी बैंक खाते से निकासी का विवरण निम्नवत है– (दिनांक 1.4.09 से दिनांक 31.10.09 तक का स्टेटमेंट,पूर्वांचल ग्रामीण बैंक निधि 1 एवं छात्रवृत्ति पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के दिनांक 1.4.09 से 31.10.09 तक का स्टेटमेंट अप्राप्त)

निधि 1 – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी – 1.11.09 से 31.7.10 तक	238700.00
छात्रवृत्ति – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –1.11.09 से 31.7.10 तक	2725.00
योग	**241425.00**

इस प्रकार रू0 241425.00 रू0 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए जिसके लिए पूर्व ग्राम प्रधान श्री पारसनाथ पाण्डेय एवं पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अक्षयवरनाथ तिवारी उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
241425.00	0.00	0.00	241425.00

नाम ग्राम पं0– बलिया दक्षिण विकासखण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर सं0–33 ग्राम पंचायत के वर्ष 09–10 से 11–12 के निधि 1 ,एम डी एम एवं छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये। उक्त अवधि मे की गयी बैंक खाते से निकासी का विवरण निम्नवत है–(दिनांक 1.4.09 से दिनांक 30.9.09 तक का स्टेटमेंट,पूर्वांचल ग्रामीण बैंक निधि 1 एवं छात्रवृत्ति पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के दिनांक 1.4.09 से 31.08.09 तक का स्टेटमेंट अप्राप्त)

वर्ष 09–10

निधि 1 – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी – 1.10.09 से 31.7.10 तक	272000.00
छात्रवृत्ति – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –1.09.09 से 31.7.10 तक	57645.00
एम डी एम – खाता सं0 10541 –निकासी –1.09.09 से 31.7.10 तक	24800.00
योग	**354445.00**

इस प्रकार रू0 354445.00 रू0 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामचीज पासवान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अक्षयवरनाथ तिवारी उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–34 वर्ष 10–11 एवं 11–12 मे निम्नानुसार की गयी निकासी से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे–

निधि 1 – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी – 15.12.10 से 18.3.11 तक		51500.00
मनरेगा प्रथम –	–निकासी –8.1.11 से 8.8.11 तक	291120.00
मनरेगा द्वितीय –	–निकासी –25.1.11 से 11.8.11 तक	260535.00
	योग	**603155.00**

दिनांक 31.3.11 को छात्रवृत्ति कैशबुक के अनुसार प्रधान के पास नगद रोकड अवशेष रू0 3900 था जिसे 1.4.11 को कैशबुक मे शून्य दर्शाकर रू0 3900 का अपहरण किया गया है।

इस प्रकार रू0 603155 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है । छात्रवृत्ति खाते के अवशेष रोकड़ 3900 सहित कुल रू0 607055 अपहरित रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री नवनाथ एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अक्षयवरनाथ तिवारी उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–35 वर्ष 11–12 की दशम/राज्य वित्त की कैशबुक के अनुसार माह फरवरी 2012 मे ब्याज से आय 7049 को व्यय पक्ष मे जमा के रूप मे नही दर्शाया गया है फ़लस्वरूप 7049 रू0 से कैशबुक मे अवास्तविक व्यय दर्शाकर वित्तीय अनियमितता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री नवनाथ द्वारा की गयी है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
961500.00	7049.00	0.00	968549.00

नाम ग्राम पंचायत नेनुआ विकासखण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–36 ग्राम पंचायत के वर्ष 09–10 से 11–12 की लेखा परीक्षा मे निधि 1 से निम्न निकासी से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये। विवरण निम्नवत है–

वर्ष 09–10

निधि 1 – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी – 2.4.09 से .7.9.10 तक 340600.00

इस प्रकार रू0 340600.00 रू0 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजीत यादव एवं पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामअवतार उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–37 वर्ष 10–11 मे मनरेगा खाते से निम्नानुसार निकासी की गयी है

मनरेगा – निकासी –13.8.10 से 6.9.11 तक 184978.00

उक्त निकासी को कैशबुक मे नही दर्शाया गया है तथा निकासी से सबंधित व्यय की प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहे । बैंक से धन की निकासी कर एवं संबंधित अभिलेख तैयार न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजीत यादव एवं पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामअवतार उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–38 एम डी एम की कैशबुक एवं बैक पासबुक के अनुसार दिनांक 6.11.09 को रू0 13000 की निकासी को कैशबुक मे न दर्शाकर अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजीत यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामअवतार द्वारा किया गया है वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–39 दिनांक 30.11.10 को रोकड़ अवशेष 24743.00 को नये प्रधान को चार्ज मे न देकर रू0 24743 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजीत यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामअवतार द्वारा किया गया है वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
563321.00	0.00	0.00	563321.00

नाम ग्राम पंचायत पिपरामिश्र विकासखण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–40 वर्ष 11–12 मे पूर्वांचल ग्रामीण बैक ,राज्य वित्तद्ध खाते से दिनांक 19.9.11 को रू0 10000.00 की निकासी की गयी कैशबुक मे न दर्शाकर अपहरण किया गया है अतः रू0 10000 वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही श्रीमती पुष्पा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री त्रिलोकीनाथ शाह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
10000	0.00	0.00	10000

नाम ग्राम पंचायत –कुण्डावलहरी विकासखण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–41 वर्ष 11–12 मे पूर्वांचल ग्रामीण बैक (राज्य वित्त) खाते से दिनांक 19.3.12 को रू0 6650.00 की निकासी की गयी कैशबुक मे न दर्शाकर अपहरण किया गया है अतः रू0 6650 वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही श्री धरीझड़ प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री त्रिलोकीनाथ शाह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
6650	0.00	0.00	6650

नाम ग्राम पंचायत –पनिका बाजार विकास खण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–42 ग्राम पंचायत के वर्ष 09–10 से 11–12 के निधि 1 ,छात्रवृत्ति एवं नरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये। उक्त अवधि मे की गयी बैंक खाते से निकासी का विवरण निम्नवत है (दिनांक 1.4.09 से दिनांक 27.11.09 तक का स्टेटमेंट,पूर्वांचल ग्रामीण बैंक निधि 1 अप्राप्त,नरेगा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के दिनांक 1.4.09 से 31.10.09 तक का स्टेटमेंट एवं छात्रवृत्ति पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के दिनांक 1.4.09 से 31.10.09 तक का स्टेटमेंट अप्राप्त)

निधि 1 – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी – 27.11.09 से 31.7.10 तक	301400.00
छात्रवृत्ति – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी –1.11.09 से 31.7.10 तक	84680.00
नरेगा –पूर्वांचल ग्रामीण बैंक – –निकासी –1.11.09 से 31.7.10 तक	218000.00
योग	**604080.00**

इस प्रकार रू0 604080.00से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर धन का अपहरण किया गया है। वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त निकासी की अवधि मे कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का नाम नही बताया जा सका अतः उक्त अपहरण के लिए पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं कार्यरत तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरदायी है। वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–43 वर्ष 11–12 मे निम्नानुसार की गयी निकासी से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे–

निधि 1 – पूर्वांचल ग्रामीण बैंक –निकासी – 17.1.11 से 6.6.11 तक		187750.00
निधि 1 – इलाहाबाद बैंक –निकासी –	16.5.11 से 30.3.12 तक	408000.00
योग		**595750.00**

इस प्रकार रू0 595750.00 से संबंधित समस्त अभिलेख कैशबुक व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट पत्रावली व अन्य सभी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी । बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर धन का अपहरण किया गया है। वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त निकासी की अवधि मे कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का नाम नही बताया जा सका । बैंक पासबुक के आधार पर श्री लल्लन पाण्डेय ग्रा0प0अ0 तथा श्री स्वतन्त्र कुमार यादव ग्रा0प0अ0 द्वारा निकासी की गयी है । अतः उक्त अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती देवी एवं कार्यरत तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
1199830	0.00	0.00	1199830

नाम ग्राम पंचायत –धनौतीलाला विकास खण्ड– भागलपुर जनपद – देवरिया

प्रस्तर संख्या–44 ग्राम पंचायत की वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि एक ही श्रमिक द्वारा एक ही तिथि मे दो प्रोजेक्ट पर कार्य करना दर्शाकर मनरेगा धन का अपहरण किया गया है विवरण निम्नवत है–

मनरेगा निशुल्क बोरिंग– 24.7.11 से 26.7.11 तक –	2040
मनरेगा निशुल्क बोरिंग– 27.7.11 से 29.7.11 तक –	2040
धनौती लाला के ठेगवल दूबे के पोखरी पर वृक्षारोपण कार्य (16.7.11 से 29.7.11) तक	28800
योग	**32880**

उक्त दोनो कार्यो के मस्टर रोलो पर जयराम पुत्र जगलाल,मोतीचंद पुत्र रामदश , संजय पुत्र मोतीचंद ,चन्द्रशेखर पुत्र बलिराम एवं राजित पुत्र झांगुर दि0 24.7.11 से 29.7.11 तक दोनो मस्टर रोलो पर उपस्थित है स्पष्ट है कि फर्जी मस्टर रोल के आधार पर रू0 32880 का भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री उदयशंकर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री माधव शरण चतुर्वेदी द्वारा अपहरण किया गया है वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–45 वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा मे छात्रवृत्ति से संबंधित कैशबुक ,छात्रवृत्ति वितरण पंजिका अनुमोदित सूची अप्रस्तुत रहे बैंक पासबुक के आधार पर दि0 8.4.11 से 20.3.12 तक रू0 255755 की निकासी की गयी है लेकिन बैंक से धन की निकासी कर और व्यय से संबंधित अभिलेख तैयार न कर तथा चार्ज मे न देकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री उदयशंकर कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री माधव शरण चतुर्वेदी द्वारा अपहरण किया गया है वसूली हेतु अधिभार की कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	कुल धनराशि
288635.00	0.00	0.00	288635.00

जनपद का नामः—कुशीनगर

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियांः

ग्राम पंचायतः .....चिरगोड़ाकी वर्ष 2011—12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः .....हाटा
प्रस्तर संख्या—1:लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार बैंक खातें से की गई निकासी का लेखा कोषवही में नही किया गया है। जिससे उक्त धन के अपहरण/दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अस्तु जाचोंपरान्त प्रत्येक से रूपये 98580.00 की वसूली सचिव श्री कृष्णगोपाल तिवारी एवं प्रधान श्री अंजनी से किया जाना अपेक्षित है।(आप0 सं02क 15)

क्र0सं0	बैंक से निकासी की तिथि	धनराशि	चेक सं0 /तिथि
1	06.04.2011	25000.00	867319/08.03.11
2	04.04.2011	8160.00	867320/08.03.11
3	04.04.2011	18000.00	867321/18.03.11
4	04.04.2011	26040.00	867322/28.03.11
5	13.06.2011	20160.00	867323/30.04.11
6	13.06.2011	37800.00	867324/07.05.11
7	13.06.2011	45000.00	867325/15.05.11
8	18.08.2011	1250.00	83562/01.08.11
9	21.12.2011	15750.00	83580/10.10.11
योग		197160.00	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
197160.00	—	—

ग्राम पंचायतः.....चिरगोड़ा....की वर्ष 2011—12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....
प्रस्तर संख्या—2:लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बैंक खाते से की गई निकासी का लेखा कोषवही में नही किया गया है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान व ग्रा0वि0 द्वारा उक्त धन का अपहरण किया गया है। अस्तु जाचोंपरान्त प्रत्येक से रूपये 16282.50 की वसूली सचिव श्री कृष्णगोपाल तिवारी एवं प्रधान श्री अंजनी से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है— (आप0 सं02ख21)

क्र0सं0	बैंक से निकासी की तिथि	धनराशि
1	17.01.12	2565.00
2	28.03.12	30000.00
योग—		32565.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
32565.00		

ग्राम पंचायतः.....पगरा.....की वर्ष 2011—12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....
प्रस्तर संख्या—1:लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 18.6.11 को चेक सं0 517263 दि013.5.11 से बैंक खातें से की गई निकासी धन रू० 97440.00 का लेखा कोषवही में नही किया गया है। जिससे उक्त धन के अपहरण/दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अस्तु जाचोंपरान्त प्रत्येक से रूपये 48720.00की वसूली ग्राम पंचा0 वि0 अधि0 श्री विनोद कुमार दुबे एवं प्रधान श्री हरीन्द्र से
किया जाना अपेक्षित है।(आप0सं02क 15)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
97440.00		

ग्राम पंचायतः.....परासखाड़.....की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–1:वर्ष2011–12 में निम्न विवरण के अनुसार रोजगार सेवक श्रीमती रीता निषाद को 12 माह के स्थान पर 14 माह के मानदेय का भुगतान किया गया है। इसप्रकार श्रीमती निषाद को 2 माह का मानदेय रू०5000.00 अधिक भुगतान किया गया है। अस्तु अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली श्रीमती निषाद से किया जाना अपेक्षित है। (आप0सं02क 16)

बा0सं0 / तिथि	चेक सं0	धनराशि	अवधि
38 / 5.8.11	662473	10000.00	अप्रैल 11 से जुलाई 11 तक
64 / 17.10.11	612499	5000.00	अग0 11 से सित0 11 तक
81 / 2.1.12	686617	7500.00	अक्टू0 11 से दिस0 11 तक
86 / 1.3.12	686622	5000.00	जन0 12 से फर0 12 तक
115 / 31.3.12	002052	7500.00	जन0 12 से मार्च 12 तक

योग——— 35000.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
5000.00		

ग्राम पंचायतः.....परासखाड़.....की वर्ष 2011–12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–2:दि0 31.08.11 को आय पक्ष में 8339.00 ब्याज से आय है जिसे कैश बुक के व्यय पक्ष में बैंक जमा मद में जमा दर्शाया नही गया है। जिससे माह अगस्त 11 का रोकड शेष रू० 8339.00से अधिक दर्शित है।इस प्रकार प्राप्त आय के सापेक्ष रू० 8339.00 का अधिक व्यय किया गया है।इस अनियमितता हेतु सचिव श्री बृजकिषोर बर्मा उत्तरदायी है। (आप0सं02ख 21)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
		8339.00

ग्राम पंचायतः.....रामपुर बुजुर्ग....की वर्ष 2011–12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–1:वर्ष2011–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 27.10.10 को एम0डी0एम0 की एरियर धन0 रू० 148970.12 ग्राम पंचा0 को प्राप्त हुआ है जिसका भुगतान पूर्व प्रधान को न कर चेक द्वारा एम0डी0एम0 के खुले नये खाते में दिनांक 27.7.11को रू70400.00 तथा दिनांक 14.10.11 को रू०82000.00 जमा किया गया हैजिसके लिए श्री अवधेष राय ग्रा0पं0अधि0 उत्तरदायी है।जिसमें से रू० 70000.00 पूर्व प्रधान को दिनांक 01.08.11 को भुगतान कर दिया गया है। कोष धनराशि में से रू० 50000. 00 नये प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया है। जिसकी प्राप्ति पूर्व प्रधान से नही ली गई है। अतः स्पष्ट है कि नये प्रधान द्वारा अनियमित रूप से बकाया एम0डी0एम0 की धनराशि स्वतः ले ली गई है जिसकी वसूली प्रधान श्री रामकृपाल से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (आ0 सं0 2 ग 6)

ग्राम पंचायतः.....रामपुर बुजुर्ग....की वर्ष 2011–12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
50000.00		

प्रस्तर संख्या–2:वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि को विद्यालय बन्द होने के बाद दिनोक 11.06.11 को छात्रवृति वितरण करने हेतु रू०90000.00 की निकासी की गई है। उक्त निकासी धन के वितरण का कोई साक्ष्य (वितरण रजिस्टर) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे विदित होता है कि निकासी धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामकृपाल एवं तत्कालीन ग्रा0पंचा0वि0अधि0 श्री अवधेष राय द्वारा कर लिया गया। जिसकी वसूली प्रत्येक से 45000.00 किया जाना अपेक्षित है

(आ0 सं0 2 घ 4)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
90000.00		

ग्राम पंचायतः.....रामपुर मिश्री.....की वर्ष 2011–12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–1:लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न विवरण के अनुसार बैंक खातें से की गई निकासी का लेखा कोषवही में नही किया गया है। जिससे उक्त धन के अपहरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अस्तु जाचोंपरान्त रूपये 86260.00की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती उर्मिला दुबे एवं प्रधान श्रीमती सरोजलता से किया जाना अपेक्षित है।(आप0सं02क15)

क्र0सं0	बैंक से निकासी की तिथि	धनराशि	चेक सं0
1.	7.7.11	16520.00	064199
2.	8.7.11	44520.00	064198
3.	10.9.11	840.00	362398
4.	16.9.11	22580.00	362396
5.	16.9.11	1800.00	362388
योग–		86260.00	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
86260.00		

ग्राम पंचायतः.....पिपरा कपूर.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–1:दिनांक 03.03.12 को बैंक खाता सं0 2248084644 में अवशेष धनराशि रू० 363976.50 था, दिनांक 05.03.12 को उक्त खाते से रू०39840.00 की निकासी के बाद पासबुक में अवशेष धनराशि रू० 324136.50के स्थान पर रू० 274696.50 दर्शित है। अन्तर धनराशि का रू० 49400.00 जो खाते से निकासी की गई है, का अंकन कोषबही व बैंक पास बुक में नही किया गया है। अस्तु रू० 49440.00 के अपहरण/दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जांचोपरान्त रू० 49440.00 की वसूली ग्रा0पंचा0वि0अधि0श्री विनोद दुबे एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है। (आप0सं02 क13)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
49440.00		

ग्राम पंचायतः.....महुई खुर्द.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–1:दिनांक 22.02.11 को मनरेगा खाते से रू० 400000.00की निकासी की गई है जिसका लेखा कोषवही में नही किया गया है। इस संदर्भ में सचिव द्वारा बताया गया कि बैंक से पता करने पर ज्ञात हुआ कि बैंक द्वारा गलती से दिनांक 21.04.10 को जमा धन की वापसी दिनांक 22.02.11 को की गई है। जिसकी पुष्टि में बैंक से प्राप्त पुष्टि पत्र लेखा परीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया। बैंक स्तर से 10 माह बाद धन वापस करना संदेहात्मक है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच किया जाना अपेक्षित है। निकासी धन का लेखा कोषवही में न किये जाने तथा प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने हेतु सचिव श्री दीपनरायन उत्तरदायी है।विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(आप0सं02क13)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
		400000.00

ग्राम पंचायतः.....महुई खुर्द....की वर्ष 2010–11की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–2:दि0 31.05.10 को आय पक्ष में 1237.00 ब्याज से आय है जिसे कैश बुक के व्यय पक्ष में बैंक जमा मद में दर्शाया नही गया है। जिससे माह मई 10 का रोकड कोष रू० 1237.00से अधिक दर्शित है।इस प्रकार प्राप्त आय के सापेक्ष रू० 1237.00 का अधिक व्यय किया गया है।इस अनियमितता हेतु सचिव श्री दीपनरायन उत्तरदायी है।(आप0सं02ख21)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
		1237.00

ग्राम पंचायतः.....सिरसिया.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....कसया.....

प्रस्तर संख्या–1:मनरेगा योजना के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में खाते से कुल निकासी रू०1069482.00 की गई तथा प्रारंभिक अवशेष प्रधान के पास शून्य रहा। इस प्रकार रू० 1069482.00 के सापेक्ष वर्ष में व्यय रू० 1065297.00 किया गया, जिससे लेखा परीक्षा के अनुसार प्रधान के पास शेष रोकड़ रू० 4185.00 होना चाहिए, जबकि कैशबुक में शून्य दर्शित है। अतः रू० 4185.00 के अपहरण में प्रधान श्री चन्द्रिका रू० 2092. 50 तथा सचिव श्री राजकुमार रू० 2092.50 के लिए उत्तरदायी हैं। (मू० आ० सं० 6)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
4185.00		

ग्राम पंचायतः.....सिरसिया.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....कसया.....

प्रस्तर संख्या–2: राज्य वित्त/तेरहवाँ वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में प्रारंभिक अवशेष मनरेगा योजना के अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में खाते से कुल निकासी रू० 1069482.00 की गई तथा प्रारंभिक अवशेष रू० 148310.50 तथा प्राप्त अनुदान रू० 392551.00 को जोड़ने पर, रू० 540861.50 के सापेक्ष व्यय रू० 218602.00 के समायोजन के उपरांत शेष रू० 322259.50 आता है, जबकि कैशबुक में दिनाँक 31.03.2011 को बैंक खाते में जमा मात्र रू० 318759.50 दर्शित है। इससे स्पष्ट रहा कि बैंक से आहरित धन रू० 3500 का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री चन्द्रिका रू० 1750.00 तथा सचिव श्री राजकुमार रू० 1750.00 के लिए उत्तरदायी हैं। (मू० आ० सं० 6)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
3500.00		

ग्राम पंचायतः.....बिषुनपुरा.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।
विकास खण्डः.....हाटा.....

प्रस्तर संख्या–1:आलोच्य वर्ष 2010–11 से 2011–12 में रू० 15300.00 के मस्टर रोल पर मजदूरों व प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर व अंगूठा नहीं लगाया गया है। इस प्रकार रू० 15300.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति कुसुम देवी व ग्रा0 पं0 वि0 अधिकारी श्री शम्भू प्रसाद द्वारा किया गया है। दोनों से बराबर–बराबर वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार हैः–

वाउचर संख्या	धनराशि
04	12500.00
10	1500.00
13	1300.00
योगः–	15300.00

(आ०सं०–17)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
15300.00		

ग्राम पंचायतः.....बिषुनपुरा.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्डः.....मोतीचक.....

प्रस्तर संख्या–2:आलोच्य वर्ष 2010–11 में रू० 230712.00 का व्यय–प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर उक्त धनराशि का अपहरण श्रीमति कुसुम देवी भू0पू0 ग्राम प्रधान व श्री शम्भू प्रसाद ग्रा0 पं0 वि0 अधिकारी द्वारा किया गया है। प्रत्येक से आधा–आधा धनराशि की वसूली अपेक्षित है। (आ०सं०–18)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
230712.00		

ग्राम पंचायतः.....बिषुनपुरा.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्डः.....मोतीचक.....

प्रस्तर संख्या–3:आलोच्य वर्ष 2010–11 से 2011–12 में पूर्वांचल ग्रामीण बैंक मथौली के खाता सं० 2002784 से रू० 73000.00 धन आहरित करके कोषबही में उल्लेख न कर अपहरण श्रीमति कुसुम देवी व ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री शम्भू प्रसाद द्वारा किया गया है। रू० 36500.00 की वसूली प्रत्येक से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकारहैं:– (आ०सं०–18)

दिनाँक	चेक संख्या	धनराशि
13.05.2010	847984	50000.00
13.05.2010	847985	23000.00
	योगः–	73000.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
73000.00		

ग्राम पंचायतः.....सोनिया.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्डः.....मोतीचक.....

प्रस्तर संख्या–1:आलोच्य वर्ष 2010–11 में रू० 21200.00 के मस्टर रोल पर किसी मजदूर के नाम व पता का उल्लेख नहीं किया गया है। मस्टर रोल पर सिर्फ धनराशि का उल्लेख कर कोषबही में धनराशि का व्यय दिखा कर अपहरण श्री लाल बदन सिंह भू०पू० ग्राम प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री शम्भू प्रसाद द्वारा किया गया है। रू० 10600.00 की वसूली प्रत्येक से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार हैं:–

वाउचर संख्या	धनराशि
06, 07 व 21	4500.00
	16700.00
योगः–21200.00	(आ०सं०–17)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
21200.00		

ग्राम पंचायतः.....सोनिया.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्डः.....मोतीचक.....

प्रस्तर संख्या–2:आलोच्य वर्ष 2010–11 में ह्यूम पाइप व शौचालय का व्यय प्रमाणक न उपलब्ध कराकर रू0 178340.00 का अपहरण श्री लाल बदन भू०पू० ग्राम प्रधान व ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री शम्भू प्रसाद द्वारा किया गया है। शौचालय की कोई सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। रू० 79170.00 की वसूली प्रत्येक से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार हैं:–

वाउचर सं0	धनराशि	वस्तु का नाम
11	54000.00	ह्यूम पाइप
	124340.00	शौचालय
योगः–	178340.00	

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
178340.00		

ग्राम पंचायतः.....मूड़ाडीह.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्डः.....मोतीचक.....

प्रस्तर संख्या–1:आलोच्य वर्ष 2010–11 में सीमेंट का वाउचर न प्रस्तुत कर रू० 43400.00 तथा शौचालय की सूची व प्रमाणक न प्रस्तुत कर रू ० 289000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति राजकुमारी व ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री शम्भू प्रसाद द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू० 166200.00 की वसूली से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार हैः–

वाउचर संख्या	धनराशि
04	35000.00
05	40000.00
08	50000.00
19	40000.00
12	99000.00
13	25000.00
15	19600.00
23	16800.00
28	7000.00
योगः–	332400.00

शौचालय – रू० 289000.00

सीमेंट – रू० 43400.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
332400.00		

ग्राम पंचायतः.....मूड़ाडीह.....की वर्ष 2010–11 से 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए।

विकास खण्डः.....मोतीचक.....

प्रस्तर संख्या–2: आलोच्य वर्ष 2010–11 में मस्टर रोल पर मजदूरों का नाम बिना अंकित कर केवल धनराशि का अंकन कर रू० 23500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति राजकुमारी व ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री शम्भू प्रसाद द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू० 11750.00 की वसूली से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार हैः–

वाउचर संख्या	धनराशि
03	3000.00
16	6000.00
20	1500.00
25	5000.00
28	7000.00
30	1000.00
योगः–	23500.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
23500.00		

नोटः– (यथा आवश्यक प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि कर ली जाए।)

मण्डल–बस्ती

जनपद–बस्ती

(ग्राम पंचायतो से संबन्धित आपत्तियां)

प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण
प्रस्तर–01	विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत कडरखास में निधि–। खाते से दिनांक 27.04.10 से 31.03.11 तक की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत न कर खाते से निकासी की धनराशि रू0–56000.00 का अपहरण श्री बाबूराम, ग्राम प्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–02	विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत कडरखास में छात्रवृत्ति खाते से दिनांक 01.11. 08 से 31.01.11 तक की कैशबुक एवं वितरण रजिस्टर आडिट में प्रस्तुत न कर खाते से निकासी धनराशि रू0 231605.00 का अपहरण श्री बाबूराम, ग्राम प्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–03	विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत कडरखास में मनरेगा खाते से दिनांक 30.11.09 से 31.10.10 तक की कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं एम0 बी0 रजिस्टर आदि आडिट में प्रस्तुत न कर निकासी धनराशि रू0 557600.00 का अपहरण श्री बाबूराम, ग्राम प्रधान एवं श्री सतीश चन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–04	विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत कुर्थिया में निधि–। खाते की पास बुक से दिनांक 09.08.10 को निकासी की गयी धनराशि रू0 22000.00 की प्रविष्टि कैशबुक में न कर धनराशि रू0 22000.00 का अपहरण श्रीमती देवमती, ग्राम प्रधान एवं श्रीमती उषा द्विवेदी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–05	विकास खण्ड साउघाट की ग्राम पंचायत पडियाखास में छात्रवृत्ति की कैशबुक में दिनांक 13.04.10 से चले आ रहे नगद रोकड शेष रू0 4975.00 को खाते में वापस न तो जमा कर और न ही दिनांक 01.11.10 को नये निर्वाचित प्रधान को चार्ज में दे कर पूर्व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी, एवं श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–06	विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत पायकपुर में निधि–। खाते से दिनांक 01.04.10 से 24.07.10 तक निकासी की धनराशि रू0 71200.00 की कैशबुक, व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि आडिट में प्रस्तुत न कर श्री परदेशी भूतपूर्व प्रधान एवं श्री विजय चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–07	विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत पायकपुर में मध्यान्ह भोजन खाते की कैशबुक में दिनांक 28.02.10 को नगद रोकड शेष रू0 33993.00 एवं मार्च 2010 से 30.10.10 तक निकासी रू0 18000.00 की कोषबही एवं व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत न कर कुल रू0 51993.00 का अपहरण श्री परदेशी भूतपूर्व प्रधान एवं श्री विजय चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–08	विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत पायकपुर में छात्रवृत्ति खाते से निकासी की गयी धनराशि दिनांक 25.09.09 को 54900.00 एवं 02.02.10 को रू0 50290.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित न कर और न ही वितरण रजिस्टर प्रस्तुत कर साथ ही दिनांक 27.03. 10 को निकासी रू0 45040.00, दिनांक 26.04.10 को 2625.00 एवं 2625.00, दिनांक 01.

	05.10 को रू0 75150.00 एवं दिनांक 20.05.10 को रू0 1350.00 की कैशबुक एवं वितरण रजिस्टर आडिट में प्रस्तुत न कर कुल रू0 231980.00 का अपहरण श्री परदेशी भूतपूर्व प्रधान एवं श्री विजय चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर–09	विकास खण्ड दुबौलिया की ग्राम पंचायत पायकपुर में मध्यान्ह भोजन खाते से वर्ष 2007–08 में निकासी रू0 32281.00, वर्ष 2008–09 में रू0 28707.00 एवं वर्ष 2009–10 में रू0 35563.00 की निकासी की गयी है किन्तु उनके व्यय प्रमाणक एवं माहवार उपस्थित छात्रो की प्रमाणित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर कुल रू0 96551.00 की गंभीर अनियमितता श्री परदेशी भूतपूर्व प्रधान एवं श्री विजय चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की गयी है। इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
प्रस्तर–10	विकास खण्ड हरैया की ग्राम पंचायत बरगदवामाफी में मनरेगा खाते की कैशबुक में वृक्षारोपड हेतु बिना पौधा क्रय किये, दिनांक 14.11.11, 28.11.11 एवं 14.12.11 को क्रमशः वृक्षारोपण हेतु मजदूरी रू0 10440.00, रखवाली मजदूरी रू0 10080.00 एवं दवा एवं फोटो पर व्यय रू0 400.00 व्यय दर्शित कर कुल रू0 20920.00 का अपहरण श्रीमती पूनम देवी, ग्राम प्रधान एवं श्रीमती शारदा श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली उक्त से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नामः–सिद्धार्थनगर

ग्राम पंचायत आपत्तियो का विवरण

प्रस्तर–1

ग्राम पंचायत–उटिया विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

1–दिनांक 17.11.11 को ग्राम निधि प्रथम से 15.08.11 पर मिष्ठान वितरण पर रुपये 2080 का व्यय दर्शा कर रोकड़ बही से धन खारिज किया गया हैं।भुगतान की पुष्टीं मे व्यय प्रमाणक एवंग्राम सभा का पारित प्रस्ताव अप्राप्त रहा । माह अगस्त में किए गए व्यय का भुगतान माह नवम्बर मे किया जाना काल्पनिक एवं कूटरचित है। अस्तु इस प्रकार के काल्पनिक भुगतान की वसूली ग्रा0पंचा0अ0 श्री विमलकान्त से (1040रु)व ग्राम प्रधान श्री चन्द्र शेखर गुप्ता से (1040रु) किया जाना अपेक्षित है। (2 ख 8)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
2080	– –	–

प्रस्तर–2

ग्राम पंचायत–उटिया विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

ग्राम पंचायत उटिया में पुलिया निर्माण में सामग्री के उपभोग की पुष्टि नही की जा सकी तथा सामग्री के क्रय के प्रमाणक के रुप में वाउचर भी अप्रस्तुत रहा जिससे सामग्री क्रय पर किया गया रु 50400 का व्यय काल्पनिक एव कूटाचित प्रतीत होता है जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विमलकांत(रु 25200) एव ग्राम प्रधान श्री चन्द्र शेखर गुप्ता से(रु 25200) किया जाना अपेंक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
–	– 50400	–

प्रस्तर–3

ग्राम पंचायत–उटिया विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

–वर्ष 201–12 ग्राम पंचायत उटिया में कुल 35 स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु रुपये 6150 की दर से रु 215250 का भुगतान किया गय ।क्रय से पूर्व विभिन्न फर्मो से कोटेशन की कार्यवाही नहीं की गयी हैं। क्रय की गई सामग्री का अंकन स्टाक पंजिका में नहीं किया गया है।और न हीक्रय की पुष्टि मे लेखापरीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।
अस्तु उपरोक्तानुसार यह विदित होता है कि ग्राम0पंचा0अ0 श्री विमलकांत एवं ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर गुप्ता द्वारा 35 स्ट्रीट लाईट का क्रय कोष बही मे दर्शा कर (215250रु) का अपहरण कर लिया गया है। 5–अस्तु इस प्रकार की अनियमित भुगतान की वसूली ग्राम0प0अ0 श्री विमलकांत से(107625रु)एवं ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर गुप्ता से (107625रु) किया जाना अपेक्षित है।(2 ख 9)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
215250	–	–

प्रस्तर–4

ग्राम पंचायत–उटिया विकास खण्ड–उस्कावर्ष–2011–12

–लेखपरीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि वर्ष 11–12 मे इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु 18750 का व्यय कोषबही में दर्शित है ।
1–खराब हैण्ड पम्पो की सूची तथा उनके मरम्मत का प्रस्ताव लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
2– भुगतान की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक एवं जल प्रबंध समिति का पारित प्रस्ताव अप्रस्तुत रहा ।
3–जिन हैण्ड पम्पो की मरम्मत की गयी है वे किन–किन स्थानो पर लगे है उक्त से सम्बंधित कोई विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।
4–मजदूरी भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।
5– उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मे दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय काल्पनिक एवं आधारहीन है। अस्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये व्यय (रु0–18750)की वसूली ग्रा0प0अधि श्री विमलकान्त से(रु 9375) एवं ग्राम प्रधान श्री चंद्रशेखर गुप्ता से (रु 9375) किया जाना अपेक्षित है। (2 ख 10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
18750	– –	– –

प्रस्तर–5

ग्राम पंचायत–परसाशुक्करुल्लाह विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

1–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत परसाशुक्करुल्लाह में पत्रिका क्रय पर 2300रु व्यय किया गया है ।पत्रिका क्रय करने के लिए राज्य वित्त के धन का प्रयोग , अनुचित, और औचित्यहीन है।पत्रिका क्रय पर 2300रु खर्च कर के राज्य वित्त के धन का दुरुपयोग किया गया है। पत्रिका क्रय का कोई प्रमाण /व्यय वाउचर भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
अस्तु इस प्रकार के दुरुपयोगित भुगतान की वसूली ग्राम0वि0अधि श्री संजय पटेल से (रु 1150)एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से(रु 1150) किया जाना अपेक्षित है।(2ख 8)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
18750	– –	– –

प्रस्तर–6

ग्राम पंचायत–परसाशुक्करुल्लाह विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 30.05.11 को कोष बही से 5000रु माह जनवरी 2011 में क्रय किये लकड़ी पर हुए भुगतान को दर्शा कर खारिज किया गया है । (2ख 9)
उक्त के सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियॉ प्रकाश में आई है।
1.राज्य वित्त के खाते में पर्याप्त अवशेष होते हुए भी जनवरी माह में क्रय किये गए लकड़ी का भुगतान माह मई में किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है ।
2.उक्त क्रय किये सामग्री की पुष्टि मे ग्राम सभा का प्रस्ताव लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया।
3.उपरोक्त से स्पष्ट है कि , वास्तव में लकड़ी का क्रय किया ही नहीं गया और कोष बही में लकड़ी क्रय पर हुए व्यय को दर्शा कर 5000रु का अपहरण कर लिया गया है।अस्तु इस प्रकार के भुगतान की वसूली ग्रा0वि0अधि श्री संजय पटेल से (रु 2500) एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से (रु 2500)किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
5000	– –	– –

प्रस्तर–7

ग्राम पंचायत–परसाशुक्करुल्लाह विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12
–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 14.11.11 को सेमरा में कूप मरम्मत हेतु 2000 ईट 4000रु प्रति हजार की दर से क्रय किया गया ।परन्तु 31 मार्च 2012 तक सेमरा में कूप मरम्मत हेतू मजदूरी का कोई भुगतान नहीं किया गया। इससे कूप मरम्मत हेतु क्रय की गयी ईट के उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी ।स्पष्ट है कि कूप मरम्मत हेतु ईट क्रय पर किया गया भुगतान काल्पनिक एवं कूट रचित है। अस्तु ईट क्रय पर किये गये भुगतान(8000रु) की वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री संजय पटेल से(रु 4000) एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से (रु 4000)किया जाना अपेक्षित है।(2ख 10)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
8000	– –	– –

प्रस्तर–8

ग्राम पंचायत–परसाशुक्करुल्लाह विकास खण्ड–उस्कावर्ष–2011–12

–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प के चबूतरा निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार मजदूरी का भुगतान किया गया।जिसके सम्बंध में निम्न आपत्तियॉ
1– इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प के चबूतरा निर्माण में कुल 14400रु मजदूरी के रुप में भुगतान किया गया पर चबूतरा निर्माण हेतु सामग्री क्रय का कोइ विवरण नही मिलता है ।बिना सीमेंट,बालू, और ईट का प्रयोग किये चबूतरा निर्माण का कार्य सम्भव नहीं हैं।
2–मजदूरी भुगतान के प्रमाणक के रुप में मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
अस्तु चबूतरा निर्माण पर किये गये मजदूरी के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।स्पष्ट है कि चबूतरा निर्माण पर किये गए मजदूरी का भुगतान काल्पनिक है। अस्तु इस प्रकार के काल्पनिक भुगतान की वसूली(14400रु) ग्रा0प0अ श्री संजय पटेल से (रु 7200)एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से (रु 7200) किया जाना अपेक्षित है।(2ख 11)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
14400	– –	– –

प्रस्तर–9

ग्राम पंचायत–परसाशुक्करुल्लाह विकास खण्ड–उस्कावर्ष–2011–12

–आलोच्य वर्ष में सेमरा हुसैन बख्श में नाली निर्माण हेतु ग्राम पंचायत परसा शुक्करुल्लाह में कोष बही में व्यय दर्शित है।
1–उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित है की नहीं इसका कोई प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
2–क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक/व्यय वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3–नाली निर्माण का कार्य अकुशल श्रमिकों द्वारा कराया गया क्योंकि सभी श्रमिको को पारीश्रमिक का भुगतान 120 की दर से किया गया है जबकि नाली निर्माण पक्के कार्य की श्रेणी में आता है और इस कार्य हेतु अर्द्धकुशल श्रमिको या कुशल श्रमिको का प्रयोग किया जाना चाहिये था।
ध्यान देने याग्य है कि इसी ग्राम पंचायत में एक अन्य नाली निर्माण में राजगीर/मिस्त्री का प्रयोग किया गया है और 160 की दर से भुगतान किया गया है।(दिनांक 20.6.11 को 50 राजगीर/मिस्त्री को 160 की दर से श्रमांश का भुगतान किया गया है।
स्पष्ट है कि सेमरा हुसैन बख्श मे किये गये नाली निर्माण मे अकुशल श्रमिको द्वारा कार्य कराया जाना यह सिद्ध करता है कि कार्य बहुत घटिया श्रेणी के स्तर का कराया गया है और राज्य वित्त के धन का दुरुपयोग किया गया है।
अस्तु इस प्रकार के कार्य पर किये गये धन की वसूली (98850रु) ग्रा0पं0अ श्री संजय पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से बराबर – बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।(2ख 12)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
98850	– –	– –

प्रस्तर–10

ग्राम पंचायत–परसाशुक्करुल्लाह विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दशरथ के खेत से जगपत के खेत तक कराये गये पुलिया निर्माण कार्य में डिवाटरिंग का अनुचित प्रावधान कर के 10000 रु(दिनांक 21.6.11) का भुगतान किया गया है।डिवाटरिंग पर किया गया व्यय औचित्यहीन एवं अनावश्यक है।डिवाटरिंग पर 10000रु का भुगतान कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है। अस्तु इस प्रकार के दुरुपयोगित भुगतान की वसूली ग्रा0वि0अ श्री संजय पटेल से(रु 5000)एवं ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल से (रु 5000)किया जाना अपेक्षित है।(2क 13)

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
10000	– –	– –

प्रस्तर–11

ग्राम पंचायत–बरदहा विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है की पुलिया निर्माण कार्य में डिवाटरिंग का अनुचित प्रावधान कर के रु 22959 का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली ग्रा0पं0अधि श्री संजय पटेल से(रु 11479)एवं ग्राम प्रधान श्री करुणाकर पाण्डेय से(रु 11479) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
22959	– –	– –

प्रस्तर–12

ग्राम पंचायत–बरदहा विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत बरदहा में वर्ष 11–12 में दो स्थानों पर पुलिया निर्माण कार्य कराया गया
पारस के खेत से श्रीनगर गॉव तक पुलिया निर्माण कार्य में 44000 हजार नग ईट और 193 बोरी सीमेंट का प्रयोग किया गया(सामग्री क्रय पर कुल व्यय–290892) तथा निर्माण कार्य में लगे श्रमिको के पारीश्रमिक पर 133880रु व्यय किया गया(अकुशल श्रमिक –92280 तथा कुशल श्रमिक–41600)।
जबकि संतराम के खेत से बरदहा सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य में 50000 हजार नग ईट और 332 बोरी सीमेंट का प्रयोग किया गया (सामग्री क्रय पर कुल व्यय–385484रु)परन्तु निर्माण कार्य लगे श्रमिकों के पारीश्रमिक पर मात्र 91240 रु व्यय किये गये(अकुशल श्रमिको की मजदूरी–75240रु अकुशल श्रमिको की मजदूरी–16000रु)।
स्पष्ट है कि संतराम के खेत से बरदहा सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य में सामग्री क्रय पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर के राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया ।इससे इस कार्य में मजदूरी/सामग्री के व्यय का अनुपात 18/82 रहा।इससे राजकीय धन के दुरुपयोग के साथ –साथ मानव कार्य दिवस भी कम सृजित हुए जिससे श्रमिक कार्य पाने से वंचित हो गए।यह मनरेगा के गाईडलाईन के प्रतिकूल है क्योंकि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिको को रोजगार उपल्बध कराना है।
अस्तु इस प्रकार के भुगतान की वसूली (186834 रु) ग्रा0प0अ श्री संजय पटेल से(रु 93417) और ग्राम प्रधान श्री करुणाकर पाण्डेय से (रु 93417) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
186834	– –	– –

प्रस्तर–13

ग्राम पंचायत–बरदहा विकास खण्ड–उस्का वर्ष–2011–12

आलोचय वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कराये गए कार्यो पर स्वीकृत प्राकलन की धनराशि से अधिक भुगतान किया गया है ।

अस्तु स्वीकृत प्राकलन के सापेक्ष अधिक भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ,जिसके लिये ग्रा0पं0अधि श्री संजय पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री करुणाकर पाण्डेय उत्तरदायी है ।दूरुपयोगित धनराशि (124000रु)का वसूली ग्रा0पं0अधि श्री संजय पटेल से(रु 62000) एवं ग्राम प्रधान श्री करुणाकर पाण्डेय से(रु 62000) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
124000	– –	– –

प्रस्तर–14

ग्राम पंचायत–सेखुईया विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

वर्ष 2011–12 ग्राम पंचायत सेखुईया में कुल 25 स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु रुपये 151750 का भुगतान किया गय । क्रय से पूर्व विभिन्न फर्मो से कोटेशन की कार्यवाही नहीं की गयी हैं।
क्रय की गई सामग्री का अंकन स्टाक पंजिका में नहीं किया गया है।और न हीक्रय की पुष्टि मे लेखापरीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

–अस्तु इस प्रकार के भुगतान की वसूली ग्राम0प0अ0 श्री टिमल प्रसाद से(30500 रु)एवंम् ग्राम प्रधान श्री टिकोरी यादव से (30500 रु) तथा ग्रा0पं0अधि श्री हेमचन्द्र मिश्रा से(रु 45375) तथा ग्राम प्रधान श्री अर्जुन से (रु 45375) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
151750	– –	– –

प्रस्तर–15

ग्राम पंचायत–सेखुईया विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि ग्राम पंचायत सेखुईया मे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गए विभिन्न कार्यो हेतु रु 309566 की सामग्रीयों का क्रय किया गया । जिसके सम्बंध मे निम्न गंभीर आपत्तियां प्रकाश मे आयी हैं।

1 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 के अनुसार 20000रु0 से 100000.00रु तक की सामग्री का क्रय कोटेशन प्राप्त कर के किया जाना चाहिये परन्तु उक्त निर्देशो का पालन नहीं किया गया।

2.क्रय की गयी सामग्री की पुष्टि मे लेखापरीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय की गयी हैं या नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3–अस्तु उपरोक्तानुसार यह विदित होता है कि ग्राम0पंचा0अ0 श्री टिमल प्रसाद एवंम् श्री हेमचन्द्र मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्री टिकारी यादव एवंम् श्री अर्जुन द्वारा 309566रु अपहरण कर लिया गया है।

5–अस्तु इस प्रकार के भुगतान की वसूली ग्राम0प0अ0 श्री टिमल प्रसाद से(116100 रु)एवंम् ग्राम प्रधान श्री टिकोरी यादव से (116100 रु) तथा ग्रा0पं0अधि श्री हेमचन्द्र मिश्रा से(रु 38683) तथा ग्राम प्रधान श्री अर्जुन से (रु 38683) किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
309566	– –	– –

प्रस्तर–16

ग्राम पंचायत–सेखुईया विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

–आलोच्यवर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शौचालय निर्माण कार्य में निम्नविवरणानुसार मजदूरी का भुगतान किया गया है।

क्र0स	दिनांक	धनराशि
1	7.9.10	8960रु
2	14.9.10	8960रु
3	27.8.10	8960रु
4	25.5.11	10500रु
योग		37380

उपरोक्त के सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियॉ प्रकाश में आई है।

1.मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.शौचालय निर्माण में लाभार्थीयों की सूची लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3.अस्तु शौचालय निर्माण कार्य में किया गया मजदूरी का भुगतान काल्पनिक है।जिसकी वसूली ग्रा0पं0अधि श्री टिमल प्रसाद से (रु 18690) एवंम् ग्राम प्रधान श्री टिकोरी यादव से (रु 18690)किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
37380	– –	– –

प्रस्तर–17

ग्राम पंचायत–सेखुईया विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12
–आलोच्य वर्षो की लेखापरीक्ष में तह तथ्य प्रकाश में आया है कि शौचालय निर्माण कार्य के लिए विभिन्न सामग्रीयों का क्रय किया गया है।परन्तु
1–शौचालय निर्माण में लाभार्थीयों की सूची लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2–शौचालय निर्माण में ईट,सीमेंट,सरिया,एवंम् शौचालय सीट का क्रय तो किया गया है ,परन्तु बालू का क्रय नहीं किया गया है ।बिना बालू का प्रयोग किये शौचालय का निर्माण सम्भव नहीं।ऐसा प्रतीत होता है कि शौचालय का निर्माण कराया ही नहीं गया और सामग्री क्रय का भुगतान दर्शा कर 22150रु का अपहरण कर लिया गया है।अस्तु इस प्रकार के भुगतान की वसूली ग्रा0प्र0अधि श्री टिमल प्रसाद से(रु 11075) एवंम् ग्राम प्रधान श्री टिकोरी यादव से (रु 11075) से किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
22150	– –	– –

प्रस्तर–18

ग्राम पंचायत–रामापुर विकास खण्ड–जोगिया वर्ष– 11–12
–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार कार्यो के लिये मजदूरी का भुगतान किया गया।

क्र 0सं	दिनांक	कार्य का नाम	मजदूरी का धनराशि
1	17.12.11	अदालत के चक से छोटू के चक तक मिट्टी पटाई कार्य	20000रु
2	9.8.11	रामपाल के घर से शमशान घाट तक मिट्टी कार्य की मजदूरी	15000रु
3	21.6.11	मिट्टी कार्य की मजदूरी	11000रु
योग			**46000रु**

उपरोक्त मजदूरी के भुगतान की पुष्टि मे मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः मजदूरो की मजदूरी पर किया गया व्यय संदेहास्पद प्रतीत होता हे।अस्तु इस प्रकार की अनियमित भुगतान(46000रु) की वसूली ग्रा0पं0अ श्रीअजीजुर्रहमान एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से बराबर–बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
46000	– –	– –

प्रस्तर–19

ग्राम पंचायत–रामापुर विकास खण्ड–जोगिया वर्ष– 11–12

–आलोचय वर्ष की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मनरेगा कराये गए कार्यो पर स्वीकृत प्राकलन की धनराशि से अधिक भुगतान किया गया है ।
अस्तु स्वीकृत प्राकलन के सापेक्ष अधिक भुगतान कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ,जिसके लिये ग्रा0पं0अधि0 श्री अजीजुर्रहमान एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र उत्तरदायी है ।दूरुपयोगित धनराशि

(62000रु)का वसूली ग्रा0पं0अधि श्री अजीजुर्रहमान एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से बराबर–बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
62000	– –	– –

प्रस्तर–20

ग्राम पंचायत–रामापुर विकास खण्ड–जोगिया वर्ष– 11–12

–आलोच्य वर्षो की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गए कार्यो के लिये रु 160670 सामग्री क्रय की गई।
उक्त के सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियॉ प्रकाश में आई है।
1– वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 के अनुसार रु0 100000.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन प्राप्त कर तथा रु0100000.00से अधिक का क्रय निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए। निर्देशो का पालन नहीं किया गया है।
2–क्रय की गई सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे सामग्री क्रय पर किया गया भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है।
3–अस्तु इस प्रकार के सामग्री क्रय पर किये गए अनियमित भुगतान(160670रु) की वसूली ग्रा0पं0अधि श्रीअजीजुर्रहमान एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से बराबर–बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
160670	– –	– –

प्रस्तर–22

ग्राम पंचायत–रामापुर विकास खण्ड–जोगिया वर्ष– 11–12

–आलोच्य वर्ष की लेखापरीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि वर्ष 11–12 मे इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत मे निम्न विवरणानुसार व्यय कोष बही से खारिज किया गया हे।

क्रमांक	दिनांक	मरम्मत की गयी हैण्ड पम्पो की संख्या	धनराशि
1	06.06.11		12000रु
2	13.12.11	–	5250रु
3	28.12.11	–	21870रु
4	21.1.12	–	2080रु
योग			**41200रु**

जिसके सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियॉ प्रकाश मे आयी है
1–खराब हैण्ड पम्पो की सूचि तथा उनके मरम्मत का प्रस्ताव लेखपरीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया ।
2– भुगतान की पुष्टि मे प्रमाणक जल प्रबन्ध समिती का पारित प्रस्ताव अप्रस्तुत रहा जिससे इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प के मरम्मत पर किया गया व्यय संदेहास्पद है।
3–जिन हैण्ड पम्पो की मरम्मत की गयी है वे किन–किन स्थानो पर लगे है उक्त से सम्बंधित कोई विवरण लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया है।
4–भुगतान से सम्बंधित कोई प्रमाणक लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किये गये है।
5– उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मे दर्शित हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय काल्पनिक एवं आधारहीन है ।अस्तु हैण्ड पम्प मरम्मत पर किये गये धन (41200रु0)की वसूली ग्रा0प0अधि श्री अजीजुर्रहमान एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से बराबर–बराबर मात्रा में किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
41200	– –	– –

प्रस्तर–23

ग्राम पंचायत–हड़कौली विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

–आलोच्य वर्षो की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 26.3.11 को नाली मरम्मत कार्य हेतु 72000 हजार रुपये ईट क्रय के लिए व्यय किया गया परन्तु नाली मरम्मत कार्य के लिए किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ।और न ही नाली मरम्मत कार्य के लिए किसी अन्य आवश्यक सामग्री जैसे सीमेंट,बालू आदि का ही कोई क्रय किया गया है।जिससे नाली मरम्मत कार्य के लिए क्रय की गई ईट के उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकती।स्पष्ट है कि नाली मरम्मत कार्य के लिए क्रय किये गए ईट पर किया गया भुगतान काल्पनिक है।अस्तु इस प्रकार के काल्पनिक भुगतान की वसूली ग्रा0पं0अधि श्री तिलकराम से रु 36000 एवं ग्राम प्रधान श्री राजू से रु 36000 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
72000	– –	– –

प्रस्तर–24

ग्राम पंचायत–हड़कौली विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

23–आलोचय वर्षो की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वर्ष 11–12 में राज्य वित्त के अन्तर्गत करये गए निम्न विवरणानुसार मजदूरी का भुगतान किया गया है

क्र0सं	दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	20.8.11	खड़न्जा कार्य में मजदूरी का भुगतान	5000
2	27.2.12	खड़न्जा मरम्मत में मजदूरी का भुगतान	14400
	योग		**19400**

खड़न्जा मरम्मत कार्य में किये गए मजदूरी के भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मजदूरी पर किया गया भुगतान संदेहास्पद एवं काल्पनिक है।अस्तु इस प्रकार से किये गए अनियमित भुगतान की वसूली ग्रा0पं0अधि श्री हेमचन्द्र मिश्र से रु 9700एवं ग्रामप्रधान श्री राजू से रु 9700 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
19400	– –	– –

प्रस्तर–25

ग्राम पंचायत–हड़कौली विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

–आलोच्य वर्षो की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि शौचालय निर्माण हेतु दिनांक 1.5.10 को 8000 हजार ईट (रु 42000) एवं 1.6.10 को 19100 रु की सामग्री का क्रय किया गया परन्तु 31.3.10 तक शौचालय निर्माण में किसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ।जिंससे शौचालय निर्माण के लिये क्रय की गयी सामग्री के उपभेग की पुष्टि नहीं हो सकी एवं सामग्री क्रय पर किया गया भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अस्तु शौचालय निर्माण के लिये क्रय की गई सामग्री पर किये गए काल्पनिक भुगतान की वसूली (रु 61100) ग्रा0पं0अधि श्री तिलकराम से रु 30550 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इबारतुन्निसा से रु 30550 किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
61100	– –	– –

प्रस्तर–26

ग्राम पंचायत–हड़कौली विकास खण्ड–जोगिया वर्ष–2007–08 से 11–12

आलोच्य वर्षो की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गए कार्यो के लिये रु 297100 सामग्री क्रय की गई।

उक्त के सम्बंध में निम्न गंभीर आपत्तियॉ प्रकाश में आई है।

– वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मेनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 के अनुसार रु0 100000.00 तक की सामग्री का क्रय कोटेशन प्राप्त कर तथा रु0100000.00से अधिक का क्रय निविदा आमंत्रित करके किया जाना चाहिए। निर्देशो का पालन नहीं किया गया है।
2–क्रय की गई सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।जिससे सामग्री क्रय पर किया गया भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है।
3–अस्तु इस प्रकार के सामग्री क्रय पर किये गए भुगतान(297100रु) की वसूली ग्रा0पं0अधि श्री तिलकराम से रु 148550एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इबारतुन्निसा से रु 148550किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग		अनियमितता	
297100	–	–	–	–

प्रस्तर–27

ग्राम पंचायत–बर्डपुर न014 विकास खण्ड–नौगढ़ वर्ष– 11–12

ग्राम निधि प्रथम के रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार हैण्ड पम्प सामग्री क्रय एवं मरमत पर व्यय दर्शित है ।विवरण–

क्र0स0	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	सामान/मजदूरी
1	25.06.09	19	12000	हैण्ड पम्प मरम्मत
2	21.08.09	31	23000	हैण्ड पम्प मरम्मत
3	25.11.09	57	75000	हैण्ड पम्प 50 अदद क्रय अब्दुर्ररहमान
4	09.12.09	60	8900	18 हैण्ड पम्प मरम्मत
5	01.01.10	73	6000	हैण्ड पम्प मरम्त
6	06.04.10	11	4600	हैण्ड पम्प मरम्मत
7	21.05.10	24	20000	हैण्ड पम्प मरम्मत

योग–149500

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल धनराशि 149500.00 हैण्ड पम्प सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर व्यय किया गया है ।यह निधि प्रथम में दर्शित नही है कि किस स्थान पर हैण्डपम्प मरम्मत की आवश्यकता रही ।लेखापरीक्षा में जल प्रबंधन कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नही रहा जिससे की यह स्पष्ट होता कि किन–किन स्थानो पर हैण्ड पम्प मरम्मत की आवश्यकता रही । लेखापरीक्षा में क्रय सामग्री से सम्बंधित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल भी उपलब्ध नही रहा । किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा जारी भौतिक सत्यापन की रिर्पोट भी उपलब्ध नही रही ।अतः उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है की उक्त धनराशि रु 149500.00 का काल्पनिक व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपहरण कर ली गई है ।जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग		अनियमितता	
149500	–	–	–	–

प्रस्तर–28

ग्राम पंचायत–बर्डपुर न014 विकास खण्ड–नौगढ़ वर्ष–05–06 से 11–12

ग्राम निधि प्रथम की रोकड़ बही में दिनांक 26.01.10 को धनराशि रु 10000 की मिठाई वितरण पर व्यय दर्शित है ।इस सम्बंध में इतनी धनराशि व्यय करने का कोई राजकीय प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा ।व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा ।अतः उपरोक्त व्यय काल्पनिक एवं फर्जी है । जिसकी ततारीख ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
10000	– –	– –

प्रस्तर–29

ग्राम पंचायत–लकड़ा विकास खण्ड–लोटन वर्ष–2005–06 से 11–12

ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त) से संबंधित रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार चार्टेड एकाउन्टेन्ट को भुगतान पर व्यय दर्शित है जिससे सम्बन्धित वाउचर व चार्टेड एकाउन्टेन्ट से किया गया अनुबन्ध (अभिलेख बनाने हेतु)तथा तैयार अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।उक्त अभिलेख के अभाव में व्यय फर्जी है ।जॉचोपरान्त वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राम स्वरुप गुप्ता (ग्रा0वि0अधि) 1/2 भाग एवं श्री राजकुमार (ग्राम प्रधान) से 1/2 भाग अपेक्षित है ।विवरण–

क्रक्र0स	तिथि	वा वाउचर संख्या	व्यय धन	टिप्पणी
1	16116–12–2009	19	4000	सुनिल निसार कंपनी को भ्रुगतान वर्ष 06–07 हेतु
2222	07–09–2010	01	8000	अग्रवाल पवन एसोसिएट गोण्डा 2007–08 एव 2008–09 हेंतु
2		योग	12000	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
12000	– –	– –

प्रस्तर–30

ग्राम पंचायत–लकड़ा विकास खण्ड–लोटन वर्ष–2005–06 से 11–12

ग्राम निधि(राज्य वित्त) से संबंधित रोकड़बही में दिनांक 20.02.2010 को बाउचर संख्या 23 से दो नग ठेला सफाईकर्मी हेतु सामग्री क्रय पर व्यय रु 10400 दर्शित है ।संबंधित क्रय सामग्री का बाउचरव मृत स्कंध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।बाउचर के अभाव में उक्त व्यय फर्जी है ।जाचोपरान्त वसूली ग्राम सचिव श्री राम स्वरुप गुप्ता (ग्रा0वि0अ0)1/2 भाग व श्री राजकुमार (ग्राम प्रधान) से 1/2 भाग अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
10400	– –	– –

प्रस्तर–31

ग्राम पंचायत–बस्तियॉ विकास खण्ड–लोटन वर्ष–2005–06 से 11–12

ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त) से संबंधित रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार चार्टेड एकाउन्टेन्ट को भुगतान पर व्यय दर्शित है जिससे संग्रधित वाउचर व चार्टेड एकाउन्टेन्ट से किया गया अनुबन्ध (अभिलेख बनाने हेतु)तथा तैयार अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।उक्त अभिलेख के अभाव में व्यय फर्जी है ।जॉचोपरान्त वसूली तत्कालीन ग्राम सचिव श्री राम स्वरुप गुप्ता (ग्रा0वि0अधि) 1/2 भाग एवं श्री राजकुमार (ग्राम प्रधान) से 1/2 भाग अपेक्षित है ।विवरण–

क्र0स	तिथि	वा वाउचर संख्या	व्यय धन	टिप्पणी
1	16116–12–2009	19 19	44 4000	सुनिल निसार कंपनी को भुगतान वर्ष 06–07 हेतु
2222	07–09–2010	01 01	8000	2007–08 एव 2008–09 हेंतु
2		योग	1212000	

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
12000	– –	– –

प्रस्तर–32

ग्राम पंचायत–बस्तियॉ विकास खण्ड–लोटन वर्ष–2005–06 से 11–12

ग्राम निधि(राज्य वित्त) से संबंधित रोकड़बही में दिनांक 20.02.2010 को बाउचर संख्या 23 से दो नग ठेला सफाईकर्मी हेतु सामग्री क्रय पर व्यय रु 10400 दर्शित है ।संबंधित क्रय सामग्री का बाउचरव मृत स्कंध पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।बाउचर के अभाव में उक्त व्यय फर्जी है ।जाचोपरान्त वसूली ग्राम सचिव श्री राम स्वरुप गुप्ता (ग्रा0वि0अ0)1/2 भाग व श्री राजकुमार (ग्राम प्रधान) से 1/2 भाग अपेक्षित है।

अपहरण	दुरुपयोग	अनियमितता
10400	– –	– –

मण्डल का नाम–आजमगढ़।

जनपद का नाम–आजमगढ़।

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ –

प्रस्तर सं0–1

ग्राम पंचायत–लोहरा, विकासखण्ड–अतरौलिया

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि नरेगा की कैशबुक में दिनांक 22.11.2011 को कृष्णा ब्रिक्स फील्ड, नरियांव, अम्बेडकरनगर को 63597 नग ईंट क्रय हेतु चेक सं0 11527 द्वारा रू0 225770/– का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, विभागीय तकनीकी स्वीकृति, टेण्डर, स्टाक रजिस्टर एवं बिल/बाउचर, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 225770/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअचल द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–2)

प्रस्तर सं0–2

ग्राम पंचायत–लोहरा, विकासखण्ड–अतरौलिया

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार रू0 232880/– की 41 सोडियम लाईट क्रय की गयी है, जिसकी पुष्टि में बिल/बाउचर, कोटेशन, विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति एवं स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 232880/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअचल द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–3

ग्राम पंचायत–लोहरा, विकासखण्ड–अतरौलिया

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार 51 सोडियम लाईट की मरम्मत पर पर रू0 60420/– व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, मरम्मत किये गये सोडियम लाईट की स्थलीय स्थिति, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व बिल बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 60420/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री द्वारिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामअचल द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–4)

प्रस्तर सं0–4

ग्राम पंचायत–रसूलपुर उर्फ पासीपुर, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार सोडियम लाईट क्रय एवं मरम्मत पर रू0 186000/– का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, बिल/बाउचर, मरम्मत किये गये सोडियम लाईट की स्थलीय स्थिति, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 186000/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री उदयराज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–8)

प्रस्तर सं0–5

ग्राम पंचायत–बनकट जगदीश, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार सोडियम लाईट क्रय एवं मरम्मत पर रू0 156589/– का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, बिल/बाउचर, मरम्मत किये गये सोडियम लाईट की स्थलीय स्थिति, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 156589/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुसाफिर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–2)

प्रस्तर सं0–6

ग्राम पंचायत–बनकट जगदीश, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार ह्यूम पाइप क्रय पर रू0 69500/– का भुगतान किया गया है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, बिल/बाउचर, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 69500/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुसाफिर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–7

ग्राम पंचायत–पटाधन, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार दिनांक 13.12.2011 को रू0 45626/– की ईंट क्रय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, बिल/बाउचर, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 45626/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुखराजी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–2)

प्रस्तर सं0–8

ग्राम पंचायत–पटाधन, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार सोडियम लाइट क्रय रू0 114800/– में दर्शित है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन, स्टाक रजिस्टर, बिल/बाउचर, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 114800/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुखराजी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–9

ग्राम पंचायत–पटाधन, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार दिनांक 14.03.2012 को श्री शिवशंकर यादव को प्राथमिक विद्यालय–दादपुर में प्लम्बिरिंग कार्य कर चेक सं0 0002736 से रू0 30109/– का भुगतान दर्शित है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, बिल/बाउचर, विभागीय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 30109/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुखराजी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–4)

प्रस्तर सं0–10

ग्राम पंचायत–पटाधन, विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार दिनांक 05.03.2012 को श्रीराम मिस्त्री द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर चेक सं0 21002735 से रू0 10300/– का भुगतान दर्शित है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव हैण्डपम्प मरम्मत कराये जाने का मांग–पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहा। किस–किस स्थान पर हैण्डपम्प की मरम्मत की गयी और क्या–क्या तथा कितनी खराबी रही, से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा। इस हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती सुखराजी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सोनकर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–5)

प्रस्तर सं0–11

ग्राम पंचायत–अराँव गुलजार विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार रू0 111150/– की ह्यूम पाइप क्रय की गयी है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 111150/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजाराम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–2)

प्रस्तर सं0–12

ग्राम पंचायत–अराँव गुलजार विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार रू0 152800/– सोडियम लाइट के क्रय एवं मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन व व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर, स्टाक रजिस्टर, विभागीय अधिकारी की संस्तुति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 152800/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजाराम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–13

ग्राम पंचायत–अराँव गुलजार विकासखण्ड–कोयलसा।

वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के अनुसार रू0 70200/– की ईंट क्रय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, कोटेशन व व्यय प्रमाणक, बिल बाउचर, स्टाक रजिस्टर, विभागीय अधिकारी की संस्तुति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु सं0–8 (क) के अनुसार बिल/बाउचर के अभाव में किये गये भुगतान रू0 70200/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजाराम यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–4)

प्रस्तर सं0–14

ग्राम पंचायत–इरना गोकुलपुर विकासखण्ड–मार्टीनगंज।

वर्ष 2011–12 की कोषबही में मिट्टी व खड़ंजा कार्य की मजदूरी से सम्बन्धित रू0 25800/– व्यय दर्शित है, जिसका व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण धन का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्री जगजीवन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–11ए)

प्रस्तर सं0–15

ग्राम पंचायत–इरना गोकुलपुर विकासखण्ड–मार्टीनगंज।

वर्ष 2011–12 में कोषबही में दिनांक 27.01.2012 को रू0 74550/– की ईंट खरीद दर्शित है। खरीद के पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न कर एवं स्टाक रजिस्टर न बनाकर धन का अपहरण किया गया है। इस हेतु ग्राम प्रधान श्री जगजीवन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–11बी)

प्रस्तर सं0–16

ग्राम पंचायत–सोहौली विकासखण्ड–मार्टीनगंज।

वर्ष 2011–12 में मनरेगा कोषबही में दिनांक 30.06.2011 को चेक नं0 360094/– द्वारा रू0 45120/– का भुगतान बैंक के माध्यम से मजदूरों को किया जाना दर्शित है। उक्त भुगतान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्य के लिये न करके दुबरा शेखपुर ग्राम पंचायत के कार्य के लिये

किया गया है। अतः दूसरे ग्राम पंचायत के कार्य के लिये भुगतान करने के कारण रू0 45120/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री धनपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास चन्द्र दूबे द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–5)

प्रस्तर सं0–17

ग्राम पंचायत–जमालपुर विकासखण्ड–मुहम्मदपुर।

वर्ष 2011–12 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में दिनांक 09.11.2011 को रू0 16200/– का ह्यूम पाइप क्रय किया गया दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं ह्यूम पाइप के उपयोग एवं अवशेष की स्थिति प्रस्तुत न करने के कारण रू0 16200/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती आफिया एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ओमप्रकाश द्वारा किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–10)

प्रस्तर सं0–18

ग्राम पंचायत–उमरी गनेशपुर विकासखण्ड–मुहम्मदपुर।

वर्ष 2011–12 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में रू0 28850/– का ईट खड़ंजा कार्य हेतु क्रय दर्शित है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक के अभाव में अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती आशा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालचन्द का है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–8)

प्रस्तर सं0–19

ग्राम पंचायत–डोडोपुर विकासखण्ड–रानी की सराय।

वर्ष 2011–12 में काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, निजामाबाद छात्रवृत्ति खाता सं0 8350 से विभिन्न तिथियों में रू0 125100/– धनराशि आहरित की गयी है, किन्तु लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, कैशबुक एवं उपभोग प्रमाण–पत्र अनुपलब्ध रहने के कारण सम्पूर्ण धनराशि अपहरित है, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान श्री नन्दू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भृगुनाथ यादव का है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–2)

प्रस्तर सं0–20

ग्राम पंचायत–तरवाँ विकासखण्ड–तरवाँ।

वर्ष 2011–12 में दिनांक 20.06.2011 को रू0 5120/– का सामान सफाईकर्मी को विशाल मशीनरी स्टोर, बहरियाबाद रोड, परमानपुर, आजमगढ़ के बिल सं0 279 द्वारा कर दिया गया है। जबकि इसी फर्म से दिनांक 29.06.2011 को हैण्डपम्प मरम्मत का सामान रू0 116000/– बिल सं0 278 से क्रय होना कोषबही में दर्शित है। दिनांक बढ़ने से बिल का क्रमांक आरोही क्रम में बढ़ना चाहिये था। जबकि बिल का क्रमांक घट रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त धन रू0 121120/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कपिलदेव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामलाल यादव द्वारा किया गया है। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–6)

प्रस्तर सं0–21

ग्राम पंचायत–तरवाँ विकासखण्ड–तरवाँ।

आलोच्य वर्ष 2011–12 की कोषबही में दिनांक 30.06.2011 को प्रधान के पास नगद शेष रू0 69266/– होना चाहिये था, जबकि रू0 67266 अंकित है। इस प्रकार रू0 2000/– रोड़ शेष कम दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री कपिलदेव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामलाल यादव द्वारा अपहरण किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–7)

प्रस्तर सं0–22

ग्राम पंचायत–फत्तेपुर विकासखण्ड–फूलपुर।

वर्ष 2011–12 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में रू0 16000/– चार्टड एकाउन्टेन्ट को भुगतान दर्शाकर खर्च किया गया है, जिसका प्रमाणक/रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। रू0 16000/– भुगतान किन चार वर्षो का किया गया है। इसका उल्लेख नहीं है तथा भुगतान के सापेक्ष तैयार अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया गया। अतः अवास्तविक भुगतान दर्शाकर रू0 16000/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री खरपत्तू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–23

ग्राम पंचायत–मीर अहमदपुर विकासखण्ड–फूलपुर।

वर्ष 2011–12 की कैशबुक में दिनांक 25.04.2011 को 6 नग स्ट्रीट लाइट पर रू0 45732/– व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत कार्यवाही का प्रस्ताव, विभागीय अधिकारी की स्वीकृति, स्टाक रजिस्टर, स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने का विवरण, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र व सम्पति रजिस्टर प्रस्तुत न करने के कारण रू0 45732/– का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हनुमान यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–3)

प्रस्तर सं0–24

ग्राम पंचायत–मीर अहमदपुर विकासखण्ड–फूलपुर।

वर्ष 2011–12 की कैशबुक में दिनांक 01.11.2011 को रू0 50000/– ह्यूम पाइप क्रय दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में ह्यूम के क्रय, उपयोग एवं वर्षान्त में अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। अतः रू0 50000/– का ह्यूम पाइप क्रय का अवास्तविक भुगतान दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हनुमान यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

(सामान्य प्रतिवेदन आपत्ति सं0–4)

जनपद– मऊ

वर्ष 12–13 मे लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतो मे उद्घाटित अपहरण/अनियमितताओ की आपत्तियो का विवरण

क्रमांक	ग्राम प्रचायत	ब्लाक	आपत्ति का विवरण	कुल धनराशि	अपहरण
1	करहां	मुहम्मदाबाद	**प्रस्तर–1** क्षेत्र पंचायत मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत करहां मे प्रधान द्वारा स्वयं के पक्ष मे चेक काट कर बैक से धनराशि रु0 20000.00 आहरित कर उसे कैशबुक मे जमा न कर धनराशि रु0 20000.00 का प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया। (सा0आ0सं0–21)	20000.00	20000.00
	"		**प्रस्तर–2.**क्षेत्र पंचायत मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत करहा मे ग्रा0पं0अधिकारी एवं प्रधान द्वारा रोजगार सेवक को तीन माह का अधिक वेतन का भुगतान कर ग्राम पंचायत को रु0 9000.00 से क्षति पहुचाई गई। ग्रा0पं0अधिकारी व प्रधान से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–22)	9000.00	–
	"		**प्रस्तर–3** क्षेत्रपंचायत मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत करहां मे लेखापरीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया।क्रय समान की पुष्टि स्टाक रजिस्टर से भी नही कराई गयी।व्यय काल्पनिक व अवास्तविक रहा। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं–23)	8000.00	8000.00
2.	मनसड़ी	परदहां	**प्रस्तर –4** क्षेत्रपंचायत परदहां के ग्राम पंचायत मनसड़ी मे लेखापरीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया।क्रय समान की पुष्टि स्टाक रजिस्टर से भी नही कराई गयी।व्यय काल्पनिक व अवास्तविक रहा। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं–21)	17600.00	17600.00
3	सरवां	"	**प्रस्तर–5** क्षेत्रपंचायत परदहां के ग्राम पंचायत सरवां मे लेखापरीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया।क्रय समान की पुष्टि स्टाक रजिस्टर से भी नही कराई गयी।व्यय काल्पनिक व अवास्तविक रहा। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं–21)	13200.00	13200.00
4	कैलवर	बड़रांव	**प्रस्तर–6** क्षेत्रपंचायत बड़रांव के ग्रामपंचायत कैलवर मे दि04.12.08 से 29.12.08 के मध्य नरेगा खाता से रु0 42800.00 आहरित किया गया।जबकि इसके सापेक्ष रु0 27800.00 ही	15000.00	15000.00

			व्यय किया गया।शेष रु0 15000.00 को कैशबुक के रोकड़ अवशेष मे न पकड़ कर धन का अपहरण कर लिया गया।प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–2)		
5	जमुआरी	"	प्रस्तर–7 क्षेत्रपंचायत बड़रांव के ग्रामपंचायत जमुआरी मे वर्ष10–11 मे नरेगा के खाता सं0 40641 से दि0 4.8.10 को कुल रु0 14800.00 का आहरण किया गया। जिसका अंकन कैशबुक मे नही कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया।प्रधान श्री लालमुनी एवं ग्रा0पं0अधि0श्री लालचन्द से समान अंशो मे वसूली किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–2)	14800.00	14800.00
6	सुबाह	" फतहपुर मण्डाव	प्रस्तर–8 क्षेत्रपंचायत फ0मण्डाव के ग्रामपंचायत सुबाह मे वर्ष 06–07 मे मिड डे मील के खाता सं0 4772 से रु0 99300.00 आहरित कर उक्त मे से रु0 49592.00 की धनराशि अन्य मदो मे व्यय कर अनियमित्ता की गई।जिम्मेदारी प्रधान तथा ग्रा0पं0अधि0 दोनो की रही। (सा0आ0सं0–21)	49592.00	–
"	"	"	प्रस्तर–9 क्षेत्र पंचायत फ0मण्डाव के ग्रा0पं0 सुबाह मे वर्ष 06–07 से 11–12 की लेखा परीक्षा के दौरान रु0 28000.00 चार्टर एकाउन्टेन्ट को अभिलेख तैयार करने हेतु भुगतान दर्शित है।लेखापरीक्षा मे अभिलेख व प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।अतः काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–22)	28000.00	28000.00
7	कन्धरापुर	फतहपुर मण्डाव	प्रस्तर–10 क्षेत्रपंचायत फ0मण्डाव के ग्रामपंचायत कन्धरापुर मे वर्ष 11–12 के एम0डी0एम0 खाता सं0 13149 से रु0 4850.00 आहरित कर अन्य मद मे व्यय कर अनियमित्ता की गई। जिसकी जिम्मेदारी प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 की रही। (सा0आ0सं0–8/4)	4850.00	–
			प्रस्तर–11 क्षेत्रपंचायत फ0मण्डाव के ग्रा0पंचायत कन्धरापुर मे वर्ष 11–12 मे अन्य मदो की प्राप्त धनराशि रु0 8600.00 को क्षात्रवृत्ति मद मे व्यय कर गम्भीर अनियमित्ता की गई।जिम्मेदारी प्रधान व ग्रा0पं0अधि0की रही।(सा0आ0सं0–9/4)	8600.00	–
"	फ0मण्डाव		प्रस्तर–12 क्षेत्रपंचायत फ0मण्डाव के ग्राम पंचायत कन्धरापुर मे वर्ष 11–12 मे एम0डी0एम0मद मे व्यय धन रु055200.00 की पुष्टि मे प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। अतः काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के	55200.00	55200.00
8.	कन्धरापुर	फ0मण्डाव	अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–8/3)		
			प्रस्तर–13 क्षेत्रपंचायत घोसी के ग्रामपंचायत लाड़पुर मे दि0 1.3.12 को रु0 20000.00 मे		

9.	लाड़पुर	घोसी	पटिया क्रय किया गया।प्रमाणक सादे कागज पर रहा। क्रय समान की पुष्टि मे स्टाक रजिस्टर लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया।क्रय का उददेश्य, व उपयोगिता लेखापरीक्षा मे अप्रमाणित रहा।उक्त कमियो के आधार पर क्रय अवास्तविक एवं अप्रमाणिक रहा।अतः काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–21)	20000.00	20000.00
10.	रसड़ी	,,	प्रस्तर–14 क्षेत्रपंचायत घोसी के ग्रामपंचायत रसड़ी के कैशबुक के व्यय पक्षमे पंचायत भवन मरम्मत हेतु समग्री क्रय यथा सीमेन्ट,मोरंग,पेंट व प्राइमर क्रय हेतु रु0 20000.00 का भुगतान किया गया।भुगतान की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्यरजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,सम्पत्ति रजिस्टर सक्षम अधिकारी का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्टाक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा। अतः कैशबुक मे काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार प्रमाणक के अभाव मे उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं–21)	20000.00	20000.00
11.	मल्लपुर लोहराई	रतनपुरा	प्रस्तर–15 क्षेत्रपंचायत रतनपुरा के ग्रा0पं0मल्लपुर लोहराई म वर्ष08–09 मे रु0 98700.00 एवं 09–10 मे रु0 49200.00 क्षात्रवृत्ति का वितरण किया गया।उक्त वितरण की पुष्टि मे वितरण पंजी एवं उपस्थिति पंजिका अप्रस्तुत रहा। क्षात्रवृत्ति वितरण अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहो। अतः काल्पनिक वितरण दिखा कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया।ग्राम प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली किया जाना अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–21)	147900.00	147900.00
12.	अस्सीभवन	रानीपुर	प्रस्तर–16 क्षेत्रपंचायत रानीपुर के ग्रा0पंचायत अस्सीभवन के कैशबुक के व्यय पक्षमे हयूम पाइप,बाउन्ड्री निर्माण,,फर्श निर्माण,पौध क्रय,मिट्टी कार्य,पोखरी खुदाई दर्शाकरबिना व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र,उपयोगिता प्रमाण पत्र, व सम्पत्ति रजिस्टर के काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु0 458616.00 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–18,19,20,21,22) प्रस्तर–17 क्षेत्रपंचायत रानीपुर के ग्रा0पं0 अस्सीभवन के राज्यवित खाता सं0 14103 से दि0 26.7.10 को रु0 60000.00 तथा दि0 31.7.10 को रु060000.00 अर्थात कुल रु0 120000.00 आहरित किया गया।उक्त धनराशि का अंकन कोषबही मे न कर प्रधान तथा ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपहरण कर लिया गया।	458616.00 120000.00	458616.00 120000.00

			अतः प्रधान तथा ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–23)		
13.	उतरेजपुर	"	प्रस्तर–18 क्षेत्रपंचायत रानीपुर के ग्राम पंचायत उतरेजपुर मे निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 09–10 मे राज्यवित के खाता सं 7565 से दि0 12.9.09 से 9.11.09 तक रु0 377710.00 की आहरित धनराशि की पुष्टि मे कैशबुक, व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, सम्पत्ति रजि0,मस्टररोल आदि प्रमुख अभिलेख अप्रस्तुत पाया गया।ग्राम पंचायत मे कार्य होने की पुष्टि नही होती है। अतः काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया। प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान रुप से वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–14)	377710.00	377710.00
	काक्षीकला	कोपागंज	प्रस्तर–19 क्षेत्रपंचायत कोपागंज के ग्राम पंचायत काक्षीकला मे दि0 29.12.06 को छात्रवृत्ति के खाता सं0 2473 से चेक सं0 81543 द्वारा रु0 5000.00 नगद आहरित कर एवं कैश बुक के आय पक्ष मे प्रविष्टी न कर प्रधान रीमती प्रमिला देवी एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री भृगुनाथ द्वारा अपहरण किया गया। प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 से समान रुप से वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–42)	5000.00	5000.00
14	"	"	प्रस्तर–20 क्षेत्रपंचायत कोपागंज के ग्राम पंचायत काक्षीकला के राज्य वित के कैशबुक मे दि0 30.4.07 को रु0 27000.00 ईंट क्रय पर दर्शित है। व्यय पक्षमे बिना व्यय प्रमाणक के तथा स्टाक पंजी के अभाव मे ईंट का आमद व उपभोग भी अप्रमाणित रहा। काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया। लेखा मैनुअल पं0रा0विभाग उ0प्र0 के अध्याय–8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार उक्त व्यय को गबन मानते हुए प्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षितहै।(सा0आ0सं0–43)	27000.00	27000.00
15	इब्राहिमाबाद–1	दोहरीघाट	प्रस्तर –21 क्षेत्रपंचायत दोहरीघाट के ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद–1 के राज्यवित खाते से प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपने नाम धनराशि आहरित कर एवं कैशबुक प्रस्तुत न कर प्रधान श्रीमती लौगी देवी एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री रामाशीष राय द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतःप्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–2)	796924.00	796924.00
16	इब्राहिमाबाद–2	"	प्रस्तर–22 क्षेत्रपंचायत दोहरीघाट के ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद–2 के राज्यवित खाते से प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपने नाम धनराशि रु0 361100.00 आहरित कर एवं कैशबुक प्रस्तुत न कर प्रधान श्रीमती पुष्पा,श्री देवेन्द्र एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री रामाशीष राय द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतःप्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–2) प्रस्तर–23 क्षेत्र पंचायत दोहरीघाट के ग्राम पंचायत इब्राहिमाबाद–2 के मनरेगा खाते से	361100.00	361100.00

	बहरामपुर	दोहरीघाट	प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा अपने नाम भिन्न तिथियो मे चेक निर्गत कर धनराशि रु0 255180.00 आहरित कर एवं कैशबुक प्रस्तुत न कर प्रधान श्रीमती पुष्पा,श्री देवेन्द्र एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री रामाशीष राय द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। अतःप्रधान एवं ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–3) प्रस्तर–24 क्षेत्रपंचायत दोहरीघाट के ग्राम पंचायत बहरामपुर के कैशबुक के व्यय पक्ष मे छात्रवृत्ति वितरण रु0 259050.00 व्यय किया गया दर्शित है। लेखापरीक्षा मे उक्त भुगतान की पुष्टि मे छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं छात्रवृत्ति कोषबही आदि प्रमुख अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया।उक्त अभिलेखो के अभाव मे छात्रवृत्ति वितरण होने की पुष्टि नही होती है।अतः काल्पनिक व्यय दर्शाकर प्रधान व ग्रा0पं0अधि0 द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया। प्रधान तथा ग्रा0पं0अधि0 से समान अंशो मे वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–21) प्रस्तर–25 क्षेत्रपंचायत दोहरीघाट के ग्रामपंचायत बहरामपुर के क्षात्रवृत्ति की धनराशि रु0. 226011.00 को वितरित न कर खाते मे रोक कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया।जिम्मेदारी प्रधान तथा ग्रा0पं0अधि0 की रही।(सा0आ0सं0–22) योग –	255180.00 259050.00 226011.00 3356181.00	255180.00 259050.00 – 3057580.

जनपद बलिया

ग्रा0 पंचायतों से सम्बंधित आपत्तियां–

प्रस्तर संख्या	ग्रा0 पं0 का नाम	विकास क्षेत्र	आपत्ति का विवरण	धनराशि (हजार में)	
				कुल	अपहरण
1	2		4	5	6
1	चाईछपरा	बैरिया	1–दिनांक 10..10..11 को बैंक से आहरित धन रू0 40.50 हजार कैश बुक में न दर्ज कर अपहरण किया गया। 2–दिनांक 31..03..11 को बैंक से आहरित धन रू0 43.20 हजार कैश बुक में न दर्ज कर अपहरण किया गया।	83.75	83.75
2	सिंहाचवरखुर्द	गड़वार	छात्रवृत्ति का अवशेष धन रू0 8100.00 दिनांक 01..04..11 से 31..03..12 तक प्रधान द्वारा रोके रखना एवं बैंक जमा न कर राजस्व की हानि ।	8.10	0.00
3	पक्काकोट	गड़वार	मनरेगा श्रमांश खाते का धन रू0 29..08 हजार दिनांक 01..04..11 से 31..03..12 तक प्रधान द्वारा रोके रखना एवं बैंक जमा न कर राजस्व की हानि ।	29.08	0.00
4	फेफना	गड़वार	निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं करके रू0 1503.17 हजार का अपहरण– 1.ग्रा0 नि0 प्रथम खा0सं0 4894..... रू0 237.74 हजार। 2.छात्रवृत्ति खा0सं0 4600 ..... रू0 649.78 हजार। 3.मनरेगा श्रमांश खा0 सं0 11057..... रू0 424.99 हजार। 4.मनरेगा सामग्री खा0 सं0 15095..... रू0 190.66 हजार।	1503-17	1503-17

मण्डल का नाम :वाराणसी

जनपद का नाम :वाराणसी

_ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:–

प्रस्तर सं0	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	आपत्ति का विवरण	धनराशि
प्रस्तर–1 2(ख)	हथियरकला	चोलापुर	मनरेगा योजना से विद्यालय परिसर में गड्ढा पटाई कार्य पर फर्जी व्यय	55500.00
2(ग)	अवलेशपुर	काशी बिद्यापीठ	छात्रवृत्ति की ध्णनराशि नकद रोककर	3600.00
प्रस्तर–2 2(ख)	हथियरकला	चोलापुर	ग्राम निधि प्रथम योजना से फर्जी/सादे कागज पर व्यय प्रमाणक से फर्जी व्यय दर्शित	1250.00
प्रस्तर–3 2(ख)	हथियरकला	चोलापुर	ग्राम निधि प्रथम में हैण्डपम्प मरम्मत पर अपुष्टित/अनियमित व्यय	20815.00
प्रस्तर–4 2(क)	मढ़ौली	काशी विद्यापीठ	मनरेगा योजना में त्रुटिपूर्ण स्टीमेट व एम0वी0 प्रस्तुत कर	9520.00
2(ख)	अखरी	काशी विद्यापीठ	सामग्री क्रय/मजदूरी का प्रमाणक न प्रस्तुत कर	28211.00
2(ख)	पेटावर	काशी विद्यापीठ	सामग्री क्रय/मजदूरी का प्रमाणक न प्रस्तुत कर	15810.00
प्रस्तर–5 2(क)	अवलेशपुर	काशी विद्यापीठ	मनरेगा योजनाओ की खड़ंजा कार्य की चौड़ाई अधिक दर्शित कर	31782.00
2(क)	नरोत्तमपुर	काशी विद्यापीठ	हैण्डपम्प मरम्मत बिना कार्य स्थल दर्शित किये	20080.00
2(ख)	अवलेशपुर	काशी विद्यापीठ	सामग्री क्रय का प्रमाणक न प्रस्तुत कर	19199.00
2(ख)	अखरी	काशी विद्यापीठ	राज्य वित्त की धनराशि फीडिंग कार्य में व्यय कर	3000.00
2(ख)	बेटावर	काशी विद्यापीठ	राज्य वित्त की धनराशि फीडिंग कार्य में व्यय कर	1000.00
2(ख)	नरोत्तमपुर	काशी विद्यापीठ	खड़ंजा कार्य हेतु ईट क्रय किन्तु उपभोग न करना व स्टाक रजिस्टर में दर्ज न कर	113600.00
प्रस्तर–6 2(ख)	अवलेशपुर	काशी विद्यापीठ	राज्य वित्त की धनराशि फीडिंग कार्य में व्यय कर	3500.00

जनपद का नाम :चन्दौली

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:–

प्रस्तर सं0	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	आपत्ति का विवरण	धनराशि
प्रस्तर–1 2(क)	बौरी	नियमताबाद	मनरेगा योजना में बैंक खाते में आहरित धनराशि की कैशबुक में प्रविष्टि न कर	42450.00
प्रस्तर–1 2(क)	सेमरा	नियमताबाद	बैंक से आहरित धनराशि को कोषबही में आय न दर्शित कर	20000.00
प्रस्तर–1 2(ख)	सेमरा	नियमताबाद	बैंक से आहरित धनराशि को कोषबही में आय न दर्शित कर	5000.00
प्रस्तर–1 2(ख)	कम्हरिया	बरहनी	व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत न कर	347000.00
प्रस्तर–2 व 3	–	–	–	–
प्रस्तर–4 2(ख)	जरखोर कला	चन्दौली	बैंक से आहरित धनराशि की कोषबही में प्रविष्टि न कर	9000.00
प्रस्तर–4 2(ख)	नेगुरा	चन्दौली	फर्जी स्टेशनरी क्रय दर्शित कर	5500.00
प्रस्तर–5 2(क)	बहेरा	चन्दौली	मनरेगा खाते में विवरणहीन व काल्पनिक व्यय दर्शाकर	72200.00
प्रस्तर–5 2(ख)	करवदिया	चकिया	राज्य वित्त योजना के धन से हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय के प्रमाणक प्रस्तुत न कर	5000.00
प्रस्तर–5 2(ख)	सिरसी	चन्दौली	फर्जी स्टेशनरी क्रय दर्शित कर	10060.00
प्रस्तर–6 2(क)	चक	चन्दौली	मनरेगा योजना में खाते से आहरित धनराशि की कैशबुक में प्रविष्टि न कर	48720.00
प्रस्तर–7 2(ख)	जेवरियाबाद	धानापुर	सामग्री क्रय एवं हैण्ड पम्प मरम्मत के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर	101601.00

जनपद का नाम–गाजीपुर
ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां:–

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–गुम्मा विकास खण्ड–मनिहारी जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में दिनांक–12–11–11 को मनरेगा कैशबुक में रू0–20750.00 पौध क्रय मद में व्यय दर्शित की गयी है उक्त क्रय की पुष्टि में क्रय प्रमाणक उपलब्ध हुआ परन्तु मजदूरी, कार्य स्थल का विवरण, M.B. Estimate प्रस्ताव सं0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा। अतः बिना मजदूरी भुगतान किये पौध क्रय तक्र संगत प्रतीत नही होता है। अस्तु पौध क्रय के औचित्य की पुष्टि न की जासकी।

(सा0आ0सं0–17)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–गुम्मा विकास खण्ड–मनिहारी

दिनांक–11–04–2011 को मनरेगा कैशबुक से रू0–10,000.00 प्रशासनिक मद में व्यय दर्शित है उक्त की पुष्टि में कोई भी अभिलेख (प्रमाणक, आदेश, स्वीकृति आदि) ले0प0 में अप्राप्त रहा, अस्तु उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

(सा0आ0सं0–18)

प्रस्तर–3

ग्राम सभा का नाम–गुम्मा विकास खण्ड–मनिहारी

आलोच्य वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति कोषवही के विभिन्न तिथियों/वितरण रजिस्टर द्वारा रू0–326002.00 का नगद भुगतान छात्रवृत्ति के मद में विभिन्न विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को किया गया दर्शित है परन्तु सम्बन्धित अनुदान देयता विभागो की प्रमाणित सूची एवं निर्धारित दर, प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण छात्र/छात्राओं की पुष्टि न की जा सकी। अतः प्रमाणित सूची, दर, प्रमाण पत्र तथा वितरित छात्राओं की उपभोग सूची प्रमाणित कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–20)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–मीठठापारा विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

रामनगीना के घर से छांगुर के घर तक पक्की नाली पर निर्माण हेतु माप पुस्तिका के अनुसार निम्न व्यय का आंकलन किया गया।

दर क्रय 24000 X 3.1 = 74400.00 रू0

किन्तु उक्त कार्य पर कैशबुक के अनुसार रू0 80600.00 व्यय खारिज कर 6200.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्री शिवपूजन यादव एवं रमाशंकर सिंह कुशवाहा ग्रा0प0वि0अधि0 द्वारा किया गया, जिसकी वसूली मय ब्याज अपेक्षित है।

	नग		दर		मूल्य
15–04–11	8000	X	3.1	=	24800
15–04–11	12000	X	3.1	=	37200
24–04–11				=	18600
				योग	80600

(वा0सं0–84000X 3.1= 12400)

किन्तु खारिज 18600.00 अन्तर 6200.00

(सा0आ0सं0–6)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–मीठठापारा विकास खण्ड–बिरनो
जनपद–गाजीपुर

छांगुर के घर से हरिहर के खेत तक नाली निर्माण पर मापन पुस्तिका के अनुसार ईंट क्रय 16700 X 3.1 = 51770.00 रू0 का आंकलन किया गया। किन्तु कैशबुक में दिनांक–06–06–2011 को 52080.00रू0 खारिज किया गया। अन्तर धनराशि रू0 310.00 की वसूली श्री शिवपूजन यादव तत्कालीन प्रधान एवं श्री रमाशंकर सिंह कुशवाहा ग्रा0प0वि0अधि0 से वसूली अपेक्षित हैं।

(सा0आ0सं0–7)

प्रस्तर–3

ग्राम सभा का नाम–मीठ्ठापारा विकास खण्ड–बिरनो
जनपद–गाजीपुर

निम्न विवरण के अनुसार डेडस्टॉक का क्रय किया गया किन्तु स्टॉक पंजी के अभाव में इसकी प्रवृष्टि की पुष्टि न की जा सकी। स्टॉक पंजी में प्रवृष्टि किया जाना अपेक्षित है अन्यथा दुरूपयोग की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

दिनांक–24–04–2011	बाल्टी 5 X 220 =	1100
	तगाड़ी 5 X 125 =	625
	फावड़ा 6 X 150 =	900
	योग	2625

(सा0आ0सं0–15)

प्रस्तर–4

ग्राम सभा का नाम–मीठ्ठापारा विकास खण्ड–बिरनो
जनपद–गाजीपुर

निम्न विवरणनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर भारी धनराशि व्यय की जा रही है इस हेतु कोई हैण्डपम्प मरम्मत रजिस्टर नही बनाया गया है जिससे ज्ञात हो सके किन–किन स्थानो पर किन अवधियों में मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गयी और न कोई स्क्रैप रजिस्टर ही रखा गया है। अस्तु दर्शित व्ययो की पुष्टि नही की जा सकी।

02–04–11	=	2500
20–05–11	=	3600
24–10–11	=	6000
	योग	12100

(सा0आ0सं0–18)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–भवानीपुर विकास खण्ड–करण्डा जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में ग्राम निधि 1 के कैशबुक के व्यय पक्ष में दिनांक–21–12–12 को सुरेन्द्र के घर से भोला के घर तक खड़न्जा कार्य पर 9000 ईट प्रथम श्रेणी @ 3600/– की दर से 32400.00 दर्शित है लेकिन इसका कोई भी प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि व्यय में धन दर्शित कर उक्त धन का अपहरण किया गया है।

(सा0आ0सं0–18)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–भवानीपुर विकास खण्ड–करण्डा जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में बारहवाँ वित के कैशबुक मं 28 $^{2}/_{12}$ को हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान दर्शित कर रू0–10000.00 का व्यय दर्शित किया गया है लेकिन उसका भी कोई प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धन का अपहरण किया गया।

(सा0आ0सं0–19)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–टांडा विकास खण्ड–सादात जनपद–गाजीपुर
वर्ष 11–12 में रोजगार सेवक निधि तिवारी को माह अक्टूबर 11 से फरवरी 12 तक का मानदेय रू0–12500.00 का भुगतान विभिन्न तिथियों में किया गया है। मानदेय का विवरण मानदेय रजिस्टर बनाकर नही रखा गया है। अतः बकाया भुगतान की स्थिति अपुष्ट रही।
(सा0आ0 सं0–2) (मनरेगा)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–टांडा विकास खण्ड–सादात जनपद–गाजीपुर
दिनांक–13–07–11 को प्रमाणक सं0–12 से C.A. को ग्राम पंचायतों के अभिलेखों के आधार पर बुकलेट तैयार करने हेतु रू0–20000.00 का नगद भुगतान किया गया है लेखा परीक्षण में तैयार की गयी बुकलेट प्रस्तुत नही की गयी। भुगतान प्राप्त कर्ता से यथार्थ धनराशि की रसीद प्राप्त नही की गयी है। अतः भुगतान के औचित्य की पुष्टि नही की जा सकी
(सा0आ0सं0–3) (राज्यवित्त)

प्रस्तर–3

ग्राम सभा का नाम–टोडा विकास खण्ड–सादात जनपद–गाजीपुर
वर्ष 11–12 में 51 शौचालयों के निर्माण पर रू0 104119.00 का व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा के चयनित लाभार्थियों की सूची तथा A.D.O. (P) की सत्यापन रिपोर्ट नही प्रस्तुत की गयी। अतः दर्शित भुगतान की पुष्टि न की जा सकी।
(सा0आ0सं0–3) (राज्यवित्त)

प्रस्तर–1

ग्रा0पं0 नाम–पट्टीगरीब उर्फ मई विकास खण्ड–सादात जनपद–गाजीपुर
वर्ष 11–12 में रोजगार सेवक को रू0 37500.00 मानदेय का भुगतान किया गया है। मानदेय का विवरण मानदेय रजि0 बनाकर रखा जाना चाहिये अन्यथा वित्तीय अनियमित्ता की सम्भावना बन सकती है।
(सा0आ0सं0–2) (मनरेगा)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–सलेमपुर बधाई विकास खण्ड–सादात जनपद–गाजीपुर
मनरेगा से सम्बन्धित वर्ष 11–12 में किये गये व्यय रू0–675002.00 की पुष्टि में अभिलेख अनुपलब्ध रहा। (सा0आ0सं0–1) (मनरेगा)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–सलेमपुर बधाई विकास खण्ड–सादात जनपद–गाजीपुर
लेखा परीक्षा वर्ष 11–12 में ग्राम निधि खाते से निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किया गया है–

		श्रम	सामग्री	योग
1.	नथई के घर से शिवपूजन के घर तक खडंजा मरम्मत	18000.00	88000.00	106500.00
		05.02.11	05.02.11	
2.	रामा के घर से रामचन्दर के घर तक खडंजा मरम्मत	12000.00	78500.00	90500.00
		05.07.11	08.07.11	
3.	नवल के घर से खेदन के घर तक खडंजा मरम्मत	9960.00	70000.00	79660.00
		06.03.12	06.03.12	
			कुल योग	276960.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है–

1– ईट क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक तथा मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल प्रस्तुत नही है।

2– स्टॉक रजिस्ट्रर प्रस्तुत नही रहा। कैशबुक में ईट की मांगा व दर अंकित नही है।

3– कार्यो से सम्बन्धित डण्ठण प्रस्तुत नही रहा, इससे सामग्री तथा श्रम पर व्यय अप्रमाणित रहा।

4– ईट आपूर्तिकर्ता फर्म से ज्ण्क्ण्ण् या आयकर की कटौती नही की गयी है।

उक्त आपत्ति के क्रय में किया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामाश्रय सिंह यादव व सचिव श्री विरेन्द्र यादव से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–20) (राजयवित)

प्रस्तर–3

ग्राम सभा का नाम–सलेमपुर बधाई वि0क्षे0–सादात

ग्राम निधि खाता से दिनांक–29–06–2011 को रू0–20000.00 अंजर आलम C.A. को भुगतान किया गया है उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है–

(1) भुगतान से सम्बंन्धित C.A. की प्राप्ति रसीद नही है।

(2) भुगतान किस वर्ष के हेतु किया गया अंकित नही है, तैयार किया गया। अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है। बकाये का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा।

(3) लेखापरीक्षा 08–09 से 11–12 के बीच C.A. हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण अंकित नही है, यदि खाते में ब्ण् के मद की धनराशि भी तो खाते में Minibal बार–बार इससे कम–कर अन्य मदो में व्यय किया जाता रहा।

उक्त आपत्तियों के क्रम में व्यय धनराशि अप्रमाणित व फर्जी प्रतीत होता है, इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामाश्रय सिंह यादव व सचिव श्री वीरेन्द्र यादव से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–21 रा0वि0)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–विराहिमपुर विकास खण्ड–जखनियाँ जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की निधि । के बैंक U.B.I. हुरमुजपुर खाता सं0–3398 से रू0–443525.00 की धनराशियाँ विभिन्न तिथियों में आहरित की गयी दर्शित है परन्तु उक्त आहरित धनराशियों के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में कैशबुक एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार नही किये गये हैं लेखा परीक्षा में मांग बैंक पासबुक ही उपलबध कराया गया। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न मदों की प्राप्त अनुदान की धनराशियों का आहरण कर ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी दयाशंकर राम द्वारा गम्भीर अनियमित्ता की गयी है जिसकी ब्याज वसूली हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–2)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–विराहिमपुर वि0क्षे0–जखनियाँ

वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा में मनरेगा से सम्बन्धित बैंक खाता सं0–यू0बी0आई0 हुरमुजपुर 4621 से विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि 805424.00 आहरित किया गया है परन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में कैशबुक एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार नही किये गये है तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत भी नही किये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा मे मात्र बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया गया। उक्त से स्पष्ट होता है कि

प्राप्त अनुदान की धनराशि आहरण कर ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव एवं ग्रा0वि0अ0 दयाशंकर राम द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता की गयी है।

(सा0आ0सं0–3)

प्रस्तर–3

ग्राम सभा का नाम–बिराहिमपुर वि0क्षे0–जखनियाँ

वर्ष 11–12 की लेखा परीक्षा के ग्राम निधि तृतीया खाता सं0–14429 यू0बी0आई0 जखनियाँ से विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रू0 564232.00 आहरित किया गया है परन्तु उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय की पुष्टि में केशबुक एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार नही किये गये है तथा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत भी नही किये गये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में मात्र बैंक पासबुक ही उपलब्ध कराया गया। अतः इससे स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान की धनराशि आहरण कर ग्रा0प्रधान श्री राजेश यादव ग्रा0वि0अ0 दयाशंकर राम द्वारा संयुक्त रूप गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–नसीरपुर विकास खण्ड–मनिहारी जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में राज्य वित्त के कैशबुक के विभिन्न तिथियों/बाउचरों में ग्राम पंचायत द्वारा रू0–834910/– मूल्य के सीमेन्ट बालू गिट्टी मिट्टी कार्य सरिचा ह्यूमपाईप क्रय मजदूरी आदि पर व्यय किया गया दर्शित है। निर्माण समिति के प्रस्ताव पत्र कार्यवाही पंजी, अप्राप्त रहा। स्टाक पंजी के अभाव में क्रय सामानों की प्राप्ति उपभोग एवं वर्षान्त में अवशेष की पुष्टि नही की जा सकी। अतः स्टाक पंजी, के अभाव में क्रय स्टाक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्यो की स्थिति एवं निर्माण कार्य रजि0 एवं सृजित परि सम्पति पंजी के अभाव में क्रय सामान की वस्तु स्थिति एवं निर्माण कार्यों की वस्तु स्थिति अस्पष्ट रही।

(सा0आ0सं0–12)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–नसीरपुर विकास खण्ड–मनिहारी जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामग्री पर 327761/– व श्रमांश पर 355200/– कुल 682961/– के व्यय की पुष्टि में उपलबध कृत कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में निम्न न्यूनताएं प्रकाश में आयी।

(1) कृत कार्य 60:40 के अनुपात में नही रहा।
(2) परिसम्पति पंजी अनुपलब्ध रहा।
(3) स्टाक पंजी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।
फलतः क्रय स्टाक के आमद के सापेक्ष उपभोग की स्थिति अपुष्ट रही।
(4) जॉब काड पंजी के अभाव में जाब कार्ड धारक परिवारों को सामानुपातिक रूप से रोजगार मुहैया कराने की स्थिति अस्पष्ट रही।
(5) वर्ष में मनरेगा के अन्तर्ग M/S फीडिंग की प्रति अनुपलब्ध होने से की दशा में फीडिंग की स्थिति अज्ञात रही।
(6) मनरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यो से सम्बन्धित मास्टर रोलो के अग्रभाग एवं प्रपत्र भाग के कालम एवं प्रविष्टिय नही भरे गये हैं।

(सा0आ0सं–18)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–परेवा विकास खण्ड–मनिहारी जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में प्रस्तुत किये गये ग्राम निधि प्रथम के कोष बहियों के विभिन्न बाउचरो। तिथियों में ग्राम सभा द्वारा 242104 रू0 मूल्य के सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, मिट्टी, ह्यूम पाईप, मजदूरी आदि पर व्यय किया गया दर्शित है परन्तु निर्माण समिति के प्रस्ताव पत्र एव कार्यवाही पंजी तथा स्टॉक पंजी के अभाव में क्रय समानों की प्राप्ति प्रयोग एवं वर्षान्त में अवशेष की स्थिति की पुष्टि न की जा सकी, साथ ही कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव मं कृत कार्य पुष्टि न की जा सकी।

अतः स्टॉक पंजी तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वर्षान्त तथा क्रय समानों तथा कृत कार्यों की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–11)

वर्ष 11–12 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामग्री पर रू0–359026.00 व श्रमांश पर रू0–786720.00 कुल रू0 1145746.00 के व्यय के पुष्टि में उपलबध कृत कार्यो सम्बन्धित पत्रावली के जाँच में निम्न न्यूनतायें प्रकाश में आयी।

(1) कृत कार्य 60:40 के अनुपात में नही रहा।

(2) परिसम्पति पंजी अनुपलब्ध रहा।

(3) स्टाक पंजी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।
फलतः क्रय स्टाक के आमद के सापेक्ष उपभोग की स्थिति अपुष्ट रही।

(4) जॉब कार्ड पंजी के अभाव में जाब कार्ड धारक परिवारों को सामानुपातिक रूप से रोजगार मुहैया कराने की स्थिति अस्पष्ट रही।

(5) वर्ष में मनरेगा के अन्तर्ग M/S फीडिंग की प्रति अनुपलब्ध होने से की दशा में फीडिंग की स्थिति अज्ञात रही।

(6) मनरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यो से सम्बन्धित मास्टर रोलो के अग्रभाग एवं प्रपत्र भाग के कालम एवं प्रविष्टिय नही भरे गये हैं।

(आपत्ति Same as नसीरपुर)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–तियरा विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में हैण्डपम्प के मरम्मत पर रू0 80834 की भारी धनराशि व्यय की गयी है। इस हेतु कोई हैण्डपम्प मरम्मत पंजी नही बनायी गयी है, जिससे ज्ञात हो सके कि किन अवधियों में मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है। न ही कोई स्कैप रजि0 ही रखा गया है। अस्तु दर्शित व्यय की वैधता की पुष्टि नही की जा सकी।

(सा0आ0सं0–14)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–तियरा विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

दिनांक–10–05–11 को नील इण्टर प्राइजेज गोरखपुर से बिना कोटेशन, टेण्डर आमंत्रित किये, सी0एफ0एल0 रू0–26000/– क्रय किये गये है, इस हेतु निर्माण कार्य समिति कि संस्तुति प्राप्त नही की गयी है और कहाँ–कहाँ लगाया गया इसका प्रमाण अप्रस्तुत रहा, सी0एफ0एल0 बल्व की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–16)

प्रस्तर–3

ग्राम सभा का नाम–तियरा विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

दि0–31–03–12 को प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति की एक धनराशि 18190=00 अपने पास रोक रखी गयी है जो एक गम्भीर प्रकरण है। ब्याज सहित इसको जमा करना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–22)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–मलेथी विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में राज्यवित्त आयोग बारहवे व तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत 327934 रू0 का ख0जा0, नाली स्ट्रीट लाईट, कोर्स लिफ्ट, हैण्ड पम्प, ह्यूम पाईप आदि पर व्यय भुगतान कैशबुक में दर्शाया जा रहा है जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, नक्शा, इस्टीमेट निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति मापन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति जाँच रिपोर्ट, परिसम्पति रजि0, सत्यापन प्रमाण पत्र आदि अप्रस्तुत रहा, जिससे उपर्युक्त व्ययो की पुष्टि नही की जा सकती, पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–7)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–मलेथी विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

वर्ष 11–12 में ह्यूम पाईप पर 58474 रू0 का भुगतान किया गया है, ह्यूम पाईप किन–किन स्थानों पर लगाया गया है, इसकी दरे उ0प्र0 राज्य लघु उद्योग निगम लि0 निर्धारित दरों के अनुरूप हे। इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही ह्यूम पाईप के स्थापना के सत्यापन प्रमाण ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। अस्तु व्ययों की वैधता की पुष्टि न की जा सकी, विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–10)

प्रस्तर–3

वर्ष 11–12 में स्ट्रीट लाईट हेतु रू0 30,000/– व्यय दर्शाया जा रहा है। इस हेतु कोई कोटेशन की मांग नही की गयी न ही गुणवत्ता के सम्बन्ध में समिति संस्तुति ही प्राप्त की गयी। स्ट्रीट लाईट/CFL किन–किन स्थानों पर लगाया गया इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नही रहा, विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

(सा0आ0सं0–11)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–तारनपुर विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

दि0–24–01–12 को 9990.00 रू0 का कैमरा खरीद किया गया है किन्तु स्टाक बुक के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी। स्टाक बुक में प्रविष्टी कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–09

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–देवकठिया विकास खण्ड–बिरनो जनपद–गाजीपुर

दि0–08–08–11 को नील इण्टरप्राईजेज गोरखपुर से बिना टेंडर, कोटेशन आमंत्रित किये निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में सी0एफ0एल0 क्रय किये गये हे। इस हेतु निर्माण कार्य समिति की सन्तुति भी प्राप्त नही की गयी और कहाँ–कहाँ लगाया गया। इसका प्रमाण अप्रस्तुत रहा। अस्तु दर्शित व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।

17 X 1700	= 28,900= 00
9 X 2000	= 18000= 00
1 X 4000	= 4000 =00
	50,900=00 रू0

(सा0आ0सं0–19)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–उत्तमपुर विकास खण्ड–मुहम्मदाबाद जनपद–गाजीपुर

ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता–K65ZB शाखा–राजापुर से दि0–25–08–11 व 27–08–11 को क्रमशः रू0–10,000.00 व 10,000.00 कुल रू0–20,000.00 आहरित किया गया परन्तु इसे कोष वही में प्रविष्टी नही की गयी। अतः रूपये 20,000=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हंसलाल राम व सेक्रेटरी भी सूर्यमान कुमार राय से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित हैं। (सामान्य आ0सं0–3)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–बरेजी विकास खण्ड–मुहम्मदाबाद जनपद–गाजीपुर

दि0–12–10–11 को ग्राम सभा में पौधारोपण हेतु मनकामेश्वर सेवा संस्थान प्रीतम काम्प्लेक्स (द्वितीय तल) अर्दली बाजार वाराणसी से रू0–22,000=00 के पौध क्रय किये गये है। पौध के उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी से अवगत कराना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–10)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–सलेमपुर विकास खण्ड–मुहम्मदाबाद जनपद–गाजीपुर

दि0–07–05–11 को के0जी0एस0जी0डी0 शाखा–युसूफपुर ग्राम निधि खाता सं0 रू0–12000=00 आहरित किया गया परन्तु कोष वही में मात्र रू0–10,000=00 ही प्रविष्टी किया गया। इस प्रकार रू0–2000=00 कम आय दर्शित है जिसकी वसूली श्रीमती आफती देवी ग्राम प्रधान व श्री सूर्यभानु कुमार राय, सचिव से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–4)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–चकफातिमा उर्फ बैरक विकास खण्ड–जखनियाँ

वर्ष 11–12 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0–657355=00 का भुगतान मनरेगा योजना के मद में दर्शित है परन्तु उक्त मद से कराये गये निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की वार्षिक कार्य योजना कार्य का प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनुमानित व्यय जाब कार्ड एवं मापन पुस्तिका जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण मनरेगा योजना के मद से किये गये भुगतानों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों को प्रस्तुत कर उक्त मदों में किये गये भुगतान के जाँचोपरान्त पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–19)

प्रस्तर–2

ग्राम सभा का नाम–चकफातिमा उर्फ बैरक विकास खण्ड–जखनियाँ

वर्ष 11–12 मं ग्राम पं0 के कोष बही के विभिन्न बाउचरों की तिथियो में रू0–385009=00 का भुगतान नकद छात्रवृत्ति के मद में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को किया जाना दर्शित है परन्तु सम्बन्धित अनुदान देयता, विभागों की प्रमाणित सूची के अभाव में वितरण रजि0 में दर्शित छात्रों तथा दर के अभाव में भुगतान की गयी धनराशियों तथा विद्यालय के छात्रों का एलवम एंव प्रधानाध्यापिका के प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण छात्रवृत्ति मद में किये गये नकद भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अतः प्रमाणित सूची एवं वितरित प्रमाण दर प्रस्तुत कर नकद भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–20)

प्रस्तर–1

ग्राम सभा का नाम–सहाबपुर विकास खण्ड–जखनियाँ

वर्ष 11–12 में ग्राम पंचायत द्वारा रू0–617869=00 का भुगतान मनरेगा योजना के मद में किया गया दर्शित है परन्तु उक्त मद में कराये गये निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की वार्षिक कार्य योजना, कार्य का प्रस्ताव, एवं स्वीकृत, अनुमानित ब्याज, जॉब कार्ड एवं मापन पुस्तिका इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण मनरेगा योजना के मद में किये गये भुगतानों की पुष्टि नही की जा सकी। अतः उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों को प्रस्तुत कर उक्त मदों में किये गये भुगतानों की जाँचोपरान्त पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0–19)

जनपद का नाम – जौनपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर संख्या–1	ग्राम पंचायत दलपट पट्टी विकास क्षेत्र सिरकोनी ग्राम निधि प्रथम बैंक पास बुक के अनुसार 11–12 में आहरित रू0 10000 से सम्बन्धित व्यय प्रमाण प्रस्तुत नही कर अपहरण किया जाना रू0 10000.00
	ग्राम पंचायत अहमदपुर विकास क्षेत्र सिरकोनी ग्राम निधि प्रथम बैंक पास बुक के अनुसार 11–12 में आहरित रू0 265400 से सम्बन्धित व्यय प्रमाण प्रस्तुत नही कर अपहरण किया जाना रू0 265400.00
	ग्राम पंचायत बिरमपुर विकास क्षेत्र मुपतीगंज वर्ष 2009–10 में हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दिखा कर अपहरण रू014785.00
	ग्राम पंचायत रायपुर विकास क्षेत्र धर्मापुर खडंजा मरम्मत हेतु ईट पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण रू0 36000.00
	ग्राम पंचायत रत्तीपुर विकास क्षेत्र धर्मापुर खडंजा निर्माण हेतु ईट पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर अपहरण रू0 32000.00
	ग्राम पंचायत सरायरैचन्द विकास क्षेत्र सिकरारा खातों से धनराशि आहरित कर कोषबाही तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही कर वर्ष 2009–10 में रू0 118650.00 का अपहरण रू0 118650.00
	ग्राम पंचायत एकौनी विकास क्षेत्र मुपतीगंज मध्याहन भोजन व स्वच्छशौचालय की धनराशि का खड़जा मरम्मत व अन्य कार्यो पर व्यय कर गम्भीर अनियमितता रू0 201002.00
प्रस्तर संख्या–2	ग्राम पंचायत हरीपुर विकास क्षेत्र बरसठी हैण्डपम्प चबूतरा मरम्मत हेतु ईट एवं बालू क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण रू0 20000.00
	ग्राम पंचायत अहमदपुर विकास क्षेत्र सिरकोनी वर्ष 2011–12 रू0 152000 खाता ग्राम निधि प्रथम से आहरित किन्तु व्यय प्रमाणक कैशबुक एवं अन्य आवश्यक पंजिका प्रस्तुत न कर आहरित धन का अपहंरण रू0 152000.00
	ग्राम पंचायत बिरमपुर विकास क्षेत्र मुपतीगंज काल्पनिक यात्रा व्यय दर्शाकर आहरित धनराशि का अपहरण रू0 3000.00
	ग्राम पंचायत बारा विकास क्षेत्र शाहगंज एम0डी0एम0 एवं छात्रवृत्ति खाते से आहरित धनराशि प्रधान द्वारा विगत वर्ष से अपने पास रखना रू0 15246.00
	ग्राम पंचायत पाराकमाल विकास क्षेत्र शाहगंज छात्रवृत्ति खाते में आहरित धनराशियों को कैशबुक के आय पक्ष में अंकित न कर धन का अपहरण रू0 155800.00
	ग्राम पंचायत रायपुर विकास क्षेत्र धर्मापुर खड़न्जा निर्माण हेतु लगे मजदूरों काल्पनिक मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण रू0 13920.00

	ग्राम पंचायत रत्तीपुर विकास क्षेत्र धर्मापुर खड़न्जा निर्माण हेतु लगे मजदूरों काल्पनिक मजदूरी पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण रू0 8000.00
	ग्राम पंचायत सरसरा विकास क्षेत्र बरसठी खडन्जा ईट क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण रू0 46800.00
	ग्राम पंचायत गोठांव विकास क्षेत्र बरसठी खड़न्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर खाता संख्या 6378 सें रू0 36000 का अपहरण रू0 36000.00
	ग्राम पंचायत चकनरयनपुर विकास क्षेत्र बरसठी खड़न्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर दिनांक 21.02.2011 को ग्राम निधि प्रथम (खाता संख्या 2028 से धन का अपहरण रू0 36000.00)
प्रस्तर संख्या–3	ग्राम पंचायत हरीपुर विकास क्षेत्र बरसठी नाली निर्माण हेतु ईट बालू तथा सीमेंन्ट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण रू0 35650.00
	ग्राम पंचायत सरसरा विकास क्षेत्र बरसठी 10 नग हैन्डपम्प मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण रू0 24900.00
	ग्राम पंचायत गोठांव विकास क्षेत्र बरसठी खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर खाता संख्या 6378 से रू0 50000 का अपहरण रू0 50000.00
	ग्राम पंचायत चकनरायनपुर विकास क्षेत्र बरसठी खड़न्जा मरम्मत हेतु ईट क्रय पर फर्जी व्यय दर्शाकर दिनांक 15.07.2011 को राज्य वित्त से (खाता संख्या 2028) का अपहरण रू0 50000.00
प्रस्तर संख्या–4	ग्राम पंचायत हरीपुर विकास क्षेत्र बरसठी नाली निर्माण हेतु ईट,बालू तथा सीमेंन्ट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण रू0 35350.00
	ग्राम पंचायत सरसरा विकास क्षेत्र बरसठी खडन्जा मरम्मत ईट क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण रू0 99400.00
	ग्राम पंचायत गोठांव विकास क्षेत्र बरसठी इण्डिया मार्का दो हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण रू0 10000.00
प्रस्तर संख्या–5	शून्य
प्रस्तर संख्या–6	ग्राम पंचायत मेदपुर बनकट विकास क्षेत्र मछलीशहर दिनांक 28.05.2010 को कोषबही के अनुसार खडन्जा मरम्मत पर व्यय धनराशि पर रू0 20000 से सम्बन्धित बाउचर/प्रमाणक ले0प0में प्रस्तुत नही किया गया। रू0 20000.00
	ग्राम पंचायत मेदपुर बनकट विकास क्षेत्र मछलीशहर दिनांक 23.07.2010 को कोषबही के अनुसार खडन्जा निर्माण हेतु ईट क्रय पर व्यय धनराशि रू0 25000से सम्बन्धित बाउचर/प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत नही किया गया। रू0 25000.00
	ग्राम पंचायत रामपुर चौथार विकास क्षेत्र मछलीशहर दिनांक 14.12.2009 को कोषबही के अनुसार हयुम पाईप क्रय पर व्यय रू0 23250 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/बाउचर ले0प0 में प्रस्तुत नही किया गया। रू0 23250.00
	ग्राम पंचायत रामपुर चौथार विकास क्षेत्र मछलीशहर ले0प0 वर्ष 2010–11 के कोषवही के अनुसार निम्नांकित दिनांकों में आहरण दिनांक 20.05.2010 को रू0 9000,दिनांक 15.05.2010 को रू0 5000,दिनांक 28.5.2010 को

	रू0 21600,दिनांक 16.06.2010 को रू0 13000,दिनांक 06.07.2010 को रू0 14400,दिनांक 15.07.2010 को रू0 18000दिनांक 31.07.2010 को रू0 10000एवं दिनांक 10.03.2011 को रू0 20000 कुल रू0 111000 का आहरण किया गया है ।पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया है। रू0 111000.00
प्रस्तर संख्या–7	ग्राम पंचायत घिसुआखुर्द विकास क्षेत्र मछलीशहर दिनांक 04.10.2011 को कोषवही के अनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि रू0 20000 से सम्बन्धित बाउचर/प्रमाणक ले0प0 में प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण रू0 20000.00
प्रस्तर संख्या–8	ग्राम पंचायत घिसुआखुर्द विकास क्षेत्र मछलीशहर दिनांक 25.03.2012 एवं दिनांक 26.03.2012 को क्रमशः रू0 25000 व रू0 30000 कोषवही के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय पर प्रोत्साहन राशि व्यय दर्शाकर उक्त से सम्बन्धित लाभार्थी की सूची एवं उपभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले0प0में प्रस्तुत नही किये जाने के कारण व्यय धनराशि अपुष्ट रहा रू0 55000.00
	ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर विकास क्षेत्र महराजगंज वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि खातों से धनराशि आहरण कर के आय व्यय लेखा (कोषवही व व्यय प्रमाणक तैयार न कर के तथा जांच में प्रस्तुत न कर के धनराशि का अपहरण) रू0 219715.00
प्रस्तर संख्या–9	ग्राम पंचायत खजुरन विकास क्षेत्र महराजगंज वर्ष 2010–11 में ग्राम निधि प्रथम से रू0 182266 ग्राम निधि तृतीय (छात्रवृत्ति) से रू0 164680.00 धनराशि आहरण करके आय–व्यय लेखा (कोषबही व व्यय प्रमाणक) तैयार न करके तथा जांच में प्रस्तुत न करके अपहरण रू0 346996.00
प्रस्तर संख्या10	ग्राम पंचायत विझवट विकास क्षेत्र महराजगंज वर्ष 2011–12 में ग्रामनिधि प्रथम खाता संख्या 21076 से रू0 48200.00 निधि द्वितीय खाता संख्या 448 से रू0 37000.00 निधि तृतीय छात्रबृत्ति खाता संख्या 5283 से रू0 166920.'00 धनराशि आहरण करके आय व्यय लेखा (कोषबही व व्यय प्रमाणक) तैयार न करके तथा जांच में प्रस्तुत न करके अपहरण रू0 252320.00
प्रस्तर संख्या11	ग्राम पंचायत अहरपुर विकास क्षेत्र खुटहन माह अप्रैल से दिसम्बर 11 का मानदेय लेकर प्रधान द्वारा अपहरण रू0 4500.00

मण्डल का नाम :– विन्ध्याचल
जनपद का नाम – मीरजापुर
ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियॉः

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
	मसारी	सीटी	1–मसारी तालाब गहरी करण में प्रमाणक एम0डी0 माप पुस्तिका न होना गम्भीर अनियमितता	818040.00
			2–कूप जगत निर्माण मद में क्रय सामाग्री वर्षान्त तक अवशेष की पुष्टि में स्टाक पंजिका का प्रस्तुत न करना	109024.00
			3–कूप जगत निर्माण एवं गहरीकरण के प्रमाण माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितता	108545.00
			4– वर्ष में काटी गयी रायल्टी राजकीय कोषागार में जमा न कर खाते में रोक कर गम्भीर अनियमितता	1923.00
	योग			1037532.0

प्रस्तर सख्या –2

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
1	मेडरा	लालगंज	कैशबुक के अनुसार हयूम पाइप क्रय किया गया जिसका उपभोग न कर दुरूपयोग किया जानां	56250.00
2	थरपरसिया	लालगंज	शौचालय निर्माण हेतु क्रय की गयी सामाग्री के निर्माण की पुष्टि में कोई भी प्रमाण उपलब्ध न करा के धन का अपहरण	79765.00
3	शेरूआ	पटेहरा कला	बिना प्रमाणक के हैण्ड पम्प मरम्मत दर्शाकर के धन का दुरूपयोग	5400.00
4	बरी दूबे	छानवे	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	141300.00
5	नौगॉव	छानवे	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	120000.00
6	बौडई	छानवे	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	132000.00
7	भाउ सिंह का पुरा	छानेव	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का दुरूपयोग	188950.00
8	लालापुर	हलिया	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	41340.00
9	गजरिया	हलिय	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	53200.00
10	भटवारी	हलिया	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक्र कार्यपूर्ति माप	194312.00

			पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	
11	पुरजागीर	कोन	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	456520.00
12	विष्णुपट्टी	कोन	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	52545.00
13	जगापट्टी	कोन	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	124740.00
14	नियामतपुर खुर्द	नरायणपुर	बैक से आहरित धनराशि को कैश बुक मे व्यय एवं अवशेष न दिखाकर धन का अपहरण	60000.00
15	परशुरामपुर	नरायणपुर	छात्रवृति वापस किये जाने के सापेक्ष प्राप्ति रसीद न प्रस्तुत कर अनियमितता	129000.00
16	अमिरिती	पहाडी	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	397788.00
17	मुकुन्दपुर	सीखड	व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक कार्यपूर्ति माप पुस्तिका,आदि अभिलेख पुष्टि में न प्रस्तुत कर अनियमितता	23500.00
18	सेमरा बेलौहा	सीटी	विवरण रहित ,कार्य स्थल पर खण्डजा मरम्मत पर श्रमिको को फर्जी भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण	27270.00 1380.00
			शौचालय क्रय मद में विवरण हिन व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता	5000.00
19	मसारी	सीटी	1– श्रमिकों को फर्जी भुगतान कर धनराशि का अपहरण	600.00
			2–लेटर पैड पर सामाग्री क्रय कर एवं आवश्यकता से अधिक बालू क्रय कर गम्भीर अनियमिता	81708.00
			3– हैण्ड पम्पों की मरम्मत में श्रमिकों को फर्जी भुगतान कर धनराशि का अपहरण	600.00
			4– विवरणहिन व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमिता	67400.00
			5– बदले गये पार्ट की स्टाफ पंजी का न बनाया जाना व विवरण रहित व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमिता	145000.00
			6– बिना स्टीमेट के नियमों के अनुसार व्यय न कर गम्भीर अनियमितता	142440.00
			7– शौचालय निर्माण मद में लेटर पैड पर सामाग्री क्रय करना व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर के गम्भीर अनियमिता	190800.00
			8– लेटर पैड पर सामाग्री क्रय कर गम्भीर अनियमितत	69090.00
योग				2987898.00

प्रस्तर सख्या –3

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
1	विशुनपुर	राजगढ	हैण्ड पम्प के किनारे मोंरगी करण का नगद भुगतान कर वित्तीय अनियमितता	25000.0
2	बैरमपुर	राजगढ	ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपने नाम से धन आहरित कर हैण्ड पम्प सामाग्री क्रय का भुगतान कर गम्भीर अनियमितता	40000.00
3	देवपुरा	राजगढ़	विभिन्न तिथियों में अनियमित धन से सामग्री क्रय एवं मजदूरी दर्शाकर कर धनराशि का अनियमित भुगतान	259998.00
4	रामपुर डबही	राजगढ़	सामग्री क्रय पर आपूर्ति कर्ता को एकाउन्ट पेई चेक न देकर व्यक्तिगत नाम से धन आहरित कर गम्भीर अनियमितता	68000.00
5	पसही	जमालपुर	खाते से धनराशि आहरित कर हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया किन्तु मजदूरी का भुगतान न करने के कारण धन का दुरूपयोग	18000.00
6	धोबही	जमालपुर	प्रधान द्वारा आवश्यकता से अधिक रोकड़ रख कर धन का दुरूपयोग	3738.00
7	मनई	जमालपुर	व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कैशमेमो.से न कर सादे कागज पर भुगतान कर गम्भीर अनियमितता	24000.00
8	लखक	मझवॉ	हैण्ड पम्प की क्रय सामाग्री पर मजदूरी कम दर्शाकर गम्भीर अनियमितता	97930.00
9	गजरियॉ	हलिय	व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर व्यय धन का अपहरण	15694.00
10	अमिरती	पहाड़ी	प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर व्यय का अपहरण	57215.00
11	मुकुन्दपुर	सीखड़	शौचालय निर्माण में लाभार्थी की सूची ,उपभोग प्रमाण पत्र,व कार्यपूर्ति प्रमाणक उपलब्ध न करा कर धन का दुरूपयोग / अनियमितता	79200.00 30800.00
योग				**719575.00**

प्रस्तर सख्या –4

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
1	विशुनपुरा	राजगढ़	42 माह का मानदेय का एक मुस्त भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक न प्रस्तुत कर अपहरण	25200.00
2	बैरमपुर	राजगढ़	अज्ञात व्यक्ति के नाम से हैण्ड पम्प सामग्री क्रय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता	16600.00
3	मनई	जमालपुर	वाल पेन्टिग का व्यय प्रमाणक सादे कागज पर प्रस्तुत कर गम्भीर अनियमितता	8000.00
4	अमिरती	पहाड़ी	ग्राम निधि–3 एवं मिडडेमील से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	64750.00
	मसारी	सीटी	छात्रवृत्ति वितरण के पश्चात शेष धनराशि खाते में जमा न कर दुरूपयोग	2700.00
योग				117250.00

प्रस्तर सख्या –7

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
	भरूहना	सीटी	रोकड़ शेष छात्रवृत्ति की धनराशि बैक खाते में जमा न कर हस्तगत कर गम्भीर अनियमितता	52420.00
	योग			52420.00

प्रस्तर सख्या –10

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
	रामपुर पोख्ता	सीटी	क्रय सामग्री का भुगतान एकाउन्ट पेई चेक से न कर नकद कर गम्भीर अनियमितता	28245.00
	विहारी	सीटी	क्रय सामाग्री का भुगतान एकाउन्ट पेई चेक से न कर नकद कर गम्भीर अनियमितता	68505.00
योग				96750.00

प्रस्तर सख्या –11

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
1	विहारी	सीटी	छात्रवृत्ति वितरण पंजिका न प्रस्तुत कर धन वितरण में गम्भीर अनियमितता	25800.00
2	कोटवा पाण्डेय	पटेहरा	हैण्ड पम्प मजदूरी भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर धन का अपहरण	20500.00
योग				46300.00

प्रस्तर सख्या –12

क्रम0	ग्राम पंचायत	विकास खण्ड	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	धनराशि
	विहारी	सीटी	छात्रवृत्ति वितरण के पश्चात अवशेष धनराशि बैक में जमा न कर गम्भीर अनियमितता	7200.00
	योग			7200.00

जनपद का नाम – सोनभद्र

ग्राम पंचायतो से संबंधित आपत्तियॉ :–

प्रस्तर संख्या –1 नाम ग्राम पंचायत– हरपुरा विकास खण्ड– दुद्धी

वर्ष मे प्राप्त अनुदान संबंधी रजिस्टर/पत्रावली लेखा परीक्षा मे उपलब्ध न कराकर अनुदान की शर्ते, अवधि आदि की पुष्टि न कराया जाना

धनराशि रु0 2343572.00

प्रस्तर संख्या –2 (I) नाम ग्राम पंचायत– भॅवर विकास खण्ड– बभनी

हैण्डपंप मरम्मत से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर अवास्तविक/अपुष्टित व्यय दर्शित करते हुये धन का अपहरण किया जाना

धनराशि रु0 211720.00

(II) नाम ग्राम पंचायत– अरझट विकास खण्ड– बभनी

हैण्डपंप मरम्मत से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर अवास्तविक/अपुष्टित व्यय दर्शित करते हुये धन का अपहरण किया जाना

धनराशि रु0 142346.00

प्रस्तर संख्या –3 (I) नाम ग्राम पंचायत– बभनी विकास खण्ड– बभनी

पुलिया निर्माण मे फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 34080.00

(II) नाम ग्राम पंचायत– रन्दह विकास खण्ड– बभनी

शौचालय निर्माण हेतु सीमेन्टेड शीट क्रय दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 5580.00

(III) नाम ग्राम पंचायत– आसनडीह विकास खण्ड– बभनी

पंचायत भवन निर्माण पर दर्शित मजदूरी भुगतान संबंधी मस्टर रोल पर अंकित श्रमिकों के अंगूठा निशान/हस्ताक्षर प्रमाणित न होने से दर्शित मजदूरी भुगतान की सत्यता संदिग्ध होना धनराशि रु0 25200.00

(IV) नाम ग्राम पंचायत– चौना विकास खण्ड– बभनी

व्यक्तिगत शौचालय की रंगाई पुताई पर दर्शित मजदूरी भुगतान संबंधी प्रमाणक निर्धारित प्रारुप पर न होने से दर्शित भुगतान संदिग्ध होना

धनराशि रु0 21000.00

(अ) नाम ग्राम पंचायत– हथियार विकास खण्ड– बभनी

कूप मरम्मत पर फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 19300.00

प्रस्तर संख्या –4 (।) नाम ग्राम पंचायत– हथियार विकास खण्ड– बभनी

फोटोग्राफी संबंधी भुगतान संदिग्ध होना धनराशि रु0 4000.00

(।।) नाम ग्राम पंचायत– चौना विकास खण्ड– बभनी

डेड स्टाक क्रय/अद्यतन स्थिति की पुष्टि मे स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न होने से दर्शित क्रय संदिग्ध होना धनराशि रु0 9040.00

(।।।) नाम ग्राम पंचायत– सुन्दरी विकास खण्ड– बभनी

भूमि सुधार कार्य पर फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 36300.00

प्रस्तर संख्या –5 नाम ग्राम पंचायत– रन्दह विकास खण्ड– बभनी

सम्पक्र मार्ग मरम्मत कार्य पर फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 14400.00

प्रस्तर संख्या –6 नाम ग्राम पंचायत– शीशटोला विकास खण्ड– बभनी

सोशल आडिट की वीडियोग्राफी का भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 3500.00

प्रस्तर संख्या –7 नाम ग्राम पंचायत– बागेसोती विकास खण्ड– दुद्धी

हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय संबंधी प्रमाणक निर्धारित प्रारुप पर न होने से दर्शित भुगतान संदिग्ध होना धनराशि रु0 136950.00

प्रस्तर संख्या –8 (।) नाम ग्राम पंचायत– पोखरा विकास खण्ड– बभनी

पेयजल कूप निर्माण कार्य पर फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया जाना धनराशि रु0 14300.00

(।।) नाम ग्राम पंचायत– परसोइ विकास खण्ड– चोपन

मनरेगा खाते मे दि0 31.03.09 से दि031.03.12तक नकद शेष रु0 20133.00 कैशबुक मे दर्शित है। फलतः उक्त धनराशि को वापस न कर एवं मजदूरों को

मजदूरी से वंचित कर तथा विकास योजनाओ को बाधित कर धन का दुरुपयोग किया गया है। धनराशि रु0 20133.00

प्रस्तर संख्या –9 (I) नाम ग्राम पंचायत– जोगिनी विकास खण्ड– घोरावल

हैण्डपंप मरम्मत से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर अवास्तविक/अपुष्टित व्यय दर्शित करते हुये धन का अपहरण किया जाना

धनराशि रु0 137350.00

(II) नाम ग्राम पंचायत– परसौना विकास खण्ड– घोरावल

हैण्डपंप मरम्मत से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर अवास्तविक/अपुष्टित व्यय दर्शित करते हुये धन का अपहरण किया जाना

धनराशि रु0 209840.00

प्रस्तर संख्या –10 नाम ग्राम पंचायत– कोलकाड़ी विकास खण्ड– घोरावल

स्टेशनरी स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न कर वर्ष मे क्रय/उपभोग की पुष्टि न कराया जाना धनराशि रु0 2800.00

प्रस्तर संख्या –11 नाम ग्राम पंचायत– बुटबेड़वा विकास खण्ड– दुद्धी

बकरी बाजार की नीलामी से प्राप्त धनराशि की पुष्टि मे नीलामी पत्रावली उपलब्ध न होने से नीलामी की धनराशि एवं वसूली धनराशि की पुष्टि न होना

धनराशि रु0 694893.00

प्रस्तर संख्या –12 (I) नाम ग्राम पंचायत– बुटबेड़वा विकास खण्ड– दुद्धी

मनरेगा खाते से अन्य ग्राम पंचायतो को स्थानान्तरित धनराशि से संबंधित आदेश लेखा परीक्षा मे उपलब्ध न कराकर धन स्थानान्तरण की पुष्टि न कराया जाना धनराशि रु0 1200000.00

(II) नाम ग्राम पंचायत– बघाडू विकास खण्ड– दुद्धी

मनरेगा खाते से अन्य ग्राम पंचायतो को स्थानान्तरित धनराशि से संबंधित आदेश लेखा परीक्षा मे उपलब्ध न कराकर धन स्थानान्तरण की पुष्टि न कराया जाना धनराशि रु0 500000.00

सम्पूर्ण योग धनराशि :– 5786304.00

जनपद का नामः— भदोही
ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां
प्रस्तर संख्या — 2

2(i) ग्राम पंचायत रामरायपुर विकास खण्ड भदोही जनपद संत रविदास नगर भदोही में रू 1189688.00 बैंक से आहरित किन्तु व्यय की पुष्टि में कोई अभिलेख नही है।

(ii) ग्राम पंचायत जगरनाथपुर, विकास खण्ड भदोही में दिनांक 30.08.2011 को ग्राम पंचायत खाते से मुद्रणालय जिला पंचायत उद्योग वाराणसी को रू 2565.00 का भुगतान किया गया है। जिससे पंचायत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख है प्रमाणक के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(iii) ग्राम पंचायत डुडवांधरमपुरी विकास खण्ड भदोही में वर्ष 2011—2012 में ग्राम पंचायत खाते राज्य वित्त से दिनांक 27.12.2011 को चेक संख्या 320118 से रू 15000.00 आहरण हुआ है, परन्तु कैश बुक में लेखा न करके प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू 15000.00 का अपहरण किया गया है। ग्राम प्रधान श्रीमती लालती देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हौसला प्रसाद श्रीवास्तव से वसूली अपेक्षित है।

(iv) ग्राम पंचायत बरवांखास में आलोच्य वर्ष की कोषबही प्रथम एवं द्वितीय मनरेगा से ईट क्रय पर व्यय क्रमशः रू 194000.00 तथा रू 113600.00 किया गया है। किन्तु स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने के कारण प्रारम्भिक अवशेष वर्ष में प्रयुक्त तथा अन्तिम अवशेष ईटों की संख्या अज्ञात रही। ईटों के क्रय के लिए प्रतिस्पर्धी दरों की सूची भी प्रस्तुत नही की गयी, यह आपत्तिजनक हैं इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान उचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(अ)(अ) ग्राम पंचायत ओझापुर विकास खण्ड डीघ में वर्ष आलोच्य में खाता प्रथम से स्ट्रीट लाईट पर व्यय रू 5000.00 किया गया है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

(अ)(ब) ग्राम पंचायत ओझापुर विकास खण्ड डीघ में वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम से कैमरा क्रय रू 6490.00 दर्शित है सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

प्रस्तर संख्या — 3

(i) ग्राम पंचायत सारीपुर विकास खण्ड ज्ञानपुर में दिनांक 31.03.2012 को ग्राम निधि में रू 192363.70 एवं
मनरेगा में रू 356507.01 का रोकड़ अवशेष है। योजना के अनुसार कार्यपूर्ण नही करना एवं धन रोकने का कोई कारण ग्राम पंचायत में देखने को नही मिला यथाशीघ्र उपयोग किया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।

(ii) ग्राम पंचायत शिवनाथ पट्टी विकास खण्ड डीघ में मनरेगा खाते का वर्षान्त अवशेष रू 130439.00 है। प्राप्त अनुदान का उपभोग के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या — 4

ग्राम पंचायत परउपुर विकास खण्ड अभोली में ग्राम निधि प्रथम खाता में दिनांक 31.03.2012 को अवशेष रू 56727.00 एवं मनरेगा खाते में अवशेष रू 848030.00 रोककर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

प्रस्तर संख्या — 5

5(i) ग्राम पंचायत रया विकास खण्ड भदोही में दिनांक 10.02.2012 को कैमरा भुगतान रू 6490.00 का प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नही, प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाए।

(ii) ग्राम पंचायत सरायहोला विकास खण्ड अभोली में ग्राम निधि खाता प्रथम में दिनांक 31.03.2012 को अवशेष रू 196157.00 व मनरेगा खाते में अवशेष रू 849683.00 अनुदान की धनराशि बैंक खाते में रोककर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

(ii) ग्राम पंचायत मिल्की विकास खण्ड ज्ञानपुर में शौचालय हेतु अनुदान के रूप में रू 1855.00 की दर से आठ लाभार्थी को कुल रू 14840.00 नगद भुगतान किया गया है। लाभार्थी की सूची एवं धन प्राप्ति की पुष्टि में कोई प्रपत्र नही प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 6

6(i) ग्राम पंचायत जगरनाथपुर विकास खण्ड भदोही में वर्ष 2011–2012 में ग्राम पंचायत खाते से शौचालय के लाभार्थियों को नगद भुगतान रू 32340.00 कैश बुक से किया गया है। जिसका प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नही किया गया, प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(ii) दिनांक 21.02.2012 को राज्य वित्त द्वितीय से पूर्व माध्यमिक विद्यालय बूथ पर शौचालय सफाई पर रू 4000.00मजदूरी व्यय किया गया। जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(iii) ग्राम पंचायत वारी विकास खण्ड ज्ञानपुर में दिनांक 25.09.2011 को ह्यूम पाईप को रू 46464.00 की क्रय की गयी, कैश मेमो के साथ कोटेशन नही है। कैश मेमों में रू 8718.00 लोडिंग व अनलोडिंग सम्मिलित है। यह व्यय किसको की गयी है। इसकी पुष्टि में कोई विवरण संलग्न नही हैं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या – 7

7(i) ग्राम पंचायत सायर विकास खण्ड औराई में दिनांक 31.03.2012 को कोषबही प्रथम में रू 627315.26, मनरेगा में रू 543836.04 व कोषबही तृतीय में छात्रवृत्ति में रू 20922.00 कुल रू 1192073.30 अवशेष रहा, जो नियमानुसार दिनांक 31.03.2012 तक खर्च हो जाना चाहिए था।

(ii) ग्राम पंचायत कुरौना में दिनांक 31.03.2012 को कोषबही प्रथम में रू 333533.00, मनरेगा में रू 220908.00 व कोषबही तृतीय में छात्रवृत्ति में रू 547.00 कुल रू 554988.00 अवशेष रहा, जो नियमानुसार दिनांक 31.03.2012 तक खर्च हो जाना चाहिए था।

(iii) ग्राम पंचायत भक्तापुर में दिनांक 31.03.2012 को कोषबही प्रथम में रू 423601.00, मनरेगा में रू 975491.00 व कोषबही तृतीय में छात्रवृत्ति में रू 128391.00 कुल रू 1527483.00 अवशेष रहा, जो नियमानुसार दिनांक31.03.2012 तक खर्च हो जाना चाहिए था।

प्रस्तर संख्या – 8

8(i) ग्राम पंचायत तुलसीचक विकास खण्ड भदोही में दिनांक 15.12.2011 को राज्य वित्त की धनराशि से जलाऊ लकड़ी पर व्यय रू 10000.00 किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है, व्यय की पुष्टि नही, प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

(ii) ग्राम पंचायत अभोली विकास खण्ड अभोली में ग्राम निधि खाता प्रथम में दिनांक 31.03.2012 को अवशेष रू 79396.00 अनुदान की धनराशि बैक खाते में रोककर शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। वित्तिय वर्ष में उक्त धनराशि का उपभोग हुआ होता तो अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ होता।

प्रस्तर संख्या – 9

ग्राम पंचायत वेदमनपुर विकास खण्ड भदोही में दिनांक 05.01.2012 को कैमरा का भुगतान रू 6500.00 किया गया है। प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

मण्डल का नाम : फैजाबाद
जनपद का नाम : फैजाबाद

ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में विशिष्ट प्रतिवेदनों का विवरण प्रस्तरवार निम्न है :–

प्रस्तर–1 निर्माण/मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जाँच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान :–ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेकों निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाता है। आडिट में इन कार्यों के सापेक्ष सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक (बिल, प्रोफार्मा इनवाइस, चालान पत्र आदि) तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत न किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुटि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक कार्य दर्शाकर धनराशि के अपहरण/दुरूपयोग/अधिक व्यय किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।"

निम्नांकित ग्राम पंचायतों में निर्माण/मरम्मत कार्य से सम्बन्धित उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख/बाउचर्स प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें रू0 1425129.00 की धनराशि सन्निहित हो, जिस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसके प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आंकड़े लाख रू0 में

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	मसौधा	मिर्जापुरमाफी	348000.00	01	
2.	फैजाबाद	फैजाबाद	अमानीगंज	जयराजपुर	475715.00	02	
3.	फैजाबाद	फैजाबाद	अमानीगंज	अमावा सूफी	300586.00	02	
4.	फैजाबाद	फैजाबाद	अमानीगंज	कन्दई कला	300828.00	02	
	योग				1425129.00		

प्रस्तर–2 वर्ष 2011–12 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा बैंक से धन आहरित कर मनरेगा/नरेगा की रोकड़ बही में दर्शित व्ययों के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक जांच में प्रस्तुत नहीं किया गया बिना प्रमाणकों के दर्शाया गया व्यय अपहरण है।

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	आपत्ति संख्या	अप्राप्त अपरिपालन	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	मसौधा	मिर्जापुरमाफी	324274.00	02	" "	
2.	फैजाबाद	फैजाबाद	अमानीगंज	जयराजपुर	841280.00	01	" "	
3.	फैजाबाद	फैजाबाद	अमानीगंज	अमावा सूफी	604981.00	01	" "	
4.	फैजाबाद	फैजाबाद	अमानीगंज	कन्दई कला	344460.00	01	" "	
	योग				2114995.00			

प्रस्तर–3 वर्ष 2011–12 में मनरेगा/नरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का व्यय दर्शाया गया जो मस्टर रोल के अनुसार कम/अधिक दर्शित किया गया। दर्शित मजदूरी मस्टर रोल के लगे श्रमिकों के आधार पर कम है जबकि रोकड़ बही में अधिक भुगतान दर्शाकर अपहरण किया गया, जिसकी वसूली अपेक्षित निम्नवत् है :–
वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट से अधिक एम0पी0 करके भुगतान किया जाना।

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (रू0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	फैजाबाद	रूदौली	बिड़हर	189654.75	01 एवं 02	अप्राप्त परिपालन

जनपद का नामः– सुलतानपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां–

ग्राम पंचायत– भवानीपुर विकास खण्ड– जयसिंहपुर

प्रस्तर संख्या–1 रू0 46920 का विवरण रहित व्यय।

जनपदः– बाराबंकी

ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में विशिष्ठ प्रतिवेदन में विवरण प्रस्तरवार निम्न है।

प्रस्तर–1 निर्माण / मरम्मत के अतिरिक्त अन्य मदों में व्यय– धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक जॉच में प्रस्तुत न किए जाने के कारण अनियमित भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत निर्माण/मरम्मत कार्य के अतिरिक्त अनेकों विविध व्यय किए जाते है । वित्तीय वर्ष 11–12 आडिट में इन व्ययों सें सम्बन्धित बाउचर /बिल आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्यय के सत्यता/ औचित्य की पुष्टि नही होती , इस प्रकार बिना बाउचर/बिल के फर्जी भुगतान दर्शाकार अधिक व्यय/ अपहरण की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है।पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्ध हेतु मैनुएल के अध्याय 8 (क), में दिए गये प्राविधानानुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानतें हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। ।,

क्रमाक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फैजाबाद	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	बहादुर पुर	45500	4	–
2	फैजाबाद	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	शिवनाम	45000	3,5	

प्रस्तर–2 ग्राम निधि ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2011–12 मे कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित व्ययों के व्यय प्रमाणक एवं सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी के मस्टरोल आदि जॉच में प्रस्तुत नही किये गये। जिस कारण भुगतानिक व्यय का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया विवरण निम्न है:–

मजदूरी का भुगतान कार्य हेतु सामग्री की अनुपलब्धता के बाद भी किया गया–

क्रमाक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फैजाबाद	बाराबंकी	फतेहपुर	सौरंगा	54047	1,2,3	–
2	फैजाबाद	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	बहादुरपुर	10400	3	–
3	फैजाबाद	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	शिवनाम	13000	4	–
4	फैजाबाद	बाराबंकी	त्रिवेदीगंज	मनोधरपुर	42840	3	–

प्रस्तर– 3 बैक से आहरित धनराशि का कैश बुक मे अंकन नही करके आहरित धनराशि का अपहरण किया गया।

क्रमाक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फैजाबाद	बाराबंकी	सूरतगंज	फूलपुर	221925	2	–

प्रस्तर– 4 वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया कि ग्राम पंचायत बसारी में पूर्व प्रधान श्रीमती पुष्पावती द्वारा छात्रवृत्ति की नकद अवशेष धनराशि रू0 19850.00 वर्तमान प्रधान श्री धनिराम को हस्तगत न करके अपहरण किया गया। जिसकी वसूली पूर्व प्रधान श्रीमती पुष्पावती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

क्रमाक	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फैजाबाद	बाराबंकी	सूरतगंज	बसारी	19850	2	–

जनपद का नाम : अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 में विशिष्ट प्रतिवेदनों का विवरण प्रस्तरवार निम्न है :–

प्रस्तर–1 **निर्माण/मरम्मत कार्य में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जाँच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान** :–ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेकों निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाता है। आडिट में इन कार्यों के सापेक्ष सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक (बिल, प्रोफार्मा इनवांइस, चालान पत्र आदि) तथा मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल आदि महत्वपूर्ण प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत न किये जाने से निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार फर्जी कार्य दर्शाकर या वास्तविक कार्य से अधिक कार्य दर्शाकर धनराशि के अपहरण/दुरूपयोग/अधिक व्यय किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी।"

निम्नांकित ग्राम पंचायतों में निर्माण/मरम्मत कार्य से सम्बन्धित उक्त महत्वपूर्ण अभिलेख/बाउचर्स प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें रू0 675.23 हजार की धनराशि सन्निहित हो, जिस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। जिसके प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आंकड़े हजार रू0 में

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	भियांव	सकरा दक्षिण	58.01	–	–
2.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	पकड़ी भोजपुर	143.38	–	–
3.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	भड़सारी	178.90	–	–
4.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	खैरपुर	25.20	–	–
5	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	टासोपुर	101.34	–	–
6	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	खैरपुर	168.40	–	–
	योग				675.23		

प्रस्तर–2 बैंक से आहरित धनराशि का कैशबुक में अंकन नहीं करके आहरित धनराशि का अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा बैंक खातों से धन का आहरण किया गया जैसाकि बैंक खातों से स्पष्ट है परन्तु आहरित धनराशि का लेखांकन कोष बही के आय पक्ष में कम/बिल्कुल ही नहीं किये जाने के कारण धनराशि ग्राम पंचायत अभिलेखों से बाहर रही जो अपहरण है। इसकी वसूली सम्बन्धित से अपेक्षित है, विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	पकड़ी भोजपुर	13.87	–	–
	फैजाबाद	अम्बे0नगर	भियांव	सकरा दक्षिण	45.00	–	–
	योग				**58.87**		

प्रस्तर–3 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक निर्धारित प्रारूप बिल/कैशमेमो नहीं होने पर भी उनका भुगतान इस्टीमेट (आकलन बिल/कच्चे बिल) के आधार पर किया गया जो गम्भीर अनियमितता है। क्रय सामग्री के स्टाक पंजिका में अंकन होने एवं उपयोग होने की पुष्टि भी नहीं होती है। अतः किया गया व्यय अनियमित रहा है, विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	भड़सारी	178.90		
	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	पकड़ी भोजपुर	143.38		
	योग				322.28		

प्रस्तर–4 ग्राम पंचायत आसोपुर द्वारा अपंजीकृत फर्मों से क्रय करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा विक्रेता फर्म से व्यापार कर तथा आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं करके राजकीय राजस्व की क्षति पहुंचाई गई जिसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कार्मिक से करते हुए राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है, विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि (हजार रू0 में)	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1.	फैजाबाद	अम्बे0नगर	टाण्डा	आसोपुर	8.57		

जनपद का नामः– अमेठी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां–

ग्राम पंचायत– इकसारा विकास खण्ड– शाहगढ़

प्रस्तर संख्या–1 रू0 5000 का आहरण कैश बुक में अंकित न किया जाना।

प्रस्तर संख्या–2 रू0 2000 का प्रमाणक में अंकित धनराशि से अधिक धनराशि खारिज किया जाना।

प्रस्तर संख्या–3 रू0 5443 की एम0डी0एम0 की अवशेष धनराशि को विवरणहीन रखना।

मण्डल का नाम : देवीपाटन

जनपद का नाम : बहराइच

वर्श 2011–12 की लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों में उद्घाटित अपहरण / अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण

कम सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
1	2	3	5	6	7
1	निधिनगर संकल्पा	नवाबगंज	(1) स्कूल शौचालय में फर्जी स्ट्रीट लाइट लगवाई। (आ0 सं0 8)	19200.00	19200.00
			(2) फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय। (आ0 सं0 9)	25000.00	25000.00
			(3) अनावश्यक ह्यूम माइप क्रय पर किया गया व्यय। (सा0 आ0 सं0 10)	20449.00	20449.00
			(4) कूप मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 11)	65145.00	65145.00
			योग	129794.00	129794.00
2	रहीम नगर	नवाबगंज	(1) फर्जी खडंजा मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 9)	95580.00	95580.00
			(2) शौचालय मरम्मत फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0सं0 11)	46200	46200
			बिना पर्याप्त आधार के हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाकर अपहरण।(आ0सं0 12)	25380	25380
			योग	167160.00	167160.00
3 4	जमुनहा नौबस्ता	नवाबगंज	(1) हैण्डपम्प मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 6)	50000.00	50000.00
			(2) नाली खडंजा के निर्माण मरम्मत पर फर्जी ईंट क्रय पर व्यय। (आ0 सं0 7)	494800.00	494800.00
			(3) बिना उपयोग के सीमेन्ट क्रय करके दुरूपयोग। (आ0 सं0 8)	43690.00	43690.00

			(4) बिना उपयोग के पाइप क्रय करके दुरूपयोग। (आ0 सं0 11)	21676.00		21676.00
5	सिसैया	नवाबगंज	योग	610166.00		610166.00
			(1) बिना प्रयोग फर्जी ईंट क्रय कर दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 7)	229519.00		229519.00
			(2) फर्जी बुग्गी से मिट्टी ढुलाई दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 8)	12500.00		12500.00
			(3) फर्जी वाल पेंटिंग दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 9)	12860.00		12860.00
			योग	254879.00		254879.00
6	रंजीत बोझा	नवाबगंज	(1) बिना प्रमाण के फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 6)	122500.00		122500.00
			(2) अनियमित ढंग से मिट्टी ढुलाई दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 7)	15800.00		15800.00
			(3) नाली निर्माण पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 8)	43185.00		43185.00
			(4) नाली निर्माण पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 9)	64890.00		64890.00
			योग	246375.00		246375.00
7	शिवपुर सेमरा	नवाबगंज	(1) फर्जी खडंजा मरम्मत दिखाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 7)	82190.00		82190.00
			(2) अनियमित रूप से स्कूल में फोर्स लिफ्ट पम्प लगवाई दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 8)	47191.00		47191.00
			योग	129381.00		129381.00

8	मकनपुर	नवाबगंज	(1) खडंजा मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 6)	333288.00	333288.00
			(2) स्कूल शौचालय निर्माण पर फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 7)	200595.00	200595.00
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 8)	39060.00	39060.00
			योग	572943.00	572943.00
9	रामनगर सेमरा	नवाबगंज	(1) हैण्डपम्प मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 6)	15000.00	15000.00
			(2) बिना प्रमाणक के फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण । (आ0सं0 7)	175440.00	175440.00
			(3) व्यक्तिगत शौचालय प्रोत्साहन का बिना वितरण किये व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0सं0 8)	75900.00	75900.00
			योग	266340.00	266340.00
10	कलवारी	नवाबगंज	(1) शौचालय वाटर सप्लाई पर फर्जी बिल प्रस्तुत कर धन का अपहरण। (आ0 सं0 7)	51115.00	51115.00
			योग	51115.00	51115.00
11	बनकसही	नवाबगंज	(1) प्रमाणक के आधार व्यय दर्शित कर अपहरण। (आ0 सं0 7)	179115.00	179115.00
			(2) अनावश्यक सामग्री क्रय दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 8)	13750.00	13750.00
			(3) नाली निर्माण पर फर्जी सामग्री क्रय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 9)	136500.00	136500.00
			(4) फर्जी मिट्टी ढुलाई दर्शाकर धन क अपहरण। (आ0 सं0 10)	26840.00	26840.00
			योग	356205.00	356205.00

12	कारीकोट	मिहींपुरवा	(1) बैंक खाते से आहरित धनराशि को कोशबही में न लेकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 1)	30000.00	30000.00
			(2)बैंक खाते से आहरित धनराशि को कोशबही में न लेकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 2)	81500.00	81500.00
			योग	111500.00	111500.00
13	चहलवा	मिहींपुरवा	बैंक खाते से आहरित धनराशि को कोशबही के आयपक्ष में न लेकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 1)	82100.00	82100.00
			योग	82100.00	82100.00
14	हरखापुर	मिहींपुरवा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 1)	146250.00	146250.00
			योग	146250.00	146250.00
15	सेमरी मलमला	मिहींपुरवा	(1) बैंक खाते से आहरित धनराशि को कोशबही में न लेकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 1)	65700.00	65700.00
			योग	65700.00	65700.00
16	धर्मापुर	मिहींपुरवा	(1) बैंक खाते से व्यक्ति विशेष हेतु आहरित धन को काल्पनिक मदों में व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 1)	120000.00	120000.00
			योग	120000.00	120000.00
17	खम्हरिया हरदोपट्टी	तेजवापुर	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	154440.00	154440.00
			(2) बिना शौचालय निर्माण	83170.00	83170.00

			कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 2)		
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 6)	9079.00	9079.00
			(4) बिना छात्रवृत्ति वितरित किये धन का समायोजन कर छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 10)	132960.00	132960.00
			योग	379649.00	379649.00
18	भखला गोपालपुर	तेजवापुर	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0सं0 1)	415986.00	415986.00
			(2) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 2)	23000.00	23000.00
			योग	438986.00	438986.00
19	गजपतिपुर	तेजवापुर	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	407565.00	407565.00
			(2) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 3)	149100.00	149100.00
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 2)	25100.00	25100.00
			योग	581765.00	581765.00
20	लक्खा बौण्डी	तेजवापुर	(1) अवास्तविक व्यय प्रमाणकों के आधार पर धन का अपहरण किया गया ।	278555.00	278555.00
			(2) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 2)	51213.00	51213.00
			योग	329768.00	329768.00

21	खसहा मोहम्मदपुर	तेजवापुर	(1) अवास्तविक व्यय प्रमाणकों के आधार पर धन का अपहरण । (आ0 सं0 01)	336311.00		336311.00
			(2) अवास्तविक व्यय प्रमाणकों के आधार पर काल्पनिक कार्य दर्शाकर धन का अपहरण । (आ0 सं0 02)	109950.00		109950.00
			(3) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 3)	142190.00		142190.00
			योग	589171.00		589171.00
22	नेवादा	तेजवापुर	(1) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 2)	30990.00		30990.00
			(2) अवास्तविक व्यय प्रमाणकों के आधार पर धन का अपहरण किया गया । (आ0 सं0 01)	251945.00		251945.00
			(3) बिना व्यय प्रमाणकों के फोटो व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया। (आ0सं0 3)	5200.00		5200.00
			योग	288135.00		288135.00
23	नहकटिया	तेजवापुर	(1) अवास्तविक व्यय प्रमाणकों के आधार पर धन का अपहरण । (आ0 सं0 01)	194457.00		194457.00
			(2) अवास्तविक दरेशी कराई व्यय दर्शाकर धन का अपहरण । (आ0 सं0 02)	21600.00		21600.00
			(3) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 3)	336600.00		336600.00
			योग	552657.00		552657.00

24	गोडवा	तेजवापुर	(1) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 1)	30270.00	30270.00
			(2) अवास्तविक व्यय प्रमाणकों के आधार पर धन का अपहरण किया गया । (आ0 सं0 02)	137665.00	137665.00
			(3) बिना शौचालय निर्माण कराये ही शौचालय अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।	635800.00	635800.00
			योग	803735.00	803735.00
25	कल्यानपुर	नवाबगंज	(1) फर्जी टाइल्स क्रय दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 6)	6158.00	6158.00
			(2) पंचायत भवन मरम्मत पर फर्जी व्यय दर्शाकर अपहरण। (आ0 सं0 8)	48110.00	48110.00
			(3) फर्जी हैण्डपम्प मरम्मत दिखाकर धन का अपहरण। (आ0 सं0 5)	71800.00	71800.00
			(4) बिना प्रमाणक के व्यक्तिगत शौचालय प्रोत्साहन का वितरण कर धन का अपहरण। (आ0 सं0 6)	300000.00	300000.00
			(5)फर्जी पल्ला आदि क्रय दर्शाकर धन का अपहरण (आ0सं0 11)	9600.00	9600.00
			6 अनियमित रूप से बुग्गी से मिट्टी ढुलाई दर्शाकर धन का अपहरण। (आ0सं0 12)	61070.00	61070.00
			योग	496738.00	496738.00

जनपद का नाम : श्रावस्ती

ग्राम पंचायतों में उद्घाटित अपहरण / अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरण

कम सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	आपत्ति का विवरण	धनराशि	
1	2	3	5	6	7
1	पटपरगंज	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	429314.00	429314.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 2)	154800.00	154800.00
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 स0 5)	19075.00	19075.00
			योग	603189.00	603189.00
2	लालपुर –हरीडीह	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	339579.00	339579.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 2)	264000.00	264000.00
			(3) विद्युत लाइट लगवाये बिना ही फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 5)	30650.00	30650.00
			(4) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 6)	22111.00	22111.00
			(5) बिना छात्रवृत्ति वितरित किये धन का समायोजन कर छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0 10))	177840.00	177840.00
			योग	834180	834180.00

3	वहोरवा	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	444280.00	444280.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया (आ0 सं0 2)	110000.00	110000.00
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 6)	7300.00	7300.00
			योग	561580.00	561580.00
4	सहेरिया	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	355671.00	355671.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया (आ0 सं0 2)	211200.00	211200.00
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 6)	24748.00	24748.00
			योग	591619.00	591619.00
5	जोगिया	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	440818.00	440818.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया (आ0 सं0 2)	89375.00	89375.00
			योग	530193.00	530193

6	लक्ष्मनपुर सेमरहनिया	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	508862.00	508862.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया (आ0 सं0 2)	434010.00	434010.00
			(3) हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। (आ0 सं0 7)	60405.00	60405.00
			योग	1003277.00	1003277.00
7	देवरनिया	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	1093651.00	1093651.00
			योग	1093651.00	1093651.00
8	आलागांव	जमुनहा	(1) काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 01)	235450.00	235450.00
			(2) शौचालय निर्माण में काल्पनिक रूप से अनुदान का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। (आ0 सं0 2)	132790.00	132790.00
			(3) बिना छात्रवृत्ति वितरित किये धन का समायोजन कर छात्रवृत्ति धन का अपहरण किया गया है। (आ0सं0 8)	169000.00	169000.00
			योग	537240.00	537240.00

मण्डल का नाम : आगरा

जनपद का नाम आगरा

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड	आपत्ति का विवरण	कुल धनराशि	अपहरण की राशि	अभ्युक्ति
1.	रिहावली	फतेहाबाद	गतवर्षों के भुगतान 10–11 में	7200.00	—	
			बैंक से आहरण कर कैशबुक में अंकित न कर अपहरण	5900.00	5900.00	
			ग्रीष्म अवकाश में एमडीएम व्यय	41594.00	41594.00	
			शासनादेश 33/79 के विरूद्ध व्यय	105050.00	105050.00	
			नियम विरूद्ध व्यय	5500.00	—	
			बिना प्रमाणक व्यय	609995.00	609995.00	
			भुगतान प्रमाणित नहीं	105916.00	105916.00	
			स्टाक अपहरण	4500.00	4500.00	
2	गुबरौठं	फतेहाबाद	बैंक में धन जमा दर्शाकर धन खारिज	1440.00	1440.00	
			छात्रवृत्ति वितरण का प्रमाणक न होना	198510.00	198510.00	
			छात्रवृत्ति वितरित दर्शित	7200.00	7200.00	
			ईट क्रय की पुष्टि नहीं	72000.00	72000.00	
			बिना योजना स्वीकृति व्यय	362700.00	362700.00	
			बिना वैद्य प्रमाणक व्यय	76749.00	76749.00	
			बैंक से आहरित पर कैश बुक में अंकन नहीं	11000.00	11000.00	

जनपद का नाम अलीगढ एवं हाथरस

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड	आपत्ति का विवरण	कुल धनराशि	अपहरण की राशि	अभ्युक्ति
1.	बडेसरा	बिजौली	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय बिना स्वीकृति के किया जाना	59643.00	—	
2.	छौगवॉ	बिजौली	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय बिना स्वीकृति के किया जाना	33851.00	—	
3.	बहोना कोटरा	बिजौली	मनरेगा में शासन के निर्देशों के विपरीत कच्चे कार्यो पर व्यय	302232.00	—	

4.	सिंकदरपुर कोटा	जवां	बिना सामान क्रय किये भुगतान किया जाना	1000.00	1000.00	
5.	जिरोलीघूमसिंह	अतरौली	ईट क्रय का उपयोग व स्टाक में अंकन न करना	39270.00	—	
6.	टिकटा	गंगीरी	छात्रवृत्ति धन का उपयोग एमडीएम में किया जाना	1200.00	1200.00	
7.	सिंधोलीकला	गंगीरी	छात्रवृत्ति धन का उपयोग अन्य मद में किया जाना	1810.00	181.00	
8.	छर्रारफालपुर	गंगीरी	अनियमित धन स्थानातंरण, बिना साक्ष्यों के	——	——	
9.	भमौरी बुजुर्ग	गंगीरी	छात्रवृत्ति धन का उपयोग अन्य मद में किया जाना	1930.00	—	
10.	न0जार	इगलास	एमडीएम के धन का अनावश्यक दुरूपयोग	74534.00	—	
11.	न0अहिवासी	इगलास	ग्रामनिधि का धन छात्रवृत्ति में व्यय किया जाना	1445.00	—	
12.	व्योहरा	इगलास	छात्रवृत्ति धन का उपयोग ग्राम निधि मद में किया जाना	6049.00	—	
13.	पिसावा	इगलास	छात्रवृत्ति धन का उपयोग ग्राम निधि मद में किया जाना	200.00	—	
14.	बिसनपुर	इगलास	एमडीएम के धन का अन्य मद में उपयोग	7568.00	—	
15.	टीकापुर	इगलास	छात्रवृत्ति व एमडीएम धन का ग्रामनिधि में व्यय	2720.00		

जनपद का नाम मथुरा व हाथरस

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड	आपत्ति का विवरण	कुल धनराशि	अपहरण की राशि	अभ्युक्ति आप0संख्या
1.	शाहपुर	बल्देव	धन आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि नहीं	15000.00	15000.00	13
2.	फतेहपुरा	बल्देव	आय पक्ष का योग त्रुटिपूर्ण दर्शाकर धन का अपहरण	13500.00	13500.00	15

जनपद का नाम एटा

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

प्रस्तर –1– निर्माण/मरम्मत कार्यो में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान रोल आदि जांच में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनियमित भुगतान

क्र	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	आगरा	एटा	अलीगंज	अकबरपुरकोट	45000	14	–
2	आगरा	एटा	अलीगंज	जटौरामान	83300	14	–

प्रस्तर –2– अनुदान से प्राप्त धनराशि के अनावश्यक कार्यो में व्यय दर्शाकर दुरूपयोग

क्र	सम्भाग	जन पद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	आगरा	एटा	अलीगंज	अकबरपुर कोट	30000	15	–

प्रस्तर –3– प्राप्त अनुदानों का समय से उपयोग नहीं किया जाना

क्र	सम्भाग	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सन्निहित धनराशि	आपत्ति संख्या	अभ्युक्ति
1	आगरा	एटा	अलीगंज	मझौला	943375	1	–
2	आगरा	एटा	अलीगंज	अकबरपुरकोट	496612	1	–
3	आगरा	एटा	अलीगंज	जटौरामान	762713	1	–
4	आगरा	एटा	अलीगंज	नगला उम्मेद	461552	1	–
योग					2664252	4	–

जनपद का नाम मैनपुरी

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

प्रस्तर संख्या – 1 छात्रवृत्ति का अवशेष धन वापस न किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनेय0	अभ्युक्ति
1	पलिया	आगरा	मैनपुरी	करहल		35563			35563	——
2	रसूआ	आगरा	मैनपुरी	करहल	10	26789.11			26789.11	
3	खेडा	आगरा	मैनपुरी	करहल	14	119890			119890	
4	तखरऊ	आगरा	मैनपुरी	करहल	08	8720			8720	
5	देवीपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगज	25	46200			46200	
6	जैतूलपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगज	27	7110			7110	
7	मानपुरहरि	आगरा	मैनपुरी	बेबर	01	48485			48485	
8	परौखा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	02	120205			120205	
9	हुसैनपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	05	173929			173929	
10	जनौरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	14	7527			7527	
11	कोआटांडा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	02	25239			25239	
12	मल्लाभाइ	आगरा	मैनपुरी	बेबर	14	80587			80587	
13	छबीलेपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	03	26818			26818	
14	रायपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	02	76945			76945	

प्रस्तर संख्या – 2 अवशेष धन वापस न किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	बलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	17	196148			196148	—
2	अब्दुलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	21	664736.52			664736.52	
3	सजावारपुर	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	19	609501.52			609501.52	
4	हाजीपुर नेरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	11	557421.96			557421.96	

प्रस्तर संख्या – 3 प्राप्त अनुदान का वर्षान्त तक उपभोग न किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	पलिया	आगरा	मैनपुरी	करहल		295340			295340	—
2	तखरऊ	आगरा	मैनपुरी	करहल		338540			338540	
3	देवीपुर	आगरा	मैनपुरची	सुल्तानगंज	26	514021			514021	
4	जैतूलपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	28	144200			144200	
5	आठलकडा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	8	496921			496921	
6	परौखा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	5	861695			861695	
7	प्रागपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	14	710237			710237	
8	चिरावर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	1	885053.64			885053.64	
9	रामनगर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	12	99616.76			99616.76	
10	मल्लामई	आगरा	मैनपुरी	बेबर	3	530064.36			530064.36	
11	चिलौसा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	2	812899.00			812899.00	

प्रस्तर संख्या – 4 बिना प्रमाणक क्रय का भुगतान

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अभ्युक्ति
1	बलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	11	1500.00	अपहरण

प्रस्तर संख्या – 5 मनरेगा खाते से आहरित धन के व्यय की पुष्टि में एमबी एवं स्टीमेट न होना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अभ्युक्ति
1	ताबेपुर	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	11	3000.00	अपहरण

प्रस्तर संख्या – 6 छात्रवृत्ति वितरण की सत्यापन रिपोर्ट न प्रस्तुत किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	पलिया	आगरा	मैनपुरी	करहल		88500			88500	——
2	रूऊआ	आगरा	मैनपुरी	करहल	12	69550			69550	
3	खेडा	आगरा	मैनपुरी	करहल	16	316035			316035	
4	तखरऊ	आगरा	मैनपुरी	करहल		352820			352820	
5	देवीपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	27	180740			180740	
6	जैतूलपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	29	119460			119460	
7	बलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	13	160350			160350	
8	अब्दुलनवीपुर	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	15	332890			332890	
9	सजावारपुर	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	15	169500			169500	
10	स्लेमपुर पडीना	आगरा	मैनपुरी	जागीर	28	364040			364040	
11	परौख	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	26	175886			175886	
12	रम्पुरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	4	502740			502740	

प्रस्तर संख्या – 7 पंचायत कर बसूली के बिना पीएलए खाता में धन जमा किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	तिलियानी	आगरा	मैनपुरी	बेबर	17	700			700	——
2	नवीगंज	आगरा	मैनपुरी	बेबर	7	700			700	
3	जोत	आगरा	मैनपुरी	बेबर	7	700			700	
4	डोगरपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	5	700			700	
5	कमलनेर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	8	1400			1400	

प्रस्तर संख्या – 8 अभिलेखों के अभाव में भुगतान अप्रमाणित

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	पलिया	आगरा	मैनपुरी	करहल		2120795			2120795	——
2	खेडा	आगरा	मैनपुरी	करहल	17	1523171			1523171	
3	तखरऊ	आगरा	मैनपुरी	करहल		1850395			1850395	
4	देवीपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	28	1166425			1166425	
5	जैतूलपुर	आगरा	मैनपुरी	सुल्तानगंज	30	1086560			1086560	
6	बुढर्रा	आगरा	मैनपुरी	घिरोर	10	1004919			1004919	
7	घिरोर देहात	आगरा	मैनपुरी	घिरोर	10	1101305			1101305	
8	गोघना देहात	आगरा	मैनपुरी	घिरोर	10	1526629			1526629	
9	विनोदपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	13	2649318			2649318	
10	प्रागपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	07	912975			912975	

11	जलालपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	11	1715853			1715853	
12	जोगा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	02	1844304			1844304	
13	जमौरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	18	1132031			1132031	
14	सीगपुर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	03	1432928			1432928	
15	ताहिरपुर	आगरा	मैनपुरी	घिरोर	10	994301			994301	
16	हिम्मतपुर उझ0	आगरा	मैनपुरी	घिरोर	10	1624515			1624515	

प्रस्तर संख्या – 9 अभिलेख तैयार करवाये बिना सी.ए. को भुगतान न किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	पलिया	आगरा	मैनपुरी	बेबर	07	12000			12000	—
2	हुसैनपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	07	12000			12000	
3	प्रागपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	11	16000			16000	
4	पलिया	आगरा	मैनपुरी	करहल	03	16000			16000	
5	बलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	20	4000			4000	
6	अब्दुलनवीपुर	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	19	4000			4000	
7	रम्पुरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	07	16000			16000	
8	हुसैनपुर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	04	16000			16000	

प्रस्तर संख्या – 10 बिना टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किये निर्माण सामिग्री का क्रय किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	परौखा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	16	125000			125000	—
2	जिलही	आगरा	मैनपुरी	बेबर	04	153705			153705	
3	टिकुरी	आगरा	मैनपुरी	बेबर	2	173825			173825	
4	मधुपुरी	आगरा	मैनपुरी	बेबर	6	299020			299020	
5	न0सुदामा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	5	215443			215443	
6	न0देवी	आगरा	मैनपुरी	बेबर	12	242523			242523	
7	अम्हेरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	18	140000			140000	
8	बेबर देहात	आगरा	मैनपुरी	बेबर	08	232000			232000	
9	तिलियानी	आगरा	मैनपुरी	बेबर	19	161700			161700	
10	जोत	आगरा	मैनपुरी	बेबर	01	117750			117750	
11	टोडरपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	3	183010			183010	
12	जमौरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	20	312445			312445	
13	कमलनेर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	06	138050			138050	
14	किठाहा	आगरा	मैनपुरी	किशनी	12	157550			157550	
15	कमलपुर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	06	299020			299020	

प्रस्तर संख्या – 11 बिना प्रमाणक के भुगतान किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	सजाबारपुर	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	13	3750	3750			—
2	वलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	22	2200	2200			
3	बलपुरा	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	23	6900	6900			
4	अब्दुलनवीपुर	आगरा	मैनपुरी	बरनाहल	20	2050	2050			

प्रस्तर संख्या – 12 अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण प्राप्त अनुदान व उपभोग अपुष्ट

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	अभिलेख अप्राप्त वर्ष		अभ्युक्ति
						समस्त	मनरेगा	
1	बागपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	11	4–5 से 7–8	8–9 से 10–11	––
2	मल्लामई	आगरा	मैनपुरी	बेबर	9	98–99 से 8–9	9–10 से 10–11	
3	सकतबेबर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	10	98–99 से 7–8	8–9 से 10–11	
4	शिवसिंहपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	21	99–2000 से 7–8	–––	
5	दिवरनिया	आगरा	मैनपुरी	बेबर	9	1–2 से 7–8	–––	
6	चिलौसा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	7	98–99 से 7–8	–––	
7	रायपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	5	4–5 से 8–9	–––	
8	अंहकारीपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	13	98–99 से 7–8	छात्रवृत्ति	8–9 से 10–11
9	रामनगर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	9	1–2 से 7–8	8–9 से 10–11	
10	तरिहा	आगरा	मैनपुरी	किशनी	7	1–2 से 7–8	8–9 से 10–11	
11	बरिहा	आगरा	मैनपुरी	किशनी	13	1–2 से 7–8	8–9 से 10–11	
12	ढकरोही	आगरा	मैनपुरी	किशनी	10	97–98 से 8–9	9–10 से 10–11	
13	गुलरियापुर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	20	4–5 से 7–8	8–9 से 10–11	
14	अलीपुर केशोपुर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	15	97–98 से 8–9	9–10 से 10–11	
15	नेगवा खिरिया	आगरा	मैनपुरी	किशनी	20	1–2 से 8–9	9–10 से 10–11	
16	कमलपुर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	15	1–2 से 8–9	9–10 से 10–11	

प्रस्तर संख्या – 13 एम डी एम अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण प्राप्त अनुदान व उपभोग अपुष्ट

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	अभिलेख अप्राप्त वर्ष	अभ्युक्ति
1	परौख	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	27	2010–11	––
2	देवपुर मुर्थर	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	28	2010–11	
3	जगरूपपुर	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	28	2010–11	
4	कुचेला	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	27	2010–11	
5	करपिया	आगरा	मैनपुरी	बेबर	17	2010–11	
6	अमहेरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	20	2010–11	
7	सकतबेबर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	23	1998–99 से 2010–11	

प्रस्तर संख्या – 14 हैण्डपम्प मरम्मत मद से अनियमित भुगतान

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अप0	दुरू0	अनिय0	अभ्युक्ति
1	जिलही	आगरा	मैनपुरी	बेबर	6	10700			10700	—
2	दोदापुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	19	21910			21910	
3	प्रागपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	21	7526			7526	
4	जलालपुर दिख0	आगरा	मैनपुरी	बेबर	8	6031			6031	
5	रम्पुरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	16	4586			4586	
6	अमहेरा	आगरा	मैनपुरी	बेबर	11	1258			1258	
7	गगरवाला	आगरा	मैनपुरी	बेबर	14	6589			6589	
8	चंदनपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	4	19486			19486	
9	नसीरपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	12	48607			48607	
10	बेबर देहात	आगरा	मैनपुरी	बेबर	13	23645			23645	
11	मललामई	आगरा	मैनपुरी	बेबर	4	10453			10453	
12	सकतबेबर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	5	13795			13795	
13	शिवसिंहपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	7	30694			30694	
14	अकबरपुर बिकू	आगरा	मैनपुरी	बेबर	19	12965			12965	
15	रायपुर	आगरा	मैनपुरी	बेबर	14	3126			3126	
16	श्रामनगर	आगरा	मैनपुरी	किशनी	7	14537			14537	
17	तरिहा	आगरा	मैनपुरी	किशनी	6	3740			3740	

जनपद का नाम फिरोजाबाद

संस्था का नाम – ग्राम पंचायत

ñ प्रस्तर संख्या – 1 बैंक से धन आहरण कर कैशबुक में अंकन नही

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अभ्युक्ति
1	न0बाबन	आगरा	फिरोजाबाद	एका		128000	अपहरण
2	औरंगाबाद	आगरा	फिरोजाबाद	जसराना		10000	अपहरण
3	अतुर्रा	आगरा	फिरोजाबाद	जसराना		4275	अपहरण
4	बडागांव	आगरा	फिरोजाबाद	जसराना		25000	अपहरण
5	सलेमपुर कुटियाना	आगरा	फिरोजाबाद	जसराना		5000	अपहरण
6	न0गजाधर सिंह	आगरा	फिरोजाबाद	एका		190860	अपहरण
7	न0कास मजरा भामई	आगरा	फिरोजाबाद	हाथवन्त		2000	अपहरण
8	इन्दरई	आगरा	फिरोजाबाद	हाथवन्त		31800	अपहरण
9	दारापुर रसैनी	आगरा	फिरोजाबाद	हाथवन्त		9900	अपहरण

ñ प्रस्तर संख्या – 2 एमडीएम अनुदान का अन्य मदों में व्यय

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अभ्युक्ति
1	हथौली जयसिंह	आगरा	फिरोजाबाद	एका		27000	अपहरण

ñ प्रस्तर संख्या – 3 आय पक्ष योग त्रुटिपूर्ण अंकित कर धन का अपहरण

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अभ्युक्ति
1	सगरई	आगरा	फिरोजाबाद	ज्सराना		7265	अपहरण

ñ प्रस्तर संख्या – 4 निर्माण सामिग्री क्रय कर स्टाक पंजिका में अंकन कर उपभोग न किया जाना

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	मंडल	जनपद	ब्लाक	आप0 संख्या	सन्नि0 धनराशि	अभ्युक्ति
1	हथौली जयसिंह	आगरा	फिरोजाबाद	एका		18800	अपहरण
2	न0गजाधर सिंह	आगरा	फिरोजाबाद	एका		59064	अपहरण
3	खेडाखुर्द	आगरा	फिरोजाबाद	मदनपुर		261360	अपहरण

मंडल– सहारनपुर

जनपद सहारनपुर

ग्राम पंचायत ब्रहमखेडा वि0ख0 कांधला की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 की प्रमुख अपत्तियाँ

1. कोष रजिस्टर आय–व्यय के योगों की जांच पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार अन्तर पाया गया:–

दिनांक/माह	आय पक्ष का योग आना	निकाला गया	अन्तर/अपहरण
जुलाई 2011	64657.00	54657.00	10000.00
नवम्बर, 2011	190123.00	183380.00	6743.00
		योग	16743.00

उक्त से स्पष्ट है कि आय पक्ष का योग कम निकाल कर 16743 = 00 का अपहरण किया गया। जिसकी 50 प्रतिशत की वसूली 8371 ग्राम प्रधान श्री राजू व 50 प्रतिशत अंकन 8771 की वसूली श्री ओमपाल ग्रा0प0वि0अ0 से की जानी अपेक्षित है, जिस हेतू विभागीय अधिकारियों का ध्यान विभागीय कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

2. ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.07.2011 को 11000 ईट अंकन 38500.00 की क्रय किया जाना दर्शित है जिसे कोष रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर एवं निर्माण कार्य पूर्ति पंजिका में चढ़ाया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी है– (1) बाउचर सं0 3 उपलब्ध नहीं है (2) भुगतान नकद किया गया है, चैक से भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख कोष रजिस्टर में नहीं है। (3) निर्माण कार्य पूर्ति रजिस्टर में श्री राजू प्रधान के अतिरिक्त किसी भी तकनीकी अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है। अतः उक्त भगतान प्रमाणकों के अभाव में अपुष्ट रहा, जिसकी वसूली श्री राजू प्रधान से 19250 एवं श्री ओमपाल ग्रा0पं0वि0अ0 से 19205 की जानी अपेक्षित है।

3. दिनांक 16.11.2011 को बाउचर सं0 13 द्वारा अंकन 21360.00 प्रारम्भिक पाठशाला ब्रहमखेडा में खडंजा निर्माण एवं फर्श प्लास्टर कराया जाना अंकित है। जिसकी जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी है– (1) ईट बिछायी + फर्श डलाई से सम्बन्धित राज + मजदूरों का मस्टरोल नहीं है जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं होती। (2) निर्माण कार्य रजिस्टर पर प्रधान के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, ताकि कार्य स्थलीय, निरीक्षण का कार्य पूर्ण होने की पुष्टि हो सके। अतः प्रमाणकों के अभाव में भुगतान अपुष्ट रहा, जिसकी वसूली श्री राजू प्रधान 10625.00 एवं श्री ओमपाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से 10625.00 से की जानी अपेक्षित है।

4. लेखा परीक्षा जांच के समय नरेगा से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु बार–बार अनुरोध किया गया, परन्तु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। बैंक पासबुक अनुसार वर्ष 2011–12 में निम्न प्रकार लेन देन किया गया–

01.04.11 को प्रा0 अवशेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में आहरित	वर्षान्त में शेष
159662.00	50000.00	134590.00	81162.00
	ब्याज – 3275.00		
	ब्याज– 2815.00		

इस प्रकार वर्ष 2011–12 में 134590.00 रु0 की पुष्टि में श्री राजू प्रधान व श्री ओमपाल सिंह ग्रा0पं0वि0अ0 द्वारा कोई अभिलेख जांच हेतू उपलब्ध न कराये जाना, गम्भीर अनियमितता का द्योतक है, जिस हेतु विभागीय अधिकारियों व शासन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

5. छात्रवृत्ति बैंक खाता सं0 9552 से दिनांक 01.01.11 को 55380.00 रुपये आहरित किये गये उसके विपक्ष में 50580.00 वितरित किये गये, अवशेष 4800.00 रुपये की धनराशि वर्षान्त न तो विभाग को वापिस की गयी और न ही वापिस खाते में जमा की गयी। अतः 31.03.2012 को प्रधान के पास 2350.00 रुपये नकद दर्शित है। अतः इस प्रकार 4800.00–2450.00 =2350.00 का प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का अन्य मद में उपभोग किया जाना गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री राजू व ग्रा0पं0अधि0 श्री ओमपाल सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अतः विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

6. दिनांक 31.03.2012 को कोष रजिस्टर में अंकित बाउचर सं0 17 द्वारा श्री राजू प्रधान को अंकन 6750.00 रु0 (11/10 से 07/11 तक) मानदेय का भुगतान किया जाना दर्शित है। परन्तु भुगतान सम्बन्धी रसीद उपलब्ध नहीं पायी गयी। जिस कारण पुष्टि नहीं की जा सकी जो गम्भीर अनियमितता का परिचायक है। अतः पुष्टि न होने के कारण 6750.00 रु0 की वसूली श्री ओमपाल सिंह ग्राम पं0अधि0 से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत डबल विकास खंड भाहपुर की मुजफ्फरनगर की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 की प्रमुख आपत्तियाँ–

7. कोष रजिस्टर अनुसार माह अगस्त 2011 को प्रधान के पास अन्तिम रोकड़ शेष रु0 5743.36 दर्शित थी, जबकि सितम्बर 2011 को नकद रोकड़ कोष 4242.16 दर्शायी गयी है तथा अन्तर 1481/– भू0पू0 प्रधान के पास बतायी गयी, जो वर्तमान प्रधान को चार्ज में नहीं मिली थी। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अधिकारी तथा वर्तमान प्रधान द्वारा अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः

अविलम्ब भू0पू0 प्रधान से अंकन 1481.00 की तातारीख वसूली हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

8. जिला सहकारी बैंक शाखा शाहरपुर के ग्राम निधि की खाता सं0 6420 (जो वर्तमान में बंद हो चुका है) में दिनांक 01.04.11 को 5725.36 जमा थे, जिसको प्रधान व ग्रा0पं0अ0 द्वारा निम्न तिथियों में आहरण कर खाता शून्य कर दिया गया है। तथा आहरण की धनराशि को मनमाने ढंग से काम कर धन का दुरुपयोग किया गयाहै। आवश्यक जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावे।

आय पक्ष		**व्यय पक्ष**	
दिनांक 20.04.11 को आहरण	4500.00	15.04.11 को बाउचर नं0 3(ए) माह की एन्ट्री	
दिनांक 16.08.11 को आहरण	1225.36	तथा मरम्मत पर खर्च	4500.00
योग	**5725.36**	20.08.11 को वा0नं0स0 (ए)	
		रेहडा मरम्मत पर खर्च	**5725.36**

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोष रजिस्टर भी उक्त बाद भी दर्शाये गये है जैसा कि बाउचर्स क्रमांक तथा कोष रजिसटर में कटिंग व अपरलेखन से स्पष्ट है। उक्त ग्राम निधि के खाता को शून्य करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। अतः प्रधान एवं ग्राम0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से 5725.36 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

9. कोष रजिस्टर अनुसार दिनांक 21.07.11 व 02.09.11 को बाउचर्स सं0 11, 21 द्वारा हाईकोर्ट में पैरवी पर 3500.00 व 3500.00 कुल 7000.00 का खर्च दर्शित की पुष्टि में कोर्अ का उपस्थिति प्रमाण पत्र तथा खर्चे का विवरण, बिल/बाउचर आलब्ध नहीं थे, यह भी स्पष्ट न हो सका कि ग्राम पंचायत में कौन सा वाद (मुकदमा) चल रहा है। जिसकी पैरवी पर 7000.00 का व्यय किया गया दर्शित था। अतः दर्शित भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है। आवश्यक जांचोपरान्त प्रधान तथा ग्रापं0 अधि0 से संयुक्त रूपसे 7000.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

10. आलोच्य वर्ष में 2011–12 छात्रवृत्ति बैंकपास बुक अनुसार कुल अंकन 131030.00 की निकासी की गयी थी, पुष्टि में छात्रवृत्ति कोष रजिस्टर, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर तथा छात्रवृत्ति उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके अभाव में दर्शित छात्रवृत्ति के धन के निकासी के वितरण की शुद्धता की पुष्टि नहीं होती है। आवश्यक जांचोपरान्त उचित कार्यवाही करते हुए अंकन 1,31,030.00 की वसूली प्रधान तथा ग्रामपं0अधि0 से अवलिम्ब की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दाहौड़ विकास खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर की वर्ष 2011–12 की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 व 2011–12 की प्रमुख आपत्तियाँ–

11. वर्ष 2010–11 व 2011–12 में कैश बुक व बैंक पासबुक अनुसार ग्राम निधि खाता संख्या (33900) से रुपये 343600.00 व 39200.00 का आहरण किया गया जिसके सापेक्ष रु0 343600.00 व 39200.00 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/बिल मस्टरोल लेखा परीखा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिसके कारण उक्त धन की व्ययापाहरण होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त जांच उपरान्त रु0 343600.00 व 39200.00 कुल 382800.00 रु0 की वसूली श्री शिव कुमार भूतपूर्व ग्राम प्रधान व श्री योगेन्द्र सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

12. वर्ष 2011–12 में कोष बही व बैंकपास बुक के अनुसार ग्राम निधि खाता संख्या (10000609) से रु0 407500.00 आहरण किये जाने दर्शित थे। जिसके सापेक्ष रु0 407500.00 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित था। उक्त किये गये व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/बिल/मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किराया गया जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिसके कारण उक्त धन की व्ययापहरण होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त अंकन रुपये 407500.00 की वसूली श्री योगेन्द्र सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

13. वर्ष 2010–2011 में छात्रवृत्ति की बैंक पासबुक खाता संख्या 33890 व कोष रजिस्टर अनुसार रु0 95000.00 आहरण किये जाने दर्शित है। जिसके सापेक्ष रु0 94740.00 का वितरण कोष रजिस्टर अनुसार दर्शित है। उक्त विवरण की पुष्टि में वितरण रजि0 उपभोग प्रमाण पत्र/ लाभान्वित छात्रों की सूची आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके कारण उक्त वितरण की पुष्टि नहीं होती है। जिसके कारण उक्त धनराशि की अपहरण होने की संभावना बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त रु0 94740.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार से अविलम्ब ब्याज सहित वसूली जानी अपेक्षित है।

14. वर्ष 2010–2011 में मिड–डे–मील के खाता संख्या 37335 बैंक पासबुक अनुसार रुपये 190619.00 आहरण किये जाने दर्शित है। जिसके सापेक्ष रु0 90691.00 मिड–डे–मील पर व्यय व रु0 1,00,000. 00 रु0 सम्बन्धित खातों में 30000.00 व 30000.00 व 40000.00 जमा किया जाना दर्शित है।

मिड–डे–मील पर रु0 90691.00 कोष रजि0 अनुसार व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/ खाद्य सामग्री क्रय प्रमाणक/ व बच्चों की उपस्थिति प्रमाण पत्र आदि प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इसलिये उक्त धन की व्ययापहरण की सम्भावना बनी हुई है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है तथा उक्त की जांच उपरान्त रुपये 90691.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार से अवलिम्ब ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पुठ्ठा की विकास खण्ड खतौली की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 व 2011–12 की प्रमुख आपत्तियाँ–

15. वर्ष 2010–11 में कोष रजिस्टर के अनुसार ग्राम निधि खाता संख्या 33580 यूनियन बैंक खतौली से रु0 199500.00 आहरण किये गये जिसके सापेक्ष रु0 199500.00 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई बिल/व्यय प्रमांणक/ मस्टरोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे उक्त धनराशि के आहरण होने की पूर्ण संभावना बनी है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त धनराशि की जांच उपरान्त रु0 199500.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीचंद व श्रीमती मुनेश देवी व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

16. वर्ष 2011–12 में कोष रजिस्टर व बैंक पासबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता सं0 00951 से रु0 195000.00 का आहरण किया गया। जिसके सापेक्ष रु0 195000.00 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में काई व्यय प्रमांणक /बिल/मस्टरोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है। जिसके कारण उक्त धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त अंकन रु0 195000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेश देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव कुमार से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

17. वर्ष 2010–11 व 2011–12 में मिड–डे–मील की बैंक पासबुक खाता संख्या (04362151003726) व कोष रजिस्टर अनुसार रु0 27000.00 व 7500.00 आहरण किये जाने दर्शित है। जिसके सापेक्ष क्रमशः रु0 27000.00 व 7500.00 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणंक /बिल/खाद्य सामग्री क्रय का प्रमाणंक/ बच्चों की उपस्थिति प्रमाण पत्र आदि व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उक्त व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसके कारण उक्त धन के अपहरण होने की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांचोपरान्त रु0 27000.00 व 7500.00 कुल 34500.00 रु0 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीचन्द व श्रीमती मुनेश देवी वर्तमान ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

18. वर्ष 2010–11 व 2011–12 में छात्रनिधि की बैंक पासबुक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला खाता संख्या 26421 के अनुसार रु0 32000.00 व 23100.00 रुपये आहरण किये जाने दर्शित है। उक्त के सापेक्ष क्रमशः 31800.00 व 23100.00 रु0 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाण पत्र व लाभान्वित छात्रों की सूची लेखा परीखा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नही होती है। जिसके कारण उक्त धन की पूर्ण अपहरण होने की सम्भावना बनी हुई है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू ध्यान आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त रु0 31800.00 व 23100.00 कुल 54900.00 रु0 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मीचन्द व श्रीमती मुनेश देवी वर्तमान ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

19. वर्ष 2010–11 में छात्रनिधि खाते से दिनांक 31.03.2011 को छात्रवृत्ति के नकद शेष रु0 200.00 दर्शित थे। उक्त धन का वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि की मद में व्यय किया जाना दर्शित है। जो गम्भीर अनियमितता का द्योतक है। अतः रु0 200.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुनेश देवी व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है तथा उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत चौरावाला विकास खण्ड मोरना की विशेष लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 की प्रमुख आपत्तियाँ–

20. दिनांक 30.04.2011 को सन्नवर सीमेन्ट ब्रिक फील्ड मोरना से 160 कट्टे सीमेन्ट 260 की दर से 41600.00 रु0 के क्रय किये जाने दर्शित थे। परन्तु स्टॉक रजिस्टर व कार्यपूर्ति निर्माण रजिस्टर अनुसार व 160 कट्टे कहीं भी प्रयुक्त दर्शित नहीं है। तथा वर्षान्त पर दिनांक 31.03.2012 को स्टॉक रजिस्टर में सीमेन्ट का बैलेंस शून्य दर्शित है। जबकि गणना अनुसार 160 कट्टे सीमेन्ट के शेष रहना था। इस प्रकार 160 सीमेन्ट कट्टे को बिना प्रयुक्त किये स्टॉक रजिस्टर से समाप्त कर अंकन रुपये 41600.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंगपाल सिंह व तातारीख मय ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान भी आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

21. वर्ष 2011–12 में पंचायत घर के फर्श मरम्मत हेतू निम्न व्यय किया जाना दर्शित है।

दिनांक	निर्माण सामग्री	दर	धनराशि	अन्य विवरण
31.01.2011	25 बैग सीमेन्ट	रु0 260 प्रति बैग	6500.00	
31.01.2011	5.40घनमी0 रेत	रु0 328प्रति घन	1860.00	गणना अनुसार 1771.00
15.11.2011	पं0घर में मरम्मत का मजदूरी का भुगतान		3510.00	
		योग	**11870.00**	

उक्त विवरण के अनुसार पंचायतघर में रु0 11870.00 का व्यय किया जाना दर्शित है जिसकी निर्माण कार्यपूर्ति तैयार नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य काल्पनिक रूप से दर्शाकर ग्राम पंचायत का धन अपहरण किया गया है। उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व श्री अनंगपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

22. वर्ष 2011–12 के स्टॉक रजिस्टर अनुसार एवं कोष रजिस्टर अनुसार निम्न तिथियों में ईटों की खरीद दर्शित कर स्टॉक रजिस्टर से खारिज दर्शित है। जबकि निर्माण कार्य पूर्ति रजिस्टर अनुसार दर्शित कार्यो की कोई कार्यपूर्ति नही बनाई गयी है। तथा उक्त कार्य की मजदूरी का भी भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। दिनांक 22.11.11 को 10738 ईट 3750 की दर से 40267.00 की खरीदी गयी। जिनका उपयोग सुन्दर प्रधान के घेर के पीछे दिखा रखा है तथा उक्त पर 4400.00 रुपये मजूदरी व्यय दर्शाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 28.03.11 को 3500 ईंटे दर 3715 की दर से 13000.00 ईटें खरीद कर श्री धर्म सिंह के मकान से महेन्द्र के मकान तक निर्माण कार्य दिखाया गया है उक्त पर 1100.00 रुपये मजदूरी व्यय की गयी है। उपरोक्त दोनों कार्य व मजदूरी काल्पनिक दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन अंकन रु0 58767.00 का व्ययापहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त की आवश्यक जांच उपरान्त अंकन रु0 58767.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंगपाल सिंह से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। उक्त की प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

23. कोष रजिस्टर अनुसार दिनांक 28.11.2011 को बाउचर्स सं0 51 द्वारा पंचायत कार्यालय हेतू फर्नीचर (कुर्सी, मेज, अलमारी आदि) अंकन रु0 25250.00 की खरीद की जानी दर्शित है। जिसकी जांच पर निम्न आपत्तियां पायी गयी। उक्त खरीद से पूर्व रेटस कुटेशन नहीं ली गयी है। उक्त भुगतान चैक द्वारा न करके नकद किया गया है जो आपत्तिजनक है। उक्त व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत बाउचर्स सादे कैश मीमो पर बना पाया गया। जबकि उक्त प्रमाणंक अधिकृत फर्म दुकान का होना चाहिये था। उक्त खरीद फर्नीचर की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गयी है जो अति आवश्यक

है। 30 कुर्सी नील कमल दर 425 धनराशि रु0 12750.00 व 1 सेफ अलमारी दर 7000 रुपये व 1 मेज 5 इंच गुणा 3 इंच दराज 3000/– व 1 कुर्सी बोलपिन वाली 2500/– रुपये कुल 25250.00, उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त दर्शित व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है जिससे उक्त व्यय का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है कि उक्त आवश्यक जांच उपरान्त उक्त वसूली अंकन रु0 25250.00 की तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व श्री अनंगपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

24. दिनांक 23.09.2011 को ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतू 48 स्ट्रीट लाईट दर 2600.00 प्रति के हिसाब से कुल रु0 124800.00 की क्रय तथा उक्त लाईट लगाई का दिनांक 26.09.11 को 3500.00 रुपये की लाईट लगाई का मजदूरी का भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त व्ययों की पुष्टि में उक्त प्रमाणंक सम्बन्धित फर्म का बिल/ बाउचर उपलब्ध नहीं था। जिसके अभाव में उक्त दर्शित व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। उक्त दर्शित व्यय का अपहरण किये जाने की सम्भावना बनी हुई है। उक्त की आवश्यक जांच उपरान्त तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व श्री अनंगपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से अंकन रु0 124800.00 व 3500.00 कुल रुपये 128300.00 की वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

25. वर्ष 2010–11 व 2011–12 में छात्रनिधि बैंक पासबुक खाता संख्या 156 के अनुसार क्रमशः रु0 96000.00 व 833625.00 रु0 का आहरण किये जाने दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष में कोष रजिस्टर व छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर/उपभोग प्रमाण पत्रव लाभान्वित छात्रों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके कारण उक्त वितरण की पुष्टि नही होती। जिससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010–11 व 2011–12 में छात्रवृत्ति वितरण में भारी घोटाला होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त धन का ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किया जाना प्रतीत होता है। अतः उक्त की आवश्यक जांच उपरान्त रु0 96000.00 व रु0 833635.00 कुल 929635.00 रु0 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला देवी व श्रीमती सुनीता देवी वर्तमान ग्राम प्रधान व श्री अनंगपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है।

26. वर्ष 2010–11 में मिड–डे–मील की बैंक पासबुक खाता संख्या (पी0एन0बी0 चौरावाला) 90345 के द्वारा निम्न तिथियों में चैक द्वारा धन आहरण किया जाना दर्शित है। दिनांक 06.04.2010 चैक संख्या 64251 श्री मौ0 इस्लाम (प्रधानपति) आहरित धनराशि रुपये 1,75,000.00, दिनांक 06.08.2010 चैक संख्या 64253 श्री मौ0 इस्लाम (प्रधानपति) आहरित धनराशि रुपये 25,000.00, दिनांक 17.08.2010

चैक संख्या 64256 श्री मौ0 इस्लाम (प्रधानपति) आहरित धनराशि रुपये 15,000.00, दिनांक 01.09. 2010 चैक संख्या 64254 शहीद सुशील गैस एजेंसी आहरित धनराशि रुपये 700.00, दिनांक 29.11. 2010 चैक संख्या 64259 श्रीमती शकीला देवी ग्राम प्रधान आहरित धनराशि रुपये 40,000.00 व दिनांक 11.12.2010 चैक संख्या 64260 श्री दल सिंह आहरित धनराशि रुपये 7,000.00 कुल धनराशि 2,67,700.00 आहरित किया गया। उक्त आहरण का इन्द्राज कोष रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। उक्त विवरण से स्पष्ट है की भारी धनराशि खाते से आहरित की गयी जो लेखा परीक्षा की दृष्टिकोण से मिडडे मील पर खर्च होना व्यवहारिक नहीं लगता है। लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका तथा उत के व्यय प्रमांणक/ खाना बनाने वाली के मस्टर रोल/ खाद्य साम्रगी क्रय के प्रमाणक/ उपस्थित बच्चों की सूची आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में समस्त धनराशि का ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनंगपाल सिंह द्वारा दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त की आवश्यक जांच उपरान्त अंकन रुपये 2,67,700.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शकीला देवी व श्री अनंगपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है।

27. वर्ष 2010–2011 में कोषबही व ग्राम निधि जिला सहकारी बैंक शाखा खतौली खाता संख्या–(12166)के अनुसार उक्त खाते से रुपये 432500.00 का आहरण किया जाना दर्शित है जिसके सापेक्ष रु0 432500.00 का व्यय कोषबही में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई बिल/ व्यय प्रमाणंक/ मस्टरोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिसके कारण उक्त धन के व्ययापहरण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त रु0 432500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द व श्री महेश कुमार वर्तमान ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

28. वर्ष 2010–2011 में मिड–डे–मील की बैंक पासबुक (जिला सहकारी बैंक शाखा खतौली) के खाता संख्या 14730 व कैशबुक अनुसार उक्त खाते से रु0 90450.00 का आहरण किया गया। जिसके सापेक्ष रु0 95384.61 का व्यय कोष रजि0 में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई बिल/ व्यय प्रमाणक/खाद्य सामग्री क्रय का प्रमाणंक/ खाना बनाने की मजदूरी का मस्टरोल व बच्चों की उपस्थिति प्रमाण पत्र आदि प्रमाणंक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। उक्त व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। जिससे उक्त धन का व्ययापहरण होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे उक्त धन का व्ययापहरण होने की

संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त रुपये 95384.61 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेश कुमार व श्री सुरेश चंद ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

29. वर्ष 2010–2011 में छात्रनिधि खाता संख्या जिला सहकारी बैंक शाखा खतौली के खाता संख्या 12227 व कैश बुक अनुसार रु0 329650.00 का आहरण किया जाना दर्शित है। जिसके सापेक्ष रु0 329950.00 का व्यय कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त व्यय में रु0 320990.00 का वितरण व रु0 8960.00 रुपये सम्बन्धित संस्था को वापस करना कोष रजिस्टर में दर्शित है। उक्त वितरण की पुष्टि में वितरण रजि0 व उपभोग प्रमाण पत्र तथा लाभान्वित छात्रों की सूची आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जिसके कारण उक्त धन के व्ययापहरण की संभावना बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त रु0 320990.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेश कुमार श्री सुरेश चन्द वर्तमान ग्राम प्रधान व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

30. वर्ष 2011–2012 में ग्राम निधि खाता संख्या 12166 के बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 05.05.2011 को रु0 14000.00 आहरण किया जाना दर्शित है जिसके सापेक्ष रु0 14000.00 का व्यय कोष रजि0 में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई भी बिल/व्यय प्रमाणक/ मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। तथा उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। तथा उक्त व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसके कारण उक्त व्ययापहरण होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त की आवश्यक जांच उपरान्त सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से अंकन रुपये 14000.00 की वसूली मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है।

31. वर्ष 2011–2012 में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख बार–बार मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में जांच हेतू प्रस्तुत नहीं किये गये। छात्रनिधि की बैंक पासबुक खाता संख्या 12227 के अनुसार वर्ष 2011–2012 में अंकन रुपये 399970.00 का आहरण किया जाना दर्शित था। उक्त से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण छात्रवृत्ति वितरण में भारी घोटाला होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसे कारण उक्त धन का व्ययापहरण किये जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आवश्यक जांच उपरान्त रु0 309970.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित

है। तथा उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है।

32. वर्ष 2011–2012 में कोष रजिस्टर व ग्राम निधि खाता संख्या 636102010000607 से अंकन रु0 508865.00 आहरण किये जाने दर्शित है। जिसके सापेक्ष रु0 508865.00 का व्यय कोष रजि0 में दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई बिल/व्यय प्रमाणंक/ मस्टरोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके कारण उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। जिससे उक्त धन के व्ययापहरण की संभावना बनी हुई है। उक्त के प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतू आकर्षित किया जाता है। तथा उक्त की जांच उपरान्त रुपये 508865.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द व श्री शिव कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख मय ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

33. कोष रजिस्टर (मिड–डे–मील) तथा मिड–डे मील की बैंक पासबुक सं0 9593 के अनुसार निम्न तिथियों में मिड–डे मील से सम्बन्धित है निम्न व्यय दर्शित था, जबकि शासन द्वारा मिड डे मील के खातों पर माह फरवरी 2011 से प्रतिबंध लगा था। प्रतिबंध के बाजवूद उक्त खाते से धन आहरित कर मनमाने ढंग से कम दर्शाकर पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। दिनांक 29.04.11 को 15,000.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के तीनों विद्यालयों के भी मिड–डे मील पर माह मार्च, अप्रैल का व्यय 16055.90 दर्शित था। दिनांक 03.03.12 को रु0 2890.00 की निकासी कर दिनांक 30.11.11 को 5 सिलेंडरों की रिफिल पर 1750.00 तथा गैस चूल्हों की मरम्मत पर 1184.10 का खर्च दर्शित था। इस प्रकार कुल खर्च 18990.00 का किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खाते से दिनांक 03.03.12 की निकासी को कोष रजि0 में 29.11.11 का दर्शित कर 30.11.11 को 2934.10 का व्यय (गत रोकड शेष सहित) दर्शाया गया है। यह किस प्रकार सम्भव हुआ? स्पष्टतया उक्त कम मात्र कागजों में दर्शाकर पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। अतः 18990.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से अविलम्ब की जानी अपेक्षित है।

34. कोष रजिस्टर (ग्राम निधि) के अनुसार दिनांक 31.05.11 को व्यय प्रमाणंक सं0 13 द्वारा स्कूल के चूल्हों की मरम्मत कराने पर 515 का खर्च दर्शित था। यह व्यय ग्राम निधि के धन से करने का क्या औचित्य रहा। जबकि मिड डे मील का कोष रजिस्टर बैंक खाता पृथक से था। तथा शासन द्वारा माह फरवरी 2011 से मिड डे मील के खातों से आहरण पर रोक लगी थी। अतः उक्त काल्पनिक व्यय दर्शा कर पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

35. छात्रवृत्ति खाता संख्या जिला सहकारी बैंक शाहपुर 6457 के अनुसार आलोच्य वर्ष भी उक्त खाते से कुल 5,25,500.00 की निकासी की गयी थी, जबकि छात्रवृत्ति वितरण रजि0 के अनुसार ग्राम पंचायत के तीन विद्यालयों के छात्रों को कुल 4,89.230.00 छात्रवृत्ति वितरित की गयी। तथा दिनांक 02.05. 11 को अंकन 19,500.00 समाज कल्याण विभाग मु0नगर को ड्राफ्ट द्वारा वापस किये गये। तथा वर्ष में प्रधान की अमानत (जो 31.03.11 को ली गयी थी) अंकन 910.00 रुपये वापस की गयी। एवं वर्षान्त पर प्रधान के पास 6900.00 छात्रवृत्ति का धन नकद अवशेष रहा। इस प्रकार कुल 5,16,540. 00 का हिसाब तो है शेष 8960.00 का क्या रहा? यह धन न तो बैंक में जमा किया गया और न ही छात्रों को वितरण किया गया। स्पष्टतया 8960.00 छात्रवृत्ति के बचे रहने की व्याहरित कर लिया गया प्रतीत होता है। अतः आवश्यक जांचोपरान्त प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से रुपये 8960. 00 की वसूली संयुक्त रूप से ब्याज सहित अविलम्ब की जानी अपेक्षित है।

36. स्टॉक रजिस्टर अनुसार दिनांक 31.03.12 की ईंट तथा सीमेंट का निम्न स्टॉक अवशेष दर्शित था। 11089 ईट दर 3700.00 अंकन 41030.00 भट्टे पर मौजूद दर्शित थी, 52 कट्टे सीमेंट दर 280.00 अंकन 14,560.00 कुल योग 55,590.00 उक्त सामान की खरीद माह मार्च 2012 में की गयी थी जब यह सामान 31.03.2012 तक प्रयोग होना ही नहीं था, तो इसकी खरीद करने की क्या आवश्यकता थी, स्पष्टतया ग्राम पंचायत के धन का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया गया है। जिस हेतु प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

37. कोष रजिस्टर अनुसार माह मार्च 2012 को दिनांक 31.03.12/31.01.12 को ग्राम निधि के पी0एन0बी0 शाखा शाहपुर के खाता संख्या 2971 से 5690.00 का आहरण किया गया दर्शित था जिसकी पुष्टि सम्बन्धित बैंक पासबुक से होती है। बाद में आम पक्ष का योग करने के बाद अंकन 5690.00 से कम करके प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्ययापहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रधान श्रीमती बाला व श्री सोहनवीर तत्कातीन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

38. कोष रजिस्टर अनुसार दिनांक 22.07.11 को पंचायतघर के रंग रोगन कराने हेतु रंग का सामान रुपये 5500.00 का खरीद दर्शित था, पुष्टि में वा0न0 55 शर्मा पेंट स्टोर शाहपुर का सादी कैश मीमो पर बना पाया गया। जिस पर शर्मा पेन्ट स्टोर शाहपुर की मोहर लगी थी, तथा उक्त पर रफ स्टीमेंट लिखा था, रफ एस्टीमेट वास्तविक खरीद का प्रमाण नहीं है, अतः मूल क्रय प्रमाणकों के अभाव में पेंटस सामग्री का क्रय एवं उपभोग अपुष्ट तथा अप्रमाणित है। व्यय की धनराशि अंकन 5500.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रधान/ ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

39. कोष रजिस्टर अनुसार माह दिसम्बर 2011 को दिनांक 07.12.11 की मिड डे मील खाते से रुपये 1145.00 जमा अवशेष धनराशि का आहरण कर ग्राम पंचायत के खर्चो में प्रयुक्त कर लिया गया था। जबकि शासन द्वारा माह फरवरी 2011 में मिड डे मील खाते से आहरण पर प्रतिबंध लगा दियाथा। खाते में जमा अवशेष सम्बन्धित स्कूलों के खाते के ट्रांसफर होना था। इस प्रकार शासन के आदेशों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से 1145.00 की निकासी अनियमित रूप से करके धन का दुरुपयोग किया गया दर्शित है। अतः इसकी वसूली प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी (तत्कालीन) से संयुक्त रूप से अविलम्ब की जानी अपेक्षित है।

40. कोष रजिस्टर अनुसार दिनांक 19.05.11 /25.02.12 को प्रा0 विद्यालय कसेरवा हेतु एक गैस कनेक्शन हौट प्लेट लाईट चूल्हे सहित अंकन 5560.00 का ख़रीद दर्शित था। पुष्टि में वा0न0 91 शाहपुर का बिल उपलब्ध था। उक्त व्यय अनाधिकृत रूप से किया गया दर्शित था। क्योंकि मिड डे मील खाते से आहरण तथा खर्च पर शासन द्वारा माह फरवरी 2011 से प्रतिबंध है। इस प्रकार ग्राम प्रधान ने शासन के आदेशों की खुली अवहेलना कर धन का दुरुपयोग किया गया दर्शित था। अतः रुपये 5560.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी (तत्कालीन) से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में पाई गयी प्रमुख आपत्तियाँ

41. जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षित 661 ग्राम पंचायतों में छात्रवृत्ति की मद में वर्ष के प्रारम्भ में रु0 383.69 लाख की धनराशि शेष थी। वर्ष दौरान छात्रवृत्ति की मद में प्राप्तियाँ 30 1168.27 लाख व व्यय 30 1230.70 लाख के उपरान्त दिनांक 31.03.2012 को रु0 329.16 लाख की धनराशि अप्रयुक्त शेष रही। शासनादेश संख्या 2507/26–3–99–4 (215)/90 टी0सी0 दिनांक 04.03.1999 में दिये गये निर्देशों के अनुसार इस धनराशि को अनुदान देने वाले सम्बन्धित विभाग को वापस किया जानाआवश्यक था जो नहीं दिया गया। शासनादेशों के इस प्रकार के उल्लंघन से शासकीय अनुदान के धन के अपहरण, दुरुपयोग की प्रबल सम्भावना रहती है। अतः इस प्रति विभाग एवं शासन का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 2क संलग्न है।

42. जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षित 661 ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग तथा 12वें वित्त अयोग से प्राप्त धनराशि में से ग्राम निधि खाते में वर्ष के प्रारम्भ में रु0 1731.07 लाख की धनराशि शेष थी। वर्ष 2011–12 में रु0 6008.06 लाख की प्राप्तियों एवं रु0 6059.31 लाख के व्यय के उपरान्त दिनांक 31.03.2011 को रु0 1679.83 लाख की धनराशि अप्रयुक्त शेष रही। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 2–ख पर संलग्न है। उपरोक्त योजनाओं में शासन से प्राप्त अनुदान का शासनादेशों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपभोग किया जाना आवश्यक था। समय से शासकीय अनुदान का उपभोग न जाने से विकास कार्यों की लागत में वृद्धि होने से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/ शासन को हानि होने के साथ साथ जन सामान्य को शासकीय अनुदान से होने वाले

विकास कार्यो का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः शासनादेशों में निर्धारित समय सीमा के अनुदान का उपभोग किया जाना आवश्यक है।

43. जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षित 661 ग्राम पंचायतों में दिनांक 31.03.12 को अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि शेष रही। इस धनराशि का ग्राम निधि खाते में ट्रांसफर करते हुए स्वीकृत विकास कार्यो में उसका उपभोग कराया जाना चाहिए। इस प्रति विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 2–ग पर संलग्न है।

44. जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षित 661 ग्राम पंचायतों में से 70 ग्राम पंचायतों, जिनकी सूची परिशिष्ट 2–घ पर संलग्न है, के द्वारा मिड–डे–मील से सम्बन्धित वर्ष 2011–12 के अभिलेख ऑडिट के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। ऐसी दशा में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मिड–डे–मील योजना से प्राप्त अनुदान की धनराशि के अपहरण/दुरुपयोग अथवा गम्भीर अनियमितताओं की प्रबल संभावना हो सकती है।

45. जनपद की 661 लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों में से 506 ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में मनरेगा योजना से सम्बन्धित कोई अभिलेख, सूचनाएँ अथवा आंकडे जांच हेतु ऑडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी दशा में ग्राम पंचायतों में शासकीय अनुदान में धन के अपहरण, दुरुपयोग अथवा गम्भीर अनियमितताओं की प्रबल सम्भावना है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 2–ड पर संलग्न है।

46. जनपद की अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला पंचायत राज अधिकारी मुजफ्फरनगर के पी0एल0ए0 में रु0 1000.00 से रु0 1200.00 तक की धनराशि पंचायत करके 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में भुगतान की गई है। जबकि सम्बन्धित अधिकांश ग्राम पंचायतों में पंचायत कर की वसूली शून्य अथवा नगन्य रही है। अतः जनपद की ग्राम पंचायतों में पंचायत कर के वार्षिक निर्धारित वसूली एवं पंचायत राज अधिकारी के पी0एल0ए0 में अंशदान पर प्रभावी विभागीय नियंत्रण की आवश्यकता है। विकास कार्यो से प्राप्त धनराशि में से पंचायत कर के अंशदान के नाम पर भुगतान किया जाना अनियमित रहा।

47. जनपद मुजफ्फरनगर की अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डपम्पों की मरम्मत पर किये गये व्यों की पुष्टि में सम्बन्धित कल पुर्जो की खरीद व मजदूरी से सम्बन्धित प्रमाणक नहीं रखे गये है तथा हैण्ड पम्पों के बदले गये पुराने पुर्जो का कोई स्टॉक नहीं रखा गया है जिसके किये गये व्यय अप्रमाणित रहे।

48. जनपद मुजफ्फरनगर अधिकांश की ग्राम पंचायतों द्वारा शासकीय अनुदान से क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री अपंजीकृत विक्रेताओं से क्रय की गई है तथा निर्माण सामग्री के बिलों में वैट नहीं लगा है। इस प्रकार सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं वाणिज्य कर (वैट) का अपवंचन किया गयाहै तथा अपंजीकृत फर्मो से निर्माण सामग्री क्रय करके ग्राम पंचायतों द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

मण्डल का नामः— मेरठ।

जनपद का नामः— बुलन्दशहर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां

1.निर्माण/मरम्मत कार्यो में दर्शित व्यय के सापेक्ष सामग्री क्रय प्रमाणक , मजदूरी भुगतान मस्टरोल आदि जॉच में न दिये जाने के कारण अनियमित भुगतान ।

क्रम सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सम्मिलत धनराशि				अभ्युक्ति
			अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमित	आपत्ति सं0	
1	जहॉगीराबाद	ककरई	16000	—	—	2,3	
2	जहॉगीराबाद	खालौर	1701965	—	—	1	
3	जहॉगीराबाद	योग	1717965.00	—	—		

4. क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरूपयोग किया जाना

क्रम सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सम्मिलत धनराशि				अभ्युक्ति
			अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमित	आपत्ति सं0	
1	शिकारपुर	डोवला हसनगढ	7875	8720	—	1,2,3	
2	शिकारपुर	भटौला	90085	8220	200	1,2,3,4	
3	शिकारपुर	रसूलपुर	89364	200	—	1,2,3	
4	शिकारपुर	भैसरोली	120819	5680	—	1,2,3,4	
5	शिकारपुर	सरावा	221005	2740	200	1,2,3,4	

4. क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरूपयोग किया जाना

क्रम सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सम्मिलत धनराशि			
			अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमितत	आपत्ति सं0
6	शिकारपुर	रसूलपुरनगला बिसर	7285	500	—	1,2
7	शिकारपुर	सुर्खरू	7285	32400	—	1,2,3
8	शिकारपुर	जटपुरा मुकीमपुर	28945	5680	—	1,2,3,4
9	शिकारपुर	जखैता	7285	3240	—	1,2,3
10	शिकारपुर	चित्सौन	72540	—	6680	1,2,3,4,5
11	ऊँचागांव	नगला मदारीपुर	4275	5480	9755	10,11
12	ऊँचागांव	थाना गजरौला	516105	—	—	10,11
13	ऊँचागांव	अमरगढ	4275	—	—	10,11
14	ऊँचागांव	शकरपुर	4000	—	—	10,11
15	ऊँचागांव	ढलना	198655	2740	2565	10,11,12,13
16	ऊँचागांव	मवई	312739	—	—	10,11
17	ऊँचागांव	सफीनगर	403201	5480	2565	10,11,12,13
18	ऊँचागांव	भगवन्तपुर	—	5980	389720	1,2,3
19	ऊँचागांव	भडकाऊ	—	500	123840	1,2,3
20	ऊँचागांव	जरीया आलम	—	5480	296725	1,2,3
21	ऊँचागांव	मंगलपुर रोशन	—	4829	—	1,2,3
22	ऊँचागांव	महुआखेडा	—	—	6840	1,2
23	ऊँचागांव	मौ0 पुर बवराला	6840	—	—	1
24	ऊँचागांव	दुलखेडा	—	5480	2565	1,2
25	ऊँचागांव	कांचरोठ	—	8220	2565	1,2

4. क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन न करके अनियमित क्रय कर धनराशि का दुरूपयोग किया जाना

क्रम सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सम्मिलत धनराशि			
			अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनिय	आपत्ति सं0
26	ऊँचागांव	औरंगाबाद ताहरपुर	1832500	2740	500	10,11,12,13
27	ऊँचागांव	चौढेरा	6500	40000		10,11,12,13
		योग	729269038	81449	846885	

6. बैंक से आहहरित का कैशबुक में अंकन नही करके धनराशि का अपहरण

क्रम सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	सम्मिलत धनराशि				अभ्युक्ति
			अपहरण	दुर्विनियोग	गम्भीर अनियमित	आपत्ति सं0	
1	जहॉगीराबाद	ढक्का	50000	–	–	3	–
2	जहॉगीराबाद	ककरई	692800	–	–		–
3	अगौता	अख्त्यारपुर	75525	–	–	25	–
4	अगौता	गुठावली टीकरी	815889	–	–	22	–
5	स्याना	खानी कटीरी	293000	–	–	27	–
		योग	2327014	–	–		–

जनपद– बागपत।

1– नाम ग्राम पंचायत– फिरोजपुर

2– नाम विकास खण्ड– खेकड़ा

लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11

क्रम सं0	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	दुरूपयोग
1	2	3
1	वर्ष 2010–11 में सामग्री क्रय एवं मजदूरी हेतु भुगतान की गई धनराशि की बिल बाउचर एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किये गये।	528063.00
	योग–	528063.00

आ0 सं0–1 वर्ष 2010–11में कोषबही के अनुसार क्रय की गई सामग्री के बिल वाउचर तथा मजदूरी हेतु भुगतान की गई धनराशि के मस्टररोल, स्टीमेट,

कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय की गई धनराशि रू0 528063.00 का दुरूपयोग किया जाना

प्रतीत होता है।

अतः आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम– गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर

ग्राम पंचायत से सम्बधित आपत्तियॉ :–

क्र0	नाम ग्राम पंचायत	विकास खण्ड / जनपद	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
01	भापखेड़ा	बिसरख गौतमबुद्धनगर	कार्य पर निर्धारित मात्र से अधिक सामग्री व्यय कर रु0 21085/– की अनियमितता
02	खेड़ी	बिसरख गौतमबुद्धनगर	प्रधान के पास अनावश्यक रूप से रोकड़ शेष दर्शा कर ग्राम पंचायत को रु0 36,000/– ब्याज की हानि।
03	गुलिस्तानपुर	बिसरख गौतमबुद्धनगर	पूर्व प्रधान के अधिक व्यय रु0 33036/– का बिना प्रमाणक के के समायोजन कर अनियमितता ।
04	सैनी	बिसरख गौतमबुद्धनगर	खड़ंजा निर्माण पर मानक से अत्यन्त कम दर पर श्रम का भुगतान कर रु0 30800 की अनियमितता।
05	होशियारपुर	बिसरख गौतमबुद्धनगर	श्रम खड़ंजा निर्माण पर मानक से अधिक व्यय कर रु0 12160/– की अनियमितता।
06	शाहपुर गोवर्धनपुर	बिसरख गौतमबुद्धनगर	रोकड़ शेष में त्रुटि कर रु0 43624/– का अपहरण ।
07	खोदनाखुर्द	बिसरख गौतमबुद्धनगर	10 शौचालय लाभार्थियों का भुगतान चैक से न कर नकद किया गया है। अतः रु0 45000/– की अनियमितता।
08	तिलपता करनवास	बिसरख गौतमबुद्धनगर	रोकड़ शेष में त्रुटि कर एवं बैंक से आहरण कर कोष बही में लेखा न कर रु0 6730/– का अपहरण किया गया।
09	पर्थला खंजरपुर	बिसरख गौतमबुद्धनगर	असंचालित खातों की धनराशि को संचालित खातों में हस्तान्तरण न कर रु0 48414.75की अनियमियतता
10	नगली वाजिदपुर	बिसरख गौतमबुद्धनगर मो0नगर	बिना विभागीय अनुमति के अधिक व्यय दर्शाकर रु0 255000/– की अनियमितता

11	इटैरा	बिसरख गौतमबुद्धनगर	माह 5/10 में बैंक द्वारा बिना किसी स्वीकृति के आहरित धनराशि समायोजन के आधार पर /0 26982/– की अनियमितता।
12	गढ़ी चौखण्डी	बिसरख गौतमबुद्धनगर	असंचालित खाते की धनराशि संचालित खातों में हस्तान्तरित न कर रु0 11822.90 की अनियमितता।
13	भनौता	बिसरख गौतमबुद्धनगर	कम ईंट में अधिक कार्य दर्शा कर रु0 45000/– की अनियमितता।
14	सुनपुरा	बिसरख गौतमबुद्धनगर	(क) खड़ंजा निर्माण पर श्रम के रूप में अत्यन्त कम दर से व्ययस कर रु0 102710/– की अनियमितता (ख) असंचालित खातों को बन्द कर जमा धनराशि को संचालित खातों में हस्तान्तरित न कर रु0 21581.74 की अनियमितता।
15	बिसोखर	भोजपुर गाजियाबाद	व्यय प्रमाणक व कोषबही दिनांक 01.04.2010 से 14.09.2010 तक की कोशबही नहीं प्रस्तुत की गई उक्त अवधि में रु0 7,24,300/– का आहरण कर अपहरण ।।
16	मो0पुर सुजानपुर अखाड़ा	भोजपुर गाजियाबाद	कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 108864.00 का अपहरण किया गया।
17	भोजपुर	भोजपुर गाजियाबाद	कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 6945/– का अपहरण
18	कादराबाद	भोजपुर गाजियाबाद	कोषबही के आय पत्र के योग में कम दर्शित कर धन रु0 5000/– का अपहरण
19	अतरौली अवलपुर	भोजपुर गाजियाबाद	बैंक से नकद आहरण कर उसे कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 3000/– का अपहरण।
20	कनकपुर जोया	भोजपुर गाजियाबाद	छात्रवृत्ति की धनराशि की कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 50340/– का अपहरण।

21	नंगौला अमीपुर	भोजपुर गाजियाबाद	बैंक से आहरित धन का कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 47480/— का अपहरण।
22	अमीपुर बड़ायला	भोजपुर गाजियाबाद	बैक से आहरित धन की कोषबही में प्रविष्टि नल कर रु0 38400/— का अपहरण।
23	चचूरा	दनकौर गौतमबुद्धनगर	व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत कर रु0 37119. 38 का अपहरण
24	खानपुर	दनकौर गौतमबुद्धनगर	व्यय प्रमाण पत्र व कोषबही उपलब्ध नहीं अतः रु. 431785/— का अपहरण।
25	देवता	दनकौर गौतमबुद्धनगर	व्यय प्रमाणक व कोषबही उपलब्ध नहीं अतः रु0 168000/— के आहरण का अपहरण।
26	लडपुरा	दनकौर गौतमबुद्धनगर	व्यय प्रमाणक व कोषबही उपलब्ध नहीं अतः रु0 786666 का आहरण कर अपहरण।
27	आजमपुरगढ़ी	दनकौर गौतमबुद्धनगर	व्यय प्रमाणक व कोषबही उपलब्ध नहीं अतः रु0 82800/— का अपहरण।
28	अस्तौली	दनकौर गौतमबुद्धनगर	व्यय प्रमाण पत्र व कोषबही उपलब्ध नहीं अतः 240955/— का आहरण कर अपहरण
29	धरबरा	दनकौर गौतमबुद्धनगर	वित्त छात्रवृत्ति की व्यय प्रमाणक व कोषबही उपलब्ध नहीं अतः रु0 शून्य
30	ऐच्छर	दनकौर गौतमबुद्धनगर	वित्त एवं छात्रवृत्ति की कोषबही व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं
31	तुगलकपुर	दनकौर गौतमबुद्धनगर	वित्त एवं छात्रवृत्ति की कोषबही व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।
32	गुलावठी	दनकौर गौतमबुद्धनगर	वित्त एव छात्रवृत्ति की कोषबही व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।
33	कासना	दनकौर गौतमबुद्धनगर	वित्त एव छात्रवृत्ति की कोषबही व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।
34	डाढ़ा	दनकौर गौतमबुद्धनगर	वित्त एव छात्रवृत्ति की कोषबही व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।

35	गुलावठी खर्दु दादरी	दनकौर गौतमबुद्धनगर	रोकड़ शेष कम दर्शा कर रु0 5048/— का अपहरण।
36	पटादी	दनकौर गौतमबुद्धनगर	रोकड़ शेष कम दर्शा कर रु0 1760/— का अपहरण।
37	जारचा	दनकौर गौतमबुद्धनगर	फर्जी भुगतान कर रु0 33469/— का अपहरण।
38	छौलस	दादरी, गौतमबुद्धनगर	बैंक से आहरित धनराशि की कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 15000/— का अपहरण
39	ऊँचा अमीपुर	दादरी, गौतमबुद्धनगर	बैंक से आहरित धनराशि की कोषबही में प्रविष्टि न कर रु0 35000/— का अपहरण
40	नंगला नयनसुख	दादरी, गौतमबुद्धनगर	नक़द रोकड़ शेष कम दर्शा कर रु0 90 का अपहरण
41	चिटेहरा	दादरी, गौतमबुद्धनगर	दर्शित अवशेष की पुष्टि न होना रु0 22143/— का अपहरण
42	दतावली	दादरी, गौतमबुद्धनगर	बैंक से आहरित कर अपहरण रु0 10,000/—
43	रिडोरी	दादरी, गौतमबुद्धनगर	नकद रोकड़ कम दर्शा कर रु0 100/— का अपहरण।
44	माईचा	दादरी, गौतमबुद्धनगर	फर्जी भुगतान दर्शा कर रु0 34000/— का अपहरण।
45	रामपुरबांगर	दादरी, गौतमबुद्धनगर	बैंक से आहरित कर रु0 5000/— का अपहरण।
46	रामगढ़ चमरावली	दादरी, गौतमबुद्धनगर	रोकड़ शेष कम दर्शा कर रु0 17000/— का अपहरण

मण्डल का नाम :– बरेली
जनपद– बरेली
ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लॉक	आपत्ति का विवरण	धनराशि		
				कुल	अपहरण	ग0अनि0
1	2	3	5	6	7	8
1	भैरपुरा खजुरिया	भोजीपुरा	1.बैंक खाते से आहरित धनराशि का लेखा रोकड़ बही में नहीं करना।	5000.00	5000.00	——
			2.खडंजा उखाड़ने की मजदूरी का अधिक भुगतान करना।	2160.00	2160.00	——
			3.खड़ंजा निर्माण से पूर्व,अधिक मिट्टी डालने का भुगतान करना।	23250.00	23250.00	——
			4.खड़ंजा निर्माण की मजदुरी का मानक से अधिक भुगतान करना।	1006.00	1006.00	——
			योग–	31416.00	31416.00	——
2	कलारा	भोजीपुरा	1.खडंजा निर्माण का निर्धारित दर से अधिक भुगतान करना।	5500.00	5500.00	——
			2.खड़ंजा उखाड़ने हेतु निर्धारित दर से अधिक भुगतान करना।	1620.00	1620.00	——
			3.खडंजा निर्माण का निर्धारित दर से अधिक भुगतान करना।	4738.00	4738.00	——
			4.खडंजा निर्माण का निर्धारित दर से अधिक भुगतान करना।	2655.00	2655.00	——
			5.मनरेगा कार्य के अन्तर्गत मिस्त्री का अधिक दिवसों का भुगतान करना।	1920.00	——	1920.00
			योग–	16433.00	14513.00	1920.00
	घुन्सा	भोजीपुरा	1.नाप के सापेक्ष अधिक मात्रा में मिट्टी डालने का भुगतान करना।	57000.00	57000.00	——
			2.नाप एवं स्थान अंकित किये बिना,केवल खड़ंजे में मिट्टी कार्य लिख कर मिट्टी डालने का भुगतान करना।	72600.00	——	72600.00
			योग–	129600.00	57000.00	72600.00
	बकैनिया स्वाले	दमखोदा	1.बैंक अभिलेख एवं रोकड़ बही में दर्शित शेष में अन्तर होना।	10000.00	——	10000.00
			2.सफाई ठेली क्रय हेतु प्रधान को अग्रिम भुगतान।	6000.00	——	6000.00
			योग–	16000.00	——	16000.00
	बसंतनगर जागीर	दमखोदा	1.प्रारंभिक नकद शेष को समायोजित करने के उद्देश्य से अनियमित रूप से सामग्री क्रय करना।	12800.00	——	12800.00

			2.पर्याप्त विवरण के बिना वाल पेंटिंग का भुगतान करना।	15800.00	———	15800.00
			योग–	28600.00	———	28600.00
	बुखारा	क्यारा	1.कराये गये कार्य की माप एवं स्वीकृति के बिना भुगतान किया गया।	89900.00	———	89900.00
			योग:–	89900.00		

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लॉक	आपत्ति का विवरण	धनराशि कुल
7	कमुआ मकरूका	भोजीपुरा	1.विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री क्रय कर,उसका प्रयोग नहीं कर के स्टॉक का अपहरण करना।	30285.00
			योग–	30285.00
8.	मुड़िया तेली	नवाबगंज	1.बैंक सें आहरित धनराशि का रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं करना।	10000.00
			योग–	10000.00
			कुल योग–	352234.00
			लेखा परीक्षा वर्ष–2010–11	
1	सुरला	भोजीपुरा	1.बैंक से आहरित धनराशि का रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं करना।	5000.00
			योग–	5000.00
2	बोहित	भोजीपुरा	1.बैंक से आहरित धनराशि,रोकड़ बही में कम अंकित करना	9000.00
			2.बैंक कटौती की धनराशि को नकद भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण करना।	176.00
			3.बैंक से आहरण न होने पर भी अपहरण दर्शा कर व्यय दर्शाना।	7500.00
			योग–	16676.00
			सर्व योग–	373910.00

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– हरेलीनेकपुर **वर्ष–2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉ:–

प्रस्तर–1–

वर्ष 2010–11 के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीपाल एवं पूर्व ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 30.08.2010 तक बैंक अभलेखों के अनुसार रू0 495000.00 संयुक्त रूप से आहरण किया गया जिसका कोई अभिलेख व व्यय प्रमाणक लेखाय परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः इस समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्रा0 पं0 अ0 री श्रीपाल एवं पूर्व प्रधान को इसका उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। इसलिए उपर्युक्त से संयुक्त रूप से रू0

495000.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अवधि के मनरेगा योजना से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– कसरक **वर्ष–2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं पूर्व प्रधान द्वारा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से संयुक्त रूप से दिनांक 01.04.2010 से 3.08.2010 तक रू0 154532.00 (रू0 एक लाख चौवन हजार पॉच सौ बत्तीस मात्र) नकद आहरण किये गये है।, जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये।

अतःउपर्युक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए इसका उत्तरदायित्व ग्रा0 पं0अ0 श्री राम शरण सिंह व पूर्व ग्राम प्रधान को ठहराया जाता है। इसलिए धनराशि रू0 154532.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.09 से 31.03.2010 तक के ग्राम निधि प्रथम व एस0जे0आर0 वाई0/मनरेगा के अभिलेख अथवा बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रसतुत नहीं किये इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

रू0 154532.00

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– नवाद ता0पलिया **वर्ष–2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम निधि प्रथम बैंक पासबुक एकाउन्ट नं0 200942 एवं कैशबुक वर्ष 2010–11 का अनितम अवशेष रू0 37387.36 को वर्ष 2011–12 की ग्राम निधि प्रथम कैशबुक के प्रारम्भिक अवशेष में अंकन नहीं किया है जबकि उक्त द्वारा रू0 34974.00 का आहरण किया गया है किन्तु कैशबुक में प्रविष्टि पारित नहीं करके उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः महोदय रू0 34974.00 ततारीख मय ब्याज वसूल कर ग्राम निधि कोष में जमा कराने का कष्ट करें।

रू0 34974.00

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**
ग्राम पंचायत का नाम– दिउरास **वर्ष–2011–12**
सम्बन्धित आपत्तियॉः–
प्रस्तर–1–

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से बैंक पासबुक के अनुसार संयुक्त रूप से दिनांक 01.04.08 से दिनांक 31.03.11 तक रू0 686305.00 (रूपये छः लाख छियासी हजार तीन सौ पॉच मात्र) आहरण किये गये है जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये।

अतः उपर्युक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए इसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्रा0 पं0 अ0 व ग्राम प्रधान को ठहराया जाता है । इसलिए धनराशि रू0 582555.00 श्री योगेन्द्र पाल व पूर्व ग्राम प्रधान से तथा रू0 103750.00 श्री गिरीश कुमार व वर्तमान ग्राम प्रधान श्री राममुनी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि दि0 01.04.08 से 31.3.11 तक के एस0जे0आर0वाई0 व मनरेगा योजना के अभिलेख व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

रू0 582555.00
रू0 103750.00
योग–रू0 34974.00

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**
ग्राम पंचायत का नाम– इश्वरा **वर्ष–2011–12**
सम्बन्धित आपत्तियॉः–
प्रस्तर–1–

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार संयुक्त रूप से दिनांक 01.04.2010 से 31.3.2011 तक रू0 322400.00 (तीन लाख बाईस हजार चार सौ मात्र) आहरण किये गये है जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उपर्युक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए इसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 व प्रधान को ढहराया जाता है। इसलिए धनराशि रू0 172500.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार व पूर्व प्रधान से रू0 149900.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गिरीश कुमार व वर्तमान प्रधान श्री छेदा लाल से बराबर–बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

रू0 172500.00
रू0 149900.00
योग–रू0 322400.00

प्रस्तर–2–

ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा दि0 28.03.2012 व दि031.3.2012 को ग्राम निधि प्रथम में बैंक एकाउन्ट से आहरण की निम्नलिखित प्रविष्टि पारित की गई है। जैसे दि0 28.3.2012 को रू0 10000.00 तथा 31.3.2012 को रू0 39580.00 इस प्रकार उक्त तिथियों में कुल रू0 49580.00 अंकन अंकित है किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट में उक्त तिथियों को किसी प्रकार का आहरण नहीं किया गया है।

अतः ग्राम वि0 अ0 द्वारा फर्जी तरीके से आहरण को कैशबुक में अंकन कर खड़न्जा एवं नाली निर्माण कार्य दर्शाया गया है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उक्त धन एवं कार्य के विषय में जॉचोपरान्त विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– कोठाखेतल **वर्ष–2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम निधि प्रथम से बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार संयुक्त रूप से दिनांक 01.04.07 से 31.3.11 तक रू0 1373422.00 (रूपये तेरह लाख तिहत्तर हजार चार सौ बाईस मात्र) आहरण किये गये, जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उपर्युक्त धनराशि का अपहरण मानते हुए रू0 1280572.00 इसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्रा0पं0 वि0 अ0 व ग्राम प्रधान को ठहराया जाता है, इसलिए धनराशि रू0 1280572.00 पूर्व प्रधान व तत्कालीन ग्राम पं0 अ0 वि0 अधिकारी से तथा रू0 92850.00 वर्तमान ग्राम प्रधान व ग्रा0 पं0अ0 श्री गिरीश कुमार से तत्तारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर–2–

ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा दि0 30.3.2012 को ग्राम निधि प्रथम बैंक एकाउन्ट से आहरण की निम्नलिखित प्रविष्टि पारित की गई हैः–

जैसे– 25000+29176+15000+14600+15000=98776.00 तथा दिनांक 31.3.2012 को भी रू0 5600+20000=25600.00 इस प्रकार उक्त तिथियों में कुल रू0 124376.00 अंकन अंकित है किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट में उक्त तिथियों को किसी प्राकर का आहरण नहीं किया गया है।

अतः ग्रा0 वि0 अ0 द्वारा फर्जी तरीके से आहरण को कैशबुक में अंकन कर खरंजा एवं नाली मिर्माण कार्य दर्शाया गया है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कि उक्त एवं कार्य के विषय में जॉचोपरान्त विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– इटौवा **वर्ष–2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम पंचायत अधिकारी एवं पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से बैंक पासबुक के अनुसार संयुक्त रूप से दिनांक 01.04.08 से दि031.3.11 तक रू0 790850.00 (रू सात लाख नब्बे हजार आठ सौ पचास मात्र) आहरण किये गये है, जिसके सापेक्ष ग्राम पंचायत से सम्बन्धितअभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये।

अतः उपर्युक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए इसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्रम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान को ठहराया जाता है इसलिए धनराशि रू0 567850.00 श्री अशोक कुमार व पूर्व ग्राम प्रधान से तथा रू0 223000.00 श्री गिरीश कुमार व वर्तमान ग्राम प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि दि0 01.04.08 से 31.3.11 तक के एस0जे0आर0वाई0 व मनरेगा योजना के अभिलेख व बैंक पासबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये, इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

माह अप्रैल 2011 में प्रारंभिक अवशेष व आहरण के उपरान्त व्यय के सापेक्ष अन्तिम अवशेष रू0 3600.00 (रू0 तीन हजार छःसौ मात्र) कम दर्शित है तथा दि0 8.11.11 को आहरित धनराशि रू0 12200.00 को कैशबुक में अंकित नहीं करके उपर्युक्त धन रू0 12200.00 का अपहरण किया गया है। इसलिए धनराशि रू0 3600.00+12200.00=15800.00 (रूपये पन्द्रह हजार आठ सौ मात्र) ग्राम वि0अ0 गिरीश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– उमरिया **वर्ष–2009–10 से 2010–11**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि की कोषवही में दिनांक 1.2.2010 को प्रारंभिक शेष रू01796.00 तथा आय पक्ष का कुल योग रू0 69250.00 होती है एवं व्यय पक्ष का कुल योग रू0 61114.00 घटाने के पश्चात् रू0 8136.00 अन्तिम शेष रहता है किन्तु अन्तिम शेष न दर्शाकर इस धनराशि रू0 8136.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रम्पा रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित करके अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रम्पा रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषवही में दिनांक 01.03.2010 को प्रारंभिक शेष शून्य दिनांक 31.3.2010 को आय पक्ष का कुल योग रू 0 152078.00 होता है, व्यय पक्ष की कुल धनराशि रू0 137118.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.3.2010 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 14960.00 अंकित न करके इस धनराशि रू0 14960.00 का अपहरण प्रधान श्री रम्पा रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है अधिभार की कार्यवाही करते हुए प्रधान श्रीमती रम्पा रानी व ग्रम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषवही में दिनांक 24.06.2009 को ग्राम निधि योजना की बचत खाता संख्या– 1310/18 के बैक स्टेटमेंन्ट के अनुसार रू0 15000.00 चेक संख्या–3000645 के द्वारा नकद धन बैंक से आहरित किया गया है जिसका लेखा ग्राम निधि की कोषबही में अंकित न करके धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रम्पा रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित करके अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती रम्पा व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से संयुक्त रूप से वसूली की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही में दिनांक– 01.04.2010 का प्रारम्भिक शेष रू0 76460.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 51366.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 30.04.2010 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 25094.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु माह का अन्तिम रोकड़ शेष 1094.00 ही अंकित किया गया है। शेष रू0 24000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रम्पा रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में वर्ष 2009–10 में रू0 4000.00 तथा वर्ष 2010–11 में रू0 3000.00 विज्ञापन पर व्यय किये गये है। विज्ञापन पर किये गये व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण उक्त व्यय रू0 7000.00 अपहरण किया गया है। इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रम्पा रानी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर–2–

मध्याहन भोजन योजना के अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा करायी जाय। अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– सहजना **वर्ष–2007–08 से 2010–11**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 1.10.2007 को प्रारंभिक शेष रू0 4799.00 तथा आय पक्ष का कुल योग रू0 96799.00 हेाता है एवं व्यय पक्ष का कुल योग रू0 69440.00 घटाने के पश्चात् य0 27359.00 अन्तिम शेष रहता है किन्तु अन्तिम शेष रू0 4400.00 ही अंकित किया। शेष धनराशि रू0 22959.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित करके अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 1.11.2007 को प्रारंभिक शेष य0 4400.00 अंकित है। दिनांक 30.11.2007 को आय पक्ष का कुल योग रू0 47510.00 हेाता है। व्यय पक्ष की कुल धनराशि रू0 43110.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 30.11.2007 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 4400.00 अंकित न करके इस धनराशिरू0 4400.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीणकुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अधिभार की कार्यवाही करते हुए प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 6.11.2007 को ग्राम निधि योजना की बचत खाता संख्या–11020100008230 के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 19000.00 नकद धन बैंक से आहरित किया गया है। जिसका लेखा ग्राम निधि की कोषबही में अंकित न करके धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही के संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित करके अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से संयुक्त रूप से वसूली की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 01.12.2007 को प्रारंभिक शेष रू0 00.00 अंकित नहीं है। दिनांक 31.12.2007 को आय पक्ष का कुल योग रू0 92430.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 69820.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2007 को अंकित रोकड़ शेष रू0 22610.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु माह का अंतिम रोकड़ शेष रू0 3810.00 ही अंकित किया गया है। शेष रू0 18800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है।

अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 1.1.2008 को प्रारंभिक शेष रू0 3810.00 अंकित है। दिनांक 31.01.2008 को आय पक्ष का कुल योग रू0 123334.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 107364.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.1.2008 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 15970.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु माह का अंन्तिम रोकड़ शेष रू0 7170.00 ही अंकित किया गया है। शेष रू0 8800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है । अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 1.3.2008 को प्रारंभिक शेष रू0 2810.00 अंकित है। दिनांक 31.3.2008 को आय पक्ष का कुल योग रू0 173690.00 होता है। एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 151588.00 के घटाने के पश्चात् दिनांक 31.3.2008 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 22102.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु 31.3.2008 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 5762.00 ही अंकित किया गया है। शेष रू0 16340.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी से श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही के आय पक्ष में बैंक द्वारा आहरित धन का लेखा रू0 8000.00 अज्ञात व्यय दर्शाकर धन का अपहरण श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसकी वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में में दिनांक 1.5.2008 को प्रारम्भि शेष रू0 5762.00 अंकित है। दिनांक 31.05.2008 को आय पक्ष का कुल योग रू0 113372.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 863810.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.05.2008 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 26562.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 31.05.2008 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 अंकित ही नहीं किया गया है। शेष रू0 25652.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 1.1.2009 को प्रारम्भिक शेष रूपया अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 31.1.2009 को आय पक्ष का कुल योग रू0 127517.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 119897.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.1.2009 को अंन्तिम रोकड़ शेष रू0 7620.00 अंकित किया जाना चाहिए अंकित ही नहीं किया गया है। शेष रू0 7620.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम

प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम विकास की कोषबही में दिनांक 1.3.2009 को प्रारंभिक शेष रूपया अंकित नहीं किया गया है दिनांक 31.3.2009 को आय पक्ष का कुल योग रू0 96346.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 84176.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.3.2009 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 12170.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 31.3.2009 को अन्तिम रोकड़ शेष अंकित नहीं किया गया है। शेष रू0 12170.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही में दिनांक 01.04.2009 को प्रारम्भिक शेष रूपया अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 30.04.2009 को आय पक्ष का कुल योग रू0 60000.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 55480.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 30.04.2009 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 4520.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 31.03.2009 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 अंकित नहीं किया गया है। शेष रू0 4520.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही में दिनांक 1.06.2009 को प्रारम्भिक शेष रूपया अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 30.06.2009 को आय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 58829.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 24749.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 30.06.2009 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 34080.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 30.06.2009 को अन्तिम रोकड़ शेष रूपया अंकित नहीं किया गया है। शेष रू0 34080.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीणकुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

निम्न दिनांकों के अंतिम शेष ग्राम निधि की कोष बही में अंकित न करके रू0 17310.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

रू0 199651.00

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– उदैयपुर कटैया **वर्ष– 2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि के द्वारा कराये गये कार्य के मस्टरोलो सम्बन्धित लेबर/मजदूर के नाम अंकित न करके कर्मी उपस्थिति दर्शाकर निम्न कार्य के मस्टररोल का भुगतान किया गया है:–

1.	मकसूद के मकान से सानिद के मकान तक मिट्टी कार्य–	8160.00
2.	मकसूद के मकान से सानिद के मकान तक खड़जा निर्माण –-	4380.00
3.	नाली खुदाई प्रेम यादव के मकान से दौलत राम के मकान तक	3960.00
4.	नाली निर्माण	16060.00

कुल रूपया 32560.00 जिसकी ग्राम प्रधान श्रीमती आसमा बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कामता प्रसाद से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– कुढिरमा **वर्ष– 2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि की कोषबही में दिनांक 1.6.2011 को प्रारम्भिक रोकड़ शेष रू0 7118.00 दिनांक 31.06.2011 तक आय पक्ष का कुल योग रू0 38800.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 11642.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 30.06.2011 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 27158.00 किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 31.06.20011 को रू0 308.00 ही अंकित किया गया है शेष रू0 26850.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राकेश यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय मोहन मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया है। अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री राकेश यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय मोहन मिश्रा से की जानी है।

ग्राम निधि की कोष बही में दिनांक 1.12.2011 को प्रारम्भिक रोकड़ शेष रू0 2529.00 दिनांक 31.12.2011 तक आय पक्ष की कुल योग रू0 51529.00 होता है एवं व्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 33280.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.12.20011 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 18249.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 31.12.2011 को रू0

6249.00 ही अंकित किया गया है। शेष रू0 12000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राकेश यादव व ग्राम विकास अधिकारी अभय मोहन मिश्रा से संयुक्त रूप से किया है। अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री राकेश यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभय मोहन मिश्रा से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

प्रस्तर–2

ग्राम निधि की कोष बही में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रू0 8100.00 ग्राम पंचायत के निर्धारित अभिलेख तैयार करने के लिए भुगतान किया गया है। तैयार किये गये निर्धारित अभिलेख एवं प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– ककरौआ **वर्ष– 2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि की कोष बही में दिनांक 01–11–2011 को प्रारम्भिक शेष रू0 245.00 तथा दिनांक 30–11–2011 को आय पक्ष का कुल योग रू0 61680.00 होता है एवं ब्यय पक्ष की कुल धनराशि रू0 3255.00 को घटाने के पश्चात दिनांक 30–11–2011 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 58425.00 अंकित किया जाना चाहिए, किन्तु दिनांक 30–11–2011 को अन्तिम रोकड़ शेष रू0 245.00 अंकित किया गया है। इस प्रकार रू0 58180.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा किया गया है। अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती देवी से ढण्डनीय ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– टिकमापुर **वर्ष– 2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

दिनांक 01–08–2011 को ग्राम निधि योजना की बचत खाते के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 11500.00 का चेक सं0 11689 के द्वारा नकद बैंक से आहरित किया गया है जिसका लेखा कोष बही में अंकित न कर धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती ईश्वरवती तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया है। इस अपहरित धनराशि 11500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ईश्वरवती तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। इस सम्बंध में प्रबंध समिति एवं विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– परसरा परसरी **वर्ष– 2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि की कोष बही मे दिनांक 19.06.2010 को ग्राम निधि के बचत खाते के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 40000.00 चेक संख्या 143006 के द्वारा नकद धन बैंक से आहरित किया गया है जिसका लेखा ग्राम निधि की कोष बही में अंकित न करके धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कु0 शोभा सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनरायण सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित करके अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री राज नारायण सिंह से संयुक्त रूप से वसूली की जानी चाहिए।

दिनांक 01–08–2010 को आय पक्ष का प्रारम्भिक शेष रू0 220 माह में आहरित रू0 69700.00 इस प्रकार दिनांक 31.08.10 को कुल धनराशि 42405.00 को घटाने के पश्चात् दिनांक 31.08.10 को रू0 27515.00 अन्तिम रोकड शेष अंकित किया जाना चाहिए। किन्तु दिनांक 31.08.2010 को रू0 15.00 की अन्तिम रोकड शेष अंकित की गयी है इस प्रकार रू0 27500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती कु0 शोभा सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज नरायण से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में समिति एवं विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– भटियापुर पृथ्वीपुर **वर्ष– 2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

दिनांक 28.11.2011 को ग्राम निधि योजना की बचत खाते के बैंक स्टेटमेट के अनुसार चेक संख्या 11253 के द्वारा रू0 11700 .00 बैंक से आहरित किया गया है जिसका लेखा कोष बही में अंकित न करके धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम औतार वर्मा तथा ग्राम विकास अधिकारी अनिल सक्सेना ने संयुक्त रूप से किया है। इस अपहरित धनराशि रू0 11700.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम औतार वर्मा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना से दण्डनीय ब्याज सहित संयुक्त रूप से वसूली की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रबंध समिति एवं विभागीय अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम निधि की कोष बही में दि0 20.04.11 आय पक्ष में आहरित धनराशि रू0 41580.00 का लेखा अंकित किया गया है। कि न्तु व्यय पक्ष में इस धनराशि रू0 41580.00 का व्यय न दर्शाकर एवं लेखा न अंकित करके धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम आतौर वर्मा ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सक्सेना से दण्डनीय ब्याज सहित संयुक्त रूप से वसूली की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रबंध समिति एवं विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– चडोडी **वर्ष–2007–08 से 2010–11**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

ग्राम निधि को कोष वही में दिनांक 01.05.2010 को प्रारम्भिक शेष रू0 9584.00 तथा आय पक्ष का कुल योग रू0 136308.00 होता है। एवं व्यय पक्ष का कुल योग रू0 124023.00 घटाने के पश्चात सं0 22425.00 अन्तिम शंष रहता है किन्तु अन्तिम शेष रू0 7735.00 है। अंकित किया शेष धनराशि रू0 14690.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री खेमकरण एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। जिसकी वसूली दण्डनीय ब्याज सहित करके अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री खेमकरन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही से संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही में दि0 01.06.2010 को प्रारम्भिक शेष 7735.00 अंकित है। दिनांक 30.06.2010 को आय पक्ष का कुल योग रू0 141735.00 होता है ब्यय पक्ष की कुल धनराशि रू0 96000 को घटाने के पश्चात दिनांक 30.11.2009 को अंग्रिम रोकड शेष 45735. 00 अंकित कियाजाना चाहिए किन्तु 30.06.2010 को अन्तिम रोकड शेष 7935.00 ही अंकित किया गया है, इस प्रकार रू0 37800.00 का अपहरण ग्राम धान श्री खेमकरन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है अधिभार की कार्यवाही करते हुए प्रधान खेमकरन व ग्राम विकास अधिकारी री प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही में दि0 01.07.2010 को प्रारम्भिक शेष रू0 793500.00 अंकित है। दिनांक 31.07.2010 को आय पक्ष का कुल योग रू0 97935.00 होता है एवं ब्यय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 32750.00 को घटाने के पश्चात दिनांक 31.07.2010 का अन्तिम रोकड़ शेष रू0 65185.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु दिनांक 31.07.2010 का अन्तिम रोकड़ शेष 14585.00 है। अंकित किया गया है। शेष रू0 50600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री खेमकरन व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही में संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री खेमकरन एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से ढण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि को कोष बही में दिनांक 01.08.2010 को प्रारम्भिक शेष 14585.00 अंकित है। दिनांक 31.08.2010 को आय पक्ष का कुल योग 62653.00 होता है। एवं व्यय पक्ष श्री कुल धनराशि का योग 48068.00 को घटाने के पश्चात दिनांक 31.08.2010 को अंतिम रोकड शेष 14585.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु 31.08.10 का अंतिम रोकड शेष रू0 14585 है। अंकित नही किया गया है। शेष 14585 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री खेमकरन व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्री खेमकरन एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय बयाज सहित वसूली सयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही में दि0 01.07.2008 को प्रारम्भिक शेष रू0 31554.00 अंकित है। दि0 31.07.2008 को आय पक्ष का कुल योग 92664.00 होता है। एवं बयय पक्ष की कुल धनराशि का योग रू0 64810.00 को घटाने के पश्चात दिनांक 31.07.2008 का अन्तिम रोकड़ शेष रू0 28054.00 अंकित किया जाना चाहिए किन्तु 31.07.2008 को अंतिम रोकड़ शेष रू0 36054.00 अंकित किया है। शेष रू0 2000 का अपहरण ग्रम प्रधान श्री खेमकरन व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शाही ने संयुक्त रूप से किया है। अतः अधिभार की कार्यवाही करते हुए। ग्राम प्रधान श्री खेमकरन एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही से दण्डनीय ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

ग्राम निधि की कोष बही के आय पक्ष में बैंक द्वारा आहरित धन का लेखा 5540.00 अंकित है। इसकी धनराशि रू0 5540.00 अज्ञात ब्यय दर्शाकर धन का अपहरण श्री खेमकरन एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार शाही के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसकी वसूली संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

जनपद का नाम– शाहजहॉपुर **मण्डल का नाम–बरेली**

ग्राम पंचायत का नाम– विक्रमपुर **वर्ष–2011–12**

सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–

निम्नलिखित तिथियों को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार निम्नलिखित धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से नकद आहरण कर ग्राम विधि प्रथम कैश बुक में अंकित की गयी है, जिसके ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	04.02.2008	10000.00
2.	16.02.2008	10000.00
3.	18.02.2008	20000.00

4.	29.09.2008	22500.00
5.	18.12.2008	30000.00
6.	19.02.2009	40000.00
7.	16.07.2009	10000.00
8.	30.07.2009	10000.00
9.	18.08.2010	20000.00
10.	23.08.2010	20000.00
11.	20.01.2012	17000.00
12	20.01.2012	12000.00
	कुल योग	221500.00

के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इसका उत्तरदायित्व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जे0पी0तिवारी एवं पूर्व ग्राम प्रधान को ठहराया जाता है। अतः धनराशि रू0 221500.00 मात्र (दो लाख इक्कीस हजार पाँच सौ मात्र) तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान सें वसूल किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक 23.09.2012 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू0 25500.00 आहरण किये गये जिसके सापेक्ष ग्राम निधि प्रथम कैशबुक में रू0 22500.00 अंकित किये। इस प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू0 3000.00 (तीन हजार कैशबुक में कम अंकित करके उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रू0 3000.00 (तीन हजार) ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश तिवारी व ग्राम प्रधान से बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मण्डल का नाम :– कानपुर

जनपद–कानपुर देहात

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉः–

प्रस्तर–1–ग्रामपंचायत मिर गॉव विकास खण्ड राजपुर में शासनादेश संख्या 2507 दिनांक 4.8.99 के अनुसार धनराशि ग्रामनिधि 3 में आधारित होने के एक माह के भीतर वितीत कर ली जानी चाहिये यदि धनराशि शेष रहती है। तो बैंक ड्राफ्ट/चालन के माध्यम से विभाग को वापस नकर दिनांक 31.03.2012 को ग्रामप्रधान श्री सिद्धार्थ शंकर के पास रु. 43950/– अवशेष थी। उक्त रु. 43950/– की बसूली ग्रामप्रधान श्री सिद्धार्थ शंकर से की जानी अपेक्षित हैं ।

प्रस्तर–2–ग्रामपंचायत शाहजहॉपुर निनायॉ विकास खण्ड सरवनखेडा में वर्ष 20011–12 में चैक संख्या 505533 से 505534 द्वारा प्रत्येक का रुपया 54000+54000नं0108000/– आनन्देश्वर ब्रिक फीतन्ड ग्रामप्रधान श्री शकील अहमद से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर–3–ग्रामपंचायत मुबारकपुर लाटा विकास खण्ड सरवनखेडा में दिनांक 09.06.2011 को रुपया 7600/– की चैक श्री रमाशंकर वर्मा द्वारा फर्म के नाम न काटकर हैण्डपम्प मरम्मत का अपने नाम काटकर अपहरण किया गया है। जिसकी बसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमाशंकर वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम : इटावा

ग्राम पंचायत का नाम– असफपुर **विकास खण्ड का नाम– भरथना**
लेखा परीक्षा वर्ष – 2011–12

<table>
<tr><th>प्रस्तर संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th><th>आपत्ति का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>160270.00</td><td>ग्राम पंचायत–असफपुर में आलोच्य वर्ष में निम्न व्यय कैश–बुक में दर्शाकर रोकड़ खारिज की गयी है।
<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr>
<tr><td>13.04.11</td><td>01</td><td>8000</td><td>रंगाई पुताई पर व्यय</td></tr>
<tr><td>30.04.11</td><td>04</td><td>6600</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>29.06.11</td><td>06</td><td>5630</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>23.06.11</td><td>08</td><td>3640</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>01.08.11</td><td>09</td><td>6400</td><td>समस्या निदान पट्टिका पर व्यय</td></tr>
<tr><td>17.08.11</td><td>10</td><td>5000</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>17.08.11</td><td>11</td><td>5000</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>10.09.11</td><td>12</td><td>12000</td><td>स्कूल में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>11.09.11</td><td>13</td><td>40000</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>09.01.12</td><td>17</td><td>14500</td><td>स्कूल में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>29.02.12</td><td>26</td><td>14500</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>20.03.12</td><td>28</td><td>25000</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>28.03.12</td><td>32</td><td>14000</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>160270</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		उक्त व्ययों की पुष्टि में सफेद कागज पर व्यय प्रमाणक लिखकर गार्ड फाइल में चस्पा कर दिया गया है जो व्ययों की पुष्टि हेतु पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त व्यय वास्तव में नहीं किये गये है। मात्र अनुदान का उपभोग दर्शाने के उद्देश्य से कैश–बुक में काल्पनिक व्यय दर्शायें गये है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालता प्रसाद एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव उत्तरदायी है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्यय रूपये 160270.00 में से रू0 80135.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालता प्रसाद से एवं रु0 80135.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव से वसूली तिथि तक 18: दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–03)

ग्राम पंचायत का नाम– समसपुर **विकास खण्ड का नाम– भरथना**
लेखा परीक्षा वर्ष – 2011–12

प्रस्तर संख्या	सन्निहित धनराशि	आपत्ति का विवरण
1	240350.00	ग्राम पंचायत–समसपुर में आलोच्य वर्ष में निम्न व्यय कैश–बुक में दर्शाकर रोकड़ खारिज की गयी है।

दिनांक	व्यय प्रमाणक संख्या	धनराशि	मद विवरण
30.04.11	02	16780	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
30.04.11	04	10000	गली में मिट्टी भराई
22.05.11	07	5000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
20.06.11	17	18780	सात सोख्ता गड्डा निर्माण
28.06.11	19	29310	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
11.07.11	23	8000	नारा लिखवाई
16.07.11	24	4000	कूड़ा गांड़ी
23.07.11	26	20000	गली में मिट्टी भराई
27.08.11	31	21000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
30.09.11	39	2010	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
21.10.11	41	24000	गली में मिट्टी भराई
27.10.11	42	13450	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
11.11.11	45	4400	तीन कूड़ा गाड़ी की मरम्मत व्यय
18.11.11	46	10325	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
12.11.11	47	15000	ट्रैक्टर से मिट्टी भराई
10.02.12	53	14300	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
19.03.12	58	20000	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
28.03.12	62	4000	तीन कूड़ा गाड़ी की मरम्मत व्यय
	योग	240355	

उक्त व्ययों की पुष्टि में सफेद कागज पर व्यय प्रमाणक लिखकर गार्ड

		फाइल में चस्पा कर दिया गया है जो व्ययों की पुष्टि हेतु पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि उक्त व्यय वास्तव में नहीं किये गये है। मात्र अनुदान का उपभोग दर्शाने के उद्देश्य से कैश–बुक में काल्पनिक व्यय दर्शायें गये है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव उत्तरदायी है। अतः उक्त काल्पनिक दर्शित व्यय रूपये 240355.00 में से रू0 120177.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी से एवं रु0 120175.50 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सूरज सिंह यादव से वसूली तिथि तक 18ः दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–04)

ग्राम पंचायत का नाम– मुगलपुर नरैनी **विकास खण्ड का नाम– भरथना**
लेखा परीक्षा वर्ष – 2001–02 से 2011–12

<table>
<tr><th>प्रस्तर संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th><th>आपत्ति का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>120606.00</td><td>ग्राम पंचायत–मुगलपुर नरैनी में वर्ष 2011–12 में निम्न व्यय कैष–बुक में दर्शाये गये किन्तु इन व्ययों की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr>
<tr><td>31.12.11</td><td>43</td><td>6166</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>31.12.11</td><td>44</td><td>2200</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>31.12.11</td><td>45</td><td>1700</td><td>स्टेशनरी क्रय</td></tr>
<tr><td>17.01.12</td><td>46</td><td>15000</td><td>सीमेन्ट क्रय</td></tr>
<tr><td>20.01.12</td><td>47</td><td>7500</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>25.01.12</td><td>48</td><td>8000</td><td>गली में मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td>25.01.12</td><td>49</td><td>540</td><td>फोटोस्टेट व्यय</td></tr>
<tr><td>30.01.12</td><td>50</td><td>9500</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>02.03.12</td><td>51</td><td>50000</td><td>ईट क्रय अव्वल</td></tr>
<tr><td>21.03.12</td><td>52</td><td>10500</td><td>मस्टर रोल भुगतान सड़क निर्माण</td></tr>
<tr><td>30.03.12</td><td>53</td><td>9500</td><td>मस्टर रोल भुगतान खण्डंजा निर्माण</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>120606</td><td></td></tr>
</table>
व्यय प्रमाणको के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आते हैं। अतः अपहरण की कुल राशि रु0 120606.00 में से रु0 60303.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं रु0 60603.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव से वसूली तिथि तक 18ः दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–14)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16200.00</td><td>दिनांक 09.01.2008 की मध्यान्ह भोजन योजना खाते से आहरित धनराशि रु0 18000.00 के सापेक्ष कैश बुक में प्रमाणक सं0 54 द्वारा रु0 1800.00 का व्यय कैश बुक में दर्शाया गया है। शेष रु0 16200.00 का अन्य मदों में व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राममूर्ति देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा अपहरण किया गया है।</td></tr>
</table>

		अतः अपहरण की कुल राशि रु0 16200.00 में से रु0 8100.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राममूर्ति देवी एवं रु0 8100.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव से वसूली तिथि तक 18ः दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल कर जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–15)

ग्राम पंचायत का नाम– भैसोल **विकास खण्ड का नाम– अछल्दा**
लेखा परीक्षा वर्ष – 2004–05 से 2006–07

<table>
<tr><th>प्रस्तर संख्या</th><th>सन्निहित धनराशि</th><th>आपत्ति का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>8498.00</td><td>वर्ष 2004–05 में रु0 8498.00 विज्ञापन पर व्यय दर्शाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr>
<tr><td>18.06.04</td><td>04</td><td>3350</td><td>अमर उजाला विज्ञापन</td></tr>
<tr><td>20.10.04</td><td>14</td><td>2025</td><td>विज्ञापन भुगतान</td></tr>
<tr><td>04.01.05</td><td>33</td><td>1000</td><td>विज्ञापन भुगतान</td></tr>
<tr><td>26.01.05</td><td>34</td><td>200</td><td>दैनिक देशधर्म विज्ञापन भुगतान</td></tr>
<tr><td>26.01.05</td><td>35</td><td>1000</td><td>अमर उजाला</td></tr>
<tr><td>31.07.05</td><td>48</td><td>923</td><td>कौशल न्यूज एजेन्सी</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>8498</td><td></td></tr>
</table>
कुल योग रु0 8498.00 बिना औचित्य के विज्ञापन व्यय पर दर्शाये गये। उक्त व्यय की पुष्टि में न्यूज कटिंग प्रमाणक के साथ व ग्राम सभा प्रस्ताव अप्राप्त रहे। स्पष्ट है कि ग्राम निधि के धन का दुरूप्योग किया गया। समस्त धनराशि का 50–50 प्रतिशत ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेयी से रु0 4249.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाषचन्द्र पाल से रु0 4249.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–2)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>30500.00</td><td>वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 में रु0 30500.00 पौध खरीद पर व्यय दर्शाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr>
<tr><td>15.10.04</td><td>11</td><td>10000</td><td>पौध खरीद भुगतान</td></tr>
<tr><td>14.11.05</td><td>8 – 9</td><td>10500</td><td>पौध खरीद भुगतान</td></tr>
<tr><td>20.04.06</td><td></td><td>10000</td><td>पौध खरीद भुगतान</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>30500</td><td></td></tr>
</table>
इस प्रकार वर्ष 2004–05 में प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेयी व ग्राम</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>पंचायत अधिकारी सुभाष पाल द्वारा रु0 10000.00 व 2005–06 एवं 2006–07 में कुल 20500.00 प्रधान श्री राजाराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष पाल द्वारा पौध वितरण पर व्यय किये गये। पौध वितरण रजिस्टर नहीं बनाया गया। पौधों की कोटेशन्स भी नहीं ली गई। ग्राम सभा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि ग्राम निधि का दुरूपयोग किया गया। जिसका 50–50 प्रतिशत की दर से रु0 5000.00 ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेयी से व प्रधान श्री राजाराम से रु0 10250.00 व श्री सुभाष पाल ग्राम पंचायत अधिकारी से रु0 15250.00 की धन के दुरूपयोग की वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–3)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>78345.00</td><td>वर्ष 2004–05, 2005–06 में रु0 20230.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr>
<tr><td>11.02.05</td><td>39</td><td>5480</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>22.02.05</td><td>40</td><td>2000</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>21.05.05</td><td>15</td><td>9750</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>30.05.05</td><td>16</td><td>3000</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>20230</td><td></td></tr>
</table>
प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेयी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष पाल द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किये गये।
<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>व्यय प्रमाणक संख्या</th><th>धनराशि</th><th>मद विवरण</th></tr>
<tr><td>21.01.06</td><td>18</td><td>10000</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>25.04.06</td><td></td><td>31221</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>30.04.06</td><td></td><td>1146</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>07.05.06</td><td></td><td>2674</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>14.05.06</td><td></td><td>2674</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>06.11.06</td><td></td><td>1950</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td>22.03.07</td><td></td><td>8450</td><td>हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>58115</td><td></td></tr>
</table>
श्री राजाराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष पाल द्वारा हैण्डपम्प व उसकी मरम्मत पर व्यय दर्शाये गये। जल प्रबन्धन रजिस्टर नहीं बनाया गया न ही अभिलेखों से ज्ञात हो संका कि कहाँ हैण्डपम्प लगे व किसकी मरम्मत की गई। स्पष्टतया ग्राम निधि के धन का दुरूपयोग किया गया जिसकी 50–50 प्रतिशत की दर से ग्राम प्रधान श्री हरिगोविन्द बाजपेयी से रु0 10115.00 व प्रधान श्री राजाराम से रु0 29057.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष पाल से रु0 39172.50 की धन के दुरूपयोग की वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या–4)</td></tr>
</table>

मण्डल का नाम :– इलाहाबाद
जनपद :– इलाहाबाद
ग्राम पंचायत से सम्बधित आपत्तियॉ

<table>
<tr><td rowspan="3">प्रस्तर – 1</td><td colspan="4">आपत्ति का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="4">5</td></tr>
<tr><td colspan="4">2– वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त आयोग के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 0369000112222798 से निम्न लिखित तिथियों में प्रधान श्री महेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम जी मिश्र द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक/बिल प्रस्तुत नही किया गया, जिससे आहरित धन के उपयोग की पुष्टि नही की जा सकी, विववण निम्न प्रकार है।</td></tr>
<tr><td></td><td>दिनांक</td><td>चेक संख्या</td><td>आहरित धनराशि</td><td>अभियुक्ति</td></tr>
<tr><td></td><td>11.07.2011</td><td>349321</td><td>5000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>12.07.2011</td><td>349322</td><td>5000.00</td><td>श्री रामजी मिश्र ग्रा0प0वि0अ0</td></tr>
<tr><td></td><td>21.07.2001</td><td>349323</td><td>8000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>21.07.2011</td><td>349324</td><td>3000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>29.07.2011</td><td>349325</td><td>10000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>20.08.2011</td><td>349328</td><td>2000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>20.08.2011</td><td>349327</td><td>4000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>20.08.2011</td><td>349326</td><td>9000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>05.09.2011</td><td>349333</td><td>6000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>24.10.2011</td><td>349331</td><td>10000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>25.10.2011</td><td>349329</td><td>6000.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>09.11.2011</td><td>349335</td><td>5760.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>09.11.2011</td><td>349338</td><td>3780.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>23.11.2011</td><td>351362</td><td>2880.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>23.11.2011</td><td>351361</td><td>8640.00</td><td>श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान</td></tr>
<tr><td></td><td>28.11.2011</td><td>351363</td><td>3000.00</td><td>श्री रामजी मिश्र</td></tr>
</table>

				ग्रा0प0वि0अ0
	07.12.2011	351366	5300.00	श्री रामजी मिश्र ग्रा0प0वि0अ0
	30.01.2012	351369	4050.00	श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान
	06.02.2012	351370	10000.00	श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान
	13.02.2012	351364	17500.00	श्री रामजी मिश्र ग्रा0प0वि0अ0
	31.03.2012	351372	6000.00	श्री महेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान
		योग :–		134910.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त बैक खाते से धन नगद आहरित किया गया है, जबकि नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने वाले को एकाउन्ट पे0 चेक के माध्यम से भुगातन किया जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नही किया गया जो अनियमित व आपत्तियुक्त रहा, साथ ही साथ उक्त आहरित धन प्रस्तुत नही किया गया, रूपये 134910.00 (एक लांख चौतीस हजार नौ सौ दस रूपये मात्र) के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/बिल प्रस्तुत नही किया गया, जो लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के 8 क के अनुसार अपहरण कि श्रेणी में आता है, अतः रूपये– 134910.00 (एक लाख चौतीस हजार नौ सौ दस रूपये मात्र)की वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामजी मिश्र से संयुक्त रूप से बराबर बराबर मैं 18 प्रतिशत् ब्याज सहित किया जाना आपेक्षित रहा, इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत – बवंन्धर **विकास खण्ड शकरगढ़**

प्रस्तर – 1				आपत्ति का विवरण
				5
				वर्ष आलोच्य में राज्य वित्त/बारवां वित्त/तेरवां वित्त/द्वितीय राज्य वित्त/तृतीय राज्य वित्त के खाता संख्या/बी0यू0पी0जी0वी0 लोहगरा खाता संख्या– 52780100006780 व एस0बी0आई0 खाता संख्या–31568367655 से निम्न लिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैश बुक काल्पनिक व्यय प्रदर्शित किया गया है, और इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक मास्टर रोल आदि पुस्टि हेतु नही मिले। गत वर्षो में आलोच्य वर्ष तक का परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न करने के कारण निर्माण/मरम्मरत कार्यो के पुर्नरावृत्ति होने की पुष्टि न की सके, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र कार्यवाही रजिस्टर निर्माण सामग्री स्टाक रजिस्टर कोटेशन फाइल आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे आहरित धन का गबन कर लिया गया, विवरण निम्न प्रकार है।
दिनांक	खाता संख्या	आहरित धनराशि	चेक कैश कर्ता	व्यय विवरण कैश बुक में
19.04.	6780	8700.00	——	माह अप्रैल 2011 में आहरित धनराशि को कैश बुक में दर्ज

2011				न करके सीधे अपहरण रूपये 8700.00
23.06. 2011	6780	20000.00	———	माह जून 2011 में आहरित धनराशि रूपये 35000.00 को कैश बुक में सीधे अंकित न करके सीधे अपहरण 35000.00
25.06. 2011	6780	15000.00	———	———
07.10. 2011	6780	15300.00	राजा राम सिंह	1– कूप मरम्मत व स्नानागार मजदूरी 15300. 00
11.10. 2011	7655	49990.00	अभिलाख सिंह	2– खड़जा निर्माण/नाली मरम्मत सामग्री क्रय.....49990. 00
11.10. 2011	7655	14250.00	राजा राम सिंह	3–खड़जा निर्माण/नाली मरम्मतीकरण मजदूरी.....14250. 00
17.10. 2011	7655	38913.00	अभिलाख सिंह	4– कूप मरम्मत व स्नानागार सामग्री क्रय 38913.00
13.10. 2011	6780	11600.00	संजय सिंह	5– सफाई हेतु सामान क्रय.....11600.00
09.01. 2012	7655	45000.00	अभिलाख सिंह	6– सम्पक्र मार्ग मरम्मतीकरण.....45000.00
09.01. 2012	6780	15000.00	राजा राम सिंह	7– हैण्ड पंम्प सामग्री क्रय.....15000.00
21.01. 2012	6780	5000.00	श्याम बिहारी मिश्र	8– हैण्ड पंम्प मरम्मत मजदूरी.....4800.00
				9– खुली बैठक मूनादी मजदूरी.....1250.00
21.01. 2012	7655	12500.00	राजा राम सिंह	10– मानदेय प्रधान 11250.00
30.01. 2012	7655	25000.00	श्याम बिहारी मिश्र	11– प्राथमिक पाठशाला समतली करण.....2400.00
				12– शौचालय मरम्मत सामग्री क्रय.....16785.00
				13– शौचालय मरम्मत मजदूरी..... 5820.00
10.02. 2012	7655	15000.00	छोटई	14– हैण्ड पम्प सामग्री क्रय.....15000.00
12.03. 2012	7655	48000.00	अभिलाख सिंह	15– हयूम पाइम क्रय+मोरम क्रय.19500+28500=48000. 00
20.03. 2012	6780	5000.00	राजा राम सिंह	16– हैण्ड पंम्प मरम्मत मजदूरी.....3600.00
				17– अलाव जलाने हेतु लकड़ी 1400.00
22.03. 2012	7655	5000.00	सराफत	18–स्टेशनी क्रय.....2000.00
29.03. 2012	7655	50000.00	अभिलाख सिंह	19– मिष्ठान क्रय.....50000.00
30.03. 2012	7655	50000.00	अभिलाख सिंह	20– मोरम क्रय 50000.00
30.03. 2012	7655	50000.00	अभिलाख सिंह	21– मोरम क्रय.....50000.00
योग :–		**449253. 00**	**योग ::–**	**449058.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री राजाराम सिंह एवं श्री श्याम बिहारी मिश्रा ग्राम पंचायत अधिकारी ने द्वारा बैंक खातों से धन आहरित किया गया है, जबकि सामग्री क्रय का भुगतान निम्नानुसार एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले को किया जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नही किया गया, जो कि अनियमित एवं आपत्ति युक्त रहा, साथ ही साथ उक्त आहरित धनराशि रूपये 449253.00 (चार लाख उनचास हजार दो सौ तिरपन रूपये मात्र) का सीधे अपहरण किया गया, जो कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के 8 क के अनुसार अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः रूपये 449253.00 (चार लाख उनचास हजार दो सौ तिरपन रूपये मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजा राम सिंह एवं श्री श्याम बिहारी मिश्रा ग्रम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर 18 प्रतिशत् ब्याज सहित वसूली किया जाना आपेक्षित है।

नाम संस्था :– रानीपुर, न्याय पंचायत मसाढी विकास खंण्ड – धनूपुर
जनपद – इलाहाबाद

वर्ष – 2011–12

प्रस्तर– 1	आपत्तियों का विवरण
	3
	निम्नलिखित विद्यालयों को निम्न तिथियों को छात्रों की छात्र वृत्ति वितरित कि गयी है, जिसकी पुष्टि कैश बुक प्रथम से होती है, लेकिन वितरण की पुष्टि में हाथों का हस्ताक्षर युक्त सूची एवं अनुमोदित एवं लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही कि गयी है, न ही सम्बन्धित विद्यालयों के छात्रों की रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करायी गयी है, अतः कुल वितरित धनराशि रूपये 4595520.00 (पैतालीस लाख पँचान्वे हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र) अनियमित है, जिसकी वसूली जांचोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्रधान श्री रमा शंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवपूजन भारतीय से वसूली किया जाना आपेक्षित है।

कैग 9 क में अंकानुसार

विद्यालय का नाम	दिनांक	छात्रों की संख्या	दर	धनराशि	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01– रणवीर सिंह स्मारक राजपति पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानीपुर	06.06.2011	33	480	15840.00	गणनानुसार कम है
	03.12.2011	57	480	27360.00	
	30.12.2011	164	480	78720.00	
	25.01.2012	134	440	61200.00	
	13.02.2012	75	440	33000.00	
सम्पूर्ण योग :–				**216120.00**	
02– रणवीर सिंह स्मारक राजपति प्राथमिक विद्यालय रानीपुर	06.04.2011	69	300	20700.00	गणनानुसार कम है
	07.12.2011	111	300	33300.00	
	10.12.2011	485	300	145500.00	
	13.02.2012	36	275	9900.00	
सम्पूर्ण योग :–				**209400.00**	

03– माता धनपति जूनियर हाई स्कूल ,रानीपुर	06.04.2011	96	480	4680.00	गणनानुसार कम है
	30.11.2011	106	480	50880.00	
	09.12.2011	213	480	102240.00	
	20.12.2011	134	480	64320.00	
	25.01.2012	130	480	62400.00	
सम्पूर्ण योग :–				**325920.00**	
04– गाँधीजी आश्रम प्राथमिक विद्यालय, रानीपुर	15.10.2011	185	300	55500.00	गणनानुसार कम है
	02.12.2011	306	300	91800.00	
	09.12.2011	213	300	63900.00	
	20.12.2011	99	300	29700.00	
	31.12.2011	138	300	41300.00	
	28.02.2011	77	300	23100.00	
सम्पूर्ण योग :–				**305300.00**	
05– अभय बाल शिक्षा निकेतन प्राथमिक विद्यालय, रानीपुर	16.12.2011	524	300	15720.00	गणनानुसार कम है
	24.01.2012	53	300	15900.00	
	27.02.2012	124	300	37200.00	
सम्पूर्ण योग :–				**210300.00**	
06– सीता राम यादव पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर	16.12.2011	102	480	48960.00	गणनानुसार कम है
	30.12.2011	243	480	116640.00	
	25.02.2012	131	480	62880.00	
सम्पूर्ण योग :–				**228480.00**	
महायोग ::–				**1495520.00**	

1– ग्राम पंचायत का नाम :– खमरियाँ	2– जनपद :– इलाहाबाद
3– विकास खण्ड– धनूपुर	4– लेखा परीक्षा अवधि :– 2011–12

	आपत्तियों का विवरण
	3
ग्राम **प्रस्तर 1**	दिनांक– 28.01.2012 को ग्राम पंचायत हेतु 5 नद दरी दर 4000.00 प्रति दरी का भुगतान रू0–20000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) जावेद कारपरेट ब्रदर्स (18/28.01.2012) को कैश बुक प्रथम में अंकित है, किन्तु 5 नद दरी को डेडस्टाक रजिस्टर (मृतक स्पन्ज) में अंकित नही किया गया है, क्योकि डेडस्टाक रजिस्टर नही बनवाया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा में दरी का भौतिक सत्यापन कराया गया है, जिससे स्पष्ट नही हो सका है कि दरी पर ग्राम पंचायत का

	नाम अंकित है, ऐंसी स्थिति में प्रधान द्वारा दरी का क्रय व्यक्तिगत् प्रयोग हेतु किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत खमरियां से भुगतान अनियमित है। अतः रूपये 20000.00 की वसूली प्रधान श्री मन्नी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री खेमराज से ब्याज सहित किया जाना आपेक्षित है।
प्रस्तर – 2	दिनांक– 10.07.2011 को खंडंजा मरम्मत की मजदूरी मास्टर रोल पर अंकित मिस्त्रीयों एवं मजदूरो को कुल रूपये– 8000.00 का अंकन कैश बुक प्रथम में भुगतान के रूप में किया गया है। भुगतान की पुष्टि में एक मिस्त्री का अगूठा निशान एवं एक मिस्त्री का हस्ताक्षर एवं चार मजदूरों का भी हस्ताक्षर भी दर्शित हैं, किन्तु सबका हस्ताक्षर प्रथम दृष्टतया एक के ही द्वारा किया गया प्रतीत होता है, मास्टर रोल पर श्री जिया लाल के अगूठे का निशान है, जबकि शेष एक मिस्त्री एवं चार मजदूरों का है। उपरोक्त भुगतान दिनांक 01.07.2011 से 10.07.2011 की अवधि के कार्यो का है, अतः मास्टर रोल पर अंकित दो मिस्त्रीयों एवं चार मजदूरो (2गुणे 10=200.00 + 4 गुणे 10 दिन गुणे 100) का भुगतान काल्पनिक एवं फर्जी है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जांचोपरान्त रूपये 8000.00 (आठ हजार रूपये मात्र) की वसूली प्रधान श्री मन्नी लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री खेमराज से समान रूप से किया जाना आपेक्षित है।

1– ग्राम पंचायत का नाम :– कबीरूद्दीनपुर	**2– जनपद :– इलाहाबाद**
3– विकास खंण्ड– धनूपुर	**4– लेखा परीक्षा अवधि :– 2011–12**

प्रस्तर– 1	आपत्तियों का विवरण
	3
	वर्ष– 2011–12 में परिवर्तन लागत में प्रधान तसनीम बेगम, को रूपये 41721.000 का भुगतान किया गया है, लेकिन भुगतान कि पुष्टि में न तो कोई भुगतान प्रमाणक, कैश मेमो है, न ही दैनिक क्रय समानो का कोई विवरण ही अंकित है, प्राभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मध्यान्ह भोजन रजिस्टर के अनुसार बिना प्रमाणको के भुगतान किया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यान्ह भोजन की रजिस्टर की जांच की कक्षावार उपस्थिति रजिस्टर से नही करायी गयी, दैनिक क्रय सामान का विवरण एवं भुगतान व्यय प्रमाणको के न होने से परिवर्तन लागत का भुगतान रू0– 41721.00 की वसूली प्रधान श्रीमती तसनीम बेगम एवं श्री मो0 ऐजाज प्रधानाध्यापक से सामान रूप से किया जाना आपेक्षित है।

1– ग्राम पंचायत का नाम :– सरायपीथा	2– जनपद :– इलाहाबाद
3– विकास खंण्ड– धनूपुर	4– लेखा परीक्षा अवधि :– 2011–12

	आपत्तियों का विवरण
	3

प्रस्तर 1	वर्ष– 2011–12 में कुल भुगतान 56120.00 रूपये का आहरण स्वयं प्रधान श्रीमती बिमला देवी एवं प्रधानाध्याक श्री ओम प्रकाश द्वारा किया गया है, जिसमें मात्र दिनांक 02.03. 2012 को चेक संख्या 7076 से 6500.00 रूपये का भुगतान श्री महेश चन्द्र को दर्शित है, कैश बुक में रूपये 56120.00 का भुगतान परिवर्तन लागत सामान क्रय हेतु दर्शाया गया है, जिस निम्न आपत्तियां है,। 01– दैनिक क्रय का विवरण नही रखा गया है, जिससे स्पष्ट नही हो सका कि उस दिन कौन कौन सी सामग्री किस मात्रा में क्रय है,? जिसका भुगतान किया गया है। 02– भुगतान राशि के विरूद्व कोई व्यय प्रमाणक नही है, अतः कैश बुक में अंकित भुगतान काल्पनिक है। 03– भुगतान विक्रेता को दिया जाना चाहिए जबकि स्वयं लेना दर्शित है, अतः भुगतान अनियमित है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि परिवर्तन लागत का भुगतान रूपये– 56120.00 अपुष्टि एवं काल्पनिक है, इस प्रकार भुगतान अनियमित है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जांचोपरांन्त रूपये– 56120.00 की वसूली प्रधान श्रीमती विमला देवी एवं प्रधानाध्यापक श्री ओम प्रकाश से समान रूप से किया जाना आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– बरवां **विकास खंण्ड– उरूवा**

	आपत्ति का विवरण
प्रस्तर 1	राज्य/बारहवां एवं तेरहवां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानो से किये गये व्यय जो आलोच्य वर्ष में रूपये–271715.00 रहा के संम्बन्ध में निम्नलिखित गंम्भीर आपत्तियां रही। 01– व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत मास्टर रोल संनदिग्ध रहे, उन पर न तो कार्य नाम न तो माप अंकित रही, मास्टर रोल पर पंचायत मित्र या निरीक्षण कर्ता के हस्ताक्षर नही पाये गये, है, इन मास्टर रोलो पर कार्य के प्रस्ताव का दिनांक– भी अंकित नही किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है, कि मास्टर रोल कूट रचित है। 02– ग्राम निधि–01 से प्रधान द्वारा विभिन्न तिथियों में आहरित धन रूपये–271715.00 व्ययो की पुष्टि हेतु कतिपय मास्टर रोलो के अतिरिक्त एक भी व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे व्यय कि सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही। 03– आलोच्य वर्ष की कोष वही में जिन कार्यो के सापेक्ष के व्यय दर्शाया गया है, उनके कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बार बार मांगे जाने के बावजूद एक पत्र 41 के प्रारूप पर प्रस्तुत नही किये गये है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है

	आहरित धनराशि रूपये 271715.00 का उपयोग प्रधान व सचिव द्वारा अनियमित ढंग से किया गया है। जिसकी वसूली नियमानुसार उत्तरदायी व्यक्ति प्रधान श्रीमती लालती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण राज सिंह किया जाना आपेक्षित है।

1– ग्राम पंचायत का नाम :– हवेलिया	**2– जनपद :– इलाहाबाद**
3– विकास खंण्ड– बहादुरपुर	**4– लेखा परीक्षा अवधि :– 2011–12**

प्रस्तर 01– वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा के दौरान एकाउन्ट 156 डी0सी0वी0 हनुमानगंज से निम्न धनराशियाँ प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आहरण करके कोषवही में न दर्ज करके शासकीय धनराशि का अपहरण किया गया है।

क्रम संख्या	दिनांक बैंक	चेक संख्या	धनराशि	आहरण करने वाले का नाम पदनाम सहित
1	2	3	4	5
1	25.04.2011	006744	3180.00	श्री दशरथ यादव प्रधान
2	10.05.2011	006747	31500.00	राजीव ईट उद्योग
3	10.05.2011	006743	20080.00	राजीव ईट उद्योग
4	10.05.2011	006746	35000.00	राजीव ईट उद्योग
सम्पूर्ण योग :–			89760.00	

उक्त धनराशि क्रम संख्या– 2, 3 तथा 4 दर्शित फर्म राजीव ईट उद्योग का व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। स्टाक रजिस्टर में उसकी प्रवृष्टि नही की गयी है, इससे सरकारी कार्य में सामग्री के उपयोग होने की पुष्टि नही होती है। इससे संम्बन्धित इस्टीमेट एम0बी0 उपभोग प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, इस प्रकार रूपये 89760.00 (नवासी हजार सात सौ साठ रूपये मात्र) के सरकारी कार्य में व्यय की पुष्टि नही होने से तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्रधान श्री दशरथ यादव उत्तरदायी है। जो इसके अपहरण के लिए उत्तरदायी है, इस प्रकार जांचोपरांन्त उक्त धनराशि की तातारीख 18 प्रतिशत् व्याज सहित वसूली आपेक्षित है।

ए0डी0ओ0 पंचायत विकास खंण्ड बहादुरपुर श्री रतन कुमार द्वारा अगर त्रैमासिक कोषबही एवं अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया गया होता तो उक्त धनराशि अपहरण से रोकी जा सकती थी, परन्तु ए0डी0ओ0 पंचायत विकास खंण्ड बहादुरपुर श्री रतन कुमार अपने कर्तव्यों का पालन न करने से उक्त शासकीय धनराशि का अपहरण हुआ है। इस प्रकार ए0डी0ओ0 पंचायत विकास खंण्ड बहादुरपुर श्री रतन कुमार पर भी नियमानुसार कार्यवाही आपेक्षित है।

1– ग्राम पंचायत का नाम :– कनिहार	**2– जनपद :– इलाहाबाद**
3– विकास खंण्ड– बहादुरपुर	**4– लेखा परीक्षा अवधि :– 2011–12**

प्रस्तर –1

हैण्ड पम्प से संम्बन्धित व्यय

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि /चेक विवरण		चेक आहरित करने वाले व्यक्ति का नाम	सामग्री	मजदूरी	अन्य
		धनराशि	चेक संख्या				
1	06.04.2011	5300.00	67741	मु0 सहजादे प्रधान	42000.00	11000.00	0
2	11.05.2011	25000.00	67744	मु0 सहजादे प्रधान	25000.00	0	0
3	07.07.2011	57000.00 सम्मिलित चेक	67747	मु0 सहजादे प्रधान	27750.00	22500.00	6750.00 प्रधान मानदेय
4	24.08.2011	60000.00	67751	मु0 सहजादे प्रधान	49000.00	11000.00	0
5	30.08.2011	50000.00 सम्मिलित चेक	67752	मु0 सहजादे प्रधान	19500.00	0	30500.00 खड़जा मरम्मत
6	19.10.2011	50000.00	67754	मु0 सहजादे प्रधान	0	1800.00	48200.00 खड़जा मरम्मत
7	23.11.2011	35000.00 सम्मिलित चेक	67755	मु0 सहजादे प्रधान	15000.00	3500.00	16500.00 खड़जा मरम्मत
8	01.01.2012	7000.00	67757	मु0 सहजादे प्रधान	0	0	7000.00 प्रधान मानदेय
9	05.03.2012	64000.00 सम्मिलित चेक	67761	मु0 सहजादे प्रधान	8300.00	0	55700.00 खड़जा मरम्मत
10	14.03.2012	32000.00 सम्मिलित चेक	67762	मु0 सहजादे प्रधान	5050.00	4400.00	22550.00 खड़जा मरम्मत
योग :–					**191600.00**	**54200.00**	

हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल व्यय महायोगः–245800.00 (दो लाख पैतालीस हजार आठ सौ रूपये मात्र)

1– उक्त हैण्डपम्प मरम्मत के लिए क्रय सामग्री पर कुल व्यय 191600.00 जो गोपाल इण्टर प्राइजेज को प्रधान द्वारा कैश भुगतान है उसके समर्थन में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे, उक्त हैण्डपम्पों के मरम्मत हेतू मजदूरी से सम्बन्धित एम0आर0 भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इस प्रकार उक्त व्ययो की पुष्टि नही होती है।

02– उक्त हैण्ड पम्पो के मरम्मत के संम्बन्ध में ग्राम पंचायत के लाभाथियों का प्रार्थना पत्र मरम्मत हेतु एवं एवं उनकी जल प्रबंन्धन समिति द्वारा अनुमति लाभार्थियों का नाम स्थान का नाम और आवश्यकतानुसार विकास खंण्ड स्तर के अधिकारियों की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

03– उक्त हैण्डपम्प के सामाग्री के क्रय के पश्चात् स्टाक पंजिका में प्रविष्टि और उपभोग हेतु निकासी हेतु स्टाक पंजिका नही बनायी गयी है इस प्रकार सामाग्री के क्रय की पुष्टि नही होती है।

04– कितने हैण्ड पम्प उक्त तिथियों में मरम्मत किये गये है, उनका विवरण एवं संख्या न तो कोषवही में अंकित है न तो प्रिया साफटवेयर में अंकित है। इससे कार्य न होने की पुष्टि होती है।
05– कार्य पूर्ति के प्रमाणक एवं उपभोग प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उक्त कार्य न होने की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उक्त आपत्तियों के संन्दर्भ में डी0ए0ओ0 महोदय , की टिप्पणी के अनुपालनार्थ विकास खंण्ड के माध्यम से ग्राम पंचायत कनिहार के वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मो0 वारी से पत्राचार दिनांक– 03.10.2015 के उपरांन्त उक्त अभिलेख अधोहस्ताक्षरी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक को उपलब्ध नही करायी गयी है, जिससे ब्यय कि पुष्टि नही होती है। इस प्रकार जांचोपरान्त उक्त धनराशि रूपये 245800.00 की वसूली श्री जमुना प्रसाद यादव पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री अब्दुल वारी वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधान मो0 सहजादे से ब्याज सहित तातारीख वसूली आपेक्षित है, इनका कार्यकाल कोषवही में अंकित हस्ताक्षर के अनुसार निम्न है।

01- श्री जमुना यादव 01.04.2011 से जून 2011 तक वसूली वाली धनराशि..... 78000.00
02- श्री अब्दुल वारी जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक वसूल वाली धनराशि 167800.00

योग :– 245800.00

उक्त के संम्बन्ध में धारा 409 आई0पी0सी0, के तहत सक्षम न्यायालय में उक्त व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

प्रधान के मानदेय के संम्बन्ध में

प्रधान का मानदेय 6750+7000=13750.00 वर्ष 2011–12 में देना कोषवही में देना दर्ज नही है। जबकि माह का विवरण न तो कोषवही में और न तो प्रिया साफटवेयर में जिक्र है, इसी प्रकार मानदेय पंजिका नही बनाये जाने से भुगतान से ठीक ढंग से पुष्टि नही होती है, इस हेतु जांचोपरान्त उचित कार्यवाही है, सचिव कार्यवाही भी अब्दुलवारी का है।

ग्राम पंचायत :– दुआवल 2005–06 से 2011–12

ग्राम पंचायत अधिकारी – कृपा शंकर तिवारी एवं प्रधान श्रीमती– ऊषा देवी के समय शासकीय धनराशि का अपहरण (01 10 2006 से 27 02.2009) तक।

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	2	3	4
1	12.12.2206	5000.00	स्ट्रीट लाइट क्रय का भुगतान
2	10.01.2007	10800.00	6000.00 ईट क्रय रूपये 1800.00 प्रति हजार
3	31.01.2007	2344.00	इस कार्य पर मजदूरी का भुगतान
योग		18144.00	
3	09.05.2007	14400.00	खड़जा मरम्मत एवं निर्माण हेतु ईट क्रय 8000.00 दर 1800.00 प्रति हजार
4	30.05.2007	7200.00	उक्त खड़जा कल्लू केशरवानी के घर से कमलेश मिश्र के घर तक पर मजदूरी
5	15.06.2007	21600.00	तालाब खुदायी की मजदूरी का भुगतान तालाब की संख्या का उल्लेख नही है।
6	20.07.2007	3600.00	2000.00 ईट क्रय कूप मरम्मत हेतु
7	20.06.2007	5600.00	15 बोरी सीमेन्ट+सरिया 30 किलो+बालू 100 फीट
8	26.06.2007	6020.00	उक्त कूप की मजदूरी
9	21.08.2007	18720.00	खड़जा मरम्मत रमई के घर से प्राथमिक पाठशाला सड़क तक की मजदूरी का भुगतान
10	03.09.2007	12800.00	20 ट्रैक्टर मिट्टी कमलेश्वर के घर से किनारे तक पर
11	24.09.2007	5040.00	खड़जा मरम्मत की मजदूरी पर व्यय
12	02.09.2007	6400.00	40 ट्रैक्टर मिट्टी कमलेश्वर के घर से कृष्णानन्द के घर तक का कार्य

13	01.11.2007	9600.00	60 ट्रैक्टर मिट्टी खड़जा मरम्मत हेतु बाजार में
14	08.11.2007	4440.00	उक्त कि मजदूरी बाजार का खड़जा मरम्मत
15	13.12.2007	22000.00	10000 ईट क्रय दर 2200.00 प्रति हजार खडजा निर्माण सरेन्द्र के घर के सामने से कल्याण के घर तथा शुक्ल के घर तक
16	23.01.2008	35200.00	उक्त नाला निर्माण हेतु 16000 ईट 2200 की दर से
17	04.02.2008	12250.00	उक्त कार्य हेतु 50 बोरी सीमेन्ट दर 245 प्रति बोरी
18	04.02.2008	7500.00	500 फीट बालू दर 15 रू0 प्रति फीट
19	29.02.2008	26400.00	उक्त नाला निर्माण हेतु 12000 ईट दर 2200 प्रति हजार
20	13.03.2008	4900.00	20 बोरी सीमेन्ट उक्त नाला हेतु दर 245 प्रति बोरी
21	13.03.2008	6000.00	बालू 400 फीट रेट 15 रूपये प्रति फीट
22	31.03.2008	61600.00	नाला निर्माण हेतु 23000.00 ईट क्रय
23	31.03.2008	12250.00	उक्त नाला हेतु 50 बोरी सीमेन्ट दर 245 प्रति बोरी
क्रम संख्या 04 से 24 तक का योग::–		**303520.00**	
क्रम संख्या 01 से 24 तक का योग ::–		**321664.00**	

वर्ष 2008–09 में कृपा शंकर तिवारी और प्रधान श्रीमती उषा देवी के समय शासकीय धनराशि का अपहरण

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	2	3	4
25	10.04.2008	15040.00	नाला निर्माण की मजदूरी का भुगतान पक्की सडक संतोष के घर से ननकू के घर तक
26	10.04.2008	15200.00	ईट की गिट्टी 38 घन मीटर दर 400 प्रति घन मीटर
27	19.04.2008	18000.00	तालाब के रैम्प व सीढी हेतु 8000 ईट क्रय ईट क्रय दर 2250 प्रति हजार
28	19.04.2008	11850.00	तालाब के रैम्व व सीढी हेतु बालू 300 फीट दर 15 रूपये प्रति घनफीट तथा सीमेन्ट 300 बोरी दर 245 प्रति बोरी
	20.04.2008	4700.00	उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान
29	30.04.2008	44000.00	नाला निर्माण हेतु 200 बोरी सीमेन्ट दर 220 प्रति बोरी
30	21.06.2006	9000.00	4000 ईट नाला निर्माण हेतु दर 2250 प्रति हजार
31	23.06.2008	15040.00	नाला निर्माण की मजदूरी का भुगतान
32	09.07.2008	22000.00	नाला निर्माण हेतु 100 बोरी सीमेन्ट का भुगतान
33	25.07.2008	17500.00	नाला निर्माण हेतु 50 घन मीटर बालू 350 घन मीटर बालू
34	31.07.2008	17600.00	नाला निर्माण की मजदूरी का भुगतान

35	25.07.2008	22500.00	खडजा मरम्मत हेतु 10000 ईट दर 2250 पर हजार
36	30.09.2008	10400.00	मिट्टी कार्य एवं उक्त खड़ंजा की मजदूरी
37	30.09.2008	27000.00	खड़ंजा निर्माण हेतु 18000 ईट क्रय दर 2250.00 के हिसाब से
38	20.10.2008	4500.00	खड़ंजा निर्माण हेतु 2000 ईट क्रय 2250 की दर से
39	22.10.2008	10400.00	खड़ंजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान
40	06.11.2008	5600.00	ग्राम पंचायत में सौर्य ऊर्जा लाइट पर व्यय
क्र0स0 25 से 40 तक का योग :–		270330.00	
क्रम संख्या 01 से 24 तक का योग :–		321664.00	
क्रम संख्या 01 से 40 तक महायोग		**591994.00**	

उपरोक्त आपत्ति संख्या 01 से 40 तक के व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक स्टाक पंजिका कार्य पूर्ति प्रमाणक उपयोभ प्रमाणक इस्टीमेट कापी एम0बी0 बुक एवं परि सम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इस प्रकार व्यय की पुष्टि नही हो सकी कोष बही में स्पष्ट रूप से कार्य स्थान का नाम एवं उसकी लम्बाई चौडाई एवं उचाई का विवरण नही लिखा है, इससे कार्य कराने की मंन्सा से व्यय की पुष्टि न होने से बल मिलता है। ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत निर्माण किसी कार्य के अनुमति ग्राम पंचायत प्रबंन्ध समिति या निर्माण समिति या जल समिति जहां जैसा आवश्यक हो का पत्रावली या पंजिकां तथा कार्य योजना लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से उक्त व्यय की पुष्टि नही होती है इससे उक्त समस्त शासकीय धनराशि रूपये 591994.00 के अपहरण की पुष्टि होती है।

इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृपा शंकर तिवारी एवं प्रधान श्रीमती उषा देवी उत्तरदायी है, और जाचोंपरान्त उक्त की वसूली भी कृपा शंकर एवं प्रधान श्रीमती उषा देवी से 18 प्रतिशत व्याज सहित आपेक्षित है, इसके लिए ए0डी0ओ0 पंचायत भी उत्तरदायी है क्योंकि ए0डी0ओ0 पंचायत अपने निरीक्षण कर्तब्यों का पालन करते तो इतने बडे अपहरण को रोका जा सकता था।

श्री विवेक मिश्र ग्राम पंचायत सचिव तथा प्रधान श्रीमती उषा देवी के समय 28.02.2009 से जुलाई 2011 तक में शासकीय धनराशि का अपहरण

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	2	3	4
41	01.03.2009	34000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
42	14.03.2009	20000.00	खडजा मरम्मत हेतु खडजा उखडवायी पर व्यय
43	16.03.2009	26000.00	10000 ईट क्रय दर 2600 प्रतिहजार खडजा मरम्मत हेतु
44	18.03.2009	10000.00	मिट्टी डलवायी पर व्यय

45	28.03.2009	15000.00	खडजा विछवायी में मजदूरी
योग		105000.00	
वर्ष 2009–10			
46	02.04.2009	12560.00	खड़ंजा उखडवायी की मजदूरी कल्लू मिश्रा के घर के सामने से ढाल तक
47	05.04.2009	12000.00	उक्त खड़ंजा पर 40 टाली मिट्टी डलवायी पर व्यय दर 300 प्रतिटाली
48	06.04.2009	25000.00	8000 हजार ईट क्रय दर 3125 प्रतिहजार उक्त खड़ंजा पर
49	13.04.2009	18750.00	6000.00 ईट क्रय 3125 प्रति हजार उक्त खड़ंजा पर
50	22.04.2009	13680.00	उक्त खड़ंजा पर बिछवाई पर मजदूरी
51	08.05.2009	18010.00	आठ नग हैण्ड पम्प पर सामग्री पर व्यय
52	11.05.2009	15000.00	कूप मरम्मत मजदूरी 3 कूप बिन्द बस्ती + 1 कूप हरिजन बस्ती में
53	30.06.2009	11985.00	5 नग हैण्ड पम्प के मरम्मत की सामग्री
54	15.01.2010	7000.00	दो हजार ईट दर 3500 प्रति हजार खड़ंजा मरम्मत हेतु
55	15.01.2010	3000.00	खड़ंजा उखडवायी की मजदूरी
56	26.02.2010	3000.00	10 टाली मिट्टी उक्त खड़ंजा पर दर 300 प्रति टाली
57	28.02.2010	4410.00	उक्त खड़ंजा मजदूरी पर व्यय
46 से 57 तक का योग		144395.00	

उक्त ग्राम पंचायत में श्री विवेक मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान कुल व्यय धनराशि रूपये 1208183.00 राज्य वित्त+बारहवां वित्त आयोग की धनराशि में से रूपये 249395.00 के व्यय की पुष्टि नही होती है, व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक उक्त के व्यय प्रमाणक उभोग प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाणक स्टाक पंजिका एवं परिसंम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम पंचायत सिक्रेटरी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है।जिसके वसूली हेतू 18 प्रतिशत् ब्याज के साथ डी0पी0आर0ओ0इलाहाबाद से अपेक्षा कि जाती है।

इस अपहरण के लिए ए0डी0ओ0 पंचायत भी उत्तरदायी है, क्योकि समस्त अभिलेखो का ठीक ढंग से पालन नही करने तथा लेखा परीक्षा में कोई निरीक्षण पत्रावली प्रस्तुत नही किया जाना घोर लापरवाही की पुष्टि होती है, ऐसे में ए0डी0ओ0 पंचायत पर प्राशासनिक एवं बैधानिक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

ग्राम पंचायत :– झूसी कोहना **विकास खंण्ड– बहादुरपुर**

ग्राम पंचायत :– झूसी कोहना के खंण्ड में श्री साई मंन्दिर के पूर्व की तरफ खडजा एवं नाली निर्माण पर व्यय कोषवही में 2011–12 में निम्न दर्शित है।

क्रम संख्या	दिनांक	वाउचर सं0/सामग्री	चेक/आहरित व्यक्ति	धनराशि
1	2	3	4	
1	05.07.2011	27/बिबेक ब्रिक फील्ड क्रय 12000 ईट	40165/बिबेक ब्रीक्स फील्ड	42000.00
2	19.07.2011	30/7000 नग ईट	40167/बिबेक ब्रिक फील्ड	24500.00
3	28.07.2011	33/10 हजार ईट	40169/बिबेक ब्रिक फील्ड	35000.00
4	06.07.2011	28/ 41 बोरी सीमेन्ट और 10.5	40164/जलज सीमेन्ट	15330.00

		मीटर क्यूब बालू	एजेन्सी	
5	01.09.2011	43/50 बोरी सीमेंट 16 मीटर क्यूब बालू सीमेन्ट दर 265 रूपये प्रति बोरी व बालू 425/ मीटर क्यूब	6402/जलध सीमेन्ट एजेन्सी	20050.00
6	06.07.2011	नाली + खड़जा एवं सम्मित एम0आर0	—	9960.00
7	01.09.2011	उक्त कार्यो की मजदूरी	40170 /प्रधान श्री सुरेन्द्र तिवारी	10000.00

(ए0)— ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन के उपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

उक्त खडजा आवास विकास कालोनी योजना 3 में आवास विकास इलाहाबाद के द्वारा समतल भूमि पर खडजा निर्मित है, साथ ही एल आकार वाली निर्मित है।

प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पुनः निर्माण उसको उखाड कर पर रूपये 156840.00 व्यय दर्शित किया गया है। उक्त खडजा कि लम्बाई 22 मीटर एवं चौडाई 6 मीटर है उस पर कुल खडजा की लागत का आकलन मानक के अनुसार निम्न है।

क्षेत्रफल — 6 गुणे 22 = 132 वर्गमीटर
लगने वाले वाले ईटो की संख्या 132 गुणे 60 = 7920 ईट , 60 ईट प्रति वर्ग प्रतिमीटर
ईट का मूल्य— 7920 गुणे 3000

$$\frac{\text{————————}}{1000} = 23760.00$$

लागत श्रमिक = 132 गुणे 25.5 = 3366.00, 25.50 प्रति वर्गमीटर मिट्टी+ईट बिछना है।
इस प्रकार खडजा निर्माण पर कुल लागत व्यय— 27126.00

नाली की उर्ध्वाधर दिवाल पर एक कतार माकानो के दिवालो की नीव है, इस प्रकार एल आकार की नाली के उखाडना संम्भव नही है, अव खडजा के दूसरे तरफ पार्क है , इस प्रकार नाली की सफाई पर 2 बोरी सीमेन्ट पर तथा एक टाली बालू की आवश्यकता होगी, उसका मूल्य 2 गुणे 265 + 250 = 780.00 इस प्रकार खडजा एवं नाली पर कुल व्यय= 27126+780 =27906.00 ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा उक्त आकलन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय रूपये 156840.00 है, इस प्रकार मानक से अधिक भुगतान 156840 में 27906 को घटाकर = 128934.00 है, करके ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय व्यय राशि का अपहरण किया गया है।

(बी0)—

दिनांक— 05.07.2011 को उक्त नाली+ खडजा पर श्रमिक भुगतान रूपये 9960.00 दर्शित हैं यहां पर श्रमिक दर प्रति मानव दिवस रूपये 100.00 दर्शित है, एम0 आर 0 पर है, जबकि उस समय यह दर 80 रूपये थी, इस प्रकार मनमाने तरीके से फर्जी एम0आर0बनाकर सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया है। इसकी वास्तविक मजदूरी खंण्ड एक में लिखा गया है।

(सी0)—

दिनांक— 25.07.2011 को सुरेन्द्रर त्रिपाठी प्रधान को 10000.00 रूपये चेक संख्या 40170 देकर श्रमिक भुगतान हुआ है, जो फर्जी ब्यय किया गया है क्योकि उस श्रमिक भुगतान की आवश्यकता नही थी, इसके एम0आर0 पर दिनांक अंकित नही है, यहां पर मानक से ज्यादा श्रमिक दर का भुगतान किया गया है, जबकि वास्तविक रूपये 80 प्रति श्रमिक प्रति दिवस मानक थी, उक्त कार्य पर श्रमिक पर ब्यय = 50 मानक दिवस गुणे 120+200गुणे 20 मिस्त्री दिवस =10000.00 जो उक्त कार्य के मानक मजदूरी से अधिक है।

इस प्रकार उक्त तथ्यो से पुष्टि होता है कि प्रधान श्री सुरेन्द्र त्रिपाठी एवं विभूति नारायण तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 128934.00 का अपहरण किया गया है, उक्त धनराशि जांचोपरान्त् तातारीख व्याज सहित वसूली आपेक्षित है, उक्त सामग्री का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया परन्तु उपभोग प्रमाणक प्रस्तुत नही करने से स्पष्ट होता है शेष सामग्री का उपयोग ब्यक्तिगत् हित में किया गया है, सामग्री के क्रय की प्रविष्टि तथा निकासी हेतु स्टाक रजिस्टर नही लाया गया है, साथ साथ स्टीमेट कापी तथा एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से उक्त अपहरण की पुष्टि होती है।

(डी0)–

ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा त्रैमासिक कोषवही का निरीक्षण किया गया होता तो इतनी बड़ी शासकीय धनराशि का अपहरण रोका जा सकता था, परन्तु ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा अपने कर्तब्यो का पालन नही करने से उक्त घटना घटी, इस प्रकार उक्त अपहरण से उत्तरदायित्व से बचना संम्भव नही है, इस प्रकार ए0डी0ओ0 पंचायत पर विधिक कार्यवाही आपेक्षित है।

साधू के घर से निराला के घर तक इन्टर लाकिग कार्य दिनांक 25.07.2011 से 28.07.2011 को कोषवही बाउचर सं0 32 में आदित्य टाइल्स 6–56 ए0 यू0पी0एस0टी0डी0सी0 आद्यौगिक क्षेत्र नैनी इलाहाबाद को रूपये 160000.00 का भुगतान 8422 नग इण्टर लाकिग सीमेन्ट का साइज 80 एम0एम0 भुगतान चेक संख्या 40168 से हुआ है, व्यय प्रमाणक पर दर 19 रूपये प्रति ईट दर्शाया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा द्वारा पी0डब्लू0डी0 के मानक मूल्य 10.50 पाया गया है, इसी प्रकार उक्त दुकान दार से 9389712098 से सम्पर्क करने पर यही मूल्य अर्थात 10.50 पैसे पाया गया है, उक्त व्यय प्रमाणक पर टिन नंम्बर नही लिए जाने से भी फर्जी ब्यय की पुष्टि होती है।

अतः कैश मेमो नंम्बर 200/6–56 ए0 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 नैनी इलाहाबाद रंगधारी पर प्रधान श्री सुरेन्द्रर त्रिपाठी का हस्ताक्षर एवं मोहर लगा है।

उक्त क्रय सामग्री का स्टाक रजिस्टर बना कर खारिज नही किया गया है यह कार्य साधू के घर से निराला के घर तक इण्टर लाकिग है, कार्य का माप स्टीमेट कापी एम0बी0 लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उक्त कार्य की पुष्टि नही होती है। लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाणक एवं उपभोग प्रमाणक अप्राप्त होने से कार्य की पूर्णता से पुष्टि नही होती है, परन्तु ज्येष्ठ लेखा परीक्षा का उक्त स्थल का भौतिक सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि कार्य तो हुआ है परन्तु श्री सुरेन्द्रर त्रिपाठी एवं विभुति नारायण तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मानक से ज्यादा 71587.00 रूपये अधिक भुगतान करके शासकीय धनराशि का अपहरण किया गया है, इस प्रकार उक्त दोनो पदाधिकारियो से जांचोपरान्त तातारीख 18 प्रतिशत् ब्याज सहित 71587.00 की वसूली अपेक्षित है।

उक्त कार्य का निरीक्षण ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा किया गया होता तो इतनी बड़ी शासकीय धनराशि के अपहरण को रोका जा सकता था, परन्तु ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा इतनी बड़ी धनराशि का

जनपद का नाम : प्रतापगढ,

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर सं0–1 ग्राम पंचायत किधौली, विकास खण्ड बाबागंज वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 56400 का व्यय किया गया। परन्तु उपभोग प्रमाण पत्र/वितरण/रजि0 आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। अतः रू0 56400 की वसूली प्रधान श्री दिलीप कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यू0बी0सिंह से की जानी चाहिए ।

प्रस्तर सं0–2 ग्राम पंचायत बसतीपुर, वि0ख0 कुण्डा वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 130840.00 का व्यय किया गया। परन्तु दौरान लेखा परीक्षा वितरण रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त धनराशि रू0 130840.00 की वसूली प्रधान श्री कमलेश कुमार व ग्राम विकास अधिकारी श्री जगदीश नारायण पाण्डे से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–3 ग्राम पंचायत खजुरनी, वि0ख0 सदर की वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 178685.00 की धनराशि व्यय की गयी। वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि न की जा सकी । रू0 178685.00 की वसूली प्रधान श्री दीनदयाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरनाथ विश्वकर्मा से की जानी चाहिए ।

प्रस्तर सं0–4 ग्राम पंचायत अशोग, वि0ख0 रामपुर संग्रामगढ़ में वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 28800.00 की व्यय किया गया। उक्त व्यय की पुष्टि में उपभोग प्रमाण पत्र/वितरण रजिस्टर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। अतः रू0 28800.00 की वसूली प्रधान श्रीमती विभावती व ग्रा0वि0अ0 श्री शिव बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–5 ग्राम पंचायत पूरेधना टिकरिया वि0ख0 रामपुर संग्रामगढ़ में वर्ष 2011–12 में रू0 211480.00 छात्रवृत्ति खाते से व्यय किया गया। वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । अत' रू0 211480.00 की वसूली प्रधान श्री बदलूराम पटेल व ग्रा0 पं0 अधि0 श्री बाबूलाल पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–6 ग्राम पंचायत हिसामपुर, वि0ख0 रामपुर संग्रामगढ़ में वर्ष 2011–12 में रू0 72282.00 छात्रवृत्ति खाते से व्यय किया गया। वितरण रजिस्टर/ उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रू0 72282.00 की वसूली प्रधान श्री रघुनाथ व ग्रा0वि0अधि0 श्री शिवकुमार यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–7 ग्राम पंचायत दादूपुर वि0ख0 शिवगढ़ में वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति खाते से रू0 60300.00 का वितरण किया गया । वितरण रजिस्टर /उपभोग प्रमाणपत्र ले0प0 में अप्राप्त रहा/अतः रू0 60300.00 की वसूली प्रधान श्री सुधीर श्रीवास्तव व ग्रा0पं0अ0 श्री रमन कुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं0–8 ग्राम पंचायत रहेटुआ वि0ख0 गौरा में वर्ष 2011–12 में मिड–डे मील पर रू0 45002.00 का व्यय किया गया। स्टाक रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र, खाद्यान्न क्रय के प्रमाणक, स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर तथा कन्वर्जन कास्ट से संबंधित अन्य अभिलेख ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः रू0 45002.00 की वसूली प्रधान श्रीमती ऊषा देवी व ग्रा0पं0रा0 अधिकारी श्री कमलेश शुक्ल से की जानी अपेक्षित रही।

जनपद–फतेहपुर

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित गम्भीर आपत्तियॉ–:

ग्राम पंचायत– बड़ागांव, विकास खण्ड–बहुआ

प्रस्तर– 01– निम्न विवरणानुसार बेनामी नाली व दो खड़ंजों की 4 क्रासिंग निर्माण में रू0– 1,18,470.00 व्यय कोषांकित किया गया है, अन्तिरिम लेखा परीक्षा आपत्ति–पत्र में क्रमांक (2) में अंकित आपत्तियों का स्पष्टीकरण मांगा गया था, किन्तु आपत्ति–पत्र का पालन नहीं किया गया। अतएव उक्त बेनामी कार्य पर तथाकथित व्यय कोषांकित धनराशि को अपरहण मानते हुये उक्त की आधी धनराशि रू0– 59,235.00 श्री शिवसरन प्रधान तथा आधी धनराशि रू0– 59,235.00 श्री कृष्णपाल, ग्रा0पं0वि0 अधिकारी से तातारीख 18 वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। व्ययों का विवरण निम्नवत् है–

दिनांक	बाउचर संख्या	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
13.08.2010	20	28500.00 ईट / 3600.00 11ण्18 उ3 ईट गिट्टी	शारदा ब्रिक फील्ड	108750.00
03.02.2012	21	मजदूरी व्यय	मस्टर रोल अप्राप्त	9720.00
			योग	1,18,470.00

अपहरण से सम्बन्धित लेखा परीक्षा आपत्तियॉ निम्न है–

i. मजदूरी मद में कोषांकित रू0–9720.00 का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में जांच हंतु प्रस्तुत नही प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मजदूरी व्यय अपुष्ट रहा।

ii. नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट व मोरंग क्रय नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष किसी कार्य का बचा हुआ सीमेन्ट व बालू/मोरंग का स्टाक अवशेष था, तो बिना सीमेन्ट व बालू/मोरंग के नाली के निर्माण का कार्य असम्भव है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

मोरंग

iii. कार्य कहां से कहां तक करवाया गया है– कोई विवरण अंकित नहीं। अन्तिरिम आपत्ति–पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी गयी थी, किन्तु कार्य का विवरण नहीं बताया गया। इस प्रकार उक्त कार्य बेनामी होने के कारण

लेखा परीक्षा में काल्पनिक व्यय मानकर दर्शित व्यय का अपहरण माना गया है।

iv. उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव, स्टीमेट, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र आदि अन्तिरिम आपत्ति पत्र के माध्यम से मांगने के बावजूद लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रस्तर–2– कैशबुक में अंकित विवरण के अनुसार "मौजी लाल से सी0सी0 रोड" तक नाली व खड़ंजा निर्माण कार्य में कुल रू0– 1,53,600.00 व्यय दर्शाया गया है, जबकि सम्बन्धित मस्टर रोल पर कार्यो का नाम "रामनाथ के घर के पास नहर पुलिया तक नाली निर्माण" लिखा गया है । अन्तरिम आपत्ति–पत्र के आपत्ति क्रमांक (3) के माध्यम से वास्तकिक कार्यस्थल का नाम पूंछा गया था, किन्तु नहीं बताया गया। कैश में दर्ज व्ययों का विवरण निम्न है–

दिनांक	व0सं0	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
01.02.2012	22	12350 ईट / 3600 14300 ईट / 3500	शारदा ब्रिक फील्ड	94520.00
02.02.2012	23	45 बोरी सीमेन्ट / 265 10.50 उ3 मोरम / 550	मे0 शिवहरे बिल्डिंग मैटेरियल	17700.00
03.02.2012	24	मजदूरी		41400.00
				153600.00

निम्न में लेखा परीक्षा आपत्तियों के अधीन उक्त व्यय काल्पनिक है। अवएव रू0 153600.00 का अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की आधी रकम रू0 76800.00 श्री शिवसरन प्रधान एवं आधी रकम रू0–76800.00 श्री कृष्ण पाल ग्रा0पं0वि0 अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। आपत्तियों का विवरण निम्नवत् है–

i. कैशबुक में मजदूरी मद में व्यय रू041400.00 अंकित किया गया है जबकि मस्टर रोल मात्र रू0–18720.00 का गार्ड फाइल में चस्पा पाया गया। उपलब्ध कराये गये मस्टर रोल पर किसी मजदूर के मजदूरी प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप हस्तक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं पाये गये। इतना ही नहीं उक्त मस्टर रोल पर कार्य का नाम "रामनाथ के घर के पास से नहर पुलिया तक नाली निर्माण" लिखा गया है। गांव वालों से पूँछ–तांछ करने पर पता चला कि उक्त स्थल पर कोई नाली निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। इस प्रकार मजदूरी व्यय में व्यय दर्शित धनराशि रू0– 41400.00 अपुष्ट रही। अतएव लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है।

ii. उक्त कार्य का कोई प्रस्ताव, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, एम0बी0 जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

iii. कैशबुक में मस्टर रोल पर अंकित कार्य स्थल के बारे में विरोधाभास है, जिससे वास्तविक कार्य की जानकारी नहीं करायी गयी।

प्रस्तर– 03– आलोच्य वर्ष में सूरजपाल पासी के घर से भोला शुक्ला के घर तक नाली व खड़ंजा निर्माण तथा रामनाथ के घर के पास से प्रमोद सिंह के खलिहान/घर तक नाली निर्माण पर कुल रू0–300910.00 व्यय कोषांकित किया गया है। जबकि मौखिक सत्यापन पर गांव के लोगो से पूँछ–तांछ करने एवं निर्माण स्थल को देखने से पता चला कि सूरजपाल पासी के घर से भोला शुक्ला के घर तक मात्र 50X2 मीटर

खड़ंजा मरम्मत कार्य करवाया गया है। नाली निर्माण का उक्त स्थल पर कोई कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार आडिट गणनानुसार निम्न प्रकार कुल व्यय किया गया है–

सूरजपाल पासी के घर से भोला शुक्ला के घर तक नाली व खड़ंजा मरम्मत कार्य–50X2 = 100 m2

आडिट गणनानुसार प्रयुक्त ईंटे = 100 x 5600 का 1/2 नई ईंट = 2800

आडिट गणनानुसार खड़ंजा उखड़ाई मजदूरी = 100m2 / 31.00 प्रति वर्गमीटर = 3100.00

आडिट गणनानुसार खड़ंजा बिछाने की मजदूरी = 100m2 / 31.00 प्रति वर्गमीटर = 3100.00

आडिट गणनानुसार प्रयुक्त ईटों का मूल्य = 2800 ईंट / 3500.00 प्रति प्रति हजार = 9800.00

योग– = 16000.00

कुल कोषांकित व्यय– = 300910.00

घटाया आडिट गणनानुसार कुल किया गया व्यय– (–) 16000.00

अपहरित धनराशि– = 284910.00

उक्त विवरणानुसार कार्यो पर रू0– 284910.00 का अपहरण किया गया है। अतएव उक्त अपहरित धनराशि की आधी की रकम रू0– 142455 श्री शिवसरन प्रधान एवं आधी रकम रू0– 142455 श्री कष्ण पाल सिंह ग्रा0पं0वि0अ0 सं तातारीख 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर– 04– आलोच्य वर्ष रामरतन से किसान पासी के घर तक खडन्जा निर्माण/मरम्मत व नाली निर्माण पर निम्न विवरणानुसार रू0– 174688.00 व्यय कोषांकित किया गया है। अन्तरिम आपत्ति के क्र0– 6 के अनुसार उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कार्ययोजना, स्टीमेट ,एम0वी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री स्टाक रजिस्टर की मांग की गयी थी, किन्तु उक्त अभिलेख मांग के बावजूद प्रस्तुत कर जांच नहीं कराये गये। मौखिक सत्यापन करने पर गांव के लोगो द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर सम्बन्धित अवधि में कोई खडन्जा निर्माण व नाली निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। अतएव लेखा परीक्षा में उक्त तथाकथित कोषांकित व्यय रू0 174688.00 का अपहरण मानते हुये उक्त धनराशि की आधी रकम रू0 87344.00 श्री शिवसरन प्रधान एवं आधी रकम रू0– 87344.00 श्री कष्ण पाल सिंह ग्रा0पं0वि0अ0 सं तातारीख 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। तथाकथित कोषांकित व्ययों का विवरण निम्नवत् है–

दिनांक	व0सं0	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
10.04.2011	03	75 बोरी सीमेन्ट 15.18 उ3 मोरम	मे0 शिवहरे मैटेरियल सप्लायर्स	29138.00
05.04.2011	05	11800 ईट / 3600 14300 ईट / 3500	मे0 शारदा ईट उद्योग	99950.00
06.04.2011 / 03–04–2011	02	मजदूरी व्यय		45600.00
			योग	**174688.00**

प्रस्तर– 05– आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार वाले पंडित के पास से मुख्य सी0 सी0 रोड तक नाली व खडन्जा निमार्ण पर रू0– 209110.00 व्यय कोषांकित किया गया है–

दिनांक	व0सं0	म्द	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
25.10.2011	14	15700 ईट / 3600 22500 ईट / 3500	विष्णु ईट उद्योग	135270.00
25.10.2011	15	70 बोरी सीमेन्ट / 265 17 उ3 मोरम / 650 0.40 कुं0 सरिया /3600 20 फुट आर0सी0सी0 / 860	मे0 शिवहरे मैटेरियल एवं सप्लायर्स	99950.00
18–12–2011	17	मजदूरी व्यय		31600.00
			योग	209110.00

उक्त तथाकथित व्यय की पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में अन्तरिम आपत्ति पत्र के क्रमांक– 4 (3) के माध्यम से कार्ययोजना, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एम0वी0, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, प्रस्ताव बही की मांग की गयी थी, किन्तु मांग के बावजूद उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

मौखिक सत्यापन में निर्माण स्थल पर देखने तथा गांव के स्थानीय लोगों से पूँछ–तांछ में पता चला कि उक्त स्थल पर केवल खडन्जा मरम्मत कार्य हुआ है, नाली निर्माण कार्य नहीं कराया गया। आडिट गणनानुसार उक्त नाली निर्माण पर तथाकथित कोषांकित व्यय रू0–105646.00 का अपहरण किया गया है। अतएव उक्त अपहरित धनराशि की आधी रकम रू0–52723.00 श्री शिवसरन प्रधान एवं आधी रकम रू0– 52723.00 श्री कष्ण पाल सिंह ग्रा0पं0वि0अ0 सं तातारीख 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

आडिट गणनानुसार जो कार्य नहीं कराया गया है– अपहरित धनराशि

01	नाली निर्माण हेतु क्रय ईट 15750 / 3600.00	56520.00
02	सीमेन्ट–70 बोरी / 265.00	
03	बालू– 17उ3 / 650.00	31610.00
04	सरिया– 0.40 कु0 / 3600.00	
05	आर0सी0सी0– 20 फुट / 810 / उ3	
06	मजदूरी पर व्यय– नाली खुदाई 51उ3 / 56.50 (क्रय ईटों के अनुसार)	2882.00
07	नाली जुडाई 34उ3 / 240.00	8160.00
08	नाली प्लास्टर 246उ3 /25.50	6284.00
	अपहरित धनराशि योग–	105446.00

ग्राम पंचायत– रामपुर बकेवर, विकास खण्ड–देवमई

प्रस्तर– 01– आलोच्य वर्ष–2009–10 में ग्राम निधि–1 की कैशबुक एवं गार्ड फाइल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उपलब्ध जिला सहकारी बैंक शाखा बकेवर की पासबुक के अनुसार विवरण निम्नवत् है–

01–04–2009 को प्रारम्भिक शेष–	1590.00
वर्ष में जमा–	251251.00
वर्ष में आहरित–	126185.00
01–04–2010 का अन्तिम अवशेष–	**126656.00**

इस प्रकार वर्ष 2009–10 में बैंक से आहरित धनराशि के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किये जाने से धनराशि अपहृत रही। अतः रू0– 126185.00 की वसूली श्री अनूप कुमार ग्रा0 प्रधान तथा श्री प्रेम शंकर दुबे ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर– 02– लेखा परीक्षा वर्ष–2009–10 एवं 10–11 में जिला सहकारी बैंक बकेबर से आहरित धनराशि रू0– 19800.00 तथा रू0– 33000.00 की छात्रवृत्ति वितरण पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः कुल धनराशि रू0– 52800.00 विवरित दर्शाकर अपहृत कर ली गयी है। अतः रू0 52800.00 की वसूली श्री अनूप कुमार ग्रा0 प्रधान तथा श्री प्रेम शंकर दुबे ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर– 03– आलोच्य वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत में धनरशि का व्यय किया गया है–

क्र0	बा0 सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्रधान	ग्रा0पं0अ0
1	01	07–04–10	7400.00	शंकर मशीनरी स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	श्री अनूप कुमार	श्री प्रेम शंकर दुबे
2	02	11–04–10	1600.00	चार स्थल पर हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
3	04	27–04–10	15200.00	शंकर मशीनरी स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
4	05	30–04–10	2800.00	7 स्थल पर हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
5	07	11–05–10	4250.00	शंकर मशीनरी स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
6	09	18–05–10	800.00	दो स्थल पर हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
योग			**32050.00**			
7	16	26–11–10	8400.00	शंकर मशीनरी स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	श्री रंगी लाल	श्री नरेन्द्र वर्मा
8	17	30–11–10	1600.00	चार स्थल पर हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
9	21	15–02–11	8000.00	शंकर मशीनरी स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
10	22	21–02–11	2400.00	6 स्थल पर हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
11	01	19–04–11	16920.00	शंकर मशीनरी स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
12	03	26–04–11	3080.00	सात स्थल पर हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
13	04	03–05–11	6850.00	अभिषेक आयरन स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
14	05	08–05–11	1760.00	मास्टर रोल हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
योग–			**49010.00**			
15	06	02–06–11	8725.00	अभिषेक आयरन स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	श्री रंगी लाल	श्री विकास पाल
16	07	17–06–11	2200.00	मास्टर रोल हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
17	09	14–06–11	5955.00	अभिषेक आयरन स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
18	11	18–06–11	1760.00	मास्टर रोल हैण्डपम्प मरम्मत	–तदैव–	–तदैव–
19	13	10–12–11	17550.00	मनीष स्पेयर पार्टस एण्ड आयरन स्टोर बकेवर से	–तदैव–	–तदैव–

				हैण्डपम्प सामग्री क्रय		
20	14	20–12–11	2450.00	मास्टर रोल हैण्डपम्प मरम्मत (बाउचर संलग्न नहीं)	–तदैव–	–तदैव–
21	15	02–02–12	9060.00	मनीष स्पेयर पार्टस एण्ड आयरन स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय	–तदैव–	–तदैव–
22	16	08–02–12	2940.00	मास्टर रोल हैण्डपम्प मरम्मत (बाउचर संलग्न नहीं)	–तदैव–	–तदैव–
योग–			**50640.00**			

उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये गये है और न ही हैण्ड पम्प की मरम्मत में लगने वाली सामान की सूची मिस्त्री से प्राप्त की गयी है। हैण्ड पम्प मरम्मत में पुराने सामानों की सूची भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। जिससे स्पष्ट है कि प्रधान तथा सिक्रेटरी द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत के फर्जी बाउचर संलग्न कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः अपहृत धनराशि रू0– 32050.00 श्री अनूप कुमार ग्रा0 प्रधान तथा श्री प्रेम शंकर दुबे ग्रा0 पं0 अधिकारी से, रू0 49010.00 श्री रंगी लाल प्रधान तथा श्री नरेन्द्र वर्मा से, रू0 50640.00 श्री रंगी लाल ग्रा0 प्रधान तथा श्री विकास पाल ग्रा0 पं0 अधिकारी से वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर– 04– आलोच्य वर्ष 2010–11 में गनेशी के दरवाजे से बाबू गुप्ता के घर तक 110 ग 2 वर्ग मी0 खड़ंजा मरम्मत व नाली मरम्मत (110 मी0) का कार्य कराया गया जिसमे व्यय विवरण निम्नवत् है–

I. बा0सं0– 12 दिनांक– 12–08–2012 धनराशि रू0– 32720.00 दीप ईंट उद्योग को 4000 ईट–1 दर 3300/– की दर से तथा 6100 सीधा खड़ंजा दर 3200/– कुल रू0– 32720.00 फर्म को नगद भुगतान किया गया है जबकि चेक से भुगतान किया जाना चाहिये।

II. उक्त कार्य में खड़ंजा मरम्मत 110 x 2 वर्ग मी0 में आधा खड़ंजा क्षतिग्रस्त होने के पश्चात मरम्मत का कार्य कराया जाता है। इस प्रकार उक्त कार्य में कुल 6050 ईट क्रय किया जाना चाहिए जबकि 6100 ईटें क्रय की गयी है इस प्रकार 50 ईटें अधिक क्रय की गयी है।

इसी प्रकार 110 मी0 नाली मरम्मत में लगभग आधी नाली क्षतिग्रस्त होने के पश्चात मरम्मत का कार्य कराया जाता है । अतः 110 मी0 की नाली की मरम्मत में 3025 ईटों की आवश्यकता थी जबकि 4000 ईटे क्रय की गयी है। अतः 975 ईटें दर 3300/– से अधिक क्रय की गयी है।

अतः 50 ईट दर 3200 से रू0– 160.00 तथा 975 ईटे दर 3300/– से रू0 3217.00 कुल रू0– 3377.00 की वसूली श्री अनूप कुमार भूत पूर्व ग्रा0 प्रधान तथा श्री प्रेम शंकर दुबे ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर– 05– आलोच्य वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि से संतोष कुमार से राम औतार के घर तक नाली मरम्मत में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

क्र0	बा0 सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	01	09–07–11	15750.00	ज्योंति ब्रिक फील्ड आलमपुर से 4500 ईटे क्रय
2	02	21–04–11	16425.00	नली निर्माण हेतु सामग्री क्रय
3	03	21–07–11	6700.00	मास्टर रोल नाली निर्माण/मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर /अंगूठा निशान नहीं है।
		योग–	**38875.00**	

चूँकि मस्टर रोल में धनराशि प्राप्ति के स्थान पर मजदूरों के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान नहीं है जिससे स्पष्ट है कि न तो सामग्री क्रय की गयी है और न ही कोई कार्य कराया गया है। फर्जी बिल/बाउचर लगाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0 38875.00 की वसूली श्री रंगी लाल ग्रा0 प्रधान तथा श्री विकास पाल ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर– 06– आलोच्य वर्ष 2011–12 में तेरहवें वित्त से हैण्ड पम्प सामग्री एवं हैण्डपम्प मरम्मत हेतु निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

क्र0	बा0 सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	5	11–08–11	7375.00	मनीष स्पेयर पार्टस एण्ड आयरन स्टोर बकेवर से हैण्डपम्प सामग्री क्रय
2	7	16–08–11	2450.00	मास्टर रोल 7 स्थल हैण्डपम्प मरम्मत
3	12	03–11–11	8515.00	मे0 वर्मा मशीनरी स्टोर जहानाबाद से हैण्ड पम्प सामग्री क्रय
4	17	29–11–11	6740.00	मे0 वर्मा मशीनरी स्टोर जहानाबाद से हैण्ड पम्प सामग्री क्रय
5	20	30–11–11	3920.00	मास्टर रोल आठ स्थल हैण्डपम्प मरम्मत
		योग–	29000.00	

क्रमांक 2 व 5 पर अंकित मास्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है और न ही हैण्ड पम्प सामग्री क्रय की गयी है। अतः स्पष्ट है कि फर्जी व्यय वाउचर द्वारा रू0 29000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री रंगी लाल ग्रा0 प्रधान तथा श्री विकास पाल ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर– 07– व्यय वाउचर संख्या– 4 दिनांक 10–08–11 धनराशि रू0 15000.00 राम कुमार से श्री पाल के घर तक मिट्टी पुरायी 60 ट्राली दर 250/– से भुगतान दर्शित है। रसीद में धनराशि प्राप्त करने वाले का नाम व पता अंकित नहीं है तथा हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः फर्जी व्यय दर्शाकर धनराशि रू0– 15000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री रंगी लाल ग्रा0 प्रधान तथा श्री विकास पाल ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर– 08– आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि–1 में तेरहवें वित्त से निम्न विवरणा– नुसार धनराशि व्यय दर्शित की गयी है–

क्र0	बा0 सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	06	14–08–11	2400.00	मास्टर रोल राज कुमार के घर से श्रीपाल के घर तक मिट्टी बराबर करायी।
2	08	13–10–11	9000.00	36 ट्राली मिट्टी ढुलाई
3	09	19–10–11	7045.00	मे0 मनोज कुमार संकूराबाद से नाली निर्माण क्रय।
4	10	21–10–11	4900.00	ज्योंति ब्रिक फील्ड आलमपुर से ईट क्रय।
5	11	25–10–11	2800.00	मास्टर रोल श्रीपाल पासी के घर से रमेश के घर तक नाली निर्माण ।
6	13	19–11–11	9270.00	मे0 मनोज कुमार सकूराबाद से नाली

				निर्माण क्रय 18 बोरी सीमेन्ट, 1–25 ट्राली मोरंग।
7	14	23–11–11	7000.00	ज्योंति ब्रिक फील्ड आलमपुर से 200 ईट क्रय।
8	15	23–11–11	14000.00	ज्योंति ब्रिक फील्ड आलमपुर से 400 ईट क्रय।
9	16	26–11–11	7500.00	30 ट्राली मिट्टी की रसीद।
10	18	29–11–11	3660.00	मास्टर रोल नाली निर्माण।
11	19	30–11–11	3600.00	मास्टर रोल खडंजा मरम्मत।
		योग	**71175.00**	

उक्त तालिका में अंकित मास्टर रोल में मजदूरों के नाम, पता व भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नहीं है। अतः फर्जी व्यय/वाउचर लगाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः रू0 71175.00 की वसूली श्री रंगी लाल ग्रा0 प्रधान तथा श्री विकास पाल ग्रा0 पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

जनपद–कौशाम्बी

ग्राम पंचायत– हरदुआ **विकास खंण्ड– चायल**

क्रं0सं0	चेक सं0	दिनांक	धनराशि	मद विवरण
01	471	29.04.2010	99300.00	शौचालय निर्माण हेतु
02	463	29.04.2010	160000.00	शौचालय निर्माण हेतु
03	469	29.04.2010	35000.00	शौचालय निर्माण हेतु
04	468	29.04.2010	35000.00	शौचालय निर्माण हेतु
05	164	29.04.2010	170000.00	शौचालय निर्माण हेतु
06	465	29.04.2010	65000.00	शौचालय निर्माण हेतु
			5,64300.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 29.04.2010 को विभिन्न चेकों द्वारा आहरित धनराशि रू0 565300.00 को कोष वही में शौचालय निर्माण पर व्यय अंकित किया गया है। यह शौचालय किन–किन लाभार्थियों को बनवाने गये हैं, और किन स्थानों पर बनवाये गये हैं स्पष्ट नही हो पा रहा है, शौचालय निर्माण से संबन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक ले0 परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा शौचालयों के निर्माण की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार–बार मांगे जाने के बावजूद व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख प्रस्तुत नही किया जाना एक गंभीर प्रकरण है। इस प्रकार एक ही दिन में निकाली गयी धनराशि को संम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सीधे अपहरण कर ली गयी है। जिसे पंचायत राज नियमावली के अनुसार प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री ओमप्रकाश आर्य से 12 प्रतिशत दण्डिक ब्यांज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि रू0 564300.00 की वसूली राजस्व नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।

प्रस्तर–1	आपत्ति विवरण	धनराशि
	खाता सं0 11044 ग्राम निधि प्रथम मे व्यक्तिगत ठण्च्ण्स् शौचालय की धनराशि सं0 149600.00 वर्ष 2011–12 में प्राप्त हुई है। खाते में दि0 31.03.2012 को अवशेष 22389.00 रहा है वर्ष 11–12 में शौचालय की धनराशि लाभार्थियों को नहीं दी गयी। लाभार्थी सूची अनुपलब्ध रही। कैश बुक में भी ठण्च्ण्स् शौचालय की धनराशि वितरित दर्शित नहीं है। इस प्रकार शौचालय की धनराशि रू0 12741.00 कैशबुक के अनुसार अन्य मदों में व्यय की गयी लेकिन व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि में कोई प्रमाणक (कैश रसीद) आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रू0 127411.00 का अपहरण ग्रा0पं0अधि0 श्री वेदप्रकाश व ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी द्वारा किया गया है। रू0 127411.00 की वसूली ग्रा0पं0अधि0 श्री वेद प्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सीता देवी से की जानी अपेक्षित है।	127411.00
प्रस्तर–2	ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 11056 ठण्व्ठ से की रविशंकर द्वारा दिनांक 29.08.2011 को रू0 30000.00 व दिनांक 26.11.2011 को रू0 25000.00 कुल रू0 55000.00 निकाला गया है जिसे कैश बुक के आप पक्ष में अंकित नही किया गया है और न ही उपरोक्त धनराशि के व्यय सम्बन्धी प्रमाणक व उपयोग की अन्य पुष्टि ही प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार रू0 5500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्रा0पं0अधि0 श्री प्रीतम सिंह व ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।	55000.0
ग्राम पंचायत – सचवारा	वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता में जो कि जिला सहकारी बैंक शाखा सराय अकिल में खाता है। दि0 29.04.2010 को क्ण्च्ण्त्ण्ट कौशाम्बी के यहाँ से रू0 763400.00 की किस्त शौचालय हेतु आयी है जो बैंक द्वारा उसी तिथि को खाते में अंकित की गयी है। इसके सापेक्ष निम्न विवरणानुसार दि0 29.04.2010 को ही निकासी की गयी है।	

ग्राम पंचायत – मोहिद्दीनपुर **कौशाम्बी**

प्रस्तर–1

वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा के दौरान हुआ की ग्राम पंचायत मोहिद्दीनपुर दवेछार के ग्रामनिधि । खाता से व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाना विभिन्न तिथियों में कोषबही में अंकित किया गया है। ये व्यक्तिगत शौचालय कर्मचारी एवं प्रधान द्वारा स्वयं अपनी निगरानी में नही करवाये है, बल्कि इनका निर्माण किसी नत्थूलाल नामक व्यक्ति द्वारा करवाये गये हैं। सादे चेक नत्थूलाल के नाम से विभिन्न तिथियों में काटे गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रं0सं0	दिनांक	धनराशि	मद विवरण	अन्य
1	24.08.2011	45000.00	व्यक्तिगत शौचालय	नत्थूलाल के नाम स्थिति
2	19.09.2011	50000		
3	12.10.2011	33000		
4	20.10.2011	74500		
5	01.11.2011	20000		
6	02.11.2011	21500		
7	18.11.2011	50000		
8	28.11.2011	35000		
9	28.11.2011	30000		
10.	05.12.2011	15000		
11.	02.02.2012	32500		
12.	02.02.2012	255000		
	योग	4,32000.00		

उपरोक्त विवरण के अनुसार आहरित धनराशियाँ विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुये किसी नत्थूलाल नामक व्यक्ति को दी गयी है, जो व्यक्तिगत शौचालय हेतु जारी की जानी दर्शित है। लेकिन इसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है, और कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत नही की गयी हैं। इसके अलावा पं0राज द्वारा अपने सक्षम प्रति निधियों से कार्य न करवाकर अन्य व्यक्ति को सुपुर्द किया गया है, जो नियमों के सर्वथा, प्रतिकूल है। इसके व्यय प्रमाणक व लाभान्वित व्यक्तियों की सूची भी ले0प0 में प्रस्तुत नहीं की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण धनराशि प्रधान व कर्मचारी द्वारा अपहृत कर ली गयी है। जिसे विभागीय नियमानुसार प्रधान श्रीमती सुनीता सिंह एवं कर्मचारी (ग्रा0पं0वि0अधिकारी) श्री रामपतन से बराबर–बराबर हिस्से में 12 प्रतिशत दण्डित ब्याज सहित वसूली जाये, अन्याय की स्थिति में राजस्व नियमों के अनुसार वसूली की जाये।

मण्डल का नाम : लखनऊ

जनपद का नाम : लखनऊ

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां					उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
प्र0सं0 1	ग्राम पंचायत मलूकपुर	बक्शी का तालाब	रू0 2,31,000.00	वर्ष 2009–10 में ग्राम निधि में व्यय धनराशि रू0 2,31,000.00 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक कार्य योजना/ग्राम पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।	महेश प्रसाद मिश्रा ग्र0 सचिव प्रधान राजरानी

जनपद– हरदोई

<u>ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियां</u>

1. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (10)
धनराशि–113426.00

दिनांक – 07/05/2011 को रू0 30000.00, दिनांक 02/06/11 को रू0 4092.00, दिनांक 02/06/11 को रू0 64334.00, दिनांक 14/03/2012 को रू0 15000.00 ह्यूम पाइप खरीद का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक पर ह्यूम पाइप का साइज और मार्का अंकित नहीं है और न ही ह्यूम पाइप प्रयुक्त/ उपभोग का प्रमाण पत्र ही अंकित किया गया है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैं।

2. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (11)
धनराशि–228700.00

दिनांक 09/07/11 को रू0 128000.00 एवं दिनांक 07/03/12 को रू0 100700.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है। व्यय करने से पूर्व कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये है। उक्त माह में ही ग्राम निधि प्रथम से भी ईंट खरीद का व्यय दर्शित है जिससे क्रय संदिग्ध प्रतीत होती है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

3. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (18)
धनराशि–5000.00

दिनांक 18/04/11 को रू0 5000.00 प्रशासनिक व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक से स्पष्ट नहीं है कि उक्त व्यय किस मद में किया गया है। जांचोपरान्त सम्बन्धित से धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (19)

धनराशि–200000.00 दिनांक 14/07/11 को रू0 100000.00, दिनांक 16/09/11 को रू0 40000.00, दिनांक 02/12/11 को रू0 60000.00 सोडियम लाइट का व्यय दर्शित है। व्यय से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गयी और न ही सोडियम लाइट लगने के कार्यस्थल का उल्लेख किया गया है। सोडियम लाइट लगने का सहायक विकास अधिकारी

(पं0) का सत्यापन प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

5. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (20)
धनराशि–210400.00

दिनांक 07/04/11 को रू0 50000.00, दिनांक 12/07/11 को रू0 50000.00, दिनांक 16/07/11 को रू0 50000.00, दिनांक 24/10/11 को रू0 60400.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में भुगतान कर्ता से धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

6. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (21)
धनराशि–43000.00 दिनांक 18/04/11 को रू0 8000.00, दिनांक 19/10/11 को रू0 35000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय प्रमाणक पर हैण्डपम्प मरम्मत के कार्यस्थत का नाम एवं मरम्मत में प्रयुक्त सामान का विवरण अंकित नही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7. ग्राम पंचायत– लोनी विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (22)
धनराशि–60000.00 दिनांक 23/06/11 को रू0 15000.00, दिनांक 24/11/11 को रू0 30000.00, दिनांक 26/03/12 को रू0 15000.00 श्रमिकों को मस्टर रोल के द्वारा भुगतान किया जाना दर्शित है किन्तु मस्टर रोल पर कार्य प्रारम्भ समाप्ति तिथि तथा कार्यस्थल का नाम अंकित नहीं है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

8. ग्राम पंचायत– शिरोमनगर विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (07)

धनराशि–205000.00 दिनांक 15/09/11 को रू0 65000.00, दिनांक 20/10/11 को रू0 40000.00, दिनांक 12/12/11 को रू0 30000.00, दिनांक 05/01/12 को रू0 70000.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक बिक्री कर विभाग से पंजीकृत नहीं है। बिना पंजीकृत एवं टिन नम्बर प्रमाणक के भुगतान किया जाना गम्भीर अनियमितता का प्रतीक है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाना है।

9. ग्राम पंचायत– शिरोमनगर विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (10)
धनराशि–22500.00

दिनांक 25/07/11 को रू0 10000.00, दिनांक 27/01/12 को रू0 2500.00, दिनांक 21/02/12 को रू0 10000.00 हैण्डपम्प मरम्मत कर व्यय दर्शित है। किन्तु व्यय प्रमाणक पर हैण्डपम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामान का विवरण एवं मरम्मत कार्य स्थल का नाम अंकित नहीं है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

10. ग्राम पंचायत– सैदपुर विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (15)
धनराशि–25500.00

दिनांक 19/07/11 को रू0 5500.0, दिनांक 10/09/11 को रू0 10000.00, दिनांक 30/03/12 को रू0 10000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है, किन्तु व्यय प्रमाणक पर हैण्डपम्प मरम्मत के कार्यस्थल को नाम एवं प्रयुक्त सामान का विवरण अंकित नहीं है। व्यय संदिग्ध प्रतीत होता हैं। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत– सैदपुर विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (16)
धनराशि–28600.00 दिनांक 29/08/11 को रू0 28200.00 रसीद सामग्री क्रय तथा दिनांक 30/08/11 को रू0 400.00 स्टेशनरी खरीद का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में

व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में भुगतानकर्ता से धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत– सैदपुर विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (17)

धनराशि–136800.00

दिनांक 29/08/11 को रू0 60800.00 एवं दिनांक 20/10/11 को रू0 76000.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है। उल्लेखनीय है कि उक्त माह में ही मनरेगा कार्य में भी ईंट खरीदी गयी है। ईंट प्रयुक्त के कार्य स्थल का नाम भी अंकित नहीं है। व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (11)

धनराशि–520000.00

दिनांक 20/03/09 को रू0 80000.00, दिनांक 08/04/09 को रू0 120000.00, दिनांक 08/04/09 को रू0 70000.00, दिनांक 08/04/09 को रू0 100000.00, दिनांक 16/10/09 को रू0 50000.00 दिनांक 08/06/10 को रू0 100000.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक पर बिक्री कर विभाग की पंजीकृत सं0 अंकित नहीं है और न ही ईंट प्राप्ति की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। जॉचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (12)

धनराशि–44100.00

दिनांक 13/11/09 को रू0 11700.00, दिनांक 23.11.09 को रू0 32400.00 ह्यूम पाइप खरीद का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक पर ह्यूम पाइप का साइज अंकित नहीं है और न ही प्रयुक्त कार्यस्थल का नाम अंकित है। जॉचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (16)

धनराशि–115000.00

दिनांक 27/01/07 को रू0 10000.00, दिनांक 26/04/07 को रू0 10000.00, दिनांक 13/07/09 को रू0 10000.00, दिनांक 11/12/09 को रू0 20000.00, दिनांक 04/03/10 को रू0 30000.00, दिनांक 17/05/10 को रू0 25000.00, दिनांक 18/04/11 को रू0 10000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणकों पर हैण्डपम्प मरम्मत के कार्यस्थल का नाम एवं मरम्मत में प्रयुक्त सामान का विवरण अंकित नहीं है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (17)

धनराशि–227560.00

दिनांक 28/09/10 को रू0 227560.00 ग्राम प्रधान श्रीमती अहमदी के पास नकद रोकड़ शेष था, जिसको लेखा परीक्षा समाप्त तिथि तक जमा नहीं किया गया है। ठोस कार्यवाही के द्वारा शीघ्र वसूली किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है ।

17. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (18)

धनराशि–110000.00

दिनांक 11/08/10 को रू0 110000.00 राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 14/08/10 को चेक नं0 152538 के द्वारा श्री नितान्त रस्तोगी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आहरित करके कोषवाही के व्यय पक्ष में नितान्त को दिया गया व्यय दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन आहरित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

18. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (19) धनराशि–20000.00 दिनांक 17/10/08 को चेक नं0 751209 के द्वारा रू0 20000.00 श्री नितान्त रस्तोगी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धन आहरित किया गया है किन्तु व्यय अज्ञात रहा। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

19. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (20) धनराशि–90000.00 दिनांक 17/06/09 को रू0 20000.00, दिनांक 16/01/10 को रू0 10000.00, दिनांक 22/02/10 को 40000.00 दिनांक 26/02/10 को रू0 20000.00 श्री आयूब (प्रधानपति) द्वारा धन आहरण किया गया है किन्तु कोषबही के व्यय पक्ष में आयूब को भुगतान दर्शित है। भुगतान का विवरण अज्ञात रहा। व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (21) धनराशि–120000.00 दिनांक 07/07/06 को रू0 30000.00, दिनांक 25/01/07 को रू0 40000.00, दिनांक 20/02/07 को रू0 50000.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में भुगतानकर्ता से धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत–करसुआ ग्रांट विकास खण्ड–टोडरपुर मूल आपत्ति सं0 (22) धनराशि–99200.00 दिनांक 25/01/11 को रू0 15000.00, दिनांक 04/07/11 को रू0 5000.00, दिनांक 02/08/11 को 25000.00, दिनांक 12/08/11 को रू0 13200.00, दिनांक 29/11/11 को रू0 35000.00, दिनांक 22/12/11 को रू0 6000.00 श्री निन्दू सिंह प्रधान द्वारा बैंक से स्वयं आहरित किया गया है जबकि विभागीय निर्देशानुसार समस्त भुगतान खाते द्वारा किया जाना है। कोषबही के व्यय पक्ष में निन्दू सिंह को दिया गया व्यय दर्शित है। जॉचोपरान्त धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत–तिथिगांव विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (2) धनराशि–228800.00 लेखा परीखा वर्ष में दिनांक 20/12/11 को रू0 50000.00, दिनांक 22/12/11 को रू0 80000.00, दिनांक 22/12/11 को रू0 40000.00, दिनांक 10/03/12 को रू0 28000.00 एवं दिनांक 10/03/12 को रू0 30800.00 ईंट खरीद का व्यय दर्शित है लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण प्रारम्भिक स्टाक वर्ष में प्राप्त, वर्ष में प्रयुक्त एवं दिनांक 31/3/2012 को अवशेष स्टाक की स्थिति अज्ञात रही। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत–तिथिगांव विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (30) धनराशि–150000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 06/07/11 को रू0 50000.00, दिनांक 31/10/11 को रू0 50000.00 तथा दिनांक 24/11/11 को रू0 50000.00 ईंट खरीद का व्यय किया गया है। किन्तु व्यय प्रमाणक बिक्री कर विभाग से पंजीकृत नहीं है। बिना पंजीकृत एवं टिन नं0 के प्रमाणक पर भुगतान किया जाना गम्भीर अनियमितता का प्रतीक है। अतः इसके प्रति जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

24. ग्राम पंचायत–तिथिगांव विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (32) धनराशि–25100.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 05/09/11 को रू0 15100.00, दिनांक 05/09/11 को रू0 10000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित किन्तु व्यय प्रमाणक पर मरम्मत में प्रयुक्त सामान एवं कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसकों मरम्मत कार्य करवाये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

25. ग्राम पंचायत–तिथिगांव विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (35) धनराशि–120000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 07/02/12 को रू0 36000.00 तथा दिनांक 07/02/12 को ही रू0 84000.00 मरकरी लाइट क्रय की गयी है। परन्तु प्रमाणक पर कार्य स्थल का उल्लेख न किये जाने से भुगतान अपुष्ट रहा। पुष्टि/आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

26. ग्राम पंचायत–बेहटा रम्पुरा विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (2) धनराशि–403400.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 06/04/11 को रू0 50000.00, दिनांक 18/04/11 को रू0 50000.00, दिनांक 23/09/11 को रू0 240000.00, दिनांक 23/09/11 को रू0 68400, दिनांक 13/10/11 रू0 40000.00, दिनांक 03/11/11 को रू0 45000.00 एवं दिनांक 27/12/11 को रू0 1,10,000 ईंट खरीद का व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण प्रारम्भिक स्टाक, वर्ष में प्रयुक्त एवं दिनांक 31/03/2012 को अन्तिम स्टाक की स्थिति अज्ञात रही एवं ईंट क्रय की स्थिति अपुष्ट रही। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

27. ग्राम पंचायत–बेहटा रम्पुरा विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (30) धनराशि–77000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 06/09/11 को रू0 30000.00 एवं दिनांक 02/11/11 को रू0 47000.00 का ईंट खरीद का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक बिक्री कर विभाग से पंजीकृत नहीं है। बिना पंजीकृत एवं टिन संख्या के प्रमाणक के भुगतान किया जाना गम्भीर अनियमितता का प्रतीक है तथा ईंट खरीदे जाने पर प्रश्नचिन्ह लगता है। अतः इस पर जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

28. ग्राम पंचायत–बेहटा रम्पुरा विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (32) धनराशि–35000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 13/04/11 को रू0 10000.00, दिनांक 03/6/11 को रू0 15000.00 तथा दिनांक 24/03/12 को रू0 10000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक पर मरम्मत में प्रयुक्त सामान का विवरण एवं मरम्मत का कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किये जाने से कार्य/व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जॉचोपरान्त इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

29. ग्राम पंचायत–बेहटा रम्पुरा विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (34) धनराशि–75000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 10/09/11 को रू0 75000 लाइट पर व्यय दर्शित है परन्तु लाइटें कहां कहां पर लगायी गयी तथा किस पर कितना व्यय हुआ है। कोई विवरण अंकित नहीं है जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं होती है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

30. ग्राम पंचायत–मिरगावां चौधरियापुर विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (2) धनराशि–522000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 13/07/11 को रू0 70000.00, दिनांक 03/11/11 को रू0 120000.00, दिनांक 05/11/11 को रू0 52000.00, दिनांक 09/11/11 को रू0 98000.00, दिनांक 16/01/12 को रू0 60000.00, दिनांक

16/01/12 को रू0 90000 एवं दिनांक 16/01/12 को रू0 32000 की ईंट खरीद की गयी है। लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण प्रारम्भिक स्टाक वर्ष में प्राप्त, वर्ष में प्रयुक्त एवं दिनांक 31/03/12 को अन्तिम स्टाक की स्थिति अज्ञात रही। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस प्रति विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

31. ग्राम पंचायत–मिरगावां चौधरियापुर विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (6) धनराशि–292000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 05/5/11 को रू0 100000.00, दिनांक 06/08/11 को रू0 15000.00, दिनांक 06/09/11 को रू0 67000.00, दिनांक 05/01/12 को रू0 60000.00 एवं दिनांक 21/02/12 को रू0 50000 ईंट खरीद का व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय प्रमाणक बिक्री कर विभाग से पंजीकृत नहीं है। बिना पंजीकृत एवं टिन संख्यों के प्रमाणक के भुगतान किया जाना गम्भीर अनियमितता का प्रतीक है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है।

32. ग्राम पंचायत–मिरगावां चौधरियापुर विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (9) धनराशि–20000.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 05/05/11 को रू0 20000.00 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक पर हैण्डपम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामान का विवरण एवं मरम्मत कार्य स्थल का नाम अंकित नहीं हैं। जिससे किये गये कार्य / व्यय की पुष्टि नहीं होती है। विभागीय अधिकारी पूर्ण जांच कर इस प्रति आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

33. ग्राम पंचायत–खम्हौरा विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (28)धनराशि –12750.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 18/04/11 को रू0 2000.00, दिनांक 18/06/11 को रू0 2750.00 तथा 27/7/11 को रू0 8000 हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है। परन्तु व्यय प्रमाणक पर मरम्मत में प्रयुक्त सामान एवं कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है जिससें कराये गये कार्य/व्यय की पुष्टि नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

34. ग्राम पंचायत–शहाबुद्दीनपुर विकास खण्ड–हरपालपुर मूल आपत्ति सं0 (6) धनराशि–154436.00 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 23/05/11 को रू0 50236, दिनांक 25/10/11 को रू0 22800.00, दिनांक 07/03/12 को 49400 एवं दिनांक 13/03/12 को रू0 32000 ईंट खरीद का व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय प्रमाणक बिक्री कर विभाग से पंजीकृत नहीं है। बिना पंजीकृत एवं टिन संख्या के प्रमाणक के भुगतान किया जाना गम्भीर अनियमितता का प्रतीक है। अतः इस प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

35. ग्राम पंचायत–मलवा अखवेलपुर विकास खण्ड–साण्डी मूल आपत्ति सं0 (5)धनराशि –11424.00 ग्राम पंचायत में वर्ष 2011–12 में मनरेगा योजनान्तर्गत सन्तोष के यहां से चुनी पुरवा तालाब तक ड्रेन खुदाई दिनांक 05/05/11 से 25/05/11 तक कराया गया जिसमें स्वीकृति प्राक्कलन रू0 52000.00 के सापेक्ष रू0 47304.00 का व्यय किया गया। कार्य फाइल में संलग्न माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के विरूद्व कैश बुक में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है –

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में दर्शित	माप पुस्तिका में दर्शित
1	मिट्टी कार्य पर मस्टर रोल मजदूरी भुगतान	35880.00	35880.00
2	आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप 600 एम0एम 3 नग दर 3808.00	11424.00	—
	बिल नं0 5 दिनांक 09/07/11 योग	**47304.00**	**35880.00**

माप पुस्तिका में ह्यूम पाइप रू0 11424 रू0 का कोई उपयोग नहीं दर्शाया गया है। जबकि पत्रावली में संलग्न बिल न0 5 दिनांक 09/07/11 के अनुसार ह्यूम पाइप रू0 11424 क्रय किया गया है। इस प्रकार ह्यूम पाइप का रू0 11424 का उपयोग माप पुस्तिका में अंकित नहीं होने के कारण उपयोग प्रमाणित नहीं है विभागीय जांचोपरान्त जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी राममूर्ति वर्मा तथा ग्राम प्रधान ब्रजकिशोर से की जानी अपेक्षित है।

36. ग्राम पंचायत–करनपुर मतनी विकास खण्ड–साण्डी मूल आपत्ति सं0 (7)
धनराशि–12018.00 ग्राम पंचायत में वर्ष 2011–12 में मनरेगा योजनान्तर्गत पुलिया से फकरूल के बंगला तक मिट्टी कार्य दिनांक 08/10/11 से 14/10/11 की अवधि में कराया गया जिसमें प्राक्कलित राशि रू0 97380.00 के विरूद्व रू0 88098.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य पर संलग्न माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के विरूद्व कैश बुक में निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय दर्शित है–

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में दर्शित	माप पुस्तिका में दर्शित	अधिक दर्शित व्यय
1	मिट्टी कार्य पर मस्टर रोल में मजदूरी पर व्यय	76080	76080	—
2	ह्यूम पाइप 3 नग 600 एम0एम0 दर 3808.00	11424	—	11424
3	ह्यूम पाइप कालर 2 नग दर 297.00	594	—	594
	योग	88098	76080	12018

इस प्रकार क्रय ह्यूम पाइप मय कालर पर किया गया व्यय 12018 रू0 का उपयोग माप पुस्तिका में अंकित नहीं है न ही, 31/03/12 को अवशेष स्टाक दर्शित है। इस प्रकार क्रय स्टाक का अपहरण की सम्भावना है। विभागीय जांचोपरान्त रू0 12018 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पाल सक्सेना तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी से की जानी अपेक्षित है।

37. ग्राम पंचायत–गुर्रा विकास खण्ड–साण्डी मूल आपत्ति सं0 (5)
धनराशि–9420.00 ग्राम पंचायत गुर्रा वर्ष 2011–12 में मनरेगा योजनान्तर्गत फूलचन्द्र के प्लाट से अटवापुरवा तक मिट्टी कार्य दिनांक 16/03/2012 से 22/03/12 तक की अवधि में कराया गया। कार्य फाइल में संलग्न स्वीकृति प्राक्कलन के विरूद्व निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है –

क्रमांक	विवरण	स्वीकृत प्राक्कलन	दर्शित व्यय	अधिक दर्शित
1	मजदूरी व्यय	30900	40320	9420
2	बोर्ड एवं फोटो ग्राफी पर व्यय	1500	—	—
	योग	32400	40320	9420

उपरोक्त कार्य फाइल में माप पुस्तिका तथा रिवाइज प्राक्कलन संलग्न नहीं पाया गया जिससे दर्शित व्यय रू0 40320.00 तथा प्राक्कलन से अधिक मजदूरी पर दर्शित व्यय रू0 9420.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी है। माप पुस्तिका तथा रिवाइज स्टेमेन्ट प्रस्तुत कर दर्शित व्यय रू0 9420.00 के भुगतान की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा विभागीय जांचोपरान्त प्राक्कलन राशि से अधिक दर्शित मजदूरी पर व्यय 9420.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार श्रीवास्तव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शशि यादव से की जानी अपेक्षित है।

38. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड–भरखनी मूल आपत्ति सं0 (11)
धनराशि–2000.00 दिनांक 10/10/11 को रू 2000.00 ग्राम पंचायत के रिकार्ड खरीद का व्यय दर्शित। व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि न होने की दशा में भुगतान कर्ता से धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

39. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (12)
धनराशि–2393.00 दिनांक 01/04/08 को रू0 2393.00 जा0रो0यो0 बैंक खाता नं0 2487 में जमा था जिसे दिनांक 27/02/11 को बैंक से आहरित करके रू0 2300.00 सफाई व्यय तथा रू0 93.00 झाड़ू खरीद का व्यय दर्शा दिया गया है। जबकि विभागीय निर्देशानुसार जा0रे0यो0 में जमा धनराशि वर्ष 06–07 में राज्य सरकार को वापस की जानी थी। उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। नियमों के विपरीत काल्पनिक व्यय दर्शा कर रू0 2393.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली भुगतान कर्ता से की जानी अपेक्षित है। अधिकारी ध्यान दे।

40. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (13)
धनराशि–2050.00 वर्ष 2008–09 में ग्राम निधि प्रथम से रू0 2050.00 आहरित करके रू0 40.00 मिड डे मील पर तथा रू0 2010.00 छात्रवृत्ति वितरण पर व्यय दर्शाया गया है जो विभागीय आदेशों के विपरीत है। उक्त व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जॉचोपरान्त धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

41. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (15)
धनराशि–132740.00 दिनांक 05/07/2008 को रू0 132740.00 सीमेन्ट, सरिया आदि खरीद का व्यय दर्शित है किन्तु प्रमाणक बाजारी कैश मेमो है जिस पर अपठनीय सील लगी है तथा सामान खरीद की मात्रा एवं दर अलग–अलग अंकित नहीं है। भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

42. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (16)
धनराशि–24000.00 दिनांक 12/05/2010 को रू0 24000.00 सी0ए0 का भुगतान व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि न की जा सकी तथा सी0ए0 द्वारा तैयार अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

43. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (17)

धनराशि–20000.00 दिनांक 11/02/11 को रू0 20,000.00 पंचायत घर पुताई का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में भुगतान कर्ता से धन की वसूली की जानी अपेक्षित है।

44. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (18)

धनराशि–155000.00 दिनांक 09/01/2012 को रू0 155000.00 लाइट लगवाई का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक पर बिक्री कर विभाग का पंजीकृत नम्बर नहीं है। लाइट लगवाई के कार्य स्थल का नाम अंकित नहीं है और न ही लाइट लगने का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

45. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (19)

धनराशि–150000.00 दिनांक 04/10/11 को रू0 50000.00 एवं दिनांक 08/10/11 को रू0 1,00,000 मिट्टी कार्य। खड़ंजा मरम्मत का व्यय दर्शित है। मस्टर रोल पर कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त तिथि एवं कार्य स्थल का नाम अंकित नहीं है। मस्टर रोल समस्त श्रमिकों के निशानी अंगूठा अंकित है जो काल्पनिक प्रतीत होते है। भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

46. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (20)

धनराशि–596000.00 दिनांक 05/05/08 को रू0 99300.00, दिनांक 12/11/09 को रू0 112350.00 दिनांक 01/01/10 को रू0 42600.00 दिनांक 20/03/10 को रू0 121300.00 दिनांक 21/05/10 को रू0 36500 दिनांक 06/09/10 को रू0 83950.00 दिनांक 28/03/12 को रू0 100000.00 नकद। चेक द्वारा ईंट खरीद, का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय से पूर्व न तो कोटेशन प्राप्त किये गये है, और न ही सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गयी है। व्यय अनियमित एवं मनमाने ढंग से किया गया है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

47. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (21)

धनराशि–42120.00 दिनांक 10/03/09 को रू0 4560.00, दिनांक 24/06/09 को रू0 3050.00 दिनांक 04/05/10 को रू0 6060.00 दिनांक 17/02/11 को रू0 10000.00 दिनांक 11/08/11 को रू0 15000.00 दिनांक 04/02/12 को रू0 3450.00 हैण्ड पम्प मरम्मत का व्यय दर्शित है किन्तु व्यय प्रमाणक पर हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्य स्थल का नाम एवं प्रयुक्त सामान का विवरण अंकित नहीं है। भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

48. ग्राम पंचायत–भोरापुर विकास खण्ड– भरखनी मूल आपत्ति सं0 (22)

धनराशि–113385.00 दिनांक 29/07/08 को रू0 23625.00 दिनांक 25/11/09 को रू0 22060.00 दिनांक 29/03/10 को रू0 29900.00 दिनांक 16/09/10 को रू0 12800.00 दिनांक 30/08/11 को रू0 25000.00 श्रमिकों को मस्टर रोल के द्वारा भुगतान किया जाना दर्शित है किन्तु मस्टर रोल पर कार्य प्रारम्भ, समाप्त तिथि, कार्य स्थल का पूर्ण विवरण अंकित नही है, और न ही श्रमिकों की उपस्थित पंजिका बनायी गयी है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

49. ग्राम पंचायत–किरला विकास खण्ड– भरावन मूल आपत्ति सं0 (5)

धनराशि–4114.00 ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पुत्तीलाल के घर से लल्लू के घर तक खड़ंजा कार्य कराया गया। जिसमें निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के सापेक्ष कैश बुक में दर्शित व्यय अधिक दर्शित है–

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में कार्य पर दर्शित व्यय	माप पुस्तिका अनुसार कार्य पर व्यय	कैश बुक में अधिक दर्शित
1	ईंट क्रय पर व्यय	41800.00	39140.00	2660.00
2	ई/डब्ल्यू कार्टेज 12 ट्राली	3000.00	1546.00	1454.0
	योग	44800.00	40686.00	4114.00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर माप पुस्तिका से रू0 4114.00 अधिक व्यय किया गया है। इस प्रकार विभागीय जांचोपरान्त अधिक दर्शित व्यय रू0 4114.00 की वसूली ग्राम प्रधान किरला श्रीमती मोहनिया व ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

50. ग्राम पंचायत–बहुती विकास खण्ड– भरावन मूल आपत्ति सं0 (5)

धनराशि–4345.00 ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ढिकुनी बहुती सम्पर्क मार्ग से धनीराम के घर तक मिटटी कार्य दिनांक 02/09/11 से 03/09/11 तक कराया गया। उक्त कार्य पर संलग्न माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के विरूद्व कैश बुक में निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय दर्शित है –

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में दर्शित	माप पुस्तिका दर्शित	अधिक दर्शित व्यय
1	मिटटी कार्य पर मस्टर रोल	8520.00	8280.00	240.00
2	ह्यूंम पाइप 3 नग 3808	11424.00	7616.00	3808.00
3	ह्यूम पाइप कालर 2 नग 297	594.00	297.00	297.00
	योग	20538.00	16193.00	4345.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि योजना पर रू0 4345.00 अधिक व्यय कर दिया गया है। जिससे उक्त धन की क्षति हुई है। जिसकी विभागीय जांचोपरान्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी शिव प्रकाश मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती लता द्विवेदी से की जानी अपेक्षित है।

51. ग्राम पंचायत–बम्हनौआ टिकरा विकास खण्ड– भरावन मूल आपत्ति सं0 (6)
धनराशि–2591.00 ग्राम पंचायत में वर्ष 2010–11 में मनरेगा योजनान्तर्गत कल्लू पासी के घर से बराही सरहद तक मिटटी कार्य 21/06/10 से 11/08/10 की अवधि में कराया गया जिसमें कार्य की स्वीकृति प्राक्कलित धनराशि रू0 174100.00 के विरूद्व 141100.00 का भुगतान मजदूरी में किया गया। उक्त कार्य पर संलग्न माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के विरूद्व कैश बुक में निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय दर्शित है–

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में दर्शित	माप पुस्तिका दर्शित	अधिक दर्शित व्यय
1	मास्टर रोल मिटटी कार्य पर मजदूरी व्यय	141100.00	138509.00	2591.00
	योग	141100.00	138509.00	2591.00

इस प्रकार माप पुस्तिका में अंकित मजदूरी पर व्यय के विरूद्व कैश बुक में अधिक मजदूरी का भुगतान दर्शा कर धन का दुरूपयोग किया गया है जिससे शासकीय धन की क्षति हुई है। जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अयोध्या प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी से विभागीय जांचोपरान्त की जानी अपेक्षित है।

52. ग्राम पंचायत–रूदौली नेवादा विकास खण्ड– भरावन मूल आपत्ति सं0 (5)
धनराशि–1732.00 ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में माल भरावन रोड से रमेश के खेत तक मिटटी कार्य दिनांक 23/10/11 से 01/11/11 तक कराया गया है। उक्त कार्य पर संलग्न माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के विरूद्व कैश बुक में निम्न विवरणानुसार अधिक व्यय दर्शित है–

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में दर्शित	माप पुस्तिका दर्शित	अधिक दर्शित व्यय
1	मिटटी कार्य मास्टर रोल पर मजदूरी व्यय	39120.00	37388.00	1732.00

इस प्रकार योजना पर अधिक व्यय रू0 1732.00 किया गया जिससे धन की क्षति हुई जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीराम कृष्ण कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री परवन से की जानी अपेक्षित है।

53. ग्राम पंचायत–सैंयापुर विकास खण्ड– भरावन मूल आपत्ति सं0 (5)
धनराशि–7913.00 ग्राम पंचायत में वर्ष 2011–12 में मनरेगा योजनान्तर्गत बुद्वा की बाग से भोगीपुर तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य दिनांक 29/10/11 से 04/11/11 तक कराया गया जिसमें संलग्न माप पुस्तिका में दर्शित व्यय के विरूद्ध कैश बुक में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है –

क्रमांक	कार्य विवरण	कैश बुक में दर्शित	माप पुस्तिका दर्शित
1	मिटटी कार्य पर मास्टर रोल भुगतान	69960.0	69960.0
2	ह्यूम पाइप मय कालर	7913.00	–
	योग	77873.00	69960.00

माप पुस्तिका में ह्यूम पाइप मय कालर रू0 7913.00 का कोई उपयोग नहीं दर्शाया गया है। जबकि पत्रावली के साथ संलग्न बिल न0 1005 दिनांक 21/11/2011 के अनुसार ह्यूम पाइप रू0 7913 क्रय किया गया है। इस प्रकार ह्यूम पाइप मय कालर रू0 7913.00 का उपयोग माप पुस्तिका में अंकित नहीं होने के कारण उपभोग प्रमाणित नहीं है। विभागीय जांचोपरान्त जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सन्तराम से की जानी अपेक्षित है।

54. ग्राम पंचायत–भगतूपुर संतुपुर विकास खण्ड– मल्लावां मूल आपत्ति सं0 (01) धनराशि–63106.00 ग्राम पंचायत भगतूपुर संतुपुर का वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य राधौरामपुर से भगतूपुर माड़ें पुलिया तक खंड़जा निर्माण जिसका वर्ष 2011–12 से कुल व्यय रू0 63106.00 रहा। कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, जिस कारण सम्बन्धित क्रय की पुष्टि लेखा परीक्षा मे नहीं की जाती है। यह आपत्ति का विषय है। अतः लेखा परीक्षा में उक्त कार्य सम्बन्धी पत्रावली सुलभ कराकर रू0 63106.00 की पुष्टि कराना अपेक्षित है।

55. ग्राम पंचायत–ईश्वरपुर साई विकास खण्ड– मल्लावां मूल आपत्ति सं0 (05) धनराशि–40000.00 ग्राम पंचायत ईश्वरपुर साई की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक वर्ष 2011–12 के अनुसार ग्राम रोजगार सेवक की माह मार्च 2011 से फरवरी 2012 तक रू0 30000.00 का भुगतान किया गया है। फिर दिनांक 13/04/11 की कैश बुक अनुसार श्री रामलेन्द्र कुमार को रू0 10000.00 (चार माह का मानदेय) किस अवधि का भुगतान किया गया है स्पष्ट करे। ग्राम रोजगार सेवक मानदेय रजिस्टर एवं गतवर्ष की कैश बुक से इसकी पुष्टि कराना अपेक्षित है। यह भुगतान अतिरिक्त रूप से किया गया प्रतीत होता है। जिस प्रति स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आपेक्षित है।

56. ग्राम पंचायत–ईश्वरपुर साई विकास खण्ड– मल्लावां मूल आपत्ति सं0 (06) धनराशि–71092.00 ग्राम पंचायत की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा निम्न पुष्टि प्रमाणक (मस्टररोल/रसीद) अप्राप्त रहें जिससे सम्बन्धित धन निकासी/व्ययों की स्थिति अस्पष्ट रही है जिन्हे सुलभ कराकर स्थिति स्पष्ट करना अपेक्षित है–

08/04/11 – चेक 15483– रू0 12252.00 इंडिया ट्रेडर्स को सीमेंट, बालू भुगतान रसीद अप्राप्त रही है।

09/04/11 – चेक 15492– रू0 2880.00 मस्टर रोल (10 X 280 राजमिस्त्री को भुगतान)

09/04/11 – वाई/एस चेक 15493 – 30720.00 मस्टररोल अप्राप्त (256 X 120)

13/04/11 – टी0आर (चेक 15494)– 960.00 (4 X 240) मस्टररोल अप्राप्त राज मिस्त्री

19/05/11 – Y/S (चेक 15491)	7440.00	(62 X 120)	लेवर मस्टर रोल अप्राप्त
01/07/11 – AS PER LIST	2280.00	(19 X 120)	लेवर मस्टर रोल अप्राप्त
20/12/11 – AS PER LIST	4560.00		मस्टर रोल अप्राप्त
30/03/12 – TO CASH PRAMOD	10000.00		(फावड़ा, तसला, गैटी, टुम)

डेडस्टाक रजिस्ट्री में प्रविष्ट नहीं

57. ग्राम पंचायत–अकबरपुर विकास खण्ड– मल्लावां मूल आपत्ति सं0 (10)
धनराशि– 25260.00

ग्राम पंचायत कैश बुक वर्ष 2011–12 के अनुसार, गत वर्ष 2010–11 में कराया गया कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत (कुण्डवा से सुरेश कश्यप के घर तक मिटटी, नाली खंड़जा कार्य) का कुल व्यय रू0 25260.00 जो आलोच्य वर्ष में व्यय हुआ है सम्बन्धी कार्य पत्रावली जांच में अप्राप्त रही है। अतः सम्बन्धित कार्य व्यय कुल रू0 25260.00 की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जाती है। यह आपत्ति का विषय है। अतः सम्बन्धित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा के पुष्टि हेतु सुलभ कराना आपेक्षित है।

58. ग्राम पंचायत–बगौछा विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (15)
धनराशि–126480.00 आलोच्य वर्ष 2009–10 की जांच में पाया गया कि खाता सं0 2910 ग्राम निधि तृतीय से आहरित धनराशि को कोषवही में अंकित न करके ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा दुराभि संधि करके धन का अपहरण कर लिया गया विवरण निम्न है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
17452	18/11/2009	40800=00	श्री जागेश्वर
17453	27/11/2009	61680=00	श्री लोकनाथ वर्मा
17454	15/12/2009	24000=00	
योग		126480=00	

इस प्रकार आहरित धनराशि को कोषवही में अंकन न करके गवन किया गया है। जिसकी वसूली सम्बन्धित से जांचोपरान्त रू0 126480.00 की 18 प्रतिशत दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

59. ग्राम पंचायत–बगौछा विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (16)
धनराशि–42900.00 आलोच्य वर्ष 10–11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता तृतीय सं0 2910 से आहरण करके कोषवही में अंकन नहीं किया गया। कोषवही में अंकन न करना गबन के उद्देश्य को इंगित करता है । विवरण निम्न है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
17456	25/05/10	42900.00	श्री जागेश्वर श्री लोकनाथ वर्मा

उपरोक्त चेक धनराशि रू0 42900.00 का भुगतान श्री लोकनाथ वर्मा ने बैंक से प्राप्त किया है। इस प्रकार उक्त की वसूली भी श्री लोक नाथ वर्मा एवं सम्बन्धित सचिव से जांचोपरान्त 18 प्रतिशत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

60. ग्राम पंचायत–बगौछा विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (17)

धनराशि–198000.00 आलोच्य वर्ष 2009–10 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 2908 से आहरित धनराशि के सापेक्ष्य व्यय पक्ष में मस्टर रोल अंकित किया गया । प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणकों का न होना सुनिश्चित रूप से किया गया गवन है। विवरण निम्नवत् है –

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
8286	08/07/2009	5000.00	श्री जागेश्वर श्री लोकनाथ वर्मा
8287	26/08/2009	20000.00	
8288	03/09/2009	45000.00	
8290	01/10/2009	40000.00	
8289	05/10/2009	8000.00	
5576	17/11/2009	20000.00	
5577	14/01/2010	5000.00	
5578	23/02/2010	15000.00	
5580	10/03/2010	20000.00	
5583	23/03/2010	15000.00	
55484	31/03/2010	10000.00	
योग		198000.00	

उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 198000.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिशत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

61. ग्राम पंचायत–बगौछा विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (18)

धनराशि–155000.00 आलोच्य वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 2908 से धनराशि आहरित करके दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रमाणक प्रस्तुत न करना धन का गबन करना प्रमाणित करता है। विवरण निम्न है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	
5586	07/06/10	10000.00	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम श्री जागेश्वर श्री लोकनाथ वर्मा
5588	23/06/10	5000.00	
5589	22/07/10	40000.00	
5590	26/07/10	50000.00	
5591	31/07/10	50000.00	
योग		155000.00	

उपरोक्त चेक का भुगतान श्री लोकनाथ वर्मा द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया है। इनके द्वारा कैश बुक माह अगस्त पर न चार्ज ही दिया गया नहीं प्रमाणक प्रस्तुत किए गए है। इस प्रकार उक्त धन रू0 155000.00 के गवन की पुष्टि हो जाती है। जांचोपरान्त रू0 155000.00 की वसूली 18 प्रतिशत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी अपेक्षित है।

62. ग्राम पंचायत–बगौछा विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (19)

धनराशि–297500.00 आलोच्य वर्ष 2009–10 से 2010–11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैश बुक वर्ष में ग्राम निधि खाता सं0 पंचम से आहरित धनराशि का अंकन न करके धनराशि का गवन किया गया। धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/ उपयोग प्रमाण पत्र को व्यय कर कोषवही में अंकित न करके सुनियोजित ढंग से गवन किया गया है। विवरण निम्न है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	
3627	08/05/2009	54500.00	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम श्री जागेश्वर श्री लोकनाथ वर्मा
3628	16/07/2009	80000.00	
3629	01/10/2009	31000.00	
3630	11/01/2010	64000.00	
3631	–	18000.00	
3633	–	25000.00	
3634	–	25000.00	
योग		297500.00	

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2009–10 के रू0 229500.00 एवं 2010–11 में रू0 68000.00 का अंकन कैश बुक में नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त रू0 2975000.00 का व्यय बिना प्रमाणकों के संदिग्ध पाया गया है। जांचोपरान्त 18 प्रतिशत दण्डक ब्याज के साथ रू0 297500.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

63. ग्राम पंचायत–जरेली विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (15)

धनराशि–167000.00 आलोच्य वर्ष 2008–09 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता संख्या 7070 प्रथम से धन आहरित करके कैश बुक में अंकन न करके ग्राम प्रधान एवं सचिव के मध्य दुरभि संन्धि करके धन का अपहरण किया गया । विवरण निम्नवत् है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम तत्कालीन श्री ज्ञानेन्द्र श्री जागेश्वर एवं ग्राम प्रधान
457827	13/08/08	45000	
457829	25/08/08	42000	
457830	20/09/08	15000	
457831	20/09/08	10000	
457832	16/10/08	25000	
457833	25/10/08	10000	
457843	14/02/09	20000	
योग		167000	

इस प्रकार रू0 167000.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिशत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

64. ग्राम पंचायत–जरेली विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (16)

धनराशि–50000.00 आलोच्य वर्ष 2009–10 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 7071 से धन आहरित करके कैश बुक में अंकन नहीं किया गया। आहरित धन राशि के प्रमाणक भी नहीं पाये गए। इस प्रकार ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा दुरभि सन्धि करके धन का अपहरण किया गया। विवरण निम्नवत् है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव
457839	04/04/09	17000	
457840	16/04/09	8000	
457844	05/05/09	25000	
योग		50000	

इस प्रकार रू0 50000.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिशत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

65. ग्राम पंचायत–जरेली विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (17)

धनराशि–887410.00 आलोच्य वर्ष 2008–09 की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि तृतीय खाता सं0 7072 आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रमाणकों का न होना धन का अपहरण किया जाना इंगित करता है। विवरण निम्नवत् है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
792408	08/04/08	185040	
792409	14/05/08	57750	
792410	14/05/08	100000	
496401	01/09/08	345180	श्री जागेश्वर (सचिव)
496402	01/10/08	48900	श्री लोकनाथ वर्मा
496403	18/10/08	28200	(प्रधान)
496404	22/10/08	24600	
496405	27/10/08	31500	
496406	22/01/09	66240	
योग		887410	

इस प्रकार रू0 887410.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिशत दण्डक ब्याज के साथ सम्बन्धित से की जानी आपेक्षित है।

66. ग्राम पंचायत–जरेली विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (18)

धनराशि–267900.00 आलोच्य वर्ष 2009–10 की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि तृतीय खाता सं0 7072 से आहरित धन के सापेक्ष प्रमाणक, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणकों का न होना धन के अपहरण को इंगित करता है। विवरण निम्नवत् है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
496407	13/05/09	27600	
496409	17/11/09	84750	श्री जागेश्वर (सचिव)
496408	16/12/09	129600	श्री लोकनाथ वर्मा
496410	23/12/09	25950	(प्रधान)
योग		267900	

इस प्रकार रू0 267900.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिषत दण्डक ब्याज के साथ सम्बन्धित से की जानी आपेक्षित है।

67. ग्राम पंचायत–जरेली विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (25)

धनराशि–84750.00 आलोच्य वर्ष 2010–11 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता सं0 7072 तृतीय से अंकन रू0 84750.0 चेक सं0 496411 दिनांक 24/04/10 के द्वारा धनराशि आहरण किया गया है। कैश बुक में माह अप्रैल 2010 में अंकन करके व्यय पक्ष में छात्रवृत्ति वितरित अंकन किया गया है। जबकि छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यय प्रमाण अंकित

3415	13.03.10	5000	
3416	26.04.10	36000	
3417	01.05.10	10000	
3418	14.05.10	3000	
3419	22.07.10	30000	
3420	11.08.10	8000	
योग		220900	

उपरोक्त जारी चेक कुल धनराशि 220900.00 के व्यय प्रमाणक का न होना सुनियोजित ढंग से किया गया गबन है। अतः उक्त की वसूली जांचोपरान्त रू0 220900.00 की 18 प्रतिशत् दण्डक ब्याज के साथ वसूली की जानी अपेक्षित है।

72. ग्राम पंचायत–कल्यानी विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (16)

धनराशि–46500.00 लेखा परीक्षा में वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि तृतीय खाता नम्बर 2891 से धनराशि आहरित करके कोषवही में व्यय पक्ष में छात्रवृत्ति वितरित अंकित करके कोषवही को प्रथम रूप अलग तैयार किया गया जबकि ग्राम निधि प्रथम के साथ संयुक्त रूप से एक ही कोषवही में अंकन किया जाना चाहिए। प्रमाणकों के स्थान पर रजिस्टर में अंकित करके धनराशि खारिज की गयी है। धनराशि के व्यय प्रमाणक उपयोग प्रमाण पृयक प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है। इस ग्राम प्रधान एवं सचिव के मध्य दुराभि सन्धि परिलक्षित होती है। विवरण निम्न है –

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
5701	05/12/09	46500	श्री जागेश्वर (सचिव) एवं श्रीमती रामकली ग्राम प्रधान
योग		46500	

अतः धनराशि 46500.00 की वसूली 18 प्रतिषत् दण्डक ब्याज के साथ जांचोपरान्त की जानी अपेक्षित है।

73. ग्राम पंचायत–कल्यानी विकास खण्ड–हरियावां मूल आपत्ति सं0 (17)

धनराशि–109000.00 आलोच्य वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की जांच में पाया गया कि ग्राम निधि खाता पंचम संख्या 6955 से आहरित धनराशि का वर्ष कोषवही में अंकन नहीं किया गया। इस प्रकार इस योजना के धन का दुरूपयोग किया और योजना के धन का अपहरण किया गया। विवरण निम्नवत् है–

चेक सं0	दिनांक	धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
17186	28/05/09	5000	श्री जागेश्वर श्रीमती रामकली
17187	05/06/09	6500	
17189	17/07/09	14000	

17191	01/10/09	17000	
17190	01/10/09	10000	
17192	12/01/10	38000	
17193	01/05/10	11000	
17194	22/08/10	7500	
योग		109000	

उपरोक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती रामकली ग्राम प्रधान द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया। प्राप्त धन के सापेक्ष व्यय बाउचर प्रमाणक खाद्य सामग्री जैसे दूध, दाल, मसाले, डे बुक में मीनू के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार योजना के धन का दुरूपयोग प्रमाणित है। अतः उक्त धनराशि रू0 109000.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिषत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

जनपद का नाम– लखीमपुर

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉः–

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्तर संख्या	आपित्त का विवरण
1	2	3	4	5
	बांकेगंज	सिसनौर	1	ग्राम पंचायत सिसनौर में अगस्त 11 तक श्री लालाराम ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत थे। उनके द्वारा नियमानुसार खातो प्रथम निधि से धन निकाला गया व व्यय किया गया हैः– अ– ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 199406 एल0के0जी0बी0 संसारपुर से दिनांक चेक नं0 आहरित राशि विवरण 2.4.11 948599 99984 कोषांकन नही है 4.4.11 556252 33381 कोषांकन नही है 7.4.11 948593 500 डी0पी0आर0ओ0 को कोषांकन नही है 5.5.11 948597 5000 डी0पी0आर0ओ0 को कोषांकन नही है उक्त खाते में 1–4–11 को प्रारम्भिक शेष रू0 135469.00 थे। स्वयं स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। गत रोकड बही व बैंक समाधान विवरण पत्र प्रस्तुत न था। ब– खाता सं0 59001261238 से ग्राम निधि प्रथम 3–5–11 बाउचर नं0–2– ईट क्रय 49000 चेक नं0 000676 उक्त खरीदे गये ईट से कोई कार्य नही करवाया गया और न ही ईट का स्टाक चार्ज में दिया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का अपहरण किया गया है। गत रोकड़ बही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थी। अपहरित धन रू0 182365.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित प्रधान श्री कैलाशचन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री लालाराम से ता तारीख दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनकि कार्यवाही अपेक्षित रही ।
	निघासन	गंगाबेहड़	2	ग्राम पंचायत गंगाबेहड़ में 1–4–11 से 31–8–11 तक ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक शुक्ला कार्यरत थे। उनके द्वारा ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरण के अनुसार धन विभिन्न कार्यो पर व्यय करान दर्शाया गया है।

				आहरण विवरण वर्षवार व खातावार निम्नानुसार है:– खाता सं0 9069 2010–11 2158200.00(बैक चार्जेज–22) 2011–12 175200.00(बैंक चार्जेज 178) खाता सं0 59001266452 2010–11 शून्य (बैक चार्जेज–22) 201–12 1591894.00(बैंक चार्जेज 218)हटाकर कुल योग– 3925294.00 आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक व अभिलेख न होना धन के अपहरण कर लिये जाने की स्वयं पुष्टि करता है। उक्त मे प्रधान श्री जोगेन्द्र प्रसाद ने रू0 309800.00 व रो0से0 श्री मनोज कुमार ने रू0 407000.00 प्राप्त किया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रिया साफटवेयर मे करायी गयी फीडिंग अभिलेखीय आधार पर न होकर काल्पनिक व्यय दर्शाया करायी गयी है। अतः जॉचोपरान्त रू0 3925294.00 की वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री जोगेन्द्र प्रसाद से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री मनोज कुमार रो0से0 ने धन कहॉ व्यय किया की भी जॉच अपेक्षित रही।
	ईसानगर	मड़वा	5	1. ग्राम पंचायत मड़वा मे स्वच्छता कार्य कराकर 26.4.11 से 2.5.11 तक 12 लेवर 83 एमडी0 का 9960.00 भुगतान किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी के कार्यरत होने के कारण कराया गया कार्य संदिग्ध रहा रू0 9960.00 की वसूली प्रधान श्री मालती प्रसाद एवं सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित रहा 2. बाउचर नं. 3 दिनांक 19.5.11 द्वारा एक कैमरा 4900.00 मे क्रय किया गया मेसर्स इलेक्ट्रानिक वर्ड लखीमपुर के चालान दिनांक 6.5.11 लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किया गया है कैशबुक का रसीद न होने के कारण भुगतान एवं क्रय संदिग्ध रहा जिसकी वसूली प्रधान श्री मालती प्रसाद एवं सेवा निवृत्त विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित रहा।
	ईसानगर	परसिया	6	1. ग्राम पंचायत हेतु कैमरा क्रय की प्रविष्ट कैशबुक में दिनांक 17.6.11 को बाउचर न0 2 रू0 5950.00 को अंकित है। कैमरा क्रय की पुष्टि में रसीद गार्ड फाइल में उपलब्ध न रहा क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है जिससे वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। 2. बाउचर न0 6 दिनांक 24.9.11 द्वारा बालू क्रय पर 5000.00 कैशबुक में कोषांकित है। रसीद सादे कागज पर है जिस पर बिक्रेता के नाम पते तथा हस्ताक्षर न होने के कारण बालू क्रय संदिग्ध प्रतीत होती है। जिसकी वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल सेवा निवृत्त से की जानी अपेक्षित है। 3. बाउचर नं0 13 दिनांक 9.11.11 द्वारा सिंह स्टेरिंग ट्रेडर्स को रू0 13500.00 भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं सेवा निवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित रहा। 4. बाउचर नं0 15 दिनांक 3.12.11 द्वारा सिंह स्टेरिंग ट्रेडर्स को रू0 18626.00 भुगतान किया गया है। प्रमाणक गार्ड फाइल में उपलब्ध न होने के कारण भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी वसूली श्री सुन्दर सिंह प्रधान एवं सेवा निवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित है। 5. बाउचर नं0 16 दिनांक 16.1.12 द्वारा गणतन्त्र दिवस पर सफाई कराये जाने के नियमित 11.1.12 से 16.1.12 तक 10 लेवर 70 एम0डी0 काम

17191	01/10/09	17000	
17190	01/10/09	10000	
17192	12/01/10	38000	
17193	01/05/10	11000	
17194	22/08/10	7500	
योग		109000	

उपरोक्त धनराशि का भुगतान श्रीमती रामकली ग्राम प्रधान द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया। प्राप्त धन के सापेक्ष व्यय बाउचर प्रमाणक खाद्य सामग्री जैसे दूध, दाल, मसाले, डे बुक में मीनू के अनुसार व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार योजना के धन का दुरूपयोग प्रमाणित है। अतः उक्त धनराशि रू0 109000.00 की वसूली जांचोपरान्त 18 प्रतिषत् दण्डक ब्याज के साथ की जानी आपेक्षित है।

जनपद का नाम– लखीमपुर

ग्रामपंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉः–

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्तर संख्या	आपित्त का विवरण
1	2	3	4	5
	बांकेगंज	सिसनौर	1	ग्राम पंचायत सिसनौर में अगस्त 11 तक श्री लालाराम ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत थे। उनके द्वारा नियमानुसार खातो प्रथम निधि से धन निकाला गया व व्यय किया गया है:– अ– ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 199406 एल0के0जी0बी0 संसारपुर से दिनांक चेक नं0 आहरित राशि विवरण 2.4.11 948599 99984 कोषांकन नही है 4.4.11 556252 33381 कोषांकन नही है 7.4.11 948593 500 डी0पी0आर0ओ0 को कोषांकन नही है 5.5.11 948597 5000 डी0पी0आर0ओ0 को कोषांकन नही है उक्त खाते में 1–4–11 को प्रारम्भिक शेष रू0 135469.00 थे। स्वयं स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। गत रोकड बही व बैंक समाधान विवरण पत्र प्रस्तुत न था। ब– खाता सं0 59001261238 से ग्राम निधि प्रथम 3–5–11 बाउचर नं0–2– ईट क्रय 49000 चेक नं0 000676 उक्त खरीदे गये ईट से कोई कार्य नही करवाया गया और न ही ईट का स्टाक चार्ज में दिया गया है। स्पष्ट है कि स्टाक का अपहरण किया गया है। गत रोकड़ बही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थी। अपहरित धन रू0 182365.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित प्रधान श्री कैलाशचन्द्र व ग्राम विकास अधिकारी श्री लालाराम से ता तारीख दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनकि कार्यवाही अपेक्षित रही ।
	निघासन	गंगाबेहड़	2	ग्राम पंचायत गंगाबेहड़ में 1–4–11 से 31–8–11 तक ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेक शुक्ला कार्यरत थे। उनके द्वारा ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरण के अनुसार धन विभिन्न कार्यो पर व्यय करान दर्शाया गया है।

				दिनांक कार्य का नाम व्यय धनराशि 8–4–11 ईटा क्रय 60000.00 नकद 26–4–11 ईटा क्रय 82000.00 नकद 27–4–11 शंकर के घर से किशोरी लाल के घर तक खण्ड़ंजा मरम्मत एम0आर0 44000.00 28–4–11 हैण्ड पम्प मरम्मत 4340.00 24–5–11 राधेश्याम मंदिर से मुन्ना के घर तक खण्ड़ंजा मरम्मत मस्टर रोल 20000.00 1–6–11 ईटा क्रय 41000.00 नकद 1–6–11 ईटा क्रय 82000.00 नकद 2–6–11जग्गा के घर से मुन्ना के घर तक खण्ड़ंजा निर्माण 40000.00 17–6–11 नरेशचंद के घर से पुलिया तक खण्ड़ंजा मरम्मत मस्टर रोल 20000.00 17–6–11 ईटा क्रय 41000.00 नकद 24–6–11 जवाहर की बाग से ब्रम्हापुरवा तक खण्ड़ंजा मरम्मत मस्टर रोल 20000.00 6–7–11 जग्गा के घर से मुन्ना के घर तक खण्ड़ंजा निर्माण मस्टर रोल 480.00 7–7–11 ईटा क्रय 82000.00 नकद 15–7–11 नरेशचन्द्र के घर से पुलिया तक खण्ड़ंजा मरम्मत मस्टर रोल 30000.00 6–8–11 संकरपुरवा में पी0डब्लू0डी0 रोड से हरद्वारी के घर तक खण्डजा मरम्मत मस्टर रोल 20000.00 उक्त मे आपत्ति जनक है कि:– 1– किसी कार्य के व्यय प्रमाणक नही है। 2– किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। 3– स्टाक रजिस्टर व अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना नही है। 4– कार्यवाही पंजिका नही है। 5– नियम विरूद्ध ईट नगद क्रय की गयी है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किया गया है। उक्त धन के अपहरण के लिए फर्जी व्यय करना दर्शाया गया है। अतः अपहरित धन रू0 615820.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री विवेक शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री जगदीश से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	निघासन	मदनापुर	3	निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 9062 से धन निकासी की गयी है तथा व्यय कोषांकित किया गया है। दिनांक चेक सं0 धनराशि 3–5–11 148701 नकद 50000.00 12–5–11 148703 ट्रान्सफर 67500.00 14–5–11 148705 नगद 50000.00 31–5–11 148707 नगद 3490. 00 11–6–11 148708 नगद आदिल 22500.00

				8–7–11 148709 ट्रान्सफर 28350.00 12–7–11 148710 नगद 25000.00 3–7–11 148713 रामपाल नगदं 14000.00 26–7–11 148712 ट्रान्सफर 12000.00 सी0ए0का भुगतान 5–8–11 148714 नगद 3000.00 मानदेय प्रधान व्यय विवरणः– 3.5.11 बचैला में खण्डजा मरम्मत व मिट्टी कार्य 50000.00 12.5.11 ईटा क्रय स्वदेशी भटठा मैलानी 67500.00 14.5.11 बचैला मे खण्डजा मरम्मत 50000.00 14.5.11 चौराहेउ से बचैला तक खण्डजा निर्माण मि0 कार्य 45000.00 14.5.11 ग्राम मदनापुर मे व लाल बोझी मे विभिन्न जगहो पर मिट्टी पटाई का भुगतान 29640.00 31.5.11 नल मरम्मत पर व्यय 3490.00 17.6.11 स्ट्रीट लाइट का भुगतान आदिल आफताब 22500.00 8.7.11 हूयम पाइप सिंह स्पन पाइप से 28350.00 12.7.11 खण्डजा मरम्मत कार्य रामपाल के घर से मिट्टी पटाई कार्य 25000.00 27.7.11 दो नाव क्रय रामपाल से 14000.00 उक्त मे आपत्ति है किः– 1. एक भी कार्य के व्यय प्रमाणक लेखा प0 मे प्रस्तुत न थे। 2. किसी कार्य के स्टीमेट व एम0बी0 नही है। 3. मिट्टी पटाई ग्राम निधि प्रथम से अनुमन्य नही है। 4. नियमतः मस्ट्रार रोल साप्ताहिक आधार पर बनाया जाता है तथा भुगतान भी तदानुसार किया जाता है एक मुस्त बही राशि का आहरण नियमानुसार नही है। 5. स्ट्रीट लाइट नगद खरीद नियमानुसार नही है तथा प्रयोग कहॉ किया गया स्पष्ट नही है। हूयम पाइप का कही प्रयोग नही किया गया है। 6. खण्डजां मरम्मत कार्य के मानक होते है, ाक मात्र रू0 67500.00 मूल्य की ईटो के खण्डंजा मरम्मत में उपभोग में इतनी बड़ी राशि रू0 100000.00 मजदूरी मे होना सम्भव नही है। 7. बगैर ईटो के रू0 74640.00 मजदूरी का प्रयोग(चौराहे से बचैला तक खण्डजां निर्माण व मिट्टी पटाई) सम्भव नही है। 8. नावो का उपभोग कौन और कहॉ कर रहा है। स्पष्ट नही है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः जॉचोपरान्त रू0 335480.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक शर्मा व प्रधान श्री इम्तियाज अली से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।
	निघासन	मूड़ाबुजुर्ग	4	1. ग्राम पंचायत मूड़ाबुजुर्ग में श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी फरवरी 2012 तक कार्यरत रहे है। इसके पश्चात श्री विवेक शुक्ल रहे जिन्होने ग्राम निधि प्रथम के किसी खाते से मार्च 2012 तक एक भी धन की निकासी नही की। श्री छन्नू लाल द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 9069 डी0सी0बी0 व खाता सं0 5900126645 इलाहाबाद बैंक से 2010–11 व 2011–12 में कुल 3925294.00 धन निकाला है। किन्तु उक्त खातो से आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक व अभिलेख नही है। उल्लेखनीय है यह भी है कि खाता सं0 9069 मे छात्रवृत्ति का भी धन आता रहा है किन्तु उसके उपभोग तक नही है। अभिलेख न होने के कारण ही वर्ष 2010–11 की साविधिक लेखा–परीक्षा कार्यरत रहते हुए भी नही करायी गयी थी।

				आहरण विवरण वर्षवार व खातावार निम्नानुसार है:– खाता सं0 9069 2010–11 2158200.00(बैक चार्जेज–22) 2011–12 175200.00(बैंक चार्जेज 178) खाता सं0 59001266452 2010–11 शून्य (बैक चार्जेज–22) 201–12 1591894.00(बैंक चार्जेज 218)हटाकर कुल योग– 3925294.00 आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक व अभिलेख न होना धन के अपहरण कर लिये जाने की स्वयं पुष्टि करता है। उक्त मे प्रधान श्री जोगेन्द्र प्रसाद ने रू0 309800.00 व रो0से0 श्री मनोज कुमार ने रू0 407000.00 प्राप्त किया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रिया साफटवेयर मे करायी गयी फीडिंग अभिलेखीय आधार पर न होकर काल्पनिक व्यय दर्शाया करायी गयी है। अतः जॉचोपरान्त रू0 3925294.00 की वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री जोगेन्द्र प्रसाद से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। श्री मनोज कुमार रो0से0 ने धन कहॉ व्यय किया की भी जॉच अपेक्षित रही।
	ईसानगर	मड़वा	5	1. ग्राम पंचायत मड़वा मे स्वच्छता कार्य कराकर 26.4.11 से 2.5.11 तक 12 लेवर 83 एमडी0 का 9960.00 भुगतान किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी के कार्यरत होने के कारण कराया गया कार्य संदिग्ध रहा रू0 9960.00 की वसूली प्रधान श्री मालती प्रसाद एवं सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित रहा 2. बाउचर नं. 3 दिनांक 19.5.11 द्वारा एक कैमरा 4900.00 मे क्रय किया गया मेसर्स इलेक्ट्रानिक वर्ड लखीमपुर के चालान दिनांक 6.5.11 लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किया गया है कैशबुक का रसीद न होने के कारण भुगतान एवं क्रय संदिग्ध रहा जिसकी वसूली प्रधान श्री मालती प्रसाद एवं सेवा निवृत्त विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित रहा।
	ईसानगर	परसिया	6	1. ग्राम पंचायत हेतु कैमरा क्रय की प्रविष्ट कैशबुक में दिनांक 17.6.11 को बाउचर न0 2 रू0 5950.00 को अंकित है। कैमरा क्रय की पुष्टि में रसीद गार्ड फाइल में उपलब्ध न रहा क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है जिससे वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं सेवा निवृत्त ग्राम विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से की जानी अपेक्षित है। 2. बाउचर न0 6 दिनांक 24.9.11 द्वारा बालू क्रय पर 5000.00 कैशबुक में कोषांकित है। रसीद सादे कागज पर है जिस पर बिक्रेता के नाम पते तथा हस्ताक्षर न होने के कारण बालू क्रय संदिग्ध प्रतीत होती है। जिसकी वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल सेवा निवृत्त से की जानी अपेक्षित है। 3. बाउचर नं0 13 दिनांक 9.11.11 द्वारा सिंह स्टेरिंग ट्रेडर्स को रू0 13500.00 भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं सेवा निवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित रहा। 4. बाउचर नं0 15 दिनांक 3.12.11 द्वारा सिंह स्टेरिंग ट्रेडर्स को रू0 18626.00 भुगतान किया गया है। प्रमाणक गार्ड फाइल में उपलब्ध न होने के कारण भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसकी वसूली श्री सुन्दर सिंह प्रधान एवं सेवा निवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से किया जाना अपेक्षित है। 5. बाउचर नं0 16 दिनांक 16.1.12 द्वारा गणतन्त्र दिवस पर सफाई कराये जाने के नियमित 11.1.12 से 16.1.12 तक 10 लेवर 70 एम0डी0 काम

				दर्शा कर रू0 8400.00 भुगतान दिखाया गया जबकि सफाई कर्मी कार्यरत है। इस प्रकार भुगतान संदिग्ध रहा जिसकी वसूली प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं सेवा निवृत्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र शुक्ल से की जानी अपेक्षित रही।
	बॉकेगंज	अलीगंज	7	1. ग्राम पंचायत अलीगंज में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से व्यय किया जाना कोषांकित है:– बाउचर नं0 8 दिनांक 3.6.11 मेसर्स वर्मा कम्प्यूटर्स एण्ड इले0 हाउस से 10 स्ट्रीट लाइट क्रय 55000.00 नगद खरीद बाउचर नं0 12 दिनांक 30.6.11 मेसर्स खुशबू फोटो एण्ड मोबाइल सेन्टर से कैमरा क्रय नकद 7600.00 उक्त में आपत्तिजनक है कि:– 1. क्रय नियमो का उल्लघंन कर नगद क्रय किया गया। शिवपुर साण्डा ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट दर रू0 4000.00 लाइट थी। इस प्रकार रू0 1500.00 प्रति कुल रू0 15000.00 ज्यादा व्यय दर्शाया गया। 2. बिना राज्य विद्युत विभाग की अनुमति के विद्युत तारो से अनाधिकृत रूप से संयोजन करवाना एवं बिजली का उपभोग कराना आपराधिक कृत्य एवं विद्युत चोरी का प्रकरण है। 3. स्ट्रीट लाइटो का संयोजन किससे करवाया गया अस्पष्ट राह स्टाक रजिस्टर नही है। 4. ग्राम पंचायतो में मौजूदा पुराना कैमरा कहा गया ज्ञात न हो सका। अन्य ग्राम सभाओं मे कैमरा दर रू0 6000.00 रही है। इस रू0 1600.00 का अधिक व्यय किया गया चार्जर एक साथ फ्री मिलता है। प्रतिस्थानी को चार्ज मे नही दिया गया। इस प्रकार रू0 62600.00 का अपहरण किया जाना स्वयं प्रमाणित है। अतः रू0 62600.00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा व प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 2. सस्ती दर पर उपलब्ध होने के बावजूद होने के बावजूद अधिक दर पर ईट क्रय कर रू0 3160.00 का अपव्यय किया गया है। अतः रू0 3160.00 की वसूली श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद से की जानी अपेक्षित रही । विवरण पत्र संलग्न है। 3. बाउचर नं0 22 दिनांक 9.11.11 से मेसर्स हसन ईट उद्योग से 27075 खण्डजा ईट रूपये 3800.00 की दर से रू0 102882.00 के क्रय किये गये है। जबकि इसी अवधि में अन्य ग्राम पंचायत जो श्री शर्मा के पास रही है मे रू0 3610.00 की दर खण्डंजा ईट क्रय किये गये है। इस प्रकार रू0 5144.00 का अधिक व्यय किया गया है। अतः उक्त धन रू0 5144.00 की वसूली श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद भी पदेन दायित्वो के निर्वहन न करने के दोषी है। विवरण पत्र संलग्न है:– विवरण –पत्र श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी शिवपुर साण्डा मे किया अजीगंज रोशन नगर, कुसमौरी, व तेदुआ मे कार्यरत रहे है। उनके द्वारा खरीदे गये खण्डंजा व अव्वल ईट की दरो की स्थिति निम्न प्रकार रही है:– ग्राम पंचायत–शिवपुर साण्डा– बाउचर नं0 13 दिनांक 3.10.11 हसन ईट उद्योग खण्डंजा दर 3365 मात्रा 10000 33650.00 जबकि इसी अवधि मे अन्य ग्राम पंचायतों मे खण्डंजा खरीद दर काफी अधिक दर्शित है। विवरण इस प्रकार हैं– भैठिया– बाउचर नं0 21 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 23000 दर 3610 83030.

				बाउचर नं0 22 दि0 25.10.11 26714.00 तेदुआ– बाउचर नं0 13 दि0 29.10.11 7600.00 अधिक भुगतान 7448.00 रोशननगर कुसमौरी बाउचर नं0 14 दि0 19.10.11 हसन ईट उद्योग 3200+3610= 11552.00 बाउचर नं0 15 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 3300+3610= 11913.00 बाउचर नं0 27 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 7000+3610= 25270.00 बाउचर नं0 28 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 7400+3610= 26714.00 बाउचर नं0 29 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 8000+3610= 28880.00 बाउचर नं0 30 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 1100+3610= 39710.00 अधिक भुगतान– 9775.00 अलीगंल– बाउचर नं0 30 दि0 19.10.11 हसन ईट उद्योग 12900+3610= 46569.00 अधिक भुगतान– 3160.00
	बॉकेगंज	असौवा	8	ग्राम निधि प्रथम से दाताराम के घर से पीछे से गंगाराम के घर तक 65 +2.5 मी खण्ड़ंजा निर्माण मे निम्नानुसार व्यय करना कोषांकित है– प्रमाण सं0 दिनांक व्यय शीर्ष राशि कार्यअवधि 4 10.6.11 मजदूरी भुगतान 19980 22.5.11से 28.5.11तक 5 10.6.11 5400 खण्ड़ंजा क्रय मेसर्स रतन लाल जगदीश प्रसाद ईट भट्ठे से 19440 ट्रांसफर द्वारा 6 1.7.11 47000 खण्ड़ंजा उपरोक्त से 48/01 169670 नकद 7 25.8.11 मजदूरी भुगतान 15060.00 25.6.11से31.6.11 उपरोक्त मे आपत्तिजन है कि:– 1. उक्त कार्य पर अधिकतम 9425 ईटा प्रयुक्त होगी जबकि ईटा क्रय 52400 की गयी है। (1मी0 मे 58 ईट की दर से) 2. प्रमाणको का क्रमांकन गलत किया गया हैं। क्रमांक 6 को दो बार अंकित किया है। 3. प्रमाणक सं0 6 दिनांक 25.8.11 मे कार्य अवधि 25.6.11 से 31.6.11 अंकित है, जबकि माह जून मात्र 30 दिनो का होता है। 4. मस्ट्रर रोल में अंकित सभी अंगूठे निशानी एक जैसे है एवं संदिग्ध है। 5. कार्य के स्टीमेट ए एम0बी0 नही है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रूपये 224150.00 का अपहरण किया गया है। अतः जॉचोपरान्त रू0 224150.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री राजेश कुमार से करते हुए विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रहीं यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य ग्राम सभा की लेखा परीक्षा 2007–08 से नही कराई गयी। मुख्य विकास अधिकारी खीरी के पत्रांक 222/एस0टी/2012–13 दिनांक 30.5.12 व जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पंत्राक 0601/पं0ले0ख0/ग्रा0प0/प्रगति/2010–11 दिनांक 5.6.12 व06712/पं0/लम्बित ले0प0/ग्रा0पं0/प्रगति/2010–11 दिनांक 5.6.12 व 06712/पं0/लम्बित ले0प0/श्री नंदराम/2012–13 दिनांक 19.6.12 (कारण बताओ नोटिस) के बाद भी श्री नंदराम पंचायत अधिकारी द्वारा समस्त अभिलेखो का चार्ज प्रतिस्थानी को नही दिया गया जिसके कारण वर्ष 2007–08 से 2010–11 की लेखा परीक्षा सम्भव न हो सकी नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित रही क्योकि शासकीय धन के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है इसी कारण

				उच्चाधिकारियों के आदेशो की अवहेलना की जा रही है। 3. प्रमाण सं0 7 दिनांक 24.10.11 से 9800 ईट खण्ड़ंजा मूल्य 3178 की क्रय की गयी है। बिल की तारीख 13.9.11 है। उक्त ईटो का प्रयोग कही नही किया गया और न ही स्टाक प्रतिस्थानी को चार्ज मे दिया गया है। इस प्रकार रूपये 31768.00 मूल्य की ईटो का अपहरण किया गया है अतः रू0 31768.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री राजेश कुमार से अपेक्षित रही। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कर्यावाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
	बॉकेगंज	रोशननगर	9	1. चेक सं0 000652 जो कि दिनांक 28.3.11 को मेसर्स माहेश्वरी इलेट्रिकल्स के नाम रू0 49000.00 की स्ट्रीट लाइट के मूल्य का जारी था, भुगतान दिनांक 3.5.11 को ग्राम निधि प्रथम से हुआ है। स्ट्रीट लाइट क्रय के पूर्व राज्य विद्युत विभाग से अनुमति नही ली गयी और न ही विद्युत विभाग उ0प्र0 के लाइन मैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारो से संयोजन करवाया गया है। इस प्रकार शासकीय बिजली लाइन से अवैधानिक रूप से संयोजन किये गया एवं विद्युत की चोरी का भी प्रकरण है। जो कि नियमानुसार आपराधिक श्रेणी मे आता है अवैधानिक कृत्य धन अपहरण का प्रकरण है। अतः विधिक कर्यावाही करते हुए रू0 49000.00 की दण्डनीय ब्याज के साथ वसूली प्रधान श्रीमती फूलमती उर्फ नूरजहॉ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालाराम से की जानी अपेक्षित रही । वर्ष आलोच्य में स्ट्रीट लाइट लगवायी का कोई भुगतान किसी को नही किया गया है। 2. नियामानुसार स्वयं के नाम काटे गये चेक को अनकैसड वर्षान्त मे नही दर्शाया जा सकता है। ग्राम निधि प्रथम के खाते से बाउचर नं0 20,21 व 22 दिनांक 28.3.11 से श्रमिको को भुगताना करना रू0 27077.00 दर्शित है। जिसके लिए चेक 000654 दिनांक 28.3.11 जारी किया गया है, जिसका भुगतान हो चुका कोषांकित किया जा चुका है, तो 4.4.11 को धनाहरण का औचित्य नही है। इसी पर बाउचर नं0 19 दिनांक 28.3.11 से मेसर्स अनंतराम वर्मा ईट उद्योग को रू0 40000.00 का भुगताना चेंक नं0 350415 से किया गया है, जिसका बैंक से भुगतान दिनांक 4.4.11 को हुआ है। कार्य का न तो स्टीमेट है और न ही एम0बी0/कार्यपूर्ति है। जिससे उक्त व्यय और भी संदिग्ध है। अतः जॉचोपरान्त रू0 67077.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज के साथ प्रधान श्रीमती फूलमती उर्फ नूरजहॉ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालाराम से अपेक्षित रही।
	निघासन	रकेहटी	10	आपित्त पत्रः– 1. दिनांक 1.4.2010 को ग्राम निधि खाता सं0 000300330009072 में रूपये 172898.00 शेष थे। इसी खाते मे छात्रवृत्ति व एम0डी0एम0 का भी धन आता है। जबकि नियमानुसार अलग–अलग खाते होने चाहिए। दिनांक 01.04.10 से 31.10.10 तक प्रधान श्रीमती नीलम देवी के कार्य काल मे उक्त खाते से कुल रू0 639400.00 का आहरण किया गया जिसमें सभी योजनाओ एम0डी0एम0, छात्रवृत्ति, राज्य वित्त/बारहवॉ वित्त का धन शामिल है। माह 3 जनवरी 2011 तक इस ग्राम पंचायत में श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत रहे है। उनके द्वारा नियमतः अपने कार्यकाल के अभिलेखो का चार्ज प्रतिस्थानी ग्राम विकास अधिकारी श्री शैलेश गुप्ता को नही दिया गया जबकि लगभग दो वर्ष व्यतीत होने को है एवं अब श्री छन्नू लाल सेवा निवृत्त भी हो चुके है। स्पष्ट है कि नियमो एवं निर्देशो का उल्लघंन आहरित

				धन के सापेक्ष संगत अभिलेख न होने के कारण किया गया है। खातो से आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख न होना आहरित धन के अपहरण कर लिये जाने की पुष्टि करता है। अतः रू0 639400.00 की वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी व तत्कालीन प्रधान श्रीमती नीलम देवी से करते हुए विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	मोहम्मदी	पालचक्र	11	1. ग्राम पंचायत पालचक्र में सितम्बर 2011 तक सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर श्री के0बी0 तिवारी कार्यरत रहे है। श्री तिवारी द्वारा स्थान्तरित के बाद अपने प्रतिस्थानी को नियमानुसार अभिलेखो का चार्ज नही दिया गया। लेखा परीक्षा तिथि तक भी अभिलेखो का चार्ज नही दिया गया। रोकड़ बही में अंकित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से श्री के0बी0 तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धन निकासी की गयी है, जिसके संगत व्यय प्रमाणक नही है– दिनांक व्यय विवरण धनराशि टिप्पणी 4.4.11 ट्राली से मिटटी पटाई 10000.00 नगद 9.4.11 ठेलिया 7500.00 नगद 25.4.11 सीमेन्ट/मौरंग 24850.00 नगद 25.4.11 सीमेन्ट/मौरंग 49400:00 ट्रान्सफर 27.4.11 रोड़ा 27175.00 नगद हनीफ 11.5.11 ईटा 30000.00 नगद 8.6.11 ईटा 50000.00 नगद 15.6.11 ईटा 12000.00 ट्रान्सफर 22.8.11 सीमेन्ट आदि 49000.00 नगद 29.8.11 श्रमांश 36390.00 का अज्ञात 21.9.11 विवरण नही 33372.00 ट्रान्सफ़र 27.9.11 विवरण नही 10000.00 नगद सुरेश 27.9.11 विवरण नही 14400.00 ट्रान्सफर योग– 354087.00 आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक न होना धनापहरण की पुष्टि करता है। ऊपर अंकित विवरण से स्पष्ट है कि अधिकांश सामग्री क्रय नियम विरूद्ध रूप से नगद की गयी है। किसी भी कार्य के स्टीमेट व एम0बी0/कार्य पूर्तियॉ नही है। अतः जॉचोपरान्त अपहरित राशि रू0 354087.00 की दण्डनीय ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामनरेश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के0 बी0 तिवारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। 2. दिनांक 7.4.11 को मेसर्स ओमजी ट्रेडर्स को स्ट्रीट लाइट के मूल्य का रू0 82500.00 भुगतान किया गया है। स्ट्रीट लाइट लगवायी का कोई साक्ष्य/व्यय लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न था। उक्त मे आपत्तिजनक है कि:– 1. उक्त के स्टीमेट व एम0बी0 नही है। 2. उ0प्र0 राज्य विद्युत विभाग से अनुमति नही ली गयी। 3. खरीदे गये स्ट्रीट लाइट को विद्युत विभाग के लाइन मैन/सक्षम प्राधिकारी से नही लगवाया गया। 4. राज्य विद्युत विभाग की अनुमति के बगैर विद्युत लाइनो से संयोजन एवं बिजली उपभोग अपराधिक श्रेणी का कृत्य है। अतः रू0 82500.00 की वसूली प्रधान श्री रामनरेश व ग्राम पंचायत

				अधिकारी श्री के0 बी0 तिवारी से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
	मोहम्मदी	सर्वागपुर	12	निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी री के0 बी0 तिवारी के कार्यकाल में ग्राम निधि प्रथम से धन व्यय किया गया है:– प्रमाणक सं0 दिनांक व्यय विवरण राशि 01 7.4.11 मैसर्स ओमजी ट्रेडर्स से लाइट क्रय 5500.00 नगद 02 12.5.11 मैसर्स ओमजी ट्रेडर्स से लाइट क्रय 5500.00 नगद 17 02.12.11 मैसर्स ओमजी ट्रेडर्स से लाइट क्रय 39993.00 08 27.7.11 दरवाजा, विन्डो आदि क्रय मेसर्स रिजवाना रिपेरिंग वर्क्स 14900.00 योग– 115393.00 उक्त मे आपत्तिजनक है कि:– 1. स्ट्रीट लाइटे अनियमित रूप से क्रय की गयी एवं की नही लगवाया गया और न ही चार्ज मे प्रतिस्थानी को दिया गया। 2. दिनांक 27.7.11 को खरीदी गयी सामग्री का चार्ज नही दिया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू0 115393.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री के0 बी0 तिवारी ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्रीहरिश्चन्द्र से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही है।
	निघासन	सुथना बरसोल	13	ग्राम पंचायत सुथना बरसोला मे श्री अशोक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने कार्य काल मे ग्राम निधि प्रथम के दोनो खातो से वित्तीय वर्ष 2010–11 व 2012–12 में कुल रू0 1968407.00 आहरित किये गये है। वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने कार्य काल 2012–13 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जिनको अवलोकित किया गया है। साथ ही बताया गया कि श्री अशोक शर्मा द्वारा अपने कार्य काल से सम्बन्धित अभिलेखो का चार्ज नही दिया है। जबकि बार–बार विभागीय उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा चुका है। आहरति धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक एवं अन्य अभिलेख न होना धन के अपहरण का प्रकरण है। प्रस्तुत प्रिया साफटवेयर मे फीड कराये गये अभिलेखो से स्पष्ट हुआ कि बड़ी–बड़ी राशियॉ नगद नियम विरूद्ध आहरित की गयी है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि प्रिया साफटवेयर में फीडिंग मूल अभिलेखो के आधार पर न होकर काल्पनिक विवरण के आधार है। अतः जॉचोपरान्त रू0 1968407.00 की वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित श्री अशोक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री अजय अग्रवाल से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	निघासन	बोधिया कला	14	ग्राम पंचायत बौधिया कला मे श्री अशोक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी अगस्त 2011 तक कार्यरत रहे है। उनके द्वारा अपने कार्यकाल मे निम्नानुसार व्यय करना दर्शाया गया है:– प्रमाणक सं0 दिनांक व्यय का विवरण राशि 01 2.4.12 सक्सेना ट्रेडिंग कम्पनी से ईट क्रय 50000.00 02 27.5.11 मिट्टी ढुलाई पर व्यय 35000.00 03 15.6.11 मजदूरी भुगतान मस्ट्रर रोल 30000.00 04 28.6.11 मिट्टी ढुलाई 27500.00 06 17.8.11 हयूम पाइप क्रय सिंह स्पन पाइप 58000.00 07 17.8.11 ईट क्रय 59000.00 योग– 259500.00 उपरोक्त में आपत्तिजनक है कि:–

				1. किसी व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक नही है। 2. किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर नही है। 3. 17.8.11 को खरीदे गये हयूम पाइप व ईटो का कोई अता–पता नही है, और ही प्रतिस्थानी को चार्ज मे दिये गये। 4. सभी व्यय काल्पनिक होना विवरण से ही स्वयं स्पष्ट है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरति राशि रू0 259500.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री अशोक शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती रूकमणि देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रिया साफ्टवेयर मे फीडिंग भी अभिलेखीय आधार पर न होना स्वयं पुष्टित है।
	निघासन	ग्रण्ट–12	15	ग्राम पंचायत मे दिनांक 01.4.10 से अगस्त 2011 तक श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत रहे है। उनके कार्य काल मे ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत अभिलेख व्यय प्रमाणक नही है। आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। श्री छन्नू लाल के कार्यकाल में नियमानुसार धन की निकासी की गयी है:– खाता संख्याः– 9067 दिनांक राशि दिनांक राशि 5.4.10 5000.00 24.5.10 10000.00 17.5.10 25000.00 26.5.10 10000.00 18.5.10 61200.00 6.7.10 15000.00 29.5.10 5000.00 8.9.10 3000.00 4.6.10 10000.00 16.9.10 2000.00 8.6.10 15000.00 11.1.11 72660.00 22.6.10 3500.00 31.1.11 17000.00 22.6.10 10000.00 10.2.11 2000.00 29.6.10 3500.00 17.2.11 10000.00 9.7.10 10000.00 17.2.11 5000.00 3.3.11 5000.00 18.3.11 14800.00 16.3.11 20000.00 29.3.11 10000.00 17.3.11 25000.00 2011–12 15.4.11 96000.00 19.4.11 10000.00 कुल आहरण– 475660.00 अतः रू0 475660.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान (पूर्व) श्रीमती शकुन्तला देवी (अक्टूबर 10 तक पूर्व प्रधान) व श्री राम प्रसाद वर्तमान प्रधान से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। प्रिया साफटवेयर में फीडिंग अभिलेखीय आधार पर न होना स्वयं पुष्टित है।
	निघासन	मुर्गहा	16	1. ग्राम पंचायत मुर्गहा मे श्री अशोक शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपने कार्यकाल मे कुल रू0 464860.00 आहरित किया है खाता 935(डी0सी0बी0) से। आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति रोव बही आदि न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। अतः अपहरित राशि रू0 464860.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक शर्मा व प्रधान श्रीमती मौसमी देवी से अपेक्षित रही। विवरण इस प्रकार है:–

				चेक न0 दिनांक धनराशि 170937 10.4.11 50000.00 नगद 170938 11.5.11 50000.00 नगद बड़ी बड़ी राशियॉ नगद 148802 12.5.11 50000.00 निकालने का कोई औचित्य 170939 12.5.11 9000.00 न था तथा उक्त आहरण 148803 2.6.11 10000.00 भी नियम विरू0 रहा है। 170940 6.7.11 12000.00 ट्रान्सफर 148804 9.7.11 24900.00 ट्रान्सफर 148805 16.7.11 40000.00 नगद 148809 23.7.11 37080.00 नगद 14881 23.7.11 25000.00 नगद 148810 01.8.11 156880.00 ट्रान्सफर योग– 464860.00 दि0 31.3.11 को खाता 9051 ग्राम निधि प्रथम मे रू0 452976.00 में छात्रवृत्ति का कितना धन था अज्ञात रहा। छात्रवृत्ति ग्राम निधि प्रथम के खाते मे आती रही है। छात्रवृत्ति के उपयोग की भी जॉच अपेक्षित रही।
	बॉकेगंज	पुर्नग्रग्रण्ट	17	अम्बारा रोड से गुडडू के घर तक खण्ड़ंजा निर्माण माप 81 +3.3 मी0 का कार्य श्री सर्वेश कुमार वर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 01.10.11 से 13.10.11 के मध्य रू0 66218.00 की लागत से करवाया गया है। जिसकी पुष्टि होती है। उक्त में 13850.00 खण्डंजा ईट प्रयुक्त हुई थी श्री विवेकानन्द शुक्ल ने पुनः इसी कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार धन व्यय करना दर्शाया है। बाउचर नं0 दिनांक व्यय विवरण राशि 31 12.3.12 खण्ड़ंजा क्रय मून ब्रिक फील्ड नं0 3/122 दि0 23.1.12 19262.00 32 12.3.12 नं03/108दि0 20.1.12 19000.00 33 12.3.12 नं03/123दि0 20.1.12 19000.00 34 12.3.12 नं03/124दि0 20.1.12 19000.00 उक्त कार्य पूर्व मे हो चुका था तथा माप के अनुसार खण्डंजा ईट लग चुकी थी तो उक्त ईट क्रय का कोई औचित्य न था स्पष्ट है कि पूर्व से दुरभि संधि कर या ईटो को गायब कर शासकीय धन का अपहरण किया गया है। स्टाक रजिस्टर नही है। इसी कारण खण्ड विकास अधिकारी बॉकेगंज के पत्रांक 488 दिनांक 19.7.12 व 01.8.12 के बावजूद उपभोग प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख नही दिये जा रहे थे। अतः रू0 67262.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री विवेकानन्द शुक्ला व प्रधान श्रीमती नजमा खान से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बॉकेगंज	डालपुर ग्रन्ट	18	1. श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल मे निम्नानुसार कार्य कराना दर्शाया गया है ग्राम निधि प्रथम से– बाउचर नं0 30 दिनांक 15.10.11 मथुरापुर से भट्ठा तक मिटटी पटाई कार्य मस्टर रोल सभी निशानी अंगूठा एक जैसे है 15000.00 बाउचर नं0 46 दिनांक 17.1.12 प्रा0वि0 प्रांगण मथुरापुर मे मिट्टी पटाई भुगतान राम सिंह को नगद 16000.00 1. राज्य वित्त आयोग/तेरहवे वित्त आयोग से धन से अस्थायी प्रकृति के कच्चे कार्य नही कराये जा सकते हे। 2. उक्त किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0 या कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही है। 3. श्री रामसिंह मिट्टी के ठेकेदार नही है इसी कारण शासकीय रायल्टी जमा नही है। स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः

				अपहरित राशि रूपये 31000.00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मोहन लाल शर्मा व प्रधान श्री सरोज यादव से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 2. बाउचर नं0 33 दिनांक 3.11.11 से मेसर्स बिल्डिंग मैटेरियल से 5 ट्राली बालू दर रू0 1250.00 के हिसाब से क्रय किया गया एवं भुगतान 12500.00 नगद किया गया है। 5 ट्राली बालू मूल्य रू0 6250.00 होता है न कि रू0 12500.00 इस प्रकार रू0 6250.00 का अधिक भुगतान किया गया है। वस्तुतः उक्त बिल ही फर्जी है।अतः रू0 12500.00 की वसूली श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री सरोज यादव से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 3. बाउचर नं0 38 दिनांक 20.11.11 से प्रा0वि0 शौचालय निर्माण में लगे मजदूरो की मजदूरी का रू0 17640.00 भुगतान किया गया है। प्रस्तुत मस्ट्रोल में मजदूरो की उपस्थिति नही भरी है मात्र कुल कार्य दिवस लिखे गये है। स्वतः स्पष्ट है कि मस्ट्रोल फर्जी है एवं धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 17640.00 की वसूली श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री सरोज यादव प्रधान से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बॉकेगंज	बहारगंज	19	ग्राम पंचायत बहार गंज में श्री विवेकानन्द शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से धन व्यय करना दर्शाया गया है:– बाउचर सं0 दिनांक व्यय विवरण राशि 15 17.2.12 40 मी0 मिट्टी क्रय महेन्द्रपाल से 2000.00 नगद 16 16.3.12उपरोक्त से मि0 क्रय मात्रा अंकित नही 3000.00 नगद 19 18.3.12उपरोक्त से 22मी0 मिट्टी क्रय 1100.00 नगद 20 19.3.12 मस्ट्रोल 1/3से 6.3.12 88880.00 सभी निशानी अं0 उक्त मे आपत्तिजनक है कि:– 1. कार्य के स्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति नही है। 2. बगैर नई ईटो के मरम्मत कार्य संम्भव नही है। 3. पहले मिट्टी पटाई फिर खण्ड़ंजा उखडवाई व लगवायी सम्भव नही है। 4. रायल्टी का भुगतान नही है। महेन्द्र पाल मिट्टी के ठेकेदार नही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः रूपये 14980.00 की वसूली श्री विवेकानन्द शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीपाल से दण्डनीय ब्याज के साथ अपेक्षित है।
	मोहम्मदी	सिसौरा निकूमपुर	20	ग्राम पंचायत सिसौरा निकूमपुर मे श्री लच्छूराम ग्राम विकास अधिकारी नवम्बर 11 तक कार्यरत रहे है। इस अवधि मे उनके द्वारा नियमानुसार व्यय ग्राम निधि प्रथम से किया गया है:– दिनांक व्यय विवरण राशि 6.4.11 हैण्डपम्प मरम्मत इब्राहिम को स्ट्रीट लाइट क्रय 21930.00 6.4.11 ओम जी ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत हब्राहिम को 110000.00 26.4.11 ओम जी ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत हब्राहिम को 7310.00 26.4.11 ओम जी ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत हब्राहिम को 6590.00 4.5.11 विवरण हीन 8500.00 1.7.11 विवरण हीन 7890.00 30.8.11 विवरण हीन 16390.00 19.9.11 विवरण हीन 3500.00 2.10.11 विवरण हीन 5280.00 22.10.11 विवरण हीन 12790.00 उक्त के अतिरिक्तः–

				दिनांक 4.10.11 को छात्रवृत्ति विवरण 33880.00 7.10.22 को छात्रवृत्ति विवरण 28800.00 कुल 262860.00 उक्त मे आपित्तजनक है कि:– 1. किसी कार्य के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न थे। 2. किसी भी कार्य के स्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न थे। स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत न था। 3. स्ट्रीट लाइटे कहॉ–कहॉ किससे व विद्युत विभाग की अनुमति आदि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत थे कार्यपूर्ति/एम0बी0 भी नही है और न ही सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत है। उपरोक्त से स्वयं स्पष्ट है कि रू0 262860.00 का अपहरण किया गया है। अतः जॉचोपरान्त अपहरित राशि रू0 262860.00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री लच्छूराम व प्रधान श्रीमती नाजरा बेगम से दण्डनीय ब्याज के साथ करते हुऐ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि प्रिया साफटवेयर मे फीडिंग अभिलेखनीय आधार पर नही है।
	मोहम्मदी	टी0टी0 गोकन	21	श्री लच्छूराम ग्राम विकास अधिकारी इस ग्राम पंचायत में अगस्त 2011 तक कार्यरत रहे है। इनके कार्यकाल मे निम्नानुसार व्यय किये गये है प्रमाणक सं0 दिनांक व्यय विवरण धनराशि 02 12.5.11 मेसर्स ओमजी ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क्रय 55000.00 01 11.4.11 व्यय विवरण अंकित नही नगद 45000.00 03 12.5.11 मेसर्स ओमजी ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क्रय 27500.00 23.6.11 व्यय अंकित नही आहरण नगद 5000.00 चेक न0 58431 19.8.11 व्यय अंकित नही आहरण नगद 9080.00 चेक न0 58431 04 10.6.11 हैण्ड पम्प मरम्मत 8180.00 05 10.6.11 हैण्ड पम्प मरम्मत 8180.00 07 24.6.11 विवरण अंकित नही 4500.00 चेक नं0 000073 ए0बी0 योग– 162440.00 उक्त मे आपत्तिजनक है:– 1. रू0 63580.00 से सम्बन्धित व्यय का अंकन ही नही है। कि उक्त व्यय कहॉ किया गया है। 2. उपरोक्त किसी व्यय के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न थें। 3. स्ट्रीट लाइट पर रू0 82500.00 व्यय किया गया है। लाईट कहॉ किससे और विद्युत विभाग की अनुमति आदि सम्बन्धी कोई प्रपत्र नही है। 4. हैण्ड पम्प कहॉ–कहॉ के बनवाये गये और निकली बेकार सामग्री कहॉ गयी आदि स्पष्ट नही है। 5. किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नही है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व स्टाक रजिस्टर नही है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू0 162440.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री लच्छूराम ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान टी0 टी0 गोकन श्रीमती छोटी बिटिया से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि प्रिया साफटवेयर में फीडिंग नियमानुसार नही करायी गयी।
	मोहम्मदी	मो0पुर कला	22	श्री राजेश्वर पाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यकाल में नियमानुसार व्यय दर्शित है:– क्रमांक दिनांक व्यय विवरण धनराशि अन्य

				1	3.5.10	हैण्ड पम्प मरम्मत	21475.00 नगद
				2	4.5.10	हैण्ड पम्प मरम्मत	6300.00 नगद
				3	7.8.10	हैण्ड पम्प मरम्मत	5000.00 नगद
				4	7.2.11	हैण्ड पम्प मरम्मत	20500.00 नगद
				5	18.2.11	हैण्ड पम्प मरम्मत	13680.00 नगद
				6	16.6.10	अली ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट	22000.00 नगद
				7	3.10.10	ओमजी ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट	20000.00 नगद
					2011–12		
				1	13.4.11	हैण्ड पम्प मरम्मत	10260.00 नगद
				2	31.10.11	हैण्ड पम्प मरम्मत	11392.00 नगद
					29.10.11	हैण्ड पम्प मरम्मत	3780.00 नगद
					17.1.12	हैण्ड पम्प मरम्मत	5000.00 नगद
					21.5.12	ढखिया में मि0ख0व नाली कार्य	20000.00 नगद
					21.5.12	मिट्टी ढुलाई	30000.00 नगद
				3	22.6.11	मस्ट्रोल उक्त कार्य	16700.00 नगद
				4	2.7.11	राजीव सिंह से सीमेन्ट क्रय	8500.00 नगद
				5	14.7.11	ईट मली तुला ब्रिक फील्ड	110000.00 नगद
				6	31.10.11	मस्ट्रोल उक्त कार्य	10000.00
				8	8.11.11	एम0 आर0 उक्त कार्य	6320.00
				10	28.11.11	ढखिया मे मि0 ख0 एम0आर0	20000.00
				11	01.12.11	ईट क्रय	39600.00
				12	12.12.11	मजदूरी भुगतान	20000.00
				13	19.12.11	ईट क्रय	43200.00
				14	19.12.11	ईट नाली के लिये	15200.00
				15	03.01.12	सीमेन्ट राजीव सिंह से	19980.00
				16.	16.01.12	मिट्टी धुलाई काला वाली गली	5000.00
						भाडा मिट्टा ढुलाई	500.00
				18	20.01.12	शीतल सिंह के नाला पर मिट्टी ढुलाई	5000.00
				19	24.1.12	बालू क्रय	10000.00
				21	31.01.12	नाली निर्माण मस्ट्रोल	10000.00
				20	31.01.12	मौरंग क्रय	4000.00
						योग–	537887.00

उक्त व्यय जो ग्राम निधि प्रथम से किये गये है। मै आपत्तिजन है कि

1. हैण्ड पम्पो की मरम्मत पर कुल व्यय रू0 76887.00 किन–किन हैण्ड पम्पो पर किया गया है। मरम्मत के बाद निकली सामग्री कहॉ गयी स्पष्ट नही है। और न ही स्टाक रजिस्टर है। इस प्रकार व्यय पूर्णतया संदिग्ध है तथा निकली बेकार लोहे की सामग्री की स्थिति भी अज्ञात है।
2. स्ट्रीट लाइट खरीद कर कहॉ–कहॉ और किससे तथा विद्युत विभाग की अनुमति आदि तथ्य अस्पष्ट है। खरीद में क्रय नियमो तक का पालन नही है।
3. आलोच्य वर्षो मे करवाये गये किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0 व कार्यपूर्ति नही है तथा प्रस्तुत मस्टरोलो में सभी निशानी अंगूठे एक से है जिससे व्यय की स्थिति स्वयं संदिग्ध होती है। कार्य योजना भी नही है। स्टाक रजिस्टर भी नही है।
4. मिट्टी कार्य पर व्यय ग्राम निधि प्रथम से अनुमन्य नही है।
5. शीतला सिंह के झाला पर नाली निर्माण कार्य पर रू029000.00 व्यय दर्शाया गया है। जिससे स्पष्ट हे कि बगैर ईटो के नाली निर्माण करवाया गया है जो कि सम्भव नही है।

				उपरोक्त से स्वयं पुष्टित होता है कि व्यय फर्जी है। अतः पूर्ण जॉचोपरान्त रू0 537887.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री राजेश्वर पाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी व श्रीमती रामदेवी(पूर्व प्रधान) व प्रधान श्री भीखम लाल से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही
	बांकेगंज	मोहरेना	23	ग्राम पंचायत मोहरेना में ग्राम निधि प्रथम व छात्रवृत्ति खाते से निम्न विवरण के अनुसार धन निकाला गया है। किन्तु उक्त के सापेक्ष न तो व्यय प्रमाणक है और न ही रोकड़ बही। 2008–09 की रोकड़ बही जनवरी 2009 से लिखी गया है। ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 109405 दिनांक चेक नं0 राशि 2.5.08 630260 5000.00 नकद 2.5.08 630261 9000.00 नकद 18.8.08 630262 10000.00 नकद 8.5.10 948476 9000.00 नकद 8.5.10 948477 12000.00 ट्रान्सफर 3.6.10 948479 30000.00 नकद 3.8.11 948480 17000.00 नकद 4.3.11 948484 97200.00 ट्रान्सफर 12.3.11 948486 35000.00 नकद छात्रवृत्ति खाता संख्याा 109512 20.6.08 469912 38400.00 23.6.08 469913 20250.00 18.11.08 284351 94980.00 29.11.08 284352 16980.00 04.02.09 284355 24900.00 खातो से आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक व अभिलेख न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। अतः जॉचोपरान्त रू0 422410.00 की वसूली श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्रीमती सुष्समस सिंह (अक्टूबर 10) तथा वर्तमान प्रधान श्रीमती मीरा देवी से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुऐ प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 2. ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराना दर्शाया गया है– प्रमाणक सं0 दिनांक व्यय विवरण राशि टिप्पणी 02 21.2.09 खण्डजा उखडवायी व लगवायी एम0आर मंजीत के घर से नंदापुर मार्ग तक 30000.00 बिना ईट के खण्डजा का निर्माण सम्भव नही 2 सभी मजूदरो के नि0अं0 एक जैसे है माप नही है। 03 25.5.09 मेसर्स सिंह स्पन पाइप से हूयम पाइप क्रय 98500.00 प्रयोग की नही किया गया है। 04 14.10.09 लल्लू के घर से अमोदय के घर तक खण्डजा मरम्मत एम0 आर0 30000.00 एम0आर0 पर ग्रा0पं0 अ0 व प्रधान के हस्ताक्षर नही है। 06 19.12.09 ईटा क्रय मेसर्स गौतम ईट उद्योग 76800.00 उपभोग नही किया गया । 07 29.03.11 खण्डजा लगवाई मजदूरी भुगतान 30000.00 1. प्रधान या ग्रा0पं0 अ0 द्वारा प्रमाणित नही। 2 एक बार मे बनाया गया। 3 सभी अंगूठा नि0 एक जैसे है। 08 30.03.10 लाइट क्रय 40000.00 1. प्रमाणक नही है। 2. विद्युत विभाग से अनुमति नही। 3 स्टीमेट व एम0बी0 नही 4 लगवाया जाना स्पष्ट नही।

				योग– 305300.00 उक्त अंकित टिप्पणियो के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि:– 1. किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। 2. स्टाक रजिस्टर व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना नही है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है एवं फर्जी अभिलेख बनाये गये हैं। अतः जॉचोपरान्त रू0 305300.00 की वसूली श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान सुषमा सिंह से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 3. बाउचर नं0 1 दिनांक से बेल से तेजइया तक खडन्जा मरम्मत कार्य की मजदूरी का रू0 30000.00 भुगतान किया है। उक्त में आपत्तिजनक है कि:– 1. एम0आर0 में अंकित सभी मजदूरो के नि0अ0 एक से है। 2. बगैर ईट के मरम्मत सम्भव नही है। 3. स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। 4. मस्टरोल एक बार मे बनाया गया है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी मस्टरोल बनाकर धन का अपहरण किया है। कार्य अवधि 1.4 से 14.4.11 है। अतः जॉचोपरान्त रू0 30000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्रीमती मीरा देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 4 बाउचर नं0 4 दिनांक 06.09.11 से रू0 24187.00 के ईट क्रय किये है। उक्त ईटो का कही प्रयोग नही किया गया और न ही प्रतिस्थानी को चार्ज मे दिया गया स्टाक रजिस्टर नही है। इस प्रकार रू0 24187.00 की ईटो का अपहरण किया गया है। अतः रू0 24187.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्रीमती मीरा देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बांकेगंज	शिवपुर साण्डा	24	ग्राम पंचायत शिवपुर साण्डा में श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरण के अनुसार व्यय करान कोषांकित है:– बाउचर नं0 2 दिनांक 26.4.11 मेसर्स आशीष इको गोला से 12 स्ट्रीट लाइटे क्रय 48000.00 नगद बाउचर नं0 15 दिनांक 17.10.11 मेसर्स खुशबू फोटो एण्ड मोबाइल से कैमरा क्रय 6000.00 नगद उक्त मे आपत्तिजनक है कि– 1. उक्त नगद क्रय खरीद नियमो का उल्लघंन है। नगद क्रय किया जाना स्वयं धन के अपहरण की पुष्टि करता है। तेहरवे वित्त आयोग का धन प्रयोग नही किया । 2. स्ट्रीट लाइटे कहॉ और किस शासकीय लाइन मैन से लगवायी गई स्पष्ट नही है। 3. राज्य विद्युत विभाग से अनुमति लिए बगैर विद्युत लाइनो से संयोजन अपराधिक कृत्य है तथा बिजली चोरी अवैध रूप से लाइने लगवाने से सम्बन्धित है। सक्षम प्राधिकारी का स्वीकृति नही है। 4. ग्राम पंचायत में पहले से मौजूद कैमरा कहा गया स्पष्ट नही है स्टाक रजिस्टर भी नही है। श्री शर्मा द्वारा प्रतिस्थानी को चार्ज मे कैमरा नही दिया गया है। 5. स्टीमेट एवं एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि धन का अपहरण करने के लिए फर्जी अभिलेख तैयार किये गये है। अतः अपहरित राशि रू0 54000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है तथा पदानुरूप

				प्रधान श्री अजय कुमार का भी दायित्व बनता है ।। धन श्री विजय शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया था। 2 ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरण के अनुसार व्यय करना कोषांकित है:– बाउचर नं0 5 दिनांक 27.6.11 भगवान दीन के घर से रोहनिया मार्ग तक खण्डजा मरम्मत एम0 आर0 8400.00 बाउचर नं0 6 दिनांक 27.6.11 उपरोक्त कार्य 13380.00 बाउचर नं0 11 दिनांक 29.9.11 श्रवण कुमार से मिट्टी क्रय 10500.00 200 मी0 की दर 52.50 उक्त में आपत्तिजनक है कि:– 1. बिना ईटो के खण्डजा मरम्मत सम्भव नही है। 2. स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। 3. सभी मजदूरो के निशानी अंगूठे एक से है जो सम्भव नही है। 4. मिट्टी खरीद मे रायल्टी का भुगतान राज्य सरकार को नही किया गया है। श्रवण कुमार मिट्टी ठेकेदार नही है। फर्जी व्यय होने के कारण ही नगद भुगतान करना दर्शाया गया है। 5. अनुमोदित कार्य योजना नही है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिए फर्जी अभिलेख तैयार किये गये है। अतः अपहरित राशि रू0 32280.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित जॉचोपरान्त श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री अजय कुमार से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। 4. सस्ती दर पर ईट की उपलब्धता के बावजूद अधिक दर पर ईट खरीद कर रू0 2100.00 शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है। अतः रू0 2100.00 की वसूली श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान अजय कुमार से अपेक्षित है।
	बांकेगंज	भैठिया	25	ग्राम पंचायत भैठिया मे श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत रहे है। उनके कार्यकाल मे निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से धन व्यय किया गया है– दिनांक व्यय विवरण धनराशि टिप्पणी 26.4.11 मेसर्स आशफ इलेक्ट्रानिक गोला से 48000.00 नगद 12 स्ट्रीट लाइट क्रय 18.10.11 कैमरा क्रय खुशबू फोटो एवं मोबाइल 6000.00 नगद बिल नं0 387 उपरोक्त में आपत्तिजनक हे कि:– 1. स्ट्रीट लाइट क्रय नियमो के विपरीत नगद क्रय की गयी दर्शित है। स्टीमेट व एम0बी0 नही है। 2. स्ट्रीट लाइट कहॉ और किस शासकीय कर्मचारियो से लगवायी गयी स्पष्ट नही है। 3. राज्य विद्युत विभाग से अनुमति के बगैर विद्युत लाइनो से संयोजन कर लाइटे लगाना एवं विद्युत उपभोग विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध एवं विद्युत चोरी का प्रकरण है। 4. पूर्व मे मौजूद कैमरा कहॉ गया स्पष्ट नही है। 5. नगद कैमरा खरीद क्रय नियमो के विपरीत है। 6. स्टाक रजिस्टर नही है एवं चार्ज में प्रतिस्थानी को नही दिया गया । उपरोक्त से स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया एवं फर्जी अभिलेख तैयार किये गये है। अतः रू0 54000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री विजय पाल से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 2– बाउचर नं0 21 वे 22 दिनांक 25.10.11 से मेसर्स हसन ईट उद्योग से कुल

				30400 खण्डजां ईटा रू0 109774.00 से रू0 3610.00 की दर से क्रय किये गये है। जबकि श्री शर्मा के ही पास रही ग्राम पंचायत शिवपुर साण्डा मे इसी अवधि मे खण्डजां ईट रू0 3365.00 की दर से बाउचर नं0 13 से क्रय की गयी। इस प्रकार रू0 7448.00 का अपव्यय किया गया है। जिसके लिए श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमुख उत्तरदायी है। अतः रू0 7448.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। पदेन दायित्वो के निर्वहन न करने के लिए प्रधान श्री विजय पाल भी उत्तरदायी है।
	बेहजम	मढ़िया	26	1. ग्राम निधि प्रथम के डी0सी0बी0 खाता संख्या 001200330000011 से धनराशि आहरित कर उसे कोषबही में अंकित न कर प्रधान श्रीमती अनीसा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार भट्ट द्वारा अपहरण कर लिया गया इसकी वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए इसके विरूद्ध प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न हैः– दिनांक चेक नं0 धनराशि 20.8.11 486646 4500.00 30.8.11 486647 10000.00 15.9.11 486648 15000.00 29.9.11 486649 10000.00 योग– 39500.00
	बेहजम	उमरपुर	27	1. वर्ष 2011–12 में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैक के खाता संख्या 7497 गुलौला से निम्न विवरणनुसार धनराशि का आहरण कर कोषबही में अंकन न कर कुल रू0 96600.00 का अपहरण ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार भट्ट एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रेश्वर नरायण पाण्डेय द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न हैः– दिनांक चेक नं0 धनराशि 13.9.11 528153 7500.00 14.9.11 528160 2000.00 22.10.11 528162 3000.00 24.10.11 528163 4100.00 17.11.11 528161 40000.00 01.12.11 528164 40000.00 योग– 96600.00
	बेहजम	कैमाबुजुर्ग	28	1. ग्राम निधि खाता संख्या 7473 इलाहाबाद यूपी0 ग्रामीण बैक गुलौला शाखा एवं इलाहाबाद बैक खाता संख्या 1232489 से आहरति धन का अंकन कोषबही में न करके अपहरण कर लिया गया। कुल धनराशि रू0 37000.00 की वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार भट्ट एवं ग्राम प्रधान श्रीमती लीला देवी से तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न हैः– दिनांक चेक नं0/बैंक का नाम धनराशि 24.10.11 527575 इला0यूपी0ग्रा0 बैक 20000.00 31.10.11 006566 इलाहाबाद बैक 7000.00 31.10.11 006465 इलाहाबाद बैंक 10000.00 योग– 37000.00

	बांकेगंज	सलावत नगर	29	1–16 मोहन लाल शर्मा ग्राम विकास अधिकारी फर्जी व्यय धन 17149=काअहरण करना व श्री राधेश्याम भार्गव प्रधान 2– उपरोक्तानुसार 193053= योग –210202.0 1ग्राम पंचायत सलावत नगर में बाउचर नं0 2 दिनांक 4.5.11 रू0–17149.00 अज्ञात को हैण्ड पम्प मरम्मत को नगद भुगतान ग्राम निधि प्राप्ति से दर्शाया गया है जिसमे अन्य सामान के साथ–साथ 110 फीट पाइप भी प्रयोग दर्शाया गया है बिल सामान्य फार्मेट में जो कि किसी फर्म का नही है तथा भुगतान नियम विरूद्ध नगद किसको किया गया स्पष्ट नही है। बेकार निकला पाइप व अन्य सामान कहाँ गया स्पष्ट नही है। इस प्रकार फर्जी बिल बनाकर धन का अपहरण किय गया है। अतः रू0–17149.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री राधेश्याम भार्गव से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही (आप सं016) वर्ष आलोच्य में शौचालय निर्माण हेतु निम्न विवरण के अनुसार धन खाता नं0 027/26 जिला सहकारी बैंक से प्राप्त हुआः– 27.4.11 91700.0 27.4.11 39300.00 27.4.11 54600.00 27.4.11 23400.00 योग– 209000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी खीरी के पत्रांक–2999/31.3.11 के एनआई आर मैलानी में शौचालय दो यूनिट निर्माण हेतु प्राप्त धन रू–70000.00 दिनांक 13.6.11 को रू0–70000.00 खंजन नगर ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित कर दिये गये। इस प्रकार कुल रू0–139000.00 शौचालय का धन शेष रहा। खाता संख्या 27/28 में 1.4.11 का मुबलिक रू0–141991.80 थे।वर्ष आलोच्य में निम्न विवरण के अनुसार शौचालय निर्माण मे धन व्यय किया गयाः– श्री राकेश मिश्र को रू0–4540.00 की दर से दिया गया धन बाउचर नं0 8 दिनांक 28.6.11 – 45400.00 10 शौचालय बियरर चेक 390928 बाउचर नं0 13 दिनांक 1.8.11 –40860.00 10 शौचालय नगद अन्य व्यय विवरण निम्नवत है 3 31.5.11 प्रा0वि0कोरियाना में शौचालय निर्माण 11040.00 बिना सामग्री के निर्माण सम्भव नही निशान अंगूठे एक जैसे मस्ट्रोल 18/5 से 31.5.11 4– 10.6.11गोयल हार्डवेयर से दरवाजा वेटिलेटर दो दरवाजे 12500.00नगद 5– 13.6.11 निसार अहमद एण्ड कम्पनी से ईट अव्वल रोड़ा 47214.00 टिन नं0 अंकित नही 7– मेसर्स अमर सीमेन्ट स्टोर से 70 बोरी सीमेन्ट आदि 36845.00 टिन नं0 अंकित नही 10– 23.7.11 कोरियाना वि0 में टंकी फिटिंग करवायी श्यामलाल को 1500.00 नगद टंकी क्रय नही

	बांकेगंज	गोपालापुर	30	16 श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी व श्री विश्राम लाल प्रधान फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अहरण किया 154622.00 17 उपरोक्त दोनो उपरोक्तानुसार 104637.75 योग 259259.00 1– ग्राम पंचायत में निम्न विवरण के अनुसार कार्य करवाया जाना कोषांकित है:– प्रमाणकसं0. दिनांक कार्यविवरण राशि 2– 25.4.11 अवतार सिंह से मिट्टी क्रय दर 50.00 मी0 मात्रा 440मी0 20000.नगद 5–10.10.11 चौरसिया मार्ग से मुन्नालाल के घर मार्ग पर मिट्टी पटाई हेतु मिट्टी क्रय अवतार सिंह से 400मी3 दर 50.00 मी3 20000.00 नगद 6– 10.10.11 उक्त खडन्जा उक्षड़वायी मस्ट्रोल 4.10.11से8.1.11 3960.00 7– 24.10.11 ईट क्रय रतन लाल एण्ड कम्पनी 6740 दर 3665 24700.00नगद 8– 24.10.11 खाण्डन्जा लगवायी (9/10से15/10) 10620.00 मस्ट्रोल में अक्टूबर 12 लिखा है। 9– 3.11.141ईट क्रय रतन लाल एण्ड कम्पनी 19575 71742.0 11– 23.11.11 खण्डन्जा लगवायी उक्त कार्य 3600.00 उक्त में आपत्तिजनक है कि:– 1– क्रय नियमों के विपरीत सामग्री (ईट) नगद क्रय की गयी ईट के बिलो पर टिन नं0 व बुक नं0 नही है। 2– प्रमाणको पर प्रधान के कही हस्ताक्षर नही है। 3– मस्ट्रोल पर मजदूरी दर रू0100.00 जबकि दर रू0120.00 थी। 4– अवतार सिंह गिट्टी के ठेकेदार नही है। इसकी कारण शासकीय रायल्टी अदा नही की गयी साथ ही 840मी0 गिट्टी कहॉ पड़ी स्पष्ट नही है। 5– कार्य स्टीटमेंट एम बी/कार्यपूर्ति नही है। स्टाक रजिस्टर व कार्ययोजना भी नही है। 6– खाण्डन्जा मरम्मत में इतनी ईट नही लगेगी। 7– मस्ट्रोल पर उपस्थिति एक बार मे भरी गयी है तथा सभी निशानी अंगूठा एक जैसे है। 8– बाउचर नं0 8 में कार्य का माह अक्टूबर 12 लिखा है जबकि कार्यअवधि 9.10.11 से 15.10.11 थी स्पष्ट है कि मस्ट्रोल बाद मे फर्जी बनाया गया है। 9– अप्रैल 11 में मिट्टी क्रय का क्या औचित्य है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी अभिलेख बनाकर शासकीय धन रू0–154622= का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन रू0– 154622.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित जॉचोपरान्त श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री विश्राम लाल से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित हो रही (आप0सं016) प्रमाणक सं0 दिनांककार्यविवरण धनराशि 12– 23.11.11 ईट खण्डन्जा 1452क्रय रतन लाल एण्ड कम्पनी दर 3665.00 5259275.00 नगद 13–14.1.12 अभय ट्रेडर्स से सरिया सीमेन्ट आदि क्रय । 10965. 00नगद 16–7.3.12 विश्राम लाल के घर से गॉव के उत्तर खडन्जा तक

				नाली निर्माण मस्ट्रोल 150 मी(22/12से 28.2.12) 4440.00नगद 17–7.3.12 मुकरिमपुरमें खण्डन्जा मरम्मत मस्ट्रोल 60मी 1/3 से6/3 5280.00 नगद 18– 20.3.12 कुमार सीमेन्ट स्टोर से सीमेन्ट बालू गिट्टी सरिया आदि क्रय 31360.00 नगद उक्त में आपत्तिजनक है कि:– 1– नाली निर्माण बिना ईट के सम्भव नही है। खडन्जा ईट से नाली निर्माण सम्भव नही है।इस प्रकार नाली निर्माण का दर्शित व्यय स्वयं फर्जी होना सिद्ध है। 2– क्रय नियमों के विपरीत नगद क्रय की गयी सामग्री। 3– कुमार ट्रेडर्स स्वयं श्रीअशोक वर्मा के परिवारकी दुकान है। 4– कार्य के स्टीमेंट एम0बी0 आदि नही है। 5– खण्डन्जा मरम्मत कार्य फरवरी 12 में करवाया जाना दर्शित है। जबकि ईट तीन माह पूर्व क्रय की रखना व्यावहारिक नही है। 6– मस्ट्रोल पर दर 100.00 जबकि दर रू0–120.00 थी तथा सभी निशानी अंगूठे संदिग्ध है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः जॉचोपरान्त रू0–104637.00 की वसूली श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री विश्राम क लाल से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बांकेगंज	बघोड़ा	31	1– 15 श्री अशोक कुमार वर्मा ग्राम–विकास अधिकारी व श्री जोगेन्द्र सिंह प्रधान फर्जी व्यय दर्शाकर 138500.00धन का अहरण करना 2– 16 उपरोक्त दोनो उपरोक्तानुसार 349113.00 योग– 487613.00 ग्राम पंचायत बघोड़ा में कार्यरत रहे ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक वर्मा द्वारा ग्राम निधि प्रथम से निम्न विवरण के अनुसार धन व्यय करना दर्शाया गया है:– 1–9.5.11 मेसर्स बालाजी सीमेन्ट स्टोर से15000.00 सीमेन्ट,मौरंग,बालू,गिट्टी आदि क्रय। बिल पर बुकनं0क्रमांक नहीं भुगतान वियरर चेक सं0456953 से मेसर्स अजय ट्रेडर्स को है किन्तु बिल मेसर्स बालाजी सीमेन्ट स्टोर को है। 2– 16.5.11 मेसर्स वर्मा कम्यूनिकेशन एण्ड इले0 हाउस सीतापुर से 23 स्ट्रीट लाइट क्रय बिल नं052207राशि 74750.00 विद्युत विभाग से अनुमति नही। एम0बी0स्टीमेट नही है किससे लगवाया गया संलग्न नही। 7– 18.7.11 उपरोक्त से 13 स्ट्रीट लाइट क्रय 42250.00 बिल नं0 5/206। उपरोक्तानुसार नगद खरीदा बिल क्रमांक 206 बाद में 207पहले सम्भव नहीहैं 11–21.10.11 उपरोक्त 2स्ट्रीट लाइट क्रय (5/204) 6500.00 उपरोक्तानुसार नगद व्यय नियमानुसार नही बिलनं204 बाद में 207 व 206 पहले सम्भव नही है। उपरोक्त अंकित टिप्पणियों से स्वतः स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है।अतः अपहरित राशि रू0–138500.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री जोगेन्द्र सिंह से

				अपेक्षित रही।किसी प्रमाणक पर प्रधान से हस्ताक्षर नही है 2– ग्राम पंचायत से निम्नानुसार ग्राम निधि प्रथम का धन व्ययप्रथम व्यय करना दर्शाया गया है–: प्रमा0 सं0दिनांकव्ययविवरण राशि टिप्पणी 6–27.6.11रतनलाल ईट भट्ठेसे 37000.00 बिल में क्र सं0 अंकित नही10250 खड़ंजा क्रय। 10–29.6.10 रतन लाल ईट भट्ठें 25000 खड़ंजा क्रय 91625.00 उपरोक्तानुसार 15–21.10.11 कमलापुर में विष्णु के मकान से सूबेदार के मकान तक खाण्डन्जा निर्माण मस्ट्रोल 17040.00 प्रधान के हस्ताक्षर नही सभी निशानी अंगूठै एक जैसे मस्ट्रोल में कार्य का अंकन नही। 14–21.10.11राजकुमार से मिट्टी क्रय 12960.00 नगद भुगतान 15–24.10.11 ईट क्रय 153488.00 प्रमाणक नही है। 18– 4.11.11 संजय खड़ंजा उखड़वायी व लगवायी मस्ट्रोल 5460.00 (1)किसी के हस्ताक्षर नही (2)सभी निशानी अंगूठे एक जैसे (3) मस्ट्रोल में कार्यमान अंकित नही है। 17– 4.11.11 ईट क्रय 2000.00 प्रमाणक नही है नगद खरीद 19–4.11.11 राजकुमार से मिट्टी क्रय 4540.00 नगद मात्रा अंकित नही किसी के हस्ताक्षर नही है। 20–7.12.11राजकुमार क्रय(110मी 3ग50)5500.00 नगद मात्रा अंकित नही किसी के हस्ताक्षर नही है। 21–7.12.11 मस्ट्रोल में कार्य अंकित नही 19500.00 (1)किसी के हस्ताक्षर नही (2)सभी निशानी अंगूठे एक जैसे उक्त कार्यो में अंकित टिप्पणियों के अतिरिक्त निम्न तथ्य है:– (1)किसी कार्य के स्टीमेंट एम0बी0 / कार्यपूर्ति नही है। (2)दो–तीन माह पूर्व ईट खरीद कर रखने का कोई औचित्य नही है। (3)प्रमाणक न होना स्वयं अति गम्भीर प्रकरण है। (4)श्री राजकपूर मिट्टी के ठेकेदार नही है। शासकीय रायल्टी अदा नही ह। उपरोक्त से स्पष्ट है कि धन का अपहरण करने के लिए फर्जी अभिलेख बनाये गये है। अतः जॉचोपरान्त रू0–349113.00 की वसूली प्रधान श्री जोगेन्द्र सिंह व ग्राम वि0 अधिकारी श्री अशोक वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बांकेगंज	जमैयतपुर	32	1– ग्राम पंचायत जमैयतपुर में श्री विवेकानन्द शुक्ल ग्राम विकास अधिकारी नवम्बर 2011 से कार्यरत रहे है। खण्ड विकास अधिकारी बांकेगंज द्वारा अपने पत्रांक–488 दिनांक 19.7.12 से अभिलेखों की छायाप्रतियों तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मांगे गये थे किन्तु उनके द्वारा तत्समय प्रस्तुत नही किया गया। अनुस्मार पत्रांक 544 दिनांक 1.8.12 से दिया गया।फिर भी अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। स्पष्ट है कि तत्समय अभिलेख बनाये ही नही गये थे और न ही कार्य करवाये गये थे। प्रमा0सं0 दिनांक विवरण राशि टिप्पणी

				43–3.1.12 मास्टर दीनदयाल की दुकान से 4बोरी सीमेन्ट क्रय दर 300.00 12000.00 4बोरी सीमेन्ट का मूल्य रू0–1200.00होगा पैड पर बिन बना है नगद भुगतान है। 45–3.1.12 सनेही ट्रेडर्स से 300 बोरी सीमेन्ट 75000.00 क्रय दर 250.00 प्रमा043 में दर 300 और यहॉ250.00 है नगद भुगतान किया गया । 50–5.1.12 मान्या ट्रेडर्स से 118 किलो मिट्टी 25000.00दर 86,202.55 कि0ग्रा0 मौरंगदर 72, न तो मिट्टी और न ही मौरंग की दरे प्रति किलो इतना अधिक सम्भव है। नगद भुगतान अनियमित जबकि बाउचर नं032 मे मौरंग दर 120. 00 कुन्तल तथा मिट्टी दर 100 कुन्तल है। अंकित टिप्पणियों से स्पस्ट है कि बिल फर्जी है।इसी कारण नगद व्यय करना दर्शाया गया है।इससे यह भी स्पष्ट है।कि मास्टर दीनदयाल दुकान व सनेही ट्रेडर्स से श्री विवेकानन्द शुक्ल की सांठ गांठथी उक्त फर्मो से अन्य संदिग्ध क्रय निम्नानुसार है:– 27– 5.12.11 सनेही ट्रेडर्स के पैड पर बिल 200 कुन्तल 35000.00 नगद भुगतान/बिल पैड पर, मौरंग दर 100/150 कुन्तल गिट्टी दर 100.00 32– 14.12.11 सनेही ट्रेडर्स के पैड पर बिल 165कुन्तल 30000.00 नगद भुगतान बिल पैड पर ,मौरंग दर 120.00 कुन्तल गिट्टी 30000.00 नगद भुगतान/पैड पर दर 100.00 भाड़ा 200.00 35–14.12.11 सनेही ट्रेडर्स के पैड पर बिल150बोरी नगद भुगतान बिल पैड पर सीमेन्ट दर 270.00 इस प्रकार स्वय सिद्ध है कि पैड पर बिल धन गबन के उद्देश्य से बनवाये गये है साथ ही नगद भुगतान भी इसीकारण किया जाना दर्शाया गया है। इसकी कारण मानक से अधिक शौचालय मे लागत आयी है। अतः अपहरित राशि रू0–217500.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री विवेकानन्द शुक्ला ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री जमैयतपुर श्री महेशप्रसाद से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।
	मोहम्मदी	बौआ	33	ग्राम पंचायत बौआ में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 89296 से व्यय दर्शाया गया है:– प्रमाणक संख्या :– दिनांक व्यय विवरण 1– 13.4.11 ईट खांजड़ इन्डिया ब्रिक फील्ड 361100.00 नगद 2–13.4.11 मस्ट्रोल (13/14से 19/20) तक राशि 11880.00 3–15.4.11 हैण्डपम्प मरम्मत ईशा खॉ 8550.00 नगद 4– 26.5.11 ईट क्रय इन्डिया ब्रिक फील्ड 38000.00नगद 5– 31.5.11 मस्ट्रोल स्व0म0 10920.00 6–6.6.11 पंचायत भवन मरम्मत हेतु ईट क्रय 22800.00नगद 7–13.6.11/28.5.11 सीमेन्ट आदि क्रय हंस ट्रेडर्स 27710.00 8– 13.6.11/28.5.11 रोड़ा क्रय खॉ ब्रिक फील्ड 12325.00नगद 9–6.6.11 रोड़ा क्रय रजा ब्रिक फील्ड 27710.00नगद 10–15.6.11 मस्ट्रोल पंचायत भवन मरम्रत 22980.00 11– पं0 भवन प्रांगण में मिट्टी 6800.00 12–28.6.11 शौचालय मस्ट्रोल22680.00 13–20.7.11 ईट क्रय इन्डिया ब्रिक फील्ड से 61180.00 नगद 14–26.7.11 हैडपम्प रिपेयरिंग रईश 10504.00 नगद

				15–29.7.11/23.7.11 शौचालय सामाग्री क्रय हंस ट्रेडर्स 50100.00 नगद 16–29.7.11 शौचालय निर्माण मस्ट्रोल 22320.00 17– शौचालय सामाग्री क्रय हंस ट्रेडर्स 26650.00 नगद 18– 24.8.11 शौचालय मस्ट्रोल 11340.00 19–24.8.11 शौचालय सामाग्री क्रय हंस ट्रेडर्स 18100.00 नगद 20–29.8.11 हैडपम्प रिपेयरिंग रईश 3625.00 नगद 21–2.9.11 सिंह स्थन पाइप से हाम पाइप क्रय 25000.00 22– 19.9.11 शौचालय निर्माण मस्ट्रोल 11340.00 23–19.9.11शौचालय सामाग्री क्रय हंस ट्रेडर्स 15925.00 नगद 24–10.10.11 शौचालय निर्माण मस्ट्रोल 38880.00 25–12.10.11 शौचालय सामाग्री क्रय 37050.00 नगद 26–12.10.11 शौचालय निर्माण मस्ट्रोल12420.00 नगद 28–19.10.11 कैमरा क्रय नवनीत इलेक्ट्रानिक 5000.00 योग– 598315.00 उक्त आपत्तिजनक है कि:– 1. प्रायः सभी व्यय नगद किये गये है जो कि सर्वथा अनियमित है। फर्मो को भुगतान खाताधारक चेक से कियाजाना चाहिए था। 2.किसी फर्म के स्टीमेंट एम0बी0 व कार्यपूर्ति नही है। स्टाक रजिस्टर भी नही है। 3.शौचालय निर्माण मे लाभार्थियों से अंशधन नही लिया गया। 4.मस्ट्रोल मे लगे सभीनिशानी अंगूठे एक से है जिससे मस्ट्रोल फर्जी प्रतीत होता है। 5. गॉव के करीब में ई भट्ठा के होते हुए गैर जनपद से सुदूर जाकर ईट क्रय वह भी नगद यह काई औचित्य नही है। 6. शौचालय निर्माण में खिड़की ,गेंट,दरवाजा,आदि की भी आवश्यकता पड़ती है उपरोक्त खरी नही की गयी। ऐसी अवस्था में शौचालय निर्माण संदिग्ध है फर्जी अभिलेख तैयार किये गये है। अतः पूर्ण जाचोपरान्त रू0–5983315.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित प्रधान री निर्मल सिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री लच्छूराम से करते हुए प्रशसनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बॉकेगंज	ग्रांट डाटपुर	34	1. पसियापुर में लेखराम के मकान से पश्चिम पुलिया तक खण्डजां मरम्मत कार्य पर निम्नानुसार व्यय कोषांकित है:– प्रमाणक सं0 दिनांक कार्य चेक नं0 राशि चेक भुगतान कार्य अवधि तिथि 27 28.3.11 चिटं ब्रिक फील्ड से 47585 इटा क्रय 550953 174399.00 6.4.11 28 28.3.11 431 मी0 मिट्टी पटाई 00630 22635.00 7.4.11 29 28.3.11 खण्डजा मरम्मत कार्य एमआर उतरवायी खुदाई 22440.00 20.3.11 से 31.3.11 30 28.3.11 खण्डजां लगवायी एमआर से 07.4.11 तक 31020.00 1.4.11 कुल योगः– 260494.00 उपरोक्त मे आपत्तिजन है कि:– 1. कार्य 26.3.11 से 31.3.11 व 01.4.11 से 07.4.11 तक हुआ

किन्तु कोषांकन व्यय भुगतान दिनांक 28.3.11 ही है। जो कि सम्भव नही है।

2. स्वयं के नाम दिनांक 28.3.11 को जारी चेक मजदूरी भुगतान हेतु नं0 000630 रूपये 76000.00 को पेमेन्ट दर्शाना एवं कोषबही में 28.3.11 को ही मजदूरी भुगतान दर्शाने का कोई औचित्य नही है।
3. कार्य के स्टीमेट व एम0बी0 नही है।
4. उक्त मार्ग पर वर्तमान मे सी0सी0 रोड होना लेखा परीक्षा के संज्ञान मे आया है।
5. सभी मस्टरोल पर सभी निशानी अंगूठे है एवं एक जैसे है।
6. मिट्टी खरीद पर रायल्टी नही दी गयी एवं प्रमाणक सादे कागज पर है रसीदी टिकट तक नही लगा।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया एवं ईटो को भी अपहरित किया गया है। अतः रू0 250494.0 वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित प्रधान श्रीमती आलिया बेगम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालाराम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

2. ग्राम निधि प्रथम से भीखमपुर मे सीताराम के मकान से बाबर पुर की हद तक खण्डजां निर्माण कार्य हेतु चेक नं0 555952 दिनांक 18.3.11 से रू0 181637.00 का भुगतान मेसर्स भिण्ड ब्रिक फील्ड को किया गया। उक्त चेक का भुगतान दिनांक 2.4.11 को हाना कोषबही में अंकित है। उक्त पर अन्य व्यय निम्नानुसार किया गया है:-

बाउचर नं0 32 दिनांक 29.3.11 मेसर्स मिट्टी खुदाई 17160.00 अंगूठे निशानी 12.3.11 से 18.3.11 एक जैसे है । एक बार मे एम आर बनाया गया है। बाउचर नं0 33 दिनांक 29.3.11 एम आर खण्ड़ंजा लगवायी 22680.00 उपरोक्तानुसार 19.3.11 से 25.3.11

उपरोक्त कार्य की एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। कार्य पूर्ति मे मात्र प्रधान ग्राम सभा के हस्ताक्षर है। सभी मजदूरो के निशानी अगूठे है एवं पूर्ण आपत्ति के अनुसार ही है। साल भर मे लगभग 2/3 व्यय माह मार्च मे ही होना आश्चर्य जनक है। कार्य की सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति नही है। रू0 22680.00 मजदूरी में उपरोक्त ईट का उपभोग भी संम्भव नही है। उपरोक्त के कारण धन एवं सामग्री का प्रकरण स्पष्ट होता है।

अतः पूर्ण जॉचोपरान्त रू0 221477.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित प्रधान श्रीमती आलिया बेगम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालाराम से अपेक्षित रही प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है। विगत वर्षो मे अन्य योजना से उक्त कार्य तो नही कराया गया की भी जॉच की जानी चाहिए।

3. ग्राम निधि खाते से दिनांक 20.4.11 को चेक नं0 000627 से रू0 50000.00 मेसर्स शिवम स्पन पाइप को भुगतान करान कोषांकित है। अंकित विवरणानुसार बाउचर नं0 26 दिनांक 28.3.11 से उक्त व्यय किया गया था। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त खरीदे गये हयूम पाइप की की पर उपभोग नही किया । ऐसे किसी कार्य का कोई स्टीमेट व एम0बी0 नही पायी गयी जिसमे हयूम पाइप का उपभोग होना हो। सक्षम प्राधिकारी की कोई स्वीकृति भी नही प्रस्तुत थी।

				अतः पूर्ण जॉचोपरान्त रू0 50000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित प्रधान श्रीमती अलिया बेगम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालाराम से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 4. दिनांक 3.5.11 को मेसर्स माहेश्वरी इलेक्ट्रिकल्स से 10 नग स्ट्रीट लाइट का मूल्य रू0 49000.00 भुगतान कराने कोषांकित है। अंकित विवरण के अनुसार उक्त व्यय बाउचर 25 दिनांक 28.3.11 को किया गया था। उक्त मे आपत्ति जनक है कि:– 1. उ0प्र0 विद्युत विभाग से अनुमति नही प्राप्त की गयी। 2. स्टीमेट व एम बी नही है। 3. विद्युत विभाग से के सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारो से संयोजन नही करवाया गया। 4. प्रमाणको से किसी प्राइवेट व्यक्ति से विद्युत तारो से संयोजन कराने की स्थिति स्पष्ट नही हुई। 5. विद्युत तारो से संयोजन एवं बिना अनुमति के बिजली का उपभोग कराने आपराधिक श्रेणी मे आता है। अतः रू0 49000.00 की वसूली प्रधान श्रीमती आलिया बेगम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लालाराम से करते हुए प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 5 31.3.11 को भुगतान हेतु शेष चेके रू0 551536.00 घटाने के बाद ग्राम निधि प्रथम खाते में मात्र रू0 61172.00 ही शेष बचते है। ग्राम निधि प्रथम खाते मे निम्न विवरण के अनुसार धन प्राप्त हुआ जिसका उद्देश्य/प्रयोजन स्पष्ट न हो सका– दिनांक 29.4.11 रू0 54300.00 स्पष्ट है कि 31.3.11 को शौचालय सम्बन्धी कोई धन शेष न था। दिनांक 29.4.11 रू0 126700.00 तीन माडल स्कूल शौचालय व 32 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर माहवार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:– माह जून 2011 188920.00 गत वर्षो मे शौचालय हेतु धनप्राप्त जुलाई 11 97960.00 होने का कोई विवरण उपलब्ध नही अगस्त 11 20000.00 सितम्बर 11 430631.00 योग– 737511.00 जबकि 120 व्यक्तिगत शौचालय हेतु दिनांक 10.8.11 को रू0 544800.00 जि0पं0 राज अधिकारी खीरी से धन प्राप्त हुआ था। एक माडल शौचालय की लागत रू0 70000.00 होती है। श्री लालाराम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 32 व्यक्तिगत शौचालय व तीन माडल शौचालय का निर्माण अपने कार्यकाल मे करवाया गया है।जिस पर व्यय नियमतः रू0 355280.00 होना चाहिए। संज्ञान मे लाया गया कि शौचालयो की साइज एवं टाइलरन आदि स्टीमेट के बाद बढवाया गया है शासना देश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न था। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवश्यकता से अधिक धन व्यय किया गया। शौचालय निर्माण सम्बन्धी निम्न प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत थे:–

				प्रमाणक सं0 दिनांक व्यय विवरण राशि 19 15.6.11 शौचालय हेतु दरवाजा क्रय लोहे के 15000.00 20 27.6.11 पटेल ट्रेडर्स से सामग्री क्रय 20000.00 27 14.7.11 टैंक यो0 सीट टाइल्स क्रय 18000.00 28. 14.7.11 स्कू0 शौ0 हेतु रोशनदान क्रय 10000.00 32 17.8.11 पटेल ट्रेडर्स से सामग्री क्रय 20000.00 32 05.9.11 ईटा क्रय 6711.00 37 16.9.11 टंकी पाइप तीनो शौ0 हेतु 10000.00 38 16.9.11 पटेल ट्रेडर्स से सामग्री क्रय 20000.00 39 16.9.11 पटेल ट्रेडर्स से सामग्री क्रय 20000.00 45 19.9.11 स्कू0 शौ0 हेतु टोटी सीट आदि 10000.00 46 19.9.11 स्कू0 शौ0 हेतु रोशनदान क्रय 10000.00 योग– 159711.00 आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक न होना धन के अपहरण की पुष्टि करता है। स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न थे। अतः पूर्ण जॉचोपरान्त रू0 159711.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री लालाराम ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती आलिया बेगम से अपेक्षित रही।
	निघासन	बेलहा	35	1. ग्राम पंचायत बेलहा 01.04.10 से सितम्बर 2011 तक श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत रहे है। उनके कार्यकाल मे ग्राम निधि प्रथम खाते से आहरित धन के सापेक्ष संगत व्यय प्रमाणक अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न थे। श्री ओ0 पी0 वर्मा ग्राम विकास अधिकारी जो वर्तमान में (अक्टूबर 11) से ग्राम पंचायत में कार्यरत है द्वारा बताया गया कि उनको अभिलेख चार्ज मे दिये ही नही गये। आहरित धन के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व संगत अभिलेख न होना धन के अपहरण की स्वयं पुष्टि करते है। श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 9064 जिला सहकारी बैंक शाखा निघासन से आहरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 मे कुल आहरण 1429675.00 वित्तीय वर्ष 2011–12 (सितम्बर) तक 93840.00 कुल 1523515.00 उक्त खाते मे छात्रवृत्ति का धन वित्तीय वर्षवार निम्नानुसार प्राप्त हुआ था:– 2010–11 मे 327450.00 1.4.11 से सितम्बर 11 तक 300.00 योग– 327750.00 इस प्रकार आहरित धन छात्रवृत्ति का भी धन शामिल है। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में कुल आहरण रू0 70555.00 था। अतः रू0 1523515.00 की वसूली जॉचोपरान्त श्री छन्नू लाल ग्राम पंचायत अधिकारी प्रधान श्रीमती अनीता देवी (वर्तमान) व पूर्व प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि प्रिया साफ्ट वेयर में फीडिंग अभिलेखीय आधार पर न होकर काल्पनिक आधार पर करवायी गयी थी।

	बॉकेगंज	तेंदुआ	36	ग्राम पंचायत मे अगस्त 11 तक श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत रहे है।उनके द्वारा निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाये गये है:– अ–बाउचर नं0 2 दिनांक 13.4.11 सुशील के घर से दीनबन्धु के घर तक मिट्टी व खण्ड़ंजा कार्य मस्टरोल 5760.00 9.3.11 से 16.3.11 तक 8160.00 9.3.11 से 15.3.11 तक बाउचर नं0 4 13.4.11 जयमल से मिट्टी क्रय 6090.00 21 ट्राली दर 290.00 ब– बाउचर नं0 3 दि0 13.4.11 दिलीप के घर से रमेश के घर तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टीपटाई हेतु जयमल से मि0 क्रय 45 ट्राली दर 290.00 13050.00 स– बाउचर नं0 9 दि0 5.9.11कुमार ट्रेडिंग कम्पनी से 4 रोशनदान 32 कुन्तल 20000.00 4 दरवाजा कब्जा ढुलाई सहित।नकद खरीद द– बाउचर नं0 10दि0 11.8.11 जू0हा0 शौ0 बनवायी मस्टरोल 9960.00 य– बाउचर नं0 12 दि0 25.8.11 मेसर्स बालाजी सीमेन्ट स्टोर से सामाग्री क्रय 20 बोरी सीमेन्ट दर 250 16000.00 50 कुन्तल मौरंग दर 110 20 कुन्तल बालू दर 120 77.5 सरिया उक्त मे आपत्तिजनक है कि:– 1. बिना मिस्त्री के खण्ड़ंजा निर्माण सम्भव नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य मस्टरोल मे मिस्त्री लगे है। 2. जयमल से रू0 19140.00 मूल्य की मिट्टी क्रय की गयी है जबकि शासकीय रायल्टी का भुगतान नही किया गया। जयमल मिट्टी के ठेकेदार नही है। इस प्रकार व्यय फर्जी है। 3. बाउचर नं0 3 से ग्राम निधि प्रथम से मिट्टी पटाई का कार्य स0भा0 मे किया गया है जो कि ग्राम निधि से अनुमन्य नही है। 4. कुमार ट्रेडिंग कम्पनी स्वयं श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी की है तथा नगद सामाग्री क्रय नियमानुसार नही है। स्टाक रजिस्टर भी नही है। भुगतान स्वयं श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा रू0 20000.00 का लिया गया है। 5. बाउचर नं0 10 से शौचालय बनवायी की मजदूरी का भुगतान किया गया है जबकि धन श्री सुरेन्द्र कुमार को चेक नं0 126870 दि0 11.8.11 को किया गया है। स्पष्ट है कि फर्जी मस्टरोल बनाया गया है ईट न थी। 6. बाउचर नं0 12 में मौरंग रू0 110.00 प्रति कुन्तल तथा बालू रू0 120 प्रति कुन्तल सम्भव नही है। बालू ट्राली की दर रू0 450.00 प्रति ट्राली मिलती है। स्पष्ट हे कि फर्म से मिलकर फर्जी बिल बनवाया गया है। 7. किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है स्टाक रजिस्टर भी नही है। कार्ययोजना भी नही है। उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन के अपहरण के लिए फर्जी अभिलेख तैयार किये गये है। अतः जॉचोपरान्त रू0

79020.00 की वसूली श्री अशोक वर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान ग्राम पंचायत तेंदुआ श्रीमती संगीता देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।

2. ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल मे निम्न विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से कार्य करवाया जाना दर्शाया गया है:–

प्रमाणक सं0	दिनांक	व्यय विवरण	राशि	टिप्पणी
13	29.10.11	मेसर्स हसन ईट उद्योग से ईटा खण्डजा क्रय 2000 दर 3810	7600.00	नगद
14	29.10.11	सुन्दर के घर से भगवानदीन के घर तक खण्ड़जा मरम्मत कार्य	4800.00	
15	29.10.11	श्री मंजेश से मिट्टी क्रय	2600.00	नगद
16	29.11.11	प्यारे लाल के घर से कंधई के घर तक मिट्टी व खण्ड़जा कार्य	11340.00	
17	29.11.11	मंजेश से मिट्टी क्रय	6930.00	नगद
18	29.11.11	दिलीप के घर से रामस्वरूप के घर तक पडन्जा से खण्ड़जा में बदलना व मिट्टी कार्य मस्टरोल	16020.00	
19	29.11.11	मंजेश से मिट्टी खरीद	10500.00	

उपरोक्त में आपत्तिजनक है कि:–

1. किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति नही है।
2. मंजेश से मिट्टी क्रय की गयी है किन्तु शासकीय रायल्टी का भुगतान नही किया गया। मंजेश मिट्टी के ठेकेदार नही है। नगद भुगतान अनियमिता है। श्री मंजेश ग्रा0रो0से0 है ऐसा मौखिक संज्ञान मे आया है।
3. बाउचर नं0 13 से हसन ईट उद्योग से नगद ईट क्रय की रू0 3610.00 थी न कि रू0 3800.00 इसी दर पर अन्य ग्राम पंचायतों में ईट इसी मूल्य द्वारा आपूर्ति की गयी है दूरिया भी समान रही है।
4. कार्य योजना नही है। स्टाक रजिस्टर नही है।
5. तत्मय ईट उपलब्ध ही न थी। बगैर ईटा के कार्य सम्भव नही है।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि धन के अपहरण के लिए फर्जी अभिलेख तैयार किये गये है। अतः अपहरित राशि रू0 59700.00 की वसूली जॉचोपरान्त दण्डनीय ब्याज सहित श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती संगीता देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। उक्त में प्रमुख उत्तरदायी श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी है क्योकि प्रधान महिला है।

3. निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से कार्य करवाया जान कोषांकित है:–

प्रमाणक सं0	दिनांक	व्यय विवरण	राशि	टिप्पणी
29	06.03.12	हीरा लाल के घर से देवी मन्दिर तक खण्ड़जा मरम्मत मस्टरोल	7200.00	नगद
30	06.03.12	रामकिशोर से मिट्टी क्रय	5800.00	नगद
31	20.03.12	मेसर्स रतन लाल अग्रवाल	15200.00	नगद

एण्ड एसो0 से प्रथम श्रेणी ईट क्रय दर 3800

32 21.3.12 जयमल पुत्र डल्लाराम से मिट्टी क्रय 15000.00

33 26.3.12 पेन्टेड रोड से रामचन्द्र के घर तक
खण्ड़ंजा मरम्मत कार्य मस्टरोल 17280.00

34 26.3.12 उपरोक्त कार्य मस्टरोल 14820.00

उक्त में आपत्तिजनक है कि:–

1. बिना खण्ड़ंजा ईट के खण्ड़ंजा निर्माण/मरम्मत कार्य सम्भव नही है।
2. 4000 प्रथम श्रेणी की ईटो को यदि खण्ड़ंजा में लगाया जो तो भी मजदूरी मे इतना अधिक व्यय किसी भी मानक से सही नही है।
3. मस्टरोल में अंकित सभी मजदूरो के अंगूठे निशानी एक से है।
4. राम किशोर से रू0 15900.00 नगद भुगतान करके मिट्टी क्रय की गयी है किन्तु शासकीय रायल्टी का भुगतान नही किया गया। रामकिशोर मिट्टी के ठेकेदार नही है। फर्जी व्यय होने के कारण ही नगद व्यय दर्शाया गया है।
5. किसी कार्य के स्टीमेट एम0बी0/कार्यपूर्ति कार्ययोजना नही है।

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि शासकीय धन का अपहरण के लिऐ फर्जी अभिलेख तैयार किये गये हे। अतः अपहरित राशि रू0 75300.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित जॉचोपरान्त श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती संगीता देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही है। प्रधान ग्राम पंचायत महिला है इस कारण प्रमुख उत्तरदायी श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी है।

4. सस्ती दर ईट सुलभ होने के बावजूद अधिक दर पर ईट क्रय शासकीय धन रू0 870.00 का दुर्विनियोग किया गया हैं अतः रू0 870.00 की वसूली श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्रीमती संगीता देवी से अपेक्षित रही। तुलनात्मक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण–पत्र

श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी शिवपुर साण्डा मे भैठिया, अलीगंज, रोशन नगर, कुशमौरी, व तेदुआ मे कार्यरत रहे है। उनके द्वारा खरीदे गये खण्डजा व अव्वल ईट की दरो की स्थिति निम्न प्रकार रही है:–

<u>ग्राम पंचायत शिवपुर साण्डा:–</u>

बाउचर नं0 13 दिं. 03.10.11 हसन ईट उद्योग खण्ड़ंजा दर 3365.00 मात्रा 10000 रूपये 33650.00

जबकि इसी अवधि में अन्य ग्राम पंचायतो में खण्ड़ंजा खरीद दर काफी अधिक दर्शित है विवरण इस प्रकार है:–

<u>भैटिया:–</u>

बाउचर नं0 21 दि0 25.10.11 हसन ईट
उद्योग 23000 दर 3610 83030.00
22 7400+3610= 26714.00
अधिक भुगतान– 7448.00

<u>रोशन नगर कुशमौरी:–</u>

				बाउचर नं0 14 19.10.11 हसन ईट उद्योग 3200+3610=11552.00 बाउचर नं0 15 19.10.11 हसन ईट उद्योग 3300+3610=11913.00 बाउचर नं0 27 25.10.11 हसन ईट उद्योग 7000+3610=25270.00 बाउचर नं0 28 25.10.11 हसन ईट उद्योग 7400+3610=26714.00 बाउचर नं0 29 25.10.11 हसन ईट उद्योग 8000+3610=28880.00 बाउचर नं0 30 25.10.11 हसन ईट उद्योग 11000+3610=39710.00 अधिक भुगतान– 9775.00 अलीगंजः– बाउचर नं0 19 दि0 19.10.11 हसन ईट उद्योग 12900+3610=46569.00 अधिक भुगतान– 3610.00
	बॉकेगंज	सुआबोझ	37	ग्राम पंचायत सुआबोझ मे श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम निधि प्रथम से निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है। प्रमाणक सं0 दिनांक व्यय विवरण राशि टिप्पणी 36 15.10.11 देवीपुर से सुआबोझ तक खण्डजा मरम्मत मस्टरोल 7.10.11 से 29.11.11 तक 15000.00 मिस्त्री नही है सभी निं0अ0 एस जैसे है। 38 19.11.11 उपरोक्त कार्य 16.11से 29.11.11 तक 42000.00 40 2.12.11 उपरोक्त कार्य 16.11से 29.11.11 तक 42000.00 41 9.12.11 मेसर्स निसार अहमद एण्ड कम्प0 से 122740.00 34000 खण्डजा क्रय 44 15.12.11 देवीपुर से सुआबोझा तक एम0आर0 50400.00 46 21.12.11 मेसर्स निसार अहमद एण्ड कम्प0 से 67868.00 18800 खण्डजा क्रय 47 27.12.11 विजय मास्टर के घर से खेत तक खण्ड़ंजा निर्माण मजदूरी 20160.00 50 4.1.12 कंधईपुर में लिंक रोड से व्यूबबेल 50400.00 वासदेव के खेत तक खण्ड़ंजा मरम्मत 14.12.11 से 25.12.11 तक 54 16.1.12 उपरोक्त कार्य 2.1.12 से 15.1.12 तक 50400.00 65 5.3.12 उपरोक्त कार्य 2.1.12 से 15.1.12 तक 18480.00 योग–479448.00 उपरोक्त अंकित टिप्पणियों के अतिरिक्त अन्य आपत्तियॉ निम्नवत हैः– 1. किसी कार्य के स्टीमेटएम0बी0/कार्यपूर्ति नही है। 2. दर्शित खरीदे गये खण्ड़ंजा ईटो के सापेक्ष उक्त कार्यो पर मजदूरी मे इतना अधिक व्यय सम्भव नही है। 3. न तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कार्य योजना है और न ही स्टाक रजिस्टर। 4. सभी मस्टरोल एक बार मे बनाये गये है। नियमतः मजदूरो की उपस्थिति प्रति दिन अंकित की जाती है। साप्ताहिक मस्टरोल होते है। उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः जॉचोपरान्त रू0 479448.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व

				प्रधान श्रीमती गुलायची देवी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 2. बाउचर नं0 22 दिनांक 20.6.11 से मेसर्स गोयल ब्रदर्श से निम्न विवरण के अनुसार रू0 71562.00 मूल्य की सामाग्री क्रय की गई है। 180 बोरी सीमेन्ट दर 250.00 45000.00 सरिया 6.25 किग्रा0 दर 4250.00 26562.00 सरिया दर प्रति किलो रू0 4250.00 सम्भव नही है। इस प्रकार रू0 26296.00 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः रू0 26296.00 की वसूली श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्रीमती गुलायची देवी से अपेक्षित रही । 3. निम्न विवरण के अनुसार काफी अधिक दर पर नगद बालू क्रय कराने दर्शाया गया है:– प्रमाणक सं0 दिनांक मात्रा दर मूल्य 15 11.5.11 10 ट्राली 3000.00 30000.00 53 6.1.12 4 ट्राली 2000.00 8000.00 61 6.1.12 4 ट्राली 2000.00 8000.00 कतिपय अन्य पंचायतो में प्रति ट्राली बालू खरीद दर 1200.00 रही है। इस प्रकार रू0 24400.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित धन की वसूली श्री मोहन लाल शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्रीमती गुलायची देवी से दण्डनीय ब्याज के सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बांकेगंज	सौखिया	38	1– निम्न विवरण के अनुसार तथागत शौचालय निर्माण हेतु धन लाभार्थियों को नगद दिया जाना दर्शाया गया है। धन प्राप्ति में लाभार्थियों की प्राप्ति रसीदे नहीं हैं और न ही शौचालय निर्मित होने की पुष्टि में कार्यपूर्ति/एम0बी0 ही है। इस प्रकार फर्जी धन देना दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। विवरण इस प्रकार है:– बाउचर नं0 दिनांक विररण राशि 28 27.2.2007 20 लाभार्थियों को 30000.00 02 13.4.2007 15 लाभार्थियो को 22500.00 18 09.10.2007 05 लाभार्थियों को 7500.00 60000.00 अतः अपहरित धन रू0 60000.00 की वसूली तारीख दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री मदन लाल वर्मा से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। 2–बिना ईटों के निम्न विवरण के अनुसार खाण्डन्जा निर्माण व खाण्ड़ंजा मरम्मत कार्य करवाना दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। किसी भी कार्य के स्टीमेंट एम0बी/कार्यपूर्ति भी नही हैं मस्ट्रोल मे लगे नि0 अंगूठे एक जैसे है। विवरण निम्न प्रकार है:– बाउचर नं0 दिनांक विररण राशि 2– 21.7.09 लालू के मकान से राम 5000.00 औतार के मकान तक खाण्डन्जा निर्माण कार्य मस्ट्रोल 15.7.09 से 21.7.09 तक 3– 15.10.09 सौख्यिाया में खाण्ड़ंजा उखड़वायी 40000.00 व लगवायी मस्ट्रोल 1/10से 14/10 5–18.11.09 राजेपुर में खाण्डन्जा व मिट्टी कार्य मस्ट्रोल 10000.

00 10/11से 16.11.09

योग– 55000.00

अतः अपहरित राशि रू0 60000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री मदन लाल वर्मा से अपेक्षित रहीं।

3– ग्राम पंचायत सौखिया में निम्न विवरण के अनुसार कार्य कराना ग्राम निधि प्रथम से दर्शाया गया है:–

1– छत्तीपुर राज में नाल निर्माण :–

बाउचर नं08 दिनांक 9.6.06 सीमेंन्ट आदि वर्मा ट्रेडर्स 12000.00 नगद क्रय

बाउचर नं0 9 दिनांक 17.6.06 नाली खुदाई मस्ट्रोल 2220.00 किसी लेवर के नि0 अं0 या हस्ताक्षर मस्ट्रोल में नही है।

बाउचर नं0 10 दिनांक 17.6.06 नाली निर्माण मस्ट्रोल 15156.00 बिना ईट के नाली निर्माण सम्भव नही है।

2– निम्न खरीदी गई सामाग्री का कहीं उपभोग नही किया गया और न ही सामाग्री स्टाक में है:–

बाउचर नं0	दिनांक	विररण	राशि
14	18.7.06	मेसर्स रतन लाल ईट भट्ठे से ईट क्रय	20900.00
15	18.7.06	मेसर्स रतन लाल ईट भट्ठे से ईट क्रय	34320.00
20	20.9.06	मेसर्स वर्मा ट्रेडर्स से सीमेन्ट मौरंग क्रय	9900.00
01	4.5.09	मेसर्स सिंह स्पनपाइप से ह्यूमपाइप क्रय	120500.00

अंकित टिप्पणी के अतिरिक्त उक्त कराये गये दर्शित कार्य के स्टीमेंट एम0बी0/कार्यपूर्ति भी नही है।इस प्रकार रू0234851.00 का अपहरण किया गया ह।

अतः अपहरित राशि 234851.00 की वसूली जॉचोपरान्त श्री नंदरामवर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री मदन लाल वर्मा से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही। सम्भवतः इसकी कारण श्री नंदराम ग्राम पंचायत अधिकारी ने नियमानुसार कई वर्षो से ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा नही करवायी थी।

4– बाउचर नं08 दिनांक 2.2.10 से रू. 40000.00 नगद भुगतान कर मेसर्स प्रहलाद लाइट हाउस से 10 स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी दर्शित है उक्त आपत्तिजनक है कि:–

1– नगद क्रय स्वयं मे स्थिति संदिग्ध करता है। नियमानुसार क्रय नही है।

2– राज्य विद्युत विभाग से अनुमति नही है।

3– स्टीमेंट एम0बी0 नही है।

4– लगवाना स्पष्ट नही हैं।

5–सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं है।

उपरोक्त से स्वयं स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित राशि रू0 40000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री मदन लाल वर्मा से करते हए प्रशासनिक कार्यवाही – अपेक्षित रही।

5– सौखिया में खाण्डन्जा व मिट्टी कार्य पर निम्न विवरण के अनुसार धन व्यय करना दर्शित है:–

				बाउचर नं0 दिनांक विररण राशि टिप्पणी 01– 7.4.10 मस्ट्रोल 24.4.10से 6.5.10 20075.00 1. कार्य बाद में किन्तु मजदूरी भुगतान पहले दर्शित 2. कार्य सील अंकित नही। 02– 24.4.10 50000.00 खण्ड़ंजा कय170000.00 26.5.10 खाण्डन्जा लगवायी मस्ट्रोल 19970.00 1. प्रमाणक नही है। 2. क्रमांकन नही है। 07– 3.6.10 मिट्टी विजयपाल से क्रय 2750.00 मी0 1. कहॉ डाली गई स्पष्ट नही 2. मिट्टी ठेकेदार नहीं है। 08–16.7.10 मस्ट्रोल भुगतान 19300.00 1. कार्य स्थल अंकित नहीं है। 2. सभी नि0 अं0 एक जैसे हैं 13– 5.3.11 ईट क्रय 27000 97200 उक्त ईट लगवाने में इतनी मजदूरी सम्भव नही सभी नि0 अंगूठे एक जैसे 14– 11.3.11 मजदूरी भुगतान 34920.00 उक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि किसी कार्य के स्टीमेंट एम0बी/कार्यपूर्ति स्वतः स्पष्ट है कि फर्ज़ी कर धन का अपहरण किया गया है। स्टाक रजिस्टर भी नही बनाया गया है। अतः अपहरित धन रू0 364215.00 की वसूली जॉचोपरान्त श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान श्री मदन लाल वर्मा (अक्टूबर 10 तक) व वर्तमान प्रधान श्री गीता देवीसे करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही । धन गबन कर लिए जाने के कारण ही 2006–07 से नियमानुसार लेखा परीक्षा नही करायी जा रही थी। 6– बाउचर नं003 दिनांक 15.10.11 में कराया गया अंकित क्रय रोकड़ बही में कराया गया कार्य अंकन भिन्न निम्नानुसार है:– प्रमाणक मस्ट्रोल के अनुसार – प्रा0 वि0 सौखिया से जीतेन्द्र के मकान तक खाण्डन्जा व मिट्टी कार्य। रोकड़ में अंकित कार्य– स्कूल से बंजर तक खाण्डन्जा लगवायी कार्य। उक्त विभिन्नता व स्टीमेंट कार्यपूर्ति/एम0बी0 न होने तथा मस्ट्रोल में अंकित सभी निशानी अंगूठे एक समान/ एक जैसे होने से कार्य की स्थिति पूर्ण तथा संदिग्ध है। उक्त कार्य मे मजदूरी पर रू039960.00 व बाउचर नं4 दिनांक 24.10.11 से ईट खरीद रू0 99997.00 कुल रू0 139957.00 व्यय दर्शित है। ईट बिल में ईटों की मात्रा 27700 है जबकि रोकड़ बहीमें खाता संख्या 27800 अंकित है। स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गयाहै अतः जॉचोंपरान्त 139957.00 की वसूली श्री नंदराम वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान गीता देवी से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही।
	बांकेगंज	रोशननगर कुसमौरी	39	1– ग्राम पंचायत रोशन नगर कुसुमौरी में निम्नानुसार ग्राम निधि प्रथम के धन से कार्य करवाया जाना कोषांकित है:– बाउचर नं05 दिनांक 2.6.11 मेसर्स वर्मा कम्यूनिकेशन एण्ड इले0 हाउस से 10 स्ट्रीट लाइट क्रय 5500.00नगद बाउचर नं13 दिनांक 17.10.11 खुशबू फोटो एवं मोबाइल सेन्टर

अलीगंज से कैमरा 6000.00नगद
उक्त में आपत्तिजनक है कि:–

1. नियमो का उल्लंघन कर नगद भुगतान धन के अपहरण की पुष्टि करता है।
2. स्ट्रीट लाइटे कहां लगवायी गई एव किस शासकीय कर्मचारी से बिजली तारों से संयोजन करवाया गया अस्पष्ट रहा।
3. राज्य विद्युत विभाग के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लिए बगैर विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ एवं विद्युत का उपयोग आपराधिक कृत्य है।
4. ग्राम पंचायत में पूर्व से मौजूद कैमरा कहां गया स्पष्ट नही है तथा नया कैमरे को चार्ज मे प्रतिस्थानी को नही दिया गया।
5. स्टीमेंट में एम0बी0/कार्यपूर्ति ,कार्ययोजना स्टाक रजिस्टर नही हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया हैं अन्य ग्रामों में श्री शर्मा द्वारा लाइटे रू0 4000.00 की दर से खरीदी गई । अतः रू0 61000.00 की वसूली दण्डनीय ब्याज सहित श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी तथा प्रधान श्री योगेश मरुारी से करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही । उक्त में प्रमुख दोषी श्री विजय शर्मा है क्योंकि उनका प्रथम दायित्व था कि अनियमितता न हो क्योंकि व शासकीय कर्मचारी है।

2– ग्राम पंचायत में ईट खरीद में अधिक दर पर ईट खरीद कर शासकीय धन रू0 9775.00 का दुरूपयोग किया गया है। जबकि तत्समय सस्ती दर पर ईट उपलब्ध थी । अतः रू09775.00 की वसूली श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री योगेश मुरारी से दण्डनीय ब्याज सहित करते हुए प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित रही ।

3– अधिक दर पर ईट क्रय का रू0 4640.00 का दुरूपयोग किया गया है जबकि तत्समय कम दर पर ईट उपलब्ध थी। अतः रू0 4640.00 की वसूली श्री विजय शर्मा ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान श्री योगेश मुरारी सक्सेना से अपेक्षित रही ।

विवरण पत्र–सूची

श्री विजय शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम शिवपुर साण्डा भौठिया अलीगंज रोशन नगर कुसुमौरी व तेंदुआ में कार्यरत रहे है। उनके द्वारा खरीदे गये खाण्ड़जा व अव्वल ईट की दरों की स्थिति निम्न प्रकार रही:–

ग्राम– शिवपुर साण्डा:–

बाउचर नं13 दिनांक 3.10.11 हसन ईट उद्योग खण्डजा दर 3365 मात्रा 10000 33650.00

जब कि इसी अवधि में अन्य ग्राम पंचायतों में खण्ड़जा खरीद दर काफी अधिक दर्शित है विवरण इस प्रकार है:–

भौठिया:– बाउचर नं0 21 दि0 25.10.11 हसन ईट उद्योग 23000 दर 3610–8330.00

बाउचर 22 25.10.11 हसन ईट उद्योग 7400 ग 3610–26714

अधिक भुगतान:– 7448.00

तेंदुआ:– बाउचर नं0 13 दि0 29.10.11 हसन ईट उद्योग 2000 ग

				3600 –7600.00 अधिक भुगतान :– 878.00 रोशन नगर कुसुमौरी:– बाउचर नं0 14 दि0 19.10.11 इसन ईट उद्योग 3200 ग 3610=11550.00 बाउचर नं015 दि019.10.11 हसनउद्योग 3300 ग 3610=11913 बाउचर नं027 दि025.10.11 हसनउद्योग 7000 ग 3610=25270 बाउचर नं028 दि025.10.11 हसनउद्योग 7400 ग 3610=26714 बाउचर नं029 दि025.10.11 हसनउद्योग 8000 ग 3610=28880 बाउचर नं030 दि025.10.11 हसनउद्योग 11000ग 3610=39710 अधिक भुगतान :– 9775.00 अलीगंज:– बाउचर नं0 दि0 19.10.11 हसन उद्योग 12900ग 3610=46569 अधिक भुगतान:–3160.00 विवरण पत्र सूची खांजड़ ईट की दरे अव्वल से काफी कम रू0 200.00कम होती है। शासन द्वारा निर्धारित दर अधिकतम होती हैं। निर्धारित दर से यदि कम दर पर ईट उपलब्ध हो तो उन्हे ही खरीदा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत अलीगंज में प्रमाणक सं0 31 दिनांक 20.3.12 को मेसर्स रतन लाल अग्रवाल एण्ड एसो0 से अव्वल ईट रू0 3800.00 की दर परक्रय की गयी है। बिल नं012 /590 है जबकि अन्य ग्राम पंचायत में अव्वल व खाण्डन्जा दरे निम्न रही है इसी अवधि मे:– ग्राम पंचातय शिवपुर साण्डा :– बाउचर नं0 दिनांक फर्म का नाम मात्रा दर राशि ईट 24 1.3.12 हसन ईट उद्योग 5250 3800 19950 खण्ड़ंजा 25 1.3.12 हसन ईट उद्योग 5250 3800 19950 खण्ड़ंजा अधिक व्यय(दर 200/अधिक) =2100.00 रोशन नगर कुसमौरी:– 44 30.3.12 हसन ईट उद्योग– 5250 19950 खण्ड़ंजा 45 30.3.12 हसन ईट उद्योग– 5250 19950 खण्ड़ंजा 46 30.3.12 हसन ईट उद्योग– 5250 19950 खण्ड़ंजा 47 30.3.12 हसन ईट उद्योग– 5250 19950 खण्ड़ंजा 48 30.3.12 हसन ईट उद्योग– 5250 19950 खण्ड़ंजा अधिक व्यय – 4640.00

जनपद का नाम :– उन्नाव

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

ग्राम पंचायत– कठिघरा विकास खण्ड– फतेहपुर चौरासी

प्रस्तर संख्या – 1 मनरेगा के अन्तर्गत स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने के कारण निर्माण सामग्री का गतवर्ष का शेष स्टाक, वर्ष में क्रय की गयी सामग्री, वर्ष प्रयुक्त स्टाक व उपयोग उपरान्त वर्षान्त के अवशेष सामग्री स्टाक की स्थिति अस्पष्ट रही।

अतः स्टाक पंजिका प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –2 ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने के कारण वर्ष में कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– बरौकी

प्रस्तर संख्या –3 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 50280 छात्रवृत्ति वितरित की गयी। जिसकी पुष्टि में विभाग द्वारा अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे छात्रवृत्ति पात्र छात्रों को ही वितरित की गयी। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या –4 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि–I मद अन्तर्गत ग्रामीण अवर अभियन्ता से कार्य मूल्यांकन (MB) नहीं करायी गयी। जिससे वर्ष में निर्माण कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी, पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत–लखनापुर

प्रस्तर संख्या –5 आलोच्य वर्ष में निर्माण समिति से निर्माण सम्बन्धी बिलों को सत्यापित नहीं कराया गया। जबकि निर्माण समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही बिलों का भुगतान किया जाना चाहिए। अतः निर्माण समिति से बिलों को सत्यापित कराया जाना अपेक्षित रहा।

ग्रामसभा– शिवपुरी

प्रस्तर संख्या –6 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि–I से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मस्टर रोलों पर कार्य की माप अंकित नहीं है। फलस्वरूप निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री/घनमीटर मिट्टी

की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। अतः मस्टर रोलों पर कार्य की माप अंकित करके प्रयुक्त निर्माण सामग्री की जानकारी/पुष्टि कराय जानी अपेक्षित है।

ग्रामसभा– भैंसौरा **विकास खण्ड – नवाबगंज**

प्रस्तर संख्या –7 मनरेगा खाते के अन्तर्गत कार्यों के उपयोग हेतु वर्ष में रु0 67,500/– की मिट्टी सप्लाई की गयी। परन्तु इस हेतु मिट्टी खनन की रायल्टी जमा कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी। निर्धारित दर पर रायल्टी जमा कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जगदीशपुर

प्रस्तर संख्या– 8 वर्ष में ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कुल जाब कार्ड धारक 380 रहे। जिनके सापेक्ष 7917 सृजित मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक जाब कार्ड धारक को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि केन्द्र सरकार की अपेक्षा के विपरीत रहा, उल्लेखनीय है कि मनरेगा खाते में रु0 304771/– वर्ष के प्रारम्भ में शेष थे व रूपये 1039802/– वर्ष में प्राप्त अनुदान था। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 1344573/– के सापेक्ष रु0 1159423/– व्यय किया गया तथा दिनांक 31.03.12 को रु0 185150/– अवशेष रहा। उपरोक्त विवरण से परिलक्षित होता है कि ग्राम सभा द्वारा शासन की नीतियों के अनुरूप मनरेगा की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा।

ग्राम सभा– अमरेथा

प्रस्तर संख्या– 9 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में 13वें/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति क्रय सामग्री का रेखांकन स्टाक पंजिका सृजित सम्पत्ति पंजिका माप पुस्तिका व क्रय सामग्री के अवशेष स्टाक की स्थिति कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। नियमानुसार उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– सेरसा

प्रस्तर संख्या –10 ग्राम निधि खाते के अन्तर्गत वर्ष दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु रु0 9,000/– का भुगतान दर्शाया गया है। ये सभी विज्ञापन राष्ट्रीय पर्वों पर शुभ कामना संदेश आदि के रूप में दर्शित हैं। विज्ञापन पर किया गया व्यय ग्राम पंचायत पर अनावश्यक व्यय भार है। शासन द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग जनहित में किया जाना उचित है। भविष्य में ऐसे अनावश्यक व्ययों पर रोक लगायी जानी अपेक्षित है।

ग्रामसभा– खैरहन **विकास खण्ड – गंज मुरादाबाद**

प्रस्तर संख्या –11 वर्ष में ग्राम निधि– I के खाते से रु0 3,000/ विज्ञापन मद में व्यय किया गया है। यह आपत्तिजनक है। राजकीय धन के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारी वाल पेन्टिंग द्वारा ग्राम स्तर पर सीमित रखा जाना उचित हो।

ग्राम पंचायत – दारापुर

प्रस्तर संख्या –12 रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष में कराये गये कार्यों व ग्राम निधि– प के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का पूर्व में स्टीमेट तैयार नहीं कराया गया है व कार्यपूर्ण होने की स्थिति में तकनीकी जांच व माप पुस्तिका पर कार्य की माप भी अंकित नहीं करायी गयी। कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। फलस्वरूप निर्माण कार्यों की भौतिक रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। विकास खण्ड कार्यालय पर तैनात तकनीकी अधिकारियों के सहयोग से उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर आवश्यक पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अटवा

प्रस्तर संख्या – 13 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में मिट्टी सप्लाई हेतु खनन रायल्टी जमा कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है। राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष में रु0 51,800/– तथा मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष में रु0 10,250/– की मिट्टी भरायी दर्शित है। नियमानुसार निर्धारित दर से खनन रायल्टी जमा करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– मटकुरी

प्रस्तर संख्या– 14 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में मिट्टी सप्लाई हेतु खनन रायल्टी जमा कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है। राज्य वित्त के अन्तर्गत रु0 109400 की मिट्टी की भरायी वर्ष में दर्शित है, नियमानुसार खनन रायल्टी जमा करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रूरी सादिकपुर

प्रस्तर संख्या– 15 वर्ष में रु0 171480/– छात्रवृत्ति वितरित दर्शायी गयी है। परन्तु इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत द्वारा छात्रवृत्ति वितरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। छात्रवृत्ति पंजिका प्रस्तुत कर जांच व पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – परियर **विकास खण्ड– सिकंदरपुर सिरोसी**

प्रस्तर संख्या– 16 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में संयुक्त प्रान्त पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 37 व पंचायत राज नियमावली उ0प्र0 1947 के सुशंगत नियमों के अधीन राजस्व वृद्धि हेतु पंचायत

करों का अवधारण नहीं किया गया है न ही पंचायत करों की वसूली ही दर्शित है। जो कि पंचायत हित में आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–17 वर्ष में ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना में प्राप्त धनराशि रु0 2126445/– के सापेक्ष रु0 1732983/– का व्यय/उपभोग किया गया है। उपभोग की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायत विभाग के नोडल अधिकारी का ध्यान वांछित कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या –18 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य में कराये गये कार्य चल व अचल सम्पत्ति को रजिस्टर में दर्ज कर खण्ड विकास अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी का ध्यान वांछित कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या–19 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2011–12 में पंचायत राज एक्ट 1947 की धारा 29 के तहत व पंचायत राज नियमावली 1947 के सुशंगत नियमों के अन्तर्गत कथित समितियों के पदाधिकारियों द्वारा भुगतान प्रमाणकों पर संस्तुति नहीं की गयी। भुगतान प्रमाणकों पर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा संस्तुति करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भदेउना

प्रस्तर संख्या– 20 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2011–12 में पंचायत राज एक्ट 1947 की धारा 37 व पंचायत राज नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत व पंचायत की आय वृद्धि हेतु ग्राम पंचायत के निवासियों पर कर का अवधारण नहीं किया गया है। जो कि ग्राम पंचायत के राजस्च वृद्धि हेतु आवश्यक था। ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी का ध्यान वांछित कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या –21 निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 के परिपत्र संख्या– 31528/ 2005–3/2002 लखनऊ दिनांक 18.02.2005 के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त आयोग , 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तकनीकी नियंत्रण में पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रारूपों पर लेखा/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया है। ग्राम पंचात के नोडल अधिकारी का ध्यान वांदित कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या– 22 वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में कुल आवंटित धनराशि रु0 1520968/– के सापेक्ष रूपये 989211 का व्यय/उपभोग लेखा परीक्षा में पाया गया है। उक्त धनराशि के उपभोग का प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। वांछितअभिलेखोकी पुष्टि कराने हेतु नोडल अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत – ख्वाजगीपुर।

प्रस्तर संख्या– 23

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि–I से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। फलस्वरूप कराये गये कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिका तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य को प्रमाण पत्र अपुष्टित रहा। उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या– 24 आलोच्य वर्ष में ग्राम सभा द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप कराये गये कार्य परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित हैं अज्ञात रहा समस्त सम्पन्न कार्यों का परिसम्पत्ति रजि0 में अंकन किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत– सरैया रैदास खुर्द

प्रस्तर संख्या– 25 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त एवं मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित क्रय की गयी सामग्री के सम्बन्ध में शासनादेशानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित न कर क्रय नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

प्रस्तर संख्या– 26 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि– ष्ष् खाता से रु0 28782 छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किये गये हैं। जिसकी पुष्टि में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः वितरित छात्रवृत्ति अनुमोदित सूची के अनुरूप है। इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रस्तर संख्या– 27 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2009–10 व 2010–11 में मध्याह्न भोजन योजना में क्रमशः 82717 व 63564 का भुगतान किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में छात्र उपस्थित पंजिका के प्रस्तुत न किये जाने से उक्त भुगतान परिवर्तन लागत के अनुरूप किये गये हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

ग्राम पंचायत– नेतुआ ग्रामीण

प्रस्तर संख्या– 28 ग्राम पंचायत द्वारा 2011–12 में क्रय की गयी निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर नहीं तैयार किया गया है। फलस्वरूप वर्ष का प्रारम्भिक स्टाक, वर्ष की क्रय, वर्ष में उपयोगित स्टाक व वर्षान्त के अवशेष स्टाक की स्थिति अस्पष्ट रही। उपरोक्त रजिस्टर तैयार कर पुष्टि करायी जाये।

ग्राम पंचायत – तौरा **विकास खण्ड – बिछिया**

प्रस्तर संख्या–29 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में संयुक्त प्रान्त पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 37 व पंचायत राज नियमावली उ0प्र0 1947 के सुशंगत नियमों के अधीन राजस्व वृद्धि हेतु पंचायत

करों का अवधारण नहीं किया गया है न ही पंचायत करों की वसूली ही दर्शित है। जो कि पंचायत हित में आवश्यक रूप से अपेक्षित है। पंचायत विभाग के नोडल अधिकारी का ध्यान वांछित कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या– 30 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में समस्त प्रकार की चल व अचल परिसम्पत्तियों का विवरण निर्धारित पंजिका संख्या–9 में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण पंचायत के स्वामित्व में आने वाली वृक्षारोपण तालाब, पोखरों भूमि, भवन आदि की तथ्यात्मक जानकारी लेखा परीक्षा में अज्ञात रही। इस प्रति नोडल अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या– 31 ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष के मनरेगा योजना के तहत कराये गये कार्यों व सृजित सम्पत्तियों को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है। सम्बन्धित नोडल अधिकारी का बयान इस प्रति आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत– पड़री कला

प्रस्तर संख्या– 32 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में संयुक्त प्रान्त पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 37 व पंचायत राज नियमावली उ0प्र0 1947 के सुशंगत नियमों के अधीन राजस्व वृद्धि हेतु पंचायत करों का अवधारण नहीं किया गया है न ही पंचायत करों की वसूली ही दर्शित है। जो कि पंचायत हित में आवश्यक रूप से अपेक्षित है। पंचायत विभाग के नोडल अधिकारी का ध्यान वांछित कार्यवाही हेतु आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर संख्या– 33 ग्राम पंचायत पड़री कला के वर्ष 2011–12 में समस्त भुगतानों/ व्यय प्रमाणकों पर पंचायत राज एक्ट 1947 की धारा– 29 के तहत गठित समितियों के पदाधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु संस्तुति की टिप्पणी व्यय प्रमाणाकों पर अंकित नहीं है। जो पंचायत राज लेखा मैनुअल के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

प्रस्तर संख्या– 34 ग्राम पंचायत में वर्ष 2011–12 के मनरेगा कार्यों के प्रचार–प्रसार हेतु सतक्रता एवं निगरानी कमेटी का गठन नहीं किया गया हैं। मनरेगा ऐक्ट में की गयी व्यवस्था सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) की पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी एवं विभागीय अधिकारियों व महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा सम्पादित निरीक्षण की पत्रावली व अन्य वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जो कि आपत्तिजनक रहा।

ग्राम पंचायत – अमरपुर आंव **विकास खण्ड– बीघापुर**

प्रस्तर संख्या– 35 वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि–I से रु0 87970/– के ह्यूम पाइप क्रय किये गये जिनका विवरण निम्नवत् है –

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
24.02.2012	671271	68000/–	रोहित ट्रेडर्स बारा
25.09.2011	838719	19970	बाबा सीमेंट पाइप स्टोर ओसियां
	कुल–	**87970/–**	

उक्त ह्यूम पाइप पर कार्य मजदूरी व्यय अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ह्यूम पाइप ग्राम पंचायत के स्टाक में है। जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही उक्त क्रय किये गये स्टाक के औचित्य को स्पष्ट किया जाए कि उक्त ह्यूम पाइप का उपभोग अभी तक नहीं किया गया है तो इन्हें क्रय क्यों किया गया। इतने दिनों तक ग्राम पंचायत के धन को फंसाकर रखा गया। यह नियमानुसार नहीं है, इस पर भी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या– 36 वर्ष 2011–12 में मु0 170520 का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है, उक्त की पुष्टि में प्रधानाध्यापक द्वारा अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिसे प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये।

ग्राम पंचायत – अकबरपुर

प्रस्तर संख्या– 37 वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त से रु0 342236/– व्यय किये गये जिससे मात्र दो कार्य कराये गये।

1– देवी के घर के पास खड़ंजा निर्माण रु0 45220/–

2– पंचायत भवन मरम्मत व्यय रु0 161430/–

कुल योग– रु0 206650/–

उक्त कार्य की पुष्टि में स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। मात्र व्यय प्रमाणकों के आधार पर इस धनराशि के उपभोग की पुष्टि उचित नहीं है। अतः आगामी लेखा परीक्षा में उक्त की पुष्टि करायी जाये।

ग्राम सभा– इंदेमऊ

प्रस्तर संख्या– 38 वर्ष 2012 में रु0 253000 की छात्रवृत्ति वितरित की गयी है। इससे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त सूची प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये।

ग्राम पंचायत– लालगंज

प्रस्तर संख्या– 39 वर्ष 2011–12 में राज्य वित्त से रु0 243277/– व्यय कर निर्माण कार्य कराना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में स्टीमेट, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये।

ग्राम पंचायत– ओसियां

प्रस्तर संख्या– 40 वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत द्वारा ईट क्रय रु0 67600/– व ह्यूम पाइप क्रय 49514/– किया गया है जिसका उपभोग वर्षान्त तक नहीं किया गया है। अतः उक्त सामग्री के क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

ग्राम पंचायत– रामपुर खरही विकास खण्ड– सुमेरपुर

प्रस्तर संख्या– 41 वर्ष 2012–13 में ग्राम पंचायत द्वारा रु0 1000/– विज्ञापन मद में भुगतान किया गया है। यह भुगतान किस नियम एवं शासनादेश द्वारा किया गया है। अपुष्ट रहा जबकि यह धनराशि विकास कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। जो कि अनियमित रहा।

प्रस्तर संख्या– 42 ग्राम पंचायत द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या– 43 ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत वर्ष में कराये गये कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से कार्य की एम0बी0 स्टीमेट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अपुष्टित रहा। पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम सभा– चैनपुर

प्रस्तर संख्या– 44 ग्राम पंचायत द्वारा 2011–12 में रु0 74987/– छात्रवृत्ति वितरित की गयी है। जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे पात्र छात्रों को ही छात्रवृत्ति वितरित की गयी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रस्तर संख्या– 45 वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत परिवर्तन लागत रु0 98599/– व्यय किया गया है। निर्धारित दर पर छात्रों की उपस्थिति पंजिका के अभाव में उक्त की पुष्टि नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायत– सराय मनिहार

प्रस्तर संख्या– 46 वर्ष 2011–12 में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोइया का मानदेय वितरण सम्बन्धी रजिस्टर लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत– गलरापुर विकास खण्ड– मियागंज

प्रस्तर संख्या– 47 ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत ईंट क्रय प्रमाणकों के अतिरिक्त जो भी सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गयी है, उक्त से सम्बन्धित अधिकांश व्यय प्रमाणकों पर वाणिज्य विभाग का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं टिन नं0 अंकित नहीं पाया गया। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक है। रजिस्टर्ड संस्थाओं/विक्रेताओं से ही निर्धारित प्रारूप पर कैश मेमो प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

प्रस्तर संख्या– 48 ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2011–12 में वितरित छात्रवृत्ति की पुष्टि में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उक्त सूची प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये।

ग्राम पंचायत– बरहा कला

प्रस्तर संख्या– 49 ग्राम सभा द्वारा लेखा परीक्षा में निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त सामग्री का प्रारम्भिक स्टाक, वर्ष की क्रय, वर्ष में प्रयोगिक स्टाक व वर्षान्त के अवशेष स्टाक की जानकारी लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी। उक्त स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या– 50 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य सम्बन्धित तकनीकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

ग्राम पंचायत– सरौहां

प्रस्तर संख्या– 51 ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा का परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण आलोच्य वर्ष में ग्राम सभा द्वारा सृजित सम्पत्ति की जानकारी नहीं हो सकी। उक्त रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये।

प्रस्तर संख्या– 52 ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2011–12 की मनरेगा रोजगार पंजी लेखा परीक्षा के दौरान सुलाभ न कराये जाने के कारण जाब कार्ड धारक परिवारों को समानुपातिक रूप से रोजगार सुलभ कराया गया है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं हो सकी। उक्त पंजी पुष्टि हेतु उपलब्ध करायी जाये।

प्रस्तर संख्या– 53 ग्राम सभा द्वारा वर्ष में मिट्टी खनन सम्बन्धी रायल्टी भुगतान शासन को करने की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। नियमानुसार मिट्टी खनन हेतु शासन को रायल्टी का भुगतान किया जाना चाहिए था। यह स्थिति अनियमित रही।

ग्राम पंचायत– मवई ब्रम्हनान

प्रस्तर संख्या– 54 वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि मनरेगा श्रमिकों को उनकी मांग पर 15 दिन में रोजगार सुलभ कराया गया है, जाब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार मांगे जाने से सम्बन्धित आवेदन पत्र एवं रोजगार पंजी लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त स्थिति अज्ञात रही। पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत किये जाये।

प्रस्तर संख्या– 55 वर्ष में ग्राम सभा द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में 40–60 का प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा गया है। साथ ही निर्माण कार्य से सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा कार्य मूल्यांकन नहीं कराया गया है।

ग्राम पंचायत– दीपागढ़ी

प्रस्तर संख्या– 56 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत जाब कार्ड आवेदन पत्रों की पत्रावली एवं निर्गमन पंजी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण जाब कार्ड आवेदनों के सापेक्ष निर्गत जाब कार्ड एवं निगमन हेतु शेष आवेदन पत्र व जाब कार्ड निर्गत न होने का कारण की स्थिति लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रही।

प्रस्तर संख्या– 57 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों में महिला श्रमिकों को रोजगार सुलभ नहीं कराया गया है। विभागीय नियमानुसार 33 प्रतिशत महिलाओं को ग्राम पंचायत में सृजित रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। जो कि अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत– पिण्डुरी विकास खण्ड– हिलौली

प्रस्तर संख्या– 58 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में ग्राम निधि–I से कराये गये कार्यों का पूर्व स्टीमेट नहीं कराया गया है एवं कार्यों के पूर्ण होने पर तकनीकी जांच रिपोर्ट माप पुस्तिका पर कार्यों का अंकन नहीं कराया गया है। फलस्वरूप निर्माण कार्यों की तकनीक एवं भौतिक पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं थे।

प्रस्तर संख्या– 59 वर्ष 2011–12 में मनरेगा एवं ग्राम निधि के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ईट, सीमेन्ट, मौरंग, बालू आदि क्रय की गयी है। निर्माण सामग्री क्रय में लेखा मैनुवल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं 5 का पालन नहीं किया गया है अर्थात कोटेशन/ टेण्डर आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर खरीद की पुष्टि नहीं होती है जो कि आपत्तिजनक रहा।

प्रस्तर संख्या– 60 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में कराये गये कार्यों की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त प्रमाण पत्र परिपत्र 41 नियम 209 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर तैयार किये जाने अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत– उतरौरा विकास खण्ड– असोहा

प्रस्तर संख्या– 60 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–7 के प्रस्तर 4 एवं 5 के अनुसार रु0 2500/– से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन एवं रु0 15000/– से अधिक की क्रय के लिए निमिदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। किन्तु ग्राम पंचायत में कोटेशन व निमिदाएं आमंत्रित न कर सीधे सामग्री क्रय किया गया है। क्रय की गयी सामग्री का कोई राजकीय दर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिससे न्यूनतम बाजार दर पर गुणवत्ता के आधार पर सामग्री क्रय की पुष्टि न की जा सकी।

ग्राम पंचायत– बेहटा सुम्हारी

प्रस्तर संख्या– 61 ग्रामसभा के मध्याह्न भोजन योजना खाते में रु0 66855/– गत वर्ष का एवं रु0 1282 ब्याज कुल रु0 68137/– 31.03.2012 तक खाते में जमा रहा, जिसे शासन के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरित नहीं किया गया। अतः चालू वर्ष में उक्त धन का सदुपयोग नहीं किया जा सका जो कि अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत– गोसाईंखेड़ा

प्रस्तर संख्या– 62 शासनादेश संख्या 3339–51 दिनांक 23.03.89/ दिनांक 20.02.90 के अनुसार सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा ग्राम पंचातय में क्रत निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये हैं। अतः निर्माण कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकती।

ग्राम पंचायत– चकपीर नगर विकास खण्ड– बांगरमऊ

प्रस्तर संख्या– 63 वर्ष 2011–12 में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस 10663 रहे। जबकि जाब कार्ड धारक 430 थे इस प्रकार जाब कार्ड धारकों को 100 दिवस के अनुसार कुल मानव दिवस 43000 का कार्य होना चाहिए था मात्र 10663 मानव दिवस होने से स्पष्ट है कि जाब कार्ड धारकों को समानुपातिक रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि अनियमित रहा।

प्रस्तर संख्या– 64 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का प्रोजेक्ट कम्पटीशन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। जिसके कारण वर्ष में कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण रहे इसकी स्थिति अस्पष्ट रही। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या– 65 वर्ष में राज्य वित्त के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.02.2012 को पत्रकार राष्ट्रीय सहारा को विज्ञापन व्यय पर रु0 500/– का व्यय किया गया है। शासन द्वारा ग्राम पंचायत के प्रचार–प्रसार के लिए व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में विकास का धन विज्ञापन पर व्यय किया जाना अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत– जिरिकपुर

प्रस्तर संख्या– 66 ग्रामसभा में मनरेगा के अन्तर्गत कुल रूपये 1525190/– वर्ष में व्यय किया गया है। जिसमें रूपये 782160 श्रमिकों को व्यय किया गया है। जो कुल व्यय का 43 प्रतिशत ही रहा जो कि केन्द्र सरकार की अपेक्षा के विपरीत रहा। नियमानुसार श्रमिक पर 60 प्रतिशत एवं सामग्री पर 40 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए था जो कि अनियमित रहा।

प्रस्तर संख्या– 67 ग्रामसभा द्वारा वर्ष 2011–12 में 62940 छात्रवृत्ति वितरित की गयी वितरण से सम्बन्धित विद्यालय से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। परन्तु वितरण पंजिका एवं विभाग द्वारा स्वीकृत सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त भुगतान अपुष्ट रहा।

प्रस्तर संख्या– 68 ग्रामसभा के वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि–I खाते में दिनांक 31.03.2012 को जिला सहकारी बैंक खाते में रू0 186823.80 व पंजाब नेशनल बैंक खाते में रु0 124505/– कुल रूपया– 311328.80 बैंक जमा अवशेष था। इससे स्पष्ट है कि ग्राम सभा द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान का शतप्रतिशत उपभोग नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत– शेरपुर कला

प्रस्तर संख्या– 69 ग्रामसभा वर्ष 2011–12 में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस 8637 रहे जबकि जाब कार्ड धारक 458 थे। इस प्रकार प्रति जाब कार्ड धारक को 100 दिवस के अनुसार कुल मानव दिवस 45800 का कार्य होना चाहिए परन्तु मात्र 8637 मानव दिवस होने से स्पष्ट है कि जाब कार्ड धारकों को समानुपातिक रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रस्तर संख्या– 70 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार व्यय प्रमाणकों पर टिन नं0 अंकित नहीं पाये गये।

1–	राम विलास बेल्डिंग वर्क्स एवं ट्रेडर्स, उन्नाव दिनांक 03.07.2011	रु0 22504
2–	फोटोग्राफी अशोक स्टूडियो	रु0 2140
		रु0 7870
3–	राम बिलास बिल्डिंग वर्क्स एवं ट्रेडर्स उन्नाव 30.10.2011	रु0 27530

प्रस्तर संख्या– 71 ग्रामसभा द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत दिनांक 07.10.11 को रु0 1000 विज्ञापन पर व्यय किया गया है। प्रचार–प्रसार हेतु शासन स्तर पर व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में विकास के धन को विज्ञान पर व्यय किया जाना अनियमित है।

ग्राम सभा– जामड़

प्रस्तर संख्या– 72 वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस 4594 रहे। जबकि जाब कार्ड धारक 260 थे। इस प्रकार प्रति जाब कार्ड धारक को 100 दिन के अनुसार कुल मानव निवस 26000 का कार्य होना चाहिए था। मात्र 4594 मानव दिवस होने से स्पष्ट है कि जाब कार्ड धारकों को समानुपातिक रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रस्तर संख्या– 73 ग्रामसभा द्वारा वर्ष में राज्य वित्त के अन्तर्गत पूर्व प्रधान को माह अप्रैल, 2008 से सितम्बर 2010 तक का मानदेय रु0 21000/– दिया गया है, उक्त के सम्बन्ध में पूर्व रोकड़ बही मानदेय रजिस्टर एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः उक्त भुगतान अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत– पहाडपुर सुबस **विकास खण्ड– सिकन्दरपुर कर्ण**

प्रस्तर संख्या– 74 ग्रामसभा द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत दिनांक 23.09.11 को वृक्षारोपण हेतु न्यू शुक्ला नर्सरी को पौध क्रय हेतु रु0 20,500/– का भुगतान किया गया। नियमानुसार पौधों की क्रय राजकीय नर्सरी से की जानी चाहिए। जो कि अनियमित रहा।

ग्राम पंचायत– महाई

प्रस्तर संख्या– 75 ग्रामसभा महाई द्वारा वर्ष 2011–12 में रु0 38700 हैण्ड पम्प की मरम्मत हेतु व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त व्यय कितने हैण्ड पम्प एवं किन स्थानों पर लगे हेतु किया गया है। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। हैण्ड पम्प की मरम्मत रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामसभा– ऑटा

प्रस्तर संख्या– 76 वर्ष में मनरेगा के सार्वजनिक कार्यों में रु0 12000/– तथा राज्य वित्त के विभिन्न कार्यों के मिट्टी की सप्लाई ली गयी थी, किन्तु मिट्टी सप्लाई के विरूद्ध खनन रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया जो कि निर्धारित दर से जमा कराया जाना चाहिए था।

ग्राम पंचायत– मेथी टीकुर **विकास खण्ड– सफीपुर**

प्रस्तर संख्या– 77 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2011–12 में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रु0 14854/– व्यय किया गया है। कनवर्जन कास्ट तत्कालीन रु0 2/– की दर से छात्रों की उपस्थिति अपुष्ट रही। उपस्थित पंजिका से पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– दरौली

प्रस्तर संख्या– 78 वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा खाते से पंचायत मित्र को वर्ष 2011–12 में 250000/– मानदेय भुगतान किया गया है। मानदेय का भुगतान वर्ष में कराये गये कार्यों के अनुपात में किया जाता है। मानदेय पंजिका पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत नहीं किये जाने से नियमानुसार मानदेय अपुष्ट रहा।

ग्राम पंचायत– मुरादपुर

प्रस्तर संख्या– 79 वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राज वित्त खाते से विभिन्न समाचार पत्रों को रु0 9500/– विज्ञापन हेतु भुगतान किया गया। विकास कार्य हेतु प्राप्त धनराशि किस नियम एवं शासनादेश के अनुसार विज्ञापन हेतु व्यय की गयी। विज्ञापन पर उक्त व्यय नियम विरूद्ध पाया गया।

ग्राम पंचायत– सकहन मुसलमान

प्रस्तर संख्या– 80 वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत मित्र सिहरा बानों को रु0 32500 मानदेय का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान मानदेय की पुष्टि में निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण सहित मानदेय पंजिका अप्राप्त रही। उक्त भुगतान की पुष्टि करायी जाये।

ग्राम पंचायत– जमालुद्दीनपुर

प्रस्तर संख्या– 81 वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हरिजन बस्ती में खड़ंजा मरम्मत कार्य हेतु श्रमांश पर 18200 एवं सामग्री पर 20400 व्यय किया गया है, कार्य से सम्बन्धित एम0बी0 तकनीकी स्वीकृति एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :– रायबरेली।

मण्डल का नाम :– लखनऊ

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र	नाम ग्राम पंचायत	प्रस्तर संख्या	आपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5
1	खीरों	मिर्जापुर	1	आलोच्य वर्ष 2009–10 के राज्य वित्त कोष बही में बैंक खाता सं. 7008 छात्रवृत्ति खाते से कुल रू0 62045.00 का आहरण किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत की कोशबही में कुल रू0 54720.00 का छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। इस प्रकार मु0 7325.00 छात्रवृत्ति की धनराशि 31.03.10 को वितरण के उपरान्त अवशेष रही। जिसे न तो बैंक में जमा किया गया और न ही रोकड़ शेष प्रधान के पास नकद ही दर्शित है अस्तु मु0 7325.00 की वसूली प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बीरबली से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।
			2	आलोच्य वर्ष 2010–11 में ग्राम पंचायत राज्य वित्त कोषबही में कुल रू0 131720.00 का छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण हेतु बैंक खाता सं0 7008 से आहरण किया गया अंकित है। जबकि कोषबही में 2010–11 में कुल रू0 120050.00 का ही छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया जैसा छात्रवृत्ति रजिस्टर में अंकित है। अस्तु 31.03.2011 को कुल रू0 11670.00 छात्रवृत्ति की धनराशि अवशेष बची रही। जिसे 31.03.2011 को प्रधान के पास नकद रोकड़ शेष के रूप में दिखाया जा रहा है। अस्तु मु0 11670.00 बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।
			3	आलोच्य वर्ष 2011–12 में बैंक खाता सं0 01115324 छात्रवृत्ति खाते से कुल रू0 52400.00 का छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु आहरण किया गया कोंषबही में अंकित है। परन्तु वर्ष 2011–12 में कुल रू0 52260.00 का ही छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया शेष रू0 140.00 दिनांक 31.03.2012 के रोकड़ शेष में अन्तिम शेष रू0 11835.00 दर्शित है। अस्तु रू0 140.00 को बैंक खाते में शीघ्र जमा कर जि0स0क0अ0 को वापस किया जाये एवं 11695.00 नकद प्रधान के पास रखने का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए अन्यथा की स्थिति में वसूली की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2	रोहनियां	परसीपुर	4	आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना से कराये गये अधिकांश कार्यों की एम.वी. नहीं हुई है। बिना एम.वी. के ही भुगतान किया गया है जो निम्नवत् है:–

				क्र0 सं0	कार्य का नाम	वि0स्वी0 की धनराशि	एम.वी.हुई कि नहीं तथा धनराशि	भुगतान की गयी धनराशि
				1.	ख.नि. मतरमपुर पक्की सड़क से चन्द्रवली की बाग तक	409045+ 106100	आतिथि एम.वी. नहीं हुई है।	15.04.11 को 285000.00, कृष्णा ब्रिक फील्ड को दिया गया, 49400 रू0 कृष्णा ब्रिक फील्ड को दिया गया, 12345 रू0 ह्यूम पाइप क्रय हेतु दिया गया
				2	स0मा0 चन्द्र बली की बाग से भीटा तक	171156.00+ 28700 श्रम सामग्री वि0स्वी0 अप्राप्त रही	आतिथि एम.वी. नहीं हुई है।	श्रम पर भुगतान 111720.00
				3	ख0मनीलाल के खेत से पक्की सड़क तक	669000.00	एम.वी. बुक नं. 22593 सादी संलग्न रही	11.08.11 को 171000, 26.12. 11 को 152000, (कृष्णा ब्रिक फील्ड को), 24. 09.11 को 33180.00 व 26. 09.11 को 31916.00 रू0 ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई हेतु।

				4	स0मा0 चन्द्र बली की बाग से मवई बार्डर तक	128015	एम.वी. बुक नं. 23312 सादी संलग्न रही	एम.आर. से भुगतान 101280.00
				5	स0मा0 राम नरेश के खेत से भीटा तक	122600	एम.वी. नहीं हुई है	एम.आर. से भुगतान 113160.00
				6	स0मा0 पक्की सड़क से खडंजा तक	61053.00	एम.वी. बुक नं. 23465 सादी उपलब्ध रही	एम.आर. से भुगतान 34560.00
				7	स0मा0 राधेश्याम के दरवाजे से राम के घर तक	72500.00	एम.वी. बुक नं. 23466 सादी उपलब्ध रही	एम.आर. से भुगतान 39840.00
				8	स0मा0 परसीपुर पक्की सड़क से पूरे गडरियन तक	248900+ 142900 सामग्री	एम.वी. बुक नं. 23486 सादी उपलब्ध रही	एम.आर. से भुगतान 169080.00
				9	स0मा0 राजबहादुर के दरवाजे से तालाब तक	97500श्रम + 26200 सामग्री	एम.वी. बुक नं. 23487 सादी उपलब्ध रही	एम.आर. से भुगतान 34440.00
				10	स0मा0 सीताराम के दरवाजे से गुन्नू लाला की बाग तक	86600श्रम + 30400 सामग्री	एम.वी. बुक नं. 23343 सादी उपलब्ध रही	एम.आर. से भुगतान 66120.00
				11	स0मा0 निर्माण राजू के खेत से गुरू जी के तालाब तक	93600 श्रम + 30400 सामग्री	एम.वी. नहीं हुई है	एम.आर. से भुगतान 52200.00
				12	स0मा0 पक्की रोड से बाबू लाल के खेत तक	36500.00 श्रम 6200 सामग्री	एम.वी. नहीं हुई है	एम.आर. से भुगतान 34800.00
				कुल योग–				1492041.00
				उपर्युक्त बिना मापन मूल्यांकन के किया गया सम्पूर्ण भुगतान अनियमित रहा जिसकी वसूली तत्सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति ग्रा0पं0अधि0 श्री सर्वेश कुमार सिंह व ग्रा0प्र0 श्री उदयभान से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।			

			5	आलोच्य वर्ष में रा0वि0 खाते से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, व्यय प्रमाणक भंडारण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि न प्रस्तुत कर रू0 594690.00 का अपहरण दुरूपयोग अथवा अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली उक्त ग्रा0पं0अ0 एवं ग्राम प्रधान से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।
3	रोहनियां	इटैली	6	आलोच्य वर्ष में रा0वित्त खाता सं0 00590100022915 से रू0 485529.00 का आहरण किया गया है जिसके सापेक्ष्य कोषबही, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल आदि कोई भी अभिलेख लेखा–परीक्षा में नहीं प्रसतुत किया गया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सम्पूर्ण आहरित धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। सम्बन्धित से संयुक्त रूप से अपहृत धनराशि को वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना अपेक्षित है।
4	रोहनियां	डिडौली	7	आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त खाते से दिनांक 20.05.11 को चेक सं. 102723 से रू0 68000.00 एवं दिनांक 20.02.2012 को चेक सं. 102739 से रू0 49000.00 का भुगतान अंशुमान ब्रिक फील्ड को किया गया है। उक्त दोनों आहरण का रोकड बही के दोनों पक्ष (आय व व्यय) में लेखांकन नहीं किया गया है न ही कोषबही में ईंटों से निर्मित किसी कार्य का जिक्र है। स्पष्ट है कि उक्त धनराशि को आहरित कर सीधे अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 श्री सुएब आलम व ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन से संयुक्त रूप से की जाना अपेक्षित है।
			8	आलोच्य वर्ष में निम्नानुसार तिथियों में कतिपय धनराशियां आहरित की गयी हैं किन्तु उनका लेखांकन कोषबही के आय व व्यय दोनों पक्षों में अंकन नहीं किया गया है–

तिथि	चेक सं.	धनराशि	जिसको भुगतान हुआ है
18.11.11	102732	10000.00	सुमन
21.11.11	102728	10000.00	सुमन
22.11.11	102733	10000.00	सुऐब
23.11.11	102734	10000.00	सुऐब
02.11.11	102729	10000.00	सुमन
05.12.11	102737	10000.00	सुऐब
कुल योग–		**60000.00**	

				उपर्युक्त धनराशियों का अंकन रोकडबही में नहीं किया गया है और ये धनराशि सीधे ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन व ग्रा0पं0अधि0 श्री सुऐब आलम द्वारा आहरित की गयी है। स्पष्ट है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा धन आहरित कर सीधे अपहरण किया गया है जिसकी वसूली दोनों से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
5	हरचन्द्रपुर	मदनदूसी	9	आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कोषबही में दर्शित भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल व श्रमिकवार धन प्रेषण सूची तथा व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

दिनांक	विवरण	धनराशि
12.08.11	ख0 निर्माण की वापसी मजदूरी का पुनः भुगतान	1320.00
07.09.11	तदैव	10920.00
09.01.12	म0रो0 मजदूरी भुगतान व धुवा तालाब खुदाई कार्य	5400.00
02.03.12	चन्द्रमोन फोटो ग्राफर को फोटो मूल्य का भुगतान	7800.00
30.03.12	मे0 नन्दिनी ब्रिक फील्ड को भुगतान ख0 निर्माण	95000.00
	कुल योग–	120440.00

				अतः बिना प्रमाणक के कोषबही में भुगतान लेखांकित कर धन का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कान्ती देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शरीफुल हसन से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
			10	दिनांक 28.11.11 में प्र0सं0 1 के अनुसार श्रीमती कान्ती देवी ग्राम प्रधान के नाम मानदेय माह 2/2011 से माह 11/2011 तक कुल 10 माह का रू0 7500.00 भुगतान लेखांकित करके धन खारिज किया गया है किन्तु पुष्टि में संलग्न ग्राम प्रधान की धन प्राप्त रसीद में धन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः प्रधान द्वारा धन प्राप्त किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। उक्त रसीद पर प्रधान के हस्ताक्षर कराकर धन प्राप्ति की पुष्टि करायी जाये अन्यथास्थिति में अपहरित धन रू0 7500.00 की वसूली श्री शरीफुल हसन ग्राम पं0 अधिकारी से किया जाना अपेति है।
			11	आलोच्य वर्ष में ख0 मरम्मत राम सरन के दरवाजे से महादेव पासी के दरवाजे तक दिनांक 01.03.12 से 16.03.12 तक दर्शित कार्य पर निम्नानुसार कार्य भुगतान कोषबही में लेखांकित है–

				प्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
				11	08.03.12	म0रो0 ख0मरम्मत में मजदूरी भुगतान	11520.00
				12	16.03.12	तदैव	13600.00
				15	19.03.12	मिट्टी ढुलाई भाडा भुगतान	6912.00
				16	22.03.12	मे0 नन्दिनी ब्रिक फील्ड को 11900 सी0ख0 रू0 3800/–प्रति हजार से क्रय हेतु भुगतान	45220.00
				कुल योग–			77252.00
				उपरोक्त व्यय भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–			
				क	मस्टर रोल पर किसी भी मजदूर के उपस्थिति एवं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा के निशान नहीं है।		
				ख	उक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृत कार्य योजना स्वीकृति स्टीमेट, एम0बी0, स्टॉक पंजिका तथा कायपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।		
				अतः उपरोक्त आधार पर कार्य सम्पन्न होनें एवं सामग्री उपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अनुचित ढंग से व्यय भुगतान दर्शित करके रू0 77252.00 का दुरूपयोग किया गया जिसकी वसूली श्रीमती कान्ती देवी ग्राम प्रधान तथा श्री शरीफुल हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।			
			12	दिनांक 16.03.12 में प्र0सं0 14 के अनुसार में शिव ब्रिक एण्ड पाइप उद्योग से 25 नग ह्यूम पाइप रू0 41056.00 में क्रय किये जाने हेतु कोषबही में भुगतान लेखांकित है किन्तु उक्त क्रय स्टाक के स्टाक पंजिका में प्राप्त उपभोग एवं अवशेष की पुष्टि में स्टाफ पंजिका ग्रा0पं0 में तैयार नहीं किया गया है और न ही उक्त ह्यूम पाइप के किसी सं0 मार्ग में लगवाये जाने की मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाण कोषबही में अंकित पाया गया। अतः दुरूपयोगित धनारशि रू0 41056.00 श्रीमती कान्ती देवी व श्री शरीफुल हसन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।			

6	रोहनियां	रायपुर	13	आलोच्य वर्ष में कराये गये कार्यों में अधिकांश का भुगतान बिना एम.वी. के अनियमित तरीके से कोषांकित है जो निम्नवत् है:–			
				क्र0 सं0	कार्य का नाम	एम.वी. की स्थिति	भुगतानित धनराशि
				क	स0मा0 पूरे इन्दारा मेन रोड से रायपुर सीमा तक	एम.वी. नहीं हुई है	म0रो0पर भुगतान रू0 58920
				ख	ख0नि0 नन्द लाल के घर से पक्की सड़क तक	एम.वी. बुक नं. 23355 सादी संलग्न है	ईंट क्रय हेतु भुगतान रू0 134976
				ग	ख0नि0 पूरे कन्हैया ख0 से रामदेव के घर तक	एम.वी. बुक नं. 23444 सादी संलग्न है	म0रो0पर भुगतान रू0 12240
				घ	ख0नि0 श्याम लाल गुप्ता के खेत से जंगल तक	एम.वी. बुक नं. 23463 सादी संलग्न है	म0रो0पर भुगतान रू0 10800
				ड	ख0नि0 जंगल से मेन खडंजा तक	एम.वी. सादी संलग्न रही	ईंट क्रय हेतु रू0 67488.00 (17760 ईंट दर रू0 3800 प्रति हजार)
				च	ख0नि0 रामदेव के घर से श्याम लाल के खेत तक	एम.वी. नहीं हुई है	म0रो0 से भुगतान 17400 ईंट क्रय हेतु 134976 (चेक सं. 518917)
					कुल योग		580896.00
				उपर्युक्त कार्यों पर दर्शाये गये व्यय बिना मापन मूल्यांकन के किये गये जो अनियमित रहा। उक्त धनराशि रू0 580896.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री श्यामलाल से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td colspan="3">राज्य वित्त खाते से व्यय की गयी धनराशि रू0 308421.00 के सापेक्ष बार–बार मांग किये जाने के बावजूद ग्रा0वि0अ0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा कार्यवाही पुस्तिका तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित पंजिका स्टाक पंजिका परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार वर्ष दौरान किसी भी कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने उक्त धन का अपहरण दुरूपयोग अथवा अनियमितता किया है जिसकी वूसली दोनों ही उत्तरदायी व्यक्तियों से बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>रोहनियां</td><td>पयागपुर नन्दौरा</td><td>15</td><td colspan="3">स0मा0 निर्माण नहर से वैशन के नन्दौरा में राम प्रताप के नलकूप के पास होकर पक्की सड़क तक में वि0 स्वी 14.02.11/213 रू0 135600.00 की प्राप्त की गयी किन्तु उक्त कार्य में श्रम पर रू0 113856.00 व सामग्री में रू0 39861+3500 की एम.वी. की गयी है। उसके सापेक्ष 918ग120 का म0रो0 भरकर रू0 110160 श्रम पर, 630 घन मीटर दर रू0 63 मूल्य रू0 39816.00 मिट्टी पर व बोर्ड पर रू0 3000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार रू0 152976.00 का भुगतान किया गया जबकि वि0स्वी0 रू0 135600 की ही थी अन्तर की धनराशि रू0 17376.00 की अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>हरचन्दपुर</td><td>फरीदपुर</td><td>16</td><td colspan="3">आलोच्य वर्ष में मनरेगा कोषबही में निम्न विवरणानुसार बिना प्रमाणक के भुगतान लेखांकित करके धन का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती शान्ती देवी ग्राम प्रधान व श्री सत्य प्रकाश दीक्षित ग्रा0वि0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>दिनांक</td><td>विवरण</td><td>धनराशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23.04.11</td><td>मे0 त्रिमूर्ति ब्रिक फील्ड सहजौरा से ईंट क्रय हेतु भुगतान</td><td>150100.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>09.04.11</td><td>सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स हरचन्दपुर को 6 नग सूचना बोर्ड बनवाई हेतु भुगतान</td><td>15000.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26.04.11</td><td>कल्लू मिस्त्री को तालाब निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान</td><td>5600.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12.07.11</td><td>आनन्द प्रताप सिंह ग्रा0रो0से0 को मानदेय भुगतान माह 3/2011</td><td>2500.00</td></tr>
</table>

				17.09.11	तदैव माह 4/11 एवं 5/11	5000.00
				16.11.11	तदैव माह 6/11 एवं 7/11	5000.00
				24.01.12	तदैव माह 8/11 से 10/11	7500.00
				24.02.12	तदैव माह 11/11 से 1/12	7500.00
					कुल योग–	198200.00
9	हरचन्दपुर	लालूपुर खास	17	आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कोषबही में दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गाय। अतः बिना प्रमाणक के व्यय भुगतान कोषबही में लेखांकित करके रू0 196905.00 का दुरूपयोग किया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती ममता ग्राम प्रधान एवं श्री राम सजीवन वर्मा ग्रा0वि0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।		
				दिनांक/पृ0सं0	विवरण	धनराशि
				06.04.11/1एवं2	म0रो0 सूरजलाल के खेत का समतलीकरण हेतु मजदूरी भुगतान	8600.00
				06.04.11/3 से 6 तक	म0रो0 राम गुलाम के खेत समतलीकरण हेतु मजदूरी भुगतान	29500.00
				07.04.11/7 से 10तक	म0रो0 पक्की सड़क से नदी तक स0मा0नि0 हेतु मजदूरी भुगतान	53880.00
				13.04.11/7 से 10 तक	उक्त स0मा0नि0 में ह्यूम डलवाने हेतु पाइप क्रय हेतु अमेठी ह्यूम पाइप के भुगतान	12345.00
				19.04.11/12 से 15 तक	म0रो0 हरीलाल के खेत समतलीकरण हेतु मजदूरी भुगतान	14700.00
				04.05.1116 एवं 17	म0रो0 पक्की सड़क से नदी तक स0मा0नि0 में मजदूरी भुगतान	22560.00
				09.05.11/18 से 21 तक	तदैव	53040.00
				02.06.11/29	पुनः मजदूरी भुगतान	2280.00
					कुल योग–	196905.00

			18	दिनांक 26.03.12 में प्र0सं0 64 के अनुसार नाली निर्माण हेतु 25 बैग सीमेन्ट दर 280/–प्रति बैग, 5.70 घ0मी0 बालू दर 750/–प्रति घन मी0 एवं इंडिया मार्का हैण्ड पम्प की सामग्री रू0 1225.00 की क्रय हेतु कुल रू0 23500.00 चौधरी टिम्बर स्टोर को भुगतान किया गया है किन्तु पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। बिना प्रमाणक के व्यय भुगतान लेखांकित करके रू0 23500.00 का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता एवं श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अधि0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
10	रोहनियां	धमौली	19	खण्डंजा निर्माण पक्की सड़क से रामलखन के घर में विश्राम पुत्र राम औतार तथा अशोक कुमार पुत्र बद्री मिस्त्री को क्रमशः रू0 2000.00 व 2000.00 कुल रू0 40000 का भुगतान किया गया है। जबकि मिस्त्री का न तो प्राक्कलन में जिक्र है न ही एम.वी. में बिना इस्टीमेट एवं एम.वी. के किया गया भुगतान अनियमित रहा जिसकी वसूली ग्रा0पं0अ0 श्री सुऐब आलम एवं ग्राम प्रधान श्री गणेश साहू से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। उक्त कार्य में ही ईंट बिछाने की दर रू0 32.40 लगाकर 1245 वर्ग मीटर दर 32.40 = 40338.00 का भुगतान किया गया है जबकि वास्तविक दर 31.50 से 1245 वर्ग मीटर से कुल रू0 39217.50 होता है। इस प्रकार अंतर की धनराशि रू0 40338.00–39217.50 = 1120.50 की अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री गणेश साहू एवं ग्रा0पं0अ0 श्री सुऐब आलम से संयुक्त से की जानी अपेक्षित है।
			20	आलोच्य वर्ष में पटरी भराई ऐहारी टेल से रायपुर बोर्डर तक में चेक सं. 709096/13.12.2011 से रू0 41580.00 का भुगतान ग्राम प्रधान गणेश साहू को मिट्टी ढुलाई हेतु किया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं सामग्री मद से प्राप्त भुगतान अनियमित रहा जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
			21	सिंचाई नाली खुदाई पक्की सड़क से रामराज के खेत तक में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 379/22.12.11 को प्राप्त की गयी जबकि मस्टर रोल पर कार्य का होना 3 दिन पूर्व 19.12.11 से ही दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि वि0स्वी के पूर्व कार्य प्रारम्भ दिखाना काल्पनिक रूप से म0रो0 भरकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। अतएव निम्नानुसार म0रो0 पर दर्शित हाजरी से भुगतानित धनराशि रू0 67320.00 वसूली तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 एवं ग्रा0प्र0 से की जानी अपेक्षित है।

				म0रो0 क्रमांक	उपस्थिति सं0
				3852	110
				3853	98
				3854	79
				3855	52
				3856	59
				3857	107
				3858	56
					561X120=67320
			22	वर्ष दौरान निम्नानुसार ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशियों का कोषबही (राज्यवित्त) में अंकन न करके सीधे अपहरण किया गया है:–	

				तिथि	चेक सं.	आहरण जिसके द्वारा किया गया	धनराशि
				14.07.11	101791	गणेश	10000.00
				21.09.11	101798	सुऐब	9120.00
				08.10.11	101800	गणेश	9000.00
				21.10.11	517463	गणेश	10000.00
				04.11.11	517465	गणेश	9960.00
				09.12.11	517467	गणेश	10000.00
				10.12.11	517468	सुऐब	10000.00
				13.12.11	517469	सुऐब	10000.00
				27.12.11	517471	सुऐब	10000.00
				कुल योग–			88080.00

				उपर्युक्त से स्पष्ट है कि उक्त सभी आहरण या तो ग्राम प्रधान श्री गणेश द्वारा या फिर ग्रा0पं0अ0 श्री सुऐब द्वारा की गयी है एवं सम्बन्धित धनराशियों को कोषबही के आय एवं व्यय दोनों पक्षों में अंकन न करके सीधे अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्रा0पं0 श्री गणेश साहू एवं ग्रा0पं0अ0 श्री सुऐब आलम से किया जाना अपेक्षित है।
11	हरचन्दपुर	टांडा	23	आलोच्य वर्ष में मनरेगा कोषबही में दर्शित निम्नानुसार व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक/मानदेय भुगतान रजि0 लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा।

				प्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
				–	08.09.11	ग्रा0रो0से0 को मानदेय भुगतान चेक नं. 516720	12500.00

				–	08.11.11	तदैव चेक नं. 518602	5000.00
				23	16.11.11	वाल पेंटिंग का भुगतान चेक नं. 518013	1790.00
				कुल योग–			19290.00
				उपरोक्त विवरणानुसार बिल प्रमाणक के दर्शित भुगतान रू0 19290.00 की वसूली श्रीमती मीरा सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री सईद अहमद ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।			
			24	ग्रा0नि0–प्रथम खा0सं0 175 की पास बुक में दिनांक 09.08.2011 में चेक संख्या 657692 की धनराशि रू0 5000.00 तथा चेक सं0 657691 की धनराशि रू0 5000.00 डेबिट (आहरित) लेखांकित है किन्तु कोषबही में उक्त तिथि में निकासी से आय रू0 10000.00 लेखांकित न करके अपहरण किया गया है। अपहरित धनराशि रू0 10000.00 श्रीमती मीरा सिंह ग्राम प्रधान व श्री सईद अहमद ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।			
			25	दि0 20.04.11 में प्र0सं0 5 के अनुसार दो लाभार्थी को रू0 1850.00 प्रति दर से रू0 3700.00 तथा दि0 09.02.12 में पृ0सं0–41 के अनुसार 5 लाभार्थियों को रू0 1850.00 प्रति की दर से रू0 9250.00 का भुगतान लेखांकित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–			
				क– रू0 3700.00 की संलग्न सूची में धन प्राप्कर्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे उक्त लाभार्थियों को धन दिये जाने की पुष्टि नहीं होती है।			
				ख– रू0 9250.00 की संलग्न सूची में धन प्राप्तकर्ता के नाम के सम्मुख भुगतान की धनराशि तथा धन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः उक्त लाभार्थियों को धन भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।			
				ग– उक्त धनराशि के शौचालय में निर्माण में उपभोग किये जाने तथा शौचालय तैयार होने के प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।			
				अतः कुल दुरूपयोगित धनराशि रू0 12950.00 की वसूली श्रीमती मीरा सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री सईद अहमद ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।			

			26	आलोच्य वर्ष में प्र0सं0 1 के अनुसार दिनांक 08.04.11 में अमेठी ह्यूम पाइप इन्टर प्राइजेज वैष्णव भवन जेल रोड रायबरेली को ह्यूम पाइप क्रय हेतु रू0 34944.00 का भुगतान कोषबही में लेखांकित है। प्रमाणक की जांच में पाया गया कि 20 नग ह्यम पाइप कुल 50 मी लम्बा दर 546.00 प्रति मी0 की दर से कुल रू0 27300.00 पर कार्टेज 23 प्रतिशत की दर से रू0 6279.00 का भुगतान किया गया है जबकि मनरेगा योजनान्तर्गत क्रय ह्यूम पाइप पर 15 प्रतिशत की दर से कार्टेज भुगतान किया गया है। इस प्रकार 23 प्रतिशत–15 प्रतिशत = 8 प्रतिशत से कार्टेज रू0 27300.00 की धनराशि पर रू0 2184.00 अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती मीरा सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री सईद अहमद ग्रा0पं0अ0 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
			27	दिनांक 24.01.12 में प्र0सं0 39 के अनुसार मिट्टी भराई/ख0नि0 लखनऊ रायबरेली रोड से सचिवालय तक दिनांक 19.01.12 से 23.01.12 तक कार्य हेतु 11 लेबर 5 दिन प्रत्येक तथा 1 लेबर 1 दिन कुल 56 दिन का दर रू0 100.00 प्रति दिन से रू0 5600.00 तथा 1 राजगीर 1 दिन रू0 200.00 कुल धनराशि रू0 5800.00 के स्थान पर रू0 6000.00 की मजदूरी म0रो0 पर अंकित करने तद्नुसार कोषबही से रू0 6000.00 नकद रोकड़ शेष से खारिज किया गया है। इस प्रकार रू0 200.00 से अधिक भुगतान लेखांकित कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती मीरा सिंह तथा श्री सईद अहमद ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
12	हरचन्दपुर	दाउदनगर	28	आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कोषबही में दर्शित व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा–

दिनांक	विवरण	धनराशि
06.04.11	म0रो0प्रा0 विद्यालय से राम मिलन के खेत तक मजदूरी भुगतान	27455.00
13.04.11	म0रो0 ईदगाह से बनपुरकार तक कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	29160.00
04.05.11	वृन्दावर को मजदूरी का भुगतान	1090.00
13.05.11	म0रो0 ईदगाह से बनपुरवा तक स0मा0 निर्माण की मजदूरी भुगतान	14160.00

				30.05.11	आशापली रमेश सुर्जकुमार को मजदूरी वापसी का पुनः भुगतान	1500.00
				30.05.11	प्रा0वि0 से राम मिलन के खेत तक स0मार्ग में दुबारा चेक भुगतान हेतु प्रेषित	1900.00
				30.05.11	मेन रोड से ईदगाह तक स0मार्ग में दुबारा भुगतान हेतु चेक भेजी गयी	2180.00
				14.07.11	प्रा0वि0 से राम मिलन के खेत तक स0मार्ग का फोटो एवं वीडियोंग्राफी व्यय	1800.00
				14.07.11	मेन रोड से ईदगाह तक स0मार्ग का फोटो एवं वीडियों ग्राफी व्यय	2100
				14.07.11	राम मिलन के खेत से खपरमल के फोटो एवं वीडियोंग्राफी व्यय	1800.00
				14.07.11	मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए स्लोगन लिखाई व्यय	1790.00
				23.09.11	कल्लू के घर से सईनदी तक कार्य साइन बोर्ड व्यय	2500.00
				23.09.11	राजेन्द्र के खेत के पास बांध निर्माण का साईन बोर्ड व्यय	2500.00
				24.09.11	ग्रा0रो0 सेवक सावित्री देवी को मानदेय भुगतान	3860.00
				29.09.11	स्टेशनरी क्रय हेतु भुगतान	600.00
				02.11.11	म0रो0 बांध निर्माण	20909.00
				02.11.11	ग्रा0रो0से0 सावित्री देवी को माह अक्टूबर 2011 का मानदेय भुगतान	2500.00
				09.11.11	लल्ला के घर से तिहड्डा तक वृक्षारोपण, कल्लू के घर से सईनदी तक कार्य बांध निर्माण, आरामशीन से पटरी भराई ढुलाई प्रोजेक्ट की फोटोग्राफी	1350.00

				11.11.11	म0रो0 राजेन्द्र प्रताप सिंह के खेत के सामने बांध निर्माण हेतु मजदूरी	15240.00
				29.11.11	म0रो0 राजेन्द्र प्रताप सिंह के खेत के सामने बांध निर्माण हेतु मजदूरी पुनः मजदूरी वापसी का भुगतान	1350.00
				25.01.12 एवं 27.03.12	ग्र0रो0से0 सावित्री देवी को 11 एवं 12/11 तथा 1/12 का मानदेय का भुगतान	10000.00
				29.03.12	कृष्ण होटल से होकर मेन रोड तक स0मा0नि0 का साईन बोर्ड व्यय	2500.00
				कुल योग–		148424.00
				उपरोक्त विवरणानुसार कुल रू0 148424.00 बिना प्रमाणक व्यय भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है जिसमें से रू0 134394.00 श्री इन्द्र बहादुर यादव ग्राम प्रधान तथा श्रीमती कुसुम लता ग्रापं0अ0 तथा रू0 14030.00 श्री इन्द्र बहादुर यादव ग्रा0प्र0 तथा श्री विक्रम जैन से सुयक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।		
			29	दिनांक 28.11.11 में ग्रा0नि0–प्रथम की खा0सं0 181 की बैंक पास बुक में रू0 5000 की निकासी (आहरण) लेखाकित है किन्तु ग्रा0पं0 की कोषबही में उक्त निवासी से आय व व्यय भुगतान लेखांकित नहीं है। अतः रू0 5000.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी श्री इन्द्र बहादुर यादव ग्राम प्रधान व श्रीमती कुसुमलता ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त वसूली किया जाना अपेक्षित है।		
			30	दिनांक 13.04.11 में दिनांक 05.04.11 से 11.04.11 तक हैडपम्प मरम्मत कार्य हेतु रू0 3150.00 की मजदूरी भुगतान लेखांकित है। म0रोल की जांच में पाया गया कि सुन्दर पुत्र मुन्ना कारीगर रायपुर को 7 दिन हेतु रू0 1050.00 का भुगतान अंकित है किन्तु भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में उक्त कारीगर के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा मस्टररोल पर कार्यस्थल का नाम भी अंकित नहीं है। अतः कार्य एवं भुगतान की गयी धनराशि 3150.00 संदिग्ध है। अतः दुरूपयोगित धनराशि रू0 3150.00 की श्री इन्द्र बहादुर व श्रीमती कुसुमलता ग्रा0पं0अ0 से सुयक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।		

			31	दिनांक 19.11.11 में चन्द्रशेखर के घर से सन्तराम के दरवाजे तक ख0मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान रू0 6050.00 कोषबही में लेखांकित है। म0रोल की जांच में पाया गया कि 20 श्रमिकों के नाम के सम्मुख अंकित उपस्थिति/कार्य दिवसों का कुल योग 57.5 दिन के स्थान पर 60.5 दिन लेखांकित दर रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से कुल रू0 6050.00 मजदूरी लेखांकित करके तद्नुसार कोषबही से खारिज किया गया है। इस प्रकार 3 दिन की कुल मजदूरी रू0 300.00 कोषबही में अधिक भुगतान लेखांकित करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री इन्द्र बहादुर यादव ग्राम प्रधान व श्रीमती कुसुम लता ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।	
			32	दिनांक 10.01.12 में हैडपम्प मरम्मत हेतु कुल रू0 5000.00 की मजदूरी का भुगतान कोषबही में लेखांकित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–	
				क	प्रथम मस्टररोल में दिनांक 25.012.11 से 31.12.11 तक कार्य हेतु मजदूरी भुगतान रू0 2800.00 में सुन्दर पुत्र मुन्ना कारीगर को 7 दिन कार्य हेतु कुल रू0 1400.00 मजदूरी भुगतान लेखांकित है किन्तु प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
				ख	द्वितीय मस्टररोल में दिनांक 01.01.12 से 07.01.12 तक कार्य हेतु कुल मजदूरी भुगतान रू0 2200.00 में सुन्दर पुत्र मन्ना कारीगर को 7 दिन कार्य हेतु कुल रू0 1400.00 मजदूरी भुगतान लेखांकित है किन्तु प्राप्ति की पुष्टि में हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
				ग	उक्त हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य स्थल मस्टर रोल पर अंकित नहीं होने के कारण कार्य एवं भुगतान संदिग्ध है। अतः उपरोक्त फर्जी मस्टररोल लगाकर कुल रू0 5000.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री इन्द्र बहादुर यादव ग्राम प्रधान व श्री विक्रम जैन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
			33	दिनांक 02.03.12 में स्ट्रीट लाईट 20 नग मय लैम्प नटबोल्ट फिटिंग सहित क्रय हेतु विद्युत रायबरेली को रू0 90000.00 का भुगतान कोषबही में लेखांकित है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–	

				क	उक्त क्रय सामग्री के सेल/कैश मेमो सं0 84/5355 दि0 07.03.12 में 1 नग स्ट्रीट लाईट की कीमत रू0 4500.00 लेखांकित है जबकि विक्रेता से एक स्ट्रीट लाईट की कीमत की जानकारी करने पर रू0 1350.00 प्रति स्ट्रीट लाईट बताया गया। इस प्रकार अन्तर दर रू0 3150.00 से 20 नग स्ट्रीट लाईट का कुल मूल्य रू0 63000.00 ग्राम पंचायत कोष से अधिक भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है।
				ख	उक्त क्रय स्ट्रीट लाईट के ग्राम पंचायत मे लगाये जाने अथवा स्टाक अवशेष होने का भी कोई प्रमाण नहीं पाया गया। अतः कुल अपहरित धनराशि रू0 90000.00 को श्री इन्द्र बहादुर यादव ग्राम प्रधान व श्री विक्रम जैन ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

13	हरचन्दपुर	स्योंठी	34	आलोच्य वर्ष की कोषबही में निम्न विवरणानुसार दर्शित व्ययों की जांच एवं पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये–		
				भुगतान की तिथि	विवरण	धनराशि
				04.04.2011	मानदेय रोजगार सेवक को भुगतान	8629.00
				02.05.2011	मजदूरी भुगतान	1080.00
				27.04.2011	तदैव	1680.00
				16.05.2011	तदैव	15000.00
				18.05.2011	तदैव	18720.00
				10.08.2011	ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान	8230.00
				03.08.2011	मजदूरी भुगतान	36100.00
				06.08.2011	तदैव	9000.00
				10.08.2011	तदैव	8300.00
				10.08.2011	तदैव	10400.00
				25.01.2012	तदैव	15000.00
				कुल योग–		132139.00
				उपरोक्त विवरणानुसार दर्शित धनराशियों की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत किया जाये अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कमलादेवी ग्राम प्रधान तथा श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से दुरूपयोगित धनराशि रू0 132139.00 भी वसूली किया जाना अपेक्षित है।		

35

दिनाक 14.10.11 में शिव ईंट उद्योग से क्रय सी0 खंजड 60000 नग दर रू0 3800.00 प्रति हजार में से 5000 नग सी0ख0 का उपभोग बटन किशुन के घर से गंगा के घर तक ख0 मरम्मत कार्य पर किया जाना कोषबही में लेखांकित है किन्तु उक्त खडंजा मरम्मत कराये जाने एवं मजदूरी भुगतान की पुष्टि में न तो कोई मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्राप्त रहा और न ही मजदूरी भुगतान कोषबही में लेखांकित है। अतः 5000 नग सी0ख0मू0 रू0 19000.00 उपभोग दर्शित कर स्टाक का अपहरण किया गया है। अतः अपहरित स्टाक मूल्य रू0 19000.00 श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान तथा श्री सुशील कुमार ग्राम पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

36

दिनांक 24.10.11 में प्र0सं0 5 के अनुसार खडंजा मरम्मत बाल किशुन के घर से गंगा के घर तक कार्य में 75 घ0मी0 मिट्टी डलवाये जाने का मूल्य रू0 3600.00 का भुगतान कोषबही में लेखांकित किया गया जबकि उक्त कार्य सम्पन्न ही नहीं कराया गया है। अतः बिना कार्य कराये रू0 3600.00 के मिट्टी मूल्य का भुगतान दर्शित करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान व सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

37

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान कोषबही में लेखांकित किया गया है–

दिनांक / पृ0सं0	विवरण	मात्रा	धनराशि
25.10.11 / 6	अमेठी ह्यूम पाइप को भुगतान	8 नग	12134.00
02.01.2012 / 9	शिव ब्रिक एण्ड पाइप उद्योग को भुगतान	7 नग	22784.00
कुल योग–			34918.00

उपरोक्त विवरणानुसार क्रय ह्यूम पाइप के फिक्सिंग का कोई प्रमाण लेखा परीक्षा में प्राप्त नही रहा तथा स्टाक अवशेष की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी अप्राप्त रही। अतः 34918.00 के दुरूपयोगित स्टाक मूल्य की वसूली श्रीमती कमला देवी ग्राम प्रधान व श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से किया जाना अपेक्षित है।

<table>
<tr><td>14</td><td>हरचन्दपुर</td><td>पडेरा</td><td>38</td><td colspan="5">आलोच्य वर्ष 2011–12 में डायरेक्ट्री आफ वर्क्स के अनुसार निम्नांकित परियोजनाओं पर धनराशि व्यय किया गया है। जिसकी जांच एवं पुष्टि हेतु पत्रावली में संलग्न स्वीकृत, स्टीमेट, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, मस्टररोल एवं भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित श्रमिकवार सूची सामग्री क्रय की पुष्टि एवं भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक, एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>क्र0 सं0</td><td>परियोजना का नाम</td><td>अनुमानित लागत</td><td>कुल व्यय की धनराशि</td><td>सृजिम मा0दि0/टिप्पणी</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>नेवाज खेडा पुल से सुतीशन के होटल तक ख0नि0 पर व्यय</td><td>–</td><td>4750.00</td><td>–/सामग्री का</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>पड़ेरा नेवाज खेडा पुल से चौहनियां सरहद तक नहर पटरी भराई</td><td>अज्ञात</td><td>299573.00</td><td>3049/कार्य पूर्ण</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>बंधवा तालाब से डिहवा होते हुए नेवाज खेडा स0मा0 तक ख0नि0</td><td>अज्ञात</td><td>344450.00</td><td>396/कार्य पूर्ण</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>पूरे लाल मनमे बन्धा से अयोध्या के खेत तक स0मार्ग निर्माण</td><td>अज्ञात</td><td>25003.00</td><td>–/सामग्री व्यय कार्य अपूर्ण</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>रामदास के घर के बगल से पितम्बर गोडिया के खेत तक ख0निर्माण</td><td>अज्ञात</td><td>135800.00</td><td>–/सामग्री व्यय कार्य अपूर्ण</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">कुल योग–</td><td>809576.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">उपरोक्त विवरणानुसार बिना प्रमाणक के व्यय भुगतान दर्शित करके धन का दुरूप्योग किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती फूल दुलारी ग्राम प्रधान तथा श्री सत्य प्रकाश दीक्षित ग्रा0वि0अ0 एवं श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td colspan="5">आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार विज्ञापन व्यय हेतु कोषबही में भुगतान लेखांकित किया गया है–</td></tr>
</table>

				प्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
				5	11.05.11	हरपाल निगाहे अखबार को भुगतान	2000.00
				–	12.09.11	ग्रामंचल भारत न्यूज मैगजीन को भुगतान	500.00
				–	28.09.11	दैनिक जागरण न्यूज पेपर को भुगतान	1000.00
				कुल योग–			3500.00
				उक्त विवरणानुसार राज्य वित्त की धनराशि रू0 3500.00 विज्ञापन में व्यय करके धनराशि का दुरूप्योग किया गया है जिसकी वसूली श्रीमती फूल दुलारी ग्राम प्रधान व श्री सत्य प्रकाश दीक्षित ग्रा0वि0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।			
			40	आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार सामग्री क्रय किया जाना कोषबही में लेखांकित किन्तु सामग्री उपभोग की पुष्टि व कार्य सम्पन्न होने की पुष्टि में स्टाक पंजिका रूप पत्र–25 स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र मस्टररोल परिसम्पत्ति पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही–			
				दिनांक /पृ0सं0	विवरण	क्रय समाग्री की मात्रा	धनराशि
				02.04.11/1	मे0 अमेटी ह्यूम पाइप को भुगतान	–	30976.00
				25.07.11/7	हरिओम ब्रिक फील्ड को भुगतान दर 4000/– हजार	12500 ईंट प्रथम श्रेणी के	50000.00
				26.03.12/27	शिवम् ब्रिक फील्ड रहवां को भुगतान	6250 ईंट प्रथम श्रेणी के	25000.00
				31.03.12/26	शिव ईंट उद्योग को भुगतान	30000 ईंट प्रथम श्रेणी के	120000.00
				31.03.12/27	तदैव	10000 सी0ख0	38000.00
				कुल योग–			263976.00

उपरोक्त विवरणानुसार कुल रू0 263976.00 की धनराशि के उपभोग की पुष्टि न होने से राज्य वित्त के अनुदान राशि का दुरूपयोग हुआ है। जिसमें से रू0 80976.00 श्रीमती फूलदुलारी ग्राम प्रधान तथा श्री सत्य प्रकाश दीक्षित ग्रा0वि0अ0 तथा रू0 183000.00 श्रीमती फूलदुलारी ग्राम प्रधान तथा श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

41

निम्न विवरणानुसार कोषबही में दर्शित व्यय की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः बिना प्रमाणक के धन भुगतान लेखांकित करके रू0 20360.00 का अपहरण किया गया है जिसमें रू0 1800.00 की श्रीमती फूलदुलारी ग्रा0प्रधान एवं श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से तथा रू0 18560.00 श्रीमती फूल दुलारी ग्रा0प्रधान तथा श्री सत्य प्रकाश दीक्षित ग्रा0वि0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक	विवरण	धनराशि
28.07.11	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय	15060.00
30.08.11	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	3500.00
23.03.12	स्टेशनरी खरीद	1800.00
कुल योग–		20360.00

42

दिनांक 30.05.11 में पृ0सं0 8 के अनुसार कोषबही में रू0 15800.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान लेखांकित है किन्तु पुष्टि में रू0 13099.00 के सामग्री क्रय का बाउचर प्रमाणक फाइल में संलग्न है तथा शेष रू0 2701.00 का बाउचर मजदूरी भुगतान अथवा सामग्री क्रय की पुष्टि में संलग्न नहीं है। अतः दुरूपयोगित धनराशि रू0 13099.00 एवं अपहरित धनराशि रू0 2701.00 कुल रू0 15800.00 की श्रीमती फूल दुलारी ग्राम प्रधान एवं श्री सत्य प्रकाश दीक्षित ग्रा0वि0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

43

दिनांक 06.03.12 में प्रमाणक सं0 16 के अनुसार शौचालय निर्माण हेतु बी0पी0एल0 लाभार्थियों का रू0 14760.00 प्रति लाभार्थी रू0 1845.00 की दर से कोषबही में भुगतान लेखांकित है किन्तु भुगतान की पुष्टि में धन प्राप्ति रसीद व धन के उपभोग की पुष्टि में उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः दुरूपयोगित धनराशि रू0 14760.00 की श्रीमती फूलदुलारी ग्राम प्रधान व श्री सुशील कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

15	हरचन्दपुर	डिघौरा सोममऊ	44	मनरेगा योजनानतर्गत सम्पन्न कार्य की पत्रावलियों से कोषबही में अंकित व्ययों की जांच में कतिपय व्ययों की पुष्टि में प्रमाणक पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया–				
				क्र0 सं0	योजना का नाम	विवरण	धनराशि	टिप्पणी
				1	ख0नि0 राम भरोसे के घर से लक्ष्मन सिंह की बाग तक	कुशल श्रमिक की मजदूरी भुगतान + वीडियोंग्राफी एवं फोटोग्राफी का व्यय	4200+ 1800	प्रमाणक अप्राप्त
				2	नैपाल के खेत से सेमौढा तालाब तक गूल खुदाई	वीडियोंग्राफी एवं फोटोग्राफी का व्यय	1800	प्रमाण अप्राप्त
				3	कोदऊ पुत्र सूरज के खेत का समतलीकरण	फोटो ग्राफी एवं वीडियोंग्राफी का व्यय	1800	प्रमाणक अप्राप्त
				4	सेमौढा तालाब से सई नदी तक नाला खुदाई का कार्य	फोटो ग्राफी एवं वीडियोंग्राफी का व्यय	300	प्रमाणक अप्राप्त
				5	पलही बाजार सरहद से सेमौढा नाला तक स0मार्ग	सदैव	300	प्रमाणक अप्राप्त
				6	पुनवासी सै0 रामदयाल के खेत का समतलीकरण	तदैव	300	प्रमाणक अप्राप्त
				कुल योग–			10500.00	
				उपरोक्त विवरणानुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी कुल धनराशी रू0 10500.00 श्री शिव कुमार सिंह ग्राम प्रधान व श्री विनोद कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।			

			45		आलोच्य वर्ष में सम्पन्न कार्य पलही बाजार सरहद से सेमौढा नाला तक सम्पर्क मार्ग में ह्यूम पाइप डलवाने हेतु क्रय ह्यूम पाइप रू0 18698.00 का भुगतान कोषबही में पृ0सं0 21 के अनुसार दिनांक 25.10.2011 में लेखांकित है जिसका बाउचर भी कार्ययोजना की पत्रावली में संलग्न है, किन्तु उक्त क्रय सामग्री के उपभोग की पुष्टि सम्बन्धित कार्य की एम0वी0 में अंकित नहीं पाया गया। अतः रू0 18698.00 के अपहरित स्टाक मूल्य की वसूली श्री शिव कुमार सिंह ग्राम प्रधान व श्री विनोद कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त से किया जाना अपेक्षित है।
			46		दिनांक 03.06.2011 में कोषबन्दी में रू0 5000.00 रू0 हैण्डपम्प सामग्री क्रय हेतु भुगतान सूर्यपाल सिंह आयरन स्टोर हरचन्दपुर को भुगतान लेखांकित है, किन्तु पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः बिना प्रमाणक दर्शित भुगतान की धनराशि रू0 5000.00 श्री शिव कुमार सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री विनादे कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।
			47		दिनांक 20.09.2011 में पृ0सं0 के अनुसार अमेठी ह्यूम पाइप से क्रय 47 नग ह्यूम पाइप की धनराशि रू0 82029.00 का भुगतान कोषबही में लेखांकित है जिसकी जांच में निम्न आपत्तियां प्रकाश में आयी–
				क	उपरोक्त क्रय ह्यूम पाइप के ग्राम पंचायत में उपयोग की पुष्टि में कोई प्रमाण तथा मस्टर रोल (मजदूरी भुगतान) लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा तथा स्टाक अवशेष के प्रमाण में स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में तैयार नहीं पायी गयी।
					अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रू0 82029.00 को स्टाक मूल्य का अपहरण हुआ है जिसकी वसूली श्री शिव कुमार सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री विनोद कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।
			48		आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में सूर्यपाल सिंह आयरन स्टोर हरचन्दपुर से कैषमेमो सं0 428 दिनांक 01.04.11, 434 दिनांक 03.06.11, 433 दिनांक 24.10.2011, 466 दिनांक 03.03.12, कुल रू0 74954.00 की हैंडपम्प सामग्री क्रय हेतु भुगतान एवं पृ0सं0 2,5,9,12,13 एवं 17 के अनुसार कुल 173 हैडपम्पों की मरम्मत पर कुल मजदूरी रू0 29150.00 का क्रय कोषबही लेखांकित है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है–

				क	सामग्री के बाउचर पर टिन नं./व्यापार कर रजि0 नं0 अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट है कि सामग्री अधिकृत विक्रेता से क्रय नहीं किये जाने के कारण प्रशासकीय कर की चोरी हुई है। शासन के आदेशों के विपरीत अधिकृत विक्रेता के यहां सामग्री क्रय न किया जाना गम्भीर अनियमितता है।
				ख	हैण्डपम्प मरम्मत 173 के कार्यस्थल का विवरण मजदूरी भुगतान के बाउचर पर अंकित नहीं पाया गया जिससे सम्पन्न कार्य एवं धनराशि के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है।
				ग	हैण्डपम्प मरम्मत में बदले गये नये सामानों के स्थान पर पुराने सामग्री का स्टाक पंजिका लेखपरीक्षा में अप्राप्त रही जिससे नयी सामग्री के उपभोग की पुष्टि नहीं होती है।
				घ	जिन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया गया है वहां के निवासियों से प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा में अप्राप्त रहा।
				अतः उपरोक्त आधार पर कुल दुरूपयोगित धनराशि रू0 104104.00 की वसूली श्री शिव कुमार सिंह ग्राम प्रधान तथा श्री विनोद कुमार ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।	
16	हरचन्दपुर	कासोखास	49	दिनांक 29.06.2011 में सामग्री खा0सं0 21198 की पासबुक में रू0 20064.00 का निकासी भुगतान लेखांकित है किन्तु ग्राम पंचायत की कोषबही में निकासी से आय एवं व्यय कोषबही में लेखांकित न करके रू0 20064.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री इम्तियाज अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री गोकरन नाथ तिवारी ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।	
			50	दिनांक 25.01.12 में श्रम/मेन ख0सं0 14269/3570 की पासबुक में रू0 4560.00 की निकासी भुगतान लेखांकित है किन्तु ग्राम पंचायत की कोशबही में निकासी से आय एवं व्यय भुगतान लेखांकित न करके रू0 4560.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री इम्तियाज अहमद ग्राम प्रधान एवं श्री गोकरन नाथ तिवारी ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।	

			51	आलोच्य वर्ष में निम्न विवरणानुसार कोषबही के व्यय पक्ष में अंकित भुगतान की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः बिना प्रमाणक के व्यय भुगतान लेखांकित करके रू0 252225.00 धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली श्री इम्तियाज अहमद ग्राम प्रधान व श्री गोकरन नाथ तिवारी ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है–			
				भुगतान की तिथि / पृ0सं0	विवरण	क्रय मात्रा	धनराशि
				19.04.11 / –	स्वच्छ शौचालय हेतु 2 लाभार्थी को अनुदान धन भुगतान	–	3690.00
				21.05.11 / 8	8 शरद अर्चना एण्ड क0 चार्टेड एकाउन्ट में भुगतान	–	4000.00
				28.06.11 / –	1 लाभार्थी को स्वच्छशौचालय अनुदान भुगतान	–	1845.00
				09.07.11 / –	8 लाभार्थी को स्वच्छशौचालय अनुदान भुगतान	–	14760.00
				27.08.11 / –	22 लाभार्थी को स्वच्छशौचालय अनुदान भुगतान	–	40590.00
				28.09.11 / –	4 लाभार्थी को स्वच्छशौचालय अनुदान भुगतान	–	7380.00
				13.10.11 / –25	मे0 घनश्याम अटलानी गंगागंज को भुगतान	10000सी0ख0 / 160 प्रथम श्रे0नि0ईट0	38000.00 6400.00
				05.12.11 / –38	–	10000 सी0ख0	38000.00
				13.02.12 / –	8 लाभार्थी को स्वच्छशौचालय अनुदान भुगतान	–	14760.00
				23.03.12 / –51–बी	–	20000–प्रथम श्रेणी ईंट 400 फुट मिट्टी	82800.00
				कुल योग–			252225.00

			52	दिनांक 27.09.2011 में पृ0सं0 23 के अनुसार हुसैनगंज से पुलिया तक ख0 निर्माण दिनांक 01.09.11 से 12.09.11 तक कार्य हेतु कुल रू0 9600.00 मजदूरी भुगतान कोषबही में लेखांकित किया गया है। म0रोल की जांच करने पर पाया कि उक्त कार्य में 6 लेबर को 72 दिन कार्य हेतु रू0 100.00 प्रति की दर से रू0 7200.00 तथा 1 राजगीर को 11 दिन कार्य हेतु रू0 200.00 प्रतिदिन की दर से रू0 2200.00 कुल रू0 9400.00 का भुगतान किया गया है किन्तु मस्टररोल पर कुल भुगतान धनराशि रू0 9600.00 लेखांकित कर कोषबही में नकद रोकड शेष खारिज किया गया है। इस प्रकार रू0 200.00 का भुगतान अधिक दर्शित कर नकद रोकड़ शेष खारिज किया गया है जिसकी श्री इम्तियाज अहमद ग्रा0प्र0 एवं श्री गोकरन नाथ तिवारी ग्रा0पं0अ0 से संयुक्त रूप से वसूली किया जाना अपेक्षित है।
17	लालगंज	बहाई	53	आलोच्य वर्ष में ग्राम सभा के क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु वा0सं0 (25) ता0 20.07.2011 तथा वा0सं0–(52) ता0 30.12.2011 द्वारा क्रमशः रू0 90500/–एवं रू0 135750.00 कुल धनराशि रू0 226250/– का व्यय दर्शाया गया है। यह उक्त व्यय पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि आलोच्य वर्ष 2011–12 में स्ट्रीट लाईट के मद में अनुदान नहीं आया था एवं स्टाक रजिस्टर में भी खरीदे गये 25 नग स्ट्रीट लाईट की प्रविष्टि नहीं की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि रू0 226250.00 की वसूली प्रधान श्रीमती अनूपा एवं ग्रा0वि0अ0 अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय से अपेक्षित है।
18	लालगंज	जगतपुर भिचकौरा	54	आलोच्य वर्ष (2011–12) में ग्राम सभा के ग्राम निधि खाते से कुल रू0 278543.00 धनराशि का आहरण किया गया। इस धनराशि के सापेक्ष समस्त व्यय की पुष्टि हेतु बाउचर एवं बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्वतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण व्यय फर्जी है, जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती अंजूलता एवं ग्रा0वि0अ0 श्री विनय कुमार तिवारी से अपेक्षित है।
19	जगतपुर	मखदुमपुर	55	मनरेगा संबंधी आपत्ति–डोकी ताल से रघुनाथ के खेत तक सिंचाई, नाली खुदाई कार्य की एमबी में ह्यूम पाइप का व्यय अंकित नहीं है जबकि रू0 23158.00 का भुगतान ह्यूम पाइप के लिए कर दिया गया है। इसमें उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त व्यय की पुष्टि की जानी अपेक्षित है।

			56	मोनिक के घर से छोपनाला तक संपर्क मार्ग निर्माण कार्य की एमबी में ह्यूम पाइप का व्यय दर्शित नहीं है जबकि कैशबुक में हयूम पाइप हेतु रू0 8230.00 का व्यय अंकित है। उक्त व्यय क्यों किया गया? स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
			57	महराजदीन के खेत से दृगराज के खेत तक चक मार्ग निर्माण कार्य में 1500 रू0 का भुगतान टेंट हाउस से लिए किया गया है परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। व्यय भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।
			58	राजवित्त के अन्तर्गत किए गए निम्न भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए है। इन व्ययों का विवरण निम्न है–

				दिनांक	व्यय की धनराशि	मद / कार्य	धनराशि आहरण करनें वाले का नाम
				15.04.11	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	रामनरेश
				17.06.11	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	रामनरेश
				18.01.11	10000.00	सफाई कर्मियों का सामान क्रय	रामनरेश
				9ध्8ध्2011	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	धर्मेन्द्र
				16.08.11	10000.00	सीमेन्ट, मोरंग, बालू क्रय	जियालाल
				27.08.11	15000.00	सीमेन्ट, मोरंग, बालू क्रय	रामनरेश
				01.09.11	15000.00	शौचालय सीट क्रय	अज्ञात
				06.09.11	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	धर्मेन्द्र
				08.09.11	26375.00	सीमेन्ट, मोरंग, बालू क्रय	धर्मेन्द्र
				08.09.11	63900.00	मजदूरी शौचालय हेतु	रामनरेश
				09.09.11	6500.00	शौचालय सीट क्रय	धर्मेन्द्र
				15.09.11	3000.00	शौचालय हेतु दो लाभार्थी को देय	धर्मेन्द्र
				23.12.11	20160.00	हैण्डपम्प मरम्मत	कृष्ण कुमार
				03.03.12	11225.00	हैण्डपम्प मरम्मत	आरती

				23.03.12	15000.00	दस लाभार्थी शौचालय का देय	रामनरेश
				कुल योग–	251160.00		
				उपर्युक्त व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 251160.00 के सापेक्ष सभी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है।			
			59	आलोच्य वर्ष में कूप मरम्मत हेतु कैश बुक में कुल रू0 40000.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु कूप मरम्मत कहा हुआ है इसका विवरण कैशबुक में नहीं दर्ज है। कूप मरम्मत हेतु सीमेन्ट, मोरंग, खरीदने के लिए रू0 1000.00 का भुगतान दिनांक 11.07.11 को हुआ दिखाया गया है परन्तु इस धनराशि का आहरण स्वयं ग्राम प्रधान श्री रामनरेश के द्वारा किया गया है। इन कार्य हेतु समक्ष अधिकारी को अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है तथा कार्य के समाप्ति पर तकनीकि मापन नहीं कराया गया है जिससे उक्त कार्य हेतु देय धनराशि की उपयुक्तता पुष्टि नहीं की जा सकी। सम्पूर्ण व्यय की धनराशि के सापेक्ष उक्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर जांच करायी जानी अपेक्षित है।			
			60	आलोच्य वर्ष में खडंजा मरम्मत का कार्य दो स्थानों पर सम्पन्न किया गया है परन्तु उक्त दोनों कार्यों के लिए कार्य योजना प्रस्तावित नहीं की गई है। उक्त कार्य का तकनीकी मार्गदर्शन तथा अनुमानित लागत तैयार नहीं किया गया तथा इस कार्य हेतु देय मजदूरी के लिए लगे मस्टर रोल पर भी कार्य किया का अंकन नहीं किया गया है जिससे इस कार्य में व्यय धनराशि की युक्तियुक्त होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। खडंजा मरम्मत हेतु दोनों कार्यों के कुल मजदूरी रू0 75860.00 का भुगतान किया गया है जबकि ईंट क्रय के लिए कुल रू0 148440.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों कार्यो में कुल रू0 224300.00 का व्यय किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष उचित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर जांच करायी जानी अपेक्षित है इस कार्य के संबंधित कार्यवाही रजिस्टर सक्षम अधिकारी का आदेश पत्र स्टाक रजिस्टर आदि को प्रस्तुत कर जांच करायी गयी अपेक्षित है।			
			61	आलोच्य वर्ष (2011–12) में कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु निम्न तिथियों को व्यय दर्शित है–			
				दिनांक	व्यय की राशि	कार्य का नाम	धनराशि आहरण करनें वाले का नाम

				15.04.11	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	रामनरेश
				17.06.11	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अज्ञात
				09.08.11	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	धर्मेन्द्र
				06.09.11	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत	धर्मेन्द्र
				23.12.11	20160.00	हैण्डपम्प मरम्मत	कृष्ण कुमार
				03.03.12	11225.00	हैण्डपम्प मरम्मत	अनिल कुमार
				कुल योग–	86385.00		
				उपरोक्त व्यय के सापेक्ष कार्य प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर तकनीकि मार्गदर्शन पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आदेश पत्र को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।			
			62	आलोच्य वर्ष में दिनांक 04.04.2011 को रू0 37632.00 का भुगतान ह्यूम पाइप क्रय हेतु दर्शित है परन्तु इस भुगतान के सापेक्ष जो बाउचर लगाया गया है उस कैशमेमो बिल पर तिथि 20.04.11 अंकित है और मूल बाउचर बिल में ट्रांसर्पोटेशन चार्ज की दर 28 प्रतिशत अंकित है। अर्थात पाइप का क्रय मूल्य 29400.00 रू0 है जबकि ट्रांसर्पोटेशन चार्ज रू0 8332.00 लगाया गया है जोकि सरकारी दर से 8 प्रतिशत अधिक है। अर्थात इस भुगतान में रू0 2452.00 का भुगतान अधिक किया है। साथ ही साथ इस धनराशि का भुगतान इण्डिया सीमेन्ट पाइप फैक्ट्री नामक फर्म को न कर किसी अशोक कुमार नामक व्यक्ति को चेक से भुगतान किया गया है। इस प्रकार क्रय पाइप का अंकन स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है। उक्त आपत्तियों का निस्तारण अपेक्षित है।			
20	जगतपुर	मनिहरशर्की	63	मनरेगा के कैशबुक में विभिन्न तिथियों को साइनबोर्ड हेतु भुगतान के रूप में कुल व्यय रू0 45000.00 दर्शित है। परन्तु यह भुगतान किसी रजिस्टर्ड फर्म को नहीं किया गया है बल्कि व्यक्ति विशेष श्रीरामधनी एवं श्री रमाकान्त मिश्रा को किया गया है जोकि मनरेगा एक्ट का उल्लंघन है और सम्पूर्ण व्यय गबन माना जा सकता है। सम्बद्ध पक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।			
			64	मनरेगा कैशबुक में दिनांक 23.06.2011 को चार बोर्ड के लिए रू0 10000.00 का भुगतान किया गया है परन्तु कैशबुक में चार कामों का उल्लेख नहीं है तथा बिना वित्तीय स्वीकृति के एक साथ रू0 10000.00 का भुगतान कैसे कर दिया गया? स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।			

			65	मनरेगा के तहत किए गए कार्य 31 नं0 गुलाबन से वासुदेव के खेत तक कच्ची नाली सफाई एंव खुदाई के अंन्तर्गत जो फोटोग्राफ लगाए गए है उससे प्रतीत होता है कि यह नाली पक्की है तथा इस नाली का निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका है। अतः उक्त कार्य में व्यय रू0 319020.00 की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः उक्त व्यय संदिग्ध है। साथ ही साथ नाली खुदाई के बाद का जो फोटोग्राफ लगाया गया है उसमें नाली में पानी भरा हुआ है जिससे सम्पूर्ण कार्य की संदिग्धता स्पष्ट होती है? स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	
			66	मनरेगा के तहत 31 नं0 कुलाबा से वासुदेव के खेत तक नाली निर्माण कार्य में लगे मजदूर तथा राम प्रसाद के घर से बुधई के घर तक खडंजा निर्माण (राज्यवित्त के तहत) में दिनांक 11.06.11 से 14.06.11 तक कुल चार मजदूर चार दिन यानि 16 दिन तक उभय रूप से कार्य करते हुए दिखाए गए है। इन मजदूरों का नाम है–	
				क	राम प्रसाद पुत्र लक्ष्मन
				ख	राजाराम पुत्र सत्ती
				ग	सुबेदार पुत्र श्यामलाल
				घ	जियालाल पुत्र कालीचरन
				इस प्रकार उक्त स्थिति संभव नहीं है। अतः संपूर्ण की जांच की जानी आवश्यक है। 16 मानव दिवस के रूप में रू0 1920.00 का व्यय गलत ढंग से किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	
			67	राजवित्त कैश बुक के अनुसार दिनांक 15850.00 रू0 व्यय सीमेन्ट, मोरंग, सरिया हेतु श्री फौजी ट्रेडर्स को किया जाना अंकित है परन्तु यह व्यय नगद आहरण के द्वारा किया गया है फर्म को चेक से भुगतान न करके अनियमितता की गयी है। अतः उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	
			68	कैशबुक में दिनांक 26.05.11 को रू0 4700.00 तथा रू0 3300.00 का भुगतान फौजी ट्रेडर्स को किया जाना दर्शित है परन्तु उक्त धनराशि का आहरण त्रिभुवन सिंह तथा श्री धर्मेन्द्र द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि का भुगतान सीधे फर्म को न कर व्यक्ति को किया जाना अनियमित रहा। जिसकी वसूली पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	

			69	कैशबुक में दिनांक 23.06.11 को रू0 1692.00 दिनांक 01.07.11 को रू0 4800.00 तथा दिनांक 27.02.2012 को रू0 7122.00 का भुगतान श्री फौजी ट्रेडर्स को किया जाना दर्शित है परन्तु पासबुक के अनुसार उक्त धनराशि का आहरण श्री त्रिभुवन सिंह द्वारा किया गया है जोकि ग्राम प्रधान के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करते है। उक्त धनराशि का भुगतान सीधे फर्म को न कर व्यक्ति को किया जाना अनियमित रहा। जिसकी वसूली पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
			70	राजवित्त के तहत आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कूप मरम्मत के लिए कुल रू0 69454.00 का व्यय दर्शित है यह कूप मरम्मत रामनाथ के दरवाजे, रामनरेश के दरवाजे, सुक्खन के दरवाजे तथा छोटीलली के दरवाजे पर किया गया है। परन्तु उक्त कार्य के लिए सक्षम अधिकारी से तथा तकनीकि अधिकारी से कार्य योजना को प्रमाणित नहीं कराया गया है तथा ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर में भी उक्त कार्य का प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया है। जिससे सम्पूर्ण धनराशि अनियमित तरीके से व्यय की गयी है। उक्त सम्पूर्ण अनियमित धनराशि की वसूली सम्बन्धित पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।
			71	आलोच्य वर्ष में कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत निम्न तिथियों में व्यय किया जाना दर्शित है–

दिनांक	धनराशि	व्यय का मद	आहरण किसके द्वारा
05.05.11	4965.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	सुरेश सिंह
06.06.11	4860.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	कैश भुगतान
10.06.11	4540.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	त्रिभुवन सिंह
22.07.11	4870.00	द्विवेदी ट्रेडिंग कां0 को भुगतान	सुरेश सिंह
25.11.11	4680.00	द्विवेदी ट्रेडिंग कां0 को भुगतान	सुरेश सिंह
20.12.11	3875.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	सुरेश सिंह
27.01.12	4950.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	सुरेश सिंह
कुल योग–	32740.00		

				उपर्युक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर रू0 32740.00 का व्यय फर्जी तरीके से किया गया है? अतः उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित कार्मिक एवं ग्राम प्रधान से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
			72	राजवित्त कैशबुक में राम अधार के घर से शिवदर्शन के दरवाजे तक खडंजा मरम्मत कार्य में कुल रू0 26720.00 व्यय किए गए है। परन्तु उक्त कार्य की माप कैशबुक में अंकित नहीं है। इसके साथ ही कार्य योजना एवं तकनीकि मार्गदर्शन तथा कार्यमापन भी नहीं कराया गया जिससे संपूर्ण व्यय में अनियमितता प्रदर्शित होती है जिसकी जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
			73	राजवित्त के तहत आलोच्य वर्ष में राम प्रसाद के घर से बुधई के घर तक खडंजा निर्माण, पं0 मदन से अमरनाथ के घर तक खडंजा निमाण तथा रामअधीन के घर से पक्की नाली तक खडंजा निर्माण में कुल रू0 224416.00 खर्च किया गया है। परन्तु उक्त कार्य की कार्य योजना तकनीकि मार्गदर्शन तथा कार्योपरान्त कार्य मापन नहीं कराया गया है जिससे कार्य में व्यय राशि की पुष्टि नहीं हो सकी। उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर सम्पूर्ण व्यय की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
			74	सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में कृष्णा ब्रिक फील्ड से ईंट क्रय हेतु जो बाउचर लगाए गए में गंभीर अनियमितता है जो निम्न है–

दिनांक	कैशमेमो नं0	धनराशि
13.04.11	423	15000.00
10.05.11	410	6800.00
20.06.11	449	2000.00
20.06.11	451	5000.00
24.06.11	445	8000.00
13.02.12	444	76000.00
23.02.12	468	23282.00
30.05.12	434	5600.00
कुल योग–		141682.00

				उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गलत बाउचर लगाकर फर्जी आहरण कर धन का अपहरण किया गया है उक्त क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में पृविष्टि भी नहीं की गयी है जिससे खरीद सामग्री फर्जी प्रतीत होती है। अतः उक्त धनराशि की वसूली सम्बन्धित कार्मिक व ग्राम प्रधान से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

<table>
<tr><td>21</td><td>जगतपुर</td><td>चिचौली</td><td>75</td><td colspan="4">ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए कार्य पूरे चौहान तालाब खुदाई तथा प्रा0वि0 गोपियापुर में मिट्टी भराई कार्य में निम्नांकित मजदूरों की उपस्थिति उभयनिष्ठ तिथि 28,29,30,31,1,12 को पाई गई। इनके नाम निम्न है–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>क्र0 सं0</td><td>श्रमिक का नाम</td><td>श्रमिक का जॉब कार्ड नं0</td><td>दोनों एम0आर0 की संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>बलराज</td><td>47</td><td rowspan="3">क– एम0आर0नं0 5266, 5268 तालाब खुदाई पूरे चौहानन</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>गुरू प्रसाद</td><td>58</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>रतीपाल</td><td>357</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>गनेश</td><td>489</td><td rowspan="2">ख– एम0आर0नं0 5841, 5842 प्रा0वि0 गोपियापुर मिट्टी भराई</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>विन्देश्वरी</td><td>547</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">इस प्रकार फर्जी तरीके से मज़दूरों को कार्य करते हुए दिखाकर 20 दिन की मजदूरी 2400.00 का गबन किया गया है। इस गबन के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण कार्य की प्रमाणिकता संदिग्ध हो गयी। अतः पूरे कार्य की जांच सक्षम प्राधिकारी से कराकर गबन की गई समस्त धनराशि की वसूली अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>76</td><td colspan="4">पूरे चौहान तालाब खुदाई कार्य एवं नाला सफाई एवं खुदाई कार्य गोहन्ना तालाब से नरइन तालाब तक दोनों में एक समान तिथि दिनांक 27.01.12 से 02.02.12 तक दो मजदूर श्री सहदेव जॉब कार्ड नं. 126, एकाउन्ट नं0 23115 तथा श्री रमेश जॉब कार्ड नं. 219 एकाउन्ट नं. सी–120 को कार्य करते हुए दर्शाया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">साथ ही साथ उपर्युक्त दोनों कार्यों के एम0आर0 मस्टररोल सं0 5263, 5267 के साथ छेड़छाड़ कर मजदूरों के नामबदले गए तथा ओवर राइटिंग कर उनका जॉब कार्ड संख्या भी बदल दिया गया परन्तु खाता संख्या बदलना छूट गया। इस प्रकार मस्टर रोल के साथ छेड़छाड़ के लिए संबंधित कर्मचारी के ऊपर अपराधिक मुकदमा कायम कर जांच करायी जानी अपेक्षित है।</td></tr>
</table>

			77	प्रा0वि0 गोपियापुर में मिट्टी भराई कार्य से संबंधित लगाए गए फोटोग्राफ से उक्त कार्य किए गए इसकी पुष्टि नहीं हो पायी किसी भी फोटोग्राफ में विद्यालय की चहारदीवारी, विद्यालय की वास्तविक स्थिति एवं भवन तथा विद्यालय का प्रांगण दिखाई नहीं पड़ता है। साथ ही साथ उक्त कार्य से संबंधित कार्य स्थल एवं योजना के बोर्ड का फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं है। अतः संपूर्ण कार्य पर किया गया व्यय फर्जी है। उक्त कार्य से संबंधित मजदूरों का नाम अन्य कार्य में भी पाया गया है। अतः सम्पूर्ण व्यय रू0 41376.00 का व्यय फर्जी मानते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।
			78	खडंजा मरम्मत पूरे आलम से नहर तक के कार्य में कुल मजदूरी व्यय 70000.00 रू0 दर्शित है। परन्तु उक्त कार्य के सापेक्ष लगाए गए एम0आर0 मस्टर रोल पर तथा कोषबही दोनों पर ही खडंजा मरम्मत की माप अंकित नहीं है। साथ ही साथ उक्त कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति भी नहीं की गई है। कार्य निष्पादित होने के बाद एम0वी0 भी नहीं किया गया है। इस कार्य में कुल रू0 51000.00 की ईंट खरीदी गई। इस प्रकार संपूर्ण व्यय 121000.00 रू0 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण व्यय को फर्जी मानते हुए वसूली की जानी अपेक्षित है।
			79	खडंजा मरम्मत कार्य मेनरोड खुरौली गांव से गांद भीतर तक के मजदूर हेतु कोषबही में दिनांक 08.09.11 से रू0 28000.00 व्यय दर्शित है। पुनः इसी कार्य हेतु दिनांक 24.09.11 को मजदूरी भुगतान हेतु रू0 26500.00 का व्यय दर्शित है। इस प्रकार एक कार्य हेतु दो बार मजदूरी भुगतान कैसे किया गया। इस कार्य का माप एम0वी0 तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे उक्त कार्य से संबंधित कुल मजदूरी व्यय 54500.00 का ईंट क्रय हेतु व्यय 22000.00 रू0 सम्पूर्ण व्यय 76500.00 रू0 का व्यय फर्जी तरीके से किया गया है इस व्यय की जांच अपेक्षित है।

			80	राज वित्त कोषबही में दिनांक 01.12.11 को कूप मरम्मत पर मजदूरी व्यय रू0 20000.00 दर्शित है। परन्तु उक्त कार्य कूप मरम्मत हेतु तकनीकी स्वीकृति एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। कूपमरम्मत के मजदूरी के सापेक्ष जो मास्टर रोल उपलब्ध कराया गया, उस मस्टररोल पर कार्य करने की तिथि के अंकन के स्थान पर केवल 1 से 8 तक कार्य किया जाना अंकित है। इस माह तथा वर्ष में कार्य किया गया इस का कोई सूचना अंकित नहीं है। इस मस्टर रोल पर किसी भी अधिकारी तथा प्रधान के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त व्यय की जांच कराया जाना अपेक्षित है।
			81	राजवित्त कोषबही में दिनांक 25.10.2011 में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 28400.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय की धनराशि को कोषबही में गुप्ता आयरन स्टोर्स को देय अंकित है परन्तु व्यय प्रमाणक के रूप में द्विवेदी बोरिंग हाउस, जगतपुर का बिल लगाया गया है। अतः सम्पूर्ण व्यय फर्जी तरीके से कर रू0 28400.00 का गबन कर लिया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि तातारीख ब्याज सहित संबंधित तत्कालीन ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से वसूल की जानी अपेक्षित है।
			82	राजवित्त कोषबही में दिनांक 08.05.2011 को रू0 2580.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत हेतु दर्शित है। व्यय प्रमाणक के रूप में द्विवेदी बोरिंग हाउस जगतपुर का बिल बाउचर लगा हुआ है परन्तु उक्त धनराशि का अपहरण चेक सं0 501206 के माध्यम से किसी रमाकान्त मिश्रा द्वारा किया गया है। इस प्रकार रू0 2580.00 का आहरण फर्जी तरीके से कर गबन किया गया है। इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम वि0/ग्रां पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

			83	राजवित्त के कोषबही में दिनांक 15.09.11 को ह्यूम पाइप क्रय हेतु रू0 34176.00 का व्यय दर्शित है। उक्त धनराशि का भुगतान संबंधित फर्म भारत सीमेन्ट पाइप को नहीं कर व्यक्तिगत नाम से चेक काटकर नकद किया गया है जो नियम के विपरीत है। साथ ही क्रय के सापेक्ष लगे बिल में 23 प्रतिशत की दर से रू0 6141.00 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दर्शाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसी भी स्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की दर से देय है जोकि 4005.00 रू0 होता है इस प्रकार रू0 2136.00 का व्यय गलत है। इसके साथ ही सम्पूर्ण आलोच्य वर्ष में कहीं भी इन ह्यूम पाइपों के उपयोग का प्रमाण नहीं है। अतः संपूर्ण व्यय रू0 34176.00 फर्जी तरीके से किया गया है। इसकी वसूली संबंधित ग्राम प्रधान तथा ग्रा0वि0/ग्रां0पं0अ0 से की जानी अपेक्षित है।
22	रोहनियां	उमरन	84	मनरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 20.10.11 को पत्रांक 322 से रू0 79500.00 से निर्मित होने वाले खडंजा निर्माण राम औतार के घर से कालीमाई के चबूतरा तक की स्वीकृति प्राप्त की गयी और 20.10.11 को ही पत्रांक 323 से रू0 95200 से निर्मित होने वाली खडंजा निर्माण हनुमान के घर से बारात घर तक की स्वीकृति प्राप्त की गयी। तद्परान्त 02.12.11 को चेक सं0 709409 से रू0 67452.00 का चेक शिवम् ब्रिक फील्ड भागीपुर बाबूगंज रायबरेली को व 03.12.11 को चेक सं0 709410 से रू0 53962.00 का चेक उपर्युक्त फर्म को ही काटा गया जो दिनांक 24.12.11 को उक्त फर्म के खाते में ट्रांसफर हो गया।
				जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उपर्युक्त दोनों क्रेय से सम्बन्धित फर्म की रसीद नहीं प्राप्त की गयी न ही कोई ईंट आयी है न उक्त दोनों खडंजा ही लगाये गये है। सम्बन्धित फाइल में दोनों वि0 स्वीकृतियां एवं क्रमांक 10–11/23476 की सादी एम0वी0 बुक एवं शिवम् ब्रिक के दो लेटर पैड जिसमें दोनों खडंजों के नाम व ईंट सं0 व दर का उल्लेख है प्राप्त हुआ है। डायरेक्टरी आफ वर्क्स में उक्त दोनों कार्यों हेतु क्रमशः रू0 67131.00 व रू0 70952.00 के सामग्री मद में व्यय दर्शाकर तथा खडंजा निर्माण राम औतार रू0 6000.00 का श्रम पर व्यय दर्शाते हुए कार्य की स्थिति अपूर्ण बतायी गयी है। दोनों धनराशियों से क्रय किये गये ईंट का स्टाक रजि0 भी नहीं बनाया गया है।
				जांच में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा भी बताया गया कि दोनों खडंजों का निर्माण नहीं हुआ है, न ही ईंट आयी है। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 एवं ग्रा0प्रधान द्वारा फर्म को चेक काटकर उसके खाते से भुगतान कराकर धनराशि को वापस प्राप्त कर रू0 121414.00 का गबन किया गया है। उक्त कार्य न होने के बावजूद मस्टर रोल भर कर कुछ खास श्रमिकों के खाते में रू0 डालकर उनसे भुगतान वापस कर रू0 6000.00 का गबन किया गया है। (साक्ष्य– दोनों खडंजों की वि0स्वी0 एम0वी0 की सादी कापी डायरेक्टरी आफ वर्क्स चेक की अभिलेख पर्ची की छायाप्रतियां) अतः उक्त धनराशि रू0 121414.00 व 6000.00 की वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी आपेक्षित है।

			85	निम्नानुसार मनरेगा योजनानतर्गत बिना एम0वी0 के भुगतान डायरेक्टरी आफ वर्क्स में दर्शित है।		
				1	पटरी भराई उमर नेकनामपुर रोड से बहाई तक	4200.00
				2	हनुमानगंज मन्दिर से बल्दू का पुरवा तक स0मा0नि0	3800.00
				3	हनुमानगंज पुल से उमरन सीमा तक पटरी भराई	3901.00
				4	स0मा0नि0 अस्पताल के सामने से नहर तक	3901.00
				5	पटरी भराई उमरन अस्पताल से सेमरा गांव तक	4401.00
				6	ख0मरम्मत तलरेजा भट्ठा से पूरे बेंचू का पुरवा तक	4400.00
				कुल योग–		20203.00
				उक्त भुगतान धनराशि बिना एम0वी0 के की गयी है जो मनरेगा अधिनियम के विपरीत है। अतः रू0 20203.00 की वसूली तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 व ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।		
			86	मनरेगा योजनान्तर्गत डायरेक्टरी आफ वर्क्स के क्रमांक 8 पर अंकित स0मार्ग हेतु रू0 58800.00 श्रम पर एवं रू0 5000.00 सामग्री की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है किन्तु डायरेक्टरी आफ वर्क्स में ही श्रम पर निर्धारित रू0 58800.00 के बजाय रू0 66840.00 व्यय दर्शाया गया है जो वित्तीय स्वीकृति से रू0 8040.00 अधिक है। वित्तीय स्वीकृति से अधिक का व्यय अधिनियम का उल्लंघन है। अतएव रू0 8040.00 तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 व ग्रा0प्र0 से बराबर–बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।		
			87	आलोच्य वर्ष में रा0वि0 खाता सं0 22898 से रू0 474455.00 का आहरण किया गया है। उसके सापेक्ष वर्तमान ग्रा0पं0अ0 एवं ग्रा0प्र0 द्वारा व्यय सम्बन्धी कोई भी बिल बाउचर म0रो0, रोकडबही, स्टाक पंजिका आदि बार–बार मांगे जाने के बाद भी नहीं प्रस्तुत किया जा सका न ही किसी कार्य की मौखिक जानकारी ही की जा सकी। स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्रा0पं0अ0 एवं ग्राम प्रधान द्वारा बराबर–बराबर किया जाना अपेक्षित है।		

जनपद का नाम :– सीतापुर

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉ :–

<u>प्रस्तर संख्या–1</u> :–

ग्राम पंचायत बेनीराजादशरथपुर, विकास खण्ड हरगॉव में वर्ष 2011–12 में दिनॉक 20/08/2011 को श्री उमाकान्त, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा चेक संख्या 125981 से रू0 17000/– का आहरण जिला सहकारी बैंक सीतापुर की शाखा हरगॉव से किया गया, आहरित धनराशि को कैशबुक के आय पक्ष में न दर्शाकर रू0 17000/– का अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमाकान्त व ग्राम प्रधान श्रीमती रामरती से की जानी अपेक्षित रही।

<u>प्रस्तर संख्या–2</u> :–

ग्राम पंचायत बेनीराजा दशरथपुर, विकास खण्ड हरगॉव के वर्ष 2011–12 के वर्षारम्भ 01/04/2011 को रू0 89725/– छात्रवृत्ति हस्तगत थी, वर्ष 2011–12 में रू0 51600/– का आहरण बैंक से किया गया, वर्ष 2011–12 में कुल छात्रवृत्ति रू0 51000/– ही वितरित की गयी। इस प्रकार रू0 90325/– की धनराशि का वितरण नहीं किया गया, जिसे वापस बैंक खाते में भी नहीं जमा किया गया। पूर्ण आशंका है कि आगामी वर्षों में उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया होगा। बैंक खाते में जमा धनराशि रू0 59'183/– भी सम्बन्धित विभागों को वापस नहीं की गयी। आपत्ति पूर्ण रहा।

<u>प्रस्तर संख्या–3</u> :–

ग्राम पंचायत उदनापुर कोरैय्या विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मद की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 113270/– जमा दर्शित है तथा रू0 3190/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

<u>प्रस्तर संख्या–4</u> :–

ग्राम पंचायत मुद्रासन, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मद की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 21090/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया, जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

<u>प्रस्तर संख्या–5</u> :–

ग्राम पंचायत मल्लापुर, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मद की छात्रवृत्ति 31/03/2012 को रू0 70405/– जमा दर्शित है तथा रू0 49770/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया, जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

<u>प्रस्तर संख्या–6</u> :–

ग्राम पंचायत वजीरपुर, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मद की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 21628/– जमा दर्शित है तथा रू0 6665/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

<u>प्रस्तर संख्या–7</u> :–

ग्राम पंचायत सेलूमउ, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मद की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 86247/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–8 :–

ग्राम पंचायत सेमरीभान, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 73793/– जमा थी, जबकि रू0 7050/– नकद धनराशि हस्तगत रखी गयी। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–9 :–

ग्राम पंचायत मुमताजपुर, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 2753/– जमा थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–10 :–

ग्राम पंचायत शेखापुर मूसेपुर, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 25869/– जमा थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–11 :–

ग्राम पंचायत सकलनपुर, विकास खण्ड हरगॉव के छात्रवृत्ति खाते में विभिन्न मदों की छात्रवृत्ति दिनॉक 31/03/2012 को रू0 6359/– जमा दर्शित थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि उक्त खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–12 :–

ग्राम पंचायत छरासी विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में मनरेगा निधि से कुल व्यय धनराशि में से 75 प्रतिशत सामग्री पर 25 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय किया गया, जबकि नियमतः सामग्री पर 40 प्रतिशत व श्रम पर 60 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिये था।

प्रस्तर संख्या–13 :–

ग्राम पंचायत छरासी, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 के अन्त में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 6390402.75 अनुपयोगित खाते में जमा रहा। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–14 :–

ग्राम पंचायत छरासी, विकास खण्ड कसमण्डा में दिनॉक 21/04/2011 को ग्राम निधि प्रथम खाते से छात्रवृत्ति खाते में रू0 24000/– व 28800/– हस्तान्तरित करके छात्रवृत्ति वितरित की गयी। जो कि नियम विरूद्ध रहा।

प्रस्तर संख्या–15 :–

ग्राम पंचायत सरैंया, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में वर्षान्त 31/03/2012 को रू0 1302897/– अनुपयोगित अवशेष रहा।

प्रस्तर संख्या–16 :–

ग्राम पंचायत सरैंया, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि मद से कुल व्यय में सामग्री पर 83 प्रतिशत व मजदूरी पर 17 प्रतिशत व्यय किया गया जबकि नियमतः सामग्री पर 40 प्रतिशत व मजदूरी पर 60 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए।

प्रस्तर संख्या–17 :–

ग्राम पंचायत थानापट्टी, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि से कुल व्यय धनराशि में से 18 प्रतिशत मजदूरी पर व 82 प्रतिशत सामग्री पर व्यय करना दर्शित है जबकि नियमतः यह अनुपात 60:40 होना चाहिए था।

प्रस्तर संख्या–18 :–

ग्राम पंचायत थानापट्टी, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में वर्षान्त दिनॉक 31/03/2012 को रू0 1018524.75 अनुपयोगित रहा। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–19 :–

ग्राम पंचायत महोली, विकास खण्ड कसमण्डा में दिनॉक 31/03/2012 में हस्तगत रोकड़ छात्रवृत्ति मद की रू0 409865/– व ग्राम निधि मद की रू0 70/– कुल रू0 409935/– रोकड़ हस्तगत रखी गयी। जो कि आपत्ति पूर्ण रहा। क्योंकि नियमतः रोकड़ रू0 25/– से अधिक नहीं रखना चाहिए।

प्रस्तर संख्या–20 :–

ग्राम पंचायत हमीरपुर विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवतिरित धनराशि रू0 104444/– विगत वर्षों से यथावत खाते में पड़ी है जिसे न तो वितरित किया गया, न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया। जबकि उक्त खाता संचालन में नहीं है।

प्रस्तर संख्या–21 :–

ग्राम पंचायत कसमण्डा विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 114955.30 विगत वर्षों से यथावत खाते में दर्शित है जिसे न तो वितरित किया गया न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया। जबकि उक्त खाता संचालन में नहीं है।

प्रस्तर संख्या–22 :–

ग्राम पंचायत कसमण्डा, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 के वर्षान्त में रू0 2190034.05 अनुपयोगित खाते में जमा रहा। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–23 :–

ग्राम पंचायत अशोधन, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 में विभागीय निर्देशों के विरूद्ध मनरेगा निधि मद से कुल व्यय में श्रम पर 45 प्रतिशत व सामग्री पर 57 प्रतिशत व्यय किया गया, इसी प्रकार ग्राम निधि मद से कुल व्यय में श्रम पर व्यय 14 प्रतिशत व सामग्री पर 86 प्रतिशत किया गया। जो कि आपत्ति पूर्ण रहा। जब कि नियमतः यह अनुपात 60:40 होना चाहिए।

प्रस्तर संख्या–24 :–

ग्राम पंचायत मिठौली, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 के वर्षान्त में विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि छात्रवृत्ति मद की रू0 127825.00 यथावत दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–25 :–

ग्राम पंचायत बहरीमऊ, विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 2011–12 के वर्षान्त में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 167988/– यथावत दर्शित है। जिसे सम्बन्धित विभागों को वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–26 :–

ग्राम पंचायत कुसण्डा, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 50928/– अवशेष खाते में जमा रही, जिसे सम्बन्धित विभागों को वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–27 :–

ग्राम पंचायत कुसण्डा, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में रू0 7500/– की कुर्सी–मेज, बिना कोटेशन लिये क्रय की गई तथा उक्त सामग्री को मृत स्कन्ध स्टाक पर भी नहीं अंकित किया गया। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–28 :–

ग्राम पंचायत कुसण्डा विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में ग्राम निधि खाते से रू0 30000/– की सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिये गये, न ही नेडा विभाग से क्रय की गई। उक्त का अंकन स्टाक पंजिका पर भी नहीं किया गया। आपत्ति पूर्ण रहा। उक्त सोलर लाइट कहॉ लगायी गयी, अस्पष्ट रही।

प्रस्तर संख्या–29 :–

ग्राम पंचायत किशुनपुर, विकास खण्ड महमूदाबाद मे वर्ष 2011–12 में बिना कोटेशन लिये रू0 4375/– की कुर्सी–मेज व रू0 2625/– का दरा क्रय किया गया, उक्त स्टाक मृत स्कन्ध पंजिका पर भी अंकित नहीं किया गया। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–30 :–

ग्राम पंचायत मुबारकपुरकलॉ, विकास खण्ड महमूदाबाद में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि 31/03/2012 को रू0 33457/– गत वर्षों से यथावत दर्शित है, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–31 :–

ग्राम पंचायत मुबारकपुरकलॉ, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में 85 शौचालयों हेतु 2200 की दर से रू0 187000/– व्यय होना था, लेकिन कैशबुक की जॉच में पाया गया कि उक्त शौचालयों पर 230000/– व्यय किया गया, इस प्रकार रू0 43000/– अन्य मद की धनराशि इस पर व्यय कर दी गयी। आपत्ति पूर्ण रहा। उक्त तैयार शौचालयों के कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र व तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

प्रस्तर संख्या–32 :–

ग्राम पंचायत मुबारकपुरकलॉ, विकास खण्ड महमूदाबाद के वर्ष 2011–12 के वर्षान्त में मनरेगा निधि की धनराशि रू0 180262/– अप्रयुक्त खाते में जमा दर्शित रही, जिससे प्रतीत होता है कि प्रधान व सचिव द्वारा रोजगार सृजन में उदासीन रहे।

प्रस्तर संख्या–33 :–

ग्राम पंचायत मझिगवांकलां, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में रू0 2500/– की कुर्सी–मेज, ठेलिया 7050/–, अन्य रू0 3850/– खरीद की गयी उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिये गये। उक्त को डेड स्टाक पंजिका पर भी नहीं अंकित किया गया। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–34 :–

ग्राम पंचायत मझिगवांकलां, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में 147 शौचालयों के निर्माण हेतु रू0 607545/– व सामग्री पंचायत उद्योग खैराबाद से प्राप्त हुई उक्त सामग्री व धनराशि से कितने शौचालय तैयार हुये सम्बन्धित पत्रवाली व कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, तकनीकी पर्यवेक्षण रिपोर्ट आदि अप्राप्त रही अतः उक्त से तैयार शौचालयों की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–35 :–

ग्राम पंचायत अहिबरनपुर विकास खण्ड महमूदाबाद में 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 8222/– यथावत बैंक खाते में दर्शित है जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया।

प्रस्तर संख्या–36 :–

ग्राम पंचायत इचौली, विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 13894/– व मध्यान्ह भोजन मद के रू0 3832/– बैंक खाते में जमा है जिसे सम्बन्धित विभाग की वापस नहीं किया गया आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–37 :–

ग्राम पंचायत रेवान, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में डलिया, ड्रम, फावड़ा व बल्ली रू0 12000/– की क्रय की गयी, उक्त खरीद की स्वीकृति ग्राम पंचायत से नहीं ली गयी। उक्त का अंकन स्टाक पंजिका पर भी अंकित नहीं पाया गया।

प्रस्तर संख्या–38 :–

ग्राम पंचायत रेवान, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में रू0 12468/– का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत दर्शित है। लेकिन हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धी मांग पत्र व हैण्डपम्प ठीक प्रकार से कार्य करने की रिपोर्ट अप्राप्त रही। उक्त मरम्मत में निकली सामग्री की स्थिति भी अस्पष्ट रही। क्योंकि कोई भी सामग्री स्टाक पंजिका पर अंकित नहीं पायी गयी। अतः हैण्डपम्पों की मरम्मत की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–39 :–

ग्राम पंचायत रेवान, विकास खण्ड महमूदाबाद में माह मार्च 2012 में कूप मरम्मत रू0 20000/– का व्यय दर्शित है लेकित उक्त कार्य का स्टीमेट व कार्य पूर्ति अप्राप्त रहा। अतः उक्त कार्य की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–40 :–

ग्राम पंचायत मुसना, विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति के बैंक खाते रू0 143806/– अवितरित कई वर्षों से यथावत दर्शित है। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–41 :–

ग्राम पंचायत मुसना, विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 24/10/2011 को विज्ञापन व्यय रू0 2000/– सम्पूर्ण स्वच्छता पर बैनर बनवायी रू0 5000/– व्यय किया गया उक्त हेतु न्यूनतम दर के लिए कोटेशन नहीं लिए गये। न ही बिल के साथ विज्ञापन की प्रति भी संलग्न नहीं पायी गयी। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–42 :–

ग्राम पंचायत कोठिला विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 31/03/2012 की अवितरित छात्रवृत्ति रू0 85451/– बैंक खाते में गत वर्ष से यथावत दर्शित है। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था।

प्रस्तर संख्या–43 :–

ग्राम पंचायत बघाइन, विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 19753/– बैंक खाते में गत वर्ष से यथावत दर्शित है। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–44 :–

ग्राम पंचायत कलुआपुर विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 80284/– बैंक खाते में गत वर्ष से यथावत दर्शित है। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–45 :–

ग्राम पंचायत कलुआपुर विकास खण्ड महमूदाबाद में निम्न तिथियों में फर्नीचर खरीद की गयी। जिसका अंकन मृत स्कन्ध पंजिका पर नहीं पाया गया तथा खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिए गये। इतनी अधिक मात्रा में फर्नीचर क्रय का औचित्य अस्पष्ट रहा।

दिनॉक	विवरण	धनराशि
30/04/2011	12 कुर्सी+1 मेज+1 तख्त	5975.00
10/03/2012	कुर्सियॉ	2250.00
08/02/2012	कुर्सी मेज	2000.00

प्रस्तर संख्या–46 :–

ग्राम पंचायत सरैंया चलाकापुर, विकास खण्ड महमूदाबाद में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 128950/– बैंक खाते में गत वर्ष से यथावत दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–47 :–

ग्राम पंचायत सरैंया चलाकापुर, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में स्ट्रीट लाइट रू0 29000/– की क्रय की गयी, उक्त खरीद में न्यूनतम दर हेतु कोटेशन नहीं लिये गये तथा सम्पत्ति पंजिका पर भी अंकित नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–48 :–

ग्राम पंचायत सरैंया चलाकापुर, विकास खण्ड महमूदाबाद में वर्ष 2011–12 में शौचालय निर्माण सामग्री, सीट व पिटकवर रू0 38150/– खैराबाद पंचायत उद्योग से क्रय किया गया। उक्त सामग्री से कितने शौचालय तैयार हुए का कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र व तकनीकी पर्यवेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त रही। अतः उक्त तैयार शौचालयों की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–49 :–

ग्राम पंचायत ढखेरा, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 34769/– बैंक खाते में गत वर्ष से यथावत दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–50 :–

ग्राम पंचायत ढखेरा, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 22 स्ट्रीट लाइट खरीद दर रू0 4450/– का भुगतान रू0 97900/– दिनॉक 27/05/2011 प्रमाणक संख्या–02 द्वारा उजाला ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से किया गया अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी। स्ट्रीट लाइट के क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार है :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गयी और न ही विद्युत विभाग के लाइन मैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगा कर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। संभव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्राम पंचायत की रू0 97900/– की अनुदान राशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान राजरानी व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

प्रस्तर संख्या–51 :–

ग्राम पंचायत भेलावा, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 37973/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं की गई।

प्रस्तर संख्या–52 :–

ग्राम पंचायत भेलावा, विकास खण्ड लहरपुर में वर्ष 2010–11 में दिनॉक 30/06/2010 को बैंक खाता संख्या 9318 से रू0 20000/– का आहरण किया गया परन्तु कैशबुक के आय पक्ष में रू0 10000/– ही दर्शाया गया। इस प्रकार रू0 10000/– का अपहरण कर लिया गया जिसकी वसूली तत्कालीन प्रधान राकेश कुमार व पंचायत सचिव संजय प्रजापति से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–53 :–

ग्राम भेलावा, विकास खण्ड लहरपुर में मनरेगा बैंक खाता संख्या 11644 से दिनॉक 24/10/2011 चेक संख्या 262792 द्वारा रू0 28000/– रामस्वरूप, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा नगद आहरण किया गया। इस धनराशि को मनरेगा कैशबुक के आय पक्ष में न दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मनरेगा खाते से किसी भी धनराशि का नगद आहरण नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि रू0 28000/– की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव श्री रामस्वरूप से की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति विभागीय कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जा सके।

<u>प्रस्तर संख्या–54</u> :–

ग्राम पंचायत बेनीसरायं, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 22 स्ट्रीट लाइट खरीद दर रू0 4450/– का भुगतान रू0 97900/– दिनॉक 27/05/2011 प्रमाणक संख्या–03 द्वारा उजाला ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है। भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से है अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी। स्ट्रीट लाइट क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियां निम्न प्रकार है :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्राम पंचायत की रू0 97900/– की अनुदान राशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान कुन्ती देवी व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

<u>प्रस्तर संख्या–55</u> :–

ग्राम पंचायत बरेती जलालपुर, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 25 स्ट्रीट लाइट खरीद दर 4450/– का भुगतान रू0 111250/– दिनॉक 30/08/2011 में गंगा ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराई गई। स्ट्रीट लाइट के क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार हैं :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्राम पंचायत की रू0 111250/– की अनुदान राशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान कृष्ण कुमार व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

प्रस्तर संख्या–56 :–

ग्राम पंचायत रावल अदेसर, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 22 स्ट्रीट लाइट खरीद पर 4450/– का भुगतान रू0 97900/– दिनॉक 13/05/2011 में गंगा ट्रेडर्स को किया गया कैशबुक में दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराई गई। स्ट्रीट लाइट के क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार हैं :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्राम पंचायत की रू0 97900/– की अनुदान राशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान मैकूलाल व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

प्रस्तर संख्या–57 :–

ग्राम पंचायत लालपुर, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 25 स्ट्रीट लाइट खरीद पर 4450/– का भुगतान रू0 111250/– दिनॉक 26/05/2011 में प्रमाणक संख्या–02 द्वारा उजाला ट्रेडर्स को किया गया कैशबुक में दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से है अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराई गई। स्ट्रीट लाइट क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार हैं :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ग्राम पंचायत की रू0 111250/– की अनुदान राशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान तारा देवी व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

<u>प्रस्तर संख्या–58</u> :–

ग्राम पंचायत लालपुर, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 231913/– सम्बन्धित विभागों को वापस नहीं किया गया है।

<u>प्रस्तर संख्या–59</u> :–

ग्राम पंचायत निबौरी, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 28 स्ट्रीट लाइट खरीद का भुगतान रू0 124600/– दर रू0 4450/– दिनॉक 25/05/2011 में प्रमाणक संख्या–02 द्वारा उजाला ट्रेडर्स को किया गया कैशबुक में दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से किया गया अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराई गई। स्ट्रीट लाइट क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार हैं :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये हैं जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः ग्राम पंचायत की रू0 124600/– की अनुदान धनराशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान रामसरन वर्मा व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

प्रस्तर संख्या–60 :–

ग्राम पंचायत रंगवा, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में 22 स्ट्रीट लाइट खरीद पर 4450/– का भुगतान रू0 97900/– दिनॉक 26/05/2011 को उजाला ट्रेडर्स को किया गया कैशबुक में दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से किया गया अथवा नगद की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराई गई। स्ट्रीट लाइट क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार हैं :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार यह विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फ़र्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः ग्राम पंचायत की रू0 97900/– की अनुदान धनराशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान श्यामकली व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

प्रस्तर संख्या–61 :–

ग्राम पंचायत दारानगर, विकास खण्ड–लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 73924/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–62 :–

ग्राम पंचायत दारानगर, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में स्ट्रीट लाइट खरीद का भुगतान क्रमशः उजाला ट्रेडर्स को रू0 117000/– व दिनॉक 26/06/2011 को 111250/– का

भुगतान गंगा ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है परन्तु भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से किया गया अथवा नगदं की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी। स्ट्रीट लाइट क्रय के सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्तियॉ निम्न प्रकार हैं :–

1– स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित नहीं है।

2– स्ट्रीट लाइट क्रय से पूर्व विद्युत विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही विद्युत विभाग के लाइनमैन/सक्षम प्राधिकारी से विद्युत तारों का संयोजन कराया गया। इस प्रकार विद्युत चोरी का भी प्रकरण है।

3– जिस फर्म से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई उसका अधिकृत व्यय प्रमाणक न लगाकर फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया है। अतः स्ट्रीट लाइट खरीद दर की पुष्टि लेखा परीक्षा में न हो पाई। सम्भव है कि वास्तविक खरीद दर छिपाने के लिये फर्जी व्यय प्रमाणक लगाया गया है। स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है।

4– स्ट्रीट लाइट लगाने का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

5– स्ट्रीट लाइट लगाने से पूर्व अन्य फर्मों से कोटेशन नहीं प्राप्त किये गये जिससे दर के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं हो पाई। अतः ग्राम पंचायत के रू0 228250/– की अनुदान धनराशि का दुरूपयोग ग्राम प्रधान शिवरानी व पंचायत सचिव हंसराज द्वारा किया गया है।

<u>प्रस्तर संख्या–63</u> :–

ग्राम पंचायत दारानगर, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–12 के निम्न व्यय प्रमाणक आग में जल जाने के कारण लेखा परीक्षा में पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं रहे। आग लगने की प्राथमिकी लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई। अतः निम्न व्यय धनराशियॉ अपुष्टित रही :–

1–	मस्टररोल	–	रू0 50160/–
2–	भुगतान मिट्टी कार्य	–	रू0 5470/–
3–	भुगतान मिट्टी कार्य	–	रू0 1150/–
4–	भुगतान मिट्टी कार्य	–	रू0 1260/–
5–	खडण्जा क्रय	–	रू0 11453/–
6–	मस्टररोल	–	रू0 31260/–
7–	सीमेन्ट, बालू क्रय	–	रू0 19647/–
8–	बालू, सीमेन्ट क्रय	–	रू0 5798/–

प्रस्तर संख्या–64 :–

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तकिया, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 22710/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–65 :–

ग्राम पंचायत बिंलरिया, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 43617/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–66 :–

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर हरिप्रसाद, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 8669/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–67 :–

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर हरिप्रसाद, विकास खण्ड लहरपुर द्वारा निम्न व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिससे किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टिकरण अपेक्षित है।

दिनॉक	व्यय प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
27/02/2012	24	कुर्सी, मेज क्रय भुगतान	5000.00
12/10/2011	13	डी0पी0आर0ओ0 को प्रेषित	4100.00
19/10/2011	14	स्टेशनरी क्रय (पंचायत उद्योग सरोजनी नगर लखनऊ से)	2565.00

प्रस्तर संख्या–68 :–

ग्राम पंचायत महमूदपुर गेरूवा, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 16705/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–69 :–

ग्राम पंचायत अनियाकलां, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 124115/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–70 :–

ग्राम पंचायत किशुनपुर, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 36285/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–71 :–

ग्राम पंचायत डिगुंरापुर, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 201266/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–72 :–

ग्राम पंचायत पूरनपुर पाण्डेसरॉय, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 20190/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–73 :–

ग्राम पंचायत बसन्तीपुर, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 101027/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–74 :–

ग्राम पंचायत टकेली, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 13077/– सम्बन्धित विभागों की नियमानुसार वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–75 :–

ग्राम पंचायत खानपुर मोहद्दीनपुर, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 350193/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–76 :–

ग्राम पंचायत अकेचनपुरटप्पा, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 17804/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–77 :–

ग्राम पंचायत नौव्वापुर, विकास खण्ड लहरपुर में दिनॉक 31/03/2012 को विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू0 9239/– सम्बन्धित विभागों को नियमानुसार वापस नहीं किया गया है।

प्रस्तर संख्या–78 :–

ग्राम पंचायत खरकरी तारापुर, विकास खण्ड ऐलिया में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति अवितरित धनराशि रू0 1800/– कैशबुक में हस्तगत पाई गई जिसे छात्रवृत्ति के खाते में जमा नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–79 :–

ग्राम पंचायत खगेसियामऊ, विकास खण्ड ऐलिया में दिनॉक 31/03/2012 को हस्तगत छात्रवृत्ति रू0 5900/– कैशबुक में अंकित पाया गया जिसे बैंक खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था।

2– विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि का लेखा अलग–अलग नहीं रखा गया। विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि वर्षान्त में रू0 101185/– कैशबुक में बैंक पासबुक के अनुरूप शेष पाई गई जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–80 :–

ग्राम पंचायत क्लाक्रनगर, विकास खण्ड ऐलिया में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि वर्षान्त में रू0 67330/– कैशबुक, पासबुक में पाई गई जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–81 :–

ग्राम पंचायत क्लाक्रनगर, विकास खण्ड ऐलिया में वर्षान्त में हस्तगत प्रधान रू0 975/– कैशबुक के अनुसार दर्शित है जिसे बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–82 :–

ग्राम पंचायत कैरारवाटा विकास खण्ड रामपुरमथुरा में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति अवशेष रू0 44011/– दर्शित है जिसे न तो वितरण किया गया न ही शासन को वापस किया गया।

2– आलोच्य वर्ष में कुल वितरित छात्रवृत्ति रू0 24000/– के सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र न होने के कारण वितरण की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–83 :–

ग्राम पंचायत सैदनपुर, विकास खण्ड रामपुर मथुरा में समतलीकरण से सम्बन्धित पत्रावलियों में लाभार्थियों के फोटो व प्रार्थना–पत्र नहीं पाये गये।

प्रस्तर संख्या–84 :–

ग्राम पंचायत सैदनपुर, विकास खण्ड रामपुरमथुरा में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति रू0 36054/– का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

2– आलोच्य वर्ष में वितरण धनराशि रू0 29100/– के सापेक्ष में उपभोग पत्र न होने के कारण उक्त वितरण की पुष्टि न हो सकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–85 :–

ग्राम पंचायत समदा, विकास खण्ड रामपुर मथुरा में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि रू0 175102/– का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

2– वितरित छात्रवृत्ति रू0 145355/– के सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र न होने के कारण से उक्त वितरण की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–86 :–

ग्राम पंचायत वाकरनगर, विकास खण्ड रामपुरमथुरा में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति रू0 5360/– का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

2– उपभोग प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता में वितरण छात्रवृत्ति 70800/– की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–87 :–

ग्राम पंचायत गोरिया, विकास खण्ड रामपुरमथुरा में छात्रवृत्ति सम्बन्धी अभिलेख (वर्ष 2011–12) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण छात्रवृत्ति की जॉच सम्भव न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–88 :–

ग्राम पंचायत आलमपुर, विकास खण्ड रामपुर मथुरा में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति 32204/– को न तो आलोच्य वर्ष में वितरित किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

2– आलोच्य वर्ष में वितरित धनराशि रू0 135410/– के सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र न होने के कारण उक्त विवरण की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–89 :–

ग्राम पंचायत मीरानगर, विकास खण्ड रामपुर मथुरा में आलोच्य वर्ष में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष धनराशि रू0 206706/– का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

2– आलोच्य वर्ष में वितरित कुल धनराशि रू0 406020/– के सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण उक्त वितरण की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–90 :–

ग्राम पंचायत पट्टीनेवादा, विकास खण्ड गोदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति बैंक खाता संख्या 5296 में रू0 44718/– अवशेष जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–91 :–

ग्राम पंचायत वैशाली, विकास खण्ड गोदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति बैंक खाता संख्या 3886 में रू0 25357/– अवशेष जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–92 :–

ग्राम पंचायत औरंगाबाद, विकास खण्ड गोदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति बैंक खाता संख्या 6035 में रू0 467697/– अवशेष जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–93 :–

ग्राम पंचायत औरंगाबाद विकास खण्ड गोदलामऊ में वर्ष 2011–12 में दिनॉक 31/03/2012 को मनरेगा खाता संख्या 13362 में अन्तिम अवशेष 379446/– दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार दिनॉक 31/03/2012 को रू0 405705/– होना चाहिए। इस प्रकार रू0 26259/– का अंतर रहा।

प्रस्तर संख्या–94 :–

गाम पंचायत गगोय विकास खण्ड गोंदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 3895 में रू0 71135/– अवशेष रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–95 :–

ग्राम पंचायत अल्लीपुर विकास खण्ड गोंदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 13370100000811 में रू0 138575/– अवशेष रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–96 :–

ग्राम पंचायत वानपुर, विकास खण्ड गोंदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 3895 में रू0 71135/– अवशेष रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–97 :–

ग्राम पंचायत करूवामऊ, विकास खण्ड गोंदलामऊ में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 6203 में रू0 41074/– अवशेष रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–98 :–

ग्राम पंचायत मिटकनी, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति रू0 91405/– का न तो वितरण किया गया और न ही विभाग को वापस किया गया।

2– आलोच्य वर्ष में वितरण कुल छात्रवृत्ति 64425/– का किया गया उपभोग प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–99 :–

ग्राम पंचायत मदनापुर, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति जिसमें नगद के मद में रू0 21360/– व बैंक अवशेष के रूप रू0 202090/– दर्शित है का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया।

प्रस्तर संख्या–100 :–

ग्राम पंचायत कम्हरिया खुनखुन, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति रू0 255861/– का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

प्रस्तर संख्या–101 :–

ग्राम पंचायत बगहाढाक, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को बैंक अवशेष के रूप में रू0 92482/– दर्शित है जिसे न ते वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किय गया।

2– आलोच्य वर्ष में वितरित छात्रवृत्ति रू0 54302/– के सापेक्ष में उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो गम्भीर आपत्ति का विषय है।

प्रस्तर संख्या–102 :–

ग्राम पंचायत बारहसिंहा, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को आलोच्य वर्ष में छात्रवृत्ति रू0 94942/– बैंक अवशेष व नगद के रूप में दर्शित है जिसका न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

2– आलोच्य वर्ष में रू0 133280/– का छात्रवृत्ति वितरण किया गया जिसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–103 :–

ग्राम पंचायत क्योटाना हरदोपट्टी, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को वर्ष के अन्त में अवशेष छात्रवृत्ति रू0 209789/– का न हो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

प्रस्तर संख्या–104 :–

ग्राम पंचायत बोहरा, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को दर्शित अवशेष छात्रवृत्ति रू0 151806/– का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

प्रस्तर संख्या–105 :–

ग्राम पंचायत राजापुर, विकास खण्ड सकरन में निम्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम रोकड़ बही के अनुसार मस्टररोल के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान किया जाना दर्शित है परन्तु मस्टररोल पर श्रमिकों/ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये जिससे भुगतान फर्जी प्रतीत होता है।

दिनॉक	धनराशि	अन्य विवरण
25/05/2011	4200/–	हस्ताक्षर नहीं
27/07/2011	12600/–	हस्ताक्षर नहीं
11/08/2011	11970/–	हस्ताक्षर नहीं
23/08/2011	11130/–	हस्ताक्षर नहीं
20/10/2011	8020/–	हस्ताक्षर नहीं
28/10/2011	6720/–	हस्ताक्षर नहीं

2– निम्न तिथियों में बिना प्रमाणक के भुगतान दर्शाकर धनराशि का गबन किया गया है –

दिनॉक	सामग्री	धनराशि
06/06/2012	ईंट क्रय	140600/–
12/11/2012	पाईप क्रय	20250/–
05/01/2012	स्ट्रीट लाईट क्रय	104000/–
06/01/2012	पाइप क्रय	28210/–

उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–106 :–

ग्राम पंचायत राजापुर, विकास खण्ड सकरन में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति रू0 105677/– के रूप में दर्शित है का न तो वितरण किया गया और न ही शासन को वापस किया गया।

प्रस्तर संख्या–107 :–

ग्राम पंचायत सहसाखुर्द, विकास खण्ड बिसवॉ के छात्रवृत्ति खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 13555/– जमा दर्शित है तथा रू0 6915/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–108 :–

ग्राम पंचायत वसुदाहा, विकास खण्ड बिसवॉ के छात्रवृत्ति खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 141872/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–109 :–

ग्राम पंचायत वजेहरा, विकास खण्ड बिसवॉ के छात्रवृत्ति खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 83829/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–110 :–

ग्राम पंचायत बिसवॉ देहात, विकास खण्ड बिसवॉ के छात्रवृत्ति खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 225614/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–111 :–

ग्राम पंचायत सुखावां कलॉ, विकास खण्ड बिसवॉ के छात्रवृत्ति खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 369648/– जमा दर्शित है तथा रू0 5640/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–112 :–

ग्राम पंचायत अहमदाबाद, विकास खण्ड बिसवॉ के छात्रवृत्ति खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 112748/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–113 :–

ग्राम पंचायत शंकरपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को रू0 132459/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–114 :–

ग्राम पंचायत चहारपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित धनराशि रू0 24265/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–115 :–

ग्राम पंचायत कालूपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 18243/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–116 :–

ग्राम पंचायत बम्भौर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 75344/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–117 :–

ग्राम पंचायत महमूदापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 34762/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–118 :–

ग्राम पंचायत मनिकापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 228951/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–119 :–

ग्राम पंचायत करौदी, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 16886/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–120 :–

ग्राम पंचायत बालपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में अवितरित छात्रवृत्ति रू0 72580/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–121 :–

ग्राम पंचायत छी, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में अवितरित छात्रवृत्ति रू0 26452/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–122 :–

ग्राम पंचायत बिरसाकलॉ, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में अवितरित छात्रवृत्ति रू0 12671/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–123 :–

ग्राम पंचायत पेंडरा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 88200/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–124 :–

ग्राम पंचायत बेनीपुरा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 88472/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–125 :–

ग्राम पंचायत हसनापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 77861/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–126 :–

ग्राम पंचायत अम्बापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 30801/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–127 :–

ग्राम पंचायत बन्नीखरैला, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 198336/– जमा तथा रू0 745/– नकद हस्तगत दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–128 :–

ग्राम पंचायत त्यौला, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 35821/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–129 :–

ग्राम पंचायत शंकरपुर त्यौना, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 39591/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–130 :–

ग्राम पंचायत क्योटी बदुला, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 225411/– जमा तथा रू0 5400/– नकद हस्तगत दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–131 :–

ग्राम पंचायत बुढनापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 16254/– जमा तथा रू0 625/– नकद हस्तगत दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–132 :–

ग्राम पंचायत हैबतपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 184656/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–133 :–

ग्राम पंचायत बन्नी सरायं, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 20459/– जमा दर्शित हे जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–134 :–

ग्राम पंचायत मझिगवॉखुर्द, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 241897/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–135 :–

ग्राम पंचायत हरिहरपुर जमरखा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 91249/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–136 :–

ग्राम पंचायत तेन्दुवा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 165930/– जमा दर्शित है तथा रू0 75/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–137 :–

ग्राम पंचायत भीरा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 46816/– जमा दर्शित है तथा रू0 4800/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–138 :–

ग्राम पंचायत शाह जलालपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 129841/– जमा दर्शित हे जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–139 :–

ग्राम पंचायत कोटरा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 170204/– जमा दर्शित है तथा रू0 770/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–140 :–

ग्राम पंचायत कामापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 21591/– जमा दर्शित है तथा रू0 4540/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–141 :–

ग्राम पंचायत शिशयाना, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 217091/– जमा दर्शित है तथा रू0 2440/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–142 :–

ग्राम पंचायत कैम्हाराकलां, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 99563/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–143 :–

ग्राम पंचायत पिपराखुर्द, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 33242/– जमा दर्शित है तथा रू0 950/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–144 :–

ग्राम पंचायत कन्दूनी, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 275773/– जमा दर्शित है तथा रू0 2090/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–145 :–

ग्राम पंचायत जहॉगीराबाद, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 271465/– जमा दर्शित है तथा रू0 34950/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–146 :–

ग्राम पंचायत न्योराजपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 46124/– जमा दर्शित है तथा रू0 3910/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–147 :–

ग्राम पंचायत बजेहरानसीरपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 58069/– जमा दर्शित है तथा रू0 2340/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–148 :–

ग्राम पंचायत मझिगवांकला, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 65319/– जमा दर्शित है तथा रू0 80/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–149 :–

ग्राम पंचायत कुतुबपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 123950/– जमा दर्शित है तथा रू0 300/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–150 :–

ग्राम पंचायत भोइलाकलॉ, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 37494/– जमा दर्शित हे तथा रू0 375/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–151 :–

ग्राम पंचायत सरायं, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 284119/– जमा दर्शित है तथा रू0 9410/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–152 :–

ग्राम पंचायत रामकुण्ड, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 133523/– जमा दर्शित है तथा रू0 155/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–153 :–

ग्राम पंचयत मढियासेमरी, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 344027.19 जमा दर्शित है तथा रू0 4800/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–154 :–

ग्राम पंचायत करीमपनाह, विकास खण्ड बिसवां के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 114944/– जमा दर्शित है तथा रू0 1485/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–155 :–

ग्राम पंचायत सरैंया मिर्जापुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 531138/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–156 :–

ग्राम पंचायत बिसैण्डी, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 83124/– जमा दर्शित है तथा रू0 10020/– नकद हस्तगत थी, जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–157 :–

ग्राम पंचायत लुधौरा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 7393/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–158 :–

ग्राम पंचायत राजाकरनई, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 22166/– जमा दर्शित है तथा रू0 1680/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–159 :–

ग्राम पंचायत जनुवा विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 31098/– जमा दर्शित है तथा रू0 975/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–160 :–

ग्राम पंचायत मोंचकला, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 95178/– जमा दर्शित है तथा रू0 20230/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–161 :–

ग्राम पंचायत कोरासा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 36490/– जमा दर्शित हे तथा रू0 450/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किय गया।

प्रस्तर संख्या–162 :–

ग्राम पंचायत रामाभारी, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 22310/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–163 :–

ग्राम पंचायत भदेसिया, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 37833/– जमा दर्शित है तथा रू0 7350/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–164 :–

ग्राम पंचायत मोजिद्दीनपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 136780/– जमा दर्शित है तथा रू0 13280/– नकद हस्तगत थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–165 :–

ग्राम पंचायत बेलवा बहादुरपुर, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 25224/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–166 :–

ग्राम पंचायत उलरा, विकास खण्ड बिसवॉ के खाते में दिनॉक 31/03/2012 को अवितरित छात्रवृत्ति रू0 76783/– जमा दर्शित है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–167 :–

ग्राम पंचायत पर्वतपुर, विकास खण्ड बेहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित सदस्यों के खेत समतलीकरण हेतु निम्नलिखित व्यय किया गया। उक्त सदस्यों से सम्बन्धित मॉग पत्र/प्रार्थना–पत्र व खुली बैठक का प्रस्ताव अप्राप्त रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी –

राम के खेत का समतलीकरण	–	रू0 7680.00
पिन्टू के खेत का समतलीकरण	–	रू0 27120.00
जयनरायन के खेत का समतलीकरण	–	रू0 90000.00
राममूर्ति के खेत का समतलीकरण	–	रू0 84440.00
विजयलक्ष्मी के खेत का समतलीकरण	–	रू0 114000.00
कुल योग	–	**रू0 323240.00**

प्रस्तर संख्या–168 :–

ग्राम पंचायत बेहटापकौडी, विकास खण्ड बेहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित सदस्यों के खेत समतलीकरण हेतु निम्नलिखित व्यय किया गया। उक्त सदस्यों से सम्बन्धित मांग पत्र/प्रार्थना–पत्र व खुली बैठक का प्रस्ताव अप्राप्त रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी –

तोसीराम के खेत का समतलीकरण	–	रू0 83760.00
रामेश्वर प्रताप के खेत का समतलीकरण	–	रू0 98400.00
गयाप्रसाद के खेत का समतलीकरण	–	रू0 77040.00
रामऔतार के खेत का समतलीकरण	–	रू0 42360.00
कुल योग	–	**रू0 301560.00**

प्रस्तर संख्या–169 :–

ग्राम पंचायत सेखनापुर, विकास खण्ड बेहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित सदस्यों के खेत का समतलीकरण हेतु निम्नलिखित व्यय किया गया। उक्त सदस्यों से सम्बन्धित मांग पत्र/प्रार्थना–पत्र व खुली बैठक का प्रस्ताव अप्राप्त रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी –

कल्लू के खेत का समतलीकरण	–	रू0 27300.00
अवधेश के खेत का समतलीकरण	–	रू0 25600.00
छोटेलाल के खेत का समतलीकरण	–	रू0 75000.00
कुल योग	–	**रू0 127900.00**

प्रस्तर संख्या–170 :–

ग्राम पंचायत आम्बा, विकास खण्ड बेहटा में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति के खाते में अवशेष धनराशि रू0 102176/– दर्शित है जिसे न तो वितरित किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया।

प्रस्तर संख्या–171 :–

ग्राम पंचायत आम्बा विकास खण्ड बेहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित सदस्यों के खेत समतलीकरण हेतु निम्नलिखित व्यय किया गया। उक्त सदस्यों से सम्बन्धित मांग पत्र/प्रार्थना–पत्र व खुली बैठक का प्रस्ताव अप्राप्त रहा। अतः उक्त व्यय की पुष्टि न हो सकी –

मनोज के खेत से समतलीकरण	–	रू0 39960.00
मनोज के खेत का समतलीकरण	–	रू0 83040.00
अनिल के खेत का समतलीकरण	–	रू0 78960.00
प्रेमसागर के खेत का समतलीकरण	–	रू0 51000.00
कुल योग	–	**रू0 252960.00**

प्रस्तर संख्या–172 :–

ग्राम पंचायत समौदीडीह, विकास खण्ड बेहटा में बाढ़ राहत हेतु रू0 35000/– से नाव क्रय ग्राम निधि खाते से की गयी। उक्त से सम्बन्धित स्कन्ध पंजिका अप्राप्त रही तथा उक्त क्रय सम्बन्धी औपचारिकता नहीं अपनायी गयी।

प्रस्तर संख्या–173 :–

ग्राम पंचायत हजरतपुर, विकास खण्ड बेहटा में बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज रू0 7029 की कटौती बिना कोई कारण बताए कर ली गयी।

प्रस्तर संख्या–174 :–

ग्राम पंचायत करमूडीह, विकास खण्ड बेहटा में वर्ष 2011–12 में मिट्टी ढुलाई से सम्बन्धित निम्न प्रमाणकों पर भुगतान प्राप्तकर्ता/धन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार रू0 106357/– का गबन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया।

दिनॉक	धनराशि
06/07/2011	रू0 18087.00
03/08/2011	रू0 26970.00
30/11/2011	रू0 31100.00
30/11/2011	रू0 30200.00
कुल योग	रू0 106357.00

2– निम्न ईंट क्रय हेतु भुगतान किया गया है। ईंट क्रय से सम्बन्धित भुगतान पर टिन नम्बर अंकित नहीं पाया गया। ईंट क्रय से सम्बन्धित चालान, स्टाक पंजिका आदि नहीं पायी गयी, इस प्रकार ग्राम सभा करमूडीह द्वारा काल्पनिक प्रमाणक के आधार पर ईंट क्रय दर्शाकर रू0 207100/– का गबन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया।

दिनॉक	धनराशि	फर्म
21/07/2011	114000.00	जय भारत ब्रिक फील्ड लि0
30/03/2012	93100.00	जय भारत ब्रिक फील्ड लि0
	कुल योग रू0 207100.00	

प्रस्तर संख्या–175 :–

ग्राम पंचायत दारापुर, विकास खण्ड बेहटा में वर्ष 2011–12 में रू0 251360/– का आहरण किया, जिससे सम्बन्धित व्यय बाउचर अप्राप्त रहे। अतः उक्त की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–176 :–

ग्राम पंचायत सुमनी विकास खण्ड बेहटा में ग्राम निधि प्रथम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रू0 50000/– व रू0 42750/– का व्यय दिनॉक 22/10/2011 को किया जाना दर्शित है, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। वसूली ग्राम प्रधान श्री सुन्दरलाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

2– ग्राम निधि प्रथम के अन्तर्गत निम्न तिथियों में ईंटा क्रय किया जाना दर्शित है। ईंट क्रय से सम्बन्धित भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त व्ययों की पुष्टि न हो सकी। खरीद सम्बन्धित कोटेशन, चालान बिल आदि अप्राप्त रहे। अतः भुगतान अपुष्ट रहा।

दिनॉक	धनराशि
29/10/2010	रू0 53200.00
08/08/2011	रू0 50700.00
13/10/2011	रू0 69160.00
कुल योग	**रू0 173060.00**

3– निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत सुमली में व्यय समतलीकरण हेतु किया गया। जिसमें मनरेगा की गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया। विवरण निम्नवत् है –

तिथि	नाम कृषक	धनराशि
10/01/2012	रामगोपाल के खेत का समतलीकरण	रू0 12720.00
10/01/2012	श्रीमती मखाना के खेत का समतलीकरण	रू0 30480.00
10/01/2012	रामगोपाल के खेत का समतलीकरण	रू0 13920.00
10/01/2012	श्रीमती मखाना के खेत का समतलीकरण	रू0 36720.00
	कुल योग	**रू0 93840.00**

उक्त धनराशि वसूली ग्राम प्रधान सुन्दरलाल, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार वर्मा व तकनीकी सहायक से अपेक्षित है।

4– वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित तिथियों में राम सिंह के घर से श्यामबिहारी के घर तक मिट्टी पटाई का कार्य ग्राम पंचायत सुमली में किया गया। वास्तव में उक्त कार्य रास्ते पर मिट्टी पटाई हेतु वर्ष

2008–09, 2009–10 में पूर्व प्रधान द्वारा कराया गया था। अतः उक्त स्थिति संदिग्ध है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनॉक	धनराशि
01/02/2012	रू0 47280.00
01/02/2012	रू0 89160.00
01/02/2012	रू0 55560.00
20/03/2012	रू0 39120.00
20/03/2012	रू0 38520.00
कुल योग	**रू0 269640.00**

प्रस्तर संख्या–177 :–

ग्राम पंचायत सोन्सरी, विकास खण्ड बेहटा में दिनॉक 31/03/2012 को अवशेष छात्रवृत्ति हस्तगत रू0 10770.00 व बैंक जमा रू0 165557.00 पाया गया जिसका न तो वितरण किया गया और न ही सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया।

प्रस्तर संख्या–178 :–

ग्राम पंचायत मुगलपुर, विकास खण्ड बेहटा में निम्नलिखित तिथियों में खेत समतलीकरण हेतु श्रमिकों को रू0 2034780/– का भुगतान किया जाना दर्शित है, सम्बन्धित भुगतान में निम्न कमियां पायी गयी –

1– लाभार्थी की फोटो, डिमाण्ड पत्र व खतौनी की नकल आदि पत्रावली संलग्न नहीं थी।

2– जिला भूमि संरक्षण अधिकारी से आदेश नहीं लिया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मनमाने ढंग से भूमि समतलीकरण दर्शाकर शासकीय अनुदान का दुरूपयोग व गबन किया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी व श्री राम सिंह जिम्मेदार रहे –

दिनॉक	लाभार्थी का नाम	धनराशि	
08/03/2011	शान्ती देवी पत्नी रामेश्वर	रू0 65600.00	
08/03/2011	रामसागर	रू0 47900.00	
08/03/2011	छेद्दू पुत्र रामकिशन	रू0 52600.00	
08/03/2011	रामआसरे पुत्र मैकू	रू0 55200.00	
08/03/2011	मेंहदी व जमील पुत्र असगर अली	रू0 56500.00	
21/10/2010	सतीश पुत्र रामलोटन	रू0 60500.00	
21/10/2010	सतीश पुत्र बैजनाथ	रू0 21200.00	
21/10/2010	विनोद पुत्र बैजनाथ	रू0 37500.00	एम0बी0 व कार्य

		पूर्ति पर तकनीकी सहायक के हस्ताक्षर नहीं।
24/12/2010	झब्बूलाल पुत्र भाईलाल	रू0 54500.00
10/01/2011	हेमराज पुत्र बिहारी	रू0 40900.00
10/01/2011	श्रीराम पुत्र रामचरन	रू0 39700.00
10/01/2011	रहीम पुत्र बुद्धा	रू0 38400.00
04/03/2011	महादेव पुत्र बिन्द्रा	रू0 58400.00
04/03/2011	जंगली पुत्र हजारी लाल	रू0 64500.00
05/03/2011	बल्देव	रू0 19400.00
05/03/2011	सावित्री देवी	रू0 22800.00
05/03/2011	मुरारी पुत्र बल्देव	रू0 57600.00
08/03/2011	बाबूराम पुत्र बिन्द्रा	रू0 61200.00
05/03/2011	सुआलाल पुत्र मिश्रीलाल	रू0 85200.00
05/03/2011	नसीरन पत्नी कुन्दन	रू0 86400.00
05/03/2011	रामखेलावन पुत्र बिन्द्रा प्रसाद	रू0 18720.00
05/03/2011	भागीरथ पुत्र बल्देव	रू0 21600.00
05/03/2011	जगरानी पत्नी कुन्दन	रू0 34800.00
05/03/2011	राजनाथ पुत्र बद्री प्रसाद	रू0 49200.00
05/07/2011	जमकोरा पत्नी पंचम	रू0 8640.00
05/07/2011	कलावती पत्नी संकटा प्रसाद	रू0 21600.00
05/07/2011	शत्रोहन पुत्र खुशीराम	रू0 34560.00
05/07/2011	मुन्ना पुत्र चुन्नू	रू0 12480.00
12/01/2012	मो0 उमर पुत्र अब्बास अली	रू0 82200.00
19/10/2011	रहीन पत्नी बुद्धा	रू0 43200.00
19/10/2011	मो0 यार पुत्र अब्बास अली	रू0 63360.00
11/01/2012	श्रीराम पुत्र रामचरन	रू0 43200.00
31/01/2012	रामकली पत्नी मोतीलाल	रू0 75360.00
11/01/2012	हेमराज पुत्र बिन्द्रा प्रसाद	रू0 82140.00
11/01/2012	हलीम पत्नी अमानत अली	रू0 83160.00

30/01/2012	विद्यावती पत्नी हरिपाल	रू0 79080.00
31/01/2012	रामदेवी पत्नी बुद्धा	रू0 82920.00
12/11/2011	रहीम पत्नी निजामुद्दीन	रू0 77760.00
12/11/2011	दिलावन पुत्र मैकू	रू0 57600.00
	कुल महायोग	**रू0 2034780.00**

प्रस्तर संख्या–179 :–

ग्राम पंचायत चन्दीभानपुर विकास खण्ड बेहटा में वर्ष 2011–12 में शौचालय निर्माण हेतु रू0 485000/– का ईंटा क्रय किया गया जिसमें निम्न आपत्तियॉ पायी गयी –

1– ईंटा क्रय से सम्बन्धित कोटेशन/टेण्डर नहीं ली गयी।

2– स्टाक पंजिका में दर्ज नहीं किया गया।

3– चालान बिल नहीं लिया गया।

अतः सम्बन्धित ईंटा क्रय की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं होती है।

प्रस्तर संख्या–180 :–

ग्राम पंचायत चन्दीभानपुर विकास खण्ड बेहटा में वर्ष 2011–12 में रू0 167100/– की सीमेन्ट व रू0 42000/– की बालू क्रय की गयी। इस क्रय से सम्बन्धित कोटेशन नहीं लिया गया न ही पंजिका स्टाक बनायी गयी। अतः उपभोग की पुष्टि नहीं होती है।

दिनॉक	सीमेन्ट	बालू
14/06/2011	28000.00	–
20/06/2011	–	15000.00
06/08/2011	28000.00	–
09/08/2011	–	12000.00
15/10/2011	14500.00	–
23/11/2011	39760.00	–
30/11/2011	17080.00	–
01/02/2012	–	15000.00
22/02/2012	39760.00	15000.00
कुल योग	**167100.00**	**57000.00**

प्रस्तर संख्या–181 :–

ग्राम पंचायत तम्बौर, विकास खण्ड बेहटा में वर्ष 2011–12 की छात्रवृत्ति सम्बन्धी रोकड़बही, बाउचर, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका अप्राप्त रही जबकि इस वर्ष 180000/– की छात्रवृत्ति वितरण होना बैंक पासबुक के अनुसार दर्शित है जॉचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या–182 :–

ग्राम पंचायत पट्टीदहेली, विकास खण्ड बेहटा में दिनॉक 23/07/2011 को तीन नाव हेतु 42000/– रूपये का भुगतान किया गया। भुगतान चेक न देकर नकद दिया गया है तथा खरीद हेतु कोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी व इसे डेड स्टाक पर अंकित नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–183 :–

ग्राम पंचायत कुर्तहिया, विकास खण्ड बेहटा में दिनॉक 21/04/2011 व 20/08/2011 को ईंटा क्रय हेतु रू0 59850/– व रू0 45045/– का क्रय किया गया क्रय में कोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी।

प्रस्तर संख्या–184 :–

ग्राम पंचायत मुडिला, विकास खण्ड बेहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में मनरेगा मद से रू0 1874044/– का व्यय दर्शित है उक्त व्यय में रू0 632344/– सामग्री पर शेष 1241400/– श्रम में व्यय किया गया। सामग्री के अन्तर्गत रू0 461900/– का व्यय मिट्टी पटाई पर की गयी, उक्त व्यय ट्रैक्टर ट्राली भाड़ा के रूप में किया गया है, ढुलाई से सम्बन्धित टेण्डर/निविदा नहीं ली गयी आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–185 :–

ग्राम पंचायत मुडिला, विकास खण्ड बेहटा में लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में 75 शौचालयों हेतु रू0 165000/– का व्यय किया जाना दर्शित है जबकि शौचालय हेतु रू0 139125/– का अनुदान प्राप्त हुआ इस प्रकार रू0 25875/– अन्य मद की धनराशि इससे व्यय कर दी गयी जो कि आपत्ति पूर्ण रहा। उक्त व्यय लाभार्थियों द्वारा अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण अन्य मद से कर दिया गया है जो कि आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–186 :–

ग्राम पंचायत फिरोजपुर, विकास खण्ड सिधौली में सामग्री क्रय से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई कोटेशन एवं निविदा नहीं प्राप्त किया गया। मनमाने ढंग से निम्नलिखित सामग्री क्रय की जो लेखा परीक्षा में आपत्ति प्रद रहा।

दिनॉक	फर्म	धनराशि
29/10/2011	अमन ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 95000.00
20/03/2012	अमन ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 50965.00
20/03/2012	अमन ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 46000.00
14/12/2011	अमन ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 58350.00
06/03/2012	अमन ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 37422.00

प्रस्तर संख्या–187 :–

ग्राम पंचायत फिरोजपुर, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 20/01/2012 को कोषबही में जितेन्द्र, अमृतलाल सी0ए0 को रू0 8000/– का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में बुकलेट अप्राप्त रही। किन–किन वर्षों का भुगतान किया गया प्रमाणकों में ज्ञात न हो सका।

प्रस्तर संख्या–188 :–

ग्राम पंचायत कटसरैया, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 07/12/2011 को सी0ए0 सी0 पी0 गुप्ता को रू0 12000/– एवं दिनॉक 04/01/2012 को रू0 4000/– का भुगतान किया गया बुकलेट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे किस वर्ष का भुगतान किया गया लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा।

प्रस्तर संख्या–189 :–

ग्राम पंचायत कटसरैया, विकास खण्ड सिधौली में हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु सामग्री क्रय वर्ष 2011–12 में कुल रू0 35780/– की की गई है जिस पर स्थान व ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं है।

प्रस्तर संख्या–190 :–

ग्राम पंचायत बौनाभारी, विकास खण्ड सिधौली में वर्ष 2011–12 को छात्रवृत्ति कोषबही में 31/03/2012 को रू0 19000/– हस्तगत प्रधान के पास रहा जो विभाग को वापस नहीं किया गया एवं दिनॉक 31/03/2012 को कोषबही में 31/05/2011 को 5580/– दिनॉक 30/09/2011 तक हस्तगत रहा (4 माह) दिनॉक 16/01/2012 से दिनॉक 28/02/2012 तक रू0 46500/– दो माह हस्तगत रहा जो नियमों के विपरीत है।

प्रस्तर संख्या–191 :–

ग्राम पंचायत गोदना, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति खाता संख्या 7617 में रू0 49747/– जमा रहा जो सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–192 :–

ग्राम पंचायत वाडी, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 18/01/2012 को मिट्टी ढुलाई 33 घनमीटर दर 81/– की दर से रू0 2673/– दिनॉक 12/08/2011 को 70 घनमीटर दर 85/मीटर कुल रू0 5950/–, दिनॉक 12/08/2011 को 75 घनमीटर दर 85/मीटर कुल रू0 6375/– दिनॉक 19/09/2011 को रू0 11900/– दिनॉक 02/08/2011 को रू0 16150/– मिट्टी ढुलाई का कार्य किया जो नियमों के विपरीत रहा।

प्रस्तर संख्या–193 :–

ग्राम पंचायत वाड़ी, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 21/10/2011 को राज्य वित्त से एन0 के0 इण्टरप्राइजेट शाहबहादुर से रू0 97500/– का ग्राम पंचायत हेतु लाइट का सामान क्रय किया गया। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा नहीं ली गई एवं उक्त सामान कहॉ लगाया गया अंकित नहीं पाया गया जो आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–194 :–

ग्राम पंचायत वाड़ी, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 05/12/2011 को 20 स्वच्छ शौचालय रू0 37100/– दिनॉक 30/03/2012 को 6 शौचालय रू0 11130/– दिनॉक 30/03/2012 को रू0 11130/– का भुगतान दर्शित है। शौचालय निर्माण से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे शौचालय बनवाने की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–195 :–

ग्राम पंचायत वाड़ी, विकास खण्ड सिधौली में छात्रवृत्ति के मद में कोषबही में दिनॉक 23/07/2011 से 30/10/2011 तक रू0 15900/– दिनॉक 29/11/2011 को रू0 32120/– दिनॉक 31/03/2012 को रू0 130/– हस्तगत रहा। सीमा से अधिक अवशेष हस्तगत रखा गया जो आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–196 :–

ग्राम पंचायत हुसैनगंज, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 29/12/2011 को हर्ष इण्टर प्राइजेज से रू0 57449/– दिनॉक 02/11/2011 को रू0 39970/– दिनॉक 23/03/2012 को रू0 34870/– दिनॉक 16/09/2011 को रू0 44960/– दिनॉक 14/03/2012 को अवस्थी टेण्डर से रू0 23680/– सीमेन्ट एवं ईंट क्रय किया जिसका कोई कोटेशन/निविदा नहीं ली गयी जो आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–197 :–

ग्राम पंचायत हुसैनगंज, विकास खण्ड सिधौली में गायत्री ग्राम उद्योग से दिनॉक 25/01/2012 को रू0 25270/–, दिनॉक 02/03/2012 रू0 20403/– के होम पाइप क्रय किये गये। उक्त होम पाइप क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिये गये तथा उक्त होम पाइप ग्राम पंचायत में कहॉ लगाये गये अभिलेखों से ज्ञात न हो सका।

प्रस्तर संख्या–198 :–

ग्राम पंचायत हुसैनगंज, विकास खण्ड सिधौली में छात्रवृत्ति के मद में 31/03/2012 को रू0 74390/– बैंक खाते में शेष धन जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस कर देना चाहिये था जो नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–199 :–

ग्राम पंचायत टडईखुर्द, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 27/01/2012 को गॉधी ग्रामोद्योग लखनऊ से रू0 25270/– व दिनॉक 17/12/2011 को रू0 16784/– के होम पाइप क्रय किये गये। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया। उक्त पाइप कहॉ लगाये गये अभिलेखों से अज्ञात रहा जो आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–200 :–

ग्राम पंचायत टडईखुर्द, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 18/04/2011 को ग्राम पंचायत में मिट्टी ढुलाई का कार्य ट्राली द्वारा रू0 2368/–, 25/10/2011 को रू0 9180/– का भुगतान करना दर्शित किया गया। उक्त भुगतान मजदूरों को न देकर एक व्यक्ति को दिया गया जो नियमों के विपरीत रहा।

प्रस्तर संख्या–201 :–

ग्राम पंचायत टडईखुर्द, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 22/10/2011 को एम0 के0 इण्टर प्राइजेज शाहजहॉपुर से 65 वाट सी0एफ0एल0 (तार सहित) रू0 55250/– का भुगतान दर्शित है। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया तथा स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त सी0एफ0एल0 कहॉ–कहॉ प्रयुक्त हुई लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा।

प्रस्तर संख्या–202 :–

ग्राम पंचायत टड़ईखुर्द, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 31/03/2012 को छात्रवृत्ति के मद में रू0 4300/– हस्तगत रहा जिसे ग्राम पंचायत के खाते में वापस जमा करना चाहिए था जो नहीं की गई। आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–203 :–

ग्राम पंचायत टडईखुर्द, विकास खण्ड सिधौली में मनरेगा/राज्य वित्त से प्राप्त कराये गये अनुदान में कराये गये कार्यों पर शासनादेश अनुसार कुल अनुदान का 60 प्रतिशत मजदूरी पर तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय होना चाहिए जिसका पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–204 :–

ग्राम पंचायत नीलगॉव, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 29/09/2011 को जसविन्दर ऐसोसिएशन से ऊर्जा का सामान रू0 82500/– का भुगतान किया गया। भुगतान के पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया और न ही कोई अनुमति प्राप्त की गई। सामान कहॉ लगाया गया अभिलेखों से ज्ञात न हो सका।

प्रस्तर संख्या–205 :–

ग्राम पंचायत नीलगॉव, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 13/10/2011 को ग्राम पंचायत में ट्राली द्वारा रू0 14550/– का मिट्टी ढुलाई कार्य कराया गया। उक्त भुगतान मजदूरों को न देकर एक आदमी को किया गया जो नियमों के विपरीत है।

प्रस्तर संख्या–206 :–

ग्राम पंचायत रिवानकलां, विकास खण्ड सिधौली में सामग्री क्रय की गई। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन/निविदा नहीं प्राप्त किया गया जो नियमों के विरूद्ध रहा।

दिनॉक 24/02/2012 मेसर्स आमिद से सीमेन्ट मौरंग क्रय किया	रू0 119495/–
दिनॉक 25/02/2012 को अमर ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 117291/–
दिनॉक 07/09/2011 को गुप्ता ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 51665/–
दिनॉक 17/02/2012 को अवस्थी ब्रिक फील्ड से ईंटा क्रय	रू0 63133/–
दिनॉक 27/02/2012 को ईंटा क्रय आदि	रू0 57907/–

प्रस्तर संख्या–207 :–

ग्राम पंचायत रिवानकलां, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 27/01/2011 को जी0 पी0 गुप्ता (सी0ए0) को रू0 24000/– का भुगतान किया गया लेखा परीक्षा में बुकलेट प्रस्तुत नहीं की गई तथा प्रमाणक पर वर्ष अंकित नहीं है जो आपत्ति प्रद रहा।

प्रस्तर संख्या–208 :–

ग्राम पंचायत रिवानकलां, विकास खण्ड सिधौली की कोषबही में दिनॉक 08/10/2011 को जिला पंचायत राज अधिकारी को रू0 43000/– भुगतान दर्शित किया। साक्ष्य हेतु कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो आपत्ति प्रद रहा।

प्रस्तर संख्या–223 :–

ग्राम पंचायत नरही, विकास खण्ड खैराबाद में छात्रवृत्ति मद में खाता संख्या 349380 में 183060/– बैंक में तथा प्रधान के पास हस्तगत रू0 17820/– रहा जो सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–224 :–

ग्राम पंचायत चिलवारा, विकास खण्ड खैराबाद में छात्रवृत्ति खाता संख्या 6620 में 8325/– जमा है जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया जबकि खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–225 :–

ग्राम पंचायत मिश्रपुर, विकास खण्ड खैराबाद में छात्रवृत्ति खाता संख्या 65137429 में रू0 94706/– जमा रहा जबकि खाते का संचालन बन्द है धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया है।

प्रस्तर संख्या–226 :–

ग्राम पंचायत बद्रीपुर मसूरपुर, विकास खण्ड खैराबाद को छात्रवृत्ति खाता संख्या 7453 में रू0 15563/– अवशेष था। जिसे सम्बधित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि खाते का संचालन पूर्णतया बन्द है।

प्रस्तर संख्या–227 :–

ग्राम पंचायत टेडवा चिलौला, विकास खण्ड खैराबाद के छात्रवृत्ति खाता संख्या 118655 में रू0 35257/– व हस्तगत रू0 12120/– नकद रहा। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–228 :–

ग्राम पंचायत अशरफपुर, विकास खण्ड खैराबाद के छात्रवृत्ति खाता संख्या 5780 में 20697/– व हस्तगत प्रधान रू0 2260/– रहा। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–229 :–

ग्राम पंचायत भगौतीपुर, विकास खण्ड खैराबाद के छात्रवृत्ति खाता संख्या 11858 में रू0 48795/– जमा रहा। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–230 :–

ग्राम पंचायत जाजपुर भगवतपुर, विकास खण्ड खैराबाद में छात्रवृत्ति खाता संख्या 4535 में रू0 11886/– जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–231 :–

ग्राम पंचायत बनका जलालपुर, विकास खण्ड खैराबाद में छात्रवृत्ति खाता संख्या 8715 में रू0 53782 जमा रहा। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि बैंक खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–217 :–

ग्राम पंचायत शाहजहॉपुर, विकास खण्ड सिधौली में निम्न तिथियों में मिट्टी ढुलाई का कार्य ट्राली द्वारा कराया गया जबकि मजदूरों के द्वारा कराया जाना चाहिये था। भुगतान एक व्यक्ति को किया गया जो नियमों के विरूद्ध है–

ग्राम निधि प्रथम

दिनॉक 27/07/2011 को 84 ट्राली दर 120/– रूपये = 10080.00

दिनॉक 20/08/2011 को रूपये = 10000.00

दिनॉक 05/11/2011 को रूपये = 5000.00

मनरेगा

दिनॉक 25/10/2011 को 20 ट्राली दर 350 रूपये = 7000.00

तेरहवॉ वित

दिनॉक 01/11/2011 को 20 ट्राली दर 300 रूपये = 6000.00

दिनॉक 19/11/2011 को 18 ट्राली दर 300 रूपये = 5400.00

प्रस्तर संख्या–218 :–

ग्राम पंचायत दक्खिनगॉव, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 04/10/2011 को भदौरिया, सी0ए0 को रू0 16000/– का भुगतान बुकलेट बनवाई किया गया। प्रमाणक किस वर्ष का तथा किस दर से किया गया अंकित नहीं पाया गया।

प्रस्तर संख्या–219 :–

ग्राम पंचायत दक्खिनगॉव, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 29/07/2011 को सिंह स्पेन पाइप से रू0 40520/– का ग्राम पंचायत में होम पाइप क्रय किया गया। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया तथा ग्राम पंचायतों में होम पाइप कहॉ–कहॉ डाले गये अभिलेखों से ज्ञात नहीं हुआ।

प्रस्तर संख्या–220 :–

ग्राम पंचायत हरदोरिया, विकास खण्ड सिधौली के मध्यान्ह भोजन मद में 31/03/2012 को बैंक खाते में अवशेष धन खाता संख्या 110980 में रू0 248285/– जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस कर देना चाहिये था जो नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–221 :–

ग्राम पंचायत हरदोरिया, विकास खण्ड सिधौली के छात्रवृत्ति के मद में कोषबही अनुसार दिनॉक 26/04/2011 को रू0 56100/– दिनॉक 12/05/2011 को रू0 2100/– दिनॉक 20/09/2012 को 2100/– दिनॉक 25/11/2011 को रू0 62400/– प्रधान के नाम हस्तगत रहा जो सीमा से अधिक रहा।

प्रस्तर संख्या–222 :–

ग्राम पंचायत कनवाखेड़ा, विकास खण्ड खैराबाद में छात्रवृत्ति मद में खाता संख्या 41771 में रू0 4052/– तथा नकद रू0 23400/– रहा। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया। जबकि खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–209 :–

ग्राम पंचायत सरौरा, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 10/09/2011 को छात्रवृत्ति के मद से रू0 9300/–, दिनॉक 31/10/2011 को रू0 22980/–, दिनॉक 12/12/2011 से दिनॉक 28/02/2012 तक रू0 10320/– व दिनॉक 31/03/2012 को रू0 2560/– प्रधान के पास सीमा से अधिक हस्तगत रहा। जो आपत्ति प्रद रहा।

प्रस्तर संख्या–210 :–

ग्राम पंचायत परेवालाल, विकास खण्ड सिधौली के मध्यान्ह भोजन मद में दिनॉक 31/03/2012 को खाता संख्या 16210 में रू0 13824/– जमा रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस कर देना चाहिए था जो नहीं किया गया।

प्रस्तर संख्या–211 :–

ग्राम पंचायत परेवालाल, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 29/07/2011 को ग्राम निधि प्रथम से रू0 31560/– सिंह स्पेन पाइप उद्योग में होम पाइप क्रय किये गये तथा तेरहवॉ वित्त से दिनॉक 14/01/2012 को रू0 52370/– के होम पाइप क्रय किये गए। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया तथा ग्राम पंचायत में उक्त पाइप कहॉ लगाया गया अभिलेखों से ज्ञात न हो सका।

प्रस्तर संख्या–212 :–

ग्राम पंचायत परेवालाल, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 12/01/2012 को पंचायत उद्योग सरोजनी नगर लखनऊ को कोषबही में रू0 2565/– का भुगतान करना दर्शित है। भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जो आपत्ति प्रद रहा।

प्रस्तर संख्या–213 :–

ग्राम पंचायत लहूरियान, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 22/11/2011 को अनमोर इण्टर प्राइजेज शाहजहॉपुर से रू0 97500/– के स्ट्रीट लाइट से सम्बन्धित सामान क्रय किया गया। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया तथा ग्राम पंचायत में कहॉ लगाया गया अभिलेखों से ज्ञात नहीं हो सका।

प्रस्तर संख्या–214 :–

ग्राम पंचायत लहूरियान, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 05/04/2011 को 132 घनमीटर दर 85/– रूपये के हिसाब से रू0 11220/– की मिट्टी ढुलाई का कार्य कराया गया यदि उक्त मिट्टी का कार्य मजदूरों द्वारा कराया गया होता तो मानव दिवस सृजित की गई होती ऐसा न करके कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुॅचाया गया।

प्रस्तर संख्या–215 :–

ग्राम पंचायत पहाड़पुर, विकास खण्ड सिधौली में छात्रवृत्ति के मद में कैशबुक के अनुसार दिनॉक 06/06/2011 को रू0 4920/– दिनॉक 30/09/2011 तक हस्तगत रहा, दिनॉक 10/10/2011 से 30/10/2011 तक रू0 16620/– दिनॉक 01/01/2011 से 31/03/2012 तक रू0 760/– प्रधान के पास हस्तगत रहा जो सीमा से अधिक रहा।

प्रस्तर संख्या–216 :–

ग्राम पंचायत शाहजहॉपुर, विकास खण्ड सिधौली में दिनॉक 29/07/2011 को ग्राम पंचायत में माही टेडर्स से रू0 39000/– के होम पाइप क्रय किये गये। क्रय से पूर्व कोई कोटेशन नहीं लिया गया होम पाइप ग्राम पंचायत में कहॉ लगाया गया अभिलेखों से ज्ञात न हो सका।

प्रस्तर संख्या–232 :–

ग्राम पंचायत बिनौरा, विकास खण्ड खैराबाद, के छात्रवृत्ति खाते में रू0 106000/– जमा रहा व रू0 2160/– प्रधान के पास हस्तगत रहा जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया था जबकि बैंक खाता संचालन में नहीं है।

प्रस्तर संख्या–233 :–

ग्राम पंचायत बनेहटा, विकास खण्ड खैराबाद के छात्रवृत्ति खाता संख्या 860023 में रू0 28714/– जमा रहा तथा रू0 6185/– नकद प्रधान के पास हस्तगत रहा। जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया, जबकि बैंक खाते का संचालन बन्द है।

प्रस्तर संख्या–234 :–

ग्राम पंचायत थौरा, विकास खण्ड रेउसा में निम्न तिथियों में ईंटा क्रय किया गया है ईंटा क्रय से सम्बन्धित चालान बिल स्टाक पंजिका व कोटेशन नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से ईंटा क्रय दर्शाकर अनियमितता की गयी।

तिथि	खरीद धनराशि
30/05/2011	97500/–
15/06/2011	40000/–
18/12/2011	107500/–
23/12/2011	133620/–

प्रस्तर संख्या–235 :–

ग्राम पंचायत थौरा, विकास खण्ड रेउसा में निम्न तिथियों में अनियमित रूप से हयूम पाइप क्रय दर्शायी गयी है जिसमें चालान बिल, कोटेशन व पाईप लगाने के सम्बन्ध में ग्राम वासियों के प्रार्थना–पत्र आदि नहीं पाया गया। अतः स्पष्ट है उक्त खाते ग्राम निधि से आहरित कर अनियमित भुगतान किया गया।

दिनॉक	धनराशि
23/07/2011	73590/–
03/10/2011	33000/–
05/12/2011	66688/–

प्रस्तर संख्या–236 :–

ग्राम पंचायत शंकरपुर सिखनी, विकास खण्ड रेउसा में दिनॉक 25/04/2011 को रू0 70000/– का ईंटा भुगतान प्रेम ब्रिक फील्ड को किया गया, भुगतान प्रमाणक पर टिन नम्बर अंकित नहीं था व चालान प्रति भी नहीं पायी गयी। अतः खरीद अपुष्टि रही।

प्रस्तर संख्या–237 :–

ग्राम पंचायत भदमरा, विकास खण्ड रेउसा में निम्न तिथियों में भुगतान दर्शित है भुगतान ग्राम निधि प्रथम खाते में किया गया, भुगतान प्रमाणक अप्राप्त रहे। मस्टररोलों पर मजदूरों का नाम अंकित नहीं था।

तिथि	धनराशि	विवरण
26/04/2011	25889.00	सोलर लाईट प्रमाणक क्रय नहीं पाया गया।
26/04/2011	16800.00	मंजू के मकान से बिरजू के मकान तक एम0आर0 में मजदूरों का नाम अंकित नहीं।
26/04/2011	8000.00	भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं
23/04/2011	17640.00	मिट्टी ढुलाई भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं
24/05/2011	13440.00	एम0आर0 पर मजदूरों के नाम नहीं
01/06/2011	30000.00	बाउचर पर टिन नम्बर नहीं
03/06/2011	27600.00	बाउचर पर टिन नम्बर नहीं
14/06/2011	30400.00	सीमेन्ट क्रय का बाउचर नहीं
18/07/2011	13440.00	एम0आर0 पर मजदूरों के नाम नहीं
23/11/2011	67200.00	स्ट्रीट लाईट का प्रमाणक नहीं
योग :–	250409.00	

प्रस्तर संख्या–238 :–

ग्राम पंचायत बरा, विकास खण्ड रेउसा द्वारा दिनॉक 31/03/2012 को अशोक सोलर सेन्टर से रू0 72300/– की 25 सोडियम लाईट क्रय की गयी, क्रय में कोटेशन नहीं लिये गये तथा विद्युत विभाग से स्वीकृति नहीं ली गयी आपत्ति पूर्ण रहा।

प्रस्तर संख्या–239 :–

ग्राम पंचायत बरा, विकास खण्ड रेउसा द्वारा सोलिंग मरम्मत में रू0 142830/– का ईंटा क्रय किया गया उक्त खरीद से सम्बन्धित कोटेशन, चालान बिल, स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः खरीद की पुष्टि न हो सकी।

प्रस्तर संख्या–240 :–

ग्राम पंचायत सीयतपुर, विकास खण्ड रेउसा में ग्राम निधि प्रथम कार्य के जॉच में पाया गया कि निम्न कार्यों के सापेक्ष भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतानों की पुष्टि न हो सकी।

दिनॉक	विवरण	धनराशि
21/04/2006	मिट्टी ढुलाई	11000/–
25/05/2006	एम0डी0एम0	10000/–
08/06/2006	मिट्टी ढुलाई	10000/–
23/06/2006	मिट्टी ढुलाई	10000/–
17/07/2006	मिट्टी ढुलाई	10000/–
18/07/2006	एम0डी0एम0	5876/–

17/10/2006	एम0डी0एम0	12000/–
23/11/2006	एम0डी0एम0	50000/–
28/11/2006	एम0डी0एम0	46000/–
23/01/2007	एम0डी0एम0	22008/–

उक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–241 :–

दिनॉक 07/02/2008 को सवित्री स्पन पाईप को रू0 80000/– का भुगतान किया गया है प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया।

प्रस्तर संख्या–242 :–

निम्न दिनॉकों को भोजन हेतु व्यय किया गया है प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

12/07/2007	10000/–
20/04/2007	16000/–
01/06/2007	25000/–
15/06/2007	20000/–
14/07/2007	10000/–
21/07/2007	30000/–
20/08/2007	30000/–

प्रस्तर संख्या–243 :–

निम्नानुसार पाईप क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहें

02/04/2011	अमित पाईप इण्डस्ट्रीज को	141809/–
02/04/2011	शिव इण्टरप्राइजेज	38834/–
07/12/2011	शिव इण्टरप्राइजेज	92232/–
07/12/2011	शिव इण्टरप्राइजेज	92232/–

प्रस्तर संख्या–244 :–

ग्राम पंचायत रसूलपुर, विकास खण्ड रेउसा में वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 में निम्न अनुसार समतलीकरण हेतु भुगतान किया गया है।

दिनॉक	धनराशि	विवरण
26/06/2008	20000/–	मुरली पुत्र दुजई के खेत का समतलीकरण
26/06/2008	15600/–	सोहन लाल पुत्र रामगुलाम के खेत का समतलीकरण
14/08/2008	14000/–	मुरली पुत्र दुजई के खेत का समतलीकरण
20/01/2009	18500/–	संतलाल के खेत का समतलीकरण
20/01/2009	13700/–	श्रीनिवास के खेत का समतलीकरण
27/06/2009	25000/–	रंगलाल के खेत का समतलीकरण

27/06/2009	20500/–	चेतराम के खेत का समतलीकरण
06/08/2009	70500/–	मुनेश्वर, जसकरनलाल, खुशीराम व राजा के खेत का समतलीकरण मेड़बन्दी
19/08/2009	61000/–	सूर्य प्रताप के खेत का समतलीकरण
02/09/2009	47000/–	प्यारेलाल के खेत का समतलीकरण
03/12/2009	52200/–	सुन्दर के खेत का समतलीकरण मेड़बन्दी
03/12/2009	42000/–	भगौती के खेत का समतलीकरण मेड़बन्दी
22/03/2010	18400/–	देशराज के खेत का समतलीकरण
10/04/2010	13700/–	रामभरोसे के खेत का समतलीकरण
02/06/2010	13700/–	रामभरोसे के खेत का समतलीकरण
02/06/2010	12000/–	बदामी के खेत का समतलीकरण
कुल योग	**457800/–**	

उक्त समतलीकरण पूर्णतः फर्जी व काल्पनिक है क्योंकि

1– सम्बन्धित व्यक्तियोंका डिमाण्ड पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

2– भूमि संरक्षण अधिकारी से आदेश व प्रमाण–पत्र नहीं लिया गया।

3– सम्बन्धित व्यक्तियों के फोटो पत्रावली में नहीं पाये गये। इस प्रकार फर्जी समतलीकरण के नाम पर रू0 457800/– का गबन ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती फूलकली द्वारा किया गया है वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–245 :–

निम्न तिथियों में व्यय किया जाना दर्शित है लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही व्यय का विवरण कैशबुक पर अंकित है। इस प्रकार फर्जी व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव राजेश कुमार चौधरी द्वारा रू0 38025/– का गबन किया गया है। विवरण निम्न है –

21/05/2009		900/–
08/08/2009		34125/–
24/08/2009		3000/–
	योग	**38025/–**

प्रस्तर संख्या–246 :–

दिनॉक 30/03/2010 को केशन के घर से बिसवॉ सम्पर्क मार्ग तक खडन्जा निर्माण हेतु रू0 250560/– का भुगतान बक्श ब्रिक फील्ड को किया गया है लेखा परीक्षा में चालान बिल, कोटेशन व नियमानुसार ईंट भट्ठे का बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः रू0 250560/– की वसूली ग्राम पंचायत द्वारा भूलकर्ता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–247 :–

दिनॉक 07/06/2011 में रू0 50000/– का अंतरण ग्राम सभा राजापुरकलां के खाते में किया गया है उक्त अंतरण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बैंक स्तर पर कराया गया है। जो मनरेगा गाइड लाइन के विपरीत है।

प्रस्तर संख्या–248 :–

ग्राम पंचायत बिसवांखुर्द, विकास खण्ड बेहटा में निम्न दिनॉक को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कतिपय लोगों का खेत समतलीकरण हेतु निम्न व्यय किये गये। सम्बन्धित व्यय पूर्णतः फर्जी पाये गये क्योंकि सम्बन्धित पत्रावलियों पर सम्बन्धित व्यक्तियों का खेत समतलीकरण हेतु पत्र संलग्न नहीं है और न ही फोटो सहित उपभोग प्रमाण–पत्र लिया गया। उक्त पत्रावली में सम्बन्धित व्यक्ति का खसरा–खतौनी की नकल संलग्न नहीं है और न ही खेत में फसल खड़ी होने सम्बन्धी सम्बन्धित व्यक्ति से प्रार्थना–पत्र लिया गया हैं अतः रू0 167280/– की वसूली ग्राम प्रधान बिट्टी देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

दिनॉक	व्यक्तियों का नाम	समतलीकरण हेतु व्यय की गई धनराशि
21/07/2011	गजोधर	58560/–
21/07/2011	प्रताप	24960/–
03/04/2011	वीरेन्द्र सिंह	31920/–
03/04/2011	जोकल सिंह	51840/–
	योग	**167280/–**

प्रस्तर संख्या–249 :–

निम्न दिनॉकों में मिट्टी ढुलाई हेतु निम्न व्यक्तियों को भुगतान किया जाना दर्शित है। संम्बन्धित भुगतान पूर्णतः फर्जी पाये गये क्योंकि भुगतान प्रमाणक पर भुगतान प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं पाये गये और न ही ट्रैक्टर ट्राली अथवा मिट्टी ढोने सम्बन्धी वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया गया। मिट्टी ढुलाई कर्य के मिट्टी खनन सम्बन्धी रॉयल्टी भी नहीं जमा करायी। उक्त मिट्टी ढुलाई करवाने हेतु विकास खण्ड स्तर से कार्यक्रम अधिकारी से अलग से आदेश भी नहीं लिया गयी स्थिति संदिग्ध है विभागीय जॉच अपेक्षित है। जॉचोपरान्त कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार रू0 189950/– की वसूली की जानी अपेक्षित है।

दिनॉक	मिट्टी ढुलाई कर्ता के हस्ताक्षर	धनराशि
23/04/2011	नाम अंकित नहीं	28500/–
27/04/2011	नाम अंकित नहीं	19950/–
08/07/2011	नाम अंकित नहीं	12000/–
15/07/2011	नाम अंकित नहीं	29500/–
02/09/2011	नाम अंकित नहीं	8850/–
17/11/2011	नाम अंकित नहीं	37850/–
17/11/2011	नाम अंकित नहीं	53300/–
	योग –	**189950/–**

प्रस्तर संख्या–250 :–

निम्न खेत समतलीकरण से सम्बन्धित भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाये गये। सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण का भुगतान फर्जी रहा। प्रधान व सचिव के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है –

दिनॉक	खेत मालिक का नाम	धनराशि
21/02/2012	माता प्रसाद/शिवशंकर	20520/–
21/02/2012	रमेश/जनार्दन	25560/–
21/02/2012	माता प्रसाद/शिवशंकर	21600/–
21/02/2012	दिनेश/श्यामबिहारी	24240/–
21/02/2012	रमेश/जनार्दन	24480/–
25/02/2012	श्रवण कुमार/दरबारी लाल	29360/–
25/02/2012	श्रवण कुमार/दरबारी लाल	27240/–
	योग –	**171000/–**

इस प्रकार रू0 171000/– की सूची ग्राम प्रधान द्वारा बिट्टो देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–251 :–

निम्न तिथियों में मनरेगा खाते से आहरण किया गया है व्यय पत्र में न तो भुगतान दर्शाया गया और नहीं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार सम्बन्धित धनराशि रू0 252640/– का गबन ग्राम पंचायत अधिकारी बृजेश कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टो देवी द्वारा किया गया है। विवरण निम्न है –

दिनॉक	धनराशि
13/10/2011	29772/–
18/10/2011	14010/–
21/10/2011	71040/–
21/10/2011	42240/–
05/11/2011	30578/–
21/01/2012	30000/–
21/01/2012	20000/–
21/01/2012	15000/–
योग –	**252600/–**

प्रस्तर संख्या–260 :–

ग्राम निधि प्रथम की जॉच में पाया गया कि निम्न तिथियों में भुगतान किया जाना दर्शित है, परन्तु भुगतान प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जॉचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनॉक	विवरण	धनराशि
11/06/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	9900/–
23/11/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	71000/–
23/11/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	30400/–
11/07/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	19000/–
18/06/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	18000/–
11/06/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	30000/–
29/11/2011	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	20000/–
28/01/2012	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	19800/–
14/03/2012	मिट्टी ढुलाई भाड़ा	12500/–
28/09/2011	हयूम पाइप क्रय	21000/–
	कुल योग –	**201600/–**

अतः धनराशि रू0 201600/– की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या–261 :–

छात्रवृत्ति से सम्बन्धित रोकड़ बही, उपभोग प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जानें के कारण छात्रवृत्ति की जॉच सम्भव न हो सकी। बैंक विवरण पत्र के अनुसार उक्त खातें से रू0 145200/– की निकासी की गयीं। जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में हो पायी। जॉचोपरान्त विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–जब्दी **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44500.00 लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.0 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– कौराल **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया

गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– खेड़ा **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 40000.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः रू0 40000.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–नौगांवा तगा **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–अपरौला मय बाग **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया

गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– गजस्थल **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 03.09.11 को मस्टरोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। भुगतान पूर्णतयः फर्जी प्रतीत होता है। वसूली प्रधान/सैकेट्री से रू0 19800.00 करायी जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 21.04.11 को गोदरेज अल्मारी रू0 5600.00 क्रय दर्शायी है, परन्तु पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त। डेड स्टाक रजिस्टर पुष्टि के लिये अप्राप्त रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी बाउचर व्यय दर्शाकर धन का अपहरण/गबन कर लिया है। वसूली प्रधान/सेकेट्री से करायी जाये।

(वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

प्रस्तर संख्या–3 :–2011–12 में बगैर कोटेशन ईंट क्रय करके रू0 3000.00 के विपरीत रू0 3200.00 से क्रय करने पर रू0 6495.00 की धनराशि का अतिरिक्त भुगतान करके गंभीर अनियमित्ता की गयी है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–3)

दिनांक 12.08.11 8225.00 ईंट दर 3200=26320 – अतिरिक्त रू0 1645.00

दिनांक 06.07.11 8500.00 ईंट दर 3200=27200 – अतिरिक्त रू0 1700.00

दिनांक 07.07.11 15750.00 ईंट दर 3200=50400 – अतिरिक्त रू0 3150.00

योग – 6495.00

प्रस्तर–4 दिनांक 08.12.2011 को रू0 38580.00 की छात्रवृत्ति जो स्कूल में बांटी गयी है की पुष्टि में रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। जो कि धन का दुरूपयोग प्रतीत होता है। दोषी सचिव/प्रधान के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–4)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–सिरसा जट **विकास खण्ड का नाम –अमरोहा**

वर्ष :– 2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कौटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–वित्तीय वर्ष 2010–11 में 56700.00 की छात्रवृत्ति बॉटी गयी है, जिसकी पुष्टि में बारबार कहने पर भी छात्रवृत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः यह धनराशि नियमानुसार लाभान्वित छात्रों के निर्धारित हस्ताक्षर प्राप्त कराकर रजिस्टार रखा गया है अथवा नहीं स्थिति अज्ञात रही? दोषी सचिव/प्रधान के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :–कटाई **विकास खण्ड का नाम :–जोया**
वर्ष :–2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–निम्न तिथियों में एम0डी0एम0 पर खाता संख्या–8010 से 97,572.00 की धनराशि आहरित की गयी है परन्तु पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान नहीं पाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि धन आहरित करके फर्जी तरीके से अपहरण/गबन कर लिया गया है। दोषी सचिव/प्रधान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

दिनांक 10.04.2010 पर व्यय रू0 29,170.00
दिनांक 17.07.2010 पर व्यय रू0 38616.00
दिनांक 26.07.2010 पर व्यय रू0 29,786.00
योग 97,572.00

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 26.07.2011 को 18200 ईंट को 3300/– प्रति हजार की दर से 60060.00 की दर से धनराशि व्यय किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2011–12 में 3000/– प्रति हजार की दर से 54,600.00 का भुगतान किया जाना था, इस प्रकार रू0 5460.00 का अतिरिक्त भुगतान कर धन का दुरूपयोग किया गया है। दोषी सचिव/प्रधान के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 11.03.2011 को शौचालय के निर्माण पर व्यय पर रू0 57200.00 किये गये है, परन्तु पुष्टि में सूची नहीं पायी गयी। धन के दुरूपयोग की संभावना प्रतीत होती है। दोषी सचिव/प्रधान के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–3)

प्रस्तर संख्या–4 :–दिनांक 31.03.2011 को मानदेय प्रधान 6/10 से 3/11 कुल 11 माह का रू0 750/– की दर से 8250.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु पुष्टि में कोई रसीद/प्राप्ति रसदी अप्राप्त रही, यह धन को आहरित करके गबन कर लिया गया है। वसूली प्रधान/सचिव से करायीं जानी अपेक्षित है। दोषी सचिव/प्रधान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–4)

प्रस्तर संख्या–5 दिनांक 28.03.2011 को विद्युतीकरण पर रू0 50,000.00 व्यय किया गया है। यह विद्युतीकरण के व्यय पर धन कहां व किस प्रयोज्य हेतु किया गया है। स्थिति अज्ञात रही है। धन के दुरूपयोग की संभावना बनी है। कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–5)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– हाकमपुर **विकास खण्ड का नाम –जोया**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 29.04.11 को नल मरम्मत बाउचर पर व्यय रू0 5200–00 व्यय किया है जिसमें लगने वाले सिलेण्डर को रू0 1200.00 प्रति सिलेण्डर दर्शाया है परन्तु दिनांक 29.04.11 को अन्य वाउचर से यह धनराशि रू0 300.00 प्रति सिलेण्डर दर्शायी है। इस प्रकार रू0 900.00 का अतिरिक्त व्यय दर्शाकर अनियमित भुगतान किया गया हैं। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 11.08.11 को रू0 500.00 के हिसाब से प्रति कुर्सी दर्शाकर 11 कुर्सी का रू0 5500.00 भुगतान किया है, कुर्सी रू0 300.00 प्रतिदर से हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिये था, क्योंकि कुर्सी ब्रॉन्डेड न होकर लोकल क्रय की गयी है। अतः रू0 1650.00 का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इस प्रकार रू0 1650.00 के धन का दुरूपयोग किया गया है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 30.12.11 को 100 ट्राली मिट्टी दर रू0 200.00 प्रति ट्राली के हिसाब से रू0 20,000.00 के भुगतान की पुष्टि में रसीद/रायॅल्टी रसीद इत्यादि व किस प्रायोज्य हेतु क्रय की गयी है स्थिति अज्ञात रही। भुगतान पूर्णतयः फर्जी प्रतीत होता है। वसूली प्रधान/सैकेट्री से करायी जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–3)

प्रस्तर संख्या–4 :–दिनांक 03.08.11 को एवं दिनांक 16.08.2011 को कुल रू0 54900.00 की ईंट क्रय का भुगतान रू0 3000.00 प्रति हजार के विपरीत रू0 3200.00 प्रति हजार से क्रय करके रू0 3400.00 का अतिरिक्त भुगतान करके धन के व्यय में गंभीर अनियमित्ता की गयी है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–4)

जनपद का नाम –अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–पॉयती कला **विकास खण्ड का नाम – जोया**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में आँकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–शेखुपुरा माफी **विकास खण्ड का नाम –जोया**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 04.11.11 को पेंटर पर भुगतान रू0 22,426.00 की पुष्टि में कोई रसीद नहीं पायी गयी, यह पेन्टिंग कहाँ व किस उद्देश्य से करायी गयी है, अस्पष्ट रहा ? भुगतान प्रमाणक न होना, उद्देश्य स्पष्ट न होना, कार्य पूर्ति प्रमाणक का न होना भुगतान को गबन दर्शाते है। अतः उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज से संबंधित प्रधान एवं सैकेट्री से करायी जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 3000.00 प्रति हजार के विपरित रू0 3300.00 के प्रति हजार से भुगतान करके रू0 1800.00 का अधिक भुगतान किया गया है। यह भुगतान अन्य भटटों की कोटेशन लिये बगैर किया है। अतः धनराशि रू0 1800.00 का दुरूपयोग किया गया है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

क्र. सं.	दिनांक	ईंट	दर	वास्तविक दर	अन्तर	योग भुगतान	अतिरिक्त
1.	12.07. 2011	3600. 00	3300.00	3000.00	1080. 00		
2.	14.09. 2011	1900. 00	3300.00	3000.00	570.00	1800.00	
3.	07.10. 2011	500.00	3300.00	3000.00	150.00		

इस प्रकार रू0 1800.00 की वसूली प्रधान/सैकेट्री से करायी जाये।

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 07.12.2011 का मानदेय प्रधान रू0 9000.00 दिया गया है परन्तु रसीद पर न तो हस्ताक्षर पाये गये और नहीं भुगतान रू0–5000.00 से ऊपर होने पर रसीदी टिकट पाया गया। धन को उचित ढंग से व्यय न दर्शाकर एवं रिकार्ड न पूर्ण करके गंभीर अनियमित्ता की गयी है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–3)

प्रस्तर संख्या–4 :–दिनांक 30.08.2011 को 698.60 किलोग्राम चैनल रू0 55 प्रति किलो की दर से लगाया गया है, जबकि यह धनराशि रू0 52 प्रति किलो से दर्शानी चाहिए थी। अतः रू0 2096.00 अतिरिक्त भुगतान करके गंभीर अनियमित्ता की गयी है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–4)

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–जिवाई **विकास खण्ड का नाम – जोया**

वर्ष :– 2011–12

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–</u>

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 44,500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, रू0 44,500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में करायें जाने वाले विकास खाते से किया गया है।बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये, बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में ऑकी जाती है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–निम्न तिथियों को भुगतान 1,66,000.00 की पुष्टि में व्यक्तिगत शौचालय की मरम्मत रंगाईपुताई की सूची एवं प्रमाणक का न होना धन के दुरूपयोग की स्थिति को प्रकट करता है। भुगतान की प्रकृति अस्पष्ट रहने एवं प्रमाणक न होने के कारण संबंधित धन की वसूली हेतु सैकेट्री/प्रधान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

दिनांक 27.07.2011	रू0 1,00,000.00
दिनांक 11.11.2011	रू0 66,000.00

योग–रू0 1,66,000.00

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–जगुवा खुर्द **विकास खण्ड का नाम–जोया**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–जुलाई, 2011 में खडंजा निर्माण मजदूरी पर व्यय रू0 5880.00 किया गया है जिस पर मिटटी भराव पर 40 ट्राली का व्यय रू0 8000.00, तथा जाल, नाली क्रय पर भुगतान रू0 8372.00 का भुगतान किया है, परन्तु खडंजा एवं नाली निर्माण कैसे हो गया, जब ईंट, सीमेन्ट आदि ही नहीं क्रय किये गये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

अतः यह सम्पूर्ण कार्य फर्जी प्रतीत होता है। उच्च स्तरीय जाँच अपेक्षित है। भुगतान फर्जी दर्शाकर गबन कर लिया गया है। वसूली प्रधान श्री सुशील कुमार एंव सैकेट्री नानक चंद से करायी जाये।

दिनांक 24.07.2011 जाल क्रय	रू0 8372.00
दिनांक 26.07.2011 राज मजदूरी	रू0 5880.00
दिनांक 26.07.211मिटटी भराव	रू0 8000.00
योग	**22,252.00**

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 27.05.2011 को अमर उजाला विज्ञापन पर व्यय रू0 3440.00 दर्शाया गया है। यह भुगतान किसका है, व कब का है, स्थिति व्यय प्रमाणक के अभाव में अज्ञात रही। अतः भुगतान पूर्णतया फर्जी प्रतीत होता है। जॉच कराकर यह भुगतान वास्तविक है या नहीं की स्थिति स्पष्ट करायी जाये। वरना वसूली प्रधान–सुशील कुमार एवं सैकेट्री नानक चंद से करायी जाये। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–नान्दनौर माफी **विकास खण्ड का नाम–धनौरा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–निम्नलिखित तिथियों में कैश बुक के अनुसार छात्रवृत्ति खाता सं0– 9114 से धन आहरित कर छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना दर्शाया गया है।

वितरण की पुष्टि में स्कूलवार छात्रवृत्ति वितरक पंजिका आडिट में अप्राप्त रहने से वितरण अपुष्ट रहा। जो गम्भीर आपत्ति जनक है। (स0 आ0 सं0–14)

26.09.11	26400.00
04.10.11	44700.00
01.11.11	55800.00
28.12.11	19200.00
योग	**146100.00**

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :–कपसुआ **विकास खण्ड का नाम –धनौरा**
वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्रा0 नि0 खाता सं0–2081 से दिनांक 30.09.2011 को अं0 रू0 1,00,000.00 का बैक से आहरण किया गया, परन्तु कैशबुक में उक्त आहरित धनराशि को कोषांकित न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री रामकुमार सिंह एवं सचिव श्री ओमप्रकाश से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जाये। (स0 आ0 सं0–18)

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 07.04.2011 को अं0 2200.00 का भुगतान चैक से श्रीमती सईदन पत्नी श्री शहीद को किया गया है। प्रमाणक पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। अतः भुगतान फर्जी किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री राम कुमार एवं सचिव श्री शिवेन्द्र पाल सिंह से की जाये। (स0 आ0 सं0–19)

प्रस्तर संख्या 3 :–दिनांक 21.04.2011 को अं0 12600.00 मस्टर रोल द्वारा भुगतान दर्शाया गया हे। मस्टर रोल पर न तो मिस्त्री व मजदूरों के नाम ही अंकित है और न ही भुगतान प्राप्तकर्ता के नि0 अंगूठा अंकित है। अतः भुगतान फर्जी किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री रामकुमार सिंह से की जाये। (स0 आ0 सं0–20)

प्रस्तर संख्या 4 :–निम्नलिखित तिथियों में कैश बुक के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना दर्शित है। छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि में स्कूलवार वितरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वितरण अप्रमाणित रहा, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। (स0 आ0 सं0–21)

11.10.11	50 छात्र	15000.00
13.10.11	55 छात्र	16500.00
01.12.11	61 छात्र	29280.00
08.2.12		199320.00
	योग	260100.00

जनपद का नाम :–अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–कैसरा **विकास खण्ड का नाम – धनौरा**

वर्ष :–2010–11 एवं 2011–12

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–</u>

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्रा0 नि0 खाता सं0 2261 से दिनांक 08.09.10 को चैक सं0 318471 से अं0 5000.00 का बैक से आहरण किया गया, परन्तु कैश बुक में उक्त आहरित धनराशि को कोषांकित न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री मति रामो देवी एवं सचिव श्री ओमप्रकाश से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जाये। (स0 आ0 सं0–14)

प्रस्तर संख्या 2 :–खाता सं0 9141 छात्रवृत्ति से दिनांक 15.9.10 को चैक सं0 343294 द्वारा अं0 रू0 60,000.00 का आहरण किया गया, परन्तु कैश बुक में उक्त आहरित धनराशि को कोषांकित न कर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री मति रामो देवी एवं सचिव श्री ओमप्रकाश से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जाये। (स0 आ0 सं0–15)

प्रस्तर संख्या 3 :– खाता सं0 12927 M.D.M. खाते से निम्न प्रकार धनराशि का आहरण किया गया, परन्तु कैश बुक में उक्त आहरित धनराशि को कोषांकित न कर धन का अपहरण किया गया है और न ही कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। जिसकी वसूली प्रधान श्री मती रामो देवी श्री मती कमलेश एवं सचिव श्री ओमप्रकाश से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जाये। (सा0आ0सं0–16)

चैक नं0	दिनांक	धनराशि
975533	06.09.2010	19900.00
975534	05.10.2010	16300.00
975535	09.11.2010	12700.00
975536	06.01.2011	9181.00
	<u>कुल</u>	**58081.00**

प्रस्तर संख्या 4 :–ग्रा0नि0 खाता सं0 2261 से दि0 05.05.2011 को चैक सं0 367694 से अं0 75000.00 का बैंक से आहरण किया गया है। जिसका लेखा उक्त तिथि को कैश बुक में अं0 7500.00 कोषांकित किया गया है। इस प्रकार अं0 67500.00 कम कोषांकित कर अं0 67500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री कमलेश एवं सचिव श्री ओमप्रकाश से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जाये। (स0 आ0 सं0–17)

प्रस्तर संख्या 5 :–दि0 20.12.2011 को अं0 8500.00 मै0 मनजीत साईकिल स्टोर धनौरा से एक ठेली क्रय कर भुगतान किया गया है। जिसको डैड स्टाक मद में न दर्शाकर विविध व्यय में दर्शाया गया है। जबकि डैड स्टाक मद में क्रय दर्शाकर डैड स्टाक पंजिका में अंकित कर रखा जाना चाहिए। यह गम्भीर आपत्तिजनक है। (स0 आ0 सं0–18)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–चॉदनगर **विकास खण्ड का नाम – जोया**

वर्ष :– 2010–2011 एवं 2011–12

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–</u>

प्रस्तर संख्या–1 :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त के विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये रू0 42500.00 का लैपटाप क्रय किया गया है, यह लैपटाप कहॉ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 42500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि गंभीर दुरूपयोग के रूप में ऑकी जाती है, उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आक्रष्ट किया जाता है। (वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–13.05.2011 को एमडीएम का रू0 5102.00 के भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं प्राप्त हुआ है। यह भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। क्योंकि इस बीच में भुगतान संबंधित स्कूलों द्वारा किया जा रहा है।

अतः पूर्व खाते से आहरण करके सैकेट्री/प्रधान द्वारा धन का गबन कर लिया है। वसूली प्रधान/सैकेट्री से करायी जाये।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :– धनोरी खुर्द **विकास खण्ड का नाम – धनौरा**
वर्ष :– 2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्राम पंचायत खाता सं0 85842210011334 खाते से निम्न प्रकार धनराशि का आहरण किया गया, परन्तु कैश बुक में उक्त आहरित धनराशि को कोशांकित न कर धन का अपहरण किया गया है और ना ही कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये गये। जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती चन्द्रो एवं सचिव श्री ओमप्रकाश से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जाये। (स0 आ0 सं0–13)

चैक नं0	दिनांक	धनराशि
175511	18.06.11	13000.00
175512	12.07.11	6000.00
175513	03.08.11	6000.00
	योग	25000.00

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 31.07.11 को अंकन 19.00 हस्तगत रोकड़ शेष दर्शित थी। दिनांक 01.08.11 को नई कैश बुक में हस्तगत रोकड़ शून्य दर्शाकर अंकन 19.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री रमेष चन्द्र प्रधान से की जाये।(स0 आ0 सं0–14)

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 25.03.11 को अंकन 10442.00 तीन ठेली मरम्मत का भुगतान किया गया है। ठेली खराब होने की रिपोर्ट व मरम्मत कराने की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। जबकि उक्त धनराशि में नई नई ठेली खरीदी जा सकती थी। अतः अंकन 10442.00 को दुरूपयोग किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती चन्द्रो से तातारीख ब्यांज सहित वसूली की जाये।(स0 आ0 सं0–15)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–कालाखेड़ा **विकास खण्ड का नाम –जोया**

वर्ष :– 2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 में 13वें वित्त विकास खातों से बगैर किसी जिले स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कौटेशन प्रक्रिया अपनाये, रू0 40000.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहॉ से क्रय किया गया है, पुश्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 40000.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कौटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि दुरूपयोग के रूप में ऑकी जाती है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– सरकड़ा कमाल **विकास खण्ड का नाम – जोया**

वर्ष :– 2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त विकास खातों से बगैर किसी जिसे स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कोटेशन प्रक्रिया अपनाये, रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहॉ से क्रय किया गया है, पुश्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कोटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि दुरूपयोग के रूप में ऑकी जाती है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :– काकर सराय **विकास खण्ड का नाम – जोया**
वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वित्तीय वर्ष 2011–12 में 13वें वित्त विकास खातों से बगैर किसी जिसे स्तर के उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कोई कौटेशन प्रक्रिया अपनाये, रू0 44500.00 का लैपटाप क्रय किया है, यह लैपटाप कहाँ से क्रय किया गया है, पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहा, अतः रू0 44500.00 की धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले विकास खाते से किया गया है। बिना किसी प्रमाणक के बगैर कौटेशन प्रक्रिया अपनाये बगैर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति के यह धनराशि दुरूपयोग के रूप में ऑकी जाती है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :– इकौन्दा **विकास खण्ड का नाम – जोया**
वर्ष :– 2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–2010–11 में खाता सं0–2133 में (डी0सी0बी0–जोया) रू0 210645.00 आहरित किया जिसकी पुष्टि में कोई कैशबुक, कोई वाउचर पत्रावली, लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त धनराशि को खाते से आहरित करके सम्बन्धित प्रधान/सैकेट्री के द्वारा गबन कर लिया गया है। सम्बन्धित सैकेट्री/प्रधान से वसूली करायी जाये।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–2010–11 में खाता सं0–2015 में (डी0सी0बी0–जोया) में रू0 509950.00 आहरित किया जिसकी पुष्टि में कोई कैशबुक, कोई वाउचर पत्रावली, लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं करायी गयी, ऐसा प्रतीत होता है की उपरोक्त धनराशि को खाते से आहरित करके सम्बन्धित प्रधान/सैकेट्री के द्वारा गबन कर लिया गया है, सम्बन्धित सैकेट्री/प्रधान से वसूली करायी जाये।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

प्रस्तर संख्या–3 :–2010–11 में सिंडिकेट बैंक जोया के मनरेगा खाते में से रू0 725980.00 की धनराशि का आहरण किया गया है परन्तु पुष्टि में कोई एम0बी0/रजिस्टर मनरेगा की कैशबुक, मनरेगा की व्यय पत्रावलियॉ इत्यादि लेखा परीक्षा में बार–बार कहने पर भी अप्राप्त रही। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान/सैकेट्री के द्वारा धन का आहरण करके फर्जी तरीके से गबन कर लिया गया है। सम्बन्धित प्रधान/सैकेट्री से वसूली करायी जाये।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–3)

प्रस्तर संख्या–4 :–2010–11 में एम0डी0एम0 के खाता सं0–5251 की बैंक पासबुक प्रपत्र/व्यय धनराशि के वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जिसके कारण वर्ष 2010–11 में आहरित समस्त धनराशियों का भुगतान अनियमितता एवं सन्तोशजनक नहीं कहा जा सकता।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–4)

जनपद का नाम :– अमरोहा **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– वीबड़ा कला **विकास खण्ड का नाम – अमरोहा**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 19.03.2012 को मजदूरी का भुगतान रू0 2640.00 दर्शाया है, परन्तु कैषबुक के व्यय में पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा। धन का गबन करके फर्जी भुगतान दर्शाया गया है।कार्यवाही अपेक्षित है।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 20.03.2012 को मिट्टी कार्य पर मिट्टी डलाई पर रू0 7000.00 का भुगतान किया गया है परन्तु पुष्टि में कोई रसीद लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी। मिट्टी भुगतान का भुगतान फर्जी दर्शाकर धन का गबन कर लिया गया है।कार्यवाही अपेक्षित है।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–2)

प्रस्तर संख्या–3 :–वर्ष 2011–12 में रू0 3000.00 के विपरित रू0 3200.00 प्रति हजार की दर से ईट क्रय करके रू0 1386.00 की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः रू0 1386.00 के दुरूपयोग भुगतान की वसूली प्रधान/सचिव से करायी जाये।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–3)

प्रस्तर संख्या–4 :–निम्न तिथियों में किये गये व्यय के वाउचर/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण भुगतान फर्जी प्रतीत होते है, जिसकी वसूली प्रधान/सचिव से करायी जाये।(वि0 प्रति0 आ0 सं0–4)

दिनांक 11.05.2011 ठेली मरम्मत	रू0 550.00
दिनांक 10.06.2011 ईट क्रय	रू0 35100.00
दिनांक 02.07.2011 लोहा क्रय	रू0 4000.00
दिनांक 02.07.2011 सीमेंट	रू0 4500.00
दिनांक 14.09.2011 ईट	रू0 4950.00
दिनांक 31.10.2011 हैण्डपम्प मरम्मत	रू0 881.00
दिनांक 16.11.2011 ईट क्रय	रू0 21900.00
दिनांक 19.11.2011 छात्रवृत्ति	रू0 12600.00
दिनांक 27.12.2011 आरबीएन आदर्श विद्यालय छात्रवृत्ति	रू0 34500.00 **रू0 118981.00– योग**

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– आलियाबाद **विकास खण्ड का नाम – डिलारी**

वर्ष :– 2010–11 एवं 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–छात्रवृत्ति खाता सं0–7973 में निम्न तिथियों में धनराशि आहरित करके छात्रवृत्ति वितरण दिखाया गया है। इसकी पुष्टि में छात्रवार वितरित छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं समाज कल्याण द्वारा छात्रों की अनुमोदित सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।(वि0प्रति0सं0–1)

विवरण निम्न प्रकार है :–

दिनांक	खाता सं0	आहरित धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
03.04.10	7973	60000.00	श्री सुरेन्द्र भारती ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री दौलत सिंह
06.04.10	"	140000.00	
	योग	200000.00	

उक्त धनराशि की वसूली हेतु जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :–मुरादाबाद **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–अक्का भीकनपुर विकास खण्ड का नाम – मुरादाबाद

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–कैश बुक के अनुसार दिनांक 07.01.2012 को अं0 12000.00 भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में सी0ए0 द्वारा तैयार किये गये अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही पुष्टि करायी गयी यदि अभिलेख ग्राम पंचायत को प्राप्त ना हुए हो तो उसकी वसूली सी0ए0 से की जाये। इस प्रकार धन का दुरूपयोग किया गया है। (आपत्ति सं0–13)

प्रस्तर संख्या 2 :–लेखा परीक्षा में कैश बुक के अनुसार निम्न प्रकार अं0 129049.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रौल, वाउचर/बिल आदि प्रसतु नही किये गये है। जिसके अभाव में व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान एवं सचिव की है। (आपत्ति सं0–14)

माह अप्रैल 2011	3055.00	माह दिसम्बर 2011	30591.00
माह सितम्बर 2011	9540.00	माह जनवरी 2012	38350.00
माह अक्टूबर 2011	19513.00	माह फरवरी 2012	1000.00
योग –	**102049.00**		

प्रस्तर संख्या 3 :–कैश बुक के अनुसार दिनांक 17.10.2011 को छात्रवृत्ति खाते से अं0 57300.00 धनराशि का आहरण कर का भुगतान किया जाना दर्शित है। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई अतः विवरण अप्रमाणित रहा, जो गम्भीर आपत्तिजनक है। जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये। (आपत्ति सं0–15)

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–मऊ भूड़ **विकास खण्ड का नाम–पवासा**

वर्ष :– 2010–2011 से 2011–12

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–आलोच्य वर्षो में मनरेगा योजना के अन्तर्गत क्रय निर्माण सामग्री का लेखा नही रख गया है। क्रय सामग्री का स्टाक रजिस्टर बनाकर निम्नलिखित निर्माण सामग्री की स्थिति दर्शायी जानी अपेक्षित है। जिसके अभाव में क्रय सामग्री के उपभोग व अवशेष की स्थिति नहीं जानी जा सकी। (आपत्ति सं0–07 व 08)

दिनांक	क्रय सामग्री	धनराशि	अभ्युचित
21.05.10	नाला निर्माण पर सामग्री का भुगतान	28000.00	क्रय सामग्री का विवरण कैशबुक में भी नहीं है।
08.05.10	ईटं क्रय	24750.00	भट्टे का चालान नहीं है।
09.04.11	ईटं क्रय	280000.00	भट्टे का चालान नहीं है।
	योग	332750.00	

निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर न बनाने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। क्रय सामग्री का स्टाक रजिस्टर बनाकर उक्त की स्थिति दर्शायी जानी अपेक्षित है। क्रय सामग्री के दुरूपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्व समुचित कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 2 :–मनरेगा की कैशबुक में निम्नलिखित व्यय विवरण नहीं दिया गया है:–

दिनांक	धनराशि	कैशबुक में केवल अंकित विवरण
19.04.2011	2880.00	कैशबुक में केवल "भुगतान" अंकित है।
24.08.2011	4480.00	कैशबुक में "मनरेगा" भुगतान अंकित है।
योग	7360.00	

उक्त से सम्बन्धित प्रमाणक भी नही हैं। अतः दर्शित व्यय फर्जी है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मौ0 इरफान व ग्राम प्रधान श्री सुबहान शाह उत्तरदायी है। उनसे 18 प्रतिशत ब्याज सहित रू0 7360.00 की वसूली व इस प्रति उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति सं0–11)

प्रस्तर संख्या 3 :–कैशबुक में मनरेगा श्रमिकों को भुगतान मिलक कब्रिस्तान में मिट्टी कार्य हेतु दिनांक 26.07.2011 को रू0 37800.00 दिनांक 13.01.2012 को रू0 46560.00 तथा दिनांक 18.01.2012 को रू0 40500.00 एवं दि0 24.03.2012 को रू0 7560.00 किया दिखाया है। इस प्रकार एक ही कार्य हेतु चार बार अलग–अलग तिथियों में कार्य दिखाया गया है। इससे सम्बन्धित एस्टीमेट, स्कैच प्लान व मस्टर रोल नहीं पाया गया। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया। दिनांक 24.03.2012 को किया भुगतान " मिलक कब्रिस्तान में मिट्टी भराव व तारबन्दी" खर्च मस्टर रोल के आधार पर किया दिखाया गया है। तारबन्दी हेतु तार खरीद खर्च कैशबुक में नहीं दर्शित है। इससे सम्बन्धित मस्टर रोल भी नहीं है। अतः यह रू0 7560.00 मिट्टी भराव व तारबन्दी खर्च सन्देहात्मक है। विस्तृत जांच के बाद इस प्रति उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र प्रसाद व ग्राम प्रधान श्री सुबहान शाह के विरूद्व उचित कार्यवाही व दर्शित व्यय की ब्याज सहित प्रतिपूर्ति अपेक्षित है। इससे पूर्व में इसी मिट्टी कार्य को तीन बार फर्जी दिखाकर रू0 37800.0046560.00+40500.00त्र1,24,860.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए श्री मौ0 इरफान ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री सुबहान शाह ग्राम प्रधान उत्तरदायी हैं। उनसे 18 प्रतिशत ब्याज सहित रू0 1,24,800.00 की वसूली व इस प्रति उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति सं0–12)

प्रस्तर संख्या –4 :–राज्य वित्त/तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत कैशबुक में दिनांक 17.04.2010 को रू0 13900.00 का सीमेन्ट तथा दिनांक 27.04.2010 को रू0 11088.00, दिनांक 04.09.2010 को रू0 9702.00, दिनांक 18.01.2011 को रू0 64428.00, कुल रू0 85218.00 की ईटें क्रय खर्च दिखाया है। क्रय निर्माण सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया। वर्ष 2010–11 में पक्का कार्य कैशबुक के अनुसार केवल तालाब की सुरक्षा दीवार बनवाने का ही हुआ है। जिससे सम्बन्धित एस्टीमेट, नक्शा, ईट आमद के चालान आदि नहीं पाये गये। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया। अतः विस्तृत जांचोपरान्त रू0 13900.0085218.00=99118.00 के क्रय खर्च के सम्बन्ध में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरूद्व समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। दिनांक 18.01.2011 को रू0 66428.00

क्रय ईट के लिए ग्राम प्रधान श्री सुबहान शाह व मौ0 इरफान, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा इससे पूर्व सीमेन्ट व ईट क्रय पर दिखाये खर्च रू0 34690.00 के लिए श्री लईक अहमद ग्राम प्रधान व मौ0 इरफान ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है।(आपत्ति सं0–13)

प्रस्तर संख्या 5 :–वर्ष 2011–12 तेरहवां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कैशबुक में दिनांक 20.03.2012 को वर्षान्त में तसले,परात, फावड़े, कुदाल, बाल्टी आदि क्रय हेतु रू0 9000.00 का भुगतान किया दिखाया है। यही वस्तुएं लगभग एक माह पूर्व दिनांक 22.02.2012 को मनरेगा योजना के अन्तर्गत भी कैशबुक में रू0 9800.00 की क्रय की गयी दिखायी है। इन वस्तुओं को क्रय करने से पूर्व कोटेशन नहीं लिये गये थे। विक्रेता के अधिकृत बाउचर्स भी नहीं है। ग्राम पंचायत में डैड स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। अतः उक्त दर्शित क्रय खर्च रू0 9000.009800.00=18,800.00 फर्जी है। रू0 9000.00 व्यय के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री सुबहान शाह तथा रू0 9800.00 व्यय के लिए मौ0 इरफान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री सुबहान शाह ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। उनसे रू0 18800.00 की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति सं0–14)

प्रस्तर संख्या– 6 :–वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित व्यय मिड–डे–मील बनवाने पर हुआ दिखाया है। कैशबुक में व्यय का विवरण, क्रय सामान के वाउचर्स व खाद्यान्न का स्टाक रजिस्टर नहीं पाया गया। रसोईये को मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है। अतः निम्नलिखित खर्च संदिग्ध हैः–

दिनांक	**धनराशि**
08.04.2010	3000.00
07.05.2010	5000.00
02.06.2010	2500.00
14.08.2010	1400.00
18.09.2010	3700.00
03.11.2010	2000.00
	योग 17600.00

इसके प्रति तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। उनके विरूद्व कार्यवाही एवं उनसे रू017600.00 की 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति सं0–15)

प्रस्तर संख्या– 7 :–राज्य वित्त आयोग/तेरहवां वित्त आयोग से सम्बन्धित कैशबुक में स्कूल शौचालयों रंगाई पुताई पर व्यय रू0 7500.00 दिखाया है। पुताई हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री क्रय व मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाणक नहीं है। पुताई हेतु कार्य का व्यय अनुमान (एस्टीमेट) नहीं बनवाया गया था। इस कार्य हेतु विधिवत ठेका नहीं दिया गया था और न ही नियमानुसार दैनिक मजदूरी पर कार्य कराया गया था। केवल शौचालय रंगाई रंगाई पुताई पर रू0 7500.00 का खर्च मनमाना व आडिट के आंकलन के अनुसार अधिक है। किसी सक्षम अधिकारी से मूल्यांकन कराकर अधिक दर्शित व्यय की तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मौ0 इरफान व ग्राम प्रधान श्री सुबहान शाह से वसूली की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0–17)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–सदरपुर **विकास खण्ड का नाम –डिलारी**

वर्ष :– 2011–12

<u>ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ</u> :–

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्राम निधि खाता सं0–31595899133 से निम्न तिथियों में आहरित धनराशि की कैश बुक में प्रविष्टि नहीं की गयी है और न ही व्यय किया गया है। इस धनराशि का अपहरण श्री हरी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला द्वारा किया गया है:–

दिनांक	खाता सं0	आहरित धनराशि	कैशबुक में नहीं दर्ज धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
20.03.2012	31595899133	4000.00	4000.00	श्री हरी सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला
22.03.2012	—	13000.00	13000.00	
27.03.2012	——	95000.00	95000.00	
	योग	112000.00	112000.00	

उक्त धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–1)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–सिहाली **विकास खण्ड का नाम –मुरादाबाद**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–कैश बुक के अनुसार दिनांक 12.09.2011 को मै0 कपिल कुमार सी0ए0 को अं0 12000.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में सी0ए0 द्वारा तैयार किये गये अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये और न ही पुष्टि करायी गयी यदि अभिलेख ग्राम पंचायत को प्राप्त न हुए होतो उसकी वसूली सी0ए0 से की जाये। इस प्रकार धन का दुरूपयोग किया गया है। (सा0आ0सं0 14)

प्रस्तर संख्या–2 :–लेखा परीक्षा वर्ष में कैशबुक के अनुसार निम्न प्रकार अंकन रू0 159547.00 व्यय किया गया है, जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके अभाव में व्यये की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान/सचिव की है। (सा0आं0 सं0 15)

माह अप्रैल 2011	9800.00
माह जून 2011	63513.00
माह जुलाई 2011	20029.00
माह अगस्त 2011	10339.00
माह अक्टूबर 2011	10260.00
माह नवम्बर 2011	19846.00
माह जनवरी 2012	2000.00
माह फरवरी 2012	19200.00
माह मार्च 2012	4560.00
योग	**159547.00**

प्रस्तर संख्या–3 :–निम्नलिखित तिथियों में कैशबुक के अनुसारछात्रवृत्ति खाते से धनराशि का आहरण कर भुगतान किया जाना दर्शित है। छात्रवृत्ति वितरण की पुष्टि में स्कूलवार वितरण पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः वितरण अप्रमाणित रहा जो गम्भीर आपत्तिजनक है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाये। (सा0आं0सं0 16)

दिनांक 01.11.11	17400.00
दिनांक 02.11.11	18900.00
दिनांक 22.11.11	45360.00
दिनांक 04.02.12	78180.00
योग	**159840.00**

जनपद का नाम :– मुरादाबाद मण्डल का नाम :–मुरादाबाद
ग्राम पंचायत का नाम :–शाहपुरमुस्तहकम **विकास खण्ड का नाम –मुरादाबाद**
वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–कैश बुक के अनुसार दिनांक 02.09.2011 को मै0 कपिल कुमार सी0ए0 को अं0 12000.00 का भुगतान किया है। लेखा परीक्षा में सी0ए0 द्वारा तैयार किये गये अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये और न ही पुष्टि करायी गयी यदि अभिलेख ग्राम पंचायत को प्राप्त न हुए हो तो उसकी वसूली सी0ए0 से की जाये। इस प्रकार धन का दुरूपयोग किया गया है। (सा0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या–2 :– दिनांक 23.06.2011 को अं0 15000.00 का भुगतान चैक द्वारा ह्यूम पाईप व ठेली क्रय के सम्बन्ध में किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण कितनी धन राशि की ठेली एवं कितने का ह्यूम पाईप क्रय किया गया है, अप्रमाणित रहा। ठेली क्रय को डैड स्टाक पंजिका में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार गम्भीर अनियमितता की गई है। (सा0आ0सं0 17)

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 08.04.2011 को अं0 8100.00 ईट क्रय नकद भुगतान दर्शाया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है। अतः धन का अपहरण किया गया है।(सा0आ0सं0 18)

प्रस्तर संख्या–4 :–छात्रवृत्ति कैश बुक के अनुसार दिनांक 28.10.2011 को अं0 9300.00 छात्रवृत्ति की धनराशि प्रधान द्वारा हस्तगत रखी गयी । जिसे दिनांक 31. 03.2012 तक न तो वितरित किया गया और ना ही बैंक में वापस जमा किया गया। उक्त धनराशि को दिनांक 23.11.2012 को बैंक के छात्रवृत्ति खाते में जमा किया गया है। इस प्रकार लगभग 13 माह तक निजी प्रयोग में कर अं0 9300.00 दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार प्रधान से नियमानुसार तातारीख ब्याज की वसूली की जाये। *(सा0आं0सं0 19)*

जनपद का नाम :–सम्भल **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–पवांसा **विकास खण्ड का नाम – पवांसा**

वर्ष :–2010–11 से 2011–12

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–वर्ष 2010–11 व 2011–12 में कोषबही में हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नलिखित विवरणनुसार व्यय दिखाया है जिसकी पुष्टि में कोई प्रमाणक नहीं है। किस स्थान पर लगे हुये हैण्डपम्प की मरम्मत करायी गयी है। उसका लोकेशन नहीं दर्शाया गया है। अतः हैण्डपम्प मरम्मत दर्शित व्यय फर्जी है–

वर्ष 2010–11

दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति
22.04.2010	670.00	–
27.04.2010	650.00	–
03.07.2010	1000.00	–
12.07.2010	1050.00	कोष बही में अपर लेखन करके 1000.00 को रू0 1050.00 बनाया गया है।
12.07.2010	750.00	–
20.07.2010	400.00	–
24.07.2010	920.00	कोष बही में अपर लेखन करके रू0 720.00 को रू0 920.00 बनाया गया है।
योग	**5440.00**	
वर्ष 2011–12		
11.04.2011	2250.00	–
13.06.2011	23012.00	–
17.06.2011	1900.00	–
09.09.2011	1440.00	–
योग	**28602.00**	–
कुल योग	**34042.00**	–

उक्त दर्शित व्यय रू0 34042.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर फर्जी दिखाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण किया गया है, जिनके दायित्व का निर्धारण कर 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आं0सं0 19)

प्रस्तर संख्या–2 :–दिनांक 13.05.2010 को रू0 1550.00 तथा दिनांक 28.03.2011 रू0 1550.00 कुल रू0 3100.00 ग्राम पंचायत पत्रिका पर धनराशि व्यय दिखायी है। जिससे सम्बन्धित कोई प्रमाणक नहीं पाया गया। कोष बही में अंकित व्ययके भुगतान का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। लेखा परीक्षा में पत्रिका की सम्बन्धित प्रतियां भी नहीं देखने को मिलीं। अतः उक्त दर्शित रू0 3100.00 का व्यय संदिग्ध है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान उत्तरदायित्व है। जांचोपरान्त उनसे इस संदिग्ध व्यय की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 20)

प्रस्तर संख्या–3 :–दिनांक 10.06.2010 को कोषबही में रू0 8000.00 ग्राम पंचायत नारे पेन्टिग पर व्यय दिखाया हैं जिससे सम्बन्धित कोटेशन पेन्टर से नहीं लिये गये थे। पेन्टिग कराया दिखाये गये व्ययकी पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में नारे व उनके पेन्ट कराये जाने हेतु विभागीय आदेश अथवा निर्देश भी नहीं देखने को मिले। नारे किन–किन स्थानों पर पेन्ट करवाये गये थे उसका विवरण अथवा दीवारों पर पेन्ट कराये जाने के प्रमाण में उनके फोटोग्राफी भी नहीं पाये गये। अतः दर्शित व्यय संदिग्ध है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। जांचोपरान्त उनसे इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आं0सं0 21)

प्रस्तर संख्या–4 :–कोषबही में दिनांक 22.06.2010 को स्टेशनरी/फोटोस्टेट पर व्यय" रू0 800.00 दिखाया है। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई वाउचर नहीं है तथा स्टेशनरी क्रय व फोटोस्टेट करायी खर्च का विवरण भी अलग–अलग नहीं दिखाया गया है। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 'क' के अनुसार प्रमाणक रहित व्यय अपहरण के अन्तर्गत आते है। अतः उक्त दिखाये व्यय रू0 800.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ की जानी अपेक्षित है। इस प्रति उनके विरूद्व समुचित कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 22)

प्रस्तर संख्या–5 :–कोष बही में रू0 950.00 दिनांक 05.07.2010 को ग्राम पंचायत सफाई रिक्शा मरम्मत पर व्यय दिखाया है। मरम्मत खर्च की पुष्टि में अधिकृत प्रमाणक नहीं है। अन्य मरम्मत कर्ताओं से दरें भी नहीं ली गयीं थीं। अतः प्रमाणक के अभाव में दर्शित व्यय काल्पनिक है। जिसकी वसूली उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा0आं0सं0 23)

प्रस्तर संख्या–6 :–निम्नलिखित व्यय मिड –डे–मील बनाने पर किया गया कोषबही में दिखाया है:–

दिनांक	धनराशि
26.04.2010	7,600.00
04.05.2010	12,800.00
08.06.2010	13,500.00
12.07.2010	2700.00
03.08.2010	14,000.00
06.09.2010	18,300.00
15.10.2010	13,600.00
12.11.2010	10,500.00
योग	**93,000.00**

उक्त दर्शित व्यय का अलग–अलग विवरण नहीं है और न ही व्यय की पुष्टि में प्रमाणक है। मिड–डे–मील की क्रय सामाग्री का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। कोष बही में केवल मिड–डे–मील बनाने पर खर्च लिखा है। जिससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक न होना धन का गोलमाल किया जाना प्रकट

करता है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। साथ ही विस्तृत जांच के पश्चात् उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से 18 प्रतिशत ब्याज सहित रू0 93000.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 24)

प्रस्तर संख्या–7 :–वर्ष 2011–12 में दिनांक 31.05.2011 को कोषबही में "ग्राम पंचायत कार्य हेतु फावड़ा आदि पर व्यय" रू0 2423.00 दिखाया है। क्रय समान की पुष्टि में प्रमाणक नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत में डैड स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है। क्या–क्या सामान क्रय किया गया था इसका कोई विवरण कोशबही में नहीं अंकित किया गया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि मजदूर फावड़ा आदि अपने साथ निजी का लाते हैं। आडिट के समय क्रय सामान का प्रमाणक व अन्य कोई विवरण न उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त रू0 2423.00 का दिखाया व्यय फर्जी है। जिसके लिए श्री मौ0इरफान ग्राम पंचायत अधिकारी व श्रीमती राजबाला ग्राम प्रधान दोषी है। उनके विरूद्व उचित कार्यवाही एवं ब्याज सहित इस धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 25)

प्रस्तर संख्या–8 :–दिनांक 05.11.2011 को कोषबही में रू0 5500.00 हैण्डपम्प/ग्राम पंचायत सफाई रिक्शा मरम्मत पर व्यय दिखाया है। कोषबही में इस व्यय का पहले कुछ और विवरण लिखा गया था। जिसे बाद में काटकर उक्त मरम्मत व्यय लिखा गया है। हैण्डपम्प व सफाई रिक्शा मरम्मत व्यय का वाउचर नहीं है। दोनों के मरम्मतकर्ता अलग–अलग होते है। दोनों मरम्मत खर्च एक साथ दिखाया जाना पहले व्यय की मद कुछ और तथा बाद में कुछ और दिखाया जाना तथा व्यय का वाउचर न होना, खर्च मनमाना व फर्जी होना प्रकट करता है। जिसके लिए श्री मौ0 इरफान ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती राजबाला दोषी है। उनके विरूद्व इस प्रति उचित कार्यवाही एवं उनसे 18 प्रतिशत ब्याज सहित रू0 5500.00 की वसूली अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 26)

प्रस्तर संख्या–9 :–कैशबुक में दिनांक 12.11.2011 को रू0 10000.00 एस्टीमेट बनवाने पर व्यय किया दिखाया है तथा इसका भुगतान चैक द्वारा श्री रामसरन यादव टी0ए0 को किया गया है। लेखा परीक्षा में धन प्राप्ति स्वीकृति रसीद नहीं पायी गयी। एस्टीमेट बनवायी खर्च रू0 10000.00 का भुगतान मनमाने तरीके से किया गया है। यह भुगतान किस आधार पर किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं पाये गये। जांचोपरान्त इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही एवं धन प्राप्ति स्वीकृति रसीद के अभाव में इस धनराशि की तातारीख 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। चैक एकाउन्ट पेई था बियरर इस तथ्य की बैंक से छानबीन की जानी भी आवश्यक हैं। इसके पश्चात् ही ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाये तथा इस प्रति कार्यवाही की जाये। (सा0आं0सं0 27)

प्रस्तर संख्या–10 :–वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित भुगतान ट्रेक्टर ट्राली द्वारा मिट्टी ढुलाई खर्च हेतु किया दिखाया हैं जबकि मोटर चालित यंत्र द्वारा कार्य कराया जाना वर्जित है। यह कार्य यदि बैलगाड़ी से कराया जाता तब क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त रोजगार मिलता:–

दिनांक	ट्रेक्टर ट्राली द्वारा ढुलाई पर व्यय
माह मई 2011	19,200.00
माह मई 2011	5,500.00

माह अगस्त 2011	10,800.00
माह अगस्त 2011	22,400.00
माह नवम्बर 2011	28,800.00
योग	**86,700.00**

यह भुगतान नकद किया गया है। पुष्टि हेतु ट्रेक्टर की पंजीकरण संख्या का कहीं उल्लेख नहीं पाया गया। धनप्राप्ति रसीद भी ट्रेक्टर मालिक की नहीं पायी गयी। अतः दर्शित व्यय फर्जी भी है। इस प्रति ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मौ0 इरफान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राजबाला उत्तरदायी है। इस धनराशि की 18 प्रतिशत ब्याज सहित उनसे वसूली की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 28)

प्रस्तर संख्या–11 :–दिनांक 30.05.2011 को कैशबुक में रू0 2160.00 ग्राम पंचायत की खुली बैठक पर व्यय दिखाया है। व्यय का न तो विवरण दिया गया है और न ही व्यय से सम्बन्धित वाउचर्स पाये गये। कैशबुक में खुली बैठक में हुये व्यय की मदें न दर्शाया जाना व्यय का अनुचित होना प्रकट करता है। तथा बाउचर्स के अभाव में यह व्यय फर्जी है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। इस प्रति उचित कार्यवाही व उनसे धन की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0 29)

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–चिरौली भगवन्तपुर **विकास खण्ड का नाम –पवांसा**

वर्ष :–2010–11 व 2011–12

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–</u>

प्रस्तर संख्या–1 (क):–ग्राम निधि–1 की कैशबुक में दिनांक 18.10.2011 को मिट्टी कार्य हीरा लाल के मकान से रामफल के मकान तक कराने का खर्च रू0 7080.00 दिखाया है। पुनः यही खर्च दिनांक 02.11.2011 को रू0 2,250.00 तथा दिनांक 14.11.2011 को रू0 4290.00 व दिनांक 25.11.2011 को रू0 2450.00 दिखाया है। इस प्रकार एक ही कार्य को लगभग 5 सप्ताह की अवधि में 4 बार किया गया दिखाया है। मास्टर रोल किसी भी भुगतान से सम्बन्धित नही है। एक ही कराये कार्य को तीनबार दिखाकर रू0 2250.00, 4290.00, 2450.00=8990.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान है। उनके विरूद्व कार्यवाही एवं उनसे रू0 8990.00 की 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (सा0आं0सं0–20)

(ख) दिनांक 18.10.2011 को उक्त मिट्टी कार्य पर दर्शित व्यय रू0 7080.00 की पुष्टि में खर्च का एस्टीमेट,स्कैच प्लान व मस्टर रोल न होने के कारण सन्दिग्ध है। इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री कैलाश ग्राम प्रधान के विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0–20)

प्रस्तर संख्या–2:–ग्राम निधि–1 की कैशबुक में दिनांक 18.10.2011 को स्कूल से यादराम के मकान तक मिट्टी कार्य करायी खर्च रू0 7080.00 दिखाया है। पुनः इसी कार्य हेतु दिनांक 14.11.2011 को भी रू0 7080.00 भुगतान दिखाकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। उक्त खर्च से सम्बन्धित एस्टीमेट, मस्टर रोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। अतः दिनांक 18.11.2011 को दर्शित व्यय की विस्तृत जॉच कर उचित कार्यवाही एवं दिनांक 14.11.11 को पुनः दर्शित व्यय रू0 7080.00

की तातारीख 18 प्रतिशत ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान से वसूली व उनके विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0–21)

प्रस्तर संख्या–3:–वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत व उसके सामान पर खर्च कैशबुक में दिखाया हैं:–

दिनांक	धनराशि	अभ्युक्ति	उत्तरदायी व्यक्ति
01.10.2011	9,500.00	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	श्री प्रमोद कुमार ग्रा0पं0अ0 व श्री कैलाश ग्राम प्रधान
08.10.2011	5000.00	हैण्डपम्प सामग्री मरम्मत	"
01.12.2011	1,4600.00	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्रा0पं0अ0 व श्रीमतीसन्तोष कुमारी ग्राम प्रधान
28.12.2011	600.00	हैण्डपम्प मरम्मत लेबर	"
28.02.2012	9,110.00	हैण्डपम्प सामग्री क्रय	"
31.03.2012	2,800.00	हैण्डपम्प मिस्त्री भुगतान कैशबुक में पहले रू0 2500.00 लिखा था बाद में ओवर राइटिंग करके 2800.00 बनाया गया हैं।	"
योग	41,610.00		

हैण्डपम्प सामग्री क्रय व मरम्मत खर्च के प्रमाणक नहीं है। जिन हैण्ड पम्प की मरम्मत पर खर्च किया गया है उनकी लोकेशन, वास्तव में नल खराब होने के प्रमाण, व्यय का एस्टीमेट आदि भी नही पाया गया। दिनांक 31.03.2012 के दिखाये व्यय पर तो कैशबुक में धनराशि पर ओवर राइटिंग करके दर्शित खर्च को और बढ़ाकर दिखाया है।इन तथ्यों से स्पष्ट है कि नल मरम्मत खर्च रू0 41610.00 फर्जी दिखाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा धन का अपहरण किया गया है जिस प्रति उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही व उनसे 18 प्रतिशत ब्याज सहित रू0 41610.00 की वसूली की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0–22)

प्रस्तर संख्या–4:–कैशबुक में दिनांक 05.10.2011 को ठेली मरम्मत व्यय रू0 4000.00 दिखाया है। दिनांक 21.10.2011 को पुनः 15 दिन बाद ठेली मरम्मत खर्च रू0 1850.00 दिखाया है। ठेली मरम्मत कराने से पहले मरम्मत कर्ताओं से कोटेशन नहीं लिये गये थे। उक्त दर्शित व्यय के वाउचर्स भी नहीं पाये गये। एकबार रू0 4000.00 खर्च करने के बाद 15 दिन बाद पुनः रू0 1850.00 खर्च फर्जी दिखाया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र प्रसाद व तत्कालीन ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है। तथा रू0 4000.00 प्रमाणक विहीन दर्शित व्यय के सम्बन्ध में भी जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0–23)

प्रस्तर संख्या–5:–कैश बुक में दिनांक 01.10.2011 को रू0 13500.00 कुर्सी, मेज आदि क्रय तथा दिनांक 08.10.2011 को रू0 5000.00 का फावड़े, कुदाल, परात आदि क्रय खर्च दिखाया है। उक्त सामान क्रय कराने से पहले कोटेशन नहीं लिये गये थे। लेखा परीक्षा में प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किये गये। डैड स्टॉक रजिस्टर में क्रय किये गये सामान की प्रविष्टियॉ भी नहीं की गई हैं।क्रय किये गये उक्त सामान का पूर्ण विवरण भी कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया। अतः रू0 13500+5000=18500.00 का व्यय फर्जी दर्शाया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व श्री कैलाश ग्राम प्रधान से 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0–24)

प्रस्तर संख्या–6:– दिनांक 31.03.2012 को कैशबुक में मिड–डे–मील हेतु रू0 2780.00 के बर्तन क्रय खर्च दिखाया है। मिड–डे–मील योजना का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपितु माह दिसम्बर, 2012 में विद्यालय प्रधान अध्यापक व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। उक्त खर्च का वाउचर भी नहीं है। क्रय किये दिखाये बर्तनों का विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत में डैड स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। स्पष्ट है कि फर्जी बर्तन खरीद खर्च दिखाकर श्री जितेन्द्र प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी व श्रीमती सन्तोष कुमारी ग्राम प्रधान द्वारा रू0 2780.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी उनसे 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली व इस प्रति उनके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आं0सं0–25)

प्रस्तर संख्या–7:–दिनांक 18.03.2011 को कैशबुक में रू0 1550.00 "साक्षी टुडे" हिन्दी मासिक पत्रिका में शुभकामना सन्देश प्रकाशित कराने का खर्च दिखाया है। जिससे सम्बन्धित बिल नम्बर 1069 दिनांक 28.03.2011 का है जबकि कैशबुक में व्यय दिनांक 18.03.2011 को 10 दिन पूर्व में खर्च दिखाया हुआ है। ग्राम पंचायत में भुगतान प्राप्ती स्वीकृति रसीद नहीं पायी गयी और न ही विज्ञापन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया आर्डर/आवेदन ही पाया गया। बिल के साथ जिस पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित हुआ उसकी प्रति संलग्न नहीं है। बरेली नगर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका में ग्राम पंचायत चिरौली भगवन्तपुर का शुभकामना सन्देश प्रकाशित कराने का कोई औचित्य नहीं था। अतः यह ग्राम पंचायत के धन का दुरूपयोग हुआ है। जिसकी प्रतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व तत्कालीन प्रधान से की जानी अपेक्षित है।(सा0आं0सं0–26)

प्रस्तर संख्या–8:–ओलोच्य वर्ष 2010–11में कैशबुक में मिड–डे–मील बनवाने पर निम्नलिखित व्यय किया दिखाया गया है। व्यय का तो विवरण दिया गया है और न ही व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक पाया गया –

दिनांक	धनराशि	अभ्युचित
03.04.2010	12000.00	–
31.05.2010	28000.00	प्राइमरी स्कूल चिरौली
10.08.2010	14000.00	–
06.09.2010	13400.00	–
योग	**67400.00**	

उक्त मिड–डे–मील बनवाने हेतु व्यय का मदवार विवरण न होने, ईधन खर्च व रसोइये के मानदेय भुगतान का प्रमाण न होने, क्रय खाद्यान्न का स्टॉक लेखा न होने, जिन बच्चों ने भोजन किया उनका कोई हिसाब न होने तथा व्यय के वाउचर्स न होने के कारण उक्त दर्शित व्यय फर्जी हैं। जिसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व ग्राम प्रधान श्री कैलाश से तातारीख ब्याज सहित की जानी व इस प्रति उनके विरूद्व समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय–8 'क' के अनुसार प्रमाणक रहित व्यय अपहरण के अन्तर्गत आते है। (सा0आं0सं0–27)

जनपद का नाम :– सम्भल मण्डल का नाम :– मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम :–महोरा लखूपुरा विकास खण्ड का नाम – पवांसा

वर्ष :– 2010–2011, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 31.07.2010 को कैशबुक में रू0 3000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। कैशबुक में मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प का स्थान अंकित नहीं है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सकता कि किस स्थान पर लगे हैण्ड पम्प की मरम्मत पर खर्च किया गया है। मरम्मत खर्च का कोई एस्टीमेट नहीं पाया गया तथा मरम्मतकर्ताओं से कुटेशन भी नहीं लिया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक नहीं है। अतः उक्त व्यय फर्जी दिखाकर रू0 3000.00 का श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री ओमकार सिंह ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी उनसे तातारीख 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली व इस इस प्रति उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–23)

प्रस्तर संख्या–2:–अलोच्य वर्ष 2010–11 के कैशबुक में मिड–डे–मिल बनवाने पर निम्नलिखित व्यय किया दिखाया है।

दिनांक	धनराशि
03.04.2010	4000.00
02.05.2010	5000.00
04.06.2010	5000.00
03.08.2010	5000.00
07.09.2010	4000.00
01.10.2010	4000.00
02.11.2010	3100.00
योग	**30100.00**

उक्त व्यय का न तो विवरण दिया गया है और न ही व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक पाया गया। मिड–डे–मील बनवाने हेतु व्यय का मदवार विवरण न होने, ईधन खर्च व रसोईये के मानदेय भुगतान का प्रमाण न होने, क्रय खाद्यान्न का लेखा न होने,जिन छात्र ने भोजन किया उनका कोई हिसाब न होने तथा व्यय के वाउचर्स न होने के कारण उक्त दर्शित व्यय फर्जी है। जिसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह से तातारीख 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जानी व उनके विरूद्व समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–24)

प्रस्तर संख्या–3:–कैशबुक में दिनांक 01.07.2010 को रू0 8000.00 तथा दिनांक 07.09.2010 को रू0 12000.00 का सी0ए0 को आडिट का भुगतान दिखाया है। इस प्रकार कुल रू0 20000.00 सी0ए0 को भुगतान किये गये। भुगतान का विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है और न हीजिस अवधि से यह भुगतान सम्बन्धित है, उसका कोई विवरण दिया है। रू0 20,000.00 के भुगतान का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है। उक्त भुगतान की पुष्टि में सी0ए0 की धन प्राप्ती स्वीकृति रसीद भी आडिट में अप्राप्त रही। अतः यह

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :–कूरी रवाना **विकास खण्ड का नाम – छजलैट**
वर्ष :– 2010–2011, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्राम पंचायत कूरी रवाना में निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते से धनराशि निकाल कर कैश बुक में एन्ट्री न करने तथा व्यय न करके तथा कार्य पूर्ति न बना करके अपहरण किया है–

दिनांक	धनराशि	चैक संख्या	खाता संख्या	जिम्मेदार व्यक्ति
03.04.2010	20000.00	980068	1542	पूर्व प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह, सचिव श्री जयपाल सिंह
06.04.2010	5000.00	980822		
06.04.2010	5000.00	980824		
06.04.2010	5000.00	980825		
06.04.2010	5000.00	980826		
06.04.2010	5000.00	980062		
07.04.2010	5000.00	980829		
07.04.2010	5000.00	980830		
07.04.2010	5000.00	–		
07.04.2010	5000.00	980827		
07.04.2010	5000.00	980828		
09.04.2010	5000.00	980762		
09.04.2010	5000.00	980764		
09.04.2010	5000.00	980763		
12.04.2010	10000.00	980770		
16.04.2010	5000.00	980768		
17.04.2010	5000.00	980767		
17.04.2010	5000.00	980765		
19.04.2010	49500.00	980821		
19.04.2010	29250.00	980823		
20.04.2010	5000.00	980769		
20.04.2010	5000.00	980069		
20.04.2010	5000.00	980921		
22.04.2010	10000.00	980923		
23.04.2010	22500.00	980766		
23.04.2010	5000.00	980070		
24.04.2010	5000.00	980926		
24.04.2010	10000.00	980925		
26.04.2010	5000.00	980924		
02.07.2010	2000.00	980927		
23.07.2010	1500.00	284351		
योग	**264750.00**			

उक्त धनराशि को विकास के कार्य में न लगाकर अपहरण किया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री चन्द्रपाल तथा सचिव श्री जयपाल सिंह से ब्याज सहित की जाये। तथा उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–1)

जनपद का नाम :– सम्भल मण्डल का नाम :– मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम :–महोरा लखूपुरा विकास खण्ड का नाम – पवांसा

वर्ष :– 2010–2011, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–दिनांक 31.07.2010 को कैशबुक में रू0 3000.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। कैशबुक में मरम्मत कराये गये हैण्ड पम्प का स्थान अंकित नहीं है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सकता कि किस स्थान पर लगे हैण्ड पम्प की मरम्मत पर खर्च किया गया है। मरम्मत खर्च का कोई एस्टीमेट नहीं पाया गया तथा मरम्मतकर्ताओं से कुटेशन भी नहीं लिया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक नहीं है। अतः उक्त व्यय फर्जी दिखाकर रू0 3000.00 का श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री ओमकार सिंह ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है। जिसकी उनसे तातारीख 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली व इस इस प्रति उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–23)

प्रस्तर संख्या–2:–अलोच्य वर्ष 2010–11 के कैशबुक में मिड–डे–मिल बनवाने पर निम्नलिखित व्यय किया दिखाया है।

दिनांक	धनराशि
03.04.2010	4000.00
02.05.2010	5000.00
04.06.2010	5000.00
03.08.2010	5000.00
07.09.2010	4000.00
01.10.2010	4000.00
02.11.2010	3100.00
योग	**30100.00**

उक्त व्यय का न तो विवरण दिया गया है और न ही व्यय की पुष्टि में सम्बन्धित प्रमाणक पाया गया। मिड–डे–मील बनवाने हेतु व्यय का मदवार विवरण न होने, ईधन खर्च व रसोईये के मानदेय भुगतान का प्रमाण न होने, क्रय खाद्यान्न का लेखा न होने,जिन छात्र ने भोजन किया उनका कोई हिसाब न होने तथा व्यय के वाउचर्स न होने के कारण उक्त दर्शित व्यय फर्जी है। जिसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह से तातारीख 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जानी व उनके विरूद्व समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–24)

प्रस्तर संख्या–3:–कैशबुक में दिनांक 01.07.2010 को रू0 8000.00 तथा दिनांक 07.09.2010 को रू0 12000.00 का सी0ए0 को आडिट का भुगतान दिखाया है। इस प्रकार कुल रू0 20000.00 सी0ए0 को भुगतान किये गये। भुगतान का विवरण कैशबुक में नहीं दिया गया है और न हीजिस अवधि से यह भुगतान सम्बन्धित है, उसका कोई विवरण दिया है। रू0 20,000.00 के भुगतान का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है। उक्त भुगतान की पुष्टि में सी0ए0 की धन प्राप्ती स्वीकृति रसीद भी आडिट में अप्राप्त रही। अतः यह

भुगतान संदिग्ध हैं। जांचोपरान्त इस सम्बन्ध में प्रमाणक प्राप्त कर पुष्टि कराई जाये अन्यथा इस धनराशि की ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह से वसूली की जाये। (सा0आ0सं0–25)

प्रस्तर संख्या–4:–कैशबुक में दिनांक 13.05.2010 को रू0 1550.00 व दिनांक 24.03.2011 को भी रू0 1550.00 ग्राम पंचायत पत्रिका पर व्यय दिखाया है। लेखा परीक्षा में "साक्षी टुडे" हिन्दी मासिक पत्रिका का क्रमशः बिल संख्या–1068 व बिल संख्या–119 पाया गया।बिल के अनुसार उक्त मासिक पत्रिका में शुभकामना सन्देश प्रकाशित कराया गया था। उक्त पत्रिका का कार्यालय बरेली में है बरेली से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका में शुभकामना सन्देश छपवाने का औचित्य नहीं था। इस हेतु विभागीय निर्देश भी नहीं पाया गया। बिल के साथ पत्रिका की प्रति संलग्न नहीं है। जिससे शुभकामना सन्देश प्रकाशित होने की पुष्टि न हो सकी। आडिट में धनकी प्राप्ती रसीद देखने को नहीं मिली। अतः दर्शित व्यय मनमाना व अनुचित है। जिसके लिये श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी व श्री ओमकार सिंह ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। उनसे इस व्यय रू0 1550 एवं 1550 कुल रू0 3100.00 की प्रति पूर्ति की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–26)

प्रस्तर संख्या–5:–दिनांक 31.07.2010 को कैशबुक में रू0 29000.00 की ईट मै0 जय शंकर ब्रिक्स वर्क्स वहजोई रोड बवेना से सेल्स इनवाइस संख्या 14 द्वारा क्रय की गई थी। प्रमाणिक पर तिथि अंकित नहीं है। साथ ही प्रमाणक के साथ चालान भी नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय संदिग्ध है। इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह के विरूद्व समुचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–27)

प्रस्तर संख्या–6:–कैशबुक में दिनांक 04.03.2011 को ट्रेक्टर ट्राली द्वारा 46 ट्राली मिट्टी दर रू0 300.0 प्रति ट्राली के हिसाब से रू0 13800.00 ढुलाई खर्च दिखाया है। जिसकी पुष्टि में वाउचर नहीं है। ट्रेक्टर का नं0 भी कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में मोटर चालित यंयत्र का प्रयोग वर्जित है। ट्रेक्टर ट्राली से मिट्टी ढ़ुलवाने के कारण रोजगार/ मानव दिवसों की क्षति हुई है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार व ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में उनके विरूद्व समुचित कार्यवाही एवं दिखाये गये व्यय कीपतिपूर्ति कराई जानी अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–28)

प्रस्तर संख्या–7 :–वर्ष 2010–11 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यय किया गया है:–

दिनांक	विवरण	धनराशि
13.09.2010	नर्सरी से गांव तक ढुलाई	200.00
13.09.2010	रखवाली हेतु पिलर स्थापना हेतु बजरफुट व सीमेन्ट खरीद	12000.00
13.09.2010	50 पिलर, 75 किलोग्राम तार व गेट खरीद	27400.00
12.10.2010	प्रभागीय निर्देशक को 250 पेड़ो का भुगतान	1500.00
02.11.2010	वृक्षारोपण हेतु पेड़ खरीद	100.00
02.112010	बजरफुट बजरी खरीद	620.00
02.11.2010	चारों ओर सीमेन्ट के पिलर लगाई मजदूरी	6300.00
02.11.2010	वृक्षारोपण रखवाली, निराई–गुढ़ाई व पानी लगाने वाले श्रमिकों को	3000.00
11.12.2010	पिलर ढुलाई मजदूरी	350.00
23.11.2010	ताराबन्दी कार्य हेतु सीमेन्ट व बजरफुट	2600.00
23.12.2010	वृक्षारोपण निराई–गुड़ाई व रखवाली कार्य की मजदूरी	6000.00
30.12.2010	तार पिलर का भुगतान	1580.00
13.01.2011	ताराबन्दी वृक्षारोपण गेट हेतु ईट खरीद	1274.00
07.03.2011	वृक्षारोपण पर सिंचाई, निराई व रखवाली मजदूरी	3000.00
	योग	**65924.00**

उक्त व्यय से सम्बन्धित वाउचर्स आडिट में नहीं देखने को मिले। वृक्षारोपण हेतु किये गये व्यय से सम्बन्धित बजट प्रावधान, एस्टीमेट व कार्य पूर्ति होने के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। लगवाये गये वृक्ष ग्राम पंचायत की सम्पत्ति हैं। किन्तु इससे सम्बन्धित कोई लेखा ग्राम पंचायत में नहीं रखा गया है।कितने व किस–किस किस्म के वृक्षों के लगाने पर उक्त व्यय किया गया, इसका कोई विवरण नहीं पाया गया। वाउचर्स के अभाव में वृक्षारोपण पर दिखाया गया व्यय संदिग्ध है। उक्त पेड़ों की लगाई, चौकीदारी व उनके चारों ओर पिलर लगाकर तारबन्दी करायी दिखायी खर्च मनमाना व प्रमाणक रहित है। उक्त लगाये वृक्षों पर हुये व्यय व वर्तमान में पेड़ों की स्थिति की विस्तृत जांच कराते हुये उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरूद्व कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–29)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–रसूलपुर चौहरा **विकास खण्ड का नाम – छजलैट**

वर्ष :– 2010–2011, 2011–12

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ</u> :–

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्राम पंचायत रसूलपुर चौराहा में निम्न तिथियों में छात्रवृत्ति खाते से धनराशि निकाल कर वितरित न करके अपहरण किया है।

दिनांक	धनराशि	खाता संख्या	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम
30.10.2010	59700.00	5141	प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह, तथा सचिव श्री कैलाश,
30.10.2010	14400.00	5141	

उक्त तिथियों में खाते से धनराशि निकालने पर प्रतिबन्ध था क्योंकि नवनियुक्त प्रधान शपथ ग्रहण करने वाले थे बैंक के साठं–गांठ करके छात्रवृत्ति की धनराशि का अपहरण किया गया है। किसी भी स्कूल में उक्त धनराशि को छात्रों में वितरित नहीं किया गया है। जिसकी वसूली पूर्व प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह तथा सचिव श्री कैलाश से ब्याज सहित की जाये उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–1)

प्रस्तर संख्या–2 :– ग्राम पंचायत रसूलपर चौराहा में निम्न तिथियों में व्यय की गयी धनराशि के न तो बाउचर पाये गये न कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अतः व्यय की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है–

दिनांक	धनराशि	बाउचर संख्या	मद का नाम जिसके बाउचर नहीं पाये गये न ही कार्य पूर्ति पायी गयी अतः व्यय की गयी धनराशि फर्जी दिखाकर अपहरण किया गया है।
05.04.2010	650.00		स्टेशनरी क्रय दिखाकर गबन
29.04.2010	10400.00		कब्रिस्तान में मिट्टी कार्य दिखाकर गबन
29.04.2010	15600.00		M.R.अप्राप्त
30.04.2010	1950.00		नलमरम्मत दिखाकर गबन
14.05.2010	1600.00		नलमरम्मत दिखाकर गबन
योग	**30200.00**		

उक्त व्यय फर्जी दिखाकर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान, श्री चन्द्रपाल सिंह तथा सचिव, श्री कैलाश से ब्याज सहित की जाये।(वि0प्रति0सं0–2)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :–कूरी रवाना **विकास खण्ड का नाम – छजलैट**
वर्ष :– 2010–2011, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–ग्राम पंचायत कूरी रवाना में निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते से धनराशि निकाल कर कैश बुक में एन्ट्री न करने तथा व्यय न करके तथा कार्य पूर्ति न बना करके अपहरण किया है–

दिनांक	धनराशि	चैक संख्या	खाता संख्या	जिम्मेदार व्यक्ति
03.04.2010	20000.00	980068	1542	पूर्व प्रधान श्री चन्द्रपाल सिंह, सचिव श्री जयपाल सिंह
06.04.2010	5000.00	980822		
06.04.2010	5000.00	980824		
06.04.2010	5000.00	980825		
06.04.2010	5000.00	980826		
06.04.2010	5000.00	980062		
07.04.2010	5000.00	980829		
07.04.2010	5000.00	980830		
07.04.2010	5000.00	–		
07.04.2010	5000.00	980827		
07.04.2010	5000.00	980828		
09.04.2010	5000.00	980762		
09.04.2010	5000.00	980764		
09.04.2010	5000.00	980763		
12.04.2010	10000.00	980770		
16.04.2010	5000.00	980768		
17.04.2010	5000.00	980767		
17.04.2010	5000.00	980765		
19.04.2010	49500.00	980821		
19.04.2010	29250.00	980823		
20.04.2010	5000.00	980769		
20.04.2010	5000.00	980069		
20.04.2010	5000.00	980921		
22.04.2010	10000.00	980923		
23.04.2010	22500.00	980766		
23.04.2010	5000.00	980070		
24.04.2010	5000.00	980926		
24.04.2010	10000.00	980925		
26.04.2010	5000.00	980924		
02.07.2010	2000.00	980927		
23.07.2010	1500.00	284351		
योग	**264750.00**			

उक्त धनराशि को विकास के कार्य में न लगाकर अपहरण किया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री चन्द्रपाल तथा सचिव श्री जयपाल सिंह से ब्याज सहित की जाये। तथा उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–1)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– ईलर **विकास खण्ड का नाम – डिलारी**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–छात्रवृत्ति खाता संख्या–11094 से निम्न तिथियों में धनराशि आहरित करके छात्रवृत्ति वितरण दिखाया गया है। इसकी पुष्टि में छात्रवार वितरित छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं समाज कल्याण द्वारा छात्रों की अनुमोदित सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।(वि0प्रति0सं0–1)

दिनांक	खाता संख्या	आहरित धनराशि	कैश बुक में नहीं दर्ज धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
11.08.2011	11094	52000.00	52000.00	श्री हरी सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री दौलत सिंह
	योग	52000.00	52000.00	

उक्त धनराशि की वसूली हेतु जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– रिठाली **विकास खण्ड का नाम. –सम्भल**

वर्ष :– 2010–11 और 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर सं0 1:– दिनांक 15.04.10 को चैक नं0 945988 द्वारा 45000.00 के आहरण लेखे की पुष्टि हेतु उक्त अवधि की कैश बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुई, जिससे उक्त धन के व्यय की पुष्टि नहीं होती है अतः पूर्व प्रधान व सचिव श्री गुरू दयाल से वसूली अपेक्षित है (सा.आ0सं0 9)

प्रस्तर सं02:– दिनांक 03.04.10 को चैक नं0 945815 द्वारा छात्रवृत्ति खाते से आहरण 11520.00 के लेखे की कैश बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुई, जिससे 11520.00 के वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं होती है। पूर्व प्रधान व सचिव श्री गुरू दयाल सेवसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 10)

प्रस्तर सं03:– माह अप्रैल 2011 में कैशबुक आय पक्ष का योग 190120.00 के स्थान पर 150340.00 लगाया गया कैश बैलेंस 43,866.00 के स्थान पर 4086.00 लगाकर अंकन 39780.00 का अपहरण किया गया। अतः प्रधान श्रीमती शारदा देवी व सचिवश्री गुरू दयाल से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0 11)

प्रस्तर सं0 3:–कैशबुक में दिनांक 10.08.10 को पंचायत घर की रंगाई–पुताई खर्च रू0 14,000.00 दिखाया गया है। रंगाई –पुताई के खर्च का एस्टीमेट ही नहीं बनवाया गया था । खर्च का कोई विवरण नहीं दिया गया है। रंगाई –पुताई कार्य दैनिक मजदूरी पर कराया गया था अथवा ठेके पर दिया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है। कार्य ठेके पर दिये जाने की स्थिति में विधिवत् ठेका दिया गया,नहीं पाया गया । यदि दैनिक मजदूरी पर पुताई कार्य कराया गया था तब मस्टर रोल होना चाहिए था। मस्टर रोल व मजदूरी प्राप्ती रसीद आडिट में देखने को नहीं मिली। पुताई का मैटेरियल क्रय खर्च के वाउचर्स भी नहीं है। पुताई कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी समर्थ अधिकारी का नहीं पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय सन्देहात्मक है।इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच के बाद उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के विरूद्व समुचित कार्यवाहीं की जानी अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–3)

प्रस्तर सं0 4:– कैशबुक में दिनांक 11.06.10 को रू0 8000.00 तथा दिनांक 12.06.10 को रू0 4000.00 दिवारों पर नारे लिखाई खर्च किया दिखाया है। नारे कितनी जगह में व किस दर पर लिखवाये गये, इसका विवरण व प्रमाणक नहीं पाया गया। यह नारे कहां –कहां लिखे गये, उन स्थानों का नाम भी नहीं ज्ञात हुआ।जिन जगहों में लिखे गये,उन लिखे नारों का कोई फोटोग्राफ भी साक्ष्य हेतु नहीं पाया गया। नारे लिखे जाने से पूर्व किन्हीं अन्य पेन्टर्स से पेन्ट करायी दरें नहीं ली गयी थीं। अतः रू0 8000 + 4000 कुल रू0 12000.00 नारे लिखाने पर किया दिखाना व्यय मनमाना है। किसी प्राविधिक अधिकारी से इस सम्बन्ध में जांच करायी जाये तथा दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जाये। व्यय अधिक दिखाने की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–4)

प्रस्तर सं0 5:– वर्ष 2010–11 में कैशबुक में निम्नलिखित तिथियों में मिड–डे–मिल बनाने पर व्यय दिखाया है जिससे सम्बन्धित व्यय का विवरण व प्रमाणक नहीं है। केवल "एम0डी0एम0 बनाने पर व्यय धनराशियां मात्र कैशबुक में विवरण लिखा है। किसी भी विवरण व प्रमाणक के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट है। इन धनराशियों के व्यय का पूर्ण विवरण देते हुये उससे सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत किये जायें। अन्यथा कैशबुक में दिखाये गये इस व्यय की प्रतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है(वि0प्रति0सं0–5)–

दिनांक	व्यय दर्शित धनराशि
05.04.10	14,800.00
07.05.10	17,500.00
14.05.10	1,000.00 (रसोइये का मानदेय)
11.06.10	8,000.00
29.07.10	5,000.00
23.08.10	9,000.00
06.09.10	10,000.00
15.10.10	8,750.00
योग	74,050.00

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :–ईसापुर सुनवारी **विकास खण्ड का नाम : –सम्भल**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या 1 :–वर्ष 2011–12 में हैण्डपम्प मरम्मत पर अं0 25282.00 व्यय किया गयां है। क्या इस मद हेतु उक्त धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी, कार्यवाही में पारित हुई यदि कहीं तो व्यय प्रमाण पत्रों के अभाव में उक्त व्यय की वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–16)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– ईलर **विकास खण्ड का नाम – डिलारी**

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–छात्रवृत्ति खाता संख्या–11094 से निम्न तिथियों में धनराशि आहरित करके छात्रवृत्ति वितरण दिखाया गया है। इसकी पुष्टि में छात्रवार वितरित छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर एवं समाज कल्याण द्वारा छात्रों की अनुमोदित सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।(वि0प्रति0सं0–1)

दिनांक	खाता संख्या	आहरित धनराशि	कैश बुक में नहीं दर्ज धनराशि	उत्तरदायी व्यक्ति
11.08.2011	11094	52000.00	52000.00	श्री हरी सिंह ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री दौलत सिंह
	योग	52000.00	52000.00	

उक्त धनराशि की वसूली हेतु जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :– मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :– रिठाली **विकास खण्ड का नाम.–सम्भल**

वर्ष :– 2010–11 और 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर सं0 1:– दिनांक 15.04.10 को चैक नं0 945988 द्वारा 45000.00 के आहरण लेखे की पुष्टि हेतु उक्त अवधि की कैश बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुई, जिससे उक्त धन के व्यय की पुष्टि नहीं होती है अतः पूर्व प्रधान व सचिव श्री गुरू दयाल से वसूली अपेक्षित है (सा.आ0सं0 9)

प्रस्तर सं02:– दिनांक 03.04.10 को चैक नं0 945815 द्वारा छात्रवृत्ति खाते से आहरण 11520.00 के लेखे की कैश बुक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुई, जिससे 11520.00 के वास्तविक व्यय की पुष्टि नहीं होती है। पूर्व प्रधान व सचिव श्री गुरू दयाल सेवसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 10)

प्रस्तर सं03:– माह अप्रैल 2011 में कैशबुक आय पक्ष का योग 190120.00 के स्थान पर 150340.00 लगाया गया कैश बैलेंस 43,866.00 के स्थान पर 4086.00 लगाकर अंकन 39780.00 का अपहरण किया गया। अतः प्रधान श्रीमती शारदा देवी व सचिवश्री गुरू दयाल से उक्त धन की वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0 सं0 11)

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :– बैटला **विकास खण्ड का नाम –सम्भल**
वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर–1:– ग्राम निधि खाता सं0 10655749416 से निम्न चेकों से आहरित धनराशि कैश बुक में न दर्शाकर प्रधान श्री जगपाल व सचिव श्री शिवशकल द्वारा रोकड़ का अपहरण किया गया–

25.08.11	चैक नं0 810137	1500.00
06.09.11	चैक नं0 810138	1950.00
23.09.11	चैक नं0 810143	5000.00
23.09.11	चैक नं0810144	5000.00
23.09.11	चैक नं0 810142	33355.00
02.10.11	चैक नं0 810145	65176.00
15.10.11	चैक नं0 810150	25000.00
15.10.11	चैक नं0 810148	7920.00
15.10.11	चैक नं0 810146	5250.00
15.10.11	चैक नं0 810147	2520.00
15.10.11	चैक नं0 810149	6550.00
15.10.11	चैक नं0 –	250.00
		159,471.00 (सा0आ0सं0 21)

प्रस्तर सं0 2–: जुलाई 11 का अवशेष रोकड़ 25.00 अगली कैश बुक में दर्ज न कर रोकड़ काअपहरण किया गया प्रधान व सचिव श्री जगपाल सिंह व श्री शिवशकल/बलवीर सिंह से वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 22)

प्रस्तर सं0 3–: छात्रवृत्ति खाते से निम्न दिनांकों में आहरण कर धनराशि का लेखांकन कैश बुक में न करना न ही उक्त व्यय की पुष्टि हेतु पुष्टि पत्र लेखा परीक्षा में दिखाया गया अतः 48300.00 की वसूली प्रधान व सचिव से अपेक्षित है :–(सा0आ0सं0 23)

दिनांक 04.06.11	30600.00
दिनांक 10.07.11	17700.00
योग	**48300.00**

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :– भवाँच **विकास खण्ड का नाम –सम्भल**
वर्ष :– 2011–12
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :– मनरेगा खाता नं0 2879 में दिनांक 04.07.11 को चेक नं0 क्रमशः 352794,352792 से 10,000/–10,000/– आहरण किया गया जिसके विरूद्व कोई कार्य नहीं दर्शाया न ही 31.03.12 को अवशेष दर्शाया गया है।इस प्रकार सचिव व्र प्रधान द्वारा अंकन 20,000/– रोकड़ का अपहरण किया गया जिसकी वसूली मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित अपेक्षित है। (सा आ सं0 9)

प्रस्तर सं0 –2 :– दिनांक 28.12.11 व 02.01.12 को मुख्य मार्ग भमरौआ सीमा मिट्टी कार्य मस्टर रोलनं0 56701 से 56713 क्रमशः 37680/– 37800/– एक ही मस्टरौल को दो बार उपयोग दर्शाकर धन का अपहरण किया गया अतः 37800/– की वसूली प्रधान सचिव से अपेक्षित है। (सा आ सं0 10)

प्रस्तर सं0–3:– दिनांक 24.09.11 व 03.10.11 आदर्श तालाब से असमौली मिट्टी कार्य रू038880/– मस्टर रोल नं0 29498 से 29509 व इन्हीमस्टर रोल से 03.10.11 को उक्त कार्य मजदूरी 32640.00 भुगतान किया गया। इस प्रकारा 32640.00 रोकड़ का अपहरण प्रधान व सचिव द्वारा किया गया जिसकी वसूली समान रूप से अपेक्षित है। (सा0 आ0सं0 11)

प्रस्तर सं0–4:–दिनांक 13.06.11 को मस्टर रोल नं0 216955 से 216960 से 8160 व 20.06.11 को मस्टर रोल नं0 218354 से 218356 कार्य भूड वाला तालाब का जीर्णोद्वार मिट्टी कार्य 8160+ 13400+13200 कुल रू0 34800.00 पुनः कार्य मस्टर रोल नं0 216955 से 216960 व 218354से 218356 का 12240.00 की वसूली प्रधान व सचिवसे वसूली अपेक्षित है। (सा0 आ0 सं0 12)

प्रस्तर सं0–5:– दिनांक 16.05.11 को सोनिया नर्सरी से पेड़ क्रय 40,000/– शासनादेश को दर किनार कर खरीदी पौध –नरेगा से वृक्षारोपण में मानकों की अनदेखी की गई। पेड़ खरीदनें के लिए न तो कमेटी बनायी गयी और न ही कोई नर्सरी चिन्हित की गयी अगर वन या उद्यान विभाग यह लिखकर दे कि उनकी नर्सरियों में पौध नहीं है तो ऐसी दशा में समिति का गठन किया जाये वन या उद्यान विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हो। कमेटी निर्धारित मानकों के अनुरूप सबसे पहले जिले में उपलब्ध निजी मान्यता प्राप्त नर्सरी का स्थलीय निरीक्षण करेगी। नर्सरी पौधे उपलब्ध कराने में सक्षम है अथवा नहीं। बाद में नर्सरी से पौधे क्रय कर सकते हैं। जिससे बाहर नर्सरी से पौधे क्रय करने पर पाबन्दी लगाई गयी है। वृक्षारोपण के शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है। (सा0 आ0 सं0 13)

प्रस्तर सं0–6:– दिनांक 03.10.11 एवं 10.10.11 को ईंट व सीमेन्ट क्रय क्रमशः 40000+ 40000+18900=98900.00 नकद भुगतान किया गया, जबकि एकाउन्ट पेई चैक से भुगतान करना अपेक्षित था। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।(सा0 आ0 सं0 14)

जनपद का नाम :– सम्भल **मण्डल का नाम :–मुरादाबाद**
ग्राम पंचायत का नाम :– किसौली **विकास खण्ड का नाम –पवांसा**
वर्ष :– 2010–11 एवं 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–हैण्डपम्प मरम्मत खर्च आलोच्य वर्षों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिखाया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई वाउचर नहीं है। हैण्डपम्प किस स्थान पर पर लगा है जिसकी मरम्मत करवाई गयी,कैशबुक में नहीं दिखाया गया है। किसी भी हैण्डपम्प की मरम्मत कराने से पूर्व व्यय का एस्टीमेट नहीं बनवाया गया था। मरम्मत कार्यपूर्ति का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया। अतः दर्शित व्यय संदिग्ध है।(वि0प्रति0सं0–1)

वर्ष 2010 –11

दिनांक	**धनराशि**
04.05.10	800.00
8.05.10	3750.00
10.08.10	600.00
योग	5150.00

वर्ष 2011–12

दिनांक	**धनराशि**
30.05.11	2,250.00
24.06.11	2,600.00
28.12.11	4,825.00
30.12.11	3600.00
योग	13,275.00
कुल योग	**18425.00**

प्रस्तर सं0 2 : – दि0 31.07.10 को लैम्प पोस्ट/विद्युत पर व्यय धनराशि रू01750.00 कैशबुक में दिखायी गयी है। व्यय का विवरण नहीं दिया गया है। व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी नहीं है। अतः दर्शित व्यय फर्जी दिखाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से वसूली की जानी अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0–2)

प्रस्तर सं0 3:—कैशबुक में दिनांक 10.08.10 को पंचायत घर की रंगाई—पुताई खर्च रू0 14,000.00 दिखाया गया है। रंगाई —पुताई के खर्च का एस्टीमेट ही नहीं बनवाया गया था । खर्च का कोई विवरण नहीं दिया गया है। रंगाई —पुताई कार्य दैनिक मजदूरी पर कराया गया था अथवा ठेके पर दिया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है। कार्य ठेके पर दिये जाने की स्थिति में विधिवत् ठेका दिया गया,नहीं पाया गया । यदि दैनिक मजदूरी पर पुताई कार्य कराया गया था तब मस्टर रोल होना चाहिए था। मस्टर रोल व मजदूरी प्राप्ती रसीद आडिट में देखने को नहीं मिली। पुताई का मैटेरियल क्रय खर्च के वाउचर्स भी नहीं है। पुताई कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी समर्थ अधिकारी का नहीं पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय सन्देहात्मक है।इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच के बाद उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के विरूद्व समुचित कार्यवाहीं की जानी अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0—3)

प्रस्तर सं0 4:— कैशबुक में दिनांक 11.06.10 को रू0 8000.00 तथा दिनांक 12.06.10 को रू0 4000.00 दिवारों पर नारे लिखाई खर्च किया दिखाया है। नारे कितनी जगह में व किस दर पर लिखवाये गये, इसका विवरण व प्रमाणक नहीं पाया गया। यह नारे कहां —कहां लिखे गये, उन स्थानों का नाम भी नहीं ज्ञात हुआ।जिन जगहों में लिखे गये,उन लिखे नारों का कोई फोटोग्राफ भी साक्ष्य हेतु नहीं पाया गया। नारे लिखे जाने से पूर्व किन्हीं अन्य पेन्टर्स से पेन्ट करायी दरें नहीं ली गयी थीं। अतः रू0 8000 + 4000 कुल रू0 12000.00 नारे लिखाने पर किया दिखाना व्यय मनमाना है। किसी प्राविधिक अधिकारी से इस सम्बन्ध में जांच करायी जाये तथा दर्शित व्यय की पुष्टि करायी जाये। व्यय अधिक दिखाने की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी व तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरूद्व उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(वि0प्रति0सं0—4)

प्रस्तर सं0 5:— वर्ष 2010—11 में कैशबुक में निम्नलिखित तिथियों में मिड—डे—मिल बनाने पर व्यय दिखाया है जिससे सम्बन्धित व्यय का विवरण व प्रमाणक नहीं है। केवल "एम0डी0एम0 बनाने पर व्यय धनराशियां मात्र कैशबुक में विवरण लिखा है। किसी भी विवरण व प्रमाणक के अभाव में दर्शित व्यय अपुष्ट है। इन धनराशियों के व्यय का पूर्ण विवरण देते हुये उससे सम्बन्धित वाउचर प्रस्तुत किये जायें। अन्यथा कैशबुक में दिखाये गये इस व्यय की प्रतिपूर्ति तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है(वि0प्रति0सं0—5)—

दिनांक	व्यय दर्शित धनराशि
05.04.10	14,800.00
07.05.10	17,500.00
14.05.10	1,000.00 (रसोइये का मानदेय)
11.06.10	8,000.00
29.07.10	5,000.00
23.08.10	9,000.00
06.09.10	10,000.00
15.10.10	8,750.00
योग	74,050.00

जनपद का नाम :— सम्भल **मण्डल का नाम :—मुरादाबाद**

ग्राम पंचायत का नाम :—ईसापुर सुनवारी **विकास खण्ड का नाम : —सम्भल**

वर्ष :— 2011—12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :—

प्रस्तर संख्या 1 :—वर्ष 2011—12 में हैण्डपम्प मरम्मत पर अं0 25282.00 व्यय किया गयां है। क्या इस मद हेतु उक्त धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी, कार्यवाही में पारित हुई यदि कहीं तो व्यय प्रमाण पत्रों के अभाव में उक्त व्यय की वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।(सा0आ0सं0—16)

प्रस्तर संख्या 2 :–दिनांक 29.11.2011 को विज्ञापन व्यय 2100.00 व्यय प्रमाण के अभाव में अपुष्ट रही। उक्त व्यय की वसूली प्रधान/सचिव से अपेक्षित है।(सा0आ0सं0–17)

प्रस्तर संख्या 3 :–दिनांक 27.05.2011को गैस कनेक्शन हेतु प्रधान अध्यापक को रू0 5000/– की अग्रिम धनराशि दी गई किन्तु न तो अग्रिम धनराशि की प्राप्ति रसीद ली गई और न ही गैस कनेक्शन के प्रपत्र। अतः भुगतान प्राप्ति रसीद व गैस कनैक्शन प्रपत्रों के अभाव में वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं0–18)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद

मण्डल का नाम :–मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम :–अकबरपुर चेंदरी

विकास खण्ड का नाम : –छजलैट

वर्ष :– 2010–11 व 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या 1 :–ग्राम पंचायत अकबरपुर चेंदरी में व्यय की गयी धनराशि के बाउचर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि नहीं पाये गये। अतः व्यय की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है। (सा0आ0सं0–16)

दिनांक	धनराशि	बाउचर संख्या	मद का नाम जिसके बाउचर तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं पाये गये।
11.05.10	86700.00		ईंट का क्रय दिखाकर गबन किया गया।
01.06.10	5000.00		नल मरम्मत दिखाकर गबन किया गया।
08.06.10	1150.00		स्टेशनरी क्रय दिखाकर गबन किया गया
योग	92850.00		

प्रस्तर संख्या 2 :–माह मई 2010 की कैश बुक में अवशेष नकद धनराशि रू0 1150.00 दिखाया गया है। जबकि योग करने पर अवशेष नकद धनराशि 2150.00 आता है। रू0 1000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री कमरूल हसन तथा सचिव श्री कैलाश से की जाय। (आ0 सं0 – 17)

प्रस्तर संख्या 3 :–अकबरपुर चेंदरी में दिनांक 31.03.11 की कैश बुक में नकद अवशेष धनराशि रू0 250374.00 थी, जिसे अगले माह दिनांक 01.04.11 की कैश बुक में रू0 374.00 अंकित कर रू0 250000.00 का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती ओमवती तथा सचिव श्री कैलाश से ब्याज सहित की जाये। (आ0 सं0 – 18)

जनपद का नाम :– मुरादाबाद मण्डल का नाम :– मुरादाबाद

ग्राम पंचायत का नाम :–त्रिलोकपुर विकास खण्ड का नाम – मुरादाबाद

वर्ष :– 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ :–

प्रस्तर संख्या–1 :–कैश बुक के अनुसार दिनांक 28.08.2011 को मै0 कपिल कुमार सी0ए0 को अं0 12000.00 का भुगतान किया है। लेखा परीक्षा में सी0ए0 द्वारा तैयार किये गये अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये और न ही पुष्टि करायी गयी। यदि अभिलेख ग्राम पंचायत को प्राप्त न हुए होतो उसकी वसूली सी0ए0 से की जाये। इस प्रकार धन का दुरूपयोग किया गया है। (सा0आ0सं0 16)

प्रस्तर संख्या–2 :–ग्रा0नि0 खाता सं0 6973 से दि0 02.04.2011 को अं0 15000.00 एवं दिनांक 02.04. 2011 को अं0 20000.00 कुल अं0 35000.00 का बैंक से आहरण किया गया। जिसको कैश बुक में कोषांकित किया गया है, किन्तु धनराशि को व्यय पक्ष में न तो व्यय किया गया है और नही हस्तगत रोकड़ दर्शित की गयी है। इस प्रकार धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली हेतु प्रधान श्री भगवान दास एवं सचिव श्री दुर्जेन्द्र सिंह जिम्मेदार है। (सा0आं0 सं0 17)

जनपदः– बिजनौर मण्डलः– मुरादाबाद

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

ग्राम पंचायतः– खजूरा जट विकास खण्डः– नूरपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

प्रस्तर संख्या–1 (रू0 37406–00) ग्राम पंचायत की वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा मे निम्न लिखित व्यय अप्रमाणित पाये गये।

1– दिनांक 10.06.2011 को ईट क्रय	रू0 5534–00
2– दिनांक 11.06.2011 को ईट क्रय	रू0 14145–00
3– दिनांक 15.06.2011 नल मरम्त	रू0 9927–00
4– दिनांक 15.06.2011 बुक लेट	रू0 3600–00
5– दिनांक 15.06.2011 बाल पेन्टिंग	रू0 4200–00
	रू0 37406–00

उक्त के सम्बन्ध मे निम्न आपत्तियां है।

1– कैश बुक मे नकद व्यय दर्शाय गया है किन्तु प्रामणक नही पाये गये।

2– ग्राम पंचायत मे उक्त कार्यो का प्रस्ताव स्वीकार नही कराया न ही स्वीकृति ली गयी।

3– उक्त कार्यो की पुष्टि मे सम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर व भुगतान से पूर्व कोटेशन भी लेखा परीक्षा मे उलब्ध नही कराये गये।

उक्त सभी तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त सभी दर्शित व्यय फर्जी है जो ग्राम पंचायत की धनराशि का गबन करने उद्देश्य से दर्शाये गये है। अतः 37406–00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्रीमती सीमा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली के दिनांक तक आंकलित करके की जाये।

(आ0सं0– 15)

ग्राम पंचायतः– मानपुरी शिवपुरी विकास खण्डः– धामपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

प्रस्तर संख्या–1 कैशबुक के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा अत्यधिक धनराशि नकद रोक कर ग्राम पंचायत कोष का दुरूपयोग किया गया है। जिस कारण विकास कार्य प्रभावित रहा। रोकड रोकने की अवधि निम्न प्रकार रही।

अवधि	दिन	धनराशि जो रोकी गई
26.02.2012 से 01.03.2011 तक	12	48190–00
31.03.2011 से 20.04.2011 तक	21	74460–00
21.04.2011 से 05.05.2011 तक	14	74460–00
06.05.2011 से 11.12.2011 तक	220	68000–00
12.12.2011 से 31.03.2012 तक	110	129680–00

उक्त धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज की दर से 15982.60 ग्राम प्रधान से वसूल की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य मे रोकड शेष की राशि को व्यय करने के उपरान्त ही प्रधान को बैंक से आहरण कराया जाये।

(आ0सं0– 22)

ग्राम पंचायतः– भैंसा विकास खण्डः– नूरपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

प्रस्तर संख्या–1 (रू0 75000–00) पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 2010–11 मे निधि–1 से निम्नांकित तिथियो मे धनराशि का अपहरण किया गया है–

28.04.2010	रू0 6000–00
28.05.2010	रू0 60000–00
07.06.2010	रू0 9000–00
	रू0 75000–00

उपरोक्त धनराशि कैश बुक के आय पक्ष मे तत्कालीन तिथि मे अंकित नही है और न ही कोई व्यय प्रमाणक की इस धनराशि के बारे मे प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि तत्कालीन समय मे श्री नौबत सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी थे जिन्होने कैश बुक पर आय–व्यय निल लिखकर चार्ज मे अप्रैल से अक्टूबर 2010 तक की कैश बुक दिये है। इस प्रकार रू0

3 श्रमिक 20 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
2 श्रमिक 18 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन **रू0 39800–00**

1 श्रमिक 16 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
1 श्रमिक 14 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
1 श्रमिक 10 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन

दिनांक 16.01.2011 से 16.12.2011 तक मस्टररोल के अनुसार बी0पी0एल0 शौचालय मे टायल्स लगाने की मजदूरी

4 मिस्त्री 28 दिन रू0 240–00 प्रतिदिन
1 मिस्त्री 21 दिन रू0 240–00 प्रतिदिन **रू0 55920–00**
5 श्रमिक 25 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
2 श्रमिक 26 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन

दिनांक 15.12.2011 की बी0पी0एल0 शौचालय की पुताई का भुगतान ध्यान सिंह पुत्र लल्लू सिंह रू0 26200–00

रू0 417670–00

उपरोक्त कार्यो के बारे मे निम्न आपत्तियां है:–

1– समग्री क्रय करने से पूर्व विभिन्न फर्मो से कोटेशन्स नही लिया गया है जिसके कारण क्रय रद की पुष्टी नही की जा सकी।

2– धनराशि का भुगतान नकद किया गया है, जबकि एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जाना चाहिये।

3– उपरोक्त शौचालय से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

4– उपरोक्त कार्य की प्राक्कलन व एम0बी0 प्रस्तुत नही की गयी।

5– निर्मित शौचालय की संख्या या उसके उपभोग कर्ता का कही पर नाम अंकित नही हैं सम्बन्धित लाभार्थियो की सूची प्रस्तुत नही की गयी।

6– मस्टररोल पर श्रमिको की समरूप अंगूठा निशानी पायी गयी।

7– पुताई का कार्य ध्यान सिंह से ठेंके पर कराया गया है। ठेंके पर कार्य कराया जाना विभागीय नियमो के प्रतिकूल है।

उपरोक्त तथ्यो के कारण सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नही हो सकी। धनराशि के दुरूपयोग किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी दशा मे जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यदि वास्तविक से अधिक व्यय दर्शाया गया तो इसकी वसूली वर्तमान प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 09 व 11)

प्रस्तर संख्या–3 (रू0 574500–00) वर्ष 2011–12 मे बी0पी0एल0 शौचालय का निर्माण हेतु लाभार्थियो को निम्नांकित धनराशि नकद दी गयी है।

28.07.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 200000–00
30.08.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 250000–00
30.09.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 75000–00
18.10.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 49500–00
रू0 574500–00

ग्राम पंचायतः– मानपुरी शिवपुरी विकास खण्डः– धामपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

प्रस्तर संख्या–1 कैशबुक के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा अत्यधिक धनराशि नकद रोक कर ग्राम पंचायत कोष का दुरूपयोग किया गया है। जिस कारण विकास कार्य प्रभावित रहा। रोकड रोकने की अवधि निम्न प्रकार रही।

अवधि	दिन	धनराशि जो रोकी गई
26.02.2012 से 01.03.2011 तक	12	48190–00
31.03.2011 से 20.04.2011 तक	21	74460–00
21.04.2011 से 05.05.2011 तक	14	74460–00
06.05.2011 से 11.12.2011 तक	220	68000–00
12.12.2011 से 31.03.2012 तक	110	129680–00

उक्त धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज की दर से 15982.60 ग्राम प्रधान से वसूल की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य मे रोकड शेष की राशि को व्यय करने के उपरान्त ही प्रधान को बैंक से आहरण कराया जाये।

(आ0सं0– 22)

ग्राम पंचायतः– भैंसा विकास खण्डः– नूरपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

प्रस्तर संख्या–1 (रू0 75000–00) पूर्व प्रधान द्वारा वर्ष 2010–11 मे निधि–1 से निम्नांकित तिथियो मे धनराशि का अपहरण किया गया है–

28.04.2010	रू0 6000–00
28.05.2010	रू0 60000–00
07.06.2010	रू0 9000–00
	रू0 75000–00

उपरोक्त धनराशि कैश बुक के आय पक्ष मे तत्कालीन तिथि मे अंकित नही है और न ही कोई व्यय प्रमाणक की इस धनराशि के बारे मे प्रस्तुत किया गया। वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि तत्कालीन समय मे श्री नौबत सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी थे जिन्होने कैश बुक पर आय–व्यय निल लिखकर चार्ज मे अप्रैल से अक्टूबर 2010 तक की कैश बुक दिये है। इस प्रकार रू0

75000–00 बैंक खाते से आहरित करके तथा इसे कैश बुक पर न दर्शाकरके श्री नौबत सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं तत्कालीन प्रधान श्री शेर सिंह के द्वारा इस धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली श्री नौबत सिंह एवं श्री शेर सिंह की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 07)

<u>प्रस्तर संख्या–2</u> (रू0 45740–00) पूर्व प्रधान द्वारा निधि–2 से दिनांक 01.04.2010 से 01.10.2010 तक रू0 45740–00 आहरित किया गया है, जिसकी प्रविष्टि कोष मे नही है। इसका उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। प्रस्तुत छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर मे भी इस धनराशि के वितरण का कोई उल्लेख नही है। वितरण रजिस्टर प्रस्तुत करके इसकी पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा की दशा मे इसकी वसूली तत्कालीन प्रधान श्री शेर सिंह एवं श्री नौबत सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 08)

प्रस्तर संख्या–3 (रू0 11946–00) प्रधान के पास अन्तिम अवशेष दिनांक 31.03.2011 को (–) रू0 5025–00 दिनांक 31.03.2012 को (–) रू0 6921–00 अंकित है। ऋणात्मक अवशेष का अर्थ है कि यह धनराशि प्रधान ने अपने पास व्यय की है। जो कि नियमो के विपरीत है। यदि किसी आवश्यक भुगतान के लिये सम्बन्धित बैंक खाते मे धनराशि नही है तो इसे प्रस्ताव करके किसी अन्य व्यक्ति से अमानत के रूप मे लिया जाना चाहिये न कि प्रधान द्वारा स्वयं दिया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रधान द्वारा दी गयी इस धनराशि के बारे मे कोई प्रस्ताव भी नही है। ऐसी दशा मे प्रधान को दी गयी इस धनराशि को उनसे वापस ले लिया जाना चाहिये।

(आ0सं0– 12)

ग्राम पंचायतः– चकराजमल विकास खण्डः– धामपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–</u>

प्रस्तर संख्या–1 प्रधान द्वारा कैशबुक मे 31.01.2012 से 19.03.2012 तक रू0 258595–00 की नकद धनराशि अपने पास रोकी गई है। अतः यह नकद धनराशि निम्नलिखित अवधि मे प्रधान द्वारा अस्थाई रूप से अपहरण की गई है।

माह फरवरी 2012	28 दिन
माह मार्च 2012	<u>19 दिन</u>
	<u>47 दिन</u>

यद्यपि माह फरवरी 2012 एवं मार्च 2012 मे कैशबुक मे अन्य तिथियो मे आहरण कर धनराशि व्यय की गई है किन्तु 01.02.2012 से 19.03.2012 तक रू0 258595–00 की रोकड निरन्तर प्रधान के पास रही। अतः रू0 258595–00 पर 18 प्रतिशत ब्याज की दर से रू0 5994–00 ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से वसूल की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत अधिकारी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि रोकड शेष की राशि व्यय होने के उपरान्त ही प्रधान को बैंक से आहरण कराया जाये।

(आ0सं0– 23)

ग्राम पंचायतः– छजुपुरा **विकास खण्डः– नूरपुर** **वर्षः– 2010–11, 2011–12**

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

प्रस्तर संख्या–1(रू0 238137–00) दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.07.2010 तक कोष बही मे निम्नांकित व्यय दर्शाया गया जिसकी पुष्टि मे व्यय प्रमाण/मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गयाः–

दिनांक 13.04.2010 मे मिट्टी कार्य भुगतान	रू0 16800–00
दिनांक 13.04.2010 ईट व रोडी क्रय	रू0 50337–00
दिनांक 07.05.2010 खडन्जा व नाली निर्माण की मजदूरी	रू0 21160–00
दिनांक 01.07.2010 पडन्जा उखाड़	रू0 4000–00
दिनांक 12.07.2010 मिट्टी कार्य	रू0 19200–00
दिनांक 22.07.2010 मिट्टी कार्य	रू0 16800–00
दिनांक 22.07.2010 सीमेन्ट व रेत	रू0 26800–00
दिनांक 22.07.2010 ईट, ईट की रोडी	रू0 54060–00
दिनांक 31.07.2010 नाली– खडन्जा की मजदूरी	रू0 28980–00
	रू0 238137

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त व्यय की पुष्टि मे न तो वाउचर्स प्रस्तुत किया गया और ना ही कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण प्रत्र ही प्रस्तुत किया गया। कही पर अंकित नही है कि उक्त कार्य जिस स्थल पर हुआ है, इस प्रकार बिना किसी साक्ष्य के फर्जी व्यय दर्शाकर के तत्कालीन प्रधान श्रीमती निशा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इन लोगो से जांचोपरान्त सम्बन्धित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 07)

प्रस्तर संख्या–2 (रू0 417670–00) वर्ष 2011–12 मे बी0पी0एल0 शौचायल का निर्माण कराया गया है, जिस पर अंकित व्यय हुआ है।

07.10.2011 किसान एग्रीकल्चर्स मशीन स्टोर्स, नूरपुर 330 पेटी टायल्य	55800–00
07.10.2011 त्यागी सीमेन्ट स्टोर्स, नूरपुर 70 कट्टे सीमेन्ट	18900–00
07.10.2010 त्यागी सीमेन्ट स्टोर्स, नूरपुर फावडा	1050–00
15.11.2011 त्यागी सीमेन्ट स्टोर्स, नूरपुर 62 कट्टे समोशन	26350–00
15.11.2011 त्यागी सीमेन्ट स्टोर्स, नूरनी 6 ब्रुश	900–00
15.11.2011 शान ब्रिक्स वर्क्स, चेहला 33000 ईट	113850–00
15.11.2011 त्यागी सीमेन्ट स्टोर्स 120 कट्टे सीमेन्ट	32400–00
रेत	21000–00
महीन बालू	7500–00
4 कु0 सरिया	18000–00

दिनांक 20.10.2010 से 15.11.2011 तक मस्टररोल के अनुसार बी0पी0एल0 शौचालय निर्माण

4 मिस्त्री 20 दिन रू0 240–00 प्रतिदिन

1 मिस्त्री 15 दिन रू0 240–00 प्रतिदिन

3 श्रमिक 20 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
2 श्रमिक 18 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन **रू0 39800–00**

1 श्रमिक 16 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
1 श्रमिक 14 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
1 श्रमिक 10 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन

दिनांक 16.01.2011 से 16.12.2011 तक मस्टररोल के अनुसार बी0पी0एल0 शौचालय मे टायल्स लगाने की मजदूरी

4 मिस्त्री 28 दिन रू0 240–00 प्रतिदिन
1 मिस्त्री 21 दिन रू0 240–00 प्रतिदिन **रू0 55920–00**
5 श्रमिक 25 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन
2 श्रमिक 26 दिन रू0 125–00 प्रतिदिन

दिनांक 15.12.2011 की बी0पी0एल0 शौचालय की पुताई का भुगतान ध्यान सिंह पुत्र लल्लू सिंह रू0 26200–00

रू0 417670–00

उपरोक्त कार्यो के बारे मे निम्न आपत्तियां हैः–

1– समग्री क्रय करने से पूर्व विभिन्न फर्मो से कोटेशन्स नही लिया गया है जिसके कारण क्रय रद की पुष्टी नही की जा सकी।

2– धनराशि का भुगतान नकद किया गया है, जबकि एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जाना चाहिये।

3– उपरोक्त शौचालय से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

4– उपरोक्त कार्य की प्राक्कलन व एम0बी0 प्रस्तुत नही की गयी।

5– निर्मित शौचालय की संख्या या उसके उपभोग कर्ता का कही पर नाम अंकित नही हैं सम्बन्धित लाभार्थियो की सूची प्रस्तुत नही की गयी।

6– मस्टररोल पर श्रमिको की समरूप अंगूठा निशानी पायी गयी।

7– पुताई का कार्य ध्यान सिंह से ठेंके पर कराया गया है। ठेंके पर कार्य कराया जाना विभागीय नियमो के प्रतिकूल है।

उपरोक्त तथ्यो के कारण सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नही हो सकी। धनराशि के दुरूपयोग किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी दशा मे जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यदि वास्तविक से अधिक व्यय दर्शाया गया तो इसकी वसूली वर्तमान प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 09 व 11)

प्रस्तर संख्या–3 (रू0 574500–00) वर्ष 2011–12 मे बी0पी0एल0 शौचालय का निर्माण हेतु लाभार्थियो को निम्नांकित धनराशि नकद दी गयी है।

28.07.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 200000–00
30.08.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 250000–00
30.09.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 75000–00
18.10.2011 बी0पी0एल0 शौचालय हेतु व्यक्तिगत भुगतान रू0 49500–00
रू0 574500–00

उपरोक्त के बारे मे निम्न आपत्तियां हैः–

1– भुगतान प्राप्तकर्ता की सूची प्रस्तुत नही की गयी।

2– भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा धनराशि प्राप्ति की पुष्टि मे कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया मौखिक रूप से बताया गया कि रजिस्टर पर नाम का उल्लेख है, वस्तु सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया।

3– शौचालय निर्माण हेतु यह पहली किस्त थी या पूर्ण धनराशि एक साथ दी गयी है, इस बारे मे कही कोई उल्लेख नही है।

4– उपरोक्त धनराशि के सम्बन्ध मे उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

5– किसी विभागीय अधिकारी की उक्त शौचालय के सम्बन्ध मे कोई निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की गयी उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान द्वारा भी भारी संख्या मे शौचालय का निर्माण आलोच्य वर्ष मे हुआ है, जिसकी कोई सूची नही प्रस्तुत की गयी है, ऐसी दशा मे धनराशि के दुरूपयोग की सम्भावना है। अतः जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियो क ध्यान आकृष्ट किया जाता है। गड़बड़ी पाये जाने की दशा मे धनराशि की वसूली वर्तमान प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायतः– गजुपुरा विकास खण्डः– धामपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियांः–

प्रस्तर संख्या–1 श्री दीपक कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा निम्नलिखित चैक स्वयं के नाम काट कर बैंक से धनराशि आहरित कर उसके व्यय का विवरण प्रस्तुत न कर अपहरण किया जाना प्रतीत होता है।

दिनांक	चैक संख्या	आहरित संख्या	अन्य
09.04.2010	358052	27500–00	श्री दीपक कुमार द्वारा धन
31.03.2011	358056	30000–00	श्री दीपक कुमार द्वारा धन
		57500–00	

आहरित करने की पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से की जा सकती है।

विभागीय जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज के श्री दीपक कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 23)

प्रस्तर संख्या–2 निम्नलिखित तिथियो मे बैंक से धन आहरित कर उसके व्यय का विवरण प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण कर लिया जाना प्रतीत होता है।

दिनांक	आहरित धनराशि	अन्य
19.05.2011	40000–00	एस0बी0आई0 एकाउन्ट न0
30.08.2011	50000–00	80579 से आहरित
	90000–00	

विभागीय जांचोपरान्त उक्त धनराशि की वसूली श्री जगवीर सिंह प्रधान एवं श्री दीपक कुमार ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 24)

ग्राम पंचायतः– हाफिजाबाद भार्की विकास खण्डः– धामपुर वर्षः–2010–11, 2011–12

प्रस्तर संख्या–1 दिनांक 10.05.2010 की चैक संख्या 320342–00 द्वारा श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्वयं रू0 35000–00 धन बैंक से आहरित किया गया किन्तु धनराशि कैश बुक मे कोषांकित नही की गई। बाद मे दिनांक 13.11.2010 को इस धन को कोषांकित किया गया। इस प्रकार 186 दिन तक रू0 35000–00 का अस्थाई अपहरण श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया। अतः इस धन पर 18 प्रतिशत ब्याज रू0 3255–00 श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आ0सं0– 22)

प्रस्तर संख्या–2 कैशबुक मे माह मई 2010 का व्यय पक्ष का योग रू0 28300–00 के स्थान पर रू0 29500–00 लगाया गया है। अतः रू0 1200–00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। इस प्रकार रू0 1200–00 की वसूली श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री जोगेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 23)

प्रस्तर संख्या–3 माह फरवरी 2011 की कैशबुक मे व्यय पक्ष का योग रू0 146545–00 दर्शित है जबकि वास्तविक योग रू0 144745–00 आता है। अतः रू0 1800–00 का व्यय अधिक दर्शाकर अपहरण किया गया है। इस प्रकार रू0 1800–00 की वसूली श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री जोगेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 24)

प्रस्तर संख्या–4 ग्राम प्रधान निर्वाचित अवधि माह अक्टूबर 2010 मे प्रधान द्वारा बैंक से आहरण एवं कार्य करने के सम्बन्ध मे प्रतिबन्ध लगाया गया था। किन्तु माह अक्टूबर 2010 की कैशबुक मे 30.10.2010 को 8 नल मरम्मत प्रति नल मरम्मत 2000–00 की दर से रू0 16000–00 का नकद भुगतान दर्शित है जिसके सम्बन्ध मे निम्न आपत्ति है।

1– इस कार्य मे नल स्थापना की जगह अंकित नही है।
2– मरम्त कार्य का विवरण अंकित नही है।
3– प्रत्येक नल पर समान राशि का व्यय संदिग्ध है।
4– कार्य की स्वीकृति, इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है।
5– प्रतिबन्ध के बावजूद कार्य कराये जाने की विशेष स्वीकृति नही ली गई।

उक्त के आभाव मे व्यय संदिग्ध है। पूर्व प्रधान पर शेष रोकड को समाप्त करने के उद्देश्य से काल्पनिक व्यय दर्शाया गया है। अतः रू0 16000–00 की वसूली श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री जोगेन्द्र सिंह पूर्व प्रधान से वसूल की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0– 25)

प्रस्तर संख्या–5 पंचायत निर्वाचन अधिसूचना लागू होने की अवधि मे बिना विभागीय स्वीकृति एवं प्रस्ताव, इस्टीमेन्ट के पंचायत कोष की राशि का निम्नलिखित मद मे नकद भुगतान कैशबुक मे दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

1– दिनांक 29.09.2010 100 कुन्तल चूना रू0 425 दर	रू0 42500–00
2– दिनांक 29.09.2010 बाढ ग्रस्त गांव मे सफाई एवं चूना डलवाई मस्टररोल	रू0 29700–00
3– दिनांक 30.09.2010 फिनायल एवं नोयान	रू0 9000–00
	रू0 81200–00

उक्त कार्य करवाने के उपरान्त सक्षम अधिकारी से कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही किये गये। अतः उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। विभागीय जांच उपरान्त इस धन की वसूली तातारीख ब्याज सहित श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं तत्कालीन प्रधान श्री जोगेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 27)

ग्राम पंचायतः– मिलक जहांगीराबाद विकास खण्डः– धामपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

प्रस्तर संख्या–1 श्री दीपक कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम चैक काट कर बैंक से आहरण किया गया है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेन्ट से होती है आहरण का विवरण निम्न प्रकार है।

1–दिनांक 19.04.2010	चैक संख्या 358028	रू0 30000–00
2–दिनांक 28.04.2010	चैक संख्या 358029	रू0 30000–00
3–दिनांक 13.09.2010	चैक संख्या 358030	रू0 7000–00
4–दिनांक 31.03.2011	चैक संख्या 358035	रू0 50000–00

श्री दीपक कुमार द्वारा उक्त आहरित धन के व्यय का विवरण न तो तैयार किया तथा ना ही लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत एवं वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र को भी चार्ज मे नही दिये गये। इन परिस्थितियो मे रू0 117000–00 की धनराशि श्री दीपक कुमार द्वारा बैंक से आहरित कर अपहरण कर ली गई प्रतीत होती है। अतः विभागीय जांचोपरान्त रू0 117000–00 मय ब्याज के श्री दीपक कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से जानी अपेक्षित है। (आ0सं0– 22)

ग्राम पंचायतः– राहोनंगली विकास खण्डः– नूरपुर वर्षः– 2010–11, 2011–12

प्रस्तर संख्या–1 वर्ष2011–12 में ग्राम पंचायत को हाट बाजार की निलामी से Rs. 11500.00 की आय हुई है जिसको फरवरी 2012 में कैश बुक मे आय पक्ष में दिखाया गया है। दिनांक 09.02.2012 को इस धनराशि को बैंक खाते में जमा दिखाया गया है , परन्तु निधि–1 के सम्बन्धित खाते में तत्कालीन तिथि को यह धनराशि जमा नही है। इस प्रकार बैंक जमा की गलत पृविष्टि करके रू0 11500.00 का अपहरण प्रधान श्रीमती राजवती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया है।
इसकी वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–15)

प्रस्तर संख्या–2 दिनांक 07.04.2011 को निधि–1 से रू0 3500.00 आहरित किया गया परन्तु इस धनराशि को तत्कालीन तिथि में कैश बुक के आय पक्ष में नही दिखाया गया है इस प्रकार बैंक खाते से धनराशि आहरित करके तथा कैश बुक में न दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसकी वसूली प्रधान श्रीमती राजवती देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0–14)

प्रस्तर संख्या–3 अप्रैल 2011 में रू0 800.00 की अन्य आय ग्राम पंचायत को हुई है जैसा कि कैशबुक में आय पक्ष में अंकित है। इस धनराशि को दिनांक 23.04.2011 को बैंक खाते में जमा दिखाया गया है परन्तु संम्बन्धित बैंक खाते निधि–1 में धनराशि जमा नही है। इस प्रकार कोषबही पर गलत प्रविष्टि करके रू0 800.00 का अपहरण तत्कालीन प्रभाव श्री यशपाल सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया। अतः तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से इसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या–4 अप्रैल 2010 एवं मई 2010 में कुल 11 हैण्ड पम्पों का मरम्मत कराया गया है। जिस पर कुल रू0 21920.00 व्यय हुआ है। कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण यह स्पष्ट नही हो सका कि हैण्ड पम्प मरम्मत का प्रस्ताव ग्राम के सदस्यो के द्वारा अनुमोदित है या नही। सम्बन्धित वाउचर पर हैण्ड पम्प के स्थल के बारे में कोई विवरण अंकित नहीं है। ऐसी दशा में धनराशि के दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना है। अतः जॉचो उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(आ0सं0–7)

मण्डल का नाम – झाँसी
जनपद का नाम – झाँसी

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

प्रस्तर संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	जिला	आपत्ति का विवरण
प्रस्तर संख्या – 1	रमपुरा	गुरसराय	झाँसी	1. वर्ष दौरान छात्रवृत्ति की धनराशि शेष रू 26326 सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया जबकि नियमानुसार वर्षान्त की शेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए। 2. वर्ष 2010–11 में मनरेगा के अन्तिम शेष रू 1531 प्रधान श्री जमुना प्रसाद के पास नकद रही परन्त निर्वाचित प्रधान श्री कन्हैयालाल रावत को चार्ज में नहीं दिया गया जिसके लिए प्रधान श्री जमुना प्रसाद उत्तरदायी हैं जिसकी वसूली अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या – 2	अक्सेव	मउरानीपुर	झाँसी	ग्राम पंचायत की वर्ष 2011–12 की कोषबही(ग्रामनिधि) में विभिन्न दिनांकों में निम्नलिखित कोर्यो पर सम्मुख अन्कित धनराशि व्यय दर्शायी गयी है परन्तु उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार–बार मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।कोषबहीं में दर्शित कार्य एवं व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत है– 1. प्रशासनिक व्यय – 13165 2. घाट निर्माण (हनुमान मन्दिर पर) 13450 3. हैण्डपम्पों की मरम्मत – 26190 4. नाली मरम्मत – 16550 5. सी0सी0रोड मरम्मत – 15900 5. सी0सी0रोड मरम्मत – 15900 6. बिजली व्यवस्था पर व्यय – 7000 7. पंचायत भवन पुताई – 1200 8. नाली मरम्मत – 18541 9. अथाई मरम्मत – 16534 10. फर्शीकरण मरम्मत – 7694 11.सी0सी0रोड निर्माणएवंनालीमरम्मत 66660 12.सी0सी0रोड निर्माण एवंनालीमरम्मत 63410 13. रास्ता निर्माण – 33590 14. रास्ता निर्माण – 16152 15. प्रधान मानदेय – 12750 16. छात्रवत्ति वितरण – 110880 17. मिडडेमील का भुगतान – 67636 **योग – 507302**

				इस प्रकार से उपरोक्तानुसार रू 507302 का प्रमाणकहीन व्यय कोषबही में दर्शाया गया है जिसके प्रमाणक बार–बार मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।लेखा परीक्षा नियमानुसार प्रमाणकहीन व्यय अपहरण के अन्तर्गत आता है।अतः रू 507302 का अपहरण किया गया जिसके लिए उत्तरदाई सचिव श्री हरिसिंह एवं प्रधान श्री अरविन्द से वसूली किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 3	मशेरपुरा	बामौर	झाँसी	दिनाँक01.04.2011 को छात्रवृत्ति खाते में रू064812 शेष थे वर्ष 2011–12 में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं वितरण के पश्चात दिनाँक 31.03.2012 को रू 65032 शेष थे अतःशेष धनराशि को सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 4	घाटलहचुरा	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवृत्ति खाता त्त्ठ ।ध्ब 2407 में छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू 217194 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 5	रेवन	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाँक 31.03.2012 को छात्रवृत्ति खाता च्छठ ।ध्ब 27762 छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि 87050 जमा शेष थे जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 6	बम्हौरी	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवत्ति खातौ न्च्ळठ ।ध्ब 31993 में छात्रवत्ति की अवितरित धनराशि रू 150862 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 7	बुखारा	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवत्ति खातौ क्ब्ठ ।ध्ब 8912 में छात्रवृत्ति की अवितरित धनराशि रू 95601 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 8	रूपाधमना	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवत्ति खातौ क्ब्ठ ।ध्ब 8773 में छात्रवत्ति की अवितरित धनराशि रू 124419 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 9	स्यावनीखुर्द	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवत्ति खातौ क्ब्ठ ।ध्ब 8937 में छात्रवत्ति की अवितरित धनराशि रू 199682 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 10	ढकरवारा	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवत्ति 22449 में छात्रवत्ति की अवितरित धनराशि रू 159954 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 11	चुरारा	मउरानीपुर	झाँसी	दिनाक 31.03.2012 को छात्रवत्ति खातौ क्ब्ठ ।ध्ब 8851 में छात्रवत्ति की अवितरित धनराशि रू 315795 जमा शेष थी।जिसको सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 12	कचीर	बामौर	झाँसी	छात्रवृत्ति खाते में अवशेष धनराशि रू 114130 सम्बन्धित विभाग को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से वापस किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या – 13	बछेह	बामौर	झाँसी	छात्रवृत्ति खाते में 52480 शेष थे जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 14	देवरी	चिरगांव	झाँसी	छात्रवृत्ति खाते में 71845 शेष थे जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 15	सेमरी	चिरगांव	झाँसी	छात्रवृत्ति खाते में अवशेष धनराशि रू 167576 सम्बन्धित विभाग को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से वापस किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या – 16	जखौरा	बामौर	झाँसी	छात्रवृत्ति खाते में अवशेष धनराशि रू 93190 सम्बन्धित विभाग को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से वापस किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या – 17	अस्ता	गुरसराय	झाँसी	छात्रवृत्ति खाते में 53665 शेष थे जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाना चाहिए।
प्रस्तर संख्या – 18	करगुवाखुर्द	बामौर	झाँसी	मनरेगा की कैशबुक की जाँच से स्पष्ट होता है कि दिनाँक 21.10.2011 को रू 10000 बोर्ड क्रय हेतु श्रमांश खाते से भुगतान किया गया जबकि भुगतान सामग्री खाते से किया जाना चाहिए।

जनपद का नाम –जालौन

ग्राम पंचायत का नाम– विरिया विकास खण्ड–माधौगढ़

प्रस्तर संख्या–1 लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 में मनरेगा द्वारा क्रत कार्यो में निम्न कमियों के कारण भुगतान की गयी धनराशि एवं क्रत कार्य फर्जी प्रतीत होता है।

क्रम0	मद का नाम मनरेगा	धनराशि		योग
		श्रम	सामग्री	
1	रिरनिंगवाल का निर्माण विरिया तालाब	11335	95919	107254
2	नाला खुदाई विरिया कैलौर माइनर पुलिया से तालाब तक	86900	–	86900
3	मिट्टी भराई कैलौर माइनर के विरिया पुलिया पर	27900	–	27900
4	मिट्टी भराई कुवरपुरा सी0सी0 दोनों तरफ मैन रोड से जगदीश के मकान तक	36800	–	36800
5	पुलिया निर्माण विरिया कैलौर माईनर से कुलावा नं0 18 पर	5552	38000	43552
6	सम्पक्र मार्ग अतर सिंह के मकान से लल्लू राम के मकान तक	11000	–	11000

7	सम्पक्र मार्ग मिट्टी भराई कुलावा नं0 18 पर कैलौर माईनर पर	41200	—	41200
8	सम्पक्र मार्ग निर्माण कुवरपुरा बाबूराम के खेत से बहादुर के खेत तक	30000	—	30000
9	पुलिया निर्माण धीरेन्द्र मास्टर के खेत पर	66765	9000	75765
10	नाली निर्माण कुवर पुरा	—	9000	9000
योग—		**317542/—**	**151919/—**	**469371/—**

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल व्यय रू 469371 फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया है, जिसपर निम्न विन्दुओं के दर्शित धनराशि दुरूपयोगिक प्रतीत होती है।

1. क्रत कार्यो से सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2010—11 जॉच में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

2. लेखा परीक्षा में क्रत कार्यो से सम्बन्धित प्रारम्भ, मध्य एवं अंत की फोटो ग्राफ नहीं लिए गये है।

3. उक्त कार्यो से सम्बन्धित पूर्व वर्षो द्वारा क्रत कार्यो से सम्बन्धित परिसम्पत्ति रजिस्टर मनरेगा, परिसम्पत्ति रजिस्टर ग्रामनिधि वार—वार मागे जाने के बाबजूद भी जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त विवरण के अभाव में व्यय की गयी धनराशि रू0 469371/—फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान पूर्व श्री भवानीशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश उदैनिया से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही। (मूल आप0स039)

प्रस्तर संख्या—2 ग्राम पंचायत विरिया विकास खण्ड—माधौगढ़ नाली निर्माण कुवरपुरा परशुराम के मकान के पास, गूल से तालाब तक, विनोद के दरवाजे।

निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गयी दर्शित है—

दिनांक—10—05—10	रू 25000/—
दिनांक—21—05—10	रू 25000/—
दिनांक—07—06—10	रू 12000/—
दिनांक—06—08—10	रू 10756/—
योग—	रू **72756/—**

उक्त विवरण के अनुसार ग्राम निधि खाते से सामग्री क्रय की गयी है तथा मजदूरी मनरेगा खाते से ही की गयी है। जिसपर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान/क्रय की गयी सामग्री अनियमित तथा दुरूपयोग प्रतीत होती है।

1– लेखा परीक्षा में उक्त क्रम से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर नहीं पाया गया।

2– सामग्री क्रय 10–05–10 से 06–08–10 तक क्रय की गयी है। यह प्रमाणित नहीं हो सका की उक्त कार्य कितना बडा या छोटा है।

3– लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टीमेट एवं एमबी नहीं पायी गयी और न ही कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र पाया गया है, जिससे क्रत कार्य की वैल्यू प्रमाणित हो सके।

4– लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजि0 ग्राम निधि एवं मनरेगा प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के अभाव में क्रय की गयी सामग्री की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी। रू0 72756/– की वसूली ग्राम प्रधान पूर्व श्री भवानी शंकर एवं ग्राम पं0 अधिकारी श्री रमेश उदैनिया से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते है। तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही । लेखापरीक्षा में वार्षिक कार्य योजना ग्राम निधि अनुपलब्ध रही। (मूल आपत्ती संख्या–40)

प्रस्तर संख्या 3– ग्राम पंचायत विरिया विकास खण्ड–माधौगढ़ की लेखा परीखा वर्ष 2010–11 में नाली मरम्मत में दिनांक 08.09.2010 को 5825 रू सामग्री क्रय दिनांक 25.09.2010 को 2200/–मजदूरी में व्यय किया गया।

उक्त विवरण के अनुसार रू0 8025/– नाली मरम्मत मद में व्यय किया गया है, जिसपर निम्म लेखापरीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान अनियमित रहा–

1. लेखा परीक्षा में व्यय की गयी धनराशि का विवरण अनुपलब्ध रहा की कार्य किन–किन स्थानों पर कराया गया।

2. लेखापरीक्षा में कार्ययोजना, स्टीमेट, एमबी, कार्य पूर्ण प्रमाणपत्र अनुपलब्ध रहें।

3. उक्त के अभाव में व्यय की गयी धनराशि रू0 8025/– की वास्तविक पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः रू0 8025/– फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी बसूली ग्राम प्रधान श्री भवानी शंकर तथा सचिव श्री रमेश उदैनिया से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित बसूली की जानी अपेक्षित रही। (मू0आ0स0–41)

प्रस्तर संख्या 4– ग्राम पंचायत विरिया विकास खण्ड–माधौगढ़– नाली निर्माण सी0सी0 पर पुलिया के पास कुवर पुरा में दिनांक 08.09.2010 को रू0 10308/– सामग्री क्रय तथा 21.09.2010 को रू0 1800/– मजदूरी पर कुल व्यय रू0 12108/– दर्शित है, जिसपर निम्नलेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि अनियमित तथा दुरूपयोग किया गया–

1. लेखा परीक्षा में कार्य योजना, स्टीमेट, एमबी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं पाया गया।

2. ग्राम पंचायत का ग्राम निधि, मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पुनर्रावृति करके धन अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3. उक्त के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि रू0 12108/–दुरूपयोगिक प्रतीत होती है, जिसकी बसूली सचिव श्री रमेश उदैनिया एवं ग्राम प्रधान श्री भवानी शंकर से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित रही। (मू0आ0स0–42)

ग्राम पंचायत का नाम– कैलोर विकास खण्ड–माधौगढ़ (प्रस्तर सं05 से6 तक)

प्रस्तर संख्या 5– ग्राम पंचायत कैलार विकास खण्ड–माधौगढ़ लेखा परीक्षा 2010–11 में निम्न विवरण के अनुसार बैंक खाते से धन आहरित है, जिसका विवरण खातावही में अंकित है। परन्तु कार्य से सम्बन्धित कोई पत्रावली एवं एम0बी0 जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी इससे प्रतीत होता है कि कार्य फर्जी दर्शाया गया है।

क्र0	मद का नाम मनरेगा	दिनॉक	श्रमांश	दिनॉक	सामग्री	योग
1	प्रचार प्रसार वाल पेंटिंग	30.05.10	–	–	–	31680.00
2	नाली निर्माण व्याम शाला से मैन स्कूल तक	26.05.10	–	–	85088	85088.00
3	रीचार्ज पिट निर्माण	05.04.10	–	–	38243	38243.00
4	खडंजा निर्माण कालका कोरी के मकान से माइनर की पुलिया तक	26.05.10	21500	–	128378	149878.00
5	खडंजा निर्माण नत्थू सिंह के बाडा से गोविन्द सिंह के मकान तक	29.07.10	3700	29.07.10	28700	32400.00
6	पुलिया निर्माण वीर सिंह के खेत पर	29.07.10	11000	09.07.10	80245	91245.00
7	पुलिया निर्माण कैलोर धर्मपुरा माईनर पर	09.07.10	15400	09.07.10	123647	139041
8	खडंजा निर्माण हीमांचल के खेत से माईनर तक	29.07.10	14600	03.08.10	136007	150607.00
9	खडंजा निर्माण अयोध्या के मकान से गंगा सिंह के मकान तक	29.07.10	11200	30.07.10	85925	94125.00
10	पुलिया निर्माण हरौली मार्ग पर	14.08.10	8800	30.07.10	60000	86416.00
11	पुलिया निर्माण मरघट रामेश्वर सिंह के खेत पर	13.09.10	9700	16.09.10	74944	84644.00
12	नाली निर्माण रघवीर सिंह से मैन रोड तक	14.08.10	12500	–	85088	97588.00

13	कूप मरम्मत देवेन्द्र सिंह के दरवाजे	13.09.10	14400	16.09.10	62091	76499.00
14	खडंजा निर्माण राधेलाल गुप्ता से रण विजय सिंह के मकान तक	27.08.10	14700	16.08.10	101647	116347.00
15	खडंजा निर्माण मैन रोड़ से कन्या पा0 तक सी0सी0 रोड तक	21.08.10	11400	16.08.10	77078	88478.00
16	खडंजा निर्माण दशरथ सिंह के मकान से रंधीर सिंह के बाडा तक	15.09.10	22000	25.08.10	140047	162047.00
17	पुलिया निर्माण विरिया के सम्पर्क मार्ग पर देवेन्द्र सिंह के खेत पर	15.09.10	8700	16.09.10	74347	83047.00
18	खडंजा एवं नाली निर्माण नत्थू से रामप्रकाश तक	16.09.10	5000	18.09.10	49225	54225.00
योग–			**184600/–**		**1448316/–**	**1664596/–**

उक्त विवरण के अनुसार श्रमांश में रू0 184600.00 सामग्री में रू0 1448316.00 तथा प्रचार प्रसार रू031680.00 कुल व्यय रू0 1664596.00 दर्शित है, जिसपर निम्न विवरण के अनुसार अंकित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण आहरित की गयी धनराशि अनियमित तथा दुरूपयोगिक प्रतीत होती है।

1. उक्त कार्यो से सम्बन्धित प्रारम्भ, मध्य एवं अंत के फोटो ग्राफ नहीं पाये गये है।

2. उक्त कार्यो से सम्बन्धित पूर्व वर्षो द्वारा क्रत कार्यो से सम्बन्धित परिसत्पत्ति रजिस्टर मनरेगा एवं ग्राम निधि वार–वार मॉगें जाने के बाबजूद भी जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली, एम0बी0, भुगतान शीट जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

4. लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो से सम्बन्धित सामग्री रजिटर्ड फर्म से क्रय की गयी या अन रजिस्टर्ड फर्म से क्रय की गयी का विवरण अप्राप्त रहा।

5. लेखा परीक्षा में बताया गया की ग्राम प्रधान लेखा परीक्षा वर्ष तथा इसके पूर्व पंचवर्षीय योजना में भी प्रधान रहे है। पूर्व वर्षो के कार्यो की पुनरावृति करके धन के अपहरण की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

6. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना 2010–11 की अनुपलब्ध रही, जिसके कारण कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः रू 1664596.00 की धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तेज सिंह व सचिव श्री राम कुमार एवं टी0ए0 से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं039)

प्रस्तर संख्या 6– ग्राम पंचायत कैलार विकास खण्ड–माधौगढ लेखा परीक्षा 2010–11 में मिडडे पर व्यय रू0 25500.00 दर्शित है, जिसपर निम्नलेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि अनियमित तथा दुरूपयोगिक प्रतीत होती है।

1. लेखा परीक्षा में विद्यालय वार छात्रों की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी की कुल कितने बच्चों को मिडडे दिया गया।

2. लेखा परीक्षा में एम0डी0एम0 से सम्बन्धित कनवर्जन कास्ट का विवरण अप्राप्त रहा।

3. लेखा परीक्षा में सामग्री प्राप्त से सम्बन्धित विवरण अप्राप्त रहा।

उक्त के अभाव में आहरित की गयी धनराशि रू0 25500.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी उक्त धनराशि का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तेज सिंह व सचिव श्री रामकुमार से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत का नाम– कुरसेडा विकास खण्ड–माधौगढ़ (प्रस्तर सं07 से9 तक)

प्रस्तर संख्या 7– ग्राम पंचायत कैलार विकास खण्ड–माधौगढ लेखा परीक्षा वर्ष मनरेगा द्वारा कराये गये कार्यो में निम्न लिखित कमियों के कारण किया गया व्यय फर्जी प्रतीत होता है–

क्र0	मद का नाम मनरेगा	श्रम	सामग्री	धनराशि	पत्रावली	एम0बी0
1	रामकिशन के खेत से मैन सम्पर्क मार्ग तक	28100	–	28100		
2	सम्पर्क मार्ग मैन सडक से बम्बी तक	102600	–	102600		
3	सम्पर्क मार्ग मैन सडक से कनपुरा तक	242100	–	242100		
4	कूप मरम्मत दरवार सिंह के दरवाजे	4900	24559	29459		
5	कूप मरम्मत रामलखन सिंह के दरवाजे	6800	26256	33056		
6	कूप मरम्मत नत्थू सिंह के दरवाजे	5500	11220	17468		
7	कूप मरम्मत जगरूप के दरवाजे	7500	20427	27927		
8	खडंजा मरम्मत बाबू राम के घर से मैन सडक तक	6900	60632	67532		
9	सीता राम के घर से मैन सडक तक खडंजा निर्माण	1647	14311	15958		
10	रामप्रसाद के घर से पुलिया तक खडंजा निर्माण	10500	93903	104403		

11	खडंजा निर्माण नत्थूराम के मकान से कसोली के मकान तक	4000	29368	33368		
12	नाली निर्माण प्रभुदयाल के मकान से नवल के मकान तक	2550	26309	28559		
13	नाली निर्माण मंगल प्रसाद के घर से पुलिया तक पुलिया से भूरे के मकान तक	21660	114500	136160		
14	माईनर खुदाई/सफाई सेवा सिंह के खेत से रूपा पुर टेल तक	58899	—	58899		
15	गूल सफाई	77100	—	77100	नही	नही
16	गूल सफाई	57300	—	57300	नही	नही
17	खडंजा निर्माण रामप्रसाद से पुलिया तक	104304	—	104304	नही	नही
18	खडंजा निर्माण ओमकार के मकान के पास	8000	60690	68990	नही	नही
19	गूल सफाई	51000	—	51000	नही	नही
20	माईनर खुदाई कुरसेडा तक	67800	—	67800	नही	नही
21	क्रासिंग निर्माण मंगल, रामकिशुन, छोटे के दरवाजे	3640	40000	43640	नही	नही
22	क्रासिंग निर्माण रामलखन से भूपेन्द्र तक	96400	—	96400	नही	नही
23	पुलिया निर्माण राघवेन्द्र सिंह के खेत पर	20460	167021	187481	नही	नही
24	सम्पर्क मार्ग रामलखन से कनपुरा मौजे तक	55300	—	55300	नही	नही
25	भूपेन्द्र से बम्बी तक सम्पक्र मार्ग	64080	—	64080	नही	नही
26	नाला खुदाई/सफाई करायी	86160	—	86160	नही	नही
27	नाला खुदाई/सफाई	11400	—	11400	नही	नही
28	सम्पर्क मार्ग जुगराज सिंह से चितौरा मौजे तक	52100	—	52100	नही	नही
29	पुलिया निर्माण केदार सिंह के दरवाजे	16750	—	16750	नही	नही

30	सम्पर्क मार्ग मैन रोड से कनपुरा तक	242100	—	242100	नही	नही
31	नाली निर्माण दिग्विजय के घर से मैन रोड तक	7150	—	7150	नही	नही
32	गूल सफाई	139800	—	139800	नही	नही
	योग—	**1704948/—**	**689196/—**	**2394144/—**		

लेखा परीक्षा में उक्त विवरण के अनुसार कुल व्यय मनरेगा द्वारा रू0 2394144/— व्यय किया गया है, जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि दुरूपयोगित रही—

1. लेखा परीक्षा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गयी है।

2. लेखा परीक्षा में मनरेगा अधिनियम 2005 योजना शीर्ष के अन्तर्गत 4:3 के अनुसार प्रारम्भ मध्य एवं अन्त की फोटोग्राफी नहीं पायी गयी।

3. लेखा परीक्षा में पी0सी0आर0 रिपो0 सार्वजनिक नहीं की गयी। एम0आर0 में किसी मजदूर के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

4. लेखा परीक्षा में मनरेगा निगरानी समिति सर्तकता समिति की रिपोर्ट नहीं पायी गयी।

5. लेखा परीक्षा वर्ष में क्रमांक 1 से 16 तक रू0 1099989/— पूर्व प्रधान श्री विदुला द्वारा व्यय किया गया, जिसकी पत्रावली उपलब्ध रही। क्रमांक 17 से 32 तक की पत्रावलियो की कुल धनराशि रू0 387694/— की पत्रावली अनुपलब्ध रही, शेष वर्तमान प्रधान द्वारा कुल कार्यो की रू0 906461/— की पत्रावली जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है।

इस प्रकार रू0 2394144/— का दुरूपयोग किया गया है। रू0 1487683/— की वसूली ग्राम प्रधान पूर्व श्री विठुला एवं सचिव श्री रमेश उदैनिया से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

शेष धनराशि रू0 906461/— की वसूली श्री रमेश उदैनिया द्वारा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है। इससे प्रतीत होता है कि श्री उदैनिया द्वारा फर्जी कार्य दर्शा कर धन का दुरूपयोग किया गया है। लेखा परीक्षा दौरान यह तत्व प्रकाश में आया कि उदैनिया मजवूत राजनैतिक पहुच वाले ग्राम विकास अधिकारी है, क्योकि प्रधान के पुत्र के नाम मुकदमा कायम कराया है, इसलिए अभिलेखो की जिम्मेदारी सचिव की निर्धारित की जाती है।

अतः रू0 906461/— की वसूली सचिव श्री रमेश उदैनिया से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही ।(मूल आपत्ति सं0 39)

प्रस्तर संख्या 8 –लेखा परीक्षा वर्ष 2010–11 में छात्रवृति खाते से आहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है–

आहरण दिनांक	धनराशि	वितरण	धनराशि
19.05.2010	18440	प्राथमिक विद्यालय	17550
03.02.2011	16640	कन्या विद्यालय	33900
03.02.2011	17525	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	20160
03.02.2011	35400	सुरेश सिंह विद्यालय	28860
08.02.2011	42720	गांधी औधौगिक विद्यालय	23920
19.02.2011	14100	–	–
योग–	**144825/–**	**योग–**	**124390/–**

इस प्रकार लेखा परीक्षा वर्ष में कुल आय रू0 144825/– हुई तथा दिनॉक 01.04.2010 की अवशेष छात्रवृति रू0 11711/– थी, इस प्रकार कुल छात्रवृति रू0 156536/– थी विवरित धनराशि रू0 124390/– तथा अवशेष रू0 32146/– होना चाहिए जो नहीं पायी गयी, जो अपहरण की गयी है, जिसकी वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रमेश उदैनिया एवं ग्राम प्रधान से वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आपत्ति सं0 40)

प्रस्तर संख्या 9– ग्राम निधि खाते से आहरति धनराशि से नाली निर्माण लाखन सिंह के घर से तालाब तक – व्यय धनराशि सामग्री –रू0 136122/– तथा मजदूरी भुगतान मनरेगा से किया गया है।

(1) 28.05.2010 रू0 95000/– सामग्री।

23.05.2010 रू0 30000/– सामग्री।

06.08.2010 रू0 11122/– सामग्री।

<u>योग–रू0 136122/–</u>

उक्त कार्य दिनॉक 09.07.2010 से 15.07.2010 तक दर्शित किया गया।

(2) नाली निर्माण– दुलारे सिंह के घर से रोड़ तक–

13.07.2010 रू0 30000/–सामग्री क्रय तथा मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया गया है।

16.08.2010 रू0 21035/–सामग्री क्रय

<u>योग–51025/–</u>

उपरोक्त कार्य दिनॉक 09.07.2010 से 15.07.2010 तक कराया गया है।

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य योजना नहीं पायी गयी है।

2. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टीमेंट, एम0बी0 नही पायी गयी है, जबकि पंचायत राज अधिनियम/नियमावली के नियम–156 में दिये गये निर्देशों के क्रम में राज वित्त/तेरहवॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के रूप क्रत कार्यो के पूर्व आगणन एवं एम0बी0 के विना नहीं किये जायेगे, परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा नियमों की घोर अवहेलना की गयी है, जिससे नियमावली का औचित्य ही समाप्त हो गया है।

3. लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर ग्राम निधि, मनरेगा का बार–बार मागने के बाबजूद भी जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. क्रमांक 1 में अंकित मस्टरोल दिनॉक 09.07.2010 से 15.07.2010 तक दर्शित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। और न ही स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया है।

5. उक्त कार्य हेतु सामग्री दिनॉक 28.05.2010 को रू0 95000/–,23.05.2010 को रू0 30000/– दिनॉक 06.08.2010 को रू0 11122/– कुल व्यय रू0 136122/– उक्त तिथियों में क्रय के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया गया। कार्य करने की तिथि से दो माह पूर्व तथा एक माह बाद सामग्री क्रय करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फर्जी क्रय दर्शाकर रू0 136122/– ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण किया गया है।

6. क्रमॉक 2 पर नाली निर्माण दुलारे सिंह के घर से रोड़ तक सामग्री पर रू0 51025/– व्यय है। तथा कार्य करने की तिथियॉ 09.07.2010 से 15.07.2010 तक तथा मस्टररोल में रू0 7550/– भुगतान किया गया। सामग्री क्रय 13.07.2010 को रू0 30000/– तथा 06.08.2010 रू0 21035/– की गयी है।

कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सामग्री क्रय का औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा बिना एम0बी0 के कार्य की पुष्टि नहीं होती है। अतः फर्जी कार्य दर्शाकर रू0 51025/– सामग्री का अपहरण किया गया है, जिसकी बसूली ग्राम प्रधान श्री विटुला तथा सचिव श्री रमेश उदैनिया से वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही।

अतः रू0 187157/– सामग्री तथा मजदूरी पर व्यय रू0 27450/– कुल धनराशि रू0 214607/– की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव श्री रमेश उदैनिया से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 41)

ग्राम पंचायत– सिहारी माधौगढ़ विकास खण्ड–माधौगढ़ (प्रस्तर सं010 से12 तक)

प्रस्तर संख्या 10-- लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम निधि खातें से आहरित धनराशि से निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है–

1. हैण्डपम्प मरम्मत मद– सामग्री मद में रू0 106674/– श्रम में रू0 21000/– कुल व्यय रू0 127674/– जिसपर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि दुरूपयोगित प्रतीत होती है।

(1) लेखा परीक्षा में कुल कितने हैण्डपाइप मरम्मत कराये गये है तथा किन –किन स्थानों पर का विवरण अप्राप्त रहा।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में खराब होने तथा ठीक होने की सूचना अप्राप्त रही।

(3) हैण्डपाइप से निकाले गये पुराने सामान का कोई स्टॉक नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त के अभाव में रू0 127674/– व्यय फर्जी प्रतीत होता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती गंगावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यावाही अपेक्षित रही।

प्रस्तर संख्या 11– खडंजा मरम्मत (विवरण नहीं है।)

दिनॉक 19.05.2011 रू0 10000/– सामग्री क्रय।

दिनॉक 13.06.2011 रू0 13148/– सामग्री क्रय।

दिनॉक 15.06.2011 रू0 9000/– मजदूरी भुगतान।

योग – 32148/–

नाली निर्माण/मरम्मत (विवरण नहीं है)

दिनॉक 24.06.2011 रू0 22400/– सामग्री क्रय।

दिनॉक 30.06.2011 रू0 19920/– सामग्री क्रय।

दिनॉक 06.07.2011 रू0 2268/– नाला बजरा क्रय।

दिनॉक 26.07.2011 रू0 8000/– मजदूरी भुगतान।

योग– 52588/–

नाली निर्माण/मरम्मत (विवरण नहीं है)

दिनॉक 06.09.2011 रू0 19440/– सामग्री क्रय।

दिनॉक 07.09.2011 रू0 24000/– सामग्री क्रय।

दिनॉक 07.09.2011 रू0 2240/–नाला बजरा।

दिनॉक 13.09.2011 रू0 4320/– मजदूरी भुगतान।

योग– 50000/–

नाली मरम्मत विवरण नहीं है।

सामग्री क्रय रू0 30000/–

मजदूरी भुगतान रू0 4920/–

योग– 34920/–

नाली क्रासिंग विवरण नहीं है।

सामग्री क्रय रू0 9000/–

मजदूरी भुगतान रू0 1080/–

योग–10080/–

खड़ंजा निर्माण विवरण नहीं है।

सामग्री क्रय रू0 7960/–

मजदूरी भुगतान रू0 2040/–

योग–10000/–

नाली मरम्मत विवरण नहीं है।

सामग्री क्रय रू0 20080/–

मजदूरी भुगतान रू0 4920/–

योग–25000/–

नाली मरम्मत विवरण नहीं है।

सामग्री क्रय रू0 14000/–

मजदूरी भुगतान रू0 3000/–

योग–17000/–

उक्त विवरण के अनुसार रू0 231736/– व्यय किया गया है, जिसपर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि दुरूपयोगित रही।

1. लेखा परीक्षा में पाया गया की नाली निर्माण मरम्मत, खड़ंजा निर्माण मरम्मत एवं नाली क्रांसिंग निर्माण कार्य दर्शित है।

2. उक्त कार्यो से सम्बन्धित स्थानों का स्पष्ट विवरण नहीं पाया गया।

3. उक्त कार्यो से सम्बन्धित स्टीमेट, एम0बी0 आदि नहीं पाये गये है।

4. परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न करके कार्यो की पुनरावृति की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि रू0 231736/– दुरूपयोगित रही जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती गंगावती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल0 आ0 सं0 40)

आहरण दिनांक	धनराशि	वितरण	धनराशि
23.04.2011	24940	प्राथमिक पाठशाला सिहारी	18300
01.10.2011	91360	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	21600
		कन्या प्रा0 पा0 सिहारी	4675
		न्यू आदर्श मॉ0 सरस्वती बाल मन्दिर	33300
01.04.2011 को पास प्रधान	2655		
योग–	**118955/–**	**योग–**	**77875/–**

प्रस्तर संख्या 12– लेखा परीक्षा वर्ष में छात्रवृति खाते से आहरित धनराशि का सम्पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।

उक्त विवरण के अनुसार गत वर्ष तथा आलोच्य वर्ष में रू0 118955/– थी, जिसमें से रू0 77875/– धनराशि का वितरण रजिस्टर जॉच हेतु प्रस्तुत किया है। जो आहरित धनराशि से विलम्ब से वितरण दर्शित है। अतः रू0 41080/– का अपहरण छात्रवृत्ति धनराशि का ग्राम प्रधान श्री मती गंगा वती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया, जिसकी वसूली की वैधानिक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।(मूल0 आ0 सं0 41)

ग्राम पंचायत – सोप्ता विकास खण्ड–माधौगढ़ (प्रस्तर सं013 से28 तक)

प्रस्तर संख्या 13– आदर्श तालाब का सौन्दर्यीकरण (देवीजी के मन्दिर के पास)

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में व्यय धनराशि रू0 46524/–

2. लेखा परीक्षा में उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित स्टीमेट, एम0बी0, वार्षिक कार्ययोजना एवं मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं पाया गया।

3. उक्त कार्य में दिनॉक 07.04.2011 को मस्टर रोल से रू0 4800/– भुगतान दर्शाया गया, जबकि मस्टर रोल नहीं पाया गया।

4. पत्रावली में 05.04.2011 से 08.04.2011 तक मस्टरोल में रू0 2360/– दर्शित है, जिसका भुगतान दिनॉक 27.05.2011 को दर्शित है, जबकि मनरेगा गाईडलाइन के अनुसार साप्ताहिक भुगतान होना चाहिए विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया।

5. कार्य दिनॉक 08.04.2011 को समाप्त हो गया था, तो दिनॉक 20.06.2011 को सियोलिया इण्टरप्राईजिज माधौगढ़ बुक नं0 1एस0 एल0 एन0 ओ0 एस0 टिन नं0 निल दिनॉक 26.06.2011 को मटेरियल रू0 12695/– एवं दिनॉक 08.04.2011 को 24269/– क्रय किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

6. मनरेगा गाइडलाईन्स एवं मनरेगा अधिनियम 2005 के योजना शीर्ष के अन्तर्गत 4.3 के अन्तर्गत कार्य करने से पूर्व, मध्य, अन्त आदि के फोटोग्राफ नहीं लिए गये है।

7. उक्त कार्य की पी0सी0आर0 कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट, सर्तकता समिति, मनरेगा निगरानी समिति की रिपोर्ट नहीं पायी गयी।

अतः उक्त के अभाव में व्यय की गयी धनराशि रू0 46524/– फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलाराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 02)

प्रस्तर संख्या 14– सम्पर्क मार्ग–सोप्ता पुलिया से नृपत के मकान तक (व्यय रू0 210720/–)

1. उक्त कार्य में मजदूरी का कुल भुगतान रू0 210720/– दर्शित है, जबकि दो लाख से ऊपर की एम0बी0 जेई आर0ई0एस0 द्वारा की जाएगी।

2. मनेरगा अधिनियम 2005 के योजना शीर्ष के अन्तर्गत 4:3 के अन्तर्गत कार्य करने से पूर्व, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है। जबकि स्टीमेट में फोटोग्राफी की व्यवस्था की गयी है।

3. जबकि उक्त कार्य की लम्बाई 700 मी0×4.60+5.60/2 चौड़ाई × .90+1.00+.90/3 ऊँचाई औसत की गयी है, चौड़ाई ऊँचाई से सम्बन्धित स्पष्ट विवरण अप्राप्त रहा टी0ए0 द्वारा मनमानी ढ़ंग से ऊँचाई बढ़ाई गयी है।

4. एम0बी0 की जॉच में पाया गया की टी0ए0 द्वारा ई/डब्लू 2891.181069.50 200937.01 फाईनल कबर 30 प्रतिशत 867.3×10.50 = 9107.00 पानी पीने की व्यवस्था पर व्यय रू0 1680/–

5. लेखा परीक्षा में महिलाओं को 30 प्रतिशत से अधिक भुगतान का मस्टररोल नहीं पाया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके की महिलाओं का प्रतिशत 30 रहा। अतः रू0 9107/–किया गया भुगतान अनियमित तथा फर्जी प्रतीत होता है।

6. उक्त कार्य में जय दुर्गा आयरन स्टोर माधौगढ़ क्रमांक 135 दिनांक 10.08.2011 को रू0 2800/– साईन बोर्ड क्रय किया गया, जबकि योजना अनुसार रू0 2500/– ही अनुमन्य है, फोटोग्राफी अनुपलब्ध रही।

7. ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर मनरेगा ग्राम निधि बार–बार मागे जाने के बाबजूद भी जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया उक्त के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि रू0 2010720/– दुरूपयोगिक प्रतीत होती है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलाराम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेन्द्र पाल सिंह एवं टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही। (मूल0 आ0 सं0 03)

प्रस्तर संख्या 15– सम्पर्क मार्ग सोप्ता पुलिया से ड़ामर रोड़ तक (व्यय रू0 155400/)–

1. उक्त कार्य की एम0बी0 की जॉच में पाया गया की मिट्टी खुदाई ई/ड़ब्लू–146375.34 फाईनल कबर 631.80×10.50 = 6633 ड्राइंग अंड़र 2400 कुल 155408

2. उक्त कार्य की एम0बी0 में मनमानें ढ़ग से ऊचाई दर्शायी गयी है, जिसके कारण अधिक मूल्य की एम0बी0 की गयी है।

3. उक्त कार्य की वार्षिक कार्ययोजना मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

4. उक्त कार्य की मनरेगा अधिनियम 2005 योजना शीर्ष के अन्तर्गत 4.3 के अनुसार कार्य प्रारम्भ मध्य एवं अन्त के फोटोग्राफ नहीं लिए गये, जिसके कारण क्रत कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

5. उक्त कार्य पी0सी0आर0 रिपोर्ट कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट सर्तकता समिति एवं मनरेगा निगरानी समिति की रिपोर्ट नहीं पायी गयी।

उक्त के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि रू0 155400/– अनियमित तथा दुरूपयोगित रही तथा जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम एवं सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 04)

प्रस्तर संख्या 16– नाला खुदाई/सफाई प्रा0 पाठ0 से सिहारी ड़ामर रोड़ तक कुल व्यय रू 147480/– (माप 1000×6.50+3.90×1.78) औसत खुदाई दर्शित है।

1. नाला खुदाई/सफाई कार्य में पूर्व में खुदे नाले का कोई विवरण नहीं है।

2. उक्त कार्य की प्रारम्भ मध्य एवं अन्त की फोटोग्राफ नहीं पायें गये।

3. जबकि स्टीमेट सफाई कार्य का प्राविधान किया गया है, जबकि भुगतान खुदाई कार्य का दर्शित है 1.78 मी0 गहराई स्पष्ट है कि नया कार्य होगा।

परन्तु टी0ए0 द्वारा मनमानी ढंग से कार्य का स्टीमेट तैयार करते हुए रू0 147480/– का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली प्रधान श्री तुला राम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आप0 सं0 5)

प्रस्तर संख्या 17– सम्पर्क मार्ग माता प्रसाद के खेत से मुन्नालाल के खेत तक (मरम्मत कार्य व्यय धनराशि 70720/)

1. लेखा परीक्षा में पाया गया की मनरेगा द्वारा मरम्मत कार्य किया गया है, जबकि मनरेगा योजना अनुसार नये कार्य कराये जाने का प्राविधान है।

2. 420×3.40+4.40/2×.40+50+.40/3 औसत जो पर्याप्त था।

3. पुनः नया कार्य 3.80+5.80/2×1.10+1.20+1.20/3 किया गया है।

उक्त कार्य पूर्व में पर्याप्त था अत्याधिक ऊँचाई किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

4. क्रत कार्यो की फोटोग्राफी नहीं पायी गयी है।

5. उक्त कार्यो की कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः मरम्मद मद में फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली प्रधान श्री तुलाराम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह व टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से रू0 70720/– की वसूली की वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही। (मूल आ0 सं0 6)

प्रस्तर संख्या 18– सम्पर्क मार्ग मरम्मत –मुन्नालाल के खेत से रामसजीवन के खेत तक व्यय रू0 47620/–

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य मरम्मत करना करना दिखाया गया, जबकि मनरेगा गाईडलाईन के अनुसार नये कार्य किये जाने का प्रावधान है।

2. उक्त मरम्मत कार्य में लम्बाई, चौड़ाई, ऊचाई का विवरण 0.90+1.00+0.90 तथा 2.70+3.90/2×.60+.70+.60 किया गया है।

3. जब कि पूर्व में प्राप्त ऊँचाई थी पुनः बढ़ाये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

4. उक्त कार्यो की वार्षिक कार्ययोजना परिसम्पत्ति रजिस्टर जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. लेखा परीक्षा में मनरेगा अधिनियम 2005 योजना शीर्ष के अन्तर्गत 4:3 के अुसार प्रारम्भ मध्य एवं अन्त की फोटोग्राफी प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उक्त मध्य में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 47620/– का दुरूपयोग किया गया है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं टी0ए0 राजेश कुशवाहा से की जानी अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 7)

प्रस्तर संख्या 19– सम्पर्क मार्ग तुलसीराम के खेत से सोप्ता मरघट तक (कुल व्यय रू0 267480/–

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य की फोटोग्राफी नहीं पायी गयी ।

2. उक्त कार्य की वार्षिक कार्ययोजना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. उक्त कार्य हेतु 267480 का भुगतान किया गया है जबकि 2 लाख से ऊपर की एम0बी0 जे0ई0 आर0ई0एस0 द्वारा की जानी चाहिए थी।

4. अतः टी0ए0 द्वारा मनमानें ढ़ंग से स्टीमेट तैयार करते हुए चौड़ाई एवं ऊँचाई बढ़ाई गयी जबकि स्टीमेट में फोटोग्राफी की व्यवस्था की गयी है। न ही मनरेगा निगरानी समिति, सर्तकता समिति द्वारा कार्य के होने का विवरण अप्राप्त रहा।

उपरोक्त के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि रू0 267480/– दुरूपयोगित रही जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलाराम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित रही। (मूल आ0 सं0 8)

प्रस्तर संख्या 20–

1. सम्पर्क मार्ग मोहन बाबू के खेत से अटा गॉव नाला पुलिया तक व्यय धनराशि रू0 44400/–
2. सम्पर्क मार्ग मौजी लाल के खेत से जगमोहन के खेत तक व्यय धनराशि 33600/–
3. पुलिया निर्माण धीर सिंह के खेत पर व्यय रू0 79450/–
4. पुलिया निर्माण शंकर सिंह के खेत पर व्यय रू0 81030/–
5. पुलिया निर्माण मरघट के पास व्यय रू0 162165/–

उक्त विवरण के अनुसार कुल व्यय रू0 400645/– व्यय दर्शित है, जिसपर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि अनियमित तथा दुरूपयोगिक प्रतीत होती है।

1. लेखा परीक्षा में कार्ययोजना वर्ष 2011–12 की जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी है।
2. लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो से सम्बन्धित फोटोग्राफी नहीं पायी गयी है।
3. लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निगरानी समिति, सतक्रता समिति आदि के द्वारा कार्य प्रमाणित नहीं है।
4. लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के अभाव में कार्यो में व्यय धनराशि रू0 400645/– दुरूपयोगित रही, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 9)

प्रस्तर संख्या 21–

1. गूल खुदाई एवं सफाई कार्य अटा गांव नाला से पुलिया तक व्यय रू0 36600/–
2. गूल खुदाई एवं सफाई कार्य बलबन्त के खेत से बम्बी तक व्यय रू0 30120/–

उक्त कार्यो पर व्यय धनराशि रू0 66720/– किया गया है। लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि दुरूपयोगित रही।

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो की सफाई कार्य किया गया जबकि कार्य एवं धन नये कार्यो पर किया गया है। पुराने कार्यो से सम्बन्धित कोई स्पष्ट विवरण नहीं पाया गया।
2. उक्त कार्यो की प्रारम्भ मध्य एवं अन्त की फोटोग्राफी नहीं पायी गयी।
3. उक्त कार्यो से सम्बन्धित मनरेगा का परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो की मनरेगा निगरानी समिति एवं सर्तकता समिति की स्वीकृति नहीं पायी गयी न ही वार्षिक कार्य योजना पायी गयी।

उपरोक्त के अभाव में व्यय रू0 66720/– फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह एवं टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही। (मूल आ0 सं0 10)

प्रस्तर संख्या 22– कूप मरम्मत बालादीन के दरवाजे रू0 31500/– सामग्री तथा रू0 12801/– का जाल कुल व्यय रू0 44301/– दर्शित है। जिसपर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण क्रय की गयी सामग्री दुरूपयोगित रही।

1. लेखा परीक्षा में पाया गया की मनरेगा द्वारा मरम्मत कार्य किया गया।

2. लेखा परीक्षा में सामग्री क्रय के पश्चात उपयोग मस्टररोल का स्पष्ट विवरण नही पाया गया है।

3. उक्त कार्य की फोटोग्राफी नहीं पायी गयी।

4. कूप मरम्मत किस तरह का कराया गया का विवरण अप्राप्त रहा।

5. लेखा परीक्षा में कुओं में कैसे निर्माण कार्य कराया या क्योकि बास बल्ली आदि का विवरण अप्राप्त रहा।

अतः उक्त व्यय रू0 44301/– फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरूपयोग किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलाराम ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह व टी0ए0 श्री राजेश कुशवाहा से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 11)

प्रस्तर संख्या 23– लेखा परीक्षा वर्ष में रू0 31680/– भुगतान मनरेगा से प्रचार प्रसार मध्य दीवाल लेखन कार्य का किया गया है, जिसपर मूल लेखा परीक्षण टिप्पणी के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि अनियमित तथा दुरूपयोगित रही।

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2. लेखा परीखा में उक्त कार्य हेतु किस दर से कितने वर्गफीट पर नाम लेखन किस तरह से किया गया तथा उसकी दर क्या थी आदि का स्पष्ट विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

अतः उक्त धनराशि बिना व्यय प्रमाणक के फर्जी प्रतीत होती है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम व सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 12)

प्रस्तर संख्या 24– लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में ग्रामीण खाते से निम्न कार्य दर्शित है।

1. नाली निर्माण राजपाल के दरवाजे से नाले की ओर व्यय रू0 35275/–

2. नाली निर्माण बदलू के दरवाजे से सी0सी0 रोड़ तक व्यय रू0 26881/–

3. नाली मरम्मत सुरेश के कुआं से तालाब तक व्यय रू0 18000/–

(1) लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टीमेट, एम0बी0 नहीं पाये गये है।

(2) और न ही ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत किया गया।

उक्त के अभाव में व्यय की गयी धनराशि रू0 80156/– दुरूपयोगित रही। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुलाराम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 13)

प्रस्तर संख्या 25– लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम निधि खाते से निम्न स्थानो पर मिटटी भराई कार्य दर्शित।

1. मिट्टी भराई कार्य पुलिया विरिया रोड़ पर व्यय रू0 9360/–
2. मिट्टी भराई शंकर सिंह के खेत पर व्यय रू0 10560/–
3. मिट्टी भराई मरघट पुलिया पर व्यय रू0 7200/–
4. मिट्टी भराई छक्कीलाल के खेत पर व्यय रू0 11760/–

लेखा परीक्षा में उक्त स्थानो पर मिट्टी भराई कार्य पर रू0 38800/– व्यय करना दर्शित किया गया है जिसपंर निम्नलेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण क्रत कार्य दुरूपयोगित रहा।

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्यो में कुल कितने क्षेत्रफल में कितने घनमी0 मिट्टी डाली गयी तथा लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई आदि का विवरण नहीं पाया गया।
2. उक्त कार्य से सम्बन्धित स्टीमेट एम0बी0 लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।
3. ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना अनुउपलब्ध रही।

उक्त के अभाव में व्यय की गयी धनराशि रू0 38800/– दुरूपयोगित रही जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम व सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जाने अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 14)

प्रस्तर संख्या 26– लेखा परीक्षा वर्ष में हैण्डपाईप प्लेट फार्म निर्माण मद में रू0 23360/– व्यय किया गया है। ईट 5000×4200=21000 दिनॉक 02.11.2011 दिनॉक 02.11.2011 नाला बजरा रू0 1100/– दिनॉक 02.11.2011 मजदूरी भुगतान रू0 1260/– व्यय दर्शित है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि दुरूपयोगित रही।

1. ग्राम पंचायत के पास पूर्व में कोई स्टाक नहीं था।
2. दिनॉक 02.11.2011 को बजरा क्रय तथा मजदूरी का भुगतान दर्शित है।
3. क्या प्लेट फार्म का निर्माण ईट, बजरा से किया गया ग्राम पंचायत द्वारा सीमेन्ट, बालू क्रय के बिना प्लेट फार्म का निर्माण किस प्रकार किया गया।

उक्त के अभाव में भुगतान की गयी धनराशि रू0 23360/– दुरूपयोगित रही जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम सचिव श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुये तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 15)

प्रस्तर संख्या 27– लेखा परीक्षा वर्ष में हैण्डपाइप सामग्री मद में रू0 48773/– मजदूरी में रू0 7760/– कुल व्यय रू0 56533/– दर्शित है जिसपर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि दुरूपयोगित रही।

1. दिनॉक 05.01.2011 को सामग्री क्रय रू0 4920/–, दिनॉक 05.12.2010 को रू0 8000/–दिनॉक 19.01.2011 को सामग्री रू0 5000/– कुल रू0 17920/– सामग्री क्रय के पश्चात स्टाक रजिस्टर में नहीं में पाया गया और न ही उपयोग पाया गया।
2. लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में हैण्डपाइप खराब होने की संख्या एवं विवरण अप्राप्त रहा।
3. लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा किन–किन हैण्डपाइपों में किस तरह की मरम्मत की गयी का विवरण अप्राप्त रहा।

4. लेखा परीक्षा में यह ज्ञात नहीं हो सका की लेखा परीक्षा वर्ष में कुल कितने हैण्डपाइपों की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत हैण्डपाइपो से निकाली गयी सामग्री का स्टाक नहीं पाया गया।

उक्त के अभाव में व्यय की गयी धनराशि रू0 56533/– दुरूपयोगित रही जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 16)

प्रस्तर संख्या 28– लेखा परीक्षा वर्ष में सफाई मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित है। दिनॉक 10.11.2011 प्रमाणित संख्या 43 से तालाब सफाई तोर में मजदूरो का भुगतान रू0 12000/– दिनॉक 12.11.2011 प्रमाणक संख्या 85 प्राथमिक पाठशाला सोप्ता, जनकपुरा, तोर समुदाये केन्द्र पर रू0 10200/– कुल रू0 22200/– व्यय किया गया, जिसपर निम्नलेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि अनियमित रही।

1. ग्राम पंचायत में पर्याप्त सफाई कर्मी कार्यरत है।

2. जब किसी अधिकारी का दौरा होता है तो ग्राम पंचायत के साथ ही विकास खण्ड़ कार्यालय का भी सफाई का दायित्व होता है, जब कि पर्याप्त संख्या सफाई कर्मी कार्यरत है। अतः उक्त मद में 22200/– व्यय की गयी धनराशि दुरूपयोगित रही जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री तुला राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह से दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करते हुए वसूली की कार्यवाही अपेक्षित रही।

ग्राम पंचायत – भदरेखी विकास खण्ड–कदौरा

प्रस्तर संख्या 29– निम्न लिखित ग्राम पंचायत के मनरेगा खाते से निम्न धनराशियों की निकासी निम्न तिथियों में की गयी जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

दिनॉक	चैक सं0	खाता सं0	धनराशि	व्यय प्रमाणक की स्थिति
03.06.2010	49402	2809	39600	अप्राप्त
27.07.2010	49176	2809	70150	अप्राप्त
27.07.2010	49173	2809	9200	अप्राप्त
27.07.2010	49175	2809	58900	अप्राप्त
27.07.2010	49174	2809	7300	अप्राप्त
27.07.2010	49177	2809	25900	अप्राप्त
योग–			211050/–	

उपरोक्त प्रमाणक प्रस्तुत कर जॉच करायी जाये अन्यथा की स्थिति उपरोक्त धनराशि की वसूली प्रधान श्री मती शिव कुमारी एवं सचिव श्री ईश्वर दयाल श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित रही।(मूल आ0 सं0 38)

ग्राम पंचायत – कुकहनू विकास खण्ड–महेवा

प्रस्तर संख्या 30– वर्ष 2010–11 में मिड डे में देय रू0 99000/– किया गया है किन्तु खाद्य सामग्री व कन्वर्जन कास्ट का हिसाब बनाकर नियमानुसार नहीं रखा गया तथा उपभोग प्रमाणपत्र भी अप्राप्त रहा, जिससे उक्त मद में व्यय में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः हिसाब बना कर के एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करके उक्त की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा मिड डे मील से सम्बन्धित प्रमाणक भी नियमित नहीं अतः जॉचों उपरान्त वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित रही। (मूल आ0 सं0 11)

प्रस्तर संख्या 31– वर्ष 2010–11 की कैश बुक में दिनॉक 31.03.2011 को छात्रवृत्ति खाता में अवशेष रू0 204088/– दर्शित किया गया है। किन्तु वर्ष 2011–12 की कैश बुक में छात्रवृत्ति 01.04.2011 को प्रारम्भिक रोकड़ में रू0 143189/– ही अंकित किया गया। इसप्रकार रू0 60899/–प्रारम्भिक शेष में छात्रवृत्ति की राशि कम पकड़ी गयी है। तथा बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त अन्तर राशि की वाश्तविक कारण स्पष्ट नहीं हो सका। अतः उक्त अन्तर राशि की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सचिव/प्रधान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।(मूल आ0 सं0 9)

ग्राम पंचायत – गायर विकास खण्ड–जालौन

प्रस्तर संख्या 32– दिनॉक 04.04.2011 को सामग्री मनरेगा खाता 7961 से इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक कुकरगॉव से रू0 50000/– की निकासी की गयी है। जिसका कोई कार्य नहीं दिखाया गया है। कार्य न दिखा कर के सचिव एवं प्रधान ने धनराशि का अपहरण किया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री संतोष कुमार तिवारी एवं सचिव श्री गन्धर्व कुशवाहा से की जानी अपेक्षित है।(मूल आ0 सं0 21)

ग्राम पंचायत – कुवरपुरा विकास खण्ड–जालौन (प्रस्तर सं033 से 36 तक)

प्रस्तर संख्या 33– वर्ष 2010–11 में ग्राम निधि खाता 8502 इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक कुकरगॉव से कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार सचिव श्रीमती ऊषा सिंह एवं प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा की गयी परन्तु कैश बुक में निकासी धनराशि का व्यय दर्शित नहीं किया गया है। अतः निकाली गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

दिनॉक	अपहरण की धनराशि
26.04.2010	रू0 10000.00
26.04.2010	रू0 10000.00
05.05.2010	रू0 10000.00
05.05.2010	रू0 10000.00
08.05.2010	रू0 10000.00
08.05.2010	रू0 8000.00
08.05.2010	रू0 4000.00
10.05.2010	रू0 10700.00
15.05.2010	रू0 50000.00
योग–	**रू0 122700.00** (मूल आ0 सं0 29)

प्रस्तर संख्या 34– एम0बी0एम0 खाता संख्या 8494 इलाबाद यू0पी0 ग्रामीण कुकरगॉव से रू0 10000.00 की निकासी की गयी है। एम0बी0एम0 से सम्बन्धित व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः उक्त धनराशि की वसूली सचिव श्री मती ऊषा सिंह व प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0 30)

प्रस्तर संख्या 35– वर्ष 2010–11 में मनरेगा श्रमांश खाता सं0 22649 के इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैक जालौन से निम्न लिखित निकासी बैंक पासबुक के अनुसार प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह व सचिव श्री मती ऊषा सिंह के द्वारा की गयी है। परन्तु कैश बुक में इस निकासी का व्यय विवरण दर्शित न कर धनराशि का अपहरण किया गया है।

दिनॉक	अपहरण की धनराशि
01.04.2010	रू0 4733.00
07.04.2010	रू0 20500.00
08.04.2010	रू0 23200.00
21.04.2010	रू0 13100.00
04.05.2010	रू0 59800.00
15.05.2010	रू0 29100.00
योगः–	**रू0 150433**

अतः उपरोक्त धनराशि रू0 150433 की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है।(मूलआ0सं0 31)

प्रस्तर संख्या 36– वर्ष 2010–11 में मनरेगा सामग्री खाता सं0 25564 इलाहाबाद यू0 पी0 ग्रामीण जालौन से सचिव श्री मती ऊषा सिंह प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा निम्न लिखित निकासी की गयी है। परन्तु इस निकासी की धनराशि को कैश बुक में अंकित न करके तथा व्यय वाउचर उपलब्ध न कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

दिनॉक **अपहरण की धनराशि**

दिनॉक	वा0संख्या	भुगतान राशि	कार्य का नाम	टिप्पणी
09.04.2011	01	8537.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	सामग्री क्रय का प्रमाणक नही है।
10.08.2011	05	3900.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मस्टररोल में 04 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गय।
12.08.2011	07	11624.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	सामग्री क्रय का प्रमाणक नहीं है।
16.08.2011	08	5460.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मस्टररोल में 04 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।

04.10.2011	11	6841.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	सामग्री क्रय का प्रमाणक नहीं है।
10.10.2011	05	4680.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मस्टररोल में 04 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गय।
योगः–		**41042.00**		

21.04.2010 रू0 160000.00

22.04.2010 रू0 85000.00

योगः– रू0 245000.00

अतः उपरोक्त धनराशि रू0 245000.00 की वसूली सचिव एवं प्रधान से की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आ0 सं0 32)

ग्राम पंचायत – जखौली विकास खण्ड–कोंच (प्रस्तर सं037 से 40 तक)

प्रस्तर संख्या 37 – लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में हैण्डपाइप मरम्मत पर व्यय के प्रमाण नहीं है/मजदूरो के नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये जिससे भुगतान की गयी धनराशि को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः सन्निहित धनराशि रू0 41042/– की सचिव श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री शत्रुघन सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 38 – आलोच्य वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रमाणकों में भुगतान प्राप्त करता का नाम व उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये जिससे भुगतान की धनराशि को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः सन्निहित धनराशि रू0 113661.00 की सचिव श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री शत्रुघन से वसूली की जानी अपेक्षित है।

दिनॉक	वा0संख्या	भुगतान राशि	कार्य का नाम	टिप्पणी
21.06.2011	03	10800.00	मिटटी भराई हरिजन बस्ती, खलिहान व माताराम देव	मिटटी भराई ट्रैक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम, पिता का नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।
12.08.2011	06	2160.00	मिटटी भराई हरिजन बस्ती, खलिहान व माताराम देव	मस्टररोल में 05 अकुशल मजदूरों की उपस्थिति अंकित है जबकि मजदूरो के नाम अंकित नही है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये
01.10.2011	10	13300.00	कूड़ा करकट फिकवाई व सफाई	ट्रैक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम, पिता का नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।

28.11.2011	17	1500.00	पंचायत घर की रंगाई पुताई	पुताई के मजदूरी के वाउचर पर नाम, पिता का नाम अंकित नहीं है और प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।
19.12.2011	19	16700.00	पंचायत घर की रंगाई पुताई सामग्री क्रय	प्रमाणक नहीं है।
19.12.2011	20	14000.00	मिट्टी भराई मराई माता के पास	मिट्टी भराई ट्रैक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम, पिता का नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।
07.03.2012	27	19280.00	खडंजा मरम्मत एवं नाली निर्माण अमित से गुलाब तक	मस्टरोल 12 अकुशल एवं 02 कुशल मजदूरो की उपस्थिति अंकित है जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है। और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
07.03.2012	28	19942.00	खडंजा मरम्मत एवं नाली निर्माण अमित से गुलाब तक	सामग्री क्रय का प्रमाणक नहीं है।
10.01.2012	22	10842.00	खडंजा निर्माण रामकिशोर से हरिशंकर भाटियां तक	सामग्री क्रय का प्रमाणक नहीं है।
10.01.2012	23	2520.00	खडंजा निर्माण रामकिशोर से हरिशंकर भाटियां तक	मस्टररोल के क्रमांक 11 व 12 एवं 13 पर अंकित किशोरी देवी पत्नी गिरू, मायादेवी पत्नी मंगली एवं गुडन पत्नी शिखावत के (हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है।)द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं किया गया।
17.03.2012	29	2617.00	स्टेशनरी क्रय	व्यय प्रमाणक नहीं है।
योगः–		**113661.00**		(मूल आ0 सं0 24)

प्रस्तर संख्या 39 – लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति रू0 44210.00 का वितरण विभिन्न तिथियों में दर्शाया गया है किन्तु वितरण की पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, सत्यापन प्रमाणपत्र एवं अनुमोदित सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उक्त व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि की जॉचों उपरान्त वसूली अपेक्षित है।(मूल आ0 सं0 25)

प्रस्तर संख्या 40 – अलोच्य वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित कार्यो पर व्यय दर्शाया गया है। किन्तु उससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/पत्रावलियां लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी अतः सन्निहित धनराशि रू0 381361.00 की वसूली सचिव श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री शत्रुघन से की जानी अपेक्षित है।

कार्य का नाम	व्यय धनराशि
वृक्षारोपड़ ग्राम पंचायत जखौली में	18400.00
नाली निर्माण हरी शंकर के मकान से गंधानाला तक	142191.00
सम्पर्क मार्ग राधेश्याम के खेत से गंगा प्रसाद के खेत तक	75120.00
गूल सफाई नहर से मनोज के खेत तक	15480.00
नाली एवं खड़ंजा निर्माण रमेश बाबा के मकान से सी0सी0 रोड़ तक	81237.00
नाली निर्माण रामस्वरूप के हैण्डपम्प से तालाब तक	48933.00
योगः–	**381361.00 (मू0आ0सं038)**

ग्राम पंचायत–विरासनी विकास खण्ड–कोंच (प्रस्तर सं041 से 43 तक)

दिनॉक	वा0संख्या	भुगतान राशि	कार्य का नाम	टिप्पणी
28.04.2011	03	7880.00	जूनियर हाईस्कूल के अन्दर खडंजा मरम्मत	मस्टर रोल में 08 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
28.04.2011	04	1764.00	जूनियर हाईस्कूल के अन्दर खडंजा मरम्मत	मिट्टी डलबाई के वाउचर पर नाम अंकित नही है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर
25.05.2011	06	12480.00	पूरन वर्मा के मकान से पर्वत तक खडंजा मरम्मत	मस्टर रोल में 07अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
10.06.2011	08	2940.00	पूरन वर्मा के मकान से पर्वत तक खडंजा मरम्मत	मिट्टी डलवाई के वाउचर पर नाम अंकित नही है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर
25.06.2011	10	1411.00	पुलिया निर्माण लिंक रोड़ के पास	मिट्टी डलवाई के वाउचर पर नाम अंकित नही है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर
18.08.2011	13	7020.00	पुलिया निर्माण लिंक रोड़ के पास	मस्टर रोल में 05अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।

20.08.2011	14	9720	खड़ंजा निर्माण जू0 हा0 के पास	मस्टर रोलमें 05अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
30.08.2011	15	2808.00	खडंजा निर्माण जू0 हा0 के पास	मिट्टी डलबाई के वाउचर पर नाम अंकित नही है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर
24.09.2011	19	3860.00	खडंजा निर्माण द्वारिका से स्वास्थ विभाग तक	मस्टर रोलमें 04 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
10.01.2012	27	7000.00	कूड़ा सफाई फिकवाई ,ट्रैक्टर द्वारा	प्रमाणक नही है।
23.01.2012	28	3360.00	कूड़ा सफाई फिकवाई,मजदूरी	मस्टर रोलमें 04 अकुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
19.09.2011	16	16008.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	प्रमाणक नही है।
24.09.2011	17	3120.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मस्टर रोलमें 04 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
05.01.2012	26	1980.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मस्टर रोलमें 03 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूरो की उपस्थित अंकित है। जबकि मजदूरो के नाम अंकित नहीं और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
01.02.2012	32	9609.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय	प्रमाणक नहीं है।
24.09.2011	18	2000.00	स्टेशनरी क्रय	प्रमाणक नहीं है।
24.10.2011	20	51025.00	विद्युतीकरण सामग्री क्रय	प्रमाणक नहीं है।
योगः—		143985.00	(मूल आ0 सं0 23)	

प्रस्तर संख्या 41– अलोच्य वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रमाणकों में भुगतान प्राप्त करता का नाम व उनके हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये जिससे भुगतान की धनराशि को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः सन्निहित धनराशि रू0 143985.00 की सचिव श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री शिव प्रताप सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 42– सम्पर्क मार्ग निर्माण बाबू मिस्त्री के मकान से मलखान तक किया गया जिस पर मजदूरी का भुगतान रू0 62880.00 किया गया है। जब कि उक्त कार्य की एम0बी0 तकनीकी सहायक द्वारा मात्र रू0 46065.99 की गयी है। अतः एम0बी0 से अधिक किये गये भुगतान रू0 16814.00 की सचिव श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री शिवप्रताप सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0 36)

दिनॉक	वा0संख्या	भुगतान राशि	कार्य का नाम	टिप्पणी
01.09.2011	20	12371.00	लिखाई पुताई हेतु भुगतान	प्रमाणक नहीं है।
31.03.2012	39	22500.00	साईन बोर्डो का भुगतान	प्रमाणक नहीं है।
योगः–		**34871.00**		(मूल आ0 सं0 37)

प्रस्तर संख्या 43– आलोच्य वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित प्रमाणक नहीं पाये गये जिससे भुगतान की धनराशि को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः संन्निहित धनराशि रू0 34871.00 की सचिव श्री महेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री शिवप्रताप सिंह से वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत– गुमावली विकास खण्ड–कोंच (प्रस्तर सं044 से 45 तक)

प्रस्तर संख्या 44– दिनॉक 29.03.2012 को ऑडिट शुल्क वर्ष 2010–11 रू0 1000.00 जमा करना दर्शाया गया है। जबकि प्रमाणक (चालान) रू0 900.00 का है, इसप्रकार रू0 100.00 से अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली सचिव श्री प्रमोद कुमार सोनी एवं प्रधान श्री राधेलाल से की जानी चाहिए।(मूल आ0 सं0 23)

प्रस्तर संख्या 45– अलोच्य वर्ष 2011–12 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित प्रमाणकों में भुगतान प्राप्त करता का नाम व उनके हस्ताक्षर /अंगूठा निशान नहीं पाये गये। जिससे भुगतान की धनराशि को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः सन्निहित धनराशि रू0 59840.00 की सचिव श्री प्रमोद कुमार सोनी एवं प्रधान श्री राधेलाल सिंह वसूली की जानी अपेक्षित है।

दिनॉक	वा0संख्या	भुगतान राशि	कार्य का नाम	टिप्पणी
25.04.2011	05	4000.00	नाली मरम्मत रामगोपाल से चन्द्रभान के घर तक	मस्टररोल 05 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
01.06.2011	09	600.00	सोबरन सिंह शंतराम के मकान खड़ंजा मरम्मत	मिटटी भराई ट्रेक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।

10.06.2011	11	2040.00	सोबरन सिंह शंतराम के मकान खडंजा मरम्मत	मस्टररोल 05 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
15.07.2011	18	4000.00	खड़ंजा निर्माण गोटी राम से पीतम के मकान तक	मस्टररोल 05 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
15.07.2011	19	1000.00	खड़ंजा निर्माण गोटी राम से पीतम के मकान तक	मिट्टी भराई ट्रेक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।
18.08.2011	21	1600.00	खड़ंजा मरम्मत दयाराम से बालादीन के मकान तक	मिट्टी भराई ट्रेक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।
29.08.2011	24	8080.00	खड़ंजा मरम्मत दयाराम से बालादीन के मकान तक	मस्टररोल 06 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
19.08.2011	23	2000.00	खड़ंजा मरम्मत	मिट्टी भराई ट्रेक्टर भाड़ा के वाउचर पर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर है।
29.08.2011	24	6000.00	खड़ंजा मरम्मत	मस्टररोल 05 अकुशल एवं 01 कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
19.11.2011	38	8400.00	सी0सी0 मरम्मत राजू यादव से रामजी तक	मस्टररोल 08 अकुशल एवं 02कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
01.03.2012	45	10800.00	सी0सी0 मरम्मत राजू यादव से रामजी तक	मस्टररोल 08 अकुशल एवं 02कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।
30.03.2012	49	5600.00	खड़ंजा मरम्मत कीरत सिंह से नारायन तक	मस्टररोल 08 अकुशल एवं 02कुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है। जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त करता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं पाये गये।

01.06.2011	10	1200.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मजदूरी भुगतान का वाउचर बनाया गया है जिसपर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर है।
30.06.2011	14	2200.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मजदूरी भुगतान का वाउचर बनाया गया है जिसपर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर है।
08.09.2011	27	1400.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मजदूरी भुगतान का वाउचर बनाया गया है जिसपर नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर है।
01.12.2011	39	920.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	मस्टररोल में 04 अकुशल मजदूर की उपस्थिति अंकित है जबकि मजदूरों के नाम अंकित नहीं है और न ही प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पाये गये।
योगः–		59480.00		(मूल आ0 सं0 24)

ग्राम पंचायत – रूरा सिरसा विकास खण्ड–नदीगांव

प्रस्तर संख्या 46– दिनॉक 08.08.2011 को मनरेगा सामग्री खाते से रू0 13200.00 आहरित कर 2953.00 ईट क्रय किया गया जिसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक सादे कागज पर तैयार किया गया है। जो संदिग्ध स्थिति का द्योतक है। रू0 13200.00 को ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश दुबे एवं प्रधान श्री अनिल कुमार सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0 14)

ग्राम पंचायत– मानपुरा विकास खण्ड–नदीगांव(प्रस्तर सं047 से 48 तक)

प्रस्तर संख्या 47– वर्ष 2011–12 में निम्न विवरण अनुसार रू0 204040.00 वृक्षारोपड़ पर व्यय दर्शित किया गया, जिसकी पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे स्पष्ट है कि अवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया, जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती कुसमा देवी एवं

क्र0सं0	दिनॉक	विवरण	धनराशि
1	19.08.2011	वृक्षा रोपड़ का मस्टररोल भुगतान	153060.00
2	25.08.2011	वृक्षा रोपड़ का मस्टररोल भुगतान	59840.00
3	12.09.2011	वृक्षा रोपड़ का मस्टररोल भुगतान	52880.00
4	03.01.2012	वृक्षा रोपड़ का मस्टररोल भुगतान	18360.00
5	10.01.2012	वृक्षा रोपड़ का मस्टररोल भुगतान	57600.00
योगः–			**204040.00** (मूल आ0 सं0 4)

सचिव श्री फूल सिंह निरंजन से ब्याज सहित तारीख वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 48– वर्ष 2011–12 में निम्न विवरण के अनुसार मैसर्स सिजरिया ट्रेडर्स रेढ़र को रू0 387000.00 भुगतान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं पाया गया है जैसे किस वस्तु की खरीद के लिए दिया गया, कोषवही में अंकित नहीं पाया गया और न ही व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा। अतः स्पष्ट है कि आवास्तविक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली व्याज सहित प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है। (मूल आ0 सं0 5)

वर्ष 2011–12 में लेखा परिक्षित ग्रांम पंचायतों के उदघाटित अपहरण अनियमिताओं की आपत्तियों का विवरण (परिशिष्ट –2 के अनुसार)

ग्राम पंचायत का नाम	ब्लाक	आपत्ति का विवरण	परिशिष्ट –2 प्रारुप	धनराशि	
				कुल	अपहरण
बिरिया	माधौगढ	1. क्रय सामग्री रजिस्टर प्रस्तुत न करना व मनरेगा द्वारा निर्मित कार्यो में फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	22	469371	
		2. बिना स्टीमेट एम0बी0 के नाली निर्माण सामग्री क्रय दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	14	72756	
		3. नाली निर्माण व्यय विवरणहीन दर्शाकर धन का दुरुपयोग	8	8025	
		4. नाली निर्माण व्यय फर्जी दर्शाकर धन का दुरुपयोग	8	12108	
				562260	
कैलोर	माधौगढ	1. पत्रावली व एम0बी0 के बिना व्यय दर्शाकर मनरेगा धन का दुरुपयोग	14	1664596	
		2. एम0डी0एम0 मद की विवरणहीन व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग	26	25500	
				1690096	
कुरसेडा	माधौगढ	1. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा कार्यो को गाईडलाईन के अनुरुप न कर धन का दुरुपयोग	21	2394144	

		2. छात्रवृत्ति का धन बैंक से आहरित कर वितरण न करके धन का अपहरण	08	32146	32146
		3. ग्राम निधि के अर्न्तगत नाली निर्माण मरम्मत को एम0बी0, स्टीमेट के बिना फर्जी व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग	08	214607	—
				2640897	32146
सिहारी माधौगढ	माधौगढ	1. हैण्डपम्प मरम्मत का व्यय फर्जी दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	08	127674	
		2. नाली खड़ंजा निर्माण/मरम्मत व्यय विवरणहीन एवं बिना स्टीमेट व एम0डी0 के धन का दुरुपयोग।	08	231736	
		3. छात्रवृत्ति के धन को कम वितरित कर धनराशि का गबन/अपहरण	08	41080	41080
				400490	41080
सोप्ता	माधौगढ	1. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप आदर्श तालाब निर्माण न कर धन का दुरुपयोग	21	46524	
		2. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप सम्पर्क मार्ग निर्माण न कर धन का दुरुपयोग	21	210720	
		3. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप सम्पर्क मार्ग निर्माण न कर धन का दुरुपयोग	21	155400	
		4. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप नाला सफाई/खुदाई न कर धन का दुरुपयोग	21	147480	
		5. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप सम्पर्क मार्ग न बनाकर धन का दुरुपयोग	21	70720	
		6. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना			

		एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप सम्पर्क मार्ग न बनाकर धन का दुरुपयोग ।	21	47620	
		7. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप सम्पर्क मार्ग न बनाकर धन का दुरुपयोग	21	267480	
		8. मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप सम्पर्क मार्ग/पुलिया निर्माण न कर धन का दुरुपयोग।	21	400645	
		9. मनरेगा गाईडलाईन्स के अनुरुप गूल खुदाई/सफाई न कर धन कर दुरुपयोग।	21	66720	
		10. कूप मरम्मत व्यय एम0आर0 के अभाव में धन का दुरुपयोग	08	44301	
		11. बिना प्रमाणक के प्रचार प्रसार व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	08	31680	
		12. ग्राम निधि खाते से नाली निर्माण/मरम्मत व्यय स्टीमेट आदि एम0बी0 के बिना दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	08	80156	
		13. ग्राम निधि खाते से स्टीमेट एम0बी0 के बिना विभिन्न स्थानों पर मिट्टी भराई कार्य का व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	08	38800	
		14. बिना स्टीमेट मोरम के प्लेटफार्म निर्माण का व्यय फर्जी दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	08	23360	
		15. बिना विवरण दिये हैण्डपम्प मरम्मत व्यय दर्शाकर धन का दुरुपयोग।	08	56533	
		16. सफाईकर्मी होने पर भी सफाई व्यय फर्जी दर्शाकर धन का दुरुपयोग।			

			08	22200 1710339	
				7004082	**73226**
भदरेखी		1. विवरण रहित एवं बिना प्रमाणकों के बैक से आहरित मनरेगा की धनराशि का अपहरण।	06	211050 **211050**	211050 **211050**
कुकहनू		1. कनवर्जन कास्ट का हिसाब रखे बिना मिडडे मील के व्यय का दुरुपयोग। 2. छात्रवृत्ति का प्रारम्भिक शेष कम दर्शाकर धन का अपहरण।	26 08	99000 60899 159899	 60899 60899
गायर		1. मनरेगा का धन बैक से निकासी कर बिना व्यय के धन का अपहरण।	06	50000	50000
कुवंरपुरा		1. बिना व्यय प्रमाणकों के ग्राम निधि के धन का व्यय दर्शाकर धन का अपहरण 2. बिना व्यय प्रमाणकों के एम0डी0एम0 के धन का अपहरण। 3. बिना व्यय प्रमाणकों के मनरेगा के धन का अपहरण। 4. बिना व्यय प्रमाणकों के मनरेगा के धन का अपहरण।	06 06 06 06	122700 10000 150433 245000	122700 10000 150433 245000
				578133	**578133**

जखौली	1. बिना व्यय प्रमाणक एवं बिना हस्ताक्षरों के मस्टररोल हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर धन का अपहरण।	07	41042	41042
	2. बिना अगूठा निशान/हस्ताक्षर व्यय प्रमाणकों का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण।	07	113661	113661
	3. छात्रवृत्ति वितरण का बिना व्यय प्रमाणकों के भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण।	07	44210	44210
	4. पत्रावलियॉ प्रस्तुत न करना एवं मनरेगा का बिना व्यय प्रमाणक/पत्रावली के भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण । ।	21	381361	381361
विरासनी	1. बिना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के व्यय प्रमाणकों का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण।	07	143985	143985
	2. एम0बी0 से अधिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण।	08	16814	16814
	3. बिना व्यय प्रमाणकों के भुगतान को दर्शाकर धन का अहपरण।	07	34871	34871
गुमावली	1. व्यय प्रमाणक से अधिक भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण।	07	100	100
	2. बिना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के व्यय प्रमाणकों का भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण।	07	59840	59840
			835884	835884
रुरासिरसा	1. फर्जी व्यय प्रमाणक के आधार पर भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण।	07	13200	13200
मानपुरा	1. पौध क्रय किये बिना धन का भुगतान दर्शाकर अपहरण।	08	204040	204040
	2. प्रमाणक/विवरण रहित मे0 सिजारिया ट्रेडर्स को भुगतान दर्शाकरण अपहरण।	07	387000	387000
		604240	**604240**	
		9393288	**2363432**	

जनपद का नाम –ललित पुर

ग्राम पंचायतों की आपत्तियों का विवरण –

प्रस्तर संख्या – 1

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत उदयपुर के आलोच्य वर्ष में 2011–12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिडडे मील खाता संख्या 2251 में दिनॉक 01–04–2011 से 31–03–2012 तक रू0 47944–92 ,शेष जमा रही । जबकि गत वर्ष ही शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को उक्त योजना से पृथक कर दिया गया था । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शमीम नादिर को शेष जमा धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी चाहिए थी जो वापस नहीं गई । लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि को रोका जाना अनियमितता रही । ,शीघ्र ही जॉचोपरान्त उक्त धनराशि को वापस किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या – 25

प्रस्तर संख्या –2

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत टोरिया के आलोच्य वर्ष में 2011–12 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मिडडेमील खाता संख्या – 04105 में दिनॉक 01–01–2011 से 31–03–2012 तक रू0 4907–00 शेष जमा रही । जबकि गत वर्ष ही शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को उक्त योजना से पृथक कर दिया गया था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मंगल सिंह को शेष जमा धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी चाहिए थी जो कि धनराशि वापस नही की गयी । लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि को रोका जाना अनियमितता रहीं । शीघ्र ही जॉचोपरान्त उक्त धनराशि को वापस किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या – 21

प्रस्तर संख्या – 3

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत माह में वर्ष 2011–12 की ग्राम निधि की कैशबुक में दिनॉक 31–03–2012 को प्रधान श्री आशाराम के पास नकद

रोकड रू0
9456–00 रही । जिसे वर्षान्त में बैंक खाते में जमा नहीं किया
गया था । अतः
विभागीय जॉचोपरान्त प्रधान श्री आशाराम से तातारीख तावनी
सूद सहित वसूली
की जानी अपेक्षित
है ।

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर संख्या – 4

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत पाह के आलोच्य वर्ष 2011–12
की लेखा परीक्षा
में पाया गया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा मिडडेमील
खाता संख्या
41029 में दिनॉक 01–04–2011 से 31–003–2012 तक रू0
38624–00
की धनराशि शेष थी जबकि गत वर्ष ही शासन द्वारा ग्राम
पंचायत विकास अधि0
को उक्त योजना से पृथक कर दिया गया था । प्रधानाध्यापक
एवं ग्राम प्रधान
को माध्यम भोजन योजना का संचालन का दायित्व सौंपा था ।
ऐसी स्थिति में
ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार
त्रिपाठी को
मध्यान्ह भोजन खाते में शेष रही धनराशि जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी ललितपुर
को वापस की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई । जॉचोपरान्त शीघ्र वापस
किया
जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या – 26

प्रस्तर संख्या – 5

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत ऊमरी के आलोच्य वर्ष 2011–12
की लेखा परीक्षा
में पाया गया कि मिडडेमील खाता संख्या 041047 में दिनॉक
01–04–2011
से 31–03–2012 तक रू0 12525–98 शेष जमा रही । जबकि
गत वर्ष ही
,शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को उक्त योजना से पृथक कर
दिया
गया था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री
अनिल त्रिपाठी को
,शेष धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की जानी चाहिए थी
जो कि नहीं की
गयी । लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि को रोका जाना
अनियमिता रही ।
,शीघ्र ही जॉचोपरान्त उक्त धनराशि को वापस किया जाना
अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर संख्या – 6

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत डगराना के आलोच्य वर्ष

2011–12 की ग्रामनिधि
की कैशबुक में दिनॉक 01–04–2011 से 31–03–2012 तक
प्रधान भूतपूर्व
श्री मती जानकी बाई के पास नकद रोकड़ 402–80 रहीं जिसे
वर्ष दौरान बैंक
खाते में जमा नहीं किया गया था । अतः विभागीय जॉचोपरान्त
भू0पू0 प्रधान
श्रीमती जानकी बाई तातारीख तावानी सूद सहित वसूली की
जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर संख्या – 7

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत डगराना की वर्ष 2011–12 में
एम0डी0एम0 खाता
संख्या 5371 में 01–04–2011 से 31–03–2012 तक जमा शेष
रू0 77522–00
रही । जिसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शमीम नादिर को सम्बन्धित
विभाग
को वापस की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी । लेखा
परीक्षा दृष्टि
अनियमितता रही । जॉचोपरान्त शीघ्र की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की
गयी ।
लेखा परीक्षा दृष्टि अनियमितता रही ।जॉचोपरान्त शीघ्र ही शेष
जमा धनराशि
77522–00 वापस किया जाना अपेक्षित है

मूल आपत्ति संख्या 26

प्रस्तर संख्या – 8

विकासखण्ड जखौरा ग्राम पंचायत पाचौनी में आलोच्य वर्ष में दिनॉक
31–03–2011
को प्रधान श्री नाथूराम द्वारा रू0 15350–00 नकद रोकड़ थी
जिसको वर्षान्त में
बैंक में जमा नहीं किया गया था । दिनॉक 31–03–2012 को
मनरेगा कैशबुक
में रू0 15350–00 श्री नाथूराम प्रधान के पास रोकड़ शेष रही
थी अतः विभागीय
जॉचोपरान्त तातारीख तावानी सूद सहित श्री नाथूराम प्रधान से
वसूली की जानी
अपेक्षित
है ।

मूल आपत्ति संख्या – 15

प्रस्तर संख्या –9

विकासखण्ड जखौरा ग्राम पंचायत पाचौनी में आलोच्य वर्ष में दिनॉक
01–04–2011
तक पूर्व प्रधान श्रीमती बडी दुलैया के पास नकद रोकड़ रू0
5000–00 रोकी
गयी थी जिसको वर्षान्त में बैंक में जमा नहीं किया गया था अतः
विभागीय
जॉचोपरान्त भूतपूर्व प्रधान श्रीमती बडी दुलैया से तातारीख
तावानी सूद सहित

मूल आपत्ति संख्या–15

प्रस्तर संख्या 16	विकासखण्ड मडावरा की ग्राम पंचायत कारीटोरन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता संख्या 46718 से दिनॉक 07–03–2012 को रू0 2000–00 की धनराशि आहरित की गयी थी परन्तु उक्त धनराशि को ग्राम निधि कैशबुक में दर्शित न करके अपहरण किया गया है । जिसकी वसूली विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉचोपरान्त तातारीख ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मदास तथा श्री बलू से की जानी अपेक्षित है ।
	मूल आपत्ति संख्या – 26

मण्डल का नाम– चित्रकूटधाम मण्डल
जनपद का नाम–चित्रकूट

प्रस्तर संख्या ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण

1. ग्राम पंचायत छिछिरियाखुर्द विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2010–11 में मध्यान्ह भोजना योजनान्तर्गत कनवर्जन कास्ट का भुगतान ग्राम पंचायत अन्तर्गत विद्यालयों में योजना संचालित कर माह वार किया गया दर्शित निम्न प्रकार है–

	माह	भुगतानित राशि
	मार्च 2010	21306.00
	अप्रैल 2010	38072.00
	मई 2010	29525.00

2011–12 की ग्रामनिधि
की कैशबुक में दिनॉक 01–04–2011 से 31–03–2012 तक
प्रधान भूतपूर्व
श्री मती जानकी बाई के पास नकद रोकड़ 402–80 रहीं जिसे
वर्ष दौरान बैंक
खाते में जमा नहीं किया गया था । अतः विभागीय जॉचोपरान्त
भू0पू0 प्रधान
श्रीमती जानकी बाई तातारीख तावानी सूद सहित वसूली की
जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर संख्या – 7

विकासखण्ड बार ग्राम पंचायत डगराना की वर्ष 2011–12 में
एम0डी0एम0 खाता
संख्या 5371 में 01–04–2011 से 31–03–2012 तक जमा शेष
रू0 77522–00
रही । जिसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शमीम नादिर को सम्बन्धित
विभाग
को वापस की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी । लेखा
परीक्षा दृष्टि
अनियमितता रही । जॉचोपरान्त शीघ्र की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की
गयी ।
लेखा परीक्षा दृष्टि अनियमितता रही ।जॉचोपरान्त शीघ्र ही शेष
जमा धनराशि
77522–00 वापस किया जाना अपेक्षित है

मूल आपत्ति संख्या 26

प्रस्तर संख्या – 8

विकासखण्ड जखौरा ग्राम पंचायत पाचौनी में आलोच्य वर्ष में दिनॉक
31–03–2011
को प्रधान श्री नाथूराम द्वारा रू0 15350–00 नकद रोकड़ थी
जिसको वर्षान्त में
बैंक में जमा नहीं किया गया था । दिनॉक 31–03–2012 को
मनरेगा कैशबुक
में रू0 15350–00 श्री नाथूराम प्रधान के पास रोकड़ शेष रही
थी अतः विभागीय
जॉचोपरान्त तातारीख तावानी सूद सहित श्री नाथूराम प्रधान से
वसूली की जानी
अपेक्षित
है ।

मूल आपत्ति संख्या – 15

प्रस्तर संख्या –9

विकासखण्ड जखौरा ग्राम पंचायत पाचौनी में आलोच्य वर्ष में दिनॉक
01–04–2011
तक पूर्व प्रधान श्रीमती बडी दुलैया के पास नकद रोकड़ रू0
5000–00 रोकी
गयी थी जिसको वर्षान्त में बैंक में जमा नहीं किया गया था अतः
विभागीय
जॉचोपरान्त भूतपूर्व प्रधान श्रीमती बडी दुलैया से तातारीख
तावानी सूद सहित

मूल आपत्ति संख्या–15

प्रस्तर संख्या 10

विकासखण्ड जखौरा की ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के आलोच्य वर्ष में दिनॉक 01–04–2011 से 31–03–2012 तक प्रधान श्री अभय कुमार द्वारा नकद रोकड़ रू0 11910–00 रोकी गयी थी जबकि नकद रोकड़ को बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिए था अतः रू0 11910–00 की वसूली तातारीख तावानी सूद सहित श्री अभय कुमार प्रधान से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 15

प्रस्तर संख्या 11

विकासखण्ड तालबेहट की ग्राम पंचायत चुरावनी की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनॉक 28–05–2011 को ग्राम निधि खाता संख्या 3101079453 से रू0 32820–00 की निकासी की गयी लेकिन कैश में उक्त धनराशि दर्शित न करके धनराशि का अपहरण किया गया है । विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉचोपरान्त जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित श्री वी0के0 त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती दिलकुँवर प्रधान से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 27

प्रस्तर संख्या 12

विकासखण्ड महरौनी की ग्राम पंचायत कुम्हेडी के आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता संख्या 196384 पी0एन0बी0 महरौनी द्वारा निम्न विवरण के अनुसार निकाली गयी धनराशि रू0 18020–00 को कैशबुक में न दर्जकर अपहरण कर लिया गया । जिसे ग्राम प्रधान श्री सन्तोष कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बी0के0त्रिपाठी द्वारा तातारीख तावानी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है । विवरण निम्न है –

क्रम संख्या	दिनॉक	चैक संख्या	धनराशि
1–	22–12–2011	429708	11520–00
2–	29–12–2011	429711	6500–00
		योग –	18020–00

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर संख्या –13

विकासखण्ड बिरधा की ग्राम पंचायत कचनौदाकलॉ की वर्ष 2011–12 की ग्राम निधि की कैशबुक में दिनॉक 31–03–2012 को प्रधान श्रीमती जयन्ती के पास नकद रोकड़ शेष रू0 16948–00 रही । जिसे वर्षान्त में बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था । अतः विभागीय जॉचोपरान्त प्रधान श्रीमती जयन्ती से तातारीख तावानी सूद सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या – 25

प्रस्तर संख्या 14

विकासखण्ड बिरधा की ग्राम पंचायत बछलापुर में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2009–10 में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी के पास हस्तगत रोकड़ अवशेष रू0 6276–45 की जिसे वर्ष 2010–11 में प्रधान के निर्वाचन के उपरान्त भी नये प्रधान श्री उत्तमचन्द को हस्तगत नहीं करायी गयी थी जिसे वर्ष 201–12 तक भी जमा न करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । अतः विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉचोपरान्त तातारीख 18/ ब्याज सहित वसूली भूतपूर्व प्रधान श्रीमती सुमनदेवी एवम तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 21

प्रस्तर संख्या –15

विकासखण्ड मडावरा की ग्राम पंचायत बागौनी में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत माह अगस्त 2011 में बैंक से आहरित की गयी धनराशि रू0 42530–00 के सापेक्ष व्यय धनराशि लेखा परीक्षा अनुसार रू0 39815–00 होती है जबकि कैशबुक में व्यय पक्ष की धनराशि रू0 42530–00 दर्शाकर हस्तगत रोकड़ शून्य दर्शित किया गया है । इस प्रकार अगस्त 2011 का व्यय अधिक दर्शाकर रू0 2715–00 की धनराशि का अपहरण किया गया है । जिसकी वसूली विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉचोपरान्त तातारीख ब्याज सहित श्री रग्घूलाल तथा श्रीमती गणेशकुमारी से की जानी अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 28

प्रस्तर संख्या 16 विकासखण्ड मडावरा की ग्राम पंचायत कारीटोरन में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि खाता संख्या 46718 से दिनॉक 07–03–2012 को रू0 2000–00 की धनराशि आहरित की गयी थी परन्तु उक्त धनराशि को ग्राम निधि कैशबुक में दर्शित न करके अपहरण किया गया है । जिसकी वसूली विभागीय अधिकारियों द्वारा जॉचोपरान्त तातारीख ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मदास तथा श्री बलू से की जानी अपेक्षित है । मूल आपत्ति संख्या – 26

मण्डल का नाम– चित्रकूटधाम मण्डल
जनपद का नाम–चित्रकूट

प्रस्तर संख्या ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण

1. ग्राम पंचायत छिछिरियाखुर्द विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत कैशबुक वर्ष 2010–11 में मध्यान्ह भोजना योजनान्तर्गत कनवर्जन कास्ट का भुगतान ग्राम पंचायत अन्तर्गत विद्यालयों में योजना संचालित कर माह वार किया गया दर्शित निम्न प्रकार है–

	माह	भुगतानित राशि
	मार्च 2010	21306.00
	अप्रैल 2010	38072.00
	मई 2010	29525.00

	जून 2010	3875.00
	जुलाई 2010	33936.00
	अगस्त 2010	38645.00
	सितम्बर 2010	29282.00
	अक्टूबर 2010	16802.00
		10000.00
	नवम्बर 2010	4566.00
	दिसम्बर 2010	40308.00
	जनवरी 2011	24002.00
	फरवरी 2011	32685.00

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे–

1. भुगतानित राशि की पुष्टि में माह अक्टूबर 2010 से प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।

2. भुगतानित राशि की पुष्टि में विद्यालय से प्राप्त उपस्थित छात्रों की संख्या जिन्होने मध्यान्ह भोजन योजना का उपभोग किया एवं दिनों की संख्या आदि बनाकर प्रधानाध्यापक एवं प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत नहीं रहा।

3. माह अक्टूबर 2010 से योजना का संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा करते हुये खोले गये ग्राम निधि–5 में प्राप्त धन से कनवर्जन कास्ट एवं मानदेय का भुगतान किया जाना था। किन्तु ग्राम निधि 5 में धन माह जनवरी 2011 में प्राप्त हुआ जिससे माह अक्टूबर 2010 से फरवरी 2011 तक कनवर्जन कास्ट एवं मानदेय बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश से पूर्वानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया आदेश प्रस्तुत नहीं रहा।

4. क्रम संख्या 11 एवं 12 पर आदेश के विरूद्ध माह जनवरी एवं फरवरी 2011 में भुगतानित राशियां विद्यालय में खुले ग्राम निधि 5 से भी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान द्वारा भुगतान किया गया है। इस प्रकार एक ही मद एवं एक ही माह के लिये दो बार भुगतान किया गया है।

5. विभागीय आदेशानुसार मध्यान्ह भोजन योजना ग्राम निधि खाता 5 अन्तर्गत अक्टूबर 2010 से शेष अवशेष समस्त धनराशियां जो बची हैं। को तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी वापस कर दिया जाये। का पालन ग्राम पंचायत द्वारा 23.06.2011 को 8461.00 रूपया वापस कर दिया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 8 से क्रम संख्या 10 तक भुगतानित राशि रूपया 71676.00 बिना प्रमाणक के एवं विभागीय आदेश के बिना अनियमित प्रतीत होता है तथा क्रम 11 एवं 12 पर भुगतानित राशि रूपया 56687.00 अपहारित प्रतीत होता हैं जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लीलाधर शुक्ला से अपेक्षित है।

2. ग्राम पंचायत भुईहरीमाफी विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में निम्न प्रकार भुगतान ग्राम पंचायत सदस्यों को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर बधाई संदेश समाचार पत्र में

प्रकाशित कराकर समाचार पत्र के संपादक को दिया गया दर्शित है।

दिनांक	भुगतानित राशि	समाचार पत्र	संपादक का नाम
21.04.2011	10000.00	राष्ट्रीय सहारा, आज, जन संदेश	
02.05.2011	2407.00		
02.05.2011	3710.00		
02.09.2011	15000.00		
योग–3111700			

दिनांक	भुगतानित राशि	समाचार पत्र	संपादक का नाम
21.04.2011	10000.00	राष्ट्रीय सहारा, आज, जन संदेश	श्री अशोक कुमार
02.05.2011	2407.00	हिन्दुस्तान	श्री शैलेन्द्र सिंह
02.05.2011	3710.00	डेली न्यूज	श्री रामनारायण साहू
02.09.2011	15000.00	राष्ट्रीय सहारा, आज, जन संदेश	श्री अशोक कुमार

योग–31117.00

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे–

1. समस्त व्यय ग्राम पंचायत में खोले गये नये ग्राम निधि (1) जिसमें राज्य वित्त व तेरहवां वित्त प्राप्त है से किया गया है।

2. अनुदान रजिस्टर के अभाव में किया गया व्यय किस मद से है अस्पष्ट एवं अज्ञात रहा।

3. व्यय पूर्व विभागीय स्वीकृति नहीं ली गयी है।

4. लेखा परीक्षा में प्राप्त अनुदान के क्रियान्वयन हेतु विभागीय आदेश अनुपलब्ध रहने से किया व्यय प्राप्त अनुदान के दिशा–निर्देश एवं शर्तों अधीन रहा या नहीं अज्ञात एवं अस्पष्ट रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि किया गया व्यय विभागीय आदेशों के विरूद्ध है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल वर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह से आपेक्षित है।

3. ग्राम पंचायत भुईहरीमाफी विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में दिनांक–15.10.2011 को रूपया 16000.00 का भुगतान चार्टेड एकाउन्टेंट जितेन्द्र कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट को किया गया दर्शित है। भुगतानित राशि ग्राम पंचायत में खोले गये नये ग्राम निधि (1) खाता में माह जनवरी 2011 से प्राप्त राज्य वित्त व तेरहवां वित्त से किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत में पूर्व में खुले ग्राम निधि (1) संख्या–805 में सी0ए0 मद हेतु प्राप्त राशि का हस्तान्तरण नये खाते में नहीं किया गया हैं।

ग्राम पंचायत को मद वार प्राप्त अनुदान मद वार न व्यय कर मनमानी ढंग से किया गया है। व्यय दुरूपयोगित प्रतीत होता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल वर्मा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह से आपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत ददरी विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में दिनांक–03.06. 2011 को रूपया 12000.00 का भुगतान चाटेड एकाउन्टेंट नितेश कुमार जमऋणखानी इण्टर प्राइजेज कानपुर को किया गया दर्शित की पुष्टि में प्रमाणक नहीं रखा गया था। भुगतानित राशि ग्राम पंचायत में खोले गये ग्राम निधि (1) खाता संख्या– 59001097720 माह जनवरी 2011 से प्राप्त राज्य वित्त व तेरहवां वित्त एवं शौचालय मद अन्तर्गत अनुदान एवं उस पर बैंक शाखा द्वारा देय व्याज से चेक संख्या–000686 द्वारा दिया गया। जिसमें सी0ए0 मद हेतु कोई धन प्राप्त नहीं था न ही ग्राम पंचायत में पूर्व से संचालित ग्राम निधि (1) बचत खाता संख्या–517 जिसमें सी0ए0 मद हेतु धन पूर्व में प्राप्त का हस्तान्तरण नये खाते में नहीं किया गया न ही भुगतान से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त कर रखी गयी। जिससे किया भुगतान दुरूपयोगित प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि बिना प्रमाणक के विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया भुगतान रूपया 12000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

5. ग्राम पंचायत ददरी विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010–11 में ग्राम निधि (1) बचत खाता–517 अधीन दिनांक–01.04.2010 को 34274.00 रूपया अवशेष एवं 01.04.2010 से 30.09.2010 तक राज्य वित्त एवं बारहवां वित्त से प्राप्त रूपया 73354 तथा रूपया 40000.00 शौचालय मद प्राप्त को ग्राम पंचायत की आय मानते हुये प्रस्तुत कैशबुक अनुसार दिनांक–08.05.2010 से 28.07.2010 तक रूपया 33000.00 हैण्डपंप मरम्मत तथा 74000.00 खडण्जा निर्माण पर व्यय पश्चात उक्त खाता

अन्तर्गत 40628.00 जिसमें 40000.00 शौचालय मद का सम्मिलित था। दर्शित से 31.08.2010 में रूपया 40000.00 की सामग्री खडण्जा एवं नाली निर्माण हेतु क्रय को 30.11.2010 में मैटेरियल आपूर्ति न होने के कारण खाता में 40000.00 पुनः जमा दर्शित कर दिनांक–10.12.2010 को तेरहवा वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान रूपया 48371.00 बाद खाता अधीन अवशेष रूपया 88999.00 से ग्राम पंचायत द्वारा 18.12.2010 में रूपया 10000.00 मूल्य की सामग्री हैण्डपंप मरम्मत एवं 29.12.2010 को 1000.00 रूपया मजदूरी हैण्डपंप मरम्मत भुगतान किया गया। हैण्डपंप सामग्री एवं मरम्मत पर किया गया भुगतान रूपया 11000.00 तेरहवां वित्त आयोग से जिसकी व्यय से पूर्व विभागीय स्वीकृति नहीं ली गयी। विभागीय आदेश के विरूद्ध तेरहवां वित्त आयोग से किया गया व्यय रूपया 11000.00 दुरूपयोगित प्रतीत होता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं श्री रामआसरे गुप्ता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आपेक्षित है।

6. ग्राम पंचायत ददरी विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010–11 की कैशबुक में दिनांक–19.02.2012 को रूपया 20000.00 मूल्य की सामग्री नाली निर्माण हेतु की उपयोगिता 31.03.2011 एवं वर्ष 2011–12 की कैशबुक में भी 31.03.2012 तक नहीं की गयी और न ही स्टाक रजिस्टर अन्तर्गत उक्त व्यय सामग्री को रखा गया। न ही निर्माण समिति सदस्य द्वारा क्रय सामग्री रसीद पर प्राप्त की गयी दर्शित थी। न ही उक्त क्रय सामग्री का उपभोग अन्य निर्माण कार्य पर किया गया दर्शित था।

इस स्पष्ट है ग्राम पंचायत धन रूपया 20000.00 का अपहरण फर्जी प्रमाणक रखकर किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

7. ग्राम पंचायत ददरी विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010–11 में विद्यालय शौचालय मद हेतु 09.04.2010 में रूपया 40000.00 प्राप्त के विरूद्ध रूपया 25500.00 मूल्य की सामग्री क्रय पश्चात् बचत खाता संख्या–517 अधीन अवशेष राशि 20939.00 का हस्तान्तरण ग्राम पंचायत में खुले नये ग्राम निधि (1) में दिनांक–18.08.2011 को कर दिया गया। वर्ष 2011–12 में नये ग्राम निधि (1) से विद्यालय शौचालय हेतु 106025.00 मूल्य की सामग्री 19.09.2011 तक क्रय कर 12.08.2011 एवं 05.09.2011 में रूपया 5000.00 एवं 5000.00 कुल 10000.00 श्रम अन्तर्गत व्यय किया गया। दर्शित है खुले नये ग्राम निधि (1) में शौचालय मद अन्तर्गत 22.09.2011 को रूपय 40000.00 अनुदान प्राप्त था। जिसका उपभोग 31.03.2012 तक उपलब्ध कैशबुक में नहीं दर्शित था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 201–12 में प्राप्त अनुदान का उपभोग नहीं किया गया। बल्कि वर्ष 2010–11 में प्राप्त अनुदान का उपभोग विभागीय निर्देश के विरूद्ध किया गया जो रूपया 71525.00 अधिक रहा। एवं उपरोक्त निर्माण में सामग्री एवं श्रम का अनुपात कराये निर्माण कार्य को संदिग्ध दर्शाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

8. ग्राम पंचायत देवरा विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010–11 में प्राप्त अनुदान का लेखा कैशबुक में किया गया जो निम्नानुसार दर्शित था।

क्रम	धनराशि	मद	अनुदान दाता
1	20997.00	मिड–डे–मील	बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट
2	49080.00	राज्य वित्त	डी0पी0आर0ओ0 चित्रकूट
3	43065.00	बारहवां वित्त	डी0पी0आर0ओ0 चित्रकूट
4	53083.00	तेरहवां वित्त	डी0पी0आर0ओ0 चित्रकूट
5	40000.00	शौचालय	डी0पी0आर0ओ0 चित्रकूट
6	98030.00	छत्रवृत्ति	अज्ञात

योग– 304255.00

उपरोक्त समस्त अनुदान विभागीय निर्देशों के विरूद्ध ग्राम पंचायत में पूर्व से खुले ग्राम निधि (1) बचता खाता संख्या–बी 516 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डेहा के अधीन जमा किया गया। दिनांक–01.04.2010 को खाता संख्या–बी 516 अधीन जमा अवशेष रूपया 80960.00 एवं 2010–11 में जमा राशि पर बैंक शाखा द्वारा 1302 रूपया व्याज दिया गया है। अनुदान रजिस्टर के अभाव में प्रारम्भिक अवशेष रूपया 80960.00 किन–किन मदों पर था। एवं किन–किन मदों पर व्यय किया जाना शेष है अज्ञात रहा। उपरोक्त प्राप्त अनुदान एवं प्रारम्भिक अवशेष के विरूद्ध ग्राम पंचायत द्वारा निम्न व्यय किया गया। जो लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित था।

क्रम	धनराशि	उददेश्य	विवरण
1	73550.00	मिड–डे–मील	सामग्री
2	93215.00	हैण्डपंप मरम्मत	सामग्री एवं श्रम
3	73600.00	खण्ड़ंजा एवं नाली	सामग्री एवं श्रम
4	80000.00	खण्ड़ंजा	सामग्री एवं श्रम

5	18000.00	नाली सफाई	श्रम
6	1060.00	प्रशासनिक व्यय	स्टेशनरी चेक बुक आदि

योग– 339425.00

उपरोक्त आय–व्यय पश्चात् दिनांक–31.03.2011 को अवशेष अनुदान रूपया 47092.00 प्राप्त के विरूद्ध ग्राम निधि (1) में 25136.00 जो रूपया 5 से अधिक है। रूपया 25136.00 की पुष्टि प्रस्तुत बैंक पासबुक से होती है। इस प्रकार उपरोक्त आय–व्यय पश्चात् प्राप्त अवशेष रूपया 47092.00 एवं बैंक पासबुक बी 516 अधीन जमा अवशेष रूपया 25136.00 जो रूपया 5 से अधिक है में अन्तर रूपया 21961.00 रहा जो बैंक शाखा से निम्न प्रकार अहरित है।

तिथि	धनराशि
05/2010	430.00
06/2010	3531.00
07/2010	18000.00

योग– 21961.00

उपरोक्त के क्रम में निम्न बिन्दु रहे–

1. अन्तर की राशि जो बैंक शाखा से अहरित है का लेखा कैशबुक में न कर सीधा अपहरण किया गया है। अन्तर की राशि 21961.00 की वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री यशवन्त एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

2. क्रम (1) पर मिड–डे–मील योजनान्तर्गत व्यय रूपया 73550.00 की पुष्टि में विद्यालय से प्राप्त सूचना/विवरण छात्र संख्या नामांकित व मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दिनों की संख्या उपयोगिता खाद्यान्न आदि प्रस्तुत नहीं रहा। अनुदान रजिस्टर के अभाव में प्रारम्भिक अवशेष 80960.00 से रूपया 52553.00 एवं प्राप्त अनुदान 20997.00 व्यय किया गया है।

इस प्रकार मिड–डे–मील योजनान्तर्गत व्यय रूपया 73550.00 में रूपया 52553.00 अनियमित व्यय प्रतीत होता है। जिसकी वसूली पूर्व ग्राम प्रधान श्री यशवन्त एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

9. ग्राम पंचायत देवरा विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010–11 की प्रस्तुत कैशबुक में छात्रवृत्ति विवरण एवं विद्यालय शौचालय निर्माण पर व्यय शून्य है। ग्राम पंचायत स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण कैशबुक अलग से नहीं बनायी गयी है जबकि उक्त दोनों मद में ग्राम पंचायत को रूपया 138030.00 प्राप्त था। जो ग्राम निधि (1) खाता अधीन जमा किया गया था। उक्त मद पर व्यय शून्य होने पर ग्राम निधि (1) में 31.03.2011 को अवशेष रूपया 163161.00 होना चाहिये था। न होकर रूपया 25131.00 था। जो अनुदान रजिस्टर के अभाव में किस मद का था अज्ञात रहा। स्पष्ट है छात्रवृत्ति मद में प्राप्त 98030.00 एवं विद्यालय शौचालय मद में प्राप्त 40000.00 का भुगतान अन्य मदों में दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी विभागीय जांचोपरांत वसूली रूपया 12573.00 पूर्व ग्राम प्रधान श्री यशवन्त एवं श्री रामआसरे गुप्ता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा रूपया 122853.00 ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र दिनकर एवं श्री रामआसरे गुप्ता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत देवरा विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2010–11 में माह जनवरी 2011 से प्राप्त राज्य वित्त आयोग किश्त तेरहवां वित्त आयोग किश्त को ग्राम पंचायत द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुपालन में इलाहाबाद बैंक में नया बचत खाता संख्या–59001097731 के अधीन जमा किया गया। जिस पर बैंक शाखा द्वारा व्याज भी दिया गया तथा उक्त खाते से अहरण भी किया गया जो निम्न प्रकार प्रस्तुत पासबुक में रहा।

प्राप्त		आहरित			
धनराशि	विवरण	दिनांक	धनराशि	चेक नं.	पक्ष में
210372.00	राज्य वित्त	03.01.2011	22 रूपये	–	चेक बुक
53095.00	तेरहवां वित्त	18.02.2011	20000.00	192321	श्री प्रमोद
435.00	व्याज	24.02.2011	20000.00	192322	श्री हरिश्चन्द्र
योग–263902.00		01.03.2011	40000.00	192323	श्री राजेन्द्र सिंह
		01.03.2011	20000.00	192324	श्री हरिश्चन्द्र

योग– 100022.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में बचत खाता 59001097731 में प्राप्त अनुदान एवं उससे आहरित राशि का लेखा कैशबुक में नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि बिना लेखा किये सीधा अपहरण किया गया है। आहरित राशि 100000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र दिनकर एवं श्री रामआसरे गुप्ता ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत देवरा विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011–12 में खाता संख्या–59001097731 से निम्न आहरित राशि का लेखा प्रस्तुत कैशबुक में नहीं किया गया।

दिनांक	धनराशि	चेक संख्या
20.04.2011	48000.00	192325
20.04.2011	15000.00	192326
20.04.2011	15000.00	000521
31.10.2011	26850.00	–
	योग– 104850.00	

उपरोक्त आहरित राशि रूपया 104850 का कैशबुक में बिना लेखा किये सीधा अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र दिनकर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत देवरा विकास खण्ड–मऊ की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011–12 की प्रस्तुत कैशबुक में विद्यालय शौचालय निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान एवं शौचालय मद पर व्यय किया

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे–

1. ग्राम पंचायत को 22.09.2011 में अनुदान प्राप्त से दो माह पूर्व इस मद पर व्यय किये कि विभागीय स्वीकृति नहीं ली गयी है।

2. दिनांक–06.07.2011 से 23.09.2011 तक केवल सामग्री क्रय की गयी।

3. दिनांक–31.03.2012 तक क्रय सामग्री का उपभोग नहीं किया गया।

4. क्रय सामग्री स्टाक रजिस्टर अन्तर्गत नहीं दर्शायी गयी स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया।

5. क्रय सामग्री कार्य स्थल तक पहुंची या नहीं पुष्टि में क्रय प्रमाणक पर विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक निर्माण समिति के सदस्य द्वारा प्राप्ति नहीं की गयी।

6. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) या विभाग द्वारा विद्यालय में शौचालय निर्माण शीघ्र सम्पन्न कराये जाने हेतु कोई पत्राचार किया प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि प्राप्त अनुदान रूपया 40000.00 के विरूद्ध बिना विभागीय स्वीकृति प्राप्त रूपया 121400.00 मूल्य की सामग्री क्रय का उपभोग 31.03.2012 तक नहीं किया गया। अनियमित व्यय रूपया 81400.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र दिनकर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रामआसरे गुप्ता से आपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत बीरघुमाई सुर्की विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में दिनांक–05.09.2011 को रूपया 12000.00 का भुगतान चार्टेड एकाउन्टेंट श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल एण्ड एसोसिएट को किया गया दर्शित है। भुगतानित राशि ग्राम पंचायत में खोले गये नये ग्राम निधि (1) खाता जिसमें माह जनवरी 2011 से प्राप्त राज्य वित्त, तेरहवां वित्त आयोग एवं शौचालय मद एवं उस पर व्याज से प्राप्त से किया गया है। जिसमें सी0ए0 मद हेतु कोई धन प्राप्त या पुराने ग्राम निधि खाता (1) से हस्तान्तरित नहीं था। स्पष्ट है किया गया भुगतान राज्य वित्त, तेरहवां वित्त या शौचालय मद से किया गया है। जिसकी विभागीय स्वीकृति नहीं ली गयी और न ही इस तरह के व्यय करने हेतु कोई दिशा–निर्देश शासन से प्राप्त रहे। अतः किया गया व्यय दुरूपयोगित प्रतीत होता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मथुरा प्रसाद से आपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत बीरघुमाई सुर्की विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में दिनांक–23.03.2012 को रूपया 18000.00 का भुगतान श्रमिकों को ग्राम पंचायत में नाली सफाई एवं कूड़ा–करकट हटाने पर किया गया। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी के कार्यरत रहते हुये किया गया उपरोक्त व्यय दुरूपयोगित प्रतीत होता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मथुरा प्रसाद से आपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत चिनहट विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के ही अभिलेख उपलब्ध कराये गये जबकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा 2004–05 से बकाया थी। वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2004–05 से कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख बनाकर ग्राम पंचायत नहीं रखे गये और न ही उपलब्ध कराये गये जिससे लेखा परीक्षा में उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है। प्राप्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करा दिये गये। वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक वर्षों में ग्राम पंचायत अन्तर्गत खुले ग्राम निधि खातों में प्राप्त अनुदान एवं उससे

आहरित राशि की पुष्टि में कैशबुक व्यय प्रमाणक एवं अन्य पुष्टि प्रपत्र अनुपलब्ध रहने से समस्त आहरित राशि अपहरित दुरूपयोगित एवं अनियमित प्रतीत होती है। जिसके लिये तत्कालीन ग्राम

पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के साथ–साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भी जुम्मेवार हैं।

उपलब्ध ग्राम निधि खातों में प्राप्त एवं आहरित राशि का विवरण निम्न है–

वर्ष	खाता संख्या	प्रारम्भिक	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में आहरित	अवशेष
06.12.07 से 26.03.08	470	80783	89000.00	101600.00	68183.00
2008–09	ग्रा0नि0(1)	68183	505936.00	308450.00	265669.00
2009–10	ग्रा0नि0(1)	265669	157559.00	386650.00	30578.00
06.12.07 से 31.03.10	तक कुल	आहरित		796700.00	
13.04.06 से 31.03.07	1936(मनरेगा)	–	86520.00	61428.00	25092.00
2007–08	1936(मनरेगा)	25092	450000.00	355400.00	119692.00
2008–09	1936 (मनरेगा)	119692	870812.00	314600.00	675904.00
2009–10	1936(मनरेगा)	675904	952000.00	1247201.00	380703.00
13.04.06 से 31.03.10	तक कुल आहरित			1978629.00	
2004–05	804 (ग्रा.नि.–3)	9660	102300.00	110340.00	1620.00
2005–06	804 (ग्रा.नि.–3)	1620	147695.00	121260.00	28055.00
2006–07	804 (ग्रा.नि.–3)	28055	96660.00	100420.00	24295.00
2007–08	804 (ग्रा.नि.–3)	24295	122880.00	55980.00	91195.00
2008–09	804 (ग्रा.नि.–3)	91195	133220.00	165440.00	58975.00
2009–10	804 (ग्रा.नि.–3)	58975	89280.00	88500.00	59755.00
2004–05 से 2009–10 तक कुल आहरित				641940.00	

उपरोक्त समस्त आहरित राशि 3417269 में एस.जी.आर.वाई. खाते एवं मिड–डे–मील अन्तर्गत

आहरित राशि सम्मिलित करते हुये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (तत्काल में) एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से वसूली आपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत चिनहट विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में वर्ष 2011–12 में मेन रोड से यादव पुरवा तक खण्ड़ंजा निर्माण में रूपया 2,53,000.00 निम्न विवरण अनुसार किया व्यय दर्शित है।

दिनांक–08.11.2011 में क्रय सामग्री के परिपेक्ष्य में किया भुगतान 2.00 अधिक किया गया है। इसकी वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह आपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत चिनहट विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक एवं पासबुक संख्या–50045076690 के अधीन दिनांक–31.03.2012 को रूपया 7170.00 अन्तिम अवशेष दर्शित था। जबकि दिनांक–23.09.2011 को उक्त खाता अन्तर्गत शौचालय अनुदान रूपया 20000.00 एवं 31.03.2011 तथा 29.02.2012 को उक्त खाता अधीन जमा राशि पर प्राप्त व्याज क्रमशः 3199 तथा 1723 भी प्राप्त था। बिना शौचालय निर्माण कराये शौचालय मद का रूपया 17752 अन्य मद पर व्यय कर प्राप्त अनुदान के उददेश्य एवं वास्तविक विकास कार्य प्रभावित किया गया। अतः रूपया 17752.00 अन्य मद पर किये व्यय की वसूली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह एवं ग्राम प्रधान से आपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत बरद्वारा विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मनरेगा अन्तर्गत किये गये लेखों की कोष बही में दिनांक–31.03.2012 को निम्न सामग्री क्रय कर लेखा किया गया दर्शित का विवरण पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक से निम्न है।

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे–

1. वित्तीय वर्ष समाप्त के अन्तिम दिन क्रय सामग्री की प्राप्ति या भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत में

कार्य स्थल पर ग्राम पंचायत में गठित निर्माण समिति के सदस्य या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या कार्यरत मेठ (श्रमिक) द्वारा नहीं किया गया।

2. क्रय सामग्री स्टाक रजिस्टर में बिना दर्शाये प्रयोग में लेना।

3. उपरोक्त क्रम 2 व 4 पर दर्शित बालू एक ही फार्म एक ही दिन खरीदे जाने पर दर में भिन्नता रहना।

4. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा क्रय सामग्री की ई.एम.आई.एस. फीडिंग माह दिसम्बर 2012 तक न कराना।

5. उपरोक्त समस्त भुगतान संचालित मनरेगा अन्तर्गत सामग्री खाता संख्या–19043 से किये गये हैं।

6. सामग्री खाता में भुगतान हेतु पर्याप्त राशि न रहने पर दिनांक–12.06.2012 श्रम खाता संख्या–3805 से रूपया 539960.00 का स्थानान्तरण खाता संख्या–19043 में किया गया।

7. उपरोक्त क्रय सामग्री के सम्बन्ध में न टेण्डर आमंत्रित किये गये न कुटेशन लिये गये। उल्लिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि रूपया 604806.00 व्यय में अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री राजकुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय विश्वकर्मा जिम्मेदार रहे। विभागीय जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

19. ग्राम पंचायत बरद्वारा विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में खडण्जा निर्माण दर्शाकर निम्न व्यय किया गया दर्शित है।

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे–

1. उक्त के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं स्वीकृति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

2. स्टाक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री की उपयोगिता एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि क्रय सामग्री का उपभोग कर दिया

गया है। सामग्री शेष नहीं है।

3. दिनांक–01.07.2011 से 30.10.2011 तक आहरित 425000.00 खाता संख्या–50045079931 में प्राप्त राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से है। अनुदान रजिस्टर के अभाव में अज्ञात रहा। कि उक्त आहरण राज्य वित्त से है या तेरहवां वित्त से है।

4. खडण्जा निर्माण में श्रम का 22.55: एवं सामग्री का 77.45: अंश होना चाहिये। इस प्रकार श्रम का 3.434 गुना सामग्री पर व्यय होगा। इस प्रकार उपरोक्त खण्ड़ंजा निर्माण पर सामग्री मद पर 198866.00 अधिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया।

5. उक्त कार्य सम्पादन में ग्राम पंचायत में गठित निर्माण सामिति का योगदान शून्य रहा।

6. उक्त कार्य की पुष्टि में कार्ययोजना माप पुस्तिका निर्माण रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।

उक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि खण्ड़ंजा निर्माण में अधिक सामग्री दर्शाकर रूपया 198866.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय विश्वकर्मा द्वारा किया गया। अतः अधिक भुगतानित राशि रूपया 198866.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय विश्वकर्मा से आपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत बरद्वारा विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही में हैण्डपंप मरम्मत मद पर सामग्री एवं श्रम पर निम्न भुगतान किया गया दर्शित है।

हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न बिन्दु रहे–

1. स्टाक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री की प्रयुक्त होने की स्थिति अज्ञात रही एवं बदले गये हैण्डपंप से प्राप्त खराब अप्रयुक्त सामग्री का विवरण बनाकर मैकेनिक से हस्ताक्षरित कराकर नहीं रखा गया।

2. मरम्मत किये हैण्डपंप का स्थान बोर की गहराई बोर में जल स्तर पाइपों की संख्या हैण्डपंप में लगी सामग्री का विवरण आदि बनाकर मैकेनिक के हस्ताक्षर कराकर तथा मरम्मत हैण्डपंप के स्थान

के निवासियों के हस्ताक्षर के साथ नहीं रखा गया। दिनांक–09.07.2010 से 04.11.2011 में क्रय सामग्री परिपेक्ष्य में श्रम पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। शेष क्रय सामग्री पर श्रम नहीं है।

4. श्रमिकों को भुगतानित राशि कितने हैण्डपंप मरम्मत कराकर दिया गया का विवरण अंकित नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में रूपया 55000.00 एवं वर्ष 2011–12 में 136200.00 के फर्जी प्रमाणक क्रय कर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण किया गया। विभागीय जांचोपरांत वर्ष 2010–11 में रूपया 20000.00 की वसूली भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह एवं श्री सोहन लाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से एवं शेष 35000.00 तथा वर्ष 2011–12 में 136200.00 की वसूली वर्तमान ग्राम प्रधान श्री राजकुमार सिंह एवं श्री संजय विश्वकर्मा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत बरद्वारा विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक में खडण्जा एवं नाली निर्माण एवं मरम्मत पर निम्न सामग्री एवं श्रम दर्शित है।

सामग्री पर			श्रम पर		
दिनांक	राशि	विवरण	दिनांक	राशि	विवरण
09.08.2011	50000.00	अज्ञात	25.11.2011	16920.00	अज्ञात
17.08.2011	28000.00	अज्ञात			
09.11.2011	100000.00	अज्ञात			
11.11.2011	50000.00	अज्ञात			
25.11.2011	153000.00	अज्ञात			
योग– 381000.00			**योग– 16920.00**		

उपरोक्त पर निम्न बिन्दु रहे–

1. उपरोक्त भुगतानित राशि की पुष्टि में पक्ष में कोई प्रमाणक ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं रखा

गया था।

2. उपरोक्त व्यय ग्राम पंचायत को प्राप्त किस अनुदान से रहा। अनुदान रजिस्टर के अभाव में अज्ञात रहा।

3. व्यय से पूर्व विभागीय अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ग्राम पंचायत नहीं रखी गयी थी।

4. स्टाक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री उपयोगित रही यह स्टाक में अज्ञात है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना स्वीकृति एवं प्रमाणक के ग्राम पंचायत में धन 397920.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजकुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संजय विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। उपरोक्त की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत बरद्वारा विकास खण्ड–पहाड़ी की लेखा परीक्षा में जनवरी 2011 में खोले गये नया बैंक खाता संख्या– 50045079931 में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान वर्ष 2010–11 में 555193 पर 1139 व्याज देय एवं 22 रूपये चेक बुक काटकर 31.03.2011 को उक्त खाता अधीन 556310 अवशेष था। जिसमें वर्ष 2011–12 में 403875 राज्य वित्त एवं तेरहवां वित्त से 20000 शौचालय मद हेतु प्राप्त एवं जमा राशि पर 17230 व्याज प्राप्त में से व्यय पश्चात 31.03.2012 उक्त खाता में अवशेष रूपया 20295 दर्शित है। वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी विद्यालय में शौचालय निर्माण नहीं कराया गया। न ही सामग्री क्रय कर स्टाक में रखी गयी। स्पष्ट है 2011–12 में विद्यालय शौचालय में अनुदान प्राप्त का उपभोग अन्य मद पर व्यय कर, कर लिया गया। क्योंकि खाता अधीन अवशेष 31.03.2012 में 18369 व्याज भी सम्मिलित है। शौचालय मद का अनुदान अन्य मद पर व्यय किये जाने हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिम्मेदार रहे। जिनसे रूपया 18077.00 की वसूली किया जाना आपेक्षित है।

जनपद का नाम– महोबा
ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियॉं :–

प्रस्तर संख्या –1 ग्राम पंचायत–पहरेथा, विकास खण्ड– चरखारी, जनपद–महोबा

लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पहरेथा की तत्कालीन प्रधान श्रीमती शान्ति देवी ने अपना प्रधान पद का मानदेय रू0 750.00 की मासिक दर माह अगस्त 2007 से सितम्बर 2008 तक 14 माह का मानदेय कुल रू0 10,500.00 चैक सं0– 759260 दिनांक 25.10.2008 द्वारा खाता संख्या– 5714 से दिनांक 25.10.2008 को प्राप्त किया गया है। जबकि दिनांक 30.04.2008 को तत्कालीन प्रधान श्रीमती शान्ति देवी द्वारा चैक सं0– 594537 दिनांक 30.04.2008 खाता सं0– 5714 से माह अगस्त 2007 से जनवरी 2008 तक 6 माह दर रू0 750.00 मासिक दर से रू0 4500.00 प्रधान पद का मानदेय दिनांक 30.04.2008 को प्राप्त करने के उपरान्त पुनः दिनांक 25.10.2008 में 6 माह का रू0 45000.00 मानदेय का भुगतान कैशबुक के अनुसार प्राप्त किया गया है। जिस हेतु तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान अनियमित रूप से भुगतान हेतु लेखा परीक्षा अनुसार उत्तरदायी हैं। जिसकी विभागीय अधिकारियों से भुगतान प्राप्त किये माहों की अवधि की अभिलेखों की जॉचोरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है। (मू0अ0सं0 22)

प्रस्तर संख्या –2 ग्राम पंचायत–पहरेथा, विकास खण्ड– चरखारी, जनपद–महोबा
लेखा परीक्षा दौरान पाया गया कि आलोच्य वर्ष में श्री शैलेन्द्र कुमार पंचायत मित्र ग्राम पंचायत पहरेथा को पंचायत मित्र का मानदेय माह अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 तक का दर 2000/– रू0 प्रति माह से 6 माह का चैक सं0 594550 दिनांक 09.06.2008 द्वारा रू0 12000/– दिनांक 09.06.2008 को खाता सं0 5714 से प्राप्त किया गया है। जबकि श्री शैलेन्द्र कुमार पंचायत मित्र ने दिनांक 03.10.2008 को चैक सं0 759257 द्वारा रू0 10000/– माह नवम्बर 2007 से मार्च 2008 तक का 5 माह का मानदेय पुनः 5 माह का उसी अवधि का दिनांक 03.10.2008 को मानदेय का भुगतान चैक द्वारा कैसबुक के अनुसार प्राप्त किया गया है। जिस हेतु लेखा परीक्षा अनुसार माह नवम्बर 2007 से मार्च 2008 तक (5 माह का) दोबारा भुगतान प्राप्त किये जाने हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पहरेथा, एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान पहरेथा उत्तरदायी है। अधिक भुगतान रू0 10000/– रू0 हेतु जॉचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है। (मू0अ0सं0–23)

जनपद का नाम– हमीरपुर

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां :–

प्रस्तर सं0–1	ग्राम पंचायत निक्दा	विकास खण्ड मुस्करा	अवशेष स्टाक स्टाक रजि0 तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः स्टाक की स्थिति अज्ञात रही– इसमें किसी भी प्रकार की स्टाक की अनियमितता के लिए सचिव/ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से उत्तर दायी होगे। अवशेष स्टाक रू0 1,97,590=00 का रहा। जिसमें सीमेन्ट रू0 28350(105ग270) 40उउ गिट्टी 12ड3ग130=13560रू0, 20उउ गिट्टी 3ड3ग400=4200रू0 सरिया 1.4ग4200=5880, ईटा 2200ग4900 प्रति हजार =107800, बालू 54ग700=37800 (मूल आपत्ति सं0 भाग–1 ग(2))
प्रस्तर सं0–2	छेड़ीबसाय क	मुस्करा	वर्ष 2011–12 में रू0 34,380=00 कोषवही के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय बनवाने हेतु लाभार्थियों को भुगतान किया गया था। भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत लाभार्थियों की सूची में लाभार्थियों के हस्ताक्षर नहीं है। भुगतान की पुष्टि में लाभार्थियों के हस्ताक्षर कराये जाने अपेक्षित है। (मूल आ0सं0–26)
प्रस्तर सं0–3	गौरा	मुस्करा	वर्ष 2011–12 में रू0 1,01,940=00 कोषवही के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय बनवाने हेतु लाभार्थियों को भुगतान किया गया था। भुगतान की पुष्टि में प्रस्तुत लाभार्थियों की सूची में लाभार्थियों के हस्ताक्षर नहीं है। भुगतान की पुष्टि में लाभार्थियों के हस्ताक्षर कराये जाने अपेक्षित है। (मूल आपत्ति सं0–25)
प्रस्तर सं0–4	धनौरी	गोहाण्ड	दिनांक 31.03.2012 को खाता सं0–590 छात्रवृत्ति अवशेष रोकड़ रू0 72,000=00 नगद शेष थी। जिसे विभाग को वापस नही किया था। अतः छात्रवृत्ति को शीघ्रातिशीघ्र विभाग को वापस किया जाना चाहिये। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

प्रस्तर सं0–5	आमूद	गोहाण्ड	दिनांक 31.03.2012 को खाता सं0–557 छात्रवृत्ति अवशेष रोकड़ रू0 87145=00 नगद शेष थी। जिसे विभाग को वापस नही किया गया है। उक्त छात्रवृत्ति को शीघातिशीघ्र विभाग को वापस किया जाना चाहिये। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आ0सं0–12)
प्रस्तर सं0–6	अमगांव	गोहाण्ड	दिनांक 31.03.2012 को नगद अवशेष छात्रवृत्ति मु0 20100=00 रू0 शेष थी। जिसे जल्द से जल्द विभाग को वापस किया जाना चाहिए। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आ0सं0–16)
प्रस्तर सं0–7	पहाड़ी गढ़ी	राठ	वर्ष आलोच्य दशम् वित्त/राज्य वित्त योजना से सामग्री क्रय रू0 45051=00 की गयी थी। जिसमें से सोलर लाइट ऋण रू0 23351=00 दरी, मेज, कुर्सी, क्रय रू0 21700=00 परन्तु उक्त की स्टोर इन्ट्री करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ह। जिससे स्टाक के दरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रति किसी भी प्रकार के स्टाक दुरूपयोग की स्थिति का दायित्व सचिव/प्रधान का संयुक्त रूप से होगा। (मूल आ0सं0–28)
प्रस्तर सं0–8	बिलस्ख	राठ	वर्ष आलोच्य में छात्रवृत्ति खाते की रोकड अवशेष दिनांक 31.03.2012 को रु0 30660–00 रोकड बही में दर्शित है। जो वर्ष के प्रारम्भ में भी रु0 24660–00 थी। इस प्रकार उक्त अनुदान धनराशि को सचिव/प्रधान द्वारा रोक जाना नितान्त आपत्तिजनक है। लेखा प्ररीक्षा के उपरान्त सचिव/प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष रोकड रु0 30060–00 को छात्रवृत्ति खाते में बैंक शाखा में जमा कर दिया गया है।

जनपद का नाम– बाँदा

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियों का विवरण

प्रस्तर संख्या

1– ग्राम पंचायत शिव विकास खण्ड–बबेरु की लेखा परीक्षा वर्ष 2011–12 में निम्न विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति का धन अध्यापकों द्वारा प्राप्त किया गया परन्तु छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण जांच न की जा सकी।

अभिलेख जांच में प्रस्तुत न करना एक दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त संदर्भ में जांचोपरांत वैधानिक कार्यवाही हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बांदा व अन्य उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक	धनराशि	धनराशि प्राप्तकर्ता
15.10.2011	68160.00	श्री ब्रजभूषण सिंह जू.वि.
18.10.2011	39900.00	श्री सत्येन्द्र सिंह प्रा.वि. ;पपद्ध
18.10.2011	74700.00	श्री ज्ञानेन्द्र मणि प्रा.वि. ;पद्ध
18.10.2011	14700.00	श्री धर्मराज प्रा.वि. मवई
03.11.2011	32100.00	सत्येन्द्र सिंह प्रा.वि. ;पपद्ध
03.01.2012	2400.00	श्री ब्रजभूषण सिंह जू.वि.
योग– 231960.00		

2. ग्राम पंचायत बरौलीआजम विकास खण्ड–बबेरु की लेखा परीक्षा में मिड–डे–मील योजना के प्राइमरी विद्यालय बरौली आजम की जांच करते समय पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में रूपया 34600.00 व्यय

किये गये। परन्तु उक्त विद्यालय मिड–डे–मील कैशबुक व प्रमाणक नहीं पाये गये। जो धन की दुरूपयोगिता सिद्ध करता है। जांचोपरांत वैधानिक कार्यवाही हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय बांदा व उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

बैंक खाता संख्या	प्रा. शेष	प्राप्त	आहरित धन	शेष
इ.बैं.शाखा बबेरू, 59000937509	7503.00	35641.00	34600.00	85444.00

3. ग्राम पंचायत बरौली आजम विकास खण्ड–बबेरु की लेखा परीक्षा में पू0मा0वि0 बरौली आजम कैशबुक मिड–डे–मील की जांच करते समय पाया गया कि दिनांक–27.04.2011 को चेक संख्या–00753 द्वारा रूपये 9700.00 का आहरण किया गया। इलाहाबाद बैंक शाखा बबेरू खाता संख्या–59000941393 कैशबुक दर्शित राशि 9700.00 की पुष्टि व्यय प्रमाणक के अभाव में न की जा सकी पुष्टि करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में रूपये 9700.00 की वसूली प्राथमिक अध्यापक श्री संतराम व ग्राम प्रधान से की जाने आपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत बरौली आजम की लेखा परीक्षा में वर्ष 2011–12 में निम्न विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति राशि प्राथमिक अध्यापक द्वारा प्राप्त की गयी है। छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर व उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में पुष्टि न की जा सकी। अस्तु पुष्टि करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक अध्यापक उत्तरदायी है।

दिनांक	प्राप्त राशि	प्राथमिक अध्यापक
14.07.2011	8700.00	श्री सत्यप्रकाश प्रा.वि.बरौली आजम
17.11.2011	33000.00	श्री सत्यप्रकाश प्रा.वि.बरौली आजम
01.03.2012	1200.00	श्री सत्यप्रकाश प्रा.वि.बरौली आजम
योग– 42900.00		

5. ग्राम पंचायत जसपुरा विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न रहने के कारण रूपया 502580.00 की पुष्टि न की जा सकी। ऐसी दशा में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक की जिम्मेदारी आपेक्षित है जांचोपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

6. ग्राम पंचायत सिंधनकलां विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में सी0ए0 को व्यय द्वारा तैयार अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण धनराशि 20000.00 का भुगतान सी0ए0 ऑडिट में कराकर दर्शाया जाना अपुष्ट रहा। इसकी जांचोपरांत वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के ऊपर सुनिश्चित की जाये।

7. ग्राम पंचायत सिंधनकलां विकास खण्ड–जसपुरा की लेखापरीक्षा में मनरेगा मद की राशि 500000.00 ग्राम पंचायत परेडी के ट्रांस्फर के सम्बन्ध में आदेश उपलब्ध नहीं रहा। बिना आदेश के हस्तान्तरण किया जाना पंचायती नियमावली के विरूद्ध है। ऐसी दशा में नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिये।

8. ग्राम पंचायत सिंधनकलां विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में हैण्डपंप सामग्री क्रय एवं मरम्मत का रजिस्टर उपलब्ध नहीं रहा। जिससे रूपये 204110.00 इस मद में व्यय किया जाना संदेहास्पद रहा। इस वजह से सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से वसूली आपेक्षित है।

9. ग्राम पंचायत कानाखेड़ा विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में स्कूल शौचालय की सामग्री व्यय न कर स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न करना जिससे धनराशि 70000.00 की पुष्टि न हो सकी। ऐसी दशा में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से वसूली आपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत कानाखेड़ा विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में मियां रानी मेला की सफाई व व्यवस्था के लिये व्यय रूपया 20000.00 अनुदान राशि से किया गया है। जबकि इस राशि को विकास कार्य में नहीं किया गया है अन्य मद में किया गया है। जो कि अनुचित है इसको विकास कार्य में ही किया जाना चाहिये था।

11. ग्राम पंचायत कानाखेड़ा विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में रु0 177600.00 छात्रवृत्ति वितरण अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे और न ही पृथक–पृथक विवरण दर्ज किया गया। यह एक साथ दर्ज कर भारी त्रुटि की गयी इसे विभाग वार मद वार दर्शाया जाना चाहिये। इसकी जांच कर उचित कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत कानाखेड़ा विकास खण्ड–जसपुरा की लेखा परीक्षा में बनीकरण के मद पर रूपया 3600.00 व्यय किया गया है। जिसके व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। ऐसी दशा में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके लिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान दोनों जिम्मेदार हैं जांचोपरांत उचित कार्यवाही आपेक्षित है।

अध्याय–5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण

5.1–<u>जिला पंचायत–</u> जिला पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, किसी भी जिला पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

5.2–<u>क्षेत्र पंचायत–</u> क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति अत्यन्त सोचनीय रही, किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

5.3–<u>ग्राम पंचायत–</u> ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, मात्र 63 ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

अध्याय–6

निष्कर्ष व सुझाव

6.1–निष्कर्ष

वाह्य सम्प्रेषण के प्रति उदासीनता–

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 811 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान मात्र 128 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल क्षेत्र पंचायतों का मात्र 15.78 प्रतिशत है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और साथ ही कार्यकारी अधिकारी. खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 51755 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान मात्र 26834 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का मात्र 51.85 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट–3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय–8 के पैरा–3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार

कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

<u>निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना–</u> त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी।

1. कार्य की पंचायत , तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।
2. खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।
3. इच्छित लाभ लोगों तक पहुँचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।
4. कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जॉच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।
5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।
6. श्रमिकों के भुगतान में विलंब।
7. नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।
8. असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।
9. सतत व व्यापक अनियमितता,धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।
10. अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।
11. अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1– परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?

2– किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?

3– न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?

4– न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?

5– ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढ़ंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण–

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1– लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।

2– परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।

3– परियोजना में कृत कार्य वास्तविक था अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।

4– लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर

इस पंजिका में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में हुयी कार्यवाही का विवरण प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ग्राम को विकास सम्बन्धी योजना पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन हुआ अथवा नहीं ? कृत कार्य पंचायत द्वारा अनुमोदित योजना के अनुरूप था अथवा नहीं ? वर्ष पर्यन्त हुये विकास कार्य ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी में थे अथवा नहीं? महज कागजी खानापूर्ति द्वारा कार्य को अंजाम दिया गया अथवा वास्तविक रूप से कार्य का निस्तारण हुआ। ग्राम पंचायत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुये ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वर्ष पर्यन्त होने वाले ग्राम के विकास सम्बन्धी योजनाओं पर विचार विमर्श के उपरान्त उनका अनुमोदन किया गया अथवा नहीं ?

नियोजन एवं विकास समिति का गठन हुआ अथवा नही ? समिति द्वारा योजना सम्बन्धी कार्य का समय समय पर परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत की बैठक में रखी गयी अथवा नहीं ?

इन सभी तथ्यों का परीक्षण लेखा परीक्षक ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवृति पंजिका के अवलोकन से ही कर सकता है।लेखा परीक्षण के समय ग्राम पंचायत के बैठक की कार्यवाही पंजिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्ष पर्यन्त हुये विकास कार्यों के अनुमोदन विषय में ग्राम पंचायत द्वारा कृत कार्यवाही का ब्योरा इसी के अवलोकन से सम्भव है। लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न होने से उक्त तथ्यों एवं प्रक्रिया का परीक्षण नहीं किया जा सका। जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का लाभ सभी ग्रामीणों तक पहुंचने सम्बन्धी मूल उद्देश्य का परीक्षण नहीं किया जा सका।

मनरेगा– ग्राम पंचायत द्वारा विकास सम्बन्धी योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात सक्षम तकनीकी स्तर से ब्योरेवार नक्शे व अनुमान तैयार कर उसकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। तदोपरान्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। यथा मनरेगा में योजनाओं की क्षेत्र पंचायत स्तर से स्वीकृति की व्यवस्था दी गयी है।

अधिकांश पंचायत सेक्रेटरी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त स्वीकृतियां प्रस्तुत न करने से इसका परीक्षण सम्भव न हो सका।

महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से ग्राम के कितने व्यक्ति/परिवार का जॉब कार्ड बना? कितने जॉब कार्ड धारकों का बैंक में खाता खोला गया ? कितने जॉब कार्ड धारकों द्वारा आलोच्य वर्ष में रोजगार की मांग की गयी ? कितने जॉब कार्ड धारकों को कार्य उपलब्ध कराया गया ? प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को वर्ष में औसतन कितने दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया ? रोजगार प्राप्त करने वाले जॉब कार्ड धारकों को समय से मजदूरी का भुगतान किया गया अथवा नही ?

इन तथ्यों से सम्बन्धित रिकार्ड को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक की गयी ? इस तथ्य का परीक्षण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका। आगामी लेखा परीक्षा में उपर्युक्त रिकार्ड निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये जिससे मनरेगा के उद्देश्यों एव उपयोगिता का सही आंकलन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो सके।

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जो कार्यक्रमों/योजनाओं को प्रभावी व कुशलता से चलाने, व्यय की विश्वसनीयता लागू नियमों एवं नियमनों का पालन करने का उचित आश्वासन प्रदान करता है जो योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की निर्देशिका तथा शिड्यूल/कैलेन्डर बनाया गया। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति त्रैमासिक आधार पर माह जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च में ग्राम पंचायत के लेखों का सम्प्रेक्षण करेगी और सम्प्रेक्षण पूरा होने के तीसरे दिन तक अपनी रिपोर्ट ग्राम प्रधान को देगी। नियोजन एवं विकास समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को विशेष रूप से देखा जाएगा।

1. प्रत्येक व्यय के लिए नियमानुसार बाउचर उपलब्ध है अथवा नहीं?
2. प्रत्येक भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं?

3. व्यय की धनराशि के संबंध में नियमों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?
4. बैंक खातों का मिलान किया गया है अथवा नहीं?
5. व्यय के संबंध में वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का अनुपालन किया गया है अथवा नही?
6. व्यय के अनुरूप भौतिक उपलब्धियॉ प्राप्त की गयी है अथवा नहीं?

ग्राम प्रधान द्वारा आन्तरिक सम्प्रेषण रिपोर्ट ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। जहॉ ग्राम पंचायत द्वारा उस पर विचार किया जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्राम प्रधान तथा ऐडेटरी ग्राम पंचायत को निर्देश दिए जायेंगे।

आन्तरिक सम्प्रेक्षण की रिपोर्ट एक रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी। रिपोर्ट के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का उल्लेख उसी रजिस्टर रिपोर्ट के सम्मुख किया जाएगा। यह एक स्थाई रजिस्टर होगा, जो 12 वर्ष तक अभिरक्षित किया जाएगा। जिसका रख रखाव सेक्रेटरी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

<u>लेखा परीक्षा में आन्तरिक लेखा परीक्षा में उठाये गए प्रस्तरों एवं उसके निस्तारण की कार्यवाही को उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिकांश ग्राम पंचायतों में इस पर उचित ध्यान न दिये जाने के कारण यह अप्रभावी रहा। प्रशासनिक विभाग द्वारा भी प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर इसे प्रभावी रूप से लागू करानेकी इच्छाशक्ति नहीं दिखायी गयी।</u>

ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सामान्य जन को ग्राम के विकास से जोड़ने उसके अनुश्रवण व सम्प्रेक्षण द्वारा योजना को प्रभावी व कुशलता से चलाने, उसकी संस्तुति को प्राप्त करने के लिए आन्तरिक सम्प्रेक्षण को क्रियाशील व प्रभावी बनाना अपरिहार्य है।

<u>अनुपालन</u> जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन शून्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन मात्र 0.25 प्रतिशत जो कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों का मात्र 0.25 प्रतिशत है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

6.2–<u>संस्तुतियां–</u> पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट–2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती है–

1– लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।

2– सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3– निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4– लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5– यदि कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वांगीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6– पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिए एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

अनुपालन-- पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिए भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रूपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहे।

19.2.16

(शारदा प्रसाद)
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियां एवं पंचायतें
लखनऊ।

19.2.16 19/2/16 19.2.16

परिशिष्ट–1 वर्ष 2011–12

जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण

क्र0सं0	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल जिला पंचायतें	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झांसी	1	1	0	1	0	1	0	0	0
2	जालौन	1	1	0	1	0	1	0	0	0
3	ललितपुर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
4	बांदा	1	1	0	1	0	1	1	0	1
5	चित्रकूट	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	महोबा	1	1	0	2	0	2	0	0	0
7	हमीरपुर	1	0	1	2	0	2	0	0	0
8	गोरखपुर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	महाराजगंज	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	देवरिया	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	कुशीनगर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
12	फैजाबाद	1	0	1	0	0	0	0	0	0
13	बहराइच	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	गोण्डा	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	बलरामपुर	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	सुल्तानपुर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
17	अमेठी	1	1	0	1	0	1	0	0	0
18	बाराबंकी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
19	अम्बेडकर नगर	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	श्रावस्ती	1	0	1	0	0	0	0	0	0
21	आजमगढ़	1	1	0	1	0	1	1	0	1
22	बलिया	1	1	0	1	0	1	1	0	1
23	मऊ	1	1	0	1	0	1	1	0	1
24	मेरठ	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25	बुलन्दशहर	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	गाजियाबाद	1	1	0	0	0	0	0	0	0
27	गौतमबुद्ध नगर	1	1	0	0	0	0	0	0	0
28	बागपत	1	1	0	1	0	1	2	0	2
29	सहारनपुर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
30	मुजफ्फरनगर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
31	मुरादाबाद	1	1	0	1	0	1	0	0	0
32	जे0पी0 नगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
33	बिजनौर	1	0	1	2	0	2	2	0	2
34	रामपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0

35	इलाहाबाद	1	1	0	1	0	1	1	0	1
36	कौशाम्बी	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	फतेहपुर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
38	प्रतापगढ़	1	1	0	1	0	1	0	0	0
39	आगरा	1	1	0	0	0	0	0	0	0
40	मथुरा	1	1	0	1	0	1	0	0	0
41	फिरोजाबाद	1	0	1		0	0	0	0	0
42	अलीगढ़	1	1	0	1	0	1	0	0	0
43	मैनपुरी	1	1	0	4	0	4	0	0	0
44	एटा	1	1	0	13	0	13	0	0	0
45	हाथरस	1	1	0	1	0	1	0	0	0
46	चन्दौली	1	1	0	1	0	1	0	0	0
47	गाजीपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
48	जौनपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
49	वाराणसी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
50	भदोही	1	1	0	1	0	1	1	0	1
51	मिर्जापुर	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52	सोनभद्र	1	0	1	0	0	0	0	0	0
53	बस्ती	1	0	1	0	0	0	0	0	0
54	संतकबीरनगर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
55	सिद्धार्थनगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
56	इटावा	2	0	2		0	0	0	0	0
57	फर्रूखाबाद	1	0	1	5	0	5	0	0	0
58	रमाबाईनगर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
59	कानपुर नगर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
60	कन्नौज	1	1	0	6	0	6	0	0	0
61	बरेली	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62	बदायूँ	1	1	0	0	0	0	0	0	0
63	पीलीभीत	1	0	1	0	0	0	0	0	0
64	शाहजहाँपुर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
65	हरदोई	1	1	0	0	0	0	0	0	0
66	लखीमपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
67	लखनऊ	1	1	0	0	0	0	0	0	0
68	रायबरेली	1	1	0	0	0	0	1	0	1
69	सीतापुर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70	उन्नाव	1	1	0	1	0	1	0	0	0
कुल योग		71	49	22	69	0	69	19	0	19

परिशिष्ट–2 वर्ष 2011–12

क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण

क्र0सं0	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल क्षेत्र पंचायतें	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झांसी	8	0	8	0	0	0	0	0	0
2	जालौन	9	0	9	0	0	0	0	0	0
3	ललितपुर	6	6	0	6	0	6	0	0	0
4	बांदा	8	0	8	0	0	0	0	0	0
5	चित्रकूट	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6	महोबा	4	0	4	0	0	0	0	0	0
7	हमीरपुर	7	0	7	0	0	0	0	0	0
8	गोरखपुर	19	0	19	0	0	0	0	0	0
9	महाराजगंज	12	2	10	2	0	2	0	0	0
10	देवरिया	16	0	16	0	0	0	0	0	0
11	कुशीनगर	14	1	13	1	0	1	0	0	0
12	फैजाबाद	11	4	7	0	0	0	0	0	0
13	बहराइच	14	0	14	0	0	0	0	0	0
14	गोण्डा	16	0	16	0	0	0	0	0	0
15	बलरामपुर	9	0	9	0	0	0	0	0	0
16	सुल्तानपुर	14	10	4	10	0	10	1	0	1
17	अमेठी	16	6	10	6	0	6	0	0	0
18	बाराबंकी	15	1	14	2	0	2	2	0	2
19	अम्बेडकर नगर	9	6	3	4	0	4	2	0	2
20	श्रावस्ती	5	0	5	0	0	0	0	0	0
21	आजमगढ़	22	0	22	0	0	0	0	0	0
22	बलिया	17	1	16	1	0	1	1	0	1
23	मऊ	9	1	8	1	0	1	1	0	1
24	मेरठ	12	6	6	6	0	6	1	0	1
25	बुलन्दशहर	16	0	16	0	0	0	0	0	0
26	गाजियाबाद	8	0	8	0	0	0	0	0	0
27	गौतमबुद्ध नगर	4	1	3	1	0	1	0	0	0
28	बागपत	6	4	2	3	0	3	1	0	1
29	सहारनपुर	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30	मुजफ्फरनगर	14	1	13	1	0	1	0	0	0
31	मुरादाबाद	13	0	13	0	0	0	0	0	0
32	जे0पी0 नगर	6	0	6	0	0	0	0	0	0
33	बिजनौर	11	0	11	0	0	0	0	0	0
34	रामपुर	6	0	6	0	0	0	0	0	0

35	इलाहाबाद	20	0	20	0	0	0	0	0	0
36	कौशाम्बी	8	1	7	1	0	1	1	0	1
37	फतेहपुर	13	8	5	8	0	8	1	0	1
38	प्रतापगढ़	17	9	8	9	0	9	9	0	9
39	आगरा	15	9	6	9	0	9	0	0	0
40	मथुरा	10	4	6	3	0	3	0	0	0
41	फिरोजाबाद	9	2	7	0	0	0	0	0	0
42	अलीगढ़	12	1	11	1	0	1	0	0	0
43	मैनपुरी	9	8	1	8	0	8	0	0	0
44	एटा	15	1	14	1	0	1	0	0	0
45	हाथरस	7	0	7	0	0	0	0	0	0
46	चन्दौली	9	2	7	2	0	2	0	0	0
47	गाजीपुर	16	2	14	2	0	2	2	0	2
48	जौनपुर	21	13	8	13	0	13	0	0	0
49	वाराणसी	8	1	7	1	0	1	0	0	0
50	भदोही	6	6	0	6	0	6	0	0	0
51	मिर्जापुर	12	1	11	1	0	1	0	0	0
52	सोनभद्र	8	1	7	1	0	1	1	0	1
53	बस्ती	14	0	14	0	0	0	0	0	0
54	संतकबीरनगर	9	0	9	0	0	0	0	0	0
55	सिद्धार्थनगर	14	0	14	0	0	0	0	0	0
56	इटावा	15	0	15	0	0	0	0	0	0
57	फर्रूखाबाद	7	0	7	0	0	0	0	0	0
58	रमाबाईनगर	10	0	10	0	0	0	0	0	0
59	कानपुर नगर	10	4	6	4	0	4	0	0	0
60	कन्नौज	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61	बरेली	15	0	15	0	0	0	0	0	0
62	बदायूँ	18	0	18	0	0	0	0	0	0
63	पीलीभीत	7	0	7	0	0	0	0	0	0
64	शाहजहॉपुर	6	0	6	0	0	0	0	0	0
65	हरदोई	19	5	14	5	0	5	0	0	0
66	लखीमपुर	15	0	15	0	0	0	0	0	0
67	लखनऊ	8	0	8	0	0	0	0	0	0
68	रायबरेली	15	0	15	0	0	0	0	0	0
69	सीतापुर	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70	उन्नाव	16	0	16	0	0	0	0	0	0
कुल योग		**811**	**128**	**683**	**119**	**0**	**119**	**23**	**0**	**23**

परिशिष्ट–3 वर्ष 2011–12

ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण

क्र0सं0	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल जिला ग्राम पंचायतें	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की संख्या	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झांसी	437	221	216	227	0	227	2	0	2
2	जालौन	564	164	400	164	0	164	14	0	14
3	ललितपुर	340	33	307	310	0	310	14	0	14
4	बांदा	437	157	280	157	0	157	0	0	0
5	चित्रकूट	330	262	68	262	0	262	7	0	7
6	महोबा	247	1	246	1	0	1	1	0	1
7	हमीरपुर	314	54	260	54	0	54	0	0	0
8	गोरखपुर	1233	829	404	829	0	829	83	0	83
9	महाराजगंज	777	622	155	622	0	622	38	0	38
10	देवरिया	1017	589	428	589	0	589	18	0	18
11	कुशीनगर	956	342	614	342	0	342	11	0	11
12	फैजाबाद	729	662	67	594	63	531	68	0	68
13	बहराइच	903	620	283	0	0	0	0	0	0
14	गोण्डा	1054	22	1032	22	0	22	0	0	0
15	बलरामपुर	667	0	667	0	0	0	0	0	0
16	सुल्तानपुर	805	691	114	691	0	691	1	0	1
17	अमेठी	725	628	97	627	0	627	1	0	1
18	बाराबंकी	1002	879	123	879	0	879	6	0	6
19	अम्बेडकर नगर	786	498	288	498	0	498	5	0	5
20	श्रावस्ती	334	287	47	0	0	0	0	0	0
21	आजमगढ़	1617	479	1138	479	0	479	13	0	13
22	बलिया	835	270	565	253	0	253	15	0	15
23	मऊ	598	361	237	337	0	337	17	0	17
24	मेरठ	459	453	6	453	0	453	0	0	0
25	बुलन्दशहर	889	732	157	0	0	0	0	0	0
26	गाजियाबाद	408	388	20	283	0	283	0	0	0
27	गौतमबुद्ध नगर	243	226	17	226	0	226	0	0	0
28	बागपत	237	232	5	232	0	232	0	0	0
29	सहारनपुर	782	431	351	431	0	431	0	0	0
30	मुजफ्फरनगर	687	661	26	661	0	661	8	0	8
31	मुरादाबाद	960	499	461	499	0	499	19	4	15
32	जे0पी0 नगर	484	250	234	250	0	250	23	0	23
33	बिजनौर	959	390	569	390	0	390	9	1	8
34	रामपुर	580	78	502	78	0	78	0	0	0

35	इलाहाबाद	1425	1369	56	1369	0	1369	11	0	11
36	कौशाम्बी	440	432	8	432	0	432	4	0	4
37	फतेहपुर	788	506	282	506	0	506	15	0	15
38	प्रतापगढ़	1105	711	394	711	0	711	40	0	40
39	आगरा	637	337	300	337	0	337	0	0	0
40	मथुरा	479	220	259	220	0	220	0	0	0
41	फिरोजाबाद	510	135	375	0	0	0	0	0	0
42	अलीगढ़	853	125	728	125	0	125	0	0	0
43	मैनपुरी	503	151	352	151	0	151	0	0	0
44	एटा	898	3	895	3	0	3	0	0	0
45	हाथरस	430	72	358	72	0	72	0	0	0
46	चन्दौली	622	584	38	584	0	584	0	0	0
47	गाजीपुर	1050	398	652	398	0	398	4	0	4
48	जौनपुर	1514	1064	450	1064	0	1064	20	0	20
49	वाराणसी	698	562	136	562	0	562	0	0	0
50	भदोही	481	366	115	366	0	366	0	0	0
51	मिर्जापुर	758	698	60	698	0	698	31	0	31
52	सोनभद्र	501	284	217	284	0	284	2	0	2
53	बस्ती	1047	340	707	340	0	340	5	0	5
54	संतकबीरनगर	648	431	217	431	0	431	0	0	0
55	सिद्धार्थनगर	999	130	869	130	0	130	17	0	17
56	इटावा	861	36	825	33	0	33	0	0	0
57	फर्रूखाबाद	512	0	512	2	0	2	0	0	0
58	रमाबाईनगर	613	295	318	262	0	262	0	0	0
59	कानपुर नगर	557	57	500	50	0	50	0	0	0
60	कन्नौज	441	0	441	0	0	0	0	0	0
61	बरेली	1007	748	259	505	0	505	8	0	8
62	बदायूँ	885	121	764	66	0	66	0	0	0
63	पीलीभीत	599	55	544	56	0	56	0	0	0
64	शाहजहॉपुर	922	348	574	348	0	348	17	0	17
65	हरदोई	1101	760	341	760	0	760	0	0	0
66	लखीमपुर	995	753	242	753	0	753	0	0	0
67	लखनऊ	498	70	428	78	0	78	0	0	0
68	रायबरेली	700	578	122	553	0	553	22	0	22
69	सीतापुर	1329	490	839	490	0	490	10	0	10
70	उन्नाव	954	594	360	594	0	594	0	0	0
कुल योग		**51755**	**26834**	**24921**	**24773**	**63**	**24710**	**579**	**5**	**574**